

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारत में आर्थिक नियोजन

[आर्थिक नियोजन एवं प्रगति के सिद्धान्त
तथा
विदेशों में आर्थिक नियोजन महिा]

ECONOMIC PLANNING IN INDIA
[*With Principles of Economic Planning
and Growth & Planning Abroad*]

डॉ० के० सी० भट्टाजी, एम० काम० पी० एच० डी०,
भूतपूर्व अध्यक्ष वाणिज्य विभाग होल्कर कलेज इन्दौर
एवं

महाराजी लक्ष्मीबाई कलेज, ग्वालियर
अध्यक्ष वाणिज्य विभाग राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मदसौर (म० प्र०)

एवं

डॉ० एम० पी० जौहरी एम० काम० पी० एच० डी०
अध्यक्ष वाणिज्य विभाग राष्ट्रीय महाविद्यालय
नरसिंहपुर (म० प्र०) ।



लक्ष्मी नारायण अग्रवाल
गिम्पा माहिद्य के प्रकाशक, जागरण ३ ।

Copyrights Reserved

पंचम संस्करण एव
परिबद्धित संस्करण १९७०

मूल्य सातह रुपये मात्र

मुद्रक

मॉडर्न प्रेस मसक नरी, जगारा ३

प्रस्तावना

(पंचम संस्करण)

भारत में आर्थिक नियोजन के पाँचवें संस्करण में सम्पूर्ण पुस्तक को नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है। इस संस्करण में आर्थिक प्रगति का सैद्धांतिक पक्ष विस्तृत रूप में सम्मिलित कर लिया गया है क्योंकि आर्थिक नियोजन का अध्ययन आर्थिक प्रगति के विद्यमान के अध्ययन के बिना सम्पूर्ण नहीं हो सकता है। पूँजी निर्माण, विद्या यापार, जनसंख्या, घाटे का अथवा प्रयोजन, मौद्रिक नीति आदि का विस्तृत अध्ययन भारतीय नियोजित विकास के सन्दर्भ में किया गया है। भारतीय सरकारों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों एवं समस्याओं पर विशेष प्रकाश डाला गया है। नियोजन का प्रतिष्ठा एवं तंत्र प्रजातंत्र के अन्तर्गत नियोजन तथा नियोजन प्रायः मिश्रताओं के सम्बन्ध में नवीन विचारधाराओं का प्रस्तुत किया गया है। भारतीय नियोजन के अन्तर्गत तान आर्थिक योजनाओं एवं प्रस्तावित चतुष्ष योजना का आलाचनात्मक अध्ययन एवं अंतिम स्वरूप (प्रधानमन्त्री द्वारा १८ मई, सन् १९७० का लोक सभा में प्रस्तुत) का भी विवेचन अन्त में प्रस्तुत किया गया है तथा भारतीय नियोजन में अपनाना गया विभिन्न णितियों का विश्लेषण आधुनिक प्रवृत्तियों के आधार पर करने का प्रयत्न किया गया है। विदेशी सहायता से सम्बन्धित समस्याओं का विश्लेषण दत्त हुए पा० एल० ४८० की सहायता का आलाचनात्मक अध्ययन भी किया गया है।

हमें पूर्ण आशा है कि उपरोक्त समस्त मनीषणा एवं परिश्रमों के साथ यह संस्करण आर्थिक नियोजन एवं आर्थिक प्रगति का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। भारतीय नियोजित विकास में रुचि रखने वाले सभी विद्वज्जनों को भी इस संस्करण में उपयोगी सामग्री उपलब्ध हो सकेगी।

डॉ० के० सी० भण्डारी ।

डा० एम० पी० जौहरी ।

विषय सूची

भाग १

आर्थिक नियोजन के सिद्धान्त (Principles of Economic Planning)

१—विषय प्रवेश (Introduction)

३ २०

नियोजन का परिचय नियोजन का प्रारम्भ नियोजन को प्रोत्साहन देने वाले घटक—विवेकपूर्ण विचारधारा, समाजवादी विचारधारा राजनीतिक एवं राष्ट्रीय विचारधारा प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध आर्थिक कठिनाइयाँ एकाधिकार, तांत्रिक प्रगति राजकीय वित्त जनसंख्या की वृद्धि पूँजी की कमी, अल्प विकसित अथ यवस्था पूजावादी अथ यवस्था के दोष—नियोजित एवं अनियोजित अथ यवस्था की तुलना ।

२—नियोजन की परिभाषा एवं उद्देश्य (Definition and Objectives of Planning)

२१ ४५

परिभाषा नियोजन के तत्त्व राजकीय हस्तक्षेप एवं आर्थिक नियोजन आर्थिक नीति एवं आर्थिक नियोजन नियोजन के उद्देश्य—आर्थिक उद्देश्य—अधिकतम उत्पादन, अविकसित क्षेत्रों का विकास युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण विदेशी बाजारों पर प्रभुत्व विकास के लिए विदेशी सहायता, आर्थिक सुरक्षा—जाय की समानता अवसर की समानता, पूर्ण रोजगार, सामाजिक उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य—रक्षार्थक उद्देश्य, आक्रामक उद्देश्य आन्तरिक राजनीति में प्रभुत्व अथ उद्देश्य भारत में नियोजन के उद्देश्य ।

३—राजकीय नियंत्रण एवं नियोजन (State Control and Planning)

४६ ५५

राजकीय हस्तक्षेप राजकीय नियंत्रण की आवश्यकता, नियंत्रण की सीमा नियंत्रण एवं त्याग नियंत्रण के प्रकार—उत्पादन व व्यय पर नियंत्रण विनियोजन पर नियंत्रण विनिमय नियंत्रण मूल्य, मजदूरी एवं व्याज पर नियंत्रण यवस्था एवं पैसे के व्यय पर नियंत्रण उपमाध पर नियंत्रण ।

४—प्रजातन्त्र के अन्तर्गत आर्थिक नियोजन एवं द्वयन्तित्व
स्वनन्दन (Planning Under Democracy and India's
dualism Under Planning)

५६-७०

प्रजातन्त्र के युग, विचारित अर्थ-व्यवस्था के युग, आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता के प्रकार स्वतन्त्रता के स्वरूप—मानव-निक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता आर्थिक स्वतन्त्रता सामाजिक स्वतन्त्रता ।

५—नियोजन के सिद्धान्त एवं परीक्षाएँ तथा प्रा० हेक्टर के
विचारों की आलोचना (Principles and Limitations of
Planning and Criticism of Prof Havel's Views)

७१-८४

नियोजन के सिद्धान्त—राजकीय नियंत्रण के सीमा-साधनों का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग मविधान द्वारा राज्य के कर्तव्यों की पूर्ति अधि-नम जनसमुदाय का अधिकतम कल्याण प्राथमिकताओं के आकार पर प्रगति, व्यक्तिगत एवं सामाजिक नित में समन्वय राष्ट्रीय मन्त्रि की सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं उपायता, विन, विनियोजन, रोजगार एवं उत्पादन में समन्वय, आर्थिक उत्पादनानों में बचाव नम वित्त एवं सामाजिक विकास, आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में समन्वय—नियोजित अर्थ-व्यवस्था की परीक्षाएँ—विधान का गमन नहीं, उप-भाक्ता एवं पौ के स्वतन्त्रता का गमाति, तानाशाही का प्राप्ताव, निजी शासन एवं हिन का विनाश बृहद् उपशास्त्रीय सिद्धान्तों का मान्यता, वर्तमान पौडा म अस्तित्व नवान सामाजिकताओं म अपचय कुटुजापन एवं तालकीताशाही सामाजिक परिदृश्यों का भय, अप्राकृतिक नियंत्रणों में श्रुति प्राकृतिक परिस्थितियों की अनिश्चितता क्षितिज का विनाश अनुमानावित विदेशी सहायता का अभाव मुक्त स्वीति का भय ।

६—नियोजन अर्थ-व्यवस्था में प्राथमिकताओं का निर्धारण
(Determination of Priorities in Planned Economy) ८५-१०३

प्राथमिकताओं की समस्या के दो पक्ष—अर्थ-साधनों की उपरब्धि, अर्थ साधनों का आवंटन क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ उत्पादन एवं वितरण मन्त्रों प्राथमिकता सामाजिकताओं-सम्बन्धी प्राथमिकताएँ, विनियोजन एवं उपभोग-सम्बन्धी प्राथमिकता, उद्योग एवं क्षितिज-सम्बन्धी प्राथमिकता, सामाजिक प्राथमिकताएँ परियोजनाओं के पथन हेतु ज्ञान-ज्ञान का विश्लेषण, सामाजिक जगत एवं ज्ञान ज्ञान में ज्ञान-ज्ञान पद्धति का उपयोग ।

७—आर्थिक नियोजन प्रविधि एवं प्रक्रियाएँ (Technique and Methodology of Economic Planning)

१०४ ११७

विकास योजना के अंग—वित्तीय नीति का निर्धारण, मौद्रिक नीति का निर्धारण व्यक्तियाँ व्यवसायों एवं संस्थाओं पर नियंत्रण—नियोजन की प्रविधियाँ—परिभाषना नियोजन खण्डित नियोजन सक्षम नियोजन क्षेत्रीय नियोजन यन्त्रोपकरण वनाम स्थिर नियोजन निकट भविष्य वनाम मुद्र भविष्य के लिए नियोजन कार्यप्रवाह वनाम निर्माणप्रधान नियोजन भौतिक वनाम वित्तीय नियोजन प्रोत्साहन द्वारा वनाम निर्देशन द्वारा नियोजन निम्न स्तर से वनाम उच्च स्तर से नियोजन, प्रदेशीय वनाम राष्ट्रीय नियोजन अंतर्राष्ट्रीय नियोजन ।

८—आर्थिक विधियाँ एवं नियोजन के प्रकार (Economic Systems and Types of Planning)

११८ १५५

पूजावाद—पूजावाद के लक्षण एवं दाव सधवाद श्रेणीमूलक समाजवाद—राजकीय समाजवाद साम्यवाद, साम्यवादी अथ यवस्था के लक्षण—अधिनायकवाद नियोजन के प्रकार—समाजवादी नियोजन समाजवादी नियोजन के लक्षण साम्यवादी नियोजन और उसके लक्षण, पूजावादी नियोजन प्रजातान्त्रिक नियोजन और उसके लक्षण अधिनायकवाद अथवा तानाशाही नियोजन सर्वोद्देश्य अथवा माधीवादी नियोजन ।

९—मिश्रित अथ व्यवस्था एवं आर्थिक नियोजन तथा भारत में

मिश्रित अथ व्यवस्था (Mixed Economy and Economic Planning and Mixed Economy in India)

१५६ १७२

ऐतिहासिक अवलोकन, मिश्रित अथ व्यवस्था का महत्व श्रेष्ठ ब्रिटेन में मिश्रित अथ व्यवस्था मिश्रित अथ व्यवस्था का विभाजन सरकारी क्षेत्र को महत्व निजी क्षेत्र का महत्व मिश्रित क्षेत्र सहकारी क्षेत्र मिश्रित अथ व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक नियोजन भारत में मिश्रित अथ व्यवस्था सविधान के नीति निर्धारक-तत्त्व भारतीय नियोजित अथ व्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र भारतीय मिश्रित अथ व्यवस्था के लक्षण ।

१०—नियोजित अथ व्यवस्था में वित्तीय तथा मौद्रिक व्यवस्था

एवं नीति (Financial Mechanism Fiscal and Monetary Policy in Planned Economy)

१७३ १९५

नियोजित अथ व्यवस्था के अर्थ साधन ऐच्छिक बचन राजस्व बचन, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर अर्थ कर कर एवं बचन की तुलनात्मक श्रेष्ठता, करारोपण एवं मुद्रा स्फीति का दबाव करारोपण का निजी विनियोजन पर

प्रभाव व कारोपण का प्रासाहन पर प्रभाव, प्रासाहन-सम्बन्धी कारोपण के रूप—मुद्रा प्रसार द्वारा प्राप्त वस्तु वस्तु के साधनों की पारम्परिक तुलना, विदेशी मुद्रा की वस्तु, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की विधियाँ—राजकीय आयात-नोति एवं अर्थ-साधन राजकीय आयात-नोति एवं अर्थ-साधन, राजकीय आयात-नोति एवं अर्थ-साधन विदेशी निजी विनियोजन विदेशी सहायता, विदेशी व्यवसायों का अर्थपरण ।

११ — नियोजित अर्थ-व्यवस्था के लक्षण मन्त्रालय हेतु आवश्यक प्राथमिक अपेक्षाएँ (Pre requisites of Planned Economy) १९६६-२०४

विदेशी षटक—विदेशी भाँति, विदेशी सहायता, विदेशी व्यापार, आन्तरिक षटक—राजनीतिक स्थिरता पर्याप्त वित्तीय साधन, साम्यवादी जन प्राथमिकता एवं अन्य विचारण जलवायु की निरन्तर अनुकूलता राष्ट्रीय अर्थिक जनता का सहयोग शासन सम्बन्धी कार्यक्षमता प्रगति की दर क्षेत्र का चुनाव, नियोजन-संगठन का कलवर, विकास एवं आर्थिक स्थिरता में समन्वय, प्रत्येक योजना दीघकालीन योजना का चरण निजी क्षेत्रों का विकास आय की वृद्धि एवं गतिधार ।

१२ — नियोजन की प्रक्रिया एवं तन्त्र तथा भारत का योजना आयोग (Planning Procedure and Machinery and Indian Planning Commission) २०४-२३७

विकास योजना का निमाण—आँकड़ एकत्रित करना, राष्ट्रीय आय का अनुमान राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पादन परिव्योजनाओं का निर्माण, योजना में सन्तुलन योजना का वित्तीय पक्ष, अवधि, आकार, कार्यक्रम निश्चय करना विधि, क्रियान्वित करना, मूल्यांकन भारत में योजना की तयारी—विचार नियन्त्रण आकड़ों पर विचार परियोजनाओं की तयारी, विशेषणों की समग्र, प्राथम स्मृतिपत्र योजना का प्रारूप प्राप्ति की विधि, वार्षिक योजनाएँ, भारतीय नियोजन-तन्त्र—योजना आयोग, आयोग के कार्य, आयोग का संगठन, विभिन्न कम कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, परि-योजना-समिति अनुसंधान कार्यक्रम समिति, राष्ट्रीय योजना परिषद् अर्थिक ग्रुप, सकारकार-समितियाँ, आयोग का सरकार से सम्पर्क, कार्य-क्रमों का मूल्यांकन, राष्ट्रीय विकास परिषद्, आयोग की कार्यविधि के क्षेत्र ।

भाग २
आर्थिक प्रगति के सिद्धान्त
(Principles of Economic Growth)

१३ — आर्थिक प्रगति का अर्थ (Meaning of Economic Growth) २४१-२५०

आर्थिक प्रगति का अर्थ आर्थिक प्रगति एक प्रक्रिया, वार्षिक प्रगति एक

दाघकालान त्रिया, आधिक प्रगति के अन्तगत राष्ट्रीय आय वृद्धि, आधिक प्रगति का माप उत्पादक सम्पत्तियों में वृद्धि, राष्ट्रीय आय वृद्धि प्रति वृत्ति आय वृद्धि आधिक प्रगति का समस्या का महत्व ।

१४—अल्प विकसित राष्ट्रा का परिचय (Introduction to Under Developed Countries) २५१ २७६

अल्प विकसित राष्ट्र की परिभाषा लक्षण—सामान्य आधिक परि स्थितियाँ—प्रति व्यक्ति आय कम कृषि में अधिक जनसंख्या राजस्व का गणनात्मक स्थिति पीछे भाजन की कमी आधिक विप्रेषणा विदेशी व्यापार में यूनान भाग विश्व व्यापार का महत्व तांत्रिक ज्ञान का कमी यांत्रिक शक्ति की यूनानता आधारभूत सुविधाओं की कमी, कृषि का प्रधानता एक दयनाय स्थिति, जनसंख्या मन्व था परिस्थितियाँ प्राकृतिक साधनों का यूनानता मानवीय शक्ति का पिछलापन, पूजा का यूनानता विदेशी व्यापार की प्रधानता ।

१५—आधिक प्रगति को प्रभावित करने वाले घटक (Factors Influencing Economic Growth) २७७ २९४

सांस्कृतिक एवं परम्परागत घटक सामाजिक घटक नैतिक घटक, तांत्रिक घटक भूमि प्रबंध घटक, राजनीतिक घटक सरकारी प्रबंध एवं नीति प्रबंध का विकास का समस्या ।

१६—पूँजी निर्माण एवं आर्थिक प्रगति (Capital Formation and Economic Development) २९५ ३२४

पूँजी निर्माण का अर्थ अल्प विकसित राष्ट्रा में अधिक पूजा का आवश्यकता उत्पादन क्रियाओं में कम विनियोजन पूँजी निर्माण एवं राष्ट्रीय आय पूँजी उत्पाद अनुपात अल्प विकसित राष्ट्रा में पूँजी निर्माण दर पूँजी निर्माण की प्रविधि—वचत—वचन सम्बंधी समस्याएँ वचत का निर्माण शामिल वचत वचत की उपलब्धि, वचत का विनियोजन विनि माजन के गुणात्मक लक्षण अल्प विकसित राष्ट्रा में पूँजी निर्माण वृद्धि के उपाय—विद्यमान उत्पादनक्षमता का पूर्ण उपयोग कुशल तांत्रिकताएँ श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग सांस्कृतिक क्रियाओं का विस्तार विदेशी सहायता एवं व्यापार, आंतरिक वचत में वृद्धि अदृश्य बराजगारा एवं पूँजी निर्माण भारत में पूँजी निर्माण ।

१७—अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास (Foreign Trade & Economic Development) ३२५ ३३६

विदेशी व्यापार एवं राष्ट्रीय आय में सम्बंध विदेशी व्यापार एवं

अन्य विकसित राष्ट्रों की प्रगति अन्य विकसित राष्ट्रों में विदेशी व्यापार-मन्त्रालयों के माध्यम से, भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक विकास ।

१८—जनन-या एव आर्थिक विकास (Population and Economic Development) २०३ २४८

अन्य विकसित राष्ट्रों में जनन-या घटकर प्रतिवृत्त जनन-या विलग्न जनन-या वृद्धि एवं आर्थिक विकास जनन-या का मरचता का विकास पर प्रभाव जनन-या वृद्धि एवं वसाजगारा जनन-या विस्थापित जनन-या मन्त्रालय मिदालन जनन-या रम्य-या आर्थिक प्रगति मन्त्रालय भारत में जनन-या वृद्धि एवं विकास ।

१९—आर्थिक प्रगति के सिद्धान्त—१
प्रतिष्ठित जयन्तिसिद्धियों के आर्थिक प्रगति सिद्धान्त
(Theories of Economic Growth—1
Classical Theories of Economic Growth) ११६-१६३

प्रतिष्ठित जयन्तिसिद्धियों के आर्थिक प्रगति सिद्धान्त, मन्त्रालय का प्रगति सिद्धान्त—मुक्त मार्ग एवं प्रतिस्पर्धा धन विभाजन विकास प्रक्रिया, मजदूरी वान लघान व्याज निर्धारण, विकास का क्रम—विदेशों का प्रगति सिद्धान्त, अर्थ-व्यवस्था का मन्त्रालय, जनन-या-वृद्धि पूर्ण-मन्त्रालय की प्रगति सिद्धान्त अर्थ-व्यवस्था प्रतिष्ठित जयन्तिसिद्धियों के सिद्धान्तों के दोष । भारत का प्रगति सिद्धान्त—निर्माण की नीति-वादों के अर्थ-व्यवस्था मन्त्रालय एवं उनके प्रभाव अनिश्चित रूप से सिद्धान्त पूर्ण-मन्त्रालय का पतन, चरित्र-व्यवस्था मन्त्रालय के विकास-मन्त्रालयों के सिद्धान्तों का मन्त्रालय ।

(२०)—आर्थिक प्रगति के सिद्धान्त—२
(Theories of Economic Growth—2) १६६-१८८

गुणोत्तर का प्रगति सिद्धान्त अर्थ-व्यवस्था मन्त्रालय एवं प्रगति मन्त्रालय विकास का क्षेत्र, वन मन्त्रालय, मन्त्रालय का प्रभुत्व, मन्त्रालय के क्षेत्र आर्थिक प्रक्रिया मन्त्रालय मन्त्रालय एवं विकास मन्त्रालय, गुणोत्तर के विकास-सिद्धान्त का मन्त्रालय विकास-मन्त्रालय आधुनिक विकास-मन्त्रालय, हेरॉट का विकास मन्त्रालय मन्त्रालय हेरॉट का विकास-मन्त्रालय मन्त्रालय का मन्त्रालय मन्त्रालय हेरॉट का मन्त्रालय हेरॉट मन्त्रालय के मन्त्रालयों का मन्त्रालय, हेरॉट-मन्त्रालय मन्त्रालयों के मन्त्रालयों की मन्त्रालय हेरॉट मन्त्रालयों का मन्त्रालय विकसित राष्ट्रों में उपयोग हेरॉट मन्त्रालयों का मन्त्रालय ।

२१—आर्थिक प्रगति की अवस्थाएँ एवं भारत (Stage of Economic Growth with Special Reference to India) १८८ ४०६

विकास की अवस्थाएँ परम्परागत समाज, मन्त्रालय के पूर्व की

अवस्था स्वयं स्फूर्त विकास अवस्था स्वयं स्फूर्त का गते भारत में स्वयं स्फूर्त अवस्था परिपक्वता की जोर अप्रसर, अत्याधिक उपभाग का अवस्था उपभोग के परे ।

२२—घाटे का अर्थ प्रबंधन एवं विकास (Defecit Financing and Development)

४०५ ४२३

घाटे के अर्थ प्रबंधन की तांत्रिकता—परिमाणा उपयोग आर्थिक प्रगति में सम्बंध मूल स्तर पर प्रभाव सीमाएँ मुद्रा स्फाति एवं आर्थिक प्रगति भारत में घाटे का अर्थ प्रबंधन—प्रथम याजना द्वितीय याजना तृतीय याजना वार्षिक योजनाएँ एवं चौथा योजना के अनगत घाटे का अर्थ प्रबंधन ।

२३—मौद्रिक नीति एवं आर्थिक विकास—भारतीय बका के राष्ट्रीयकरण सहित (Monetary Policy and Economic Development with Special Reference to Bank Nationalisation in India)

४२४ ४४६

मौद्रिक नीति के उद्देश्य आर्थिक प्रगति हेतु मौद्रिक स्थिति भारत में मौद्रिक नीति—परिवर्तनाय नकल मन्त्रि अनुपात खुल बाजार का स्थिति घयनात्मक साल नियंत्रण धन दर गुरु तरतता अनुपात व्यापारिक बका पर सामाजिक नियंत्रण भारतीय बका का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य बक राष्ट्रीयकरण में उदय हुई समस्याएँ ।

भाग ३

विदेशों में आर्थिक नियोजन (Planning Abroad)

२४—विदेशों में आर्थिक नियोजन—१

४५३ ४८१

रूस में आर्थिक नियोजन प्रथम द्वितीय तृतीय, चतुर्थ पाचवां, छठा सातवां एवं आठवीं पंचवर्षीय योजना रूसी नियोजित अर्थ व्यवस्था की व्यवस्था एवं संगठन—सामुदायिक नियंत्रण एवं साधनों का वित्तवारी समाज वादा उत्पादन मूल्य निर्धारण, व्यापार नियोजन का संगठन उद्योगों का संगठन एवं प्रबंध कृषिक्षेत्र का संगठन एवं प्रबंध कोनखोज संवर्षाज मशीन टंकर स्टेशन या मत्स्य श्रमिक सघ रूसी अर्थ व्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ ।

२५—विदेशों में आर्थिक नियोजन—२

४८२ ५२६

चीन में आर्थिक नियोजन जापान में आर्थिक नियोजन ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन समुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक नियोजन इण्डोनेशिया

में आर्थिक नियोजन, सीतोन में आर्थिक नियोजन, वर्मा में आर्थिक नियोजन, पित्तोपाइम में आर्थिक नियोजन, पाकिस्तान में आर्थिक नियोजन, मयुक्त धरम गणराज्य में आर्थिक नियोजन ।

भाग ८

✓ भारत में आर्थिक नियोजन (Planning in India)

२६—भारत में नियोजन का इतिहास (History of Planning in India)

१९२२-१९४४

✓ राष्ट्रीय योजना समिति—रुद्राण, इति बम्बई योजना—उद्देश्य मात्र ताएँ—रुद्राण इति योजनाएँ क साधन विना अथ प्रबन्धन सामाजिक व्यवस्था योजनाएँ क साधन जन योजना—उद्देश्य इति, औद्योगिक विकास योजनाएँ अथ-प्रबन्धन आलाचना विवेकपूर्ण योजना—उद्देश्य एव साधन राष्ट्रीयताएँ योजनाएँ—मूल सिद्धान्त उद्देश्य इति आनीएँ रुद्राण आनीएँ रुद्राण अथ प्रबन्धन आनीएँ योजनाएँ—उद्देश्य एव साधन ।

२७—प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (First Five Year Plan)

१९५१-५६

प्रथम योजना के प्रारम्भ में अथ-व्यवस्था का स्वरूप, भारत में नियोजन का प्रकार प्रजातांत्रिक नियोजन की सफलता, योजना के उद्देश्य एव प्राथमिकताएँ, योजना का अर्थ, अथ प्रबन्धन, हीनाथ प्रबन्धन, योजना के लक्ष्य एव प्रगति—इति सामुदायिक विकास-योजनाएँ, औद्योगिक प्रगति साधनाएँ एव संचार, समाज-सेवाएँ उपभोग एव विनियोजन आनीएँ विकास की योजना, योजना की असफलताएँ ।

२८—द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना (Second Five Year Plan)

१९५६-६१

प्रारम्भिक उद्देश्य योजना का अर्थ एव प्राथमिकताएँ अथ प्रबन्धन योजना के लक्ष्य साधन एव प्रगति, इति एव सामुदायिक विकास, सिंचाई एव शक्ति, औद्योगिक एव खनिज विकास कार्यक्रम, आनीएँ एव लघु उद्योग साधनाएँ एव संचार समाज-सेवाएँ निवास-गृह व्यवस्था उपभोग, राष्ट्रीय एव प्रति व्यक्ति आय, द्वितीय योजना की असफलताएँ ।

२९—तृतीय पञ्चवर्षीय योजना (Third Five Year Plan)

१९६१-६६

उद्देश्य अर्थ, विनियोजन एव प्राथमिकताएँ अथ-साधन, विदेशी विनिमय की आवश्यकता एव साधन, योजना के कार्यक्रम, लक्ष्य एव प्रगति—इति एव सामुदायिक विकास, सिंचाई एव शक्ति, उद्योग एव खनिज आनीएँ एव लघु उद्योग वृद्धि उद्योग, खनिज विकास, साधनाएँ एव संचार, विना

स्वास्थ्य सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, तृतीय योजना की असफलताएँ।

३०—चौथी योजना का स्थगन (Postponement of Fourth Plan) ६६५ ६८०

चौथी योजना के स्थगन का निश्चय स्थगन के कारण प्रतिकूल मान-मूल्य एवं कृषिक्षेत्र में अनिश्चितता औद्योगिक क्षेत्र में संकुचन अवमूल्यन अवमूल्यन के सिद्धांत एवं मायताएँ जबमूल्यन एवं निर्यात अवमूल्यन एवं विदेशी महायता अवमूल्यन एवं विदेशी व्यापार विदेशी व्यापार योजना आयोम का पुनगठन मन् १९६६ के चुनाव एकाधिकारी पर रोक आंतरिक वस्तु।

३१—तीन वार्षिक योजनाएँ (सन् १९६६ ६७ से सन् १९६८ ६९)

(Three Annual Plans—1966 67 to 1968 69) ६८१ ७०८

सन् १९६६ ६७ का योजना यय अथ साधन, लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ कृषि सिंचाई, शक्ति उद्योग एवं खनिज, यातायात एवं संचार राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय एवं मूल्य स्तर सन् १९६७ ६८ की वार्षिक योजना—व्यय एवं प्राथमिकताएँ, अथ साधन लक्ष्य एवं कार्यक्रम—कृषि उद्योग राष्ट्रीय आय मूल्य स्तर एवं पूँजी निमाण सन् १९६८ ६९ की वार्षिक योजना—व्यय अथ साधन उत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ।

३२—चौथी योजना का दिशा निर्देश (Approach to Fourth Plan)

७०९ ७२३

चौथी योजना के आधारभूत उद्देश्य स्थिरता के साथ प्रगति, आत्म निर्भरता क्षेत्रीय सन्तुलन, नीतियाँ एवं निर्देश उपसंहार।

३३—प्रस्तावित चौथी पंचवर्षीय योजना (सन् १९६९-७४)

(Draft Fourth Five Year Plan 1969 74) ७२४ ७५७

उद्देश्य यय एवं विनियोजन अथ साधन—घासू आय से अतिरेक सावजनिक यवसाया का आधिक्य रिजव बक से रोके गये लाभ साध जनिक ऋण लघु वस्तु वार्षिकी जमा राज्य प्रावधिक निधि विविध पूँजीगत प्राप्तिर्थाँ जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण विदेशी सहायता हीनाय अथप्रद'घन अतिरिक्त साधनो की यवस्था—निजी क्षेत्र का विनि योजन विदेशी साधन लक्ष्य एवं कार्यक्रम—कृषिक्षेत्र सिंचाई शक्ति, ग्रामीण एवं लघु उद्योग उद्योग एवं खनिज यातायात एवं संचार समाज सेवाएँ योजना की आलोचना, सन् १९६९ ७० वर्ष की योजना—प्रायो जित यय अथ साधन योजना के लक्ष्य।

३४—भारतीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था एवं औद्योगिक नीति

(Industrial Policy in the Planned Economy of India) ३१८-३८८

औद्योगिक नीति प्रस्ताव, सन् १९४८ के उद्देश्य, उद्योग का राष्ट्रीयकरण, पूँजी तथा थम के सम्बन्ध, गृह उद्योग, विदेशी पूँजी तटकर-नीति एवं व्यवस्था, श्रमिका के लिए गृह-व्यवस्था—औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम, सन् १९४९, दत्त समिति चौथी योजना में तादर्थसिग-नाति प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नानि औद्योगिक नानि प्रस्ताव, सन् १९५६ केन्द्रिय सरकार का अन्वय एराधिसार क्षेत्र, राज्य एवं स्थिति गण मिश्रित क्षेत्र, व्यतिगन उद्योग ४ क्षेत्र सन् १९४८ एवं सन् १९५६ की औद्योगिक नीति का तुलना—द्वितीय योजना में औद्योगिक नानि द्वितीय योजना में ग्रामीण एवं उद्योग सम्बन्धा नाति सर्वे समिति की सिद्धान्तों, तृतीय योजना में औद्योगिक नानि ग्रामीण एवं सघु उद्योग विदास नीति चौथी योजना में औद्योगिक नीति ।

३५—भारतीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था में खाद्य-नीति

(Food Policy in the Planned Economy of India) ७८१-७९६

रचनात्मक कार्यक्रम विश्व-सक कार्यक्रम, प्रथम योजना में खाद्य नीति, द्वितीय योजना में खाद्य नीति अभाव में खाद्य खाद्य जीव समिति, सहकारी कृषि तृतीय योजना में खाद्य-नीति—विनरण सम्बन्धी त्रिपाई—उचित मूल्य की दूकानों का अग्रहण, खाद्यनिष्ठ खाद्यान्ना के स्वाभाविकता पर प्रतिबन्ध बन्धन स्तान, रिजर्व बैंक द्वारा खाद्य नियंत्रण, तिर्जा एकत्रीकरण एवं नियंत्रण, खाद्यान्ना में सरकारों व्यापार उत्पादन सम्बन्धी त्रिपाई—एकज कार्यक्रम, जिला स्तरीय गृहरी कृषि कृषि-व्यापन मूल्य नीति सहकारी कृषि चौथी योजना में खाद्य नीति ।

३६—नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत मूल्य-नीति

(Price Policy Under Planned Economy)

८८७ = ९७

वित्तीय-मुक्त राष्ट्रों में मूल्य नियमन की आवश्यकता मूल्य नियमन-नीति के उद्देश्य मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति अतिरिक्त नाथ के व्यय करने पर प्रतिबन्ध अतिरिक्त आय के अनुरूप उपादन में वृद्धि विधिगत अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति के सिद्धान्त, साम्यवादो अर्थ व्यवस्था में मूल्य नीति, भारतीय योजनाओं में मूल्य-नीति एवं स्वर—प्रथम एवं द्वितीय योजना में मूल्य नीति, तृतीय योजना में मूल्य स्तर चौथी योजना में मूल्य ।

३७—भारतीय नियोजित अथ व्यवस्था मे राजगार-नीति
(Employment Policy in the Planned Economy
of India)

८१८ ८२६

अल्प विकसित राष्ट्रों में बेरोजगार प्रथम योजना में रोजगार द्वितीय योजना में राजगार नीति कार्यक्रम एवं प्रगति तृतीय योजना में रोजगार नीति एवं प्रगति चौथी योजना में रोजगार ।

३८—भारतीय नियोजन एवं सामाजिक व्यवस्था

(Indian Planning and the Pattern of Society)

८४० ८४३

आर्थिक विकास के लक्षण सामाजिक पूजा समाजवादी प्रकार का समाज समाजवादी समाज के सिद्धांत तृतीय योजना में समाजवादी समाज की व्यवस्था चौथी योजना के सामाजिक उद्देश्य ।

३९—भारतीय नियोजित अथ व्यवस्था एवं आर्थिक विषमता

(Economic Inequalities Under Planned Economy
of India)

८५४ ८७५

ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्र में उपयोग ध्येय ग्रामीण जन समाज की स्थिति—उच्च अथवा का वग निम्न अथवा का वग—नागरिक समाज—उच्च वग मध्यम वग निम्न वग, राष्ट्रीय उत्पादन का नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्र में वितरण महलनोविस समिति एकाधिकार आयोग आर्थिक सत्ता के केंद्रोत्करण के कारण—द्वितीय महायुद्ध में जति घनापाजन ब्रिटिश संस्थाओं का विलय तांत्रिक विकास प्रवृत्ति अभिकर्ता प्रणाली, अन्तर कम्पनी विनियोजन सरकारी नियोजित विकास कार्यक्रम आर्थिक केंद्रोत्करण का प्रभाव आयोग की सिफारिशें—विधि सम्बंधी सिफारिशें अथ सुझाव जालोचना एकाधिकार एवं प्रतिबन्ध धारक व्यापारिक व्यवहार विल सन् १९६७ ।

४०—भारतीय नियोजित अथ-व्यवस्था एवं विदेशी सहायता

(Foreign Aid Under Planned Economy of India)

८७६ ८९७

विदेशी पूजा के स्रोत—निजी विदेशी पूजा व्यापारिक वक्त्रों द्वारा पूजा हस्तांतरण सरकार द्वारा प्रदान किय गये ऋण एवं अनुदान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण भारतीय योजनाओं में विदेशी सहायता विदेशी सहायता की आवश्यकता विदेशी ऋण एवं ऋण का ऋण परिमोजना ऋण का अधिक अनुपात लामास बोस आदि का ऋण रुपये का अवमूल्यन ऋण शासन में कठिनाई पी० एल० ४८० के अन्तगत सहायता पी० एल० ४८० का अनाज का उपलब्धि पर प्रभाव उत्पादन

एक मूल्य पर प्रभाव, व्यवस्था-स्तर पर प्रभाव राजगार पर प्रभाव, विदेशी सहयोग, चौथी योजना में विदेशी सहायता ।

४?—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (अन्तिम स्वल्प)

(Fourth Five Year Plan Final Report)

२६६६००

प्रधानमंत्री द्वारा १८ मई १९७० का योजना का अन्तिम स्वरूप प्रस्तुत किया एवं विनियोजन, अर्थ-साधन, चातुःसाय का आदिपय सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों का अतिरिक्त घाटे का अर्थ प्रवर्धन, निजी क्षेत्र के अर्थ-साधन, अन्य एक कार्यक्रम, कृषि औद्योगिक उत्पादन, राजगार दीप-कानीय लक्ष्य ।

भाग १

आर्थिक नियोजन के सिद्धांत

[Principles of Economic Planning]

[नियोजन का परिचय, नियोजन का प्रारम्भ नियोजन को प्रोत्साहन देने वाले घटक—विवेकपूर्ण विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, राजनतिक एव राष्ट्रीय विचारधारा प्रथम एव द्वितीय महायुद्ध, आर्थिक कठिनाइयाँ, एकाधिकार, तांत्रिक प्रगति, राजकीय नित्त जनसंख्या की वृद्धि, पूँजी की कमी, अन्य विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ पूँजीवादी अथ व्यवस्था के दोष—नियोजित एव अनियोजित अथ व्यवस्था की तुलना]

नियोजन का परिचय

आधुनिक युग अतिशय तीव्र प्रतियोगिता का युग यंत्रों के प्रयोग द्वारा अत्यधिक निर्माण का युग विज्ञान की प्रगति एवं विकास के सहाराते जीवन का युग अन्तर्महाद्वीपीय प्रेरणास्त्रा का युग कृत्रिम उपग्रह का माध्यम से प्रकृति विजय का युग विध्वंसकारी अस्त्र एव उद्‌जन बमों का युग मानव की सम्पत्ता की रक्षा एवं शांति के लिए मिलजुलने तकफत प्राणा का युग—जीवन के हर क्षेत्र में प्रत्येक चरण में प्रत्येक दिशा में नियोजन का युग है। विश्व का जो परिवर्तित रूप आज मानवता का विकराल आनन प्रस्तुत कर रहा है वह नियोजन का वरदान है। विश्व की आर्थिक व्यवस्था की धमनियों में अथ नहीं, नियोजन प्रवाहित है। वास्तव में प्रकृति स्वयं इतनी नियोजित है कि मनीषियों एव विद्वानों ने अकिञ्चन सी अनियमितता को भूकम्प तथा महाकाशा प्रलय की भयावह राज्ञाएँ प्रदान कर दी हैं। चाहे मानव प्रकृति पर नितनी भी विजय प्राप्त करे वह रहगा प्रकृति का दास ही किन्तु एक बुद्धिमान दास प्रकृति का सच्चा सपुत जिसने योजना या नियोजित व्यवस्था को अपने जीवन का अंग ही नहीं, अपितु जीवन ही मान लिया है। आज प्रदन यह नहीं है कि नियोजन कहाँ-कहाँ होता है प्रसुत प्रदन यह है कि नियोजन कहाँ नहीं होता।

आचार्य अपने विद्यार्थियों का किसी विषय के अध्ययन करने के तरीके बताते समय व्यवस्थित अध्ययन को अधिक महत्व देता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपनी आय का—जो सीमित है विभिन्न इच्छाओं का जो असीमित हैं—पूर्ति पर ध्यान करने से पूरा अपने मस्तिष्क में कुछ विचारों को जन्म देता है जो नियोजन का प्रारूप है।

इस नियोजन में मान व अमान मनी कठिनाइयों और मुविधाओं को ध्यानाकर्षित कर आप को विभिन्न व्ययों पर वितरित करना होता है। व्यय का वितरण आप की सोमाओं और इच्छाओं की निम्नीमता के कारण, इच्छाओं की तीव्रता अथवा प्रसुप्ता के आधार पर होना चाहिए अथवा अत्यावश्यक इच्छाओं की अपूर्ति और कम आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति अवश्यम्भावी है जिसके परिणामस्वरूप उपभोग का मानविक उद्देशन तथा 'आर्थिक' कष्ट हो सकता है। नाथ ही, अधिक आय का व्यवस्थित रूप तथा अनुभवा में व्यय न करने से माधनों का दुष्प्रयोग होता है जो आप नाथ में कष्टदायक मिड होता है। इस प्रकार नियोजन द्वारा सम्मान्य परिस्थिति व प्राहुनाव के पूर्व ही उनकी निवारण व्यवस्था की जाती है। 'कठिनाइयों की वृद्धि पर प्रतिक्रम समान अथवा उनके भा एव नीवृता का कम करने के लिए की गयी पूर्व-अवस्था ही नियोजन है।'

जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रता प्राप्ति हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम की प्ररण लेता है ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र का भी अपने सवागीण विकास के लिए नियोजन की सहायता लेनी पडती है। 'नियोजन की नियोजन के उद्देश्य बताना उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीति निर्धारित करना और विभिन्न नियोजनों को जो जुन हुए सग्यों की और प्राप्ति करने के लिए बाडनीय हैं निरिचत करना आवश्यक है। यह लक्ष्य ऐसे षय गहित समाज की स्थापना करना ही सकता है जिसमें वस्तुओं का उचित वितरण हो, साधनों का अयपयन हो सुड के लिए साधनों का एकत्रीकरण अथवा स्याधिकार वगैरों की उहायता प्रदान करना हो सकता है।'

नियोजन का प्रारम्भ

आर्थिक नियोजन के बनाने स्वल्प का विचार भारतवादी समाजवाद में निहित था और इस विचारधारा का व्यावहारिक प्रयोग रूस में साम्यवादी शासन स्थापित होने के पदबात ही किया गया। यारोप के अद्ययात्मियों विचारकों एवं केंदकों की १९वीं शताब्दी के अन्त में पूंजीवाद के दोषों का जब आभास होने लगा तो राज कोय हस्तक्षेप व द्वारा अर्थ-व्यवस्था में आवश्यक समायाजन करने की विचारधारा उदय हुई। इसके अन्तगत सरकार को अर्थ-व्यवस्था में समायाजन करने हेतु कार्य-वाहिया जब ही करनी थी जब अर्थ-व्यवस्था में कठिन एवं हादितारक परिस्थितिया

- 1 Planners necessarily have to suggest objectives policies to achieve them and various checks to assure that progress is being made towards the selected goal. This goal may be a classless society with fair distribution of goods and non wastage of resources or it may be a mobilisation of resources for war and for favouring the privileged class.

उत्पन्न हो गईं ही अथवा उसके उदय होने की सम्मानना हो गई हो। इनके अनिश्चित सरकारी हस्तक्षेप केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रखा जाना था जिनमें कठिन परिस्थितियाँ उदय हो रही हों और अर्थ-व्यवस्था के नौवें सभी क्षेत्रों में मुक्त रूप से कार्य कर सकें थे। सरकारों हस्तक्षेप की प्रमुख कार्यवाहियाँ सरदारान्तरण शुल्क विपणन नियंत्रण उत्पादन एवं विपणन का कोटा निर्धारित करना, कारखानों अधिनियम मूल्य नियंत्रण कच्चे माल के वितरण पर नियंत्रण आदि हैं। इस प्रकार सरकारी हस्तक्षेप द्वारा देश के आर्थिक जीवन पर सचेत (Conscious) एवं समचित्त नियंत्रण नहीं होना है जो आर्थिक नियोजन के प्रमुख अंग होना है। आर्थिक नियोजन का विचार धारा का राजकीय हस्तक्षेप की विचारधारा से नतिजतल ता अनर्थ प्राप्त हुआ परन्तु राजकीय हस्तक्षेप अपने आप में आर्थिक नियोजन का स्वरूप नहीं समझा गया।

आर्थिक नियोजन की विचारधारा का प्रारम्भ विकास एवं विस्तार २०वीं शताब्दी का ही उपहार है। सन् १९१० में नार्वे के अर्थशास्त्री फ्रांज़िस् क्रिस्तियन शोन्हेइडर (Kristian Schonheyder) ने आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करते समय आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्थान दिया। यह केवल एक सैद्धांतिक विस्तारण था।

प्रथम महायुद्ध में जर्मनी ने सरकारी हस्तक्षेप का विस्तृत किया और युद्ध के प्रशासन के लिए नियोजन का उपयोग किया गया। यद्यपि के अर्थ राष्ट्रों ने भी आर्थिक नियोजन एवं सरकारी हस्तक्षेप की तकनीक का उपयोग युद्ध के प्रशासन के लिए किया। परन्तु यह समस्त व्यवस्था अत्यन्त अस्थायी थी जिसका जीवनकाल युद्ध समाप्ति के कुछ वर्षों बाद तक रहकर समाप्त हो गया।

यह कहना अतिगयाक्ति नहीं होगा कि नियोजन का जो विस्तृत क्षेत्र आज हमारे सम्मुख उपस्थित है उसकी श्रायु ५० वर्षों से अधिक नहीं है। आधुनिक युग में सत्कार के सभी राष्ट्रों में नियोजन किसी न किसी रूप में प्रयाग में लाया जाना है। इस में नियोजन की आवश्यकताओं के पूर्व नियोजन का उपयोग कथन सीमित उद्देश्य के लिए ही किया जाता था विपणन युद्ध के समय में युद्धोपरांत पुनर्निर्माण हेतु तथा प्राकृतिक सङ्कटों के निवारणार्थ। आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए नियोजन का प्रयोग आर्थिकज्ञान में सर्वप्रथम रूस द्वारा ही किया गया। यद्यपि रूस में 'स्वतंत्र साहस' (Free Enterprise) का बालबाला था। यद्यपि तथा अमेरिकी देशों में 'स्वतंत्र साहस की नीतियाँ (Laissez Faire Policies) द्वारा उत्पादन में वृद्धि में वृद्धि थी। स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था में उत्पादन तथा उपभोग पर शासकीय नियंत्रण अत्यन्त सीमित होता है तथा सरकार विपणन उत्पादन तथा उपभोग पर महसूब नियंत्रण रखती है अथवा माँग तथा पूर्ति के नियमों के अनुसार अर्थ व्यवस्था संचालित की जाती है। रूस ने नियोजित अर्थ व्यवस्था की स्थापना की और पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था की तुलना में अधिक उत्पादन के लक्ष्य का अत्यन्त यून

अर्थिक में प्रारंभ कर उसी के जपानान्धिये का ध्यान नियोजन की ओर आकृष्ट किया।

सन् १९२० के पश्चात् कम न जगानर तीन पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा की और इन योजनाओं द्वारा कम न उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। अमेरिकी, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों के उतार चढ़ाव की परिस्थिति न उत्पादन का सीमाबद्ध कर रखा था। जिन्हां मन्निष्यों ने पश्चिम के ध्यान पर पूरे की ओर ध्यान प्रारम्भ कर दिया। कम के उत्पादन तथा योजनाओं के अभाव में सफलताएँ महानपुण थीं। कमों की किली दान न इतन कम समय में विप्लव रूप धारण प्रदान गच्छे का एक आधुनिक औद्योगिक गति में परिवर्तित होने का अनुभव नहीं किया था।¹

पूर्वीयवादी राष्ट्रों में सन् १९३० के आर्थिक प्रतिपाद का सबसे बड़ा मन्दो का वान प्रारम्भ हुआ जिसके पश्चात् पूँजीवाद पर लोगों का विश्वास गीर होत गत। इस समय सोवियत के नेतों द्वारा भी इस वान की पुष्टि की गई कि पूँजीवाद राष्ट्रों में राज्य का आर्थिक प्रगति में उत्थित बागान आवापक है और न अर्थ-व्यवस्था की घटनाओं को एक दमक नाम के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। लगभग इसी समय नाजी जर्मनी तथा फासिस्ट इटली (Fascist Italy) में आर्थिक जीवन का नियंत्रित करण हेतु इन दोनों की सरकारों ने बड़ा कामनाशियों का प्रारम्भ किया। इन दोनों का उद्देश्य अपनी ऐतिक गति गीतानिगीध इतना बढ़ाना था कि वे विश्वविजय प्राप्त कर सकें। इस प्रकार सन् १९३० के बाद आर्थिक नियोजन का एक आरम्भ में आर्थिक प्रगति के लिए और दूसरी ओर जर्मनी एवं इटली में युद्ध की तैयारियों के लिए प्रयास किया जाने लगा।

सन् १९३६ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ जिसके कारण संचालन हेतु युद्ध में सम्मिलित राष्ट्रों ने अपनी-अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं को गंभीर नियोजन के अन्तर्गत पुनर्गठन किया। सन् १९४५ में युद्ध-समाप्ति के पश्चात् युद्ध में सम्मिलित राष्ट्रों ने अपना पुनर्निर्माण करने हेतु आर्थिक नियोजन का उपयोग गरी। उद्युक्त राज्य अमेरिका ने मागत ध्यान के अन्तर्गत नहीं सम्मिलित राष्ट्रों का पुनर्निर्माण हेतु महायुद्ध के बाद स्वीकार किया कि ऐसी पुनर्निर्माण-योजनाओं का संचालन परे जिनके अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों का ध्यान हो सकता हो।

1 inquiring minds began to look eastward rather than westward as they had in the twenties. Russian successes were striking nevertheless in the rise of the output of productivity and in the rate of industrialisation. No country had ever experienced so rapid a transformation from a backward agricultural state to a modern industrialized power.

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् साम्राज्यवादी युग की समाप्ति का शुभारम्भ हुआ और एक नए वाद एक एशियाई एवं अफ्रीका राष्ट्र विन्नेगी सत्ताओं ने स्वतंत्र होने लगे। राजनीति स्वतंत्रता की मुक्तता के लिए इन देशों को अपने नागरिकों के आर्थिक कल्याण की समस्या सबसे अधिक गम्भीर थी। इन देशों (जिन्हें अल्प विकसित राष्ट्र का नाम दिया जाता है) के लिए आवश्यक था कि शीघ्र आर्थिक विकास के लिए अपने अर्थ व्यवस्थाओं का मजालन युद्ध स्तरीय सिद्धान्तों के आधार पर करें और इनके लिए आर्थिक नियोजन का उपयोग स्वाभाविक था।

आधुनिक युग में इस प्रकार आर्थिक नियोजन एक अर्थ स्वाभाविक क्रिया है जिसने उपयोग पर सामाजिक कोई आपत्ति नहीं करता। कोई सरकार अथवा व्यवस्था का कर्तव्य एक निजी व्यवस्था के निश्चय पर नहीं छोड़ देता है। आधुनिक सरकारों का मुराबा एक अर्थ सामूहिक आयोजना (Collective Provisions) पर हानि वातावरण इनका अधिक होना है कि अर्थ व्यवस्था के बड़े भाग पर सरकार का नियंत्रण हो ही जाना है। इसने अनिश्चितता प्रगति का जन कल्याण से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है कि आधुनिक सरकारों का नाशिकताओं के उपयोग का नियंत्रण करना स्वाभाविक हो गया है और इस नियंत्रण को अर्थ व्यवस्था में सभी क्षेत्रों में मजबूत करने के लिए आर्थिक नियोजन का उपयोग किसी न किसी रूप में करना अनिवार्य हो गया है।

आर्थिक नियोजन को प्रोत्साहन प्रदान करने वाले धर्म

वर्तमान युग में आर्थिक नियोजन की विचारधारा इनकी सामाजिक एवं स्वाभाविक हो गयी है कि किसी भी राजनीतिक वाद का मानन वाला सरकार द्वारा नियोजन का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है। ऐसे रुढ़िवादी विचारधारा के लोग अथवा बहुत कम हैं जो इस व्यवस्था को अकारणिक एवं अकारणिक समझकर इसका विरोध करें। वास्तव में आर्थिक नियोजन को अर्थ एक ऐसी विवेकपूर्ण व्यवस्था माना जाता है जिसके प्रयोग से पूरा निर्धारित रक्ष्य की उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। यह लक्ष्य आर्थिक प्रगति जन कल्याण युद्ध प्रशान्त सन्तुष्ट शक्ति में वृद्धि आदि कुछ भाग में सक्ता है। वास्तव में आर्थिक प्रगति आर्थिक नियोजन का मूल उद्देश्य माना जाता है और अर्थ समा लक्ष्य इस पूरा उद्देश्य के पूरक अथवा सहायक होते हैं। यह कर्ना अनिश्चितता न हाना कि आधुनिक युग में आर्थिक नियोजन को आर्थिक प्रगति को सर्वश्रेष्ठ प्रविधि (Process) समझा जाता है। यह जान लक्ष्य विकसित राष्ट्रों के लिए एक प्रतिमान मत्व बठा है। यही कारण है कि लगभग सभी अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक नियोजन द्वारा आर्थिक प्रगति के मार्ग का प्रगस्त किया जा रहा है।

इस प्रकार वर्तमान युग में हम यह देखते हैं कि पूंजीवादी विकसित राष्ट्रों जैसे अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस आदि में आर्थिक नियोजन का सीमित उपयोग किया

जाता है और इनके द्वारा पूँजीवाद में उत्पन्न हुए वाले कमलूनरों एवं विपन्नताओं का समायोजित किया जाता है। साम्यवादी राष्ट्रों में जैसे रूस चीन आदि में आर्थिक नियोजन का विद्यमान एवं कार्यरत व्यवस्था है और मानव जीवन नियोजन की जड़ों में अनुशासित रहना है। इन राष्ट्रों में नियोजन के द्वारा मानव शक्ति बढ़ाने के लक्ष्य की उपलब्धि की जाती है। तीसरे वर्ग में अन्य विकसित राष्ट्र हैं जिनमें नियोजना अज्ञान नियोजना विपन्नता आदि का वातचाना है और इन समस्याओं का निवारण करने हेतु आर्थिक नियोजन का प्रयोग किया जाता है। यह राष्ट्र अपनी परम्परागत कर्म-व्यवस्थाओं में धीरे धीरे परिवर्तन करके इनका नियोजन के विस्तृत उपयोग के लिए उपयुक्त बना रहे हैं।

विद्यमान १० वर्षों के संवैधानिक में आर्थिक नियोजन की विचारणा का जिन गति से विस्तार एवं विकास हुआ है वह जटिल है। किसी आर्थिक विचारणा ने इतनी जल्दी सामर्थ्य प्राप्त नहीं की है। नियोजन की विचारणा को विस्तृत करने में निम्नलिखित घटकों में सहायता प्राप्त की है—

(१) विवेकपूर्ण विचारधारा (Rationalized Outlook)—इसका प्रारम्भ से विवेक एवं विज्ञान की युगा पर टोक उठने वाले विचारों की स्वीकृति प्रदान करने की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ। सामाजिक एवं सार्वजनिक विचारों में ऐसी राय की स्वीकारणा को महत्व दिया, जो एक समाज के समान नियोजन के माध्यमों का अधिकतम स्थापना के लिए उपयोग कर सकें। देश के उत्पादक शक्तियों को इस प्रकार संचालित किया जा सके जिससे समाज का अधिकतम हिस्सा हो। वास्तव में विवेकीकरण जब देश की उम्मीद अथवा व्यवस्था को आधुनिक कर लेता है तो इस व्यवस्था को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। विवेकीकरण से प्रतिस्पर्धा के दोषों का दूर किया जाता है और उत्पादन अनुमानित माग के अनुसार ही किया जाता है। हीन इत्ती प्रकार नियोजन द्वारा आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए नियोजन के लक्ष्य के आधार पर उत्पादन निर्धारित किया जाता है। विवेकीकरण द्वारा यंत्रों में अधिकतम कार्यक्षमता उत्पन्न होती है। कच्चे माल मशीनों तथा अन्य के उपयोग का सकारण संचालन है। आर्थिक नियोजन द्वारा भी प्रतिस्पर्धी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत भी रोकता जाता है। विवेकीकरण के समान ही आर्थिक नियोजन में नवीनतम मशीनों के उपयोग तथा अधिकतम सार्वजनिक कार्यक्षमता का महत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार विवेकीकरण की विचारधारा से आर्थिक नियोजन के विचार का पुष्टि प्रदान हुई है।

(२) समाजवादी विचारधारा—इसके विचार में आर्थिक नियोजन के विस्तार एवं विकास में महत्वपूर्ण सहायता दिया है और आपुनिक युग में आर्थिक नियोजन समाजवाद का अन्तर्गत भाग बन गया है। समाजवाद की विचारधारा २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक केवल सिद्धान्त मात्र ही समझी जाती थी।

समाजवाद ने अब व्यावहारिक राजनीति का रूप ग्रहण किया है और इसे

आधुनिक युग में समाजवाद का मान्यता प्राप्त होना लगा है। समाजवाद समाज के ऐसी आर्थिक संगठन को कहते हैं जिसमें उत्पादन के भौतिक साधनों पर समस्त समाज का अधिकार होना है और जिनका मन्तव्य एम. एम. एम. द्वारा जा समाज के प्रतिनिधि है। जो समाज के प्रति उत्तरदायी है एक सामान्य योजना के अनुसार किया जाता है। इसमें समाज के समस्त संपत्तियों का समाजवादी एवं नियोजित उत्पादन के तंत्रों में समाज हित प्राप्त करने का अधिकार होता है।¹ इस परिभाषा में समाजवाद के सामाजिक पहलू का विषय महत्व दिया गया है जिसके द्वारा समाज का राष्ट्रीय आय के समान वितरण का आयोजन किया जाता है। समाज व्यवस्था में उत्पादन साधनों का उपयोग केन्द्रित अधिकारों के नियंत्रण के अनुसार किया जाता है। सन् १८७५ में सन् १९२५ तक समाजवाद का अर्थ उत्पादन के साधनों पर सामाजिक अधिकार समझा जाता था परन्तु अब इस नियोजित उत्पादन कहा जाता है।

समाजवाद के निम्नलिखित तीन मुख्य अंग हैं—

- (१) उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार।
- (२) आर्थिक नियोजन।
- (३) समानता।

समानता में तीन घटकों का सम्मिलित किया जाता है—(अ) धन के वितरण में समानता, (आ) आर्थिक अवसरों का समानता (इ) आर्थिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि की समानता।

२०वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही समाजवाद का महत्व घटने लगा और समाजवाद के साथ-साथ आर्थिक नियोजन का विचार होना लगा। जर्मनी के सन् १९१९ के चुनाव में समाजवादी पक्ष की शक्ति बढ़ना हुई प्रतीत हुई और The National Socialist German Labour Party का सन् १९३३ में स्थापित का गया था सन् १९३३ के चुनाव में विजय हुई। इस प्रकार ब्रिटेन में सन् १९२४ के चुनाव में Labour Party का सफलता एक निष्पक्ष बाट प्राप्त हुए। सन् १९३५ में Labour Party के बाट का मन्थन और भाग्य गयी और सन् १९४५ में समाजवादी ने बहुमत में अपनी सरकार बनायी। ब्रिटेन का तब सरकार ने युद्धकाल के विस्तृत सरकार नियंत्रणों को जारी रखना उचित समझा और इस प्रकार आर्थिक नियोजन के सिद्धान्तों को मान्यता प्राप्त हुई। सन् १९४६ में फ्रांस में भी लगभग ३

1 Socialism is an economic organisation of society in which the material means of production are owned by the whole community and operated by organs representative of and responsible to the community according to a general plan all members of the community being entitled to benefits from the results of such socialised planned production on the basis of equal rights

डिप्युटीज (Deputies) उपाजवादी थे। रूस न भी समाजवाद एवं साम्यवाद का विमर्शिन रूप प्रस्तुत किया है। इसकी बलारिया आन्दोलिका नामी उदाहरणवर्तिनी, नावें प. १५६ आदि जय ज्यों के भी समाजवाद के प्रति सुहाव है। पूर में भारत की, नयुक्त अरब जगत्तय आदि देगों में भी समाजवाद एवं समाजवादी जय अन्वया की स्थापना के प्रयत्न जागें हैं। इस प्रकार समाजवाद का विचारधारा के आकाशिक महत्व हा जाने से आर्थिक नियोजन की विचारधारा का पुष्टि प्राप्त हुई है।

(३) राजनीतिक अथवा राष्ट्रीय विचारधारा—नियोजन द्वारा साधन एक सहायता। समस्त मुक्तिपापुत्रक स्थापित किया जा सकता है। इसमें निहित ज्यों की प्राप्ति के लिए मनस्विन प्रयास उचित है। इसका द्वारा आर्थिक योजना का केन्द्रीयकरण सम्भव होता है। राजनीतिन एवं राष्ट्रवादी चरका उरवाग अरन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव निहित हाती है। राष्ट्र की सुरक्षा का प्रबन्ध नियोजित अर्थ-व्यवस्था में अधिक ध्यान हाता है इत्यति सुदृष्टान्त में आर्थिक नियोजन एवं गतिपियों के केन्द्रीयकरण का उपयोग हाता है जो आर्थिक नियोजन के मुख्य भाग हैं। अन्तर में जमनी में नियोजित अर्थ-व्यवस्था का संचालन इस प्रकार किया कि विभिन्न राष्ट्रों पर साम्राज्य स्थापित कर सके। स्वतन्त्रता में नियोजन का उपयोग महत्व प्राप्त हुआ और आर्थिक नियोजन का जो महत्त्व हम अर्थ रख हैं वह स्वतन्त्रता की ही देन है। आरम्भ में आर्थिक नियोजन स्वतन्त्रता की एक गान्धिका धी, पन्तु जय इस गान्धिका का उपयोग आर्थिक नियोजन के नाम से आन्तरिक में आर्थिक विकास के लिए किया जान लगा है।

इस प्रकार राष्ट्रवादियों राजनीतियों तथा वैश्ववादियों ने आर्थिक नियोजन की कला को एते गान्धिका के रूप में महत्व प्रदान किया जिसके द्वारा राष्ट्र के उपलक्ष्य एवं सम्भावित साधनों से अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। समाजवादियों ने दूसरी ओर इस गान्धिका का सामाजिक एवं आर्थिक समागता स्थापित करने का मुख्य ध्येय बताया।

सन् १९३० से १९४० में आर्थिक नियोजन का महत्व राष्ट्रीय विचारधारा के कारण बढ़ा जबकि सन् १९४० से १९६० तक वैज्ञानिक एवं आर्थिक विचारधाराओं का जोर रहा। इस विचारधारा ने प्रजातान्त्रिक देगों की विशेषत्व से प्रभावित किया जिसके कारण प्रजातान्त्रिक देगों में आर्थिक नियोजन का स्थाप प्राप्त हुआ है।

(४) प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध—प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध के विध्वनों के कारण अधिकाधिक राष्ट्रों का अपनी अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। युद्ध में वह देश हा विजयी हो सकता है जो अपनी अर्थ-व्यवस्था निर्गोष्ठित रूप से संचालित करता है और राज्य की इच्छानुसार राष्ट्र के समस्त साधनों को युद्ध-विजय प्राप्त करने सम्भवो कामधर्मों में लगाता है। युद्धकाल में बन्तुओं और सेवानों की पूर्ति गौत्राधिकीन करने की आवश्यकता होती है।

इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रतिस्पर्धी अथ यवस्था में आवश्यक समायोजन बीच काल में ही सम्भव होते हैं जबकि नियोजित अथ-यवस्था को राज्य जिस ओर चाहे नीघ्न ही प्रवाहित कर सकता है। इस प्रकार युद्ध सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नियोजित अथ-यवस्था में उचित समय में अन्तर की जा सकती है। युद्धकाल में निजी यवसायों की जोखिम की मात्रा अत्यधिक होती है और वह नवीन उद्योगों एवं व्यवसायों की स्थापना करने तथा पुराने यवसायों के विस्तार करने की जो जोखिम शानी है उसे सुलभता से अपने ऊपर लेने को तयार नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में युद्ध सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकारी दोग का विस्तार करना अनिवार्य हो जाता है जिसे नियोजित अथ यवस्था में सुनिश्चितापूर्वक किया जा सकता है।

(५) आर्थिक कठिनाइयाँ (Economic Crisis)—आर्थिक उन्मादजनित जो पूँजीवाद की विशेषता है के द्वारा उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयाँ का निवारण करने हेतु राजकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता रहती है। जर्मनी में सन् १९२९ की मंदी के पश्चात् जर्मन अर्थ-यवस्था का बड़ी क्षति पहुँची। इसका निवारण करने के लिए जर्मन सरकार ने मुद्रा संकुचन (Deflationary Policy) का अनुसरण किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में रजवेल्ट सरकार का सन् १९३३ की मंदी का सामना करते समय यह बात हो गया कि यह मंदी अनियोजित अर्थ-यवस्था का परिणाम है और इसलिए राज्य ने अर्थ-यवस्था में स्थिरता लाने हेतु बहुत सी कायदाहियों का अनुसरण किया। मुद्रा स्थिति, मुद्रा प्रसार मंदी मूल्यों की वृद्धि आदि की कठिनाइयों का दूर करने एवं उनकी उपस्थिति का रोकने के लिए आर्थिक नियोजन एक शक्तिशाली अस्त्र का रूप ग्रहण कर सकता है।

(६) एकाधिकार (Monopoly)—सन् १९२९ की विश्व-व्यापी मंदी के पश्चात् संसार भर में सामूहिककरण का दौरा दौड़ा हुआ। व्यवसायियों ने यह विचार किया कि मंदी का सबसे बड़ा कारण उनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है और इस प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए प्रवास (Trusts) पापद (Cartels) तथाकरण (Amalgamation) आदि का प्रयुग्ण हुआ। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता लाने हेतु एकाधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति सामान्य हो गया परन्तु इस निजा एकाधिकार की प्रवृत्ति का आधार केवल व्यवसायियों का हित था और ग्राहक उपभोक्ता तथा सामान्य जनता के हितों को कोई स्थान नहीं था। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों की सरकारों ने इस एकाधिकार की प्रवृत्ति का पूर्ण लाभ उठाने हेतु इसे सामान्य जनहित का एक अंग बना दिया और विभिन्न देशों में अर्थ-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में सरकारी एकाधिकार स्थापित किए जाते जिन्हें अन्तिम लक्ष्य केवल लाभोपाजन में हाकर सामान्य जनता का हित था। सरकारी एकाधिकार आर्थिक नियोजन का मुख्य अंग होने के कारण आर्थिक नियोजन के विस्तार में सहायक सिद्ध हुआ। जर्मनी में सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण की आधारशिला निजी पापद (Private Cartels) में डाली थी।

(७) तांत्रिक प्रगति (Technological Advancement)—तांत्रिक प्रगति के जनस्वरूप अधिक उत्पादन शक्तियों की वास्तविक आय में वृद्धि तथा पूँजी निमाण की गति में वृद्धि लाती है। राजस्व, बचत एवं त्रिनियोजन में भी वृद्धि होना स्वाभाविक होगा है। इस प्रकार प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था में लोगों का सभी वर्गों तक पहुँचाने के लिए अर्थ व्यवस्था पर सामाजिक नियंत्रण आवश्यक होना है। प्रगतिशील अर्थ व्यवस्था का दिन प्रतिदिन समायाजन करना अत्यन्त आवश्यक होना है त्रिमे एक केन्द्रीय अधिकारी ही कर मचना है। उपरनीत अर्थ-व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण में होने के जनस्वरूप आवश्यकता में अधिक उत्पादन, निजी सामूहिकरणों का प्रादुर्भाव आदि का भय रहना है। अन्तर्विकसित राष्ट्रों में नवीन व्यवसायों की स्थापना हेतु पूँजी उपलब्ध करना भी कठिन होता है क्योंकि इन देशों में पूँजी गर्भिली होती है। इस परिस्थिति में बड़ा औद्योगिक इकाइयों सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित की जा सकती हैं।

तांत्रिक प्रगति एवं जनकल्याण में आधुनिक युग में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। यह सम्बन्ध नकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार का है अर्थात् तांत्रिक प्रगति द्वारा उपरनीत उत्पादन प्रविधियाँ एवं तकनीकियों के विस्तृत उपयोग से समाज में कुछ दाया का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है, जिन वैरोजगारी नगरों में अधिक गहन जनसंख्या हानिकारक प्रतिपत्तियाँ अति उत्पादन अनावश्यक एवं विसामिता की वस्तुओं का उत्पादन घन एवं आय का केन्द्रीयकरण आदि आदि। इन दाया का दूर रहने के लिए राज्य का आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करना आवश्यक होता है और इन काम के लिए आर्थिक नियोजन का उपयोग किया जाता है।

तांत्रिक प्रगति एवं जनकल्याण में नकारात्मक सम्बन्ध का अर्थ है कि आधुनिक तांत्रिक प्रविधियाँ का विस्तृत उपयोग करके जनजीवन का अधिक मुझी एवं कल्याणकारी कमान का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसके लिए भी राज्य के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। वस्तु में जनमेया सम्बन्धी उद्योगों एवं व्यवसायों में सरकार का एकाधिकार के रूप में चलाना आवश्यक होना है जिससे समस्त नागरिकों को आवश्यक सेवाएँ एवं वस्तुएँ उचित मूल्य पर एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें।

आर्थिक तांत्रिकताओं के जनस्वरूप कुछ सामूहिक कल्याण वाले उद्योगों का संचालन निजी सहस्रियों का नहीं सीपा जा सकता है क्योंकि एक बार इन उद्योगों के लिए बहुत अधिक पूँजी एवं तकनीक की आवश्यकता होती है और दूसरी ओर आधुनिक मशीनों का उपयोग इतना भयानक है कि उन पर सरकारी कठोर नियंत्रण एवं अधिकार अनिवार्य है। यही कारण है कि आधुनिक तांत्रिकताओं और आर्थिक नियोजन का इतना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है।

(८) राजकीय वित्त (Public Finance)—प्रथम महायुद्धकाल में सरकारों के सुरक्षा-व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई, नवीन नरों की लगाया गया तथा पुराने नरों की दर में वृद्धि हुई।

युद्धकाल में सरकारी व्यय पर एव सरकारी ऋण (Public Debt) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जो युद्ध के पश्चात् भी जारी रखी गयी। सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ गया और जो पहले निजी आवश्यकताएँ समझी जाना थीं उन्हें सामाजिक आवश्यकताएँ समझा जाने लगा जिनके प्रति सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ गया। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए यह आवश्यक हो गया कि सरकारी आय में भी निरन्तर वृद्धि की जाय। इस विधि का द्वितीय मन्त्रयुद्ध में और अधिक प्रास्ताविक निम्ना जितके कर्तव्यरूप राज्य राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न अंगों पर नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप करने लगा। सरकारी आय एवं व्यय में वृद्धि के अनुसार सरकारी कार्यवाहियों में वृद्धि स्वाभाविक ही थी। सरकारी कार्यवाहियों में वृद्धि हानि का तात्पर्य हुआ—सरकारी क्षेत्र का विस्तार तथा निजी क्षेत्र का संकुचन—दो प्रकार सरकार का व्यय व्यवस्था पर नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप बढ़ता रहा जिसका एक आर्थिक नियोजन का मन्थन हुआ। राजकीय ऋण के विस्तार से देश की मुद्रा साख एवं पूँजी के क्षेत्र में संगठनात्मक (structural) परिवर्तन हो जाने हैं। अब मुद्रा एवं साख का प्रसार जाना है तो मुद्रा स्थिति का दबाव बढ़ जाता है जिसे रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण आवश्यक होता है। मुद्रा प्रसार हानि पर सरकार का मूल्यांकन द्वारा उत्पादन उपभाग, बचत का कार्यवाहियाँ तथा प्रतिभूति के बाजारों पर नियंत्रण करना अत्यन्त आवश्यक होता है। मन्त्रीकाल में सरकारी आय-व्यय भी कम हो जाते हैं जिससे मूल्यो में और कमी आ जाती है और बेरोजगार की संख्या बढ़नी जाती है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी व्यय में वृद्धि करना आवश्यक जाना है क्योंकि सरकारी व्यय में वृद्धि होने पर ही मूल्यो में स्थिरता एवं बाजारों में वृद्धि की जा सकती है। जब सरकारी काम में वृद्धि करने का उत्तरदायित्व सरकार ले लनी है तो दीर्घकालीन बजट बनाने तथा दीर्घकालीन नियोजन की आवश्यकता होती है।

(६) जनसंख्या की वृद्धि—अच्छ विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि तथा जीवनस्तर में कमी यह दो संलग्न सामाजिक रूप से पाये जाते हैं। जनसंख्या की अधिक वृद्धि को रोकने हेतु परिवार नियोजन का उपयोग किया जा सकता है परन्तु परिवार नियोजन आर्थिक पुनर्निर्माण की अनुपस्थिति में निरर्थक समझा जाता है। सभी अच्छे विकसित राष्ट्रों में अब यह मान्यता है कि अति जनसंख्या (Over population) की समस्या का निवारण दीर्घ आर्थिक विकास द्वारा ही सम्भव है। आर्थिक विकास एक राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत ही सुगमतापूर्वक हो सकता है।

(१०) पूँजी की कमी—अच्छ विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास हेतु पर्याप्त पूँजी उपलब्ध नहीं होती है। अनियोजित व्यय-व्यवस्था में उत्पादन एवं उपभोग स्वतंत्र हाथों में और उत्पादित जपन उपभाग का वस्तुएँ खरीदने के पश्चात् ही बचत की बात का विचार कर लेना है। प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त ग़ुन हानि के कारण अच्छे विकसित राष्ट्रों में पर्याप्त उपभाग सामग्री खरीदना ही सम्भव नहीं होता है।

आवश्यक था। यह कार्य सम्पादन नियोजन द्वारा ही 'यूनानियून अवधि' में सम्भव था। अब एशिया के सभी राष्ट्रों में विकास की ओर सबर गति से एक दौड़ हो रहा है। भारत और चान इस दौड़ में सबसे आगे हैं। ये सभी राष्ट्र नियोजन द्वारा सीमित साधना से अधिकतम लाभ उठाने में प्रयत्नशील हैं।

आज के युग का लोकतन्त्र केवल राजनैतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं है। आधुनिक युग के लोकतन्त्र में मनुष्य के जीवन के नियमों का अनुसरण करना तथा एक राष्ट्र के अधिकतम लाभों का जीवन के समस्त क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करना, कुशल सामित अकुला के साथ जा जनसमुदाय के हित में ही सम्मिलित होता है। इसलिए लोकतन्त्र का अर्थ-व्यवस्था के ढांचे में हस्त-केर करने के लिए निरन्तर कार्यरत रहना पड़ता है जिसमें न केवल समान अवसर ही प्रदान किया जा सके प्रत्युत अधिकतम जनसंख्या के अधिकतम हित के दृष्टिकोण से भी यह वांछित प्रतीत है।¹

यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि नियोजन का महत्व लोकतन्त्र तक ही सीमित है। आज के युग में सभी राजनैतिक विचारधाराओं में आर्थिक तथा सामाजिक समानता को भावना प्राप्त है। साम्यवाद तथा समाजवादीता विरोधक इन दो उद्देश्यों का प्रमुखता धरते हैं। तानाशाही में भी इन उद्देश्यों को स्थान प्राप्त है किन्तु इससे साथ अन-य-शासक (Dictator) के सम्मान तथा शक्ति की ओर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। आर्थिक तथा सामाजिक समानता नियोजन के माध्यम से ही कम से कम समय में प्राप्त की जा सकता है। वाकिस्तान भी नियोजन द्वारा आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है जहाँ एक रूप में तानाशाही शासन-व्यवस्था है।

नियोजित एवं अनियोजित अर्थ व्यवस्था की तुलना

आधुनिक युग में नियोजित अर्थ-व्यवस्था अनियोजित अर्थ व्यवस्था का तुलना में अधिक विकसित एवं उचित समझी जाती है। नियोजित अर्थ व्यवस्था में निश्चित लक्ष्य कम समय में उचित शक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। निम्न कारणों से नियोजित अर्थ व्यवस्था को अनियोजित अर्थ व्यवस्था की तुलना में प्राथमिकता प्रदान की जाती है—

(१) विस्तृत दृष्टिकोण—नियोजित अर्थ व्यवस्था के कार्यक्रम विस्तृत दृष्टिकोण

1 Democracy in the modern age has come to be associated with a pursuit of equality of opportunity and full fledged freedom of action to the majority of the people of a country in all walks of life with due limitations imposed upon them in their own interest. Democracy constantly works to bring about the requisite changes in the structure of economy so as not only to afford equality of opportunity but also to justify from the point of view of the greatest good of the largest number of population.

से निर्दिष्ट कि ज्ञे हैं। नियोजन अधिकारी नियोजन के लक्ष्य तथा कार्यक्रम निर्दिष्ट करने समय किसी विशेष क्षेत्र, या अथवा मनुदाय को ध्यान में रखना प्यन केन्द्रित नहीं। बरन् अधिकारी सम्मन्त राष्ट्र को आवश्यकताओं लक्ष्यों के विचारण का केन्द्र-बिन्दु होती है। 'अनियोजित तथा उद्योग की प्रतियोगी-व्यवस्था का मूल लक्ष्य यह है कि उत्पादित तथा विनियोजन के विषय में निर्देश्य करने वाले व्यक्ति नरहीन हों हैं। वे किसी एक वस्तु की उत्पादित के इनन बाट का पर प्रमुख रहने हैं कि औद्योगिक क्षेत्र की अन्त मांग का हा विचार में रख लवने हैं। उनका अपन निर्देश्य के परिणामों का मान न तो हाना ही है और न हा ही मकना है। ब नानाजिब प्रतियोगी का भी प्यान में नहीं रखने।'

(२) उत्पादन एवं माघनों में समन्वय—नियोजित व्यवस्था में वित्तीय माघनों तथा उत्पादन में समन्वय स्थापित करना मरन हाता है। 'पूर्वावधानी समाज का मन्त्र पून लक्षण निरन्तर माघों एक समन्वयता का अस्मिन्ता है तथा अर्थशास्त्रियों में साम्प्र-विक सहमति है कि औद्योगिक व्यवस्था में अधिक ह्म फेर सामन्तीति तथा उत्पादन के अनुचित प्रवच के कारण हाता है।' अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में जनता की वचत लघात् आय का वह भाग जा उपनाम पर खप नहीं दिया जाता है तथा विनियोजन जा मय उद्योगों की स्थापना के लिए दिया जाता है, में बाई प्रयत्न सम्भव नहीं होता है और न कोई सम्पा ही वचत का सुरक्षित विनियोजित करने की व्यवस्था पर प्यान देता है। निजी अधिकारी मरवाण हुनरी और विनियोजन की राणि में वृद्धि करती है जबकि साम्प्रविक वचत की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हाती। इन कारणों के परिणाम-स्वरूप पूर्वावधान के सम्मूण इतिहास में बेरा-गाने तथा मन्दी का विषय म्यान है। नियोजित व्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है जो देश की समस्त वचत तथा विनियोजन का उपयोग राष्ट्र के हित में कर सकता है। साथ ही, वह निजी हितों के प्रभाव का इन क्षेत्रों से पृथक रख सकता है।

1 It is essence of an unplanned and competitive arrangement of industry that persons who take decisions about output and investment should be blind They control such a small fraction of the output of a single commodity and therefore take into account such a small part of the industrial field that they are not and cannot be aware of the consequences of their own actions They are not aware of economic results They do not even consider social repercussions

(E F M Durbin *Problems of Economic Planning* p 30)

2 The constant recurrence of depression and the instability of prosperity is one of the most marked features of capitalistic society and there is a virtual unanimity among economists that the wide movements of industrial activity are traceable to the mismanagement of relation between credit policy and production

(E F M Durbin *Problems of Economic Planning* p 52)

(३) उत्पादन के घटका को उचित स्थाय—नियोजित तथा क्षेत्रीय व्यवस्था में उत्पादन के विभिन्न घटका का उत्पादन क्षेत्र में उचित स्थाय किया जा सकता है क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत हित का कोई सम्बन्ध नहीं रहता और इस प्रकार उत्पादन घटका में समन्वय बना रहता है तथा उद्योगी कायमगता में वृद्धि होता है। श्रमिकों को उद्योगों में प्रत्यक्ष भाग लेने का अधिकार तथा उन पात्रश्रमिकों को अनिश्चितताओं से दूर श्रमिकों में उत्पादन के प्रति शक्ति का प्रादुर्भाव किया जा सकता है।

(४) आर्थिक विकास सुलभ—निर्वाचित व्यवस्था द्वारा राष्ट्र का आर्थिक विकास सुलभ होता है। फ्रेडरिच ज्युग (Friedrich Zweg) के अनुसार नियोजित अर्थ व्यवस्था में कायमगता का सामाजिक अथवा राजनीतिक उद्देश्य के आधार पर किया जाता है जिससे इन उद्देश्यों की पूर्ति में सुलभता होता है। दूसरे ओर अनियोजित अर्थ व्यवस्था में अपने पृथक् पृथक् नियम, गुण एवं मापदण्ड होती है जिससे इनमें निर्दिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने राष्ट्र के सम्बन्ध साधना का इन उद्देश्यों की पूर्ति की ओर आविष्ट करना सम्भव नहीं होता है। अनियोजित अर्थ व्यवस्था एक रूप में स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्था होती है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता के विशेष सम्बन्ध प्राप्त होता है। इस व्यवस्था में उत्पादन एवं वित्तियोजन के लक्ष्य व्यक्तिगत मापदण्डों के आधार पर पृथक्पृथक् निर्दिष्ट किए जाते हैं। नियोजित अर्थ व्यवस्था में उत्पादन एवं वित्तियोजन सम्बन्धों लक्ष्य निर्धारण के उद्देश्य जगत् सुलभ, आर्थिक विभाग आदि के आधार पर निर्धारित होते हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पृथक् पृथक् निदेशों के स्थाय पर सामूहिक निदेशों का ही मापदण्ड प्राप्त होता है जिससे लक्ष्य की पूर्ति एक सम्बन्धित आर्थिक विकास सुलभ होता है।

(५) प्राथमिकताओं का उपयोग—नियोजित अर्थ व्यवस्था में प्राथमिकताओं (Priorities) का विचार रखा जाता है। परिस्थिति के अनुसार तीव्रता में बढ़ावा देने के निर्धारण का आयोजन सर्वप्रथम किया जाता है। ऐसी समस्याओं का राष्ट्र के जीवन का प्रमुख धर्म है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का प्रभावित करती है उनमें उद्योगों तथा मापदण्डों का अधिक भाग आविष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक स्वतन्त्रता तथा परिस्थिति के अनुसार प्राथमिकताओं की एक सूची का निर्माण किया जा सकता है। उगे वृत्तियोजन करने अर्थ व्यवस्था का सामाजिक तथा गणतन्त्र किया जा सकता है। अनियोजित अर्थ व्यवस्था में इस प्रकार प्राथमिकताओं का सूत्र बनाता सम्भव नहीं है और किन्तु राष्ट्र में इस प्रकार न तो अर्थ व्यवस्था में ही सुधार किए जा सकते हैं और न उस अर्थ व्यवस्था में आर्थिक तथा सामाजिक सुराहियों का ही दूर किया जा सकता है।

(६) साधना का राष्ट्रीय हित के लिए उपयोग—अनियोजित अर्थ व्यवस्था में उत्पादन उपमाताओं की माँग के अभाव में रहता है। उद्योगों तथा उत्पादन नहीं

वस्तुओं का उत्पादन करत हैं, जिनकी बाजार में अधिक माँग होती है। इस प्रकार उपभोक्ता की इच्छा की पूर्ति के लिए उत्पादन पर सर्वाधिकार रहती है। साधनों का वितरण भी उपभोक्ता उपभोक्त्या की आवश्यकतानुसार करता है। उपभोक्ताओं की माँग अनिश्चित होती है जिसमें राष्ट्रीय हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित का प्रभुत्व होता है। उपभोक्ता अपनी माँग करते समय अपनी माँगों के आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य प्रभावों से अनभिज्ञ होते हैं और इस प्रकार राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन अथवा विकास करना कठिन होता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता की स्वतन्त्रता का सीमित कर दिया जाता है तथा राष्ट्र के साधनों का वितरण राष्ट्रीय हितों के अनुसार किया जाता है। उत्पादन उपभोक्ता द्वारा नहीं प्रभुत्व नियोजन का वायव्य द्वारा संचालित होता है। इस प्रकार अधिकाधिक साधनों का पूर्णतः सम्पत्तियों के उत्पादन में लगाया जा सकता है और अर्थ-व्यवस्था का तीव्र ही विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है।

(७) व्यापारिक उत्पादन—नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध साधनों के सम्बन्ध में उत्पादन-वायव्य निर्धारित किए जाते हैं और यह निर्धारण नियोजन-अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में अति अथवा 'बहु उत्पादन की समस्या गम्भीर नहीं हो पाती है और कोई 'व्यापारिक उत्पादन अथवा व्यापारी विपणन पर प्रभाव डालने में असमर्थ रहता है। केवल बाह्य प्रतिस्पर्धा का ही हट दी जाती है और अर्थ-व्यवस्था का स्वतन्त्र समाप्तिगत हानि का लिए नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि यह स्वतन्त्र समाप्तिगत दीर्घ काल में ही सम्भव हो सकता है। इस दोष नाश में जनसमुदाय को जो कठिनाईयें उठानी पड़ती हैं उनसे बचाना नियोजन द्वारा ही सम्भव होता है। व्यापारिक क्षेत्रों का नियोजित अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है क्योंकि इन पर नियोजन-अधिकारी प्रभावशाली नियंत्रण रखता है।

(८) साधनों का उपयोगरहित न रहना—अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन सम्बन्धी निर्णय निजी व्यवसायियों तथा उनकी सम्पत्तियों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के आधार पर करते हैं अर्थात् जिस व्यवसाय में लाभ की सम्भावना अधिक होती है उसे अधिक से अधिक साहसी विनियोजन करते हैं, जिसका नतीजा कुछ समय पश्चात् यह होता है कि कुछ व्यवसायों में अति विनियोजन एवं अति उत्पादन हो जाता है और कुछ व्यवसाय हीन अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में उपलब्ध उन साधनों का तो अधिकतम उपयोग होता है जिनमें लाभ अधिक उपलब्ध होता है और अन्य उद्योगों के लिए उपलब्ध साधन उपयोगरहित रहते हैं। यदि अर्थ-व्यवस्था में व्यवसायों एवं उद्योगों का विकास समन्वित रूप में उपलब्ध साधनों के सम्बन्ध में किया जाय तो कुछ उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो सकती है और आर्थिक प्रगति भी तीव्र गति से हो सकती है। उपलब्ध साधनों का अधिकतम विवेकपूर्ण उपयोग आर्थिक

नियोजन के अंतगत होता है क्योंकि नियोजन अधिकारी उत्पादन का समचित कायधम निर्धारित कर सक्ता है। ऐसे व्यवसायो का संचालन किया जा सकता जो प्रारम्भ में अधिक लाभप्रद नहीं होते हैं। नवीन साधनों की खोज भी नियोजित अर्थ व्यवस्था में सुलभता से की जा सकती है।

(६) साधनों का अधिकतम तांत्रिक कुशलता के आधार पर उपयोग—नियोजित अर्थ व्यवस्था के अंतगत नवीन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना, उत्पादन साधनों का पुनर्रिचरण तथा आवश्यकतानुसार सामाजिक, आर्थिक एवं वैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन करना सम्भव होता है जिसके फलस्वरूप उद्योगी एवं व्यवसायो का उपयुक्त स्थानों पर स्थापित एवं स्थानान्तरित करना, उनमें आधुनिक तकनीकियों में यंत्रों का उपयोग करना उनका उपयुक्त आर्थिक संयंत्रों द्वारा संचालित करना, व्यवसायो का एकीकरण (Amalgamation) तथा इनमें पारस्परिक सहयोग स्थापित करना आदि सम्भव होते हैं। अनियोजित अर्थ व्यवस्था के अंतगत इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती क्योंकि प्रायः उद्योगपति एवं व्यवसायो को इन सबके सम्बन्ध में पृथक् पृथक् निष्पत्ति करने की स्वतंत्रता होती है। उपयुक्त व्यवसायो में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और विनिष्ठीकरण में सहायता प्राप्त होती है।

(१०) साधनों का जन हित के सम्बन्ध में वितरण—आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य जनकल्याण होता है और एक उद्देश्य की उपलब्धि के लिए रोजगार का साधनों भाग एवं धन के वितरण की विषयता को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। उत्पादन साधनों का वितरण माँग मूल्य अथवा लाभ के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि जनकल्याण के लिए जिन अनिवाय रोषाओं एवं वस्तुओं की अधिक आवश्यकता होती है, उनको पूँज में वृद्धि को आधार माना जाता है तथा उन्हें निधन वगैरह सब उचित मूल्य पर पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरी ओर अनियोजित अर्थ व्यवस्था में साधनों का वितरण माँग मूल्य एवं लाभ के आधार पर किया जाता है। प्रभावशाली माँग यही वगैरह प्रस्तुत कर सकता है जिससे पास अधिक प्रयत्न मिले और अधिक प्रयत्न शक्ति सम्पन्न वगैरह के पास ही होती है। इस प्रकार अनियोजित अर्थ व्यवस्था में आराम एवं वितासिता की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए साधनों का उपयोग कर लिया जाता है जबकि निधन वगैरह की अनिवायताओं की पूर्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नियोजित अर्थ व्यवस्था में यह सम्भव हो सकता है।

(११) अधिकतम तांत्रिक कुशलता—नियोजित अर्थ व्यवस्था के अंतगत उत्पादन-साधनों का वृद्धि स्तर पर पुनर्रचना करने विभिन्न व्यवसायो एवं उद्योगों को उपलब्ध किया जाता है। संयंत्र एवं उत्पादन के स्तर में विस्तार हो जाने से यंत्रों एवं धन के और अधिक विनिष्ठीकरण में सहायता प्राप्त होती है। उद्योगी एवं व्यवसायो को अधिकतम उपयुक्त स्थानों में ले जाने तथा उनका अधिकतम कुशल संचालन करना के लिए निजी सहस्रियों के हितों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है।

परन्तु एक बार, इस प्रकार जो तांत्रिक कुशलता प्राप्त होती है, वह सरकारी अधिकारियों की लाजपतीनागाही द्वारा नष्ट हो जाती है और नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था इस व्यवस्था का पूरा लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहती है।

(१२) सामाजिक लागत (Social Costs)—अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में निजी उद्योगियों द्वारा संचालित उद्योगों से समाज का कुछ बहिष्कार प्राप्त होता है जैसे औद्योगिक बीमारियों, पत्राण बरोबरगारी, औद्योगिक कुपटनाएँ, नगरों में अधिक भीड़-भाड़। निजी उद्योगपति इन सब सामाजिक बाधों की ओर विशेष ध्यान नहीं देते जब तक कि उन पर राजस्व द्वारा इस सम्बन्ध में दबाव नहीं डाला जाता। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में इन बाधों को दूर करने का पर्याप्त आयाजन दिया जाता है और इन पर विचार उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के समय ही कर दिया जाता है।

निष्पत्ति यह है कि अनियोजित अर्थ-व्यवस्था एक आह्वानित अर्थ-व्यवस्था होती है जबकि नियोजित अर्थ-व्यवस्था एक विचारपूर्ण (Deliberate) व्यवस्था है, जिसमें अर्थ-व्यवस्था के उद्देश्य विचारपूर्ण निश्चित करके इसका संचालन किया जाता है। इस प्रकार नियोजित अर्थ-व्यवस्था अधिक सफल और विवेकपूर्ण प्रतीत होती है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में स्वतन्त्र उत्तरदायित्व, स्वतन्त्र पहल (Initiative) तथा निश्चयों की गीतना तथा परिवर्तनशीलता को विशेष अवसर प्रदान किया जाता है। दूसरी ओर, नियोजन में व्यवस्थित समन्वय, यथानिश्चय तथा तांत्रिक ज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग तथा माँग और पूर्ति में समन्वय करना जिससे अधिक जीवन-स्तर का आयोजन हो सके आदि उद्देश्य सम्मिलित होते हैं।

नियोजन की परिभाषा एवं उद्देश्य

[Definition and Aims of Planning]

[परिभाषा, नियोजन के तत्व राजकीय हस्तक्षेप एवं आर्थिक नियोजन, आर्थिक नीति एवं आर्थिक नियोजन, नियोजन के उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य, अधिन्नतम उत्पादन अविकसित क्षेत्रों का विकास युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण, विदेशी बाजारों पर प्रभुत्व, विकास के लिए विदेशी सहायता आर्थिक सुरक्षा, आय की समानता, अवसर की समानता, पूर्ण रोजगार, सामाजिक उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य रक्षात्मक उद्देश्य आन्तरिक उद्देश्य, आन्तरिक राजनीति में प्रभुत्व, आय उद्देश्य भारत में नियोजन के उद्देश्य]

परिभाषा

नियोजन का शाब्दिक अर्थ पहले से व्यवस्था करना है। किन्हीं परिस्थितियों के उपस्थित होने के पूर्व उनसे निवारण व्यवस्था करना नियोजन का मूल अर्थ है। भविष्य में उपस्थित होने वाली ज्ञात एवं अज्ञात परन्तु अनुमानित कठिनाइयों के विरुद्ध उचित प्रबंध करना एक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं विवेकपूर्ण कार्य है। जिस प्रकार एक व्यक्ति भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए अपने साधनों का विश्लेषण करके उनको विभिन्न षयों में विवेकपूर्ण रीति से वितरण करता है तथा कठिनाइयों की तीव्रतानुसार प्राथमिकता निर्दिष्ट कर साधनों का आवंटन करता है ठीक इसी प्रकार एक राष्ट्र को भी अपने साधनों का विवेकपूर्ण आवंटन करना चाहिए जिससे भविष्य में ज्ञात व अज्ञात परन्तु सम्भावित घटनाओं के विरुद्ध आयोजन किया जा सके। एक राष्ट्र को अपने नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना साधनों का इस प्रकार आवंटन करना कि उनसे अधिक से अधिक समाज का हित हो सके उत्पादन का उचित वितरण तथा वित्तीय गणना का विवेकपूर्ण उपयोग करना आदि सभी आवश्यक कार्य हैं। इस प्रकार नियोजन आवश्यक रूप से एक विवेकपूर्ण व्यवस्था कही जा सकती है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की अधिन्नतम जनसंख्या का अधिकतम हित लक्षित होता है।

नियोजन का साथ जब हम आर्थिक गणना जोड़ देते हैं तो अब में कोई विरोध परिवर्तन नहीं आता प्रत्युत हम विवेकपूर्ण व्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को विरोध स्थान दिया जाता है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन एक विवेकपूर्ण व्यवस्था होती है

साधारण ढाँचे में, प्रो० हैरिस के अनुसार नियोजन अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये लक्ष्य का आधार पर साधनों के वितरण का नियोजन बहुत है। इस परिभाषा के तीन मुख्य तत्व हैं—

- (१) लक्ष्य का उचितरूपेण निश्चय
- (२) नियोजन अधिकारी तथा
- (३) साधनों का वितरण।

लक्ष्य का निश्चित करना नियोजन का सर्वप्रथम अवस्था है। ये लक्ष्य प्राप्त उन्नति को मापन तथा निश्चित करने में सहायक होते हैं। नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है और नियोजन की सफलता प्राप्त उन्नति के पूर्य निश्चित लक्ष्य से तुलना द्वारा माप की जाती है। ये लक्ष्य इस प्रकार नियोजन की सफलता परीक्षण हेतु वायुमार्मापक यंत्र (Barometer) का कार्य करते हैं।

नियोजन अधिकारी का तात्पर्य यहाँ को याता से है—प्रथम नियोजन का संगठन तथा द्वितीय, नियोजन को जन समर्थन। नियोजन अधिकारी नियोजन की समस्या का संगठन करने उसे संचालित करता है। नियोजन अधिकारी को राष्ट्र के साधनों पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है। साथ ही, उसे उन साधनों के उपयोग तथा वितरण पर भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए। प्रजासत्तक नियोजन में यह अधिकार केवल सरकार द्वारा ही नहीं दिए जा सकते जनता का सहयोग तथा समर्थन भी आवश्यक है। जनता के सहयोग से नियोजन अधिकारी का कार्य भार भी कम हो जाता है। तानाशाही नियोजन में जनता का सहयोग शक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है।

साधनों के वितरण में चार क्रियाएँ सम्मिलित हैं—

- (१) राष्ट्र में वितरणार्थ क्या क्या साधन उपलब्ध हैं ? इस सम्बन्ध में राष्ट्र के वास्तविक तथा सम्भावी (Potential) साधनों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
- (२) नियोजन अधिकारी को उन साधनों की प्राप्ति एवं वितरण पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जिससे उन साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग हो सके।
- (३) नियोजन अधिकारी जनता की इच्छाओं को ज्ञात करे और साधनों का वितरण जन माँगों की प्राथमिकता के आधार पर करे अर्थात् जन समस्याओं में जिस समस्या की तीव्रता तथा उन्नता अधिक हो उससे निवारणार्थ साधनों का सर्वप्रथम उपयोग किया जाना चाहिए।

(४) साधनों का आवंटन करने समय इनके उपयोगों में समन्वय होना भी आवश्यक है जिससे एक उद्देश्य की पूर्ति के लिये उद्देश्य के लक्ष्य में बाधा न पड़े।

श्री विट्टल बाबू के अनुसार किसी राष्ट्र की वर्तमान भौतिक मानसिक तथा प्राकृतिक शक्तियों अथवा साधनों को जनसमूह के अधिकतम लाभार्थ विवेकपूर्ण

उपयोग करने की कला का नियोजन कहते हैं।^१ साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग एक सामाजिक तथा आर्थिक विधि है, जिसमें मर्यादित नियंत्रण द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। इन प्रकार प्रत्येक नियोजन व समग्र बुद्धि सामाजिक उद्देश्य होने हैं जिनकी पूर्ति आर्थिक साधनों व उचित उपयोग द्वारा की जाती है।

भारत में योजना आयोग न नियोजन को परिभाषित करने हुए शब्द दिया है— नियोजन साधनों के संगठन की एक विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। नियोजन की इस विचारधारा में दो तंत्र निहित हैं—(क) उद्देश्यों का क्रम जिनकी पूर्ति का प्रयास किया जाय तथा (ख) वर्तमान साधनों का मात्र तथा उनका सर्वोत्तम आवंटन।^२

इस परिभाषा व अनुसार नियोजन में किसी भी राष्ट्र की मानवीय शक्तियों तथा भौतिक साधनों का समाज के अधिकतम हित के लिए उपयोग करना सम्मिलित है। राष्ट्र के लिए नियोजन-आयव्ययपत्रक के निर्माणार्थ राष्ट्र के वर्तमान तथा सम्भाव्य आर्थिक साधनों, जनसंख्या व सामाजिक परिवर्तन तथा सम्यक्ता की सामाजिक स्थिति का पूरा पान होना आवश्यक है। इस व्यापक ज्ञान की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्तियों तथा भौतिक साधनों का परीक्षण तथा उनके विभिन्न उपयोगों की सूची का निर्माण आवश्यक है जिससे बंधित साधनों के सर्वोत्तम सम्भव उपयोग द्वारा उत्पादन तथा सांस्कृतिक-मूल्य में वृद्धि की जा सके। प्रत्येक नियोजन की अवधि निश्चित होनी है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना होती है। राष्ट्र की सम्पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को मजबूत तथा विवेकपूर्ण विधियों से मर्यादित करना एवं निष्पादियों में तूटन जोड़ना-संभार करना नियोजन का प्रमुख कार्य है। मजबूत की परिपक्वता पर परिस्थितियों के अनुकूल राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन लाना नियोजन का उद्देश्य होना चाहिए।

डॉ० हाल्टन ने आर्थिक नियोजन की परिभाषा करते हुए कहा है आर्थिक नियोजन विस्तृत दृष्टिकोण से वह प्रिया है, जिसमें वृहद साधनों पर नियंत्रण रखने

- 1 Planning stands for any technique of national utilization of the existing physical mental and material forces or resources of a country for the maximum benefit of its people
(V Vithal Babu Towards Planning p 3)
- 2 Planning is essentially a way of organising and utilizing resources to the maximum advantage in terms of defined social ends. The two main constituents of the concept of planning are (a) system of ends to be pursued and (b) knowledge as to available resources and their optimum allocation
(Planning Commission The First Five Year Plan, Draft Outline p 7)

वाल व्यक्ति जानबूझ कर आर्थिक क्रियावा को निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित करने हैं।¹ इस परिभाषा में नियोजन के तीन लक्षणों का विवेचना की गयी है—

(१) नियोजन का तात्पर्य योजना अधिकारी के आदेशों के अनुसार अद्य-व्यवस्था को संचालित करना है। (२) ऐसे व्यक्ति हान हैं जिनके नियमण में राष्ट्र के अधिकतम साधन रहते हैं। ए० डाल्टन का तात्पर्य यहाँ राज्य से है। (३) निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अद्य-व्यवस्था का संचालन किया जाता है।

श्रीमती बारबरा वूटन के अनुसार आर्थिक नियोजन का मुख्य लक्षण जानबूझ कर आर्थिक प्राथमिकताओं का ध्यान करना है। उन्होंने कहा है क्या मैं इस रुपये का राटी पर खर्च करूँ अथवा अपनी माता की जन्म तिथि के अवसर पर शुभकामनाओं का तार भेजने पर? क्या मैं गद्दान क्रय कर लूँ अथवा किराये पर ले लूँ? क्या इस भूमि का जोत कर खेती की जाय अथवा उस पर भवन बनाया जाय? प्रत्येक वस्तु अन्तर्गत माना में उत्पन्न करना अक्षम्य है इसीलिए प्राथमिकता निर्धारित करना तथा ध्यान करना आवश्यक है।²

ध्यान एक प्राथमिकता निर्धारण करने की दो विधियाँ हो सकती हैं—प्रथम जानबूझ कर प्राथमिकताएँ निर्धारित करना और द्वितीय प्राथमिकताओं को स्वतः बाजार तान्त्रिकताओं (Market Mechanism) द्वारा निर्धारित होने देना। जब ये प्राथमिकताएँ जानबूझ कर निर्धारित की जायें तो उम्मे आर्थिक नियोजन कहना चाहिए। श्रीमती बारबरा वूटन ने अपनी दूसरी पुस्तक *Plan or No Plan* में आर्थिक नियोजन की इसी आधार पर इस प्रकार परिभाषित किया है— आर्थिक नियोजन वह विधि है जिसमें बाजार तान्त्रिकताओं की जानबूझ कर इन उद्देश्यों से नियंत्रित किया जाता है कि ऐसा व्यवस्था उत्पन्न हो जो बाजार-तान्त्रिकताओं की स्वतंत्र छानन पर उत्पन्न हुई व्यवस्था से भिन्न हो।³ आर्थिक नियोजन में प्राथमिकताएँ

- 1 Economic planning in the widest sense is the deliberate direction of persons in charge of large resources of economic activity towards chosen ends
(Dr Dalton *Practical Socialism for Great Britain*)
- 2 Shall I spend this rupee on bread or send a greeting telegram to my mother on her birthday? Shall I buy a house or rent one? Shall this field be ploughed and cultivated or built on? Since it is impossible to produce everything in indefinite quantities there must be choice and priority
(Mrs Barbara Wooton *Freedom Under Planning* p 12)
- 3 Economic Planning is a system in which the market mechanism is deliberately manipulated with the object of producing a pattern other than that which would have resulted with its own spontaneous activity
(Mrs Barbara Wooton *Plan or No Plan* pp 47 49)

नियोजित करने का उद्देश्य निर्दिष्ट वस्तुओं की पूर्ति करना होता है। एक प्रतिस्पर्धीय व्यवस्था में किसी नो वस्तु के उत्पादन-समय निर्दिष्ट समय में पूरा करना सम्भव इसलिए नहीं होता कि इस समय की पूर्ति हो जाना सम्भव है। दूसरे तर्कों में इस वस्तु का पूर्ति व्यवस्था पर छोड़ा जाये। वस्तु नियोजित व्यवस्था के अन्तर्गत समय समय नियोजित करके उनको निर्दिष्ट मात्र में पूर्ति हो व्यवस्था करना है। जब तक तर्कों का पूर्ति का साम्य निर्दिष्ट न किया जाय जायिक नियोजन का भय सम्पन्न होगा। इसी प्रकार तर्कों की पूर्ति का निर्दिष्ट कराना ही आवश्यक है।

हरमैन लेवी न जायिक नियोजन की परिभाषा निम्न प्रकार दी है—'जायिक नियोजन का अर्थ माँग और पूर्ति में समतल सम्बन्ध प्राप्त करने के है। यह सम्बन्ध स्वतन्त्र तथा अनियोजित व्यवस्था द्वारा निर्धारित मात्रा के लिए नहीं होता जाता बल्कि उत्पादन व्यवस्था द्वारा निर्धारित मात्रा के लिए निर्धारित मात्रा के लिए निर्धारित किया जाता है।' इस परिभाषा में नियोजन की माँग और पूर्ति में समतल सम्बन्ध स्थापित करने का उद्देश्य दिया गया है। वास्तव में, नियोजित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्दिष्ट वस्तुओं की पूर्ति मात्र ही सम्भव हो सकती है जब माँग एवं पूर्ति का सम्बन्ध नियोजन प्रणाली के द्वारा निर्धारित किया जा सके।

कार्ल लैंडौर (Carl Landauer) के अनुसार जायिक नियोजन का अर्थ 'उत्त सामञ्जस्य के है जो विपणित द्वारा स्वतन्त्र प्राप्त करने की बजाय समान के निर्देश द्वारा प्राप्त कर दिया गया प्रमाण्य प्राप्त किया जाता है।' इसी प्रकार नियोजन एक सामूहिक प्रणाली का अर्थ है जोर इनमें व्यक्तियों की क्रियाओं का समान द्वारा नियंत्रित किया जाता है।' इस परिभाषा में नियोजन का एक सामूहिक अर्थ बताया गया है क्योंकि समान समान के प्रतिनिधि के रूप में इन क्रिया का सम्बन्ध करना है। जब व्यवस्था के अन्तर्गत लोगों में समान द्वारा इस प्रकार सामञ्जस्य स्थापित किया जाता है कि निर्दिष्ट वस्तुओं की पूर्ति निर्दिष्ट मात्र में हो सके तो इस क्रिया को जायिक नियोजन कहना चाहिए।

- 1 Economic Planning means securing a better balance between demand and supply by a conscious and thoughtful control either of production or distribution or of both rather than leave this balance to be affected by automatically working invisible and uncontrolled force (Herman Levy *New Industrial System*)
- 2 Planning means coordination through a conscious effort instead of the automatic coordination which takes place in the market and that conscious effort is to be made by an organ of society. Therefore Planning is an activity of collective character and its regulation of the activities of individuals by the community (Carl Landauer *Theory of National Economic Planning* p 12.)

(disintegrated) विधियों का उचित सम्मेलन है जो राष्ट्र की प्रतिनिधिसभाओं द्वारा निर्धारित विविष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राप्त किया जाय।

इस परिभाषा में इस बात पर जोर दिया गया है कि नयी या निर्गत जनसमुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाय और नयी पूर्ति नु विभिन्न क्षेत्रों के विधियों की समन्वित वायव्यन निर्धारित मान चाहिए।

नियोजन के मुख्य

उपर्युक्त समस्त परिभाषाओं के विचारणात्मक एक सूत्रन अध्ययन निम्न के रूप में अधोनिहित विवरण नियोजन के आवश्यक तत्वों का प्रस्तुत किया है—

(१) नियोजित उद्यम-व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र की एक पद्धति है।

(२) आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय साधनों का कार्यिक सम्मेलन (Technical Co-ordination) होता है।

(३) नियोजन में साधनों का वितरण प्राथमिकताओं के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है।

(४) नियोजन के सफलताएँ एक सौच एक नवित अधिवाज होने चाहिए जो साधनों का परीक्षण करे, साथ निर्धारित काले तथा नयी की पूर्ति के टा निभाए।

(५) नियोजन में राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था न समन्वित रूप से निर्दिष्ट होने चाहिए।

(६) लोगों की पूर्ति हेतु एक निश्चित प्रवृत्ति होनी चाहिए।

(७) राष्ट्र के वर्तमान तथा सम्भाव्य साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना जो अधिवाजक स्तर पर जाने के लिए किया जाता चाहिए।

(८) नियोजन का जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा उसके सम्बन्ध में लोक-सहभाग का उचित स्थान होना चाहिए।

(९) नियोजन के अन्तर्गत उद्यम-व्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों का विकास निर्दिष्ट होता है और यह एक समन्वित वायव्यन प्रस्तुत किया है।

उपर्युक्त तत्वों की आधारभूतता पर एक सूत्रन एवं एकीकृत परिभाषा नियोजन-सम्बन्ध का अर्थ इस प्रकार कह सकते हैं कि नियोजन उद्यम-व्यवस्था के लोक-सहयोग एवं लोक-समर्थन-प्राप्त ऐसे माध्यम को कल्पे है जिसमें नियोजन-अधिवाजों द्वारा पूर्व-निश्चित आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की निश्चित प्रवृत्ति में पूर्ति करने हेतु राष्ट्रीय वर्तमान एवं सम्भाव्य साधनों का प्राथमिकताओं के अनुसार आन्तरिक विवेकपूर्ण एवं समन्वित उपयोग किया जाता है।

राजनीय हस्तक्षेप एवं आर्थिक नियोजन

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत जन द्वारा निर्दिष्ट-निश्चितता (Market Mechanism) पर नियंत्रण किया जाता है और राज्य देश के आर्थिक जीवन को नियोजन के उद्देश्यों के अनुरूप निर्दिष्ट करता है।

इस प्रकार आर्थिक नियोजन में राजकीय हस्तक्षेप सदैव निहित रहता है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि राजकीय हस्तक्षेप एवं आर्थिक नियोजन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। राजकीय हस्तक्षेप उस व्यवस्था का कहते हैं जिसके अन्तर्गत राज्य समय-समय पर अर्थ-व्यवस्था को उन क्षेत्रों (Sectors) में नियंत्रित कर देता है जिनमें असंतुलन उत्पन्न हो गया हो अथवा जो देश की आर्थिक प्रगति के अनुकूल संचालित न हो रहे हों अथवा जिन क्षेत्रों का प्रोत्साहित करके विकसित करना आवश्यक समझा जाय। इस प्रकार के हस्तक्षेप में सरकारी कारखाने, कारखाना अधिनियम काटा निर्धारण आयात एवं विनिमय नियंत्रण आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार के हस्तक्षेप का उपयोग आजकल पूंजीवादी राष्ट्रों में, जहाँ विपणित अर्थ-व्यवस्था की आधार समझा जाता है उपयोग होता है।

दूसरी ओर आर्थिक नियोजन उस समन्वित राजकीय हस्तक्षेप को कहते हैं जिसके अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों एवं लक्ष्यों पर राज्य नियंत्रण करता है जिससे उनका संचालन नियोजन के उद्देश्यों के अनुकूल किया जा सके। इस प्रकार आर्थिक नियोजन समन्वित राजकीय हस्तक्षेप होता है जो अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों पर शाब्दात्त होता है। इस आधार पर अब यह कहा जा सकता है कि सभी प्रकार के आर्थिक नियोजन में सरकारी हस्तक्षेप सम्मिलित रहता है जबकि सभी राजकीय हस्तक्षेप को आर्थिक नियोजन नहीं कहा जा सकता है।

प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध के समय राजकीय हस्तक्षेप द्वारा विभिन्न राष्ट्रों ने अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं को युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संचालित किया था। ब्रिटेन ने व्यापार कृषि एवं उद्योग पर विभिन्न प्रकार के राजकीय नियंत्रण एवं प्रतिबंध लागू किये। युद्ध समाप्ति के पश्चात् उन्हें पुनर्निर्माण हेतु राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक समझा गया और युद्ध से प्रभावित सभी राष्ट्रों में इसे जारी रखा गया। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में सन् १९२० का बड़ी मंदी (Depression) से जा अर्थ-व्यवस्था का क्षति पहुँची थी उसे सुधारन हेतु New Deal के अन्तर्गत राजकीय हस्तक्षेप किया गया। इस प्रकार इन सभी राजकीय हस्तक्षेपों का उद्देश्य अल्पकालीन असंतुलन एवं अर्थ-व्यवस्थाओं को दूर करना था परन्तु इन्हें आर्थिक नियोजन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत न तो समन्वित कार्यक्रम निर्धारित किये गये और न ही यह अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का शाब्दात्त दित करते थे।

सरकारी हस्तक्षेप उपयुक्त एवं अनुपयुक्त हो सकता है। उपयुक्त हस्तक्षेप उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें राजकीय हस्तक्षेप का परिमाण इतना कम रहता है कि विपणित व्यवस्था के यथावत् संचालन में बाधा नहीं पड़ता है। दूसरी ओर, अनुपयुक्त राजकीय हस्तक्षेप के अन्तर्गत हस्तक्षेप कठोर एवं विस्तृत होता है जिससे विपणित व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो जाती है अथवा अत्यन्त सीमित हो जाती है।

प्रायः नियोजन के अन्तगत अनुसूचित राजकीय हस्तक्षेप का उद्देश्य होता है क्योंकि इसके द्वारा समस्त आर्थिक जीवन को नियंत्रित करके निवारन के उद्देश्यों के अनुसूचित सुचारुता किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन कुछ दिनांक-व्यवस्था के सर्वथा विरुद्ध व्यवस्था होती है। वस्तु-आर्थिक नियोजन को आधुनिक विचारधारा के अन्तर्गत नियंत्रित व्यवस्था और कुछ विद्वान्-व्यवस्था दोनों का संयोजन एक साथ किया जा सकता है। नाट एक ही प्रजासत्तात्मक राष्ट्रों में नियोजित उद्योग-व्यवस्था का संयोजन इस प्रकार किया गया है कि विनिर्दिष्ट-व्यवस्था पर केवल सीमित नियंत्रण लगाया गया है और विनिर्दिष्ट-व्यवस्था को सर्वथा छिद्र मिश्र नहीं किया गया है। इन विचारों का जन्म एक ही ही जा सकता है कि आर्थिक निवारन एक अनुसूचित राजकीय अर्थ-व्यवस्था (Incompatible State Intervention) काव्यवस्था नहीं है।

आर्थिक नीति एक आर्थिक निरोधक—किसी भी देश में अनुसूचित राज्य देश की आर्थिक विचारों का प्रति सर्वथा उदासीन नहीं रह सकता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि राज्य द्वारा आर्थिक विचारों में हस्तक्षेप जतिमान समझा जाने लगा है और आर्थिक विचारों का नियंत्रित करने हेतु आर्थिक नीतियों निर्धारित करना आवश्यक होता है। विदेशों के आर्थिक सम्बन्धों की राजकीय स्वर पर स्थानित विदेशों के प्रति है और इन सम्बन्धों का नियन्त्रण करने हेतु आर्थिक नीति को आवश्यकता होती है। इस प्रकार आर्थिक नीति इन आधार-तुल्य सिद्धान्तों का जन्म जा सकता है जिनके आधार पर देश के आर्थिक जीवन का नियन्त्रण एक संयोजन किया जाता है। इस नियन्त्रण का परिमाण उस देश के राजकीय वास्तव पर निर्भर रहता है।

दूसरी ओर आर्थिक निवारन में केवल वास्तविक सम्मिलित रहते हैं जिनके द्वारा देश की आर्थिक विचारों को पूर्व-निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संयोजित एक संयोजित किया जाता है। नियोजन में सम्मिलित कार्यवाहियों का संयोजन ही आर्थिक नीति होती है। इस प्रकार आर्थिक नीति आर्थिक नियोजन का आधार होती है परन्तु प्रदेश आर्थिक नीति को आर्थिक नियोजन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आर्थिक नीति केवल आर्थिक सिद्धान्त निर्धारित करती है। ये सिद्धान्त आर्थिक निवारन का स्वयं के भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसे देश जिनमें आर्थिक नियोजन को नहीं अपनाया जाता है, राज्य द्वारा आर्थिक नीति निर्धारित की जाती है। इन देशों की आर्थिक नीति का उद्देश्य आर्थिक विचारों को अनुसूचित बनाए रखना होता है।

नियोजन के उद्देश्य

नियोजन के तत्वों से यह स्पष्ट है कि इसमें लोगों का एक ही सम्मिलित होता है जो उद्देश्यों की आधार-भूत पर निर्मित होता है, नियोजन का संचालन एवं वास्तविक उद्देश्यों के अधीन होता है। कोई भी वास्तविक व्यवस्था व्यवस्था निर्धारण-वाच्य नियोजन है क्योंकि इन उद्देश्यों का उद्देश्य व्यवस्था

निर्माण काय क उद्देश्यों के निरोक्षण द्वारा हा सम्भव है। वास्तव म, नियोजन एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसे एक तटस्थ (Neutral) यत्र अथवा व्यवस्था कहा जा सकता है जिसका उपयोग किसी भी उद्देश्य की पूर्ति क लिए किया जा सकता है। परन्तु नियोजन का प्रकार उन उद्देश्यों पर निर्भर रहता है जिनकी पूर्ति क लिए नियोजन का संचालन किया जाता है। समाजवाद एवं प्रजातान्त्रिक राष्ट्रा म आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य आर्थिक सुदृढ़ता सामाजिक सुरक्षा एवं पूर्ण रोजगार होते हात है। दूसरा ओर साम्यवाद राष्ट्रा म आर्थिक उद्देश्यों क साथ साथ राजनीतिक उद्देश्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

आधुनिक युग म आर्थिक नियोजन शीघ्र विकास का साधन माना जाता है और ये सभी राष्ट्र जा विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए है आर्थिक नियोजन का व्यवस्था का उपयोग विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने क लिए करते हैं। इस प्रकार अल्प विकसित राष्ट्रा म आर्थिक नियोजन द्वारा उन सभी घटकों को गिनिल अथवा त्रिबाहीन बनाना हाता है जो देश के विकास म बाधक होते हैं। आर्थिक पिछड़पन के कारणों म प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विदगी पूँजी का प्रभुत्व, विदवा राष्ट्रा द्वारा आर्थिक उलटफेर द्वारा देश का दूसरे राष्ट्रा पर निर्भर बनाए रखना देश को वैश्व कृषिप्रधान राष्ट्र बनाये रखने की बाधवाहियाँ जिसस बहु अर्थ दलों क लिए उपयुक्त बाजार बना रहे, असंतुलित एवं असमान वापारिक सम्बन्ध आदि प्रमुख हैं। यह समस्त घटक देश क औद्योगिक विकास म बाधक होने हैं और जनजीवन स्तर का ऊँचा गही उठन देत हैं। विकास नियोजन द्वारा इन सभी बाधक घटकों को निर्मात्रत एवं गतिहीन करना आवश्यक हाता है। इस प्रकार एक ओर विकास आयोजन द्वारा बाधक घटकों का नियन्त्रित किया जाता है और दूसरी ओर देश के शीघ्र औद्योगिकरण दृष्टि क्षेत्र का आधुनिकरण आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाना तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने क उद्देश्य निहित रहते हैं।

विभिन्न राष्ट्रो म आर्थिक नियोजन के "वास्तविक" संचालन का यदि हम अध्ययन करें तो हम पात होगा कि नियोजित अथ व्यवस्था द्वारा आर्थिक उद्देश्यों का तुलना म राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। प्राय आर्थिक उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्यों के अधीन होकर रह जात हैं। सिद्धांतरूप से आर्थिक नियोजन म वही उद्देश्य सम्मिलित होने चाहिए जा समस्त समाज के हित से सम्बंधित हा। आर्थिक नियोजन इस प्रकार एक जन अर्थव्यवस्था (Mass Economy) होती है जिसका सफल संचालन जन सहयोग (Mass Cooperation) द्वारा ही हो सकता है। उपयुक्त विवरण को ध्यान म रखकर आर्थिक नियोजन क उद्देश्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(१) आर्थिक उद्देश्य—आर्थिक नियोजन म आर्थिक उद्देश्यों का प्रभुत्व होता है। अथ उद्देश्य आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति क अधीन होने हैं। सिद्धांतरूप से

नियोजन में आर्थिक उद्देश्यों को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है और आर्थिक नियोजन में नाशप्रम एव उद्देश्य राजनीतिक विचार-धाराओं में अत्यधिक प्रभावित हो न रहते हैं। नियोजन में आर्थिक उद्देश्यों में निम्न-लिखित प्रियाएँ सम्मिलित हानी हैं—

(क) अधिकतम उत्पादन—अधिकतम उत्पादन नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होना है। जनसमुदाय में जीवन-स्तर में वृद्धि करने के लिए उत्पादन में समस्त शक्तियों—श्रम, उद्योग, रानिज आदि में उत्पत्ति करना आवश्यक है। अधिकतम उत्पादन हेतु निम्न कार्य करना आवश्यक हैं—

(क) राष्ट्रीय सम्पत्तियों का संचयन एवं उनमें उत्पत्ति का गहन तथा अधिक उपयोग।

(ख) उत्पादन के साधनों का पुन विवक्षित तथा वैज्ञानिक विवरण। जो साधन हमें उपलब्ध हैं उनमें से जो जिनसे सम्पत्ति का अधिकतम उत्पत्ति हो सके, उन्हें पुन विवरित करना भी आवश्यक होगा।

(ग) नवीनतम तांत्रिक, मान बुद्धि एवं तथा योग्य माहौल का उचित उपयोग करके राष्ट्रीय साधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना।

(घ) श्रमिकों एवं प्रबंधकों के सम्बन्धों में सुधार किया जाय जिससे अधिक कारखानों का अपना मान बढ़ाया जा सके। पारस्परिक अन्धे सम्बन्ध होने से अधिक अधिक परिश्रम में काम करना ही। बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। श्रमिकों का प्रबंध में सहयोग देने का अवसर देना भी आवश्यक होता है।

(ङ) अनिष्ट एवं हानिकारक प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाने हेतु उत्पादित वस्तुओं का प्रमाणीकरण करना चाहिए।

(च) बड़े पैमाने के उत्पादन की निम्नमूल्यता का लाभ उठाने हेतु स्थापित एकाधिकार अथवा किसी विशेष कारखानों से अस्थायी रूप से बन हुए एकाधिकार पर मूल्य, लाभ एवं विपणन की शक्तों में सम्बन्ध में राज्य की नियंत्रण में रचना चाहिए।

(छ) नवीन उद्योगों (Infant Industries) का प्रोत्साहन देना हेतु आयात-कर तथा अर्थ-सहायता का आयोजन किया जाना चाहिए।

(ज) देश में मौद्रिक स्थिरता का वातावरण होने पर उत्पादन का अधिकतम सीमा तक ले जाया जा सकता है। मुद्रा-स्फीति एवं सत्रुचल दानों ही उत्पादन को वृद्धि में राधा लगाते हैं।

(झ) अधिक मात्रा में विनियोजन का आयोजन किया जाना चाहिए। विनियोजन की वृद्धि हेतु ऐच्छिक घरेलू बचत विदेशी मुद्रा की बचत मुद्रा प्रसार द्वारा बचत तथा सरकारी बचत आदि स्रोतों में वृद्धि होनी चाहिए।

(ञ) विवेकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबंध की विभिन्न विधियों को समस्त उद्योगों पर लागू किया जाना चाहिए।

जनसाधारण के जीवन-स्तर में वृद्धि करने हेतु आर्थिक नियोजन द्वारा सभी प्रकार के उद्योगों—कृषि खनिज निर्माण उद्योग आदि के उत्पादन में वृद्धि करने का आयोजन करना मुख्य उद्देश्य होता है।

(ग) अविकसित एवं अर्द्ध विकसित क्षेत्रों का विकास—सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन स्तर में समानता स्थापित करने हेतु राष्ट्र के अविकसित तथा अर्द्ध विकसित क्षेत्रों को राष्ट्र के अग्र उन्नत क्षेत्रों के सम्यक् करना भी नियोजन का एक प्रमुख ध्येय है। दक्षिण क्षेत्रों की उन्नति द्वारा ही सम्पूर्ण देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। अविकसित क्षेत्रों का विकास हेतु राष्ट्र का उपलब्ध तथा सम्भाव्य साधनों का उचित एवं वायव्य विनियोजन करना आवश्यक है। व्यक्तिगत साहसी अविकसित क्षेत्रों में विनिवेश करने से डरते हैं अतः राज्य को इन क्षेत्रों में मग्न होकर औद्योगीकरण का अनुसरण करना चाहिए। नियोजन में केवल पिछड़े क्षेत्रों का ही विकास आवश्यक नहीं होता बल्कि उन्नत क्षेत्रों का साथ ही साथ विकास आवश्यक है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके इन समूह का जीवन-स्तर में उन्नति की जा सके। यद्यपि नियोजन पिछड़ेपन से सम्बन्धित है तथापि यह विचारधारा वायव्यगत नहीं है कि योजना का मुख्य उद्देश्य उन पिछड़े क्षेत्रों में सुधार करना ही है।¹

(घ) युद्धोपरांत पुनर्निर्माण—युद्ध में क्षतिग्रस्त राष्ट्रों में नियोजित अथ 'यवस्था' का उपयोग पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है। पुनर्निर्माण के अन्तर्गत युद्ध अथ 'यवस्था' को आर्थिक जीवन की अथ 'यवस्था' में परिवर्तित करना होता है। युद्ध में क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को विनियोजित उद्योगों एवं यानायात के साधनों के पुनर्निर्माण एवं सुधार का आयोजन किया जाता है। इसके अनिश्चित युद्ध के अनुभवों के आधार पर अथ 'यवस्था' को इस प्रकार संगठित एवं उसके विभिन्न राष्ट्रों को इस प्रकार विनियोजित किया जाता है कि भविष्य में देश युद्ध से अपने आपसे सुरक्षित रह सकें। अधिकतर युद्धोपरांत पुनर्निर्माण के अन्तर्गत औद्योगीकरण एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास का आयोजन नियोजित अथ 'यवस्था' द्वारा किया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् की इस का पञ्चवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन था।

(ङ) विदेशी आजारों एवं बन्धे माल के साधनों पर प्रभुत्व प्राप्त करना—आधुनिक युग में बड़े एवं विकसित राष्ट्रों के सामने एक बड़ी समस्या अथ 'यवस्था'

1 Planning necessitates the development of not only the backward areas but also the forward areas so as to increase the aggregate national dividend of the country with a view to raise the standard of living of masses. Though Planning is connected with backwardness still it can be justifiably argued that the main objective of Planning is to correct the mal adjustment in those backward areas. (V. Vithal Babu *Towards Planning* p. 24)

की प्रगति की गति का निर्वाह करना हाती है। विकास की ऊँची श्रेणियों पर पहुँच कर विकास के निर्वाह के लिए देश में उपभाग बढ़ाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक अगदान प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशी बाजारों पर प्रभुत्व स्थापित करना होता है जिसके लिए विदेशों में गजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के साथ साथ विदेशी सहायता अनुदान एवं साम् प्रदान करने आर्थिक प्रभुत्व उपलब्ध करना आवश्यक होता है। अर्थ-व्यवस्था को इस प्रकार संचालित करना होता है कि एक ओर, विदेशी बाजारों के लिए आवश्यक निर्यात वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सके और दूसरी ओर, विदेशी सहायता आदि के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध हो सकें। अर्थ-व्यवस्था में इस उद्देश्य के लिए, नियमन करने की आवश्यकता होती है जो आर्थिक नियोजन द्वारा मूलभूतता से किया जा सकता है। इस प्रकार विकसित राष्ट्रों में नियोजित अर्थ-व्यवस्था का एक उद्देश्य विदेशी बाजारों एवं कच्चे माल के स्रोतों पर प्रभुत्व प्राप्त करना भी होता है।

(द) विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करना—अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं विकास गत्याओं एवं विकसित राष्ट्रों द्वारा विदेशी सहायता उन्हें राष्ट्रों का मुनभूता से प्रदान की जाती है जिनमें नियोजित अर्थ व्यवस्था का संचालन किया जाता है। विकसित राष्ट्र भी ऐसी परिस्थितियों को सहायता प्रदान करते हैं जिनमें विकासशील राष्ट्र की सरकार की प्रतिभूति हो अथवा सरकार द्वारा संचालित होती है। अर्थ-विकसित राष्ट्रों में विदेशी सहायता का ही विकास का गति प्रदान करना सम्भव होता है और विदेशी सहायता का प्रवाह बनाए रखने के लिए नियोजित अर्थ-व्यवस्था का संचालन किया जाता है।

(घ) आर्थिक सुरक्षा (Economic Security)—नियोजित अर्थ-व्यवस्था द्वारा जहाँ राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि का आयोजन किया, वहीं आय, अवसर एवं धन के समान वितरण का भी आयोजन करना आवश्यक समझा जाता है जिससे समाज के दलित एवं निधन-वर्गों के लोगों के जीवन-स्तर में सुधार किया जा सके। अवसर की समानता के अभाव में पूरा रोजगार की व्यवस्था करने की सम्भावना ही जाती है।

आय की समानता

आर्थिक समानता में, निम्ने आर्थिक सुरक्षा भी कहा जा सकता है, राष्ट्रीय आय तथा अवसरों का समान वितरण निहित है। यद्यपि आय की समानता का उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त करना असम्भव है क्योंकि लोगों के कार्य में भिन्नता होती है और एक उन्नतशील समाज में मायानुसार आय वितरण आवश्यक है, क्योंकि कार्य के प्रति प्रोत्साहन एवं रुचि समाप्त हो जायगी। आय के समान वितरण का राष्ट्रीय आय तथा सम्पत्ति दोनों का ही पुनर्वितरण करना आवश्यक है क्योंकि आय की असमानता का प्रमुख कारण व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि सम्पत्ति का असमान वितरण है।

सरकार आय का पुनर्वितरण करी द्वारा कर सकती है। सम्पन्न समुदाय से अधिक कर भार द्वारा प्राप्त कर आय को निधन धन की सस्ती सेवाएँ उदाहरणार्थ, चिकित्सा सम्बन्धी सेवाएँ शिक्षा, सामाजिक बीमा, सस्ते भवन सस्ते छात्र पढ़ाई आदि उपलब्ध कराने पर व्यय किया जा सकता है। दूसरी ओर राज्य मजदूरी के स्तर पर नियंत्रण करने अधिकारी को कार्यानुसार "यूनतम पारिश्रमिक प्रदान करावे साहसी का लाभ कम कर सकता है। किन्तु इस कृत्य के पूर्व साहसी से प्रलोभन (Inducement) को भी दृष्टिगत करना होगा जिसके कारण वह उद्योग चलाता है। यदि साहसी का लाभ अधिक पारिश्रमिक देने के कारण कम हो जायगा, तो वह अपने साधन को अन्य जगहों तथा उद्योगों में लगा देगा तथा उसके समक्ष सामाजिक हित महत्वहीन हो जायगा। आय की असमानता को दूर करने के लिए मूल्य नियंत्रण तथा प्रतिबंध (Rationing) का भी उपयोग किया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर सरकारी नियंत्रण होने से सम्पन्न लोग विपन्न लोगों की भाँति ही उनका समान उपयोग कर सकेंगे। परन्तु मूल्य नियंत्रण तथा प्रतिबंध की सफलता और बाजार की सम्भावनाओं के कारण सच सदेहपूर्ण रहती है।

अवसर की समानता

अवसर की समानता का तात्पर्य राष्ट्र के समस्त नागरिकों को जीविकोपार्जन के समान अवसर प्रदान करने का है। अवसर की समानता प्रदान करने के लिए सम्पत्ति तथा कुशलता का समान वितरण होना आवश्यक है क्योंकि ये दो घटक ही आय के प्रधान साधन हैं। कुशलता की यूनता के कारण ही आय के पारिश्रमिक में असमानता पायी जाती है। तनिक से अधिक डाक्टर आय उपाजित करता है क्योंकि डाक्टरों की माँग की तुलना में पूर्ति यून है जबकि खनिकों की पूर्ति माँग की अपेक्षा अधिक है। यदि समाज का प्रत्येक शिशु बिना अधिक खर्च के डाक्टर बन सक तो डाक्टरों की घरेलू सेवाओं की भाँति कोई कमी नहीं रहेगी तथा ये डाक्टर फिर इतनी आय उपाजित नहीं कर सकेंगे अतः करारोपण से पूर्व आय की असमानता के निवारणार्थ हम अवसर की समानता में वृद्धि करनी चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति शिक्षा प्रणाली में सुधार द्वारा की जा सकती है। समस्त समाजवादियों का उद्देश्य होता है कि समस्त बच्चों को उनकी योग्यतानुसार शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाया जाय तथा शिक्षा और बच्चों के पालकों की आय में कोई सम्बन्ध न हो। यदि ऐसी स्थिति वास्तव में प्राप्त हो सके तो विभिन्न व्यवसायों की आय की असमानता स्वतः ही कम हो जायगी।¹

1 It is the shortage of skill which explains differences in remuneration for work. Doctors earn more than miners because in relation to the demand for doctors there is much greater

सम्पत्ति का समान वितरण करना धन में समानता लाने के लिए उचित आवश्यक है। सम्पत्ति में असमानता का मुख्य कारण उत्तराधिकार का विधान है। व्यक्तिगत धनोपार्जन का अधिकांश पैतृक सम्पत्ति से प्राप्त होता है। धनिक का जो आर्थिक मुविधान प्राप्त होती है, यह उसकी व्यक्तिगत योग्यता तथा कुशलता का कारण नहीं बल्कि उससे सम्पत्तिवान् परिवार से जन्म लेने का कारण है। जन्मोत्पत्ति उत्तराधिकार मुख्य हानो जानी है क्योंकि धनवान् अपनी पुँजी में दबन द्वारा वृद्धि कर सकते हैं तथा अधिक आय धन व्यवसायों से मुविधानपूर्वक विनिधान कर सकते हैं। इस प्रकार उत्तराधिकार विधान द्वारा सम्पत्ति तथा धन की असमानता में वृद्धि होती है। सम्पत्ति का पुनर्वितरण सरकार द्वारा कर तथा अतिपूर्ति के माध्यम से अपहृत करके किया जा सकता है किन्तु सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण से उन्मुख की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती क्योंकि सम्पत्ति के स्वामिना का अतिपूर्ति राशि से जमी है जो सम्पत्ति के स्थान पर अधिक लाभ-दाता सिद्ध होता है। सामाजिकी नियंत्रण में यह कार्य सम्पादन गति द्वारा सम्भव है किन्तु प्रजातांत्रिक नियोजन में इस उन्मुख की पूर्ति मृत्यु कर उत्तराधिकार-कर आदि द्वारा नहीं की सम्भव है।

पूर्ण रोजगार

पूर्ण रोजगार द्वारा राष्ट्र के समस्त कार्य करने योग्य नागरिकों का रोजगार का प्रबंध करना भी आवश्यक है। पूर्ण रोजगार का आयाजन नियंत्रित आर्थिक समानता तथा अधिकतम उत्पादन के उन्मुखों की पूर्ति से सम्भव नहीं है। धन उत्पादन का प्रमुख एवं विषयोद्योग घटक है और जब तक उत्पादन के समस्त साधनों का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जायगा तब तक अधिकतम उत्पादन किन्तु का उन्मुख प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी ओर, जब तक पूर्ण रोजगार का प्रबंध नहीं होता, बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक समानता का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। आर्थिक समानता में वृद्धि का माध्यम बेरोजगारी की समस्या का भी निवारण स्वतः होता जायगा। अतः राष्ट्र की समस्त उपलब्ध प्राथमिक तथा मानविक शक्तियों का पूर्ण उपयोग एवं सौपद्य होना चाहिए। बेरोजगार तथा आर्थिक रोजगार से समाज को

shortage of doctors than there is of miners. If every child in the community could become a doctor at no cost doctors would not be as scarce as domestic servants and would not earn much more. In order therefore to even out earnings from work before taxation what we have to do is to increase equality of opportunity. The key to this is of course the educational system. All socialists aim at enabling all children to have whatever education their abilities fit them for without reference to the incomes of their parents and if this state of affairs can really be achieved, differences between the incomes of different professions will be very greatly reduced.

(W. Arthur Lewis *The Principles of Economic Planning* p. 36)

आय तथा क्रय शक्ति में कमी आती है जो उपभोक्ता तथा निर्माण दानों ही उद्योगों का क्षतिकारक हाता है।

अब विकसित राष्ट्रों में नियोजन का मुख्य उद्देश्य दान के पिछड़े प्रदेशों का औद्योगीकरण करना होता है। अब विकसित अथ व्यवस्थाओं में या तो पूर्ण रोजगार के आधार पर कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं या फिर कार्यक्रमों द्वारा रोजगार में वृद्धि हाना स्वाभाविक होता है। विकसित अथ व्यवस्थाओं में मन्दीकाल एवं आर्थिक स्थिरता के पातावरण में नियोजन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना होता है। ऐसी परिस्थिति में रोजगार की वृद्धि हेतु विशेष कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं क्योंकि अथ व्यवस्था का विवास होने पर भी इन अथ व्यवस्थाओं में बेरोजगार उपस्थित रहता है। पूर्णतः नियोजन अथ व्यवस्था में रोजगार की व्यवस्था एक सवनाय पटक होती है और इसे नियोजन के मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं होता है। यहाँ विकास की योजना का अथ रोजगार की वृद्धि से हाता है, परन्तु प्रजातांत्रिक समाजवादी राष्ट्रों में जहाँ पूर्णतः नियोजित अथ व्यवस्था नहीं हाती नियोजन की प्रत्येक योजना में रोजगार का स्थान हाता है और नियोजन के उद्देश्यों में एक उद्देश्यपूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना भी हाता है।

पूर्ण रोजगार का लक्ष्य दीर्घ काल ही में उपलब्ध करने में प्रयत्न किये जाते हैं। वास्तव में पूर्ण रोजगार एक आदर्श लक्ष्य (Ideal Target) हाता है जिसकी पूर्ति बढ़ती हुई जनसंख्या वाले राष्ट्रों में बहुत बड़े काल के सतत् प्रयत्न द्वारा ही सम्भव हो सकती है। पूर्ण रोजगार की व्यवस्था के साथ-साथ आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत रोजगार संरचना (Employment Structure) को भी सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। जिन व्यवसायों में आयोजन कम हाता है उनमें श्रम शक्ति को हटाकर अधिक आयोजन के क्षेत्रों में ले जाया जाता है।

(२) सामाजिक उद्देश्य—आर्थिक नियोजन का सामाजिक उद्देश्य का मूल आधार अधिकतम जनता को अधिकतम सन्तुष्टि प्रदान करना है। इस उद्देश्य को एक अर्थ सना सामाजिक सुरक्षा भी दी जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ समाज के समस्त अंगों को उनके कार्य तथा सेवानुसार यथोचित पारिश्रमिक दिया जाता है। श्रमिक वर्ग तथा उद्योगपति दानों को ही उत्पत्ति का उचित अर्थ मिलना चाहिए। श्रमिक वर्ग का उचित तथा वास्तविक पारिश्रमिक हातना अवश्य हाता चाहिए जिससे वह अपने परिवार का अपनी योग्यता तथा स्थिति के अनुसार भरण पोषण कर सके। इसके अतिरिक्त श्रमिक वर्ग को सामाजिक सेवा का लाभ भी प्राप्त होना चाहिए। बेरोजगारों बीमारी वृद्धावस्था आदि ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें श्रमिकों का अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पडता है। इस प्रकार की समस्त समस्याओं तथा कठिनाइयों से श्रमिक स्वतंत्र हाता चाहिए।

उद्योगपति को दूसरी ओर साम में उचित भाग उठाने चाहिए तथा कार्य-

नुसार मिलना चाहिए जिसमें उपागों का प्रति उसका प्रसोभन एवं रुचि नष्ट न हो सके। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में साहसी का भाग कम अवश्य ही जायगा, फिर भी यह बर्मी इतनी अधिक न हो कि साहसी का प्रोत्साहन के लिए हानिकारक हो। आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्यों में एक वगरहित समाज की स्थापना करना भी सम्मिलित है। एक वग, जानियाँ तथा समुदाय जिन्हें समान में उचित स्थान प्राप्त न हो, उन्हें ममानता के स्तर पर लाना भी आवश्यक है। समाज के आर्थिक वग अर्थात् धनवान तथा निधन का वग भेद का आर्थिक ममानता द्वारा नष्ट किया जाता है। सामाजिक वर्गों की ममानता हेतु विद्यती जानियों तथा समुदायों की शिक्षा में सुविधाएँ देकर, गामभीय ममानों में प्राथमिकता प्रदान कर तथा सामाजिक, शैक्षिकी तथा शौच नियमों का विधान द्वारा बर्जित कर अर्थ ममान प्राप्त जानियाँ तथा समुदायों के समान स्तर पर लाना भी नियोजन का उद्देश्य होना है।

अल्प विकसित राष्ट्रों की एक सम्भोर सामाजिक समस्या बन्नी हुई जनमस्या होती है। नियोजित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत इस समस्या का निवारण करने का लक्ष्य रखा जाना है और समाज में जन्म-दर को कम करने के लिए परिवार-नियोजन आदि कार्यक्रमों का मन्वतन किया जाता है। समाज में छोट परिवार के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। बढती हुई जनसंख्या वाले अल्प विकसित राष्ट्रों में जनमस्या की मूल समस्या होगी है जा विकास की गति में बाधक होती है।

(३) राजनीतिक उद्देश्य—वर्ष युग में आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्र की राजनीतिक सत्ता की रक्षा, शक्ति तथा सम्मान में वृद्धि करना भी है। हमने नियोजन के मुख्य उद्देश्य आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त हुए भी राष्ट्र-सुरक्षा का विशेष महत्व दिया जाता है। राष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता की उपस्थिति में ही अर्थ व्यवस्था में स्थिरता सम्भव है तथा निरिचन नीतियों तथा कार्यक्रमों का सुगमता एवं सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है। अतएव राष्ट्रीय साधनों, उद्योगों तथा शक्ति का मगठन इस प्रकार किया जाता है कि सम्भावनी युद्ध के समय में देश की रक्षा की जा सके।

आधुनिक युग में शीत-युद्ध का बीतबाला है, जिसकी घृष्टनूति में साम्राज्यवाद का स्थान आर्थिक प्रमुखता में ले लिया है। ममान के सभी बड़े राष्ट्र अर्थ बाजारों तथा बन्धे माल की पूर्ति करने वाले क्षेत्रों पर प्रमुखता प्राप्त करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आर्थिक विकास के साथ-साथ राजनीतिक उत्थिति तथा सम्मान प्राप्त करना भी आवश्यक है अथवा आर्थिक उत्थिति क्षेत्रों सीमित एवं प्रतिबन्धित रहें।

नियोजन के राजनीतिक उद्देश्यों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है—

(अ) रक्षात्मक उद्देश्य—आधुनिक युग में अल्पेन राष्ट्र अपनी सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व देता है। देश की रक्षा की समस्या विकसित एवं अल्प विकसित दोनों

ही प्रकार के राष्ट्रों में विद्यमान है। विकसित राष्ट्रों में से अधिकतर सत्तार के दो शक्तिशाली ब्लॉकों (Blocks)—अमेरिकी ब्लॉक तथा रूसी ब्लॉक—में से किसी एक के सदस्य हैं। इन दोनों ब्लॉकों को सदैव एक दूसरे में आक्रमण का भय बना रहता है और इसी कारण इन दोनों में विकसित राष्ट्र अपनी सय शक्ति को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहता है जिससे वह दूसरे ब्लॉक के देशों से अधिक शक्तिशाली बना रहे और दूसरे ब्लॉक के देश उस पर आक्रमण करने का चाहें न कर सकें।

दूसरा और अल्प विकसित राष्ट्रों को अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने के लिए रक्षात्मक तयारियाँ करना आवश्यक होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि अल्प विकसित राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्रों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में प्रायः असमर्थ रहते हैं और उन्हें अपने देश की सीमाओं एवं यापार की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक तयारियाँ रखना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त अल्प विकसित राष्ट्रों को हिंसात्मक साम्यवादी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए रक्षात्मक तयारियाँ करना पड़ती हैं। यही कारण है कि अल्प विकसित राष्ट्रों की नियोजित आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया का संचालन इस प्रकार किया जाता है कि राष्ट्र का सुरक्षात्मक शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रहे।

रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रैंग क उत्पादक साधनों को औद्योगीकरण द्वारा बढ़ाकर विकसित पूँजीवादी अथ "यवस्थाओं की तुलना में देश के आर्थिक एवं तकनीकी स्तर को ऊँचा करना था जिससे समाजवादी प्रणाली की पूँजीवादी प्रणाली पर विजय हो सके। इन योजनाओं में रूस का "ग्रीष्म औद्योगीकरण करने के समाजवाद को पूँजीवाद से सुरक्षा प्रदान करने का आयोजन किया गया था। रूस के सन् १९१६ के संविधान में भी यह आयोजन किया गया कि देश के आर्थिक जीवन का राजकीय योजनाओं द्वारा निर्माण करके जनसाधारण के स्वास्थ्य भौतिक सम्पन्नता एवं सांस्कृतिक स्तर को बढ़ाया जाय और रूस की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की शक्ति का सुदृढ़ बनाया जाय। रूस की तीसरी एवं चौथी योजनाओं में जनता युद्ध की तयारी एवं युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण का आयोजन किया गया था। चौथी योजना में रक्षा सत्ता को आपुनिक अस्त्र शस्त्रों से लस करने की व्यवस्था की गयी।

रूस के समान ही नाज़ी जर्मनी एवं इटली में भी नियोजित अथ "यवस्था द्वारा देश को सशक्त दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाया गया था। इसी प्रकार साम्यवादी चीन में भी संविधान में नियोजित अथ "यवस्था के अन्तर्गत उत्पादक शक्तियों का बढ़ाकर लोगों के भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का सम्पन्न बनाने तथा लोगों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का सुदृढ़ बनाने का आयोजन किया गया।

भारतीय योजनाओं में सन् १९६२ के चीनी आक्रमण के पूर्व देश की सुरक्षा शक्ति को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था परन्तु चीनी आक्रमण के पक्षस्वरूप हुनीय योजनाओं का कार्यक्रमों में मूलभूत परिवर्तन किए गये और सुरक्षा उत्पादन

(Defence Production) का केंद्रीय सरकार व बजट में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना लगा है। समक्ष में, यह महत्वपूर्ण है कि देश की सुरक्षा मजबूत राष्ट्रों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसका मुख्यव्ययन आयाजन नियोजित अर्थ-व्यवस्था व अन्तर्गत किया जाता है।

(घा) आयाजन उद्देश्य—नियोजित अर्थ-व्यवस्था का उद्वेग आयाजन उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। इसका उद्देश्य आयाजनी बननी तथा इतनी है। इन दोनों व आयाजनों (Dictators) व नियोजित अर्थ-व्यवस्था द्वारा देश की अर्थ-व्यवस्था को इतना बढ़ाया कि व अपने लोग का बढ़ा उके। हिटलर की इच्छा थी कि जर्मन जाति की जनसंख्या में वृद्धि हो और इस वजह से इन्होंने जर्मन जाति का नए स्थापित उद्वेगों में बना दिया था। हिटलर जर्मन जाति का Master Race कहता था जिसे दूसरी जातियों पर प्रभुत्व रखने का अधिकार एवं योग्यता है। साम्यवादी चीन द्वारा भी अपनी सभ्यता की तीव्र गति से बढ़ाया गया है जिससे वह पट्टीसी-राष्ट्रों के कुछ भागों का हृदय बर बरता हुई चीनी जनसंख्या का बसा सके।

सुल्तानमह उदारियों में आयाजनात्मक उदारियों स्वभावतः निहित हो रही है क्योंकि दोनों की उदारियों में एक प्रकार के प्रयासों का उद्वेग होता है परन्तु आयाजनात्मक राष्ट्र नियोजित अर्थ-व्यवस्था के स्पष्ट लक्ष्यों में आयाजनात्मक उद्देश्यों का सम्मिलित नहीं करते हैं और इनकी आयाजनात्मक कार्यवाहियाँ सुल्तानमह कार्यवाहियों के अधीन रहती हैं।

(ङ) आन्तरिक राजनीति में प्रभुत्व—नियोजित अर्थ-व्यवस्था का उद्वेग केवल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ही सम्बद्ध नहीं होना है बल्कि आन्तरिक राजनीति में इसके द्वारा सत्तामंडल दल अथवा अनन्य आसक (Dictator) अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। यह बात साम्यवादी एवं आयाजनी राष्ट्रों में अधिक सच उतरती है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था द्वारा राज्य के हाथ में राजनीतिक सत्ताओं के साथ अधिक सत्ताएं भी पहुंच जाती हैं तो ऐसे लोगों, समुदायों एवं जातियों को अधिक गति की क्षीण कर दिया जाता है जो सरकार की नीतियों का विरोध करने की सामर्थ्य रखती हैं। यही कारण है कि साम्यवादी राष्ट्रों में विरोधी राजनीतिक दल अनुपस्थित रहते हैं।

सामाजिक नियंत्रण के पक्ष में अधिक उदारों का केंद्रीयकरण एवं राज्य के सर्वोच्च अधिकारों अथवा राजनीतिक नेताओं के हाथ में होना जाता है तो कुछ ही लोगों के व्यक्तित्व का प्रभुत्व समाज पर छा जाता है। इसमें स्टैलिन के व्यक्तित्व के उद्वेग का प्रमुख कारण सामाजिक नियंत्रण था। सामाजिक नियंत्रण एवं देश के उद्देश्य को दिखाकर स्टैलिन अपनी सत्ता एवं व्यक्तित्व का दिन प्रतिदिन बढ़ाता गया था। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि नियोजन के अन्तर्गत व्यक्तियों का समाज पर इतना अधिक प्रभुत्व स्थापित हो ही जाय। प्रजातान्त्रिक राष्ट्रों में प्रजा-

तामिन मा बताएँ, व्यवस्थाए एव मस्याए इस प्रकार क प्रभुत्व पर अहुग लगाए रहती है। फिर भी, यह तो स्वीकार करना ही पडता है कि नियोजन एउ ऐसा तटस्थ औजार (Neutral Instrument) है जिमका उपयोग व्यक्तिगत प्रभुत्व के विस्तार क लिए भी किया जा सकता है।

(४) अथ उद्देश्य—नियोजन द्वारा परिस्थितियों तथा रीति रिवाज म इस प्रकार परिवर्तन करना कि जिससे भविष्यत् पीढ़ी का स्वास्थ्य मल्लिख तथा जातन-स्तर राष्ट्र की वित्तित अर्थस्याभा क अनुकूल बन सक आवश्यक होना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गृह निर्माण, शिक्षा प्रसार, कृषिबाणी सामाजिक प्रयास म परिवर्तन, जनसाधारण म दूनन जावन क प्रति सहज आगण जावन करना आदि क लिए उचित आयोजन होना चाहिए। नियोजन अधिनारी का उद्योग क कनीयतरण पर निर्भर होना चाहिए जिससे धन बसे क्षत्रा स्वास्थ्यवद्ध क स्थाना एव प्राट्टिक रूप क स्थाना के घानावरण को कायम रखा जा सके। स्वास्थ्य क प्रति हानिप्र गृह तथा गंग अहाना (Slums) को हटाकर उनके स्थान पर स्वास्थ्यकर स्वच्छ एव उचित भवन निर्माण व्यवस्था होनी चाहिए। नियोजन अधिनारी को समस्त शिशु आयव्यक्तताओ स्वास्थ्य शिक्षा भाजन यस्त्र तथा मनोरजन का आयोजन करना चाहिए। कला जीवन का प्रभुत्व अग हान क कारण कसा क क्षत्रा म भा पयाधन विकास अभावश्यक है। संगीत चित्रकला तथा चमच्चित्र उद्योग आदि सभा म राष्ट्र की विकसित अवस्था म अनुकूल उद्योग होना अपेक्षित है।

इन प्रकार नियोजन द्वारा अधिनतम जनगख्या का अधिस्तम तताय मुग एव सुविधा तथा समृद्धि प्रदान करन क लिए जन जीवन क प्रचर क्षत्र का अयस्मिन् रर म तथा विवेकपूर्ण विधियों द्वारा संगठित कर निराता मुग प्रवृत्ति-व्य पर निर्बैक्षण करना आवश्यक है।

भारत म नियोजन के उद्देश्य

भारत सरकार क सन् १९५० क प्रस्ताव के अनुसार भारत म नियोजन का उद्देश्य दश क साधना का कुशल दोषण एउ उपयोग करन उत्पादन म वृद्धि करन तथा समाज की सेवा करन हेतु सभी साधना को रोजगार के अवसर प्रदान करन जन साधारण के जीवन स्तर म क्षीम वृद्धि करना है। प्रथम योजना का निर्माण इन मूलाधार उद्देश्यों को ध्यान म रखकर किया गया।

जमा हम जान है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण अथ व्यवस्था क क्षतिपूर्ण क्षेत्रा के पुननिर्माण तथा जनसाधारण को आधारभूत अनिवायनाए प्रदान करन हेतु हुआ था। इस योजना क मुख्य उद्देश्य अधिन उत्पादन तथा विपमता-ना म कमा करन थे। विपमताओं की कमा को हम अधिन एव सामाजिक दाना ही प्रकार का उद्देश्य मानना चाहिए। विपमताओं को कमी हेतु प्रथम योजना म जा कायकारी की गयी, उनम से मुख्य है—कम्पनी विधान म सुधार करके औद्योगिक क्षारणा पर

पूर्वोक्तियों के अधिनार एव नियंत्रण का भीमिन करना, इन्फ्लेक्शन बंद का राष्ट्रीय करण करने जन-आधारण को बचक का जन-सन्ध्याप के लिए प्रयोग करना आधा-सूत उद्योगों का सरकारी क्षेत्रों के अन्तर्गत चलाना, सरकारी क्षेत्र का विकास, सामुदायिक विकास-योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार-सेवा का संचालन, जामदाद-कर, पूर्वीगत लाभों पर कर तथा अन्य कर-सम्बन्धी सुधार, समाज-सन्ध्याप के वायव्य तथा राज-वार के अवसरों में वृद्धि आदि ।

दिसम्बर १९५४ में लोक-सभा द्वारा प्रस्तावित किया गया कि भारत सरकार को आर्थिक नीति का उद्देश्य देश में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करना होगा और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश की सामान्य आर्थिक क्रियाओं और विनियमन औद्योगिक विकास का अधिनियम बनिमान करना आवश्यक होगा । द्वितीय योजना का निमाण इसी प्रस्ताव के आधार पर किया गया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्य-होते राष्ट्रीय आय में २१% वृद्धि मात्र औद्योगिकरण रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा विपणनों में समी थी, परन्तु इन सभी आर्थिक उद्देश्यों का अधिनियम लक्ष्य देश का सम्वागुशाने राज्य (Welfare State) में परि-रहित करना या जिसमें जनसाधारण को आर्थिक एवं सामाजिक स्थाय का आनन्दान मिल सके । इन योजना का अधिनियम लक्ष्य देश में ऐसा आनन्दान उपान करना था जो समाजवादी समाज की स्थापना के अनुकूल हो । योजना में समाज-सन्ध्याप हेतु नि-प्रसार सामुदायिक विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार-सेवा के विकास, विवि-का की सुविधाओं में वृद्धि आदि का आनन्दान किया गया था जिससे समस्त नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में सर्वांगी सुधार हो सके । योजना में राज-वार के अवसरों में वृद्धि करने का विरोध महत्व दिया गया । यद्यपि योजना में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था नहीं की गयी फिर भी राज-वार में वृद्धि करना योजना का एक प्रमुख उद्देश्य माना गया ।

द्वितीय योजना समाजवादी समाज की स्थापना की ओर प्रयत्न करण थी । इस योजना में इसी कारण से जनसाधारण के जीवन-स्तर में सुधार करने के उद्देश्य के साथ अवसरों की उपलब्धि में सभी लोगों के लिए वृद्धि दरित-वर्गों में व्यवसायों के प्रवर्धन तथा समाज के समस्त समुदायों में देश का विकास क्रियाओं में भागीदारी की आवश्यकता जाणूत करने के उद्देश्य को सम्मिलित किए गये । इस योजना में एक ओर आर्थिक प्रगति का आनन्दान किया गया और दूसरी ओर, इस आर्थिक प्रगति को प्र-तांत्रिक मापदण्डों के अन्तर्गत सगठित करने का लक्ष्य रखा गया । इसके लिए द्वितीय योजना में संस्थानीय (Institutional) परिवर्तनों की व्यवस्था भी की गयी । इस योजना में इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि 'अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के सम्मुख केवल वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के अधिकांश अधिकांश उ-फल प्राप्त करने की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि इन समस्याओं को इस प्रकार सुधारना

एव रूप परिवर्तन करना है कि यह अधिक अच्छे फल देने के साथ-साथ गहन एवं वृहद् सामाजिक मायताओं की उपलब्धि में प्रभावशाली योगदान दे सकें। इस प्रकार द्वितीय योजना केवल एक विकास कार्यक्रम ही नहीं थी बल्कि इसके द्वारा सामाजिक क्रान्ति का प्रारम्भ भी किया जाना था।

तृतीय योजना में उन्हीं क्षेत्रों को बढ़ाया गया जो द्वितीय योजना में प्रारम्भ किए गये। इसके अन्तर्गत आर्थिक क्रियाओं को इस प्रकार संगठित किया जाना था कि उत्पादन की वृद्धि एवं प्रगति के साथ-साथ समाज के कल्याण के लक्ष्य का भी पूर्ण हाता धरने में सक्षम हो सके। जनसाधारण और विशेषकर कम आय प्राप्त समुदायों के जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए यह अनिवार्य समझा गया कि आर्थिक प्रगति की दर दाघ काल तक ऊँची बनी रहे। एक समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की कुशलता विधान एवं तानिकता के उपयोग की ओर प्रगतिशील तथा उस स्तर तक विकसित होने के योग्य होना चाहिए जहाँ समस्त जनसमूह का कल्याण उपलब्ध हो सके।¹ नियोजित विकास द्वारा अर्थ-व्यवस्था का विस्तार होता है जिससे सरकारी एवं निजी क्षेत्रों को और अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। परन्तु निजी एवं सरकारी क्षेत्रों को एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करना होता है। योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि नियोजित विकास में अन्तर्गत जो अवसर निजी क्षेत्र को उपलब्ध होते हैं उनके फलस्वरूप आर्थिक सत्ताओं का कर्त्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथ में हो जाय और समाज में आय एवं धन के वितरण की विषमताएँ बन्ती न रहें। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी आर्थिक एवं अर्थ-तानिका द्वारा समाज के निचले वर्गों के उत्थान में सहायक हो जिससे यह वर्ग अर्थ-वर्गों के समान हो सके। योजना में निजी क्षेत्र में अन्तर्गत सहकारी सरकारी को विशेष महत्व दिया गया है। सहकारी संस्थाओं की प्रजातान्त्रिक विधियों द्वारा सामाजिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास सम्पन्न होता है। भूमि सुधार, कृषि भूमि की अधिकतम मात्रा निर्धारित करना सिंचाई सुविधाएँ पिल्लड़ी जातियाँ के लिए कल्याण कार्यक्रम ६५-११ वर्ष के बच्चा को अनियाय शिक्षा प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना पीने के जल का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण रोगों का उन्मूलन स्त्री एवं शिशु-कल्याण हेतु समाज-सेवा की संस्थाओं की स्थापना सामुदायिक विकास योजनाओं का विस्तार आदि समस्त ऐसी कार्यक्रमों हैं जिनके द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक विषमता कम करने में सहायता मिलेगी। योजना में समस्त क्षेत्रों के सन्तुलित विकास का भी प्रायोजन है।

चतुर्थ पञ्चवर्षीय योजना में आर्थिक क्रियाओं को उस सीमा तक गतिमान करने का प्रस्ताव है कि अर्थ-व्यवस्था में सुदृढता (stability) बनाये रखी जा सके और आराम निश्चिन्ता का सद्य की ओर बन्ते रहें। योजना में गहन सिंचित कृषि

(Intensive Irrigated Agriculture) में वृद्धि करने तथा आधुनिक आयातकृत उत्पादों के विकास का आयोजन किया गया है। औद्योगिक विकास द्वारा एक और नविष्ठ की तांत्रिक प्रगति का आयोजन है और दूसरी ओर औद्योगिक श्रियाओं और व्यवस्थाओं के विवेकपूर्ण विकास की व्यवस्था की गयी है। योजना में क्षेत्रीय एवं स्थानीय नियोजन (Regional and Local Planning) द्वारा छोट एवं निचले उत्पादकों के बट सफूट को सहायता प्रदान करने तथा तंत्रगत एवं नविष्ठत राजस्व के प्रयत्नों में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है।

चौथी योजना में अल्प-व्यवस्था की सुगुणता का सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है और इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए बरत स्टाव द्वारा माछाओं एवं अल्प आयकालक सामग्रियों के दूरियों का स्थिर रखन का आयोजन किया गया है। आर्थिक सत्ताओं के केंद्रीकरण का रूप करने के लिए एकाधिकार अधिनियम एवं राज-कायिक नीति के उपयोग का प्रस्ताव है। निचले उत्पादक इकाइयों का मुद्रा बनाने के लिए १४ बट अधिकाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। प्राणीय क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने हेतु स्थानीय नियोजन में पञ्जाब-राज्य नस्लाओं तथा सहकारी समितियों का उपयोग किया जाता है। योजना में सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों के प्रवृद्ध को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है जिससे सरकारी क्षेत्र का सुगुणता से विस्तार हो सके।

भारत की चार योजनाओं के उद्देश्यों के अवलोकन में यह प्राप्त हो जाता है कि भारत में नियोजन का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना ही नहीं है बरन इस बात की व्यवस्था करना भी है कि विकास का लाभ समता के साथ वितरित हो। आय एवं जीवन-स्तर की विषमताओं में विन्दार न हाकर इनमें कमी हो तथा नियोजित कार्यक्रमों एवं नीतियों के अन्तर्गत से सामाजिक समता उत्पन्न क हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजन-कार्यक्रमों के अन्तर्गत में यह देखा आवश्यक है कि समाज के निचले-तम-का की विकास का लाभ सर्वप्रथम प्राप्त होता है। इसके लिए सम्बन्धित नीतियों का प्रभावशाली अन्तर्गत तथा उपरोक्त एवं अल्प नीतियों द्वारा धन के केंद्रीकरण की रोकने वित्तसफूट उद्योग पर प्रविष्ट लगाने तथा बचत में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार भारत में नियोजित विकास का उद्देश्य विकास के लाभों का समान वितरण अधिनियम अन्तर्गत को सम्पूर्ण जीवन की व्यवस्था तथा एक मुद्रा एवं समन्वित प्रजातांत्रिक राष्ट्र की स्थापना करना है।

भारतीय योजनाओं में राजनीतिक उद्देश्य वेग की सुरक्षा करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वेग में आघातकृत उद्देश्यों—सोछ एवं इन्फ्लेक्शन को नियंत्रित एवं इन्फ्लेक्शन को नियंत्रित करने का आयोजन किया गया है। भारतीय नियोजन अल्प-व्यवस्था की विवेकता यह है कि सत्ताकृत दल बनने निजी

राजनीतिक हितों की पूर्ति योजनाओं द्वारा नहीं करता है। भारतीय नियोजन के अन्तर्गत देश में राजनीतिक स्वतंत्रता पर कोई अनुगम नहीं लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त देश में आर्थिक साधनों का भी उपयोग राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु नहीं किया जाता है। प्रजातांत्रिक राज्य में किसी दल के निरन्तर सत्तारूढ़ रहने के लिए जनसाधारण में उस दल के प्रति विश्वास एवं सद्भावना उत्पन्न करना आवश्यक होता है। यह विश्वास एवं सद्भावना जनसाधारण को आधारभूत अनिवाद्यताएँ उपलब्ध कराकर किया जाता है। सत्तारूढ़ दल अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने हेतु अधिकतम जन समाज के अधिकतम सन्तोष का योजनाओं द्वारा आयाजन कर सकता है। भारत की योजनाओं द्वारा हम उद्देश्य की पूर्ति का जा रही हैं।



राजकीय नियन्त्रण एवं नियोजन (State Control & Planning)

[राजकीय हस्तक्षेप, राजकीय नियन्त्रण की आवश्यकता, नियन्त्रण की नीति, नियन्त्रण एवं त्याग, नियन्त्रण के प्रकार, उत्पादन के चयन पर नियन्त्रण, विनियोजन पर नियन्त्रण, विनिमय नियन्त्रण, मूल्य, मजदूरी एवं व्याज पर नियन्त्रण, व्यवसाय एवं पैसा के चयन पर नियन्त्रण, उपभोग पर नियन्त्रण ।]

सरकारी हस्तक्षेप का तात्पर्य अर्थ-व्यवस्था के किसी एक उपका एक से अधिक क्षेत्रों में जानबूझ कर हस्तक्षेप करने से है। स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों की सरकारी नियमन के अधीन आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। उदाहरणार्थ सुरक्षा के (Protection Duties) मूल्य नियंत्रण एवं सशान्ति बोनस निर्धारण करना, किसी विशेष धनु के व्यापार के लिए बाधा-पत्र जारी करना आदि। इस प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप के दो मुख्य सतहें होती हैं—प्रथम अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्रता बनी रहती है और विषय-व्यवस्था सरकारी हस्तक्षेप से उत्पन्न हुए मुद्दों से प्रभावित होती है। द्वितीय सतह यह है कि देश की विभिन्न स्वतंत्र आर्थिक इकाइयों की कार्यवाहियों में समन्वय उत्पन्न नहीं होता है। इस व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर सरकारी नियन्त्रण नहीं होता है। दूसरी ओर, आर्थिक नियोजन में राज्य जानबूझ कर समन्वित प्रयास करता है कि समस्त अर्थ-व्यवस्था का नवोत्पन्न निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सके। राजकीय हस्तक्षेप नियोजन का अन्तिम अंग है। आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर समन्वित राजकीय हस्तक्षेप किया जाता है। इसलिए यह कहना उचित है कि हर प्रकार के नियोजन में सरकारी हस्तक्षेप निहित होता है परन्तु अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक सरकारी हस्तक्षेप को आर्थिक नियोजन नहीं कहा जा सकता है। जब सरकारी हस्तक्षेप समन्वित रूप से किया गया तथा इसके द्वारा अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्र प्रभावित होते हैं तो उसे आर्थिक नियोजन कह सकते हैं। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था के मुक्तता की तीन विन्यास हो जाते हैं—प्रथम स्वतंत्र व्यापार (Laissez Faire) द्वितीय, स्वतंत्र बाजार-व्यवस्था में दबावदा सरकारी हस्तक्षेप और तृतीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था। जब सरकारी हस्तक्षेप का स्तरना विस्तार किया जाय कि वह समस्त अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करने लगे तो

इसके द्वारा पूव निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति निर्दिष्ट काल में हो सके, तो इस सरकारी हस्तक्षेप को आर्थिक नियोजन कह सकते हैं। प्रारम्भ में समस्त राष्ट्र स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था के अनुयायी थे। प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध में सरकारी हस्तक्षेप अथ व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों पर आच्छादित हुआ और आधुनिक काल में यह सरकारी हस्तक्षेप आर्थिक नियोजन का स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है।

सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता

आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत अथ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाना अनिवार्य है, यद्यपि इस नियंत्रण की मात्रा नियोजन के प्रकार काय क्षेत्र एवं उद्देश्यों पर निर्भर रहती है। किसी भी राजनीतिक विचारधारा का अन्तर्गत नियोजित अथ व्यवस्था का सफल संचालन सरकारी नियंत्रण का अनुपस्थिति में सम्भव नहीं हो सकता है। नियोजित अथ व्यवस्था के अन्तर्गत देश में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय साधनों को योजना अधिकारी द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग करना होता है, अर्थात् योजना अधिकारी को ऐसे पथ प्रदर्शक एवं नियंत्रणकर्ता के अधिकार दिये जाते हैं जिसके द्वारा देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए समस्त आवश्यक कार्यावाहियों की जा सकती हैं। योजना अधिकारी अपने विचारों, मायताओं एवं जनसमुदाय के विचार विमर्श के बाद यह निश्चय करता है कि देश में उपलब्ध साधनों का पूर्व निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किस प्रकार उपयोग किया जाय। इस प्रकार साधनों के उपयोग के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था को निजो रूप से निश्चय करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है और अब ये निश्चय योजना अधिकारी द्वारा व्यापक दृष्टिकोण से किये जाते हैं।

नियंत्रण की सीमा—सरकारी नियंत्रण की सीमाएँ योजना के प्रकार एवं देश की राजनीतिक विचारधाराओं पर निर्भर होता है। यदि समस्त देश के प्रत्येक क्षेत्र को आच्छादित करने वाली योजना का निर्माण किया जाय तो सरकारी नियंत्रण के स्वरूप को व्यापक रखने की आवश्यकता होगी। उपभोग उत्पादन विदेशी एवं आन्तरिक व्यापार रोजगार का खयन आदि समस्त आर्थिक विषयों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। नियंत्रण करने की तात्पर्यताएँ देश की राजनीतिक विचारधाराओं पर निर्भर रहती हैं। प्रजातन्त्र के अन्तर्गत राज्य नियंत्रण करने हेतु समस्त आर्थिक क्रियाओं को अपने हाथ में नहीं लेता बल्कि यह नियंत्रण बाजार-व्यवस्था के अन्तर्गत ही किया जाता है। सरकार ऐसी परिस्थिति में बाजार में एक महत्वपूर्ण श्रेता विप्लवता उपभोक्ता अथवा उत्पादन के रूप में प्रवेश करती है और अपनी बाजार की क्रियाओं द्वारा नियंत्रण का संचालन करती है। इससे अतिरिक्त कर एवं तट कर, भौदिक एवं अन्य आर्थिक नीतियों द्वारा अथ व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार प्रजातन्त्र के दायरे में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण का

व्यापक उपयोग नहीं किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जिनको राज्य विकास वा व्यापार मानता हो, प्रत्यक्ष नियंत्रण का भी उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, मार्क्सवाद एवं अन्य सामन प्रणाली के अन्तर्गत सरकार समस्त आर्थिक क्रियाओं का स्वयं संचालन करती है और बाजार व्यवस्था राज्य द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होती है।

नियंत्रण एवं त्याग—आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत जनसमुदाय का किसी न किसी रूप में त्याग करने की आवश्यकता होती है। यह त्याग जितना और किसके द्वारा किया जाय यह निर्दिष्ट करने का अधिकार राजता अधिकारी को होता है। उदाहरणार्थ देश के विभिन्न भाग के लोगों का जितना त्याग करना चाहिए, यह योजना के अर्थ साधना की आवश्यकताओं का आधार पर निर्धारित किया जाता है और त्याग कराने के लिए वह आर्थिक नानिया का उपयोग किया जाता है। जनमान उपभाग का काम करने ही विकास के लिए साधनों को जुगाया जा सकता है। निम्न देशों में जनसमुदाय में उपभाग की इच्छा तोड़ होना है और वह अतिरिक्त लाभ के अधिक से अधिक भाग का उपभाग पर व्यय करना चाहता है, परन्तु योजना-अधिकारी विकास की गति का सीमा करने के लिए साधनों के नियोजन को महत्व देता है और उपभोग पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। यह नियंत्रण मुख्य नियंत्रण, वितरण पर नियंत्रण, उपभाग-सामग्री के क्षेत्रीय आवामन पर नियंत्रण आदि द्वारा किया जाता है। देश का उत्पादन, स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन करने के निर्दिष्ट उपभोक्ता की इच्छाओं पर निर्भर रखते हैं परन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था में एक ओर, उपभाग पर नियंत्रण करने उपभोक्ताओं का साधना की बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और दूसरी ओर, उत्पादकों का उपभोग साधनों को निर्धारित उद्योगों पर विनियोजित करने के लिए प्रोत्साहित अथवा विषय किया जाता है। उत्पादन पर नियंत्रण करने के लिए नवीन दृष्टियों की स्थापना एवं वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए योजना अधिकारी की अनुमति लेना, मरवाने क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना पूरा पूर्ण वाले अच्छे मात्र का बाणनीय उद्योगों को ही वितरित करना, विदेशों से अच्छे मात्र एवं मशीनों के आयात पर नियंत्रण करना आदि विधियों का उपयोग किया जाता है। उपभोग एवं उत्पादन पर नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने हेतु आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार पर भी प्रतिबंधों, तट-कर एवं सरण-नोटि आदि द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—प्रथम, योजना के साधन जुटाने के लिए जनसमुदाय के बाणनीय लोगों से त्याग कराना तथा द्वितीय उपभोग साधनों का पूरा निर्दिष्ट उद्देश्यों का पूर्ण हेतु उपयोग करना। यदि किसी देश के जनसमुदाय में इतनी अधिक आयस्कता उपस्थित हो कि वह अपनी इच्छा से ही त्याग करने का नेवार हो और स्वतंत्र साधनों का उपयोग योजना की आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सके, तो सरकार को न्यूनतम नियंत्रण द्वारा

नियोजित अथ-व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करना सम्भव होगा परन्तु जागरूकता का इस सीमा तक उपस्थित रहना किसी भी राष्ट्र में सम्भव नहीं है। इसी कारण नियोजित अथ-व्यवस्था का संचालन नियंत्रण की अनुपस्थिति में सम्भव नहीं होता।

नियंत्रण की मात्रा एवं कठोरता जितनी अधिक होगी उतना ही देश में सत्ताभोग का केंद्रीकरण होता जायगा इसी कारण प्रजातंत्र के अन्तर्गत नियंत्रण के स्थान पर प्रारंभिकता का अधिक महत्त्व दिया जाता है। वास्तव में, प्रारंभिकता को एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण का स्वरूप धीरे धीरे ग्रहण कर लेना है। उदाहरणार्थ यदि किसी विद्युत् उद्योग की स्थापना एवं विकास हेतु सरकार वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करती है तो स्वभावतः अथ-उद्योगों की स्थापना की ओर उद्योगपति कम आकर्षित होंगे।

नियंत्रण की तात्त्विकताओं सीमाओं एवं कठोरताओं में हेर फेर करने विभिन्न प्रकार की नियोजित अथ-व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। यह कदापि सम्भव नहीं हो सकता है कि नियंत्रण को निमूलक करके नियोजित अथ-व्यवस्था का संचालन किया जा सके। वास्तव में प्रशासन का मुख्य अंग नियंत्रण है। आधुनिक युग में किसी भी देश का प्रशासन नियंत्रण के बिना नहीं किया जा सकता और नियोजित अथ-व्यवस्था भी प्रशासन अथवा राज्य द्वारा संचालित होने के कारण नियंत्रण की धारण करती है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि जैसे जैसे जनसमुदाय में जागरूकता का विस्तार होता जाय और जन सहयोग में वृद्धि होती जाय वैसे वैसे नियंत्रण की सीमाओं एवं कठोरता को कम किया जा सकता है परन्तु ऐसी परिस्थिति में भी समाज में अबाधनीय एवं विनाशकारी तत्वों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी।

नियंत्रण के प्रकार

नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा वक्ति की स्वतंत्रता जो किसी भी विधेय कानून से सम्बद्ध हो सकती है को प्रतिबंधित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति को चयन करने का स्वतंत्रता पर जब किसी प्रकार रोक लगाई जाय तो उस रोक लगाने की क्रिया को नियंत्रण कहा जा सकता है। समाज में व्यक्ति का स्थान उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों का ही होना है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन करता है और उसी वस्तु या सेवा द्वारा समाज द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। नियोजित व्यवस्था के अन्तर्गत उपयोग किए जाने वाले नियंत्रणों द्वारा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों को चयन करने की स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित किया जाता है। उत्पादक को उत्पादन करने में सम्बन्ध में उत्पादन को वस्तु एवं प्रकार चयन करने विनियोग करने विनिमय करने, मूल्य एवं मजदूरी निर्धारित करने व्यवसाय अथवा सेवा का चयन

करने की स्वतन्त्रता हो सकती है। जब इनमें किसी अथवा कुछ अथवा सबको प्रति-
बन्धित कर दिया जाता है तो उसे 'उत्पादन पर नियंत्रण' का नाम दिया जाता है।
दूसरी ओर, उपभोक्ता का अपनी इच्छानुसार पसन्दों का प्रत्यक्ष एवं उपभोग करने की
स्वतन्त्रता, वस्तु एवं विनियोजन करने की स्वतन्त्रता, अपनी इच्छानुसार बाजार की
परिस्थिति के अनुसार मूल्य, निराशा, ध्याज आदि दान की स्वतन्त्रता होती है। जब
इन स्वतन्त्रताओं का प्रतिबन्धित किया जाता है तो उसे 'उपभोग पर नियंत्रण' कहते हैं।
विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण का उपयोग विभिन्न प्रकार किया जाता है इसकी विवेचना
निम्न प्रकार की जा सकती है

(अ) उत्पादन के घटाने पर नियंत्रण—उत्पादन का घटाने का तात्पर्य यह
निश्चय करने की स्वतन्त्रता से है कि क्या और किस प्रकार उत्पादन किया जाय,
कौन-से उत्पादन के घटकों का उपयोग किया जाय, उत्पादन के लिए किस ताश्चि-
त्ताओं का उपयोग किया जाय तथा किस लागत पर उत्पादन किया जाय। अनियोजित
अर्थ-व्यवस्था में प्रत्यक्ष उत्पादन का उपयुक्त सभी बातें घटाने करने की स्वतन्त्रता होती
है परन्तु उसे घटाने करने समय विषयों की स्थिति का ध्यान में रखना होता है अर्थात्
निर्माण की स्थिति उसकी घटाने करने की स्वतन्त्रता का नियंत्रित करती है। दूसरी
ओर, नियोजित अर्थ-व्यवस्था में यह घटाने करने का अधिकार व्यक्ति का न होकर
समाज को अर्थात् नियोजन अधिकारी अथवा राज्य को होता है। कठोर समाजवादी
व्यवस्था में यह नियंत्रण सम्पूर्ण होता है और किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्तिगत
उत्पादन का घटाने का कोई अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार की व्यवस्था
में व्यक्तिगत उत्पादन का समाज में रहना ही असम्भव होता है क्योंकि सम्स्त आर्थिक
प्रियाओं का मन्तव्य राज्य द्वारा किया जाता है। जब यह नियंत्रण घटाने तक
होता है और केवल कुछ आधारभूत क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है तो इसे आंशिक
नियंत्रण कहते हैं और इसके द्वारा नियमित अर्थ-व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है।

(आ) विनियोजन पर नियंत्रण—दूसरे, उत्पादन का घटाने करने की स्वतन्त्रता
विनियोजन करने की होती है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक को अपने
साधनों की अपनी इच्छानुसार किसी भी उत्पादन-बाध में जिसे वह लाभप्रद समझे
विनियोजन करने की स्वतन्त्रता होती है। दूसरी ओर नियोजित अर्थ-व्यवस्था में राज्य
स्वयं विनियोजक होता है और उत्पादन की प्रियाओं के नियंत्रण के अनुसार वह
अपना विनियोजन-बाधक्रम निर्धारित करता है। कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत उत्पादकों
द्वारा विनियोजन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है जबकि कुछ कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में
राज्य एवं व्यक्तिगत उत्पादकों दोनों को ही विनियोजन करने का अधिकार प्राप्त होता
है। इस प्रकार राज्य व्यक्तिगत विनियोजनों को भी निर्देशित (Direct) करता है।
इसके लिए राजनापीय एवं मौद्रिक नीतियों का उपयोग किया जाता है।

विनियोजन पर नियंत्रण का प्रकार एवं प्रवृत्ति नियोजन के उद्देश्यों तथा

उद्दिष्टित आर्थिक संरचना (Economic Pattern) पर निर्भर रहती है। पूणत समाजवादा नियोजित व्यवस्था में समस्त विकास ंय सरकारों क्षेत्र में किया जाता है जबकि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में निजी क्षेत्र का विनियोजन कुछ विशेष क्षेत्रों तक सीमित कर दिया जाता है और इसे राजकीय नीतिया द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। विकास नियोजन में प्रायः सुरक्षा एवं भारी उद्योगों के विनियोजन को नियंत्रित रखा जाता है।

विनियोजन पर नियंत्रण तब ही सफल हो सकता है जब उत्पादन विनिमय अधिकोपण साख एवं उपभोग सभी पर नियंत्रण लगा दिये जायें। जब विभिन्न क्षेत्रों में हानि वाले विनियोजन को नियंत्रित किया जाता है तो उत्पादन पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। विदेशी विनिमय पर नियंत्रण द्वारा देश की पूंजी की देश के बाहर जान पर रोक लगाई जाती है। अधिकोपण एवं माल को नियंत्रित करके अर्थ साधना का वांछित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में विनियोजित किया जा सकता है। उपभोग को नियंत्रित करके समाज में वृद्धि को मात्रा में कृत्रिम को जा सकती है और वृद्धि को वांछित विनियोजन क्षेत्रों में ख आया जा सकता है।

इस प्रकार विनियोजन नियंत्रण आर्थिक नियोजन का मूलधार होता है। विनियोजन द्वारा उत्पादन की क्रियाओं का निर्धारण होता है और विनियोजन नियंत्रण-तंत्र द्वारा ही नियोजन अधिकारों परियाबनाओं का मचानन सफलतापूर्वक कर सकता है।

(इ) विनिमय नियंत्रण—विदेशी विनिमय नियंत्रण आर्थिक नियोजन का एक अभिन्न अंग है। विनिमय नियंत्रण का परिमाण एवं कठोरता नियोजित अर्थ-व्यवस्था के प्रकार—कठोर समाजवादी अथवा प्रजातान्त्रिक देश का भुगतान शेष एवं व्यापार-सन्तुलन देश के पास स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूतिया के संचय तथा अर्थ-व्यवस्था का विरव की अर्थ व्यवस्था में प्राप्त स्थान पर निर्भर रहता है। विकास नियोजन में विदेशी सहायता का आधुनिक युग में अत्यधिक महत्व है। विकास कार्यक्रमों के संचालनाथ विकासो-मुख राष्ट्रों को विदेशों से मन् सामग्री एवं तांत्रिक ज्ञान बड़ी मात्रा में आयात करना आवश्यक हो गया है और इस आयात का शोषण विदेशी एवं अधिक निर्यात द्वारा करने की आवश्यकता होती है। उपलब्ध विदेशी विनिमय वांछित आयात के लिए उपलब्ध रखने के लिए विदेशी विनिमय नियंत्रण अनिवार्य समझा जाता है। विनिमय नियंत्रण के अन्तर्गत विदेशी विनिमय दरों विदेशी विनिमय व व्यवहारों स्वर्ण सिक्के एवं प्रतिभूतियों के निर्यात, तथा विदेशी सम्पत्तियों का अधिकार में रखने को नियंत्रित किया जाता है।

विदेशी विनिमय का नियंत्रित करने के लिए विदेशी व्यापार को भी नियंत्रित करना आवश्यक होता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इसीलिए या तो विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार होता है अथवा राज्य द्वारा आयात एवं निर्यात निर्दिष्ट रहते हैं।

(ई) मूल्यों, मजदूरी एवं व्याज पर नियंत्रण—मूल्यों मजदूरी एवं व्याज का नियंत्रण करने का उद्देश्य उपभोक्तार्थी एवं उत्पादकों का सरकारी प्रदान करना तथा बाधित स्थिरता के साथ विकास करना होता है। यह नियंत्रण विस्तृत व्यापार की मनुषित रखने के लिए भी आवश्यक होता है। विकास विनियंत्रण के लिए जब हीनाय प्रवचन (Deficit Financing) का उपयोग होता है या मुद्रा-संश्लिषण के दबाव का अधिक न बढ़ने देने के लिए मूल्य मजदूरी एवं व्याज नियंत्रण का उपयोग करना आवश्यक होता है।

मूल्यों का बाधित सीमाओं में नियंत्रित रखने के लिए वस्तु-सी विधियाँ का उपयोग करना होता है क्योंकि उपभोक्तार्थी के हित के साथ उत्पादकों के प्रोत्साहन को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ऐसी प्रस्तावित वस्तुओं जिनका उत्पादन मर्यादित उपायों द्वारा किया जाता है के मूल्य सरकार पारम्परिक समन्वय द्वारा निर्धारित करती है। अनिश्चित वस्तुओं के सम्बन्ध में मूल्य नियंत्रण हनु छाटना एवं दबाव आदि का आवाजन करके नियंत्रण में रखा जाता है। अनिश्चित वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार स्वयं इन वस्तुओं का क्रय विपणन करती है। उत्पादकों से निर्धारित मूल्यों पर यह वस्तुओं की वृद्धि के लिए सरकार को नियंत्रण का सहाय लेना पड़ता है और अधिनियम द्वारा सरकार इन वस्तुओं का खरीदने का एकाधिकार अपने हाथ में लेती है।

मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए प्रायः तीन विधियों का उपयोग करते हैं—

(१) मूल्यों का अधिकतम एवं न्यूनतम स्तर निर्धारित कर दिया जाता है। यह सीमाएँ निर्धारित करने के लिए औसत भागतर्थी गणना करके उसमें कुछ प्रतिशत लाभ जोड़ दिया जाता है। जब मूल्य अधिकतम स्तर से ऊपर जाने लगते हैं तो सरकार अपने दफ्तर स्टॉक में इन वस्तुओं का विपणन करके मूल्य पर करने लगती है। दूसरी ओर, जब मूल्य न्यूनतम स्तर से नीचे गिरने लगते हैं तो उत्पादकों के प्रोत्साहन को बनाए रखने के लिए सरकार उचित मूल्य पर इन वस्तुओं का क्रय करने लगती है। इस विधि से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है जो प्रस्तावित होता है तथा जिनकी मागत में विपणन परिवर्तन नहीं होता। आश्चर्य वस्तुओं एवं सामग्रियों के सम्बन्ध में ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है।

(२) मूल्य नियंत्रण की दूसरी विधि के अन्तर्गत वस्तुओं का मूल्य न्यूनतम सामान्य लाभ के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत विभिन्न व्यापार एवं व्यवसायों की वस्तुओं के मूल्य निर्धारित होते हैं। प्रत्येक वस्तु विभिन्न उत्पादकों की मागत का अध्ययन करके उसकी यथोचित मागत की गणना की जाती है। इस मागत में कुछ प्रतिशत लाभ जोड़ कर निर्धारित मूल्य पाठ किया जाता है।

(३) तीसरी विधि के अन्तर्गत मूल्यों को वर्तमान स्तर पर रखा दिया जाता है और उन्हें इससे जाग बढ़ने पर अत्यधिक बाधकारी की जाती है। इस विधि का

उपयोग प्रायः युद्धकाल में किया जाता है। ब्रिटेन में दिसम्बर सन् १९३६ में मूल्य के बढ़ने पर रोक लगायी गयी। भारत में भी कोरिया युद्ध के पूर्व २ दिसम्बर सन् १९४० को एक अध्यादेश जारी करके मूल्य के बढ़ने पर रोक लगायी गयी थी। ब्रिटेन में इस विधि का उपयोग अभी हाल में किया गया जब ब्रिटेन के पौण्ड का मूल्य घटने लगा था और ब्रिटेन के स्वर्ण संचय में कमी हो गयी थी। मूल्य को वतमान स्तर पर रोक देना (Freezing of Prices) एक अल्पकालीन क्रिया होती है क्योंकि मूल्य का वतमान स्तर को लम्बे समय तक बनाये रखना सम्भव नहीं होता है। इस विधि के द्वारा राज्य का मूल्यो का नियंत्रित करने के लिए अन्य आवश्यकियाँ करने का समय प्राप्त हो जाता है।

मूल्य नियंत्रण नियोजन अथ व्यवस्था में जब ही सफल होना है जब अन्य नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से संचालित किए जा रहे हों तथा अथ व्यवस्था के अधिकतर क्षेत्र मुमुग्धित हों। इसके अतिरिक्त मूल्य नियंत्रण का कुशल संचालन करने के लिए राज्य की व्यापारिक भौतिक एवं राजकोषीय नीतियाँ भी सुदृढता के साथ संचालित होनी चाहिए।

(३) मजदूरी पर नियंत्रण—मूल्य नियंत्रण का सफल बनाने के लिए मजदूरी पर नियंत्रण करना अनिवार्य होता है क्योंकि मजदूरी उत्पादन लागत का प्रमुख अंग होता है और मजदूर वगैरों की प्रत्यक्ष शक्ति पर वस्तुओं की माँग निर्भर रहती है। पूणत समाजवादी अथ व्यवस्था में जहाँ उत्पादन के समस्त व्यवसाय राज्य द्वारा संचालित रहने हैं प्राकृतिक साधनों से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की सामाजिक उत्पादन समझा जाता है और यह सामाजिक फल में जमा कर दिया जाता है। इस सामाजिक उत्पादन में कुछ भाग श्रमिकों की सेवाओं के बदले में उह किया जाता है। श्रमिकों का भाग उनके द्वारा किए उत्पादन एवं उनके शक्तिजन जीवन स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रजातांत्रिक नियोजन के अन्तर्गत राज्य मालिक एवं श्रमिकों के मध्य उचित मजदूरी निर्धारित करने के लिए सलाह एवं निर्णय देती है। कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर लघु उद्योग कृषि तथा ठेके पर कार्य करने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण आवश्यक होता है।

निर्दोषित अथ व्यवस्था में साल नियंत्रण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्रिया समझी जाती है और इसके लिए वेद्रीय वक योज की दरों को नियंत्रित करता है। इसी वक भा भेदात्मक (discriminating) व्याज दरों का भी उपयोग किया जाता है। वे व्यवसाय जिनमें अधिक विनियोजन एवं साख वादनीय सामग्री जाता है उनके लिए साल पर योज की दरें कम रखी जाती हैं। साल नियंत्रण के लिए व्यापारिक वक का राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है।

(४) व्यवसाय एवं पैसे के चलन पर नियंत्रण—व्यवसाय एवं पैसे का नियंत्रण पूणत नियंत्रित समाज में ही सम्भव हो सकता है। इस नियंत्रण का उपयोग प्रायः

मुद्र अथवा भाषातकाल में किया जाता है। परन्तु "न समाजवादों राष्ट्रों" जिनमें मानव शक्ति के बर्तन (Man Power Labour Budgeting) का मन्वानन किया जाता है व्यवसाय एवं पण का खयन राज्य द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए बच्चों की शिक्षा प्रारम्भिक शाला में ही आवश्यक व्यवस्थाएँ करनी हानी है। व्यवसाय एवं पण के खयन पर नियंत्रण रखना न्यून समय में आवश्यक होना है जब किशो व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक धन लगाया जाय और धन व्यवसायों के लिए धन की कमी हो गयी हो। प्रायः व्यवसाय के खयन पर प्रतिबन्ध लगाकर न्यून नियंत्रण नहीं किया जाता अतः जिन व्यवसायों में अधिक धन का आवण्टित किया जाता है उसे अधिक सामग्र्य प्रयत्न आयाजक बनाया जाता है तथा न्यून पण के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध आदि की व्यवस्था सरकार की ओर से कर दी जाती है।

(ए) उपभोग पर नियंत्रण—उपभोग नियंत्रण प्रतिव्ययमानक तथा विस्तार-रूपक हो सकता है। जल्प विवसिष्ठ राष्ट्रों में जहाँ गोत्र औद्योगिकरण, द्रुत गति से आर्थिक प्रगति, जीवन-स्तर में वृद्धि, विपन्न क्षेत्रों का विकास आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजन की अपेक्षा जाता है, प्रतिव्ययमानक उपभोग नियंत्रण की आवश्यकता हानी है। विकास-वाक्यक्रमों के लिए उत्पादक-बन्धुओं के उत्पादन में विनियोजन बड़ी मात्रा में करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए अधिक साधन प्राप्त करने हेतु उपभोग-बन्धुओं के उत्पत्तियों के विनियोजन की सीमित किया जाता है। इन में उपभोग-बन्धुओं की कमी होती है और इन बन्धुओं का मनमाना उपभोग करने के लिए नियंत्रणों का उपयोग किया जाता है। उपभोग पर नियंत्रण रखने की सर्व-श्रेष्ठ विधि राशियोग (Rationing) समझी जाती है। इसके अतिरिक्त जन-साधारण को अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे इनके उपभोग-धन की कम करना सम्भव होना है। उपभोग नियंत्रण के लिए उत्पादन एवं आयाज-बन्धु का भी उपयोग किया जाता है। वित्तमित्रता एवं ग्लोबल मात्रा में उपभोग बन्धुओं पर अधिक उत्पादन एवं आयाज-बन्धु लगाकर नन्दे उपभोग का महत्त्व कर दिया जाता है जिससे कुछ लोग इन बन्धुओं का उपभोग नहीं करते हैं और भेदगी होने पर इनका उपभोग करते हैं तो अधिक मूल्य देने के कारण कम बन्धुओं के उपभोग से बचते रह जाते हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उपभोग पर नियंत्रण लगाया जाता है।

आधुनिक युग में मुद्रा प्रसार द्वारा भी उपभोग पर विव्ययमानक नियंत्रण (Forced Controls) लगाया जाते हैं। मुद्रा प्रसार से बन्धुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं जिससे जनसाधारण अपनी बचतगत मौद्रिक आय से कम उपभोग की बन्धुओं प्रयत्न कर पाता है।

दूसरी ओर, विस्तार-वाक्य उपभोग नियंत्रण का उपयोग विनियोजन कार्य-व्यवस्थाओं में किया जाता है, जहाँ ऐच्छिक बचत इतनी अधिक होती है कि न्यून उत्पादन विनियोजन करते रहने के लिए समाज के उपभोग के स्तर को बनाया

आवश्यक होता है जिससे अधिक विनियोजन से उत्पादित वस्तुआ की माग बनी रहे। विस्तारात्मक उपभोग नियंत्रण के लिए वस्तुआ के मूल्यों को कम रखने के लिए राज्य सहायता प्रदान करता है तथा अधिक उपभोग करने वालों को कर सम्बन्धी छूट दायी जाती है।

उपयुक्त विवरण से यह बात होना है कि नियंत्रण आर्थिक नियोजन का एक शक्तिशाली तंत्र होता है जिसके सफल संचालन पर नियोजित अर्थ-व्यवस्था की सफलता निर्भर रहती है। विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण का संचालन समन्वित रूप से करने पर वांछित उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। प्रत्येक नियंत्रण अपने आप में स्वतन्त्रतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता है। उसकी सफलता के लिए अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण आवश्यक होता है।

अध्याय ४

प्रजातन्त्र के अन्तर्गत आर्थिक नियोजन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता [Planning Under Democracy and Individual Freedom Under Planning]

[प्रजातन्त्र के गुण, नियोजित अर्थ-व्यवस्था के लक्षण आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता के प्रकार—सामूहिक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता]

प्रजातन्त्र के गुण

प्रजातन्त्र के अन्तर्गत समाज के समस्त सदस्यों को जाति, लिंग अथवा धर्म का भेद-भाव किए बिना आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सम अधिकार प्राप्त हैं। प्रजातन्त्र के अन्तर्गत आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में कृत्यों का आवरण (Diffusion) व्यक्तियों के छोटे समूहों एवं वर्गों को प्राप्त होता है। प्रजातन्त्र व्यक्ति की अपने-आपके की स्वतन्त्रता को मान्यता देता है। यह अपने-आपके की स्वतन्त्रता उत्पादन उपभोग दोनों अथवा व्यवसाय कर्तव्य एवं विनियोजन विनियम आदि किसी से सम्बद्ध हो सकती है। प्रदेश व्यक्ति को इन समस्त अधिकारों में अपने-आपके की स्वतन्त्रता का अधिकार प्रजातन्त्र के अन्तर्गत होता है। प्रजातन्त्र में निहित सामाजिक एवं आर्थिक गुणों का यदि हम विवेचना करें तो ज्ञात होगा कि प्रजातन्त्र निम्नलिखित गुणों से विशेषण देखा है—

- (अ) आर्थिक एवं सामाजिक समानता।
- (ब) कृत्यों का व्यक्तियों के छोटे समूहों एवं वर्गों में आवरण।
- (क) उत्पादन के साधनों एवं सम्पत्ति की अधिकार में समान अधिकारों का अभाव या प्रदेश नागरिक को अधिकार है।
- (ख) प्रदेश नागरिक को वेतन एवं व्यवसाय अपने-आपके की स्वतन्त्रता।
- (ग) समस्त कृत्यों एवं मान्यताओं का केन्द्रबिन्दु व्यक्ति होता है।
- (घ) उत्पादन अपनी इच्छानुसार अपने-आपके अपने-आपके अपने-आपके की अधिकार।
- (ङ) उपभोग की स्वतन्त्रता।
- (च) राज्य को कृत्यों की स्वतन्त्रतापूर्वक आलोचना करने का अधिकार।

(ओ) राज्य की क्रियाओं में प्रत्येक नागरिक को सक्रिय भाग लेने का अधिकार ।

(अ) बचत करने तथा अपनी बचत अपन निणया के आधार पर विनियोजित करने का अधिकार ।

(ब) प्रत्येक समस्या एवं क्रिया में मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया जाना ।

“यत्ति को जब यह सभी स्वतन्त्रताएँ द दी जायेंगी तो राज्य का काय केवल एक चौकीदार के समान अपने नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करना ही रह जाता है । राज्य का केवल यही काय प्राचीन काल में समझा जाता था । परन्तु जैसे जैसे सभ्यता का विस्तार हुआ राज्य का कार्यक्षेत्र भी बढ़ता गया और अब प्रजातन्त्र के अन्तर्गत राज्य जन स्वास्थ्य, सुरक्षा चरित्र एवं कल्याण, शिक्षा मातायात एवं सञ्चार तथा अन्य जगोपयोगी सेवाओं की व्यवस्था करता है । यह समस्त क्रियाएँ अब लगभग प्रत्येक राष्ट्र में राज्य के नियन्त्रण एवं अधिकार में रहती हैं जिससे इन सुविधाओं का आयोजन बिना किसी भय भाव के समस्त नागरिकों के लिए किया जा सके ।

नियोजित अथ व्यवस्था के लक्षण

दूसरी ओर आर्थिक नियोजन एक सामूहिक व्यवस्था होती है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित लक्षण सम्मिलित रहते हैं—

- (१) आर्थिक सत्ताओं पर राज्य का नियन्त्रण एवं अधिकार ।
- (२) उत्पादन के घटकों पर राज्य का अधिकार ।
- (३) उत्पादन उपभोग बचत विनियोजन एवं पेशे से सम्बन्धित यत्ति एवं यत्तियों के समूह की आर्थिक क्रियाओं का राज्य द्वारा नियन्त्रण एवं निर्देशन ।
- (४) सामूहिक अथ-व्यवस्था जिसमें समस्त सम्पत्ति व उत्पादन के साधन आदि का समाज द्वारा समाज के हित के लिए उपयोग किया जाता है ।
- (५) यत्ति को मूल रूप से उत्पादन का घटक समझा जाता है और तदनुसार उसे पारिवर्तिक प्रदान किया जाता है ।

इस प्रकार प्रजातन्त्र एवं आर्थिक नियोजन एक दूसरे के विलकुल विपरीत होते हैं और प्रजातन्त्र के अन्तर्गत नियोजन का संचालन सम्भव प्रतीत नहीं होता है । परन्तु आर्थिक नियोजन एवं प्रजातन्त्र दोनों में एक बात में सादृश्य अथवा समानता पायी जाती है और वह बात है कि ऐसे समाज की स्थापना जिसमें समस्त नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो और इस एक सादृश्य के कारण ही दोनों ही व्यवस्थाएँ एक साथ सञ्चालित हो सकती हैं । इस उद्देश्य की उपलक्षि के लिए नियोजन एवं प्रजातन्त्र में जो तरीके अपनाये जाते हैं उनमें बहुत अन्तर होता है । प्रजातन्त्र में विषमनारहित समाज स्थापित करने के लिए ऐसे तरीकों को उचित समझा जाता है जो यद्दान्तिक दृष्टिकोण से उचित हों । इसमें मानव की भावनाओं को अधिक

महत्व दिया जाता है और मानव का पहले मानव और बाद में उत्पादन का घटक ममता जाता है। दूसरी ओर, आर्थिक नियोजन में नीतिक ढंगों का अधिक महत्व प्रदान किया जाता है और मानव की नीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सर्वोच्च ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार जहाँ तक मानव का सम्बन्ध है आर्थिक नियोजन एवं प्रशासन में यह अन्तर है और इन दोनों का सह-अस्तित्व तब ही सम्भव हो सकता है जब दोनों का सम्बन्ध में कुछ सुधार किया जाय और विरासत-प्राप्त का काम किया जाय। यह सुधार का काम भारत में सफलता के साथ किया गया है जिसके फलस्वरूप प्रजातान्त्रिक नियोजन का जन्म हुआ है।

आर्थिक नियोजन एवं प्रशासन दोनों ही व्यवस्थाओं के तबों में सुधार के लिये महत् अस्तित्व सफल हो सकता है। यह भारतीय अनुभवों एवं प्रयोगों में स्पष्ट हो गया है। प्रशासन का अपना मर्यादित धर्म जिसके अन्तर्गत व्यक्ति का असीमित स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है का धारा लचीला करना होना है और आर्थिक नियोजन को पूरा राज्य नियंत्रण एवं अधिकार की बहालगी का सामना करना होता है। इस प्रकार राज्य का यह धर्म करना होता है कि किस आधार पर लोगों का राज्य में नियंत्रण अपना अधिकार में रखा जाय जिसके परिणामस्वरूप निश्चित अर्थ-व्यवस्था का प्रादुर्भाव स्थापित होना है। उत्पादन के साधनों की सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में आवंटनानुसार विभक्त कर दिया जाता है। जहाँ तक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है उसे सबसे अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी स्वतन्त्रताओं के अन्तर्गत नियोजन के अन्तर्गत में बाधा नहीं पाली को बनाए रखा जाता है। विपत्ति-साधकता को भी बनाए रखा जाता है परन्तु उस पर नियोजन के उद्देश्यों के अनुसार सजा-सजा राज्य का नियंत्रण लागू किया जाता है। प्रजातान्त्रिक नियोजन में व्यक्ति समाज की समस्त क्रियाओं का केन्द्रबिन्दु माना जाता है परन्तु मानव का उत्पादन का विकास महत्वपूर्ण घटक मात्र नहीं माना जाता बल्कि उच्च नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का भी आयोजन किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन में यह ता स्पष्ट ही है कि आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं का असीमित छूट नहीं दी जाती है और तबमें कुछ का प्रति-बंधन करना आवश्यक होता है।

आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रता का अर्थ—आर्थिक नियोजन में राजकीय नियंत्रण एवं हस्तगत सत्ता निहित होता है और इसलिए स्वतन्त्रता के पक्षपाती विद्वानों ने आर्थिक नियोजन की गुलामी अपना दासता का भाग बताया है। ऐसे पक्षपाती विद्वानों में प्रो० हन्क को सर्वप्रथम स्थान दिया जा सकता है। स्वतन्त्रता शब्द का अर्थ पृथक पृथक समुदाय एवं व्यक्ति पृथक पृथक रूप से लेते हैं। बेनेट ई० बोस्टिंग ने लिखा है—'स्वतन्त्रता' शब्द एक ऋषदे वाला शब्द है। इससे गहरी नावनाएँ एवं इच्छाएँ आपस होती हैं

और कुछ ऐसा स्पष्ट आवाहन होता है जो मानव हृदय को अत्यधिक मूयवान होता है परन्तु इसकी मूल शक्ति कुछ अग्रा म इसकी अस्पष्टता पर निर्भर हाती है। इसका अर्थ विभिन्न लोग का भिन्न भिन्न होना है। जब अमेरिकन लोग स्वतन्त्र विचार की बात करते हैं, जब हिटलर न स्वतन्त्रता (Freedom) को अपना नारा बनाया जब सेट पान ने भगवान की सेवा को पूण स्वतन्त्रता बनाया जब रूजवेल्ट और चर्चिल ने चार स्वतन्त्रताओं को घोषणा की और जब साम्यवाद यह दावा करते हैं कि उनका समाज ही केवल स्वतन्त्र समाज है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही शब्द क वस्तु से अर्थ हैं। यह अस्पष्टता एवं भ्रमदायक ही का कारण है।¹ इस अस्पष्टता का कारण आधुनिक काल में स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ साधारणतः मनभ्रम में बाहर हा गया है।

स्वतन्त्रता के वास्तविक अर्थ की अस्पष्टता के कारण विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं ने इसकी विभिन्न समझें एवं तत्व निर्धारित किये हैं। स्वतन्त्रता का अर्थ असमीमित स्वतन्त्रता से नहीं है। यत्किमत स्वतन्त्रता के अर्थ को सर्वोच्च महत्व देने वाले अर्थशास्त्री एवं राजनैतिक भी असमीमित स्वतन्त्रता का मान्यता नहीं रखते हैं। वास्तव में असमीमित स्वतन्त्रता का अर्थ तो विधानरहित समाज की स्थापना करना है जो केवल असम्य समाज अथवा जगती पशुओं में ही सम्भव हो सकता है। हम जब स्वतन्त्रता की सीमाएं निर्धारित कर देते हैं तो उसकी परिभाषा एक तत्व निर्धारित करना भी सम्भव होना चाहिए। स्वतन्त्रता शब्द का एक स्थिर विचारधारा नहीं कहा जा सकता क्योंकि विभिन्न समाज एक राष्ट्रों में अलग अलग समय में इससे गुणक-पृथक अर्थ लगाये गये हैं। स्वतन्त्रता इस प्रकार एक परिवर्तनशील विचारधारा है जिसकी सर्वसम्पक परिभाषा नहीं की जा सकती है। स्वतन्त्रता में सम्मिलित होने वाले तत्व सामाजिक दशाओं समय राजनैतिक विचारधाराओं भौगोलिक परिस्थितियों एवं ऐतिहासिक परम्पराओं से प्रभावित हान हैं। प्रजातान्त्रिक समाज में कार्य करने एक विचार यत् करने की स्वतन्त्रता की विशेष महत्व दिया जाता है परन्तु इसकी सीमाएं सामाजिक आवश्यक एवं जन हित द्वारा निर्धारित होती हैं। इन दो घटकों के अतिरिक्त किसी विशेष समय पर उपस्थित परिस्थितियाँ भी स्वतन्त्रता की

1 Freedom is a fighting word. It arouses deep emotions and desires and clearly evokes something that is very precious to the human heart. Its very power however depends in parts on its vagueness. It means very different things to different people. When Americans speak of free world when Hitler used *Freiheit* as one of his slogans when St Paul wrote that in His service is perfect freedom when Roosevelt and Churchill promulgated the four freedoms and when Communists claim that theirs is only free society it is obvious that the one word covers a multitude of meanings. This is source both of confusion and conflict.
(Kenneth E. Boulding *Principles of Economic Policy*)

सीमाएँ निर्धारित करती हैं जसे प्रत्येक व्यक्ति को उत्पन्न के अवसर पर मुगियाँ मनाने वाले बजाने आदि की स्वतन्त्रता है परन्तु यदि उमक पहास में किसी की मृत्यु हो जाय तो उसे अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार स्वतन्त्रता पूर्णतम दासता तथा पूर्णतम व्यक्तिवाद के मध्य की अवस्था का कहा जा सकता है।

स्वतन्त्रताओं के प्रकार—आधुनिक युग में प्रत्येक समाज में स्वतन्त्रताओं पर कुछ न कुछ अकुश लगाय जात हैं, परन्तु इन अकुशों की मात्रा एवं कठोरता प्रत्येक समाज की वर्तमान आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक मापनामा पर निर्भर रहती है। निराश्रित अथ-व्यवस्था में अन्तर्गत कुछ स्वतन्त्रताओं का उन्मूलन कुछ का प्रति-यधिग्न एवं कुछ का आविष्ट रखा जाता है। विभिन्न प्रकार की स्वतन्त्रताओं में अन्तर निम्न प्रकार निरधारित किय जा सकत हैं—

(१) कुछ धनवानों का स्वतन्त्रता एवं निधनों के बड़े समाज की स्वतन्त्रता—समाजवादी एवं साम्यवादी स्वतन्त्रता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति का इनके प्रादिन साधन उपलब्ध कराने में लगाने हैं जिनमें वह जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कर सके। इस प्रकार आय, धन एवं अवसर की समानता की अधिक महत्व दिया जाता है और धनवान व्यक्तियों के द्यो में समूह की स्वतन्त्रताओं का नियन्त्रित करने मायना का बड़ निधन-बन्ध का आवश्यक मुविषाएँ प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, जब किसी समाज में उत्पादन के साधनों के अर्थ, विप्रेय, उप-योग एवं अधिकार में रक्षण की स्वतन्त्रता समस्त नागरिकों का ही जाती है तो यह स्वतन्त्रता उन्हीं के लिए उपयोगी होती है जिनके पास धन होता है और निधन-बन्ध के लिए इस स्वतन्त्रता का काम महत्व नहीं होता है। आर्थिक नियोजन द्वारा इस प्रकार की अक्षिण स्वतन्त्रताओं का नियन्त्रित करने निधना का आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त किया जाता है।

(२) बाह्यनीय एवं अशास्त्रीय स्वतन्त्रता—उपभोग का इच्छानुसार उपभोग करने तथा उत्पादकों की इच्छानुसार उत्पादन करने की स्वतन्त्रता देने में समाज में हानिकारक कार्यवाहियाँ का प्रादुर्भाव हो सकता है। उपभोगियों का बहुत बड़ा बन्ध या ता अन्तर्गत के कारण या फिर अर्थ महत्वहीन विचारधारकों, जस दिनाका (display) आदि में प्रभावित होकर उपभोग के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण चयन नहीं करता है जिनके फलस्वरूप एक आर समाज में अक्षिणहीनता का प्रादुर्भाव मितता है और दूसरी ओर समाज में उत्पादन साधनों का अपत्यय अथवा अनुचित उपयोग होना है। एसी परिस्थिति में उपभोग की स्वतन्त्रता का नियन्त्रित करने में समाज एवं व्यक्ति-विवेक का अधिक ध्यान सम्भव हो सकता है और स्वतन्त्रता पर प्रति-बन्ध लगाने में उस व्यक्ति का जो हानिकारी उमये नहीं अधिक उसे एक समाज की आर्थिक नतिक एवं सामाजिक लाभ होगा। इसी प्रकार उत्पादक भी अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग लाभ हेतु उत्पादन करने के लिए करता है। वह उत्पादन सम्बन्धी निरवय

करते समय अपने लाभ को सर्वाधिक महत्व देता है, चाहे उसके निश्चयो द्वारा समाज का हानि क्या न होती हो अथवा चापनो का अधिकतम उपयुक्त उपयोग न होना हो। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन की स्वतंत्रताओं को नियंत्रित करने से साधनों का समाज के अधिकतम हित के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार पूंजीवाद एवं स्वतंत्र व्यापार-व्यवस्था के अन्तर्गत जो उपभोग एवं उत्पादन की स्वतंत्रताएँ व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं वे वास्तव में एक छोटे से ही धनी वाक लिए अधिक उपयोगी होती हैं और जनसमुदाय का बहुत बड़ा बग बीमारी निधनता अनानता नकारी तथा निरक्षरता का शिकार बना रहता है। इस बग का इन पाँच मयानक राक्षसों से स्वतंत्रता मिलना वाछनीय है और इसके लिए नियोजित अथ व्यवस्था द्वारा पूंजीवादी उत्पादन एवं उपभोग सम्बन्धी स्वतंत्रताओं का नियंत्रित करना उचित है।

(३) इच्छित एवं अनिच्छित स्वतंत्रता—बुद्धिमान एवं वस्तुएँ ऐसा हाता है जिनके सम्बन्ध में यदि स्वतंत्रता को समाप्त कर लिया जाय तो उससे किसी प्रकार की हानि नहीं हाता जैसे काय करने के पण्डो का नियमन स्त्रिया एवं बच्चा को जातिम पूण काया पर काय करने के लिए प्रतिबन्ध आता। इस प्रकार के प्रतिबन्ध श्रमिकों का काय करने का स्वतंत्रता का कुछ समय के लिए प्रतिबन्धित कर देते हैं परन्तु यह स्वतंत्रता प्राय एक अनिच्छित स्वतंत्रता होती है और इसके प्रतिबन्धित हानि से श्रमिकों का कोई विशेष हानि नहीं हाती। इस प्रकार की बहुत सी ऐसी स्वतंत्रताएँ हैं जिनका जीवन में व्यक्तिगत रूप में अधिक महत्व नहीं होता और इनको प्रतिबन्धित करने से मूलभूत व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर नुठारापात नहीं हाता।

(४) नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता—चयन करने की दृष्टि से स्वतंत्रताएँ जनसमुदाय में बहुत बड़े बग की कवन सिद्धान्त रूप में ही प्राप्त होती हैं और वह वास्तविकता से बहुत दूर रहती हैं जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा भाजन करने अच्छे गमान में रहने भ्रमने फिरन आदि की स्वतंत्रता है परन्तु इस स्वतंत्रता का वास्तविक लाभ उही व्यक्तियों का हा हो सकता है जो पर्याप्त आर्थिक साधन भी रखते ह। निधन बग के लिए यह स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता के समान है क्योंकि वह धन व अभाव में इनका कोई उपयोग नहीं कर सकता है।

स्वतंत्रताओं के स्वरूप—विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं के अन्तर की अवलोकन करने से पाता होता है कि स्वतंत्र अथवा अनियोजित अथ व्यवस्था में अधिकतर स्वतंत्रताएँ वास्तव में धनी बग के लिए हो उपलब्ध हाती हैं और समाज का बहुत बड़ा भाग सिद्धान्त मात्र में ही उनका लाभ उठाता है। यदि समाज में वास्तविक एवं वाछनीय स्वतंत्रताओं को जनसमुदाय के सभी वर्गों को प्रदान करना है तो अधिक नियोजन द्वारा समस्त नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान का जाय, अर्थात् समस्त नागरिकों का आय एवं अवसर की समानता का आयोजन किया जाय और यह आयोजन सभी सम्भव हूँ सकता है जब धना बग की स्वतंत्रताओं पर

प्रतिबंध लगाया जाय और समस्त समाज की अवांछनाय स्वतंत्रताओं की प्रतिबंधित किया जाय। आर्थिक नियोजन द्वारा इस प्रकार एवं और अवांछनाय स्वतंत्रताओं की प्रतिबंधित किया जाता है, दूसरी ओर, नवाराज्य स्वतंत्रताओं की सहायताय या वास्तविक स्वतंत्रताओं में परिवर्तित किया जाता है। आर्थिक नियोजन द्वारा चयन करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाना है। चयन करने के बहुत प्रकार हैं। इनके मुख्य रूपों का निम्न प्रकार संवर्धित किया जा सकता है—

- (१) सांस्कृतिक स्वतंत्रता (Cultural Freedom)
- (२) नागरिक स्वतंत्रता (Civil Freedom),
- (३) आर्थिक स्वतंत्रता (Economic Freedom)
- (४) राजनीतिक स्वतंत्रता (Political Freedom)।

सामान्यतः यह विचार किया जाता है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इन सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का निर्धारण कर दिया जाता है।

(१) सांस्कृतिक स्वतंत्रता—इसके अन्तर्गत विचार व्यक्त करने तथा धर्म-सम्बन्धी स्वतंत्रताएँ सम्मिलित होती हैं। सांस्कृतिक स्वतंत्रता का आर्थिक नियोजन से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में इस स्वतंत्रता की उपस्थिति की मात्रा देश के राजनीतिक गठन पर निर्भर करती है। यह कहना भी उचित नहीं है कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण किए बिना आर्थिक नियोजन उपलब्ध नहीं हो सकता है। उद्यम यदि चाहता है कि राष्ट्र में समान सृष्टि का अनुसरण हो तब उसे आर्थिक नियोजन के वायजनों को मुक्ततापूर्वक नचावित किया जा सके तो जनसमुदाय का एक विशेष सृष्टि का अनुसरण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है परन्तु यह तब ही सम्भव हो सकता है जब देश में प्रजातांत्रिक सरकार न हो। प्रजातांत्रिक राज्य में धर्म एक विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर सबका राय नहीं लगायी जा सकती है क्योंकि सरकार का सर्वोच्च जनसमुदाय की इच्छाओं को विचारपूर्वक करना होता है, अथवा सरकारी सत्ता एक दल से दूसरे दल के हाथ में चली जाती है। सामान्यतः राज्य में सांस्कृतिक स्वतंत्रता को उन्नीस मात्रा तक सीमित कर दिया जाता है। इस विचारण से यह स्पष्ट है कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता राजनीतिक गठन में प्रभावित होती है न कि आर्थिक नियोजन के अनुसरण से।

(२) नागरिक स्वतंत्रता—इसके अन्तर्गत विभिन्न वायजनों एवं वैधानिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है। इन अधिकारों का विशेषरूप से उन नागरिकों से सम्बन्ध होता है जो विधान द्वारा किसी अपराध के लिए अपराधी ठहराये गये हों अथवा ठहराये जाने वाले हों। आर्थिक नियोजन के उच्चासन के लिए नागरिक स्वतंत्रता पर बहुत अज्ञान की कठोर आवश्यकता नहीं पड़ती है और आर्थिक नियोजन एवं नागरिक स्वतंत्रता एक साथ रह सकते हैं। वास्तव में नागरिक स्वतंत्रता सहायकारी व्यक्तियों की विचारधाराओं पर निर्भर करती है। एक विद्वेष्ट

सब नगरिक स्वतंत्रता का सीमित करता है जबकि प्रजातंत्रिक ढाँचे में नगरिक स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया जाता है।


(३) आर्थिक स्वतंत्रता—आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ बड़ा विवादपूर्ण रहा है। पूँजीवादी आर्थिक स्वतंत्रता में उपभोक्ता को अपनी इच्छानुसार उपभोग की वस्तुएँ क्रय करने की स्वतंत्रता तथा उत्पादक को अपने निजी लाभ के आधार पर उत्पादन काय करने की स्वतंत्रता को सम्मिलित करते हैं। दूसरी ओर समाजवादी आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ आर्थिक सुरक्षा बताते हैं। स्वतंत्रता की आधुनिक विचारधारा बहुत कुछ भिन्न है। इसका अर्थ असुरक्षा इच्छा अस्वच्छता रोग अज्ञान तथा पिथिलता से मुक्ति है। स्वतंत्रता को पुरानी विचारधारा सबका भिन्न थी। इसका अर्थ इच्छानुसार चाहे जितने धन कमाय करने की स्वतंत्रता वस्त्रों को कारखाने तथा खेतों पर भेजने भूखे रखने या अन्य ही मजदूरी देने, एकाधिकार मूल्य लगाने लाभदायक मूल्य प्राप्त न होने पर लोकाय वस्तुओं को बेचने स्वयं से परे बन एकत्रित करना तथा इस धन को दूसरों को निधन एवं दरिद्र बनाने के लिए उपयोग करने की स्वतंत्रता समझा जाता था।¹

(4) उपभोक्ता की स्वतंत्रता—किसी भी दक्ष में वस्तुओं का वितरण को तरीके हो सकते हैं—प्रथम वस्तुएँ खुले बाजार द्वारा माँग और पूर्ति के बराबर के आधार पर निर्धारित मूल्य पर रुपये के बदले में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जा सकती हैं। दूसरा तरीका नियमित एवं नियंत्रित वितरण है, जिसे राशनिंग कहते हैं। इस तरीके का उपयोग अधिकतर वस्तुओं की पूर्णता हान पर ही किया जाता है। उपभोक्ताओं का वस्तुएँ निश्चित मात्रा में एवं निश्चित मूल्य देने पर प्राप्त होती हैं। यद्यपि दोनों ही विधियों में उपभोक्ता वस्तुओं को रुपये के बदले में क्रय करता है परन्तु खुले बाजार की व्यवस्था में उपभोक्ताओं को जो भी वस्तु चाहे उसे क्रय करने की स्वतंत्रता हाती है जबकि नियमित एवं नियंत्रित वितरण होने पर उपभोक्ता को वस्तुओं का चयन करने तथा वस्तु के सम्बंध में स्वतंत्रता नहीं होता।

उसे दे हा वस्तु क्रय करनी होती है जो अधिकारी उपलब्ध कराते है तथा वे वस्तुएँ उपभोक्ताओं द्वारा सीमित मात्रा में ही क्रय की जा सकती हैं। वस्तुओं का

1 The modern conception of freedom is very much different—it is the conception of freedom from insecurity from want disease squalor ignorance and idleness. The old conception of freedom was quite different. It referred to freedom to work as many hours as one chooses to send children to factories and farms to pay starvation wages to charge monopoly prices to sell wretched goods when remunerative prices are not to be had to amass undreamt wealth and to parade it shamelessly to despoil and beggar those one can
(G D Karwal *Economic Freedom and Economic Planning* p 152)

प्राथमिक स्वतन्त्रता का निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है—
प्राथमिक स्वतन्त्रता



वितरण की बातों ही विधिमां नियोजित एवं अनियोजित व्यवस्था में उत्पादन की जाती है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में परेडू वस्तु एवं विनियोजन बटान हेतु उपभोग को सीमित करने की आवश्यकता पड़ती है और यह सीमाएँ निर्धारित करने हेतु प्राथमिक स्वतन्त्रता का उपयोग किया जाता है। अधिकतर राष्ट्रों का उपयोग पूरा पूर्ण बासी वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। इस प्रकार वस्तुओं के वितरण पर किये जाने वाले नियंत्रण का उद्देश्य उपभोक्ता की स्वतन्त्रता को सीमित करना नहीं होता बल्कि नियम-वर्ग का उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराना होता है। कुछ वस्तुओं के उपयोग का इसलिए भी सीमित किया जाता है कि वे वस्तुएँ जन-स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय चरित्र के लिए हानिकारक होती हैं।

वास्तव में निर्भोजित अर्थ-व्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन एवं पूर्ति में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जाता है और प्राथमिक स्वतन्त्रता में जो भी नियंत्रण उपभोक्तियों पर लगाया जाता है उनका उद्देश्य योद्धा है उसे अधिक वस्तुएँ उपलब्ध कराना होता है। प्रत्यक्ष रूप से इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि नियोजित व्यवस्था में उपभोक्ता की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है। उपभोक्ता की स्वतन्त्रता को नियंत्रित एवं सीमित किया जाय अथवा नहीं, इस प्रश्न का उत्तर प्राथमिक नियोजन के प्रकार एवं के राजनीतिक दायरे तथा उपभोक्ता-वस्तुओं की पूर्ति पर निर्भर रहता है।

(क) उपभोक्ता का प्रभुत्व (Consumers Sovereignty)—उपभोक्ता के प्रभुत्व का अर्थ यह है कि उपभोक्ता उपभोक्ता की मांग के अनुसार किया जाय। उपभोक्ता बाजार में वित्तीय के लिए उपस्थित वस्तुओं में से अपने लिए वस्तुओं का

न्यून करता है। जिन वस्तुओं की मांग अधिक होगी है उनका उत्पादन उत्पादक अधिक मात्रा में करता है। वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने पर मूल्य कम हो जाता है और उत्पादन कम होने पर मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार वस्तुओं की मांग बढ़ने पर मूल्य बढ़ता है और उत्पादन बढ़ाने में प्रयत्न किये जाते हैं। मांग कम होने पर उस वस्तु का मूल्य कम हो जाता है और उत्पादक का लाभ भी कम होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादक को उस वस्तु के उत्पादन में रुचि कम हो जाती है और उत्पादन गिरने लगता है। प्रतिस्पर्धीय अर्थ-व्यवस्था की इस अवस्था को उपभोक्ता का प्रभुत्व कहते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता उपभोक्ता के न्यून एवं मांग पर निर्भर नहीं होता है। नियोजन अधिकारी प्राथमिकतानुसार यह निर्णय करता है कि जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाय? उपभोक्ता का प्रभुत्व तभी प्रभावशाली हो सकता है जब उसके पास पर्याप्त क्रय शक्ति हो। किंसा वस्तु की मांग करने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति होना भी आवश्यक होता है। जब क्रय शक्ति का संचय हुआ चुने हुए लोगों में हाथ में ही तो अर्थ-व्यवस्था के एक बड़े भाग पर घुन हुए रूप का ही प्रभुत्व हो जायगा। जनसाधारण जिनके पास धन का अभाव है न तो प्रभावशाली मांग प्रस्तुत कर सकेगा और न उसकी आवश्यकतानुसार उत्पादन ही किया जायगा। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता का प्रभुत्व तब ही प्रभावशाली माना जा सकता है जब समस्त समाज में पास क्रय शक्ति का पर्याप्त संचय हो। जनसाधारण को क्रय शक्ति उपलब्ध कराने हेतु ही आर्थिक नियोजन द्वारा धन भंडार आदि के समान विवरण का आयोजन किया जाता है। जनसाधारण के हाथों में अधिक क्रय शक्ति पैराने से उसमें उत्पादन पर नियंत्रण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। फिर भी इनका कहना सबका सत्य होगा कि आर्थिक नियोजन द्वारा प्रजापति रूप के प्रभुत्व को उस पहुंचनी है और वह उत्पादन की क्रियाओं का प्रभावित करने में असमर्थ हो जाता है।

(ख) बचत करने की स्वतंत्रता—बचत करने का मुख्य उद्देश्य भविष्य में अधिक उपयोग करने का आयोजन करना होता है। उपभोक्ता वर्तमान उपयोग को कम करके बचत करता है और उसका विनियोजन कर देता है जिससे भविष्य में उसे श्याम अथवा लाभों की अतिरिक्त आय हो सके और वह अधिक उपभोग कर सके। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में बचत को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाता है और विनियोजन को उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। विनियोजन करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति अपने विनियोजन की सुरक्षा चाहता है जो ही अर्थ-व्यवस्था में ही सम्भव होती है। प्रतिस्पर्धीय अर्थ-व्यवस्था में जहाँ उच्चावचन अधिक होने हैं विनियोजन का सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में बचत एवं विनियोजन दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है और अर्थ-व्यवस्था को मंदी एवं तेजी के

दबाव से बचाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में बचत करने की मुझा भी अनभव होती है।

(ii) उत्पादक की स्वतंत्रता—(iii) रोजगार के चयन की स्वतंत्रता—
नियोजन के अन्तर्गत श्रमिकों का निर्णय व्यवसायों में बांध बन व लिए कार्य दिया जा सकता है अथवा उनका प्रामाणिक किया जा सकता है। कार्य द्वारा वा व्यवसायों में रोजगार दिलाया जाते हैं वे प्रभावशाली वा अवश्य हात हैं परन्तु रोजगार चयन करने की स्वतंत्रता पर अनुग नग जाता है। प्रामाणिक द्वारा निर्णय व्यवसायों में रोजगार प्राप्त कराने से लोगों में इस रोजगार के प्रति रूचि होती है और रोजगार चयन करने की स्वतंत्रता दनी रहती है। रोजगार चयन करने की स्वतंत्रता को सीमित करने हेतु प्रायः दो प्रकार के अनुग बनाए जाते हैं—जादिक एवं वैधानिक। जादिक अनुगों के अन्तर्गत राज्य एवं व्यवसायों का, जिनमें रोजगार इतना चाहता है जादिक एवं अन्य सहायता प्रदान करता है कच्चे माल का उपलब्ध कराता है, निर्णय जादिक की सुविधाएं प्रदान करता है। इसके निरपेक्ष व व्यवसाय जिनमें रोजगार बन करने की आवश्यकता समझी जाय उनकी राज्य वाई निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान नहीं करता है। वैधानिक अनुगों में दो तरह सम्मिलित हाते हैं—प्रथम चयन व्यवसाय का चयन करने की स्वतंत्रता पर वैधानिक अनुग और द्वितीय किसी कार्य चयन नोकरों का छोड़ने अथवा स्वीकार न करने पर वैधानिक अनुग। जब किसी व्यवसाय में लोगों की आवश्यकता हो और प्रोत्साहन द्वारा उस व्यवसाय में लोग न जाते हों तो वैधानिक अनुगों द्वारा लोगों की उस व्यवसाय के रोजगार की स्वीकार कराया जाता है। ऐसी कठोर नारबारी मुझावत में ही आवश्यक होती है क्योंकि प्रत्येक कार्य की प्राथमिकता करने की आवश्यकता होती है और प्रोत्साहन विधियों में समय नष्ट नहीं किया जा सकता है।

जादिक नियोजन के अन्तर्गत वास्तव में रोजगार चयन करने की स्वतंत्रता में कृत्रिम होती है परन्तु प्रत्येक रूप में इत स्वतंत्रता को सीमाबद्ध कर दिया जाता है। नियोजित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत उन व्यवसायों के द्वारा नवीन शक्तियों की सेवा बन्द कर दिया जाता है जिनमें पहले से ही धन का जादिक होता है। इस प्रकार लोगों को इस विशेष व्यवसाय चयन कराने में रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता पर अनुग लग जाता है, परन्तु यह अनुग जादिक शक्तियों के चयन के लिए किए जाते हैं। यदि ऐसे अनुग न लगाये जायें तो सम्पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थिर निर हो जाती है। वास्तव में, नियोजित अर्थ-व्यवस्था का समय पूरा रोजगार की व्यवस्था करना होता है और नवीन रोजगार के अवसर दथे माका में उपलब्ध किए जाते हैं। इस प्रकार लोगों की रोजगार के एक बड़े समूह में चयन करने की स्वतंत्रता मिलती है। अर्थ-व्यवस्था के केवल एक बहुत छोटे क्षेत्र के लिए ही अनुग लगाये जाते हैं और रोजगारों में चयन करने के अवसरों में अत्यधिक कृत्रिम होती जाती है।

नियोजित अथ व्यवस्था में रोजगार के कार्यालयों (Employment Exchanges) को विशेष स्थान दिया जाता है। समस्त रिक्त स्थानों की इन दफ्तरी को सूचना देना अनिवार्य होता है। ऐसी परिस्थिति में रिक्त स्थानों की सूचना अधिक से अधिक लागू की मिल जाती है और वे रोजगार चयन करने के अधिकार का अधिक प्रभावशाली उपयोग कर सकते हैं। अनियोजित अथ व्यवस्था में प्रायः भय वना रहता है कि एक रोजगार छोड़ने पर दूसरे रोजगार का मिलना कठिन होता है और दीर्घ काल तक बेरोजगार रहने का अवसर आ सकता है। ऐसी परिस्थिति में कामचारी अपने पुराने रोजगार को प्रतिबन्धन दशाओं में भी अपनाय रहते हैं और अच्छे रोजगार का अवसरों का लाभ उठाने की जोखिम नहीं लें। नियोजित अथ व्यवस्था में एक-दूसरे पूरा रोजगार की व्यवस्था करने हेतु नवीन अवसर उत्पन्न किए जाते हैं तो दूसरी ओर बेरोजगारी के विरुद्ध भी प्रयास भी किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में लोगों को अच्छे रोजगार का चयन का अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं।

(घ) सामूहिक सौदे की स्वतंत्रता—नियोजित अथ व्यवस्था में श्रम संधी का काय किसी विशेष व्यवसाय के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करना ही नहीं होता है। इनके काय है—श्रमिकों का अधिक मजदूरी प्राप्त करने के स्थान पर राजता के निर्माण में सह्यता करना, श्रम की उत्पादनता बढ़ाना श्रमिकों के पारिश्रमिक को नियमित करना और यह देखना कि श्रमिकों का मजदूरी उनके काय के अनुसार मिलती है। उत्पादित वस्तु का गुण (Quality) सुधारना तथा उत्पादन लागत कम करना सामाजिक शोभा का संचालन करना, भावना के संसारे में सहयोग देना आदि। उनका समस्त काय राष्ट्रीय हित से सम्बन्धित होने है। जब श्रम संधी को यह सब काय करने का अवसर दिया जाता है तो यह कहना उचित नहीं होता कि उनकी स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया जाता है। दूसरी ओर आधुनिक युग में नियोजित अथ अनियोजित सभी अथ व्यवस्था वाले देशों में सुलह (Conciliation) एवं अनिवार्य पक्ष फसला (Compulsory Arbitration) द्वारा मजदूरों निर्धारित होती है। ऐसी परिस्थिति में सामूहिक सौदे की परम्परागत स्वतंत्रता के कोई मानी नहीं रह जाते हैं।

(ङ) साहस की स्वतंत्रता—यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं है कि नियोजित अथ व्यवस्था में निजी क्षेत्र को सवधा समाप्त कर दिया जाता है। ससार के बहुत से देशों में आर्थिक नियोजन का संचालन होते हुए भी निजी क्षेत्र काय करता है। वास्तव में नियोजित अथ व्यवस्था में निजी क्षेत्र का नियंत्रित एवं नियमित कर दिया जाता है। निजी क्षेत्र को नियमित करने की प्रथा आधुनिक युग में अनियोजित अथ व्यवस्था में भी है। पूंजीवादा अथ व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र द्वारा जनोपयोगी उद्योगों का संचालन किया जाता है। दूसरी ओर नियोजित अथ व्यवस्था में भी निजी क्षेत्र का काय करने का अवसर दिया जाता है। नियोजित

अर्थ-व्यवस्था में निजी व्यवसाय सरकारी क्षेत्र के सहायक होते हैं और उर उर सरकारी एव निजी क्षेत्र में प्रभावशाली समन्वय नहीं होता, योजना का सफल होना सम्भव नहीं होता। इस प्रकार नियोजित अर्थ-व्यवस्था एव साहस की स्वतन्त्रता साथ साथ रह तो सपनी है, परन्तु निजी साहस का निदमबद्ध व्यवसाय कर दिया जाता है।

(४) राजनीतिक स्वतन्त्रता (Political Freedom)—राजनीतिक स्वतन्त्रता व अन्तर्गत उद्धार की आवश्यकता करने का अधिकार, विरोधी दल बनाने का अधिकार जनसभापारत का उद्धार बहसत का अधिकार आदि सम्मिलित हैं। वास्तव में, इन अधिकारों का नियोजन व किसी प्रकार प्रयोग सम्भव नहीं मान्य और न इनकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति नियोजन के सफलता को प्रभावित कर सकती है। प्रायःतर हृषक एव उनके आदिनों की योजना कि नियोजन द्वारा देश में आना-गाही का प्रादुर्भाव होता है उचित प्रतीत नहीं होती। राजनीतिक आना-गाही आर्थिक नियोजन द्वारा दायम नहीं होती है और न नियोजन के सफलता हेतु आना-गाही आवश्यक ही होती है। राजनीतिक स्वतन्त्रता का अभावक योजना सफलता को नहीं पर निर्भर रहता है। यदि सरकार में आना-गाही प्रवृत्ति के लोग हों या राजनीतिक स्वतन्त्रता पर बहुत आना स्वाभाविक है। आर्थिक नियोजन का सफलता प्रजा-तान्त्रिक ढंग में ही उतना ही सम्भव हो सकता है जितना आना-गाही ढंग में। दुनियाँ कोर यह कहना भी उचित नहीं कि प्रजातान्त्रिक ढंग में आर्थिक नीति कार्यालय नहीं बनाये जा सकते हैं क्योंकि सरकार के बदलने पर पहली सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों को बह कर दिया जाता है। वास्तव में, योजना में अधिकतर कार्यक्रम आना-गाही के लिए होते हैं और विरोधी दल को सरकार बनने पर भी इन कार्यक्रमों को निरस्त करना उचित नहीं सम्भव जाता है। इनके सफलता की निश्चिन्ता भले ही दलदल कार्य परन्तु बह कार्यक्रम बदलने का उर रहे जाते हैं। आना-गाही मता-न्त्रिक मतभेद के कारण कुछ कार्य निरस्त भी किए जा सकते हैं परन्तु निरस्त करने के भय से निरोजन का सफलता न किया जाय अथवा विरोधी दल को ही उर कर दिया जाय, इन दोनों में से एक भी कार्य उचित न होता। आर्थिक नियोजन के सफलता आर्थिक नीतियों का केन्द्रीयकरण सरकार के हाथ में हो जाता है जितना उर-योग आना-गाही के लिए किया जाता है। आर्थिक नीतियों के साथ आर्थिक नीतियों का सफलता सुदृढ अनिवार्य नहीं होता है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में धन का सफल एव छोट धन के हाथ में होता है, जो देश को राजनीति का भी प्रभावित करता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में धन के केन्द्रीयकरण का उरका उरका है और धनी को राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर बन जाता है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन का राजनीतिक स्वतन्त्रता से प्रत्यक्ष रूप में किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता है।

राजकीय नियंत्रण एव व्यक्तित्व स्वतन्त्रताओं पर राजकीय प्रतिक्रिया आर्थिक

नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है परन्तु इस कथन का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि आर्थिक नियोजन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में पारस्परिक शत्रुता है और यह दोनों समाज में एक ही समय में विद्यमान नहीं रह सकते हैं। प्रजातंत्र के अन्तर्गत जब आर्थिक नियोजन का संचालन किया जाता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देश के संविधान द्वारा मायता प्राप्त हो सकती है और राज्य कृतियाँ के अर्थन करने के अधिकार को अवस्था अपने अधिकार में नहीं ले सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्य को विभिन्न व्यन्जित स्वतंत्रताओं में से उनका अर्थन करना होता है जिनके नियंत्रित किए बिना नियोजित अर्थ-व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन नहीं किया जा सकता हो। प्रजातंत्र के अन्तर्गत अर्थन करने के अधिकार को राज्य प्रत्यक्ष रूप में अपने अधिकार में नहीं लेता बल्कि छोटी छोटी विकेंद्रित संस्थाओं जैसे सहकारी संस्थाएँ स्थानीय संस्थाएँ आदि की स्थापना की जाती है और इनको सामूहिक रूप से अर्थन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। दूसरी ओर साम्यवादी नियोजित व्यवस्था में अर्थन करने की स्वतंत्रता केवल राज्य का होती है और उसके निर्देशानुसार समस्त नागरिक एवं उनकी संस्थाओं को कार्य करना होता है। इस प्रकार प्रजातंत्रिक नियोजन में अर्थन करने की स्वतंत्रता को यत्तियों से हटाकर उनके समूहों को सौंप दिया जाता है जबकि साम्यवाद में यह अधिकार राज्य में केंद्रित हो जाना है। इसी कारण नियोजित अर्थ-व्यवस्था में अधिकारों का केंद्रीकरण अवश्य होता है परन्तु साम्यवाद में यह केंद्रीकरण अधिक कठोर एवं जटिल होता है। जैसे जैसे समाज में नियोजन के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती जाय स्वतंत्रताओं पर लगे हुए प्रतिबंध धीरे धीरे कम किये जा सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नियोजित अर्थ व्यवस्था एवं अवांछनीय स्वतंत्रताओं में पारस्परिक विरोध है परन्तु आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत वास्तविक एक वांछनीय स्वतंत्रताओं की मापकता का बढान का आयोजन किया जाता है। बारबरा पूटन ने इसी कारण कहा है कि स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए हम विद्वान् सक्षम एवं सूचित (Informed) होना चाहिए जिससे हम अपनी स्वतंत्रताओं को सम्बन्ध में जानकार रहें और उनकी माँग अपने एक समाज के अर्थ व्यवस्था के लिए कर सकें। वास्तव में जनसमुदाय की सतकता एवं बुद्धिमत्ता पर ही समाज की स्वतंत्रताएँ निर्भर रहती हैं।

वास्तव में आर्थिक नियोजन द्वारा समाज को वकारी बीमारी निरन्तरता विषमता एवं इच्छा से स्वतंत्र कर दिया जाता है जिससे ऐसे विषमताग्रस्त समाज की स्थापना होती है जिसमें इन वास्तविक स्वतंत्रताओं का आयोजन होता है। आर्थिक नियोजन द्वारा आर्थिक सुरक्षा का आयोजन किया जाता है जो वास्तविक स्वतंत्रताओं का मूलोपाय होती है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन व्यक्ति की कुछ स्वतंत्रताओं का प्रतिबंधित करता और दूसरी ओर कुछ अर्थ स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है। प्रायः प्राप्त होने वाली स्वतंत्रताएँ नहीं अधिक एवं वास्तविक होता है।

परन्तु स्वतन्त्रताका वा घट लाभ कुछ मूलभूत मापलाओं पर निर्भर रहना है। यदि अधिब नियाजन का मन्थालन वाग्ध, ईमानदार एवं उचित व्यक्तियों द्वारा किया जाना है जो सामाजिक बन्धन के नश्य की उपलब्धि व सिध ईमानदारी एवं उद्यमता के साथ प्रयत्नशील रहना जनसाधारण वा जिन स्वतन्त्रताओं का खाना पढगा उनम वही अधिब वास्तविक स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हांगी। इसी प्रकार जनसाधारण में जितनी अधिब जागरूकता समझदारी एवं अपनी स्वतन्त्रताका प्रभावकारी ढंग से माँगन की वाग्धना हांगी, उतनी ही अधिब स्वतन्त्रताएँ जाधिब नियाजन व अन्तगन उह प्राप्त हु। सकेंगी।

नियोजन के सिद्धान्त एवं परिमीमाएँ तथा
 प्रो० हेयक के विचारों की आलोचना
 [Principles and Limitations of Planning and
 Criticism of Prof Hayek's Views]

[नियोजन के सिद्धान्त—राजकीय नियंत्रण की सीमा, साधनों का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग सविधान द्वारा निर्धारित राज्य के दत्त व्ययों की पूर्ति, अधिकतम जन समुदाय का अधिकतम करवाण, प्राथमिकताओं के आधार पर प्रगति व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित में समन्वय, राष्ट्रीय सस्टैनि की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं समानता वित्त विनियोजन, राजगार एवं उत्पादन में समन्वय, आर्थिक उच्चावचना से बचाव, समृद्धि एवं सावभौमिक विकास आर्थिक एवं सामाजिक करवाण में समन्वय—नियोजित अर्थ व्यवस्था की परिमीमाएँ—विधान का शासन नहीं रहता, उपभोक्ता एवं पेशे की स्वतंत्रता की समाप्ति तानाशाही का प्रादुर्भाव निजी साहस एवं हित का विनाश, नियोजन के अन्तगत बुरे लोगों के हाथ में सत्ता नियोजन दासता का माग बहुदल अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तों का अर्थ मान्यता, वर्तमान पीढ़ी में अस्तित्व नवीन तान्त्रिकताओं में अपमान बुद्धिमान एवं लालफीताशाही, राजनीतिक परिवर्तन का भय, अप्राकृतिक नियंत्रणों में त्रुटि प्राकृतिक परिस्थितियों की अनिश्चितता कृषि क्षेत्र का विनाश असम्भावित, विदेशी सहायता का अभाव, मुद्रा स्फीति का भय]

नियोजन के सिद्धान्त

नियोजित अर्थ व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य अर्थ व्यवस्था को निर्धारित गतिविधि के साथ पूर्व निर्दिष्ट मार्गों से लेकर विकास को ओर अग्रसर करना होता है। यद्यपि नियोजित अर्थ व्यवस्था की वाय प्रणाली देश की राजनीतिक विचारधाराओं एवं आर्थिक ढाँचे पर निर्भर रहती है परन्तु यह वाय प्रणाली कुछ सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित हानी है। नियोजन के उद्देश्यों के आधार पर इन सिद्धान्तों का अस्तित्व प्रत्येक प्रकार के नियोजन में पाया जाता है। आधुनिक युग में आर्थिक नियोजन का उपयोग राष्ट्रीय उत्पादन में त्रुटि एवं अर्थिक व सामाजिक समानता उत्पन्न करने

के लिए दिया जाता है और प्रायः नियोजित अर्थ-व्यवस्था का प्रादुर्भाव पूँजीवाद के पदम्वरूप होता है और वहीलिए नियोजित अर्थ-व्यवस्था में पूँजीवाद के दावों का दूर करना एक आवश्यक मिश्रण माना जाता है। अधिनायकवादी नियोजन (Fascist Planning) तथा साम्यवादी नियोजन में विद्वान्मय स यह मान लिया जाता है कि दवा व विकास के लिए दण का सैनिक दृष्टिकोण से अत्यन्त गतिशीली बनाया आवश्यक है। अधिनायकवादी नियोजन और आधुनिक बाल में ता चीनी साम्यवादी में भी देश की सीमाओं को शक्ति द्वारा बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। इसी कारण नियोजन के सिद्धान्तों में राष्ट्रीय सुरक्षा एक सैनिक शक्ति का अधिक महत्व दिया जाता है। नियोजित अर्थ व्यवस्था में विकास कार्यक्रम निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित हान है।

(१) राजकीय नियोजन की सीमा—नियोजन व कार्यक्रम निर्धारित करने के पूर्व राजकीय नियोजन की सीमा निर्धारित कर लेना आवश्यक है क्योंकि इसका आधार पर साधनों की उपलब्ध उपभोग की मात्रा, उत्पादन के लक्ष्य, आयोजन एवं निर्धारित आदि सभी बातों का पूर्व-निर्देश किया जा सकता है। प्रजातन्त्रिक व्यवस्था में राजकीय नियोजन बंधन रूप धारण नहीं कर सकता है और इस कारण यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि राज्य का नियोजन किन किन आर्थिक क्रियाओं पर किस सीमा तक होगा। नियोजन के आधार पर ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का निर्धारण भी सम्भव होता है।

(२) साधनों का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग (Proper and Rational Utilization of Resources)—नियोजन द्वारा ऐसी व्यवस्था का गठन किया जाय जिससे राष्ट्र के साधनों, वस्तुमान तथा सम्भावित, का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके। जब तक राष्ट्र के साधनों का सुनिश्चित उद्देश्यों के आधार पर उपयोग नहीं किया जाता नियोजन को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। एक ओर सम्भाव्य साधनों का उपयोग किया जाय तथा दूसरी ओर वस्तुमान उत्पादन के साधनों के उपयोग में आवश्यक समायोजन किया जाय, जिससे दमका उत्पाद उत्पादन के उस क्षेत्र से हटाकर जिनकी नियोजन अधिकारों में महत्व नहीं दिया है ऐसे क्षेत्र में किया जाय जिन्हें नियोजन-कार्यक्रमों में स्थान प्राप्त है। साधनों की कमी होने पर उनका उपयोग विवेकपूर्ण हाना चाहिए अर्थात् उनका द्वारा उत्पादन के साधनों को बढ़ावा देने में पूँजी निमाग करने और विनियोजन बढ़ाने में सहायता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ, उत्पादन व साधनों की उपलब्ध के क्षेत्र से हटाकर विनियोजन के क्षेत्र में लाना आवश्यक होता है। नियोजित अर्थ व्यवस्था का गठन इस प्रकार किया जाय कि उत्पादन के साधनों का अत्यन्त मिश्रणपूर्ण उपयोग करके अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। दण में उत्पन्न उत्पादन व समस्त साधनों, जिनमें थम भी सम्मिलित है, का अधिकतम उत्पादन एवं उपयोगी उपयोग

होना चाहिए। जब तक देश में विद्यमान एवं सम्भाव्य समस्त उत्पादन के साधनों का उपयोग नहीं किया जायगा अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। उत्पादन के समस्त साधनों का विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इस प्रकार सम्मिलित (Combine) करना चाहिए कि उनसे अधिकतम लाभ राष्ट्र को प्राप्त हो सक। इस प्रकार एक ओर विद्यमान साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग तथा दूसरी ओर सम्भावित साधनों की खोज करना नियोजन का सिद्धान्त है।

(३) देश के सविधान द्वारा निर्धारित राज्य में कृत्यों की पूर्ति—प्रत्येक राष्ट्र में सविधान द्वारा राज्य का कृत्य यद्वा है कि देश में किस प्रकार के समाज की स्थापना करे और कबो कभी राज्य की आर्थिक नीति का समावेश देश के सविधान में पाया जाता है। उदाहरणार्थ भारत में राज्य का कृत्य यद्वा है कि समस्त जनसमुदाय को पौष्टिक भोजन रोजगार एवं सामाजिक समानता का आयाजन करे और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने देश में प्रजातान्त्रिक समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य अपने सम्मुख रखा है। निर्गमित अथ स्थवस्था को सविधान द्वारा निर्धारित राज्य के कृत्य यद्वा की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है और अथ-व्यवस्था पर नियंत्रण करके उसका इस प्रकार संचालन करना होता है कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। वास्तव में सविधान में जो जनसमुदाय को सुरक्षा प्रदान किये जाते हैं उनके आधार पर नियोजन के कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं।

(४) अधिकतम जनसमुदाय का अधिकतम कल्याण—नियोजित अथ-व्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक समानता सामाजिक पाय एवं सामाजिक सुरक्षा का आयाजन करना आवश्यक समझा जाता है। आर्थिक नियोजन एक ओर राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि का आयाजन करता है और दूसरी ओर राष्ट्रीय आय का वितरण में समानता लाने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। साम्यवादी समाजवादी एवं प्रजातान्त्रिक नियोजन में दलित वर्गों जो अपने आप में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग होता है वे जीवन-स्तर में सुधार करने के आयोगन किये जाते हैं। यह कहना उचित न होगा कि आर्थिक नियोजन सिद्धांतदृष्ट से समस्त जनसमुदाय के कल्याण की क्रिया है क्योंकि पूँजीपति का आर्थिक समानता का कार्यक्रमों से हाथि हानी है और साम्यवादी नियोजन में तो पूँजीपति का अधिकतम परिवर्तन कर दिया जाता है परन्तु यह सचता सत्य है कि नियोजन द्वारा अधिकतम जनसमुदाय के अधिकतम कल्याण का आयाजन किया जाता है।

(५) प्राथमिकताओं के आकार पर प्रगति—आर्थिक नियोजन द्वारा देश की समस्त सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का निवारण करने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु बद्ध विकसित राष्ट्रों में समस्या अधिक और साधन कम होते हैं इस कारण समस्त समस्याओं का निवारण एक ही समय में सम्भव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न समस्याओं का महत्व के अनुसार प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाती हैं और

विभिन्न क्षेत्रों का विकास कायप्रम ऐसी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यद्यपि आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय जीवन के समस्त आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों पर व्यापकता से फैला है परन्तु यह क्रिया माघनों का दृष्टिगत करने हुए पूर्ण निश्चित प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित होती है।

(६) व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित में समन्वय—आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक मत्ताओं का केंद्रीकरण राज्य के हाथों में होना स्वाभाविक होता है और राज्य समस्त दृष्टिगत करने हुए कायप्रम निर्धारित करता है। ऐसी परिस्थिति में सामाजिक हित का व्यक्तिगत हित की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रायः यह निश्चय स्वीकार किया जाता है कि सामाजिक हित से व्यक्तिगत हित होता है अतः इसी कारणवश प्रायः व्यक्तिगत लाभ हेतु क्रियाओं का नियमित किया जाता है। साम्यवादो नियोजन में ना व्यक्तिगत हित सामाजिक हित के सबंध में अग्रणी होता है परन्तु अर्थ प्रकार की नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सामाजिक एवं व्यक्तिगत हित में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है।

(७) राष्ट्रीय सुरक्षा, सम्यक्ता एवं परम्पराओं को सुरक्षित रखना—नियोजित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत दृष्टिगत करने की मसूहनि को बनाये रखने एवं प्राप्ताह देने के लिए आवश्यक आयोजन किया जाता है। इसके अन्तर्गत परम्परागत कलाओं ऐतिहासिक एवं धार्मिक भवनों प्राचीन साहित्य आदि को सुरक्षित रखने एवं उत्तमोत्तम करने के लिए नियोजन में व्यवस्था की जाती है। निश्चय रूप से यह माना जाता है कि नियोजित अर्थ व्यवस्था देश की सम्यक्ता को बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण होती चाहिए।

(८) राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security)—जब तक राष्ट्र में सुरक्षा की भावना न हो, कोई भी नियोजन-कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता। योजना के दीर्घकालीन कार्यक्रमों के संचालनार्थ राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता होती है और राजनीतिक स्थिरता सभी सम्भव है, जब राष्ट्र का पड़ोसी राष्ट्रा की ओर से आक्रमण आदि का भय न हो। नियोजन द्वारा राष्ट्र को आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाया जाता है किन्तु यह स्थिरता राष्ट्रीय सुरक्षा की अनुपस्थिति में अक्षयकालीन हो सकती है। यदि राष्ट्र की अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सधर्मों का अधिक भाग व्यय करना पड़े तो आर्थिक विश्राम की पर्याप्त सम्भव उपलब्ध होना असम्भव है। नियोजन की सफलता के लिए राष्ट्र का इतना शक्तिशाली बनाना अनिवार्य है कि जब दूसरे राष्ट्रों से किसी प्रकार का भय न हो। १९वीं शताब्दी में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए साय-सामग्री का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि वही देश युद्ध में सफल होता था जो अपनी सेना को पर्याप्त साय-सामग्री अधिक मात्रा में प्रदान कर सकता था परन्तु आधुनिक युग में मात्र उद्योग धान्यागत एवं संचार तथा संचिज का महत्त्व अधिक हो गया है। आज के युद्ध में अनुपलब्ध नहीं प्रयुक्त अस्त्र मात्र अधिक महत्वपूर्ण हैं अतः आज वही देश युद्ध विजयी है जिसका पास

संगठित उद्योग साहा एव इस्पात का पर्याप्त उत्पादन तथा शक्ति के साधनों—कोयला पट्टालियम तथा विद्युत शक्ति की पर्याप्त एव सुगम उपलब्धि है। इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नियोजन द्वारा राष्ट्र के उद्योगों को क्षतिग्रामी मुसगठित एव पर्याप्त बनाना आवश्यक है।

नियोजित अथ व्यवस्था के राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत का ज्वलंत उदाहरण भारतीय तृतीय योजना को चीनी एव पाकिस्तानी आक्रमण के पश्चात् सुरक्षा सम्बन्धी पुनर्दना है।

(६) सामाजिक सुरक्षा एव समानता—नियोजित अथ व्यवस्था से देश में आय एव धन के समान वितरण की व्यवस्था का जाती है और आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए प्रभावशाली कार्यक्रमों की जाती हैं। अक्सर की समानता के लिए समस्त जनसमुदाय को उनकी योग्यता एव क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण एव शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है।

(१०) वित्त, विनियोजन, रोजगार एव उत्पादन में समन्वय—नियोजित अथ व्यवस्था में आन्तरिक अथ सामना को बढान एव सक्रिय बनाने के लिए उचित एव समन्वित वित्तीय एव भौतिक नीतियों का संचालन किया जाता है और इन साधनों को धार्ष्टित क्षेत्रों में इस प्रकार विनियोजित किया जाता है कि रोजगार में वृद्धि होने के साथ उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रहे। ऐसी वित्तीय सस्थाओं की स्थापना की जाती है जो विनियोजकों तथा विनियोजन प्राप्त करने वाली सस्थाओं में सम्बन्ध स्थापित कर सकें।

(११) आर्थिक उच्चावचानों से बचाव—नियोजित अथ व्यवस्था में सरकार देश का आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय भाग लेती है और नियोजन अधिकारी अथ-व्यवस्था को आर्थिक उच्चावचानों से बचाने के लिए निरंतर सतक रहता है और आवश्यकता पडने पर सरकार द्वारा इन उच्चावचानों के गम्भीर स्थिति ग्रहण करने के पूर्य देश-न्यायी उचित कार्यक्रमों की जाती हैं। ये कार्यक्रमों इसलिए अधिक प्रभावशाली होती हैं कि समस्त देश को एक आर्थिक इकाई मानकर आर्थिक समायोजन किए जाते हैं तथा अथ व्यवस्था को अपने आप समायोजित होने के लिए मुक्त नहीं छोड़ दिया जाता है।

(१२) समन्वित एव सामाजिक विकास—नियोजित व्यवस्था के अंतर्गत जनसाधारण के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। अथ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के समन्वित विकास का समायोजन किया जाता है और इस प्रकार किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा नहीं छोड़ा जाता है। आर्थिक क्रियाओं का जान बूझ कर इस प्रकार संचालन किया जाता है कि एक आर्थिक क्रिया दूसरी आर्थिक क्रिया के लिए विनाशकारी सिद्ध न हो और विभिन्न आर्थिक क्रियाएँ एक दूसरे की पूरक एव सहायक रहें।

(१३) आदिज एक सामाजिक कल्याण में समन्वय—निर्वाचित अर्थ-व्यवस्था का अन्तिम उच्च आदिज प्राप्ति के स्थान पर सामाजिक कल्याण हाता है और आदिज प्रगति सामाजिक कल्याण का एक साधनमात्र समझे जाते हैं। इसलिए आदिज प्राप्ति द्वारा जिन दावों एवं सामाजिक कल्याणियों का प्राप्ति हाता है उन्हें पूरा करने का साधन विद्या जाता है। अर्थ-व्यवस्था—यम-नीति राज्याय की सुरक्षा, व्याप्य की सुरक्षा, अन्वि निवास-नृत्तों की व्यवस्था जोडागित अर्थों में दबाव आदि का साधन करने सामाजिक दावों का पूरा किया जाता है।

निर्वाचित अर्थ-व्यवस्था की परिनीमाएँ एवं प्रा० हेरक के विचारों का जांचना-मय अध्ययन

निर्वाचित अर्थ-व्यवस्था की परिनीमाएँ

निर्वाचन की परिनीमाओं पर विचार करने समय हमें प्रायः हीरक की प्रतिष्ठ पुस्तक 'सांगत का मार्ग' (Road of Serfdom) में प्रकट किए विचारों का जांचना-मय अध्ययन करना चाहिए। यह पुस्तक सन् १९४४ में प्रकाशित का गयी, जबकि आदिज प्रगति द्वारा आदिज निर्वाचन उ आदर्श-व्यवस्था प्राप्ति करने समय समय के अर्थ-व्यवस्था का निर्वाचित अर्थ-व्यवस्था के पुत्र दावों एवं अर्थ-व्यवस्था के अर्थ-व्यवस्था में विचार करने के लिए विद्यमान विद्या। प्रा० हेरक के विचारों का अर्थ-व्यवस्था हेर्मान फायनर (Herman Finer) ने अपनी पुस्तक, Road to Reaction अर्थात् 'प्रतिष्ठित का मार्ग' द्वारा तथा प्रो० डारबिन (Darbin) ने अर्थ-व्यवस्था Problems of Economic Planning अर्थात् आदिज निर्वाचन की समस्याएँ' द्वारा किया। प्रा० हेरक के विचारों की विवेचना निम्न प्रकार की जा सकती है।

(१) विद्या का साधन नहीं रहता—प्रो० हेरक ने इस विचार का कि निर्वाचित अर्थ-व्यवस्था के अन्तगत विद्या का साधन नहीं हो सकता अर्थ-व्यवस्था हेर्मान फायनर (Herman Finer) द्वारा किया गया। प्रो० हेरक के अनुसार विद्या का साधन उच्च समन्वय चाहिए जब समय विद्या पूरा निर्वाचित नियमों के अनुसार किए जायें और सरकार को इन नियमों को अर्थ-व्यवस्था करने के लिए अर्थ-व्यवस्था की अनुमति देनी चाहिए। निर्वाचित अर्थ-व्यवस्था न आदिज निर्वाचन करने के अर्थ-व्यवस्था निर्वाचन अर्थ-व्यवस्था का लिए जाते हैं, जो अर्थ-व्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार आदिज नियमों में हेर फेर करता रहता है। जिनो विद्या समय पर विद्या परिस्थितियों के अनुसार आदिज निर्वाचन का निर्वाचित किया जाता है। आदिज निर्वाचनों को इस प्रकार निर्वाचन बदलते रहता रहता है जो प्रतिनिधि योजना द्वारा नहीं किया जाता है। यह परिस्थान जांच-सूचना नियम अर्थ-व्यवस्था द्वारा लिए जाते हैं जिनसे विद्या के अनुसार साधन अर्थ-व्यवस्था ही ही नहीं सकता। इस प्रकार इस अर्थ-व्यवस्था को अर्थ-व्यवस्था निर्वाचन के अर्थ-व्यवस्था का अर्थ-व्यवस्था मिल जाता है जिनके अर्थ-व्यवस्था विद्या के साधन को उच्च रहती है। प्रो० हेरक ने निर्वाचित अर्थ-व्यवस्था का अर्थ-व्यवस्था

के प्रायः अथ व्यवस्था के अन्तर्गत सम्भव समझा या जिसमें समझ निम्न कुछ गिन-चुन अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं परन्तु आधिकारिक नियामक प्रजातन्त्रिक अथ व्यवस्था में भाग संचालित का जाना है निम्नमें निम्न जनसाधारण का अनुमति द्वारा किए जाते हैं और नियम एवं अधिनियम का बनाना एवं सुधारना जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। आधिकारिक नियामक संचालनायक यह अनिवाद्य नहीं होता कि राजनायक द्वारा नियमित नवत का अनिवाद्य रूप से दबाकर द्वारा लागू किया जाय और जनसाधारण का आधिकारिक स्वतंत्रता का संवदा प्रतिबंधित कर लिया जाय। प्रा० ह्यक का यह विचार कि नियमित अथ व्यवस्था द्वारा नामक एवं अधिकार का अधिकतम संचालन किया जाता है उचित नहीं है। वास्तव में नियोजन के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रयत्न को इस प्रकार सशक्ति समर्थित एवं सुशासित किया जाता है कि जनसाधारण का अधिकतम हित हासिल हो। इस कार्य के लिए विभिन्न राजनायक विधियाँ का उपयोग किया जा सकता है। यह एक के सत्तात्मक राजनायक दल पर निर्भर रहता है कि वह सत्ताग्राही जयवा प्रजातान्त्रिक विधियाँ में से किसे का उपयोग करता है।

(२) उपरोक्त एवं देगे का स्वतंत्रता की समाप्ति—प्रा० ह्यक का विचार है कि नियमित अथ व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्त का अपना इच्छानुसार उपयोग तथा जनसाधारण का अपना इच्छानुसार पण जयवा प्रयत्न चलाने की स्वतंत्रता नहीं रहना है और वास्तविक अधिकार केवल वस्तुओं के उत्पादन का अनुमति देना है कि वह उचित समझता है और उसके द्वारा नियमित उत्पादन के मन्त्र का संचालित करने हेतु जनसाधारण का अपने पण एवं व्यवसाय चुनने पड़ते हैं। प्रा० ह्यक का यह विचार कुछ सामान्य तक सत्य है परन्तु इस सम्बन्ध में इतना कठोरता नहीं अपनायी जाना है कि जनसाधारण का अधिकतम महसूस हो। वास्तव में नियमित अथ व्यवस्था में विवेकपूर्ण विचारधारा एवं जनसाधारण की सुविधाओं को ध्यान में रखकर नियम किए जाते हैं क्योंकि विधान का कोई भी उचित जनसहयोग की अनुपस्थिति में अतिरिक्त समय तक सफलतापूर्वक संचालित नहीं की जा सकता है। नियम के अन्तर्गत केवल अवांछित विधायक उपभाग एवं उत्पादन का प्रतिबंधित एवं नियमित किया जाता है। अनियोजित अथ व्यवस्था द्वारा प्रदान की गया उपभाग का स्वतंत्रता केवल उन्हीं लोगों के लिए वास्तविक है जिनके पास पर्याप्त जय-शक्ति होती है अर्थात् केवल धनी-व्यय ही इस स्वतंत्रता का वास्तविक उपयोग कर सकता है। दूसरी ओर नियमित अथ व्यवस्था में निम्न वय का सम्पन्न बनाने के लिए कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जिनके फलस्वरूप उनका जय-शक्ति एवं जीवन-स्तर में वृद्धि होती है और यह वय उन वस्तुओं का उपयोग कर पाता है जो उन अनियोजित अथ व्यवस्था में निम्नता के कारण उपलब्ध नहीं होता है।

प्रा० ह्यक का विचार है कि नियमित अथ व्यवस्था में श्रुत्य का तात्पर्यता

का स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाता है जिससे पत्र-सम्बन्धन उपमाना एवं उत्पादन दोनों की स्तन-पना सनाए हो जाती है। वास्तव में नियोजित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य की तात्कालिकताओं का धुना छूट नहीं दी जाती है। उसको इस प्रकार नियमित एवं नियंत्रित किया जाता है कि अर्थ-व्यवस्था में गोपनी के तब को हटाना या मके और समान राष्ट्र के आर्थिक हितों के लिए उचित आवश्यकताओं को आ सके। कुछ सीमा तक हमें प्रो० ह्यक को इस बात से महत्त हाना पड़ेगा कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत उपमानाओं एवं उत्पादकों को व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं को सीमित कर दिया जाता है परन्तु य सोनाएँ राष्ट्रिय हित के लिए जानी जाती हैं इसलिए इनका अतिवैक्य रूप एवं तानाशाही वापवाही किसी प्रकार नहीं कटा जा सकता है। अर्थ-व्यवस्था के छोट से सम्पन्न वा की स्वतन्त्रताओं का सीमित करने बहुत बड़े निधन-वा के आर्थिक कल्याण का आधान नियोजित अर्थ-व्यवस्था में किया जाता है।

प्रो० ह्यक ने यह विचार भी व्यक्त किया कि नियोजन द्वारा व्यक्तिगत बरिद (Individual's Moral Power) में भी कमी हानी है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधन समाज के अधिकार में हान है और इनका उपयोग एवं ही धारणा के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार समस्त नियम एवं सामाजिक एवं सामूहिक विचारधारा के अनुसार किए जाते हैं जिससे पत्र-सम्बन्धन व्यक्ति या यह नियम करने का अधिकार कि 'नया करना चाहिए' और 'क्या नहीं करना चाहिए' प्राप्त नहीं होता। अन्तर्गत व्यक्ति की चारित्रिक गति का विनाश होने लगता है। प्रो० ह्यक का यह विचार भी 'सायबुगत नहीं है क्योंकि प्रजातांत्रिक समाजवाद के अन्तर्गत नियोजन का संचालन करते समय व्यक्तिगत नियमों पर इतना अधिक कठोर नियंत्रण नहीं किया जाता है। आर्थिक नियमों के क्षेत्र के बाहर भी व्यक्ति का बहुत से अर्थ निगम करने होते हैं जिससे उसको नियम करने की गति को क्षति पहुँचाना आवश्यक नहीं है।

(३) तानाशाही को जन्म मिलता है—प्रो० ह्यक का विचार है कि नियोजन का सफल संचालन केवल तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था में ही सकता है। दूसरे नारण उल्लास अधिकारों नियोजन के संचालनार्थ धीरे धीरे तानाशाही बन बटते हैं और जनसाधारण के हित के स्थान पर उनका न्दृश्य अपनी व्यक्तिगत सना एवं हितों का पोषण करना भर रह जाता है। प्रो० ह्यक का सम्भवतः इस उक्त से यह सान्य है कि राज्य को पहले से ही राजनीतिक सना का केन्द्र होता है और जब उसे आर्थिक सत्ताओं का भी केन्द्र बना दिया जाता है तो वह इतना शक्तिशाली बन जाता है कि उसने सर्वोच्च अधिकारों पर अष्ट होकर तानाशाही प्रवृत्तियों के विकार बन जाते हैं। प्रो० ह्यक का यह विचार काफी सत्यपूर्ण प्रतीत होता है परन्तु इसमें नियोजित अर्थ-व्यवस्था का बापूरा उठराना 'याथाचित नहीं होगा क्योंकि नियोजित अर्थ-व्यवस्था तो एक साधन अथवा तांत्रिकताभाव है जिससे उपयोग से अन्धे एवं दुर्गे

दोना ही प्रकार के उद्देश्या की पूर्ति हो सकती है। वास्तव में जब प्रजातन्त्र व जन-गत नियोजन का संचालन किया जाता है तो सत्ताशा के विकेंद्रीकरण की विशेष महत्व प्रदान किया जाता है और छोटा-टोटा प्रजातान्त्रिक संस्थाओं का स्थापना की जाती है, जो नियोजित कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग देती है। इस प्रकार सत्ताओं के विकेंद्रीकरण द्वारा तानाशाही प्रवृत्तियाँ नियोजित अर्थ-व्यवस्था के संचालित रहने हुए भी पनपने नहीं पाती हैं।

प्रो० हेयक ने वास्तव में नियोजन के अनगत पूर्णतः समाजवादी व्यवस्था की स्थापना को अनिवाय माना है। उन्होंने मिश्रित अर्थ व्यवस्था की विचारधारा पर कोई ध्यान नहीं दिया। आधुनिक युग में मिश्रित अर्थ व्यवस्था व अनगत व्यवस्था का संचालन किया जाता है तो 'यत्किंत अर्थ को सच्चा प्रतिस्पर्धित नहीं किया जाता है तथा 'यत्किंत अधिक स्वतंत्रताओं को कुछ सीमा तक जीवित रखा जाता है। इस प्रकार नियोजन द्वारा तानाशाही का उदय होना आवश्यक नहीं है।

(४) निजी साहस एवं हित का विनाश—प्रो० हेयक के विचार में केवल दो प्रकार की अर्थ व्यवस्थाओं का आभास मिलता है—प्रतियोगितापूर्ण अथवा निजा अर्थ व्यवस्था एवं समाजवादी अर्थ व्यवस्था। उनके अनुसार समाजवादी अर्थ व्यवस्था में समस्त आर्थिक साधन राज्य के हाथ में होते हैं जो सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है परन्तु आधुनिक काल में बड़े-बड़े समाजवाद अथवा राजकीय समाजवाद के स्थान पर प्रजातान्त्रिक समाजवाद को अधिक मात्रा प्रदान का जाती है जिसके अंतर्गत सरकार, निजी सत्कारा एवं मिश्रित सभी क्षेत्रों के विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाते हैं। इस कारण मिश्रित अर्थ व्यवस्था को आधुनिक काल में अधिक सफल एवं प्रभावशाली समझा जाता है। दूसरी ओर प्रो० हेयक द्वारा जिस पूर्ण प्रतियोगितापूर्ण अर्थ व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है वह स्वतंत्रता प्रदीपकारी अर्थ व्यवस्था आधुनिक युग में किसी भी देश में नहीं पायी जाती है। संयुक्त राज्य अमरीका प्रतियोगिता अर्थ व्यवस्था का आदर्श आदान माना जाता है परन्तु इस राष्ट्र में भी सरकार द्वारा अर्थ व्यवस्था में समय-समय पर हस्तक्षेप किया जाता है जिससे पूंजीवाद के दापी एकाधिकार धन के असमान वितरण सामाजिक भेद भाव एवं 'पारंपरिक कुरीतियों का नियंत्रित एवं प्रतिबंधित किया जा सके। इस प्रकार प्रो० हेयक की केवल दो अर्थ व्यवस्थाओं की विचारधारा तकसमत प्रतीत नहीं होती है।

प्रो० हेयक के अनुसार 'हमारी पीढ़ी ने यह भुना दिया है कि निजी सम्पत्ति की पद्धति केवल उन्हीं लोगों को स्वतंत्रता का आश्वासन प्रदान नहीं करता है जिनके अधिकार में सम्पत्ति है बल्कि उनको भी जिनके पास सम्पत्ति नहीं है उपायन व साधन वृद्धि से लोगो में वितरित हानि के कारण ही किसी भा एक व्यक्ति का हमारे उपर सम्पूर्ण नियंत्रण धरने का अधिकार नहीं होता। प्रो० हेयक का यह विचार तब ही भा व समझा जा सकता है जब हम यत्किंत अधिकार को मायता दते हैं। जब

उत्पादन के माध्यम एवं व्यक्ति के स्थान पर समस्त समाज के अधिकार में लिये जाते हैं ता स्वतंत्रता व बिनाश का भय उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं रहता है।

(५) नियोजन के अन्तर्गत बुरे लोगों के हाथ में शक्ति पहुँचती है—आर्थिक नियोजन द्वारा जिन लोगों के हाथों में शक्ति का केन्द्रीयकरण हुआ है उनके बुरे आदमियों का प्रादुर्भाव होता है। व अन्तःसाम्राज्य का केन्द्रों में रखकर उन पर टुंग करने लगते हैं। यह कर्म सरकारी अज्ञान के रूप में कार्य करता है। हेनक के विचार में नियोजन द्वारा अति निर्दोष (Militar Regimentation) का प्रादुर्भाव हुआ है क्योंकि नियोजन का एक ही अज्ञान (Conscious) रूप होता है। जिन प्रकार युद्ध में युद्ध पर विजय पाना एकमात्र उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सैनिकों का संगठन व आदमियों का अन्तर्गत पालन करना आवश्यक होता है उसी प्रकार जब नियोजन व द्वारा अन्तःसाम्राज्य का पूरा नियोजन एक ही उद्देश्य की द्वाारा संचालित किया जाता है जो अन्तःसाम्राज्य का नियोजन अधिकारियों के निर्देशों का अन्तर्गत पालन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार नियोजन द्वारा अन्तःसाम्राज्यी एवं अन्तःसाम्राज्यी का उदय अत्यन्त स्वभाविक होगा। वास्तव में हेनक के इन विचारों का आधार एक ही अर्थनी में आर्थिक नियोजन की संचालन विधि थी। एक में नियोजन के प्रारम्भिक कार्य में अज्ञान व अज्ञान सैनिक दबाव द्वारा आर्थिक नीतियों का संचालन किया गया। परन्तु नियोजन के अन्य लोगों के अर्थनी में यह स्पष्ट है कि नियोजन द्वारा अन्तःसाम्राज्यी का प्रादुर्भाव हुआ आवश्यक नहीं है।

(६) नियोजन साम्राज्य का भाग है—श्री० हेनक के विचार में मुक्त व्यवस्था की व्यवस्था में यदि कोई हर कदम बिना गया तो आर्थिक नियोजन का उदय हुआ जाता आवश्यक होगा अर्थात् आर्थिक नियोजन का विवेक एवं विज्ञान के उपयोग में यदि सुधारों का प्रयास किया जाय तो आर्थिक नियोजन का प्रादुर्भाव होगा जो यह आर्थिक नियोजन साम्राज्य की जन्म देता है। हेनक के विचार में मुक्त व्यवस्था (Free Enterprise) पद्धति की सर्वोत्तम महत्त्व दिया जाना चाहिए और उन्हें नियंत्रित नो दाय होने हुए भी यदि उनमें कोई नियंत्रण अथवा नियंत्रण किया गया या दबाव का प्रादुर्भाव होगा स्वभाविक होगा। आर्थिक नियोजन का अन्तर्गत विवेक एवं विज्ञान ही है और नियोजन का उपयोग न करने का अर्थ यह ही है कि सामाजिक क्षेत्र में विवेक एवं विज्ञान का उपयोग न किया जाय। मुक्त व्यवस्था पद्धति के अन्तर्गत उत्पादन एवं अर्थ के समान प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं होता है कि उनकी क्रियाओं का क्या फल होगा। दूसरी ओर आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत समस्त उद्योग व्यवस्थाओं का सर्वोत्तम करके समस्त अन्तःसाम्राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन में अन्तर्गत और अन्तर्गत दोनों की जानकारी रखनी है और अन्तर्गत निर्दोष अन्तःसाम्राज्य की आवश्यकता (Conscious) अन्तःसाम्राज्यी बना जाता है। प्रा० हेनक का यह विचार अन्तर्गत अन्तर्गत

भी उचित नहाना प्रतीत होता कि आर्थिक क्रियाओं के सगठन के लिए कारण एवं प्रभाव की जानकारी का उपयोग न किया जाय।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रो० हेयक द्वारा प्रकट किए गये विचार पूर्णतः सत्य नहीं हैं परन्तु उनमें द्वारा नियोजित अर्थ की आलोचनाएँ, नियोजित अर्थ व्यवस्था की परिसीमाओं का ओर अवश्य मन्केत करती हैं। इन परिसीमाओं के अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रों के नियोजन के संचालन द्वारा प्राप्त अनुभवों के आधार पर नियोजन की निम्न परिसीमाएँ और जिनकी जा सकती है—

(१) पृष्ठक अर्थशास्त्रीय (Macro Economics) सिद्धान्तों की अधिक मायता—नियोजित अर्थ व्यवस्था में नियोजन अधिकारों द्वारा नियमित अर्थ-व्यवस्था में एक इकाई मान कर लिए जाते हैं और व्यक्ति एवं व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक हित को द्वितीयक स्थान प्राप्त होता है। यह मान लिया जाता है कि समस्त अर्थ व्यवस्था इन परिवर्तित एवं व्यक्तिगत इकाइयों से बनी है और जब समस्त समूह का विकास होता है तो उसके पृष्ठक पृष्ठक भागों का विकास स्वाभाविक ही है परन्तु अनुभवों से ज्ञान होता है कि विकास कायदाओं का लाभ अर्थ-व्यवस्था के समस्त भागों को समान रूप में प्राप्त नहीं होता है और सम्पन्न क्षेत्रों के साथ विधन एवं आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिये बने रहते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था के वृद्धि अर्थ-शास्त्रीय सिद्धान्तों के फलस्वरूप उन क्षेत्रों में जिनमें विकास का लाभ प्राप्त नहीं होता उसकाप की भावना जाग्रत होती है।

(२) वर्तमान पीढ़ी (Generation) में अस्तित्व—नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत विकास के सम्बन्ध में दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित होते हैं और इन उद्देश्यों का पूर्ण अनुकूलन निर्धारित किए जाते हैं। योजना में सम्मिलित बहुत सी परियोजनाएँ दीर्घ काल में पूरी होती हैं। इस प्रकार वर्तमान पीढ़ी का अपने उपभोग एवं सुविधाओं का त्याग कर अधिक देवत एवं विनियोजन के लिए योगदान देना होता है जिसके द्वारा संचालित परियोजनाओं का लाभ आगे आने वाली पीढ़ियों का प्राप्त होता है। साम्यवादी राष्ट्रों में यह त्याग इतना अधिक होता है कि जीवन कठोरतम बन जाता है। यह परिस्थिति वर्तमान पीढ़ी में उत्साह को कम करती है और असन्तोष का जन्म देती है।

(३) नवीन सार्वजनिकताओं एवं विधियों के प्रयोग में अल्पव्यय—प्रायः नियोजन द्वारा असाध्य एवं आश्चर्यजनक सफलताएँ प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाते हैं, जिसके लिए अर्थ-व्यवस्था में उचित समायोजन करने के प्रयत्न किए जाते हैं। इन समायोजनाओं के लिए ऐसी सार्वजनिकताओं एवं विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनकी सफलता पर अन्य नियोजन अधिकारियों का भी पूर्ण विश्वास नहीं होता है। इन विधियों में उपयोग में पराक्षण एवं त्रुटि (Trial and Error) के सिद्धान्त को

अपनाया जाता है जिसके फलस्वरूप साधनों एक प्रयासों का अपनयन होना है और कमी-कमी कुछ परियोजनाएँ अधूरी ही छोड़ दनी पड़ती हैं ।

(४) बुजुर्गपन एवं सातपतीतागाही का बोलबाला (Bureaucracy and Red Tapsism)—आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत स्वनामकत राज्य का आर्थिक प्रियोजनाओं में सक्रिय भाग लेना पड़ता है और राज्य द्वारा की जान वाली प्रियाएँ राज्य के प्रशासनिक कमचारियों द्वारा मन्तवित की जाती हैं । यह कमचारों प्रशासन सम्बन्धी जटिल नियमों का अक्षरशः विवाह-वायुप्रयोग पर भी लागू करते हैं । इनमें प्राग्नि-कता एवं जाणिस लेन को लम्बता का अभाव होता है और अधिकतर अधिकारी उत्तर दायित्वपूर्ण नियम गोप्य एवं समय पर नहीं लेते हैं । सरकारी फाइलें (Files) एक कायालय से दूसरे कायालय तथा एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास घूमने के पश्चात् भी किसी निरूपण पर नहीं पहुँच पाती हैं । सरकारी अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व न होने के कारण कार्य के प्रति लगन एवं रूचि भी नहीं होती है । इन सब दोषों के साथ रिटवतखोरी, घबन आदि का भी बालबाला हो जाता है ।

(५) राजनीतिक परिवर्तनों का नय—बैसा अमी बनया गया कि नियोजित अथ व्यवस्था में दीर्घकालीन नयनम एवं उद्देश्य निर्धारित किए बात हैं जिनकी पूर्ति हनु समन्वित एवं समान नीतियों का दीर्घ काल तक संचालित करना आवश्यक होता है । देश में राजनीतिक उपल-पुषल के फलस्वरूप आचारसूत्र नीतियां बदल जाती हैं और नियोजित अथ व्यवस्था का आघात पहुँचने के साथ बहुत सी अद्वैती परियोजनाओं पर किए गए व्यय व्यर्थ जाते हैं ।

(६) अप्राकृतिक आर्थिक नियंत्रणों में अर्थ का नय—नियोजित अथ व्यवस्था के अन्तर्गत मूल्य माप एवं पूर्ति को अपने आप स्वतन्त्र रूप में समायोजित होने के लिए छोड़ा नहीं जाता है । नियोजन-अधिकारी बाजार-सामिकताओं (Market Mechanism) को इस प्रकार नियन्त्रित करने का प्रयत्न करता है कि विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य, माप एवं पूर्ति में योजना के उद्देश्यों के अनुकूल अप्राकृतिक सन्तुलन स्थापित हो सके । इस अप्राकृतिक सन्तुलन को नियन्त्रित करने के लिए बहुत-से आर्थिक नियंत्रणों का उपयोग किया जाता है जिनके द्वारा सम्भावित प्रभाव उत्पन्न नहीं होते हैं और सन्तुलन को बनाए रखना अत्यन्त कठिन हो जाता है । विभिन्न नियंत्रणों में किसी एक के भी ठीक प्रकार मन्तवित न होने पर अथ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों पर गलत प्रभाव पड़ता है ।

(७) प्राकृतिक परिस्थितियों की अनिश्चितता—नियोजित अथ व्यवस्था के के अन्तर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वे वर्तमान परिस्थितियों एवं नवित्य के अनुमानों पर आधारित रहते हैं परन्तु प्राकृतिक परिस्थितियां इनकी अनिश्चित हाती हैं कि उनके सम्बन्ध में कोई अनुमान ठीक प्रकार से नहीं लगाया जा सकता है । अथ व्यवस्था के ऐसे क्षेत्र जिन पर प्राकृतिक परिस्थितियां प्रभाव डालती हैं उनका

विकास लक्ष्य के अनुसार होना अत्यन्त कठिन होता है। कृषि प्रधान अल्प विवक्षित राष्ट्रां में कृषि का विकास इसलिए नियोजित अथ 'यवस्था' के अन्तगत लक्ष्य के अनुसार प्राप्त नहीं हो पाता है। कृषि क्षेत्र में निम्न प्रगति न होने पर नियोजित अथ 'यवस्था' द्विध मिश्र हान का भय रहता है।

(८) कृषि क्षेत्र का विकास असम्भावित—कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि केंद्रित अथ 'यवस्था' (Centralised Economy) में कृषि का पर्याप्त विकास नहीं किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में निजी प्रारम्भिकता, निम्न एवं जोड़िन की आवश्यकता प्रत्येक कायवाही करते समय होती है। केन्द्रीय अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक आर्थिक क्रिया आवेष्टा व अनुसार का जाती है और निजी निगमों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसी कारण हम देखते हैं कि साम्यवादी राष्ट्रां में कृषि क्षेत्र की प्रगति औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कम रही है। नियोजित अथ 'यवस्था' के अन्तगत भी कृषि विकास के लिए की गयी केन्द्रीय कायवाहियाँ अधिक उपयुक्त नहीं होती हैं और इसका लिए केंद्रित संस्थाओं एवं निजी प्रारम्भिकता की आवश्यकता होती है जिनको योजना अधिकारों व निगमों के अनुसार संचालित करना अत्यन्त कठिन होता है। कुछ सामां तक इस प्रकार यह कहना ठीक है कि नियोजित अथ 'यवस्था' कृषि-विकास की तुलना में औद्योगिक विकास के अधिक उपयुक्त होती है।

(९) विदेशी सहायता का अभाव—नियोजित अथ 'यवस्था' के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र यह प्रयत्न करता है कि वह अधिक से अधिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो सके और इसके लिए अपने ही देश में उत्पादन एवं पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का विस्तार एवं विकास करना होता है, जो बिना विदेशी सहायता—घन तांत्रिक जानकारी एवं विशेषज्ञों के रूप में—सम्भव नहीं हो सकता है। विदेशी सहायता का प्रवाह दीर्घ काल तक जारी रहने पर ही नियोजन के लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है। परन्तु राजनीतिक कारणों एवं अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय के कारण विदेशी सहायता दीर्घ काल तक प्राप्त होना प्रायः सम्भव नहीं होता है और कभी कभी नियोजन अधिकारी विदेशी सहायता के साथ कुछी हुई कठोर राजनीतिक शर्तों को मानकर विदेशी सहायता प्राप्त करने को राजी हो जाते हैं जिसका फलस्वरूप देश में राजनीतिक दासता का भय उत्पन्न होता है। यह बात इण्डोनेशिया के हाल के दशों से पुष्ट हो जाता है क्योंकि इन दशों द्वारा आर्थिक एवं सैनिक सहायता प्रदान करने वाले चीन ने सत्ता को ऐंगी सरकार के हाथों में दिखाने का प्रयत्न किया जो चीन के हाथों की कठपुतली था।

(१०) मुद्रा स्थिति का भय—नियोजित अथ 'यवस्था' के अन्तगत अधिक विनियोजन करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पर्याप्त धन एकत्रित करने हेतु मुद्रा प्रसार का उपयोग किया जाता है। यदि विनियोजन का उत्पादन क्रियाश्रम में उचित अथवा पूणतम एवं प्रभावशाली उपयोग नहीं किया जाता है तो मूल्य-स्तर

वदने लगते हैं। पर्याप्त नियंत्रण-व्यवस्था न होने पर मूल्य-स्तर की एक वृद्धि आगे की वृद्धि का कारण बन जाती है और इस प्रकार जब यह चक्र जारी हो जाना है तो अर्थ-व्यवस्था आर्थिक विप्लव (Economic Chaos) की ओर अग्रसर हो जाती है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था की परिसीमाओं का अध्ययन करने में स्पष्ट है कि इनमें अधिकतर परिसीमाएँ नियोजित अर्थ व्यवस्था का मुगलतापूर्वक न चलाने के कारण उदय होती हैं। यदि अनियोजित अर्थ-व्यवस्था को नियोजित अर्थ-व्यवस्था की परिसीमाओं से तुलना करें तो हमें पता चलता है कि बाद वाली परिसीमाएँ अत्यंत कम गम्भीर हैं। इसके अतिरिक्त नियोजित अर्थ-व्यवस्था की परिसीमाओं का पता सीधे हा जाता है और उनके कारणों का पता लगाना भी सम्भव होता है क्योंकि नियोजित अर्थ-व्यवस्था एक खुली दृष्टि (open eyes) वाली व्यवस्था होती है जिसके गुणों एवं दोषों का जानबूझ कर समय-समय पर ध्यान रखा जाता है और आवश्यक समायोजन उचित समय पर कर लिया जाता है। दूसरी ओर अनियोजित अर्थ-व्यवस्था दृष्टिहीन अर्थ-व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक क्रिया स्वयं समायाजित होने के लिए छोड़ दी जाती है, जिसके फलस्वरूप यह समायोजन कर में ही पाते हैं और इस समय-काल में सामर्थों का अपनयन एक घापण जारी रहता है।

नियोजित अथ व्यवस्था में प्राथमिकताओं का निर्धारण [Determination of Priorities in Planned Economy]

[प्राथमिकताओं की समस्या के दो पहलू—अथ साधनों की उपलब्धि, अथ साधना का आवंटन क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ, उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी प्राथमिकताएँ तांत्रिकताएँ सम्बन्धी प्राथमिकताएँ, विनियोजन एवं उपभोग सम्बन्धी प्राथमिकताएँ, उद्योग एवं कृषि सम्बन्धी प्राथमिकताएँ और सामाजिक प्राथमिकताएँ, परियोजनाओं के चयन हेतु लागत लाभ का विश्लेषण, सामाजिक लागत एवं लाभ, भारत में लागत लाभ-पद्धति का उपयोग]

विकास नियोजन वास्तव में भविष्य के सम्बन्ध में अनुमानों का एक संग्रह होता है। भविष्य के बारे में ठीक ठीक अनुमान लगाने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं होने के कारण हम भूत काल का घटनाओं की आधार मानकर भविष्य की सम्भावनाओं का अनुमान लगाना होता है। नियोजन के अन्तर्गत इन अनिश्चित सम्भावनाओं एवं अनुमानों के आधार पर प्राथमिकताएँ निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। प्राथमिकताएँ निर्धारित करने की क्रिया के अंतर्गत साधनाओं की विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर इस प्रकार आवंटित करना होता है कि राष्ट्रीय आय में अधिकतम वृद्धि की जा सके। राष्ट्रीय आय का वृद्धि के सम्बन्ध में यह भी निश्चय करना होता है कि यह वृद्धि वर्तमान राष्ट्रीय आय में होनी चाहिए अथवा भविष्य में। राष्ट्रीय आय का वृद्धि का आयोजन वर्तमान वृद्धि का त्याग करके किया जाय। वास्तव में वर्तमान एवं भविष्य दोनों ही कालों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का सक्षम आर्थिक नियोजन के अंतर्गत होता है। इसी कारण नियोजन के अंतर्गत जितना गृह्य वर्तमान उत्पादन वृद्धि को दिया जाता है उमसे कहीं अधिक महत्व उत्पादनक्षमता को बढ़ाने का दिया जाता है। उत्पादनक्षमता में वृद्धि करने के लिए उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों के विस्तार को प्राथमिकता दी जाती है जिसके फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगों के उत्पादन में तुरन्त अधिक वृद्धि नहीं होती है। इसका फलस्वरूप रोजगार का स्थिति आय व वितरण विभिन्न क्षेत्रों का विवास आदि सभी प्रभावित होते हैं। इसी कारण नियोजन के अंतर्गत प्रायः उत्पादनक्षमता का वर्धमान उपयोग से विरोधाभास होता है। इसके साथ ही उत्पादन एवं रोजगार प्रगति एवं आय वितरण

तथा जतना एव अधिक व सानों में विरोधानाम उन्मत्त हुना है। इन विवा-
धानों पर जो राजनीतिक कार्यान्वयन है तो इनमें सम्मेलन एव सामान्य स्थापित
होना और भी अधिक हो जाता है। अन्ततः इन आर्थिक विरोधानामों में सामान्य
राजनीतिक विचारधाराओं व प्रयोग पर भी स्थापित हुना है।

निम्नोक्त विचार के अन्तर्गत प्रत्येक-व्यक्त्या व समस्त क्षेत्रों की प्रतिक्रिया का
आवरोध किया जाता है। प्रत्येक-व्यक्त्या का क्षेत्र भी स्थित निम्नोक्त विचार का अन्तर्गत
नहीं रहना पन्तु विश्व क्षेत्र को एक जैसा किराना नहीं देना मान्य पर प्राथमिकताओं
के आधार पर नियमित किया जाता है। प्राथमिकताओं की प्रतिक्रिया इस प्रकार
एक अनिश्चित प्रतिक्रिया है जिसमें सर्वत्र एकिकरण उत्पन्न हुना आवश्यक हुना है।
प्राथमिकताओं का कार्य भी उस समीक्षाओं एव समीक्षाओं के लिए समस्त क्षेत्रों
समस्त का समस्ता है। प्रत्येक-व्यक्त्या व एक क्षेत्र का सर्वत्र क्षेत्र के समस्त की
बहादा है और इस प्रकार सर्वत्र-सर्व दिशाओं का समस्ता है। प्राथमिकताओं का समस्ता
समस्ता जाता है।

अन्तःकृतित राष्ट्र का आर्थिक विचार करने के लिए अन्तिम समस्तों की
आवश्यकता होती है और इन राष्ट्रों में सर्व-आवनों की सर्वदा स्मृता हुनी है। सर्वदा
इन राष्ट्रों में समस्त्याएं आर्थिक और आर्थिक अन्तर्गत हुने हैं। सर्वदा अन्तिमों में
समीक्षा समस्त्याओं का निवारण एव भी समस्त में हुना सम्भव नहीं है। आर्थिक विरोधन
द्वारा इन समस्त आर्थिकों का विवेकपूर्ण समस्ता एव समस्ता किया जाता है जिसमें अन्तिमों
सामाजिक हित हो सकें। अन्तिमों सामाजिक हित प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक
होना कि विभिन्न समस्त्याओं की शक्ति एव अन्तिमों के आधार पर समीक्षा हीनी
निवारण की समस्ता है। समस्त्याएं आर्थिक एव सामान्य प्रतीत हों सर्वदा समस्तों
का अन्तिमों का अन्तिमों किया जाता है। समस्त में उन्निम्न आर्थिकों का
आर्थिक समस्त्याओं अन्तिमों सिद्ध (Law of Equi Marginal Utility)
अथवा प्रतिस्थापन का नियम (Law of Substitution) के अनुसार पर हुना चाहिए।
सामस्तों का विभिन्न समस्ता पर नियंत्रण सर्वदा समस्त जतना समस्ता के समस्ता समस्ता
पर समस्ता आर्थिक करना समस्ता न हुना समस्ता समस्ता का विभिन्न क्षेत्रों पर समस्ता
हुने के अधिकत्व सर्व-व्यक्त्या पर समस्ता समस्ता पर समस्ता हीनी समस्ता समस्ता
समस्ता है। जब राष्ट्रीय समस्त्याओं का समस्ता समस्ता समस्ता समस्ता पर किया जाता
है तो सर्व-व्यक्त्या के विभिन्न क्षेत्रों में समस्तों का नियंत्रण समस्ता एव समस्ता समस्ता
होता है। यह कार्य समस्ता समस्ता-समस्ता द्वारा ही समस्ता किया जाता है।
समस्ता एव प्राथमिकता समस्ता (Priority Board) की समस्ता हीनी समस्ता
है। यह एक समस्ता समस्ता है जिसका विवेकपूर्ण विचार आर्थिक विरोधन हेतु
अन्तिम आवश्यक है। यह समस्ता समस्ता है जिसमें समस्ता समस्ता समस्ता का समस्ता समस्ता
समस्ता हीनी है। यह वा सर्वदा हीनी समस्ता समस्ता समस्ता हीनी समस्ता

अधिक भी भयकर परिणामों का कारण हो सकता है और नियोजन-कृष्ण के सशक्त तन की कल्पना करना या निरर्थक हो जायगा उसका निर्माण तो दूर रहा । सामान्य आय वाले एक अग्रणी आवश्यकताओं वाले एक 'यति' के सम्मुख जो समस्याएँ उपस्थित होती हैं व यदि वहाँ कुछ मिलकर सामूहिक रूप धारण कर लें तो वही रूप राष्ट्र के समक्ष एक समस्या के समुल्लेख होगा क्योंकि राष्ट्र के सम्मुख अधिकतम सामाजिक हित प्रदत्तवाचक होता है न कि व्यक्तिगत स्वार्थ । सत्वर बहुमुखी आर्थिक विकास उद्देश्य होना है न कि एकांगी उपभोग मात्र । भविष्यत् स्वप्न भी साकार करने होते हैं एकमात्र घतमान सम्बुद्धि ही नहीं । एतदथ प्रत्येक समस्या का आमूल गहन अध्ययन परिणामों की जानकारी तीव्रता का अनुमादन एवं विश्लेषणात्मक व्याख्या नियोजन के आवश्यक अंग हैं ।

प्राथमिक समस्या के दो पहलू—प्राथमिकता की समस्या का अध्ययन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—प्रथम अथ साधनों की उपरिधि तथा द्वितीय उपलब्ध अथ साधना का वितरण ।

अथ साधनों की उपरिधि—अथ की उपरिधि पर ही विकास योजनाओं का कार्यान्वित किया जाना निर्भर रहना है अतः अथ को सर्वप्रथम प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए । अथ सम्बन्धों प्राथमिकताएँ अथ कृषि उद्योग आदि सम्बन्धी प्राथमिकताओं से मिलती हैं क्योंकि आर्थिक प्राथमिकताओं में राष्ट्र के अथ साधनों को एकत्रित करने की ओर ध्यान दिया जाता है । आर्थिक प्राथमिकताओं के दो पहलू हैं—राजस्व तथा निजी । राजस्वीय क्षेत्र में वन्द्य तथा प्राणीय सरकारों एवं स्थायीय समस्याओं द्वारा अधिकतम अथ साधन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है । कर व्यवस्था को पुनसंरचित किया जाता है जिससे कर का कम से कम छिपाया जा सके तथा उसके क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या का समाया जा सके । अतिरिक्त करारोपण भी सम्भव है जिससे साधनों की कमी को पूरा किया जा सके । कर वृद्धि तथा नवान करारोपण के समय कतिपय आधारभूत तथ्यों को दृष्टिगत करना आवश्यक है । प्रथम कर द्वारा केवल समय एवं उपयुक्त 'यति' पर कर भार बढ़ना चाहिए जिससे वे अपना जीवन स्तर बनाम रख सकें । द्वितीय, कर द्वारा जनता में नये 'व्यवसायों की स्थापना करन तथा अधिन उत्पादन एवं लाभोपाजन के प्रति रुचि में कमी न आये । तृतीय कर प्राप्ति के लिए दुराचारी कार्यों का बधानिक सरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए । अतः कर द्वारा धन के समान वितरण को सहायता प्राप्त होनी चाहिए । कर के अतिरिक्त राज्य के अथ आर्थिक साधनों जैसे जनता से ऋण मुद्रा प्रसार आदि न हेतु भी निश्चय करना आवश्यक ज्ञान है । विदेशी पूँजी प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न किया जाना आवश्यक होता है । योजना के नाथप्रमा के आधार पर यह निश्चय किया जाना है कि कितना विदेशी पूँजी की आवश्यकता होगी और देना किन किन देगा से उचित ढंगों पर प्राप्त किया जा सकता है ।

आधुनिक युग में सावजनिक क्षेत्र में व्यवसायों से भी राज्य को पर्याप्त आय प्राप्त होती है। समाजवादी राष्ट्रा में अथ व्यवस्था के अधिनगर अथ सावजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित हात हैं और इन राष्ट्रा की राज्य की आय का बहुत बड़ा भाग सावजनिक क्षेत्र के व्यवसायों के लाभ से प्राप्त होता है। इस व्यवसाय की आय इनके कुशल प्रशासन एवं मूल्य नीति पर निर्भर रहती है। सावजनिक क्षेत्र के व्यवसायों की मूल्य-नीति सरकार को प्राप्त होने वाली आय के आधार पर ही निर्धारित नहीं की जाती बल्कि जनकल्याण का भी ध्यान में रखना पड़ता है। जनसहयोगी सेवाओं के मूल्य इस प्रकार निर्धारित करने हात हैं कि जनसाधारण को इनके उपयोग में कठिनाई न हो तथा इन सेवाओं का उपयोग करने वाले व्यवसायों का अधिन लाभ न देनी पड़े। सावजनिक क्षेत्र में उत्पादन के मूल्य का उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने में प्रतिस्पर्धा का घटक का कोई महत्व नहीं हाता है क्योंकि इन व्यवसायों को एकाधिकार का लाभ रहता है। जब राज्य जनसाधारण द्वारा अत्याधिक लाभ करना चाहता है तो इन व्यवसायों में मूल्य का ऊंचा रखा जाता है जिसमें विवक्षित बचन उदय हाती है। दूसरी ओर, पूँजीवादी एक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रा में प्रायः जनसहयोगी सेवाओं से सम्बन्धित व्यवसायों का संचालन सावजनिक क्षेत्र में किया जाता और इनकी आय में वृद्धि करने के लिए इनकी सेवाओं एवं उत्पादों के मूल्य अधिक ऊँचे निर्धारित करना सम्भव नहीं हाता है क्योंकि जनसाधारण द्वारा इसका विरोध किया जाता है और अथ व्यवस्था के निजी व्यवसायों का प्रभाव इन पर पड़ता रहता है।

अथ साधन प्राप्त करने में विभिन्न सीमाओं से किस का, किन्ती सीमा तक उपयोग किया जाय, यह निर्धारण करना योजना-अधिकारों का काम हाता है। इस की विधास स्थिति, जनसाधारण का जीवन स्तर, राज्य की राजनानिक भायता, जनसाधारण में विकास का प्रति जागरूकता आदि के आधार पर इन सीमाओं में बचन किया जाता है। विकास विधियोजना की आवश्यकताएँ अत्यधिक हान के कारण लगभग सभी सीमाओं का उपयोग करके अथ साधन प्राप्त करने प्रयत्न किए जाते हैं। जब इन सीमाओं से भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाते तो हीनाथ प्रबंधन का उपयोग किया जाता है। हीनाथ प्रबंधन द्वारा जनसाधारण से विवक्षित बचन कराया जाता है। परन्तु हीनाथ प्रबंधन से बहुत से दोषों का अथ व्यवस्था में प्रविष्ट हान का भय होता है जिससे कारण इस सीमा का उपयोग बड़ी सावधानी एवं सीमित परिणाम में करना हाता है।

अथ-साधनों का आवंटन—प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक समस्याएँ यद्यपि कुछ सीमा तक समान होती हैं तथापि उनकी तीव्रता प्रत्येक राष्ट्र में भिन्न हाती है। समस्या की तीव्रतानुसार ही साधनों का आवंटन किया जाता है अतएव एक राष्ट्र की निश्चित प्राथमिकताएँ दूसरे राष्ट्र के लिए आवश्यक रूप में लाभकारी नहीं हा सकती

हैं। प्राथमिकता का अर्थ यह कभी भी नहीं समझना चाहिए कि इसमें केवल एक क्षेत्र के विकास का ही महत्व दिया जाता है। आर्थिक नियोजन में राष्ट्र के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है परन्तु उन क्षेत्रों को जिनका विकास हाना अत्यावश्यक हो साधनों का अपक्षायित अधिक भाग मिलना चाहिए और अन्य क्षेत्रों को उनकी तीव्रतानुसार साधना का वितरण किया जाता है। साधनों का वितरण के सम्बन्ध में प्राथमिकताओं का अध्ययन निम्नलिखित समूहों में किया जा सकता है

(क) क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ (Regional Priorities)।

(ख) उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी प्राथमिकताएँ।

(ग) सामाजिकता सम्बन्धी प्राथमिकताएँ।

(घ) उपभोग एवं विनियोजन सम्बन्धी प्राथमिकताएँ।

(ङ) उद्योग एवं कृषि सम्बन्धी प्राथमिकताएँ।

(च) सामाजिक प्राथमिकताएँ।

(क) क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ—एक विशाल राष्ट्र में जो विभिन्न जलवायु भूमि भाग सामाजिक प्रथाएँ आदि का आधार पर विभिन्न प्रणालियाँ एवं क्षेत्रों में विभक्त हैं सभी क्षेत्रों के जीवन स्तर का समान होना कदापि सम्भव नहीं होता है। ऐसे राष्ट्र में कुछ क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से अन्य क्षेत्रों की तुलना में सम्पन्न होते हैं और कुछ देश का औसत जीवन स्तर से भी बहुत निम्न श्रेणी में रहते हैं। ऐसे समाज में विकास का प्रारम्भ करते समय सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की समस्याएँ उदय होती हैं। किस क्षेत्र का, किस समय कितना विकास किया जाय यह नियम नियोजन अधिकारी को करने होना है। नियोजन अधिकारियों का सम्मुख क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में तीन प्रकार का दावा प्रस्तुत किए जाते हैं—प्रथम आर्थिक उपयुक्तता के आधार पर द्वितीय राजनीतिक दबाव का आधार पर और तृतीय सामाजिक न्याय के आधार पर। देश में अर्थ साधना की अपर्याप्तता के कारण योजना अधिकारियों को यह सम्भव नहीं होता है कि इन तीनों प्रकार के दावों की पूर्ति कर सकें। उसे इन तीनों दावों की सम्मिलितता का आधार पर क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ निर्धारित करनी होती हैं। आर्थिक उपयुक्तता का अन्ततः विकास परिणामों का संचालन ऐसे क्षेत्रों में किया जाना उचित माना है जहाँ पहले से ही विकास का स्तर ऊँचा है क्योंकि इन क्षेत्रों में अर्थसाधना की स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाएँ—यातायात संचार विद्युत शक्ति धूम्र तेल वल्चा माल आदि उपलब्ध होती हैं। दूसरी ओर राजनीतिक स्तर पर भी विविध क्षेत्रों का दबाव अधिक होता है क्योंकि यह क्षेत्र राज्य की आय का बड़ा भाग प्रदान करते हैं और इस आधार पर विकास विनियोजन में अधिक न्याय का दावा करते हैं। राजनीतिक दबाव डालने दृष्टान्त तोड़ फोड़, अनशन आदि की मायवाहियों की जाती हैं। तीसरी ओर सामाजिक न्याय का पक्ष जो प्राथमिकता होता है अपना दावा प्रस्तुत करता है। सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय सन्तुलन विकास आर्थिक न्याय एवं समानता

के लिए अत्यन्त आवश्यक होना है। देश के समस्त नागरिकों को समान जीवन-स्तर प्रदान करने के लिए, अविकसित क्षेत्रों में अविकसित विनियोजन किया जाना आवश्यक है। परन्तु इन क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करने पर आर्थिक एवं राजनीतिक विरोध सामने आता है तथा इन क्षेत्रों में विकास का प्रारम्भ करने के लिए सामाजिक उपरिष्कार गुविधाया (यानायात, संचार, स्वास्थ्य, जल शक्ति आदि) का व्यवस्था करने के लिए बड़े पैमाने पर विनियोजन करना पड़ता है जिसका तुरन्त व उत्पादन का लाभ नहीं मिलता है। इन विरोधाभासा व मध्य यजिना अधिकारों का क्षेत्रों प्राथमिकताएँ नियोजित करनी पड़ती हैं। सीमा विचारधारारवा में सामंजस्य स्थापित करने में कभी कभी अनावश्यक परिवर्तनकारी भी स्थापना करनी पड़ती है।

(ख) उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी प्राथमिकताएँ—प्रति व्यक्ति आय कम होने के साथ साथ राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन भी अत्यन्त कम होना अल्प विकसित राष्ट्रों का प्रमुख लक्षण है। योजना आयोग का एक बार राष्ट्रीय धन के समान वितरण की ओर कार्यशील होना पड़ता है ता दूसरी ओर राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हेतु आवश्यक योजनाओं का क्रियार्थित करना भी बाध्य होना है। यदि समान वितरण की समस्या को प्राथमिकता दी जाय तो राज्य को आय तथा अवसर के समान वितरण करने के लिए कठोर कार्यवाहियाँ करने की आवश्यकता होगी। एतदर्थ राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं के राष्ट्रीयकरण का विशेष महत्व दिया जाना चाहिए तथा साधनों का अधिकतम भाग इस ओर वितरित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि राष्ट्र में स्थूलताओं का अधिनय हो और उपभोग की आधारभूत वस्तुओं, जैसे खाद्य पदार्थ, वस्त्रादि की अत्यन्त कमी हो तो राज्य का उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना अनिवार्य होगा। उत्पादन में तुरन्त वृद्धि हेतु राष्ट्र के वर्तमान उत्पादन के आकार प्रकार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिसमें निजी क्षेत्र को विशेष स्थान प्राप्त होता है। साथ ही राज्य का निजी साहमिया को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में राज्य का सबसे अधिकारपूर्ण तथा सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना उचित होगा। निधन-वगैरे व व्यक्ति सदस्य राष्ट्रीय धन के समान वितरण के लिए आशय उठाते हैं जबकि धनी-वर्ग यह प्रयत्न करता है कि उनका अस्तित्व बना रहे और निर्धन-वर्ग का अधिक उत्पादन में सम्मिलित कर दिया जाय। योजना आयोग को शान्त व मध्य मार्ग स्थापना होना है।

(ग) क्रियाशीलताएँ सम्बन्धी प्राथमिकताएँ—क्रियाशीलताओं का चयन करना नियोजित विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके आधार पर देश के विकास की गति आर्थिक गति विधि एवं सामाजिक संरचना निर्धारित रहती है। विकास का प्रारम्भ करते समय तथा विकास के आगे बढ़ने पर समय समय पर अधिकारी को यह निर्णय करना होना है कि देश की विकास-योजनाओं में पूँजा प्रदान अथवा धन-

प्रधान तांत्रिकताओं का उपयोग किया जाय। पूँजी प्रधान (Capital Intensive) उत्पादन विधियाँ। ऐसे यंत्रों एवं पूँजीगत प्रसाधनों का उपयोग किया जाना है जिनमें धर्म की बचत होती है अर्थात् धर्म का तुलनात्मक कम उपयोग होता है। दूसरी ओर धर्म प्रधान तांत्रिकताओं में यथासम्भव धर्म का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है और पूँजी प्रसाधनों का प्रति धर्मिक कम उपयोग किया जाता है। अथ विकसित राष्ट्रों में इन दोनों तांत्रिकताओं में से किसका प्राथमिकता दी जाय इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद हैं। विभिन्न विशेषणों एवं अर्थशास्त्रियों ने जो विचार प्रकृत किए हैं उनका संक्षिप्त अध्ययन यहाँ किया जायगा।

अल्प विकसित राष्ट्रों में उत्पादन के घटकों का सम्मिश्रण एवं उपलब्धि इस प्रकार की जाती है कि धर्म का अथ उत्पादन के घटकों की तुलना में बाहुल्य होता है। यदि विचार में इस सिद्धान्त का स्वीकार कर लिया जाय कि देश में उपलब्ध उत्पादन के विभिन्न घटकों का अधिकतम उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि का जाय तो ऐसी तांत्रिकताओं का चयन करना चाहिए जिनमें धर्म का अधिकतम उपयोग हो सके और पूँजी की 'यून' उपलब्धि के कारण पूँजी प्रसाधन प्रति धर्मिक कम मात्रा में प्रदान करके उत्पादन किया जा सके। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि ऐसा धर्म प्रधान तांत्रिकताओं का उपयोग किया जाय कि जिनमें पूँजी धर्म उत्पाद कम रह तथा उत्पाद पूँजी का अनुपात अधिक हो सके। धर्म प्रधान तांत्रिकताओं का उपयोग करने से प्रति धर्मिक की उत्पादनता कम रहती है यद्यपि धर्म का अधिक उपयोग करके देश के कुल उत्पादन में वृद्धि करना सम्भव होता है। धर्म प्रधान तांत्रिकताओं के अन्तर्गत हलके एवं सरल पूँजी प्रसाधनों एवं यंत्रों का उपयोग किया जाता है और इनके उपयोग में लचीलापन अधिक होता है। दूसरी ओर, यह तांत्रिकताएँ देश की बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी की समस्याओं के निवारण में भी सहायक होती हैं। परन्तु आर्थिक प्रगति के लिए धर्म प्रधान तांत्रिकताएँ निम्न कारणों से अधिक उपयुक्त नहीं समझी जाती हैं—

(अ) कम पूँजी उपयोग करने वाली तांत्रिकताओं की कुशलता अथ उपलब्ध पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं से कम होती है और इनके अन्तर्गत धर्म की उत्पादनता भी कम रहती है। अल्प विकसित राष्ट्रों के विकास में होने का प्रमुख कारण अकुशल तांत्रिकताओं का उपयोग होता है। यदि विकास विनियोजन के अन्तर्गत तांत्रिकताओं को यथावत रखा जाता है तो समाज का आर्थिक एवं सामाजिक संरचना संगठन उत्पादन विधियों आदि में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता और अर्थ व्यवस्था में उस गतिशीलता (Dynamics) का संचार नहीं हो पाता है जो विकास का मूलधार होता है। इसके अतिरिक्त धर्म प्रधान तांत्रिकताओं के निरन्तर उपयोग के परिणामस्वरूप समाज में ऐसे वातावरण की सुदृढता प्राप्त होती है जो किमी

परिचयन या स्वभावतः स्वीकार नहीं करता है। विशाल परिवहन का परिणाम हानि के कारण उच्च उपयुक्त वातावरण का विद्यमान होना आवश्यक होता है।

(आ) श्रम प्रधान तांत्रिकताओं का उपयोग करने पर पूँजी का अत्यधिक बम उपयोग करना सम्भव नहीं होता है क्योंकि इनके लिए उपरिख्य नृविधाओं (overhead facilities) एवं अन्य सामग्रियों की आवश्यकता पूँजी-प्रधान तांत्रिकताओं के समान ही रहती है। अतिरिक्त नृविधाओं में लगन वाली पूँजी का अनुपात भी व्यवसायों में लगन वाली पूँजी में यदि आठ दिया जाय तो श्रम प्रधान तांत्रिकताओं की पूँजी की आवश्यकताएँ विशेष रूप से नहीं रहती हैं। इसके अतिरिक्त पूँजी-प्रधान तांत्रिकताओं में प्रारम्भिक अवस्था में अधिक विनियान करना होता है परन्तु बाद में इनकी संचालन-सागन एवं इन पर होने वाले पूँजी विनियान की मात्रा कम रहती है। श्रम प्रधान तांत्रिकताओं में यारी-योग्य पूँजी दीय काल तक विनियान करने रहना पड़ता है।

(इ) श्रम प्रधान तांत्रिकताओं में प्रारम्भिक अवस्था में अधिक राजस्व प्रदान करने की क्षमता होती है परन्तु इनकी राजस्व प्रदान करने की क्षमता में नृविषय में वृद्धि नहीं होती है। दूसरी ओर पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं में राजस्व प्रदान करने की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं क्योंकि इनके द्वारा वह पैमाने पर उत्पादन करने के लिए इनके सहायक टर्गों एवं व्यवसायों का विस्तार होता है जिनमें राजस्व के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होते हैं।

(ई) कुछ परिवारनाणैय होती हैं जो आर्थिक प्रगति के लिए अनिवार्य होती हैं परन्तु इनका संचालन, पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं के समान ही हो सकता है। उदाहरणार्थ प्राकृतिक साधनों विशेषकर खनिज पदार्थों का विद्यमान एवं शायद इन्धन का निर्यात, खनिज तेल का शोधन आदिवात संचार एवं बन्दगाहों नाबि का विस्तार एवं विकास पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं के उपयोग द्वारा ही सम्भव हो सकते हैं। यह सम्भव आयोजन आर्थिक प्रगति के अनिवार्य अंग होते हैं और इनकी व्यवस्था बिना प्रगति की प्रविधि की मूर्त नहीं दिया जा सकता है।

(ः) समाज का वह बड़ा भाग प्राप्त करता है अपनी आय का अधिक पुनर्विनिवेशन करने में समय एवं रुचि रहता है और जिस अर्थ-व्यवस्था की प्रगति के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग लाभ पाने वाले का हाँ प्राप्त होता है। इसमें वस्तु विनिवेशन एवं पूँजी निवेश अधिक होता है। दूसरी ओर नरुणी क्षेत्र एवं उमान पान आता बगु अपनी आय-वृद्धि का अधिकतर भाग उपभोग कर लेता है और उत्पादन विनियान के लिए वस्तुत्व में समय नहीं होता है। श्रम प्रधान तांत्रिकताओं के उपयोग के फलस्वरूप जो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है उसका बड़ा भाग श्रमिक-वर्ग को प्राप्त होता है क्योंकि व्यवसायों में पूँजी की मात्रा कम और श्रम का परिमाण अधिक होता है। अधिक श्रम को राजस्व देने से राष्ट्रीय

आय का वितरण अधिक बंध के अनुकूल होता है। अधिक बंध को आय वृद्धि में वृद्धि विनियोजन एवं पूँजी निर्माण की दर में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है और अधिक प्रगति की दर में वृद्धि करना सम्भव नहीं होता है। इसके विपरीत पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं का उपयोग करने पर लाभ का वृद्धि माँग साहस्यी का मिलता है जो वृद्धि एवं विनियोजन दर बढ़ाकर अधिक प्रगति को गतिमान कर सकता है। अल्प विनियोजन राष्ट्रीय जनराख्या की वृद्धि तीव्र गति से होता है और इस परिस्थिति में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि एवं विनियोजन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रारम्भिक विनियोजन इस प्रकार किया जाय कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में शीघ्र ही अधिक वृद्धि हो सके। प्रति व्यक्ति उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं द्वारा ही सम्भव हो सकती है।

(क) अल्प विकसित राष्ट्रीय तांत्रिकताओं का चयन करने के लिए समय बंध पर भाष्यान देना आवश्यक होता है। परिव्योजनताओं की पूर्ति में जो समय लगता है वह भी विकास की गति पर प्रभाव डालता है। अल्प प्रधान तांत्रिकताओं में सरल उत्पादन विधियों एवं यंत्रों का उपयोग किया जाता है जिनकी स्थापना में अधिक समय नहीं लगता और यह परियोजनाएँ अल्प काल में ही उत्पादन प्रारम्भ कर देती हैं। दूसरी ओर पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं का स्थापना एवं इनका निर्माणकाल अधिक होता है और इनके द्वारा पूरी समता का उत्पादन दीर्घ काल में प्रारम्भ हो पाता है। यदि इन दोनों प्रकार की परिव्योजनताओं के द्वारा किए गए दीर्घकालीन उत्पादन की तुलना की जाय तो पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं का उत्पादन अत्यधिक होता है परन्तु अल्प काल में जहाँ पूँजी प्रधान तांत्रिकताएँ राष्ट्रक उत्पादन में लगभग पूँजी के बराबर योगदान देती हैं अल्प प्रधान तांत्रिकताओं का उत्पादन का परिमाण अधिक होता है। अल्प विकसित राष्ट्रीय प्रारम्भिक अल्प काल में पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं का उपयोग से बहुत सी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन तांत्रिकताओं में देश में उपलब्ध साधनों का बड़ा भाग एवं विदेशों से प्राप्त सहायता का विनियोजन ही जाता है जिससे रोजगार में वृद्धि होगी है। जनसाधारण की आय में वृद्धि होने में उनके द्वारा उपयोग की अधिक वस्तुओं की माँग भी जाती है। परन्तु अल्प काल में पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं द्वारा उत्पादन में किए जाने के कारण अथ व्यवस्था में आय वृद्धि के अनुकूल उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा स्थिति का प्रारम्भ होता है जो देश के विदेशी व्यापार में एवं भूगतान-नीति पर प्रतिबल प्रभाव डालता है। भारतवर्ष भी इन परिस्थितियों से हाकर गुजर रहा है। परन्तु जब दीर्घकालीन विकास का लक्ष्य सामने रखा जाय तो इन संक्रांतिक (Transitional) कठिनाइयों को समाप्त कर बहूत करना ही होता है क्योंकि पूँजी प्रधान तांत्रिकताओं की अनुपस्थिति में विकास को दीर्घकालीन जीवन प्रदान करना सम्भव नहीं हो सकता है।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि योजना-प्रणाली को समस्त बातों पर विचार करके तार्किकताओं का चयन करना होता है। जिन क्षेत्रों में पूर्ण और अम-प्रधान तार्किकताओं का वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। उनमें राजस्व की स्थिति, पूँजी की उपलब्धि तथा लक्षित विकास की गति का ध्यान में रखकर अम-प्रधान तार्किकताओं का प्राथमिकता दी जाती है परन्तु इन अम-प्रधान तार्किकताओं का सम्बन्ध में यह भी निश्चय करना होता है कि इन्हें अथ-व्यवस्था में स्थायी स्थान दिया जायगा अथवा इनका महत्व केवल उस मध्यकाल तक सीमित रहेगा जब तक अथ-व्यवस्था प्रारम्भिक विकास की अवस्था से गुजरती है।

(ए) उपयोग एक विनियोजन सम्बन्धी तार्किकताएँ—प्रजातार्किक समाज में विनियोजन तथा उपयोग में प्राथमिकता निर्धारित करना सर्वत्र कठिन होता है। जनसमुदाय सहज वर्तमान मुविधानों को महत्त्व देता है जबकि नियोजन-प्रणाली अधिकतर हित को अधिक महत्त्व देता है। इसीलिए वह अधिकतम साधनों का अधिकतम उपयोग के लिए विनियोजन करना चाहता है। अधिकतम उपयोग का आयाजन करने के लिए देश में आयाजित उत्पादन एवं पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों का विकास के निम्नलिखित उद्योगों तथा उपरिष्कृत मुविधानों के विस्तार से सम्बन्धित व्यवसायों की स्थापना विनाश एवं विस्तार पर अधिक विनियोजन करने की आवश्यकता होती है। विनाश-विनियोजन का घटा भाग जब इन आयाजित उद्योगों को बला जाता है तो उपनोत्पादन-वस्तुओं के उद्योगों के उत्पादन का विस्तार करने के लिए अल्प काल में आवश्यक साधन प्रदान करना सम्भव नहीं होता है। इस प्रकार एक ओर, आयाजित उद्योगों में अधिक विनियोजन करने हेतु जनसाधारण को अधिक बचत करने का प्रोत्साहित एवं विवश किया जाता है और दूसरी ओर उन्हें आवश्यकतानुसार पर्याप्त उपनोत्पादन-वस्तुएँ प्रदान नहीं की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप विकास की प्रारम्भिक अवस्था में लोगों के जीवन-स्तर में और बमी आ सकती है। वर्तमान जीवन-स्तर एवं उपभोग-स्तर में कितनी बमी करना सम्भव है यह मात्र नीतिक एवं सामाजिक वातावरण पर निर्भर रहता है। विनियोजन-प्रणाली का योजना के लोगों के अनुरूप उपभोग अथवा उत्पादन-उद्योगों का प्राथमिकता प्रदान करनी होती है। प्रायः अनिवार्यता की उपनोत्पादन-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक प्राथमिकता प्रदान करनी पड़ती है। अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए भी तार्किकताओं में सुधार करना होता है और यह सुधार पूँजी-गत विनियोजन द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

(ऐ) उद्योग अथवा कृषि को प्राथमिकता—प्रायः सभी अन्य विकसित राष्ट्रों में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है और इनकी अधिकतर जनसंख्या भूमि में ही अपनी जीविकापान करती है। इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य विकसित राष्ट्रों में कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों का पर्याप्त विकास नहीं होता है। जनसमुदाय को अपने जीवन

निर्वाह के लिए कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होने। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक विकास का समारम्भ करने के लिए नवीन तथा अतिरिक्त औद्योगिक तथा कृषि के अनिर्दिष्ट अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना आवश्यक होता है जिससे अर्थ को अग्रिम रोजगार दिया जा सक। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हो। इस हेतु कृषि में लगे हुए श्रमिकों की उत्पादन क्षक्ति में वृद्धि करना और कृषि विधियों में आवश्यक सुधार एवं कृषि व्यवसाय का पुनसंगठन वांछनीय होता है। कृषि उत्पादन में इतनी वृद्धि करना आवश्यक होगा जिससे कृषकों के जीवन-स्तर में उन्नति क साथ साथ अर्थ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को पर्याप्त साधन एवं अन्य कृषि पदार्थ प्राप्त हो सक तथा निर्यात योग्य कृषि उत्पादन का निर्यात करने में पूर्णतः वस्तुओं का आयात हेतु आवश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सक।

अहर्ष्य बेरोजगारी का पता तभी चलता है जब उसके उत्पादन उपयोग का प्रयत्न किया जाता है। यह एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में मात्रा तथा उपयोगिता में भिन्न होता है। लेटिन अमरीकी राष्ट्रों में मौसमी बेरोजगारी की समस्या है। यदि इन राष्ट्रों में कृषि क्षेत्र से स्थायी रूप से प्रयत्न कर कुछ अर्थ को अन्य क्षेत्रों में लगा दिया जाय तो कृषि के उत्पादन में कमी हो जायगी। ऐसी स्थिति में राष्ट्र का औद्योगिक विकास कृषि क्षेत्र से श्रमिकों को हटाने के पूर्व कृषि उत्पादन में वृद्धि द्वारा सम्भव है। इसके सवधा विपरीत पूर्वी यूरोप मध्य-पूर्व तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा सुदूर पूर्व में कृषि क्षेत्र में श्रम का आधिक्य है और आर्थिक विकास हेतु इस अधिक श्रम की उत्पादक उपयोग में लाना आवश्यक होगा। इन राष्ट्रों में कृषि के क्षेत्र में श्रम को हटाने से उत्पादन पर कोई विनाश प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ राष्ट्रों में श्रमाधिक्य को कृषि से पृथक् किए जाने पर कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना की जा सकती है। इन राष्ट्रों की समस्या को निम्नरूपेण समझा जा सकता है—

(अ) कृषि क्षेत्र में अधिक श्रम को लाभप्रद रोजगार में लगाना जिससे आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हो।

(ब) श्रमिकों को अन्य व्यवसायों में वाय करने के लिए प्रोत्साहित अथवा विवश करना तथा उनका संगठित करके उनसे प्रशिक्षण का प्रबंध करना जिससे उनका द्वारा अर्थ क्षेत्रों में अधिकतम उत्पादन हो सके।

(क) अधिक श्रम के कृषि से पृथक् हो जाने के कारण शेष कृषकों की आय तथा जीवन-स्तर में वृद्धि हो जाती है और वे कृषि उत्पादन का अधिक तथा अच्छा भाग स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। नियोजन अधिकारियों का यह आयोजन करना आवश्यक है कि कृषि के क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन अर्थ क्षेत्रों में उपभोग के लिए उपलब्ध हो सके।

इन राष्ट्रों में कृषि से पृथक् किए गये अतिरिक्त श्रम को कम पूँजी नियोजन

वाले व्यवसायों में काम मिलना चाहिए क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्रों में पूँजी का अल्पान्त्र अभाव होता है और उपलब्ध साधनों से कृषि का भी पर्याप्त विकास शिष्टा जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार ऐसे नदोंगों की स्थापना की जाती चाहिए जिनमें पूँजीगत सामग्री का कम तथा आधारभूत विधियों का ही प्रयोग होता है। इसमें भी प्रारम्भिक अवस्था में प्राचीन औजारों से ही औद्योगिक विकास का समारम्भ शिष्टा गया था और अन्तिम अथ लघुन वाच उद्योगों की स्थापना की गयी थी। और इसी प्रकार प्रत्येक अल्प विकसित राष्ट्र जैसे कि इस मध्यम अवस्था में निम्नलिखित रूप में लघुन वाच उद्योगों की स्थापना कर सकता है।

प्राथमिक प्रारम्भिक काल से ही कृत्रिम उद्योगों की स्थापना का प्रायश्चित्त की जाता है ता कृषि से क्षेत्र से उत्पादित उपज अतिरिक्त अथ का निपुण (Skilled) उदात्त लक्ष निपुण (Semi Skilled) अथ न इतने शीघ्र परिवर्तन किया जाता सम्भव नहीं होता है। साथ ही उच्च औद्योगिक आधार की स्थापना के लिए पूँजीगत बस्तुओं की आवश्यकता होती है और इन पूँजीगत बस्तुओं के निर्माण के लिए भी पूँजीगत बस्तुओं की आवश्यकता होती है। किसी भी अल्प विकसित राष्ट्र में पूँजीगत बस्तुओं के उद्योग इतने विकसित नहीं होते और न अल्प काल में उनका इतना विकास हो सकता है कि वे राष्ट्र का औद्योगिकरण करने के लिए आवश्यक पूँजीगत सामग्री प्रदान कर सकें। ऐसी परिस्थिति में पूँजीगत सामग्री का आयात करने ही औद्योगिक उद्योग सम्भव हो सकता है। पूँजीगत सामग्री के आयात का शोधन करने के लिए कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए जिसके विद्यार्थी द्वारा आयात-तुल्य अर्थिक मुद्रा अर्जित की जा सके। इसके साथ ही, निपुण तथा अर्द्ध-निपुण श्रमिकों की अल्प शारिरिक दिया जाता है, अथ उसकी उपभाग आवश्यकताओं में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए कृषि का इतना विकास होना आवश्यक होगा कि उसके द्वारा विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में अर्जित की जा सके तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में लगे अथ श्रमिकों की आवश्यक उपभोग सामग्री उपलब्ध हो सके। वित्तसिद्धा की बस्तुओं के आयात की प्रतिबन्धित करने तथा कलात्मक बस्तुओं के निर्यात से पूँजीगत सामग्री का आयात कुछ मोना तक सम्भव हो सकता है।

दूसरी ओर ऐसे राष्ट्र में, जहाँ अतिरिक्त अथ वर्ष में अथ कृत्रिम ही अन्वय के लिए बेकार रहता है वहाँ सामग्रीय रोजगार का आयात करने के लिए स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना आवश्यक होगा। उनका भूमि से स्थायी रूप से अथ नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका कृषि से उत्पादित जाने पर कृषि उत्पादन में कमी होने की सम्भावना रहती है। शारीक क्षेत्र के आर्थिक विकास का अर्थशास्त्रों में इस अतिरिक्त अथ को कार्य देना उचित होगा। छोटा-छोटी सिंचाई-योजनाओं अथ-दली भूमि की कृषि-श्रेण्य बनाने सहायक मार्गों का निर्माण करने अथ कृषि औजारों

का निर्माण करने पेय जल का प्रवच करन आदि जसी कम पूँजी की आवश्यकता वाली योजनाओं म अतिरिक्त धन को सुविधापूर्वक रोजगार दिया जा सकता है । इस प्रकार इन कार्यक्रमों को अधिक प्राथमिकता देना आवश्यक है । ग्रामीण तथा ग्रह उद्योग का विकास भी मौसमी तथा अदृश्य बेरोजगारों का लाभप्रद वाय न्तिान म सहायक हाता है । इन उद्योगों के विकास हेतु तांत्रिक प्रशिक्षण इनके उत्पादन का प्रमाणीकरण (Standardization) कच्चे माल की सुखम पूर्ति अल्पकालीन हाण का प्रवच आदि का आयोजन करना अत्यावश्यक हाता है । यदि ग्रामीण ग्रह तथा लघु उद्योगों के साथ ग्रह उद्योग का विकास किया जाना है तो इन दोनों म सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए । दोनों को इस प्रकार नियंत्रित एव संगठित किया जाय कि वे परस्पर पूरक ना काय करें, प्रतिस्पर्धी ना नहीं । तथु तथा ग्रामीण उद्योगों को स्थायी रूप मे बाटा निश्चित करक अथवा कारखाना के उत्पादन पर कर लगा कर सरण से अधिक लाभ नहीं हाता है क्योंकि इस प्रकार की नीतियों से वस्तुओं की लागत म वृद्धि हाती है और स्थायी पूँजी के पूणतम उपयोग मे बाधाएं आ जाती हैं । ऐसे ग्रह उद्योगों का स्थायी तथा स्वतंत्र विकास किया जा सकता है जिनकी उत्पादन लागत कारखानों की उसी प्रकार की वस्तुओं की उत्पादन लागत से अत्यधिक न हो । इस प्रकार एक राष्ट्र मे लघु तथा ग्रह दोनों प्रकार के उद्योगों का समानांतर विकास किया जा सकता है ।

वास्तव म औद्योगिक तथा कृषि विकास मे चुनाव करने का काइ प्रश्न नहीं हाता चाहिए क्योंकि दोनों के समानांतर विकास द्वारा ही अधिक विकास की विधि का प्रारम्भ हो सकता है परन्तु इन राष्ट्रों म जहाँ धन की पुनता है, औद्योगीकरण कृषि विकास द्वारा ही सम्भव है । दूसरी आर उन राष्ट्रों म जहाँ ग्रामीण जनमख्या अधिक हो कृषि विकास हेतु उद्योगों का उत्पादन करना आवश्यक हाता । जहाँ कृषि व्यवसाय म धन का आधिक्य हो और पूँजीगत साधना की पुनता हो अधिक धन का उपयोग करन वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इसके विपरीत जिन अर्थ विकसित राष्ट्रों म धन की कमी हाती है उनमे ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता प्राप्त हाती है जिनमे धन की तुलना म पूँजी की अधिक आवश्यकता हाती है । इस प्रकार धन की उपलब्धि के आधार पर ही योजनाओं को प्राथमिकता निश्चित की जा सकती है (यदि अन्य सभी बातें समान रहें), परन्तु साधारणत अर्थ सभी बातें कमी समान नहीं रहती इसलिए प्रत्येक योजना को प्राथमिकता विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों के आधार पर ही निश्चित की जाती है । कुछ योजनाएं ऐसी हाती हैं जिनमे पूँजी की अधिक आवश्यकता हाते हुए भी उनका प्राथमिकता दी जाती है जैसे गति उत्पादन के अथवा विशेष सुविधा प्राप्त कोई राष्ट्रीय उद्योग जैसे पाकिस्तान का सूट उद्योग ।

बुद्ध योजनाएँ ऐसी होती हैं जिनमें पूँजी तथा श्रम व अनुपात में कोई परिवर्तन करना नियोजक की शक्ति के बाहर होता है नदाहरणार्थ 'चौहा तथा इस्पात उद्योग'। अन्य शक्तिपरक योजनाएँ ऐसी हैं जिनमें पूँजी व श्रम के अनुपात में नियोजक परिवर्तन कर सकता है जैसे वायु निमाण सिचार्ज-योजनाएँ मार्ग निर्माण आदि। इन दोनों प्रकार की योजनाओं में से चयन करते समय नियोजक उनकी एवमात्र श्रम उपयोग करने की शक्ति के आधार पर ही निर्दोष नहीं कर सकता। यद्यपि चाहा तथा इस्पात उद्योग में पूँजी की अधिक आवश्यकता होती है किन्तु यह गोदर औद्योगिककरण का आधार-उद्योग है। इसकी तुलना में उपयोग की वस्तुओं के उद्योगों का विकसित करना किसी भी दृष्टि से बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं जिनमें अन्य काल में अधिक श्रम का उपयोग और पूँजी की कम आवश्यकता होती है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि उद्योगों तथा श्रमिकों का समानान्तर विकास आवश्यक होता है और यह विभिन्न राष्ट्रों की परिस्थितियों पर निर्भर होता है कि श्रमिक विकास से औद्योगिक विकास में सहायता मिले अथवा इसके विपरीत अर्थात् औद्योगिक विकास से श्रमिक विकास में सहायता मिले। प्रथम केवल श्रम का है अर्थात् सर्वप्रथम उद्योगों का विकास किया जाय अथवा श्रमिकों का। भारतवर्ष में श्रमिकों का प्रथम देशों में जहाँ न्यून उत्पादन, श्रम में अधिक श्रम, बेरोजगारी, खाद्यान्नों का अभाव आदि आधारभूत समस्याएँ हैं हम उपरोक्त विचारधाराओं के आधार पर ही प्राथमिकता निर्दिष्ट कर सकते हैं। नियोजन-अधिकारियों को एक ओर पर्याप्त खाद्यान्नों की पूर्ति का प्रयत्न करना होता है और दूसरी ओर, अतिरिक्त श्रमिक श्रम तथा शिक्षित बेरोजगारों को लाभप्रद रोजगार का भी आयोजन करना होता है। अधिक राजगार के अवसरों का प्रबंध करने के लिए उद्योगों तथा श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों का उत्थान करना आवश्यक होता है परन्तु ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाना आवश्यक होगा जिनमें अधिकतर श्रम का उपयोग होता है। श्रम तथा श्रमिक उद्योगों के विकास का इस प्रकार प्राथमिकता दी जा सकती है परन्तु क्या इन उद्योगों का राष्ट्र के विनाश में स्थायी स्थान दिया जाना चाहिए अथवा इनके विकास की वेदना तत्कालीन समस्याओं के हटने के लिए अस्थायी स्थान प्राप्त होना चाहिए? इनके विकास से श्रमिकों के अधिक श्रम का लाभ प्राप्त हो सकता है तथा श्रमिक क्षेत्र में जीवन-स्तर में वृद्धि हो सकती है। इनके साथ ही श्रमिक क्षेत्र में करदेय तथा वचन-समता में वृद्धि होगी और अधिक पूँजी निर्माण में सहायता प्राप्त हो सकती है। श्रम और कृषि उद्योगों द्वारा गोदर विकास एवं उपयोग के स्तर में वृद्धि भी सम्भव हो सकती है। इनके द्वारा मुद्रा-स्थिति में दबाव भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार श्रम तथा कृषि उद्योगों में विनाश द्वारा बुद्ध उद्योगों की स्थापना एवं उत्थान हेतु आवश्यक अर्थ-साधन प्राप्त हो सकते हैं।

प्राचीन अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) ने औद्योगिक विकास के

तीन क्रम निश्चित किये हैं—(१) प्राथमिक कच्चे माल का उत्पादन (२) उनकी उपभोग की वस्तुओं में परिवर्तन (३) पूज्यत सामग्री का उत्पादन। अन्तर्राष्ट्रीय विकास बंध (I B R D) तथा अमरीकी सरकार ने भी श्रोलका मिस कोलम्बिया तथा अ'य अ'द विकसित राष्ट्रों के छोटे उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान करने का सुझाव दिया है, परन्तु आधुनिक युग में केवल आर्थिक विचारधाराओं के आधार पर ही आर्थिक योजनाओं का निर्माण नहीं होता योजनाओं में प्राथमिकता निश्चित करते समय राजनीतिक तथा सामाजिक विचारधाराओं को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। सधु उद्योगों के विकास को प्राथमिकता मिलना सब अधिक महत्वपूर्ण है जब राष्ट्र की अर्थ-यवस्था में निजी साहम को विशेष स्थान प्राप्त होता है और राज्य केवल इनकी सहायता करने प्रशिक्षण समठन, मरदाण तथा आपारभूत सेवाओं के आयोजन करने तक ही अपना कार्यक्षेत्र सीमित रखता है परन्तु निजी क्षेत्र (Private Sector) को विशेष स्थान देने से नियोजन की सफलता म'हजनक हो जाती है क्योंकि निजी क्षेत्र सदैव अपना व्यक्तिगत लाभ को अधिक महत्व देता है। जब राज्य औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय भाग लेता है और राजकीय क्षेत्र के विकास तथा वृद्धि को विशेष महत्व दिया जाता है तब वृहद् उद्योगों के विकास का प्राथमिकता दी जा सकती है। वृहद् उद्योगों को प्राथमिकता देने के पूर्व यह भी देख लेना चाहिए कि राज्य को स्वयं की नियोजन सम्बन्धी शक्तियाँ तथा अर्थ-यवस्था से निजी क्षेत्र का कम किये जाने पर उद्भूत विरोध को बहान करने की शक्तियाँ कितनी हैं।

वृहद् उद्योगों में कृषि क्षेत्र के अधिक श्रम को काय देने हेतु कृषि का अधिक धन बिकास करना आवश्यक होगा क्योंकि कृषि उत्पादन से बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है अथवा विदेशों से खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता होगी और विदेशों से पूज्यत सामग्री के आयात में बाधा पड़ जायगी। इसका साथ कृषि द्वारा वृहद् उद्योगों के कच्चे माल की पूर्ति भी होनी चाहिए। जब राष्ट्र में खाद्यान्न में 'युनता हो तो वृहद् उद्योगों की स्थापनाय पूज्यत सामग्री विदेशी ऋण द्वारा ही आयात की जा सकती है जिसको जाजन का भार भी अल्प काल में कृषि पर ही पड़ना सम्भव है। भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरक यन्त्रानिक नवीन कृषि विधियाँ तथा अर्थ-यवस्था को आवश्यकता होती है। इन सभी की पूर्ति के लिए उद्योगों की स्थापना आवश्यक है। इस प्रकार कृषि तथा उद्योगों के विकास में इनका पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है कि किसी भी एक का अर्थ की सहायता की अनुपस्थिति में विकास असम्भव है। पूज्यत आर्थिक विचारधाराओं के आधार पर भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र में कृषि विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

(घ) सामाजिक प्राथमिकताएँ—नियोजन अधिकारियों को योजना में काय क्रम निश्चित करते समय यह निर्धारित करना भी आवश्यक होगा कि स्थापना का

कितना मांग उत्पादन-सामग्री में तथा कितना आर्थिक जनसमुदाय पर विनियोजित किया जाना चाहिए। उत्पादन-सामग्री उसी समय हितकर हो सकती है, जब जनसमुदाय का स्वास्थ्य, पिछला एक गृह-सम्बन्धी सुविधाएँ भी आयाजन द्वारा प्रदान की जायें। अधिकतर यह विचार किया जाता है कि जनसमुदाय के लिए आधारभूत सुविधाओं का आयोजन करने के लिए जो विनियोजन किया जाता है, वह अनुत्पादन होता है, परन्तु प्रोफेसर गुल्ज़ (Prof. Schultz) जो लेटिन अमरीकी राष्ट्रों के विपणन मामलों में विचार में जनसमुदाय का उत्पादन का एक घटक समझ कर उनकी आधारभूत सुविधाओं का आयोजन करना चाहिए। जनसमुदाय का जीवन स्तर सुधारण में जनसमुदाय की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है तथा इन सुविधाओं में विनियोजित राशि से अधिक लाभ प्राप्त होता है, जितना पूँजीगत सामग्री में विनियोजन द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक जनसमुदाय की उत्पादन-शक्ति में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है तब भी अधिक विकास पूर्ण तथा मजदूरी नहीं बढ़ा जा सकता। भारत जैसे राष्ट्रों में पिछले जातियों के लोगों का सामाजिक सुधार करना आवश्यक होता है। इस प्रकार सामाजिक कार्यक्रमों को उचित स्थान मिलना आवश्यक होता है।

परियोजनाओं के चयन हेतु लागत लाभ विद्वेषण

योजना में सम्मिलित की जा सकने वाली विभिन्न परियोजनाओं का अध्ययन करने पर प्रत्येक पर लगन वाली कुल लागत तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभों की तुलना की जाती है और उन परियोजनाओं का चयन किया जाता है जिनकी लागत एक लाभ अधिक अनुकूल अनुपात में अनुमानित होता है। इस तुलना का सामान्य तरीका यह है कि प्रत्येक परियोजना का निर्माण करने की लागत की गणना की जाती है और उससे उत्पादित होने वाली वस्तुओं एक सेवाओं का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन केवल ऐसी अर्थ-व्यवस्थाओं में सम्भव हो सकता है, जहाँ विपणन-प्रणालि संचालित रहती है क्योंकि विपणन-प्रणालि द्वारा परियोजना के निर्माण में लगने वाले उत्पादन के घटकों का मूल्यांकन तथा उत्पादित वस्तुओं का एक सेवाओं का विपणन-मूल्य निकालना सम्भव होता है। प्रतिस्पर्धी अर्थ-व्यवस्था में प्रत्येक परियोजना में लगने वाले पूँजी पर मिलने वाले प्रतिफल की तुलना उस प्रतिफल से की जाती है जो उद्योग पूँजी को अन्य परियोजना में लगाए जाने पर उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा द्वारा यह निर्धारित होता है कि लाभों का कम प्रतिफल वाले क्षेत्रों से अधिक प्रतिफल वाले क्षेत्रों में हस्तांतरण होता रहे।

दूसरी नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की स्थिति कुछ भिन्न रहती है। प्रायः सरकारी सेवाओं के लिए प्रत्येक रूप से कोई मूल्य नहीं दिया जाता है, जैसे सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य-सेवाएँ आदि। इन सेवाओं का बट पैसे पर विपणन-

यात्रिकता द्वारा लाभों की गणना किए बिना आयोजन किया जाता है। सरकारी यवसायों द्वारा समाज की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। सरकारी व्यवसायों द्वारा जिन लोगों को लाभ एवं सेवा पहुँचायी जाती है उनका समूह उन लोगों के समूह से अलग होता है जो इन यवसायों का संचालन करने के लिए करारि दते हैं। ऐसा परिस्थिति में लाभ की गणना निम्नलिखित विचारधाराओं से की जाती है—

(अ) समस्त देश के दृष्टिकोण से अर्थात् परियोजना द्वारा राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है अथवा

(आ) सरकार के दृष्टिकोण से अर्थात् परियोजना द्वारा सरकार की आय में कितनी वृद्धि होगी अथवा सरकार के व्यय में कितनी कमी होगी, अथवा

(इ) तुरन्त लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से अर्थात् उत्पादित वस्तुओं का बाजार मूल्य तथा उसको आयात करने की लागत पर लाभ के मूल्य की गणना की जाती है।

इसी प्रकार परियोजनाओं की लागत की गणना की जाती है। उन परियोजनाओं को जिनके निर्माण में ऐसे साधनों का उपयोग होना पड़ेगा जिनके अभाव में देश के रहने की सम्भावना लागत धूँय के बराबर मानी जा सकती है। इसी कारण से भल्प विकसित राष्ट्रों में उन परियोजनाओं को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है जिनमें अल्प बेरोजगारी (जिस अर्थ को अल्प उत्पादक क्रियाओं में लगाना सम्भव नहीं होता है) का उपयोग होता है।

सामाजिक लागत एवं लाभ—नियोजित अथ यवस्था के अन्तर्गत परियोजनाओं का केवल आर्थिक लागत एवं लाभ पर ही विचार नहीं किया जाता है बल्कि सामाजिक लागत एवं लाभ का भी अध्ययन किया जाता है। परियोजनाओं का संचालन से केवल विनियोजन की ही लाभ अथवा हानि नहीं होता है बल्कि परियोजना के बाहर समाज को तथा परियोजनाओं को लाभ अथवा हानि प्राप्त होती है। प्रत्येक परियोजना का अल्प परियोजनाओं का उत्पादन पर समाज के उपयोग पर परियोजनाओं में उपयोग होने वाली सामग्री का अल्प परियोजनाओं के उत्पादन एवं उपभोग पर प्रभाव पड़ता है। जब यह प्रभाव अपने से बाहर हानिकारक होता है तो उसे उस परियोजना की सामाजिक लागत समझा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परियोजना का सामाजिक वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है जैसे किसी स्थान पर नारखाना खुलने पर वहाँ गंदगी हानि है गंदगी घुआँ गंध आदि पताती है उस नगर की जनसंख्या घना हाती है औद्योगिक बीमारियाँ फैलती हैं आदि आदि। दूसरी ओर, उस नारखाने के बन जाने से लोगों को रोजगार मिलता है, आय बढ़ती है जीवन-स्तर में सुधार होता है व्यापार का क्षेत्र बढ़ता है आदि। इस प्रकार प्रत्येक परियोजना के कुछ सामाजिक लाभ और कुछ सामाजिक हानियाँ होती हैं।

परियोजनाओं के केवल धनधान सामाजिक लाभ एवं लागत का ध्यान न रखना पर्याप्त नहीं होता है। उनमें दीर्घ काल में जो सामाजिक लाभ एवं लागत हासिल होती है उस पर भी विचार करना चाहिए। इसी प्रकार कुछ परियोजनाओं में हासिल वाली हानि एवं लागत के प्रभाव का फैलाव समान क बड़े क्षेत्र पर होना है और कुछ अर्थ बचस कुछ ही नागरिकों को प्रभावित करती हैं।

लागत लाभ पद्धति का उपयोग—लागत-लाभ की विवक्षित पद्धति का उपयोग करने के लिए परियोजना का कायलेख पारिभाषित करके उनमें प्राप्त होने वाला धन लाभ लाभों तथा उस पर लगाने वाली वर्तमान लागत का अनुमान लगाया चाहिए और फिर इन लागत एवं लाभ का मौद्रिक मूल्य पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात् परि-योजना द्वारा जो प्रति वर्ष शुद्ध लाभ प्राप्त होने वाला हो उसका अनुमान लगाया चाहिए। इन सब अनुमानों का तयार करने के पश्चात् यह निश्चय किया जा सकता है कि किसी विवक्षित योजना से प्राप्त होने वाले प्रतिफल जयवा लाभ की दर इनकी ऊंची है कि उबना मनासन करना बापोचित है।

भारत में लाभ-लागत-पद्धति का उपयोग

लाभ लागत पद्धति का भारतवर्ष में पूर्णतया उपयोग करना सम्भव नहीं है क्योंकि यहाँ पर मास्यनीय तम्य पचाप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं तथा यह तम्य शुद्ध एवं विश्वसनीय भी नहीं होते हैं। वर्तमान एवं भूतकालीन विस्तृत सान्प्रकीय तम्यों की अनुपस्थिति में परियाजनाओं के आर्थिक तथा सामाजिक लाभ-लागत का अनुमान लगाना सम्भव नहीं हो सकता। यह भी पता लगाना सम्भव नहीं होता कि परियाजना का मचालन न होने पर लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति क्या होती। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में बहुत सी परियाजनाओं का सचालन एवं साथ प्राम्न्न किया गया है जिससे प्रयत्न प्रयत्न परियाजनाओं के लाभ लागत पाठ करना सम्भव नहीं है। परियाजनाओं का प्रारम्भ होते समय कुछ साधन उपलब्ध हो जाते हैं परन्तु बाद में उनकी पूर्ति एवं कुशल पचाप्त साधन, विशेषकर विदेशी विनिमय उपकरण नहीं होता है जिसके अन्तस्वर्ण परियाजनाओं की लागत एवं लाभ का ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं हो सकता है।

भारत में वेगवहार अथवा वेराजहार एवं अहृष्य वेरोजहार धन का बाहृम्य है जबकि उपादन के अर्थ घटकों विशेषकर पूँजी एवं ताजिक पाठ की बहुत कमी है। परियाजनाओं की अर्थ-लागत का अनुमान लगाना इसी कारण सम्भव नहीं होता। भारतवर्ष की परियाजनाओं की सामाजिक लागत की गणना भी प्रयत्न कठिन है और इस और नियोजकों द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि इसकी पूर्ति निराश-मस्था द्वारा नहीं करनी पसती है। सरकारी क्षेत्र में होने वाले विनियो जन के व्याज का उचित दर पर नहीं लगाये जाने का कारण परियाजनाओं की लागत की गणना शुद्ध नहीं होती है।

दूसरी आर, लाभ का अनुमान भी ठीक से लगाना सम्भव नहीं होता है क्योंकि भारत में मूल्य स्तर में बड़ी अनिश्चितता रहती है। मूल्य स्तर कृषिक्षेत्र की सफलता पर निर्भर रहता है और यह सफलता अनिश्चित मानसून पर निर्भर रहती है। इस प्रकार भविष्य के लाभ की गणना वर्तमान मूल्यों पर करने से शुद्धता का अभाव रहता है। परन्तु जब रफर स्टॉक की पद्धति से मूल्य स्तर को स्थिर बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और यदि यह प्रयत्न सफल रहे तो परियोजनाओं की लागत शुद्धता के साथ अनुमानित हो सकेगी।

परियोजनाओं के लागत लाभ विश्लेषण में एक सबसे बड़ी कठिनाई होता है राजनीतिक विचारधाराओं एवं दबाव की। प्रजातान्त्रिक राष्ट्रा में परियोजनाओं का अर्थ केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं किया जाता है बल्कि राजनीतिक दबाव का बोलबाला रहता है। इस बात का प्रमाण हम कई परियोजनाओं के सम्बंध में मिलता है जैसे विशाखापटनम में भारी इस्पात का कारखाना खोलने के लिए कुछ समय पूर्व आंदोलन किया गया था। इस प्रकार राजनीति दबाव के कारण भी लागत लाभ का उपयोग भारत में पूर्णरूपेण नहीं किया जा सका है।

आर्थिक नियोजन की प्रविधि एवं प्रक्रियाएँ [Techniques and Methodology of Economic Planning]

[विकास-योजना के अा—वित्तीय नीति का निर्धारण
मौद्रिक नीति का निर्धारण व्यक्तियों, व्यवसायों एवं सम्पदाओं पर
नियन्त्रण—नियोजन की प्रविधियाँ—परियोजना नियोजन अर्थात्
नियोजन लक्ष्य नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन, त्रि-मौद्रिक वनाम स्थिर
नियोजन, निर्यात भविष्य वनाम मुद्रा भविष्य के लिए नियोजन,
कार्य-प्रधान वनाम निर्माण-प्रधान नियोजन, मौद्रिक वनाम वित्तीय
नियोजन, प्रोत्साहन द्वारा वनाम निर्देशन द्वारा नियोजन निम्न
स्तर वनाम उच्च स्तर से नियोजन, प्रदेशीय वनाम राष्ट्रीय
नियोजन, अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन]

आर्थिक नियोजन मूलतः एक राज-व्यवस्था है जिसका उद्देश्य पूर्व-
निर्धारित लक्ष्यों की निश्चित काल में प्राप्ति करना होता है। इस व्यवस्था में अर्थ-
व्यवस्था का इस प्रकार संचालित एवं संचालित किया जाता है कि देश में उपर्युक्त
मौद्रिक एवं मानसिक साधनों का कुशल एवं पूर्णतम उपयोग पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों
की पूर्ति के लिए किया जा सके। नियोजित अर्थ-व्यवस्था के संचालनार्थ उपयोग की
जाने वाली प्रविधि एवं प्रक्रियाएँ विभिन्न राज्यों के राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर
पर विभक्त रहती हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था के सफल संचालन हेतु केवल वित्तीय
मौद्रिक एवं विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रविधियों का ही उपयोग नहीं करना पड़ता,
अन्य अर्थ-व्यवस्था में कुछ सहायीय परिवर्तन करने पड़ते हैं। परम्परागत आर्थिक
सम्पदाओं के विस्तार पर जोर लगायी जाती है और इनके स्थान पर उपर्युक्त सहायीय
सम्पदाओं की स्थापना की जाती है। इस प्रकार एक विकास-योजना के निम्नलिखित
तीन प्रमुख अंग होते हैं—

विकास योजना के अंग

(१) वित्तीय नीति का निर्धारण—इसके अन्तर्गत विनियोजन की मात्रा वर,
वस्तु सरकारी रूप, विदेशी सहायता आदि का निर्धारण किया जाता है। इनको
पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने हेतु नीतियाँ एवं विधियाँ निर्धारित की जाती हैं। यह
क्रिया प्रायः दो बजट (Budget) बनाकर की जाती है। एक बजट में पूर्वोक्त विनि-
योजन एवं व्यय का विवरण दिया जाता है और दूसरे बजट में अन्य सहायी व्ययों

का व्यौरा दिया जाता है। पूँजीगत एवं आगम-व्ययों के साथ-साथ उनके लिए आवश्यक अथ प्राप्त करने हेतु साधना का यौरा भी दिया जाता है। इस प्रकार वित्तीय नीति द्वारा उत्पादन-साधना के आवंटन का नियंत्रित किया जाता है।

(२) मौद्रिक नीति का निर्धारण—इसके अन्तर्गत नियोजित अथ-व्यवस्था के लिए मुद्रा एवं साख की माँग एवं पूर्ति का अनुमान लगाया जाता है और माँग एवं पूर्ति को अनुमानानुसार रखने हेतु मौद्रिक एवं साख नियन्त्रण की विधियों का निर्धारण किया जाता है। मौद्रिक नीतियों को वित्तीय नीति के समय समायोजित एवं समन्वित भी किया जाता है।

(३) व्यक्तियों, व्यवसायों एवं संस्थाओं पर नियंत्रण करने हेतु अधिनियम एवं नियम निर्धारण करना—आर्थिक नियोजन के आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निजी मालिकी संस्थाओं एवं व्यवसायों का योगदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक अधिनियम एवं नियम बनाने का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही योजना के कार्यक्रमों के कुशल संचालन हेतु परम्परागत संस्थाओं का पुनर्गठन एवं नवीन संस्थाओं की स्थापना के लिए नियमों एवं अधिनियमों का भी आयोजन किया जाता है।

आर्थिक नियोजन की उपयुक्त नीति नीतियाँ ही सफल अर्थ नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को नियंत्रित करती हैं। उपयुक्त मूलभूत नीतियाँ निर्धारित करने के पूर्व योजना के उद्देश्यों को निर्धारित कर लिया जाता है और फिर आधारभूत नीतियाँ वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए निर्धारित की जाती हैं। नियोजित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत अनियोजित अर्थ-व्यवस्था के समान सीमान्त परिवर्तनों (Marginal Changes) पर निर्भर नहीं रहा जाता है। अनियोजित व्यवस्था में समस्त संतुलन सीमान्त परिवर्तना एवं सीमान्त समायोजना (Marginal Changes and Marginal Adjustment) के द्वारा संचालित होते हैं जबकि नियोजित अर्थ व्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक क्लेवर में आधारभूत परिवर्तन करने आवश्यकता प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाते हैं। इसी कारण नियोजित अर्थ व्यवस्था की प्रविधि एवं प्रक्रियाएँ अनियोजित अर्थ-व्यवस्था से भिन्न होती हैं। विभिन्न राष्ट्रों में नियोजन के कुशल संचालन हेतु परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रविधियों एवं प्रक्रियाओं का उपायोग किया जाता है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण का विवेचन नीचे किया गया है—

नियोजन की विभिन्न प्रविधियाँ

(१) परियोजना नियोजन (Project Planning)—इस प्रविधि के अन्तर्गत अर्थ विकसित राष्ट्र कुछ विशेष परियोजनाओं को उपरिष्ठ परिधि-नियमों में अधिक महत्वपूर्ण समझी जाय, को ही संचालित किया जाता है। इसके लिए उचित संगठन विनियोजन बादि की व्यवस्था कर दी जाती है। अर्थ-व्यवस्था के अर्थ क्षेत्रों का उपायों का लक्ष्य जारी रखा जाना है। इस प्रकार देश के लिए एक व्यापक एवं समन्वित

चीजना नहीं बनायी जाती है बल्कि कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ही योजनाएँ निर्धारित की जाती हैं। परन्तु इस प्रकार की विनाश-निर्धारण का अर्थ-अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में समन्वित करने में बाधाएँ उत्पन्न हैं क्योंकि निर्धारित क्षेत्रों के लिए बेहतर धन एवं निवेशित हो पसोक्त नहीं होते। अतः समन्वित (INSITUATION) परिवर्तन करना आवश्यक होता है।

(२) खण्डित नियोजन (Sectional Planning)—खण्डित नियोजन की विधा-विधा का अर्थ-अर्थ प्रकाश में लाना जाता है। कुछ उद्योग-निर्माणों व उद्योगों इसके अन्तर्गत समन्वित अर्थ-व्यवस्था की प्रगति की प्रतिक्रिया की प्रगति हेतु खण्डित-निर्धारण एवं प्रगति का विचारण करना एक उद्योग-निर्माण प्रगति है। इसके अर्थों में यह कहा जा सकता है कि समन्वित अर्थ-व्यवस्था की प्रगति के अन्तर्गत एक-एक खण्डित निर्धारण किए जाते हैं जो खण्डित नियोजन कहते हैं।

कुछ अन्य उद्योग-निर्माणों के अनुसार खण्डित नियोजन एक अर्थव्यवस्था की प्रगति है जिसमें अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न खण्डों (Sectors) का अनुमानित प्रगति की प्रगति का निर्धारण किया जाता है जो इस प्रगति की प्रगति करने हेतु आवश्यकता की निर्धारण किए जाते हैं। कुछ अन्य उद्योग-निर्माणों का विचार है कि खण्डित नियोजन एक-एक खण्डों की विधा-विधाओं का समन्वित होना है। इनके अन्तर्गत विभिन्न विकास-खण्डों (Development Sectors) के लिए समन्वित एवं मा-जाना-निर्धारण की आवश्यकता निर्धारित की जाती है।

(३) लक्ष्य नियोजन (Target Planning)—लक्ष्य-नियोजन सबसे अधिक प्रभावकारी एवं प्रयागी समझा जाता है। इसके अन्तर्गत बेहतर उद्योग-निर्धारण-परिधोजनएँ (Public Investment Projects) खंडित निर्धारणों की प्रगति एवं परिधोजन-सम्पादन के लिए समन्वित अर्थ-व्यवस्था की आवश्यक प्रगति की ही निर्धारित करने की जाती अतः उद्योग-निर्धारण की मा-जाना के लक्ष्य की विभिन्न क्षेत्रों के लिए उद्योग-निर्धारण-निर्धारण किए जाते हैं। इसका ही नहीं उद्योग-निर्धारण की मा-जाना के लक्ष्य प्रत्येक उद्योग-निर्धारण के लिए ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। लक्ष्य-नियोजन की उद्योग-निर्धारणों का अर्थ-व्यवस्था सुदूर होता है परन्तु विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य निर्धारित करने के पूर्व इस बात पर समन्वित-निर्धारण-विचार करना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्यों में समन्वित बना रहे। लक्ष्यों के समन्वित के समन्वित में अन्तर्गत रहने पर समन्वित अर्थ-व्यवस्था की समन्वित प्रगति होने पर ही अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति में दिपनता हो सकती है, जो अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए बाधाओं की प्रगति के मद्देन है। विभिन्न क्षेत्रों (Sectors) के विकास की समन्वित करने हेतु विभिन्न उद्योग-निर्धारणों की प्रगति-उद्योग-निर्धारण की निर्धारण करने चाहिए जैसे बजट को अनुचित बनाना का लक्ष्य-निर्धारण-निर्धारणों के अनुभव का लक्ष्य-निर्धारण-निर्धारण का लक्ष्य-निर्धारण-निर्धारण से औद्योगिक क्षेत्र में अर्थ-व्यवस्था के हस्तान्तरण का लक्ष्य-निर्धारण-निर्धारण के पुनर्निर्धारण का लक्ष्य-निर्धारण व प्रगति का लक्ष्य-निर्धारण।

(४) क्षेत्रीय नियोजन एवं विकास (Area Planning and Development)—बड़े क्षेत्र वाले राष्ट्रीय सन्तुलित प्रयोगिक विकास द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक गति का उचित आयोजन नहीं किया जा सकता है। भारतीय नियोजन अथवा व्यवस्था की प्रथम तीन योजनाओं में प्रयोगिक योजनाओं के आधार पर विकास कार्यक्रम संचालित किये गये जिसने जनस्वरूप में अनुभव किया गया है कि विभिन्न प्रयोगिक कार्यक्रमों के अनुभव प्रकट होते हुए भी उस प्रयोगिक में गहन ऐसे क्षेत्र रहते हैं जिनको नियोजित अथवा व्यवस्था का सर्वांगीण लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्षेत्रीय नियोजन का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन का सुदृढ़ बनाकर उस क्षेत्र की प्रगति की सम्भावनाओं का वर्णन करना है। इसके अन्तर्गत उस विनिष्ट क्षेत्र में कार्यप्रणाली का सुदृढ़ बनाना करना, क्षेत्रीय प्रारम्भिकता (Initiative) एवं सहयोग (Participation) प्राप्त करना तथा उस क्षेत्र के समुदाय को नियोजन में उद्देश्य का उचित स्थान प्राप्त कराना होता है। क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पट्टी है—

(१) राष्ट्रीय योजना को जनसमुदाय के जीवन का एक मूलभूत अंग बनाने हेतु उसे क्षेत्रीय परियोजनाओं (Local Projects) में विभक्त करना आवश्यक होता है। क्षेत्रीय योजनाओं की अनुपस्थिति में जनसाधारण में नियोजन के प्रति जागरूकता नहीं रहता और यह हमें सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली एवं किया जाने समर्थता है।

(२) विभिन्न प्राविष्ट क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्र करने हेतु द्वितीय प्रयास किए जाने चाहिए और इसमें लिए विशेष परियोजनाओं का संचालन किया जाना चाहिए। दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जिनमें विकास तीव्र गति से किया जाना सम्भवित होना है और इन्हें क्षेत्रीय विकसित करने अथवा क्षेत्रों को आकर्षण प्रस्तुत किया जा सकता है।

(३) विकास सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर समन्वित करने प्रत्येक क्षेत्र का सन्तुलित विकास किया जा सकता है।

(४) स्थानीय स्तरों का (जिनका अर्थवा उपयोग हो नहीं होता) अथवा पूरा उपयोग नहीं होता। जिनमें जन गति भी सम्मिलित है, का उपयोग एक उत्पादनकारी उपयोग किया जा सकता है। स्थानीय सहयोग भी प्राप्त करना सम्भव हो सकता है।

क्षेत्रीय विकास योजनाओं का निर्माण करने के लिए स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तरों की जांच का ज्ञानी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र की भूमि का उपजाऊपन परसनों पर्युक्त बना स्थानीय बसा वीक्षण, जन गति व्यवस्थाओं, यातायात के साधनों की पूर्ण जांच (Survey) को जानी चाहिए और इस जांच से प्राप्त सूचनाओं एवं साधनों के आधार पर विकास सम्बन्धी सम्भावनाओं का अनुमान लगाना चाहिए। तत्पश्चात् समन्वित विकास-कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं।

क्षेत्रीय विकास योजनाओं का राष्ट्रीय योजनाओं में स्थिति स्थान को स्पष्ट रूप

स पारिभाषिक विद्या जाना चाहिए, अथवा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विकास-योजनाओं के आवंटन (Allotment) के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है और प्रत्येक क्षेत्र अपने विकास हेतु राजनीतिक दबाव का उपयोग करने लगता है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय योजना प्रभावशाली नहीं हो सकेगी। क्षेत्रीय परियोजनाएँ राष्ट्रीय नियोजन की सहायक एवं पूरक होनी चाहिए।

(५) गतिशील बनाम स्थिर नियोजन (Dynamic vs Static Planning)—

नियोजन का तात्पर्य केवल प्राथमिकताओं का आधार पर लक्ष्य एवं विनियोजन करना ही नहीं होना चाहिए। वास्तव में नियोजन एक सतत विधि (Continuous Process) है जिसके द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयत्न किए जाते हैं, परन्तु इन लक्ष्यों का यदि इतना कठोर (Rigid) बना दिया जाय कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने हुए भी हमें कोई परिवर्तन सम्भव न हो तो इस प्रकार के नियोजन का हम स्थिर नियोजन कह सकते हैं। वास्तव में ऐसे कार्यक्रम जिनके लक्ष्य एवं आयोजन अपरिवर्तनशील हों उन्हें आर्थिक नियोजन कहना 'यावत्सर्वत्र न हुमा क्योश्चि' आर्थिक परिस्थितियों एवं वातावरण में परिवर्तनशीलता स्वाभाविक एवं अनिवार्य है और किसी आर्थिक कार्यक्रम का स्थिरता दिया जाना सम्भव प्रतीत होता है। गतिशील नियोजन इसके विपरीत परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनीय होने है जिसका ठीक-ठीक अनुमान याचना निमाण के समय मात्र के योग्य नियोजन अधिकारी भी नहीं लगा सकते। इसका अनिश्चित अन्तरराष्ट्रीय वातावरण का भी प्रभाव प्रान्तरिक अर्थ-व्यवस्था पर पड़ता है, जिस पर नियोजन अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं होता, केवल कठोर नियंत्रण एवं नियमन द्वारा ही स्थिर कार्यक्रम का संचालन सम्भव हो सकता है। कठोर नियमन और नियंत्रण तानाशाही नियोजन में ही सम्भव एवं उचित है। स्थिर नियोजन में नियोजन अधिकारी एवं राज्य का प्रयत्न का अध्ययन करने के स्थान पर योजना के कार्यक्रमों के संचालन को विनियमित रखना पड़ता है। इस प्रकार के नियोजन को जन-सहयोग भी प्राप्त नहीं होगा।

(६) निश्चित भविष्य बनाम सुदूर भविष्य के लिए नियोजन (Prospective vs Perspective Planning)—

दूसरे शब्दों में इस प्रकार के नियोजन को दीर्घ कालीन एवं अल्पकालीन नियोजन भी कहा जा सकता है। अल्पकालीन नियोजन में सुदूर भविष्य के लिए अनुमानित आवश्यकताओं के अनुसार एक विकास का ढांचा निर्मित कर लिया जाता है। इस निर्धारित ढांचे की प्रगति हेतु निरन्तर प्रयास की आवश्यकता होती है। निर्धारित विकास को दीर्घ काल में ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कार्यक्रमों का अल्प काल में विभाजित करके निश्चित दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। अल्पकालीन योजना में कार्यक्रमों के समस्त विकरण रहे जाते हैं और उनको इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि एक के पश्चात् दूसरी अल्पकालीन योजना दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। अल्पकालीन याच-

नावा म प्राथमिकताओं के अनुसार तत्कालीन समस्याओं का निवारण करने के साथ साथ दीर्घकालीन लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जानी है। सुदूर भविष्य की योजनाओं में केवल महत्वपूर्ण एवं आधारभूत उद्देश्य ही सम्मिलित होते हैं और उनका विवरण तैयार नहीं किया जा सकता क्योंकि परिस्थितियाँ की परिवर्तनशीलता के कारण दीर्घकालीन अनुमान लगाना सम्भव नहीं होता है। उदाहरणार्थ भारत में सन् १९६०-६१ के अंत तक राष्ट्रीय उत्पादन एवं शुद्ध विनियोजन का (सन् १९६७-६९ के मूल्या पर) क्रमशः बढ़ा कर ५६२२० करोड़ रुपये एवं १०२५० करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य योजना का दीर्घकालीन उद्देश्य है। इसी प्रान्ति हेतु ऋण योजना के कार्यक्रमों का विवरण प्रकाशित कर दिया गया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का बढ़ा कर ३८४७० करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है। ऋण योजना के अंत होते ही उस समय की परिस्थितियों के अनुसार एवं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को दृष्टिगत करते हुए पाँचवी योजना के कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाएगा। अब यह भी अनुभव किया जाने लगा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रमों को वार्षिक कार्यक्रमों में विभक्त किया जाना चाहिए। परस्वरूप वार्षिक प्रगति आँकी जा सके और उस प्रगति के अनुसार आगामी वर्ष के कार्यक्रमों में हेर फेर किया जा सके।

(७) कार्य प्रधान बनाम निर्माण प्रधान नियोजन (Functional vs Structural Planning)—कार्य प्रधान नियोजन उस कार्यक्रम को कहते हैं जिसमें वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक प्रारूप के अंतर्गत ही नियोजन के कार्यक्रमों का संचालन करके आर्थिक गठनाइयों का निवारण किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में सत्यनीय परिवर्तन नहीं किए जाते। एक नवीन सत्यनीय आकार का प्रादुर्भाव नहीं होता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों को कम साधनों एवं तांत्रिक विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जा सकता है परन्तु यह नियोजन बहुमुखी विकास एवं जनसमुदाय में नवान जीवन-संचारण हेतु अनुपयुक्त है। इसमें तो केवल विशेष समस्याओं का निवारण होता है एवं अल्प-यवस्था की विशिष्ट दुबलताओं को कम किया जाता है।

दूसरी ओर निर्माण-सम्बन्धी नियोजन में सामाजिक तथा आर्थिक यवस्था में सत्यनीय परिवर्तन द्वारा एक नवीन यवस्था का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा समाज में सर्वतो-मुखी विकास और नवीन जीवन संचार होता है। निर्माण सम्बन्धी नियोजन में उत्पादन की नवीनतम विधियाँ का प्रयोग किया जाता है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना को कार्य प्रधान नियोजन कहा जा सकता है क्योंकि इस योजना के कार्यक्रमों को इस प्रकार निर्धारित किया गया था कि तत्कालीन उत्पादन-व्यवस्था में 'यूनाति-यून हेर-फेर' द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इस योजना में आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में समायोजन करने की विशेष महत्त्व दिया गया था क्योंकि द्वितीय महायुद्ध एवं दश के विभाजन से पैट्टेची क्षति की पूर्ति आवश्यक थी। फिर भी, इस

याजना में कुछ क्षेत्रों में सस्यनीय परिवर्तन हुए हैं। इन क्षेत्रों में भूमि प्रत्येक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। द्वितीय याजना में एक नवीन अर्थ-व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य रखा गया है और सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) का विकास एवं विस्तार करने उद्देश्य के क्षेत्र में सम्बन्धीय परिवर्तन किए गए हैं। तृतीय याजना में सहायक-वृष्टि उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक महत्व, समाज सेवाओं में कामगारों का अधिक महत्व, सामुदायिक विकास आदि द्वारा सम्बन्धीय परिवर्तन का और भी अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए इन दोनों याजनाओं का निर्माण प्रधान याजना कहा जा सकता है।

अब विकसित राष्ट्रों में निर्माण-प्रधान याजना का अधिक महत्व दिया जाता है। इसका द्वारा एक नवीन व्यवस्था का निर्माण होता है और पुरानी व्यवस्था में, जिसकी प्रभावशीलता समाप्त हो चुकी है उसे बड़े बड़े मुद्दों पर दिया जाता है। एक ही क्षेत्र में नियोजन का स्वरूप निर्माण प्रधान है। चीनी नियोजन द्वारा चीन की मिश्रित अर्थ व्यवस्था को समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। इसी प्रकार रूसी नियोजन के आरम्भिक काल में नियोजन का स्वरूप निर्माण प्रधान था और इसके द्वारा समाज के ढाँचे में परिवर्तन किए गए।

वास्तव में निर्माण प्रधान नियोजन का अधिक प्रभावशाली माना जा सकता है। इसके द्वारा ही धन एवं आय का समान वितरण तथा अवसर एवं धन में वृद्धि की जा सकती है। किसी राष्ट्र का निम्नता का समाप्त करने हेतु धन एवं आय का समान वितरण तथा अभिवृद्धि उत्पादन दोनों ही आवश्यक हैं और इन दोनों का आयोजन अर्थ-व्यवस्था में सस्यनीय परिवर्तन द्वारा ही किया जा सकता है। वास्तव में, कार्य प्रधान एवं निर्माण प्रधान नियोजन में कोई विशेष अन्तर नहीं है। निर्माण-प्रधान नियोजन भी कुछ समय पश्चात् कार्य प्रधान नियोजन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। निर्माण प्रधान याजना के संचालन के कुछ वर्षों पश्चात् अर्थ-व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था में आवश्यक सस्यनीय परिवर्तन हो जाते हैं और फिर बड़े पैमाने पर व्यवस्था में सस्यनीय परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में निर्माण प्रधान योजना कार्य प्रधान योजना बन जाती है। ऐसी नियोजन में अब कार्य प्रधान नियोजन का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। इसी प्रकार कुछ वर्षों पश्चात् चीनी एवं भारतीय नियोजन भी कार्य प्रधान नियोजन बन जायेंगे।

(८) भौतिक बनाम वित्तीय नियोजन (Physical vs Financial Planning)—अब नियोजन का कार्यक्रम निर्धारित करते समय उपरोक्त वास्तविक साधनों की दृष्टिकोण किया जाता है तो इसे भौतिक नियोजन कहते हैं। योजना के कार्यक्रम पूर्ण होने पर उत्पन्न हुई पूंजी एवं माय के सम्बन्ध में अनुमान लगाने का कार्य भी भौतिक नियोजन का अर्थ होता है। इतना ही नहीं, योजना बनाते समय केवल पृथक् योजनाओं के लिए साधनों की आवश्यकताओं को ही दृष्टिकोण करना पर्याप्त नहीं होता है, प्रत्युत समस्त विकास-कार्यक्रमों के आवश्यकतानुसार साधनों का निर्धारण भी

जटिल होता है। योजना के द्वारा अथ व्यवस्था के वर्तमान सन्तुलन का विस्तृत भिन्न करने नवीन सन्तुलन का निर्माण किया जाता है। नवीन सन्तुलन स्थापित करने से पूर्व आवश्यक सामग्री मात्र थम आदि की उपलब्धि को दृष्टिगत करना आवश्यक होगा। यदि कुछ सामग्री विदेशों से आयात करना हो तो यह भी अंकित पड़ेगा कि कथित सामग्री प्राप्त की जा सकती है अथवा नहीं और साथ ही क्या इस सामग्री में आयात के शापनाय देश में निर्यात योग्य अतिरिक्त वस्तुएँ उपलब्ध हैं या नहीं। इस प्रकार योजना के कार्यक्रमों की भौतिक साधनों सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं उपलब्धियों का अध्ययन तथा निश्चयों को भौतिक नियोजन कहते हैं।

दूसरी ओर, वित्तीय नियोजन में योजना के कार्यक्रमों का वित्तीय आवश्यकताओं को अंकित किया जाता है एवं उनका प्रबंध किया जाता है। वित्तीय नियोजन का प्रकार निश्चित करके विभिन्न मंडलों पर यह हानि वाली राशियाँ निश्चित की जाती हैं। विवास्तविक द्वारा मूल्य एवं भौतिक आय पर सहज वाले प्रभाव का अनुमान लगाकर माँग एवं पूर्ति का अनुमान लगाये जाते हैं। जबकि सम्यक् नीतियों द्वारा मूल्य आय एवं उपभोग पर नियंत्रण किया जाता है। इन सभी कार्यों का वित्तीय नियोजन में सम्मिलित किया जाता है। किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए भौतिक एवं वित्तीय—दानी ही विचारधाराएँ एवं अनुमान आवश्यक हैं। योजना में इन दोनों विचारधाराओं का पृथक् पृथक् नहीं किया जा सकता। यह अवश्य है कि किसी योजना में वित्तीय विचारधाराओं की ओर किसी में भौतिक विचारधाराओं की महत्व प्रदान किया जाता है। वित्तीय साधनों में राज्य वृद्धि कर सकता है किन्तु इनकी वृद्धि कुछ लाभदायक नहीं होगी, जब तक कि वास्तविक भौतिक साधनों में वृद्धि न हो। दूसरी ओर यदि भौतिक साधनों को ही अधिक महत्व दिया जाय तो वित्तीय व्यवस्था के प्रभावों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार वित्तीय नियोजन एवं भौतिक नियोजन एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों का समन्वित उपयोग आवश्यक होता है।

योजना बनाने के पूर्व योजना आयोग को भौतिक सहाय निश्चित करना आवश्यक होता है। इन भौतिक सहायों में पारस्परिक समन्वय होना भी आवश्यक है। एक उद्योग का निर्मित माल दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल होता है। ऐसी परिस्थिति में दोनों उद्योगों के लक्ष्यों में समन्वय होना आवश्यक है अन्यथा विनाम विस्तृत भिन्न हो जायेगा। प्रत्येक उद्योग के लिए आवश्यक सामग्री एवं कच्चा माल की मात्रा तथा उसका द्वारा निर्मित माल की माँग निर्धारित करना योजना अधिकारियों का मुख्य कर्तव्य होता है। इस प्रकार विभिन्न उद्योगों की कच्चे माल क्रय एवं सामग्री सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा उनसे द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा को निर्धारित करने को नियोजन का भौतिक स्वरूप कहते हैं। जब इन भौतिक सहायों एवं निर्यातों की वित्तीय स्वरूप दिया जाता है तो उसे नियोजन का वित्तीय स्वरूप कहते हैं।

इस बात में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में मौलिक व्यवस्था वित्तिय—हिसाब को योजना का आधार माना जाय। वास्तव में प्रत्येक योजना के लिए दानों ही वस्तुओं की आवश्यकता होती है। केवल निश्चय यह करना होता है कि किस वस्तु को आधार समझा जाय। अल्प विकसित राष्ट्रों में राष्ट्रीय वषट इतनी कम होती है कि यदि उनकी आधार मानकर विमान योजनाओं का निमाण किया जाय तो विमान की गति अत्यन्त धीमी रहती। दूसरी ओर, अर्थ-व्यवस्था की मौलिक आवश्यकताओं की जीव करके उनकी पूर्ति हेतु अर्थ-साधनों की ग्राह्य की जाय ता विमान की गति तीव्र हो सकती है, परन्तु यह अर्थ-साधन वहाँ से उबरने ही सर्वोत्तम बरॉनि है। इन साधनों को इन प्रकार विदगी महामता एक मुद्रा-प्रसार से पुनर्जाया जाता है। विमानों सहायता पर्याप्त मात्रा में मिलते रहना प्रायः सम्भव नहीं होता है और यदि पर्याप्त विदगी सहायता उपलब्ध नही जाय ता इस सहायता का बहु भाग विसर्था उपयोग विदगों से आयात करने पर व्यय नहीं किया जाता। मुद्रा प्रसार को उन्नत बनाने में सहायक होता है। दूसरी ओर, मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि द्वारा भी मुद्रा प्रसार के दबाव का प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार मुद्रा-प्रसार की वृद्धि में विकास की गति को अधिक समय तक तीव्र रखना सम्भव नहीं होता है, परन्तु मुद्रा-प्रसार पर राज्य विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय क्रियाओं द्वारा नियन्त्रण रख सकता है और विकास की वांछित गति बनाये रखे जाती है। इन्हीं कारणों से आधुनिक युग में मौलिक नियोजन को अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है। परन्तु मौलिक आवश्यकताओं को आधार मानने हुए भी उनकी अधिकतम सीमा, उपलब्ध हो सकने वाले सम्भावित साधनों पर निर्भर रहती है।

(६) प्रोत्साहन द्वारा नियोजन बनाम निर्देशन द्वारा नियोजन (Planning by Inducement vs Planning by Direction)—नियोजित व्यवस्था का अन्तर्गत आर्थिक क्रियाओं पर राजकीय नियन्त्रण करना आवश्यक होता है, परन्तु इस नियन्त्रण की बढोतरता नियोजन के प्रकार पर निर्भर रहती है। जब सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय नियोजन अधिकारी राष्ट्र को अर्थ-व्यवस्था का संचालन करता है तथा सरकार के हाथ में आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों ही सत्ताओं का सम्पूर्ण केन्द्रीयकरण हो जाता है तो ऐसी नियोजन-व्यवस्था को निर्देशन द्वारा नियोजन समझा जाता है। निर्देशन द्वारा नियोजन में केन्द्रीय अधिकारियों के आदेशों के अनुसार उत्पादन उपभोग वितरण, व्यापार, मूल्य आदि सम्बन्ध आर्थिक कृत्यों का निर्धारण किया जाता है और जनसमुदाय को उक्त आदेशों के अनुसार ही अपनी सम्पूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं का करना होता है। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुठाराघात पहुँचता है और जनसमुदाय को दबाव द्वारा त्रास करने के लिए विवश किया जाता है। एक संन्योकरण व्यवस्था नागरिक जीवन को आच्छादित कर लेती

और राज्य के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड का आयाजन किया जाता है। इस प्रकार के नियोजन में कुछ सीमा तक सहाय की पूर्ति आश्चर्यजनक रहती है परन्तु जैसे जैसे जनसमुदाय में असंतोष की भावना बढती जाती है योजना की सफलता सम्बन्धजनक होती जाती है। निर्देशन द्वारा नियोजन का उपयोग अधिनायकवादी अथवा तानाशाही तथा साम्यवादी नियोजन में किया जाता है।

दूसरी ओर प्रोत्साहन द्वारा नियोजन के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं में राजकीय नियंत्रण यदा क्या रहना है अर्थात् राज्य उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का संचालन अपने हाथ में लेती है जिनका आर्थिक विकास व कार्यक्रमों की सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता हो तथा जो योजना के आधारभूत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रत्यक्षरूप में सम्बन्ध रखती हो। इस प्रकार विपणि यात्रिकताओं को जीवित रख कर राज्य प्रलोभन प्रोत्साहन लोकप्रसिद्धि (Publicity) द्वारा जनसमुदाय को योजना के कार्यक्रमों में सहयोग देने साधनों को योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार विनियोजित तथा योजना की सफलता के लिए स्वागत करने के लिए आकर्षित करता है। इस प्रकार प्रोत्साहन विधि के अंतर्गत विकास की गति धीमी और लक्ष्यों की पूर्ति आश्चर्यजनक नहीं होती है परन्तु दोष बाल में इस प्रकार के नियोजन के अंतर्गत प्रगति की गति तीव्र हो जा सकती है। प्रोत्साहन द्वारा नियोजन में यत्किन्त स्वतन्त्रता बनी रहती है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों को सम्बन्धित किया जाता है।

(१०) निम्न स्तर से नियोजन बनाम उच्च स्तर से नियोजन (Planning from Below vs Planning from Above)—नीचे के स्तर से बनायी जाने वाली योजनाओं या निर्माण स्थानीय क्षेत्रीय तथा व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा बनायी गयी योजनाओं को सम्बन्धित करके किया जाता है। नीचे के स्तर से नियोजन का अर्थ यह है कि राष्ट्र के सबसे पिछड़े हुए वर्ग को सबसे प्रथम उसके ऊँचे वर्ग के स्तर पर लाया जाय और फिर इस दूसरे वर्ग को उसमें ऊँचे वर्ग के स्तर तक लाया जाय। इस प्रकार का नियोजित व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ नीचे के वर्गों को मिलता है। उच्च स्तर से बनायी जाने वाली योजनाओं में योजना की निर्माण विधि विस्तृत विपरीत होती है। नियोजन के आधारभूत लक्ष्य कार्यक्रम एवं मातृश्री केन्द्रीय संस्था द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और इन आधारभूत लक्ष्यों के आधार पर नीचे के अधिकारी एवं संस्थाएँ द्वारा अपने अपने क्षेत्र के लिए विस्तृत योजनाएँ बनायी जाती हैं। सर्वोदयी नियोजन नीचे के स्तर से नियोजन का आदर्श स्वरूप होता है जबकि अधिनायकवादी नियोजन ऊपर के स्तर से नियोजन का उचित उदाहरण है। ऊपर के स्तर के नियोजन-कार्यक्रमों में समन्वय अधिक होता है परन्तु योजना के लाभ का वितरण समान नहीं होता।

(११) प्रदेशीय बनाम राष्ट्रीय योजना (Regional vs National Planning)—बड़े बड़े राष्ट्रों में जहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक संपन्नता एवं संसाधन सामाजिक वितरण एवं रीति रिवाजों तथा इन क्षेत्रों के पृथक पृथक हितों में

समानता नहीं होती है ता प्रदेगीय विवेकीकरण की आवश्यकता होती है और प्रदेय प्रदा के लिए राष्ट्रीय नियोजन अथ-व्यवस्था के अन्तगत मृदक-मृदक प्रदेगीय योजनाएँ बनानी एवं संचालित की जाती ह। वास्तव में विकसित योजना का ही दूसरा नाम प्रदेगीय नियोजन है। भारत की विभिन्न राज्यों की मृदक-मृदक योजनाओं का प्रदेगीय नियोजन कहा जा सकता है। इसके अन्तगत प्रदेगीय अधिकारियों का नियोजन का निर्माण संचालन एवं निरीक्षण सम्बन्धी अधिकार दिये जाते हैं। इस प्रकार की योजनाएँ राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों के अन्तगत बनानी जाती हैं और इन का अन्तिम नियन्त्रण राजका अधिकारियों का ही होता है। मुद्रक तथा गणना में ही राष्ट्रीय विकास योजना के अन्तगत मृदक एवं सीरिया प्रदा के विकास के लिए प्रयत्न योजना बनायी गयी थी। इन दोनों ही प्रदाओं का आर्थिक साधनों एवं विकास की स्थिति में बहुत अन्तर है। प्रयत्न वह राष्ट्र में जो वह क्षेत्र में फल ही प्रदेगीय नियोजन की आवश्यकता होती है। इस नियोजन का उद्देश्य प्रदा के साधनों का उचित उपयोग करके इच्छित अन्त प्रदा के स्तर पर लाना होता है परन्तु इस प्रकार के नियोजन का यह उद्देश्य क्यापि नहीं है कि विभिन्न प्रदा अपने आप में जान निरन्तर अन्त का प्रयत्न करें तथा अन्त प्रदेगीय के साथ सामञ्जस्य स्थापित करने के लिये अन्त अपना ही विकास के लिए प्रयत्नशील रहें। प्रदेगीय नियोजन का वास्तविक उद्देश्य उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करना तथा समस्त प्रदाओं में आर्थिक समुचित वितरण करना होता है।

राष्ट्रीय नियोजन के अन्तगत राष्ट्र की समस्त राजनीतिक सीमाओं में अन्त-लित प्रदेगीय को एक इकाई मान कर विकास के आयोजन निये जाते हैं। जब समस्त राष्ट्र के साधनों एवं आवश्यकताओं को एक साथ दृष्टिगत करके योजना बनायी जाती है तो उसे राष्ट्रीय नियोजन कहा जाता है। वास्तव में आर्थिक नियोजन का वास्तविक अर्थ राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन समझना चाहिए। आर्थिक नियोजन के अन्तगत ही समस्त राष्ट्र के विकास के लिए योजना बनायी जाती है। राष्ट्रीय नियोजन की अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु इसे प्रदेगीय योजनाओं में विभाजित किया जा सकता है। भारत की आवश्यकताओं का राष्ट्रीय योजना बनाना उचित होगा। इसके अन्तगत समस्त राष्ट्र के साधनों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत किया जाता है परन्तु इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने एवं समुचित प्रदेगीय विकास करने हेतु हमारी योजनाओं को राज्यों की योजनाओं में विभाजित कर दिया जाता है। इन क्षेत्र वाले राष्ट्रों में राष्ट्रीय योजना को प्रदेगीय योजना में विभाजित करना आवश्यक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में योजना का उद्देश्य राष्ट्र के अन्तगत में वृद्धि करना होता है और देश के समस्त प्रदेगीय का समुचित विकास करने के लिए विशेष प्रयास सम्भव नहीं होते हैं।

(१०) अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन—अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन का अर्थ यह है जिसमें एक से अधिक देशों के साधनों का उपयोग सामूहिक रूप से समस्त सदस्य-

राष्ट्रा द्वारा किया जाता है। वास्तव में इनके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के साधना का एकीकरण (Pooling) होता है। इस प्रकार में नियोजन का संचालन विज्ञान बड़े साम्राज्य में ही सम्भव हो सकता है जहाँ कई राष्ट्र किसी एक राष्ट्र के अधीन हों। विभिन्न राष्ट्रों की पृथक पृथक आर्थिक समस्याएँ एवं साधन होने हैं और अधिकतर स्वतंत्र राष्ट्र कभी भी अपने समस्त साधनों का एकीकरण करके विकास की ओर अग्रसर होना स्वीकार नहीं कर सकने क्योंकि यह विकास 'वास्तविक दृष्टिकोण' से भी सम्भव नहीं हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय नियोजन का टीला स्वरूप ही वास्तविक हो सकता है जिसमें एक से अधिक राष्ट्र जो स्वतंत्र हैं और जिनका राजनैतिक अस्तित्व एक दूसरे से पृथक है, अपनी अर्थ व्यवस्था के कुछ अंगों को एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के नियंत्रण में रखना स्वीकार कर लेते हैं।

वास्तव में आर्थिक मामलों में सम्मिलित अंतरराष्ट्रीय समझौते को भी अन्तरराष्ट्रीय नियोजन का स्वरूप मानना चाहिए। General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) में अंतर्गत यह आयोजन किया गया कि किसी भी सदस्य देश में किसी अन्य देश में उत्पादित वस्तुओं को जब कोई लाभ व सर्वाधिकार (Privilege) आदि दिया जाय तो अन्य सदस्य देशों के उत्पादन को भी वही लाभ एवं सर्वाधिकार प्राप्त होगा जो सर्वाधिकार प्राप्त (Favoured) राष्ट्र को दिया गया है। इस प्रकार के समझौते से राष्ट्रीय नियोजन को इनके अनुसार बनाना आवश्यक होता है और कभी कभी राष्ट्रीय नियोजन में बड़े कठिनाइयाँ पड़ जाती हैं। भारत इन समझौतों का सदस्य है। करवरी सन् १९५४ में विदेशी मुद्रा का कठिनाई उपस्थित होने पर भारत को यह आवश्यक हो गया कि वह विदेशों को दी गयी रियायतों को बंद कर दे और भारत सरकार को इस आवश्यकता के लिए समझौते के अधिकारियों को विशेष आना प्राप्त करनी पड़ी।

अंतरराष्ट्रीय समझौते के अन्तर्गत यूरोपियन कमन मार्केट का उल्लेख करना आवश्यक है। २५ मार्च सन् १९५७ की रोम की संधि के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community) की स्थापना का आयोजन किया गया। इस समुदाय में ६ यूरोपीय देश—बेल्जियम, फ्रान्स, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, इटली, लक्जमबर्ग तथा नीदरलैंड्स सम्मिलित हुए। इसकी स्थापना १ जनवरी सन् १९५८ को हुई और इसके अन्तर्गत सदस्य देशों की आर्थिक क्रियाओं के समन्वित विकास अधिक आर्थिक स्थिरता तथा जीवन-स्तर में वृद्धि का उद्देश्य रखा गया। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सदस्य देशों को निम्नलिखित आवश्यकताएँ करनी थी—

(१) सदस्य देशों के पारस्परिक आयात एवं निर्यात पर से कर एवं उनकी मात्रा पर लगाये प्रतिबंधों को हटाना तथा व्यक्तिगत सेवाओं एवं पूँजी के आन-आन को राकों को भी लागू न करना।

(२) सामान्य श्रृष्टि एवं वास्तविकता की नीतियों का संचालन।

(३) सामान्य बाजार (Common Market) में सम्मिलित होकर उनके लिए व्यवस्था करना ।

(४) सामान्य विदेशी वाणिज्य-नौति अपनाकर जो सामान्य बाजार (Common Market) के बाहर के देशों से व्यापार करने पर बाधा की जाती थी, इन बाधाओं के अतिरिक्त एक यूरोपीय विनियोजन संघ की स्थापना की जाती थी, जिसे समुदाय के आर्थिक विस्तार का काम करना था । बाजार एवं जीवन-सुख में वृद्धि करने हेतु एक यूरोपीय विदेशी पट्टा का आयोजन भी किया जाता था । इन समझौतों के अनुसार सदस्य-देशों के आर्थिक आकांक्ष एवं निर्वाह पर प्रतिक्रिया एवं कर श्रान्त तथा अन्य देशों से व्यापार करने की सामान्य नौति अपनाकर का काम हो सकेगा ।

ब्रिटेन ने भी इस Common Market में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की थी परन्तु British Commonwealth के राष्ट्रों में इसका विचार किया जा रहा है उन्हें जो इच्छा के बाजार में सुविधाएं प्राप्त होंगी, वे सब बरह ही जातीं । भारत के वर्ष १९६०-६१ के समस्त निर्यात ६२३ करोड़ में मात्र २०० करोड़ ब्रिटेन की भेजा गया । इस प्रकार भारत के लिए ब्रिटेन के बाजार का उपयोग मात्र है । ब्रिटेन के Common Market में सम्मिलित होने पर भारत का ब्रिटेन की नये जाने वाले अपने निर्यात पर उठना कर आदि देना होगा जिसका वह यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों को भेजे जाने वाले निर्यात पर देता है । इस प्रकार भारत की सम्पत्तियों का भूयः ब्रिटेन के बाजार में बह जावेगा और भारत की अपने निर्यात श्रान्त का प्रवृत्त न निक सकेगा ।

इन अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अतिरिक्त मार्शल प्लान, आसम्बो प्लान आनेकौन (COMECON—Council for Mutual Economic Assistance) ओर (OSSHD—Organisation of Socialist Railroads) आदि अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों की विद्यमानों के लिए सदस्य-देशों को सहायता प्रदान करती हैं । मार्शल प्लान के अन्तर्गत सोवियत के कई राष्ट्रों ने निरन्तर योरोपीय सहयोग संघ (OEEC—Organisation of European Cooperation) की स्थापना वर्ष १९४९ में की । मार्शल समुदाय अमेरिका का सेनेट्री ऑफ स्टेट्स का और संकेत यह सुझाव दिया कि योरोपीय राष्ट्रों की सहायता के लिए अमेरिका के सहायता नाम के पूर्व अपने आरम्भ की शक्ति बरखा चाहिए और पहले अपनी आवश्यकताओं को मध्य पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस सभ्यता के कार्यक्रम में (क) सदस्य-देशों में आकांक्षों के उपभोग का मुक्त के स्तर तक बचाना बचाने का उपभोग मुक्त के पूर्व के स्तर से कु अधिक बिकली और उत्पात का उपभोग मुक्त के पूर्व व स्तर से कु अधिक करना, (ख) आन्तरिक वित्तीय स्थिरता बनाए रखना तथा उपभोग निर्वाह करना (३) सदस्य-देशों में अधिकतम आर्थिक सहायता स्थापित करना (४) आर्थिक आकांक्ष अन्तुलन

की समस्या को अमरीकी दशा के साथ हल करना सम्मिलित किए गये। इस सगठन की नीतियो को सफलतापूर्वक संचालित किया गया।

कोलम्बो योजना के अन्तगत दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का पारस्परिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा जीवन स्तर उठाने का उद्देश्य था।

कॉमेकॉन (Comecon) की स्थापना सन् १९४८ में मॉस्को के सम्मेलन पर साम्यवादी राष्ट्रों ने की। इसमें पूर्वी योरोप के राष्ट्र सम्मिलित थे। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय तांत्रिक एवं वित्तीय सहयोग की सस्था है जिसमें वे देश ही सदस्य हो सकते हैं जो नियोजित विकास में आस्था रखते हैं। इसीलिए इसमें कमल समाजवादी राष्ट्र—रूस बल्गारिया, जेकास्लोवेकिया पूर्वी जर्मनी, हंगरी पोलण्ड रूमानिया तथा बाहरा मंगोलिया सम्मिलित हैं।

इसी प्रकार चीन अल्बानिया, उत्तरी वियतनाम उत्तरी तथा कारिया भाषा (OSSHD) के सदस्य हैं। यह सस्था रेल मार्ग स्थापित करने के सम्बन्ध में तांत्रिक सहयोग प्रदान करती है।

इस प्रकार उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ विभिन्न देशों में पारस्परिक सहयोग प्रदान करती हैं। विभिन्न सदस्य देश अपने साधनों एवं ज्ञान का लाभ अन्य सदस्य देशों को प्रदान करते हैं।

आर्थिक विधियों एवं नियोजन के प्रकार
[Economic Systems and Types of Planning]

[पूर्वजीवाद—पूर्वजीवाद के उल्लेख, पूर्वजीवाद के दोष—सम्यक्वाद, श्रेणीसूचक समाजवाद, राजकीय समाजवाद साम्यवाद—साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था के लक्षण अधिनायकवाद नियोजन के प्रकार, समाजवादी नियोजन समाजवादी नियोजन के लक्षण, साम्यवादी नियोजन साम्यवादी नियोजन के लक्षण पूर्वजीवादी नियोजन प्रजानान्तिक नियोजन, प्रजानान्तिक नियोजन के लक्षण अधिनायकवादी जघनता तानाशाही नियोजन सर्वोदय यथवा गांधीवादी नियोजन]

नियोजित अर्थ-व्यवस्था का जन व्यापक अर्थशास्त्र ने राज्य के जन के साथ ही ही समाज या वर्गों के साथ का प्रारम्भ से ही आर्थिक क्षेत्र में कुछ आवश्यकता करता प्रस्तुत करती है। अर्थ-शास्त्र के अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों में वृद्धि होती गयी और इन नवव्यक्त आर्थिक सिद्धांतों का एक नवव्यक्त रूप प्राप्त होता गया। नियोजित अर्थ-व्यवस्था के आधुनिक स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। नियोजित अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप को देखने में साम्य एवं प्रबलित आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं ने प्रभावित किया और उसका प्रकार भी इन विचारधाराओं के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति (सन् १७६०) के पूर्व यूरोप में प्रचलित राजनीतिक विचारधाराएँ—भौतिक बुद्धवाद विरक्तवाद पाठ्य-वाद (Scholasticism) राज्य का ईश्वरवाद अनुदम्बवाद उपनिवेशवाद आदि—धर्म विद्वान् आदर्श व्यक्तिगत इच्छानों आदि पर आधारित थीं। इन विचारधाराओं ने आर्थिक तन्त्रों की छात्र का जगह था। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति ने राजनीतिक विचारधाराओं पर पर्याप्त प्रभाव डाला।

औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप दहे-बहे कारखानों वार्गों पूर्वजीवादी, अर्थ-व्यवस्था आदि का जन्म हुआ। नयीय द्वारा दहे फैक्टरी पर उत्पादन के फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों ने धन का संचय किया और इस जन-समूह की क्रिया में उच्च मात्रा में वे कम हस्तक्षेप करने हेतु इनके द्वारा यह माग की गयी कि प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन उपभोग, व्यापार खेती आदि के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता होनी चाहिए। अतः अर्थ-शास्त्र के व्यक्तित्ववाद विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। व्यक्तित्व विचारधारा ने

धीरे धीरे बहुत से रूप धारण किये और इनके आधार पर पूँजीवाद जनन-प्रवाह का राष्ट्रीयवाद का प्रादुर्भाव हुआ।

पूँजीवाद—व्यक्तिवाद के अन्तर्गत राज्य की व्यक्ति की गुलाम-सुविधा का साधनमात्र माना गया और राज्य के वस्तुध्या के क्षेत्र का अत्यन्त सीमित रखा गया। व्यक्तिगततादियों के मर्यादित राज्य का मुख्य रूप से दो वायु बनाने चाहिए—शांति रक्षा तथा न्याय व्यवस्था। एडम स्मिथ आर्थिक, रिवाजों तथा जॉन स्टुअर्ट मिल अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगतवाद का समर्थन किया। व्यक्तिवादी अर्थशास्त्र का जन्म फ्रांस में भौतिक अर्थशास्त्रीय विचारकों द्वारा हुआ जिनकी क्रियाशीलता बहुतने थी। इनके विचारों को जर्मनों ने अर्थशास्त्रियों—एडम स्मिथ (सन् १७२२-९०) मायम (सन् १७६६-१८३४) रिवाजों (सन् १७७२-१८२३) जॉन स्टुअर्ट मिल ने उत्तरात्तर प्रकृतित किया। व्यक्तिवादी अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के नियमों का प्रादुर्भाव नियमों के अनुसार अपरिहार्यता नियम बनाया। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना हानि लाभ को जय निजी व्यक्ति गहवा या समूह या तुलना में अधिक अच्छी तरह समझना है और यदि राज्य प्रत्येक व्यक्ति का अधिक क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ देता है व्यक्ति समाज एक राज्य का अधिक हित है। व्यक्तिवादियों के अनुसार मांग का पूर्ण व पटक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित बनाये रखने में अत्यन्त प्रभावशाली होते हैं और राज्य का बाजार-तन्त्रिकता (Market Mechanism) में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा हस्तक्षेप रहित अर्थ व्यवस्था (Laissez Faire) का मायना दी जानी चाहिए। व्यक्तिवादी अर्थ व्यवस्था में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को मायना दी गया और इसके गुणधर्म रूप से मन्वजान बनाये हेतु उ मुक्त व्यापार नीति (Free Trade) का आवश्यक बनाया गया। इस प्रकार व्यक्तिवादी अर्थ व्यवस्था का तीन आधारभूत तत्व—व्यक्तिगतता, आर्थिक क्रियाओं बाजार-तन्त्रिकताएँ एक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा तथा उ मुक्त व्यापार। इन तीन आधारभूत नियमों में पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था की सुदृढ़ता प्राप्त हुई।

पूँजीवाद के अन्तर्गत निजी लाभ हेतु उत्पादन किया जाता है और उत्पादन के माध्यम निजी अधिकार में रहता है। उत्पादन काय अन्तर्दूरी पर रखे गये श्रम द्वारा किया जाता है और उत्पादिकता वस्तु पर पूँजीपति का अधिकार होता है। इस व्यवस्था में आर्थिक नियम निजी केन्द्रीय अधिकारी द्वारा नहीं नियंत्रित बल्कि व्यापारी व्यक्तिगत रूप से आर्थिक निश्चय करता है। जीवन-स्तर एक भौतिक सम्पन्नता का अनुमान व्यक्तिगत दृष्टिकोण से लगाया जाता है। समस्त आर्थिक क्रियाओं का आधार व्यक्तिगत लाभ अथवा हित होता है। पूँजीवाद में उत्पादन के समस्त घटक की तुलना में पूँजी का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है।

श्रम को एक वस्तु के समान ही समझा जाता है। बाजार-तन्त्रिकता के अनुसार पूँजीवाद एक ऐसा

(३) पूँजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है अर्थात् वह माहस प्रसविदा तथा निजी सम्पत्ति में मनोवाञ्छित उपयोग में पूर्ण स्वतंत्र होता है।

(४) पूँजीवादी व्यवस्था आर्थिक समानता का कोई महत्व नहीं देती। परिवार-सामर्थ्य समाज तीन विभिन्न वर्गों—सम्पन्न मध्यमवर्गीय तथा निधन में विभक्त हो जाता है। इन वर्गों में सदा पारिवारिक संघर्ष होना स्वाभाविक है।

(५) पूँजीवादी व्यवस्था में स्वतंत्र साहस एव पूर्ण प्रतियोगिता को महत्व दिया जाता है। उत्पादन उपभोक्ताओं की इच्छानुसार वितरित लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है तथा सरकार आर्थिक क्रियाओं में 'युनाक्ति'युक्त हस्तक्षेप करता है। उत्पादक का उत्पादक से विक्रेताओं की विक्रेताओं का उपभोक्ताओं की उपभोक्ताओं से तथा श्रमजीविता की श्रमजाविया में सदा पारस्परिक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। इस प्रकार प्रतियोगिता सम्पूर्ण अथ व्यवस्था का आधारस्तम्भ होती है।

(६) पूँजीवादी व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ की भावना है। साहसी अपने निजी लाभ को सर्वोच्च महत्व देता है तथा किसी व्यवसाय की स्थापना एव विस्तार करने से पूर्व यह विचार करता है कि उसे कम से कम त्याग करने से किस व्यवसाय में अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। राष्ट्रीय एव सामाजिक हित का उसका व्यक्तिगत हित में समझ कोई मूल्य नहीं है।

(७) पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन का साधनो में सर्वोपरि स्थान पूँजी को प्राप्त है। जो व्यक्ति व्यवसाय में धन एव पूँजी लगाता है वही उसका नियंत्रक भी रहता है अर्थात् धन भूमि साहस आदि सभी अर्थ-घटक पूँजी के अधीन हो जाते हैं।

(८) पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था स्वयं ही अपने विनाश का कारण बन जाती है। जन्म-मृत किसी राष्ट्र में पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था का विकास होता है बड़े पूँजीपतियों का प्रादुर्भाव होता जाता है जो सख्या में गिन चुने होते हैं परन्तु दूसरी ओर भक्ति पर काय करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ती जाती है जिससे जनस्वरूप घट-सघट बढ़ जाता है जिसमें श्रमिकों की अन्त में विजय होता है और पूँजीवाद और धीरे-धीरे समाजवाद में बदलने लगता है।

पूँजीवाद के दोष

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में बहुत से आर्थिक एव सामाजिक दुःखों का सामना होता है। इसका कारण है उत्पादन तथा वितरण पर प्रभावशाली शासकीय नियंत्रण की गिथिलता। पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था के दुःखों ने नियोजन का महत्व में वृद्धि की है। पूँजीवाद के मुख्य दोष तीन प्रकार के हैं—

(१) आर्थिक अस्थिरता (Economic Instability)—उच्चावचान तथा मंदी आदि पूँजीवाद की मुख्य दोष हैं। अनियोजित पूँजीवाद में उच्चावचान का अस्थिरता के तीन मुख्य कारण हैं—

(अ) कच्चे नाउ की पूर्ति पर प्रभाव डालने वाले अनिदिखत कारण (Unforeseen Causes),

(आ) या जोर पूर्ति न प्रकृत समायाजन को

(इ) मूर्खों में साक्षि कारणों से परिदत्त ।

जब उत्पादन-सम्बन्धी निदर्यों का व्यापार अतिमान रूप में जान में या इन निदर्यों में घटि रहना स्वाभाविक ही होता है ।

व्यापारी स्थितिारूप में कबन एक अज्ञान बहुचिन्त शैल का बिलगारीन बरत निरपेक्ष कर सकता है । उस जवन कच साधी-आवर्तियों में लिपि का भी पता नहीं होता । एसी परिस्थिति में अज्ञान-सम्बन्धी अनुमान नर्क का ही मूला में कम अवसा अदिख रहते हैं । ना एव पूर्ति सुख पारम्परिक समायाजन काल का प्रयत्न का अरत है परन्तु यह समायाजन काल ही नहीं जाता है । एसी अज्ञान पूर्वी-वाद में अतिव्रत असादन तथा अज्ञान की समस्या अदर अन्विष्ट रहती है । ना एक पूर्ति में समायाजन न हान के कारण ही मणी एक शैल जाता है । इसके अतिरिक्त विनीम व्यवस्था का प्रभाव मूर्खों पर पडा रहता है जिसे मूर्खों में अज्ञान अन्विष्ट नहीं जा पाती है । मूर्खों में अिदर्यान हान पर समस्त साक्षि अिदर्या अन्विष्ट हा जाती है ।

(२) साक्षि विषमता—अतिरिक्त पूर्वीनाम में एत ज्ञाप एव अदर का असमान वितरण होता है । राष्ट्रीय घन एवं जान का बढा ना अनुमान के छोट के बर्ण व हाथ में होता है जोर अकसमुदाय का अतु बढा ना नियत रहता है । घन अदरवा पूर्वी को अर्थ-अदरवा में अरबश्रेष्ठ असादन दिया जाता है । पूर्वी-अिदर्या असादन के घटकों अाप के अाघनों एव असादन के अरबसुख पर अतिरिक्त अाप्त कर होता है जिसे असादन के घन में अिदर्यान वृद्धि होती है अाप्त अिदरवा अदर बढती रहती है । असादी-अर्ण असादिदर अाप्त काल अनु अाम्पारिक समन्वये अर अते हैं और असादन को अीमित असादिदर रहते हैं कि मूर्खों में वृद्धि अरके अदिदर अामोपासन दिया जा सके । इस प्रकार असादन के घटकों का अादिदर हाथे हुए भी अदिदर असादन नहीं दिया जाता है जोर अदिदर के असादरवा में असा अरके रहते हैं । पूर्वीअिति नर्क अे असादीयों का अिदर्या एव अिदर्या करता है अिदमें अदिदर अान असादन काले अन्विष्ट अिदर ही हो सके । सामाजिक अिदर का असादी-अर्ण असादिदर अिदर के असादन असादन देता है । अाय की विषमता का अुख असादी असादिदर का अिदर्या तथा असादी अिदर्या असादी असादी हैं । असादीअिदर्या के अिदर्या के अनुमान अिदर्या असादी अिदर्या से असादी अिदर्या अिदर्या से ही असादी होती है जोर असादी के असादी के घटकों का असादी ही असादी है अिदर्या बढ अदिदर असादीअर कर सकता है । असादी और अिदर्या के असादी में असा असादी असादी ही असादी असादी की असादी अिदर्या अिदर्या असादी है असादी असादी असादी असादी

अधिक रहना है जो धनी वर्ग ही सहन कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में भाषणात्मक योजना का योग्यता भाषण बंधन वर्ग का ही प्राप्ति होती है और राजस्व व अक्सर इसी धनी वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार धन एवं अवसर की विषमता व कारणों वय की विषमता संचय बना रहता है।

(३) अकुशलता (Inefficiency)—यूजीवान् म यवसायी संचय अपन लाभ व निष्पत्ति उत्पादन करता है। यह निष्पत्ति का वस्तुभाषण उत्पादन का अधिक मूल्य वगा है वयादि इनम अधिन साभाषाजन विया जा सकता है। समाज वयाए हनु उत्पादन निष्पत्ति यवसायियों द्वारा नहीं विया जाता है। उत्पादन का प्रकार संचय मूल्या व जाधारित रहता है। निष्पत्ति वस्तु का मूल्या वदन वर उभवा उत्पादन वयाया जाता है और मूल्या वम हान वर उत्पादन वम करन व प्रयत्न विया जाता है। बारबरा वूटन (Barbara Wooten) व मतानुसार पूंजीवादी व्यवस्था का एक विवक्षुण यवस्था कहना उचित नहीं है क्योंकि इस व्यवस्था म बहुभाषण व वाना वरण म भाषणात्मक भाषण मूल रहत हैं वसा को वराजस्व तथा निष्पत्ति व भय संचय बना रहता है और जिसम भाषणात्मक व जावन की आवश्यक सामग्री संचय नष्पत्ति हानी है। किसी भी अर्थ व्यवस्था की कुशलता को इस वान म जांचना कि उसम वक्तिगत वयत्नता की कितनी मात्रा है मूल्या का अर्थ-व्यवस्था म वया स्थान है तथा बाजार म प्रतिस्पर्धीय वानावरण म यवहार निष्पत्ति जाने हैं अथवा नहीं उचित नहीं है।

पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था म भय हुआ स्थित संचयन तथा स्वतंत्र निष्पत्ति उपस्थित है वरन्तु इसम आंतरिक एवं बाह्य अव्यवस्था उत्पन्न होती है तथा जातिगत आर्थिक समस्या का निवारण नहीं हो सकता है। उन्नावधान (Ups and Downs) व वानावरण म देश के भाषणात्मक वाना का न तो पूंजीवादी उपयोग ही हो सकता है और न इनम उपयोग द्वारा अधिन जनसमुदाय का अधिकनम वल्याए हा सम्भव है। इस व्यवस्था म समाज व समस्त वर्गों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को वृष्टिगत नहीं विया जाता है। उत्पादन मात्र वर जाधारित है और मात्र वचन वही समुदाय प्रस्तुत कर सकता है जिसम वस व्रय गति है। इस प्रकार पूंजीवाद म ववल व्रय गति रहन वाने समुदाय की आवश्यकतानुसार उत्पादन विया जा सकता है। सामाजिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति व निष्पत्ति तो यह व्रय गति ही प्रदान की जाती है और न आवश्यक सामग्री ही उत्पादित की जाती है।

(४) पूंजी प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति—पूंजीवादी म वफलता व निष्पत्ति पूर्ण प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक है। पूंजी प्रतिस्पर्धा व वनगत नो मात्र और पूर्ण म सामयोजन सम्भव हो सकते हैं और मूल्या म सामाय स्थिरता लायी जा सकती है। पूंजी प्रतिस्पर्धा से अकुशल उत्पादन को अपन व्यवसाय बंद करन पाने हैं। मदीकाल म होन वाली मूल्या व वमी का रोवन वान व्यवसायी इस वान का प्रयत्न

करने हैं कि प्रतिस्पर्धा का सीमित कर दिया जाय और इसी कारण पारम्परिक समझौतों द्वारा उत्पादन का प्रतिबंधित कर दिया जाता है। उत्पादन का सीमित करके मूल्यों को ऊँचे स्तर पर बनाय रखने का प्रयत्न किया जाता है और कम्पनियों की अर्थावृत्तिक (Artificial) कमी उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार पूँजीवादो अर्थ-व्यवस्था का सम्पूर्ण ढाँचा दूषित हो जाता है।

(५) बग-सपथ—पूँजीवादो अर्थ-व्यवस्था वर्गों की स्थापना एवं उनमें समझौते उत्पन्न करने में सहायक होती है। इससे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में दाप उत्पन्न हो जाता है और बग का मुरझा एवं गाम्भीर्य का प्रभाव पड़ता है।

(६) गोपण की भावना—इस अर्थ-व्यवस्था की प्रत्येक आर्थिक क्रिया व्यक्ति-गत लाभ हेतु की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित-प्राप्ति के लिए दूसरों का गापण करने में कोई दाप नहीं देखता है। इस प्रकार निधन एवं निधन का निरन्तर गापण होता है और निधन परिवार में जन सेना ही एक अभिगम बन जाता है।

(७) साधनों का अप्रयोज्य उपयोग—पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में साधनों का अक्षिप्त एवं पर्याप्त मात्रा में ग्राह्य एवं उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि बड़े-बड़े पूँजीपति सदैव प्रयत्न करते रहते हैं कि कम्पनियों और मेवाकों में अपनी प्रभुता न हो पाय कि उनका मनमाना मूल्य एवं लाभ प्राप्त न हो सकें। इसी कारण नवीन साधनों की मात्रा ग्राह्य एवं उपयोग नहीं किया जाता है।

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से लेकर १९वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक इंग्लैंड का अर्थ-व्यवस्था वर्गों में व्यक्तिवाद के अन्तर्गत पूँजीवाद का बसा जा रहा, परन्तु पूँजीवाद के दावों के अन्तर्गत लोगों का विश्वास इस व्यवस्था में धीरे-धीरे कम होने लगा। बड़े पैमाने के उत्पादन ने पूँजीपतियों को अधिक से अधिक साम्राज्य बनाने का लिए प्रासाहित किया और अर्थिकों की आर्थिक एवं नैतिक दृष्टि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। औद्योगिक सभ्यता ने आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का इतना अक्षिप्त बना दिया कि व्यक्ति राज्य की सहायता के बिना अपने को अनेक बातों से अक्षम बनाने लगा इसलिए राज्य को अर्थ-व्यवस्थाओं को नया सामाजिक स्वास्थ्य व शिक्षा उद्योग व व्यापार की उत्पत्ति केपारों की सहायता, औद्योगिक सभ्यता व हस्तशिल्पों का निपटारा आदि निपटों के लिए वादून बनाने पड़े। इस प्रकार १९वीं शताब्दी के अन्त तक राज्य के नाय जीवन के सभ्यता सभी क्षेत्रों पर आच्छादित हो गया और व्यक्तिवाद नीति का सबन्ध अन्त हो गया। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था ने भी बदलने हेतु वातावरण के अनुकूल राज्य की सहायता की अक्षिप्त अधिकार सौंप देना स्वीकार कर लिया। व्यक्तिवाद की प्रतिजियास्वरूप समाजवाद, समष्टिवाद साम्यवाद आदि विचारधाराओं का उदय हुआ।

समष्टिवाद (Syndicalism)—समष्टिवाद का अर्थ प्राप्त करने के अर्थिक आन्दोलन के

परिणामस्वरूप हुआ और इसका प्रचार भी मुख्यतः फ्रांस इटली स्पेन व मयुक्त राज्य अमरीका तक सीमित रहा। फ्रांस में श्रमिकों ने संगठन बहुत समय तक अवधान के और श्रमिकों को गुप्त एवं अवधानिक विधियाँ से अपने आपको संगठित करना पड़ा। फ्रांस में योज नाम की छोटी छोटी श्रमिक गण्डियों का विकास हुआ जो कुछ समय पश्चात् एक सवदेशीय संघ, जिसका नाम का फेडरेशन जनरल द जवेल था में संगठित कर दी गयी। सघवादी वधानिक एवं प्रजातांत्रिक कार्य प्रणाली में विश्वास नहीं रखते थे। वे राजनीतिक क्षेत्र से अपने आपका पृथक् रखना चाहते थे। वे राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़कर प्रत्यक्ष आंदोलन व सघष का मायता दत्त थे। प्रत्यक्ष सघष के अंतर्गत ताड़ पाड़ (Sabotage) की कार्यवाहियों तथा हड़ताल के उपयोग को उचित समझा गया। सघषवादी मुख्य रूप से विद्यमान व्यवस्था को क्रान्ति व उपायों द्वारा भंग करने में रूचि रखते थे। श्रान्ति व पश्चात् समाज में नवीन संगठन के सम्बन्ध में उनके विचार स्पष्ट नहीं थे। सघषवादी व्यवस्था में राज्य एवं सरकार को कोई स्थान नहीं दिया गया क्योंकि इनको सघषवादी व जीवादी संस्था मानते थे। प्रत्यक्ष उद्योग कला अथवा कार्य के लिए एक संघ (Syndicate) की स्थापना का आयाजन किया गया जिसमें उस उद्योग में कार्य करने वाले सम्मिलित रहते थे। प्रत्येक व्यवसाय के लिए पृथक् संघों की स्थापना की जाती थी। प्रत्येक नगर एवं ग्राम में इस प्रकार के विविध व्यवसायों के स्थानीय संघ स्थापित किये जाते थे और उनके ऊपर समान संघों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित क्षेत्रीय संघ और सर्वत्र ऊपर प्रत्येक व्यवसाय के एक एक राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जाती थी। प्रत्येक राष्ट्रीय संघ अपने कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में स्वतंत्र होता था और उसके ऊपर कोई उच्च नियंत्रणकारी संस्था या सत्ता नहीं होती थी। इस प्रकार सघषवाद के अंतर्गत एक संप्रभुत्वपूर्ण राज्य के स्थान पर बहुत से समकक्ष एवं स्वतंत्र संघों की स्थापना की जाती थी। प्रत्येक संघ का प्रबंध उसमें कार्य करने वाले श्रमजीवी उत्पादकों के हाथ में रहता था। जो श्रमिक नहीं थे उन्हें इन संघों में कोई अधिकार नहीं होता था। इस प्रकार सघषवाद में उत्पादकों के प्रभुत्व को महत्व दिया गया। सघषवादी व्यवस्था को व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि श्रमिक वर्ग राजनीति में भाग लिये बिना वृद्धियों की शक्ति को कम नहीं कर सकते थे। वे हड़ताल एवं विध्वंस की कार्यवाहियों से वृद्धियों को उनके अधिकारों का छुड़ाने के लिए विवश नहीं कर सकते थे। सघषवादी व्यवस्था में उपभोक्ताओं के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उत्पादकों को एकाधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की गयी।

श्रेणी-मूलक समाजवाद (Guild Socialism)—श्रेणी-मूलक समाजवाद का जन्म २०वीं शताब्दी में ब्रिटेन में हुआ। इसके अन्तर्गत क्रान्तिकारों उपायों के स्थान पर वध एवं शान्तिमय उपायों का मायता दी गयी। श्रेणी अथवा गिल्ड एक औद्योगिक व व्यावसायिक संस्था को कहते हैं जिसमें किसी विशिष्ट उद्योग के सभी

नारीगर व धर्मिक सम्मिलित हन हैं। यह अपने मदस्यों की रक्षा व महापना करना है और मजदूरी की दर, श्रम सम्बन्धी समस्या मामले तैयार मात वर मूल्य तथा उनकी उत्पत्ता का मापदण्ड निश्चिन करता है। श्रेणी एक स्वयं गामिन मस्था हानी है जिनम अलगत उत्पादन करन वाले धर्मिक अपनी काय-व्यवस्था स्वयं निपारित करन हैं। गिल्ड की रथापना मध्यकालीन यूरोप म की गयी थी। पूँजीवाद के विकास के साथ जय धर्मिक व साथ श्रम व सनान व्यवहार विधा जान तथा ता इगतण्ड के कुछ अघनास्त्रिया एव विधाकों जिनम प्रमुन ज० ए० पट्टी हॉसन तथा जी० ही० एच० काल हैं मे मध्यकालीन गिल्ड प्रथा का कुछ आरम्भ परिकरन कर पुन जीवन करना चाहा और इन नवीन व्यवस्था का श्रेणी मूलक समाजवाद का नाम दिया गया।

श्रेणी मूलक समाजवाद के अन्तगत अतन प्रथा को समाज को उद्योगों में श्रमजीवियों का स्वराज्य स्थापित करन का उद्देश्य निश्चिन किया गया। प्रत्येक उद्योग क लिए एक राष्ट्रीय श्रेणी की रथापना की जानी थी, जिसके नीचे मनुक क्षेत्रीय एव स्थानीय श्रेणिया स्थापित की जाना थीं। यह श्रेणिया आर्थिक एव औद्योगिक मामलों से सम्बन्ध रखती थीं और नेप सम्मत् विषय गान्ति रक्षा पाप शिक्षा, सांख्यिक स्वास्थ्य आदि राज्य के हाथ में रहने थे। इस प्रकार श्रेणी मूलक समाजवाद मे आर्थिक एव औद्योगिक मामले श्रेणियों के अधिकार मे और राजनीतिक मामले राज्य के हाथ में रहने थे। जनसाधारण से सम्बन्ध रखने वाले आर्थिक मामलों के सम्बन्ध में निम्न धर्मिकों की समितियों तथा न्यमाताओं की समितियों के सहारा एव परामर्श से होते थे। श्रेणी-समितियों के समानान्तर स्थानीय क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं की समितिया भी स्थापित की जानी थीं जो श्रेणी समितियों का सहयोग एव सलाह प्रदान कर सनें। राष्ट्रीय श्रेणियों के ऊपर उनकी प्रतिनिधिसस्था श्रेणी कांग्रेस (Guilds Congress) की स्थापना होनी थी और इनका सम्मत् राज्य की प्रतिनिधिसस्था सदस्य हानी थी। जो विषय राजनीतिक व औद्योगिक मामलों ही क्षेत्रों से सम्बन्धित थे वे श्रेणी कांग्रेस व सदस्य के पारस्परिक परामर्श से तय किए जाने थे।

श्रेणी मूलक समाजवादी पूँजीवाद का प्रतिस्थापना करने के लिए तीन बड़े एव शक्तिपूर्ण उपायों का उपयोग करना चाहते थे। उनका प्रथम उपाय श्रमजीवियों का श्रेणी मूलक संगठन करने उद्योगों के प्रबंध व संचालन पर अधिकार जमाना था। श्रेणी संगठन में प्रत्येक उद्योग में समस्त कार्यकर्ताओं—चाहे वह गाररिक श्रमिक हो लघुवा बौद्धिक, चाहे मनेजर हो लघुवा चपरासी, सभी को सम्मिलित किया जाता था और इस भाँति इन श्रेणियों का संगठन आधुनिक श्रम युद्धों व अधिक प्रभावशाली होता था। श्रेणी-मूलक समाजवाद का दूसरा उपाय सामूहिक ठेके का महत्त्व देना था। इसके अन्तगत श्रमिक गिल्ड गान्तिकों से काय करन का ठेका ले और पुन काय

का अपनी इच्छानुसार स्थायीतापूर्वक करें। तीसरे उपाय के अंतगत श्रमिकों को पूँजीपतियों व उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में अपने उद्योग स्थापित करना था। श्रेणी मूलक समाजवाद में नीचे में ऊपर तक दोहरे संगठन की व्यवस्था थी परन्तु यह स्पष्ट नहीं था कि मजदूर तथा श्रेणी कार्यक्षेत्र में मतभेद होने पर निम्न किस प्रकार किए जायेंगे। इसके साथ ही पूँजीवाद का प्रतिस्थापन करने के लिए जो उपाय विचारित किए गए उनकी प्रभावशीलता सन्देहपूर्ण थी।

राजकीय समाजवाद अथवा समष्टिवाद (State Socialism or Collectivism)—राजकीय समाजवाद का विचार मार्क्सवाद का आलोचना व फलस्वरूप आरम्भ हुआ। मार्क्सवाद की विचारधारान्तो में संशोधन करके प्रजातान्त्रिक मान्यताओं के अनुकूल बनाने के प्रयास किए गये। ब्रिटेन में सन् १८८४ में फेबियन समाज की स्थापना की गयी। फेबियनवाद में अन्तगत समाजवाद को उचित एवं श्रेष्ठ प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार राजकीय समाजवाद को मार्क्सवाद व सशोधन एवं फबियनवाद से मौलिक प्रेरणा मिली। राजकीय समाजवाद के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं—

(१) राजकीय समाजवाद का स्थापना हेतु वैधानिक शान्तिमय तथा विकास-मूलक उपायों का मान्यता दी जाती है और हिंसात्मक अथवा क्रान्तिकारी विधियों का उपयोग नहीं किया जाता है।

(२) राजकीय समाजवाद का प्रजातंत्र से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनके अन्तगत प्रजातान्त्रिक विधियों से ही समाजवादी व्यवस्था की स्थापना एवं संचालन किया जाता है। प्रजातंत्रात्मक राज्य इसकी समस्त योजनाओं की आधारशिला होता है और इसमें तानाशाही को स्थान नहीं दिया जाता।

(३) समाजवादी संगठन में राज्य को केंद्रीभूत स्थान दिया जाता है। वह समस्त आर्थिक एवं औद्योगिक क्रियाओं का व्यवस्था एवं संचालन करता है। इसमें राज्य और उसके कार्यों का महत्त्व बढ़ा दिया जाता है।

(४) समाजवाद के अंतगत वग संघों का कोई स्थान नहीं दिया जाता और वग समाजस्य स्थापित किया जाता है। यह श्रमिक एवं दलित वग के हितों के प्रति अधिक जागरूक होता है परन्तु किसी वग का विनाश नहीं चाहता।

(५) समाजवाद में व्यक्तिगत सम्पत्ति अथवा उद्योगों का निषेध करना अनिवार्य नहीं है परन्तु दलित वर्गों के शोषण को रोकने तथा आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को कम करने के लिए सम्पत्ति एवं उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है।

(६) समाजवाद में उत्पादन साम के लिए नहीं अपितु उपयोग के लिए किया जाता है और वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण लोग की मान्यता एवं कार्यानुकूल किया जाता है।

(७) समाजवाद के अन्तर्गत नैतिक साधनों का राज्य अपने अधिकार में लेकर उनका उपयोग ऐसे मण्डलों द्वारा करता है जो समाज के प्रतिनिधि हों और समाज के प्रति उत्तरदायी हों।

(८) राष्ट्रीय नैतिक साधनों का उपयोग एक पूर्व निर्दिष्ट यात्रा के अनुसार मार्गनिर्दिष्ट सामाजिक तथा आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नियोजित आर्थिक विचार समाजवाद का प्रभुत्व का है।

(९) राष्ट्रीय समाजवाद में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा एवं विपणि-आर्थिकता का मुहूर्त छूट नहीं दी जाती है। इनके द्वारा उत्पन्न इन पाव उत्पादकों तथा अन्य लोगों का हूरा करने के लिए राज्य राज्य सरकार रहता है। वह स्वयं मुझे नकार की विचारों द्वारा अपना राष्ट्रीय अधिनियम द्वारा विपणि-व्यवस्था पर नियंत्रण करना है।

राज्य समाजवाद में राज्य जो राजनीतिक शक्ति व आर्थिक शक्तिगामी होता है अब आर्थिक विचारों का अपने अधिकार एवं नियंत्रण में ले लेता है जो व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता पर कठोरतापूर्वक होता है। समाजवाद की प्रस्तावित विधियाँ अत्यन्त मन्द गति से देश के सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन का मकसद हैं और पूँजीवाद एवं उसके दोषों का अन्त धीरे-धीरे सम्भव नहीं हो सकता।

साम्यवाद—साम्यवाद के मूल सिद्धान्त हैं, सम्यक् एवं समान के साधनों पर व्यक्ति के स्थान पर समूह समाज का अधिकार तथा धनी एवं निधन के अन्तर का अन्तर्दहन करना। साम्यवाद वास्तव में ज्ञान ही प्राचीन है जिसका मानव की सम्मता है क्योंकि आदिम समुदायों में भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार के अभाव अधिनतर पूरे ग्राम का अधिकार होता था। भारत और स्वयं के प्राचीन ग्राम-समुदायों में भी इस व्यवस्था का प्रचलन था। भारत में प्राचीन षोडश शतक की आर्थिक व्यवस्था साम्यवाद से मिलती जुलती थी। जेम्सतम के ईसाई समुदायों में व्यक्तिगत सम्यक् को मान्यता नहीं दी जाती थी। अफगान ने अपने ग्रामों में सिद्धान्त-रूप में साम्यवाद के सिद्धान्तों का ही अर्थ व्यक्त किया था परन्तु आधुनिक साम्यवाद का मूल मानव के विचारों से प्रभावित हुआ है। आधुनिक साम्यवाद तथा प्राचीन एक मध्यकालीन साम्यवाद में मूलभूत अन्तर है। प्राचीन तथा मध्यकालीन साम्यवाद के अन्तर्गत राजनीतिक अथवा धार्मिक वे जबकि आधुनिक मार्क्सवादी साम्यवाद के प्रमुख अन्तर्गत आर्थिक हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण जो विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन हुए और धनी एवं निधन-वर्गों का प्रादुर्भाव हुआ उनके दुष्परिणामों का अन्तर्गत काल मार्क्स ने किया। वास्तव में साम्यवाद व्यक्तिवाद की एक प्रतिस्पर्धा थी। व्यक्तिवाद को हटाने समाजवाद की स्थापना करने के लिए साम्यवाद का जन्म हुआ।

मार्क्सवादो अर्थ-व्यवस्था में किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें उपयोग होने वाले श्रमकाल पर निर्भर करता है परन्तु अकेला श्रम कोई उत्पादन नहीं कर सकता। उत्पादन करने के लिए पूँजी (इन्फ्रा-मानव और मशीनें आदि) की आवश्यकता

होती है। मानव के अनुसार पूँजी एकत्रित श्रम व अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परिश्रम द्वारा उत्पादित वह द्रव्य जो उपयाग में न लाया गया हो और बचाकर उत्पादन में लगा दिया जाय पूँजी का रूप धारण करता है। इस प्रकार वह पूँजी भी श्रमजीवियों द्वारा उत्पादित धन है जिसे धाखे व अयाग से पूँजीपतियाँ न अपने अधिकार में कर रखा है। पूँजीपति मूल के सिद्धान्त का सहायता से श्रमिका से उनका न्यायोचित परिश्रम फल छीनता है और स्वयं धनी बन जाता है। पूँजीपति मजदूरों को कनस जाशन निर्वाह योग्य मजदूरी देता है जो वस्तु की लागत में शामिल करती जाती है। यदि मजदूरी की दर बढ़ा दी जाय तो वस्तु की लागत बढ़ने से पूँजीपति का लाभ कम हो जाता है और इसलिए वह मजदूरों से कम मजदूरी देने व लिए प्रयत्नशील रहता है जिसके फलस्वरूप पूँजीपतियाँ और श्रमिका में सम्बन्ध सधम चलता रहता है। पूँजीवाद व अन्ततम उत्पादन और विगरण में सम्बलन नहीं रहता क्योंकि एक ओर नये नये आविष्कारों द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ता जाती है और दूसरी ओर धन का संचय पूँजीपति के हाथ में होना जाता है। जन-साधारण का क्रय शक्ति कम होती जाती है जिसके कारण आर्थिक मंदी धेरोजगारी आदि कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और श्रमजीवियों को इतना कष्ट उठाना पड़ता है कि वह पूँजीवाद व्यवस्था को हिंसात्मक श्रान्ति द्वारा उखाड़ फेंकना है और इस प्रकार साम्यवादी व्यवस्था का निर्माण होता है।

साम्यवादी आन्दोलन एक श्रान्तिकारी आन्दोलन होता है। इसके अन्तगत श्रमजीवी वर्ग सफल-नाल में श्रान्ति के श्रुभा को पूणत नष्ट करके अपनी सत्ता को सुदृढ़ और स्थायी बनाने का प्रयत्न किया करता है। श्रमजीवी वर्ग पूँजीपतियों को सम्बन्ध के लिए परास्त करने हेतु अपना एकाधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है। इस श्रान्ति एकाधिपत्य द्वारा जा सरकार की स्थापना की जाती है इसमें श्रमजीवियों के अतिरिक्त और किसी वर्ग का कोई भाग या अधिकार नहीं दिया जाता। इसे प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। इसकी काय प्रणाली कठोर हिंसात्मक तथा उत्पीडक होती है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य श्रान्ति को स्थायी बनाना होता है।

साम्यवादी अर्थ व्यवस्था के लक्षण

अर्थ व्यवस्था में निम्न सम्पत्ति का उन्मूलन करना मुख्य लक्ष्य होता है। उत्पादन व प्रत्येक साधन पर राज्य का पूण स्वामित्व होता है जिससे सामानाजन हेतु होने वाले सामाजिक शोषण का रोकने का प्रयत्न किया जा सकता है। अविद्यमान धन सम्पत्ति एकीकृत करने को रोकने व लिए बहुत से उपाय किये जाते हैं। उत्तराधिकार व नवीन नियमों से धन सम्पत्ति के अस्तान्तरण का काम संभव कर दिया जाता है। उद्योग-साधारण तथा कृषि में निम्न सम्पत्ति का उत्पादन प्रायः समाप्त हो जाता है। नवीन आर्थिक नीति के फलस्वरूप व्याज लागू तथा किराया पाना अशुभव तथा

अवधानिक बन जाता है। उत्पादन के साधनों पर राज्य स्वामित्व या सामुदायिक स्वामित्व होता है जिसका अर्थ यह नहीं कि सभी उत्पादन का शायद केन्द्रीय अथवा प्रांतीय सरकार बसाये अर्थात् कुछ प्रमुख उद्योगों का छोटेकर अथवा न्योनों की राज्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं चलता। व सहायक तथा व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाते हैं परन्तु इन पर राज्य का पूरा और प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। निजी सम्पत्ति के सम्भ्रमण का अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत सम्पत्ति के धन उन्मात् के लिए राज करना है न कि उत्पादन के लिए। कृषि क्षेत्र में सामुदायिक किसानों का यात्री की व्यक्तिगत भूमि रखन का भी अधिकार दिया जा सकता है जिसकी उपज उनका निजी है। सबकी है।

सामुदायिक नियंत्रण एवं साधनों का बँटवारा—पूँजीवाद में आर्थिक साधनों का बँटवारा उपनात्तानों की रीति के अनुसार अन्तस्व व्यापारियों के नियंत्रण द्वारा होता है। व्यक्तिगत उपनात्ता उत्पादन पूँजीपति, व्यापारी तथा रिशत ही मध्यस्थों में स्वार्थ-समूह (Class of Interests) शान्त पूँजीवाद का मुख्य लक्ष्य है। इस स्वार्थ समूह से बचन के लिए साम्यवादी व्यवस्था में कठोर केंद्रीय संचालन तथा नियंत्रण का मांग अग्रगण्य जाता है। समस्त आर्थिक नियंत्रण तथा राज्य निर्धारण व्यक्तिगत प्रभाव से हटा कर एक केन्द्रीय संस्था को सौंप दिया जाते हैं। इस केन्द्रीय-करण के फलस्वरूप व्यक्तिगत एवं वर्गों के स्वार्थपूर्ण हितों का स्थान देश और समाज का हित ले लेता है अर्थात् समस्त आर्थिक नियंत्रण एवं सहाय समन्वय देश एवं समाज के हित की दृष्टिगत कर केन्द्रीय अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। इस व्यवस्था में उपनात्ता की रीति उसकी मात्रा गुण एवं प्रकार का उचित सीमाओं में बाँटना पड़ता है। सार्वजनिक उपभाग के साधनों की बनावटी रीति तथा प्रमाणीकरण (Standardization) इसके लिए मुख्य साधन हैं अतः योजनाओं में जनता की आवश्यकताओं एवं रीति व्यक्तिगतरूप से निर्धारित नहीं होती है अर्थात् सामूहिक रूप से निर्धारित की जाती है। योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार अर्थ-साधनों की वर्ग-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बाँटा जाता है। साधनों के बँटवारे के पूरे यह भी निश्चय करना आवश्यक होता है कि देश का योजना में उत्पादन एवं उपनात्ता न्योनों में क्या अनुपात रखा जाय।

साम्यवादी अर्थ व्यवस्था में अत्यामीकरण का अर्थ यह नहीं दिया जाता है क्योंकि औद्योगिकरण द्वारा जनता को थम के प्रति आग्रह करना सम्भव होता है जिसके द्वारा साम्यवाद की बुनियादों की दृष्टि बनाया जा सकता है। औद्योगिकरण देश में विद्यमान पूँजीवादी प्रवृत्तियों का सम्भ्रमण करने का एक उचित एवं महत्त्वपूर्ण साधन समझा जाता है।

समाजवादी उत्पादन—साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था में पूँजीवाद के मुख्य लक्ष्य एवं आधार प्रतिस्पर्धा को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। समाजवादी उत्पादन एवं

रिजर्वल सहकारी संघठन के रूप में कार्य करता है जिसमें अधिकतम सन्तुलन द्वारा राष्ट्रिय साधना का अनावश्यक प्रयोग एवं अप्रयय दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। समाजवादी प्रतिस्पर्धा पूँजीवादी प्रतिस्पर्धा से सर्वथा भिन्न है। साम्यवाद ने यह सिद्ध कर दिया है कि एकता आर्थिक स्वायत्त हो उत्पादन के प्रति उत्साह वन एवं धन का कारण नहीं है। इसमें आर्थिक प्रेरक के स्थान पर सामाजिक प्रेरणा को अधिक महत्त्व दिया जाता है। लाभ की आशा की तो जाती है परन्तु यह उत्पादन का मुख्य ध्येय नहीं है। सपन प्रयत्न का माप लाभ की मात्रा के अतिरिक्त कम समय में अधिक उत्पादन प्रतिकों की दशा में सुधार और उत्पादन की लागत में कमी भा समझे जाने हैं। पूँजीवाद में कुशल उत्पादन के बदले घन एवं उत्तम उत्पन्न होने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्येय होता है। समाजवाद में इसका स्थान पर यत्तिगत प्रभाव एवं शक्ति को स्थान दिया गया है। साम्यवादी अथ 'यवस्था' से शक्तता का पारितोषिक महान् है और असफलता का दण्ड बढा है। सफल प्रयत्न कम्युनिस्ट पार्टी में प्रभावशाली बन जाना है और उसकी शक्ति का पालिकायक पार्टी में प्रभाव हाता है। सफल प्रेरणा हेतु आर्थिक वेतन के अतिरिक्त दूसरी सुविधाएँ अधिक प्रभावशाली समझी जाती हैं। धनिक की आवश्यकतानुसार उनसे वेतन का निर्धारित किया जाना है और उसी का आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का बिनरण किया जाता है।

साम्यवाद में लाभ का अर्थ केवल मॉड्रिफ लाभ से नहीं लिया जाता। इसमें उत्पादन के प्रयोग का लाभ भी सम्मिलित रहता है। प्रत्येक कारखाने का उत्पादन का लागत घटा कर लाभ में विस्तार करने को कहा जाता है परन्तु अधिक लाभ हेतु दूसरा आवश्यकताओं पर उचित ध्यान न देना अप्रयत्न समझा जाता है। उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना, सामान की किस्म का गिरने न देना और मजदूरों की दशा तथा वेतन में लगातार सुधार के साथ साथ लागत कम करके यदि कोई कारखाना लाभ शिखाता है तभी इसका प्रशंसनीय माना जाता है।

व्यापार—साम्यवादी व्यवस्था में व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना या उपभोक्ताओं की रुचि का ही पता लगाना नहीं है। पूँजीवादी अथ 'यवस्था' के समान प्रोत्साहनों को न तो बाजार में मनीन माइल व डिजाइन की वस्तुएँ ही मिलनी हैं और न प्रोत्साहनों के पास आर्थिक शक्त ही होती है। क्रान्ति के पश्चात् हा दानी एवं विशेषी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। देश का धाक व्यापार राजकीय संस्थाओं के हाथ में रहता है। विभिन्न उत्पादकों को आयोजित मूल्य पर खरीद कर महंगारी समितियाँ तथा कारखाना स्टोस द्वारा निर्धारित मूल्य पर उप उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाना है। फुटकर मूल्य जो बढ़ते रहते हैं उनके द्वारा लोगों की आय एवं बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का विविध मूल्य सन्तुलित रखने का प्रयत्न किया जाता है।

साम्यवाद एवं समाजवाद के उद्देश्य लगभग समान ही होने हैं परन्तु इनकी

नायप्रणाली एक-दूसरे से निम्न होती है। समाजवाद के अनुसार वैधानिक गान्धिमत और प्रजातन्त्रीय कामप्रणाली द्वारा पूँजीवादी व्यवस्था को बदला जाता है जबकि साम्यवाद के अनुसार हिंसात्मक क्रान्ति का ही एतन्मात्र पूँजीवाद के अन्त करण का साधन समझा जाता है। सोवियत रूस के विचारकों के अनुसार समाजवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं में वितरण-प्रणाली में ही अन्तर होता है। समाजवादी व्यवस्था में वितरण धर्मियों के बीच एवं साम्यता के अनुसार किया जाता है परन्तु साम्यवाद में समुच्चों और सेवकों का वितरण उनके आवश्यकतानुसार किया जाता है।

अधिनायकवाद अथवा तानाशाही (Fascism)—अधिनायकवाद नामाचर किसी देश में जब हो विद्यमान होता है, तब वहाँ का गणतन्त्र विघ्नित एवं प्रथम हो जाता है और जनसमुदाय राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय भावना का ज्ञान प्राप्त करने लगता है। इटली के फासिस्टवाद (Fascism) तथा जर्मनी का नात्सीवाद (Nazism) का इसी प्रकार जन्म हुआ। इटली की महावाक्तावाजों के प्रथम युद्ध में पराजित होने तथा जर्मनी की पराजय होने के कारण इन देशों में अधिनायकवाद ने जार पकड़ा। अधिनायकवाद का अन्तर्गत जो व्यक्ति अपने आपको अधिनायक होने घोष्य समझता है वह आगे बढ़ता है और समस्त असन्तुष्ट जनसमुदाय को अपने में सम्मिलित करने का प्रयत्न करता है। अधिनायक का कृत्रिम अथवा निरुत्पि नहीं की जानी है। वह असन्तुष्ट जनसमुदाय की पीड़ा को दूर करने, राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति के नाम पर प्रायः नवयुवकों एवं विद्यार्थियों को अपने दल में सम्मिलित करने के लिए आकर्षित करता है। इस प्रकार अधिनायक एक दलीय नेता के रूप में कार्य प्रारम्भ करता है और धीरे-धीरे एक जनसमुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है। वह एक कुशल बला एवं प्रचार-बाज में युक्त होता है। अधिनायकवादी राज्य का सर्वोच्च नैतिकता का देश की समस्त शक्तियों का आधा मानते हैं। राज्य का शक्ति-धाली करने के लिए समस्त व्यक्तियों व समुदायों का राज्य के पूर्णतया अधीन आने एकता की स्थापना की जाती है। लोकतन्त्र तथा सन्तार-विराधी दलों को कोई स्थान अधिनायकवाद में नहीं दिया जाता है। स्वतन्त्र मन्त्र-सभाओं, मन्त्र-सभान्तर्गत और हठताओं का बहिष्कार अन्त कर दिया जाता है और राज्य द्वारा स्वीकृत निर्मित अन्त-संघटनों की स्थापना की जाती है जिनके संचालन अधिनायक के विचारप्रणाली व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं।

राज्य एवं व्यवसाय की यद्यपि व्यक्तिगत अन्विकार में हो रहने दिया जाता है परन्तु उनके संचालन पर राज्य का कठोर नियंत्रण होता है। राजा समस्त जनसमुदाय की रोजगार देने तथा निर्वाह योग्य वेतन की व्यवस्था करने का प्रयत्न करता है। अधिनायकवाद का मुकाब पूँजीवादी व्यवस्था को और अधिक हाता है। राज्य व्यक्तिगत जीवन के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप एवं नियंत्रण करता है और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का सम्पूर्ण अन्त हो जाता है। इस प्रकार अधिनायकवाद के अन्त-लिखित मुख्य लक्षण हैं—

(१) अधिनायकवाद में भौतिक सुखवाद जीवन का उद्देश्य नहीं माना जाता है और इसी कारण अधिनायक जनसमुदाय की भौतिक आवश्यकताओं पर कठोर नियंत्रण लगाकर साधनों को बच उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एकत्रित करता था जसे जर्मनी में हिटलर ने द्वितीय महायुद्ध में धन का उपयोग किया गया था।

(२) अधिनायकवाद में समानता के सिद्धान्त को कोई स्थान नहीं देता है।

(३) अधिनायकवाद बहुमत की निम्न पद्धति को मायता नहीं देता। अधिनायक द्वारा किये गये निम्न ही सबका व होते हैं।

(४) अधिनायकवाद में अन्तर्गत राज्य का प्रमुख उद्देश्य अधिनायक की शक्तिशाली बनाकर देश को शक्तिशाली बनाना होता है। 'यक्तिया के विकास का उत्तरदायित्व राज्य स्वीकार नहीं करता।

(५) अधिनायकवाद में यत्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं होता और समस्त राजनीतिक आर्थिक एवं अन्य क्रियाओं पर राज्य का कठोर नियंत्रण होता है।

(६) अधिनायकवाद में मनुष्य की क्रियाओं का उद्देश्य धन एवं आयाजानन के स्थान पर एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होता है।

अधिनायकवाद एक साम्यवाद की काय प्रणालियाँ में बहुत कुछ समानता है। दाना ही बातों में सक्रिय नागरिकता को अधिक महत्त्व दिया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय सहयोग दे। दाना ही बातों में राज्य शक्ति के जीवन के समस्त क्षेत्रों पर आच्छादित हाना चाहता है। 'यत्तिगत स्वतंत्रता का संख्या अन्त करन का प्रयत्न किया जाता है। लाकत दवादी मायताओं को दाना ही बातों में कोई स्थान नहीं है। भाषण मुद्रण तथा संगठन आदि की स्वतंत्रता का श्रेय में ही अभाव होता है। दाना ही बातों में सत्कारद दत्त राज्य के समस्त सूत्रों को अपने हाथ में रक्ता है। दाना ही बातों में उपयुक्त समानता होने हुए भी उनमें उद्देश्य में भिन्नता है। साम्यवाद में अन्तर्गत धर्मजीवी वष का एकाधिपत्य प्रदान किया जाता है जसकि अधिनायकवाद में पूँजीपति वष का संरक्षण एवं हित साधन होता है। साम्यवाद में अन्तर्गत आर्थिक साधन एवं क्रियाओं का नियंत्रण संचालन एवं अधिकार राज्य के हाथ में हाना है जसकि अधिनायकवाद में आर्थिक क्रियाएँ एवं साधन पूँजीपतियों के हाथ में रहते हैं। वष उनका संचालन राज्य के कठोर नियंत्रण के अन्तर्गत किया जाता है।

उपयुक्त विभिन्न राजनीतियों एवं आर्थिक विचारधाराओं तथा व्यवस्थाओं के अध्ययन से पाता हाना है कि आधुनिक युग में आर्थिक व्यवस्थाओं और राजनीतिक विचारधाराओं में आर्थिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में अन्तर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ और आर्थिक नियोजन का संचालन इन विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न देशों में किया गया है। प्रत्येक देश का राजनीतिक स्थिति के अनुसार उसके आर्थिक नियोजन के प्रकार

का निर्धारण होता है। आर्थिक नियोजन एक राजकीय क्रिया होने के कारण राज्य की राजनीतिक मायदाओं से प्रभावित होता है। समस्त समस्त प्रकार के नियोजन में मूल उद्देश्य समान ही है। परन्तु इन उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति हेतु जो विभिन्न अपनानी जाती हैं, उनका निर्धारण देश में भाव्य राजनीतिक विचारधाराओं पर प्रभावित होता है। वास्तव में नियोजन के प्रकार का निर्णय स्वयं अन्तर्गत उद्योग में आने वाली विधियों के आधार पर किया जाता है। समस्त प्रकार के नियोजन में सामाजिक तथा आर्थिक सुस्था प्रमुख उद्देश्य समान ही हैं और उपर्युक्त समस्त साधनों का उपयोग इन दोनों मूलमूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अधिनायकवादी या तानाशाही नियोजन में आर्थिक प्रथम सामाजिक सुस्था के स्तर पर प्रतिनायक का गतिगायी बनना होता है जिसके द्वारा देश की गतिगायी बनाना जा सके।

नियोजन के प्रकार

- (१) समाजवादी नियोजन (Socialistic Planning)
- (२) साम्यवादी नियोजन (Communist Planning)
- (३) पूँजीवादी नियोजन (Capitalistic Planning),
- (४) प्रजातान्त्रिक नियोजन (Democratic Planning)
- (५) अधिनायकवादी या तानाशाही नियोजन (Fascist Planning)
- (६) सर्वोत्तम अथवा गांधीवादी नियोजन (Sarodaya or Gandhian Planning)।

समाजवादी नियोजन

आर्थिक नियोजन वास्तव में समाजवाद का एक अभिन्न अंग है। मर्यादित रूप में हम जहाँ ही यह विचार कर सकते हैं कि समाजवाद एक आर्थिक नियोजन में कुछ अन्तर है परन्तु व्यावहारिक रूप से इन दोनों का इतना प्रतिष्ठ अन्तर है कि आर्थिक नियोजन की अनुपस्थिति में समाजवाद की विचारधारा को व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता है। समाजवाद के अन्तर्गत राज्य की ऐसी विधियों का उपयोग करता होता है कि व्यवस्थापिका को समाजवादी दायित्वों को जो बरकरार किया जा सके। सरकार द्वारा जब इन विधियों का उपयोग किया जाता है तो इसका रूप सरकारी नियोजन बन जाता है। सामाजिक एक आर्थिक समानता का अन्वयण करने हेतु सरकार को निजी व्यवसाय, सम्पत्ति एवं प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण करने तथा एक आर्थिक साधनों का इस प्रकार उपयोग करना होता है कि आर्थिक विकास के लक्ष्य समस्त समाज को प्राप्त हो सके। राज्य द्वारा इन वास्तविकी का जिम्मे जाले से रूप व्यवस्था का मुचालन स्वतंत्र बाजार-व्यवस्था से बदलकर केंद्रीय व्यवस्था हो जाना है जो आर्थिक नियोजन का स्वरूप होता है।

समाजवादी नियोजन के अन्तर्गत समाज के पूर्ण आर्थिक साधनों एवं अन्त-

शक्ति का प्रयोग समस्त समाज के लिए किया जाता है। उत्पादन का लक्ष्य समस्त समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है न कि व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना। समाजवाद के अन्तर्गत मानवीय धर्म का उपयोग पूँजी संप्रदाय के लिए नहीं किया जाता है अपितु मनुष्यता के पूँजी मानवीय धर्म के उत्थान एवं आराम के लिए प्रयोग की जाती है। केन्द्रीय नियंत्रण होने पर अर्थ व्यवस्था में निरर्थक प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन हो जाता है और अर्थव्यवस्था का काम किया जा सकता है। समाजवादी नियोजन में भारी उत्पादन उद्योगों का आधार उपभोक्ता उद्योग नहीं होने हैं। भारी उद्योगों के विकास का केन्द्रीय अधिकारी सब श्रेष्ठ स्थान देने हैं।

समाजवाद का आर्थिक स्वरूप आधुनिक युग में सबसे एक मिश्रित मात्र है क्योंकि इसके मूल उद्देश्यों आर्थिक एवं सामाजिक समारोहों की पूर्ति के लिए वस्तुओं से तारीके अपनाये जाने लगे हैं। समाजवादी नियोजन में केन्द्रीय नियंत्रण का विरोध महत्व होता है। सरकारों क्षेत्रों का विकसित तथा निम्न क्षेत्रों का संकुचित किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन तथा वितरण काय पर सरकारों द्वारा धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। मूल तथा आधारभूत उद्योगों जैसे यंत्रागार शक्ति युद्धसामग्री निर्माण लोहा तथा इस्पात रसायन तथा इन्जीनियरिंग आदि का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। भूमि को भी शासन अपने अधिकार में कर लेता है। इस प्रकार राज्य प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन क्षेत्रों का मंचालन करता है। राष्ट्र के अधिक में अधिक साधनों का पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों में विनियोजित किया जाता है। उद्योगों का प्रबंध विद्यमान द्वारा होता है जिनमें मजदूर वर्ग के प्रतिनिधियों का भी स्थान दिया जाता है। वित्तीय मामलों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य अधिकारियों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। दीर्घकालीन विनियोजन नीति को समाज का राष्ट्रीयकरण वित्तीय नियमों की स्थापना तथा अर्थ व्यवस्था में व्यवस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नी सम्पत्ति का अपहरण मृत्यु तथा उत्तराधिकार-कर द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार पूर्णतः समाजवादी अर्थ व्यवस्था में उत्पादन तथा उपभोक्ता की स्वतंत्रता को कोई विरोध स्थान प्राप्त नहीं होता। सरकार नियोजन के लक्ष्य अधिक ऊँचे निर्दिष्ट करती है और उनकी पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों का अधिकतम भाग पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों में विनियोजित करता है। उपभोक्ता वस्तुओं (Consumer Goods) का उत्पादन में भी बढ़ती हुई आवश्यकता का तुलना में कम रहना है। ऐसी अवस्था में उपभोक्ता का शक्ति तथा मूल्य नियंत्रण द्वारा वस्तुओं में सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है। साथ ही उत्पादन में सरकार का नीति के अनुसार ही किया जाता है। साधनों का आवंटन एवं निर्दिष्ट उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता को अपनी इच्छानुसार वस्तुएं खरीदने तथा उत्पादकों को उपभोक्ता की माँग के अनुसार उत्पादन करने की स्वतंत्रता नहीं होती है।

समाजवादी इस मनीषानुसार स्वतंत्रता को विरोध महत्व नहीं देने हैं।

उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ जनसङ्घ की इच्छाओं कीमती अन्याय, वैधारी तथा अनुशासनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करना है। इन सभी बलिदानों में स्वतंत्रता समाजवादी नियोजन द्वारा गीत तथा अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सकती है। समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रता का सुरक्षित स्थान बलिदान होता है क्योंकि नियोजन में दीपवासीन वायुमय का महत्त्वपूर्ण न्यायित करने के लिए राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। एक पक्ष की सरकार का दीपवासीन नियोजन का वायुमय बनाती है न्याय की पूर्ति के लिए उस पक्ष की सरकार का बना हुआ आवश्यक होता है। अथवा नवीन सरकार जाने पर पक्ष के वायुमयों को हट कर दिया जाना साम्प्रदायिक है। यदि विदेशी दल नियोजन के मूल उद्देश्यों में महत्त्व हाथी अपनी आलोचना इन उद्देश्यों को छोड़कर ही सीमित करता हो तब राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने में काफी कठिन नहीं होता क्योंकि विदेशी सरकार बनने पर नियोजन के कार्यक्रम रद्द किए जाने की सम्भावना नहीं होती है। जब विदेशी दल नियोजन के मूल उद्देश्यों में महत्त्व न हा तब न्याय की स्वतंत्रता का निम्नलिखित अर्थवादी होता है। पक्ष समाजवादी नियोजन का अन्ततः विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों द्वारा किया जाता है और ये विभाग लोकसभा के विभागों द्वारा चयनित किए जाते हैं। विदेशी सरकार बनने पर भी इन मन्त्रालयों का विफल करना सम्भव नहीं होता है। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता पर कोई विशेष अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है।

समाजवादी नियोजन के अन्तिम-तथ्यों की पूर्ति के लिए जनसङ्घ का प्राथमिक अवस्था में अधिक तथा अधिक बलिदान उद्योगी पक्षी है क्योंकि साम्प्रदायिकी स्वतंत्रता तथा निजी स्वामित्व का सीमित कर दिया जाना है। विदेशी व्यापार की सुरक्षा के लिए समाजवादी नियोजन तथा निम्नलिखित होता है और समझ-समझ पर सरकार की विदेशी व्यापार-नीति घोषित की जाती है, जिसमें पूंजीगत बन्धुओं के आयात तथा उपभोग की बन्धुओं के निर्यात पर जोर दिया जाता है। नियोजन की निर्णय सहायता केवल अन्य राष्ट्रीय की सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय मन्त्रालयों में प्राप्त हो जाती है क्योंकि विदेशी पूंजीपति अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय के अर्थ में समाजवादी देशों में बिनियोजन करना अच्छा एक हितकर नहीं समझते हैं।

समाजवादी नियोजन के केन्द्रीय निम्नलिखित में समझ नीतिवत् तथा राष्ट्रीय समाजवादी अधिकारियों द्वारा निर्मित तथा संचालित किए जाते हैं। यह समाजवादी राजनीतिक सिद्धान्तों की बलिदान की ओर विशेष ध्यान देते हैं। समाजवादी नियम हट जाते हैं जिसमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना सम्भव नहीं होता है। समाजवादी बन्धुत्वियों में आत्मवश (Inflation) तथा अन्य कार्य प्रारम्भ करने के लिए रजिस्ट्रार का अन्तर्गत होता है इसीलिए जोसिम व बावों में ये उचित एवं उचित नीति-निर्णय में सफल नहीं होते। समाजवादी नीतियों में इस प्रकार नीतिवत् (Bureaucratic

Feelings को ध्यान समी रहता है जिससे जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होता उत्पादन काय में शिथिलता आती है तथा माधना का अफयम होता है ।

समाजवादी नियोजन के लक्षण

समाजवादी नियोजन के प्रमुख लक्षणों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है—

(१) नियोजन समाजवाद का अतिशय अंग—समाजवादी राज्य की स्थापना के साथ साथ नियोजित अर्थ-व्यवस्था का संचालन एक अनिवार्य घटक होता है क्योंकि समाजवाद के अन्तर्गत जब राज्य आर्थिक साधनों एवं क्रियाओं का अपन अधिकार एवं नियंत्रण में ले लेता है तो उनका एक समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त करना आवश्यक होता है । समाजवादी राजनीतिक एक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना आर्थिक नियोजन की अनुपस्थिति में नहीं की जा सकती जा सध्य अर्थ राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए सत्य नहीं होता है ।

(२) सामाजिक एवं आर्थिक समानता—समाजवादी नियोजन का अंतिम लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक समानता उत्पन्न करना होता है और इसके अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यक्रम इस उद्देश्य को दृष्टिगत करने हुए संचालित किए जाते हैं ।

(३) उत्पादन के साधन राज्य के अधिकार एवं नियंत्रण में—समाजवादी नियोजन के अन्तर्गत उत्पादन के समस्त या मूलभूत साधन राज्य के नियंत्रण एवं अधिकार में होते हैं । राज्य धीरे धीरे समस्त आर्थिक क्रियाओं का प्रजातांत्रिक एवं शांतिमय विधियों से राष्ट्रीयकरण करता है और सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाता है । राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक नागरिक का आय अवसर और राजस्व उचित मात्रा में प्रदान करे ।

(४) सामाजिक हित—समाजवादी नियोजन में व्यक्तिगत हित एवं लाभ के स्थान पर समस्त जनसमुदाय के हित का अधिक महत्व दिया जाता है और इस कारण देश में उपलब्ध समस्त उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार का कोई मायना प्रदान नहीं का जाता । समाज के हित के लिए व्यक्ति को त्याग करने के लिए विवश किया जा सकता है ।

(५) प्रोत्साहन द्वारा नियोजन—यद्यपि समाजवादी नियोजन में राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करके आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है, परन्तु प्रजातांत्रिक कार्यप्रणाली हानि के कारण राज्य के अधिकार में रहने वाले साधनों का उपयुक्त करन हेतु व्यक्तियों के समूहों स्थायीय सस्थाओं धोत्राय सस्थाओं आदि की स्थापना की जाती है । इस प्रकार सत्ताओं का विकेंद्रीकरण करन का प्रयत्न किया जाता है । इस प्रकार के नियोजन में व्यक्तिगत निष्पत्तियों का प्रतिस्थापन करके सामूहिक निष्पत्तियों को मायता दी जाती है परन्तु व्यक्तियों पर दबाव डाल कर त्याग करने को अधिक महत्व नहीं दिया जाता । उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर

सोचना के निर्देशों का प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार केन्द्रीय नियंत्रण होते हुए भी योजना का नवाचार निर्देशों द्वारा (By Direction) नहीं किया जाता।

(६) नीचे के स्तर से नियोजन (Planning From Below)—समाजवादी राष्ट्रीय में समाजवाद की स्थापना प्रजासत्तिका निर्देशों से की जाती है जिन्हें प्रजासत्तिका मार्गिक को राज्य के निम्न से प्रस्तावित करने का अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति की योजना के बाधकता व सम्बन्ध में जन विचार प्रकट करने का अधिकार होता है। योजना का वास्तविक भी जनसाधारण की विभिन्न समस्याओं पर अधिकार विचारों के आधार पर बनाये गये हैं। इस प्रकार निर्देशित बाधकताओं का अनुसन्धान व सम्बन्ध विचारों द्वारा गलत नहीं जाता है।

(७) उपरोक्त के प्रकृत पर नियंत्रण—समाजवादी नियोजन के अन्तर्गत उदाहरण सामान्यों की समस्याओं के प्रकृत हेतु किया जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्देशों का समान पूर्व निर्दिष्ट बाधकताओं के प्रकृत होता है। यद्यपि सामान्यों के बीचवर्ती सम्बन्ध को सर्वव्यापक में बना जाता है। ऐसी परिस्थिति में सामान्य-सम्बन्धों के विचारों का नियंत्रण उनके सम्बन्धों की स्वतन्त्रता को सीमित कर दिया जाता है। दूसरी ओर किसी सामान्य के प्रकृत का प्रकृत का दिया जाता है और इस प्रकार सामान्य सामान्य एवं योजना की स्वतन्त्रताओं पर प्रकृत बनाये गये हैं।

(८) विभिन्न बाधकता पर नियंत्रण—समाजवादी सर्व-व्यवस्था में भी और प्रति के प्रकृतों को प्रकृतों पर प्रभाव प्रकृत की प्रकृत प्रकृत नहीं की जाती क्योंकि सामान्य प्रकृत विचारों का योजना द्वारा निर्देशित बाधकताओं एवं प्रकृतों के प्रकृत दिया जाता है। प्रत्येक विचारों एवं सामान्य प्रकृत प्रकृत निर्देशों द्वारा है।

साम्यवादी नियोजन

साम्यवाद के अन्तर्गत राष्ट्रीय सर्व-व्यवस्था का नियोजित निर्देशन (Planned Direction) राज्य द्वारा किया जाता है। साम्यवादी सरकार राष्ट्रीय जादिक विचारों के प्रकृत, उदाहरण की भांति बाधकता निर्देशों जादिक विचारों की गति एवं प्रकृत, बाधकता मान सर्व-बाधकताओं तथा प्रकृत का निर्देशन सामान्यिक एवं विदेशी प्रकृत की भांति प्रकृत प्रकृत निर्देशों का निर्देशन करती है। प्रत्येक प्रकृतों के प्रकृतों का सामूहिक प्रकृतों (Collective Farms) का प्रकृत-प्रकृत प्रकृत प्रकृत प्रकृतों द्वारा करता है। राज्य निर्देश-व्यवस्था तथा निर्देश-व्यवस्था के प्रकृतों का निर्देशन करता है। इस प्रकार एक साम्यवादी सरकार अपनी जादिक सामूहिक एवं प्रकृत बाधकताओं द्वारा सामान्यिक जीवन के प्रकृत प्रकृत व बाधकताओं प्रकृतों है। प्रकृत के विचारों में सामान्यिक जीवन के प्रकृत प्रकृत प्रकृत (Expression) होता है। प्रकृत निर्देशन के आधार पर साम्यवादी व्यवस्था में सामान्यिक एवं जादिक प्रकृतों में सर्व

अंतर नहीं समझा जाता जिसमें परिणामस्वरूप राज्य मयाज का केवल राजनीतिक नृत्य ही नहीं करता बल्कि उसके हाथ में आधुनिक मत्ताओं का केन्द्रीयकरण भी होता है। ऐसी राजनीतिक एव आधुनिक व्यवस्था का अन्तगम आधुनिक नियोजन का स्वरूप केन्द्रित नियोजन (Centralised Planning) ही जाता है। हम में केन्द्रित व्यवस्था का फलस्वरूप ७०% फुटकर व्यवसाय सरकार द्वारा मन्त्रित हो गए हैं तथा ६०% उत्पादन में साधन राज्य के अधिभार में हैं। सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादों का ६४% औद्योगिक उत्पादन किया जाता है।

साम्यवादी नियोजन का अन्तगम समन्वित केन्द्रीकृत योजनाओं का विधान का दाय निम्नो का अनुसर किया जाता है। साम्यवादी नियोजन की प्रगतिय व्यवस्था सन्निह द्वारा प्रतिपादित प्रजातान्त्रिक केन्द्रितकरण (Democratic Centralisation) के सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। प्रजातान्त्रिक केन्द्रितकरण के अन्तगम राज्य योजना में सम्मिलित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम निष्कारित करने के लिये मन्त्रियों के आवश्यक निर्देश मिले तथा अनुपात का निर्धारण करता है। इन आधारभूत निर्देशों के आधार पर विभिन्न स्तरमायो तथा स्थानीय अधिकारी विस्तृत योजनाएं अपने अपने कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में तैयार करते हैं। स्थानाय परिस्थितियाँ तथा सम्माननाओं का याजनाएं बनाने समय विचार ध्यान रखा जाता है। इन प्रकार साम्यवादी नियोजन में प्रजातन्त्र का प्रदर्शन विस्तृत योजनाओं की बनाने समय होता है क्योंकि यह विस्तृत योजनाएं औद्योगिक इत्यादि निर्माण-स्थानों सामूहिक तथा राजकीय कृषि-बलों पर बनायी जाती है जिसमें जनसमुदाय की अपने स्थानाय अनुभवों का याजना के निर्माण में उपयोग करना सम्भव होता है। साम्यवादी के 'प्रजातन्त्र का अर्थ जन समुदाय का स्वयंसेवक सरकार से है। इसका अन्तगम जनसमुदाय की क्रियाओं एव प्रारम्भिता का अधिकतम वायक्षत्र प्रगत किया जाता है। यह जनसमुदाय के लिए स्वयं का सरकार होता है।' अतएव बार याजना में सम्मिलित किये जाने वाले कामकाज के अन्तगम एव स्थानीय संस्थाओं के सहयोग में तैयार कर किये जाते हैं और उनको केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दा जाती है सर नाप के स्तर के याजना एव प्रत्येक अधिकारियों एव संस्थाओं का कर्तव्य होता है कि याजना के लक्ष्य को पूरा करें। साम्यवादी नियोजन में उत्पादन के क्षेत्र में एक व्यक्ति प्रत्येक (One man Management) के सिद्धांतों का मान्यता दा जाती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि प्रत्येक का आवश्यक अधिकार दिए जाते हैं कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का आवश्यक निर्देश देकर निष्पिष्ट लक्ष्य को पूर्ण के कर्तव्य का पालन

1 To us democracy means genuine government by the people it implies maximum scope for the activity and initiative of the masses self government for the people'

—N S Khrushchev *Control Figures For Economic Development of the U S S R for 1959 1965* ¶ 126

करे। लेनिन के अनुसार एक व्यक्ति प्रबंध में मानवीय क्षमताओं का उत्तम उपयोग होना है तथा कार्य पर वास्तविक नियंत्रण रहता है। इस प्रकार साम्यवादी प्रजा-तांत्रिक केन्द्रीकरण के अंतर्गत नेता के अधिकारों तथा उसके नेतृत्व में रहने वाले व्यक्तियों की प्रारम्भिकता का सम्मिश्रण होता है।

साम्यवादी नियोजन में थमिनों को अर्थ-व्यवस्था के संचालन-कार्य में भाग लेने का अधिकार होता है। थमिक वर्ग में योजना के कर्मियों की पूर्ण नवान मशीनों तथा तांत्रिक विधियाँ का आविष्कार करने, थम के यन्त्रीकरण के अन्तर्गत बचन करने, थमिका की सम्पनाओं का बढान आदि के लिए समाजवादी प्रतिस्पर्धा होती है। इस प्रकार जो थमिक इस समाजवादी प्रतिस्पर्धा में विशेष सफलता का परिचय देता है उसमें अर्थ-व्यवस्था के प्रबंध एवं राजनीतिक महत्ताओं में उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। थम मध्य द्वारा थमिक वर्ग प्रबंध के बावों पर नियंत्रण रखता है। थम-सम उत्पादन कार्यों में भाग लेने हैं और योजनाओं के निर्माण संचालन तथा समाज-वादी प्रतियोगिता में प्रयत्न भाग लेने हैं।

नियोजित अर्थ व्यवस्था का सर्वप्रथम संचालन रूस में हुआ, जहाँ अर्थ-व्यवस्था का समाजीकरण करने का भरसक प्रयत्न किया गया है और विपणि-तांत्रिकता (Market Mechanism) तथा स्वतंत्र बाजार का नियमित रूप में पूर्णतः दबा दिया गया है। संचालित नियोजक नीति तथा आश्चर्यजनक विकास में विश्वास रखने हैं, इसलिए राष्ट्र के अधिक से अधिक साधनों का पूर्णतः वस्तु-उत्पन्न करने वाले उद्योगों में विनियोजित किया जाता है। उपभोक्ता उद्योगों को विशेष सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाती हैं जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कमी का कारण जनसमूह का अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नियोजन की दिन प्रति-दिन प्रगति की ओर ध्यान दिया जाता है और नियोजन का सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक त्याग, कठिनाइयों का सामना तथा कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस व्यवस्था में मानव जीवन कठोरतापूर्ण तथा संकीर्णतापूर्ण की व्यवस्था में टल जाता है।

साधित मध्य में आर्थिक नियोजन उच्चतम कोटि की विकसित स्थिति पर पहुँच गया है। इसमें स्पष्टतः पूँजीवादी व्यवस्था का प्रतिस्थापन होता है। पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक साधना का आवंटन मूल्य तथा बाजार से निर्दिष्ट होता है तथा यह उपभोक्ता की स्वतंत्रता से सम्बंधित होता है और इसमें निश्चय वस्तु से व्यापारियाँ द्वारा किये जाते हैं। (रूस में) राज्य अपने गोरप्लान (Gosplan) द्वारा उत्पादन की स्वरूपा निर्दिष्ट करता है जिसके मुख्य निश्चयों का समाज के महत्वपूर्ण उद्देश्यों अथवा पॉलिबुरो (Politburo) पर आधारित किया जाता है। वास्तव में उच्चतम साधना का आवंटन निर्मित वस्तुओं से प्राप्त होने वाले मूल्य के आधार पर न करके नियोजन की प्रमुखताओं के अनुसार किया जाता है। प्रबंधकों तथा थमिकों को पारिश्रमिक मुद्रा में मिलना है। यह पारिश्रमिक प्राप्त-परिस्थितियों तथा थमिकों का

आवश्यक पूर्ति को बनाये रखने के लिए 'यूनितम मजदूरी पर आधारित होता है। मुद्रा में भुगतान हाते हुए भी श्रमिकों को उपभोक्ता चुनाव का अधिकार सीमित राना है। दूसरी ओर नियाजक उपभाग की वस्तुओं के उत्पादन में समायोजन चुनाव व अनुसार करता है। स्पष्टतः याजना बनाने वाले एकमात्र उपभोक्ता की भाँति पर विश्वास नहीं करते हैं। वे राष्ट्रीय कुल म साधनों को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से बनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में केवल इसलिए नहीं लगाते कि उपभोक्ता उन वस्तुओं को प्राथमिकता प्रदान करता है और न ही नियोजन प्रनिर्वाचित आयात को उपभोक्ता की इच्छानुसार परिवर्तित करते हैं।¹

इस प्रकार नियाजन द्वारा पूरा समाजवाद समाज का स्थापना का जाती है जिसमें निजी क्षेत्र का कोई स्थान नहीं होता। अथ 'यवस्था पर पूरणरूप से राज्य का नियंत्रण रहता है और शक्तियों का केंद्रायकरण उत्कृष्ट होता है। निजी सम्पत्ति का अपहरण बल तथा करों द्वारा किया जाता है। राष्ट्र का समस्त उद्योग राज्य के अधीन होते हैं। दवा तथा विदेशी व्यापार भी राज्य अथवा राज्य द्वारा नियंत्रित मस्थाओं द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र को जिसे आवश्यक रूप में समाज विरुद्ध समझा जाता है कठोर विधियाँ द्वारा अन्ततः समाप्त कर दिया जाता है। केवल सीमित प्रनिर्वाचन तथा अस्थायी रूप में आर्थिक विज्ञान में स्थान दिया जाता है। यह स्थान समाजवाद में परिवर्तित हान तक केवल इसलिए दिया जाता है क्योंकि समाजवाद अनायास विनिर्वाचित नहीं किया जा सकता और क्योंकि निजी

1 In the U S S R the economic plan has reached its highest State of development It is obviously a substitute for that allocation of economic resources which in a capitalist system is determined by prices and incomes and related in turn to consumer's sovereignty and decisions made by innumerable businessmen The State through its Gosplan determines the outlines of production plan bearing its principal decisions upon the broad objectives of the society of the Politburo Obviously they will allocate scarce resources in accordance with the priorities of the Plan not primarily according to the prices bid for the finished products Managers and workers will receive compensation in currency the compensation will vary with results attained and wages required to elicit the necessary supply of labour Payments in money will enable the workers to exercise a limited consumer's choice the planners in turn readjusting output of consumer goods in accordance with the selections made Obviously architects of the plan will not rely exclusively on the dictates of the consumers They will not divert scarce domestic resource from essentials to non essentials merely because consumers express a preference for the latter nor will they divert restricted imports

साहस भय-व्यवस्था व कुछ क्षेत्रों का समाजवाद के योग्य बनाने में व्यावहारिक विधियों उपस्थित करता है।¹

साम्यवादी नियोजन के लक्षण

साम्यवादी नियोजन के प्रमुख लक्षणों का विस्तारपूर्वक निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(१) साम्यवादी नियोजन का लक्ष्य आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का अन्तर्गत करना होता है। इन दोनों ही दृष्टिकोणों से एक वर्गहीन समाज का स्थापना की जाती है।

(२) देश के समस्त साधनों को समाज की सम्पत्ति माना जाता है जिसके परम्परागत राज्य सम्पत्ति उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण एवं अधिकार रखता है और निजी व्यवसाय का बहिष्कार द्वारा दबा दिया जाता है।

(३) साम्यवादी नियोजन में आर्थिक साधनों का बँटवारा उपनात्ताओं की शक्ति के अनुसार अथवा व्यापारियों के नियंत्रण द्वारा नहीं होता है और समस्त आर्थिक नियंत्रण तथा साधनों के राष्ट्रीय मस्त्रा व द्वारा किया जाता है। यह केन्द्रीय मस्त्रा समस्त समाज के हित को दृष्टिगत करके उसका आर्थिक नियंत्रण करती है।

(४) साम्यवादी नियोजन में उपनात्ता की शक्ति को अन्तर्गत की मात्रा, गुण एवं प्रकार की सीमाओं में बाध दिया जाता है। जनता की आवश्यकताएँ एवं शक्ति व्यक्तियों के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती है बल्कि इनका निर्धारण समस्त समाज की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है अर्थात् राजता अधिकारी जिन कार्यकर्ताओं से समाज के हित हानि का अनुमान लगाता है उन्हें कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है।

(५) साम्यवादी नियोजन में लाभ हेतु प्रतिस्पर्धा को बाईं स्थान नहीं दिया जाता है। समाजवादी उत्पादन इसका एक मुख्य लक्षण है। समाजवादी उत्पादन एक विशाल सहकारी संगठन के रूप में कार्य करता है जिसमें अधिकतम अनुभव द्वारा राष्ट्रीय साधनों का अन्तर्गत प्रयोग एवं अन्तर्गत दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अन्तर्गत आर्थिक प्रीसाहन के स्थान पर सामाजिक प्रीसाहन का

1 Private enterprise being regarded as fundamentally anti social and eventually doomed to extinction by inexorable processes of history is given only a limited and strictly temporary role in economic development. During the Transition to Socialism it has its part to play but only because Socialism cannot be introduced over night and because private enterprise may offer the most practical method of raising certain sectors of economy to a level where they become ripe for socialisation.

(A. H. Hanson, *Public Enterprise & Economic Development* p. 14)

अधिक महत्व दिया जाता है जहाँ कृषि उत्पादन का अभाव अधिक है वहाँ पर सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में दिया जाता है।

(६) साम्यवादी नियामन के अन्तर्गत स्वल्प बाजार-व्यवस्था का लगभग समान रूप दिया जाता है और मुख्य पर भाग और पूँजी के घटकों का प्रभाव जयन्त साधित कर दिया जाता है। राज्य भाग और पूँजी दोनों के घटकों पर पूर्ण नियन्त्रण रखता है। जनसाधारण के हित में अपना हाथ प्रयत्न ही जाता है जिससे उन्ना हा वस्तुओं का पूँजी का अभाव। सामाजिक और मुख्य नियन्त्रण का बढ पमान पर उपमाय किया जाता है।

(७) साम्यवादी नियामन में शक्तियों का केंद्राकरण राज्य के हाथ में ही जाता है जो राज्य राजनैतिक सामाजिक तथा जायिक दृष्टिकोण में सर्व शक्तिमान हो जाता है जिससे केंद्राकरण का केंद्राकरण स्वयं-उत्पन्न हो जाता है जो व्यक्ति एक साधन मात्र बन जाता है जिस ममान के हित के लिए कार्य करना होता है।

(८) साम्यवादी नियामन के अन्तर्गत जनसाधारण का आर्थिक त्याग करना होता है। यह त्याग आजादा द्वारा कराया जाता है और अर्थात् साम्यवादी नियामन का निर्माण द्वारा नियन्त्रण (Planning by Direction) कहते हैं। इस व्यक्ति का हित का केंद्र (कोर) प्राप्त नहीं होता। सामाजिक हित के केंद्राकरण ही अन्तिम हित हो सकता है। इस बात पर विचार कर दिया जाता है।

साम्यवादी नियामन में उत्पादन का केंद्राकरण राज्य के हाथों में ही के केंद्राकरण राज्य अपना मानना का पूँजी के लिए दबाव और कठोरता के साथ जनसाधारण का त्याग करने के लिए विवश कर सकता है और राज्य के साधनों का सामाजिकीय रूप से उपमाय प्राथमिकता का अनुसार विभिन्न वर्गों का पूँजी ही दिया जा सकता है। जनसाधारण में भय का स्थिति उत्पन्न हो जाता है और यह राजकाय कापवाहिया में मान्यता देने के लिए विवश हो जाता है। इन्हीं कारणों से साम्यवादी नियामन के अन्तर्गत उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि होता है।

पूँजीवादी नियामन

वास्तव में यह कहना उचित है कि पूँजी पूँजीवादी, जो मुख्य एवं निम्न सामान पर आधारित होता है में आर्थिक नियामन का ममान असम्भव है। नियामन के अन्तर्गत रण का उत्पादन क्रियाओं का अनुक्रमिक निर्वाह लोगों का प्राप्ति हेतु राज्य द्वारा मंचालन किया जाता है जबकि पूँजीवादी उत्पादन का पूँजी स्वयं-उत्पन्न का मायता होता है। ऐसा परिस्थिति में इन दोनों में समन्वय तब ही हो सकता है जब पूँजीवादी के पूँजी स्वयं-उत्पन्न में कुछ परिवर्तन कर दिए जायें। वास्तव में नियामित पूँजीवादी हाल पर पूँजीवादी का स्वयं-उत्पन्न ही जाता है। जब ही जय स्वयं-उत्पन्न के कुछ क्षेत्रों पर राजकाय नियन्त्रण होता है पूँजीवादी अपना वास्तविक स्वयं-उत्पन्न मानता

है। नियोजन एक सामूहिक क्रिया है, जो अर्थ-व्यवस्था के समग्र अंशों को आच्छादित करती है और जिसे राज्य द्वारा किया गया मण्डित एव समचित प्रयास बना जा सकता है। पूँजीवाद में अर्थ व्यवस्था के कुछ अंशों पर राजकीय नियंत्रण प्राप्त करने नियोजन का प्रारम्भ होता है और धीरे धीरे इस नियंत्रण का प्रभाव अर्थ क्षेत्रों पर पड़ने लगता है जिससे पूँजीवाद का स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित होना जाता है।

आधुनिक युग में पूँजीवादी राष्ट्राँ में भी नियोजन में महत्त्व प्राप्त कर लिया है। इसमें केन्द्रीय व्यवस्था का सीमित तथा अस्थायी स्थान प्राप्त हुआ है। प्रारम्भिक अवस्था में विद्यमान हुए राष्ट्राँ में राज्य को उद्योगों की स्थापना तथा विकास में प्रथम रूपण भाग लेना पड़ता है क्योंकि निजी साहस दुर्बल एवं उच्च समय जोषित नै सरत के अभाव में होता है। जने जने निजी साहस का विकास होना जाता है, राज्य उद्योगों को निजी साहस के हाथों में सौंपना जाता है। जापान में राज्य ने आपारभूत मशीनों के उद्योगों के अतिरिक्त नौदल समस्त उद्योगों के प्रवर्धन का कार्य सम्पादन किया है। जब के उद्योग हृदयप्रियक स्थापित हो गए एक साम्राज्य बनने लग, तब उन्हें निजी साहसियों के हाथ देकर दिया गया। दूसरी ओर, भविष्य में राज्य की दृष्टि में निजी साहस को ही प्रारम्भ से ही सुदृढ समझा जाता है और केवल आर्थिक तथा अर्थ सहायता देने की आवश्यकता ही समझी गयी है। इन परिस्थितियों में राज्य साहसी का कार्य स्वयं करने के स्थान पर निजी साहस को आवश्यक सहायता प्रदान करके विकास को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार पूँजीवादी देशों में निजी साहस के सुदृढ होने तक ही राजकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है।

पूँजीवादी नियोजन में विपत्तियों की स्थिति में हस्तक्षेप करने नियोजन का उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। उपभोक्ता की खराबता पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता। परिणामस्वरूप उत्पादन आवश्यक रूप से उपभोक्ता की इच्छाओं द्वारा नियंत्रित होता है। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहती है।

पूँजीवादी देशों में नियोजन का उपयोग प्रायः आकस्मिक सन्दर्भों, जैसे मन्दो, युद्ध, प्राकृतिक सङ्कट आदि से बचने के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सन् १९३० की मन्दो को दूर करने के लिए नियोजन का प्रयोग किया गया था। इसमें राज्य आर्थिक साधनों को पुनः व्यवस्थित करके निजी साहस तथा स्वतन्त्र स्पर्धा को व्यवस्था कर देता है।

पूँजीवाद के अन्तर्गत नियोजन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं— प्रथम, सुधार सम्बन्धी नियोजन (Corrective Planning) और द्वितीय, विकास सम्बन्धी नियोजन। सुधार सम्बन्धी नियोजन का अर्थ ऐसे कार्यक्रमों से है जो राज्य द्वारा अर्थ व्यवस्था की प्रतिकूल प्रवृत्तियों में सुधार करने के लिए संचालित किए जायें। इस प्रकार के नियोजन का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के रोजगार विधान, उद्

सन् १९४६ में मितता है। यह विधान राज्य ने अर्थ-व्यवस्था की अवतलनी की प्रवृत्ति (Recessionary Trends) को रोकने के लिए बनाया था। इस विधान का मुख्य उद्देश्य मंदी एवं तेजी के मध्य के मांग का आयोजन किया जाना था। इस कायवाही के लिए अमरीकी सरकार एक विभाग रखती है जो अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थितियों पर कड़ी निगाह रखती है और जैसे ही उष्णवचन हानिप्रद रूप ग्रहण करने लगते हैं यह विभाग उचित कायवाही करके, अर्थात् मंदी होने पर राजकीय निर्माण काय एवं सस्ती मुद्रा नीति द्वारा और तेजी होने पर प्रतिबंधों का उपयोग करके अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने का प्रयत्न करता है। मंदी की प्रवृत्ति होने पर उपभोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि अधिक विनियोजन करने हेतु प्रोत्साहन तथा मरकाटी व्यय में वृद्धि की जाती है और तेजी होने पर उसमें विलकुल विपरीत कायवाहियाँ का जाती हैं। इन कायवाहियों द्वारा उपभोक्ता एवं उत्पादक की आयातभूत स्वतंत्रता पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। वास्तव में, इस प्रकार की सुधार सम्बंधी कायवाहियों को आर्थिक नियोजन कहना उचित नहीं है क्योंकि इनके द्वारा जीवन के प्रत्यक्ष क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है और न इनके द्वारा देश के साधनों का विवेकपूर्ण एवं अधिष्ठात्मक उपयोग ही सम्भव होता है।

पूँजीवादी राष्ट्रों का विकास सम्बंधी विनियोजन किसी विशेष क्षेत्र के विकास अथवा राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए हो सकता है। अर्थ-व्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम सरकार इसलिए संचालित करती है जिससे अर्थ-व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे। फ्रांस की मोनेट योजना (Monnet Plan) का सम्बंध मुख्य रूप से औद्योगिक सामग्री के नवीनीकरण से था। इसी प्रकार अर्जेंटाइना की सरकार ने महायुद्ध के पश्चात् जनसंख्या वृद्धि की याचना संचालित की थी परन्तु आधुनिक युग में अर्थ-व्यवस्थाएँ इतनी जटिल एवं परस्परनिभरता पर आधारित हैं कि अर्थ-व्यवस्था के एक क्षेत्र के विकास से अन्य क्षेत्रों का प्रभावित होना अवश्यम्भावी है। ऐसी परिस्थिति में विकास की किसी विशेष क्षेत्र में सम्बंध रखने वाली योजनाएँ सफल होना कठिन होता है।

दूसरी ओर सम्पूर्ण नियोजन का अर्थ एक ऐसी समन्वित योजना से होता है जिसके द्वारा राष्ट्रिय अर्थ-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का विकास होता हो। यह पहल ही बताया गया है कि पूँजीवादी नियोजन के अन्तर्गत देश के आर्थिक एवं सामाजिक उद्वेग में परिवर्तन नहीं किया जाते हैं। पूँजीवाद में विकास सम्बंधी योजना राज्य द्वारा बनायी जाती है और इस योजना को कार्यान्वित करने का काय अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पक्षों का दे दिया जाता है। राज्य द्वारा योजना के क्रियान्वित कराने हेतु कोई दबाव उपयोग में नहीं लाया जाता है। राज्य अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा निजी साहसियों का योजना कार्यान्वित करने हेतु प्रोत्साहित करती है। राज्य केवल अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में ही निजी उत्पादकों को आनाएँ देती है। ब्रिटेन की लेबर सरकार

द्वारा, जो सन् १९४२-४३ के काल में याजना मन्त्रालय की गयी, उसे सम्पूर्ण विधान की योजना कह सकते हैं। इस योजना में अलग-अलग ब्रिटेन की अधिवन्दर आर्थिक आवश्यकताओं राज्य के नियंत्रण के अन्तर्गत थीं। राज्य ने अपनाएँ केवल कुछ ही वस्तुओं के उत्पादनों का ही।

भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का पूँजीवाद के अन्तर्गत सम्पूर्ण नियोजन कहा जा सकता है क्योंकि इस योजना द्वारा राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे में बड़े परिवर्तन करने का आशय नहीं किया गया।

प्रजातान्त्रिक नियोजन

प्रजातान्त्रिक नियोजन (Democratic Planning) एक ऐसी व्यवस्था को कहा जा सकता है जिसमें पूँजीवाद और समाजवाद का समिश्रण होता है। जब समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोषणात्मक विधियों का उपयोग किया जाता है तब इस व्यवस्था का प्रजातान्त्रिक नियोजन कह सकते हैं। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था का सम्भवतः प्रथम प्रयोग किया जा रहा है। ब्रिटेन में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् पुनर्निर्माण कार्य के लिए बर्लिन की शक्ति सरकार ने बर्लिन की लाकतन्त्रीय व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों का नियोजित किया था परन्तु शक्ति सरकार इन दिनों में बड़े विशेष महत्ता प्राप्त न कर सकी थी। आधुनिक युग में जबकि जनक पिछले हुए राष्ट्रों का राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, नियोजित आर्थिक विकास करना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो गया है। भारत ने इस ओर अग्रसर होकर नियोजन के इतिहास में एक नवीन दिव्य स्वप्न अभ्यास जोड़ दिया है। भारत में नियोजन की संरचना में नियोजन के दायों का महत्त्व निम्नलिखित है।

प्रजातान्त्रिक नियोजन में निजी तथा सरकारी क्षेत्रों क्षेत्रों को स्थान प्राप्त होता है। निजी क्षेत्र का सम्पूर्ण करने की अपेक्षा उच्च कार्यक्षेत्र को सीमित एवं नियमित करके सरकारी क्षेत्र के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र का सहायक, सहायक एवं पूरक होगा है उसे प्रतिस्पर्धी होने से रोका जाता है। कुछ आधारभूत उद्योगों का राज्य पूरक अपने हाथ में ले लेता है कुछ दूसरे प्रकार की आर्थिक समस्याएँ निजी उद्योगों का ही कार्यक्षेत्र बना दी जाती हैं शेष उद्योग प्रकार के उद्योग निजी तथा सरकारी क्षेत्रों क्षेत्रों में समन्वित किये जाते हैं। 'सरकारी क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र में व्यवस्था उसके विपरीत हस्तक्षेप को अवसर पर नहीं छोड़ दिया जाता है प्रत्युत नियोजन अधिकारियों द्वारा राष्ट्र के आर्थिक हितों को दृष्टिगत करने हुए इसे निश्चित किया जाता है।'¹

1 Encroachment of the public on the private sector or vice versa are not to be left to chance but to be decided or at least guided by the planning authorities in the light of what is helped to be the national interest.

प्रजातांत्रिक नियोजन में जन हित और जन-कल्याण का अधिक महत्त्व होने का कारण उपभोग को 'सूक्ष्मतर' स्तर तक नहीं लाया जा सकता है। विनाश और कल्याण में सम बराबरी स्थापित किया जाना है। भारतीय नियोजन में मानवमै स्वतंत्रता तथा सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस कारण यहाँ का विकास योजनाएँ कठिन तथा समर्पित होने हुए भी कल्याणकारी हैं। स्वतंत्र विधियाँ 'यवस्था' का भारतीय अर्थ-व्यवस्था में उचित स्थान प्राप्त है। इस प्रकार भारत में एक मिश्रित अर्थ व्यवस्था का विकास हुआ है जिसमें राजकीय तथा निजी माहुर दोनों साधन साथ साथ कार्य करते हैं।

प्रजातांत्रिक नियोजन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विशेष महत्त्व है। प्रधान मंत्री स्व० श्री जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भारतीय समाजवाद पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है— समाजवाद का मतलब यह है कि राज्य में हर जादमी को तरक्की करने के लिए बराबर मौका मिलना चाहिए। मैं हरगिज इस दान का पसन्द नहीं करता कि राज्य हर चीज पर नियंत्रण रखे क्योंकि मैं इंसान का व्यक्तिगत आजादी का अहमियत दता हूँ। मैं उस उपरिस्म के राज्य समाजवाद का पसन्द नहीं करता जिसमें सारी ताकत राज्य के हाथ में होना है और देश के करार-कारीय समी कामों पर उसी की हुकूमत हो। राजनीतिक दृष्टि में राज्य बहुत ताकतवर है। अगर आप आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ताकतवर बना देंगे तो वह सत्ता का अधिकार का क्षेत्र बन जायगा जिसमें इंसान की आजादी राज्य के मनमानपन की गुलाम बन जायेगी।^१ इस प्रकार सत्ता के विवेकीयकरण की ओर अग्रसर होना भी आवश्यक है। पूणत समाजवादी तथा भाग्यवादी 'यवस्था' में सत्ता के केंद्रीकरण का वृद्धि की जाती है परन्तु ताकतांत्रिक नियोजन के अंतर्गत आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोका जाता है। दूसरी ओर आर्थिक आयाजन के सूत्र तब— राष्ट्र के भौतिक मानवीय तथा वित्तीय साधनों का पूणतम तथा विवेकीय पूण उपयोग करने के लिए यथेच्छाकारिता तथा प्रतियायिता प्रदान अर्थ व्यवस्था का चुनी छू नहीं दा जा सकती क्योंकि इसमें शोषण का तत्व प्रदान होता है और मानवय सम्पदा की बहुत अधिक बर्बादी होती है। जिस आमतौर पर स्वतंत्र बाजार और स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था बहुत हैं, वह आर्थिक में खनकर योग्यतम के ही अस्तित्व के सिद्धान्त के मुताबिक तात्रतम और गलाभादू प्रतियायिता का अर्थ देती है इसलिए अब पूजावादी दशा में भी यह मान लिया गया है कि स्वतंत्र उद्यम और यथेच्छाकारिता की प्रणाली बकार और पुरानी हो चुकी है और उस पर राज्य का नियंत्रण और नियम लागू होना चाहिए। अगर हम यह मानते हैं कि आयाजन और

१ जवाहरलाल नेहरू हमारा समाजवाद (आर्थिक समाज, १६ मार्च, १९५७ पृष्ठ ४)।

लोकतंत्र का मेल नहीं बैठना तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि लोकतंत्रीय मविधान के भीतर राष्ट्रीय साधनों का उपयोग नहीं हो सकता। असल बात यह है कि असली आयोजन, जो व्यक्ति और समाज दोनों के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, केवल लोकतंत्रीय प्रणाली के भीतर ही सम्भव है।^१

प्रजातान्त्रिक नियोजन में केवल चुने हुए व्यक्तियों तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। जिन व्यवसायों तथा उद्योगों को राज्य भ्रष्टाचारपूर्वक बन्धनकारी रीतियों के अनुसार चलाने के योग्य माना है उनका राष्ट्रीयकरण उचित मुआवजा देने के परचासु किया जाता है। नियोजन के उद्देश्य साधारणतः उपभोक्ताओं की मुश्किलों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। विदेशी सहायता का इस प्रकार के नियोजन में विशेष महत्व होता है। विदेशी सरकारों तथा पूँजीपतियों से पूँजी प्राप्त होती है क्योंकि उद्योगों के चल द्वारा अपहरण का कोई भय नहीं होता।

प्रजातान्त्रिक नियोजन के प्रमुख तलए निम्न प्रकार हैं—

(१) प्रजातान्त्रिक नियोजन में निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का स्थान प्राप्त होता है। निजी क्षेत्र को सरकारी नीतियों के अनुकूल चलाने के लिए नियंत्रित अवसर दे दिया जाता है और निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र का सहायक, महानारा एव पूरक होता हो।

(२) प्रजातान्त्रिक नियोजन में व्यक्तिगत हित एवं जन-कल्याण में समन्वय स्थापित किया जाता है, अर्थात् सामूहिक कल्याण के लिए व्यक्तिगत हितों को अथवा छोड़ नहीं दिया जाता।

(३) इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया जाता है। व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रताएँ उपलब्ध रहती हैं।

(४) प्रजातान्त्रिक नियोजन के अन्तर्गत देश में विकेंद्रित समाज की स्थापना की जाती है। आर्थिक क्रियाओं में समस्त जनसमुदाय का योगदान देने का अवसर दिया जाता है। सरकारी निकायों तथा अन्य लोकतंत्रीय मन्त्रालयों की स्थापना द्वारा शक्तियों का विकेंद्रितकरण किया जाता है।

(५) प्रजातान्त्रिक नियोजन में राष्ट्रीयकरण की नीति को बड़े पैमाने पर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आधारभूत जन-सेवा सम्बन्धी तथा ऐसे व्यवसाय जिनमें निजी क्षेत्र पूँजी लगाने को तयार नहीं होता है का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। राष्ट्रीयकरण करने पर उचित मुआवजा दिया जाता है।

(६) प्रजातान्त्रिक नियोजन के अन्तर्गत स्वतंत्र बाजार-व्यवस्था को बनाये रखा जाता है, परन्तु उस पर पर्याप्त नियंत्रण आवश्यक रहता है जिससे गणार्थी प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके।

१ श्रीमन्नारायण (मृतपुत्र सदस्य, योजना कमिशन) "आयोजन और लोकतंत्र" (आर्थिक समीक्षा, १ अक्टूबर १९५८, पृष्ठ ६)।

(७) प्रजातांत्रिक नियोजन के कार्यक्रम का संचालन आनाआ द्वारा नहीं किया जाता है। जनसाधारण की योजना के उद्देश्यों को समझाने व उनके कर्तव्यों को बताकर योजना के लिए त्याग करने का प्रोत्साहित किया जाता है।

(८) इसके अन्तर्गत अवसरा की समानता उपलब्ध का जाता है तथा सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उत्पन्न होने वाली जनसाधारण की कठिनाइयाँ को समाप्त करने का आयोजन किया जाता है।

(९) आय एवं धन के वितरण की विषमताओं का दूर करने के लिए एकाधिकारों तथा उद्योग एवं भूमि सम्बन्धी स्वामित्व एवं अधिकार का विषमताओं को समाप्त किया जाता है।

(१०) प्रजातांत्रिक नियोजन के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा के विस्तृत कार्यक्रम का संचालन किया जाता है तथा आर्थिक जीवन का समूह इस प्रकार किया जाता है कि समस्त नागरिकों का व्यापक एवं उचित जीवन स्तर प्रदान किया जा सके।

लोकतंत्र में राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाता है जिसका प्रभाव नियोजन के कार्यक्रम पर भी पड़ता है। विपक्ष राजनीतिक दलों द्वारा कभी कभी विनाशकारी कार्यक्रम भी संचालित होने रहते हैं जो समस्त कल्याणकारी कार्यक्रमों के सुगम संचालन में बाधा पहुँचाते हैं तथा नियोजन अधिकारियों के अनुमानों को सिद्धि कठिन प्रतीत हानि पहुँचाते हैं। इस प्रकार विकास का गति कुछ मन्द हो जाती है और राष्ट्र के माधन का अपयोग भी होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती सहायकी संस्थाओं तथा अन्य क्षेत्रीय प्रबन्धक संस्थाओं की स्थापना की जाती है। प्रारम्भिक अवस्था में सत्ता हाथ में भान पर उसका दुरुपयोग अव्यवस्थापक है। सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों को इस नवीन स्थिति में अपनी सत्ता क्षतिग्रस्त होती प्रतीत होगी है अतः वे सरकारी नियमों के जाल को और कठोर बनाने का यत्न करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय साधनों का अपयोग होता है।

अधिनायकवादी तथा तानाशाही नियोजन

प्रा० ह्यक ने अपनी पुस्तक *The Road to Serfdom* (दासता का मार्ग) में नियोजन की आलाचना से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि आर्थिक नियोजन से राजनीतिक तानाशाही का प्रादुर्भाव होता है। इनके विचार में राजनैतिक स्वतंत्रता का आधार साहस की आर्थिक स्वतंत्रता रहा है और जब साहस की स्वतंत्रता पर अकुल संपादित होते हैं तो राजनीतिक तानाशाही का प्रादुर्भाव होता स्वाभाविक हो जाता है। हमारे नियोजकों की भाँति है कि एक योजना के अनुसार समस्त आर्थिक क्रियाओं का केंद्रीय संचालन किया जाय और इस योजना में विशेष उद्देश्यों का विशेष प्रकार से पूर्ति करने हेतु समाज के साधनों को जानबूझ कर उपयोग करने के

नहीं होता है परन्तु हमें राष्ट्रीय में जहाँ तानाशाही शासन हो नियोजित अथ व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है।

राष्ट्र में तानाशाही सरकार होने पर ही तानाशाही नियोजन (Fascist Planning) का प्रबल उदय है। तानाशाही नियोजन में सत्ता का केन्द्रीकरण जनता की प्रतिनिधि सरकार में होकर अथवा शासक (Dictator) में होता है। राष्ट्र के समस्त साधनों को डिप्टेटर की इच्छानुसार उपयोग में लाया जाता है। सरकार की समस्त क्रियाओं का उद्देश्य डिप्टेटर को सत्ता, शक्ति और सम्मान में वृद्धि करना होता है। आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक स्वायत्तता भी डिप्टेटर की इच्छानुसार नियंत्रित होती है। इस प्रकार राष्ट्र में केन्द्रीकरण की स्थिति की स्थापना हो जाती है। तानाशाही नियोजन में निजी क्षेत्र का हाथ बंधाया सरकारी नियंत्रण तथा नियंत्रण द्वारा किया जाता है। जन समुदाय के जीवन स्तर को सुधारना के लिए सरकारी नीतियों का शक्ति द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। राष्ट्र भर में भय की छाया लगी रहती है। जनता को बर्बरता कायदा करना मुमकिन एवं सुविधाजनक होता है। आवश्यक सेवाओं तथा आधारभूत उद्योगों का अपहरण भी किया जाता है। सरकारी कार्यक्रम का संचालित करने हेतु निजी सम्पत्ति का शक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। इस प्रकार तानाशाही नियोजन में राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन में वृद्धि अथवा की जाती है, किन्तु जनता समान वितरण नहीं किया जाता या यों कहें कि प्रायः ऐसा नहीं होता। धनिक वर्ग उसी स्थिति पर आनन्द रहते हैं किन्तु यद्यपि निधन रहते हैं तथापि अनियमित सुविधाएँ उन्हें उपलब्ध हो जाती हैं। साम्यवादी नियोजन की भाँति इसकी सफलता भी कभी कभी आवश्यकता होती है परन्तु मानवीय तत्वों का कोई महत्त्व नहीं दिया जाता जिसमें मानवीय व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बिलकुल छुट्टी हो जाती है। सरकार में आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों सत्ताएँ निहित होती हैं और व्यक्ति सरकार का दास मात्र बनकर रह जाता है। इस प्रकार का नियोजन आत्मिक सफाई जो कुछ प्राकृतिक तबट में दी आदि का सुधारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। द्वितीय महायुद्धकाल में जर्मनी में तानाशाही अथ व्यवस्था का आयाजन किया गया था। आधुनिक युग में पारिस्तामिक की तानाशाही सरकार भी निर्धारित आयोजन द्वारा आर्थिक विनाश कर रही है।

सर्वोत्तम नियोजन अथवा गाँधीवादी नियोजन

सर्वोत्तम नियोजन की विचारधारा भारत में उत्पन्न हुई है और इनके सिद्धान्त भारत की परिस्थितियों के अनुरूप ही निर्धारित किए गये हैं। गाँधीवादी अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर सर्वोत्तम नियोजन का निर्माण किया गया है। सर्वोत्तम उस व्यवस्था का कहा जाता है जिसमें समस्त समाज का अधिकतम कल्याण आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों के विवेकावलीकरण द्वारा किया जाता है। गाँधीजी सर्वोत्तम यह विचार प्रकट करने के लिए स्वराज्य के द्वारा भारत में प्रथम ग्राम एवं शोषण में

स्वतंत्रता की लहर दौटनी चाहिए। नारतीय मसूक्ति के अनुकूल नियोजन का संचालन करने हेतु हमें परिचमवादी तथा साम्यवादी णों की नकल करना उचित नहीं है। हमें अपनी प्राचीन मसूक्ति तथा अण दणों क अनुभवों का अध्ययन करके ऐसी आर्थिक एव राजनीतिक व्यवस्था का साज निवालना चाहिए जो हमारे समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो।

सर्वोदय एव नये आर्थिक समाज का निर्माण करना चाहता है और इन समाज के निर्माण हेतु जिन योजनाबद्ध कार्यक्रमों का संचालन करना आवश्यक हो, उन्हें सर्वोदय नियोजन कह सकते हैं। ३० जनवरी सन् १९५० का सर्वोदय योजना के सिद्धान्त सर्वप्रथम प्रकाशित किए गए। इन सिद्धान्तों की विधिगत बातें इस प्रकार थीं—

(१) वृषि भूमि पर साम्यविक अधिकार जात करने वाले का होगा भूमि का पुन वितरण भूमि के समान वितरण के लिए दिया जाएगा भूमि की आर्थिक इकाइयों का सहकारी पानों में समूहोद्घृत दिया जाएगा तथा जात करने वाले का भार भी छोड़ा नहीं कर सकेगा।

(२) आम एव धन का योग्यचित्त एव समान वितरण किया जाएगा तथा समुद्रतम और अधिकतम आम भी निर्धारित कर दी जायेगी।

(३) भारत में स्थित विदेशी व्यवसायों को देश के हितों का रक्षा जाय, अथवा उनसे उनके समुद्रन प्रबन्ध एव नईदय-परिवर्तन करने का कहा जाय अथवा उन्हें राजकीय अधिकार के अन्तर्गत ललाया जाय।

(४) केन्द्रीय उद्योगों पर समाज का अधिकार होगा जिनका संचालन स्वतन्त्र निगमों अथवा सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाय तथा विकेन्द्रित उद्योगों में उत्पादन के यंत्रों पर व्यक्तिगत अथवा सहकारी संस्थाओं के अन्तर्गत समूहिक अधिकार होगा।

(५) ऐसी वित्त-व्यवस्था की स्थापना करना हुआच नईदय होना चाहिए जिसमें समूहोद्घृत राजकीय विल (Public Revenue) का २०% शमीय पयादनीं द्वारा व्यय दिया जाय तथा शेष ५०% अन्य उच्च संस्थाओं के प्रयायन पर व्यय किया जाय।

सर्वोदय नियोजन का उच्च सर्वोदयी समाज-व्यवस्था की स्थापना करना है। सर्वोदय का अर्थ है सर्वांगीण उत्तति। सर्वोदय मानता है कि समाज के अन्तर्गत व्यक्तिओं और संस्थाओं के सम्बन्धों का आधार सच और अहिंसा होना चाहिए। अन्तर्गत यह भी विदधास है कि समाज में सब व्यक्ति समान और स्वयंत्र हैं और उनके बीच कोई विरन्धाया सम्बन्ध हो सकता है या इनकी एक साथ रख सकता है तो वह प्रेम और सहयोग ही है, न कि दस और जो-जुदरदस्ती। अनुप्य के भीतर ठोस प्रवि-योगिता और सहार्द की प्रवृत्ति की प्राप्ताह्य देकर समाज में प्रेम और सहयोग न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न उन्का सपदर्न किया जा सकता है। सर्वोदयी

समाज ऐसे वातावरण में पैदा नहीं हो सनता जहाँ जुल्म के यंत्र पूणता को पहुँचा दिये गये हैं और व्यक्तिगत स्वाध या मुनाफा बमाने का सोच इतना बसवान धन गया है कि उमने प्रेम और भ्रातृभाव को दबा लिया हो और समानता को भाषना को नष्ट कर दिया हो। सर्वोदय को ऐसी समाज रचना कायम करनी है जिसके अन्दर सदभावना द्वारा सत्ता का प्रयोग आवश्यक बना दिया जायेगा क्याकि यह भी तो बल प्रयोग का एक प्रतीक ही है अथवा सत्ता के प्रयोग को इतना घटा दिया जायेगा कि जो हमारी अहिंसा की यात्रा में एकदम अनिवार्य हो।^१

सर्वोदय व्यवस्था में बल के प्रयोग को स्थान नहीं है। यह माना गया है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने पर मनुष्य अपने आप इतना समझ कर लेगा कि वह बिना किसी बाह्य दबाव के भी समाज के हित को करेगा। उदा. उदा मनुष्य इन सपनों की सृष्टियों को बढ़ता जायेगा राज्य सत्ता का उपयोग घटता जायेगा और वह तत्ता समाज सेवा सम्बन्धी संस्थाओं के हाथों में पहुँच जायेगी जिनको इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इनकी क्रियाविधि का आधार बल प्रयोग के स्थान पर प्रेम, सहयोग समझाना बुझाना और प्रत्यक्ष समाज-हित होगा। सर्वोदय समाज की स्थापना करने के लिए द्विभूतीय उपाय करने होंगे। एक ओर तो बलमान राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के हाथों मजोर सत्ता के प्रसार है उसका बिके-द्वीपकरण करना होगा और दूसरी ओर जनता को सत्याग्रह और बला की शिक्षा दी जायेगी।

सन् १९५५ में सर्वोदय योजना समिति ने सर्वोदयी योजना के दोहराये गये सभ्य निम्न प्रकार स्पष्ट किये हैं—

(१) समाज के प्रत्येक सदस्य को पूरे समय तथा पैदा भरने काय काम देना— इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु समाज के समस्त आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन करन होंगे। सभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकेंगी कि प्रत्येक स्त्री पुरुष अपनी रधि के अनुसार कार्य का चुनाव करके चुनी चुनी काय कर सके। यह कार्य एक ओर, समाज की भौतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा दूसरी ओर उक्त कार्य से जान अथवा अज्ञान में बारीक व स्वास्थ्य बौद्धिक एवं मानसिक विधात की प्रशिक्षा मिलती रहे। ऐसे काम अथवा पेशे में आवश्यक कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी समाज व्यक्ति को दे तथा काम करने के औजार तथा साधन प्राप्त करने में भी समाज उसकी सहायता करे। समाज का बसव्य होगा कि वह ऐसी अनुभूतताएँ उत्पन्न करे कि व्यक्ति अपनी रधि के अनुसार काय अथवा पेश का चयन कर सके। वह काम उसे पूरे समय मिलता रहे वह पैदा भर रोजी दे सके उसे अपनी बुद्धि के विकास तथा अपनी शक्तियों का पूरा पूरा उपयोग करने का अवसर मिल सके।

सर्वोदयी योजना में पूरा ध्यान जो राजी के राज्य के आधार पर उद्योग प्रणाली में परिचलन करने होंगे जिससे ऐसे उद्योगों की वास्तविकता बनायी जा सके, जो अर्थिक से अधिभूत लोगों का ध्यान दे उनके को समता प्राप्त हों। देशवासी को मित्रानु हनु राज्य की बढेसा अधिभूत से अधिभूत स्थितियों का ध्यान रखा जाना है। उद्योगों का पुनर्गठन करना होगा तथा अधिभूत से अधिभूत मनुष्यों का हार्दिकता की शक्ति खोलने वाले उद्योगों के कार्यों में आवश्यक सुधार करने होंगे जिनसे वह समान रूप समान है अर्थिक जो अर्थिक उद्योग दे सके। सर्वोदय योजना बिना शर्तकाल पर आधारी है जो हमें उत्पादन के साधन बुद्धि ही लोगों के हाथों में केन्द्रित करे हों। जो दे जिन्हीं का पाली नहीं देगा। भव्य अर्थिक राजी बढायें। जिन उद्योग के कार्यों पर अधिभूत का स्वामित्व नहीं हो सकता है उन पर सरकारी मन्थनों ध्यान-सुधायें तथा राज्य का स्वामित्व होगा।

(2) यह निश्चय कर लेना है कि समाज के प्रत्येक सदस्य की पुनः उद्योग-सम्पत्तियों की पूर्ति हो जाय जिससे वह ज्ञान-व्यक्तित्व का पूरा-पूरत विकास कर सके और समाज की उत्पत्ति में भी अधिक योगदान कर सके।

(3) जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के विचार में यह प्रयत्न हो सके कि प्रत्येक प्रकार स्वावलम्बी हो—जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक साधनों की कमी रहती है वहाँ प्राथमिक आवश्यकताओं—अन्न, कपड़ा, आवास प्राथमिक शिक्षा तथा आरोग्य सेवाओं का विचारना के सम्बन्ध में सर्वप्रथम स्वावलम्बीय निर्माण किया जायगा। जिन प्रदेशों में प्राकृतिक अनुकूलताओं की कमी रहती है वहाँ कृषि करने वालों के ऐसे ज्ञान-साधन बना दिये जायेंगे जो उत्पादन विविधता और बरतनी उत्पन्न का एकदिवस कृषि करना-सुलभता की पूर्ति कर सके। जहाँ यह भी सम्भव न हो, वहाँ वे ज्ञान या सेवा-शक्ति में अपने साधनों का अर्थिक से अधिभूत उपयोग करते तथा ज्ञान-साधनों की व्यवस्था करते गैर-जमी की पूर्ति उस प्रदेश की योजना में कर सकते हैं।

स्वावलम्बीय क राज्य का पूर्ति हनु जोई कभी नौगानिक नौगाने नहीं करे ही जायेंगे। स्वावलम्बीय द्वाहाया ऐसी अर्थिक-वस्तुओं के दार में एक-दूसरे की पूर्ति का दिया जायेंगे जो जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएँ न हों। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हनु ज्ञान-प्रवेष्टों पर निर्भर रहने में परावर्तनीय प्रवेष्टों की जनता के स्वाभिमान की भी हानि पहुँचती है और आवश्यकता पूर्ति करने वाले प्रदेश अपने साधन-नेत्र-साधक का बर्तनीक एवं शोषण करने लगते हैं।

(4) यह भी निश्चय करना होगा कि उत्पादन के साधन और विचार-शक्ति न हों जो प्रकृति का साधन नियम बनकर कर दालें। उत्पादन की विभिन्न विधानों, साधनों एवं पद्धतियों का उपयोग करते समय केवल तकनीकी दृष्टि एवं लाभ का ही दृष्टिकोण करना उचित न होगा। प्राकृतिक सम्पत्तियों का शोषण करते समय प्रति-शाली परिस्थितियों की दृष्टिकोणों पर विचार करना उचित होगा। जिनसे ऐसी प्राकृतिक

सम्पत्ति का, जिसकी पूर्ति हमने की सम्भावना न हो सोपान सब ही किया जाना चाहिए जब इसके द्वारा समस्त मानव समाज का सद्व्यवस्था के लिए हित साधन सम्भव होता हो।

उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सर्वोदयी योजना जो बेकारी को पूर्ण रूप से मिटाना चाहती है और उद्योगों का संगठन विकेंद्रीकरण के सिद्धान्तों के आधार पर करना चाहती है धन प्रधान नहीं थम प्रधान होगा। वह प्रत्यक्ष इकाई ग्राम परिवार तथा औद्योगिक परिवार के रूप में सर्वोदय नगरी की व्यवस्था होगी। सर्वोदय समाज के विचार के ज मदादा महात्मा गाँधी ने २० जुलाई १९४६ को 'हरिजन' में इन समाज की रूपरेखा इस प्रकार स्पष्ट की—

'यह समाज भूमिगत गाँवों का बना होगा। उसका ढाँचा एक के ऊपर एक के रूप का नहीं बल्कि लहरों का तरह एक के बाद एक गते बने की (बहुत की) गन्तव्य होगा। जाकर मानस का शक्ति न नहीं होगा जहाँ ऊपर की सज्जित धानी नीचे के चौड़ पाये पर भार डाल कर पड़ी रहे वहाँ ता जीवन समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक घरे की शक्ति में होगा जिसका केन्द्र व्यक्ति होगा। प्रकृति गाँव के लिए और गाँव समूह के लिए घर मिटन को हमें पार नहीं रहेगा। इस तरह अन्त में सारा समाज ऐसे व्यक्तियों का बन जायगा जो अहंकार पाकर भी कभी किसी पर हावी नहीं होगे बल्कि सदा विनीत रहेंगे और उस समुद्र के गौरव के हिस्सेदार बनेंगे जिसके वे अविभाज्य अंग हैं।

इसलिए सबके बाहर का घेरा अपनी शक्ति का उपयोग भीतर वालों को सुचलने में नहीं करेगा बल्कि भीतर वाला सबको ताकत पहुँचायेगा और स्वयं उनमें बल ग्रहण करेगा। युक्तिवाद की परिभाषा का बिंदु भल ही मनुष्य को जीव न सके तो भी उसका शाश्वत मूल्य तो है ही। इस तरह मेरे इस चित्र का भी मानव जाति के जीवित रहने के लिए अपना मूल्य है। इस तस्वीर के आदेश तक पूरी तरह पहुँचना सम्भव नहीं है फिर भी भारत की जिन्दगी का बना मकसद होना चाहिए। हम क्या चाहिए इसका मही चित्र तो हमारे पास होना ही चाहिए सभी तो हम उसका दर्शन पहुँचेंगे। यदि कभी भारत के प्रत्येक गाँव में एक एक गणतन्त्र स्थापित हुआ तो मरा दावा है कि मैं इस चित्र की सच्ची मिट्टी कर सकूँगा जिसमें सबसे आखिरी और सबसे पहला दोनों बराबर होंगे या दूसरे शब्दों में कहें तो न कोई पहला होगा न आखिरी।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था एवं आर्थिक नियोजन
तथा भारत में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था
[Mixed Economy and Economic Planning
and Mixed Economy in India]

[ऐतिहासिक अवलोकन मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का महत्त्व, प्रोटेक्टेड में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ, सरकारी क्षेत्र का महत्त्व, निजी क्षेत्र का महत्त्व, मिश्रित क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक नियोजन भारत में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था, मविधान के नीति निर्वाहक तत्व, भारतीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र, भारतीय मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के सङ्गण]

नियोजन के अन्तर्गत नियन्त्रण एवं सङ्गठन की समस्या अधिकार की समस्या में अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। नियोजन अर्थ-व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन दोनों ही निजी एवं सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत किया जा सकता है। पूँजीवादी नियोजन में निजी क्षेत्र का अर्थ-व्यवस्था के लक्षण नमस्त क्षेत्रों में पाय करने दिया जाता है, परन्तु इस निजी क्षेत्र पर सरकार का नियन्त्रण होता है। दूसरे भार साम्यवादी नियोजन के अन्तर्गत नियोजन का संचालन सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र एवं नियन्त्रित निजी क्षेत्र के द्वारा नियोजन का संचालन किया जाता है। अट-विकसित राष्ट्रों में नियोजन का संचालन करने से पूँजी क्षेत्र का चयन करना भी एक समस्या होती है। नियोजन के बृहद विकास-कायत्रों के लिए अधिक विनियोजन की आवश्यकता होती है और इनमें अधिक जाविम निहित होती है। निजी साहसो नवीन जोखिमपूर्ण कार्यों में अपनी पूँजी लगाना अधिक पसन्द नहीं करता है। नियोजन के कायत्रों को सफल बनाने हेतु एक या अधिक उत्पादन-परियोजनाएँ संचालन करने की समस्या ही नहीं होती, बल्कि समस्त जनसमुदाय का नवीन वातावरण के लिए तैयार करना होता है। इन देशों के विभिन्न प्रयासों में समर्थन स्थापित करने का नाम विपणित-तान्त्रिकताओं द्वारा नहीं किया जा सकता और सरकारी क्षेत्र का विस्तार आवश्यक होता है। दूसरे भार-सरकार को निजी क्षेत्र पर प्रभावशील नियन्त्रण रखना सम्भव नहीं होता। निजी क्षेत्र सदैव नियन्त्रणों का विरोध करता है और इस नियन्त्रण की प्रभावशीलता को

विफल करने के लिए प्रयत्नशील रहना है परन्तु निजी क्षेत्र को अथ व्यवस्था में पनाए रखने की आवश्यकता प्रजातान्त्रिक ढंगों के अंतर्गत पड़ती है। साहस की स्वतंत्रता प्रजातान्त्रिक ढंगों का एक अंग होती है। ऐसी परिस्थिति में योजना अधिकारी को निजी एवं सरकारी क्षेत्र में कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने की समस्या का निवारण करना होता है, यद्यपि नियोजन के लिए सरकारी क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं होता परन्तु निश्चित अथ व्यवस्था के केन्द्रीय नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र की उपस्थिति एवं विस्तार स्वाभाविक हो जाता है। अरु विनसिन राष्ट्रा की निश्चित अथ व्यवस्था में प्रायः क्षति का आसक्ति यातायात, कृषि उत्पादन में सुधार हेतु सिंचाई योजनाएँ, खाद व बारसान खाद उत्पादन, मार्केटिंग परिषदों, भारत एवं आधारभूत उद्योग आदि का संचालन सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। हुम्सन ने आर्थिक नियोजन एवं सरकारी क्षेत्र से सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए कहा है 'सरकारी क्षेत्र योजना की अनुपस्थिति में कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है परन्तु एक योजना का सरकारी क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक वायवी योजना रहना सम्भव है।'

ऐतिहासिक शकलिका—प्राचीन काल में समाज इस विचार को मान्यता प्राप्त की कि राज्य को देश की आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्तिगत एवं आर्थिक उत्पादों को पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस काल में लगभग सभी राष्ट्रा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समाज का एक मुख्य अंग माना जाता था। इसके साथ ही इस विचार को भी विनियम मान्यता की कि राज्य आर्थिक क्रियाओं का संचालन सुचारु रूप से तथा निरन्तरता के साथ नहीं कर सकता है। राज्य एवं व्यापारी काल के स्वभाव में अत्यधिक असमानता होती है। निजी साहसी बुद्धिमत्ता एवं निरन्तरता से अपने व्यवसायों का चलाता है। उसमें उद्योगों की उत्पत्ति के लिए पहल करने की आवश्यकता तथा उत्साह होता है। वह अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय चलाता है और व्यवसाय के लाभ अपना हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है जिस कारण से वह अपेक्ष्य कदापि नहीं करता है। इसके विपरीत राज्य जटिल नियमों में घटा जाता है। उसमें व्यक्तिगत उत्साह एवं धर्म का अभाव होता है। वह जनता का धन लगाकर व्यवसाय चलाता है। राज्य द्वारा चलाये व्यवसायों में जिम्मेदारी का विवेकीयकरण हो जाता है। इन कारणों से राज्य द्वारा संचालित व्यवसायों में अपेक्ष्य होता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के ये विचार इतनी दृढ़तापूर्वक प्रारम्भ में स्वीकार किये गये कि उत्पादन एवं उपभोक्ता की स्वतंत्रता आर्थिक क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र पर बाधित हो गयी और स्वतंत्र व्यापार (Laissez Faire) को आर्थिक सम्पन्नता का मुख्य अंग माना जान गया। स्वतंत्रता एक

1 Public Sector without a Plan can achieve something a plan without public enterprise is likely to remain on paper
(Hanson *Public Enterprise & Economic Development*)

व्यापार की व्यवस्था के अदृष्ट पक्षधारियों में एमिनिभे जे० वी० सु० सेवित् रिजर्वो, निच जादि दपेग्रासो से ।

२०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अन्ध व्यापार एवं उद्यम-व्यवस्था के दोष व्यक्तियों की जात होने लगे । स्वतन्त्र व्यापार के पक्षधर शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी पारस्परिक उपेक्षा व्यापार के व्यापक प्रसार के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता हुआ । इन दायों ने सार्तो का स्वतन्त्र व्यापार की अनुसन्धान पर में विचार उठा दिया । प्रथम महायुद्ध के समय स्वतन्त्र व्यापार का कारी पतन हो गया था । इसी समय बीस (Reveres) की पुस्तक End of laissez faire 1926 प्रकाशित हुई जिसमें स्वतन्त्र व्यापार के दायों का उन्मूलन किया गया । उसी समय मस्सी एन व्यापक सफल उपेक्षा हुए जिसमें बॉन्ड के विचारों का और पृष्ठि प्राप्त हुई । यह प्रस्ताव स्वतन्त्र व्यापार की नीति का पतन हुआ तथा गया और यह विचार हीना जाने लगा कि व्यापक निर्दोष में हस्तक्षेप करने स्वतन्त्र व्यापार एवं राष्ट्र में प्रथम हुई कतिपयों का रास्ता सुझा है । उस विचारधारा का पृष्ठि मिलने से कि स्वतन्त्र व्यापार के दायों का निवारण समाजवाद द्वारा किया जा सकता है । इस समय पीग (Pigou) ने अपने पुस्तक समाजवाद बनाम पूंजीवाद (Socialism) Versus Capitalism में बताया कि समाज की समझौते वाले व्यापक निर्दोष की जा सकती है । उन्होंने विचार प्रकट किया कि केन्द्रीय निर्दोषन प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था की तुलना में बेसी अच्छी है । श्री० बॉन्ड ने पूंजीवादीकरण का विरोध किया । उनका विचार था कि उद्यम स्वयं साहस के रूप में उत्पन्न से कार्य कर सकता है । उनके विचार में देश की सर्वोत्तम उद्यम-व्यवस्था वह होगी जिसमें स्वतन्त्र साहस राज्य के नियन्त्रण में संचालित किया जाता हो ।

सन् १९२८ के परदात्त मंत्र में केन्द्रीय निर्दोषित अर्थ-व्यवस्था के उन्मूलन का पक्षधर विकास हुआ जिसने पूंजीवाद की नीतियों को हिला दिया और पूंजीवाद पर से लोगों का विश्वास हटने लगा । बहुत से राष्ट्रीय ने पूंजीवादी व्यवस्था को पता दिया और समाजवाद का अनुसरण करने लगे । कुछ दिनों राष्ट्रों ने पूंजी के अन्त में परिवर्तन का दिव्य और पूंजीवाद में भी राष्ट्रीय नियन्त्रण को स्थापित करना जान लगा । चीन की समाजवादी व्यवस्था ने पूंजीवाद के प्राचीन व्यवस्था को और भी दृष्टि संचाली । चीन की योजनाओं का सफल से दिव्य विश्वास हो रहा है कि चीन व्यापक निर्दोष के लिए निर्दोषित उद्यम-व्यवस्था प्रतिदान है ।

निश्चित अर्थ व्यवस्था का महत्व—पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापक निर्दोषन का संचालन किया गया सम्भव नहीं होने के कारण निर्दोष १० में २० वर्षों में बहुत से राष्ट्रों ने निश्चित अर्थ व्यवस्था को अपना लिया है । वास्तव में निश्चित अर्थ-व्यवस्था भारत के लिए बाईं नवीन व्यवस्था नहीं है । स्वतन्त्र व्यापार एवं स्वतन्त्र साहस के पतन के पश्चात् चामा समस्त पूंजीवादी राष्ट्रों में राज्य

आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करने लगा है जिसके कारण मिश्रित अथ-व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ है। लगभग सभी राष्ट्रों में रत्नें उभक न तार तथा संचार आदि पंच साधों तथा जनप्रयोग सेवाओं को राजकीय क्षेत्र द्वारा संचालित किया जाता है। जब किसी राष्ट्र में राजकीय क्षेत्र का अधिक विस्तार हो जाता है तो अथ-व्यवस्था की प्रवृत्ति को समाजवादी कहा जाता है। दूसरी ओर जब किसी राष्ट्र में राजकाय क्षेत्र का तुलना में निजी क्षेत्र का महत्त्व अथ-व्यवस्था में अधिक होता है तो ऐसी अथ-व्यवस्था को प्रवृत्तियों का पूँजीवादी कहा जाता है। वास्तव में प्रत्येक राष्ट्र में जब पूँजीवाद से समाजवाद की ओर कदम बढ़ाये जाते हैं तो समाजवाद अथ-व्यवस्था की स्थापना के पूर्व मिश्रित अथ-व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है। स्वाभाविक होता है क्योंकि समाजवाद की स्थापना करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है।

ग्रेट ब्रिटेन में मिश्रित अथ-व्यवस्था—मिश्रित अथ-व्यवस्था के अन्तर्गत नियोजन का संचालन सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था। ब्रिटेन की नवंबर सरकार ने कुछ उद्योगों एवं जनप्रयोगों सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करके सामूहिक नियंत्रण एवं नियोजित अथ-व्यवस्था की स्थापना की। एक आठ इंग्लैण्ड कविता एवं वायरलस हवाई यातायात कार्यालय की खाने अन्तर्देशीय यातायात विज्ञानों तथा गैस आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया। इन सब व्यवसायों को सरकारी क्षेत्र में लीया गया और क्षेत्र उद्योगों एवं व्यवसायों का निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया परन्तु इन पर राज्य का कुछ नियंत्रण एवं प्रभाव रखे। कच्चे तेल को विभिन्न उद्योगों के लिए आवंटित करने पर सरकार का नियंत्रण था। औद्योगिक वस्तुओं जैसे मशीनें एवं मशीनों के औजारों का वितरण लाइसेंस द्वारा किया जाता था। आवश्यक उद्योगों के लिए जन शक्ति के वितरण पर भी राज्य का नियंत्रण था। कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगायी गयी तथा कुछ वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा निर्धारित कर दी गयी। इसके अनिश्चित वजह टैजरी तथा राष्ट्रीय केन्द्रों के द्वारा बहुत से विस्तीर्ण नियंत्रण भी लागू हुए। सन् १९४५ में उद्योगों के वितरण का विधान (The Distribution of Industries Act 1945) पास किया गया जिसके द्वारा राज्य का नवीन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर नियंत्रण प्राप्त हो गया था।

मिश्रित अथ-व्यवस्था की विशेषताएँ—मिश्रित अथ-व्यवस्था के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों को विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त करके आवश्यक है क्योंकि इस अथ-व्यवस्था में सभी क्षेत्रों को विकसित होने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रायः मिश्रित अथ-व्यवस्था में चार क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है—सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सम्मिश्रण तथा सहकारी क्षेत्र। इनमें निजी क्षेत्र को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाय यह विकास कार्यक्रमों के अन्तिम उद्देश्य पर निर्भर रहता है। यदि नियोजित अथ-व्यवस्था का अन्तिम उद्देश्य देश में समाजवादी अथ-व्यवस्था की स्थापना करना होता है तो सरकारी क्षेत्र को सर्वम

अधिक महत्व का स्थान दिया जाता है जो अल्प-क्षेत्रों का अल्प-व्यवस्था में केवल सम्पत्तियों सहित रहता है। दूसरी ओर, प्रजातान्त्रिक समाजवाद की स्थापना हेतु नगरों के विस्तार एवं विकास का साथ निजी क्षेत्र को नगरों के क्षेत्र में परिचालित करने के प्रयत्न जारी रहते हैं। कुछ राज्यों में विकास का प्रारम्भ करने के लिए नगरों के व्यवस्थाओं का स्थान का अर्थ है। अतः समय के बदलते नगरों के विकास निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया जा रहा है। एकाधिक अल्प-व्यवस्था में निजी क्षेत्र का उदात्त महत्व प्राप्त होता है और नगरों के क्षेत्रों के अल्प-व्यवस्था स्थान प्राप्त होता है। विविध अल्प-व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सम्मिलित होकर नगरों का विकास-आयतनों के अन्तर्गत हेतु निम्न पाठ्यों में अल्प-व्यवस्था दिया जाता है—

सरकारी क्षेत्र का महत्व—विचारित अल्प-व्यवस्था में निम्नलिखित कारणों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के व्यवस्थाओं का विस्तार होता है—

(१) यदि विचारित सरकारी समाजवाद का प्रतिपादन करना हो अथवा महत्वपूर्ण अधिकारित होना कि राज्य के समाजवाद का अनुसरण करना हो तो नगरों के राष्ट्रीयकरण की अधिक महत्व दिया जाता है। जनतापारण की समाजवादी सिद्धान्तों के अनुकूल अधिक से अधिक व्यवस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की मांग करना है। समाजवादी उद्देश्यों, आर्थिक एवं सामाजिक समाजवादी की उक्ति हेतु सरकारी क्षेत्र का विस्तार आवश्यक होता है।

(२) ऐसे उद्योगों को सरकारी अधिकार में लाना या सञ्चालन हेतु विचारित हेतु निजी व्यवस्थाओं की विनिर्माण करने की रीति न हो।

(३) ऐसे व्यवस्थाओं को जिनमें केन्द्रीय निदेशित आवश्यक एवं अधिक लाभ-क्षेत्र समझा जाता हो, सरकारी क्षेत्र द्वारा सञ्चालित किया जाता है।

(४) राज्याधिक अथवा राष्ट्रीय कारणों से विदेशी नगरों का निजी क्षेत्र के रूप में छोड़ना उचित न समझा जाय तो इन उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में लाना जाता है, उदाहरणार्थ, नगर सम्पत्तियों नद्यो।

(५) कुछ कारणों का राष्ट्रीयकरण इसलिए भी किया जा सकता है कि उन उद्योगों में अल्प-निजी पूँजीवित्त के अल्प-व्यवस्था नहीं करना चाहते। सन् १९१७ के पञ्चायत रूप में बहुत से कारणों का राष्ट्रीयकरण इसी आधार पर किया गया।

(६) निजी एकाधिकार सरकारी एकाधिकार की तुलना में अच्छा नहीं समझा जाता है, इसलिए ऐसे व्यवस्थाओं की जिनमें एकाधिकार प्राप्त करना आवश्यक होगा हेतु सरकारी क्षेत्रों में ले ले लिया जाता है। इस प्रकार के व्यवस्था अल्प-व्यवस्था समाजवादी उद्देश्यों में सम्मिलित होता है जन्मे विदेशी-सञ्चालित एवं उद्योग-सञ्चालित बनाने का अर्थ।

(७) अल्प-व्यवस्था के लिए भी सरकारी क्षेत्र की स्थापना एवं विस्तार की आवश्यकता होती है। सरकारी क्षेत्र के व्यवस्थाओं में अल्प-व्यवस्था, अल्प-व्यवस्था

उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण आदि में सुविधा हानी है। सरकारी उत्पादन एवं वितरण मन्त्रालय नीतियाँ जो अधिक प्रभावशील बनाने के लिए भी सरकारी क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता होना है।

निजी क्षेत्र का महत्व

(१) प्रजातान्त्रिक राष्ट्रीय सम्पत्ति नागरिकों का सम्पत्ति एवं उत्पादन के साधनों को प्रयत्न करने के अन्तर्गत अनुसूचित करने तथा उच्च वेतन का अधिकार प्राप्त होना है अर्थात् निजी सम्पत्ति को मान्यता देना ही है और राज्य एवं नागरिकों का अधिकाधिक हितक्षेत्र में प्रवृत्त प्रवृत्त अस्तित्व समझा जाना है। ऐसी परिस्थिति में वह व्यवसाय जो वह है ही निजी क्षेत्र में गणना है सरकार को अधिकार में सैन्य हेतु उचित प्रतिपूर्ति प्रदान करना अनिवार्य होना है। यदि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में संचालन हेतु गणतन्त्र आर्थिक साधनों का सरकारी क्षेत्र में अधिकार में लिया जाय तो राज्य के उपसम्पत्त साधनों का बहुत बड़ा भाग दोष काल तक क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करना होगा और प्रगति के साधनों में वृद्धि करना सम्भव नहीं हो सकेगा। दूसरी ओर जब निजी सम्पत्तिधारियों का क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है तो उनके पास अन्य उत्पादन के साधन प्रयत्न करने के लिए अर्थ पहुँच जाता है जिसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र का अस्तित्व फिर भी बना रहता है। इस प्रकार अर्थ विरहित राष्ट्रों में निजी क्षेत्र के व्यवसायों को संचालित रखा दिया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा मध्यम नवीन व्यवसायों में विनियोजन करता है जिनकी रणनीति अधिक आवश्यकता होना है। इस प्रकार उत्पादन की गति वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति तीव्र गति के लिए निजी क्षेत्र को बनाय रचना आवश्यक होना है।

(२) देश के आर्थिक विकास हेतु अधिक बचन विनियोजन एवं पूँजी निर्माण की आवश्यकता होना है। जनसाधारण बचत एवं विनियोजन उसी हालत में करने का सकारण होना है जब उसका द्वारा उसे उचित प्रतिफल प्राप्त होना की सम्भावना हो। निजी क्षेत्र का स्वामित्व जनसाधारण में सरकार को प्रति विश्वास की भावना प्राप्त करती है और निजी क्षेत्र साधन विकास के लिए उपयुक्त होते हैं और अर्थ साधनों का प्राप्ति हेतु कठोर निष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है।

(३) विदेशों से पूँजी एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु भी निजी क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था में उचित स्थान प्रदान किया जाता है। विदेशों से पूँजीपति एवं उद्योगपति उस अर्थ विरहित राष्ट्र में विनियोजन करने के लिए बाध्य होते हैं, जिनमें व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण का भय नहीं है, जिनमें निजी व्यवसायों के संचालनाय उचित सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं तथा जिनमें सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ बंदोर प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी आर्थिक सहायता के समय इस बात पर ध्यान देना है कि सहायता द्वारा स्थापित व्यवसायों का लाभ कबल उसी देश के निवासियों का ही नहीं बल्कि मसालों के अन्य राष्ट्रों को उसमें लाभ

उठा सके और इनके लिए निजी क्षेत्र के व्यवसायों के संचालन की स्वतंत्रता आवश्यक होती है। ऐसी परिस्थिति में विदेशी पूंजी एवं सहायता प्राप्त करने हेतु निजी क्षेत्र या अर्ध-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है।

(४) कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों के सुगम संचालन के लिए व्यक्तिगत प्रारम्भिकता तथा माहसु अविवाध होता है। इस प्रकार के व्यवसायों का सर्वोत्तम उदाहरण वृद्धि-व्यवसाय है। इस प्रकार के व्यवसायों के सुगम संचालन हेतु निजी क्षेत्र की मान्यता दी जाती है।

(५) कुछ लोगों का विचार है कि निजी क्षेत्र गणना के तन्त्र का प्रमुख होता है और देश में सामाजिक एवं आर्थिक समानता की स्थापना में यह पाठक एवं छात्र-रोषक होता है। निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में यह दोगो-रूप की परिस्थिति में रूप होता है जब उसे सुली फूट के दी जाती है और राज्य द्वारा उस पर अधिक नियंत्रण एवं नियमन नहीं किया जाता है। नियोजित अर्ध-व्यवस्था के जन्तुत रूप अर्थात् नियमन एवं नियंत्रण द्वारा निजी क्षेत्र को देश की समाज कल्याण की नींवों के अनुकूल चलाने के लिए विद्यमान बन जाता है। इस प्रकार निजी क्षेत्र के गौण-रूप का विनाश करने सबसे अधिक प्राप्ति पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाया जा सकता है।

मिश्रित क्षेत्र (Mixed Sector)

इस क्षेत्र के दो प्राण्य हैं—

(अ) कुछ निर्धारित व्यवसायों की स्थापना करने का अधिकार जब सरकारों एवं निजी क्षेत्र दोनों को ही होता है तो इन व्यवसायों के क्षेत्र को मिश्रित क्षेत्र कहते हैं।

(आ) ऐसी व्यावसायिक एवं औद्योगिक जिनमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही पूंजी विनियोजन करते हैं और दोनों अपने प्रतिनिधियों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रबंध करते हैं तो ऐसी स्थापनों को मिश्रित क्षेत्र के अन्तर्गत समझा जाता है। इस प्रकार के व्यवसायों के लिए सीमित दायित्व वाली कम्पनियों की स्थापना की जाती है जिसकी पूंजी सरकारी एवं निजी दोनों ही क्षेत्र द्वारा है। इनमें प्रायः सरकारी द्वारा ५०% से अधिक पूंजी लानी जाती है, जिससे सरकार इस पर अधिक नियंत्रण कर सके।

मिश्रित क्षेत्र का अर्थ व्यवस्था में निम्न कारणों से महत्व होता है—

(१) मिश्रित क्षेत्र में संचालित व्यवसायों को सरकारों सरकारों निजी विनियोजन तथा सुगम प्रबंध का लाभ प्राप्त होता है। एक ओर यह क्षेत्र सरकारी सुसु-आपन या लाभपूर्तासाही से मुक्त रहने हैं और दूसरी ओर इनके द्वारा सरकारी का नय भी नहीं रहना है।

(२) मिश्रित क्षेत्र के व्यवसायों की विशेषी पूंजी एवं सहायता सुलभता में प्राप्त हो जाती है क्योंकि सरकार का सरकार इन्हें मिलते रहने की सम्भावना होती

है और कभी-कभी सरकार विनियामकों का पूँजा की वापसा एवं उचित व्याज की दर की प्रतिभूति (Guarantee) भी प्रदान करता है।

(२) जब मिश्रित क्षेत्र में निजी साहसिया एवं राज्य दाना व हो द्वारा इकाइयों की स्थापना की जाती है तो यह क्षेत्र ऐसे व्यवसायों के अधिन उपयुक्त होता है जिनमें पूर्ति की तुलना में माँग अधिक हो क्योंकि इनकी विपरीत परिस्थिति में सरकारी एवं निजी उपायों में विनाशकारी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकता है। इस क्षेत्र में व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य पूरक का कार्य करना होता है अर्थात् जब किसान विनाश व्यवसाय एवं उद्योग में निजी क्षेत्र पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहा हो तो सरकारा क्षेत्र कमी का पूर्ति करने का अपनी इकाइया खोल देता है। इसका विपरीत परिस्थिति होने से निजी क्षेत्र नुकसान इकाइया की स्थापना कर सकता है। इस प्रकार निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र का और सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र का पूरक कार्य करते हैं।

(४) मिश्रित क्षेत्र के कुशल संचालन हेतु सरकारी एवं निजी क्षेत्र में पर्याप्त समन्वय एवं सहयोग अत्यावश्यक होता है। यह घटक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की सफलता की कमीती होती है। इसकी अनुपस्थिति में अर्थ-व्यवस्था में असंतुलन स्थापित हो जाता है और विकास की गति मन्द हो जाती है।

सहकारी क्षेत्र (Cooperative Sector)

आर्थिक विकास को संचालित करने वाले क्षेत्रों में सहकारी क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो सरकारी एवं निजी क्षेत्र में सन्तुलन स्थापित करता है और जो समग्र समाज प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में उपयोगी सिद्ध होता है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में सहकारी क्षेत्र का अत्यधिक महत्त्व प्रमाण दिया जाता है। उसका निम्नलिखित कारण हैं—

(१) यह क्षेत्र में सहकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मेलन हो जाता है। सहकारी संस्थाओं द्वारा आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने से एक ओर जन सहयोग एवं साधन उपलब्ध होते हैं और दूसरी ओर सहकारी निर्माण में आर्थिक क्रियाओं का संचालन इस प्रकार किया जाता है कि आर्थिक समता का लक्ष्य भी प्राप्त हो सकता है। सहकारी संस्थाओं में पूँजा व स्थान पर व्यक्ति का अधिक महत्त्व दिया जाता है और इसी कारण इनके निर्णयों के लिए सदस्यों का पूँजी के अनुपात में मतदान का अधिकार नहीं लिया जाता है। प्रत्येक सदस्य को एक ही मत देने का अधिकार होना है चाहे उसका निजी भी पूँजी सहकारी संस्था में कदा न जुगुप् हो। इस प्रकार इन संस्थाओं में सामाजिक वितरण या पूँजी के अनुपात में नहीं किया जाता है। सदस्यों को सामाजिक जनता द्वारा संस्था की संरक्षा व उपयोग के अनुपात में वितरित किया जाता है। इस प्रकार यह संस्थाएँ आय व पुनर्वितरण में सहायक होती हैं।

(२) नियोजित अर्थ-व्यवस्था में नियंत्रण को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया

जाता है। नियंत्रण का उद्देश्य समस्त आर्थिक क्रियाओं को इस प्रकार सुचारु बनाना होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से सम्बन्धित रहे और वांछित नतीजों का पूर्ति हो सके। राज्य सर्वाधिक एवं सबसे अधिक सम्पत्तियों पर नियंत्रण कर सकता है परन्तु बित्तरी हुई छोटों छोटी इकाइयों का राष्ट्रीय नीतियों के अनुसृत्य सुचारु बनाने में अधिक कठिनाई होती है। राज्य का इन दिग्गजों द्वारा इकाइयों तक पहुँचना ही कठिन होता है। इस कठिनाई का सहकारिता द्वारा ही समाधान संभव है। अर्थात् विभिन्न राष्ट्रीय व विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सघु इकाइयों की प्राप्ति होती है। यह सघु इकाइयों प्राथमिक क्षेत्रों की अथवा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राथमिक क्षेत्रों के नियोजित विकास हेतु इन विभिन्न इकाइयों का सर्वाधिक करने के लिए सर्वाधिक सुव्यवस्था अथवा प्रशासनिक व्यवस्था बनाना जानी है क्योंकि इनके द्वारा आर्थिक सुव्यवस्था का केन्द्रोत्पत्ति नहीं होता है तथा यह व्यवस्था अथवा प्रशासनिक व्यवस्था में सुव्यवस्था व साथ ही सुव्यवस्था बनाने की है।

(३) निजी क्षेत्र व शोषण-तत्त्व (Exploitative Element) का समाप्त करने के लिए राज्य विभिन्न विधियों एवं नीतियों के द्वारा नियंत्रण करता है परन्तु यह नियंत्रण प्रशासनिक सुव्यवस्था की अथवा एक नीति के अन्तर्गत ही सम्भव है। स्वयं ही निजी क्षेत्र आर्थिक क्रियाओं को सुव्यवस्था बनाता है। इस क्षेत्र का दूर करने हेतु निजी क्षेत्र में सुव्यवस्था परिवर्तन करना आवश्यक होता है। सहकारिता निजी क्षेत्र के वांछनीय गुण—अर्थिक प्रारम्भिकता सहित एक अधिकार भी देने रहती है।

सहकारिता के उपयुक्त गुणों के कारण ही विभिन्न अर्थ-व्यवस्था व जन-संख्या के अनुसार ही सुव्यवस्था किया जाता है तो निजी क्षेत्र की धीरे धीरे सर्वाधिक क्षेत्र में परिवर्तित करने के प्रयत्न किए जाते हैं।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक नियोजन

प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवस्थाओं के अन्तर्गत एक प्रवृत्ति में विकेन्द्रोत्पत्ति का आयोजन करना आवश्यक होता है। जहाँ जहाँ राज्य के हाथों में मालिकान्ता (Ownership) का केन्द्रोत्पत्ति होने से राजनीतिक सुव्यवस्था का भी केन्द्रोत्पत्ति हो जाता है और नियोजन की समस्त व्यवस्था पर राजनीतियों का पूरा नियंत्रण हो जाता है। समाज के साधनों पर अधिकारियों का अथवा केन्द्रोत्पत्ति होने पर एक साम्राज्य (Feudal) समाज का निर्माण होता है जिसके अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था-पूर्ण पूँजीवाद की उत्पत्ति होती है। जिसमें कुछ ही राजनीतिक क्षेत्र के समस्त साधनों का योग्य अथवा निजी हितों के लिए करने रहते हैं। ऐसे पूँजी-केन्द्रित अधिकार वाले समाज में गणतन्त्र रूप में आशय होने सकता है। इन मामलों का, प्रयोग करने की सुव्यवस्था अथवा अन्तर्गत का अन्तर्गत में सुव्यवस्था प्राप्त होती रहती है। इन कारणों के अन्तर्गत अब यह विचार किया जाने जाता है कि नियोजित

अथ व्यवस्था को अधिक उपयोगी एवं सफल बनाने के लिए न केवल निजी साहस और सरकारी साहस उपयुक्त है अपितु दाना भी हो अथ-व्यवस्था में स्थान दिया जाना उचित है।

भारत में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था

भारतीय संविधान के Preamble तथा वाक्य ३८ तथा ३६ में राज्य द्वारा दत्त में सामाजिक व्यवस्था का स्थापना करने के कर्तव्य का स्पष्टीकरण किया गया है। इनके अन्वय में जाना जाता है कि संविधान के निर्माताओं ने सत्तार में प्रचलित विभिन्न वादा (isms) में किसी का भी मान्य नहीं दा है और विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के गुणों का शायदपूर्ण सम्मिश्रण करने एक नयी सामाजिक व्यवस्था का स्थापना का आयाज किया है। यह नया सामाजिक व्यवस्था भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए।

संविधान के नीति निर्धारक तत्व

भारतीय संविधान में राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित नीति तत्व (Directive Principles of State Policy) अस्ति किम् गये हैं। राज्य को अपने अधिनियमों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों का पूर्ति करना है—

(अ) समस्त नागरिकों—पुरुष एवं स्त्री को पर्याप्त जादिकापान के साधन समानरूप में प्राप्त करने का अधिकार है।

(आ) समाज के भौतिक साधनों पर अधिकार एवं नियंत्रण का वितरण किया जायगा जिससे सर्वाधिक समान हित (Common Good) सम्भव हो सके।

(इ) आर्थिक व्यवस्था के संचालन के फलस्वरूप धन एवं उत्पादन के साधनों का समान अहित (Common Detriment) के लिए कर्त्तव्यकरण नहीं होना चाहिए।

(ई) पुरुष व स्त्री लाला को ही समान कार्य में समान पारिश्रमिक का आयाज होना चाहिए।

(उ) स्त्रियों व पुरुष श्रमिकों को शक्ति एवं स्वास्थ्य तथा बच्चा का नामक आयु (Tender Age) का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नागरिकों का आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ऐसे कार्य अथवा गणों करने की विवशता नहीं होना चाहिए जो उनको आयु एवं शक्ति के लिए अनुपयुक्त हो।

(ऊ) बच्चा तथा युवकों का शापण तथा भौतिक एवं अर्थिक सम्बन्धों परित्याग से रक्षा प्राप्त किया जाय।

नीति निर्धारक तत्वों का अन्वयन करने में जाना जाता है कि भारतीय संविधान में भौतिक साधनों का इस प्रकार वितरण करना है कि धन एवं उत्पादन के साधनों का कर्त्तव्यकरण शायद करने के लिए न हो सके।

संविधान में उत्पादन साधनों पर केवल राज्य के अधिकार का बात नहीं बनी गयी है। यह साधन किम् के भी अधिकार एवं नियंत्रण में क्यों न हो इनके द्वारा

घोषण नहीं होना चाहिए। संविधान में मौलिक साधनों का राजकीय अथवा निजी किसी भी एक क्षेत्र में अधिकार में रखने की बात नहीं की गयी है। हमारे शांति में, यह भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में सामना के उपलक्ष्य हानि को उद्देश्य के अधिक महत्व दिया गया है। यह नियम करना अब राज्य का अधिकार है कि अर्थ-व्यवस्था के किस क्षेत्र का मन्वत्तन राज्य कर और नियंत्रण निर्मा क्षेत्र।

इसके अनिश्चित संविधान के भाग्य १६ तथा ३१ में निजी सम्पत्ति का भी मापता की गयी है अर्थात् व्यक्ति का सम्पत्ति पर अधिकार रखने तथा उन पर एक विधाय करने का अधिकार है। भाग्य १६ सम्पत्ति उत्तराधिकार के रूप में निम्नर हस्तांतरित हानि को भी संविधान में मापता की गयी है। परन्तु राज्य सामाजिक हित के लिए किसी भी निजी सम्पत्ति को अपने अधिकार में उचित पारिधमिक कर ले सकती है।

उपरोक्त व्यवस्था में यह बात होना है कि भारतीय संविधान में एक बार पूँजीवाद के लक्षण—निजी सम्पत्ति और सम्पत्ति का उत्तराधिकार में हस्तांतरण की मापता की गयी है और दूसरी ओर, समाजवाद के लक्षण—समानता सभी प्रकार के गोप्य पर प्रतिबंध लगाने व्यवस्था, धन के केन्द्रीकरण पर रोक आदि का माप समझा गया है। इस प्रकार हमारे संविधान निर्मात्रों ने भारत में एक ऐसे समाज का विचार किया जिसमें पूँजीवाद एक समाजवाद दोनों के ही लक्षण हों परन्तु यह समाज न ही पूर्णरूपण पूँजीवादी हो और न समाजवादी। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान द्वारा गयी सामाजिक व्यवस्था में मुक्त व्यवसाय, निजी प्रारम्भिकता एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लाभों को बनाए रखने का आशय है और दूसरी ओर, उन क्षेत्रों पर सामाजिक नियंत्रण का लाभ उठाने का आशय है जिन पर सामाजिक नियंत्रण द्वारा सामाजिक हित सम्भव हो सकता है।

संविधान द्वारा निर्धारित व्यवस्था में निजी एवं सरकारी दोनों ही क्षेत्रों को स्थान दिया गया है और इन दोनों को एक-दूसरे के पूरक एवं सहायक के रूप में कार्य करने का आशय दिया जाना है। इस प्रकार संविधान द्वारा भारत में मिश्रित व्यवस्था की स्थापना का आशय दिया गया है। देश की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था का मन्वत्तन इस प्रकार किया जाना है कि अन्ततः अधिकतम उत्पादन एवं समान वितरण-संश्लेषों की पूर्ति हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में वितरित करना आवश्यक है जिससे धन दोनों क्षेत्रों में बचने एवं घातक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न न हो। राज्य का उन सभी क्षेत्रों को राजकीय अधिकार एवं नियंत्रण रखना चाहिए जिनका यह अधिकार शांति संचालन कर सकता हो, जिनको निजी क्षेत्र संचालित न कर सकता हो। जिनके संचालन में जन जीवन पर बड़े परिमाण में प्रभाव पड़ता हो। दूसरा बार समाज क्षेत्र जिनमें निजी क्षेत्र अधिकतम उत्पादन कर सकता हो, निजी क्षेत्र में अधिकार के लिए

छोड़े जा सकता है। यदि निजी क्षेत्र पर आर्थिक नियोजन के सफल संचालन हेतु राज्य का नियंत्रण आवश्यक समझा जाय तो यह नियंत्रण अत्यन्त सीमित होना चाहिए जो केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को आघातित करता हो और जिससे निजी क्षेत्र के कार्य-संचालन प्रारम्भिकता एवं साहस में अनावश्यक प्रशासकीय हस्तक्षेप को रोका जा सके।¹ इसके साथ ही राजकीय क्षेत्र के व्यवसायों का संचालन सरकारी विभागों की तरह न करके मुक्त व्यापारिक सिद्धान्तों के आधार पर होना चाहिए।

सन् १९४८ की औद्योगिक नीति को आधार मान कर सरकारी (Public) तथा निजी साहम के क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया। इसके अंतर्गत राज्य का कर्तव्य था कि वह राजकीय क्षेत्र का ज. म. दे तथा वृद्धि करे और उसके सफल संचालनाय प्रयास करे। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र को भी राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक था क्योंकि भविष्य में यत्न के मूल अधिकारों में उसे उत्पादकों के साधनों पर अधिकार रखने तथा उनका श्रम विप्रेषण करने का अधिकार दिया गया था। राज्य को किसी भी निजी सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त हेतु क्षति-पूर्ति करना आवश्यक है। इस प्रकार निजी क्षेत्र का पूर्णरूपेण राष्ट्रीयकरण करना असम्भव था क्योंकि राज्य के पास पर्याप्त अर्थ साधन नहीं थे तथा निजी क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण द्वारा निजी क्षेत्र के अधिकार में क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त धन फिर भी रह जाता और वह उत्पादकों के साधनों पर किसी अन्य रूप में अधिकार प्राप्त कर सकता था। इसका अनिश्चित योजना में उत्पादन वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी थी तथा इस वृद्धि की सीमानिश्चिन्ना प्राप्ति हेतु जनगण उत्पादन व्यवस्था को सवकाश प्रदान करना अनुचित था। इन्हीं कारणों से सामान्य राष्ट्रीयकरण की नीति को योजना में नहीं अपनाया गया परन्तु राज्य को आधारभूत क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए उनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता था।

सन् १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा निजी एवं सरकारी के काम के बीच और स्पष्ट कर दिया गया और भारी उद्योग जैसे लोहा एवं इस्पात, शक्ति अस्त्र भारी ठेकाई आदि भारी मशीन एवं सयंत्र निर्माण भारी विद्युत यंत्र निर्माण अणु शक्ति तथा रेल उद्योग सरकारी क्षेत्र के लिए रक्षित कर दिये गये। दूसरी ओर समस्त उपभोक्ता उद्योग जैसे वस्त्र, सीमेंट, कागज, शक्कर, चूना, मशीनों व औजार औद्योगिक यंत्र, हल्के इन्जीनियरिंग एवं रसायन उद्योग को निजी क्षेत्र में रखा गया। परन्तु इस नीति प्रस्ताव में यह भी आयाज किया गया कि राज्य उपभोक्ता उद्योगों में भी भागीदार हो सकती है। निजी क्षेत्र का संचालन बहुत से सरकारी नियंत्रणों के अन्तर्गत होता है। कम्पनी अधिनियम का अर्थिक प्रभावशाली बनाने के साथ साथ

1 C N Vakil Respective Roles of Public & Private Sectors in a Mixed Economy—Commerce 12 8 1967

औद्योगिक साहसविद्य, पूँजी नियमन नियंत्रण आगत साहसविद्य तथा कुछ वस्तुओं के वितरण एवं मूल्य पर नियन्त्रण आदि का नभानन किया गया है।

भारतीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र

भारतीय योजनाओं के विनियोजन विवरण की प्रवृत्ति तृतीय योजना तक सरकारी क्षेत्र की नवीन विनियोजन में अधिक भाग देन की रही है। परन्तु चतुर्थ योजना में निजी क्षेत्र के विनियोजन के लिए विशेष प्रवसर प्रदान किए गये हैं। चतुर्थ योजना में निजी क्षेत्र में १०,००० करोड़ रुपये का विनियोजन करने का लक्ष्य रखा गया जबकि तृतीय एवं द्वितीय योजनाओं में निजी क्षेत्र के विनियोजन की राशि क्रमशः ४,१०० तथा २,१०० करोड़ रुपये थी। इस प्रकार चतुर्थ योजना में निजी क्षेत्र के विनियोजन की राशि तृतीय योजना की तुलना में १४४ प्रतिशत अधिक है।

तालिका म० १—चार योजनाओं के अन्तर्गत विनियोजन की प्रवृत्ति

(वस्तुमान मूल्यों पर करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	प्रथम योजना		द्वितीय योजना		तृतीय योजना		चतुर्थ योजना	
	राशि	वृद्धि का %	राशि	वृद्धि का %	राशि	वृद्धि का %	राशि	वृद्धि का %
१ सरकारी क्षेत्र में विनियोजन	१४६०	—	३६४०	१३४	६३००	७२	१० ०४०	६४
२ निजी क्षेत्र में विनियोजन	१८००	—	३१००	७२	४१००	३०	१० ०००	१४४
३ सरकारी विनियोजन का कुल विनियोजन से प्रतिशत	४६	—	४४	—	६१	—	४४	—
४ निजी क्षेत्र के विनियोजन का कुल विनियोजन से प्रतिशत	४४	—	४६	—	३९	—	४४	—

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र के विनियोजन का अनुपात चतुर्थ योजना में निजी क्षेत्र के अनुकूल है। चतुर्थ योजना में तृतीय योजना की तुलना में जहाँ सरकारी क्षेत्र के विनियोजन में ६४% की वृद्धि हुई वहीं निजी क्षेत्र के विनियोजन की राशि में १४४% की वृद्धि कर दी गयी है।

भारत में निजी क्षेत्र का महत्व सरकारी क्षेत्र की तुलना में आकार विनियोजन उपादन एवं विनियोजित पूँजी सन्धि दृष्टिकोणों से अधिक है। प्रथम तीन योजनाओं के १५ वर्षों के काल में निजी क्षेत्र में लगभग ६००० करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया। समावेशित क्षेत्र से सम्पत्तियों की प्रदत्त पूँजी (Paid up Cap-

1961) सन् १९५१ में ७५० करोड़ रुपये से बढ़कर सन् १९६४ में १५३० करोड़ रुपये हो गई। निजी क्षेत्र में इन पंद्रह वर्षों में (सन् १९५०-६४) में लगभग ६२०० करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय उत्पादन की जो उस साल की कुल अतिरिक्त आय की तीन चौथाई के बराबर है। दूसरी ओर सरकारी व्यापारिक एवं औद्योगिक व्यवसाय में सन् १९५१ में कुल विनियोजन ४४ करोड़ रुपये था जो सन् १९५१-६६ के काल में बढ़कर ११५१० करोड़ रुपये हो गया। प्रथम योजना के प्रारम्भ (सन् १९५१) में निजी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का विनियोजन लगभग ७५० करोड़ रुपये था और कृषि खनिज अधिकापण एवं व्यापार आ निजी क्षेत्र में ही मंचालित थे का कुल विनियोजन लगभग १०००० करोड़ रुपये अनुमानित था। निजी क्षेत्र का यह विनियोजन सन् १९६६ तक अतः तक औद्योगिक क्षेत्र में बढ़कर ६००० करोड़ रुपये और कृषि खनिज अधिकापण एवं व्यापार में लगभग २५००० करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में निजी क्षेत्र का विस्तार तीव्र गति में हुआ है।

यदि हम सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के सकल उत्पादन का तुलना करें तो ज्ञात होगा कि सन् १९६५-६६ में अतः तक सरकारी क्षेत्र वष में कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन का १३.६% ही उत्पादित करता था और क्षेत्र ८६.४% निजी क्षेत्र में ही उत्पादित होता था। उत्पादन के दृष्टिकोण से भी यह स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र का भारतीय अर्थ-व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। सन् १९६५-६६ में सरकारी क्षेत्र का सकल उत्पादन ३०४९ करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र का उत्पादन १९,३५५ करोड़ रुपये था।

हमारे देश में सरकारी क्षेत्र का विस्तार धीरे धीरे किया जाता है। अभी हाल में १४ बड़े व्यापारिक बकों के राष्ट्रीयकरण से सरकारी क्षेत्र का राष्ट्रीय उत्पादन एवं विनियोजन में असाधारण और बड़ा योगदान और सरकारी क्षेत्र के विस्तार में सहायता मिलेगी। सन् १९६०-६१ में सरकारी क्षेत्र द्वारा देश में सकल राष्ट्रीय उत्पादन का ११% भाग उत्पादित किया गया। यह प्रतिशत सन् १९६५-६६ में बढ़कर १३.६ हो गया है।

भारतवर्ष में एशिया में अन्य देशों की तुलना में सरकारी क्षेत्र का आकार बड़ा नहीं बढ़ा जा सकता जैसा अग्रकालीन तालिका से स्पष्ट होता है।

तालिका सं० २ में यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में सरकारी आय एवं व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पादन का बढ़ते-कम भाग होता है।

भारतीय मिश्रित अर्थ व्यवस्था के मुख्य लक्षण

- (१) अर्थ-व्यवस्था में निर्धारित तीन क्षेत्रों की उपस्थिति—(अ) सरकारी क्षेत्र (आ) सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सम्मिश्रित क्षेत्र तथा (इ) निजी क्षेत्र।
- (२) निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की वार्षिक प्रतिस्पर्धा पर राज्य

तालिका न० २—विभिन्न देशों में सरकारी क्षेत्र का आकार

विभिन्न देश	साल	सकल राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में सरकारी भाग एवं व्यय	
		सरकारी घराने सकल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत	सरकारी व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत
जर्मनी	१९६३	१८	२६
मीलोन	१९६५	१०	१६
चीन (ताईवान)	१९६४	१७	००
भारत	१९६०-६३	१०	१६
पाकिस्तान	१९६४-६५	११	१६
सिन्धीशासन	१९६५	१०	१६
थाइलैण्ड	१९६५	—	१६

नियोजन रचना है अर्थात् यह दोनों क्षेत्र एक-दूसरे के समन्वय एवं पूरक के रूप में कार्य करते हैं।

() भारत की योजनाओं में अत्यन्त सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही विस्तार किया जाता है परन्तु सरकारी क्षेत्र का विस्तार एवं विनियोजन निजी क्षेत्र की अपेक्षा बढ़ता जा रहा है। प्रथम योजना में सरकारी एवं निजी क्षेत्र का विनियोजन १५०० और १६०० करोड़ रु० था। द्वितीय योजना में यह विनियोजन क्रमशः ३६५० और ३,१०० करोड़ रु० था और तृतीय योजना में विनियोजन क्रमशः ६,३०० करोड़ और ४१०० करोड़ रु० है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी क्षेत्र का विकास निजी क्षेत्र की अपेक्षा तीव्रता से हो रहा है। चौथी योजना में निजी क्षेत्र के महत्व का घटा दिया गया है।

(४) भारतीय अर्थ-व्यवस्था में निजी क्षेत्र के विस्तार पर एक काय नजाने पर कोई बड़ी अकुल नहीं लगाये गये हैं परन्तु निजी क्षेत्र को सरकारी नियमन में रखना आवश्यक है जिससे निजी क्षेत्र सरकारी नीतियों के अनुकूल हो पायें।

(५) निजी क्षेत्र में सधु एवं सामीप्य उद्योगों तथा न्यूनोत्पाद उद्योगों को विशेष-रूप से सम्मिलित किया गया है। दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि विकसित-समान की स्थापना हेतु छोटी छोटी इकाइयाँ निजी क्षेत्र द्वारा विकसित की जानेंगी और बड़े-बड़े आधारभूत उद्योग सरकारी क्षेत्र में रहेंगे।

(६) निजी क्षेत्र के अन्तर्गत सहकारीता को विशेष स्थान दिया गया है अर्थात् सहकारी संस्थाओं को साधक कच्चे मात, बाजार-व्यवस्था और प्रतियोगिता की सुविधाएँ प्रदान करके राज्य एक विकेंद्रित समाज को स्थापना करना चाहता है।

भारत की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का स्वरूप इन प्रकार का है जिसमें पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के ही सहाजों का समन्वय हो गया है। भारत के प्रजातान्त्रिक शास्त्र में इन प्रकार की अर्थ-व्यवस्था को ही सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के विस्तार के माप माप निजी क्षेत्र के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। नियोजकों द्वारा यह महसूस किया गया है कि निजी क्षेत्र पर स यदि अनावश्यक प्रतिबंध हटा लिये जायें तो यह क्षेत्र बहुत जल्दी अधिकतम उत्पादन दे सकता है। यद्यपि चतुर्थ योजना में सन् १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के आधार पर हा औद्योगिक विभाग के कार्यक्रम निर्धारित किया गया परन्तु सरकारी क्षेत्र में व ही कार्यक्रम रखे गए हैं जो ऊँचा प्राथमिकता क्षेत्र में हैं और जिनके द्वारा औद्योगिक कलवर की कमियाँ की पूर्ति की जा सके। जिन उद्योगों का विस्तार निजी एवं सरकारी क्षेत्र में हो सकता है उनका सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

इसके अनिश्चित देश में पूँजीगत सामग्रियों एवं कच्चे माल की अधिक उपलब्धि हान के कारण उन उद्योगों के विस्तार पर नियंत्रण रखने का आवश्यकता नहीं है जो प्रायः देश में उपलब्ध माध्यमों का उपयोग करते हैं। इसी कारण ऐसे उद्योग जिनमें पूँजीगत सामग्री एवं कच्चे माल का विदेशों से आयात करने की आवश्यकता नहीं होती, उनकी स्थापना एवं विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार जिन उद्योगों में कुछ पूँजीगत सामग्रियों का यदि १०% कम भाग विदेशों से आयात करना हो उन्हें भी औद्योगिक लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार चतुर्थ योजना में निजी क्षेत्र को औद्योगिक विस्तार की छूट दी गयी है जिसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र में अधिक निधि योजना को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

उपरोक्त समस्या विवरण के आधार पर यह कहना अनुचित न होगा कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की सफलता के लिए निजी क्षेत्र का अनाधारण द्वारा सत्ता एवं सतकता से संचालित करने की आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्र का अनाधारेण हेतु बाजार-तन्त्रिकता (Market Mechanism) को जारी रखना आवश्यक होता है जिसके अन्तर्गत मूल्य और पूँजी के घटक आर्थिक क्रियाओं का प्रभावित करते हैं। बाजार-तन्त्रिकता जारी रहने पर सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही विकास की प्राप्ति के लिए मुद्रा बाजार की गरण करना होता है और स्वभावतः यह प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। राज्य के हाथों में राजस्वगतिक एवं आर्थिक सत्ताएँ होने के कारण संपन्न प्राप्त करने में अधिक सफल हो सकता है परंतु वह कठोर माप माप की गरण नहीं से सकता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होना अत्यधिक स्वाभाविक होता है जिसके फलस्वरूप आर्थिक प्रगति नियंत्रित कार्यक्रमों के अनुकूल नहीं हो पाती है और कभी-कभी उल्टी हुई अर्थ-व्यवस्था (Muddled Economy) का रूप ग्रहण कर सकती है। निजी क्षेत्र और पूँजी के घटकों को इस प्रकार संचालित करने का प्रयत्न करता है कि धनी वर्ग को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सरकारी नियमों एवं नियंत्रणों से बचने के लिए अवांछनाय (और

कभी कभी अर्धमानव) उपायों का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं का संग्रह, सही जाति अथ-व्यवस्था के मुचार् मन्थालन में विघ्न रहता है। इस प्रकार मिश्रित अथ-व्यवस्था की सफलता निजी एवं सरकारी क्षेत्र के सहयोग एवं समन्वय पर निर्भर रहती है। सिद्धान्तरूप से मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पूँजीवादी एवं साम्यवादी दोनों ही अर्थ-व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ समझी जा सकती है क्योंकि इसके अन्तर्गत साम्यवाद की तरह व्यक्तिगत स्वतन्त्रताएँ एवं गार्हस्य सुख नहीं ह्रास और न ही पूँजीगत अर्थ-व्यवस्था के शोषण सम्बन्धी तत्व की पनपन दिना जाता है।

नियोजित जथ व्यवस्था मे वित्तीय व्यवस्था

[Financial Mechanism of Planned Economy]

[नियोजित अथ-व्यवस्था के अथ साधन ऐच्छित वचत, राजकीय वचत प्रयत्न कर अप्रत्यक्ष कर, अथ कर, कर एवं वचत की तुलनात्मक श्रेष्ठता करारापण एवं मुद्रा-स्फीति का दबाव करारोपण का निजी विनियोजन पर प्रभाव, करारापण का प्रास्ताहण पर प्रभाव, प्रोत्साहन सम्बन्धी करारोपण के रूप—मुद्रा प्रसार द्वारा प्राप्त वचत, बजट के साधना की पारस्परिक तुलना विदेशी मुद्रा की वचत, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की विधियाँ—राजकीय आयात नीति एवं अथ-साधन, राजकीय नियान-नीति एवं अर्थसाधन विदेशी निजी विनियोजन विदेश से ऋण एवं सहायता, विदेशी व्यवसायो का अपहरण]

आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए अथ साधनों की आवश्यकता है—ऐसे अथ साधन जो देश की उपयोग की आवश्यकताओं के अनिश्चित विकास कार्यक्रमों का उपनयन हो सकें। वास्तव में, देश के राष्ट्रीय उत्पादन का बहुत बड़ा भाग उपभोग पर व्यय होता है और एक अथ न गून प्रतिगत विकास के लिए उपलब्ध होता है। योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों—कृषि, विकास कार्यक्रम सिंचाई एवं शक्ति की परियोजनाएँ नवीन उद्योगों को स्थापना तथा बनमान उद्योगों का विस्तार, यानायात के साधना में वृद्धि एवं मुद्रा रोज़वार के अवमरो में वृद्धि शक्ति के लिए अथ साधना की आवश्यकता होता है जो आर्थिक एवं विदेशी आयात से प्राप्त किए जाते हैं। प्रायः आन्तरिक साधनों का अधिक महत्व दिया जाता है और इसी कारण वर्तमान राष्ट्रीय आय के अधिक प्रतिगत को वचन एवं विनियोजन की ओर आकर्षित किया जाता है। विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है उस वृद्धि के बड़े भाग को विनियोजन के लिए प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाते हैं यद्यपि जनसमुदाय अर्थ विकसित राष्ट्रों में इस आय की वृद्धि के अधिक से अधिक भाग को उपभोग पर व्यय करना चाहता है। राज्य को इस प्रकार आन्तरिक साधना को एकत्रित करने के लिए बहुत सा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तंत्रिकताओं का उपयोग करना होता है।

यद्यपि अथ साधना का आर्थिक तथा विदेशी आयात साधनों से प्राप्त किया

जा सकता है परन्तु अर्थशास्त्रियों का मानना मत है कि विदेशी सहायता से मुक्त आर्थिक विकास संभव मात्रा तक हासिल नहीं है। विदेशी ऋण द्वारा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अनुत्पन्न अल्पता हासिल है तथा विदेशी सहायता का प्रवाह एक जन-पर-विकास की गति धीमी ही नहीं कर देता है। विदेशी सहायता द्वारा दीर्घ काल तक स्वदेशी अर्थ-साधनों की पुनर्स्थापना का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता।

अल्प-विविधित राष्ट्रों का एक-आज-विनाश की गति की ओर गति के लिए प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है जबकि विदेशी सहायता उत्पादन-प्रणालियों में निवेश करने के लिए संकेत नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में निवेशित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत गति को बचत एवं निवेशित करना चाहिए जिससे वांछित गति से आर्थिक विकास सम्भव हो सके।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अर्थ-साधन—निवेशित आर्थिकों की सहायता करने हेतु निम्नलिखित साधनों से प्राप्त किया जाता है—

- (अ) ऐच्छिक आन्तरिक बचत (Voluntary Domestic Savings)
- (आ) राजकीय बचत (Governmental Savings)
- (इ) मुद्रा-प्रसार द्वारा प्राप्त बचत (Inflationary Savings)
- (ई) विदेशी बचत (Foreign Savings)।

(अ) ऐच्छिक आन्तरिक बचत—नियोजित व्यवस्था के अन्तर्गत अल्प-विविधित राष्ट्रों में विकास हेतु आन्तरिक बचत की सहायता रहती है क्योंकि आद्य तथा अन्तर्गत की समानता के लिए सर्वत्र प्रयत्नित रहा जाता है तथा परिवर्तनों किन्तु-वर्तनों की अवस्था अर्थिक बचत कर सकने के योग्य होता है। यही कारण है कि इन राष्ट्रों में, जहाँ राष्ट्रीय आय का वितरण अधिक असमान होता है सामान्य आन्तरिक बचत की मात्रा भी अधिक होती है परन्तु अल्प-विविधित राष्ट्रों में अधिक मात्रा का वितरण सम्भव ही उपभोग को अधिक नहीं देता है तथा विविध अर्थ-व्यवस्थाओं के मामलों के समान उपभोग का स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नित रहता है। इसके अतिरिक्त यह वर्ग अपनी बचत की उपभोगों, व्यापारियों तथा कृषकों की अल्पकालीन श्रद्धा प्रदान करने एवं अनुभवों का संग्रह करके परिणाम-विधि (Speculative) लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है क्योंकि इसके द्वारा गति-सहायता सम्भव होता है। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक विषमताओं के रहते हुए विनाश सम्भव ही निवेशों के लिए बचत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। आर्थिक-विद्वान् (Arthur Lewis) के अनुसार आय के विषय वितरण द्वारा उत्पन्न अर्थ-व्यवस्थाओं में ऐच्छिक बचत विकास सम्भव ही निवेशों के लिए उत्पन्न होती है जिनमें राष्ट्रीय आय में गति-वर्तनों के लाभ का अल्प-विविधित होता है। ऐसी अर्थ-व्यवस्थाओं में जहाँ राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग जीविकार्थों तथा व्यापारियों का प्राप्त होता है विकास-सम्भव ही निवेशों के लिए ऐच्छिक बचत प्राप्त होने की सम्भावना

कम होती है। इन्हीं कारणों से अद्य विकसित राष्ट्रा में ऐच्छिक बचत एवं निजी विनियोजन आर्थिक प्रवृत्ति हेतु वित्त प्रदान करने में अधिक सहायक नहीं होने हैं परन्तु आर्थिक प्रगति की प्रारम्भिक अवस्था में ऐच्छिक बचत के द्वारा उपभोग का प्रतिबंधित करने में सहायता मिलती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा स्फीति के दबाव को कम करना सम्भव होता है। यदि बचत किया गया सङ्गृहीत (Hoard) कर लिया जाय अथवा देश में उपलब्ध मूल्यवान् धातुजा आदि में विनियोजित कर दिया जाय तो इसका वही प्रभाव होगा, जो बचत को वित्तीय सस्याजों में जमा करने से होगा। जब नियोजन-अधिकारी को यह आश्वासन हो जाय कि नियमित मुद्रा का निश्चित भाग सङ्गृहीत कर लिया जायगा और उपभोग पर 'यय' नहीं किया जायगा तब वह सङ्गृहीत राशि के बराबर विकास कार्यों के लिए वित्त प्रदान करने हेतु साख (Credit) में विस्तार कर सकती है परन्तु प्रायः यह सङ्गृहीत बचत अक्षानक ही उपभोग पर 'यय' कर दी जाती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ जाता है। सङ्गृहीत बचत के अक्षानक 'यय' करने पर नियन्त्रण करने हेतु यह आवश्यक समझा जाता है कि बचत को साख सस्याजों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। यही कारण है कि विकास का जोर अग्रसर राष्ट्रा में साख सस्याजों का विस्तार किया जाता है। यह सस्याज जनसमुदाय में बचत करने के स्वभाव का निर्माण करती है परन्तु यथा-सम्भव इन सस्याजों की एक के द्वाय अधिकारी अथवा बैंक के अधीन होना चाहिए जिससे इनको प्राप्त बचत का समन्वित विनियोजन विकास सम्बन्धी कार्यों में किया जा सके।

इसके अतिरिक्त इन साख सस्याजों—बैंक डाक विभाग सहकारी सस्याजों जीवन बीमा आदि के कर्मचारियों में ईमानदारी उत्पन्नता तथा सहायता करने की भावनाओं के स्तर में वृद्धि होना भी आवश्यक है। इन सस्याजों की कार्य करने की विधि इतनी सरल तथा प्रणाली इतनी सुगम होनी चाहिए कि बचत जमा करने तथा निकालने में समय का अप-यय नष्ट एवं असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही प्राथमिक विकास की योजनाओं के अन्तर्गत कृषक तथा श्रमिक वर्ग को धन के 'यय' तथा अप-यय सम्बन्धी शिक्षा प्रदान की जाय। यह कार्य अत्यन्त कठिन तथापि अर्थ-सहायक है क्योंकि श्रमीणों के रुढ़िवादी अ-धर्मिदवासी एवं अशिक्षित चिर-स्वभाव को परिवर्तित करना सरल नहीं है। अल्प-विकसित राष्ट्रा में आर्थिक विकास के साथ मुद्रा प्रसार भी एक आवश्यक लक्षण होता है। जनता जनाने को यह विश्वास प्रदान कराना भी आवश्यक है कि मुद्रा प्रसार अत्यधिक नहीं होगा तथा इस प्रकार जन-विनियोजन तथा 'यय' की राशि की अर्थ-गति अथवा वास्तविक मूल्य में कोई क्रोच नहीं होगी।

ऐच्छिक बचत को राज्य-जनसमुदाय से श्रृणु के रूप में प्राप्त करता है। राज्य को योजना के अन्तर्गत होने वाले अथवा आवृत्त 'यय' (Recurring

Expenses) के लिए अनुमति देना चाहिए। केवल ऐसे अनावश्यक (अव्यय पूर्वाभास) व्ययों के लिए उन ऋण विधे आम आर्थिक तंत्रिके द्वारा अनुमति प्रदत्त नहीं जाये। वयसम्भव ऋण का मुताबिक अवधि में ऋण का व्याज तथा मूलधन का गारन्टी जमा नये। उन ऋण द्वारा राज्य खर्चों में बचत को वास्तुतः प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि बचत की जाय में वे ऋण के व्याज एवं मूलधन का मुताबिक करना होगा। इन प्रकार उन ऋण द्वारा एवं और तो अव्ययपूर्ण की योजना के लिए अनुमति होनी चाहिए। वयसम्भव ऋण का बचत कर दिया जाता है और दूसरे ओर अव्ययपूर्ण की बचत का जाय बचत का निष्पत्ति हो जाता है। अतः इन ऋण के अव्ययपूर्ण द्वारा यदि की प्रतिक्रिया प्राप्त हो जायेगी तो अव्ययपूर्ण पर व्यय कर सकता है और अव्ययपूर्ण बचत में अव्ययपूर्ण में प्रतिक्रिया देना ही अव्ययपूर्ण देनी चाहिए। उन ऋण द्वारा अव्ययपूर्ण में वयसम्भव ऋण कर के रूप में अव्ययपूर्ण प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन ऋण में जो कि इन ऋणों का रूप ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा कि अव्ययपूर्ण के लिए अव्ययपूर्ण का जायबन्द किया जाये। उन ऋण निरन्तर अव्ययपूर्ण की वित्त प्राप्त करने का एक अव्ययपूर्ण साधन है और जो वयसम्भव के द्वारा प्राप्त न किया जा सकता है उसे अव्ययपूर्ण प्राप्त किया जाता है। वयसम्भव प्रतिक्रिया-कार्यक्रमों के लिए वयसम्भव करने वाले कार्यक्रमों में कर की अव्ययपूर्ण माना जाता है परन्तु कर द्वारा एवं और तो अव्ययपूर्ण की अव्ययपूर्ण प्रतिक्रिया देनी है और अव्ययपूर्ण और अव्ययपूर्ण में वयसम्भव के प्रति अव्ययपूर्ण नहीं रहती है। वयसम्भव ही अव्ययपूर्ण कर अव्ययपूर्ण अव्ययपूर्ण को निरन्तर में अव्ययपूर्ण करते हैं।

अतः द्वारा प्राप्त राशि का अव्यय देना चाहिए। यदि इनका अव्यय सार्वजनिक के साथ किया जाये और अव्यय-प्रकारणता में कोई वृद्धि न हो जाये तो अव्यय के विकास के लिए एक बहुत बड़े विनिर्देश साधक हो जाते हैं। उन ऋण का अव्यय प्रगतिशील एवं वयसम्भव विनिर्देश में प्रतिक्रिया देना है क्योंकि इन अव्यय-प्रकारणता में वयसम्भव स्वयम्भवात् कुछ सीमा तक बनती रहती है। अव्ययपूर्ण बाधा उपर्युक्त होने पर ऐच्छिक अव्ययपूर्ण की अव्ययपूर्ण ऋण का रूप देना जा सकता है। उक्त प्रकार में अव्ययपूर्ण वयसम्भव योजना वर्ष १९५३-५४ में लागू की गयी थी। वयसम्भव अव्यय-प्रकारणता में अव्ययपूर्ण का कोई अव्यय नहीं होता क्योंकि वयसम्भव वयसम्भव पूर्वी का कोई अव्यय नहीं है। अव्यय-प्रकारणता विनिर्देश में अव्ययपूर्ण अव्ययपूर्ण ऋण के रूप में लिया जाता है।

अव्ययपूर्ण प्राप्त करने का सबसे अव्ययपूर्ण साधन वयसम्भव प्रतिक्रियाओं का निर्गमन अव्ययपूर्ण जाता है। इन प्रतिक्रियाओं की व्याज की दरें तथा वयसम्भव-व्ययपूर्ण देनी होनी चाहिए कि वयसम्भव वयसम्भव इनकी ओर अव्ययपूर्ण है। वयसम्भव प्रतिक्रियाओं के वयसम्भव की मुविधा वयसम्भव वयसम्भव द्वारा किया किया वयसम्भव के वयसम्भव करणा चाहिए। यह प्रतिक्रिया वयसम्भव वयसम्भव एवं वयसम्भव अव्ययपूर्ण वयसम्भव वयसम्भव के लिए वयसम्भव

होनी चाहिए। प्रतिभूतियों का लोपन क्षीघ्र न मांगने हेतु उन पर उपायित होने वाला व्याज समय बढाने के साथ बढता रहना चाहिए। ग्रामीण कृषकों एवं व्यापारियों के लिए ऐसी प्रतिभूतियाँ नियमित की जा सकती हैं जिनको निक्षेप रूप में रखकर कृषि एवं व्यापार के लिए ऋण प्राप्त किये जा सकें। इनसे अल्पकालीन व्ययत विनियोजन हेतु उपलब्ध हो सकेगी। प्रतिभूतियों को आकर्षक विनियोजन बनाये रखने के लिए सरकार को सख्त प्रयत्नशील रहना चाहिए कि मुद्रा स्फीति का दबाव अथव व्यवस्था पर अधिक न हो क्योंकि मुद्रा स्फीति के फलस्वरूप इन प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है और विनियोजक ऐसी प्रतिभूतियाँ ही विनियोजन करना पसंद नहीं करते हैं।

(घा) राजकीय खजाना—राज्य को विभिन्न साधनों से आय प्राप्त होनी है जिनमें से कर, मुख्य राजकीय उपक्रमों का लाभ, अथ दण्ड तथा हीनाय प्रथम प्रमुख आय के साधन हैं। राजकीय खजाने के साधनों में कर एवं धेँढ साधन माना जाता है। कर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अधिक की अथ व्यवस्था पर कोई भार नहीं पड़ता क्योंकि कर द्वारा प्राप्त राशि का लोपन करने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता, परन्तु कर जनसमुदाय के आयाजान करने के प्रोत्साहन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होते हैं दूसरी ओर कर द्वारा अथ व्यवस्था में अधिक समानता उत्पन्न करना सम्भव होता है।

प्रत्यक्ष कर—प्रत्यक्ष कर द्वारा पूँजी के साधनों को प्राप्त करने हेतु सरकार को घनी धनों की अधिक करारोपणक्षमता पर निर्भर रहना है। घनी धन के उन साधनों को जो निम्निय पड़े ह। अथवा जिनका राष्ट्र की दृष्टि से सामग्रिक उपयोग न होता हो, कर के रूप में प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसने लिए अधिक आय सम्पत्ति तथा विलासनाओं पर कर लगाये जा सकते हैं। ऐसे करारोपण की आवश्यकता होती है कि आय, सम्पत्ति तथा विलासनाओं की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होती रहे। इसक लिए आय कर को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जापान जिस तथा भारत में आय कर सरकारी आय का एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण साधन है, परन्तु जय दक्षिण पूर्वी सुदूर पूर्वी तथा अफ्रीकी राष्ट्रों में अथ भी आय कर को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाता है। यद्यपि आय कर आधुनिक समाजवाद की विचार धाराओं के सपना अनुकूल साधन है परन्तु अल्प विकसित राष्ट्रों में प्रथम सामग्री, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से इस कर को पूर्ण महत्व नहीं दिया जाता है।

आय कर का एकत्र करना एक बढित कार्य होता है। इसको प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे संगठन की आवश्यकता होती है जिसमें अधिकारी ईमानदार तथा कर एकत्रीकरण के सौर-सरीको में निपुण हो। अथ विकसित राष्ट्रों में ऐसे संगठन की उपलब्ध लगभग असम्भव है। वारणवश, घनिष्ठ वय, जो कर बचाने की कला में अधिक निपुण होता है कर को कष्टपूर्ण रीतियों द्वारा बचा लेता है और इन कर की

प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। धनी-वर्ग राजकीय नीतियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरूपेण नियंत्रण रखता है तथा अधिकतर राजनीतिक दल जमींदार, उद्योगपति तथा बड़े-बड़े व्यापारियों द्वारा प्रदत्त दानों के कारण ही प्रगति करने हैं। इस कारण अन्य विवक्षित वर्गों की सरकारें आर्थिक विकास हेतु धनिक-वर्ग पर अधिक करारोपण नहीं कर पातीं।

अप्रत्यक्ष कर—दूनरी आर अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं के अथवा विभिन्न उत्पादन, व्यापार निर्गत सामान-कर तथा सामाजिक बीमा आदि के रूप में लगाए जाते हैं। पूँजीवादी राष्ट्रों में अप्रत्यक्ष करों को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि इसके कारण धनिक-वर्ग के पान वचन के माध्यम से उपलब्ध रहते हैं और उनकी अपनी पूँजी के विनियोजन के परिणामस्वरूप अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। निम्नोक्त व्यवस्था और विशेषकर साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था में राजकीय वचन का अधिक महत्व दिया जाता है अतएव वह भार भी अधिक रहता है। साम्यवादी व्यवस्था में भी अप्रत्यक्ष कर को अधिक महत्व दिया जाता है परन्तु इतना उच्च व्यक्तिगत वचन को उचित अवसर प्रदान करना नहीं होता है अतएव इनके कारण अथवा, साम्यवादी तथा उत्तर-दायित्व का उचित प्रतिफल प्रदान किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष करों द्वारा अति-बाध वचन का प्राप्तादन मिलता है और कर राशि के समतुल्य उपभाग में श्रद्धालु हो जाती है। जो भी अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं पर लगाया जाता है वह वस्तुओं के निर्यात-मूल्य में कुछ जाता है और उपभाग की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है।

अन्य कर—दुपय-वर्ग की बढ़ती हुई आय में से कर भाग लेना आवश्यक होता है। इस हेतु भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्तियों पर करारोपण किया जा सकता है। इस कर में भी समागत वृद्धि होनी चाहिए और इसके द्वारा श्रद्धालु श्रेणियों की वचन, जो अधिकतर अनुत्पादक मर्कों पर व्यय की जाती है राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकती है परन्तु श्रद्धालु श्रेणियों में कर इस प्रकार लगाए जायें कि श्रद्धालु जीवन-स्तर पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े उनकी आय के परिवर्तन के साथ कर में आपस्यक समापोवन नियम जा सकें तथा कर का जमींदार आदि किसी अन्य वर्ग को हस्तान्तरित न कर सकें।

हस्त-कर, सम्पत्ति-कर (Be'it'ement Tax) पूँजीदान-कर (Capital Profit Tax) तथा उपमाध्य विस्तार सुधार न की बची भूमि पर कर प्राप्ति हेतु कर है, जिनका शोध हितार्थ लगाया जाता है। इसके साथ भूमि लागत में वृद्धि भी की जा सकती है, जो अधिक समय पूर्व निर्दिष्ट किए गये होते हैं, परन्तु इन्हें धनिक-वर्ग पर, जिनमें राष्ट्र की अधिकतर जनसंख्या सम्मिलित या सम्बद्ध है करारोपण करते समय आर्थिक विचारधारकों को ही ध्यान में न रखना जाय, अतएव राजनीतिक दल भाष्यों को भी विचारधीन करना होगा। जब तक शासन के हाथ इतने मुफ्त न हों कि वह जनसाधारण के विरोध का सामना कर सकें और उनके नियोजन के प्रति योग्यता प्राप्त कर सकें, तब तक इस प्रकार के कर अनायास्य एव प्रभावहीन रहेंगे।

ऐसे राष्ट्र मे जो समाजवाद के प्रति अग्रसर है प्रत्यक्ष कर को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि यह केवल अथ प्राप्ति के ही साधन नहीं होते अपितु आर्थिक विपन्नता कम करने मे भी सहायक होते है। प्रत्यक्ष कर वास्तुन वर्गों पर लगाना सम्भव होता है और इसका प्रशासन मित-व्ययतापूर्ण होता है। इसके सम्भव म ठीक ठीक अनुमान लगाय जा सकने हैं और इसम कमी या वृद्धि करना सम्भव होता है। प्रत्यक्ष करो को कर दाता किसा अथ व्यक्ति पर चालित (Shift) नहीं कर सकता। इसके साथ ही कर दाता मे वेश और य जना के प्रति अपने योगदान का आभास रहता है और वह सरकार की नातिया का आनाचनात्मक अध्ययन करता है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर के द्वारा सरकार प्रत्यक्ष व्यक्ति से कर वसूल करती है और इसलिए इनका प्रशामन व्यय अधिक होता है। कर दाता का कर का भार जात नहीं होता परन्तु ऐसे कर का चालित करना सम्भव होता है और इसका अन्तिम भार उपभोक्ता का ही उठाना पडता है।

आर्थिक विकास के कार्यक्रमो के लिए करा द्वारा अर्थिक से अधिक साधन प्राप्त किए जात चाहिए परन्तु करारोपण की कुछ मांमाए भी हैं जिनम म जन साधारण की आय एवं जीवन स्तर क अनुसार कर दयक्षमता सरकार की राजनीतिक सुदृढता तथा प्रशासनिक व्यवस्था की कुशलता प्रमुख है। करो द्वारा वर्तमान उपभोग को कम करके भविष्य के उपभोग का बढ़ाने के साधन जुगये जात है।

शुल्क (Fees)—सरकार द्वारा साधारणतः ऐसे कार्यक्रमो का संचालन किया जाता है जिनसे समस्त जनसमुदायो को लाभ हो परन्तु सरकार के कुछ कार्य ऐस भा है जिनमे कुछ विनियेय व्यक्तियो को भी लाभ होता है और इस विनियेय सुविधा का उपयोग करने क लिए उनसे शुल्क (Fees) लिया जाता है।

शासकीय उद्योगों के लाभ—शासकीय उद्योगो के लाभ को प्राय वस्तुओं और सेवाओं के गुणा म वृद्धि करने तथा उनके मूल्य घटाने म उपयोग किया जाता है परन्तु नियोजित अथ-व्यवस्था म इन लाभो को आर्थिक विकास के कार्यक्रमो मे विनियोजित किया जा सकता है। अल्प विकसित राष्ट्रा म शासकीय क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है तथा इसके द्वारा केवल आवश्यक सेवाओ अथवा वस्तुओ का उत्पादन तथा निर्यात किया जाता है। शासकीय उद्योगो के लाभ म जन हिताथ वृद्धि करने क लिए आवश्यक सेवाओ तथा वस्तुओ के मूल्य म वृद्धि करना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार की वृद्धि से उपभोग म अनिवार्यरूपेण कटौती होती है। प्रजातांत्रिक अल्प विकसित समाज म इस प्रकार की नायबाही करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है क्योंकि जनसाधारण जिसका जीवन-स्तर पूव से ही निम्नतम एवं न्यूनतम है उपभोग की ओर अधिक कटौती को सहन क योग्य नहीं होता है। फलस्वरूप उत्कट विराधा भावनाए जाग्रत हानो हैं जो दीर्घ काल म तो हानिप्रद होती ही हैं।

वर एवं वचत की तुलनात्मक श्रेष्ठता

ऐच्छिक वचन एवं वर में से विस को विकास के लिए वित्त प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन माना जाय—इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि इन साधनों में से, जिसमें से विनियोजन वृद्धि बिना मुद्रा प्रसार की जा सकती है, उस ही श्रेष्ठ वित्त साधन माना जाना चाहिए। करारोपण द्वारा या तो जनसमुदाय की वचन को कम कर दिया जाता है या फिर उनके वर्तमान उपभोग में कमी आती है। यदि वर वचत की जगह वासी राशि में से दिये जायें तो विकास वित्त में वर के द्वारा कोई वृद्धि नहीं होती है, यन्कि वचन का रूप वर में परिवर्तित हो जाता है और जनसमुदाय अपने आपको अधिक निर्धन समझने लगता है। दूसरी ओर वचत से जनसमुदाय की तरफ सम्पत्तियों में वृद्धि होती है और सम्पन्नता की भावना जाग्रत होना है। यान्त्रिक म, कर एक विवशतापूर्ण वचत का रूप ग्रहण करता है जिसके फलस्वरूप जनसमुदाय की व्यय करने की क्षमता में कमी आती है। दूसरी ओर वचत ऐच्छिक हानि के कारण व्यय करने की क्षमता में इतना ही कम करती है कि जनसमुदाय का जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव न पड़े। साधारणतः उच्च आय वाले वर्ग वचत करते हैं और निम्न आय वाले वर्ग अपनी आय का सम्पूर्ण भाग व्यय कर देते हैं। इस प्रकार यदि मुद्रा-स्फीति के बिना ही विकास के लिए वित्त प्राप्त करना हो तो निम्न आय वाले वर्ग से वचत एवं वर प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि जिसका भाग इनकी आय से वर एवं वचत के रूप में ले लिया जाता है, उस सीमा तक उपभोग की वस्तुओं की मांग कम रहती है और मूल्यों में वृद्धि नहीं हो पाती है।

करारोपण एवं मुद्रा-स्फीति का बनाव—विकास वित्त प्राप्त करने हेतु जो करारोपण किया जाता है, इसके सम्बन्ध में निम्न बातों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है—(१) करारोपण द्वारा मुद्रा प्रसार के बनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (२) करारोपण अधिक उत्पादन एवं आयोजन में प्रयत्नों का प्रासाहित करता है या नहीं तथा () करारोपण से आय के समान वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ? वर की मात्रा में वृद्धि द्वारा उत्पन्न कर ग्राहक करने की क्रिया से मुद्रा-स्फीति का बनाव नहीं बढ़ता है। वर-संग्रह की क्रिया एक उसके द्वारा प्राप्त वित्त के व्यय करने की विधियों में व्यय व्यवस्था के मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ता है। वर में प्राप्त हानि वासी आय सरकार द्वारा विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों पर व्यय की जाती है जिसके फलस्वरूप जनसमुदाय के निम्न आय वाले वर्ग की आय में वृद्धि होती है और यह आय की वृद्धि उपभोग पर ही व्यय की जाती है क्योंकि इस वर्ग में उपभोगक्षमता (Propensity to Consume) अधिक होती है। दूसरी ओर, वर में वृद्धि करने से उत्पादन में अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ा देते हैं—जिसके फलस्वरूप प्रारम्भिक अवस्था में वस्तुओं की मांग कम हो जाने के कारण उत्पादन भी कम हो जाता है। इस प्रकार एवं और व्यय करने वाले वर्ग के हाथ में अधिक मौद्रिक आय होती है और

दूसरा ओर, उत्पादन म पर्याप्त वृद्धि नहीं नी जाती है । यह दोना घटक अथ-व्यवस्था म मूल्य स्तर ऊचा रखन म सहायक होन हैं ।

विकास सम्बन्धी वित्त के लिए जो अतिरिक्त करारोपण किया जाता है वह प्रायः उस समुदाय से प्राप्त किया जाता है जो अधिक आय वाला वर्ग है और जो धन की बचत करता है । दूसरी ओर सरकार अतिरिक्त कर म प्राप्त धन का या तो निधन वर्ग को आवश्यक संघाएँ उपलब्ध कराने या फिर ऐसी आर्थिक क्रियाओं पर व्यय करती है जिनके द्वारा राजस्वार्क अक्सर भी वृद्धि होती है और निधन वर्ग के लोभा का भूति एवं वेतन के रूप म अधिक आय प्राप्त होती है । इस प्रकार अनिरीक्त करारोपण आय का स्थानान्तरण बचत करने वाले समुदाय से व्यय करने वाले समुदाय को करता है जिसके फलस्वरूप मुद्रा स्फीति का खतरा दूर जाता है । यदि कर म प्राप्त वित्त का व्यय इस प्रकार किया जाय कि आय का पुनर्वितरण न हो तो साधारणतः अतिरिक्त करारोपण मुद्रा स्फीति के खतरा का कम करने म सहायक हो सकता है । अनिरीक्त करारोपण के फलस्वरूप अथ-व्यवस्था म मुद्रा के प्रवाह म कमी होता है और अल्प मात्रा म वस्तुओं एवं सेवाओं का पूर्ण म तदनुसार कमी करना सम्भव नहीं होता है । ऐसी परिस्थिति म अथ-व्यवस्था मुद्रा के प्रवाह की कमी की पूर्ति बच माध्यम द्वारा करने का प्रयत्न करती है और यदि मौद्रिक नियन्त्रण द्वारा साधन के विस्तार को घटाने से रोक दिया जाय तो मूल्य म वृद्धि नहीं हो पाती है । इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अनिरीक्त करारोपण के द्वारा मुद्रा स्फीति के खतरा को रोकने हेतु मौद्रिक नियन्त्रण का उचित उपयोग करना चाहिए परन्तु जब अतिरिक्त करारोपण द्वारा उत्पादन क्रियाएँ एवं जातिम लेने के प्रयास हताशरहित हाने हैं तो मुद्रा के प्रवाह की कमी के वही अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ण म कमी हो जाता है । यदि पूर्ति की कमी के फलस्वरूप बेरोजगारी म वृद्धि नहीं होती है तो उपयुक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत अनिरीक्त करारोपण मुद्रा स्फीति के खतरा का खतरे म सहायक होता है परन्तु पूर्ण म कमी होने से प्रायः बेरोजगारी म वृद्धि हो जाती है जिसके फलस्वरूप अर्थ-व्यवस्था म पूर्ण के अनुसार माँग म भी कमी हो जाती है और मुद्रा-स्फीति का खतरे बढन नहीं पाता है ।

(१) अतिरिक्त करारोपण का निजी विनियोजन पर प्रभाव

जब नाम पर अतिरिक्त करारोपण किया जाता है तो स्थिर अथ-व्यवस्था म साक्षरियों द्वारा पूजा विनियोजन करने का प्रोत्साहन कम हो जाता है और अतः उत्पादन भी कम हान लगता है और उपभोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं म इनका अधिक कमी हो जाती है कि कर द्वारा उत्पादन की मध्य मुद्रा के प्रवाह की कमी का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है और अथ-व्यवस्था म मूल्य-स्तर बढन लगता है परन्तु एक विकासमान अथ-व्यवस्था म परिस्थितियाँ कुछ भिन्न होती हैं । विकासशील अथ-व्यवस्था म अनिरीक्त कर से प्राप्त वित्त का सरकार विनियोजित

गर्जों है जिसके फलस्वरूप पूँजीगत एवं उत्पादन-वस्तुओं के उत्पादन में दीर्घ काल में वृद्धि होगी है। इस प्रकार मान पर जतिरहित उत्पादन द्वारा विनिर्माण निजी क्षेत्र से दृष्टर सरकारों क्षेत्र में जाता है और उद्योग-वस्तुओं के उद्योगों के उत्पादन पर पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन करने हेतु विनिर्माण किया जाता है। इस प्रकार के मानों विनिर्माण के रूप में मान, या यंत्रों की वृद्धि एवं वेतन के रूप में दिया जाता है या जाकायतित (Covered) करने के लिए उद्योग-वस्तुओं के उत्पादन में पचास वृद्धि नहीं जाती है और इस प्रकार वृद्धि की वृद्धि का योगदान निम्नता है पन्नु कर से प्राप्त किए जा सकें हुए ही मान इस प्रकार वृद्धि एवं वेतन के रूप में दिया जाय तब जतिरहित का द्वारा उद्योग मुद्रा के प्रवाह की कमी के फलस्वरूप मुद्रा का की कमी जतिरहित एवं वेतन की माम में उद्योग मुद्रा का की वृद्धि से नहीं प्रविष्ट रहने है और इस प्रकार मुद्रा-संश्लेषण का दबाव मुद्रा संतुलन तक घट जाता है।

(८) जतिरहित कारोपण का प्रोत्साहन एवं प्रभाव

कर एवं मौद्रिक नीति निर्धारित करने समय विनिर्माण-प्रविष्टियों का केंद्रन मूल्य-स्तर पर मान वाले प्रभावों पर ही विचार नहीं करना होगा जतिरहित प्रोत्साहनों कापनों के उद्योग तथा मान के विवरण पर पहले वाले प्रभावों पर ही विचार करना होता है। साधारण जतिरहित करारण करने वाले प्रभाव जोखिम से के प्रोत्साहन की कम करता है और विनिर्माण-प्रविष्टियों इस बात का प्रयत्न करना है कि इस प्रकार कर प्रणाली की बदलाव कि एक या मुद्रा एवं साख प्रवाह का दबाव न बढ़े और दूसरी तरफ अतिरिक्त आय करने आयाती एवं उद्योग-वस्तु निर्माण से के द्वारा अधिक उत्पादन करने तथा उच्च काम वाले लोगों की वेतन तथा विनिर्माण करने के लिए उत्साहित न होना पड़े। प्रोत्साहन का बदलाव करने के लिए मानों द्वारा वृद्धि उद्योग-वस्तुओं के उत्पादनों एवं यंत्रों की विनिर्माण सुविधा प्रदान की जाती है। इन सुविधाओं में उद्योग-वस्तु एवं वृद्धि की साख सम्बन्धी सुविधाएँ और यंत्रों की सामाजिक सुरक्षा का आयोजन किया जाता है। इन सभी सुविधाओं का आयोजन मूल्य-स्तर को केंद्रा करने में सहायक होता है और विनिर्माण-प्रविष्टियों का यह बलव्य होता है कि यह कारोपण एवं साख-सुविधाओं में इस प्रकार व्यवस्थापित की मुद्रा-संश्लेषण दबाव के रोकने के साथ प्रोत्साहन की जापाय न होवे। इसके जतिरहित का नीति निर्धारित करने समय यह भी विचार किया जाना चाहिए कि उत्पादन-साधनों का उपयोग बाँटित क्षेत्रों में होता है जो इसके फलस्वरूप साधनों द्वारा स्थानान्तरण (Shifting) जतिरहित क्षेत्रों में न दिया जाय।

प्रोत्साहन-सम्बन्धी कारोपण के रूप

प्रोत्साहन-सम्बन्धी कारोपण के माध्यम से प्राप्त हुए उद्योग हैं—

(१) वृद्धि में सामान्य करने—वृद्धि की वृद्धि में सामान्य करने वाले वृद्धि

उत्पादन को प्रा साहित करने की विधि को विकासशाब अथ व्यवस्था में उपयुक्त नहीं समझा जाता है क्योंकि इसक द्वारा एव और सरकार को विकास वित्त कम प्राप्त होता है और दूसरी ओर कर से बची हुई राशि का उपयोग उपभोग-व्यय पर किया जाने लगता है और वस्तुओं का उत्पादन उपभोग व्यवृद्धि के अनुकूल नहीं हो पाता है जिससे मुदा स्फीति का दबाव बढ़ जाना है। इसी कारण कर की दर म सामान्य काम के स्तर पर चुनी हुई छूटों का अधिक महत्व लिया जाता है।

(२) बुने हुए विनिष्पन्न करों मे कमी—इस विधि का उपयोग नवीन विनि योजन पर उदात्त होने वाली आय का सन्तुलित करने म लिए किया जाता है। ऐसे उद्योग जिनक उत्पादन का मात्र एव उत्पादन म उच्चावचन अत्यधिक होते है उनके लाभ पर कर कुछ वर्षों के औसत लाभ के आधार पर लिया जा सकता है। यह प्रारम्भिक विधि सजिज निकाला सजिज उल आदि उद्योग के लिए अधिक उपयुक्त है।

(३) नवीन विनियोजन को कर से मुक्ति—नवीन विनियोजन की अधिक जातिमपूर्ण होने क कारण कर से कुछ वर्षों के लिए मुक्त रखा जाना है। कुछ उद्योग क लिए सामान्य से अधिक उत्पादन करने पर कर की दर कम कर दी जाती है जिससे यह उद्योग नवीन तांत्रिकताओं का उपयोग करके उत्पादन मे वृद्धि कर सकें परन्तु इस विधि के लिए यह अत्यावश्यक है कि नवान विनियोजन की परिभाषा में ऐम हा उद्योग सम्मिलित किये जाय जिनम (अ) बिना कर की मुक्ति के विनियोजन किया जाना सम्भावित न हो (आ) जिनम जातिम अधिक हो तथा (इ) जो अपने जीवन म प्रारम्भिक काल मे पर्याप्त लाभोपाजन नहीं कर सकते हैं। ऐसे उद्योग जो अपने प्रारम्भिक काल म बिल्कुल लाभोपाजन नहीं करते है उन्हें कर से मुक्त करना यथ ही है क्योंकि लाभ न होने पर उन पर करारोपण किया हा नहीं जाता।

विनियोजन का समय एव प्रकार नियन्त्रित करने के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। नियोजन अधिकारी जिन उद्योगों का स्थापना एव विस्तार को अधिक महत्व देता है उनके सम्प्रादि पर कर की गणना क लिए अधिक ह्रास स्वीकृत किया जा सकता है। यह विधि गतिकाल को अथ व्यवस्था की सुरक्षा सम्बन्धा अथ व्यवस्था म परिवर्तन करने के लिए भी उपयोग की जाती है। दूसरी ओर विनियोजन का समय नियन्त्रित करने हेतु समामेलित मस्याओं एव सहकारी मस्याओं को अपने लाभ मे कुछ मात्र के विशेष सचिक्ति के रूप म रखने पर उतने भाग पर कर से छूट दा जा सकती है। इन सचिक्तियों के विनियोजन क प्रकार एव समय को सरकार नियन्त्रित करती है। इस प्रकार कर की छूट द्वारा विनियोजन के समय एव प्रकार को नियन्त्रित किया जा सकता है।

(४) ऐसा करारोपण जिससे बचने के लिए जनसमुदाय को बाधित काय करना

पटे—इस प्रकार के कर प्रायः दण्ड का रूप ग्रहण करते हैं। उत्पादकरणाई, घन एवं वस्तुओं के निश्चित भाग से अधिक मशहूर करने पर करारोपण किया जा सकता है। इसी प्रकार सम्पत्तियों पर उनकी तरलता एवं जातिम के आधार पर करारोपण किया जा सकता है। राकट गैस कच्चे माल एवं उपयाम न किए जान वाली भूमि पर कर की दर ऊंची रखी जा सकती है जबकि उत्पादक-सम्पत्तियों पर कर की दरें अत्यन्त कम रखी जा सकती हैं। इस प्रकार बचत का उत्पादक विनियोजन की ओर ध्यानित किया जा सकता है।

(क) प्रोत्साहन कर जिनके द्वारा करदाता को उत्पादन बढ़ाने के लिए विवश किया जाता है—यह कर प्रायः प्रति व्यक्ति अथवा एक मुक्त राशि कर (Lump sum Tax) के रूप में लगाया जा सकता है और इनमें उत्पादन के घटन अथवा घटने पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। वृषि-नेत्र में यह कर प्रायः प्रति एकड़ भूमि पर लगाया जाता है। करों के भार का बहुत बहन हनु करदान का अपन उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ती है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भर रखा जाता है जबकि विकसित राष्ट्र प्रत्यक्ष करों का अधिक महत्व देते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि कर से प्राप्त होने वाली आय में प्रत्यक्ष करों की दर में वृद्धि द्वारा पर्याप्त वृद्धि करना सम्भव नहीं होता है क्योंकि अधिक आय एक सम्पत्ति वाला बग बहुत ही छोटा होता है।

(ख) मुद्रा प्रसार द्वारा प्राप्त बचत (घाटे का अल्प-प्रबन्धन) (Deficit Finance) —कर तथा बचत द्वारा पर्याप्त साधन प्राप्त न होने की दशा में अल्प विकसित राष्ट्रों की सरकारें 'घाटे की अल्प-व्यवस्था' (Deficit Financing) द्वारा पूँजी साधनों में वृद्धि कर सकती है। प्रायः घाटे की अल्प-व्यवस्था का उपयोग मुद्रा के लिए आर्थिक साधन जुटान तथा मन्दाकाल (Depression) में आसानीय व्यय में वृद्धि करने के उद्देश्य के लिये किया जाता था। आधुनिक युग में इस व्यवस्था का उपयोग राष्ट्रों के आर्थिक विकास हेतु भी किया जाने लगा है। जहाँ पहले संकेत किया गया है, अल्प विकसित राष्ट्रों में ऐच्छिक बचत में पर्याप्त वृद्धि करना सम्भव नहीं होता क्योंकि जनसाधारण की प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त कम होती है तथा स्वभाव रूढ़िवादी हात है। दूसरी ओर पूँजी की कमी को विदेशी सहायता द्वारा पूरा किया जा सकता है किन्तु विदेशी पूँजी के साथ अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिबन्ध हात हैं, जिनके कारण उसका उपयोग अल्प समय तक नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में राज्य मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से साधनों का प्रयत्न करता है और पूँजी के निर्माण में उपयोग करता है। इस प्रकार एक ओर, अल्प व्यवस्था में मुद्रा के प्रदाय (Supply) में वृद्धि होती है तथा दूसरी ओर, उपयोग के लिए प्राप्त वस्तुओं के उत्पादनार्थ प्राप्त साधनों का पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में सम्मिलित किया जाता है। अल्पव्यवस्था उपयोगिता वस्तुओं की अल्प-व्यवस्था में कमी हो जाती है। अधिक उपलब्ध साधनों की विकास सम्बन्धी कार्यों में उपयोग

किये जान से लोगों की सामान्य आय म वृद्धि हाती है और उनके द्वारा वस्तुओं की मांग अधिक की जाती है। इस प्रकार वस्तुओं क मूल्य म वृद्धि होने से जनसाधारण अल्प मात्रा म उपभोग कर पाता है। परिणामस्वरूप, उनकी एक विपक्षनापूण बचत करने का बाध्य होना पड़ता है। प्रजातांत्रिक राष्ट्र म जहाँ के अधिवासी ऐच्छिक बचन तथा अधिम कर भार सहन करने का तत्पर नहीं होने हैं वहाँ इस प्रकार विपक्षनापूण बचत कराना जन हित एवं आर्थिक विकास हेतु अत्यावश्यक है। अधिमायववादी व्यवस्था म भी योजना के अमितापी 'नामप्रम' की पूर्ण मे घाटे का अथ प्रबंधन किया जाता है। घाटे के अथ प्रबंधन का विस्तृत अध्ययन एवं प्रयत्न अध्याय म किया गया है।

साधारण शब्दों म यह कहा जा सकता है कि विकास अथवा घाटे क अर्थ-प्रबंधन द्वारा किया जाता है एवं अस्थायी रूप से उस अवधि म जो अनिश्चित आय की पुष्टि करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं क उत्पादन म वृद्धि करने म उपयोग किया जाता है, मूल्यों मे वृद्धि का कारण हाता है। यदि विकास-अथवा के अधिनतर भाग क लिए सरकार उत्तरदायी हो तथा वह विकास कार्यक्रमों को बजट के साधना को दृष्टिगत क करता हुए प्रभावशाली एवं वायशाली युक्तियाँ एवं विधियों से संचालित करती है यदि वह निजी विनियोजन को नियंत्रित करके निजी पूजा को अविश्वसनीय उलाहना से रोक कर राष्ट्रीय विकास नामों म विनियोग करती है यदि वह मूल्यों की उच्चतम सीमा निर्दिष्ट करती है यदि वह आवश्यक वस्तुओं आदि के वितरण का प्रबंध करके मूल्य वृद्धि को रोकती है यदि वह आयों की मात्रा तथा प्रकार पर नियंत्रण कर सकती है, यदि उसके द्वारा विकास काय बुद्ध की आवश्यक परिस्थितियों क समान संचालित किया जाता है सभी घाटे क अथ प्रबंधन का उपयोग आर्थिक विकास म ग्राहनीय धातुनीय एवं सहायक सिद्ध होया। दूसरे शब्दों म यह कहा जा सकता है कि घाटे का अथ प्रबंधन अनुभवी एवं निपुण तथा वायकुशल हाथों म विकास पथ पर अग्रसर राष्ट्र हस्तु करदान सिद्ध हागा अथवा विकास की चरम सीमा पर पहुँके राष्ट्र की अथ व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सजने की क्षमता याता अभिगाप भी हा सकता है।

बजट के साधनों की पारस्परिक तुलना—वर शुभ जन श्रेण और व्यापक दृष्टिकोण से घाटे का अथ प्रबंधन बजट के साधन समझे जान है। इन साधनों की पारस्परिक तुलना करी कर ज्ञात होता है कि कर एवं शुल्कों की अथ प्रबंधन के साधनों म सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए परन्तु निधन राष्ट्रों मे जन साधारण की निधनता क कारण कर बुद्ध सीमा तक भी बढ़ाये जाते हैं। करारोपण से एवं ओर अर्थ साधन उपलब्ध होने है और दूसरी ओर, आर्थिक विपक्षताओं का कम करने म सहायता मिलती है। यह दोनों वाय अथ विधियों अथ प्रबंधन की व्यवस्था क प्रभावशालिता क साथ सम्पन्न नहीं किये जाते। जन श्रेण द्वारा मेहनत वनमान मे ही जन समुदाय की बचत को विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है परन्तु जन श्रेण की शक्ति

पर अधिकार अन्तिम रूप से विनियोजकों का ही अन्त है जो इस प्रकार आर्थिक विपणनकों को बच करने में प्रथम रूप से आई महासत्ता नहीं मिलती। घाटे के अर्थ-प्रवर्धन द्वारा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हानि का कारण मुद्राओं में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप समस्त जनसमुदाय का अपनी आप व प्रतिष्ठा में हानि अनुभव प्राप्त होती है अर्थात् मुद्राओं की वृद्धि की संज्ञा तब उन्हें अतिव्यय रूप से व्यय का अर्थ होता है। इस प्रकार घाट का जय-प्रवर्धन अर्थ-प्रवर्धन का रूप धारण कर लेता है और इसका कारण निषेध व हानी दोनों ही चीजें पर लागू हैं, वस्तु निर्माण-की एक निश्चित मात्रा बचाने का जो अधिकार अन्तिम है। इस प्रकार घाटे के अर्थ-प्रवर्धन से अर्थ-साधन का उपलब्ध हो जाते हैं परन्तु आर्थिक विपणन का अर्थ नहीं है और मुद्रा-स्थिति का अर्थ बना रहता है। जन-रूप के अन्तर्गत सरकार निर्देश-परिष्कारण का प्रतिस्थानन उपायों रूप से जाती है जबकि घाटे के अर्थ-प्रवर्धन में भी इसी विधि का अनुसरण होता है परन्तु मुद्रा-स्थिति का अर्थ के साथ अन्तर्गत रूप से स्पष्ट है कि घाट के जय-प्रवर्धन का उन्मूलन सीमित मात्रा में अर्थ-साधनों से पर्याप्त अर्थ-प्रवर्धन प्राप्त होने पर ही किया जाना चाहिए।

(ई) विदेशी मुद्रा की बचत—अन्तर्विकसित राष्ट्रों के विकास के लिए पूँजीगत वस्तुओं का आयात अत्याधिक महत्वपूर्ण होता है। पूँजीगत वस्तु उत्पादन वस्तुओं के अभाव में जिनकी अल्प विकसित राष्ट्रों में निर्मित नहीं किया जाता आर्थिक विकास के बिना ही आयात का सफल अनुभव सम्भव नहीं। अब तक ऐसा एक अन्तर्विकसित राष्ट्र निर्धारित। यद्यपि एक बचत-साधन आदि उद्योगों की प्राप्ति नहीं की जाती औद्योगिकरण बिना जाना असम्भव है। इस सभी प्रमुख आयात-रूप उद्योगों के लिए आयात-रूप पूँजीगत वस्तुओं के आयात का प्रवर्धन विदेशों से किया जाना अतिव्यय है। अल्प विकसित राष्ट्रों में प्रायः कच्चे माल तथा हथियार-उद्योग का निर्माण तथा निर्मित उद्योगों तथा अन्य वस्तुओं का आयात किया जाता है। यही अल्प-विकसित राष्ट्रों की सबसे बड़ी आर्थिक दुर्बलता होती है जिसका सामाजिक-साथी राष्ट्र निर्माण का उद्योग है तथा अल्प-विकसित राष्ट्रों के विकास-कार्यों को विकसित करने हेतु अल्प-प्रवर्धन-योग्य रहते हैं। यदि विदेशी व्यापार में अनुकूल परिस्थितियाँ हों तो प्राथमिक वस्तुओं (Primary Goods) के निर्यात-आधिकार द्वारा पूँजी-निर्माण सम्भव है क्योंकि इसके विदेशी पूँजी की प्राप्ति होती है। यदि सरकार अपनी वित्त-नीति (Fiscal Policy) द्वारा आवश्यक नियंत्रण रखे तो यह आर्थिक उद्योग-वस्तुओं के आयात पर अल्प नहीं किया जाता परन्तु इस प्रकार के आर्थिक से पूँजी-निर्माण अल्प-विकसित-रहता है क्योंकि यदि प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात लाभदायक होता है तो लोग अपने साधनों को माध्यमिक व्यवसायों (Secondary Industries) अर्थात् उद्योगों में विनियोजित नहीं करते और अनुकूल विदेशी व्यापार की दशा में भी देश का औद्योगिक-करण सम्भव नहीं होता।

विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की विधियाँ

विकास के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित पाँच विधियाँ म प्राप्त की जा सकती है—

- (१) विदेशी वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात पर नियंत्रण ,
- (२) निर्यात म वृद्धि ,
- (३) विदेशी निजी विनियोजन
- (४) विदेशी ऋण एवं सहायता
- (५) विदेशी-यवस्थाओं का अपहरण (Confiscation of Foreign Enterprises) ।

राज्य नीति एवं विदेशी व्यापार—प्रत्येक परिस्थिति म यह आवश्यक होना है कि जलप विद्यमान राष्ट्र की सरकार को तटकर नीति द्वारा विदेशी व्यापार से अर्जित विदेशी मुद्रा का नियोजित अथ-व्यवस्था की आवश्यकतानुसार उपयोग प्रतिबंधित करना चाहिए। नियोजित अथ-व्यवस्था म विदेशी व्यापार पर नियंत्रण करना सरकार के लिए आवश्यक है। आयात के नियंत्रणार्थ प्रत्येक (Tariffs) कोटा निश्चित करना, अनुमति पत्र (Licence) निगमित (Issue) करना विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण रखना मुद्रा प्रबंधन करना राज्य द्वारा आयात पर एकाधिकार (Monopoly) प्राप्त करना आदि शासन उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। प्रत्येक अथ-यवस्था म राजकीय आय म वृद्धि हो तथा अथ-यवस्था म विदेशी वस्तुओं के आयात अवरोध हेतु सहाय्य जाते हैं। प्रत्येक अथ-यवस्था म उन वस्तुओं पर ऊँची होने की जिनका उत्पादन राष्ट्र म हो सकता है तथा प्रारम्भिक अवस्था म विदेशी स्पर्धा हानिकारक होती हो, परन्तु प्रत्येक का प्रभाव बड़ी सीमा तक नष्ट हो जाता है यदि राष्ट्रीय उत्पादन अधिक मूल्य पर विदेशी वस्तुओं का विक्रय करते हैं अथवा निर्माण पर उत्पादन कर (Excise Duty) आरोपित किया जाता है। कोटा निश्चित करने के उद्देश्य होते हैं—प्रथम किसी विदेशी वस्तु की समस्त आयात की मात्रा का सीमित करना तथा द्वितीय इस आयात की मात्रा को विभिन्न निर्यातक राष्ट्रों म वितरित करना। अनुमतिपत्र निगमन म शासन अपने किसी अधिकारी को आयात करने की आवश्यकताओं की छानबीन करने तथा निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत अनुमतिपत्र निगमित करने हेतु नियुक्त कर देता है। इस विधि द्वारा विदेशी मुद्रा की राशानिग योजना भी कार्यान्वित की जाती है। विदेशी मुद्रा के उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए प्रायः केन्द्रीय बैंक को अधिकार दिया जाता है कि समस्त विदेशी व्यवहारों का वाधन (Payment) इसके द्वारा होना चाहिए। यदाकदा और प्रायः साम्यवादी राष्ट्रों जैसे स्वतंत्र म एक शासकीय अधिकारी अथ-यवस्था म नियुक्त की जाती है जो समस्त विदेशी व्यापार का स्वयं दण की आवश्यकतानुसार करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह अधिकारी एक पूरा विभाग अथ-यवस्था म सहायरी सत्वा भी हो सकती है। इस अधिकारी के अधिकार विदेशी व्यापार

क साध-साध स्वामी उत्पादन अथ विप्रेय के नियन्त्रण तक विस्तृत होने चाहिए, जिन्हे वह राष्ट्रीय उत्पादन तथा माँग की मात्रा के आधार पर आयात की मात्रा का नियंत्रण कर सके ।

(१) राजकीय आयात नीतियाँ एवं विदेशी अथ साधन—उत्पुक्त आयात-नियंत्रण का विधियाँ पूँजी निमाग में निम्नलिखितरूपण सहायक होती है—

(अ) प्रमुख तथा अनुत्पादन-नियंत्रण द्वारा सरकार का अधिक आन प्राप्त होती है जिसका पूँजीगत वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

(आ) आयात नियंत्रण द्वारा दो प्रकार के उद्योगों का विकास सम्भव किया जाता है—नवीन उद्योग और रसायन-सम्बन्धी तथा आधारभूत उद्योग । इन उद्योगों का संरक्षण प्राप्त शान पर इनमें विनिर्माणित पूँजी कम जमाकरनी होती है । सुरक्षा के कारण विनियोजक को प्राप्ताहन मिलता है तथा उद्योगों का आन आवर्धित होता है । इनके साथ ही, संरक्षित उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मुख्य प्रमुख सामान आन के कारण अथवा न्यून-पूर्ति के कारण अधिक होता है तथा प्राथमिक अवस्था में स्वामी उत्पादन की अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा के अभाव में अपनी वस्तुओं का विप्रेय अधिक मुख्य पर रहता है । इस प्रकार इन वस्तुओं का अधिक मुख्य आन के कारण इनका उपयोग कम होता है और साथ अपने आचरणों को अन्य कामों में लाते हैं अथवा बचत के रूप में रहते हैं । दूसरी ओर, संरक्षित उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है एवं अधिकों तथा साहसी की आन में वृद्धि होती है । यह आप-वृद्धि अर्थिक उपयोग अथवा अधिक अथवा का रूप प्रहण करती है । अधिक उपयोग की दोष बाल में अधिक विनिर्माण का कारण बन जाता है ।

(इ) जब सरल पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों का प्रदान किया जाता है तो थोड़ी ही समय में पूँजीगत वस्तुएं अधिक मात्रा में कम मुख्य पर उपलब्ध होती हैं । परिणामस्वरूप, औद्योगिक दबावों में वृद्धि तथा नवीन उद्योगों की स्थापना होती है । इस प्रकार जिस उचित पूँजी का विनियोजन पूँजीगत वस्तुओं की अनुसंधान में अनी तक सम्भव नहीं होता था वह भी औद्योगिक होकर पूँजी निमाग का एक अयत्न महत्वपूर्ण अर्थ बन जाता है ।

(ई) आयात की मात्रा सीमित करने से विदेशी व्यापार का अनुकूल पैर (Favourable Balance of Trade) हो जाता है । इस प्रकार अधिक विदेशी मुद्रा का उद्योग पूँजीगत वस्तुओं के आयात हेतु किया जा सकता है ।

(उ) आयात नियंत्रण द्वारा अनावश्यक वित्तवित्त तथा उपयोग की वस्तुओं के आयात को सीमित किया जाता है । इनके स्थान पर पूँजीगत वस्तुओं तथा ऐसे अन्ये मान के आयात में वृद्धि की जाती है जिनका उत्पादन देश में नहीं होता । इस प्रकार आयात के प्रकार में परिवर्तन से पूँजी-निमाग में सहायता प्राप्त होती है ।

(ऊ) विनिर्माण की वस्तुओं के आयात को सीमित अथवा नवंपा अवरुद्ध

कर दिया जाता है और इस प्रकार धनिक वर्ग के हाथों की उस श्रम शक्ति को जो विलासिता की वस्तुओं पर निरर्थक अपन्यय होती है पूँजी निर्माण की ओर आवर्षित किया जा सकता है।

(२) राजकीय निर्यात नीतियाँ एवं अथ साधन—अब हम तटकर नीति म निर्यात की ओर विचार कर सकते हैं। आधुनिक युग क प्रत्येक देश आयात का बन्धन तथा निर्यात की वृद्धि करन को प्रयत्नशील रहता है। निर्यात नियंत्रणाय निर्यात कर निर्यात अनुपापत्र कोटा निर्यातयोरक्षण आदि विधियाँ वा उपयोग किया जाता है। ऐसे उद्योगों का आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है वा निर्यात योग्य पदार्थों का निर्माण करत हैं। निर्यात कर राजकीय आय स्रोत तथा विभिन्न प्रकार की निर्यात वस्तुओं के निर्यात म भेदभाव करन के लिए लगाया जाता है। औद्योगिक वृद्धि मात्र जिसका उपयोग राष्ट्रीय उद्योगों म होता है तथा जिनका प्रदाय (Supply) अपर्याप्त हा उनका निर्यात का प्रतिबंधित करन हेतु भी निर्यात कर लगाय जात हैं तथा बड़ा निर्यात कर दिया जाता है। एसी वस्तुओं का निर्यात पूँजी निर्यात प्राप्त किया जा सकता है, वा आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आवश्यकता का हा। वस्तुओं का निर्यात का साथ साथ पूँजी निर्यात पर भा प्रतिक्रिया समाना आवश्यक है, अथवा पूँजीपति आर्थिक समानता क प्रयत्नों से बचन का लिए पूँजी का निर्यात विदेशों म कर देते हैं जबकि देश म ही पूँजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अधिक निर्यात द्वारा उद्योगों का विकास सम्भव होता है तथा पूँजीगत वस्तुओं को भी विदेशों से प्राप्त किया जा सकता है। उद्योगों के विकास से जनसमुदाय की आय म वृद्धि होता है तब वह अतन्त बचन तथा उपभोग-वृद्धि का कारण बन जाती है। इस प्रकार अधिकांश निर्यात पूँजी निर्माण का मूल अंग है।

(३) विदेशी निजी विनियोजन—अद्य विकसित राष्ट्रों म अनिश्चित पूँजी की आवश्यकताओं की पूर्ति विदेशी निजी विनियोजकों विदेशी सरकारों तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है। विदेशी निजी पूँजी को अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए आवर्षित करन अत्यन्त कठिन होता है। साम्राज्यवाद के अंतर्गत विदेशी विनियोजकों द्वारा जिस सरलता के साथ अपने उपनिवेशों म पूँजी का विनियोजन किया जाता है वह सरलता इन उपनिवेशों के स्वतंत्र हो जाने पर कठिनार्थ में परिवर्तित हा जाती है। स्वतंत्र राष्ट्रों म विदेशी विनियोजन को इस देश के समामेलन, कर, मौद्रिक विदेशी विनियम नियंत्रण आदि सम्बंधी अधिनियम के अधीन रहना होता है। विदेशी विनियोजकों को राष्ट्रीयकरण का भी भय होता है। एशिया एवं सुदूर-पूर्व सम्बंधी समुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक आयात (ECAFE) न अल्प विकसित राष्ट्रों म विदेशी निजी पूँजी का आवर्षित करन के लिए निम्नलिखित सुविधाओं का आवाहन किया जाता चाहिए—

(१) राजनीतिक स्थिरता एवं विदेशी आक्रमण से मुक्ति—इस सम्बंध म

किसी भी अल्प विकसित राष्ट्र को सरकार आश्रय नहीं दे सकती है। अधिक अल्प-विकसित राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरता पायी जाती है तथा नीमावर्ती ऋण विदेशी आक्रमण का रूप ग्रहण कर सकते हैं।

(२) जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा—इस सम्बन्ध में अल्प-विकसित राष्ट्रों की सरकारों बीमा का पर्याप्त आयोजन कर सकती है। यह सरकारों बीमा कालन स्थापित कर सकती हैं अथवा विदेशी सम्पत्तियों का नाश प्रशिक्षण करके जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा व बीमा आयोजन कर सकती हैं।

(३) सामोपायन हेतु षड्वर्षीय की उपलब्धि—इस सम्बन्ध में सरकार विदेशी विनियोजकों का आवश्यक सूचनाएँ प्रदान कर सकती है तथा जनसामान्यी सेवाओं सामुदायिक सेवाओं जादि बाह्य निरन्तरताओं (External Economies) का आयोजन कर सकती है।

(४) विदेशी व्यवसायों को अनिर्धार्य रूप में अधिकार में लेने पर उचित क्षतिपूर्ति गौण ही भुगतान की जानी चाहिए—इस सम्बन्ध में अल्प विकसित राष्ट्रों की सरकारें आश्रय दे सकती हैं कि जब तक प्रारम्भिक एवं पूर्ण विनियोजन की पूर्ति न हो जाय तथा उस पर अयोग्य दर से सामोपायन न कर दिया गया हो, विदेशी व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा। इसके अतिरिक्त विदेशी विनियोजक यह भी चाहते हैं कि इन व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण करने के पूर्व इनके विचार विमर्श किया जाय तथा अतिपूर्ति की रणिति किसी स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार का आश्रयन कोई सच्चा देश पसन्द नहीं करती है।

(५) सान सामाज्य तथा व्याज आदि को विदेशों को लेजने की सुविधा—विदेशी विनियोजक पर उपायित होने वाली क्षय को (पर जाने के परचाय) विदेशों में भुगतान करने की सुविधा का आयोजन करने के साथ-साथ अल्प विकसित राष्ट्रों की सरकारों को यह आश्रय देना चाहिए कि इन विनियोजक के अनिर्धार के हस्तान्तरण पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

(६) विदेशी सार्विक एवं प्रशासनिक-व्यवस्था विदेशों को रोजगार में रखने की सुविधा—विदेशी विनियोजक अपने प्रदत्त एवं सार्विक विदेशों को उनके द्वारा वित्त प्राप्त व्यवसायों में रचना चाहते हैं जिससे एक ओर इनका उद्यम संचालन किया जा सके तथा दूसरी ओर, उनके हिस्सों को रखा होती रह। इन विदेशों के Immigration के लिए पर्याप्त सुविधाओं का आयोजन किया जाना चाहिए तथा इन विदेशों को वे सभी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो मनुष्य राष्ट्र एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्तियों के विदेशों को प्रदान की जाती हैं।

(७) इस प्रकार की अन्तः-प्रणाली का उपयोग जिससे अल्पविकसित विदेशी सार्वों पर अधिक दबाव न पड़े—अन्तः-प्रणाली में इस बात का आयोजन कि विदेशी

विनियोजक तथा कमचारिया के साथ भेद भाव नहीं किया जायगा। कर व सम्बन्ध में कुछ छूटें भी विदेशी विनियोजको को दी जा सकती हैं। विदेशी कमचारिया की आयकर सम्बन्धी छूटें प्रदान की जानी चाहिए। विदेशी विनियोजको को प्राप्ताहृत कर की सुविधाएँ भी प्रदान की जा सकती हैं।

(८) दोहरे करारोपण से मुक्ति प्रदान की जानी चाहिए—अल्प विकसित राष्ट्रों को विदेशी सरकारों के साथ दोहर करारोपण के सम्बन्ध में समझौते कर लेने चाहिए जिससे विनियोजको को इन राष्ट्रों से उपाजित आय पर इन राष्ट्रों तथा अपने देश—दाना स्थानों में से एक ही स्थान पर कर देना पड़े।

(९) आर्थिक नियंत्रणों से यथासम्भव कमी—अल्प विकसित राष्ट्रों में व्यापार उद्योग अधिकापण बीमा विदेशी विनिमय यातायात जायदाद के क्रय-विक्रय खनिज निकालने पूँजी निषेध प्रतिभूतियों के विनियम लाभदायक के मुगताम आदि के सम्बन्ध में सरकार विभिन्न नियंत्रणें लगाती है जिसके फलस्वरूप यवसायो व स्वतंत्र संचालन में बाधा आती है और विदेशी विनियोजन अपने यवसायो को इच्छित सुदृढता प्रदान करने तथा लाभोपाजन करने में असमर्थ रहते हैं। प्रायः एक बार उगाये गये नियंत्रणें दोष काँच तक, उनकी औचित्यता पर गम्भीर विचार किये बिना लगाय रखे जाते हैं। अल्प विकसित राष्ट्रों में विदेशी पूँजी आकर्षित करने हेतु इन आर्थिक नियंत्रणों में कमी करनी चाहिए तथा परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ इनमें भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। आर्थिक नियंत्रणों का सवधा छोडा नहीं जा सकता अथवा राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था बाधित क्षेत्रों में विनाश नहीं कर सकती है और नियंत्रणों की अनुपस्थिति में पूँजीपतियों (देशी व विदेशी) का अथ-व्यवस्था में हतना अधिक प्रभुत्व हा सकता है कि आर्थिक योजनाओं की सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना असम्भव हो सकती है। परन्तु इस सम्बन्ध में अल्प विकसित राष्ट्रों को आश्वासन दे सकना है—अनावश्यक आर्थिक एवं प्रशासनिक नियंत्रणों का हटाना अथवा न लगाना तथा नियंत्रणों के सम्बन्ध में देशी एवं विदेशी—दोनों प्रकार के विनियोजकों को समान व्यवहार प्रदान करने के लिए आश्वासन दिया जा सकता है।

(१०) निजी यवसायो के साथ राजकीय यवसायों के प्रतिस्पर्धा न करने का आश्वासन—इस प्रकार के आश्वासन से विदेशी यवसायों को एकाधिकारपूर्ण शोषण करने की सुविधा प्राप्ता हा सकती है। इस कारण अल्प विकसित राष्ट्र इस प्रकार आश्वासन देते समय एकाधिकार पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के अधिकार व उपयोग के सम्बन्ध में स्वतंत्र रहना पसन्द करते हैं।

(११) विदेशी विनियोजकों के प्रति मित्रता की सामाज्य भावना—सद्भावना का आश्वासन सरकार द्वारा दिया जाने पर भी कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि जनसाधारण में विदेशी यवसायो व प्रति सद्भावना का स्तप हो सकता है। जगाहरणाय भारत में पाकिस्तान के युद्ध में ब्रिटन द्वारा

पाकिस्तान का पक्ष लेने के कारण जनसाधारण म ब्रिटेन व भारत में स्थित हिन्दों के प्रति मित्रतापूर्ण भावना प्रायः लाप हो चुकी है।

उपयुक्त आश्वासना का आयाजन वाई भी सरकार पूर्णतः नहीं कर सकती है। यदि इन सब बातों का आश्वासन द भी दिया जाय तब भी विदेशी विनियोजकों को अपने विनियोजन के मूल्य म मुद्रा के अवमूल्यन हान तथा राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप होने वाली हानिया के सम्बन्ध में भय बना रहना है। मुद्रा व अवमूल्यन से हान वाली हानि के लिए बोम्बे का आयाजन किया जा सकता है। इसके अनिश्चित विदेशी विनियोजकों का अर्थिक एवं औद्योगिक बलह का भय रहना है जिसके लिए सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन एवं भय नीति म विय गये सुधार कदापि पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। नियोजित अथ व्यवस्था व सम्पन्न विदेशी विनियोजकों का पूर्ण विनियोजन करने के लिए आकर्षित करने हेतु एक विशेष उच्च अधिकार प्राप्त संगठन की स्थापना की जानी चाहिए जो एक ओर विदेशी विनियोजकों का आकर्षित करे और दूसरी ओर, इस विनियोजन द्वारा राष्ट्रीय हितों का आघात न पहुँचाने दे। भारत म सन् १९६१ में एक भारतीय विनियोग केंद्र (Indian Investment Centre) की स्थापना की गयी जिसका प्रमुख काम विदेशी विनियोजकों का भारत की आर्थिक परिस्थितियों, अधिनियमों तथा विदेशी विनियोजकों को उपलब्ध विनियोजन के अवसरों की जानकारी देना है। यह विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध म माँग, पूर्ति, सामोपाजन क्षमता एवं प्रगति की सम्भावनाओं में सम्बन्धित सूचनाएँ तैयार करता है। यह नया भारतीय एवं विदेशी संस्थाओं में सम्बन्ध स्थापित करता है और समुक्त साहस को प्रोत्साहित करती है। इन संस्था में अपने जीवनकाल के प्रथम तीन वर्षों म ७४ समुक्त साहसी व्यवसायों, जिनमें ६० करोड़ रुपये की पूँजी का विनियोजन है की स्थापना म सहयोग प्रदान किया।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विदेशी निजी विनियोजन (Foreign Private Investment) प्राप्त करने हेतु अन्य विकसित राष्ट्रों को अपनी नीतियों की राष्ट्रीय हितों के अनुकूल रचना सम्भव नहीं होता है और वाई भी अन्य विकसित राष्ट्र के सभी आश्वासन एवं सुविधाएँ प्रदान नहीं कर सकता है जिनके द्वारा विदेशी विनियोजन आकर्षित किये जा सकें। इसके साथ ही जब विदेशी विनियोजकों का देशी विनियोजकों की तुलना में अधिक सुविधाएँ एवं आश्वासन प्रदान किये जाते हैं तो देशी विनियोजकों के अधिक विनियोजन करने की भावना को ठेस पहुँचती है। इन सब कारणों का ध्यान म रखते हुए अन्य विकसित राष्ट्र सरकारी स्तर पर विदेशी सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से विदेशी सहायता लेने का अधिक महत्त्व देते हैं।

आधुनिक युग में निजी रूप से विदेशों से ऋण प्राप्त करने की विधि अत्यन्त कम उपयुक्त होती जाती है। विदेशों की पूँजी विपणियों (Capital Markets) में पूँजी प्राप्त करने वाले देशों द्वारा वांछित निगमित करके पूँजी प्राप्ति-विधि को जब

प्राप्ति नमस्की जाती है एव कम प्रयोग होती है। पूँजीदाता देश की सरकारें ऐसी वित्तीय सस्याआ का संचालन करती हैं जो अल्प विकसित राष्ट्रों की सरकारों को पूँजी उपलब्ध करानी हैं। इनका सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका का आयात निर्यात अधिकार (Import Export Bank of U S A) है। यह सर्वदा सदैव अपने हितों को दृष्टिगत कर पूँजी प्रदान करती है और ऐसी योजनाओं को पूँजी दान हिन कर समझती है जिनमें आयातजन शोध सम्भव होता है तथा विनियोजित पूँजी का शोधन उन योजनाओं मे सुगमतापूर्वक किया जा सकता है परन्तु अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता आधारभूत प्रारम्भिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य शिक्षा श्रम व्यवस्था आदि को प्रदान की जाना है। इन आधारभूत सेवाओं का विकास से प्रत्यक्षरूपेण अल्प काम में आय अर्जित नही होनी है।

कुछ समय से अल्प विकसित राष्ट्रों का योजनाओं व साधारण अर्थों मे भी विदेशी पूँजी विनियोजन करने को अधिक महत्त्व प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की विदेशी पूँजी के अनेक लाभ हैं। विदेशी पूँजी विनियोजन द्वारा अल्प विकसित राष्ट्रों मे विदेशी "पारम्परिक तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होता है जिससे तांत्रिक ज्ञान का भी स्थानान्तरण पिछड़े देशों को हो जाता है। साधारण अर्थों पर लाभ वास्तव में उपार्जित हो जाने के उपरांत ही दिया जाता है। इस प्रकार पूँजी पर दिये जाने वाले लाभ का भार अल्प व्यवस्था पर नहीं पड़ता। साथ ही इन प्रकार के विनियोजन के परिणामस्वरूप मुद्रा तथा वस्तुओं का आयात होने का कारण मुद्रा स्फीति के दबाव में भी कमी हो जाती है।

परन्तु इसका विपरीत समझा-अज्ञ विनियोग (Equity Shares) प्राप्त करने के बन्ग का अनवरत उत्तरदायित्व (Recurring Liability) बढ़ जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष साभास व साधनाय विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है जो निर्यात आधिक्य द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार निर्यात आधिक्य का अभाव साभास शोधन में प्रयोग कर दिया जाता है और देश की अपनी पूँजी-संचय करने का शक्ति का क्षति पहुँचता है। फिर भी आधुनिक युग में उद्योग तथा अल्प विकसित राष्ट्र विदेशी पूँजी विनियोग का आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हैं क्योंकि राजनीतिक भय कुछ सीमा तक कम हो गया है। जब यह निश्चिन्त रूपेण संभव है कि अल्प विकसित राष्ट्रों व सन्तुलित बहुमुष्ठा आधारित विनाश में विदेशी पूँजी का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

(४) विदेशों से ऋण एवं सहायता—आधुनिक युग में एक देश की सरकारें दूसरे देश की सरकारों व लिए ऋण तथा अनुदान देने की प्रथा अधिक महत्त्वपूर्ण है। अमेरिकी चतुर्मुष्ठा कार्यक्रम (American Point Four Programme) के अन्तर्गत अल्प विकसित राष्ट्रों का अमेरिका द्वारा सहायता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार सांझा-युवादा राष्ट्रों—विश्व बैंक द्वारा भी पिछड़े हुए

राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। तीसरी योजना के अन्तर्गत कनाडा, ब्राज़ीलिया, यूजीएल आदि नवोदय देशों तथा दक्षिण पूर्व राष्ट्रों के आर्थिक विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की है।

साविदर एम एच बीन द्वारा नौ विभिन्न वस्तुएँ एवं साम्प्रदायिक राष्ट्रों को ऋण एवं अनुदान प्रदान किए जाते हैं। अन्तर् राष्ट्र क्रिसमै, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, पेरु, इंडोनेशिया, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि, नौदार्तमेल्लर बनस्पिन, जर्मनी, स्पेन, जर्मनी, कनाडा प्रमुख हैं, विकासोन्मुख राष्ट्रों का जो सरकारी अनुदान सरकारी दीर्घकालिक पूंजी तथा निजी दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करते हैं, वह इन अन्तर् राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय की १% से नौ कम है। वर्ष १९६१ में अन्तर् राष्ट्रों द्वारा विकासोन्मुख राष्ट्रों को ४१ ००० लाख डॉलर की सहायता दी गयी जो वर्ष १९६० में दरकर ४० ६६० लाख डॉलर हुआ। इस सहायता का अन्तर् ४१% सरकारी अनुदान ४०% निजी दीर्घकालिक ऋण तथा निजी दीर्घकालिक पूंजी थी। परन्तु अन्तर् राष्ट्रों के अनुदान अन्तर् राष्ट्र दीर्घकालिक ऋण की अधिक महत्व रखते हैं और धीरे धीरे अनुदान में कमी हुआ गयी है।

विदेशी सहायता प्रदान करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation), अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद (International Development Association), तीसरी योजना आयोग प्रमुख हैं। ये सम्पूर्ण विदेशी सहायता प्राप्त ऋण के रूप में विशिष्ट परियोजनाओं (Projects) को पूर्ति हेतु प्रदान करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के सम्मानधान में विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक योजनाओं को विदेशी सहायता प्रदान करने हेतु सदस्य-राष्ट्रों को परिषदों (Consortiums) की स्थापना की गयी है जो सदस्य-समय पर सम्बन्धित राष्ट्र की वनीय आवश्यकता की जांच करती है और सदस्य-राष्ट्र सहायता हेतु अपना आदान निश्चित करते हैं।

मौन्य (Soft) ऋण व कठोर (Hard) ऋण

विकासोन्मुख अल्प विकसित राष्ट्र मानव ऋणों की अधिक सन्तुल्य समझते हैं क्योंकि इसका शोधन न्यायिक मुद्रा बनता होता है। दूसरे ओर कठोर ऋणों का शोधन विदेशी मुद्रा में करने के कारण इन ऋणों के शोधन में कठिनाई होती है क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्र ऋण के द्वारा स्थापित परियोजनाओं के द्वारा अपने विदेशी व्यापार में इतनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं कि कठोर ऋणों का शोधन हो सके। यदि कठोर ऋण एवं के बाद दूसरे क्रम में प्राप्त होते हैं तो प्रथम ऋण का शोधन नवीन ऋण से कर लिया जाता है और इस प्रकार विकासोन्मुख राष्ट्रों में मानव निवेश बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। दूसरे ओर मौन्य ऋणों के शोधनार्थ सरकारें के शोधन वक से स्थानीय मुद्रा प्राप्त कर सकती हैं। स्थानीय मुद्रा में विदेशी ऋणों का शोधन करने की अल्प-संख्या में मुद्रा प्रकार का वजन अधिक नहीं रहता।

यदि ऋणदाता देयसाधन में प्राप्त मुद्रा का उपयोग उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करता है जिनके लिए उस स्थानीय मुद्रा प्रयुक्त करनी पड़ती है उस विदेशी मिशनरी (Foreign Missions) पर किए जाने वाले व्यय। यदि ऋणदाता देयसाधन में प्राप्त स्थानीय मुद्रा का अनिश्चित विकास परियोजनाओं का स्थानीय वित्त प्रदान करने के लिए करता है तो मुद्रा प्रसार का दबाव बढ़ जायगा परन्तु जब स्थानीय सरकारों को धन के लिए स्थानीय करा (Taxes) द्वारा प्राप्त करती हैं तो मुद्रा प्रसार के दबाव के घटने का भय नहीं होता है और अतः बतमान ऋण अनुदान का रूप ही ग्रहण कर लाना है।

(५) विदेशी व्यवसायों का अपहरण—विदेशी व्यवसायों का अपहरण का अधिकतर उचित नहीं माना जाता है क्योंकि इसके फलस्वरूप विकासोन्मुख राष्ट्र में विदेशी पूँजा का प्रवाह अस्थायी रूप से बन्द हो जाता है। फिर भी इस विधि का उपयोग मजिस्त्रों, ईरान, मिस्र तथा इण्डोनेशिया में कुछ सीमा तक किया गया है। मजिस्त्रों में इस विधि का उपयोग से आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिला है। विदेशी व्यवसायों का अपहरण कोई भी राष्ट्र अपने मनमाने ढंग से कर सकता है अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सन्धि का साथ सम्झौता करके उचित शर्तोंपूर्ति के बाद किया जाता है। दूसरी विधि द्वारा विदेशी विनिमयों का अपहरण हानि नहीं उठानी पड़ता है। विदेशी व्यवसायों का अपहरण से इनका लाभ एवं ह्रास को बढ़ा दिया जा सकता है विदेशी विनिमयों का हस्तांतरित की जाती है अपहरण करने वाले राष्ट्र के लिए उपन्यासी होती है और इस विधि का सीमा तक विदेशी विनिमय भी विकास के लिए उपन्यासी हो जाता है परन्तु इस प्रकार का अपहरण तब ही उपयुक्त हो सकता है जब राष्ट्र का अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यवसायों का बड़ा भाग हो और इनका अपहरण से देश को इनके साधन उपलब्ध हो सकें हैं कि अविध्य में विदेशी महायन्त्रों में मिस्र पर विकास की गति को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन व्यवसायों के अपहरण से तांत्रिक एवं प्रबंध मन्वही विनियमन एवं कर्मचारियों की उपलब्धि में बढिवाई होगी है क्योंकि विकासोन्मुख राष्ट्रों में प्रगतिमान कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अपहरण वित्त प्राप्त करने की असाधारण विधि है जिसका उपयोग अन्य विधियों में असफल होने पर ही किया जाना चाहिए।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विकासोन्मुख राष्ट्रों में विदेशी महायन्त्रों आर्थिक प्रगति हेतु अत्यन्त आवश्यक होते हैं और यह राष्ट्रों को सभी विधियों द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु अर्थ-व्यवस्था का संचालन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह विदेशी सहायता को निर्भरता से शोभाविगी प्रयुक्त हो जाय क्योंकि विदेशी सहायता केवल आर्थिक विचारधाराओं में नियंत्रित नहीं होनी है और कोई भी छोटी सी राजनीतिक घटना विदेशी सहायता के प्रवाह के रोकने में सफल हो सकती है। इसका उदाहरण भारत का १९६० के कारण भारत की चौथी योजना का विदेशी सहायता मिस्र की वृत्तिदायी है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था के सफल संचालन हेतु
आवश्यक प्रारम्भिक अपेक्षाएँ
[Pre-Requisites of Economic Planning]

[विदेशी घटक—विश्व-शान्ति, विदेशी सहायता, विदेशी व्यापार, आन्तरिक घटक—राजनीतिक स्थिरता, पर्याप्त वित्तीय साधन, नास्त्विकीय ज्ञान, प्राथमिकता एवं उद्यम निर्धारण, जावाबुद्वारी का निरन्तर अनुकूल होना, राष्ट्रीय चरित्र जनता का सहयोग, शासन-सम्बन्धी कार्यक्षमता, प्रगति की दृष्टि से जनता का चुनाव, नियोजन साधन का बँटव विधान एवं आर्थिक स्थिरता में समन्वय प्रत्येक योजना दीर्घकालीन योजना का चरण, निजी क्षेत्रों का विकास, जाय की वृद्धि एवं रोजगार]

आधुनिक युग की नीचा अतिताओं की उन्नत मृ सत्ताओं में विनी कार्य का सुगम व सुलभ सम्पादन अत्यन्त कठिन है। नियोजन तो एक विधि है। यह कार्य है जो अनेक तत्वों के सहयोग सम्मिलन एवं सम्मेलन के उपरान्त एकीकृत रूप में सम्पन्न या सफल में समर्थ होता है। अधिकांश यह देखने में आता है कि यद्यपि निरिक्त तत्वों की पूरा प्राप्ति तो हुई रही मुख्य आयोजन-कार्यक्रम का कार्यान्वित करना भी असम्भव हो जाता है। कारण यह है कि अनेक एवं विभिन्न तत्वों का उचित जो पूर्णतया नियोजन की रूप विधि एवं विधाकताया जो प्रभावित करते हैं। नियोजन की सफलता अल्प विकसित राष्ट्रों में तो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यही ही कठिन भी। प्रभावी तत्वों का अध्ययन, जो निम्नप्रकारेण किया जा सकता है नियोजन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के निवारण में सहायक होगा।

अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के अन्तर्गत शीघ्र औद्योगिकरण की आवश्यक महत्व दिया जाता है तथा इन्हीं की विधानोन्मुख करने हेतु पूर्णतया सिचाई एवं सक्ति की आवश्यकता की प्राथमिकता दी जाती है। इन बातों ही कार्यक्रमों की सफलता पर ही नियोजित अर्थ-व्यवस्था की सफलता निर्भर रहती है और इन कार्यक्रमों के लिए आन्तरिक घटकों से विदेशी घटक भी अत्यन्त आवश्यक होते हैं। इन प्रकार नियोजित अर्थ-व्यवस्था के सफलतापूर्ण चिन घटकों की आवश्यकता होती है उन्हें हम दो भागों में बाँट सकते हैं—विदेशी घटक तथा आन्तरिक घटक।

विदेशी घटना

(१) विश्व-व्यापि—आज का आर्थिक सगटन राजनीतिक व्यवस्था नामा जिक प्राप्त शताब्दिया पूर्व का नहीं रहा जब मानव की आवश्यकताएँ स्वयं द्वारा पूर्ति योग्य मात्र थीं। आज व प्रभावशाली तत्त्व मात्र गृह जाति समाज अथवा देश तक ही नहीं, अगिन्तु सम्पूर्ण मानवता का समेटे रखते हैं। किसी भी देश व निरर्थकता से देशों व आधुनिक विज्ञान युक्त म पूरा आत्म निर्भर रहना निरन्तर असम्भव है। विज्ञान व किसी देश म उभर किता न किसी विश्वास का मुह ताकता पड़ता है और यह विश्वव्यापी अर्थशास्त्र समय है। इस हा या अमेरिका फ्रांस हा या ब्रिटेन भारत हा या जापान सभा किता न किसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु पारस्परिक सम्बन्ध है। आधुनिक काल म राज्य का प्रत्यक्ष कामगार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अधीनस्थ होनी है चाहे वह किता भा नामा तक हा। फिर नियोजन—बहु भा अन्य विकसित राष्ट्र म—विज्ञान सहायता का अनुपस्थिति म सफ़्त होना सम्भव है इसलिए पारस्परिक सम्बन्ध न विज्ञान पाए इसका पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। पूरा ज्ञान की अवस्था म ही नियोजन का विचार आ सकता है क्योंकि युद्ध का विभीषिका आर्थिक व्यवस्थाओं का छिद्र भिन्न कर देती है। युद्ध या अज्ञान की दशा म एक देश अर्थ देश म अपना नियोजन या सहायता न देना चाहिये और आर्थिक विकास का क्षेत्र रक्त जायगा। पूजा का 'यूनाना तांत्रिक' ज्ञान का अभाव आदि अनेक समस्याएं अर्थ विश्वमित्र राष्ट्रों का ध्यान करती हैं कि व अर्थ देशों म सहायता दें। अर्थ शास्त्र शास्त्र की अवस्था म हा समय देशों का सहायता या नियोजन करने का तत्पर रहें।

(२) विदेशी सहायता—राजनीति व औद्योगिक कार्यक्रमों एवं विचारों तथा शक्ति सम्बन्धों की योजनाओं व संचालनाय विज्ञानी पूजागत समाज तथा तांत्रिक विज्ञानों की आवश्यकता होना है। विदेशी राष्ट्रों म शक्ति प्रधानता प्राप्त हुए भा प्राप्त व्यापार आदि विज्ञान म संचालन की आवश्यकता होनी है। विज्ञान व आवश्यक यंत्र तथा विज्ञान प्राप्त करने के लिए विज्ञानी प्रतिस्पर्धा का आवश्यकता होना है जो अधिन निर्माण अथवा विज्ञान सहायता से ही प्राप्त हो सकता है। विदेशी राष्ट्रों का निर्माण करने के लिए अर्थ विकसित राष्ट्रों व पास कुछ भा नहीं होना है और वह कदम कदम मान हा निर्माण कर सकते हैं। अर्थ शास्त्र का निर्माण शक्ति सम्भव नहीं होता कि देश म विकसित होने या न उद्योगों का हा अर्थ शास्त्र की अधिक आवश्यकता होना है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन व सफ़्त मन्त्रालय व निरर्थक विज्ञान सहायता अनिवार्य होना है। अर्थ विज्ञान सहायता मित्र राष्ट्रों तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से प्राप्त हो सकती है। नियोजित कार्यक्रम संचालन करने के पूरा देशों को अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों एवं विज्ञान वित्त-संस्थाओं की सम्मति पर ध्यान देना चाहिए।

(३) विदेशी व्यापार—योजना व कार्यक्रमों के लिए पूजागत समाज बड़ी

माया में किया जाता है जिसमें दग का विन्मो सुगन्तान गेप प्रतिकूल हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में विदेशों व्यापार का विकास जाना चाहिए और गेप का अपना नियान बनान का सुविधा हानी चाहिए जिसमें बढने हुए पूँजीयन आगत का सुगन्तान किया जा सके । इस अनिश्चित नियोजन कायक्रमों के फलस्वरूप न उद्योगों एवं क्षेत्रों में अधिक उत्पादन हो सके नियान के लिए नवीन बाजार उपलब्ध हाना चाहिए तभी विकास का गति बनायी रखी जा सकेगी है तथा विन्मो क्रमों का सुगन्तान हो सकता है ।

आन्तरिक घटक

(१) राजनीतिक स्थिरता—अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर राष्ट्रीय परिस्थितियों का अनुकूल रहना अधिक आवश्यक है क्योंकि प्रतिकूल राष्ट्रीय परिस्थितियों जैसे एष अत्यन्त हानिकारक हानों हैं । किसी जीवन में जन्मदाता-रक्त ही कीटवृक्ष हा ता मुली जीवन की वन्पना ही निरपेक्ष है । नियाजक नियोजन के काय-क्रम निश्चित कर रहे हैं उनका भस्तरों पर उनके मृत्यु-मूषक सुधारी तबवार लक रही है । क्या इस अवस्था में कितना भी हूँ बगमक एवं राजनीतिक नियोजक इन कायक्रमों के निर्माण में कतिपय भी रवि सगा जयबा बहु विचारों का एकाग्र कान में समय होगा और भविष्य की सोच सकेगा ? निस्सन्देह उत्तर हागा—नहीं । कयन का तात्पर्य मान रहता है कि यदि नियाजक का प्रति धण अपने पदच्युत् होत का नय रहे तो वह विवेकपूर्ण पद्यान्त एवं आवश्यक लक्ष्य एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण नहीं कर पायेगा और न कोई आकषण ही होगा । प्रलोभन एवं प्रारम्भण भाग्नाएँ मम्मसाए हा जायेगा दूसरी ओर, राजनीतिक स्थिरता नियोजन के विचार में स्थिरता की जन्मदाता होगी । नियोजन एवं सतत विधि है जो दीप बाव में लाभदायक होती है । उस मप्यावधि में विचित आवश्यक समायोजन मम्मेलन, वृद्धिया आदि काना आवश्यक हो जाता है । वह राजनीतिक स्थिरता की अवस्था में ही सम्भव है क्योंकि स्थिरता का तात्पर्य ही उद्देश्यों की विभिन्नता होगी और नियोजन का कायक्रम नये लक्ष्य नये क्रम से स्थिर प्राथमिकताएँ लिये सम्मुख आवेगा, यह भी जियान्वित किये जाने के समय तक पुनपरिवर्तन के नय को लिए हुए । यह उपहान होमा उाउ निर्माण नहीं ।

(२) पर्याप्त वित्तीय साधन—यदि वित्तीय साधन वह नियाजन के जीवन का रक्त एवं रीट-अस्थिया कहा जाय ता अतिशयाक्ति न हागी । सुनिश्चित लक्ष्य, सुनिश्चित प्राथमिकताओं का जन्म सबधा निरपेक्ष है यदि अर्थ-साधन नहीं । अन्य विक-सित राष्ट्रों में आन्तरिक बचत, विनियोजन एवं वित्तीय त्रियागीतता सभी का अत्यन्त अभाव हाता है । पूँजी निभाए नहीं के समनुस्य हाता है । अर्थ-साधनों की उपरस्थि अनिश्चित है । उद्योगों का औद्योगिक विकास पूँजी के अभाव पर सुवि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था के कारण सम्भव नहीं होता । वृषि भी अत्यन्त अलाभकारी उद्यम होता है । खादाओं

का इतना अभाव हुआ है कि निर्यात का विचार करना भी मुश्किल है, फिर भी, वित्तीय साधना की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशों से सहायता की माधना की जाती है। सहायता का उपलब्ध हुआ ऋणो राष्ट्र की सम्भाव्य नाविक साधनों के अनुमान नियोजन के प्रकार निवासियों की प्रवृत्ति राजनातिक व्यवस्था का स्वरूप आदि पर निर्भर करता है अतः अनुकूल वातावरण का निर्माण आवश्यक है तथाकि वित्तीय साधना के अभाव में सत्वर सुगम सुलभ एवं सफल नियोजन एवं जाधिक विकास असम्भव है। आर्थिक विकास की गति अथ साधना की उपलब्धि पर निर्भर है।

(३) सांख्यिकी ज्ञान—यद्यपि साक्ष्य पर निर्भर रहना या विश्वास करना भूलों का काय कहा जाता है कि तु गायद ऐसा कहन वालो के युग न जात का परि स्थितिया का ऋणो नही था। आज के युग में यदि साख्य उपलब्ध न हा अथवा उसका ज्ञान न हा ता क्या कोई किसी भी तथ्य का अनुमान अथवा भविष्यत् परिणामो का शुभान कर सकने में समथ होगा ? कदापि नही। लक्ष्यो को निश्चिन करने में प्राथमिकताओं के निर्धारण में उपलब्ध वित्तीय साधना क अनुमानो में सम्भाव्य अथ स्याओ के पूव ज्ञान विज्ञेना में प्राप्य सहायता आदि कैसे भी धेन में साख्य की उत्कट आवश्यकता क्या न हागी ? यह अनिवाय है कि विपोजक को देश में उपलब्ध मानपाय एवं प्राकृतिक शक्ति कृपि उत्पादन की मांग एवं प्रणय औद्योगिक उत्पादन आदि का पूण ज्ञान हो अथवा उसके लभी निणय धाधारहीन होये जा निरपक हागे। समथ समय पर आयोजन द्वारा प्राप्त परिणामो का अनुमान उत्थावचन की तीव्रता कमी बनी की माना तथा उनकी आवश्यकता समाधोजन का नामा आदि कं लिए भी साख्य आवश्यक है। यहा नही साख्य एकत्रीकरण कायकुगत प्रबोध एवं प्रभावगीत हाता चाहिए जिसे बाणी सी भूत के भयवर परिणामो का सामना न करना पडे। साख्य कीय ज्ञान नियोजन की रत्न प्रवाहिना मानिया ह।

(४) प्राथमिकता एवं लक्ष्य निर्धारण—अल्प विवसित एवं अविक्मित राष्ट्रा में जसा सना में हा जात हाता है अणजित समस्याएँ कमियाँ एवं आत्मयकताएँ होती हैं। सभी का एक साथ एक हा अनुपात में वित्तीय साधना के आवटन द्वारा एक ही समय पर निवारण एवं सन्तुष्टि करना संवथा असम्भव है। नवीन स्वतंत्रता की वायु में नूनन राजनीतिक चेतना सामाजिक जागरण प्राय मिक्ताओ के निर्धारण के समय नियोजन के सम्मुख समस्या बन जाती है। जाताय भेद भाव भून बाय भून जीवन-न्तर, अतिगव बेरोजगार कृपि की प्रचानना स्वभाव में रुद्धिवादिता एवं दामता अनिष्ठा अनानना भोजन वस्त्र एवं गृहादि जीवन की अनिवायताओं का भी अभाव एवं शोषित मानवता आदि सभी एक साथ आयोजन के सम्मुख बाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि उद्योगों का निर्धारण ऐसा हो जो अथ-व्यवस्था का मवतोमुखी विकास कर सकन में समथ हो। उसके माध हा वित्तीय साधना की कठिनाई के कारण प्रत्येक समस्या की उत्कटता एवं तीव्रता के

आधार पर इगने निवारण का क्रम—जिसे प्राथमिकता-निधारण कहा जाता है—निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। औद्योगिक युग की विकास दौड़ में भाग लेने का राष्ट्र तभी सक्षम कर सकता है जब उसका आधुनिक विकास अत्यन्त सत्वर गति से सुनिश्चित लक्ष्य एवं प्राथमिकताओं का सत्कर होता है। प्राथमिकताओं के क्रम के अभाव में कोई विकास-नायकत्व कायाधुनिक होना कठिन है ता कर्तव्यों की अनुपस्थिति में विकास की गति एवं उपलब्धियों का अनुमान असम्भव है।

(५) जनसाधु का निरन्तर अनुकूल होना—जन्म विकसित राष्ट्रों की वृद्धि-प्रधानता उनका एक प्रमुख लक्षण है। उनकी अधिकांश जनसंख्या वृद्धि से लाभ पैदा करती है। निर्यात योग्य वस्तुएँ वृद्धि का ही उपलब्ध होना हैं जिससे पूँजीगत वस्तुओं का आयात सम्भव हो सके। फिर औद्योगीकरण को जवम्पा में कच्चे माल की पूर्ति भी वृद्धि पर निर्भर है, अथवा पुनः आयात का प्रदत्त उद्योग और देश का उत्तरदायित्व बढ़ना जायगा। वृद्धि का प्राथमिकता ही अभी चाहिए ही जाती है, लक्ष्य भी निर्धारित किया जा सकते हैं, किन्तु प्रवृत्ति की अनुकूलता अनिवार्य है अथवा सभी आशाओं पर तुल्यतापात होने विलम्ब में लगेगा। कर्तव्यों पर वृद्धि का निर्भर रहना स्वाभाविक है। लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रवृत्ति का अनुकूल योगदान भी आवश्यक है।

(६) राष्ट्रीय चरित्र—योजना हेतु प्रारम्भिक अनुसंधान-कार्य करने और उसका कामगमों का उपलब्धतापूर्वक कायाधुनिक करने हेतु देश में एक ऐसे समुदाय की आवश्यकता है जिसका नैतिक चरित्र दृढ़ एवं उत्कृष्ट हो, जो अपने कल्याण की परवाह-बाधा का भाव रखता हो देश की परिवर्तित परिस्थितियों में अनुकूल अद्भुत आवश्यकताओं की अनुपस्थिति हेतु उसने अपने जीवन का दास किया हो। नयी चेतना एवं नवीन जागरण का क्षय हो सके तथा मनसा-बाधा कर्मणा आधुनिक विज्ञान में अपना सहयोग दे सके क्योंकि नियोजन विद्युत् गति नहीं जो बटन बजाते ही सब कुछ कर सके। नैतिकता का स्थान जीवन के किस क्षेत्र में नहीं। नियोजन जीवन से पृथक् होकर कुछ भी नहीं है। वह जीवन का प्रमुख अंग है। जन्म विकसित राष्ट्रों में प्रावृत्तिक अनुकूलता के उपरान्त मानवीय भावनाओं की अनुकूलता ही अत्यन्त अनिवार्य है। नियोजन का जिया-कीकरण उन्हीं पर होना है उनके स्वभाव की अनुकूलता वास्तवीय है।

(७) जनता का सहयोग—आज का नियोजन यदि अक्षय्य होना तो केवल इनी कारणों से उस जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त होना ही है। जन्म विकसित राष्ट्रों में विशेषतः जहाँ प्रजातांत्रिक समाज ही जनसमुदाय का पूर्वतम मह्यम अत्यावश्यक है। जनता में नियोजन के कार्यक्रमों के प्रति असाध्य जागरणता एक विशेष प्रकार की श्रद्धा भावना की आवश्यकता है। इससे लिए जनता का अपनी विचारधारा वितरित करनी ही की क्योंकि नियोजन का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक हित होता है। समान भावना की देश में ही मतव्यता का सकती है और सभी सहयोग एवं समर्थन

सम्भव है। प्रजातन्त्र में जनता सर्वोच्च सत्ता है। यदि उसका समर्पण एवं सहयोग न होगा तो राज्य का प्रत्येक प्रयत्न विफल होगा। नियोजनकाल संवत्काल (Transitional Period) होता है। जनता को अतिशय बख्शो एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रुढ़िवादों, अशिथिल जनता यह करने को सह्य तत्पर नहीं होती। नियोजक को यह प्रयत्न करना चाहिए तथा इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण भी होना चाहिए जिससे वह उसी जनता का अधिकतम सम्भव समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हो सके। जनता के हृदय में परिणामों के प्रति एक विश्वास की भावना जागृत की जानी चाहिए।

(द) शासन सम्बन्धी कार्यक्षमता—यदि वास्तव में देखा जाय तो यही तत्त्व नियोजन की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक नक्षत्र है। प्रबंध सम्बन्धी क्षमता समस्त ऊपर वर्णित तत्वों की प्राप्ति को निरयत्न सिद्ध कर सकती है। योजना के प्रारम्भिक निर्माण से लेकर अन्त तक यदि योजना का कभी विरोध होगा तो उसका कारण होगा—प्रबंध की अकुशलता। प्रबंध द्वारा ही उपयुक्त तत्वों को एकत्र किया जा सकता है। फिर समस्त तत्व ता मीएँ है प्रयुक्त तो यही है कि किस प्रकार योजना को कार्यान्वित किया जाय। यह क्षमता है प्रबंध में। लक्ष्यों का प्राप्ति क्षमतानुसार ही होगी यह निश्चित है क्योंकि समस्त जनता योजना का कार्य सम्पादन नहीं करेगी, प्रयुक्त उनके प्रतिनिधि अधिकारी ही इस कार्य भार को वहन करेंगे। अध्ययन, ज्ञान कुशलता एवं प्रवीणता के साथ ही विवेक आता है। विवेक ही सफल नियोजन है, यह कहना अनुचित न होगा। समस्त उपलब्ध साधनों को एकत्रित करना, उनको विभिन्न मंशों पर विवेकपूर्ण रीति से आवरित करना, प्रगति का निराभरण करना, कार्य विधि पर नियमन एवं नियंत्रण रखना आदि सभी कार्य प्रबंधन की कार्यकुशलता पर आधारित हैं। सत्कार में यत्नित स्वाध से बड़कर कुछ नहीं। ऐसा पूरा सम्भव है कि प्रबंध सम्बन्धी अकिंचन शिथिलता अधिकतम सामान्य हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तिगत लाभ का स्थान ले ले और नियोजन अनियोजन हो जाय। प्रबंध सम्बन्धी कार्यक्षमता ही अथ आवश्यक तत्वों को सम्मिलित कर सफलता की ओर अग्रसर हो सकती है।

(६) प्रगति की दर—नियोजित अथ व्यवस्था के कार्यक्रम निर्धारित करते समय प्रगति की दर निर्धारित करना भी आवश्यक होता है। विकास की गति जनसंख्या का वृद्धि की दर देना में उपलब्ध साधन तथा जनसमुदाय की वृद्धि एवं विनिर्माण करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। यदि पूँजी तथा उत्पादन का अनुपात अधिक रखना आवश्यक हो तो पूँजी प्रधान उत्पादन तांत्रिकताओं के उपयोग की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, परन्तु जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होने पर पूँजी प्रधान विधियों के उपयोग से बेरोजगारी की समस्या गम्भीर रूप ग्रहण कर सकती है क्योंकि पूँजी प्रधान विधियों में अधिक या प्रतिस्थापन मशीनों द्वारा हो जाता है और

इस प्रकार आर्थिक प्रगति एवं अर्थिक विनियानन हान हुए भी राष्ट्रगार व अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है। इसी परिस्थिति में अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में पूँजी-प्रधान और कुछ क्षेत्रों में श्रम प्रधान विधियों का उपयोग करना आवश्यक होता है। श्रम प्रधान विधियों का उपयोग प्रायः उपभोग-वस्तुओं व सेवाओं में किया जाता है और तब एक प्रायोगिक ढाँचों की विवक्षित किया जाता है परन्तु इन विधियों द्वारा पूँजी एवं उत्पादन की दर ज्यों ज्यों सम्भव नहीं होता है और विकास की गति रुक जाती है। इसके अतिरिक्त पूँजी प्रधान एवं श्रम-प्रधान विधियों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्राप्ति की दर न घटते ही वृद्धि की जा सकती है।

(१०) क्षेत्र वा चुनाव—नियोजित वर्ष व्यवस्था के विभिन्न पार्षदों के लिए क्षेत्र वा चुनाव करना भी आवश्यक होता है। साम्यवादी नियंत्रण में समस्त वायदा सरकारी क्षेत्र में संचालित किए जाते हैं परन्तु समाजवादी तथा प्रजातान्त्रिक नियंत्रण में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र वा चुनाव करने की आवश्यकता होती है। योजना का संचालन करने से पूर्व योजना-प्रणाली को यह निर्धारित करना होगा कि किस किस वायदा में सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र मिश्रित क्षेत्र तथा स्वतंत्र क्षेत्र का संयोजन देना होगा ?

(११) नियोजन समूहों का क्षेत्र—सफल नियोजित अर्थ-व्यवस्था हेतु निजी क्षेत्र की उचित उपलब्ध-व्यवस्था की जाती चाहिए। यह सफल इस प्रकार बनाया जाय कि योजना के प्रयोजन अर्थों को दृष्ट-दृष्ट-विभागों एवं अधिकारियों को उत्पन्न-दायी रखा जा सके। इस सफल में अर्थ-समूहों एवं वास्तविक विवेक के विवेक, तान्त्रिक विवेक एवं प्रशासनिक दार्ष्टिक्य के विवेक सम्मिलित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विकास-समूहों (वित्तीय, मौद्रिक, विदेशी मुद्रा, भोजन, सेवा आदि) का विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले विवेक एवं अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (इंधन, धातु, वायदा, मन्त्रालय, मन्त्रालय, विवेक, विवेक आदि) का व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को योजना-नियोजन समूहों में संगठित किया जाना चाहिए। इनके लिए विशेषज्ञ मन्त्रालय एवं योगदान-नियोजन समूहों की प्राप्ति होना चाहिए। इसके लिए नियोजन-समूहों एवं राजकीय संस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

(१२) विकास एवं आर्थिक स्थिरता में समन्वय (Coordination Between Development and Economic Stabilisation)—समाधान यह मान लिया जाता है कि विकास एवं स्थिरता (Destabilisation) एवं-समूहों के अतिरिक्त राष्ट्रीय हाने हैं परन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था की सफलता हेतु प्रारम्भ से ही आर्थिक स्थिरता (Economic Stabilisation) के विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। योजना-प्रणाली

याजना व प्रयत्न से मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियों का इस प्रकार संचालन करना चाहिए कि अधिक विनियोजन एवं आय के फलस्वरूप मूल्य स्तर में अचूचित वृद्धि न हो।

(१३) प्रत्येक योजना को दीर्घकालीन याजना चरण मानना—निर्वाजित अथ व्यवस्था व सफल संचालन का उद्देश्य अथ व्यवस्था में दीर्घ काल वांछित प्रगति करना होता है। परन्तु योजनाएँ ५ या ७ वर्ष के काल के लिए निर्धारित होनी चाहिए क्योंकि इतने काल के लिए उचित रूप में अनुमान लगाया जा सकते हैं। इन ५ से ७ वर्षीय याजनाओं को दीर्घकालीन याजना का अर्थ मानकर इनके कार्यक्रम निर्धारित किए जाने चाहिए अर्थात् जा कार्ड भी याजनाएँ निकट भविष्य के लिए जाय बहुत दूर भविष्य का याजनाओं व उद्देश्यों की ओर एक चला हुआ कदम हानो चाहिए। निर्वाजित अथ व्यवस्था व अंततः सम्बन्धी परिवर्तन करता आवश्यक होता है और यह सम्बन्धी परिवर्तन दीर्घकाल के ही पूरे हो पाते हैं। प्रत्येक अल्पकालीन याजनाओं में इन सम्बन्धी परिवर्तनों का आयोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि निश्चय दीर्घ काल में वांछित सम्बन्धी परिवर्तन किए जा सकें।

(१४) निजी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों का आयोजन—नियोजन मन्त्रालय मरकाती क्षेत्र के निम्न विनियोजन कार्यक्रम निर्धारित कर सकती है परन्तु निजी क्षेत्र के विनियोजन कार्यक्रमों को निर्धारित करना असम्भव होता है क्योंकि यद्यपि उपस्थित परिस्थितियों के अनुकूल विनियोजन सम्बन्धी निर्णय करता है और यह परिस्थितियाँ सर्व तीव्र गति में बदलती रहती हैं। ऐसी विनियोजन मन्त्रालय द्वारा निर्धारित बिना निजी क्षेत्र का विकास कार्यक्रम कार्ड अथ नहीं रखा है। इस प्रकार विनियोजन मन्त्रालय निजी क्षेत्र के लिए विनियोजन एवं उत्पादन के सम्बन्ध में केवल अनुमान लगा सकती है परन्तु ऐसी अथ व्यवस्थाओं में जहाँ निजी क्षेत्र में अथ व्यवस्था के अधिकतर भाग आच्छा न्त ही कोई भी उचित योजना बिना निजी क्षेत्र के विकास एवं विनियोजन कार्यक्रमों के लिए नहीं बनायी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र का विनियोजन का प्रकार निर्धारित करके मौद्रिक वित्तीय भूमि प्रबंधन साक्ष्य में आदि की नीतियाँ द्वारा निजी विनियोजन को वांछित क्षेत्रों में प्रवाहित करने के लिए राय प्राप्त किया एवं विवका कर सकता है। निजी क्षेत्र के विकास-कार्यक्रमों को लक्ष्य बनाया चाहिए जिससे परिस्थितियों के परिवर्तन होने के कार्यक्रमों में भी परिवर्तन किए जा सकें।

(१५) आय की वृद्धि एवं रोजगार के लिए प्रत्येक-प्रत्येक आयोजन—अल्प विवसित राष्ट्रों में विनियोजन-कार्यक्रमों के संचालन के फलस्वरूप आय में तो वृद्धि परन्तु उसके अनुरूप रोजगार में वृद्धि नहीं होती है। इस कारण याजनाओं की सफलता के लिए निर्वाजित कार्यक्रमों में आय की वृद्धि के आयोजन एवं रोजगार की वृद्धि के विशेष आयोजन किए जाने चाहिए।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सरकारों दृष्टि में देखने पर प्रत्येक

तत्त्व पारम्परिक असम्बद्ध है, परन्तु तथ्य तो यह है कि योजना का सपना हाना सनी तस्या का एकीकृत एवं सम्मिलित प्रयत्न है। सभी तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है। एक या अनाव समस्त योजना का निधिल बना देता है। जहाँ ये समस्त तत्व अपनी पूरा मात्रा के साथ सुगमता से उपलब्ध हैं वहाँ नियोजन की सफलता गुस्तर हान की अपेक्षा सेल-भी प्रतीत होगी।

नियोजन की प्रक्रिया एवं तन्त्र

तथा भारत का योजना आयोग

[Planning Procedure and Machinery
and Indian Planning Commission]

[विकास योजना का निमाण—आकड़े एकत्रित करना, राष्ट्रीय आय का अनुमान राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पादन-परियोजनाओं का निर्माण, योजना में सन्तुलन—व्यावसायिक सुविधा-सन्तुलन, वित्तीय एवं भौतिक साधनों में सन्तुलन, पृष्ठभूमि से सन्तुलन, वित्तीय पक्ष अवधि आकार कार्यक्रम निश्चय करना विज्ञप्ति, क्रियावित्त करना, मूल्यांकन भारत में योजना प्रक्रिया—विचार, नियंत्रण आकड़ों पर विचार, परियोजना-ना की तयारी, विशेषज्ञों की सलाह प्रारूप स्मृतिपत्र, योजना का प्रारूप, प्रारूप की विज्ञप्ति आलोचनाओं का अध्ययन योजना का अन्तिम प्रतिवेदन वार्षिक योजनाओं की तयारी, भारतीय नियोजन-तंत्र—योजना आयोग, आयोग के कार्य, आयोग का संगठन, आयोग के कक्ष, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, परियोजना समिति अनुसंधान कार्य क्रम समिति, राष्ट्रीय योजना परिषद, यर्रिंग ग्रूप, सलाहकार समितियाँ आयोग का सरकार से सम्पर्क क्रियाक्रमों का मूल्यांकन, राष्ट्रीय विकास परिषद, आयोग की कार्य विधि के दोष]

विकास योजना एक अत्यन्त विस्तृत प्रलेख होता है जिसको तयार करने के लिए अत्यधिक परिश्रम लगाने की आवश्यकता होती है। यह प्रलेख राष्ट्र की वर्तमान आर्थिक स्थिति का योरा भेते हुए विभिन्न विकास-कार्यक्रमों का गुणात्मक एवं परिमाणारमक विवरण देता है और यह भी उल्लेखित करता है कि इन कार्यक्रमों का संचालन, निरीक्षण एवं क्रिया-व्ययन किस प्रकार किया जाता है। इन सब विवरणों के साथ योजना में समझ की उच्च स्थिति का चित्रण भी किया जाता है जो योजना के क्रिया-व्ययन के परिचात उन्त्य होगी। इस प्रकार एक विकास योजना में अथ-यवस्था की वर्तमान स्थिति के साथ भविष्य की सम्भावनाओं का चित्रण किया जाता है जिसके लिए सर्वेक्षण, अन्वेषण, दूरदर्शिता एवं प्रविधिकरण (Processing) की आवश्यकता

होती है। वास्तव में विभास-योजना जय-व्यवस्था की स्थिति विवरण (Balance Sheet) होती है जिसमें देश में उपलब्ध सम्पत्तियों का परिभाषित विवरण दिया जाता है जोर उनके विवेकपूर्ण विवरण एवं उपयोग का प्रविधि ज्ञान को जताते हैं। समाजवादी राष्ट्रों (U.S.S.R.) में राष्ट्रीय आर्थिक योजना एक गणना प्रणाली होता है जिसमें निर्धारित मात्रात्मकता में राष्ट्रीय जय-व्यवस्था के क्षेत्रों के अनुसंधान प्रयोग आर्थिक क्षेत्र (Economic Sectors) के भागदलों की सूची दी जाती है। इस राष्ट्रीय प्रणाली का ढांचा (Structure) आर्थिक विभाग के स्तर तथा भौतिक उत्पादन के सामाजिक एवं क्षेत्रीय (Sectoral) ढांचे द्वारा योजना के स्तरों एवं समस्याओं पर निर्भर रहता है।¹

विकास योजना इस प्रकार जय-व्यवस्था के स्तरों से संबंधित होती है। ऐसी योजना के चार मुख्य पहलू होते हैं—प्रथम उत्पादन-समय जिनके ज्ञान से इच्छित वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य दिये जाते हैं द्वितीय पूंजी-व्यय, जिसमें सरकारी विधिपंजीयन-कारणों का विवरण दिया जाता है तृतीय मानव-विनियोजन व्यय इसमें सब सरकारी व्यय का विवरण दिया जाता है जो मानव के विकास एवं कल्याण पर व्यय करने का समय होता है कदांच निकाय प्रणाली स्वाम्य एवं सामाजिक क्षेत्रों का आयोजित सरकारों व्यय तथा अन्य, निपटान-कार्यवाही, इनके अन्तर्गत सब प्रतिबंधों एवं नियंत्रणों का विवरण दिया जाता है, जिनके द्वारा निजी व्यक्तियों, संस्थानों एवं व्यक्तियों की क्रियाओं का प्रकार निर्दिष्ट दिया जाता है जिससे उनके द्वारा योजना क्षेत्रों की पूर्ति में सहायता प्रदान हो। इस प्रकार आर्थिक योजना कर्मों का एक परिभाषित विवरण होती है जिसमें कर्मों की उपलब्धि के लिए पूंजी एवं मानव के संयोग को निर्दिष्ट करने की प्रविधि का उल्लेख भी दिया जाता है। एक विकास-योजना का निर्माण कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इन अवस्थाओं का सम्बन्ध निम्न प्रकार किया जा सकता है—

विकास-योजना का निर्माण

(१) भौतिक, नित्य एवं जय-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों को एकत्रित करना— यह योजना की सर्वप्रथम अवस्था है। राज्य-क्षेत्रीय योजना-कार्य द्वारा किया जा सकता है। जोरों की मात्रा निम्नस्तरिय राज्य तथा कर्मों के आधार पर भी बनायी जा सकती है। अल्प विकसित देशों में राज्य एकत्रित करने तथा उच्च विकसित करने का कोई सम्बोधनक प्रबंध नहीं होता। अधिकांश राज्य राज्य के दृष्टिकोण से एकत्रित विवेक जाते हैं जिससे जिनकी भी रूप में विचारणीय रहना उचित समीचीन होती। योजना के नई-नए प्राथमिकताएं राज्य जय-व्यवस्था आदि जमी का निर्दिष्ट करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है।

1 Economic Management Planning by Anstokh Yefimov and Alexander Anshulin p 124

योजना आयोग द्वारा ये सूचनाएँ प्रथम सम्बन्धी अधिकारिदा (Administrative Officers) की सहमति से एकत्रित की जाती हैं क्योंकि विनाय सांख्यिक सस्थाएँ स्थापित करने तथा उनके द्वारा आवश्यक सूचना एकत्रित करने में अत्यधिक समय व्यतीत होता है। योजना आयोग अपने विवेचना द्वारा भी साख्यिक एकत्रीकरण एवं विदलपण का कार्य सम्पादन करा सकता है। प्रत्येक विनाय क्षेत्र के विवेप उद्योग के लिए पृथक पृथक समितियाँ नियुक्त की जा सकती हैं। उन्हें नियोजन के लिए सम्बन्धित उद्योगों से आवश्यक सूचनाएँ एकत्रित करने तथा योजना विधि में इन उद्योगों के नियोजित पापन्न की व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का कार्य सौंपा जा सकता है।

इस प्रकार समस्त सरकारी विभाग निजी औद्योगिक सस्थाओं तथा समितियाँ व्यापार सस्थाओं (Trade Agencies) एवं सेवा सस्थाओं (Service Agencies) से सूचना एकत्र करके योजना आयोग को इस सूचना का विदलपण, याच्यता तथा जालाचनात्मक अध्ययन अपने प्राविधिक विवेचना द्वारा कराना चाहिए। ये विवेपण उस सूचना के आधार पर मविष्य के उत्पादन तथा उपभाग की प्रवृत्तियों का भी अनुमान लगाएँ और इस प्रकार समस्त अनुभवों के आधार पर योजनाकाल में उपाजित हान वाली राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है।

(२) राष्ट्रीय आय का अनुमान—बित्तीय एवं भौतिक साधनों के अनुमानों को जनसख्या वृद्धि के अनुमानों से सम्बद्ध करके राष्ट्रीय आय की इच्छित वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। इस सम्बन्ध में एक ओर उपलब्ध वित्तीय साधनों की उपलब्धि के आधार पर राष्ट्रीय आय की योजना अवधि में वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है और दूसरी ओर सम्भावित जनसख्या का प्रति व्यक्ति वाञ्छित पूनतम आय का आयोजन करने हेतु राष्ट्रीय आय की वाञ्छित वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। यदि भौतिक अथवा वित्तीय अथवा दोनों साधनों की उपलब्धि के आधार पर वाञ्छित राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकती हो तो साधनों को रोजब की आवश्यकता अक्षित की जाती है।

(३) राष्ट्रीय आय का विनियोजन उपभोग तथा समाज-करयोज हेतु वितरण—अनुमानित राष्ट्रीय आय की राशि निश्चित करने के उपरान्त योजना आयोग द्वारा नाति सम्बन्धी प्रस्ताव तयार करना आवश्यक है। राष्ट्र की राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के अनुसार योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है। राष्ट्रीय आय को तीन तालिकाओं—विनियोग उपभोग तथा समाज-करयोज में विभाजित किया जाता है। विनियोग का राशि निश्चित करते समय राष्ट्र की आर्थिक नीतियों के आधार पर यह निश्चित किया जाना भी आवश्यक है कि इस राशि का कितना भाग निजी तथा सरकारी लक्ष्य के लिए नियोजित किया जाय। यद्यपि उपभाग की राशि निर्धारित करते समय जनसमुदाय के वर्तमान जीवन स्तर का

आधार मानना चाहिए तथापि आर्थिक विकास की प्रगति हेतु साधनों का उपना के क्षेत्र में पूंजीगत विनियोजन के क्षेत्र में खाना आवश्यक होता है किन्तु यदि जन समुदाय का जीवन-स्तर बरतना विम्वल हो तो उनके उपभोग को अधिक बन नहीं दिया जा सकता वन विनियोजन के लिए अथ आन्तरिक साधनों से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होगा। दूसरी ओर यह जानना भी आवश्यक होता कि देश के अर्थिक धानानुसार जनसाधारण से कितना रखा अपेक्षित है तथा उनकी व्यक्तिगत सम्पत्तियों का वहीं के उपभोग के लिए कितना सीमा तक नियमित किया जा सकता है। तदुपरान्त समाज पस्थाण हेतु कितनी राशि व्यय की जा सकती है इसका निर्धारण राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में राष्ट्र के विभिन्न वर्गों अविच्छिन्न क्षेत्रों गिरा तथा स्वाम्य-व्यवस्था गृह मन्त्रि तथा अन्तः-संघाना जाति की आवश्यकताओं का आधा माना जाता है।

विनियोजन उपभाग तथा समाज-व्यवस्था तीनों एक-दूसरे पर अवलम्बित हैं। विनियोजन तथा उपभोग तो इसी परिप्लव से सम्बद्ध हैं कि इन पर व्यय हान काफी राशि निश्चित करने के लिए दोनों का एक साथ अध्ययन करना पड़ेगा। उपभोग की उत्तिष्ठा बनान के लिए योजनाबधि में जीवन-स्तर में कितनी वृद्धि की जायगी इसका निश्चय करना आवश्यक है। जीवन-स्तर में सम्मिलित किये जाने वाले व्ययों के आधार पर ही यह भी निर्धारित करना आवश्यक है कि विभिन्न वर्गों तथा क्षेत्रों की कितनी परिमाण में आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आवश्यक एकीकृत सूचना के आधार पर यह भी गणना किया जा सकेगा कि इन वर्गों तथा क्षेत्रों की पूर्ति कितना सीमा तक राष्ट्रीय उत्पादन एवं आयात तथा भुक्तय में से की जा सकती है।

(४) उत्पादन परियोजनाओं का निर्माण—उपभोग विनियोजन एवं समाज-व्यवस्था की दालिकाओं से वर्गों तथा क्षेत्रों की स्तृता अथवा अधिष्ठा गणना करने में सहायता होगी। योजनाबधि का गान दो तर्कों का जन होगा—

(अ) आयात तथा निर्यात-नीति तथा

(ब) उन उद्योगों के विकास की आवश्यकता की तीव्रता या आन्तरिक उत्पादन द्वारा उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होंगे।

उत्पादन के साधनों को बढ़ाने के लिए उद्योगों को अर्थमन्त्रार्थ दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, ऐसे उद्योग जिनके विकास करने के लिए अन्तः-नामीन योजनाओं की आवश्यकता हो। साथ ही अर्थ प्रदत्त हेतु आन्तरिक साधनों पर निर्भर रहा जा सके, द्वितीय ऐसे उद्योग जिनके विनास के लिए दीर्घकालीन योजनाओं तथा पूंजीगत वर्गों की आवश्यकता हो। आवश्यक सामग्री का देश में उत्पादन नही तब ही सकता है इसका अध्ययन भी आवश्यक होगा। इस प्रकार दीर्घकालीन योजना में पूंजीगत वर्गों के उद्योग तथा बड़ी-बड़ी योजनाएँ सम्मिलित की जायेंगी। पूंजीगत वर्गों के साथ-साथ उद्योगों की बच्चे मान तथा अर्थ-सम्बन्धी आवश्यकताओं

का अध्ययन भी आवश्यक होगा और इस क्षेत्र में भी यह निश्चित करना होगा कि श्रम तथा कच्चा माल का त्रिक साधना द्वारा पूर्ण बढाने अथवा आयात से वहाँ तक प्राप्त किये जा सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक उद्योग के प्रत्येक कच्चे माल के लिए तथा प्रत्येक प्रकार के श्रम की आवश्यकताओं के लिए बजट भी बनाया जा सकेगा। अप विवसित तथा अविबसित रा ट्रा म वृष्टि का स्थान भी महत्वपूर्ण हाता है। भारत जैसे राष्ट्रों में वृष्टि ही सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था की नियन्त्रण है। उत्पादन के अर्थ ही का विकास भी वृष्टि के पर्याप्त विकास पर अवलम्बित है। वृष्टि के उत्पादन के लिए योजना में सिंचाई के साधना में वृद्धि वृष्टि के सरोकों का अन्वितनीकरण उत्तम खाद तथा बाज का जायाजम मांति का प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। वृष्टि से सम्बन्धित सूचना प्रासन्न वृष्टि विभागा तथा वृष्टि मन्त्रालया मांति द्वारा एकत्रित की जा सकती है। योजना आयोग के अन्तर्गत वृष्टि विभाग परिषद् (Development Council for Agriculture) का निर्माण किया जा सकता है। इस परिषद् में विभिन्न राज्यों के वृष्टि विभागा जनता विरोपता, अर्थशास्त्रिया तथा लोवसभा के प्रतिनिधि होने चाहिए जिससे व्यापक योजनाओं के निर्माण में सुविधा हो तथा इन योजनाओं के लिए जग सहयोग उपलब्ध हो सके।

इस प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में विकास के लिए वृद्ध सूचनाओं तथा सांख्यिक के आधार पर तयार किए गये सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में विकास परिषद् (Development Council) की स्थापना अन्वित है। प्रत्येक उद्योग के लिए पृथक पृथक विकास परिषद् का निर्माण किया जा सकता है। इन विकास परिषद् में सम्बन्धित उद्योग में लगे हुए उद्योगपतियों के द्वारा सरकार तथा प्रांतीय सरकारों, विरोपकर उन प्रांतीय सरकारों का जिनमें यह उद्योग स्थापित हो अथवा उस उद्योग की स्थापना सम्भावित हो का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इनमें तांतिर विरोपण लोवसभा के प्रतिनिधि तथा योजना आयोग के प्रतिनिधि सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये विकास परिषद् अपने अपने क्षेत्र की वर्तमान स्थिति अथवा अतिनी भा इकाइयां इस उद्योग में हो प्रत्येक का उत्पादन उत्पादन क्षति लागत विभिन्न उपयोग के लिए अनुसूचना उत्पादन में वृद्धि तथा कमी होने पर उन पर प्रभाव श्रम की उपलब्धि उसके स्थायी सयंत्र की स्थिति तथा उसके प्रतिस्थापन एवं वृद्धि की आवश्यकता, वर्तमान यंत्रों की स्थिति आदि का अध्ययन करेगी। विकास-परिषद् में इस सम्स्त सूचना के आधार पर अपने क्षेत्र से सम्बन्धित प्रथम प्रस्तावित योजना का प्राकृत निश्चिन करने के लिए उचित अर्थवारी होना चाहिए। विकास-परिषद् यह भी अनुमान लगा सकती है कि योजनाकाल में उगने क्षेत्र की उत्पात्ति वस्तुओं की अतिनी मांग होगी और इनके आधार पर यह निश्चित किया जा सकता कि

उत्पादन में कितनी वृद्धि की जाय तथा इस वृद्धि के लिए क्या-क्या कामवाही की जाय।

विनास-परिपदों द्वारा निमित्त प्रथम प्रस्तावित योजनाएँ राष्ट्रीय योजना आयोग के पास भजी जानी चाहिए। योजना-आयोग को इन योजनाओं का मिलान उसके विशेषणों द्वारा नैपार आंकड़ों से करना चाहिए। तत्पश्चात् समस्त योजनाएँ योजना आयोग अपनी टिप्पणी सहित अपने उच्च अधिकारियों के पास भेजा।

योजना आयोग द्वारा योजना के अर्थ प्रवचन का भी अध्ययन किया जाता है। कभी-कभी तो विकास योजनाओं के निर्माण के पूर्व ही उपलब्ध तर्ष-साधना का अध्ययन करना होता है। अर्थ-साधनों की उपर्याधि की सुगमता एवं परिणाम के अनुसार ही योजना के कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में योजना का वित्तीय नियोजन (Financial Planning) का नाम दिया जाता है परन्तु विकास-योजना के तदर्थ बहुधा पहले निर्दिष्ट किये जाते हैं तत्पश्चात् अर्थ-साधनों की उपर्याधि का अध्ययन करके उन्हें योजना का प्रयत्न किया जाता है। योजना आयोग विभिन्न विकास-परिपदों से तत्सम्बन्धित उत्पादन के स्तरों की आर्थिक आवश्यकताओं का विवरण प्राप्त करता है तथा वे राष्ट्रीय एवं प्रांतीय वित्त मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध साधना का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार अनुमानित अर्थ-साधना की भी योजना-आयोग उच्चाधिकारी के पास भेज देता है।

समाज-कल्याण की योजना बनाने के लिए एक केंद्रीय समाज कल्याण परिषद् (Central Social Welfare Board) का निर्माण किया जा सकता है। यह बोर्ड विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यकतानुसार नमित्तियाँ स्थापित कर सकता है। श्रम हितकारी योजना निर्माण हेतु एक श्रम तथा श्रम हितकारी परिषद् (Labour & Labour Welfare Board) की स्थापना की जा सकती है, जो श्रम के पारिभ्रमिक, काम करने की परिस्थितियों श्रमिका के लिए शूद्र निर्माण सामाजिक बीमा आदि विषयक आवश्यक सुझाव संसार कर। इस परिषद् में सरकार, उद्योगपति, श्रमिक मन्त्रालय आदि के प्रतिनिधि होने चाहिए। इस प्रकार समाज-कल्याण की प्राथम-योजनाएँ (Draft Plans) योजना आयोग के पास पहुँचनी चाहिए जो टिप्पणीसहित उच्च अधिकारी के पास भेज दे।

(५) योजना में सन्तुलन (Balances in the Plan)—योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय सन्तुलनों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। वास्तव में यह सन्तुलन ही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित विचारों का आधार होते हैं। यह सन्तुलन योजना के अर्थों तथा उपलब्ध उत्पादन-साधनों से सम्बन्धित होते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि उत्पादन घटकों के आवंटन तथा उनसे उपलब्ध उत्पादन अथवा प्रतिफल में पूर्ण समन्वयन स्थापित करना न्यायिक वा सवाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों को सन्तुलन आधार एवं प्राथम ऐसा होना चाहिए कि उपलब्ध समस्त साधनों का उत्पादन उपयोग हो सके और

इनकी पूर्ति के उपलब्ध साधना से अधिक की आवश्यकता न पड़े। यदि उपलब्ध साधना से अधिक की माँग योजना के कार्यक्रमों का पूर्ति के लिए की जायगी तो मुद्रा-स्फीति उदय होगी और विकास कार्यक्रमों में बहुत सी रुकावटें उत्पन्न होंगी। दूसरी ओर जब साधना का घुन उपयोग होगा तो प्रगति की दर कम रहेगी।

योजना के लक्ष्यो एवं उपलब्ध श्रम शक्ति में सन्तुलन रखना भी आवश्यक होता है। यदि यह लक्ष्य उपलब्ध श्रम शक्ति का पूषतया उपयोग नहीं कर सकेंगे तो बेरोजगारी फैल जायगी। अल्प विकसित राष्ट्रों में श्रम शक्ति की बहुतायत होती है और उसकी वृद्धि की दर भी अधिक होना है जिसके फलस्वरूप नियोजित अर्थ व्यवस्था के शारम्भिक काल में उत्पादन-कार्यक्रम इतने विस्तृत नहीं हो सकते हैं कि इस समस्त श्रम शक्ति का उपयोग हो सके। यही कारण है कि आर्थिक प्रगति और बेरोजगारी दोनों में ही एक साथ वृद्धि होती है। बेरोजगारी की समस्या गम्भीर न होने इन के लिए ही ता योजना में उत्पादन राजगार के साथ कुछ सहायता सम्बन्धी (Relief) कार्यक्रम भी योजना में सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरी ओर यदि उत्पादन लक्ष्य इतने ऊँचे रख जाय कि उपलब्ध श्रम शक्ति पर्याप्त न हो तो उत्पादन में बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। नाजो जमनी में द्विपंचर को द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इस समस्या का सामना करना पड़ा था क्योंकि युद्ध सामग्री का सग्रह बड़ी मात्रा में उस समय जमनी में किया जा रहा था।

व्यावसायिक सुविधा-सन्तुलन

उत्पादन लक्ष्यो का उत्पादन की सहायक सुविधाओं के साथ सन्तुलन भी करना होता है। सिंचाइ, शक्ति, संचार, यातायात, अधिकोपण आदि सुविधाओं के साथ उत्पादन लक्ष्यो को सन्तुलित करना अत्यन्त आवश्यक होता है। इस सन्तुलन की अनुपस्थिति में उत्पादन-कार्यक्रमों का निर्विघ्न संचालित करना सम्भव नहीं होता है।

स्थानीयकरण सन्तुलन (Locational Balance)—उत्पादन के लक्ष्यो को निर्धारित करने के पूर्व नियोजकों को यह भी निश्चय कर लेना चाहिए कि विभिन्न उत्पादन कार्यक्रमों को किस किस क्षेत्र में सञ्चालित किया जाना है। उत्पादन कार्यक्रमों की स्थापना ऐसे स्थानों पर होनी चाहिए जहाँ यातायात की लागत कम पड़े और आधारभूत सामग्री शक्ति एवं श्रम-शक्ति आसानी से उपलब्ध हो सकती हो। स्थानाय करण-सन्तुलन में वृत्त उत्पादन घटका एवं उत्पादन लागत को ही ध्यान में नहीं रखा जाता बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास के स्तर पर भी विचार किया जाता है क्योंकि एक बड़ा राष्ट्र के लिए विकास-कार्यक्रमों द्वारा स्थानीय सन्तुलनके उद्देश्य का पूर्ति करना होता है। भारत की प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं में स्थानीयकरण-सन्तुलन के आधार पर सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों का चयन नहीं किया गया है और द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में राजनीतिक विचारधाराओं ने बहुत सी परियोजनाओं के स्थान चयन करने को प्रभावित किया है।

साधन किन् प्रकार प्राप्त किए जायेंगे। विदेशी सहायता की सम्भावनाओं एवं आवश्यकताओं का भी निर्धारित किया जाता है। योजना के वित्तीय पक्ष का उसके भौतिक पक्ष में सम्बन्ध किया जाता है और इनके भौतिक एवं वित्तीय साधनों में सन्तुलन स्थापित किया जाता है।

(७) योजना की अवधि—योजना के लक्ष्य को समय में सम्बद्ध करना आवश्यक होता है। इसके लिए पहले दीर्घकालीन उद्देश्य एवं लक्ष्य का निर्धारित कर लिया जाता है और फिर यह निश्चित करना होता है कि इन दीर्घकालीन लक्ष्य को सामान्य अवधि की कितनी योजनाओं में उपलब्ध किया जाय। योजनाओं की सामान्य अवधि प्रशासनिक सुविधाओं एवं परिस्थितियों में परिवर्तन हानि वान चक्र (Cycle) पर निर्भर रहता है। दीर्घकालीन योजना को विभिन्न वर्षों में गालाओं और छान्नी छान्नी अवधियों में विभक्त कर दिया जाता है और फिर विभिन्न भौतिक एवं वित्तीय योजनाओं का इन विभिन्न वर्षों में गालाओं अथवा क्षेत्रों से सम्बद्ध करके समायाजित एवं सन्तुलित किया जाता है। इस प्रकार सामान्य योजना को विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है जस उद्योग कृषि यातायात संचार आदि। फिर प्रत्येक क्षेत्र की योजना का प्रत्येक शाखा एवं षण की योजना में विभक्त कर लिया जाता है जसे उद्योग क्षेत्र की योजना का विभिन्न उद्योगों की योजनाएँ जैसे लोहा कीचरा कपड़ा आदि में विभक्त कर दिया जाता है। इसमें पर्याप्त प्रत्येक उप-योजना इकाइयों की योजना में विभक्त कर देते हैं। यह सभी योजनाएँ एवं उप योजनाएँ दीर्घ एवं अल्प दोनों कालों में लिए निर्धारित की जाती हैं।

(८) योजना का आधार—योजना का आधार तीन बातों पर निर्भर होता है—

- (क) विद्यमान अनुभवों का आधार पर एकत्रित किए गए तथ्य
- (ख) योजना के उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित किए विभिन्न तथ्य
- (ग) मध्यम में उदय हान वाली परिस्थितियों।

योजना के उद्देश्यों को निर्धारित वर्तमान परिस्थिति के अध्ययन के आधार पर आधारित किया जाता है और इन उद्देश्यों का उपलब्धि के लिए किन् किन् भौतिक सुविधाओं एवं साधनों का आवश्यकता होगी उसका आधार पर भौतिक लक्ष्य निर्धारित होते हैं। भौतिक लक्ष्य को निर्धारित करते समय मध्यम में उदय हान वान परिस्थितियों जैसे जनसंख्या की वृद्धि को भी ध्यान में रखना होता है। भौतिक लक्ष्य का आधार पर योजना के कार्यक्रमों का आकार एवं प्रकार निर्धारित होता है।

(९) योजना के कार्यक्रमों का निष्पत्ति करना—राष्ट्रीय योजना के कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए मध्यम विभागों के विचारों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। हम एक ऐसे राष्ट्रीय अधिकारी की व्यवस्था करना चाहे जिन्होंने पास वर्गीय अधिकारियों (Sectional Authorities) द्वारा अपनी अपनी प्रस्तावित योजनाएँ स्वीकृत अथवा सुधार के लिए भेजी जा सकें। इस स्थिति में तादृश कर्मियों में भेद करना

आवश्यक है। उत्पादन व विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय आवश्यकता का अनुमान लगाया जायेगा जिससे वरीय अधिकारियों द्वारा समायोज्य अनुमानों पर नियंत्रण रखा जा सके तथा मन्त्रालयों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय योजना को स्पष्टता तैयार करना जिसे वरीय अधिकारियों द्वारा निमित्त विभिन्न योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। दूसरा कार्य राष्ट्रीय प्रस्तावित योजना तथा वरीय योजनाओं के आधार पर वास्तविक रूप निश्चय करने का है तथा उत्पादन की राष्ट्रीय योजना तैयार की जानी चाहिए। तीसरा कार्य योजना के मूल्यांकन व निरीक्षण करने का है जिसे वरीय अधिकारियों व राज्य तथा उनके तन्त्र-द्वारा के समर्थकों में अधिकतम वास्तविकता का निश्चय हो सके। उपर्युक्त कार्यों के सम्पादन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति होना आवश्यक है। मन्त्रालय, एक राष्ट्रीय योजना विभाग का निर्माण आवश्यक है जिसकी योजना प्राथम्य को बनाये जा सके। योजना आयोग का विभिन्न मन्त्रालयों में, जो योजना व कार्यक्रम का संचालन करें, सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। योजना आयोग के पास अपने विवेचन में जो विभिन्न विचार-विचारों द्वारा प्रेषित योजनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन कर सकें तथा एक राष्ट्रीय योजना की स्पष्टता तैयार कर सकें। योजना आयोग वास्तव में एक विवेचनों का महा मंडली है जिसे अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का अधिकार नहीं होता, प्रमुख विकास-परिपक्षों द्वारा प्रेषित योजनाओं पर अपने विचार व्यक्त करने तथा मुद्दों व मांग अपनी योजनाओं को अन्तिम निश्चय के लिए कार्य उच्च अधिकारियों के पास भेजना होता है।

योजना कार्यक्रमों को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिए केवल विवेचनों के विचारों को ही आधार नहीं बनाया जा सकता। आर्थिक नियंत्रण का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि पृथक् पृथक् क्षेत्रों के लिए विवेचनों द्वारा पृथक् पृथक् योजनाएँ बना ली जाएँ प्रत्युत राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं को योजना के अन्तिम लक्ष्यों के अनुसार परिवर्तित करना भी आवश्यक है। प्रशासनिक समायोज्य विवेचनों के माध्यम से राष्ट्र की सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था का निहित नहीं किया जा सकता। किसी भी निश्चय के पूर्व जनसाधारण के विचारों से अवगत होना भी आवश्यक है क्योंकि योजना-आयोग को केवल एक विवेचनों की सम्पादन का स्थान प्राप्त होता है। यह सम्पादन जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है।

योजना का अन्तिम रूप निश्चित करने का कार्य लोकसभा द्वारा सम्पादित किया जाना चाहिए, लेकिन लोकसभा के सम्मुख किसी भी कार्यक्रम को स्वीकारित हेतु प्रमुख-कारण मन्त्रिमण्डल द्वारा होना चाहिए। योजना विभाग के माध्यम से योजना प्राथम्य द्वारा प्रेषित योजनाओं के अध्ययनोपरान्त राष्ट्र की राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर योजना को अन्तिम रूप देना होता है। इस सब कार्य के लिए योजना मन्त्री के सहयोग हेतु एक राष्ट्रीय नियंत्रण अधिकारियों अधिकांश राष्ट्रीय

नियोजन सभा (National Planning Authority or National Planning Assembly) का व्यवस्था की जा सकती है। इस सभा में विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित विकास-परिपक्वों के क्षेत्रीय प्रतिनिधि लोकसभा के कतिपय सदस्य जिनमें सरकारों तथा विरोधी दलों के सदस्य हों, मंत्रिमण्डल के सदस्य तथा योजना आयोग के कुछ विशेषज्ञ तथा सदस्य सम्मिलित किये जा सकते हैं। यह सभा योजना का अंतिम रूप देगी तथा अंतिम प्राप्ति ही योजना मंत्रों द्वारा लोकसभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता चाहिए। लोकसभा का सर्वोच्च स्वतंत्र संस्था होने के कारण सर्वोच्च अधिकार रहेगा यद्यपि व्यवहार में (नियोजन) सभा द्वारा किये गये अनुमोदन का लोकसभा निःसंदेह रद्द नहीं करेगी।¹ (लिपसन)

इस अवस्था में योजना के विषय में अंतिम निर्णय करने का कार्य अर्थात् लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य राष्ट्रीय नियोजन सभा द्वारा किया जाना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य बहुत कुछ देश की आधारभूत नीतियों पर आधारित होता है क्योंकि लक्ष्यों के अनुसार ही अर्थ साधनों का भाँटवारा विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। लक्ष्य निर्धारित करने में पूर्व प्राथमिकताओं को भी निश्चित करना आवश्यक होगा। योजना के आधारभूत उद्देश्यों के अनुसार योजना के विभिन्न कार्यक्रमों में प्राथमिकताएँ निश्चिन करना आवश्यक होता है। अल्पविकसित राष्ट्रों में कृषि विकास औद्योगिक विकास रोजगार व्यवस्था जीवन स्तर में वृद्धि आदि मुख्य समस्याएँ होती हैं। इन समस्याओं की तीव्रता तथा अर्थ साधनों की उपलब्धि के अनुसार प्राथमिकताएँ निश्चिन की जाती हैं। इसके पश्चात् प्रत्येक उपायान तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। उत्पादन के लक्ष्य निश्चित करने के साथ साथ प्रत्येक भाँटवारा भी तयार कर लिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक तथा कृषि के क्षेत्र की अपूर्णताओं तथा विज्ञान-यापार की स्थिति के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारित किया गया है। तत्पश्चात् अर्थ साधनों की सम्भावित उपलब्धि के अनुसार लक्ष्यों का अंतिम रूप देने में पूर्व आवश्यक समायोजन कर लेना चाहिए। कृषि प्रधान अल्पविकसित देशों में जनसाधु की अनिश्चितता को हलियत करना भी आवश्यक होता है। इसलिए लक्ष्यों को न तो इतना अभिनायो रखना चाहिए कि जिनकी प्राप्ति सम्भव ही न हो सके तथा सम्पूर्ण योजना ऐसी परिस्थिति में एक अभिनायो-कार्यक्रम प्राप्त प्रतीत हो जो जनता का विश्वास प्राप्त न कर सके और न ही योजना के लक्ष्य इतने कम होने चाहिए कि वास्तविक विकास इन लक्ष्यों की तुलना में बहुत अधिक हो सके। इन दशा में नियोजन को व्यवस्था की सजा देना भी अनुचित होगा। लक्ष्यों की

1 Parliament as the sovereign body would retain an overriding authority though in practice it would doubtless not ignore the recommendation submitted by the assembly
(C. Lipson *A Planned Economy or Free Enterprise* p. 298)

तुलना में वार्षिक अथवा अल्पतः पून मरुतता दोनों ही दोषपूर्ण निर्धारण के समान हैं पणतु धन-प्रतिष्ठित उचित समय में निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं होता क्योंकि बहुत से धनकों, जस कृषि उत्पादन आयात तथा निर्यात की दरगजों आदि पर निर्धारण-अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। साथ ही, जिस सूचना तथा मूल्या के आधार पर समय निर्धारित किया जाते हैं वह भी धन प्रतिष्ठित नहीं नहीं हा मज्जी है। यदि इन वार्षिक नीति सूत्रम तथा प्रभावशील बनाना चाहते हैं तो माल्य की सतत तथा मात्रा में वृद्धि करन की आवश्यकता होगी।

योजना के समय और वायज्यम इन प्रकार निर्धारित किए जायें कि जसमें आवश्यकतासुचार समय समय पर परिवर्तन किया जा सकें। प्रतिक्रम परिस्थितियों की अपस्थिति में इस प्रकार परिवर्तन किया जा सकें कि याजना के वायज्यम की पूर्ति पर इन अपस्थितियों का कोई विशेष प्रभाव न पड़ गया आधारभूत मस्यों की प्राप्ति हा सके। सम्भावना से अधिक अनुकूल परिस्थितियों की उपस्थिति में परिवर्तन शक्तियुक्त किया जाते हैं कि इन परिस्थित परिवर्तितियों का अधिकतम हित के लिए समायोजन किया जा सके। योजना के विभिन्न अंश एका-दूसरे में इस प्रकार सम्बन्धित होते हैं कि एक अंश में परिवर्तन करने पर अन्य उनस्य अंशों में समायोजन करना आवश्यक होता है। अतएव याजना के वायज्यों में परिवर्तन करने समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होता है।

(१०) योजना की विनियम—राष्ट्रीय योजना-समा द्वाय अन्तित इत्याव प्राप्त कर लेने के उपरान्त प्रभावित योजना लोचनना के समय स्वीकृति-रूप प्रस्तुत की जाती है। इसके साथ ही याजना के प्राप्ति का एकता के सम्बन्धी विचारों के जानने के लिए विनियम भी आवश्यक होता है जिससे ऐसे विशेषण उपोपति, जस शास्त्री, सामान्य जनता तथा सामाजिक, व्यापारिक एवं अन्य सम्प्रदाय, जो प्रत्यक्ष-रूपेण योजना से सम्बद्ध न हों उस पर अपने विचार प्रकट कर सकें। प्रभावण में जनसाधारण के विचारों की विशेष महत्व दिया जाता है और योजना की सफलता जनता के सहयोग पर ही अवलम्बित है अत यदि आवश्यक हो तो जन-शासी के अनुष्ठान लोचनना के प्रारम्भ में आवश्यक समायोजन कर सवरी है। इस प्रकार योजना का निष्पादन करने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जा सकता है जो जना से प्राप्त आलोचनाओं की अपनी स्थिति-सहित इन्हें राष्ट्रीय योजना समा के पास भेज सकता है।

(११) योजना की प्रियारिधत करना—याजना की लोचनना द्वारा स्वीकृति होने के पश्चात् उसे प्रियारिधत करने की अवस्था आती है। इस अवस्था में यदि कोई निधिलता रह जाती है तब अच्छी से अच्छी योजना का सफल होना सम्भवना रह जाता है। वास्तव में, यह अवस्था सम्पूर्ण योजना के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा मूल अवस्था होती है अतएव सावन की इस क्षेत्र में अग्रवर हकर जामदारों

करना चाहिए। मंचालन काय विभिन्न सरकारी विभागों "प्रासकीय तथा अद प्रासकीय निगमों निजी व्यापारियों तथा उद्योगपतियों सामाजिक संस्थाओं आदि द्वारा किया जाता है। प्रजातांत्रिक निर्देशन में काय क्षेत्र दो भागों में विभक्त होता है— एक निजी क्षेत्र (Private Sector) तथा दूसरा सरकारी क्षेत्र (Public Sector)। सरकारी क्षेत्र का कायक्रम सरकारी विभागों तथा निगमों द्वारा संचालित होता है अतः निजी क्षेत्र के कायक्रमों का सरकार आवश्यक सहायता प्रदान करती है एवं सरकारी नियमों के अनुसार निजी क्षेत्र को काय करने का अवसर प्रदान किया जाता है। विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित विकास परिपक्व अपने उद्योगों के कायक्रमों का मंचालन करती है तथा आवश्यक नियंत्रण भी रखती है। योजना आयोग के विभिन्न योजनाओं की प्रगति का अध्ययन करके समय समय पर राष्ट्रीय योजना सभा का रिपोर्ट भेजता है तथा साथ साथ योजनाओं की प्रगति का प्रकाशन भी आयोग द्वारा किया जाता है। योजना आयोग निरंतर परिस्थितियों का अध्ययन करता रहता है तथा योजना में सम्भाव्य समायोजन सम्बन्धी सिफारिशों राष्ट्रीय योजना सभा के पास भेजता रहता है। योजना सभा को भी समय समय पर लोक सभा के सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति के विषय में जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

(१२) योजना के संचालन तथा प्रगति का मूल्यांकन—योजना की अंतिम किन्तु महत्वपूर्ण अवस्था योजना के संचालन का निरीक्षण तथा जांच पड़ताल होता है। इस हेतु एक विशेष विभाग की स्थापना की जा सकता है जिसे आर्थिक निरीक्षण आयोग (Economic Inspection Commission) की संज्ञा दी जा सकती है। यह मन्त्रालय राष्ट्रीय योजना सभा के अधीन नहीं होना चाहिए। इस योजना के संचालन की जांच करना करने का स्वतंत्रता रहे तथा समय समय पर यह योजना में समायोजन करने के सुझाव भी दे सके। राष्ट्रीय योजना आयोग की भांति इस आर्थिक निरीक्षण आयोग को योजना में सम्मिलित विभिन्न उद्योगों तथा संस्थाओं से सम्बन्धित तत्वा तथा आँकड़ों की पूर्ण जानकारी से अवगत होने की आवश्यकता होगी तथा प्रत्येक वर्गीय संस्था को यह अनिवार्य होना आवश्यक होगा कि वह समस्त सम्बन्धित प्रत्येक इसके पास भेजे तथा इस विभाग द्वारा नियुक्त निरीक्षकों को अपनी पुस्तकों का अर्पण करना। इस विभाग का यह काय होगा कि वह निरन्तर प्रत्येक उत्पादन की मात्रा की कार्यक्षमता का आलोचना आर्थिक एवं तांत्रिक दोनों विचारधाराओं से करे।

आर्थिक निरीक्षण विभाग का काय योजना का काय प्रारम्भ होने के साथ प्रारम्भ होगा और यह इस बात का भी निरीक्षण करेगा कि योजना का संचालन कहाँ तक प्रभावशाली है तथा यह योजना में सुधार करने के लिए अपने सुझाव योजना आयोग तथा राष्ट्रीय योजना सभा के पास भेजगा।¹

1 Like the National Planning Commission this department of Eco- (contd)

योजना की प्रविधि तथा उच्चायन के विषय में बोर्ड भी सर्वसाध नियम निर्धारित नहीं कर सकता। योजना के उद्देश्य राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति राष्ट्र का आकार एवं जनसमुदाय के साम्राज्य चरित्र के अनुसार योजना की व्यवस्था की जानी चाहिए। भारत जैसे बड़े राष्ट्र में केंद्रीय व्यवस्था का तुलना में क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण (Regional Decentralisation) अधिक महत्त्व हो सकेगा। क्षेत्रीय समस्याओं में पारंपरिक समन्वय हाना ऐसी व्यवस्था में अल्पकाल तक देखने योग्य जिसके लिए योजना आयोग का विस्तार आवश्यक महत्त्व की आवश्यकता होगी। क्षेत्रीय समस्याओं द्वारा योजना के अन्तर्गत में अधिक निरन्तर तथा कार्य-क्षमता सामी जा सकती। राष्ट्र के राजनीतिक माध्यम पर क्षेत्रीय व्यवस्था की महत्ता निम्न रहती। क्षेत्रीय समस्याओं का पर्याप्त स्वतंत्रता हो जा सकती है जोर उन्हें केंद्रीय समस्याओं द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करना अनिवार्य किया जा सकता है।

भारत में नियोजन प्रक्रिया (Planning Process in India)

राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रिया देश के प्रशासनिक क्षेत्रों के अनुसार होती है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक योजना में कुछ सुधार एवं परिवर्तन कर दिये जाते हैं जो पिछली योजनाओं के अनुभवों पर आधारित होते हैं। भारतीय नियोजन मंत्र के नियोजन की तरह विस्तृत नहीं है क्योंकि हमारे मंत्र में राज्य देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रित नहीं करता है। मिश्रित व्यवस्था के अन्तर्गत योजना का निर्माण सभी की सहभागिता नहीं हो सकती है क्योंकि योजना में सम्मिलित किए गये कार्यक्रम सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में अर्थात् विस्तृत किए जाते हैं। निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग सम्मिलित नहीं होता है जोर इस भाग के निरन्तर कार्यक्रम एवं लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं होता है। भारतीय योजनाओं को अन्तिम व्यवस्था तक पहुँचाने के लिए अग्रलिखित समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है—

economic inspection would need the fullest access to the facts and figures relating to the conduct of the various industries and services included within the plan and each sectional body would need to be under obligation to show all relevant documents to it and to give access to its books to inspectors acting under the auspices of the department. It would be the function of the department to the constantly criticising the efficiency of each branch of production both from the financial and from the technical point of view. The task of the department of Economic Inspection would be taking the National Plan as its starting point to discover how effectively the plan was being carried out and to make suggestions for its amendment which would be passed for consideration to the National Planning Commission and to the National Planning Authority itself.

(G D H Cole Principles of Economic Planning pp 309-310)

(१) योजना का विचार—योजना प्रारम्भ होने के लगभग तीन वष पूर्व योजना के लक्ष्य उद्देश्य एवं कार्यक्रमों पर सामान्य विचार किया जाता है। इस कार्य के लिए योजना आयोग जब यवस्था की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करता है और यह अनुमान भी लगाया जाता है कि चालू योजना में कल्पित नव भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि किस सीमा तक होगी। इन सूचनाओं के आधार पर योजना आयोग का क्षेत्रकालीन नियोजन कल्प महनिर्धारित करने के लिए सुझाव तयार करता है कि राष्ट्रीय आय का कितना भाग उपभोग किया जावगा और कितना बचत करके विनियोजन के लिए उपलब्ध होगा। इस कार्य के लिए योजनाकाल में उपभोग का भी सन सामान्य स्तर निर्धारित करना होता है। यह स्तर इस बात पर निर्भर रहता है कि वांछित उपभोग स्तर कितन समय में उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा जाना है। उपभोग एवं विनियोजन के स्तर पर आधारभूत आकड़े तयार किए जाते हैं जिन्हें नियंत्रण आकड़े भी कहते हैं। इन नियंत्रण आकड़ों में योजनाकाल की प्रगति बचन एवं विनियोजन का सम्मिलित होती है। प्रगति बचन एवं विनियोजन की दरों को आधार मानन हुए विभिन्न वस्तुओं एवं संघाओं के तथ्यों का निर्धारण करके जब यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विनियोजन का निर्धारित किया जाता है। बावकालीन योजना तहत विभिन्न माइक्रो एवं मक्रो (Micro and Macro) योजनाओं का निर्माण करता है और फिर विभिन्न मन्त्रालयों के आधार पर इनमें आवश्यक परिवर्तन करता है। इन सब में यवस्था के आधार पर जो तथ्य सूचनाएं, लक्ष्य एवं उद्देश्य उपलब्ध होते हैं उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद के पास विचार करने के लिए भेज दिया जाता है।

(२) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा नियंत्रण आकड़ों पर विचार—राष्ट्रीय विकास परिषद विवेचना द्वारा तयार किए प्रारम्भिक तथ्य एवं सुझावों पर विचार करती है और इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन एवं सुधार करने का निर्णय देती है।

(३) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों एवं विभिन्न वर्किंग ग्रुप द्वारा विस्तृत कार्य क्रमों एवं परियोजनाओं की तयारी—राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा रखाहुन नियंत्रण आकड़ों के आधार पर केन्द्रीय एवं राज्य मन्त्रालयों का विकास परियोजनाओं के निर्माण का कार्य करने को कहा जाता है। इस कार्य के लिए विभिन्न पंचों के लिए पृथक पृथक वर्किंग ग्रुप स्थापित किए गये हैं जो अपने क्षेत्र में सम्बन्धित वर्तमान स्थिति का अध्ययन और विकास के सम्बन्ध में अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं।

(४) विवेचकों की सलाह—योजना आयोग विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित विवेचकों के पनल (Panel) स्थापित करती है। इनमें सरकार से बाहर के विवेचना का सम्मिलित किया जाता है। यह पनल अपने अपने क्षेत्र में सम्बन्धित नीति सम्बन्धी सुझाव योजना आयोग को देते हैं।

(५) प्राकृतिक स्मृति पत्र—योजना आयोग के विवेचना द्वारा अब विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों के साथ उनके द्वारा तयार की गयी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों पर विचार

विमर्श किया जाता है। योजना आयोग राज्य सरकारों द्वारा बनायी गयी योजनाओं का अवलोकन करता है और राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श करता है। इस प्रकार किए गये विचार विमर्श तथा विभिन्न पत्रों की सलाह के आधार पर योजना आयोग एक प्राथम स्मृति-पत्र तैयार करता है। यह पत्र योजना के आधार का निर्धारण करता है। इसमें उन सब बातों का भी प्रस्तुत किया जाता है जिनके सम्बन्ध में बृहद् नीति निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार वांछित विकास सम्भव नहीं हो सकेगा। यह स्मृति पत्र केंद्रीय मन्त्रिमण्डल में पास भेज दिया जाता है।

(६) योजना का प्रारूप (Draft Outline)—केंद्रीय मन्त्रिमण्डल प्राथम स्मृति-पत्र पर विचार करके आधारभूत नीतियों को दिशा निर्धारित करता है और फिर इस पत्र को राष्ट्रीय विकास परिषद में सम्मूख प्रस्तुत कर दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद इस पर टीका टिप्पणी करके अपना मुद्दा एवं निर्देश प्रस्तुत करती है। योजना आयोग इन सब टीका टिप्पणियों, निर्देशों एवं मुद्दों के आधार पर योजना का प्रारूप तैयार करता है। योजना के प्रारूप में योजना का दिशा निर्देश, प्रमुख नीतियाँ, उद्देश्य, विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यक्रम एवं लक्ष्य आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत रहता है।

(७) योजना प्रारूप की विवर्ति—योजना प्रारूप विभिन्न केंद्रीय मन्त्रालयों एवं राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है। इस प्रारूप पर केंद्रीय मन्त्रिमण्डल विचार करता है और स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति हो जाने पर योजना प्रारूप प्रकाशित कर दिया जाता है जिससे इस पर सभी वर्गों के साथ विचार विमर्श करके अपनी आपावना एवं मुद्दा प्रस्तुत कर सकें। राज्यों की विधान-सभाओं का सहयोग विभिन्न समूहों, विद्वानविचारियों एवं 'अनपिब' संस्थाओं आदि सभी में इस प्रारूप पर विचार-विमर्श होता है।

(८) योजना आयोग द्वारा आलोचनाओं एवं सुझावों का अध्ययन—योजना आयोग योजना प्रारूप पर केंद्रीय मन्त्रालयों एवं राज्य सरकारों से विचार-विमर्श जारी रखता है और सरकार के बाहर के लोगों एवं शर-संस्थाओं सम्पात्रों से भी सुझाव प्राप्त होते हैं उनके आधार पर एक स्मृति-पत्र तैयार करता है जिसमें योजना-प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार करने के सुझाव सम्मिलित किए जाते हैं। यह स्मृति पत्र केंद्रीय मन्त्रिमण्डल एवं राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेज दिया जाता है।

(९) योजना का अंतिम प्रतिवेदन—स्मृति-पत्र पर राष्ट्रीय विकास परिषद जो निर्देश देती है उसके आधार पर योजना-आयोग योजना का अंतिम प्रतिवेदन तैयार करता है जिसे केंद्रीय मन्त्रालय एवं राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्मुख अन्तिम

स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है। स्वीकृति हो जाने के पश्चात् अन्तिम प्रतिवेदन का प्रस्तावित कर दिया जाता है और सौरसभा में प्रधानमन्त्री द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है। सौरसभा की स्वीकृति हो जाने के बाद योजना विभाग तथा हाता है।

(१०) वार्षिक योजनाओं की तयारी—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में यह भी निश्चय किया गया है कि इस योजना को वार्षिक योजनाओं में विभक्त किया जायगा। वार्षिक योजनाओं में वार्षिकता का विस्तृत व्यौरा दिया जायगा। भारत की परिवर्तनशील वार्षिक परिस्थितियों (विशेषकर वृद्धि के म) वार्षिक योजनाओं का महत्व अत्यधिक है। घटती हुई परिस्थितियों में अनुसूचित वार्षिक योजनाओं का निर्माण किया जाना है जिससे योजना में वार्षिकता एवं सघनता में अतिरिक्त लक्ष्यतायन बनाया देता जा सकता है। पंचवर्षीय योजनाएं अथवा आधार सामान्य सरचना प्राथमिकता मूल उद्देश्य एवं लक्ष्य आदि का निर्धारण करने और वार्षिकता का विस्तृत विवरण वार्षिक योजनाओं में दिया जायगा।

भारतीय नियोजन प्रक्रिया में सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ऊपर दी गयी विभिन्न अवस्थाओं का अनुगमन प्रत्येक योजना में परिस्थिति में अनुगमन इसी क्रम एवं इसी प्रकार से नहीं किया गया है। उपर्युक्त विवरण से कथन सामान्य व्यवस्था दर्शाता है।

भारतीय नियोजन तंत्र (Planting Machinery in India)

भारतीय नियोजन में दो प्रमुख अंग हैं—योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग विशेषज्ञों की एक संस्था है जो योजना के निर्माण एवं मूल्यांकन (evaluation) का कार्य करता है। दूसरी ओर राष्ट्रीय विकास परिषद एक राजनीतिक संस्था है जो योजना के सम्बन्ध में निर्णय एवं सुझाव देती है।

योजना आयोग—भारतीय योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार ने १५ मार्च, मई १९५० में प्रस्ताव के द्वारा की गयी। इस प्रस्ताव में बताया गया कि भारतवर्षीय अथवा इस बात के प्रति आवश्यक है कि उचित जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए नियोजित विकास-अध्ययन आवश्यक है। अर्थ व्यवस्था पर जातीय महा मुक्त, देश का विभाजन एवं साक्षात् परराष्ट्रियों का पुनर्वास की व्यवस्था करने से जा आपात हुए हैं उनका निवारण नियोजित विभाग द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी कि समस्त आर्थिक घटकों पर उद्देश्यमय विश्लेषण तथा सारणता का सततता के साथ मूल्यांकन करने विस्तृत नियोजन की व्यवस्था की जाय। इस कार्य के लिए एक ऐसी स्वतंत्र संस्था को गठित करने की आवश्यकता हुई जो दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों से सम्बन्धित न हो परन्तु सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना आयोग का गठन किया गया।

योजना आयोग के कार्य—योजना आयोग का सरकार की नीतिगत एवं

उद्देश्यों के अन्तर्गत देश के साधनों का कुशल प्रयोग करके जन-साधारण व जीवन स्तर में द्रुत गति से वृद्धि करने का कार्य सौंपा गया है। प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आयोग अपनी सिफारिशों के द्वारा अन्तिमपक्ष का दया और निर्णय लेने एवं उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य केन्द्र एवं राज्य सरकारों को देगा। इस प्रकार योजना आयोग एक सलाहकार समूह के रूप में स्थापित की गयी है। उसके काम निम्न प्रकार हैं—

(१) देश के भौतिक साधनों, पूँजी एवं मानवीय साधनों जिनमें तांत्रिक नियायी बग (Technical Personnel) भी सम्मिलित हैं का अनुमान लगाना तथा यह जांच करना कि इन साधनों की कमी होने पर इनकी पूर्ति कहाँ तक सम्भव है।

(२) देश के साधनों का सन्तुलित प्रत्यक्ष उपयोग करने हेतु योजना बनाना।

(३) प्राथमिकताओं के निर्धारित होने पर योजनाओं की सञ्चालन-अवस्थाओं का निरीक्षण करना तथा साधनों का प्रयोग अवस्था की पूर्ति हेतु बँटवारा करना।

(४) इन घटकों का बताना जिनके द्वारा आर्थिक विकास में रुकावट आती है। वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओं का इष्टित रूप बनने हेतु योजना की सफलता के आवश्यक परिस्थितियों का निर्धारण करना।

(५) योजना की प्रत्यक्ष अवस्था (Stage) के समस्त पहलुओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु व्यवस्था (Machinery) के प्रकार का निर्धारण करना।

(६) समय-समय पर योजनाओं की विभिन्न अवस्थाओं के सञ्चालन में प्राप्त सफलता की आकना और इस सफलता के आधार पर नीति एवं कार्यवाहियों में समायोजन करने के लिए सिफारिश करना।

(७) ऐसी आन्तरिक एवं उपयोगी सिफारिशें करना, जिनसे इनका सौंपे गए कर्तव्यों की पूर्ति में सुविधा होती हो अथवा वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, नीतियों, कार्यवाहियों एवं विनाश कारकों पर विचार करके उपयोगी सिफारिशें करना अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा सौंपी गयी विविध समस्याओं का अध्ययन करके सिफारिश करना।

योजना आयोग के उपर्युक्त समस्त कार्यों का प्रकार परामर्शदात्री (Advisor) है, परन्तु जिन मामलों में योजना आयोग का सलाह देने के लिए कहा जाता है अथवा उसे सलाह देना आवश्यक होता है वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उसके सलाह का निरन्तर करना सम्भव नहीं होता, इसलिए योजना-आयोग की अधिकतर सलाह को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, परन्तु इन सबका यह तात्पर्य नहीं है कि योजना-आयोग की सरकार के केन्द्रीय मन्त्रालय के ऊपर का स्थान श्रान्त है। भारत में योजना के कार्यक्रम की प्रगति की आकना भी योजना आयोग का कर्तव्य है। वास्तव में प्रगति का आँकने का कार्य एक पृथक् संस्था द्वारा किया जाना चाहिए जो

याजना जायोग के किसी प्रकार अधीन न हो : प्रगति आकन का काय महत्वपूर्ण है । वास्तव मे यह काय राज्य एवं केन्द्रीय सरकारो द्वारा किया जाना चाहिए । कुछ सामा तक यह काय उनके द्वारा किया जाता है परन्तु योजना आयोग अतिन भारताय दृष्टिकोण के साथ इस काय को करन के लिए अधिक उपयागी है । वह सलाह एवं रिपाट कर सकता है कि क्या किया जा रहा है ।^१

प्रस्ताव मे याजना आयाग के सामाजिक एवं आर्थिक निवास से सम्बन्धित कल्या का सायाय विवरण दिया गया था । इन कल्या की पूर्ति क लिए आयाग का विभिन्न अध्ययन निरन्तर करन हाने । आयोग के इन अध्ययनो का विरलपण निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(१) सामग्री, पूँजी एवं मानवीय साधनो का मूल्याकन, सरक्षण एवं उनमे वृद्धि—नियोजन का मूलभूत उद्दय है कि पुरुष एवं स्त्रिया क जीवन स्तर को अधिक गुणात्मक होना चाहिए । इसक लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विस्तृत व्यवस्था हानी चाहिए । याजना के विभिन्न कायक्रमो को श्रम शक्ति का आवश्यकता का अनुमान समय समय पर लगाया जायगा और इनकी पूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था की जायगा । प्रादृष्टिक साधना का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अध्ययन किया जायगा और उनका सर्वधोष्ठ विधियो से रक्षित रखन एवं उपयोग करन के सम्बन्ध मे व्यवस्था की जायगी । विस्तीय साधनो का भी निरन्तर अध्ययन किया जायगा । मूल्य एवं उपयोग-स्तर का समय समय पर अध्ययन भी योजना आयाग करेगा ।

(२) साधनो का सन्तुलित उपयोग—योजना आयाग को योजनाओं द्वारा यह परामश दना हागा कि उपलब्ध साधनो का उपयोग अधिकतम प्रगति दर एवं अधिकतम सामाजिक धाम न साथ प्राप्त करन के लिए किस प्रकार सन्तुलित उपयोग किया जायगा ।

(३) सामाजिक परिवर्तन—योजनाया की सफलता के लिए जो सामाजिक व्यवस्था मे परिवर्तन आवश्यक हो उनका अध्ययन किया जायगा । इस सामाजिक परिवर्तनो को जान क लिए जिन वैधानिक एवं अन्य कायवाहिया की आवश्यकता होगी, उनके सम्बन्ध मे योजना आयोग द्वारा अध्ययन किया जायगा । विचारधाराया मे जिन परिवर्तनो को जान की आवश्यकता होगी उनका भी अध्ययन किया जायगा ।

1 This business of appraisal is therefore of the utmost importance. Naturally it is a business which the State Government and the Central Government should take up and to some extent they do it but the Planning Commission with its All India outlook is best placed to look into it and to advise and report as to what is being done.
(Prime Minister Late Jawahar Lal Nehru *Problems in the Third Plan* p 45)

(४) नीतियों पर पुनर्विचार—योजना आयोग अथ-यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए जो परामर्श देगा, उनमें सम्बन्धित नीतियाँ जो विकास के लिए आवश्यक हों वे सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करेगा। यह सुझाव वर्तमान नीतियों का अध्ययन करने के लिए दिये जायेंगे।

(५) नियोजन यांत्रिकता (Planning Technique)—योजना-आयोग उन पाठ्य मंत्रालयों के नियोजन यांत्रिकताओं का निरन्तर अध्ययन करेगा जहाँ जहाँ इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना पड़ेगा।

(६) प्राथमिकताओं का विचार—प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए योजना-आयोग गुण (Criteria) निर्धारित करेगा। विभिन्न परिवर्तनकारों एवं कार्यक्रमों का आर्थिक एवं वित्तीय विचारपात्रों के माध्यम से जायजतापूर्वक अध्ययन किया जायगा जिससे उपलब्ध साधनों पर विभिन्न परिवर्तनकारों के प्रतिस्पर्धी दावों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

(७) जन-सहयोग—आयोग द्वारा निरन्तर अध्ययन किया जायगा कि लोगों की योजनाओं के प्रति उनके अधिकार एवं कर्तव्यों का आभास किन कार्यक्रमों द्वारा किया जा सकता है।

(८) प्रगति का मूल्यांकन—आयोग समय-समय पर उपलब्ध प्रगति का अध्ययन करेगा और उन घटकों का विश्लेषण करेगा जो विकास में बाधक हों। इस विश्लेषण के आधार पर आयोग-नीतियों में समायोजन करने तथा प्रशासनिक सुधार करने के सुझाव प्रस्तुत करेगा।

(९) मूल्यांकन एवं अनुसंधान (Evaluation and Research)—उपलब्ध परिणामों का मूल्यांकन आयोग द्वारा किया जायगा। विभिन्न वैधानिक कार्य एवं अन्य नायबाहिरियों के आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान उपलब्ध किया जायगा।

आयोग का संगठन

भारतीय संविधान में योजना-आयोग जैसी संस्था का कोई उल्लेख नहीं है। भारत सरकार के सन् १९५० के प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना स्थायी रूप से की गयी और इसके सदस्यों की संख्या, योग्यताओं आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी सदस्यता का आधार एक प्रकार इन्हींलिए समय-समय पर बदलता रहा है। प्रधानमंत्री प्रारम्भ से ही योजना आयोग का अध्यक्ष रहा है। इसके अतिरिक्त प्रारम्भ में पूरनाबीन (Full Time) सदस्य थे जिनमें श्री तुलजासीतल नन्दा उपस्थित तथा श्री जी० टी० डूंगराचार्य, श्री सी० डी० देगुल, श्री जी० एल० मेहता तथा श्री बार० के आर्थिक समिति के थे। बाद में श्री सी० डी० देगुल वित्त मंत्री हो गये और श्री तुलजासीतल नन्दा योजना मंत्री और दातों केन्द्रीय मंत्री होने के साथ-साथ आयोग के सदस्य बने रहे। वित्त मंत्री की आयोग का पदेन सदस्य

(Ex officio) बना दिया गया। इससे पश्चात् समय समय पर अन्य मंत्रियों को उनके व्यक्तित्व एवं विभाग के महत्व के आधार पर आयोग का सदस्य बनाया गया। अधिकतर परिस्थिति इस प्रकार रही कि आयोग के पुनरासीत सदस्यों का केन्द्रीय मंत्री नियुक्त किया गया और केन्द्रीय मंत्री बनने के बाद वे आयोग के सदस्य बन रहे। आयोग में इस प्रकार ३ से ५ तक केन्द्रीय मंत्री सदस्य बन रहे। सितम्बर सन् १९६७ में प्रथम निम्न गुणधार आयोग के शुभाभा के आधार पर योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया और मंत्री गणस्य का हटा लिया गया। इस सम्प्रथम देश भर में बड़ी क्षालना हुई कि केन्द्रीय मंत्रियों के आयोग के सदस्य होने के कारण आयोग तबत सलाहकार सस्था नहीं रह सके है प्रत्युत यह नियम एत निर्णय माला सस्था बनती जा रही है। योजना आयोग का पुनर्गठन करने श्री० डी० आर गाडगिल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रशासनिक गुणधार आयोग में योजना आयोग के सम्प्रथम जो अन्य सिफारशों की ये निम्न प्रकार हैं—

(१) योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा सल्लेख केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से नहीं लिए जाने चाहिए परन्तु अध्यक्ष-पद पर प्रशासनिकी का रहना उचित है। यह अपना सहायता के लिए एक राज्य मंत्री (Minister of State) को एक मन्त्रता है।

(२) योजना आयोग के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान एत अनुभव होना चाहिए। के समय विवेक विषय का हो संकीर्ण ज्ञान न रखने हूँ। इस प्रकार योजना आयोग केवल विशेषज्ञों की ही सस्था नहीं होनी चाहिए।

(३) राष्ट्रीय योजना परिषद् नियोजन सम्बन्धी सर्वोच्च सस्था के रूप में योजनाओं के निर्माण में सुलभ निर्देश देती रहे। उसकी तथा उसके द्वारा नियुक्त विभिन्न उपसमितियों को और अधिक नियमित बैठने होनी चाहिए।

(४) योजना आयोग द्वारा नियुक्त बहुत सी सलाहकार समितियाँ एवं समूह द्वारा कार्य विवेक उपयोग काय नहीं किया जाता है। इसलिये सलाहकार समितियों की स्थापना तोष विचार कर की जानी चाहिए और उनका कार्य एवं काय संचालन विधि उचित रूप में पूर्व निर्धारित कर दी जानी चाहिए। जिन केन्द्रीय मंत्रियों में सलाहकार समितियों कार्य कर रही हूँ उनका स्वागतमय उपयोग योजना आयोग को करना चाहिए।

(५) एक लोकसभा सदस्यीय समिति की स्थापना राजकीय व्यवसाय समिति (Committee for Public Undertakings) में समान की जानी चाहिए जो यापित प्रगति प्रतिवेदन एवं योजनाओं की संचालनाओं के सुधारों के उपर्युक्त प्रतिवेदन का अध्ययन करे।

(६) योजना आयोग के काय संचालन के लिए तीन स्तरीय अधिकारी हूँ चाहिए—सलाहकार विवेक विवेक तथा विशेषज्ञता। आयोग का मध्यम व जांच अधिकारियों (Investigators) की आवश्यकता नहीं है।

(७) दिल्ली में एक प्रशिक्षण-संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें विकास-सम्बन्धी विभिन्न पक्षा में दक्षता देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

(८) विभिन्न विकास-परिपदों (जो प्रत्येक महत्वपूर्ण उद्योग के लिए स्थापित की हुई हैं) के साथ एक योजना समूह (Planning Group) बना रहना चाहिए। यह समूह निजी क्षेत्र व उद्योगों से योजनाओं के निर्माण में सक्रिय सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(९) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न आर्थिक सलाहकार-बलों में अधिक समन्वय एवं संचार (Communication) के लिए एक स्टडींग समिति की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें विभिन्न मंत्रालयों एवं योजना आयोग व आर्थिक एवं सांख्यिकीय बलों के अध्यक्ष सदस्य होने चाहिए।

(१०) राज्यो में त्रि-स्तरीय योजनाकरण (Planning Machinery) की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य योजना परिषद् (State Planning Board), विभागीय नियोजन सहायक तथा क्षेत्रीय एवं जिला-स्तरीय नियोजन समूहों। योजना-परिषद् और राजनीतिक विशेषज्ञों की संस्था हानी चाहिए जिसका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री होना चाहिए। यह परिषद् राज्य की योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग के समान कार्य करे। विभागीय योजना-सहायक उस विभाग की विभिन्न विकास-परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करें तथा उनके उचित क्रियान्वयन की देखभाल करें। प्रत्येक जिले में एक पृथक पूरा समय (Whole Time) के लिए योजना एवं विकास अधिकारी होना चाहिए तथा एक जिला योजना समिति होनी चाहिए जिसमें पंचायतों, नगर-पालिकाओं के प्रतिनिधि तथा कुछ न्यायसाहिक विशेषज्ञ होने चाहिए।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों में से कुछ को कार्यान्वित कर दिया गया और योजना आयोग का पुनर्गठन करने ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की गयी जो केन्द्रीय मंत्री नहीं हैं। प्रो० गाइडिल को उपाध्यक्ष नियुक्त करने के साथ श्री आर० बेंकटारमन, श्री पी० कट्टापिप्पाह श्री पी० राम्बर पट्ट और डॉ० सी० डी० नागचौधरी का योजना आयोग का महत्व नियुक्त किया। विस्तार की को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है।

आयोग के पृथकालीन सदस्यों के विभिन्न कार्य प्रारम्भ से ही नियत रहे हैं। योजना-आयोग में कार्य-संचालन के लिए बहुत से बख (Divisions) हैं और इन बखों को विभिन्न सदस्यों में बाँट दिया गया है। कार्य विभाजन की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है—

आयोग के समस्त चित्र से पता चलता है कि प्रबंध एवं प्रशासन के दृष्टिकोण से आयोग में बहुत से बख एवं खण्ड हैं।

आजकल योजना आयोग में २० बख हैं जिनमें से छह साधारण बख

(General Divisions) इस विषय बदा (Subject Divisions), दो सम्बन्ध बदा (Coordination Divisions) तथा दो विशिष्ट विभागत-परियोजनामा के बदा हैं।

(अ) साधारण बदा—यह अतगत सम्मिलित हाने वाले छह बदा योजना बनाने हेतु पृष्ठभूमि तयार करते हैं। इनके द्वारा जो कार्य सम्पन्न किये जाते हैं, उनका सम्बन्ध योजना के समस्त बायजर्मा से होता है। इस प्रकार ये भागारभूत साध्य, जाँच एव मूचनाएँ एकत्रित करते हैं और दीयकालीन नीतिया के सम्बन्ध म सुभाब तयार करते हैं। इन बदाओं म निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(१) आर्थिक बदा (Economic Division)—इस बदा म विसीय साधन, आर्थिक नीति एव प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एव विकास, मुख्य नीति तथा अन्तर उद्योग अध्ययन सम्बन्धी पृथक खण्ड हैं।

(२) दीयकालीन नियोजन बदा (Perspective Planning Division),

(३) धम एवं रोजगार बदा (Labour and Employment Division)

(४) साध्यकी एव सर्वेक्षण बदा (Statistics and Survey Division)

(५) साधन एव पानािनक अनुगणन बदा (Resources and Scientific Research Division)। इसम प्राकृतिक साधन एव पानािनक षोध क पृथक पृथक खण्ड हैं।

(६) प्रत्येक एव प्रशासन बदा—प्रत्येक बदा का सर्वोच्च अधिकारी एक मन्त्रा लक होता है जिसकी सहायता के लिए सहायक सपासक भी नियुक्त किये जाते हैं। प्रत्येक बदा म अनुगणन सर्वेक्षण की व्यवस्था भी है और इन्हें लिए अनुगणन कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है।

(आ) विषय बदा (Subject Division)—योजना म सम्मिलित हाने वाले विभिन्न बायजर्मा की प्रमुख मदों क आधार पर बदा स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक बदा उसमें सम्बन्धित विशिष्ट बायजर्मा के अन्तगत आन वाले समस्त बायजर्मा का विवरण एकत्रित करता है और उस सम्बन्ध म योजना तयार करता है। इनमें निम्न-लिखित बदा सम्मिलित हैं—

(१) कृषि बदा—सहकारिता एवं सामुदायिक विकास सहित

(२) सिंचाई एव शक्ति बदा,

(३) भूमि सुधार बदा,

(४) उद्योग एव शक्ति बदा जिसम उद्योगा मन्त्रिक एव मररारी क्षेत्र के व्यवसायों के प्रथक खण्ड हैं।

(५) पानाण एवं मशु उद्योग बदा,

(६) मातापीन एव संचार बदा,

(७) शिक्षा बदा,

(८) स्वास्थ्य बदा

- (६) निम्नानुसूचित वर्ग जिल्लों में नगरों के विद्यालय-कार्य सम्मिलित हैं,
 (१०) समाज-व्यापक वर्ग या पिछड़े वर्गों के व्यापक में सम्मिलित हैं।

विषय वर्ग अपने विषय से सम्बन्धित कन्द्रीय एवं राज्य मन्त्रालयों में निम्नतर सम्बन्ध बनाये रहते हैं और उनसे आवश्यक तथ्य एकत्रित करके अपने विषय के सम्बन्ध में प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। यह वर्ग अपने विषय के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार अनुसंधान का अध्ययन भी करते हैं।

(६) समन्वय वर्ग (Coordination Division)—इसके सम्बन्धित विभागों का प्रमुख कार्य विभिन्न वर्गों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में प्रशासन सम्बन्धी आवश्यकताओं को निर्धारित करना तथा विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना है। इसमें दो विभाग हैं—कार्यक्रम प्रशासन विभाग (Programme Administration Division) तथा योजना समन्वय विभाग (Plan Coordination Division)। प्रथम विभाग विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्र प्रशासन क्षेत्रों की वचनबद्ध योजनाओं में समन्वय स्थापित करता है और योजना आयोग एवं राज्यों के अधिकारियों में विचार विमर्श का आयोजन करता है।

(६) विभिन्न विद्यालय-परियोजनाओं के कर्तव्य—इसके अन्तर्गत के विभाग आते हैं जो समस्त योजना के सफल संचालन के लिए अधिक महत्वपूर्ण समझे जाते हैं और जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इनमें दो विभाग सम्मिलित हैं—ग्रामीण कार्यपालना विभाग (Rural Works Division) तथा जन-सहायता विभाग (Public Cooperation Division)।

उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त योजना-आयोग के अन्तर्गत चार और संस्थाएँ हैं—

(१) कार्यक्रम मूल्यांकन संस्थान (Programme Evaluation Organisation)—यह संस्था योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करती है और आवश्यकता पड़ने पर योजना में संशोधन करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करती है।

(२) परियोजना समिति (The Committee on Plan Projects)—यह समिति अतिरिक्त की योजनाओं में सम्मिलित की जाने वाली परियोजनाओं का निष्कासन करती है। राज्य सरकारों द्वारा या नवीन परियोजनाएँ संचालन आयोग के पास भरी जाती हैं उनके सम्बन्ध में विचार विमर्श करके सुझाव तैयार करती है।

(३) अनुसंधान कार्यक्रम समिति (The Research Programme Committee)—यह समिति अनुसंधान-कार्यों का आयोजन करती है।

(४) राष्ट्रीय योजना परिषद् (National Planning Council)—इस संस्था में वैज्ञानिक, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रज्ञ तथा अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। योजना-व्यापक के उपाध्यक्ष इस परिषद् के अध्यक्ष हैं। यह परिषद् स्वतन्त्र व्यक्तियों की संस्था है जो कार्यक्रम बनाने में सहायता एवं सुझाव देती है।

वर्किंग ग्रूप

याजना आयोग व इन विभिन्न कक्षाएं सस्थाओं के अतिरिक्त नवीन याजना बनाने के लिए बहुत से और वर्किंग ग्रूप्स (Working Groups) की स्थापना की जाती है। लगभग प्रत्येक के द्रीय मन्त्रालय अपने अन्तर्गत अपने वाले विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में कार्यक्रम निर्धारित करने हेतु वर्किंग ग्रूप्स की स्थापना करता है। इन ग्रूप्स में मन्त्रालय के अधिकारियों के अतिरिक्त आयोग के सम्बन्धित कक्षा के अधिकारी, अयोग्यज्ञो, तांत्रिक विशेषज्ञ एवं उद्योगों के प्रतिनिधि अथवा विशेषज्ञ सम्मिलित किए जाते हैं। यह वर्किंग ग्रूप आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं परन्तु इनका अध्यक्ष प्रायः सम्बन्धित के द्रीय मन्त्रालय का सचिव होता है जिससे आयोग एवं सरकार में पूर्णरूपेण सहयोग बनाए रखना सम्भव है। वर्किंग ग्रूपों की स्थापना प्रत्येक याजना के निर्माण के पूर्व अस्थायी रूप से की जाती है और ये ग्रूप याजना के निर्माण के सम्बन्ध में परामर्श देते हैं। भारतीय योजनाओं के निर्माण में वर्किंग ग्रूपों का अत्यधिक योगदान रहा है। इनके द्वारा योजना के निर्माण में उन लोगों का परामर्श भी प्राप्त हो जाता है जो बाद में योजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं। इस व्यवस्था में योजना को क्रियान्वयन करने वाले में भागीदारी की भावना उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त जो निम्न योजना के निर्माण में लिए जाते हैं वे अधिक व्यावहारिक होते हैं। राज्य सरकारें भी विभिन्न विषयों में सम्बन्ध में वर्किंग ग्रूप स्थापित करती हैं जो राज्यों की योजनाओं के निर्माण में परामर्श देते हैं।

सलाहकार-समितियाँ

वर्किंग ग्रूप के अतिरिक्त विभिन्न सलाहकार सस्थाओं का स्थापना भी की जाती है जिनको पैनल, सलाहकार समिति (Advisory Committee) अथवा परामर्श समिति (Consultative Committee) का नाम दिया जाता है। यह सस्थाएँ प्रायः स्थायी होती हैं। यह समितियाँ वर्ष में दो या तीन बार अपना सभाएं करती हैं और योजना की नीतियों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में परामर्श देती हैं। इनमें मुख्य अयोग्यज्ञता का पनल, वनानिकों का पनल, कृषि भूमि-सुधार, आयुर्वेद स्वास्थ्य शिक्षा तथा निवास-गृह एवं क्षत्रीय विकास के सम्बन्ध में पृथक-पृथक पनल हैं। इनके अतिरिक्त बहुत-सी सलाहकार समितियाँ हैं—सिचाई एवं नियंत्रण एवं शक्ति परियोजनाओं के सम्बन्धित समिति, जन सहयोग हेतु सम्बन्धित समिति तथा जन सहयोग-सम्बन्धी राष्ट्रीय परामर्श समिति।

मोहसभा के सदस्यों से परामर्श करने हेतु याजना आयोग के लिए एक लोक सभा के सदस्यों की सलाहकार-समिति है। यह समिति लोक सभा के सदस्यों एवं योजना आयोग के सदस्यों में विचार विमर्श के लिए व्यवस्था करती है। याजना आयोग के कार्य में योगदान देने का कार्य अथवा सहायक सस्थाओं द्वारा किया जाता है। इन सस्थाओं में के द्रीय मन्त्रालय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा के द्रीय सांख्यिकीय समिती

(Central Statistical Organisation) प्रमुख हैं। रिजर्व बैंक का आर्थिक विभाग अधिकांशतः एक वित्त के सम्बन्ध में योजना आयोग के लिए बहूत से अध्ययन करता है। इसी प्रकार केंद्रीय सांख्यिकीय मण्डल नियोजन के लिए आवश्यक सांख्यिकीय एकरित करता है।

आयोग का सरकार के साथ सम्पर्क

योजना आयोग और केंद्र एवं राज्य सरकारों में सम्पर्क, सहभाग एवं समन्वय हाता योजनाओं की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। प्रधान मंत्री के आयोग के अध्यक्ष एवं विभिन्न मंत्रियों के आयोग का सदस्य हाता के कारण यह सहयोग एक समन्वय इतना अधिक रहा है कि आयोग का दूसरी सरकार की उपमा दी जाना लगी थी। अब केंद्र वित्त मंत्रियों ही आयोग के परम सदस्य हैं और प्रधानमंत्री के माध्यम से समस्त मंत्रालयों एक आयोग में सहभाग बना रहता है। इसके अतिरिक्त जब भी आयोग किसी विशिष्ट विषय पर विचार करता ही तो प्रायः इतने विषय में सम्बन्धित केंद्रीय मंत्रियों का विशेष रूप में आमंत्रित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों के आर्थिक सुझावों पर योजना आयोग का परामर्श भी मांग लिया जाता है।

अधिकारियों के स्तर पर आयोग और सरकार में सम्पर्क बनाये रखने के लिए दिसम्बर, सन् १९६४ तक केंद्रीय मंत्रिमण्डल का सचिव आयोग का परम सचिव रहता था। मंत्रिमण्डल के सचिव द्वारा इस प्रकार मन्त्रियों व विभागों और आयोग के विचारों में समन्वय बनाये रखना सम्भव होता था परन्तु इस व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष यह था कि आयोग केवल परामर्श देने में असमर्थ रहता था और आयोग का परामर्श ही सरकार का नियम हा जाता था। इसलिए आयोग का एक पूर्णकाल (Full Time) सचिव होना है।

इसके अतिरिक्त योजना आयोग के अधिकारों सरकार द्वारा नियुक्त मन्त्रियों एवं परिषदों में सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों को आयोग द्वारा नियुक्त समितियों आदि में सदस्य नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार आयोग एक सरकार में घनिष्ठ सम्पर्क बना रहता है।

सरकार से सम्पर्क बनाये रखने के अतिरिक्त आयोग जनता का संपर्क मध्यावधि में भी सम्पर्क बनाये रखता है। भारतीय चम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, प्रसिद्ध भारतीय वीडी आदि के साथ आयोग विचार विमर्श करके आवश्यक सहभाग एवं जानकारी प्राप्त करता है।

योजना आयोग अब देशों के विदेशों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विशेषज्ञों के साथ भी संपर्क करता रहता है। आयोग का सम्पर्क विदेशविद्यालयों एवं गणित संस्थाओं से भी बना हुआ है। इसके लिए प्लानिंग फोरम के माध्यम से उपयोग किया जाता है।

कार्यक्रमों का मूल्यांकन

कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन प्रायः योजना आयोग द्वारा ही किया जाता है। योजना समन्वय कक्ष का प्रगति इकाई (Progress Unit) द्वारा योजना आयोग विभिन्न मन्त्रालयों एवं राज्य सरकारों से आवश्यक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करता है। विविध परियोजनाओं का प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए दो संगठन हैं। पहला दाना डी आयोग से सम्बद्ध है परन्तु यह अपने कार्य की जाफा स्वतंत्रता है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (Programme Evaluation Organisation—P E O) की स्थापना अक्टूबर सन् १९५२ में की गयी थी और इसे सामुदायिक परियोजनाओं एवं अन्य ग्रामीण विकास को परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य दिया गया। धीरे धीरे यह एक बड़ी संस्था बन गयी और मई सन् १९६२ में यह मूल्यांकन सलाहकार परिषद् (Evaluation Advisory Board) के निर्माण में बदल गयी। इस परिषद् में Institute of Economic Growth के सचिव लॉर्ड एन कृपि मन्त्रालय का एक भूतपूर्व अधिकारी कृपि जयशंकर का एक प्राक्केत समाजशास्त्र का एक प्राध्यापक तथा P E O के सचिव नदस्य हैं। सन् १९५४-५५ तक P E O केवल संगठन एवं प्रबंध सम्बन्धी प्रश्नों पर ही अपने विचार देता था परन्तु सन् १९५४-५५ में यह सामुदायिक विकास परियोजनाओं को उपलब्धता एवं प्रभाव का अध्ययन भी करने लगा। सन् १९६०-६१ में इस संस्था में सामुदायिक विकास की कमी आलाचना और उसके बाद सामुदायिक विकास परियोजना का मूल्यांकन करके उसे प्रमाणित करना बंद कर दिया। अब यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से सम्बन्धित योजना कार्यक्रमों में कुछ चुनकर उनका अध्ययन एवं मूल्यांकन करती है।

मई सन् १९५६ में आयोग की सिफारिश पर मूल्यांकन करने वाली दूसरी संस्था योजनाओं की परियोजनाओं से सम्बन्धित समिति (Committee on Plan Projects—COPP) की स्थापना की गयी। इस संस्था में केन्द्रीय गृहमन्त्रा विज्ञानज्ञी तथा आयोग के उपाध्यक्ष सम्मिलित हैं। जब किसी परियोजना पर विचार किया जाता है तो सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय मन्त्रा को और सम्मिलित कर लिया जाता है। यह संस्था केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का सम्बन्धी परियोजनाओं की जांच-पड़ताल (फायलेंडर का निरीक्षणसहित) विनियमों से जुड़ी गयी टाका द्वारा मगठि करती है। इसके अतिरिक्त यह संस्था विभिन्न अध्ययनों द्वारा सिफारिश किए गये संगठन के प्रारूपों विज्ञान प्रणाली तथा मित्ययता प्राप्त करने की तांत्रिकताओं से सम्बन्ध में सुझाव देती है। इस समिति में जो सुझाव विभिन्न प्रतिवेदनों द्वारा दिये जाते हैं उनके क्रिया-व्ययन की देखभाल भी यह समिति करता है। C O P P विभिन्न परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए विज्ञान का जसयायी टीम स्थापित करता है। इन टीमों के प्रतिवेदन को राज्य सरकारों एवं सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों में पास भजा जाता है और उनकी टीका टिप्पणियों के आधार पर

इनकी अन्तिम रूप देकर इन्हें योजना आयोग द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है और उनसे निश्चित समयावधि पर प्रगति-सम्बन्धी प्रतिवेदन देन की कहा जाता है।

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council)

प्रधानमन्त्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्रियों में योजना-सम्बन्धी विचार-विमर्श के लिए ६ अगस्त सन् १९५२ का राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गयी। इसका कार्य निम्न प्रकार है—

(१) राष्ट्रीय योजना के संचालन की नमन-समय पर समीक्षा (Review) करना।

(२) राष्ट्रीय विकास का प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक नीति-सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना।

(३) राष्ट्रीय योजना के उद्देश्या एवं लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए बाधवारियों की पहचान करना तथा उनका समाधान सुझाए एवं भागीदारी प्राप्त करने, प्रशासनिक सुविधाओं की आवश्यकता में सुधार करने अथवा बिजली की कमी एवं समाज के वर्गों के पुन विकास का समन्वय नागरिकों के समान स्थापन द्वारा आयोगन करने तथा राष्ट्रीय विकास के साधन एकत्रित करने के लिए आवश्यक कार्यक्रमों की सिफारिश करना।

राष्ट्रीय विकास परिषद अपनी सिफारिशों केन्द्र एवं राज्य सरकारों को देती है। इस परिषद में प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य सम्मिलित रहते हैं। इनके अतिरिक्त निम्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता हुआ है— उसके सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्री भी सभाओं में आमन्त्रित किए जाते हैं। योजना-आयोग विभिन्न मन्त्रालयों के परामर्श से विचार विमर्श किए जाने वाले विषयों का आन्तरिक प्रस्ताव एवं सूचनाएँ तैयार करके परिषद के सम्मुख रखता है। योजना के निष्पादन में इस परिषद की अन्तिम नियम लेने का अधिकार है। यह नियोजन-सम्बन्धी मामलों में देश की सर्वोच्च संस्था है। इसका अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सचिव मुख्यमंत्री होने के कारण इनके नियमों की अन्तिम ही समझा जाता है और कर्तव्य मन्त्रालय इन नियमों से प्रत्येक हर दिन नहीं करते हैं। नियोजन सम्बन्धी समस्त आवश्यक नीतियों का अन्तिम निर्धारण इसी परिषद द्वारा किया जाता है।

योजना-आयोग की कार्य विधि के दोष

भारतीय योजना आयोग यद्यपि वैधानिक रूप से एक परामर्शदायी संस्था है परन्तु इसके द्वारा अपनायी गयी कार्य विधि एवं इसमें सम्मिलित सदस्यों की केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के मन्त्रालयों के समान कार्य करने की विधि ने इस संस्था को वास्तव में कुछ प्रगति-सम्बन्धी अधिकार प्रदान कर दिये हैं। योजना-आयोग में कुछ केन्द्रीय मन्त्रालयों के मंत्रियों को सहस्यता प्राप्त होने पर यह मन्त्रालय वास्तव में

योजना आयोग की कार्यवाहियाँ को प्रभावित करते थे और योजना आयोग समस्त मन्त्रालयों के साथ एक विवेचना की सत्था के रूप में समान व्यवहार नहीं कर पाता था। योजना आयोग का सन् १९६७ में पुनर्गठन होने के पश्चात् यह दोष बड़ी सामान्य रूप से दूर कर दिया गया है और अब केवल प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री ही (केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में से) आयोग के समस्त अध्यापन एवं पठन सदस्य हैं परन्तु अब भी यह कहा जा सकता है कि आयोग द्वारा केन्द्रीय मन्त्रालय एवं राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जो सिफारिशें भेजा जाती हैं उनको प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री का समय ही के कारण इन सिफारिशों की स्वीकृति निश्चित ही होती है। इस प्रकार योजना आयोग केवल एक परामर्शदात्री संस्था न होकर प्रशासनिक अधिकार प्राप्त संस्था बन गयी है। इन परिस्थितियों के फलस्वरूप योजना आयोग तांत्रिक विभाजन संस्था का कार्य करने से अधिक एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था का रूप ग्रहण कर ली है। इस सम्बन्ध में यह दस्तावेज बहुत तत्परता से प्रदान होनी है कि यदि आयोग का केवल एक विवेचना की परामर्शदात्री संस्था माना बना दिया जाय और उसे राजनीतिक प्रभुत्व से वंचित कर दिया जाय तो इसके द्वारा दी गयी सिफारिशों एवं सुझावों पर राजनीति काई ध्यान नहीं देंगे और उनके क्रियान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठेगा। फिलीपाइन्स तथा ग्रीस में योजना आयोग को राजनीतिक प्रभावों से वंचित रहने के कारण उसकी सिफारिशों आदि को महत्वहीन समझा जाता है। पाकिस्तान एवं हंगरी के अन्तर्गत गणराज्य में भी इसी प्रकार की स्थिति थी जिसे दूर करने का प्रयत्न किया गया है।

इन प्रकार भारतीय नियोजन-संस्था का प्रमुख गुण यह है कि इसमें नियोजन को राजनीतिक दान प्रदान कर दिया गया है।^१

योजना आयोग के अधिकारियों में बहुत से ऐसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं जो किन्हीं मन्त्रालयों में पद ग्रहण करने के साथ योजना-आयोग में विवेचना का कार्य भी करते हैं। इससे अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों एवं योजना आयोग के विवेचना के साथ एक बग में रखा जाता है जिसके फलस्वरूप विवेचना एवं प्रशासनिक अधिकारियों में पारस्परिक स्थानान्तरण हासिल रहता है। योजना-आयोग के गठन के इस दोष के कारण प्रायः ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि योजना आयोग बजाय सलाह प्रदान करने के मन्त्रालयों की सलाह को रद्द करने के अवसर प्राप्त कर लेता है।

इसके अतिरिक्त योजना आयोग की सलाहकार-संस्थाओं के सम्बन्ध में काय निश्चित नीति नहीं है। इनकी स्थापना द्रुत गति से योजना का निमाण करने के

1 The Cardinal virtue of the Indian System is that it has put political teeth into planning
(A. H. Hanson *The Process of Planning* p 73)

साध-साध हो जाती है, परन्तु योजना बनने के पश्चात् इनका उचित उद्योग नहीं किया जाता है। इन सलाहकार सम्पादकों को अपने अपने विनिश्चित क्षेत्र में निरन्तर कार्य करते रहना चाहिए और योजना-आयाजी की योजनाओं के कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सलाह देते रहना चाहिए। ये सम्पादक नियोजन की समस्याओं का निरन्तर अध्ययन करें और जविय की योजनाओं पर सामूहिक विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित प्रदान करें।

राज्य के इतने अधिक विभाग एवं सम्पादक स्थापित करने की हैं (जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है) कि विभिन्न विभागों एवं सम्पादकों के कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन विभिन्न विभागों एवं सम्पादकों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य सुचारु रूप से नहीं किया जाता है।

योजना आयाजी विभिन्न वाद्ययंत्रों एवं परिव्योक्तियों के निर्माण करने के लिए बड़ी समर्थता से कार्य करता है और इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएँ एकत्रित की जाती हैं तथा विवेचनाएँ एवं अनुभवों व्यक्तियाँ की सलाह भी जाती है परन्तु इन योजनाओं के पूर्ण संचालन हेतु उचित मात्रा-अवस्था एवं मिश्रणों के सम्बन्ध में सलाह प्रदान नहीं करता है जिसके फलस्वरूप अनेक परिव्योक्तियों को निष्पादन के क्षेत्रों के कारण पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं होती है।

भागीय नियोजन-अवस्था के क्षेत्र

भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् नियोजित अर्थ-व्यवस्था का संचालन एक ऐसी व्यवस्था प्रथा यत्र के रूप में किया गया जिसके द्वारा समस्त जादिक सामाजिक एवं लक्ष्य सम्पादकों का निर्माण अवश्य ही सम्भव हो सके। नियोजन के द्वारा इस प्रकार जादिक विभाग के क्षेत्र की प्रति ही नियोजन द्वारा नहीं की गयी थी अतिसु, सर्वोपेक्षा विभाग, नियोजन के फलस्वरूप प्राप्त करने का जवियकारी लक्ष्य जनसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। एक मासना को लेकर निर्देशित व्यवस्था में उद्यम होने वाली वस्तुओं एवं श्रावणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यह समझ दिया गया कि जो भी वस्तुएँ नियोजित अर्थ-व्यवस्था के फलस्वरूप उदय होंगी के नियोजित वाद्ययंत्रों द्वारा स्वयं ही दूर हो सकेंगी। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रारम्भ से ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में निवृत्त परिव्योक्तियों का उचित अध्ययन नहीं किया गया और नियोजन को कर्मों की सम्पादित प्राप्ति की कला (Art of the Possible Achievements) का मानकर इसे कर्मों की निश्चित प्राप्ति का चतुर्विध यत्र समझा गया। इन मासनाओं के आधार पर भारतीय नियोजन-कला में निम्नलिखित अपूर्णताओं को उचित किया जा सकता है—

(१) प्राथमिकताएँ—भागीय नियोजन में प्राथमिकताओं को निर्धारित करने की विधि दीर्घा है। प्राथमिकताओं का अन्तर्गत वह विद्यमान विद्या जाता है

कि विभिन्न कार्यक्रमों का एक दूसरे की तुलना में क्या महत्व है। योजना की प्राथमिकताएँ एक प्याज की माठ के समान निर्धारित होनी हैं, जैसे प्याज के छिलके उतारते चल जाय तो अन्त में उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग निकल आता है उसी प्रकार भारतीय योजनाओं में केन्द्रित कार्यक्रम (Hard Core) बहुत में अल्प नाम क्रमों से घिरे रहन है। वास्तव में विवादायक कार्यक्रमों की प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के साथ प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का वैकल्पिक (Alternative) कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए जो अनिश्चित कम सम्भावित एवं आकस्मिक परिस्थितियों के उदय होने पर कार्यान्वित किया जा सके। इस प्रकार हमारी योजना अधिक लचीली एवं व्यावहारिक बन सकती है।

(२) सामाजिक व्यवस्था एवं परम्पराएँ—भारतीय समाज परिवर्तन की गीघ्रता के साथ स्वीकार नहीं कर पाता और परम्पराओं के अनुसरण का अधिक महत्व देता है। इस परिस्थिति का प्रमुख कारण भारत की बहु धर्म सम्मता है जिसमें जीवन की प्रत्येक क्रियाओं को इस प्रकार सन्तुष्ट किया गया जा कि समस्त समाज में साम्य स्थापित रहे। इस प्रकार की व्यवस्था में कोई एक परिवर्तन करने के लिए बहुत से परिवर्तन करना आवश्यक होता है जिन्हें समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में समाज में सक्रिय क्षेत्रों (जो विकास को धार कुछ सीमा तक जागृत हो) की तात्परिताओं विधियाँ एवं परम्पराओं का विस्तार करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित परिस्थितियों के अनुकूल विकास कार्यक्रम निर्धारित किए जा सकते हैं और इन्हें अधिक कुशलता के साथ तथा कम समय में क्रियान्वित किया जा सकता है।

(३) बुजुर्गशासन (Bureaucracy)—तानपीतागाही एवं बुजुर्गशासन का फलस्वरूप भारत की योजनाओं का स्वरूप केन्द्रित (Centralized) हो गया है जिसमें कार्यक्रमों के उच्च अधिकारियों से प्राप्त आदेशों के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। इन नौकरशाही वातावरण में समान विधियाँ एवं प्रविधियों को अधिक महत्व दिया जाता है और सरकारी अधिकारियों विभिन्न कार्यक्रमों की कवरता को अधिकन में सरल तरीकों का उपयोग करना चाहते हैं। भारत के विभिन्न नियोजित कार्यक्रमों की सफलता का मापदण्ड इन पर किया जाने वाला मौद्रिक व्यय समझा जाता है। भारत जैसे बड़े राष्ट्र में सभी क्षेत्रों में समान परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं और जब नियोजकों द्वारा इन सभी क्षेत्रों का समन्वय का निवारण समान विधियों के कार्यक्रमों द्वारा करने का प्रयत्न किया जाता है तो इसके फलस्वरूप दोषपूर्ण नतीज, जिनका प्रयोग प्रारम्भिकता एवं नवीन विचारधाराओं को आघात पहुँचता है।

(४) योजनाओं के मौद्रिक पक्ष को अधिक महत्व—भारतीय नियोजन में व्यवस्था में विभिन्न योजनाओं के साधनों का बजट बनाने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता है और वित्तीय नियोजन (Financial Planning) वित्त

मन्त्रालय वा उच्चरदादिव है परन्तु नाफिक बजट योजना की विनीय व्यवस्था मुख्य मन्त्र सभका जाता है। योजना-आयोग विधान-सभ एवं नाफनों के सम्बन्ध में राज्य एवं केन्द्र सरकार के सम्बन्ध के रूप में कार्य करता है और इन प्रकार विनीय आयोग के साथ योजना आयोग द्वारा किए जाने जा रहे हैं। इन व्यवस्था का प्रमुख कार्य योजनाओं के मौद्रिक व्यय का अधिक मात्र देना है। योजनाओं में मौद्रिक व्यय को अधिक महत्व देने का कारण ही इनके लिये है कि प्रत्येक नवीन योजना के कुल व्यय का निर्धारित करने के सम्बन्ध में अत्यधिक साद विवाद होता है और भारतीय निर्यातक प्रत्येक योजना के व्यय का विनीय योजना से जुड़ना करते ही अपने आदना विनीयताय समझने जाता है। इनका सम्भवतः एका विचार प्रयोग होता है कि नुदा के प्रवाह के साथ नाफन भी प्रवाहित होने जाते हैं।

बाम्बुव में निर्यातकों का मौद्रिक नाफनों के साथ-साथ मौद्रिक नाफनों की उपलब्धि का भी प्रमुख लक्ष्य चाहिए। योजनाओं में मौद्रिक नाफनों के अनुमान का अध्ययन योजना के प्रारम्भ में ही किया जाना चाहिए। इनके लक्ष्यों में यह भी जा सकता है कि योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जो मौद्रिक साधन आवश्यक हों उनकी उपलब्धि तथा इन कार्यक्रमों के अर्थात् नाफनों के अतिरिक्त नतीजा का भी प्रत्येक योजना के प्रारम्भ में होना चाहिए। भारत में द्वि-सत्र १९५५ एवं दूसरी उद्योग-संशोधन इतने अज्ञात है कि इन दोनों की मौद्रिक साधनों-सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकती है। दीर्घकालीन नियोजन सम (Perspective Planning Division) द्वारा जो दीर्घकालीन कार्य निर्धारित किये जाते हैं उनके अन्तर्गत ही विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाओं के साथ एक कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। यदि किसी योजना में निर्धारित किया गया प्रगति का साथ पूरा नहीं होता तो उसके अन्तर्गत योजना में प्रगति का साथ इतना बढ़ा दिया जाता है कि विनीय योजना की प्रगति भी पूरी हो। उसे जिससे दीर्घकालीन नियोजन के निर्धारित लक्ष्यों का पूर्ण निश्चित रूप में सम्भव हो सके। बाम्बुव में, दीर्घकालीन नियोजन के अन्तर्गत केवल अल्पकाल के लिए कार्य निर्धारित नहीं किये जाते बल्कि अल्पकालीन योजनाओं की बाम्बुविक प्रगति का अध्ययन करते आती योजना के लक्ष्यों की निर्धारित किया जाना चाहिए। दीर्घकालीन योजनाओं की प्रगति हमें हमारे अन्तर्गत एवं नाफनों का साथ बरतते हैं जो उसकी अन्तर्गत बात कर देना किसी प्रकार की अति नहीं समझी जा सकती है।

(५) व्यक्तित्व सन्तुलन (Micro-balances)—अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न उद्योगों की योजनाओं में सन्तुलन स्थापित करने के विभिन्न सन्तुलों की पूर्ति एवं नाफनों की सन्तुलित किया जा सकता है। अन्तर्गत अध्ययन-व्यवस्था में यह सन्तुलन विनीय-तादिक्रमिकताओं (Market Mechanism) द्वारा अन्तर्गतताय (Totalitarian) अर्थ-व्यवस्था में निर्देशों द्वारा तथा परम्परागत अर्थ-व्यवस्था की अन्तर्गतताय परम्पराओं

द्वारा स्थापित किया जाता है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था उपयुक्त तीनों अर्थ-व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण है। ऐसी अर्थ-व्यवस्था में व्यक्तिगत सन्तुलन स्थापित करना अत्यन्त कठिन होता है। भारतीय नियोजकों द्वारा इस व्यक्तिगत सन्तुलन को समस्या की ओर गम्भीर ध्यान नहीं दिया गया है। योजनाओं के आधार पर मौद्रिक बाध्यता का बनाया गया है जिसके फलस्वरूप मुद्रा स्फीति के दबाव में वृद्धि होना जा रहा है और परम्परागत प्रतिवध छिन्न भिन्न हो चुके हैं। दूसरी ओर आर्थिक नियंत्रणों का उपयोग भी समर्पित रूप से नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप मूल्य-आधिकारों में उचित प्रकार से त्रिशाशिल नहीं हो पायी है। भारतीय नियोजन में वृद्ध अर्थशास्त्रीय सन्तुलन को इनमें अधिक महत्व दिया गया है कि व्यक्तिगत सन्तुलन में विघ्न पड़ गया है। यही कारण है कि हम मानते हैं कि किसी न किन्हीं वस्तु का पूर्ण मूल्य और तथा मूल्य का अनुचित वृद्धि विद्यमान रहता है।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारतीय नियोजन-व्यवस्था का सफल बनाने हेतु नियोजकों को प्रत्येक मामले पर राजनीतिक विचारधारकों का त्याग कर तांत्रिक तथ्यों के आधार पर अपनी सलाह देनी चाहिए तथा सरकार के सम्मुख आर्थिक मामलों में राजनीतिक निणय करने के दुष्परिणामों को प्रस्तुत कर देना चाहिए।



भाग २

आर्थिक प्रगति के सिद्धान्त

[Principles of Economic Growth]

आर्थिक प्रगति का अर्थ

[Meaning of Economic Growth]

[आर्थिक प्रगति का अर्थ, आर्थिक प्रगति—एक प्रक्रिया, आर्थिक प्रगति—एक दीर्घकालीन क्रिया, आर्थिक प्रगति के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय वृद्धि आर्थिक प्रगति का माप—उत्पादक सम्पत्तियों में वृद्धि राष्ट्रीय आय वृद्धि प्रति व्यक्ति आय वृद्धि, आर्थिक प्रगति की समस्या का महत्व]

आर्थिक प्रगति का अर्थ

आर्थिक प्रगति वह विधि है जिसके द्वारा मनुष्य को अपने चारा और के बातावरण पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होना है जिसके फलस्वरूप उसकी खन-प्रता बढ़ती है। अधिकसित अर्थ व्यवस्थाओं में मनुष्य को प्रवृत्ति दत्त सुविधाओं तथा कठिनाइयों के अन्तर्गत जीवन यतीन करना पड़ता है, परन्तु जय जय देश आर्थिक प्रगति करता है उपलब्ध प्राकृतिक सुविधाओं का शोषण किया जाता है तथा प्राकृतिक कठिनाइयों पर मानवीय नियंत्रण को 'यापक बनाया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत मनुष्य के उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार एक ओर तो मनुष्य को अपने वातावरण पर नियंत्रण प्राप्त होना है और दूसरी ओर वस्तुओं और सेवाओं के बड़े भण्डार में से उसे अपनी इच्छानुसार चयन करने का अवसर प्राप्त होता है।

आर्थिक प्रगति का पृष्ठ रूप से अर्थ—किसी राष्ट्र अथवा समाज का प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि में निर्यात जाता है। यह एक परिमाणात्मक (Quantitative) विचार है जिसे आंकड़ा में मुद्रा अथवा प्रणिगत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।

प्रायः आर्थिक प्रगति (Economic Growth) एवं आर्थिक विकास (Economic Development) समानार्थी शब्द समझे जाते हैं। परन्तु आधुनिक विचार धाराओं में इन दोनों शब्दों में भेद किया जाना गया है। आर्थिक विकास किसी आर्थिक प्रणाली की प्रवृत्ति एवं सामर्थ्य के गुणात्मक परिवर्तन को कहते हैं। यह एक सुधार की ऐसा प्रक्रिया होना है जिसमें ऐसे संरचनात्मक एवं बनावट (Structural) संस्थाओं परिवर्तन आवश्यक रूप से सम्मिलित होना हैं जिनसे अर्थ-व्यवस्था के गुणा

एक संचालन-कुशलता में सुधार होता है। आर्थिक विकास का अर्थ इस प्रकार आर्थिक प्रणाली के आधुनीकरण से लिया जाता है।

विकास योग्य आर्थिक प्रणाली का एक गुण है जिसके अन्तर्गत अर्थ-व्यवस्था में समूह के दृष्टिकोण से बृद्धि बनावट के दृष्टिकोण से एक अर्थिक एवं परिमाण के दृष्टिकोण से अधिन संध्याओं का होना आवश्यक होता है। इस दृष्टिकोण से आरम्भ निम्न प्रमाण अर्थ व्यवस्था का पूरा विनियत होकर स्थिर हो जाती है, विकास की परिभाषा में नहीं आ सकती है। आधुनिक राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाएँ जो पूरा विकसित अवस्था तक नहीं पहुँची हैं और जिनमें और विकास करने की सामर्थ्य है तथा जो तात्त्विकताओं के उच्च स्तरों एवं अधिक पूर्णों का उपयोग करने की समता रखती हैं, का ही आर्थिक विकास के दायत्व में सम्मिलित किया जाना चाहिए। आधुनिक आर्थिक प्रणालियाँ ही आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त कही जा सकती हैं क्योंकि इनमें और अधिक विकास के स्तरों का उपयोग करने की सामर्थ्य होती है।

इस प्रकार आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक विकास में मूल्य अन्तर है परन्तु यह दोनों एक दूसरे से विलकुल पृथक् प्रक्रियाएँ नहीं होती हैं। आर्थिक प्रगति वास्तव में आर्थिक प्रणाली का एक प्रभाव, परिणाम अथवा उत्पाद होता है। आर्थिक विकास एक बृद्ध प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत अर्थ व्यवस्था की बनावट, समूह एवं संचालन के अन्तर्गत मूलभूत परिवर्तन करके उनका अधिक उच्चस्तरीय तात्त्विकताओं एवं पूर्णों का उपयोग करने योग्य बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत राष्ट्रीय उत्पादन अथवा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और इस अन्तिम परिणाम का आर्थिक प्रगति कहने हैं। इस प्रकार आर्थिक प्रगति के लिए आर्थिक विकास का होना आवश्यक होता है। इन दो बातों में कोई मूलभूत अंतर न होने के कारण दोनों का समानार्थी के रूप में ही उपयोग किया जाता है।

माइर एवं बाल्डविन (Meier and Baldwin) ने आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति एवं आर्थिक दीर्घकालीन परिवर्तन (Secular Change) की समानार्थी शब्द बताया है और आर्थिक विकास की परिभाषा इस प्रकार की है—'आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है।'¹

इस परिभाषा के अनुसार आर्थिक विकास में तीन तत्व सम्मिलित हैं— प्रक्रिया, वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं दीर्घ काल। प्रक्रिया का अर्थ है—कुछ घटकों का कायशील होना चाहिए यह स्वतः कायशील हों अथवा जानबूझ कर राज्य की कार्य-साधियों द्वारा अर्थात् नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाते हों। यह प्रक्रिया-

1 Economic Development is a process whereby an economy, in real national income increased over a long period.
(Meier and Baldwin, *Economic Development*, p 2)

शील होने वाले घटक प्रत्येक देश की परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होते हैं। इन घटकों के दोष काच तक ज़ियासीम रहने पर आर्थिक विकास का प्रक्रिया संचालित होनी है। इन घटकों के दोष काल तक ज़ियासीम रहने का परिणाम राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होता है। इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि आर्थिक विकास को प्रक्रिया का परिणाम होता है और इस परिणाम के आधार पर आर्थिक प्रगति का माप किया जाता है। राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि करने हेतु बहुत से घटकों के योगदान का आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ घटक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और अन्य उत्पादों की माँग का आधार एवं प्रकार निर्धारित करते हैं। पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटकों में (अ) अतिरिक्त साधनों का लाज एवं वनमान साधनों का पुनर्तया एवं विवेकपूर्ण उपयोग (आ) पूर्ण संचय एवं निर्माण (इ) जनसंख्या में वृद्धि (ई) उत्पादन में मशीन एवं सुधरी हुई तांत्रिकता का उपयोग (उ) बाय दुर्गलता एवं तांत्रिक गान में सुधार तथा (ऊ) मध्यनीय एवं सगठनात्मक सुधार। दूसरी ओर माप को प्रभावित करने वाले घटक हैं— (अ) जन संख्या का आधार एवं आयु विभाजन (Age Composition) (आ) आय का वितरण (इ) रचि एवं फलन (ई) आय सत्यनीय एवं सगठनात्मक व्यवस्थाएँ।

आर्थिक प्रगति एक प्रक्रिया है

अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो पृथक पृथक विशाल समय समय पर हाना है, उसे आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों का यह विकास एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं है और यह विभिन्न अवस्थाओं से क्रमबद्ध होकर नहीं गुजरता है। विकास की प्रक्रिया के अन्तगत होने वाली विभिन्न क्रियाएँ इस प्रकार संचालित होती हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया को गति प्रदान करता है और इस प्रकार यह क्रम निरन्तर चलता रहता है। अर्थ व्यवस्था में भी जब कुछ मूलभूत आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है तो उनसे प्रभावित होकर दूसरी क्रियाएँ गतिमान होती हैं और इस क्रम के जारी रहने से अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्र गतिमान हो जाते हैं। अर्थ-व्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र अथवा इकाई की प्रगति को इस प्रकार आर्थिक विकास नहीं कहा जाता है क्योंकि इस प्रगति से अर्थ क्षेत्रों का प्रगति गतिमान नहीं होती है।

आर्थिक प्रगति एक दीर्घकालीन क्रिया है

आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो दीर्घ काल तक निरन्तर संचालित रहती है। लघु काल तक संचालित न होने पर इन प्रक्रियाओं की संपूर्ण अवस्थाओं का क्रियाशील होना ही सम्भव नहीं है। पायदा क्योंकि एक क्रिया दूसरी और दूसरी क्रिया तीसरी क्रिया का प्रभावित करने के लिए कुछ समय लेती है। ऐसा परिस्थिति में विकास प्रक्रिया का वास्तविक पल—अर्थात् राष्ट्रीय उत्पादन में वास्तविक वृद्धि—का उपलब्धि दीर्घ काल में ही हो सकती है। इसी कारण आर्थिक विकास का दीर्घकालीन

परिवर्तन (Secular Change) का नाम भी दिया जाता है। यदि किसी व्यापारिक चक्र अथवा अन्य परिस्थिति के कारण अल्प काल के लिए अल्प-व्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि हो जाय जा बाद में निर्यातों को जोड़ा जाय वा इन्से आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता है। आर्थिक विकास की उपलब्धियाँ निरन्तर जारी रहनी चाहिए और उनका निर्वाह करते रहना चाहिए। यदि किसी देश में किसी आर्थिक परिस्थिति के कारण आर्थिक गतिशीलता उभर आ जाय और फिर उस परिस्थिति के प्रभाव के समाप्त होने के पश्चात् भी इन गतिशीलता का निर्वाह किया जाना रहे तो इन प्रतिभा का आर्थिक विकास कहा जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक चक्र में गतिशीलता किस प्रकार प्रारम्भ होती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस गतिशीलता का प्रत्यक्ष पीछेकारोन्मूलन निर्वाह करना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

आर्थिक प्रगति के अन्तर्गत साम्प्रतिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी है।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया का उभय राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करना होता है। देश की वस्तुओं एवं उद्योगों के अन्तिम कुल उत्पादन में साम्प्रतिक वृद्धि होनी चाहिए। साम्प्रतिक उत्पादन-वृद्धि का माप इनके मौद्रिक मूल्य से नहीं किया जा सकता है क्योंकि वर्ष प्रतिवर्ष मूल्य स्तर में परिवर्तन होने के कारण इनका मौद्रिक मूल्य बिना साम्प्रतिक उत्पादन-वृद्धि के बढ़ सकता है। मूल्य में साम्प्रतिक उत्पादन वृद्धि प्राप्त करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का मूल्य निर्देशक की सहायता से समायोजित करने की आवश्यकता होती है और इस समायोजन के आधार पर राष्ट्रीय आय के निर्देशक बनाय जा सकते हैं।

राष्ट्रीय उत्पादन गिनित अथवा शुद्ध की प्रकार से मापा जा सकता है। माइर एवं वास्तविक के अनुसार हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय की वृद्धि का इकना है।

मिश्रित राष्ट्रीय उत्पादन में यथादि एक अन्य पूँजीगत सम्पत्तियों का उत्पादन के लिए जा लागू होता है उद्योग विचार में नहीं रखा जाता है परन्तु जब इस क्षेत्र की लागत को विविध उत्पादन में से घटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में अन्तिम उपभोक्ता-वस्तुओं एवं सेवाओं तथा पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन का सम्मिलित रिया जाता है। जहाँ तक शुद्ध राष्ट्रीय आय की वृद्धि का सम्बन्ध है यह वृद्धि तुलनात्मक स्थिति प्रदर्शित करती है अर्थात् प्रत्येक वर्ष की शुद्ध राष्ट्रीय आय की तुलना पिछले वर्षों की शुद्ध राष्ट्रीय आय से की जाती है। यदि दीर्घ काल में शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती रहती है तो उसे आर्थिक विकास का उचित समझते हैं।

आर्थिक प्रगति को मापना

आर्थिक प्रगति अथवा विनाश को मापने के तरीकों के उभय में काफी मतभेद है। यह माप तीन प्रकार से किया जा सकता है—

(१) उत्पादक सम्पत्तियों में वृद्धि—किसी भी देश की आर्थिक सम्पत्तियों का

एक महत्वपूर्ण खानक उसका अधिकार म रहन वाला उत्पादन सम्पत्तिया की मात्रा होता है। जब कोई अर्थ-व्यवस्था विकास की ओर अग्रसर होती है ता वर्तमान उत्पादन साधना का पूणतम एव कुशल उपयोग किया जाता है नवीन उत्पादन साधना की खोज का जाती है तथा राष्ट्र की पू जीवत एव मानवाय सम्पत्तियो म वृद्धि की जाता है। मानवीय सम्पत्ति म वृद्धि करने का अर्थ जनमख्या वृद्धि से नहीं है बल्कि उत्पादन म योगदान देने वाल कुशल एव तानसम्पन्न श्रम शक्ति म वृद्धि की जाती है। परन्तु इन "उत्पादन सम्पत्तिया" क परिमाण का माप करना कठिन हाना है क्यकि विभिन्न पूजागत साधना को किसी समान मापदण्ड म मापना सम्भव नहीं हाता है। पूजा शब्द का विभिन्न राष्ट्रों म विभिन्न प्रकार म उपयोग किया जाता है। वास्तव म पूजा म टिकाऊ एव गर टिकाऊ सभा निनिवाजन मबो तथा सामाजिक अथवा मानवीय पूजा, उनका उत्पादन का आधार पर सम्मिलित करना चाहिए। इस आधार पर किसी भी देश का पूजा का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन हाता है।

(२) राष्ट्रीय आय—आर्थिक विकास का तुलनात्मक माप करने क लिए गुड राष्ट्रीय आय की अधिक उपयुक्त समझा जाता है। पर तु राष्ट्रीय आय क आँकड़ों के उपयोग का निम्नलिखित परिसीमाएँ हैं—

(अ) राष्ट्रीय आय का गणना म बहुत सा मदा की मौद्रिक गणा नहा हो पाना है जैसे जनसाधारण क स्वास्थ्य म सुधार, जनसाधारण क स्वभाव म सुधार सरकार द्वारा जनापयोग सभाआ म किये गये पूजागत निनिवाजना का लाभ आदि। अन्य विकसित राष्ट्रों म सांख्यिकीय तथ्य कम मात्रा म उपलब्ध हात है तथा उपलब्ध आँकड़ विद्वमनाय भा नहीं हात हैं। इन दगों म सांख्यिकी एकत्रित करने क लिए पयाप्त साधना का आयाजन करना सम्भव नहीं होना है तथा इनका सामाजिक परिस्थितियाँ सांख्यिकी क संग्रहण म बाधक होना हैं। यानायात एव सकार की पर्याप्त व्यवस्था न हात क कारण नी सांख्यिकी पर्याप्त माप म एकत्रित नहीं की जा सकता है। इन दगा म उपमाग क्षत्र एव विज्ञय का ठाक ठाक सखा नहीं रखा जाता है। छोटे दाल व्यवसायिया की मख्या वजन अधिक हाता है जिनका व्यवहारा का सखा आजा प्राप्त करना सम्भव नहीं हाता है। जेप आय बाल राष्ट्रों म विपणित व्यवस्था भा गुण नहीं हाती और बहुत से व्यवहार मौद्रिक क्षत्र म हाते है जिनके बारे म जानकारी प्राप्त नहा की जा सकती है। इन ममस्त मदा क राष्ट्रीय आय क आँकण म सम्मिलित न हात क कारण इन राष्ट्रों का आय क अनुमान सदा कम लगाय जात है। दूसरा आर विकसित राष्ट्रों म राष्ट्रीय आय क आँकड़ निघन राष्ट्रों का तुलना म बनावर वनाय जात है क्यकि इन राष्ट्रों म सांख्यिकीय तथ्य पूण एव विस्तृत हात है तथा न्यापारिक उन्नति क कारण मौद्रिक सत्र क अन्तगत ममस्त व्यवहार किये जात हैं।

(आ) राष्ट्रीय आय के आँकण के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों का आर्थिक

प्राति की तुलना करने से साम्यविक परिवर्तन नहीं प्रदर्शित होते हैं। विभिन्न राष्ट्रों में जाप का विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है और इस परिभाषा में सम्मिलित होने वाले तत्व में भी विभिन्नता रहती है। इसके अतिरिक्त यह नियम एक अन्य राष्ट्रों की जाप की दृष्टि की दर जयवा जाप के स्तर की तुलना करना होती है जो इसके राष्ट्रीय जाप के अन्तर्गत प्रभाव रहते हैं। इस राष्ट्रों की राष्ट्रीय जाप की तुलना करने के लिए इनकी जाप का किसी अन्तराष्ट्रीय मुद्रा में बदलना होता है जैसे अमेरिकी डॉलर में विभिन्न राष्ट्रों की जाप को परिचालित किया जाता है। राष्ट्रीय मुद्रा में जाप की गयी राष्ट्रीय जाप का जब डॉलर जादिक अन्तराष्ट्रीय परिवर्तित करने हैं तो इसके लिए सरकारी विनियम-दरों का उपयोग किया जाता है। सरकारी विनियम-दरों अन्तराष्ट्रीय व्यापार पर जो प्रतिबंधों एवं विदेशी विनियम-नियंत्रण के कारण साम्यविक विकल्प-दरें नहीं होती हैं। जाप साम्यविक विनियम-दरें अन्तराष्ट्रीय राष्ट्रों के प्रतिफल होती है जिसके अन्तर्गत अन्तराष्ट्रीय राष्ट्रों की विदेशी मुद्रा में परिवर्तित राष्ट्रीय जाप का अनुमान बन जाता जाता है।

(४) अन्त-विकसित राष्ट्रों की राष्ट्रीय जाप का अनुमान उपर्युक्त की कम लागता जाता है कि इनके द्वारा नियंत्रण की "बी बलुए" क्षेत्रों उपर्युक्त की बलुओं की तुलना में कम अनुमान अनुदान-विधियों द्वारा नियंत्रित होती हैं। इन की वास्तविकता होने के कारण इन अन्तराष्ट्रीय व्यापार में अन्त-विकसित होने वाली बलुओं के मुन्दागत पर नियंत्रण विनियम की दरों के प्रभाव पहले के कारण अन्तराष्ट्रीय मुन्दागत पर अनुदान-बलुओं की तुलना में अन्तराष्ट्रीय व्यापार है। अन्त-विकसित राष्ट्रों की जाप का वही अनुपात परिलक्षणा की बलुओं एवं सेवाओं में लागू है जिसके कारण इन राष्ट्रों की जाप का कम अनुमान लागता जाता है। इसी प्रकार उद्योग द्वारा एक अन्य अनुदान करने वाले क्षेत्रों की विनियम-दरों की आवश्यकता होती है उनका अन्तराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। उदाहरण के लिए, वायुवाहन, नौकायन एवं विद्युत उद्योग विद्युत उद्योग एवं वायुवाहन-उद्योगों के अन्त-विकसित राष्ट्रों एवं सेवाओं के अन्त-विकसित राष्ट्रों के बीच में अनुदान-दरों को अनुदान-दरों के निम्न स्तर होने के कारण सेवाओं के क्षेत्र में भी अनुदान-दरों कम रहता है जिसके अन्तर्गत सेवाओं का मुन्दागत कम किया जाता है और राष्ट्रीय अनुदान उद्योगों को कम रहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय जाप के अन्त-विकसित क्षेत्रों के अन्त-विकसित राष्ट्रों की जादिक प्राति के स्तर की तुलना करना अनुमान हो सकता है।

(५) राष्ट्रीय जाप के अन्त-विकसित क्षेत्रों में जाप प्राप्त करने की मात्रा एवं स्तर से सम्बंधित पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय जाप के अन्त-विकसित क्षेत्रों में जादिक प्राति के स्तर की तुलना करना अनुमान हो सकता है।

कल्याण के लिए केवल मौद्रिक आय की वृद्धि ही पर्याप्त नहीं होती है। कल्याण का अनुमान भ्रमण के लिए आय वृद्धि के साथ साथ यह जानना भी आवश्यक होता है कि उस आय प्राप्ति के लिए जनसाधारण को किन किन सामाजिक कठिनाइयाँ एवं दोषों का सामना करना पड़ा जैसे औद्योगीकरण का विस्तार हाने से नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है गंदगी में वृद्धि होती है लोगों को चरित्र गिरने जगत हैं आदि आदि। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ साथ उत्पादन के प्रकार में भी परिवर्तन हा सकता है। यदि उत्पादित वस्तुओं का प्रकार ऐसा हो कि जिनका उपयोग कर्मयोग्यकारी उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता हो तो आय वृद्धि के होते हुए कल्याण सम्भव नहीं हो सकता है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि देग के प्राकृतिक सम्पत्तियों का द्रुत गति से क्षयण करने की आ सम्भवी है परन्तु इससे अर्थ-व्यवस्था की भविष्य की सम्भावनाओं को आघात पहुँचता है।

राष्ट्रीय आय की उपयुक्त परिधीमाओं के हाते हुए भी इसे आर्थिक प्रगति के माप का श्रेष्ठ सामन माना जाता है। यह अर्थ से कम एक समाज की कुल आय की प्रवृत्ति को तो प्रदर्शित करती ही है। यद्यपि इनके द्वारा आर्थिक प्रगति के स्तर का माप सुदृढ़ता से नहीं किया जा सकता फिर भी इसके द्वारा आर्थिक प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता अवश्य मिलती है। वाइन्सर के विचार में कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि को प्रगति का घटक तब ही मान सकते हैं जब इस वृद्धि द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या का जीवन स्तर वर्तमान स्तर पर बनाये रखने में अथवा वर्तमान जनसंख्या के जीवन स्तर एवं आय में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। आर्थिक प्रगति वास्तव में बहुपक्षीय (Multi Dimensional) प्रक्रिया होती है जिसमें केवल मौद्रिक आय में ही वृद्धि नहीं होनी है बल्कि सामाजिक स्वभाव, शिक्षा जन स्वास्थ्य, अधिक अक्षयता में सुधार होता है तथा समस्त सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण में इस प्रकार सुधार होता है कि जन जीवन अधिक परिपूर्ण एवं सुसहान हो जाता है। इस प्रकार आर्थिक प्रगति बहुपक्षीय प्रक्रिया होने के कारण इनका शुद्ध माप एक ही से नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय प्रगति के केवल एक पक्ष—मौद्रिक आय की वृद्धि का ही माप करना है और इसलिए इन प्रगति का मनोपन्नक पाप नहीं समझा जा सकता है। परन्तु फिर भी विभिन्न राष्ट्रों की किसी विशेष समय की उपलब्धियाँ का तुलनात्मक अध्ययन करने अथवा किसी राष्ट्र की विभिन्न समयों की उपलब्धियाँ का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आय को एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रमाण माना जाता है।

(३) प्रति व्यक्ति आय—कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आय के स्थान पर प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करना चाहिए क्योंकि प्रति व्यक्ति आय समाज के नागरिकों

के कल्याण एवं भौतिक सम्पन्नता से अधिक अच्छा अनुमान होता है परन्तु प्रति व्यक्ति आय से विभिन्न देशों की आर्थिक प्रगति का उचित अनुमान लगाना कठिन होता है। एक देश जिसमें जनसंख्या अधिक है और उसकी वृद्धि की दर भी अधिक है, उत्पादन-वृद्धि करके यदि प्रति व्यक्ति आय बतमान स्तर पर बनाये रहता हो तो वह उस देश की तुलना में अधिक प्रगतिशील है, जिनमें उत्पादन-वृद्धि का अधिक नहीं हुई है परन्तु जनसंख्या कम हान तथा वृद्धि की गति मंद हान के कारण प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि कर जाता है। केवल प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके पर दूसरा देश अधिक प्रगतिशील प्रतीत होगा जबकि वास्तव में पहले देश में प्रगति की दर अधिक है।

उपयुक्त विवरण से ज्ञान होता है कि आर्थिक प्रगति का भौतिक माप राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय द्वारा सम्भव हो सकता है यदि गणना सम्बन्धी त्रुटियों को दूर किया जा सके। प्रति व्यक्ति आय परन्तु यह जानने के लिए कि देश आर्थिक प्रगति में किन किन प्रोत्साहनों एवं सहायतात्मक परिवर्तनों में योगदान दिया है, यह आवश्यक होगा कि घर आर्थिक ऋणों जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा में मृगदर, अतिरिक्त रहने की आयु में वृद्धि, उपलब्ध सामाजिक सुविधाएँ आदि का अध्ययन भी किया जाय। आर्थिक प्रगति का सन्तोषजनक माप करने हेतु वास्तविक राष्ट्रीय आय को माप कर उसे जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, तथा सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण से सम्बद्ध करके अध्ययन करना चाहिए।

आर्थिक प्रगति-सम्बन्धी समस्या का महत्व

आधुनिक काल में अल्प विकसित राष्ट्रों की विकास सम्बन्धी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। अल्प विकसित राष्ट्र केवल स्वयं ही अपनी समस्याओं के निवारण में सक्षम नहीं हैं अपितु विकसित राष्ट्र भी इनकी समस्याओं में जलविद्युत देकर रहने लगे हैं और इनकी आर्थिक एवं सामाजिक सहायता प्रदान करने में सक्षम हैं। इस प्रकार अल्प विकसित राष्ट्रों की समस्याओं ने एक गम्भीर स्थिति प्रदान कर दी है। इस अवस्था के बहुत ही कारण हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की प्रगति की गति इतनी तीव्र है कि इनकी प्रति व्यक्ति आय एवं अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय का अन्तर कम-कम होने के स्थान पर बढ़ता जा रहा है। इस अन्तर का बढ़ना सुचारु में शान्ति का बनाय रखने में बाधक सिद्ध हो सकता है। दूसरी ओर सम्पादन-वृद्धि के साधनों की कृत्रिमता बढ़ जाने के कारण आज का प्रायः नागरिक अपनी तुलनामय आर्थिक स्थिति को समझन लगा है और अल्प विकसित राष्ट्रों के नागरिकों में उत्तम राष्ट्रों के नागरिकों के समान जीवन स्तर बनाने के प्रति इच्छा एवं जागरूकता पैदा होती है जिसके फलस्वरूप विकास की समस्या पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाने लगा है।

उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त उत्तम राष्ट्रों की समस्या के महत्व को अपनी स्थाय सिद्धि के लिए बढ़ा दिया है। साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए यह

आवश्यक समझा जाता है कि अल्प विकसित राष्ट्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करने इस योग्य बना दिया जाय कि वह अपने नागरिकों की जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। निधनता अधिष्ठा मूल जीवन स्तर आदि साम्यवाद के विस्तार में सहायक होते हैं और इन्हें दूर करने के लिए इन राष्ट्रों का आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। इस राजनैतिक उद्देश्य के अतिरिक्त उन्नत राष्ट्र अल्प विकसित राष्ट्रों के विकास द्वारा अपने आर्थिक स्वार्थों की सिद्धि भी करना चाहते हैं। ऐतिहासिक सध्या से पता होता है कि जैसे जैसे अल्प विकसित राष्ट्रों की आय में वृद्धि होती है उनका आयात भी घटता जाता है। अल्प विकसित राष्ट्रों के विकास में फलस्वरूप उन्नत राष्ट्र इनमें उन वस्तुओं का आयात कर सकते हैं जो वह पितृ-पयता के साथ उन्नत नहीं कर सकते हैं और इस आयात के बदले में अपनी निर्यात वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। उन्नत राष्ट्रों की पूँजीवादी अथ "यवस्था में वचत एक विधि याजन के उपलब्ध धन की मात्रा अधिन होती है। यदि इस धन का उत्पादन उपयोग न किया जाय तो अधिन में दो एक बेराजगारी का प्रादुर्भाव हो जायगा और यदि इस धन का उत्पादन उपयोग किया जाय तो इस अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होगी। अल्प विकसित राष्ट्र इस सामग्री का आयात नहीं कर सकें क्योंकि उनके पास इसके बदन निर्यात करने योग्य कोई सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। ऐसी अवस्था में उन्नत राष्ट्रों को सहायताय एक श्रेय के रूप में इस अतिरिक्त उत्पादित सामग्री का इनाम एक अनिवार्यता हो जाती है। वास्तव में उन्नत राष्ट्र अपनी अथ "यवस्था को छिन्न निर्यात होने से रोकने के लिए ही यह पमाने में सहायता के कार्यक्रमों का संचालन करते हैं।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विकास एक ऐसी अवस्था है जिसकी आरंभ करने के लिए अल्प विकसित राष्ट्र प्रयत्नशील हैं और उन्नत राष्ट्र इस अवस्था के निर्वाह के लिए अल्प विकसित राष्ट्रों को सहायता प्रदान करते हैं। यह विकास की दृष्टि धारे धीरे धीरे उत्पन्न रूप ग्रहण करती जा रही है कि अल्प विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के समीप पहुँचने में सम्भवतः निकट भविष्य में सफल न हो सकेंगे।

सामान्यतः अल्प विकसित राष्ट्रों में प्राकृतिक साधनों का बाहुल्य होता है किन्तु उपलब्ध साधनों का भी पूँज्यतम उपयोग न होने के कारण इन राष्ट्रों में उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय अत्यंत कम होता है। उत्पादन के दम प्राचीन तथा निर्यात हाते हैं तथा जनसंख्या का भार अधिन होता है। प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त "मूल एवं जीवन स्तर दयनीय हाते है। उनका वचत करने की शक्ति सीमित तथा पूँजी निर्माण का स्तर अपर्याप्त होती है। जनता की विचारधारा रुढ़िवादी होती है, धर्म, अविरोध तथा अध-विश्वास द्वारा प्रतिस्थापित होता है। वर्तमान परिस्थिति में सन्तुष्ट रहने का स्वभाव स्थिर हो जाता है। परिणामतः आय की वृद्धि के जीवन स्तर में वृद्धि के स्थान पर रुढ़िवादी प्रथाओं पर व्यय व्यय किया जाता है। राष्ट्रीय आय का इतना अधिक

असमान एवं वृद्धिपूर्ण वितरण होता है कि वित्तिय व्यक्तियों व ह्राय में राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग जमा-जमा अधिकार की शक्ति बना रहता है। यह परिस्थिति जनक-शक्तियों की निधनता तथा दरिद्रता के कारण उत्पन्न होती है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में जनसमुदाय के जीवन-स्तर में वृद्धि करने हेतु उत्पादन में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक होता है। अल्पराष्ट्रीय शक्ति तथा श्रमों का अभाव बनाय रखने के लिए यह आवश्यक है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में श्रमों की शक्ति को आय के जनसाधारण का उपाय रातगार (Productive Employment) प्राप्त हो सके। उत्पादक रातगार का अर्थ ऐसे रातगार से है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं व अनुसार वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि हो। इन राष्ट्रों के धार्मिक विकास हेतु आन्तरिक वस्तु में वृद्धि व साध-साध विज्ञानों की पूर्ण प्राप्ति का उपाय होनी चाहिए।

जायसिक समाज में राष्ट्रों की पारस्परिक निरन्तर होने हुए भी अधिकतम तथा 'सुनतम'—दार्ता ही प्रकार व विकसित राष्ट्र हम देखते हैं। अतमान युग में विकसित तथा अल्प विकसित राष्ट्रों का अन्तर निरन्तर वृद्धि की शीघ्र प्रक्रम है क्योंकि विकसित राष्ट्र अपनी अपनी उन्नत अर्थ-व्यवस्था द्वारा अधिकाधिक प्रगति का आसियान करत जा रहे हैं जबकि दूसरी ओर, अल्प विकसित राष्ट्रों की धार्मिक स्थिति उत्तरोत्तर गति-नीच होती जाती है। अल्प विकसित राष्ट्रों में अर्थ-व्यवस्था का रूप श्रमों की शक्ति प्राप्त होना है कि इसका विकास केवल विचारपूर्ण (Deliberate) प्रगति ही सम्भव है। विकसित राष्ट्रों में अर्थ व्यवस्था का सम्यक्त रूप प्रगति का ही प्राप्ति है कि वह स्वतः ही विकासोन्मुख पथ पर चलता रहता है, जिसे स्वचालित अर्थ-व्यवस्था (Self-Sustaining Economy) की शक्ति प्रदान की जाती है।

अल्प विकसित राष्ट्रों को एक महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है जिसका नाम विकसित राष्ट्र नहीं उठा पाते। अल्प विकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि प्राग्मिक अवस्था में इन्हें भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना होता है जिन्हें विकसित राष्ट्र सुलभता ष्टे है। विकसित राष्ट्रों द्वारा ज्ञान-साधन एवं शक्ति, सामाजिक, वित्तीय तथा प्रवच-सम्बन्धी प्रयोगों का बिना किन्हीं शक्ति-शक्ति के विकसित राष्ट्र उपयोग कर सकते हैं किन्तु यह कार्य श्रमों श्रम, साधारण तथा शक्तिपूर्ण नहीं होना शक्ति प्रगति शक्ति है। अल्प-विकसित राष्ट्रों की जलवायु वातावरण जनसंख्या सम्यक्त, सम्यक्त इतिहास आर्थिक तथा शान्ति-व्यवस्था आदि परस्पर तथा विकसित राष्ट्रों से शक्ति शक्ति होती है कि कार्य भी अनुभव जब तक राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार शक्ति आवश्यक समायोजन, परिवर्तन, परिवर्तन एवं संग्रहण नहीं किए शक्ति प्रगति शक्ति एक शक्ति शक्ति शक्ति न होगा।

अल्प विकसित राष्ट्रों का परिचय

[Introduction to Under developed Countries]

[अल्प विकसित राष्ट्र की परिभाषा, अल्प विकसित राष्ट्रा के लक्षण, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ—ग्रामिण व्यक्ति जाय कम, कृषि में अधिक जनसंख्या, राजगार की शांकीय स्थिति पौष्टिक भाजन की कमी आर्थिक विषमता विदेशी व्यापार में घुन भाव, विदेशी व्यापार का महत्व तांत्रिक ज्ञान की कमी, तांत्रिक शक्ति की घुनता आधारभूत सुविधाओं की कमी, कृषि की प्रधानता एवं दयनीय स्थिति, जनसंख्या-सम्बन्धी परिस्थितियाँ, प्राकृतिक साधना की घुनता मानवीय शक्ति का पिछड़ापन पूँजी की घुनता, विदेशी व्यापार की प्रधानता]

जल्प विकास का स-दम किसी एक या अनेक उत्पादन के घटक की घुनता से है। यह घटक जनसंख्या सम्बन्धी परिस्थितियाँ राजनीतिक एवं सामाजिक घटक जैसे विदेशी गामन ज्ञानाशाही शासन अथवा सामन्तवादा शासन, आर्थिक घटक जैसे पूँजी, तांत्रिक ज्ञान साहस आदि में से एक अथवा अनेक की हीनता हो सकती हैं। घुनता अथवा दोषपूर्ण होने के कारण अल्प-व्यवस्था का विकास नहीं हो पाता है और उस राष्ट्र को अल्प विकसित राष्ट्रा के दम में स्थान प्राप्त हुना है अल्प विकास की परिभाषा मूलतः विकास की परिभाषा पर निर्भर रहती है। विकास में सम्मिलित होने वाले तत्वों में से जब कोई एक अथवा अनेक तत्व किसी अल्प व्यवस्था में उपस्थित नहीं रहते तो उस अल्प व्यवस्था का अल्प विकसित अल्प-व्यवस्था कहना है। परन्तु विकास में सम्मिलित होने वाले तत्व स्थिर नहीं होने। वे समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। विज्ञान एवं तांत्रिकताओं की तीव्र गति से प्रगति होने के कारण अच्छे रहन सहन की आवश्यक सामग्रियाँ एवं सुविधाएँ निरन्तर बदलती जा रही हैं जिससे परिणामस्वरूप विकास के तत्वों में भी परिवर्तन होता जा रहा है। यह देश जो अपने नागरिकों को उच्चतम जीवन-स्तर प्रदान कर सकता है विकसित देश कहलाता है। उच्चतम जीवन-स्तर एक तुलनात्मक विचार है अर्थात् अन्य देशों के नागरिकों के जीवन-स्तर की तुलना में जिस देश के नागरिकों का जीवन स्तर सर्वोच्च एवं सुखद हो उसी देश को विकसित देश कहा जाता है। जिस प्रकार

विकास का निवारण विभिन्न दशों में जीवन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करके किया जा सकता है, उसी प्रकार अन्य विकसित अवस्था का निर्धारण भी विभिन्न विकसित एवं अल्प विकसित राष्ट्रों के जीवन स्तर की तुलना करके किया जा सकता है।

अल्प विकसित राष्ट्रों की परिभाषा—अल्प विकसित अवस्था वास्तव में एक तुलनात्मक अवस्था है और इसका कोई विशेष लक्षण निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक भावनाओं का विकास की सीमाओं तथा अन्य राष्ट्रों में दिए गये विज्ञान की मात्रा तथा शक्ति में परिवर्तन का प्रभाव जल्द विश्वव्यापी अवस्था का लक्षणों पर प्रकटपण पड़ता है। जीवन स्तर का 'तुलनात्मक' अर्थानतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों, उदाहरणार्थ, भाजन बन्ध, ग्रह आदि की उपयोगिता आदि अल्प विकास का सूचक लागू है। अल्प विकसित राष्ट्रों में परिवर्तन होना अत्यन्त धीमा है।

प्राक्मेर पालविया का अनुमान प्रति व्यक्ति आय का 'तुलनात्मक' अर्थानतः की अपेक्षा तथा परिणामस्वरूप नैटिन अमेरिका, एशिया, मध्य-पूर्व अफ्रीका तथा पूर्व के समान देशों में अधिकांशों के 'तुलनात्मक' स्तर में अत्यन्त की कमी तथा मानव समाज का विकास 'तुलनात्मक' स्तर की विचारणाओं की आवश्यकता है। ऐसी गणनायें देशों का साथ साथ उत्तर अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के उच्च जीवन स्तर तथा अन्य मुद्रियाओं की उपस्थिति में अन्तराष्ट्रीय गति का एक बड़ा स्तर उपस्थित कर दिया है। विकसित देशों में मूल की गमना नहीं है उत्पादन वृद्धि के माध्यम से तथा जनसाधारण विज्ञान ही नहीं अपितु उनके मानविक हस्त पुस्तकें उपलब्ध हैं अर्थात् पुस्तकालय भी हैं और पशुओं के खाने तथा विविधता का प्रयोग अल्प विकसित देशों में जनसाधारण का उपलब्ध मुद्रियाओं की तुलना में श्रेष्ठ है। अल्प विकसित राष्ट्रों में अधिकांश अभाव नहीं, बल्कि सामान्य लक्षण है प्रतिदिन की समान भाजन प्राप्त होना समस्या है तथा उत्पादन तांत्रिक सामग्री की अनुपस्थिति का कारण स्थिर तथा अनिश्चित है।¹

- 1 Low level of income per capita the appalling ignorance and the resultant low standard of life of the people in Latin America Asia and Middle East Africa and Near East have attracted the attention of world assemblies as well as thinking section of mankind in general. Co-existence in these countries side by side with standard of life and comfort in North America and Western European countries is being now regarded as a threat to international peace

In developed areas problem of starvation is alien, productivity is on a high road of increase and people not only have literacy but have a volume of books and series of well-equipped libraries to enrich their knowledge and animals have better food and medical-care than human beings in under-developed coun-

(contd.)

प्राफेसर सेम्युलसन (Prof Samuelson) के अनुसार, साधारणत एत्र अल्प विकसित राष्ट्र वह है जिसमें प्रति व्यक्ति आय ऐसे राष्ट्रा जैसे कनाडा मधुस्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस तथा पश्चिमी यूरोप की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम हो। प्रायः अल्प विकसित राष्ट्र उम क्हा जाता है जिसमें आय के स्तर में पर्याप्त सुधार करने की क्षमता हो।¹

इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि विकास एक तुलनात्मक अवस्था का नाम है। प्रत्येक राष्ट्र वास्तव में अल्प विकसित समझा जा सकता है क्योंकि कोई भी राष्ट्र विकास की पूर्ण अवस्था का प्राप्ति नहीं हो सकता है। आज जो राष्ट्र विकसित और जिनकी आय वसूला के तुलना करके अल्प राष्ट्र अपनी जाति अगुनी निर्धारित करते हैं वे राष्ट्र भी अल्प विकसित अवस्था में होकर श्रुजक चूक हैं। मसलर क अधिकतर राष्ट्र इस परिभाषा के अनुसार अल्प विकसित समझे जा सकते हैं। चरकर वाइजर ने अल्प विकसित राष्ट्र उस राष्ट्र का समझा है जिसमें अधिक पूजा अथवा अधिक धन अथवा अधिक उपकरण प्राकृतिक साधना अथवा इन सभी का अधिक उपयोग करके अच्छे सम्भावित अवसर ह। जिससे वह राष्ट्र अपनी वर्तमान जनसंख्या का एक ऊंचे जावन स्तर अथवा यदि उस राष्ट्र में पहले से ही प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊंचा हो तो अतिरिक्त जनसंख्या का कम से कम पहलू के समाप्त जावन स्तर का पापण कर सक।²

वाइजर ने इस परिभाषा में वर्तमान उपकरण उत्पादन के साधना के उपयोग की सम्भावना का हो महत्व दिया है चरकि अल्प विकसित राष्ट्रा में गए मानना की श्रुज करके उनका जादिक विषयन छत्र मण्य विद्या जाना आवश्यक होता है।

tries where illiteracy is the rule rather than exception two square meals a day is a problem and productivity is static or hampered by the absence of technical equipment

(Palvia Economic Model for Development Planning p 2)

1 An under developed nation is imply one with real per capita income that is low relative to the present day per capita incomes of such nations as Canada the United States Great Britain France and Western Europe generally Usually an under developed nation is one regarded as being capable of substantial improvement in its income level
(Paul A Samuelson Economics An Introductory Analysis p 776)

2 An under developed country is one which has good potential prospects for using more capital or more labour or more available natural resources or all of these to support its present population on a higher level of living or if its per capita income level already fairly high to support a larger population on a not lower level of living

(Jacob Viner The Economics of Development)

इसके अतिरिक्त इस परिभाषा में केवल आर्थिक घटकों को ही स्थान दिया गया है जबकि अल्प विकसित राष्ट्रों में सामाजिक घटकों का प्रभाव भी विकास पर पड़ता है।

अधुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त अल्प विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास की कार्य-वाहियों से सम्बद्ध एक समिति ने अपने प्रतिवेदन में अल्प विकसित राष्ट्र का परिभाषित करते हुए कहा है 'इन इनमें (अल्प विकसित राष्ट्र स) उन देशों को सम्मिलित है जिनमें प्रति व्यक्ति आय समुक्त राज्य अमेरिका बनाया आस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोप के देशों की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। इन अल्प में 'अल्प विकसित देश शब्द निम्न दश वाक्य का उचित पर्यायवाची है।

अल्प विकसित देश (Under developed country) का नियम देश का परंपरावाची बहना उचित नहीं है क्योंकि यह देशों पर अलग अलग आनास प्रस्तुत करत है। 'निधन देश' शब्द से ऐसे देश का आभास होता है जिसमें विकास की सम्भावना के लिए जिस गतिचोत्तता की आवश्यकता होती है वह विद्यमान न हो। निधन केवल यह व्यक्त करता है कि देश के विकास के लिए साधनों का जो अर्थिक उपलब्ध होता सम्भव नहीं है और यह देश उपलब्ध साधनों का सोनान्त उपयोग कर रहा है। निधन शब्द यह भी व्यक्त नहीं करता कि देश के अल्प विकसित हान के क्या कारण हैं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व 'अल्प विकसित' शब्द के स्थान पर आर्थिक पिछड़ापन (Economic Backwardness) उपयोग किया जाता था परन्तु यह शब्द ऐसा आभास देता था कि उस राष्ट्र में विकास सर्वथा अनुपस्थित है और वहाँ की अर्थ-व्यवस्था स्थिर हो गयी है जिसमें विकास की सम्भावनाएँ नहीं हैं। इन कारणों के कारण ही निधन एवं आर्थिक पिछड़ेपन शब्दों का उपयोग अब अल्प विकसित राष्ट्र के लिए नहीं किया जाता है।

कुछ लोग 'अल्प विकसित देश' शब्द की अधिक रुचिकर न होने के कारण 'विकासशील देश' (Developing Countries) शब्द के उपयोग को अधिक उचित समझते हैं परन्तु विकासशील अथवा विकासामुक्त शब्द उन्हीं देशों के लिए उपयोग करना उचित होगा जो विकास की ओर अग्रसर हों। अथवा एव एशिया में अब भी कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें विकास के लिए प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे राष्ट्रों को विकासामुक्त कहना उचित न होगा। इन सब विचारों के आधार पर यह कहना उचित है कि 'अल्प-विकसित' शब्द ही अल्प-विकसित राष्ट्रों के लिए उपयुक्त शब्द है।

मूलान स्टॉन ने अल्प विकसित राष्ट्र उच्च राष्ट्र को कहा है 'जिसके मुख्य लक्षण व्यापक दरिद्रता, जो दीक्षकालीन हो और किसी अस्थायी प्रतिदूत परिस्थिति के फलस्वरूप उदय नहीं हुई है तथा उत्पादन एवं सामाजिक संघर्षों की अप्रचलित विधिवा हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दरिद्रता प्रारम्भिक प्राकृतिक साधनों की कमी के कारण नहीं होती है और इसलिए इस दरिद्रता को उन विधियों का उपयोग

करके जो अल्प विकसित राष्ट्रों में प्रमाणित हो चुकी है कम करना सम्भव हो सकता है।"¹

इस परिभाषा में दीर्घकालीन नियन्त्रण को आधार माना गया है और साथ में यह भी कहा गया है कि इस निधनता का कम करना सम्भावित माना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह कह सकते हैं कि वे राष्ट्र ही अल्प विकसित कहे जाने चाहिए जो वर्तमान में निधन हैं और जिनका भविष्य में आर्थिक प्रगति होने की सम्भावना हो। यूजान स्ले ने अपने पुस्तक *The Future of Under developed Countries* में सन् १९५४ में समार के विभिन्न राष्ट्रों को उनके आर्थिक विकास का श्रेणी के आधार पर निम्न प्रकार विभक्त किया था—

(अ) अल्पविकसित राष्ट्र—आस्ट्रेलिया, वेल्डियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलण्ड्स, यूजीलण्ड, नार्वे, स्वीडन, स्विटजरलण्ड, ब्रिटेन समुक्त राज्य अमेरिका।

(आ) मध्यम श्रेणी के राष्ट्र—अर्जेटिना, आस्ट्रिया, बिली, क्यूबा, चका, इलोवाकिया, फिनलण्ड, हंगरी, आयरलण्ड, इजराइल, इटली, जापान, फालण्ड, पुस्तगाल, प्यूरटोरिको, स्पेन, दक्षिणी अफ्रीका, रूस, यूक्रेन, वेनज्वेला।

(इ) अल्प विकसित राष्ट्र—अफ्रीका के सभी राष्ट्र (दक्षिणी अफ्रीका तथा की छोड़कर), एशिया के सभी राष्ट्र (जापान और इजराइल को छोड़कर) तथा अन्तर्देशीय बलगारिया, ग्रीस, रूमानिया, युगोस्लेविया (यूरोप में) तथा दक्षिण-पश्चिमी द्वीप समूह, बालम्बिया, कास्गारिका, कुबीलीवन, मल्लतान, इक्वडोर, एल सालवेडोर, ग्वाटेमाला, हैटी, होन्डुरस, मक्सीको, निकारग्वे, पराग्वे, पीरू (दक्षिणी अमेरिका में)।

उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार समार का ७०% जनसंख्या अल्प विकसित राष्ट्रों की नागरिक है जिसे समार की कुल आय का २०% भाग प्राप्त होता है जबकि समुक्त राज्य अमेरिका में समार की कुल जनसंख्या के ६% भाग को समार की कुल आय का ३०% भाग प्राप्त है तथा यूरोप में समार की कुल जनसंख्या के २२% भाग को समार की कुल आय का ३६% भाग उपलब्ध है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन में अल्प विकसित राष्ट्रों को इस प्रकार परिभाषित किया गया— एक अल्प विकसित अर्थ व्यवस्था की विशेषता यह है कि इसमें उपयोग की गयी अथवा अज्ञात उपयोग की गयी जन शक्ति तथा अयोग्य प्राकृतिक

1 "A country is characterized by mass poverty which is chronic and not the result of some temporary misfortune and by obsolete methods of production and social organisation which means that the poverty is not entirely due to poor natural resources and hence could be presumably be lessened by methods already proved in other countries

(Eugene Staley *Future of Under developed Countries*)

अल्प विकसित राष्ट्रों की परिस्थितियों में इतनी अधिक विभिन्नता है कि उनके समान तत्सम निर्धारित करना बहुत कठिन होता है। इन विभिन्न परिस्थितियों में कुछ समानताएँ हैं जिनके आधार पर अल्प विकसित राष्ट्रों का विभाजन को निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं—

- (१) सामान्य आर्थिक परिस्थितियाँ
- (२) कृषि की प्रधानता एवं कृषि की दयनीय स्थिति
- (३) जनसंख्या सम्बन्धी परिस्थितियाँ
- (४) प्राकृतिक साधनों की यूनता एवं उनका आर्थिक उपयोग
- (५) मानवीय शक्ति का अनुपात एवं विद्युत् हाना,
- (६) पूँजी की यूनता
- (७) विदेशी व्यापार की प्रधानता।

(१) सामान्य आर्थिक परिस्थितियाँ

सामान्य आर्थिक परिस्थितियों के अलग-अलग व सब परिस्थितियाँ सम्मिलित रहती हैं जो सामान्य रूप से सभी अल्प विकसित राष्ट्रों में विद्यमान होती हैं और जिनके द्वारा आर्थिक विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं। इस वर्ग में निम्नलिखित लक्षण निहित रहते हैं—

(अ) प्रति व्यक्ति आय का कम होना—अल्प विकसित राष्ट्रों में निम्न आय का स्तर से फर्कती रहती है जिनका प्रमुख कारण कम राष्ट्रीय उत्पादन एवं आय का विषम वितरण होने है। इन राष्ट्रों की अधिकतर जनसंख्या इतना निम्न होती है कि वह अपनी अविवायताओं को पूर्ण नहीं कर पाता है जिसके परिणामस्वरूप बचत एवं निवेशों की दर भी यून रहती है। जो कम अधिक आय का भाग पाता है उसमें भूमिधारी (Landholders) शामिल हैं जो अपनी बचत का निवेश उद्योग एवं वाणिज्य में नहीं करते हैं। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व बैंक एटनम के तीसरे संस्करण में १९२ राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय एवं जनसंख्या का योरा दिया गया है। इस प्रकार के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के अनुसार विभिन्न राष्ट्रों को चार वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति सकल उत्पादन के जोड़के सन् १९६६ कल-डर वर्ष के हैं और जनसंख्या सम्बन्धी जोड़के मध्य सन् १९६६ के हैं।

(1) ७०० डालर और उससे अधिक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन वाले राष्ट्र— इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रति व्यक्ति उत्पादन सबसे अधिक अर्थात् ३५२० डालर है। इसके बाद कुवैत (Kuwait) ३४१० बर्जिन द्वीपसमूह (संयुक्त राज्य अमेरिका) २३२०, स्वीडन २२०० स्विट्जरलैण्ड २२१० कनाडा २२४० यूजीसलैण्ड १९३० लाजमबर्ग १९२०, आस्ट्रेलिया १८४० डेनमार्क १८३० फ्रांस १७३० नार्वे १७१० जर्मनी (पश्चिम) १७०० वेल्जियम १६३० ब्रिटेन १६२० नीदरलैण्ड १४२० पूर्वी जर्मनी १२२०, इजरायल ११६० जास्ट्रिया १११० इटली १०३० बेनीलुक्सारिया १७

१०१०, रुस ८६०, जापान ८६०, थायलैण्ड ८५०, वनज्यूला ८५०, हंगरी ८००, अर्जेंटाइना ७८० तथा पोलैण्ड ७३० डालर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल उत्पादन वाले देश हैं।

(ii) ३०० डालर से ७०० डालर वाले राष्ट्र—साइप्रस ६६०, ग्रीस ६६०, रमानिया ६५०, स्पेन ६४०, बल्गारिया ६२०, क्रो-व सामोलीलण्ड ५७०, सिंगापुर ५७०, यूएन ५७० हांगकांग ५६०, दक्षिणी अफ्रीका ५७०, चिली ५१०, यूगोस्लाविया ५१०, क्रो-व गिनी ५००, पनामा ५००, मक्सिका ४७० जर्मनी ४६०, कान्सारिका ४००, पुनगाल ३८०, क्यूबा ३७०, ग्वाटेमाला ३२०, परू ३२०, अलबानिया ३०० डालर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन वाले राष्ट्र हैं।

(iii) कम आय वाले देश अर्थात् १०० डालर से ३०० डालर वाले राष्ट्र—स्वाजीलण्ड २६०, मलयेशिया २८०, कालम्बिया २८०, टर्की २८०, इराक २७० ईरान २५०, सीरी अरेबिया २४०, बाजील २४०, पाना २३०, गणतन्त्र चीन २३०, अन्जीरिया २२०, आइवरी कोस्ट २२०, जोर्डन २२०, दक्षिण अफ्रीका २१० मौरिशस २१०, ट्यूनीशिया २००, पराग्वे २००, सॉगिया १८०, मोराको १८०, समुक्त जर्म गणराज्य १६०, फिनोपाइस १६०, कारिया गणतन्त्र १५०, सीलान १५०, घाटलण्ड १३०, बन्दाबिया १२०, नूडान १००, यूगण्डा १००, इण्डोनेशिया १००, आदि डालर प्रति व्यक्ति सकल उत्पादन वाले राष्ट्र इस वर्ग में सम्मिलित हैं।

(iv) अल्पतः मूल आय वाले राष्ट्र अर्थात् १०० डालर ■ कम प्रति व्यक्ति आय वाले राष्ट्र—चीनिया ६०, भारत ६०, पाकिस्तान ६०, नाइजीरिया ८०, लाबानिया ८०, गिनी ८० अफगानिस्तान ७०, नेपाल ७० इथापिया ६० माला ६०, बर्मा ६०, बर्मा ५०, सामालिया ५०, ल्खाडा ४० डालर प्रति व्यक्ति आय वाले राष्ट्र इस समूह में हैं।

उपरोक्त आंकड़ा से ज्ञात होता है कि सभार की ६ जनसंख्या ऐसे राष्ट्रों में रहती है जिसकी प्रति व्यक्ति आय २०० से ३०० डालर तथा दूसरी ६ जनसंख्या ५० डालर से १०० डालर प्रति व्यक्ति आय वाले राष्ट्रों की निवासी है। माराप के लगभग ६०% राष्ट्र धनी एवं सम्पन्न हैं और उनकी प्रति व्यक्ति आय ७०० डालर से अधिक है। सभार में ४८ देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या एक करोड़ से अधिक है। अपने अधिक जनसंख्या वाले पहले छह राष्ट्रों—चीन, भारत, रुस, समुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान तथा इण्डोनेशिया—में सभार की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है परन्तु इन छह राष्ट्रों में से केवल दो अर्थात् समुक्त राज्य अमेरिका एवं रुस में १०० डालर से अधिक प्रति व्यक्ति आय है। समुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की चालीस गुनी है।

विश्व बैंक के इस अध्ययन में १५४ राष्ट्रों की पूरा जानकारी प्राप्त हुई जिनमें से ३२ राष्ट्रों का प्रति व्यक्ति सकल उत्पादन १०० डालर से कम, ५२ राष्ट्रों

मे प्रति व्यक्ति सकल उत्पादन १०० से ३०० डॉलर और २८ राष्ट्रा का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन १००० डॉलर से अधिक था। ३०० डॉलर प्रति व्यक्ति आय से कम आय वाला सभा राष्ट्र अल्प अल्प विकसित वर्ग में रखे जा सकते हैं।

(घा) अधिक जनसंख्या कृषि में लगी हुई—अल्प विकसित राष्ट्र प्रायः कृषि प्रधान हैं और इनकी ७०% से ९०% जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी हुई है। उदाहरणार्थ सन् १९५४ में भारत में ८१% कालखिया ७२%, इंडोनेशिया में सन् १९५२ में ६६% मिस्र में सन् १९५४ में ६५% फिलीपाइंस में सन् १९५४ में ६६% जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी हुई थी जबकि विकसित राष्ट्रों अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका में सन् १९५५ में १२% कनाडा में १६% ब्रिटेन में ५% इटली ४०% तथा यूजीतष्व में सन् १९५२ में १८% जनसंख्या ही कृषिक्षेत्र में लगी हुई थी। अल्प विकसित राष्ट्रा में जनसंख्या का आधिक्य इतना अधिक है कि उसमें से कुछ को यदि कृषिक्षेत्र से हटा लिया जाय तो भी उस क्षेत्र में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) रोजगार की नाकामोय स्थिति—इन राष्ट्रा में अदृश्य बेरोजगार (Disguised Unemployment) यापक रूप से विद्यमान है। घर कृषिनेत्री में रोजगार के साधन बहुत कम होने हैं जोर कृषि बन एक मत्स्य व श्रेणी में बंधी हुई श्रमिक शक्ति को विवश होकर लग रहना पड़ता है। दूसरे गणना में यह भी कह सकते हैं कि अल्प विकसित राष्ट्रा में निर्माण यातायात एवं वाणिज्य की क्रियाओं में कम जनसंख्या को रोजगार प्राप्त होता है। बर्मा में सन् १९३१ में विमाण क्षेत्र में १३.०% मिस्र में सन् १९४७ में १३.७% ब्राजील में सन् १९५० में १३.७% सीलोन में सन् १९४६ में १२.७% और भारत में सन् १९५१ में १०.७% (निर्माण एवं यातायात में) निर्माण बाली (Manufacturing) जनसंख्या रोजगार प्राप्त किए हुए थी जबकि विकसित राष्ट्रा जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में सन् १९५० में ३५.७% ब्रिटेन में सन् १९५१ में ४५.८% आस्ट्रेलिया में सन् १९५७ में ३५.८% कनाडा में सन् १९५१ में ३४%, फ्रांस में १९५१ में ४१.४% (यातायातसहित) तथा स्विट्जरलैंड में सन् १९५१ में ४४.८% जनसंख्या निर्माण क्षेत्र में लगी हुई था।

(च) पोष्टिक भोजन की कमी—यापक निधनता के कारण अल्प विकसित राष्ट्रा के नागरिकों की अपनी आय का अधिक भाग खाद्य-पदार्थों एवं अन्य अनिवार्यताओं पर व्यय करना पड़ता है। स्वीडन इंग्लैंड एवं नार्वे में पारिवारिक व्यय का लगभग ४०% खाद्यान्नों पर व्यय करना पड़ता है जबकि यह प्रतिगत भारत चीन एवं पाकिस्तान में ६०% से भी अधिक है। अल्प विकसित राष्ट्रा में पोष्टिक भोजन भी जनमाभरण को उपरान्त नहीं होता है। विकसित राष्ट्रा में प्रति दिन प्रति व्यक्ति ३००० से अधिक कलरी उपभोग होता है जबकि अल्प विकसित राष्ट्रा में २००० से भी कम कलरी उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति दिन किया जाता है। ब्रिटेन आस्ट्रेलिया

तानिमा स० ४—विकासशील राष्ट्रा का विदेशी व्यापार, १९६०-१९६७^१
(अमेरिकी विलियन डॉलर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	स्वाधार-क्षेप
१९६०	२९०	३२९	—३९
१९६१	२९३	३४४	—५१
१९६२	३१०	३५५	—४५
१९६३	३३८	३७२	—३४
१९६४	३७१	४१०	—३९
१९६५	३९३	४४२	—४९
१९६६	४२४	४८३	—५९
१९६७	४३८	४९८	—६०

सम्भव नहीं होता। इन देशों में निर्यात प्रायः कच्चे मांस का और आयात उपभोग्य वस्तुओं का (एक यंत्र का होना है) छोटे छोटे अल्प विकसित राष्ट्रों जैसे मलयेशिया, बर्मा सीलोन आदि में राष्ट्रों में उत्पादन का महत्वपूर्ण भाग निर्यात कर दिया जाता है। संसार की वर्तमान विदग्धा व्यापार की प्रवृत्तियों के अनुगार कच्चा मांस निर्यात करने वाले देशों का निर्यात में कमी होती जा रही है और विकसित राष्ट्रा में अल्प विकसित राष्ट्रा का ऋण प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ने लगी है क्योंकि यह राष्ट्र उपभोग्य एवं विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त आयात किए बिना नहीं कर सकत हैं।

(ऐ) तांत्रिक ज्ञान की कमी—अल्प विकसित राष्ट्रा का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लक्षण है। मध्य-पूर्व मूल्य का उन्ही विधियों का प्रयोग किया जाता है जो आज से एक सहस्र वर्ष पूर्व प्रयोग की जाती थी। तांत्रिक ज्ञान (Technical Knowledge) की कमी की समस्या इन राष्ट्रों के विकास पर एक गम्भीर बाधा है। अधिकांश भी इन राष्ट्रों का पतन संशयित है। इन राष्ट्रों का शिक्षा स्तर आर्थिक विद्यालय में किसी प्रकार का उद्योग सिद्ध नहीं होता। तांत्रिक प्रतिष्ठान कृषि की आधुनिक सामान्य विधियों में प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का ज्ञान की अत्यन्त कमी होती है।

(ब) यांत्रिक शक्ति की कमी—किसी भी राष्ट्र में विकास स्तर को पराप्ता उदात्त राष्ट्र में जन साधारण की यांत्रिक शक्ति (Mechanical Energy) की उपलब्धि से की जा सकती है। सन् १९३९ के अध्ययनानुसार अल्प विकसित राष्ट्रा जिनमें प्रति व्यक्ति आय १०० डॉलर से भी कम थीं वे १२ अल्पशक्ति प्रति दिन प्रति व्यक्ति यांत्रिक शक्ति उपलब्ध थी। भारत में यह शक्ति १० अल्पशक्ति प्रति व्यक्ति प्रति दिन

थी। परिवर्तन एक उद्यम अथ व्यवस्थाओं में यह नक़्सा २६ ॥ ज़रब शक्ति प्रति दिन प्रति व्यक्ति अर्थात् अल्प विकसित राष्ट्रों की ज़रूरत २० युनो की। अमेरिका में यह मात्रा ३७ ६ अरब शक्ति प्रति व्यक्ति प्रति दिन थी। यांत्रिक शक्ति तथा औद्योगिकरण एक दूसरे से प्रायः सहसंबन्धित हैं। अल्प विकसित राष्ट्रों में यांत्रिक शक्ति का अभाव उनके औद्योगिकरण का प्रमुख कारण है।

(घ) आधारभूत सुविधाओं की कमी—अल्प विकसित राष्ट्रों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि विकसित राष्ट्रों की तुलना में कम होता है जिससे मानव श्रम शक्ति उत्पादन नहीं बन सकता और प्राकृतिक संपत्तियों का भी पूरक उपयोग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित तालिका में आधारभूत सुविधाओं की उदरगति की तुलना की गयी है।

तालिका सं० ५—आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि^१

	विकसित अथ व्यवस्थाएँ	अल्प विकसित अथ-व्यवस्थाएँ
(१) शक्ति का उपयोजन (प्रति व्यक्ति प्रति दिन (अरब शक्ति घण्टों में)	२६ ६	१ ०
(२) वार्षिक मास टाटे की मात्रा (इन मीटर प्रति घण्टा)	१११७ ०	४८ ०
(३) सड़क एक मील की लम्बाई (प्रति १००० वर्ग मील)	४० ०	१२ ०
(४) माटर-माटियों का रजिस्ट्रेशन (प्रति १००० व्यक्तियों पर)	१११ ०	१ ०
(५) टेलीफोन का उपयोग (प्रति १००० व्यक्तियों पर)	६० ०	० ०
(६) विद्विग्नक (प्रति १००० व्यक्तियों पर)	१ ०६	० १७
(७) प्राथमिक स्कुलों के अध्यापक (प्रति १००० व्यक्तियों पर)	३ ६८	१ ७६
(८) निरक्षरता का प्रतिशत (१० वर्ष की आयु के ऊपर)	५% से नीचे	७८ ०%

आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थिक तथा दलित-वर्ग के जीवन में सुधार करना है। जब तक अर्थिक तथा कृषक के जीवन में सुधार तथा आधुनिक परिवर्तन

1 Department of State Washington D C Point Four July (1964), pp 93-102 (Quoted from Employment and Capital Formation by V V Bhatt)

(२) कृषि की प्रधानता एवं कृषि की दयनीय स्थिति

अल्प विकसित राष्ट्रा में कृषि एवं प्रधान व्यवसाय है जिसमें दंग की ७०% से ९०% जनसंख्या लगी रहती है जो राष्ट्रीय उत्पादन का ४०% से ५०% भाग उत्पादन करता है। निम्नलिखित तालिका इस बात की पुष्टि करती है—

तालिका सं० ६—विभिन्न राष्ट्रा में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के साधन^१

देश	वर्ष	कृषि वन एवं मत्स्य व्यवसायों से उपलब्ध उत्पादन का सकल राष्ट्रीय उत्पादन से प्रतिशत	निर्माण व्यवसाय से उपलब्ध उत्पादन का सकल राष्ट्रीय उत्पादन से प्रतिशत
संयुक्त राज्य अमेरिका	१९५५	४३	२८६
कनाडा	१९५५	९९	२८६
यूजीएसए	१९५२	२३९	२१२
इटली	१९५५	२३९	३२९
ब्रिटेन	१९५५	४६	३८८
ब्राजील	१९५५	३१५	१९५
भारत	१९५५	५८७	१६८
इंडोनेशिया	१९५२	५६५	८२
जापान	१९५५	२१८	९०३
मिस्र (Egypt)	१९५५	३५८	१०७
फिलीपाइन्स	१९५५	५२०	१८६

कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में इतना अर्थ महत्व होने हुए भी यह क्षेत्र अल्प-विकसित स्थिति में रहता है। कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित लक्षण उपस्थित रहते हैं—

(अ) कृषि क्षेत्र में पूंजी की हीनता रहती है और जो कुछ पूंजी इन क्षेत्र में विनियोजित रहती है उसका भी कुशल उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्रा में कृषि योग्य भूमि अत्यन्त छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त है। सतार में कुल भूमि ३५.५ बिलियन एकड़ है जिसमें से २६ बिलियन एकड़ अर्थात् ७०% भूमि कृषि योग्य है। अल्प मात्रा में अल्प विकसित राष्ट्रा में जनसंख्या अधिक और प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। एशिया में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि = ५२ एकड़ अनुमानित है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि इसकी छद्म गुनी अर्थात् ३१० एकड़ है।

1 United Nations, Statistical Year Book on Income and Employment 1957

(आ) कृषियोग्य मृदा उपयोग की जाने वाली उत्पादन-तान्त्रिकताएँ अत्यन्त बहुतायत, परम्परागत एवं सरल होती हैं और बीजारों एवं यन्त्रों का उपयोग सीमित मात्रा में किया जाता है। अधिकतर कृषि-काम हाथ से अथवा परम्परागत बीजारों से किया जाता है।

(इ) यद्यपि कृषियोग्य में कुछ बड़े जमींदार भी हाथ हैं परन्तु आधुनिक कृषि-तान्त्रिकताओं का उपयोग नवजात की कठिनाई तथा स्थानीय बाजारों में बितरित माल का अनुपस्थिति के कारण सम्भव नहीं होता है। कुछ अल्प विकसित राष्ट्रों में आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग केवल निर्यात के लिए कृषि उत्पाद उत्पादित करने के लिए किया जाता है। यह आधुनिक कृषियोग्य में प्रायः विदेशियों के नियंत्रण एवं अधिकार में है।

(ई) कृषकों की सम्पत्तियाँ एवं आय की तुलना में इन पर ऋण अत्यधिक होता है जिसके ब्याज आदि का शासन में कृषकों का अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करना पड़ता है। कृषियोग्य में ऋणग्रन्थता अल्प विकसित राष्ट्रों में अम्यादी रूप ग्रहण कर लेती है जो एक पीढ़ी से दूसरी का हस्तांतरित होती है और जिसके कारण कृषक के पास उत्पादन पूँजी की उर्वर बची रहती है।

(उ) परम्परागत एवं अनुसृत उत्पादन की तान्त्रिकताओं के उपयोग के परिणामस्वरूप कृषक का उत्पादन इतना अपर्याप्त होता है कि उसके पास बाजार में बेचने के लिए अतिरिक्त बहुत कम बचता है जिसके फलस्वरूप सादाजी की कमी रहती है जिसकी पूर्ति आयात द्वारा करनी पड़ती है।

(ऊ) भूमि का छोटे छोट बिकरे हुए टुकड़े होने के कारण कृषि जनसंख्या में भूमि की मांग अत्यधिक होती है। भूमि निम्नतर छोट-छोट टुकड़ों में विभक्त होती जाती है क्योंकि उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा पिता की मृत्यु पर सभी पुत्रों को भूमि में भाग पान का अधिकार हो जाता है और अल्प-धनवानों में राजगार की मुविधा होने के कारण भूमि का मांग अधिकार में रखने में सभी को रूचि रहती है।

(ए) अल्प विकसित राष्ट्रों में भूमि प्रबंधन प्रणाली (Land Tenure System) में बहुत अधिक विभिन्नता होती है। इनमें से अधिकतर प्रणालियाँ कृषि क्षेत्र की उत्पादन-बहुतायत की दो प्रकार से काम करती हैं—प्रथम, इनके द्वारा भूमि के विभाजन एवं उप-विभाजन का प्रोत्साहन मिलता है जिससे जोत की क्षमता अन्तर्गत रक्षाओं की स्थापना होती है और द्वितीय, भूमि प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत कृषक का भूमि पर स्थायी अधिकार एवं भित्तिरूपत प्राप्त न होने के कारण भूमि में उत्पादन सुधार करने के लिए प्रोत्साहन नहीं रहता है।

(ऐ) अल्प विकसित राष्ट्रों में प्रति एकड़ उत्पादन सम्पन्न राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कृषियोग्य में अल्प विकसित राष्ट्रों में बहुत कम होता है। सामान्यतः उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी-पश्चिमी योरोप में सुदूर

पूव एव समीपस्क-पूव म तथा लटिन अमेरिकी राष्ट्रों का तुलना मे १= से २० गुना अधिक प्रति व्यक्ति वृत्ति उत्पादन हाता है। उत्तरी अमेरिका म वृत्तिधन म प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन लगभग २३ टन प्रति वय होता है जबकि एशिया म यह औसत ३ टन बफाका म ३ टन प्रति व्यक्ति है। इस प्रकार वृत्ति जनसंस्था का जीवन स्तर सम्पन्न राष्ट्रों म बहुत ऊँचा है। अल्प विकसित राष्ट्रों म कृषिक्षेत्र मे पून उत्पादन के मुख्य कारण भूमि का अधिक से कम अनुपात कम उपजाऊ भूमि भूमि उपयोग के अकुशल तरीके अकुशल श्रमिक कम पूजी का उपयोग अकुशल उत्पादन-तांत्रिकताएँ उत्पादन की तांत्रिकताओं का अपवाप्त ज्ञान वृत्ति उत्पादन वा अकुशल मगठन आदि है। अल्प विकसित राष्ट्रों म प्रति व्यक्ति वृत्ति उत्पादन म वृद्धि भी औद्योगिक राष्ट्रों का तुलना म कम गति से हातो है। सन् १९५७ से १९६७ क काल म प्रति व्यक्ति वृत्ति उत्पादन का निर्देशांक जीतामिकी राष्ट्रों म सन् १९५७ मे ९७ (सन् १९५७ १९५६=१००) से बढकर सन् १९६७ म ११३ हो गया अर्थात् १६.५% की वृद्धि हुई। इसी ओर विकासशील राष्ट्रों म प्रति व्यक्ति वृत्ति उत्पादन निर्देशांक सन् १९५७ म ९७ से बढकर १०४ हो गया अर्थात् केवल ७.२% की वृद्धि हुई। भारत म यह निर्देशांक सन् १९५७ मे ९७ था जा सन् १९६७ म बढकर १०४ अर्थात् ७.२% की वृद्धि इस काल म प्रति व्यक्ति वृत्ति उत्पादन म हुई। इस प्रकार विकासशील राष्ट्र वृत्तिप्रधान हाने हुए अपने वृत्ति उत्पादन म विकसित औद्योगिक राष्ट्रों की तुलना मे वृत्ति उत्पादन म जन संस्था का वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं कर पा रह है।

(३) जनसंख्या-सम्बन्धी परिस्थितियाँ

अल्प विकसित राष्ट्रों म जनसंख्या सम्बन्धी विविध प्रकार है—

(अ) जनसंख्या का अधिक घनत्व—अल्प विकसित राष्ट्रों म जनसंख्या का घनत्व सामान्यत सम्पन्न राष्ट्रों की तुलना म अधिक होता है। एशिया तथा दक्षिण पूव के राष्ट्रों म जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। एशिया की जनसंख्या का घनत्व अमेरिका तथा रूस की तुलना म पाँच गुना दक्षिणी अमेरिका की तुलना मे आठ गुना तथा प्रशान्त महासागर क टापुओं का तुलना म बीस गुना है। एशिया म सतार की लगभग ५३% जनसंख्या रहती है। कुछ ऐसे भी अल्प विकसित राष्ट्र हैं जिनम जनसंख्या का घनत्व सम्पन्न राष्ट्रों की तुलना म कम होने हुए या जनसंख्या को समझा सं पाहित है क्योंकि इनक अपना जनसंख्या का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक साधन नहीं है। इस प्रकार यह कहना अधिक उचित होगा कि अल्प विकसित राष्ट्रों म जनसंख्या का घनत्व प्राकृतिक साधनों की उपरान्त के सन्दर्भ म प्राय अपरि है जिसके फलस्वरूप निम्न जीवन स्तर एर दरिद्रता पापक है।

(आ) जनसंख्या वृद्धि की दर—अल्प विकसित राष्ट्रों म जनसंख्या की वृद्धि का दर म भी अत्यधिक विभिन्नता है जिसके फलस्वरूप यह कहना उचित नहीं है कि इन राष्ट्रों म जनसंख्या का वृद्धि अधिक सम्पन्न राष्ट्रों की तुलना म अधिक है परन्तु

अधिकतर निम्न राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि की दर अधिक है। जनसंख्या की वृद्धि की दर ऊँची होने के कारण ऊँची जन्म-दर एवं ऊँची मृत्यु-दर बर्तों हुईं जन्म दर एवं घटती हुईं मृत्यु-दर एवं जन्म-दर में कभी कभ परन्तु मृत्यु दर में कभी अधिक है। विकासमुख राष्ट्रों में चिरविस्त्रा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण मृत्यु दर घटने लगती है जबकि जन्म दर परिवार नियोजन आदि माध्यमों के फलस्वरूप बहुत समय के बाद कम हाना है। विभिन्न राष्ट्रों की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि की दर विद्यमान-क के अनुमानों के अनुसार सन् १९६० उ १९६६ के मान में निम्न प्रकार थी—

तालिका म० ७—विभिन्न राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि-दर^१

देश	जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की औसत % दर—१९६० से १९६६
(१) विकासशील राष्ट्र	०.१
अफ्रीका	०.४
दक्षिणी एशिया	०.३
पूर्वी एशिया	०.१
दक्षिणी योरोप	१.६
उत्तरी अमेरिका	०.६
मध्य-पूर्व	०.६
(२) औद्योगिक राष्ट्र	१.०
उत्तरी अमेरिका	१.४
पश्चिमी योरोप	१.०
जापान	१.०

इस तालिका से पता होता है कि अल्प विकसित अथवा विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि की औसत दर औद्योगिक राष्ट्रों की तुलना में होने के बराबर है। जनसंख्या की तीव्र गति में वृद्धि विकास के प्रयासों में बाधक होती है क्योंकि बढ़ती हुई संख्या में बतमान जीवन स्तर बनाए रखना ही कठिन हो जाता है।

(इ) अल्प विकसित राष्ट्रों और विकसित राष्ट्रों का जनसंख्या में गुणान्तर नैद भी होता है। अल्प विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या का अधिक भाग बाल्य आयु समूह (Younger Age Group) में होता है जोर सम्भावित जीवनकाल भी समस्त राष्ट्रों की तुलना में कम होता है। एशिया अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में १५ वर्ष के कम आयु के लोग कुल जनसंख्या के ४०% से अधिक समूह राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन में यह प्रतिशत क्रमशः २५ एवं २३ था। भारत में सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार १५ वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुल जनसंख्या के ४१% सात प्रतिशत

ये । इसी प्रकार सम्भावित जीवनकाल समुक्त राष्ट्र अमेरिका में ८०.१ वर्ष (सन् १९५५) बनाम में ६८.५ वर्ष (सन् १८५०-५२) ब्रिटेन में ७०.३ वर्ष (सन् १९५५) ऑस्ट्रेलिया में ६८.४ वर्ष (सन् १९४६-४८), स्वीडन में ७२.० वर्ष (सन् १९५१-५५) या जबकि एशिया में अल्प अवधि अमेरिका में सम्भावित जीवनकाल केवल ४० वर्ष है । भारत में सम्भावित जीवनकाल सन् १९४१-५० में ३२ वर्ष था । अल्प विकसित राष्ट्रा में अल्प आयु मृत्यु दर (Younger Age Group Mortality Rate) का उच्च रहना है जिसके फलस्वरूप धर्म-शक्ति का उत्पादन काल सम्पन्न राष्ट्रा का तुलना में कम रहता है और जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग अल्प आयु में मृत्यु का शिकार होना के कारण राष्ट्र के उत्पादन में पूर्ण योगदान नहीं ले पाता है । अल्प आयु में मृत्यु दर अधिक होने के कारण अल्प विकसित राष्ट्रा में परिवारों में आश्रितों (Dependents) की संख्या भी अधिक होती है क्योंकि अधिकतर श्रमिक उत्पादन करने योग्य आयु तक नहीं पहुँच पाते हैं । परिवारों पर आश्रितों की संख्या अधिक होने के कारण "यसक जनशक्ति की वास्तविकता कम रहती है और स्वतः-रोजगार प्राप्त (self employed) का अपन व्यवसाय के लिए पर्याप्त पूँजा उपलब्ध नहीं होता है । जनसंख्या में अल्प आयु के अधिक अनुपात द्वारा का परिणाम होता है— उत्पादन धर्म शक्ति का कम होना और उत्पादन करने वाली जनशक्ति का अधिक होना । उत्पादन न करने वाली जनशक्ति का उपयोग की गमलन सामर्थ्य में आवश्यक होती है जिसके फलस्वरूप समाज में उत्पादन कम होना है एवं उपयोग की अधिक माँग होती है जो निधनता एवं दरिद्रता का जन्म देता है ।

धर्म शक्ति का कुशल उत्पादन कायकाल १४ वर्ष से ६० वर्ष तक सम्पन्न पाता है परन्तु अल्प विकसित राष्ट्रा में इन आयु-वर्ग में जनसंख्या कम रहना है क्योंकि अल्प आयु मृत्यु दर अधिक एवं सम्भावित जीवनकाल कम होना है । इस प्रकार अल्प विकसित राष्ट्रा में कायकाल धर्मिक शक्ति कम रहती है ।

(४) प्राकृतिक साधनों की "यूनता

यह कहना तो उचित नहीं है कि अल्प विकसित राष्ट्रा में प्राकृतिक साधनों की "यूनता होना है क्योंकि प्राकृतिक साधनों का उपलब्धि एवं उपयोग देश के तांत्रिक ज्ञान के स्तर माँग की परिस्थितियाँ तथा नवान साज्जा पर निर्भर रहता है । पुनः उत्पादन न होने वाले प्रकृति साधनों (Irreproducible Natural Sources) की हानना की प्रति तांत्रिकतामा में परिवर्तन करने (जैसे कायल की कमी की प्रति विद्युत एवं एटोमिक शक्ति से की जा सकती है) तथा नवीन साधनों की खोज करने की जा सकती है । इस प्रकार अल्प विकसित राष्ट्र इसलिए निधन नहीं हैं कि उनके पास प्राकृतिक साधनों की कमी है बल्कि वह उपयोग में हुए एवं बेमतलब उपयोग किए जाने वाले साधनों का तांत्रिकतामा तथा सामाजिक एवं आर्थिक समर्थन में सुधार करके पूणतम उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं । प्रकृति न वास्तव में किसी भी राष्ट्र को

इन राष्ट्रों में निर्माणी-व्यवसाय (Manufacturing Activities) का धर्म की उत्पादकता संयुक्त राज्य अमेरिका की सम उत्पादकता की तुलना की २०% है अर्थात् एक निम्न राष्ट्र में जो कार्य ४ से १० श्रमिक करते हैं, वही कार्य अमेरिका में एक श्रमिक कर सकता है।

धर्म की कम कार्य कुशलता के प्रमुख कारण पौष्टिक भोजन की अनुपस्थिति स्वास्थ्य का निम्न स्तर अधिकांश प्रशिक्षण की कमी व्यवसायिक गतिशीलता में बाधा तथा शारीरिक कार्य को होने में मजबूती आदि हैं। अल्प विकसित राष्ट्रों में चिन्मय एवं अस्पताल की सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य में कार्यकुशलता घटने में सहायता नहीं मिलती है। ज्ञान प्रथा के परंपरागत व्यवसायिक गतिशीलता में बाधाएं पड़ती हैं जिससे एक प्रकार के व्यवसाय का छोड़कर दूसरे प्रकार के व्यवसाय में जाना सम्भव नहीं होता। इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप धर्म की व्यवसाय जीवन की स्वतंत्रता अत्यंत सीमित रहती है। श्रमिकों पर जाय प्रोत्साहन का भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि श्रमिक परम्परागत गुरुराज्य में उपभोग का ही अधिक पसंद करता है। श्रमिकों द्वारा सांस्कृतिक एवं समाजिक परिवर्तन को अपने आर्थिक लाभ से अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है जिससे श्रमिकों का उपस्थिति एवं अधिक कार्य करने की इच्छा प्रभावित होती है।

(घ) आर्थिक संरचना—अल्प विकसित राष्ट्रों में जन समाज का यह भाग जान नहीं होता है कि उनमें दस में नौ में प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं और उनको किन्हीं किन्हीं कल्पित उपयोगों में लाया जा सकता है। उनको आधुनिक साधनों द्वारा एवं विधिओं की परिस्थितियों का भी जान नहीं होता है। इन राष्ट्रों के नागरिकों को माननीय सम्पत्तियों का भी अत्यंत सीमित ज्ञान होता है। आर्थिक विकास के लिए जितना महत्त्व सांस्कृतिक ज्ञान एवं पूजा निमाणा का है उतना ही महत्त्व बड़े पैके सांस्कृतिक संगठनों के प्रशासन इन व्यवसायों में कार्य करने वाले श्रमिकों के मानवीय सम्बन्धों तथा आर्थिक प्रगति एवं शिक्के के अनुरूप आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को समाधान का भी होता है। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक सम्बन्धों का आर्थिक प्रगति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और इससे साम्यवादी अर्थशास्त्र का विकास का पैदा होता है।

(ङ) सामाजिक ढांचा (Social Structure)—अल्प विकसित राष्ट्रों में सामाजिक सम्बन्धों का ढांचा बहुत एक परम्परागत होता है और सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव रहता है। व्यक्ति के स्थान पर परिवार, वंश ज्ञान आदि का समाज की विधि व्यवस्था का दृष्टि में लाया जाता है अर्थात् सामाजिक नियम एक अनिवार्य रूप में प्रदान करते हैं कि इन सामूहिक व्यवस्थाओं की सत्ता बनी रहे चाहे व्यक्ति की प्रारम्भिकता स्वतंत्रता एवं आत्म-निर्णय का मत ही व्यक्त करना पड़े। सामाजिक संगठनों में जन्महीनता रहती है जो समाज का विभिन्न वर्गों में इस प्रकार विभक्त कर देती है कि एक वर्ग में दूसरे वर्ग में व्यक्ति को जाना सम्भव हो जाता है। व्यक्ति का समाज में स्थान उसकी

योग्यता, काय कुशलता एवं प्रारम्भिकता के आधार पर नियोजित नहीं जाता है बल्कि उसके पूर्वजों की सामाजिक स्थिति पर आधारित रहता है। व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी काय करने की योग्यता पर नहीं किया जाता है बल्कि उसकी आयु, लिंग, वय, जाति एवं सम्बन्धियों के आधार पर किया जाता है। स्त्रियों का भुगतान में पुरुष के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। स्त्री का पुरुष के अधीन समझा जाता है और उसका अपना कोई व्यक्तिब नहीं होता। उसे उत्पादन व घटक के रूप में पूरा योगदान देने के अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। बुद्ध राष्ट्रों में भी स्त्री का पुरुष के मनोरंजन का प्रत्यापान मात्र माना जाता है और उसका त्रय विज्ञेय त्रय विमानिता की बन्धुओं के समान किया जाता है। यह समस्त सामाजिक परिस्थितियाँ स्पष्टतः अतिशय के सदृश न निरन्तर गम्भीर होती जाती हैं। उच्च शिक्षा समाज के कवल एक श्रेणियों का ही अधिकार समझा जाता है। निम्न वर्ग कार्यालयों की नीवों का अधिक महत्त्व देता है और सरकारी सत्ता का दुरुपयोग करके अतिशय एवं विद्वत् जन-समाज का शोषण करता है। यह समस्त सामाजिक क्षय आर्थिक नियंत्रणता एवं जगान का क्षयन में योगदान देते रहते हैं।

वस्तु से अल्प विकसित राष्ट्रों में विनिमय एवं विपणन व्यवस्था के सम्बन्ध में जन-समाज अनभिज्ञ होता है और आर्थिक व्यक्तिवाद (जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपनी आर्थिक सम्पत्तियों के लिए प्रयत्नशील रहता है) को परिचय नहीं राष्ट्रों के विकास का मूलभूत कारण था, जो अल्प विकसित राष्ट्रों में होने लगे थे कि दया जाता है। यहाँ के समाज परम्परागत रीति रिवाजों से बंधे रहते हैं और उनका सगठन मूल-व्यक्तिवाद होता है। धर्म व्यक्तिगत विद्यास न हारने एवं सम्पत्तियों के रूप में समझा जाता है। धर्म के द्वारा शैतिक कल्याण को सुदृढ़ समझा जाता है और स्वयं एवं पारोक्षिक कष्ट को अधिक कल्याणकारी समझा जाता है। इस प्रकार धर्म भी व्यक्ति के आर्थिक विकास में बाधक होता है क्योंकि यह जन-जीवन के रहन-सहन के ढरान भी निर्धारित करता है।

(ई) साहसियों की कमी—आर्थिक जगान की व्यापकता के परिणामस्वरूप अल्प विकसित राष्ट्रों में साहसियों की कमी रहती है। ऐसा साहसी-जग या उत्पादन के अन्य घटकों को पक्व करने आर्थिक वस्तुओं (नयाँ वस्तुएँ जिसका विज्ञेय किया जाता है) का उत्पादन कर सकें और जो आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बने रहें, की अत्यन्त कमी होती है। इन राष्ट्रों में सामाजिक प्रतिष्ठा जग जनार्थक तरीकों से कम परिश्रम द्वारा प्राप्त करना सम्भव होता है जिसके परिणामस्वरूप जन-समाज में अधिक मनोप्राप्त के प्रति बरचि रहती है।

ऐसा समाज जो रगसद एवं जातियों में विनष्ट हो तथा ऐसी परम्पराएँ एवं अधिनियम जिनके द्वारा जनसंख्या के बड़े भाग की रिवाजों को प्रतिबन्धित किया जाता हो और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों को प्रारम्भ करना कठिन होता हो।

सारंगी वग की उन्नति में बाधक होते हैं। इसका अतिरिक्त निजी सम्पत्ति अधिकार में रखने प्रसविदा करने की स्वतंत्रता तथा सरकारी प्रशासन की उचित व्यवस्था न होने पर भी साहसिया के उत्थान के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न नहीं होता है। समुचित बाजार एवं आर्थिक अनान इस प्रकार साहसिया की उन्नति में बाधक होने हैं। यहाँ कारण है कि अल्प विकसित राष्ट्रा में साहसियों को उन्नत समय तक अपने हाथ में रखना पड़ता है जब तक साहसिया की उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न नहीं हो जाता है।

(३) सरकारी प्रशासन में स्वार्थी वग का प्रभुत्व—अधिकतर अल्प विकसित राष्ट्रा में सरकारी प्रशासन पर घना जमींदारी एवं पूँजीपतियों का प्रभुत्व एवं नियंत्रण होता है जो कृषिक्षेत्र व सुधारों एवं निमाण क्षेत्र के विस्तार का इसलिए विरोध करता है कि उनके राजनीतिक एवं आर्थिक हितों एवं अधिकारों पर कुछासात होने का भय रहता है। यह वग सदैव यथास्थिति बनाए रखने में रुचि रखता है क्योंकि कोई भी विवेकपूर्ण परिवर्तन होने पर उन्हें अपनी स्थिति बनाए रखना कठिन हो सकता है। इन प्रकार यह वग सदैव विनाश में बाधाएँ प्रस्तुत करता रहता है।

(६) पूँजी की कमी

अल्प विकसित राष्ट्रा में वर्तमान उत्पादक पूँजी तो कम होती ही है परन्तु इसका साथ पूँजी निर्माण में वृद्धि भी अत्यन्त मंद गति से होती है। निधनता की व्यापकता व कारण एवं आदि तो आन्तरिक बचत इन राष्ट्राँ में कम होती है और दूसरी ओर, जो भी बचत उपलब्ध होती है उसका विनियोजन भा विकास में सहायक क्रियाओं में नहीं किया जाता है। अग्रजित तांत्रिकता में विकसित एवं अविकसित राष्ट्राँ की आन्तरिक बचत विनियोजन एवं राष्ट्रीय सकल उत्पादन की वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

इस तांत्रिकता से पता होता है कि अमीरी एगियाई एवं लटिन अमेरिकी राष्ट्राँ में राष्ट्रीय सकल उत्पादन की वृद्धि दर तथा राष्ट्रीय उत्पादन से विनियोजन एवं बचत का प्रतिशत विकसित राष्ट्राँ की तुलना में कम है। विकसित राष्ट्राँ की एक ओर विशेषता भी स्पष्ट होती है कि इनमें समस्त आन्तरिक बचत विनियोजित नहीं हो पाती है जबकि विकासनाल राष्ट्राँ में आन्तरिक बचत में व्यय साधना को मिलाकर विनियोजन की गति को बनाए रखना पड़ता है। इन तथ्यों में यह सिद्ध होता है कि अल्प विकसित राष्ट्राँ में पूँजी विनियोजन की वृद्धि की दर कम है और आन्तरिक बचत निधनता की व्यापकता के कारण बनायी नहीं जा सकती है।

अल्प विकसित राष्ट्राँ में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होने व कारण निर्मित वस्तुओं (Manufactured Goods) एवं जनोपयोगी सेवाओं की माँग भी कम रहती है। निर्माण उद्योग एवं जनोपयोगी सेवाओं में अधिक पूँजी विनियोजन की

तालिका म० ८-६३ चुने हुए विकसित एवं विकसित राष्ट्रो में
विनियोजन एवं बचत^१

(१९६०-१९६६ का औसत)

क्षेत्र	सकल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि की औसत वार्षिक दर (%) १९६०-६६	कुल सकल विनियोजन की वृद्धि की औसत वृद्धि-दर (%) १९६०-६६	सकल राष्ट्रीय विनियोजन का सकल राष्ट्रीय उत्पादन से प्रतिशत	बचत का सकल राष्ट्रीय उत्पादन से प्रतिशत
१ विकसित राष्ट्रो	४.८	८.६	१७.४	१७.०
अफ्रीका	१.३	४.७	१.७	१०.१
दक्षिणी एशिया	४	७.५	१३.८	११.०
पूर्वी एशिया	४.६	६.३	१३.४	१०.०
दक्षिणी मागस	७.७	१७.०	२०.८	२१.०
लटिन अमेरिका	४.७	३.७	१५.०	१६.८
मध्य-पूर्व	७.२	५.७	१६.३	१४.४
२ औद्योगिक राष्ट्रो	४.१	६.३	२०.६	२१.५
उत्तरी अमेरिका	५.०	६.१	१७.६	१८.७
पश्चिमी यूराल	४.४	३.७	२०.८	२३.४
अन्य	८.१	६.८	३०.७	३१.७

आवश्यकता होती है और इनको अनुपस्थिति एवं हीनता के कारण अल्प विकसित
राष्ट्रों में पूँजी की कमी रहती है। इन राष्ट्रों में श्रमप्रधान उपभोक्ता बन्धुओं के
उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें भारी पूँजीय वस्तुओं की तुलना में कम
पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। आपारमूल उत्पादन बन्धुओं के उद्योग अल्प-
विकसित राष्ट्रों में अनुपस्थिति ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन राष्ट्रों में निम्न
प्रतिशत स्वास्थ्य-सुधार एवं शासक पर पूँजी का बहुत कम विनिर्माण किया
जाता है जिसके पत्रसम्पन्न भौतिक वातावरण को विवाद के उपयुक्त बनाने के लिए
बहुत कम पूँजी विनियोजन किया जाता है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में कुल पूँजी-विनियोजन कम होने के साथ-साथ प्रति
व्यक्ति पूँजी भी विकसित राष्ट्रों की तुलना में कम होती है। सन् १९८६ में प्रति
व्यक्ति वास्तविक पूँजी विनियोजन एशिया तथा सुदूर पूर्व (जापान को छोड़कर) व
समुद्र राज्य अमेरिका की तुलना में केवल १०% था। प्रति व्यक्ति शक्ति एवं स्वास्थ्य-
उपभोग की मात्रा से भी अल्प विकसित राष्ट्रों एवं विकसित राष्ट्रों के पूँजी-विनि-
योजन की तुलना की जा सकती है। अभावित तानिका में अल्प विकसित एवं विक-
सित राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति शक्ति एवं स्वास्थ्य उपभोग की तुलना प्रदर्शित की गयी है।

तालिका स० ६—विभिन्न राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति शक्ति एवं
इस्पात का उपभोग १९६५

देश का नाम	प्रति व्यक्ति शक्ति का उपभोग (वायल्ट व वजन में किलोग्राम)	प्रति व्यक्ति इस्पात का उपभोग (किलोग्राम)
अल्जीरिया	३००	२३
आर्जेन्टिना	४७	३६
फ्रांस	२६११	३३१
भारत	१७२	१६
इटली	१७८७	२३५
जापान	१७८३	२६४
मक्सिको	६७७	६४
मोरोको	१५३	१३
पाकिस्तान	६०	८
रुमानिया	२०१५	२०६
स्वीडन	४५०६	६८२
समुक्त अरब गणराज्य	३०१	२६
ब्रिटेन	५१५१	४२४
समुक्त राज्य अमेरिका	६२०१	६१६
रूस	४६११	३७६
यूगोस्लाविया	११६२	१२५

जिन देशों में प्रति व्यक्ति शक्ति एवं इस्पात का उपभोग अधिक है उनमें अधिक पूँजा विनियोजन होना स्वाभाविक है क्योंकि शक्ति एवं इस्पात का उपभोग करने के लिए मूल्यवान् भवन यन्त्रा एवं सामग्रियों की आवश्यकता होती है। एशिया एवं अफ्रीका में प्रति व्यक्ति शक्ति का उपभोग समुक्त राज्य अमेरिका के प्रति व्यक्ति उपभोग का केवल लगभग १/३ है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में आय के वितरण में विषमता व्याप्त होती है अर्थात् कुछ लोगो की आय अत्यधिक जबकि बहुत बड़ा समुदाय अत्यंत दरिद्र होता है। आय का यह विषम वितरण पूँजी निर्माण में अधिक सहायक नहीं होता क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय सम्पन्न राष्ट्रों का तुलना में अत्यंत कम होती है जिससे फलस्वरूप केवल अत्याधिक आय वाले वर्ग जो जनसंख्या का लगभग ३ से ५% होता है अल्प काले योग्य होता है। बावजूद भी आय वान लोगों की वास्तविक जीसत आय सम्पन्न राष्ट्रों के निम्न आय वाले वर्ग की वास्तविक आय से भी कम होती है जिससे अल्प की मात्रा अधिक होना सम्भव नहीं होता है। दूसरी ओर अत्याधिक आय वाले वर्ग में जमाखोर एवं व्यापारी वर्ग हैं जो अपनी अल्प वस्तु का विनियोजन नहीं

जायदाद मट्टा कपवा सामग्री एवं अन्ये मान के उपकरण के लिए करता है। इनमें दोनों-कामोद औद्योगिक विनियोजन एवं अनायासी सेवाओं में विनियोजन करने के प्रति रसि नहीं रहती है क्योंकि वे अधिक दर से शीघ्र तान, अडे-अडे-हृदयोंको कृपु देण्ड, प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठित धनिकों की कमी नहीं एक कारखाना-मानानवी अनुभववि विनियोजकों में मूद्रा-मूर्ति एवं अवसूचन की जंठिन से बचन के लिए उरल सम्पत्तियों का अधिवा में रखने की रसि म्हापि प्रयासन की अन्धिर आधिब नोटियां जिन्से आन्तरिक बाजार सुकृतिर हा जाता है कपवा विदेगी प्रतिस्पर्धी प्रारम्भ न जाती है, नूनिपतियों का सजाक एवं न्य की सत्तरीति में गतिशाली स्थान प्राप्त होना सामाजिक बंधानिक एवं राजनीतिक न्यायों द्वारा प्राग्निबन्ता एक साहस पर प्रतिबन्ध जाना यदि विभिन्न बाजार हैं जिन्से परिणाम-स्वरुप अन्य-विनियोज राष्ट्रों में बचत एवं पूर्ण विनियोजन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता है। न्युत राष्य अमेरिका एवं ब्रिटेन में पूर्ण निमाप का बन्ध बदा भाग व्यवसायों के लानों के पुनर्विनियोजन से प्राप्त जाता है परन्तु अन्य विकसित राष्ट्रों में लगभग पाने बाधा नहीं बचत छाग एवं महकहीन रहता है जिन्से पूर्ण निमाप की दर निम्न स्तर पर बनी रहती है। इसके साथ ही अन्य विकसित राष्ट्रों में सामूहिक भवनों एवं स्मारकों के निमाप को अधिन महच दिया जाता है जिन्से बचत का कुछ भाग विनियोजित हा जाता है और जिन्से अधिब उत्पादन में को प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता है।

(७) विदेगी श्यापा की प्रधानता

अल्प विकसित राष्ट्रों की अर्थ-व्यवस्था में विदेगी श्यापा की प्रधान स्थान प्राप्त होता है जिन्से निम्नलिखित विभिन्न कारण हैं—

(१) अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्था की प्रायः कुछ ही प्राथमिक वस्तुओं (Primary Products) के उत्पादन पर निर्भर रहना पडता है और इन वस्तुओं का अधिकतर निर्यात कर दिया जाता है। यह निर्यात-उत्पादन पैदा के कुल उत्पादन का बहुत बदा अनुपात होता है और इन निर्यात द्वारा जो लाभ उपार्जित होती है वह जन विगी एवं सरकारी विनियोजन द्वारा उपार्जित लाभ से भी अधिक होती है। यह निर्यात-जन देण की राष्ट्रीय आय का २०% से कम नहीं होता है। कुछ राष्ट्रों में तो एक प्रदण दो वस्तुओं के निर्यात से देण को विदेगी विनिमय-प्राप्ति का बहुत बदा भाग मिलता है जैसे वेनेजुला में सन् १९५० में सतिर तेल का निर्यात से देण की विदेगी विनिमय-प्राप्ति का ६७% भाग प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक या दो वस्तुओं के निर्यात पर अर्थ व्यवस्था की निर्भरता के सबसे बदी जोखिम यह है कि इन वस्तुओं के विदेगी बाजारों में मूल्यों के उल्थावचानों का निर्यातक-देण की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पडता है जिन्से अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार कुछ निर्यातक देणों को हस्तान्तरित हो जाते हैं।

(२) अल्प विकसित राष्ट्रों के निर्यात-क्षेत्र में विदेगी विनियोजन का प्रमुख

है। यह विदेशी विनियोजन प्रायः प्राथमिक उत्पादों के प्रविधिकरण (Processing) पर ही केन्द्रित है जिनके उत्पादों का निर्यात किया जाता है। विदेशी पूँजी का सावजनिक सेवाओं में भी विनियोजन किया गया है परन्तु यह भी नियन्त्रित ही सम्पन्न है। यह विदेशी विनियोजन प्रायः विदेशी फर्मों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित है। अल्प विकसित राष्ट्रों के सन्निह एव पौष वस्तु व्यवसाय (जस चाय) में प्रायः विदेशी फर्मों का नियंत्रण एवं अधिकार है। यह विदेशी व्यवसाय प्रायः एकाधिकारिक गतिशास्त्र ग्रहण कर लेता है और इनके साथ में आर्थिक शक्तियों का अन्वीक्षण हो जाता है। विदेशी फर्मों के गतिशास्त्री होने में वे देश की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों को अपने हित के लिए प्रभावित करते रहते हैं और राष्ट्रीय उत्पादन का सम्पूर्ण लाभ जन समाज को उपलब्ध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त विदेशी पूँजी के प्रवाह में परिचलन होने के साथ साथ देश की अर्थ-व्यवस्था में उच्चावचान होने रहते हैं जो आर्थिक विकास में बाधाएं डालते हैं।

(३) कुछ राष्ट्रों में सरकारों आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात-व्यापार पर लगतकरों से प्राप्त होता है जसे मसालों में लगतकरों की आय सरकारों आय का बहुत बड़ा भाग होता है। विदेशी व्यापार का उत्थान पर ही इस प्रकार सरकारों आय एक विनियोजन निम्न रहता है।

(४) अल्प विकसित राष्ट्रों की अपनी बहुत सी आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इन राष्ट्रों का आयात में प्रायः निम्न वस्तुएं वस्त्र, हल्की उपभोक्ता वस्तुएं तथा खाद्यान्न एवं घास पदार्थ सम्मिलित रहते हैं। इन देशों में आयात करने की इच्छा बहुत अधिक होती है क्योंकि अन्तराष्ट्रीय प्रदूषण का प्रभाव अपना काम करता है। देश के सम्पन्न लोग विदेशियों के सामान आराम एवं विलासिताओं की वस्तुओं उपभोग करने के लिए आयात के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार देश का निर्यात से उपलब्ध होने वाले विदेशी विनिमय का अधिकतर भाग विलासिता की वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों पर खर्च कर दिया जाता है और उत्पादक वस्तुओं का आयात में अत्यन्त सीमित स्थान प्राप्त होता है।

जो देश विकासोन्मुख हो गये हैं उनके आयात करने का इच्छा बहुत तीव्र इसलिए है कि विकास के लिए उत्पादक वस्तुओं का एक आर्थिक लाभ का बड़ी मात्रा में आयात करने की आवश्यकता रहती है। विकासोन्मुख राष्ट्रों में धीरे धीरे प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात कम होने लगता है और उत्पादक वस्तुओं का आयात बढ़ जाता है। इस परिस्थिति के फलस्वरूप देश का व्यापार गैर प्रतिकूल हो जाता है और इस प्रतिकूल रूप की पूर्ति विदेशी सहायता द्वारा करनी पड़ती है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में विकास द्वारा आर्थिक एवं दलित वर्ग का जीवन स्तर में सुधार लाना सम्भव हो सकता है यदि देश में आर्थिक एवं सामाजिक नीति में परिवर्तन किए जायें और सर्वोपयोगी नीतियों का

भावना को आसुरी स्वरूप देकर फेंक दिया जाय। इस शोषण भावना के कारण ही आधुनिक युग में राजनीतिक उत्तेजना (Political Agitation) सामाजिक असुविधा तथा परम्पर द्रोहारोपण का बोलबाला है। जब तक जनसमुदाय के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन-स्तर का नहीं ठहारा जायगा आधुनिक उत्पादन की विधियों का मान स्थापित जाना असम्भव है। अन्य विभिन्न राष्ट्रों में विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का निवारण करने के लिए नियोजित अर्थ-व्यवस्था द्वारा एक क्षेत्र देश में राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करना तथा दूसरे क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं का दम करन व लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था का संचालित करने के लिए कुछ मूल आधार नियम करन की आवश्यकता होती है। उन प्राथमिकताओं का निर्धारण विकास व क्षेत्र का निर्णय आदि। इन नियमों के सम्बन्ध में अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर विचार होना चाहिए।

आर्थिक प्रगति को प्रभावित करने वाले घटक
 [Factors Influencing Economic Growth]

[आर्थिक प्रगति का प्रभावित करने वाले घटक—सांस्कृतिक एवं परम्परागत घटक, सामाजिक घटक—सामाजिक घटक एवं श्रमिकों की उत्पादनता, सामाजिक घटक एवं वचन, सामाजिक घटक एवं सांस्कृतिक क्रियाएँ, सामाजिक घटक एवं तार्किकताएँ, नृत्न घटक, तार्किक घटक, भूमि प्रबंधन में सुधार, राजनीतिक घटक, सरकारी प्रबंध एवं नीति, प्रबंध के विकास की समस्या]

आर्थिक प्रगति वह क्रिया है जिसका द्वारा मनुष्य का अपने द्वारा भार क बातावरण पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होता है जिसका फलस्वरूप उसकी स्वतंत्रता बढ़ती है। ऐसी शक्ति "यत्नाएँ" को अविकसित है उनमें मनुष्य का प्रवृत्ति दत्त सुविधाओं तथा कठिनाइयों का अंतर्गत जीवन "यत्नीय" करना पड़ना है परन्तु जब-जबे देश आर्थिक प्रगति करता है उपलब्ध प्राकृतिक सुविधाओं का सापेक्ष किया जाता है तथा प्राकृतिक कठिनाइयों पर मानवीय नियंत्रण को स्थापित बनाया जाता है। इस क्रिया का अंतर्गत मनुष्य का उपयोग का लिए वस्तुओं और सेवाओं का मात्रा में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार एक ओर तो मनुष्य को अपने वातावरण पर नियंत्रण प्राप्त होता है और दूसरी ओर वस्तुओं और सेवाओं का बड़ा नष्टार म न उन अपना इच्छानुसार चयन करने का अवसर प्राप्त होता है।

किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक उसकी राष्ट्रीय आय का वृद्धि में किया जाता है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे आर्थिक प्रगति का सूचक समझा जाता है। आर्थिक प्रगति में अन्तर्गत प्रायः उपभोग तथा वितरण को सूचक करने समय अधिक महत्व नहीं दिया जाता है अर्थात् किसी भी देश में किमा विनाश वष में पिछले वष की तुलना में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि होती है वह उस देश की आर्थिक प्रगति का सूचक होता है। ऐसा ही सकता है कि किसी देश में राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि होना जाय परन्तु जनसमुदाय का बहुत बड़ा भाग निधन रहे। यह परिस्थिति तभी आती है जब राष्ट्रीय आय का वितरण में विषमता हो। यह भी सम्भव है कि राष्ट्रीय उत्पादन में तो वृद्धि हो परन्तु प्रति व्यक्ति उपभोग कम होता जाय। यह तभी हो सकता है जब राष्ट्रीय उत्पादन का

बना जा बचत के लिए उपयोक्त किया जाय। उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में यह कहना ठीक होगा कि यह देश आधिपतियोग की ओर अग्रसर है।

आधिपतियोग को प्रभावित करने वाले घटक—आधिपतियोग एक नया विधि है जिस पर विभिन्न घटकों का प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इस घटकों का प्रकार सर्वत्र आधिपतियोग नहीं होता। सामान्य में सामाजिक सामूहिक राजनीतिक तथा नैतिक घटक आधिपतियोग को प्रभावित करते हैं और ये आधिपतियोग को प्रभावित करने वाले घटक हैं। आधिपतियोग पर विभिन्न प्रकार के प्रकार प्रभाव डालते हैं यह स्पष्ट करते समय यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आधिपतियोग के सम्बन्ध में कोई ऐसे सामान्य सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया जा सकता जो प्रत्यक्ष रूप पर समान रूप से लागू हो सके। एक ही घटक किसी विशेष रूप में कुछ और प्रकार का प्रभाव डालता है और किसी अन्य रूप में उल्टा प्रभाव डालता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक एक आधिपतियोग की अलग अलग इतना प्रभावित नहीं करता, जितना विद्यमान समस्त घटक मिलकर प्रभावित करते हैं। आधिपतियोग को प्रभावित करने वाले घटकों का हम निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं—

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| (१) सामूहिक एवं परम्परागत घटक, | (३) सरकारी प्रबन्ध एवं नीति, |
| (२) सामाजिक घटक, | (४) प्रबन्ध के विभाग का घटक |
| (५) नैतिक घटक | (६) पूर्ण-निर्माण, |
| (७) आधिपतियोग घटक, | (१०) धार्मिक घटक, |
| (८) बुद्धि-प्रदान सम्बन्धी घटक | (११) जनसंख्या का घटक। |
| (९) राजनीतिक घटक। | |

(१) सामूहिक एवं परम्परागत घटक—दूसरे वर्ग के अन्तर्गत हम इन घटकों का अध्ययन कर सकते हैं जो मानव की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं से सम्बन्ध रखते हैं और जिनका प्रभाव आधिपतियोग प्रणाली पर पड़ता है। जीवन के प्रति जो सामूहिक विचारधारा किसी देश के समाज में विद्यमान हो, वह उस देश की आधिपतियोग को प्रभावित करती है। कुछ वर्षों एवं शक्तियों में यह मान्यता प्रकृतित पायी जाती है कि जन के मन उपर्युक्त जगत् मानव का कर्षण है तथा मानव का धर्म अपनी वर्तमान परिस्थितियों से सम्बन्धित रह कर और नवीन आधिपतियोग सामाजिक शक्तियों के प्रति प्रारम्भिकता का त्याग कर जीवन के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। इस प्रकार की मान्यताएँ जनसमुदाय की आधिपतियोग को प्रभावित करती हैं और उनकी धर्मशास्त्रों और वेदों को प्राप्त करने की इच्छाएँ कमजोर बन जाती हैं। विवेक की कर्षण-व्यवस्था अधिष्ठाताओं के अनुभव कारण एक यह भी समझा जाता है कि बड़ा धार्मिक शक्तियों की अधिष्ठाता और उच्च प्रभाव जनसमुदाय पर अधिष्ठाता या एवं बौद्धों के मतानुसार त्याग को समाज में सर्वश्रेष्ठ माना जाता

है। इसके विपरीत परिचयी राष्ट्रां में अधिक उपभाग की प्रवृत्ति पायी जाती है। इसके फलस्वरूप वहाँ आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिला।

मानवय अवश्यकताएँ विद्यमान भौतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां तथा जनसमुदाय के स्वभाव एवं परम्परागत रीति रिवाजों से भी प्रभावित हुाने हैं जैसे जिस देश में समुद्र का किनारा न हो उसे जहाँ-जहाँ एव नावा की आवश्यकता नहीं होता। अधिकतर लोग जीवन की अनिवायताओं में संकटीनी करने परम्परागत उत्सवों आदि पर धन का व्यय करते हैं और इस प्रकार वह अपनी उत्पादनशक्ति को मूल्य कम करते रहते हैं। पिछड़े हुए राष्ट्रां में अज्ञानता के कारण जनसमुदाय नये पौष्टिक भोजन वस्त्र आदि उपयोग नहीं करना चाहते और इन सबसे उनकी आर्थिक क्रियाएँ प्रभावित हुाने हैं।

श्रमिकों की भाव के प्रति जो प्रवृत्ति होती है, वह भी आर्थिक प्रगति को प्रभावित करता है। यह प्रवृत्ति श्रमिकों की मारो गति काय करने की दशाएँ आर्थिक मायताएँ तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर रहती हैं। जो जनसमुदाय अधिक घटा तक परिश्रम के माय काय कर सकता है जिसमें काय कुशल श्रमिकों की सामाजिक प्रतिष्ठा की जानी हो उसे श्रमिक अपने काय के प्रति तत्पर एवं जागरूक रहते हैं और श्रमिकों में अपनी वायव्यता बनाने की प्रवृत्ति पायी जाती है तो ऐसा जनसमुदाय अपने धर्म से आर्थिक उत्पादन करेगा और उसे अधिक काय उपार्जन हासी। यह श्रमिकों का अधिक प्रगति में तभी सहायक है सकेगा जब वह अपनी काय के कुछ भाग को उत्पादन विनिमयन में लगायें। जब तक पूँजी नियामक वृद्धि नहीं होती, श्रमिकों की काय कुशलता आर्थिक प्रगति में सहायक नहीं हो सकती। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों के फलस्वरूप भी कमा करी देश में उपलब्ध उत्पादन साधनों का उपयोग नहीं किया जाता तथा समयानुसूल जोतिम तब के लिए तत्परता की कमी रहती है। अल्प विकसित राष्ट्रां में प्रायः गारारिक धर्म से सम्बंध रखने वाले व्यवसाय का हान माना जाता है और इसलिए जेने जेने गिना का विस्तार हुाना है कार्यालयों में काय करने वालों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। भारतवर्ष में कुछ जातिवर्गीय कृषि क्षेत्रों में हड़दों तथा शूद्रों के खाद का उपयोग करना पसंद नहीं करती और इस प्रकार ये उत्पादन साधन उपयोग में नहीं लाये जाते। यह समस्त घटक देश के आर्थिक गतिशीलताओं का प्रभावित करते हैं और इस प्रकार उत्पादन क्रियाएँ भी इन्हीं कारणों पर निर्धारित हुाने हैं जो आर्थिक प्रगति की मूल आधार हुाने हैं।

(२) सामाजिक घटक—सामाजिक घटकों के अन्तर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो समाज में प्रचलित विभिन्न मायताओं से सम्बंध रखते हैं। समाज में धन और प्रतिष्ठा का क्या सम्बंध है यह तत्व आर्थिक क्रियाओं का प्रभावित करता है। यदि धन के द्वारा ऐसी मायताओं को एकरान करना सम्भव हो जिसकी सहायता

से कोई भी नागरिक अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रदर्शित कर सकता है तो वह उस सामग्री का आर्थिक उपयोग न होत हुए भी प्रयत्न करना पसन्द करेगा जिससे पतन-स्वरूप दण्ड में विलासिता की वस्तुओं एवं प्रदर्शन की सामग्रियों से लोगों का विन्दाय होगा। यदि समाज में धन के द्वारा राजनीतिक सत्ता वस्तुकारियों पर सत्ता सिद्ध करने की सत्ता अपने सम्बन्धियों का ज्ञान पहचान की सत्ता प्राप्त हो सकती है तो धनापाजन करने के लिए अधिक प्रोत्साहन देना है और नाग धनापाजन के लिए अधिक से अधिक प्रयास एवं उत्पादन विनियोजन करते हैं जिससे आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है परन्तु यह मांगता साम्यवादी समाज के लिए पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि साम्यवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का उसकी उत्पादनशक्ति के अनुसार काम करने की योग्यता तथा नव आविष्कार करने की योग्यता के आधार पर प्रतिष्ठा एवं सत्ता प्रदान की जाती है।

प्रत्येक नागरिक अपने प्रयासों का उत्पादन के क्षेत्र में पूरातम उपयोग कर, इस व्यवस्था के लिए उस यह आश्वासन देना चाहिए कि वह जो भी काम करेगा उसके बदले में उसे उचित पारिव्यक्तिक प्राप्त होगा। उचित पारिव्यक्तिक उत्सव जीवन-स्तर से इतना सम्बद्ध नहीं होगा, जितना उसके द्वारा किए गए कार्य के। साम्यवादी स्तर में साम्यवादी सरकार की स्थापना होने के पश्चात् समस्त नागरिकों का समान काम प्रदान करने का प्रयास किया गया और कार्य-कुशल एवं उत्तरे धर्मिकों को वरदान के अतिरिक्त समो (Decorations), प्रशंसा प्रमाणपत्र आदि दिये गये परन्तु यह प्रयोग असफल रहा और धर्मिकों की कुशलता एवं प्रोत्साहन की बजाय रखने के लिए कार्य के अनुसार पारिव्यक्तिक दिये जाने के सिद्धान्त का फिर से अपनाया गया। पिछले हुए राष्ट्रों में जनसमुदाय में सामूहिक कल्याण की क्रियाओं का विना भौतिक पारिव्यक्तिक के समान करने की इच्छा पायी जाती है परन्तु जस-जस आर्थिक प्रगति की व्यापकता बढ़ती जाती है भौतिक प्रोत्साहन कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं समझे जाते।

अल्प विवक्षित राष्ट्रों में जनसाधारण की सामाजिक विचारधाराएँ एवं स्वभाव भौतिक प्रगति में सहायक नहीं होता है। इन राष्ट्रों में व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं पर सामाजिक घटकों का बहुत प्रभुत्व पड़ता है और विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का नागरिकों में जाबदजब उनकी योग्यताओं एवं उपसर्गियों के आधार पर नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति का सामाजिक स्तर पारिव्यक्तिक सम्बन्ध एवं धर्म आदि का उसकी आर्थिक क्रियाओं का आधार माना जाता है। दण्ड में उपसर्ग्य आर्थिक सम्पत्तियों का विवरण एवं धिमा तथा प्रतिफल की सुविधाओं की उपलब्धि भी व्यक्ति के सामाजिक स्तर पर होती है। दूसरे ओर विवक्षित राष्ट्रों में आर्थिक क्रियाओं सम्पत्तियों एवं व्यक्तियों की उपसर्ग्य नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं एवं उपलब्धियों के आधार पर होती है। दूसरे राष्ट्रों में यह भी कह सकते हैं कि अल्प विवक्षित समाजों में व्यक्ति को आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण जहाँ सामाजिक स्तर के आधार पर होता है वहीं विवक्षित

राष्ट्र) में अनुदान व द्वारा 'यक्ति को आर्थिक क्रियाएँ निर्धारित होती हैं। अल्प विकसित राष्ट्र में व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं का चयन करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों का दास होता है जबकि विकसित राष्ट्र में व्यक्ति को आर्थिक क्रियाओं का चयन अपनी योग्यतानुसार चयन करने का अधिकार होता है।

अल्प विकसित समाजों में सामाजिक समस्याओं का निर्माण जनसाधारण के स्वभाव एवं विचारधाराओं के आधार पर होता है। परन्तु धीरे-धीरे यह सामाजिक समस्याएँ अपनी गतिशील हो जाती हैं कि यह जनसाधारण के विचारों एवं स्वभाव को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार जनसाधारण के विचार एवं स्वभाव तथा सामाजिक समस्याएँ एक-दूसरे पर निरंतर प्रभाव डालती रहती हैं और इसके परिणामस्वरूप, सामाजिक समस्याओं की मरचना इनका कठोर एवं स्थिर हो जाती है कि समाज को फिर इन समस्याओं का दास बन जाना पड़ता है। यदि यह संस्थाएँ भौतिक विज्ञान का विरोध करती हैं तो व्यक्ति विकास सम्बन्धी आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय भाग नहीं ले सकता है और आर्थिक प्रगति में बाधाएँ उपस्थित होती हैं।

सामाजिक घटक आर्थिक क्रियाओं का विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं। सामाजिक घटकों से प्रभावित होने वाले विभिन्न आर्थिक क्षेत्र निम्न प्रकार हैं—

(अ) सामाजिक घटकों का श्रमिकों की उत्पादकता पर प्रभाव—देश का श्रम-शक्ति का राष्ट्रीय आय का दिया जान वाला अनुदान श्रम शक्ति के परिमाण एवं गुण पर निर्भर रहता है। श्रम शक्ति का परिमाण देश की जनसंख्या पर निर्भर रहता है। देश की जनसंख्या जब तीव्र गति से बढ़ती है तो श्रम शक्ति में भी वृद्धि होना है यद्यपि जनसंख्या की आयु-संरचना (Age Structure) एवं सम्भावित औसत आयु भी उत्पादक श्रम की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या की वृद्धि समाज में प्रचलित धार्मिक विचारधाराओं एवं सामाजिक रीति-रिवाजों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होता है। सामाजिक एवं धार्मिक परम्पराओं में नये रूप आयु में विवाह मयुक्त परिवार पद्धति बड़े परिवार का प्रतिष्ठा धार्मिक कार्यों के लिए पुत्रों तथा पुत्रियों का होना आवश्यक बहुविवाह पद्धति आदि प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या की वृद्धि का प्रभावित करते हैं। इन परम्पराओं से परिपुत्र समाज में जब आर्थिक विकास के प्रारम्भ के साथ जनस्वास्थ्य एवं कृषि की आवश्यकता का संघर्ष होता है तो जनसाधारण के स्वास्थ्य में सुधार होता है और मृत्यु-दर भी कम हो जाती है। इस प्रकार अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में सामाजिक घटक श्रम शक्ति के परिमाण में वृद्धि करने में सहायक होते हैं और इन अर्थ-व्यवस्थाओं में श्रम शक्ति का परिमाण आवश्यकता से प्रायः अधिक हो जाता है।

दूसरी ओर सामाजिक घटक श्रम शक्ति के उत्पादक गुणों को भी प्रभावित करते हैं। अल्प विकसित राष्ट्रों में श्रमिकों की उत्पादकता कम होती है क्योंकि जनसाधारण आर्थिक प्रोत्साहनों की तुलना में सामाजिक सुविधाओं और परम्परागत रीतियों को अधिक महत्त्व देता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का निम्न स्तर श्रम शक्ति को

अधिक परिश्रमी नहीं बनने देता है। अन्य विकसित राष्ट्रों में उद्योग औद्योगिक श्रम की स्तुनता होती है क्योंकि इसके लिए श्रमिकों में अधिक परिश्रम करने की योग्यता अनु-
 साधनप्रियता, समय का ध्यान करने का स्वभाव, तथा अन्य लोगों के साथ सहयोग
 करने काय करने का सामर्थ्य को आवश्यकता होती है। इन राष्ट्रों में औद्योगिक
 श्रमिक हृषिकेन्द्र से बना है और इसमें उद्योग पूर्णों की स्तुनता का हाथी ही है साथ
 ही, यह जयको काय का औद्योगिक क्षेत्र का अनुशासित वातावरण का एकमात्र अंग में
 प्रसन्नता रहता है। औद्योगिक क्षेत्र का हृषिकेन्द्र जयकी व्यक्तित्व उद्योगकार
 काय करने की स्वतन्त्रता भी नहीं रहती है और पारिवारिक वातावरण की भी होना
 पायी जाती है। यही कारण है कि अन्य विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं का विकास करने
 के लिए सबसे अधिक समस्या श्रमिकों का औद्योगिक क्षेत्र का अर्थिक वातावरण में
 कार्य करने का प्रथम प्रदान करना होता है। भारत में सामाजिक क्षेत्र से औद्योगिक
 क्षेत्र में जाने वाला श्रमिक श्रमों की उच्चोच्च आर्थिक स्थिति के बजाय के कारण नगरों
 में जाता है परन्तु वह नगरों के श्रमिकों का वातावरण में अपने जयकी समाश्रित
 नहीं कर पाता है और जय ही वह कुछ धन बना लेता है सामाजिक क्षेत्र में वातस्थान
 का उद्योग रहता है। यही कारण है कि अन्य विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में औद्योगिक
 श्रमिकों में श्रमिक श्रमनाश्रम (Labour Turnover) अत्यधिक होता है जिससे
 श्रमिकों की उत्पादनप्रतिफल कम होती है।

(ध) सामाजिक घटकों का बचन पर प्रभाव—सामाजिक विचारधारा
 उद्योगों के प्रकार तथा उनके परिणामस्वरूप बचन एवं पूँजी निर्माण की मात्रा को
 प्रभावित करने है। उदाहरणों एवं उदाहरणों में बचिकी योरोर के राष्ट्रों
 में इन समय की सामाजिक विचारधाराओं जये अल्प के लिए उद्योग-सृष्टि की
 व्यवस्था अल्प बचिकी की योग्य बनाना नवीन विचारों के लिए अपने अर्थिक स्तर
 करना अपने अनुभवों की विस्तृत करना आधिकार करना परम्परागत एवं प्राचीन
 रीति-रिवाजों का साधना आदि ने पूँजी निर्माण एवं आर्थिक प्रगति में अल्पता
 साधना दिया वह आर्थिक प्रगति के साधन में नहीं अल्प था। अन्य-विकसित
 अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति काय अर्थिक धन होती है और अल्पता अल्प
 होती है जिसके परिणामस्वरूप उद्योगधारण में बचन करने की क्षमता नहीं के
 बचन रहती है परन्तु इन निधनता का कारण इन अर्थिकों का अल्पता अल्प
 है। आर्थिक श्रमों, विवाह एवं अल्प-अल्पकी अल्पता आर्थिक स्तरों आदि पर
 निर्भरता भी अल्पता क्षमता का अधिक अल्प करता है जिससे निधनता को
 निरन्तरता प्राप्त हो जाती है। दूसरे जोर, इन अर्थ-व्यवस्थाओं में अल्पता अल्प
 अल्पता धनी होता है परन्तु यह अल्पता भी अपने उद्योगों का इस प्रकार का अल्पता
 है जिससे अल्पता अल्पता में अल्पता नहीं अल्पता है। यह अल्पता अल्पता में अल्पता
 कर अल्पता है परन्तु यह अल्पता अल्पता का अल्पता अल्पता, अल्पता अल्पता

सूचकान धातुओं एवं आभूषणों प्रदान एवं सान गौत के प्रासाधनों आदि क लिए करता है क्याकि इनके द्वारा उह समाज म प्रतिष्ठ एवं आत्म प्राप्त हाता है । इन प्रकार सामाजिक परम्पराका न पल्लवरूप एक आर वचन बन रहनी है और दूसरी आर वचन का उत्पादक उपयोग भा नही होना है ।

त्रिकासरील राष्ट्रा म धनी वष म विकसित राष्ट्रा की विलासिताभा एवं आराम की नवल करने की प्रवृत्ति भी पाया जाना है अकि विकसित राष्ट्रा क समान यह वष परिश्रम त्याग एवं उत्पादन काय करन क लिए उद्यन नहा रहना है ।

(इ) सामाजिक घटकों का साहित्य कार्यों पर प्रभाव—परिचमी राष्ट्रा के आर्थिक प्रगति के इतिहास न अवलोकन से यह ज्ञान होना है कि इन राष्ट्रा क विकास म एक छोटे मे उत्साही एवं परिधमी "यापारी-वष के ननुत्व का अत्याधिक वागमन रहा है । साहमी वह "पति अथवा सस्था होनी है जा उत्पादक यवमापों क लिए सभी आवश्यक उत्पादन क घटका का सम्मिश्रण करती है और इस प्रकार वह "ग के आर्थिक विकास का कद्र विदु होता है । किसी भा दग म साहमी वष क विलास क लिए साहमिक कार्यों (entrepreneurial activities) को समाज म प्रतिष्ठित स्थान मिलना आवश्यक हाता है क्योंकि योग्य परिश्रमा एवं अनुभवों योग साहसी का काम तग ही अपन उपर लेने को तयाग हान हैं जब उह समाज म उचा स्थान दिया जाता है । इसक भाष ही योग्य व्यक्तियों को साहसिक प्रियाएँ करन क लिए आवश्यक छूट एवं सुविधाएँ प्राप्त हाना भी आवश्यक होगी है । इनकी प्रियाभा म यदि शासकीय नाइसँसय एवं अन्य प्रतिवधात्मक कार्याहिन्य द्वारा बाधाएँ जाती जाती हैं तो साहमा वष का पर्याप्त विलास सम्भव नही होना है । किमा भा "पति को साहसी बनन के लिए उनम अधिक जालिम सकर अधिक वनपाजन करन का तीव्र भावना का होना अनिवार्य होता है । यह भाजना ही "स साहसिक प्रियाभा का आर प्रेरित करती है । यह भावना समाज की सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक सस्था का कायविधि पर निर्भर रहती है । साध हा, सिमा का पद्धति एवं प्रकार का भा प्रभाव इन भावना पर पडना है । विनास इजीनिरिस एवं तात्त्विक शिक्षा द्वारा मनुष्य म भौतिक प्रगति की भावना उत्पन्न हाती है और इनके लिए उसे आवश्यक जग भा प्राप्त होता है, साहसी वष के उत्थान क लिए देश के अधिनियमा प्रारसिनिक पवस्था एवं राजनीतिक संरचना द्वारा निजी व्यवसाय का पर्याप्त रक्षण वना हाना भा आवश्यक होता है ।

अल्प विकसित राष्ट्रा म साहसी वष क विलास क लिए आवश्यक तत्व विष मान पर्याप्त मात्रा म नही होते हैं । परिवार जालि धम एक अन्य सामाजिक सस्थाएँ योग्य व्यक्तियों का साहित्य प्रियाभा के करन म बाधाएँ प्रस्तुत करती हैं । मनुक्त परिवार पद्धति से "यतिगत प्रारम्भिनता पर विपरीत प्रभाव पडता है । जालि प्रया के पल्लवरूप लोग क विचारों म सकीणता धर कर नना है और वे अपनी जालि एवं

वगैरे प्रति वफादारी का सर्वाधिक महत्व देते लगने हैं जिसका परिणाम यह होता है कि व्यवसायों में उत्तरदायी पदों पर परिवार एवं जाति के आधार पर नियुक्तियों की जाती हैं और साम्यता एवं अनुभव का उचित महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में योग्य नवयुवकों का नतुष करन का अवसर ही नहीं प्राप्त होता है और समाज की उत्पादन क्रियाओं में प्रान्तिवारी परिवर्तन सम्भव नहीं होता है।

अल्प विकसित राष्ट्रा में साहसिक कार्यों का पर्याप्त विस्तार स्त्रियादी विचारधाराओं के कारण भी नहीं होता है। सामाजिक स्थितियों तथा व्यवसायिक उपकरणों का अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा में मिलन के कारण ऐसा नवयुवक या समाज में परिवर्तन लाना आता है नतुष करन का अवसर नहीं प्राप्त कर पाता है। नगर एवं केंद्र होते हैं जो परिवर्तनों का गीत प्रति घोष स्वोकार करन हैं और नवीन तांत्रिकताओं उपभाग, उत्पादन एवं सामाजिक संस्थाओं एवं विचारधाराओं का जन दत्त हैं एवं उनका विस्तार करत हैं। यही कारण है कि पश्चिमी राष्ट्रों में आर्थिक प्रगति की प्रविधि के अन्तर्गत औद्योगिककरण एवं नगरों की स्थापना में एक दूसरे का निरंतर सहायता प्रदान की और विकास का प्रति का बटा दिया। अल्प विकसित राष्ट्रों में ग्रामों का प्रमुख होता है और जन संस्था का अधिकतर भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ग्रामीण नागरिकों का प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है जिसमें प्रतिस्पर्धा की भावना का अभाव रहता है। इन सब कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिवादी जनता पण्डित विराधी विचारधाराओं का प्रमुख होता है। जब यह ग्रामीण क्षेत्रों का नागरिक उत्तोगों में पहुँचता है तो अपने साथ ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियादी प्रवृत्त व्यवस्था एवं रिवाजों को अपने साथ ले जाते हैं। यही कारण है कि उद्योगों में प्रवृत्तियों में मध्यव्यवस्थाकारी मूत्रियों एवं जमींदारों के समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति पायी जाती है जो प्रवृत्त एवं श्रम में कलह का कारण बन जाती है। औद्योगिक क्षेत्र पर कृषि प्रवृत्त-व्यवस्था का प्रभाव हान के कारण ही औद्योगिक क्षेत्र में नवीन तांत्रिकताओं की स्वभावतः स्वीकार नहीं किया जाता है। व्यापारिक क्रियाओं का जब समाज में हीन दृष्टि से दखा जाता है तो साम्य नवयुवक उन व्यवसायों की ओर आकर्षित हो जाता है जिनका समाज में प्रतिष्ठित स्थान होता है। इस प्रकार साहसी वर्ग का विस्तार सम्भव नहीं होता है।

अल्प विकसित अर्ध-व्यवस्थाओं में आर्थिक वातावरण इस प्रकार का होता है कि विनियोजन में उपायित हान वाली आय का अनुमान लगाना भी सम्भव नहीं होता है। लागत से सम्मिलित हान वाले घटकों को उचित भागत का अनुमान विपणन एवं माग के परिमाण का उचित अनुमान प्रतिस्पर्धा की मात्रा का अनुमान तथा उचित सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धि न हान के कारण साहसिक क्रियाओं के विस्तार में रुकावटें उपस्थित होती हैं। विकसित अर्ध-व्यवस्थाओं में बड़े-बड़े व्यापार-पट्टों द्वारा जो विपणन-अन्वेषण किए जाते हैं वह नवीन साहसी वर्गों की सहायतायें उपलब्ध होत

हैं। इसने अतिरिक्त सरकार द्वारा 'यापारिक संगठनों' एवं अधिकोपण तथा वित्तीय सम्पत्तियों द्वारा विभिन्न सूचनाएँ निर्धारित रूप से प्रकाशित की जाती हैं जो साहसिक क्रियाओं में सहायक होती हैं। अल्प विकसित अथवा व्यवस्थाओं में इन प्रकार की सहायक सूचनाएँ उपलब्ध न होने का कारण साहसिक क्रियाओं में जोखिम अधिक रहती है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में साहसिक क्रियाएँ एक मूल घटक रहती हैं और आर्थिक प्रगति हेतु इस घटक का विस्तार के लिए राज्य का ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ उत्पन्न करना आवश्यक होता है जिनमें साहसी वर्ग विकसित हो सके। बहुत सी अल्प-व्यवस्थाओं में राज्य स्वयं माहिरा का काम करके लोगों का मार्गदर्शन करता है।

(ई) सामाजिक घटकों का तांत्रिकताओं पर प्रभाव—आर्थिक प्रगति हेतु उत्पादन के क्षेत्र में नवीन तांत्रिकताओं का उपयोग अत्यन्त आवश्यक होता है। सुधरा हुई उत्पादन-तांत्रिकताओं का उपयोग करने के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है जो अल्प विकसित अल्प-व्यवस्थाओं में विद्यमान नहीं होता है। तांत्रिक परिवर्तनों की सफल बनाने के लिए समाज में नवीन तांत्रिकताओं के उदय होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने की स्वाभाविक इच्छा होनी चाहिए। इसने लिए कठिनाई सामाजिक विचारधाराओं का त्यागना होता है और नवीन मरचना का आयोजन आवश्यक होता है। नवीन तांत्रिकताओं के उपयोग के लिए समाज में बड़े पैमाने पर शोध कार्य होना चाहिए, आर्थिक विकास के लिए और फिर इन आविष्कारों का 'यापारिक' उपयोग होना चाहिए। इस प्रकार नवीन तांत्रिकताओं का विस्तार हेतु वित्तीय बर्तन एवं साहसी वर्ग दोनों के ही विस्तार की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर नवीन उत्पादन तांत्रिकताओं का उपयोग करने हेतु अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है तथा नवान उत्पादों का उपयोग करने की इच्छा का समाज में विद्यमान रहना भी आवश्यक होता है। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए सामाजिक वातावरण अनुकूल होना आवश्यक होता है। नवीन तांत्रिकताओं द्वारा समस्त आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण में मूलभूत परिवर्तन करके नवान संस्थाओं एवं संगठनों का निर्माण होना चाहिए। अल्प विकसित समाजों में इन परिवर्तनों को समाज स्वभावतः स्वीकार नहीं करता है जिससे तांत्रिक प्रगति की गति रुक रहती है और आर्थिक विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं।

(उ) नैतिक घटक—जनसाधारण का नैतिक स्तर देश की आर्थिक प्रगति को प्रभावित करता है। सामान्यतः, नैतिक स्तर में उच्च यह है कि उच्च सरकार विनाश 'यापारिक' प्रशासन शोध-कार्य का नेतृत्व करने वाले लोगों में अपने शायद के प्रति तत्परता ईमानदारी तथा सेवा भाव होना चाहिए। इन गुणों के साथ साथ इन नेतृत्व करने वाले वर्ग को नेतृत्व-कार्य पर अपना अपना परिवार तथा जाति का एकाधिकार नहीं सम्भलना चाहिए। प्रायः विकास की ओर अग्रसर राष्ट्रों में इन प्रकार के

एकाधिकार की स्थापना कुछ उच्च वा के व्यक्तियों द्वारा कर ली जाती है और उनका यह प्रयत्न होता है कि नवतन्त्र वा नव लक्ष परिवार के सदस्यों के हाथों में दता रह। निजी क्षेत्र के बड़े-बड़े व्यवसायों में नवतन्त्र वा नव पंच सम्पत्ति क रूप में निता में पुनर् वी प्राप्त होता है। सरकारी क्षेत्र में भी यह विधि इस्तेमाल की जाती है कि उच्च वा के लोग अपने परिवार के सदस्यों का प्रारम्भ में ही इस प्रकार का प्रतिफल रखें हैं कि वह अपने व्यवसायों के उद्योगों में उच्च पदों पर चुन गे रहें। उच्च पदों पर कामीन विभागों के नवीन पुनर् उच्च प्रदान मान हों, यह सम्भव नहीं है और इस प्रकार प्राप्त अल्प व्यक्तियों के हाथों में नवतन्त्र वा प्राप्त वे आर्थिक प्राप्ति की गति धीमी पट जाती है।

प्राप्ति एक गतिशील विधि है और नेताओं के एक समूह द्वारा वा प्राप्ति की विधि का प्रारम्भ किया जाता है, उस विधि में कुछ समयान्तर पर परिवर्तन आवश्यक होता है, अन्यथा प्राप्ति की गति मन्द अवस्था स्थिर हो जाती है परन्तु नेताओं का बदलना समूह इन परिवर्तनों में एकमत नहीं होता है क्योंकि इनके द्वारा नव आर्थिक विधि एक सामूहिक समझौते पर अनुसंधान हो सकता है। नवीन परिस्थितियों में नेताओं के नवीन समूह का प्राप्ति होना स्वाभाविक है और यह नवीन एक पुराने समूहों में बदल सकता होता है। इस प्राप्ति उच्च वे आर्थिक प्राप्ति में बाधाएं उपस्थित होती हैं।

आर्थिक प्राप्ति के साथ निम्न वर्गों के विप्लवपूर्ण वा प्रस्तावित विप्लव है, जिसके फलस्वरूप समाज के उच्चतम के समुदाय में वृद्धि होती है। इन समुदाय में वैज्ञानिक इंजीनियर, डॉक्टर शिक्षक आदि सभी सम्मिलित होते हैं। आर्थिक प्राप्ति की तीव्र गति के लिए पूँजीपतियों विप्लवों तथा अर्थियों में सम्भव सम्पत्ति करने की आवश्यकता होती है। इन सभी वर्गों में एक-दूसरे के व्यवसाय को प्रभावित के लिए गतिशीलता होनी चाहिए अर्थात् एक इंजीनियर वा पुनर् डॉक्टर प्रत्यक्ष उद्योगपति बन सके और उसके इस प्रकार पंच व्यवसाय के परिवर्तन करने पर प्राप्ति वास्तव सामाजिक प्रतिफल प्राप्त नादनाएँ आदि वास्तव नहीं होनी चाहिए। आर्थिक प्राप्ति की गति को तीव्र रखने के लिए इस प्रकार उच्चतम विप्लवता (Vertical Mobility) अल्प आवश्यक होती है।

कुछ राष्ट्रों में आर्थिक प्राप्ति में व्यक्तित्व आर्थिक स्वतन्त्रता ने सामाजिक सहामता प्रदान की है। आर्थिक स्वतन्त्रता वा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यवसाय करने उत्साह के साधनों को उच्च अवस्था निरूपित करने द्वारा व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने, उत्पादन के साधनों को इस प्रकार सम्मिलित करने कि कम लागत पर अधिक उत्पादन हो सके आदि उ है परन्तु इस प्रकार की व्यक्तित्व स्वतन्त्रता आर्थिक प्राप्ति में सब ही सहयोग ही सकती है जब वा कोशिक इष्टिबीण में विकसित हो तथा कोई भी देश का नागरिक, नव व्यवसाय प्रतिभा

यह अनुमान न लगा सकता है कि भविष्य में अर्थ-व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा। विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रत्येक उद्योगपति नवीन उत्पादन करने के लिए प्रयोग करता है और इस प्रकार उद्योगपतियों के एक बड़े समुदाय द्वारा जो निश्चय किये जाते हैं वे आर्थिक प्रगति में अधिक सहायक हो सकते हैं। दूसरी ओर विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रगति का माप प्रायः अनुमरणमात्र होता है क्योंकि इनको विकसित राष्ट्रों के अनुभवों का अनुमरण करने के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसी परिस्थिति में विकसित राष्ट्रों के अनुभवों के आधार पर अर्थ-व्यवस्था के भविष्य के स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी अर्थ-व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता तीव्र आर्थिक प्रगति में बाधक हो सकती है। अल्प विकसित राष्ट्रों में सामूहिक निश्चय एक समूहों में कार्य करने का विधि अधिक उपयोगी होती है। इसीलिए सरकार एक उनक द्वारा निर्मित विभिन्न संस्थाओं को नियोजित अर्थ-व्यवस्था के कार्यक्रम संचालित करने तथा आर्थिक निश्चय करने के अधिकार प्राप्त होना से प्रगति की गति तीव्र हो सकती है परन्तु सामूहिक कार्य करने के लिए जनसमुदाय का नतिक स्तर ऊंचा होना चाहिए और उस अपने मतों का मूल्य को स्वीकार करके उनक निर्णयों के अनुसार कार्य करने को तत्पर होना चाहिए। नतिकता के आधार पर वे मिलकर कार्य करने के लिए तैयार हों तथा उनमें पारस्परिक विश्वास उत्पन्न न हो।

(क) तांत्रिक घटक—गणना गताब्दियों में विज्ञान की अपेक्षित उन्नति हुई तथा विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। विज्ञान की सराहनाय उन्नति के कारण अल्प विकसित एवं विकसित राष्ट्रों के मध्य तांत्रिक ज्ञान का अन्तर निरन्तर वृद्धि की ओर है। जब तक अल्प विकसित राष्ट्रों के तांत्रिक ज्ञान में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किए जाते यह अन्तर दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ता ही जायगा क्योंकि विकसित राष्ट्र द्रुत गति से तांत्रिक विचारों की ओर अग्रसर हैं। अल्प विकसित राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों के तांत्रिक अनुभवों का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त है तथा इन्हें भी तांत्रिक साहस नये सिरे से प्रारम्भ करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु उन अनुभवों का उपयोग करने हेतु विकासोन्मुख प्रवर्धन-व्यवस्था तथा तांत्रिक विचारों की आवश्यकता होती है जो अल्प विकसित राष्ट्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव के कारण पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हैं। उत्पादन को आधारभूत शिक्षा तथा तांत्रिक प्रशिक्षण का प्रवर्धन करना अत्यन्त आवश्यक है। आधुनिक तांत्रिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए पर्याप्त पूँजी विनियोजन भी आवश्यक है किन्तु अल्प विकसित राष्ट्रों में पूँजी की उपलब्धता स्वाभाविक है।

अल्प विकसित राष्ट्रों को आधुनिक तांत्रिक विधियों का उपयोग में सक्षम बनाना ही उक्त विधियों के अर्थ का अर्थ को प्राप्ताहित करना है। पश्चिमी विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की कोई समस्या नहीं है। अर्थिका का यूनान है अतएव वे विधियाँ अत्यधिक लाभदायक एवं सफलतापूर्वक उपयोगी सिद्ध हुई हैं परन्तु अल्प विकसित

राष्ट्रों में इसके विपरीत व्यवस्था होती है। बड़ी बेरोजगारी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं गम्भीर समस्या है जिसकी उपस्थिति में अर्थ की उन्नत क्रम का कोई उपादन-विधियों का उपाय निरर्थक प्रतीत होता है। इन राष्ट्रों में उपादन की ऐसी विधियों की आवश्यकता है जिनमें पूँजी की आवश्यकता इन तथा अर्थ की आवश्यकता अधिक है।

तांत्रिक ज्ञान की समस्या का निवारण करके विज्ञानी मजदूरों द्वारा ही सम्भव है। प्राथमिक युग में बार्डों की राष्ट्र तांत्रिक ज्ञान की पर्याप्तता की अनुपस्थिति में आर्थिक विकास नहीं कर सकता। जहाँ राष्ट्र में आर्थिक ज्ञान प्रशिक्षण-संस्थानों की स्थापना की जाती चाहिए तथा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विज्ञानी प्रशिक्षण-संस्थानों एवं विद्यालयों का आभार है इन का व्यवस्था होती चाहिए। राष्ट्र के "हान्हा", मेधावी एवं भाव युक्तों का विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त की सुविधाओं को प्रदान की जाती चाहिए। इसके साथ ही, जनसमुदाय में आर्थिक विकास के प्रति जागरण तथा शिक्षा की नीति में आवश्यक समाधान करना भी आवश्यक है। विकास के आर्थिक ज्ञान में इस प्रकार विज्ञान कार्यवाही द्वारा इस समस्या का सुलभता का सुत्रा है। आर्थिक प्रशिक्षण का प्रदान इस प्रकार किया जाना चाहिए कि राष्ट्र की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ राष्ट्र में उच्च आर्थिक आधार भी बन सके।

प्राथमिक आर्थिकताओं का उन्मूलन करने के लिए पूँजी के अतिरिक्त अन्य सहायक पदकों, कुशल अर्थ कुशल प्रबंध एवं आर्थिक कुशलता की भी आवश्यकता होती है। अन्य विकसित राष्ट्रों में प्राथमिक प्रासाधनों एवं दलों का जीवनमाल बन एवं नरमन तथा निर्वाह-उद्यम अधिक होता है क्योंकि इनका सुचारु एवं सीधे हुए अर्थिकों द्वारा किया जाता है जो ज्ञान एवं मनुकता में अधिक लिपुट नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक आर्थिकताओं बड़े प्रकार के व्यवसायों एवं वृत्त उपादन के लिए ही उपयुक्त होती है जबकि अन्य विकसित राष्ट्रों में मजदूरों की उपस्थिति बहुमनवीर्य व्यवसायों के सुचारु के लिए अधिक उपयुक्त होती है। ऐसी स्थिति में बहुमनवीर्य उपादन विधियों की अनुपस्थिति विधियों में विभिन्न ज्ञान की आवश्यकता होती है जिनमें अधिक उच्च आर्थिकताओं का उन्मूलन बन होता है। इन परिस्थितियों में परिधमो राष्ट्रों में प्रचलित एवं उपयुक्त आर्थिकताओं में ऐसे सुधार एवं परिवर्तन करना आवश्यक होता है कि वह आर्थिकताएँ जल स्थिति राष्ट्रों में उपलब्ध विभिन्न उपादन के पदकों के अनुपात के अनुपात उपयुक्त हों तथा देश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुपात हो सके। इस भाव के लिए अन्य विकसित राष्ट्रों में बह पैमाने पर वैज्ञानिक उन्मूलन एवं जोष-वार्डों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक आर्थिकताओं का उन्मूलन करने समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है—

(अ) ऐसी आर्थिकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनका सुचारु क्रम के लिए अत्यधिकतम प्रशिक्षण पर्याप्त हो और सामान्य पाठ्य-प्राप्त लोग इन्हें साधन में समर्थ हों।

(आ) ऐसी तांत्रिकताओं का उपयोग अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए उपयुक्त होता है जिनके सम्पूर्ण निर्माण में अधिक समय न लगता हो और जिनके द्वारा समाज को लाभ शीघ्र प्राप्त हो सकता हो।

(इ) ऐसी तांत्रिकताएँ जिनके द्वारा अच्छा माल अथवा अन्य उत्पादन के घटका की रचना होती है वा उन तांत्रिकताओं की तुलना में कम विरोध किया जाता है जिससे श्रम की रचना होती है।

(ई) अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए ये तांत्रिकताएँ अधिक उपयुक्त होती हैं जिनसे देश के उत्पादन के घटका के स्तर में वृद्धि होती है जैसे मजदूरों में वृद्धि भूमि अथवा विद्युत् शक्ति की उपलब्धि में वृद्धि आदि।

यद्यपि सिद्धांत रूप में उपयुक्त माना कि आधार पर ही तांत्रिकताओं का उपयोग का ध्यान किया जाना चाहिए परन्तु व्यवहार में नवीनतम तांत्रिकताओं के उपयोग में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। तांत्रिकता की प्रगति एक विदेशी सहायता की उपलब्धि में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अल्प विकसित राष्ट्रों की विभिन्न तांत्रिकताओं में से सर्वाधिक उपयुक्त तांत्रिकताओं का ध्यान का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि यह जिन तांत्रिकताओं का उपयोग करना चाहते हैं वह सब ही उन्हें उपलब्ध हो सकती है जब इन तांत्रिकताओं को रखने वाले देश आवश्यकतानुसार तांत्रिक ज्ञान एवं पूँजी प्रदान करने को तैयार हों। प्रायः तांत्रिकताओं का ध्यान करने समय विदेशी पूँजी की उपलब्धि को आधार मानकर अल्प विकसित राष्ट्रों को उन्हीं राष्ट्रों से तांत्रिक ज्ञान आदि लेना पड़ता है जिनके द्वारा आवश्यक विदेशी सहायता उचित शर्तों एवं आवश्यक पूँजीगत प्रसाधन उचित शून्य पर उपलब्ध हो सकते हैं।

नवीन तांत्रिकताओं का उपयोग करते समय केवल प्रारम्भिक पूँजीगत प्रसाधनों की उपलब्धि पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि इन सभी एक प्रसाधनों के संचालनायक कर्मचारी, मरम्मत एवं इनके गुणों को सुधारे की उपलब्धि की व्यवस्था कार्यकाल तक कभी रहने पर भी विचार रखा जाना चाहिए।

प्रायः यह भी देखा जाता है कि विकसित राष्ट्र अल्प विकसित राष्ट्रों को यही तांत्रिकताएँ प्रदान करते हैं जो इन देशों के अनुपयुक्त एवं अनुपलब्ध होती हैं और तांत्रिकताएँ इस प्रकार प्रदान की जाती हैं कि अल्प विकसित राष्ट्रों की दीर्घ काल तक विकसित राष्ट्रों पर इनके अत्यन्त समर्थता आदि की मरम्मत, प्रतिस्थापन आदि के लिए निर्भर रहना पड़ता है। विकसित राष्ट्र अल्प विकसित राष्ट्रों को विकास की प्रारम्भिक अवस्था में बड़े परिमाण में तांत्रिक सहायता प्रदान कर देते हैं और जब अल्प विकसित राष्ट्र तांत्रिक प्रगति की सन्तान्ति अवस्था (Transition Stage) में पहुँच जाता है तो तांत्रिक सहायता को बंद कर देते हैं। इस परिस्थिति में अल्प विकसित राष्ट्रों को अत्यन्त बड़े दरतों पर विदेशी सहायता सभी पड़ती है।

अथवा उपलब्ध तांत्रिक प्रगति के विपरीत हो जाने का भय उत्पन्न हो जाता है।

तांत्रिक प्रगति की दौड़ में अनमान प्रवृत्तियाँ व आधार पर यह कहा जा सकता है कि विकसित राष्ट्र अन्य विकसित राष्ट्र से दोष काल तक बहुत आगे बढ़े रहेंगे जब तक कि अन्य विकसित राष्ट्रों में मूलभूत दोष कायम न किए जायें और यह राष्ट्र अपनी परिस्थितियों के अनुकूल नवीन तांत्रिकता का स्वयं विकास एवं विस्तार न करें।

(५) भूमि प्रबंध में सुधार सम्बन्धी घटक—अन्य विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास हेतु कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक होता है क्योंकि इसी के द्वारा पूँजी का आवश्यकतानुसार संचय हो सकता है। जब तक कृषि का उत्पादन इतना नहीं होगा कि औद्योगिक श्रम का पर्याप्त माता म साहाय्य आदि प्राप्त हो सकें, औद्योगिक विकास में निरन्तर बाधाएँ आने रहनी हैं। कृषि के विकास की अन्य सुविधाएँ व लिए भूमि प्रबंध में आवश्यक परिवर्तन करना बाह्यनीय होता है। सांसायनिक खाद, अच्छे बीज सिंचाई की सुविधाएँ, विपणन की सुविधाएँ आदि के लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं, जब भूमि प्रबंध में भी सुधार किए जायें।

अन्य विकसित राष्ट्रों में प्रायः अनुपस्थित जमींदार (Absentee Landlords) अधिक लगातार (Rack Renting), कृषकों की अमुरता आदि की समस्याएँ अत्यन्त गम्भीर होती हैं। यह अत्यावश्यक होता है कि कृषि करने वाले कृषक का भूमि की उपयोग-सम्बन्धी सुरक्षा तथा लगान-सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त हों ताकि उसे अधिक उत्पादित हेतु प्रोत्साहन मिले। जो वास्तव में कृषि करता है उन्हें अपने उत्पादन का बहुत कम भाग मिलता है और दोष सभी भाग भूमि पर अधिकार रखने वाले जमींदार का पता जाता है। वह भी उस जमींदार का जो भूमि पर कुछ भी काम नहीं करता है। कृषि मजदूर भूमि प्रबंध में सुधार करने की माँग करता है और चाहता है कि भूमि उसकी होनी चाहिए जो उस पर कृषि करता है। इस माँग की पूर्ति के बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि होना अत्यन्त कठिन होता है। इसके अतिरिक्त जमींदारों के प्रति एक विरोध की भावना जनसमुदाय में जाग्रत रहती है क्योंकि यह अपने धन द्वारा राजनीतिक शक्ति में अपनी सत्ता बनाय रखने का सर्वत्र प्रयत्न करते रहते हैं। समाजवादी दृष्टिकोण से भी जमींदारों का अत्यन्त अनुपस्थित ही समझा जाता है। भारत में जो राष्ट्र में जहाँ बहुत सी भूमि प्रबंध की विधियाँ हैं, भूमि प्रबंध में समानता साधने सुधार करना अत्यन्त कठिन होता है। जमींदार वर्ग सर्वत्र भूमि-प्रबंध के परिवर्तनों का विरोध करता है और ऐसी बाधाएँ उत्पन्न करता है जिससे उत्पादन शक्ति से भूनाति-भूत परिवर्तन हों। राज्य और कृषक के बीच के मध्यस्थों को हटाने के लिए राष्ट्रों को अपने अर्थ साधनों को भी देखना पड़ता है क्योंकि अतिवृत्ति करने में राज्य के अत्यधिक साधन उपयोग में आ जाते हैं।

(६) राजनीतिक घटक—आर्थिक विकास एक निरन्तर गतिमान विधि है जिसके पक्ष दोष काल में ही प्राप्त हो सकते हैं इसलिये आर्थिक नियोजन की उपर-

ताथ एक स्थायी सरकार की आवश्यकता होती है, जिसकी नीतियाँ समान एवं अपरिवर्तित रहे। स्थायी सरकार का तात्पर्य यह है कि सरकार की सत्ता एक ही राजनीतिक दल अथवा उसी समान विचार वाले राजनीतिक दल के हाथ में दीर्घ काल तक रहनी चाहिए। अल्प विकसित राष्ट्रों में मध्य तथा स्थायी सरकार का बना रहना अत्यंत कठिन होता है। आर्थिक विकास गतिमान होने से तत्कालीन व्यवस्थाओं में भारी परिवर्तन होना है जिसके कारण बहुत से वर्गों को हानि होती है। राष्ट्र के आर्थिक प्रतिफल का वितरण नयी विधियाँ से होता है और परम्परागत रीति रिवाज का धन धन समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इन सब कारणों से सरकार की विचारों की योजनाएँ ही उसके विरोध का कारण बन जाती हैं और प्रायः विरोध इतना दृढ़ हो जाता है कि सरकार में परिवर्तन होना अनिवार्य हो जाता है। इसमें अनिश्चित अल्प विकसित राष्ट्रों की राजनीति में विदेशी सत्ताएँ भी सक्रिय भाग लेती हैं विशेषतः उन देशों की जो विदेशों से सत्ताओं का अगाड़े बन जाते हैं। उनकी पारम्परिक मुठभेड़ का कारण अल्प विकसित राष्ट्रों की सरकारें परिवर्तित होती रहती हैं। मध्य पूर्व सुदूरपूर्व और सटिन अफ्रीकी राष्ट्रों में से इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं।

(७) सरकारी प्रबंध एवं नीति—अल्प विकसित राष्ट्रों और विशेषकर उन राज्यों में जहाँ दीर्घ काल तक विविधियों में राज्य किया जनसाधारण का परित्र उच्च क्रांति का नहीं होता है। समस्त सरकारी प्रबंध इस प्रकार का होता है जो कृषि प्रधान के लिए उपयुक्त होता है। इन व्यवस्था में प्रबंधन तथा सत्ता के कर्त्तव्यकरण का विचार महत्व प्राप्त होता है। शासकीय काम की गति अत्यंत धीमी होती है और यह व्यवस्था किसी प्रकार विकास एवं विशेषतः औद्योगिक पथ पर अग्रसर राष्ट्र के हित में उपयोगी नहीं होती। इन राष्ट्रों की सरकार को विकास योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तथा प्रारम्भिक प्रारम्भिक दान के लिए राष्ट्र की प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर नियंत्रण रखना होता है तथा उद्योग कृषि तथा वाणिज्य सभी धारा में हस्तक्षेप करना होता है। साथ ही निजी तथा राजकीय साहस में उचित काम बंध भी स्थापित करना होता है। इस सब काया के लिए अन्वय ईसाव्यवस्था स्थापित तथा साम्य कामकारिणी की आवश्यकता होती है। उच्च अधिभारियों में योजना बनाना, उसकी कार्यान्वयन करने, सामन्तत्व स्थापित करने तथा आवश्यक संगायोजन करने में भी आवश्यकता होगी आवश्यक होती है। आधुनिक सरकारी शासन में प्रबंध (Management) का विशेष स्थान होता है। शासन का उद्देश्य केवल जीवन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है प्रत्युत् जनमनुष्य के हित का आयोजन करना शासन की वास्तविकता का प्रमुख अंग होता है। इन परिस्थितियों में शासन का पुराना ढाँचा जो विशेषतः सत्ता से स्थापित किया है परिवर्तित करना अनिवार्य होता है। इन परिस्थितियों में परिवर्तन करना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि नयी व्यवस्था के लिए शासकीय

कर्मचारियों का आवश्यक प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाना चाहिए। पुणे के कर्मचारियों के सम्मुख तथा दृष्टिकोण इतने बड़े एव मजबूत हो जाते हैं कि उनमें परिवर्तन लाना असम्भव होता है। वे अपनी रुढ़िवादी विचारधाराओं को सर्वोत्तम समझते हैं। पुणे के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रतिष्ठित नये कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति की विधियों में भी परिवर्तन करना आवश्यक होगा है जिससे नये नये तथा विद्यार्थि आदि नृतियों के प्रभाव का दूना किया जा सके।

यह कहना बिना प्रकार की उचित न होगा कि जन्म-विकासित राष्ट्रीय में प्रत्यक्षतया या अप्रतिपक्ष काटि वा नहीं हाता और इनमें ईमानदारी की कमी जाती है जसवा उनम बर्दमासो बहुत कष्ट की उपगता हूँ है। हरिद्वारम मनात्र तथा परम्परागत जीवन में एक प्राबुतिक विचारधाराका का सम्मिश्रण हुआ है जस मध्य काल में राष्ट्रीय चरित्र का गति पदचरणी है और मजदूर व्यवस्था की स्थापना हान तक मजदारी अधिकाधिको म जननी मन्त्र का उपयोग करने की प्रवृत्ति जागत होती है। शासक तथा शासित में एक विशेष व्यक्तित्व नाबना या प्राबुतिक होता है और यह शासो ही पल करने व्यक्तित्व हितो को राष्ट्रीय हितो म भी धरिक महत्व देने साते हैं। एसी परिस्थिति में राज्य की मजदूरी म कार्य करने की आवश्यकता होती है जिससे इस प्रकार की प्रवृत्तियो दूरकाय तक चरणी करने के लिये आर्थिक प्रवृत्ति न करले। अन्य काल में अवसर हो इन प्रवृत्तियो मे राष्ट्र के प्रमुख कार्यों का क्षय होता है जिसकी मात्रा में अनुचित राजकीय नियंत्रण द्वारा कमी की जा सकती है।

आधुनिक युग में राज्य आर्थिक क्रियाओं में या तो सक्रिय भाग लेता है या फिर आर्थिक क्रियाओं को अपनी नीतियों द्वारा प्रभावित करता है। विदेशीय उद्योगधर्म्य में आर्थिक क्रियाओं पर अधिकारिक नियंत्रण राज्य के हाथ में होता है। राज्य सम्पत्ति की अधिकार में अपने, उत्पादन के साधनों का उप ब विवरण करने, दक्षता करने, विनिर्माण करने, सम्पत्तियों के वितरण करने काय एव उनका ही निष्पत्तियों की कम करने आदि की सम्पत्त क्रियाओं पर प्रत्यक्ष ब नियंत्रण रूप में नियन्त्रण करता है। जापान एवं निर्वात-सम्बन्धी नीतियों राज्य द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जो उत्पादक क्रियाओं के सम्बन्ध में लिए जाने वाले नियमों की प्रस्तावित कालो हैं। राज्य मुख्य एव विस्तार-वास्तविकता की भी कृती छूट नहीं देता। इन सब क्रियाओं के अतिरिक्त राज्य स्वयं उत्पादन-कार्यों का उत्पादन करता है और आवश्यकता पाने पर आपात का उपायन भी करता है। राज्य की नीतिगत एव विस्तार नीतिया उत्पादन, उपनोय एवं विनिर्माण की प्रभावित करती है। इस प्रकार राज्य द्वारा चलायित क्रियाओं का प्रभाव आर्थिक प्रवृत्ति के हाथ-पा पर पडता है। मजदूरवादो, साम्यवादी एव अधिमानकवादी अर्थ-व्यवस्थाओं में राज्य द्वारा निर्वात आर्थिको का उत्पादन आर्थिक प्रवृत्ति हेतु किया जाता है। राजकीय नीतिया एव कार्यगत आधुनिक युग में आर्थिक प्रवृत्ति के नुसाधार समझ जाते हैं।

(८) प्रबंध के विकास की समस्या (Problem of Management Development)—विकासामुक्त राष्ट्रों में राज्य का प्रमुख नक्षत्र होता है—देश की स्वतंत्रता एवं आर्थिक स्थिरता के साथ जोड़ आर्थिक प्रगति करना। अधिकतर अन्य विकसित राष्ट्रों में कृषि जनसमुदाय का मुख्य जीविकोपार्जन का साधन होता है और आर्थिक प्रगति की तांत्र गति के लिए औद्योगिक विनास को अधिक महत्व दिया जाता है। औद्योगिक विनास को उचित निवेशन हेतु देना में प्रबंधकों के एक बड़े समूह की आवश्यकता होती है जो बड़े बड़े व्यवसायों का कुशल संचालन कर सकें। नियोजित विकास के अन्तर्गत देना में बहुत-सी बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ एवं कृषि फार्म स्थापित एवं संचालित किए जाते हैं। इनके कुशल संचालन हेतु सुशिक्षित एवं अनुभवी प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, परन्तु इस प्रबंधक वर्ग का विकास शीघ्रता से नहीं हो पाता है जब तक कि इस सम्बन्ध में विशेष प्रयत्न न किए जाय। प्रबंध विकास के सम्बन्ध में अल्प विकसित राष्ट्रों में विभिन्नलिखित समस्याएँ अनुभव की जाती हैं—

(१) विकासामुक्त राष्ट्रों में जब स्वयं स्फूर्त विकास (Take off) अवस्था की ओर अग्रसर हो ता इन राष्ट्रों में दो प्रकार के समाज बन जाते हैं। एक परम्परागत समाज रहता है जो जनसमुदाय में व्यवसाय सम्बन्धी सम्बन्ध ननिर्णीयता (Vertical Mobility) को नहीं अपनाता है और परम्परागत व्यवसायों एवं जायदाद आदि के अधिकार को अधिक महत्व देता है। दूसरी ओर ऐसे समाज का विकास भी होता है जो औद्योगिक संस्कृति (Industrial Culture) के गुणों को अपना लेता है और अपने जीवन स्तर एवं राष्ट्रीय विकास के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण विचार रखता है। परम्परागत समाज के अनुयायी स्वयं के विकास को विवेकपूर्ण दृष्टि से नहीं देखना है और प्रबंध विकास की गति को धीमा करता है। दूसरी ओर औद्योगिक संस्कृति में विश्वास रखने वाला समुदाय मानवीय विकास पर महत्व देता है और उचित प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्राप्त करता है। धीरे धीरे जब इस दूसरे समुदाय के सदस्यों को अधिक व्यवस्था में सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलने लगती है तब प्रबंध विकास की ओर आम लोग आकर्षित होने लगते हैं परन्तु प्रारम्भिक अवस्था में प्रबंध प्रशिक्षण को समाज में बहुत कम महत्व दिया जाता है और प्रबंध की कला को पट्टक सम्पत्ति समझा जाता है और प्रायः यह कहा जाता है कि प्रबंधक पैदावनी होते हैं (Managers are born)। परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्वजों ने बड़े बड़े व्यवसायों का प्रबंध नहीं किया है और इन पूर्वजों ने अपने उत्तराधिकारियों को इस प्रकार अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान किया है कि वह परम्परागत व्यवसायों का कुशल संचालन कर सकें।

(२) विकासामुक्त अर्थ-व्यवस्था में राज्य द्वारा बहुत से बड़े-बड़े व्यवसाय स्थापित किए जाते हैं और निजी विनियोजकों को भी औद्योगिक क्षेत्र में नवीन बड़ी

प्रदायकों में विविधता है। इन प्रदायकों में नवीन तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर उपनोद्योगिकियों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु न्युन उद्योगों का भी विस्तार किया जाता है। इस प्रकार न्युन एवं वृद्ध उद्योगों की इकाइयों में समता में वृद्धि होती है जिससे प्रमुख प्रदायकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थिति में प्रमुख प्रदायकों के प्रासासनिक अधिकारियों का प्रभाव का बड़ा योग्य होता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संघ में एक प्रासासनिक अधिकारियों में एक प्रकार का आर्थिक समन्वय ही होता है जिससे परामुद्रक प्रासासनिक प्रदायकों का पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है जो प्रदाय-विकास हेतु अधिक उपयुक्त नहीं की जाता।

(३) विद्यमान अर्थ-समस्या में उद्योगिकी का उत्तम उत्पादन करने में सक्षम नहीं होती है क्योंकि जनसमुदाय के पास इन उद्योगिकी उद्योगों के लिए सही पूंजी के अभाव होता है। दूसरों का भी साथ देना होता है जो इस प्रकार उद्योगिकी उद्योगों पर उत्पादन करने का पर्याप्त लाभोत्पन्न का होता है। ऐसी परिस्थिति में उद्योगिकी को सही मात्रा में उत्तम करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है और प्रदाय-विकास के लिए उद्योगिकी उद्योगों को प्रदाय नहीं दिए जाते हैं। यह उद्योगिकी क्षेत्र के व्यवसायों पर प्रभाव एकाधिकार प्रभाव का होता है तथा उन्हें यह महसूस कि प्रदाय उद्योगिकी उद्योगों का विकास होना चाहिए, प्रदाय का सुचारु बनाने के लिए उद्योगिकी प्रदाय नहीं दिए जाते हैं।

(४) विद्यमान उद्योगों में स्वयं-सृष्ट विचारों की समस्या में अधिक प्रदायकों की उत्पत्ति (Misfit) अथवा अर्थों का प्रासासनिक होता है। यह अर्थ-समस्या का एक कारण है जो अर्थ-समस्या में अर्थ-समस्या को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं और प्रदाय अर्थ-समस्या के उत्पन्न होने को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इस विचार में भी उद्योगिकी उद्योगों का प्रदाय होता है। इस प्रकार के विचार से प्रदाय-विकास की प्रदाय-विकास है और प्रदाय-विकास एक उत्तम समस्या बन कर रह जाता है।

प्रदाय विकास में उपयुक्त समस्याओं का बड़ा आवश्यकता से विचार करना चाहिए। प्रदाय-विकास अधिकारियों को प्रदाय-विकास उद्योगिकी क्षेत्रों के प्रदाय-विकास का उत्तम प्रदाय देना चाहिए। अर्थ-समस्या की प्रासासनिक समस्या से ही प्रदाय-विकास की समस्याओं को उत्पादन विद्योगिकी उद्योगों के उत्पादन के साथ ही जानी चाहिए।

पूँजी निर्माण एवं आर्थिक प्रगति

[Capital Formations and Economic Development]

[पूँजी निर्माण का जब अल्प विकसित राष्ट्रों में पूँजी की अधिक आवश्यकता, उत्पादक क्रियाओं में कम विनियोजन होने के कारण, पूँजी निर्माण एवं राष्ट्रीय आय पूँजी उत्पाद अनुपात अल्प विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण दर पूँजी निर्माण की प्रविधि, बचत, बचत सम्बन्धी समस्याएँ बचत का निर्माण ग्रामीण बचत, बचत की उपलब्धि बचत का विनियोजन विनियोजन के गुणात्मक लक्षण धर्मप्रधान क्रियाओं में विनियोजन विपणन स्थिति के आधार पर विनियोजन अल्प विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण वृद्धि के उपाय—विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग, कुशल तार्किकताएँ, धर्म शक्ति का अधिकतम उपयोग, सांस्कृतिक क्रियाओं का विस्तार, विदेशी सहायता एवं व्यापार आंतरिक बचत में वृद्धि उद्देश्य बेरोजगारी एवं पूँजी निर्माण भारत में पूँजी निर्माण।]

आर्थिक प्रगति के लिए पूँजी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक होता है। इसके अन्तर्गत भय साधना की बचत तथा उनका उपयुक्त विनियोजन आते हैं। बचत का प्रमुख साधनो का विवरण नियोजित अर्थ-यवस्था की वित्तीय व्यवस्था के अध्याय में दिया गया है और उस वर्ष दाहराना उचित प्रतीत नहीं होता। विभिन्न साधनो में जो बचत एकत्रित की जाती है उसे विनियोजन तक प्रवाहित करने के लिए देश में ऐसी संस्थाएँ होनी चाहिए कि वह इस बात के मध्यस्थ कार्य को कर सकें। व्यापारी एवं उद्योगपति अपनी बचत का विनियोजन सुविधापूर्वक कर सकते हैं क्योंकि उन्हें वित्तीय विषयो का ज्ञान होता है तथा विपणन की सूचना भी यथासम्भव प्राप्त होती रहती है परन्तु बचत की क्रिया जनसमुदाय के विभिन्न वर्गों द्वारा की जाती है अन्तर् केवल मात्रा का होता है। धनी वर्ग की बचत की राशि व्यक्तिगत एवं सम्पूर्ण दोनों रूप से निधन वर्ग की अपेक्षा अधिक होती है। निधन-वर्ग की व्यक्तिगत बचत यद्यपि अत्यन्त न्यून होती है परन्तु इस वर्ग को जनसंख्या आधिक्य के कारण सम्पूर्ण रूप से बचत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार उन लोगों द्वारा भी बड़ी मात्रा में बचत की जाती है जिनको वित्तीय विषयो का ज्ञान नहीं के समान होता है किन्तु यह बचत प्रभावशाली वित्तीय विधान संस्थाओं साधना तथा गुविषयों के अभाव में विनि

योजन के द्वार तक पहुँचने में असमर्थ रहती है और इस प्रकार बचत करने वालों और विनियोजन के पारम्परिक सम्बन्ध स्थापित न हो सन्तान के कारण बचत राशि का उपयोग पूँजी निर्माण हेतु नहीं हो पाता। विकसित राष्ट्रों में विनीय सम्पत्तियों की विभागीयता व्यवस्था होती है तथा विभिन्न वित्तीय सम्पत्तियों जैसे अक्षिपोष-व्यवस्था, जीवन बीमा विनियोजन ट्रस्ट आदि द्वारा बचत करने वालों तथा व्यवसाय और उद्योगों के मध्य सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता है। यह वित्तीय सम्पत्तियाँ विनियोजन-सम्बन्धी सूचनाओं का प्रसार एवं विभाजन करती हैं तथा मध्यम के रूप में महत्वपूर्ण गृह सत्ता का कार्य करती हैं विनियोजन की सफलता में वृद्धि करती हैं आधुनिक विनियोजन को (अ) न्यायप्रतियोगिता द्वारा बचत करने वालों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाते हैं) बचत करने वालों की सुविधा एवं सुरभानुसार सुरक्षित सम्पत्ति का रूप प्रदान करती हैं। सामग्री तथा विस्तृत वित्तीय व्यवस्था से व्यापार तथा उद्योगों के अर्थ-प्रवर्धन की साधन भी बन पड़ती है साथ ही, राष्ट्रीय बचत की औद्योगिक तथा भौगोलिक दृष्टि से अपेक्षित प्रतिस्पर्धा प्राप्त होती है। बचत की कठिनाईयों से उत्पन्न है—यूनायिस्म जोखिम तथा अर्थ पर विनियोजन का एक उद्योग व्यवसाय से अन्य उद्योग व्यवसाय में व्यवसाय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हस्तांतरण सम्भव होना। विनियोजन व्यवस्था में राज्य भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय सम्पत्ति का कार्य सम्पादित करता है। उदाहरणार्थ, भारत में एक विभागीय विनियोजन, जीवन-बीमा निधि, अक्षिपोष आदि विनियोजन-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

विनीय वित्ति की विनीय निश्चित अवधि की बचत का घटकों पर निर्भर होती है—प्रथम उन निश्चित अवधि में प्राप्त लाभ तथा द्वितीय तब निश्चित अवधि में उद्योगों और वस्तुओं पर किया गया व्यय। जब वह करने व्यय से अधिक आयोपार्जन करता है तभी उद्योगी पूँजी में वृद्धि सम्भव है। आधुनिक काल में लगभग सभी व्यक्तियों का पूँजी के संचयन कठिनाई सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। ऐसे नागरिकों को विनीय है जिनकी आय से पर्याप्त जीवन-स्तर बनाये रखने के पर्याप्त की श्रद्धा बचत हो जाती है। यही सिद्धान्त एक राष्ट्र पर भी सम्बन्धित कारगरिण होता है। यदि हम किसी राष्ट्र की एक निश्चित काल की व्यवस्था का अध्ययन करें तो हमें प्राप्त होगा कि पूँजीय वस्तुओं का उच्च उपभोग व्यवसाय सम्भावी दरनीय को देना जरूरी किया जाता है।

राष्ट्रीय आय में से उपभोग तथा विनियोजन का नाम विनियोजन की लागत (Cost) तथा लाभ (Benefits) का तुलनात्मक अध्ययन निश्चित करता है। विनियोजन की लागत में उन वस्तुओं के त्याग को सम्मिलित किया जाता चाहिए जो विनियोजित लाभ की राशि से उन्वासीय इच्छाओं की सम्पत्ति हेतु व्यय की जा सकती थीं। दूसरी ओर विनियोजन के लाभ में उन अतिरिक्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो विनियोग के परिणामस्वरूप अविष्य में प्राप्त हो सकें। एक वस्तु

व्यक्ति शाय के विनियोजन अथवा को निश्चित करने के पूर्व विनियोजनाय क्रिय गये त्याग तथा उसके परिणामस्वरूप प्राप्य भविष्यत् सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। एक राष्ट्र के लिए भी यही विचारधारा लागू होती है। राष्ट्र के लिए विनियोग का सामर्थ्य का तात्पर्य उन उपभोग की वस्तुओं से है जो अतिरिक्त विनियोजन न करने की दशा में उत्पादित की जा सकती हो तथा विनियोजन लाभ का अर्थ उन उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन की सम्भावना से है जिनका उत्पादन अतिरिक्त विनियोजन द्वारा ही भविष्य में किया जा सकता है। आधुनिक जटिल अथवा व्यवस्था के युग में बचत करने का निश्चय कुछ विनाय विचारधाराओं विशेषकर भविष्य की सुरक्षा के लिए किया जाता है तथा विनियोजन का निश्चय कुछ अथवा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति मोटरगाड़ी प्रयाय बचत करता है जिससे वह बचत में जमा कर देता है वह उस बचत को ऐसे उद्योगपति का उधार दे देता है जो मोटरगाड़ी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसाय में उस पूँजी का विनियोजन करता है। इस प्रकार बचत तथा विनियोजन करने के उद्देश्यों में सहन अन्तर होना है तथा इन अन्तर के निवारणार्थ वित्तीय संस्थाएँ जैसे अधिवाय विनियोजन संस्थाएँ, बीमा प्रमण्डल आदि मध्यस्थ का काम करती हैं।

पूजी निर्माण का अर्थ—आन्तरिक बचत ऐच्छिक अथवा विवशतापूर्ण हो सकता है दूसरी ओर विदेशी अथवा साधन विदेशी महाशयता तथा अनुकूल दिग्गता वापार एवं भुगतान द्वारा प्राप्त होता है। अन्य विकसित राष्ट्रों में अथ साधनों की प्राप्ति की समस्या के साथ उनका उत्पादक एवं इच्छित क्षमा में विनियोजन की समस्या भी होती है। अशिक्षित जनसमुदाय में धन का एकत्रित करके रखने की इच्छा पायी जाती है। वह उसको उत्पादन उपयोग नहीं करता है। इस प्रकार अथ साधना का प्राप्ति करके उनका उचित विनियोजन का आयोजन करने की आवश्यकता को नियोजित अथ-व्यवस्था के अन्तर्गत महत्त्व दिया जाता है। विनियोजन का परिणाम पूजा-निर्माण होता है किन्तु प्रत्येक विनियोजन पूजा का निर्माण नहीं करता और न अपेक्षित विनियोजन पूजा निर्माण कहा जा सकता है। केवल ये विनियोजन जिनकी विधि पूर्ण होने पर ऐसे पूजागत साधना की वृद्धि हो जिनके द्वारा भविष्य में भौतिक साधनों की प्राप्ति हो सके, यद्यपि इनसे वर्तमान में प्रत्यक्षरूपेण विदेशी उपभोग का इच्छाओं की पूर्ति में सहायता नहीं होती है पूजा निर्माण की श्रेणियों में परिगणित किए जाते हैं। नियोजित अथ-व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकतर विनियोजन पूजा निर्माण हेतु किए जाते हैं और व्यापक दृष्टिकोण से योजना के अन्तर्गत समाज-सेवाओं आदि पर किए गए व्यय को भी पूजा निर्माण सम्बन्धी विनियोजन समझना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा धन जो उत्पादन का एक साधन है की भाव समता साधनाओं तथा जीवनकाल में वृद्धि हो सकती है जिसके द्वारा भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में भविष्य में वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्र की पानू उत्पत्ति तथा धायात के उस भाग को जिसका उपयोग

नहीं होना है, पूँजी निर्माण कहा जा सकता है। पूँजीगत भाषणों में कल व यंत्र, औजार, मटके, भवनादि तथा उत्पादन क्रियाओं के उन्नतत निर्माण की विभिन्न व्यवस्थाओं में रहने वाले वस्तुएँ तथा मजदूर सम्मिलित हान हैं।

हॉपकिंस विश्वविद्यालय के साइमन कुजनट्स (Simon Kuznets) ने पूँजी-निर्माण की दो परिभाषाएँ—एक व्यापक तथा द्वितीय सञ्चित दी है। 'यदि प्रति व्यक्ति जयवा प्रति श्रमिक उत्पादन में दीर्घकालीन वृद्धि का आर्थिक विधान सम्भवा जाय, तब पूँजी का दसका साधन रहना उचित होगा तथा पूँजी निर्माण चारू सम्पत्ति के सम्पन्न उपकरणों का जिसके द्वारा यह वृद्धि हो सम्भवता चाहिए। अथ गद्यों में, आन्तरिक पूँजी निर्माण केवल देश की निर्माण-सामग्री तथा निर्माण-व्यवस्थाओं में रहने वाली वस्तुओं (Inventories) की वृद्धियों का ही सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि वह व्यय का उत्पादन के वर्तमान स्तर का बनाव रहने के लिए किए जायें उन्हें छोड़कर जय यथों का भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन वस्तुओं की मर्दों पर किए जाने वाले व्यय, जो प्रायः उपनाग में सम्मिलित किए जाते हैं, उप-हरणार्थ, शिक्षा, मनोरंजन तथा शैक्षिक सुविधाओं की स्वरूप के लिए किए गये व्यय जिनके द्वारा स्वास्थ्य में वृद्धि तथा व्यक्तिगत उत्पादनक्षमता में वृद्धि होती है तथा समाज द्वारा किए गये वे समस्त व्यय जो राजगार में लगी हुई जनसंख्या के प्रति निर्माण के साधन के लिए किए जाते हैं को भी पूँजी निर्माण में सम्मिलित किया जाना चाहिए।'

सङ्क्षिप्त दृष्टिकाल में 'दबाव द्वारा प्ररित आर्थिक विकास तथा औद्योगिकरण की समस्या में पूँजी निर्माण का अर्थ उन दम व यंत्र तथा निर्माण की व्यवस्थाओं में रहने वाले वस्तुओं तक सीमित रहता है जो प्रायःस्वरूप औजार के रूप में उत्पादन की जाती हैं।''

- 1 If a long term rise in national product per capita or per worker is taken to describe economic growth it may be desirable to define capital as means and capital formation as all uses of current product that contribute to such rise. In other words domestic capital formation would include not only additions to construction equipment and inventions within the country but also other expenditures except those necessary to sustain output at existing levels. It would include outlays on many items now comprised under consumption e.g. outlay on education recreation and material luxuries that contribute to the greater health and productivity of individuals and all expenditure by society that serve to raise the morale of the employed population. (Simon Kuznets of John Hopkins University and National Bureau of Economic Research U S A.)
- 2 In a narrower sense under conditions of forced economic gro-

(contd)

समुक्त राष्ट्र सभ के एक अध्ययन मण्डल द्वारा पूँजी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है— पूँजी में उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो आर्थिक क्रियाओं के पलस्वरूप उत्पन्न होती हैं और जिनका उपयोग भविष्य में अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। पूँजी वास्तव में मनुष्य द्वारा प्राप्त/प्राप्त होना है जिसे मानवीय प्रयासों द्वारा बनाया जा सकता है। आन्तरिक पूँजी में दो प्रकार के प्रसाधन सम्मिलित होते हैं—

(अ) स्थिर आन्तरिक पूँजी—इसमें समस्त निम्नलिखित भूमि में शिथिल जान बाल सुधार, तथा यंत्रों एवं अन्य उत्पादक प्रसाधनों का सम्मिलित किया जाता है।

(आ) कार्यशील पूँजी—इसमें बच्चा माल एवं अल्प निर्मित वस्तुएँ सम्मिलित की जाती हैं जो भविष्य के उत्पादन के लिए उपलब्ध होती हैं। निम्नलिखित काल में उपलब्ध परिमाण में सम्मिलित पूँजी स्तर में जो वृद्धि होती है उस उम्र काल का पूँजी निर्माण कहा जाता है। वास्तव में पूँजी निर्माण एक प्रक्रिया होती है जिसके अनन्त समाप्त में उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं का कुछ भाग किमी निश्चित काल में अन्तिम प्रभाग में हटाकर उत्पादनक्षमता को बचाने के लिए उपयोग कर लिया जाता है। व्यापक दृष्टिकोण से पूँजी निर्माण में बाल उत्पादन के बचत वह समस्त उपयोग या राष्ट्रीय आय को वृद्धि में आगदान देना है सम्मिलित नहीं होना है बल्कि सामाजिक प्रगति एवं स्वास्थ्य मनोरंजन शिक्षा आदि पर किए जाने वाले व्यय का अंश को उत्पादनक्षमता बढ़ाने है और समाज का आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण करते हैं जो भी पूँजी निर्माण में सम्मिलित किया जाता है।

पूँजी निर्माण की प्रक्रिया में तीन परस्पर निर्भर रहने वाली क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं—

(अ) बचत के परिमाण में वृद्धि जिससे जो माधन उपयोग पर व्यय होना है उनका उपयोग उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जा सके।

(आ) देश के एवं मुसल विदेशीय एवं साक्ष्य-भयस्या एवं सगठन जिनसे समाज को बचत वास्तविक विनियोजकों का पहुँचती रहे।

(इ) विनियोजन की क्रिया जिससे माधन का उपयोग पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जा सके।

अल्प विकसित राष्ट्रों में पूँजी की अधिक आवश्यकता—आर्थिक विकास पर अल्प विकसित राष्ट्र जनसमुदाय के जीवन-स्तर में इतना सुधार करना चाहते हैं कि वह कुछ काल के अंदर अल्प विकसित राष्ट्रों के जीवन स्तर के समान हो सके।

with and industrialization capital formation may be viewed as limited to plant equipment and inventories that are directly serviceable as tools

(Simon Kuznets of John Hopkins University and National Bureau of Economic Research U S A)

जीवन-स्तर की वृद्धि हेतु राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि हानी चाहिए और इस वृद्धि के लिए पर्याप्त पूँजी का विनियोजन आवश्यक होता है। अन्य विकसित राष्ट्रों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने हेतु प्रायः अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है क्योंकि इन राष्ट्रों में पूँजी एवं उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली आय का अनुपात अधिक होता है, जिसके निम्नलिखित मूल कारण हैं—

(१) कम विकसित राष्ट्र उपनात्ता-वस्तुओं का उत्पादन अधिक कामकुशलता से कर सकते हैं क्योंकि उनमें श्रम की बाहुल्यता होती है तथा साम्प्रतिक कुशलताओं की कमी। छोट-छोट यन्त्रों की सहायता से उपनात्ता-वस्तुओं का उत्पादन मित्रव्ययता से करना सम्भव होता है, परन्तु पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन के लिए न तो कुशल श्रम एवं बिजली और न आवश्यक मशीन एवं यन्त्र इनका पास उपलब्ध होते हैं जिससे जनसम्बन्ध पूँजीगत परियोजनाओं की लागत अधिक होती है और उनके द्वारा उत्पादित आय कम।

(२) अन्य विकसित राष्ट्रों में पूँजी का अभाव भी अधिक होता है। कुशल श्रम की 'सूखता' होने के कारण जटिल यन्त्रों आदि का संचालित करने का काय अर्थ-कुशल श्रमिकों द्वारा कराना जाता है जिससे जनस्वरूप टूट-फूट होती है। दूसरे अनुभवहीनता के पक्षस्वरूप बहुत से साधन प्रयोगों पर व्यय हो जाते हैं तथा उपलब्ध उत्पादनक्षमताओं का पूर्णतम उपयोग नहीं किया जाता है। भूमिदल्ल साधनों, जैसे मूलि के उपजाऊपन खनिज तथा अन्य प्रशुनित सुविधाओं का पूणतम उपयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ ही, विनियोजन के कार्यक्रम निर्धारित करत समय बहुत-सी गम्भीर घुटियाँ भी होती हैं जिससे विनियोजन का कुछ भाग आयोपजन किए बिना ही मरुत हो जाता है। अधिकतर साधनों का उपयोग परम्परागत उद्योगों एवं आर्थिक क्रियाओं में किया जाता है जिसके जनस्वरूप कुछ क्षेत्रों में पूँजी की इतनी अधिकता हो जाती है कि अव्यय होता है और अन्य क्षेत्रों में पूँजी की कमी के कारण न्यतम सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। इन सभी कारणों के जनस्वरूप निरुद्ध हुए राष्ट्रों में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है।

(३) अन्य विकसित राष्ट्रों में पूँजी कम उत्पादन इसलिए होती है कि इन राष्ट्रों में साम्प्रिकताओं एवं पात्र का विकास सीमा प्रति से होता है जबकि पूँजी की उत्पादकता साम्प्रिकताओं के निरन्तर सुधार पर निर्भर रहती है। यदि पूँजी के नवीन साम्प्रिकताओं में विनियोजन के साथ साथ उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए भी विनियोजन किया जाय तो अन्य विकसित राष्ट्रों में विकास की प्रति विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक तीव्र हो सकती है परन्तु शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था अल्प काल में उचित पत्र प्रदान नहीं कर सकती है और जब एक अन्य-विकसित राष्ट्र में साम्प्रिकताओं के कुछ सुधार हो पाते हैं जब तक विकसित राष्ट्र की साम्प्रिकताओं में और भी सुधार हो जाते हैं। विकसित राष्ट्रों में पूँजी के विनियोजन में वृद्धि किए

विना ही तात्त्विकताया क सुधार स बनमान पूँजी पर हाने वाला उत्पादन बढाना सम्भव हाता है । ऐसी परिस्थिति म अल्प विकसित राष्ट्रा म पूँजी द्वारा आय म वृद्धि कम हो रहनी है ।

(४) पूँजी एव आय का अनुपात जय-व्यवस्था क विभिन्न क्षेत्रा म अलग अलग होता है । जनपयोगी 'यवसायो' (Public Utility Undertakings) म पूँजी एव आय का अनुपात कम होता है जबकि निर्माण सम्बन्धी क्रियाया म यह अनुपात कम हाता है । इसक अतिरिक्त आधिक विकास के प्रारम्भिक काल म पूजा एव आय का अनुपात कम रहता है बयाकि नवान पूजीयन परिवारनाया त प्राप्त होन वाला काम तुरन्त उपलब्ध न हाकर बाध काल म प्राप्त हात हैं । जनपयोगी सवाओं के व्यवसाया द्वारा भा बोध काल म बचत इहो व्यवसाया का उत्पादनता नहीं बानी परन्तु इनक सविन जनसमुदाय का कायन्मना म भी वृद्धि होती है । इपि क क्षेत्र म अप विकसित रात्रा म धनीकरण का अनुपस्थिति म पूजा एव आय का अनुपात उद्योगों को तुलना म अधिक हाता है । अल्प विकसित रात्रा म नियोजित 'यवस्था' क द्वारा विकास प्रारम्भ किया जाता है और इपि विकास जनपयोगी सवाओं पूँजी प्रधान परिवारनाया तथा नवीन उद्योगों को स्थापना का विनोप महत्व प्रदान किया जाता है । इन सभी क्षेत्रो म पूँजी एव आय का अनुपात अधिक हाता है जिसक फलस्वरूप वाट्प्रनाय प्रगति को दर बनाने रखने क लिए अधिक अथ मापना को चुनना पना है ।

(५) अप विकसित रात्रा म अथ-मापनो को कम होनी है और अथ गति को बाहु-यना । ऐसी परिस्थिति म पूजाप्रदान विधिया क स्थापन पर अथप्रदान तात्त्विकताया को प्राथमिकता हा जाती है । जिन परिवारनाया म अथ प्रधानविधियाँ उप युक्त नहा हाता है उनम ऐसा परिवारनाया को अथिन महत्व दिया जाता है जिनमें पूजा का उपयोग कम हो । इनको सथासित करन म चात्र 'यव अधिक हाता है और हास अधिक हाता है तथा इनका आरनकाल भी कम होगा है । इन परिवारनायाओं का सथाउन इसलिए किया जाता है कि इनम प्रारम्भिक विनियोजन कम हाता है और रात्रा म अथन पून पूजा के साधनों क विकास का प्रारम्भ किया जाता है परन्तु इन प्रारम्भिक कम विनियोजन वाली परिवारनायाओं म चात्र व्यय एव हास अधिक हाने क कारण इनसे प्राप्ता होन वाली 'बुद्ध आय' कम होगी है । इत प्रकार पूजा एव आय का अनुपात अधिक रहता है ।

उत्पादक क्रियाओं मे विनियोजन कम होने के कारण—उरदुक्त विवरण मे स्पष्ट है कि अल्प विकसित राष्ट्राँ म नियोजित विकास क लिए अधिक पूजा की बावस्यकता हाती है और विकसित रात्रा के समान विकसित होन क लिए उठे अधिक पूजा का विनियोजन करना चाहिए, परन्तु अल्प विकसित रात्रा म उत्पादक क्रियाया म विनियोजन कम किया जाता है जिसक प्रमुख कारण निम्न प्रकार हात है—

(घ) स्वभाव—जनसमुदाय नवीन तथा अपरिचित आर्थिक क्रियाओं के महत्त्व एवं तोषता की तुलना में परिचिन एवं प्राचीन चनी का गृही आर्थिक क्रियाओं की प्राथमिकता दन है। स्वभाव का निर्माण अनक कारणों का परिणाम है। स्वभाव का परिवर्तन इन अवस्थाओं में परिवर्तन के पश्चात् ही सम्भव है। एटिवादी तथा पुरान रीति रियाजा द्वारा नियन्त्रित अथ व्यवस्था में ही लोग अपना न्याय समझते हैं। तथ्य है शिक्षा का अभाव, दुरुव सम्मान, प्रत्याहन की अनुपस्थिति।

(घा) सीमित भाग—जनसमुदाय की आय धरयन्त अल्प हान के कारण उनका प्रय गति भी अयन 'पूरा होता है। भाग ही कृपक तथा प्राचीन श्रमिक काम निररता पर विश्वास करन है। अपनी आवश्यकताओं का स्थानोय अपर्याप्त उत्पादन द्वारा ही सन्तुष्ट कर लेने के कारण प्रकृतित अवस्थाओं से जायम-अनुपुष्टि की आवश्यकता की प्रव-लता भी उनमें पायी जाती है। निधनता के कारण 'पूरा आवश्यकताएँ—पूरा जीवन' उनना ध्येय ही जाता है। इस प्रकार वस्तुओं की बर्बाद पूर्ति का आवश्यक भाग प्राप्त होना कठिन होता है तथा निजी साहसी भाग उत्पादन करने की गति नहीं उठाना चाहता।

(ङ) अम की उत्पादनक्षमता का अभाव—अग्निता जनानता विमान का अस्वास्थ्यकर बातावरण, गतिशीलता का अभाव, निम्न जीवन-स्तर, अपर्याप्त, अपायक भोजन एवं अय अनिवायताएँ श्रमिक की वायक्षमता में हानि उत्पन्न करती हैं। परिणाम होता है, अम की उत्पत्ती एवं सुगम उपलब्धि होने पर भी उत्पाति-जात का अधिक हाना।

(ङ) भाषारभूत सुविधाओं की कमी—गाठयात सुचारु उत्र की विररण-व्यवस्था विद्युत् शक्ति प्रदाय अपिकीयण अथवा साह-सुविधाएँ आदि भाषारभूत सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण साहसी का सम्भावित लाभ कम ही रहता है। लाभ की न्यूनता किसी भी उद्येय की ओर पूर्णतः व आकर्षण को नहीं, अपितु उनकी उदासीनता (Indifference) का जायत करती है।

(च) योग्य साहसियों की कमी—अल्प विकसित राष्ट्रों में साहसा का कार्य अत्यन्त जोखिमपूर्ण होता है क्योंकि वह तथ्यों एवं बाकटों से सर्वथा अनभिन्न रहता है। केवल अनुमान मात्र पर आधारित कोई भी उद्यम क्वमुत्पन्न उपलब्ध रहता अवश्यम्भावी है। अनुभव की अनुपस्थिति नये साहसों की ओर आकर्षण उत्पन्न नहीं करती, यद्यपि अल्प विकसित राष्ट्रों में साहसों का विकसित राष्ट्रों के अनुभवों का लाभ उपलब्ध है परन्तु आधुनिक युग में साहसी का विभिन्न साधनताओं तथा अनुभवों की आवश्यकता होती है।

(च) पूँजीगत वस्तुओं की अनुपलब्धि—नवान उद्योग की स्थापना के लिए मन्त्रादि पूँजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो देश में उपलब्ध नहीं होती और सगमय सगस्त वस्तुएँ विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं। इन वस्तुओं का सुल्प

अधिक देना पड़ता है तथा बीमा एवं यातायात-योग भी अत्यधिक हाता है। साथ ही, इन मशीनों को चलाने के लिए निरूपण श्रमिक दल म नहीं मिलते उनके हेतु भी विदेशों का मुँह जोहना होता है। यह मुँहजोने अत्याधिक महंगी सिद्ध होता है। इन कारणों-वशात् साहसी की सहायता तथा जाखिम बढ़ जाते हैं। कमी कमी ता कच्चे माल के लिए आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

(ग) श्रम की उपलब्धि तथा गतिशीलता—यद्यपि जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण श्रम की उपलब्धि पर्याप्त सुगम एवं सस्ती होना है किन्तु यह श्रम उद्योगों में कार्य करना पसंद नहीं करता क्योंकि उसे कारखानों के अस्वस्थकर सघन एवं दूषित वातावरण में नियमबद्ध एवं अनुशासित परतंत्र की भाँति कार्य करना होता है तथा उसे अपने परम्परागत एवं स्वच्छ निवास स्थानों का परित्याग रचिकर नहीं होता। श्रमिक वर्ग अधिक आय के प्रतीक्षण पर भी अपने परिवार प्रामाण्य समाज तथा अपने पशुक एवं परम्परागत व्यवसाय में दूर नहीं होना चाहता। यदि परिस्थितियोंका उस उद्योगों में कार्य करने के लिए विवश होना पड़े तब वह अपने स्वभाव के परिवर्तन हेतु समय-समय पर अपने पुराने व्यवसाय तथा समाज में जाता है और इस प्रकार अल्प विकसित राष्ट्रों में औद्योगिक श्रम की महत्वपूर्ण समस्या अनुपस्थित होती है जिसके कारण श्रम का कार्यक्षमता तथा उत्पादन शक्ति कम रहती है। साहसी श्रम सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण भी विनियोजन की ओर जावपिन नहीं होता है।

पूँजी निर्माण एवं राष्ट्रीय आय

पूँजी निर्माण का आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया में अत्याधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि पूँजी निर्माण के परिणाम पर राष्ट्रीय उत्पादन एवं आय की वृद्धि की दर निर्भर रहती है। उत्पादन के विभिन्न घटकों—प्राकृतिक साधन भूमि एवं श्रम—में मनुष्य द्वारा असंमित मात्रा में वृद्धि नहीं की जाती है। पूँजी को मनुष्यवृत्त उत्पादन घटक होने के कारण मानव के प्रयासों से असंमित मात्रा तक विस्तारित किया जा सकता है। भूमि एवं प्राकृतिक साधनों का परिमाण प्रायः स्थिर होता है और इनमें आवश्यकतानुसार वृद्धि करना सम्भव नहीं होता है। इसी प्रकार श्रम की मात्रा अथवा पूँजी भा समाज की जनसंख्या की संरचना एवं वातावरण पर निर्भर रहती है। किसी भी निश्चित समय में किसी राष्ट्र में जब यह तीनो—भूमि प्राकृतिक साधन एवं श्रम—उत्पादन के घटक सीमित रहते हैं तो आर्थिक प्रगति के लिए पूँजी ही ऐसा साधन बनना है जिसमें वृद्धि करके राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार विद्या भी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादनक्षमता में वृद्धि उभकी पूँजी निर्माण में वृद्धि करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। दूसरे शब्दों में यह भा कह सकते हैं कि उत्पादनक्षमता की वृद्धि अर्थ-व्यवस्था की चारू आय के उस अनुपात पर निर्भर रहती है जो पूँजी निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। पूँजी स्वयं के गुणा-

त्मन तव भी अद्य-न्यवस्था की उत्पादनक्षमता का प्रभावित करता है। पूँजी निर्माण विभिन्न प्रकारों से उत्पादनक्षमता बढ़ाने में योगदान प्रदान करता है—

(अ) पूँजी निर्माण द्वारा उत्पादन की अतिरिक्त विधियों का उपयोग करना सम्भव होता है। प्रत्येक उत्पादन की सम्पन्न प्रक्रिया एक ही चक्र पर न ह्रास विभिन्न क्षेत्रों पर की जाती है और प्रत्येक क्षेत्र किसी वस्तु के केवल कुछ अंशों का ही उत्पादन करता है। इस प्रकार उत्पादन में विविधोक्ति का प्राप्ति होता है और यह पमाने का उत्पादन सम्भव होता है। इसी परिस्थिति में उत्पादन की प्रविधि घुमाव पिराबदार होती है। इस घुमाव पिराबदार उत्पादन विधि में प्रत्येक व्यवसाय की उत्पादनक्षमता का विस्तार होना सम्भव होता है।

(आ) पूँजी मजदूरी में वृद्धि हो जाने से पूँजी का धन और सहज उपयोग होता है और दूसरी ओर, पूँजी का विस्तार भी होता है। उत्पादन पूँजी का अधिक लाभदायक उपयोग करने के लिए अतिरिक्त यंत्रों एवं विधियों का उपयोग करना आवश्यक होता है जो पूँजी का बर्तन मात्रा में उपयोग करने से सम्भव हो सकता है क्योंकि अतिरिक्त यंत्रों आदि की मूल लागत एवं मरबातन-लागत दोनों ही अधिक होती है। इनके साथ पूँजी की उपलब्धि में वृद्धि होने पर पूँजी का उपयोग विभिन्न प्रकार के उत्पादनों पर किया जाना सम्भव होता है। इस प्रकार पूँजी निर्माण द्वारा समस्त मजदूरवस्था की गतिविधियों में संशोधन आती है और उत्पादनक्षमता में वृद्धि होती है।

(इ) विनियोजन की वृद्धि से विज्ञान का बड़ा गतिमान होता है और राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि का क्रम प्रारम्भ हो जाता है। जब विनियोजन-दर में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है तो हमने परिणामस्वरूप एक ओर, उत्पादन एवं पूँजीगत वस्तुओं में वृद्धि होती है और दूसरी ओर जनसाधारण की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। उत्पादन वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि होने से नवीन कारखानों की स्थापना होती है और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरी ओर जनसाधारण की क्रय शक्ति बढ़ने पर उपनाला वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है जिससे अनुरूप उत्पादन की क्रियाओं का विस्तार होता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार विनियोजन की वृद्धि द्वारा विनियोजन मुक्त क्रियावित्त होने समता है और अद्य-न्यवस्था आर्थिक प्रगति के पथ पर मजदूर हो जाती है।

(ई) तांत्रिक प्रगति का लाभ उठाने के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होता है। नवीन तांत्रिकताओं के लिए अधिक लागत वाले यंत्रों एवं प्रसाधनों की आवश्यकता तो होती ही है साथ ही, इन तांत्रिकताओं के लिए द्विज उपरिद्वय सुविधाओं (overhead facilities) की आवश्यकता होती है उनके लिए अधिक पूँजी-विनियोजन आवश्यक होता है। पूँजी-सम्पत्ति में वृद्धि होने से नवीन तांत्रिकताओं का वृद्ध स्तर पर उत्पादन हेतु उपयोग किया जाता है और फिर उपरिद्वय पूँजी का भी खर्चा जाता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया गतिशील हो जाती है।

(उ) पूँजी स्वच्छ की उपनिधि होने पर नवीन नगरों का विकास एवं विस्तार होता है। इन नगरों में उपरिष्कृत सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। नवीन औद्योगिक शक्ति बग का विस्तार होता है जो जीवन की सभी सुविधाओं की माँग करता है। इस प्रकार उत्पादन के नवीन व्यवसायों के विस्तार के अन्तर्गत में वृद्धि होती है जो आर्थिक प्रगति की गति का बताने हैं।

यद्यपि पूँजी आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है परन्तु इसके साथ ही अर्थ घटका का सहयोग प्राप्त होने पर ही उत्पादनक्षमता एवं उत्पादन वृद्धि हो सकती है। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में नवीन अभिनवा का 'आधारित' उपयोग करने हेतु अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है परन्तु एक बार पूँजीगत प्रमाणा की व्यवस्था करने के पश्चात् कब पूँजी का उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि अल्प विकसित एवं विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण की दर में अधिक अन्तर लगे हुए भी विकसित राष्ट्रों में राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि की दर अधिक रहती है। पूँजी की उत्पादनना दर में उपलब्ध प्रशिक्षित शक्ति बग भी निर्भर रहती है। जिस समाज में मानव में पूँजी विनियोजन बड़ी मात्रा में किया जाता है वहाँ पूँजी के मूल विनियोजन (Tangible Investment) से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती है। इस दृष्टिकोण से भा. विकसित राष्ट्रों में पूँजी की उत्पादकता अधिक रहती है क्योंकि यहाँ के नागरिकों का जीवनिक स्तर एवं मान ऊँचा रहता है।

पूँजी उत्पाद अनुपात (Capital output Ratio)

आर्थिक प्रगति से सम्बन्धित अध्ययन में पूँजी निर्माण एवं आय वृद्धि के अनुपातिक सम्बन्ध को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है क्योंकि इसका अध्ययन के आधार पर ही अर्थ व्यवस्था की प्रगति का ठीक ठीक अनुमान लगाया सम्भव हो सकता है। जॉर्ज रोजेन ने अपनी पुस्तक Industrial Change in India में पूँजी उत्पाद अनुपात का परिभाषित करते हुए कहा है— यह किसी अर्थ व्यवस्था अथवा उद्योग के उद्योग का किसी निश्चित काल के विनियोजन एवं उसी अर्थ व्यवस्था अथवा उद्योग के उसी काल के उत्पादन का सम्बन्ध होता है।¹ आर्थिक प्रगति के सन्दर्भ में पूँजी उत्पाद अनुपात किंसा निश्चित पूँजी-वृद्धि एवं उसी निश्चित काल की उत्पादन वृद्धि के अनुपात को कहते हैं।

पूँजी उत्पाद अनुपात निम्नलिखित घटका से प्रभावित होगा है—

(अ) पूँजी उत्पाद अनुपात प्रत्यक्षरूप से वर्तमान पूँजी-स्वच्छ के उपयोग के परिमाण पर निर्भर रहता है। यही कारण कि मदीनात में प्रभावनाती माँग की

1 The capital output ratio may be defined as the relationship of investment in a given economy or industry for a given time period to the output of that economy or industry for a similar time period
(George Rosen)

कमी व बारम्बे पूँजी का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं हान में पूँजी-उत्पाद अनुपात प्रविष्ट रहता है। मशीनों के रूप में वा पूँजी उत्पादन होता है। इसका उद्देश्य वायिकों में उपयोग करने उत्पादन का बढावा वा करता है जो पूँजी का उत्पादन में अनुपात बन हो सकता है।

(ब) समस्त जय-उद्यमों का पूँजी उत्पाद अनुपात जय-उद्यमों के विभिन्न क्षेत्रों में पूँजी उत्पाद अनुपात पर निर्भर करता है। जब जय-उद्यमों के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य एवं बाजार में परिवर्तन होता है अपना किन्हीं व्यवसायों में पूँजी बचाने कायों जयवा पूँजी-उत्पादन तात्त्विकताओं का उपयोग प्रारम्भ किया गया है ता जय-उद्यमों का पूँजी-उत्पाद-अनुपात प्रभावित होता है। विद्यार्थीय उद्यमों में जब इति एवं हल्के उद्योगों (Light Industries) का स्थान पर पूँजीगत वस्तुओं एवं भारी मशीनों का महत्व दिया जाता है तो पूँजी उत्पाद अनुपात में वृद्धि होती है।

(इ) जय-उद्यमों में जय करने वाले विनिर्माण के परिणाम हान में जो समय लाता है उस पर भी पूँजी-उत्पाद अनुपात निर्भर रहता है। यदि विनिर्माण ऐसी परिधानियों में किया जाता है जिनकी प्रती काल में होती है ता इस काल में पूँजी-उत्पादन अनुपात प्रविष्ट रहता है क्योंकि नवीन पूँजी-विनिर्माण द्वारा उत्पादन में काल काल में वृद्धि नहीं होती है।

(ई) देश के विकास-स्तर पर भी पूँजी उत्पाद अनुपात निर्भर रहता है। विकसित राष्ट्रों में प्रायः पूँजी-उत्पाद अनुपात कम रहता है क्योंकि ऐसी परिधानियों में जिनमें प्राथमिक विनिर्माण दही मात्रा में किया जाता है जो इति विकास के प्रारम्भिक काल में हो जाती है जोर बाद के वर्षों में इन परिधानियों पर केवल बचाने एवं निर्वाह-सम्बन्धी विनिर्माण किए जाते हैं जबकि इनक द्वारा उत्पादन इनकी पूर्ण क्षमता के अनुसार प्राप्त हो जाता है। दूसरी ओर कम विकसित राष्ट्रों में प्राथमिक विकासकाल में परिधानियों में अधिक विनिर्माण किया जाता है जो जय उत्पादन नहीं के बराबर होता है। ऐसी परिस्थिति में इन राष्ट्रों में पूँजी-उत्पाद-अनुपात प्रविष्ट रहता है।

(इ) मूल्य स्तर में परिवर्तन होने पर भी पूँजी-उत्पाद अनुपात प्रभावित होता है। मूल्य-स्तर में वृद्धि होने पर उत्पादन में निर्माण होने वाले वस्तुओं (Inputs) की मागत बढ़ जाती है मूल्य-स्तर एवं वृद्धि-बढ़ बढ़ जाती है, पूँजीगत प्रदानों का मूल्य बढ़ जाता है और इन सबके परिणामस्वरूप पूँजी-उत्पाद अनुपात में वृद्धि होती है।

(ज) बाहरी निर्यातियों की उद्योग एवं उद्योगों के उपयोग में पूँजी-उत्पाद-अनुपात कम होता है। सामाजिक परिवर्तन पूँजीगत उत्पादन में वृद्धि होने पर इसके सामाजिक होने वाले क्षेत्रों में पूँजी-उत्पाद-अनुपात कम हो जाता है। कमी-कमी किसी एक उद्योग के विनिर्माण में कुछ अन्य उद्योगों का काल मात्र एवं

पूँजीगत प्रसाधन कम लागत पर उपलब्ध हो जाते हैं और इस प्रकार लाभार्थी होने वाले उद्योगों में पूँजी उत्पाद अनुपात कम हो जाता है।

(ए) अर्थ-व्यवस्था में कुछ क्षेत्रों में अत्याधिक उच्चावचान होने पर भी समस्त अर्थ-व्यवस्था में पूँजी उत्पाद अनुपात स्थिर रह सकता है क्योंकि अन्य क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिक्रिया इन उच्चावचानों के प्रभाव का नष्ट कर देती है। यही कारण है कि विकसित राष्ट्रों में व्याज दर में वृद्धि होने तथा जमागत उत्पत्ति प्राप्त नियम संचालित होने पर भी पूँजी उत्पाद अनुपात स्थिर होता है क्योंकि तांत्रिक प्रगति से यंत्रिक क्षीण कुशलता में सुधार तथा आहारी बुविधाओं में विस्तार होने से उत्पत्ति प्राप्त नियम आदि का प्रभाव नष्ट हो जाता है।

(ग) वास्तव में समस्त अर्थ-व्यवस्था में पूँजी उत्पाद अनुपात कम के उद्योगों में सम्मिश्रण पर निर्भर रहता है। अल्प विकसित राष्ट्रों में उत्पादन में परम्परा की पूर्ति इस प्रकार का होता है कि प्रति पूँजी का इकाई में लगाने अधिक धन उपलब्ध होता है परन्तु धन की उत्पादकता कम होने के कारण पूँजी उत्पाद अनुपात स्थिर भी अधिक रहता है। यदि अर्थ-व्यवस्था में कम पूँजी उपयोग करने वाले उद्योगों की प्रधानता होती है (जवान हलक एवं उपनात्ता उद्योग अधिक होने हैं) तो पूँजी उत्पाद अनुपात कम होता है। अल्प विकसित राष्ट्रों में जहाँ श्रमप्रधान उद्योगों का बाहुल्य होता है वहाँ विकसित अर्थ-व्यवस्था में पूँजीप्रधान उद्योगों का अर्थ-व्यवस्था में अधिक महत्व होता है जिसके परिणामस्वरूप विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में पूँजी उत्पाद अनुपात अधिक हो सकता है यदि इस परिस्थिति का अधिक कुशल उत्पादन द्वारा बचत न किया जाय।

अल्प विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण की दर

पूँजी निर्माण की दर विभिन्न राष्ट्रों में अल्प विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक रहती है। इसका प्रमुख कारण अल्प विकसित राष्ट्रों में उत्पादकता एवं बचत का स्थूल स्तर है। बचत की मात्रा उपभाग का स्थापित करके बढ़ती है और उपभाग का स्थापित करने की इच्छा संचित बचत पर उपलब्ध होने वाला आय अथवा वृद्धि पर निर्भर रहती है। दूसरी ओर विनियोजन का स्तर मात्र की दर पर निर्भर रहता है। पूँजी की सीमांत उत्पादकता एवं वृद्धि दर में जितना अधिक अन्तर रहता है उतना ही अधिक विनियोजन करने के लिए प्रारम्भिक होता है। विकसित राष्ट्रों में बचत की मात्रा अधिक होने तथा कुशल वित्तीय संस्थाओं द्वारा बचत का विनियोजन तक प्रवाहित होने के कारण वृद्धि की दर कम रहती है तथा तांत्रिक सुधारों में धन की कुशलता नवीन कच्चे मालों का राज विस्तृत वाजारा की उपलब्धि के कारण विनियोजन की सामान्य उत्पादकता अधिक रहती है जिससे फलस्वरूप विनियोजन का दर ऊँचा रहती है। दूसरी ओर अल्प विकसित राष्ट्रों में यापक निधनता के कारण बचत कम होती है और उपलब्ध बचत का विनियोजन तक प्रवाहित करने के लिए

कुशल वित्तीय मस्याएँ कम होने के कारण व्याज की दर अधिक रहती है। इसके अनिश्चित इन राष्ट्रीय में प्रभावगताओं माँग कम होने, उत्पादन के घटकों में गतिशील न होने, अनुसूचित उत्पादन विधियों एवं अनुसूचित शक्ति शक्ति आदि के कारण विनियोजन की सीमान्त उत्पादनना कम होती है। यह दोनों परिस्थितियाँ अन्य विकसित राष्ट्रों में विनियोजन की दर कम रखने में सहायक होती हैं।

धन्य विकसित राष्ट्रों में इस प्रकार पूर्ण निम्न का स्तर वा मूलभूत घटकों पर निर्भर रहना है—(अ) वचन का परिमाण एवं उपयुक्त वित्तीय मस्याओं की परिस्थिति का वचन प्राप्त करने विनियोजन तब प्रवाहित कर सकें (आ) विस्तृत ज्ञान वाले बाजार की उपस्थिति। इन राष्ट्रों में उपभोग करने की इच्छा अधिक होता है परन्तु यह इच्छा जाबन की अनिश्चयताओं तक सीमित रहता है जिसके परिणामस्वरूप जन-संख्या का अधिकांश भाग अनिश्चयताओं की वस्तुओं के उत्पादन में उपाय रहता है। इन वस्तुओं के उत्पादन में पूर्ण विनियोजन कम मात्रा में आवश्यक होता है और धन की उत्पादकता कम रहती है जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या के बहुत बड़े भाग का कम आय प्राप्त होती है जो वचन का वन मात्रा में निर्माण हान के कारण होती है। कम आय एवं कम वचन माँग के विस्तार का प्रतिबन्धित करत है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की माँग कम रहने के कारण अधिक विनियोजन के लिए प्रोत्साहन नहीं रहता है। मात्र के कुछ विकसित राष्ट्रों में इस परिस्थिति से होकर गुजर चुके हैं परन्तु उन्हें विस्तृत विज्ञान बाजारों (अपने उपनिवेश आदि में) का लाभ उपलब्ध था जिससे वे अपनी आर्थिक प्रगति का निवाह कर सके परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में अन्य विकसित राष्ट्रों को अपने जियात में विस्तार करना सम्भव नहीं है क्योंकि विकसित राष्ट्रों ने साथ उन्हें कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

उपयुक्त वित्तीय मस्याओं की कमी के कारण अन्य विकसित राष्ट्रों की उप-साधन पूरा वचन का भी उचित विनियोजन नहीं हो पाता है। इस के विभिन्न क्षेत्रों में व्याज की दरों में विभिन्नता पायी जाती है। ऐसे साहसी-व्यय की भी कमी पायी है आ नवीन आवसाधों एवं उत्पादन क्रियाओं में विनियोजन कर सकें। यही कारण है कि इन राष्ट्रों में वचन के अधिकतर नाम भूमि, भूमिगत जायदाद, सट्टा, टिकाऊ उपभागा वस्तुओं, विदेशी विभिन्न विद्यालय भवनों, वित्तसिद्धा की वस्तुओं, विदेशी भ्रमण एवं प्रदर्शन-मक क्रियाओं में विनियोजित किया जाता है जिससे राष्ट्रों के व्यय की निरन्तर वृद्धि सम्भव नहीं होती है। अप्रतिष्ठित साधिका में विरहित एवं अन्य विकसित राष्ट्रों को पूर्ण निम्न की दर प्रदर्शित की गयी है।

इस साधिका से यह स्पष्ट है कि अन्य विकसित राष्ट्रों में पूर्ण-निर्माण की दर विकसित राष्ट्रों की तुलना में कमजोर गयी है।

तालिका सं० १०—सकल पूँजी निर्माण की दर (विभिन्न राष्ट्रों में)^१

देश का नाम	वर्ष	सकल पूँजी निर्माण का सकल राष्ट्रीय उत्पादन से प्रतिशत
संयुक्त राज्य अमेरिका	१९६७	१६%
ब्रिटेन	१९६०	१६%
कनाडा	१९६०	२३%
स्वीडन	१९६०	२२%
स्विटजरलण्ड	१९५६	२३%
जर्मनी	१९६०	१७%
सीलोन	१९६०	१३%
बिली	१९५६	११%
फिलीपाइंस	१९५६	८%
भारत	१९५६	५%

पूँजी निर्माण की प्रविधि

जसा पूँजी निर्माण की परिभाषा देते समय बताया गया है कि पूँजी निर्माण की प्रविधि क तीन अंग हैं—बचत वित्तीय संस्थाएँ एवं विनियोजन। अब हम इनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग विभिन्न राष्ट्रों की परिस्थितियाँ का संक्षेप में अध्ययन करेंगे।

बचत

बचत पूँजी निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। बचत वर्तमान आय एवं उपभोग का अंतर होती है। पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि करने के लिए बचत का दर में भी पर्याप्त वृद्धि होना आवश्यक होती है। इस प्रकार बचत एवं दर की आर्थिक प्रगति का प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है क्योंकि बचत की दर में वृद्धि होने पर विनियोजन एवं पूँजी निर्माण का दर में वृद्धि होती है जिससे परिलक्षितस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। परन्तु यह आवश्यक नहीं होता कि अथ-अवस्था का आन्तरिक बचत एवं विनियोजन दोनों बराबर रहें क्योंकि अथ-अवस्था का विनियोजन में विन्ना बचत का वह भाग जो विन्ना संग्रयता एवं साख के रूप में प्राप्त होता है सम्मिलित हो जाता है। किसी भी अर्थ व्यवस्था की समस्त बचत तीन स्तरों से मिलकर बनती है—सरकार द्वारा की गयी बचत परिवारों की बचत तथा व्यापारिक क्षेत्र की बचत। सरकारी बचत उस राशि को कहते हैं जो सरकार को करों से प्राप्त होती है। प्रायः सभी राष्ट्रों में सरकारी बचत उस राशि को कहते हैं जो सरकार को करों से प्राप्त होती है। परिवारों की बचत का राशि परिवारों की शुद्ध आय (करादि देने के बाद बची हुई आय) एवं उपभोग-व्यय का अन्तर होता है। इसी प्रकार व्यापारिक क्षेत्र की बचत राशि व्यापारों के लाभ में करादि

एव सामान्य देने के पदचालन नाम होती है। सरकार की बचत मार्गदर्शक बचत (Public Savings) जोर परिवारों एवं व्यापारों की बचत को निजी बचत कहते हैं। प्रायः निजी बचत अध-उद्यमों की कुल बचत का बहुत बड़ा भाग होती है। मानव वय में निजी बचत अल्प बचत को माना जाता है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में विकसित राष्ट्रों की तुलना में प्राथमिक बचत का स्तर कम रहता है। विश्व-वक्त्र व मनु १९६० के वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख्य राष्ट्रों से ज्ञात होता है कि मनु १९६०-६६ के काल में औद्योगिक राष्ट्रों में बचत इनके कुल राष्ट्रीय उत्पादन का औसतत २१.६% थी जबकि दूसरे जार विकासशील राष्ट्रों में बचत का प्रतिशत औसतत इसी काल में बस १-२% था। इन महीनतम कारणों का विस्तृत विश्लेषण अल्प विकसित राष्ट्रों का प्राथमिक विकास में किया गया है। अनादी एवं एग्रीकल्चर राष्ट्रों में बचत का कुल राष्ट्रीय उत्पादन में औसतत प्रतिशत १०% के लगभग है जबकि परिवर्धनीयता में यह प्रतिशत २२.४% थी। उल्लेख्य प्रवेदन में १०७% है। इस तुलना से यह बात स्पष्ट है कि विकसित राष्ट्रों के उन्नत प्रति में विकसित होने का एक महत्वपूर्ण कारण बचत की उंची बचत की वृद्धि है। भारत में बचत की दर लगभग २०% है जिसका प्रमुख कारण बचत के माध्यमों का अल्प बचत करने का स्वभाव है। दूसरे प्राथमिक वार्षिक राष्ट्रों में बचत का उंची दर का प्रमुख कारण व्यापारिक उद्यमों का अविनाश्य लाभ का पुनर्विक्रियोग्य है। अल्प-विकसित राष्ट्रों में निजी एवं व्यापारिक बचत दोनों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। यदि यह अनुमान सामर्थ्य कि अल्प-विकसित राष्ट्रों में विकसित राष्ट्रों की तुलना में प्रति व्यक्ति बचत किस अल्प-तर पर होती है तो हमारे महीनत अल्प-विकसित राष्ट्रों में अल्प विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या अधिक भार राष्ट्रीय उत्पादन कम है और जब इस राष्ट्रीय उत्पादन का अल्प अल्प प्रतिशत ही बचाया जाता है तो प्रति व्यक्ति अल्प स्वभावतः अल्प बन ही रहेगी। मनुक्त राष्ट्रों की एक वृद्धि के अनुसार एग्रीकल्चर में प्रति व्यक्ति प्राथमिक बचत अल्पतम दो बार के लगभग (मनु १९४०-४१) थी।

बचत के सम्बन्ध में अल्प विकसित राष्ट्रों में एक और विशेषता पायी जाती है कि बचत-मार्ग के अनुपात में प्रियेते हुए वर्षों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही है। मनु १९५०-५२ से १९५०-५६ के काल में अल्प विकसित राष्ट्रों में बचत के स्तर में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार की उद्यम वृद्धि हुई—जर्मनी १०%, जपान ७%, भारत ५%, पनामा ४% और ६%, विले ४%, फिलीपीन्स २% काल्पित्य—१% पुर्तगाल —१% सीलोन —२%, जाति—१०%, म्यांमार—१४%। मनुना इन सभी राष्ट्रों में प्राथमिक बचत में इस काल में कमी हुई है। इसका प्रमुख कारण प्रति व्यक्ति आय का अल्प स्तर तथा आय का अल्पतम मजदूरी पाने वाले वर्ग के पक्ष में होना है। इसी प्रकार इन राष्ट्रों में प्राथमिक बचत में कमी होती रही है क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि ने सामान्य प्राथमिक एवं सामाजिक

लागत बढ़ गयी है तथा कर से प्राप्त हान वाली आय भी कम हो गयी है। परन्तु इन राष्ट्रीय को विदेशी ऋण एवं अनुदान बड़ी मात्रा में मिलने के कारण इनकी विदेशी ऋण में पर्याप्त वृद्धि इस कारण में हुई है जिनमें आंतरिक बचत का पूर्ण की है।

अल्प विकसित राष्ट्रीय में बचत के सम्बन्ध में एक विशेषता यह भी है कि जो भी बचत उपलब्ध होती है उसका उपयोग उत्पादन क्रियाओं के लिए नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग पाने वाला वह वर्ग वर्तमान का उपयोग भूमिगत सम्पत्तियाँ निवास निमाणा मूल्यवान् धानुआ एवं ज्वरा आदि के लिए करता है। निजी सन्तानों द्वारा जो जान वाली है बचत का उपयोग इन अनुत्पादन क्रियाओं के लिए नहीं किया जाता बल्कि इन राष्ट्रों की सरकारें भी आनापान भवना के निमाण, विदेशों में दूतावास स्थापित करने आना एवं विदेशी प्रतिभूतियाँ के मध्य विदेशों में विनासिता एवं प्रमाण की वस्तुओं के आयात आदि पर बचत का बड़ा भाग खर्च कर देता है। इन राष्ट्रों में मूल्यवान् धानुआ एवं जवाहरात एवं ज्वरा आदि का मरह भी बड़ी मात्रा में किया जाता है जो बचत एवं पूजा का निष्क्रिय कर देता है।

अल्प विकसित राष्ट्रीय में बचत-सम्बन्धी समस्याएँ

बचत की मात्रा में वृद्धि करना अल्प विकसित राष्ट्रीय के आर्थिक विकास का आवश्यक तत्व है और बचत की मात्रा में वृद्धि करने हेतु बचत अधिक बचत का अल्प हाना ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता उचित बचत का उपलब्ध करता तथा उनका उत्पादन विनियोजन किया जाना भी आवश्यक होता है। इस प्रकार बचत के सम्बन्ध में तीन समस्याएँ उत्पन्न हैं—अधिक बचत का निर्माण बचत के अधिकतम भाग का प्राप्त करना तथा बचत का उत्पादन विनियोजन की आर प्रवर्धित करना। दूसरे पक्ष में यह भी कह सकते हैं कि पूजा निर्माण का विभिन्न अवस्थाएँ बचत से ही प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होती है।

बचत का निर्माण

अल्प विकसित राष्ट्रीयों का अत्यन्त गम्भीर समस्या आंतरिक बचत के निर्माण में वृद्धि करना होती है और इसमें निवारण के लिए बचत करने की सीमाओं को विस्तृत करने की आवश्यकता होती है। बचत करने का अधिकतम सीमा उपलब्ध में का जान वाली सम्भावित अधिकतम तथा उत्पादन का वृद्धि का सम्भावना पर निर्भर रहती है। निम्न भाग में उपभोग आवश्यकताएँ उस समाज के दार्शनिक विचारों जनसंख्या का परिमाण एवं संरचना तथा नागरिकों के जीवन स्तर के द्वारा निर्धारित होती है। अल्प विकसित राष्ट्रीयों में व्यापक निधनता के कारण उपभोग का स्तर घटने में होता है जो आर्थिक निर्वाह के लिए अनिवार्य होता है। दूसरे आर, उत्पादन में अल्प बचत में अधिक वृद्धि करना सम्भव नहीं होता है क्योंकि इन देशों में उत्पादन कारिणताएँ मजठन श्रम की कुशलता पूज्यता प्रसाधन आदि हान स्थिति में हान हैं।

दूसरी ओर वचत की 'यूनतम मात्रा वचत' का वह स्तर है जो अद्य-व्यवस्था के पूँजीगत प्रसाधनों के निर्वाह के लिए आवश्यक है। जिससे उत्पादन का वर्तमान स्तर बना रहे। यदि वचत इन 'यूनतम स्तर' से कम हो जाय तो अद्य-व्यवस्था में पूँजी का उपभोग होन लगाया और वर्तमान उत्पादन कम होन लगाया।

अल्प विनियमित अद्य व्यवस्थाओं में वचत के अधिकतम एवं 'यूनतम स्तर' में विंगोच अन्तर नहीं होता है क्योंकि उपभोग का वर्तमान स्तर 'यूनतम' होता है तथा इसे और कम करना सम्भव नहीं होता तथा उत्पादन में भी वित्तीयताओं में मूलभूत परिवर्तन किय बिना अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है जो एक सापेक्षतात्मक व्यवस्था में सम्भव हो सकती है। जब अद्य व्यवस्था में आर्थिक प्रगति का शुभारम्भ होता है तो एक ओर, उत्पादन विनियोजन बढान के परस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है और दूसरी ओर, जन-साधारण की आय एवं प्रयत्न करने से उपभोग की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। ऐसी परिस्थिति में वचत की सीमाओं के बढान के लिए उपभोग का अधिक नहीं बढान दिया जाता है और उत्पादन में उपभोग की आवश्यकताओं से अधिक वृद्धि करने का प्रयत्न किया जाता है।

वचत का सीमाओं की वृद्धि करने के लिए उत्पादन विनियोजन इस प्रकार होना चाहिए कि पूँजीपति-वर्ग अपना नाम पाने वाले वर्ग का विस्तार हो क्योंकि यह वर्ग ही अपनी आय का अधिकतम भाग वचनरूप उत्पादन क्रियाओं में विनियोजित करने के लिए उत्तर रहता है। अद्य-व्यवस्था के दूसरे अर्थ—निराया पाने वाला, मजदूरी पाने वाला तथा बेरोज पाने वाला वर्ग अपनी आय में वृद्धि होने पर उच्च बचत भाग उपभोग कर लेता है और विनियोजन के लिए वचत करने में अधिक रुचि नहीं रखता है। इसका विपरीत भूमिपति-वर्ग प्रदत्तमपारी एवं विलासितापूर्ण उपभोग पर अपनी वचत की ध्यान न देता है। इस प्रकार समाज में वचत एवं विनियोजन बढान के लिए यह आवश्यक होता है कि विकास के द्वारा उचित आय का अतिरिक्त भाग प्राप्त करने वाले वर्ग की मिले और इस बात की विनियोजन क्रियाएँ सुचारु बनाने में सरकारी प्रतिबन्धों का सामना न करना पड़ता है। परन्तु एक समाजवादी अथवा कल्याणकारी राज्य में अतिरिक्त आय के बढान की साम पाने वाले वर्ग को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इससे समाज में आर्थिक विषमताएँ बढती हैं और आर्थिक असमानता का केन्द्रीकरण होता है। अल्प विनियमित राष्ट्रों में निम्न-वर्ग का जीवन-स्तर सुधारन के लिए राज्य राजकाशीय एवं अन्य नौतियों द्वारा ऐसी बाध-बाधियों का महत्व देता है जिनसे शक्ति-वर्गों की आय का बढाया जाय और साम पाने वाला वर्ग-वर्ग अधिक धन संचय न कर सकें। यह सामाजिक एवं आर्थिक 'पाप' सम्बन्धी कार्यवाहियाँ अद्य-व्यवस्था की वचत को बढान में बाधक होती हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार का सामाजिक वचत बढाने के लिए आवश्यक कार्यवाहियाँ करनी होती हैं जिनमें अधिक करारोपण सामाजिक व्ययस्रावों से अधिक लाभ, तथा हीनाय प्रवचन सम्मिलित हैं।

ग्रामीण बचत

अल्प विकसित राष्ट्रों में वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों की बचत का स्तर औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में लगभग सभी राष्ट्रों में कम होता है। वृद्धि क्षेत्र में आम का विपणन, आर्वास्मिक लाभ तथा हानि की सम्भावना परिकल्पितिक (Speculating) लाभों की सम्भावना आदि सभी औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में कम होते हैं जिसके परिणामस्वरूप कृषकों में साहस की भावना का स्तर अत्यन्त घुन रहता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार पद्धति अत्यन्त सुदृढ़ होती है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण नागरिकों में बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था आदि के लिए बचत करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ग्रामीण नागरिकों में भाग्यपरायणता भी अधिक होती है जिससे इनमें अधिक धन एक बचन भंडित करने के लिए उत्साह नहीं होता है। इसके अतिरिक्त विकास के प्रारम्भ के साथ जब यातायात एवं संचार के साधनों में सुधार एवं विस्तार होता है तो ग्रामीण नागरिकों का सम्पर्क नगरों से घनिष्ठ हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामवासियों के उपयोग के प्रकार एवं परिमाण में परिवर्तन हो जाता है और इनकी बचत करने की इच्छा को कम कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीण बचत को बढ़ाने के लिए एक ओर वृद्धि-उत्पत्तियों में नवीन तकनीकियों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि की जाती चाहिए और दूसरी ओर ग्रामवासियों में अपनी बचत का उत्पादक उपयोग करने के लिए उत्साह जाग्रत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य को उचित कर नीति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हानि वाले अनावश्यक एवं अनुपादक विनियोजनों को रोकना चाहिए।

राज्य की कर नीति का भी बचत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। कर द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तो प्रोत्साहन दिया हो जा सकता है परन्तु उपभोग के नामों के पुनर्विनियोजन का भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। विकास के प्रारम्भ में जनसाधारण की आय में जो वृद्धि होती है उसकी बचत के रूप में प्राप्त करने के लिए कर का उपयोग करना आवश्यक होता है। सरकारी ऋण द्वारा एक बार इस प्रकार जब बचत ब्याज विकास विनियोजन में उपयोग करने जाती है तो बाद में विनियोजन एवं बचत का प्रवाह बनाम रखने में अधिक कठिनाई नहीं पानी है क्योंकि विकास के बढ़ने के साथ आय में वृद्धि की मात्रा बढ़ जाती है और जनसाधारण का अपना वर्तमान जीवन स्तर कम बिना ही बचत करना सम्भव होता है।

बचत की उपलब्धि

पूजा निर्माण का दूसरी अवस्था निर्मित बचत का प्राप्ति करना होता है। अल्प विकसित राष्ट्रों में यह समस्या और भी गंभीर होती है क्योंकि इनमें निर्मित बचत कम होने के कारण इतना सम्पूर्ण भाग प्राप्त करने विकास विनियोजन में लगाना सम्भव हो सकता है परन्तु कुशल वित्तीय संस्थाओं की अल्पव्यक्तता के कारण बचत को उपलब्ध करना कठिन होता है। बचत उपलब्ध करने की उचित व्यवस्था

द्वारा वचन के अनुष्ठात्क उपयोग का रास्ता जा सकता है तथा जनसाधारण में अधिक वचन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जनसाधारण में वचन उपलब्ध करने के लिए विनियोजन को सुरक्षा, आकषण व्याज की दर बढ़ाना, सन्तान विभाजनता हस्तांतरणीयता प्रमाणीकरण प्राप्तीयता एवं व्यक्तिगत सम्बन्ध की उचित व्यवस्था जानी चाहिए। प्रत्येक वचन करने वाला चाहता है कि उसकी वचन का इन प्रकार उपयोग हो कि पूँजी सुरक्षित रहे, ध्यान अभिन दर पर मिले विनियोजन करने के लिए कोई विशेष बाधबाधियाँ न करती पडे विनियोजन को सन्तान के रूप में बढ़ना या सब तथा वचन की मात्रा प्राप्तीय रहे। इन समस्या मुविधाओं की व्यवस्था वित्तीय सम्पत्तियों के विस्तार द्वारा की जा सकती है। सामाजिक क्षेत्रों में बकों, सरकारी मर्यादा योमा सम्पत्तियों के कार्यालय आदि की विभिन्न व्यवस्था करने वाला विनियोजन हेतु उपलब्ध की जा सकती है। वचन का सुरक्षा प्राप्ति करने हेतु सरकारी धर्मों का विस्तार किया जाना चाहिए क्योंकि इन पर लोगों का अधिक विश्वास होता है। सरकारी साधन-सम्पत्तियों के कुशल संचालन द्वारा अन्य आय वाले धर्मों हेतु वचन का प्राप्ति किया जा सकता है। जनसाधारण में धर्मों की आवश्यकता एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण करके भी वचन के स्तर में वृद्धि की जा सकती है।

वचन का विनियोजन हेतु उपयोग

विनियोजन पूँजी निर्माण की नीमरी अवस्था जानी है। अर्थ-व्यवस्था की वित्तीय समस्याओं का कार्य अतिरिक्त व्यय करने वाले लोगों में प्राप्ति को संपूर्ण करने हेतु पूँजी व्यय करने वाले लोगों तक पहुँचाना जाना है। समाज में अतिरिक्त व्यय करने वाला का विरामा मजदूरी बतन जाहि जाने वाला बर्ण होता है जो जनता का पूँजी आय का बड़ा भाग वचन कर सकता है। दूसरी ओर पूँजी व्यय करने वाला का व्यापारिक मर्यादा का हाना है जो फिर सदैव पूँजी एवं संपत्तियों की शोध में रचना है और जो बुद्धि भी धन उभ प्राप्त जाना है वह उत्तम विनियोजन करने के लिए उत्तर रहता है। वित्तीय समस्याएँ वचन करने वाले वर्ग में साधनों का प्राप्ति करके विनियोजन करने वाले का का पहुँचाती हैं। मुक्त व्यवस्था अर्थ-व्यवस्था में इन वित्तीय समस्याओं में प्रमुख बंधन विनियोजन-सूत्र योमा सम्पत्तियों सन्तारी सम्पत्तियों के विभिन्न बाजार जाहि जाती हैं। विश्वास के गतिमान होने पर वित्तीय सम्पत्तियों का अधिकार होन लगता है जो वचन को एक समुदाय में दूसरे समुदाय का हस्तांतरण करती हैं। विश्वास के अन्तगत अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तार जाना है और औद्योगिकरण का विशेष प्रोत्साहन मिलता है। आर्थिक गतिविधि बढ़ने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और वित्तीय व्यवहारों में तीव्र गति में वृद्धि जानी है। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप वचन करने वाले वर्ग में विनियोजन के प्रति विश्वास जाग्रत होता है और यह वर्ग अपनी वचन की प्रत्यक्ष रूप में अथवा अध्येय द्वारा विनियोजन करने के लिए उत्तर हो जाना है। दूसरा ओर विनियोजकों में विभूत होने वाली अर्थ-व्यवस्था

म अधिक विनियोजन करने के लिए अधिक आकर्षण उन्म्य होना है क्योंकि विनियोजन पर मिलने वाले लाभ का दर बढ़ जाती है। विनियोजन की ओर से ऐसी वित्तीय समस्याओं का विस्तार की माँग की जाती है जो अर्थ व्यवस्था में वित्तीय तरतता बढ़ाने में सहायक हों। ऐसी परिस्थिति में वित्तीय समस्याओं का विस्तार होना है सामित दायित्व वाली कम्पनियों की स्थापना का जाती है और प्रतिभूति बाजार (Security Market) का विस्तार होना है। यापारिक बकों का विस्तार भी इन परिस्थितियों में स्वाभाविक होता है। "यापारिक बकों की साख-नाशि का विकास वायजनों के अनुकूल दरों के लिए कर्जाय बक के काम में विस्तार किया जाता है। जिस दना में यापारिक बक उगाए गतों पर विकास-वायजनों का माख प्रदान करने में अममय रहते हैं वहाँ विकास बकों की स्थापना की जाती है। सरकार द्वारा भी विकास के लिए ऋण एवं अनुदान प्रदान करने के लिए विभिन्न वित्तीय समस्याओं की स्थापना का जाती है। वित्तीय एवं विकास निगमों का स्थापना करके विकास परिगजनाओं का दाय करनीत साख की व्यवस्था की जाती है। इन समस्त वित्तीय समस्याओं से अधिक विकास में पर्याप्त योगदान तक ही प्राप्त हो सकता है जब इनका मबालत कुशलता के साथ किया जाय। यह समस्याएँ प्राथमिकता प्राप्त विकास योजनाओं को कम लागत पर माख प्रदान करें तथा इनके द्वारा आर्य्यशतानुसार पर्याप्त पूजा प्रदान की जाय। इन समस्याओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में अनुसूचित विधियाँ (Inflationary Methods) का उपयोग भी नहीं करना चाहिए।

विनियोजन के गुणगमक लक्षण (Investment Criteria)

जब विनियोजन की सामाय आवश्यकता का आयाजन करने के परधान उनके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करने का प्रश्न आता है तो विनियोजन का विनरण करने हेतु कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है जिनके आधार पर विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों को पूजा का आवटन किया जाता है। विनियोजन के आवटन सम्बन्धी सिद्धांतों को ही विनियोजन के गुणगमक लक्षण (Investment Criteria) का नाम दिया जाता है। अल्प विकसित राष्ट्रों में विनियोजन के लिए उपरान्त साधन अत्यंत सीमित हान एवं विनियोजन की बढती हुई आवश्यकता के सम्बन्ध में विनियोजन के आवटन की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। विनियोजन का आवटन करते समय उद्योग तथा कृषि निम्नो तथा सरकारों क्षेत्र पूजायन एवं उपभालता उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य ध्यान करने की आवश्यकता पड़ता है। विनियोजन के विनरण के सम्बन्ध में निम्न करते समय उसका फलस्वरूप प्राप्त होने वाले विकास के स्तर को दृष्टिगत रखना आवश्यक होता है। इस बात का प्रयास किया जाता है कि विनियोजन के साधनों का आवटन इस प्रकार किया जाय कि यथासम्भव अधिकतम विकास हो सक। किसी एक प्रकार से किए गए आवटन से अर्थ व्यवस्था की वर्तमान आय में वृद्धि हो सकती है जबकि यह आवटन किसी अन्य विधिप्रकार से किया जाय तो राष्ट्रीय उत्पादन का वृद्धि का दीर्घ काल तक आवधान हो सकता है। विनियोजन

आवटन विधि नवल राष्ट्रीय उत्पादन का ही प्रभावित नहीं करती है बल्कि अर्थ-व्यवस्था की अर्थ-व्यवस्था अर्थात् अर्थ की पूर्ति एवं वितरण, सामाजिक एवं सामूहिक परिस्थितियों, जनसंख्या की वृद्धि एवं गुणा जनसाधारण की दृष्टि एवं अर्थ तथा सामाजिक प्रगति का भी प्रभावित करती है।

सामायत उत्पादन का विनियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुणानक लक्षण माना जाता है। विनियोजन के साधनों का वितरण उन क्षेत्रों का किया जाना चाहिए जिनमें सर्वाधिक सामाजिक सीमान्त उत्पादन प्राप्त हान की सम्भावना है। अधिकतम उत्पादन का अनुमान समान समय निम्नलिखित पथ प्रदान सिद्धान्तों की ध्यान में रखना आवश्यक होता है—

(१) उपलब्ध विनियोजन के साधनों का आवटन इस प्रकार किया जाय कि शालू उत्पादन का विनियोजन से अधिकतम अनुपात हो सके।

(२) ऐसे विनियोजन कार्यक्रमों का चुनाव जाय जिससे श्रम का विनियोजन से अधिकतम अनुपात हो सके।

(३) विनियोजन के मापना का इस प्रकार आवटन किया जाय कि निर्यात-वस्तुओं का विनियोजन से अधिकतम अनुपात हो सके।

(४) विनियोजन के साधनों का आवटन इस प्रकार किया जाय कि अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम सामाजिकताओं का अधिकतम उपयोग हो सके।

(५) विनियोजन के आवटन का प्रकार ऐसा हो कि देश में आभारपूर्वक एवं पूर्णतम अनुपातों के उत्पादन का अधिकतम विस्तार हो सके जिससे अर्थ-व्यवस्था के वर्तमान उत्पादन के साथ उत्पादनक्षमता में भी अधिकतम वृद्धि हो सके।

(६) विनियोजन का आवटन इस प्रकार किया जाय कि प्रति व्यक्ति पूर्ण-विनियोजन में अधिकतम वृद्धि हो सके तथा अर्थिकों की कुशलता मान, गतिशीलता आदि में अधिकतम वृद्धि हो सके।

(७) विनियोजन का आवटन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का अधिकतम समुचित विकास सम्भव हो सके।

(८) विनियोजन का आवटन इस प्रकार किया जाय कि आर्थिक स्थिरता (Economic Stability) में नाथ विकार किया जा सके। आर्थिक स्थिरता के लिए देश के भुगतान शेष का प्रतिकूल न होने तथा मुद्रा-स्फीति के दबाव को रोकने की व्यवस्था करना आवश्यक होता है।

(९) विकास के प्रारम्भिक काल में जब देश में व्यापक निधनता एवं न्यूनताओं का आभाव हो विनियोजन का आवटन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि विकास परियोजनाओं में मान अव्यक्त में प्राप्त हो सके।

(१०) विनियोजन का प्रकार निर्धारित करते समय इन बातों पर भी विचार करना चाहिए कि विकास-परियोजनाओं की संचालन-साधक अत्याधिक न हो अन्यथा

देश के द्वारा किए गए उत्पादनों की लागत अधिक होगा जिससे परिणामस्वरूप आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार दोनों की ही पर्याप्त उन्नति नहीं हो सकती।

विनियोजन आवंटन सम्बन्धी उपयुक्त नीति निर्देशक सिद्धान्तों में से सभी का पालन एक ही समय में करना सम्भव नहीं होता है क्योंकि कुछ सिद्धान्त परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं।

श्रमप्रधान क्रियाओं में विनियोजन

अल्प विकसित राष्ट्रों में श्रम का आधिक्य और पूँजी की कमी होती है। ऐसी परिस्थिति में सिद्धान्तस्वरूप में विनियोजन ऐसी विकास परियोजनाओं में किया जाता चाहिए जिनमें श्रम का अधिक और पूँजी का कम उपयोग होता है। परन्तु श्रमप्रधान तांत्रिकताओं का उपयोग अथवा व्यवस्था में नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनके द्वारा एक बार जाघारभूत उद्योगों की स्थापना सम्भव नहीं हो सकती है और दूसरी ओर इनकी उत्पादनक्षमता कम हान के कारण इनका प्रति उत्पादन कच्चाई की संचालन लागत भी अधिक होती है। दूसरी ओर जब पूँजीप्रधान तांत्रिकताओं का उपयोग किया जाता है तो परियोजनाओं के सम्पूर्ण होने में अधिक समय लगता है जो मुद्दा स्थिति के दबाव को प्रारम्भित करता है। पूँजीप्रधान तांत्रिकताओं के उपयोग में मजाल में आय का अधिक विपणन वितरण होता है। विकास विनियोजन द्वारा उद्यम होने वाली सामाजिक लागत को ध्यान में रखना आवश्यक होता है जैसे बड़े बंद कारखानों की स्थापना में मगरा का वानावरण अस्वास्थ्यकर हो जाता है भीड़ भाड़ बढ़ जाती है औद्योगिक दुर्घटनाएँ एवं कलह का प्रादुर्भाव होता है आदि आदि। इन सामाजिक दोषों का विनियोजन सम्बन्धी निणय करते समय उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। विनियोजन का प्रकार निर्धारित करते समय सामाजिक उपरिष्कृत पूँजी की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है।

निर्षण स्थिति के आधार पर विनियोजन

विकास विनियोजन का प्रकार निर्धारित करने समय विपरिण—आन्तरिक एवं विदेशी—की स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ऐसे विकासोन्मुख कर्तव्यों अथवा क्षेत्रों की प्राथमिकता दी जाती है जिनमें अधिक अनिश्चित विनियोजन किए बिना ही द्रुत गति से प्रगति हो सकती हो और इनके द्वारा उत्पन्नित वस्तुओं की माँग भी अधिक हो। इनके द्वारा वर्तमान उद्योगों को बाहरी निगम्यव्यवस्था अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है तथा पूँजी वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग में वृद्धि होती है। ऐसे विकासोन्मुख क्षेत्रों का विस्तार करने में समस्त उपयुक्त व्यवस्था गतिशील हो जाती है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में ऐसी परियोजनाओं में विनियोजन का प्राथमिकता दी जाती है जिनमें आय में कमी एवं निर्वाण में वृद्धि करना सम्भव हो सके क्योंकि इनके द्वारा एक बार भूषणयोग्य की समस्या उत्पन्न नहीं होती है और दूसरी ओर पूँजीगत प्रसाधन का अधिक आयोजन करने के लिए विदेशी विनिमय उपलब्ध होता है।

अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समुचित विकास करने के लिए अर्थ-व्यवस्था-उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कृषि उत्पादन में भी विस्तार होना चाहिए। जब कृषि-क्षेत्रों का विस्तार किया जाता है तो इस क्षेत्र में सरकार प्राप्त जन-समुदाय में कृषि-उत्पादों की माँग में वृद्धि हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में कृषि-क्षेत्र का विकास आवश्यक होता है। इनके अतिरिक्त घर-कृषि-क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का पर्याप्त माँग कृषि-क्षेत्र से तब ही प्राप्त हो सकता है जब कृषि-क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार हो। इस प्रकार विकास विनियोजन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें समझनी चाहिए—

अल्प-विकसित राष्ट्रों में पूँजी निर्माण में वृद्धि करने के उपाय

अल्प-विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में सुदृढ़ प्राप्ति करने के लिए विनियोजन की दर में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक होता है क्योंकि बहुत ही जल्द जनसंख्या उत्पादन की आवाज वृद्धि का प्रयत्न कर सकती है और विनियोजन में विशेष वृद्धि करने हेतु साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। पूँजी निर्माण में असाधारण वृद्धि करने हेतु उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि होती है जिससे प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि हो जाता है। जनसाधारण की आय में पर्याप्त वृद्धि होने पर ही दक्षता की बढ़ती सम्भव हो सकती है और विनियोजन-वृद्धि की निरन्तरता प्रदान हो सकती है। दक्षता की मात्रा में वृद्धि उत्पादन-वृद्धि के अतिरिक्त उपभोग के स्तर का कम करने भी की जा सकती है। विकास की आर्थिक प्रक्रिया में विनियोजन की दर को बढ़ाने के लिए अर्थ-व्यवस्था में उपलब्ध साधन पर्याप्त न होने के कारण विदेशी पूँजी का उपयोग किया जाता है। अल्प-विकसित राष्ट्रों में उपभोग के वर्तमान स्तर का और कम करना सम्भव नहीं होता क्योंकि यह स्तर पहले से ही अत्यन्त कम होता है और देश की सरकार द्वारा राजस्व-विवेक एवं असाधारण-सम्बन्धी विचारधारकों के कारण इसे और कम नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि करने के लिए विदेशी पूँजी का उपयोग अतिरिक्त मात्रा में नहीं हो सकता है क्योंकि विदेशी पूँजी प्राप्त करने के रूप में निरर्थक है जिसकी व्याज-दर की लागत अधिक होती है और व्याज की मूलभूत या गारंटी करने के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है जिसका पर्याप्त अवनयन करना अल्प-विकसित राष्ट्रों को अत्यन्त कठिन होता है। इनके अतिरिक्त विदेशी पूँजी की उपस्थिति निरिच्छत नहीं रहती और उनके साथ राजनीतिक एवं आर्थिक घर्षण उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थितियों में अल्प-विकसित राष्ट्रों की अपने आर्थिक पुनर्रचना के लिए अपने ही साधनों पर प्रायः निर्भर रहना पड़ता है। इन राष्ट्रों में पूँजी निर्माण की वृद्धि के लिए अतिरिक्त कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं—

(१) विद्यमान उत्पादन-क्षमता का सम्पूर्ण उपयोग—जहाँ व्यवस्था में विद्यमान क्षमता का पूर्णतम उपयोग करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था का जानना

चाहिए। अल्प विनाश का सबसे प्रमुख कारण अल्प विकसित अथ ववस्थाओं में उत्पादन के विभिन्न घटकों का वृद्धिपूर्ण सम्मिश्रण होता है। वर्तमान पूँजी-स्वयं का पूणतया उपयोग इसलिए नहीं हापाता है कि इन देशों में कुशल थम एवं प्रवच की पर्याप्त उपलब्धि नहीं होना है। इसके अतिरिक्त विपणन अपूणताओं (Market Imperfection) के कारण उत्पादन के उपलब्ध घटकों का पूणतया उपयोग करना सम्भव नहीं होता है। अल्प विकसित अथ व्यवस्थाओं की एक बड़ी विपयता यह है कि इनमें पूँजी का हानता और उपलब्ध पूँजी स्वयं का आर्थिक उपयोग होना एक साथ पाय जाते हैं। पूँजी उत्पादन का एक घटक होता है और उसका उत्पादन उपयोग करने के लिए अथ सहायक उत्पादन के घटकों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक होता है। यह बात उत्पादन के अन्य घटकों पर लागू होती है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन के घटकों के वर्तमान सम्मिश्रण में पर्याप्त समायोजन करके उत्पादन में वृद्धि करना सम्भव हो सकता है और इसके लिए विनियोजन में विपणन वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती है।

(२) कुशल तांत्रिकताओं का उपयोग—अथ व्यवस्था में सुधरा हुई तांत्रिक-ताओं का विस्तृत उपयोग करके थम की उत्पादकता बढ़ायी जा सकता है और देश का अथ व्यवस्था के वास्तविक साधनों का काम उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। नवीन तांत्रिकताओं का उपयोग करने के लिए इन तांत्रिकताओं को विदया से लेना आवश्यक हो सकता है और इनके उपयोग के लिए विदया पूँजीगत प्रसाधनों एवं तांत्रिक ज्ञान का आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इन तांत्रिकताओं का अनुकूल आर्थिक एवं सामाजिक संस्थाओं का निर्माण भी आवश्यक होता है। इस सब काम में विदया पूँजी की आवश्यकता होती है।

(३) थम शक्ति का अधिकतम उपयोग—अल्प विकसित एवं विकसित राष्ट्रों के थम की उत्पादकता के अन्तर का प्रमुख कारण विकसित राष्ट्रों के कुशल पूँजीगत प्रसाधन एवं तांत्रिकता हैं। परन्तु अल्प विकसित राष्ट्रों की थम की उत्पादकता पर उनके सीमित ज्ञान एवं शिक्षा तथा अधिक परिश्रम से काम न करने की दृष्टि भी उत्पादकता को प्रभावित करती है। थम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अल्प विकसित राष्ट्रों में समाज संस्थाओं में स्वास्थ्य शिक्षा एवं वृत्तान्तिक तथा तांत्रिक अनुसंधान में बड़ा मात्रा में विनियोजन करने की आवश्यकता है। परन्तु कृषि उद्योगों का निर्माण आदि थम की उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हो सकता है यदि थम अपने कृत्यों के प्रति अधिक जागरूक हो और अपना ज्ञान अधिक परिश्रम एवं ईमानदारी से करने के लिए उपयुक्त हो।

(४) साहित्यिक श्रियाओं का विस्तार—पूँजी निर्माण का वृद्धि में साहित्यिक श्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि साक्षात् वह शक्ति होता है जो उत्पादन के विभिन्न घटकों को एकत्रित करके उत्पादन श्रियाओं का विस्तार करता है। साहित्यिक

शिक्षकों का विचार करने के लिए कृत्रिम विनियम सम्पत्तियों की स्थापना तथा ग्राहकों के प्रोत्साहन के अनुकूल आर्थिक नीति का संचालन आवश्यक होता है।

(५) विदेशी महादत्ता एवं विदेशी व्यापार—आधुनिक युग में पूँजीनिर्माण की प्रक्रिया में विदेशी महादत्ता एवं विदेशी व्यापार का अत्यधिक महत्व है। उन्हें नो देश पूँजी प्रसाधनों का विदेशों में जापान किए बिना जबरन उत्पादन एवं उत्पादनमूल्य में पर्याप्त वृद्धि नहीं कर सकता है। विदेशी व्यापार के लिए विदेशी विभिन्न ही आवश्यकता होती है जिसका जतन जल्द मान में विदेशी उत्पादन व शीघ्र प्रतिक्रिया रूप में विदेशी व्यापार द्वारा ही सम्भव हो सकता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण बहाल, जिनका निर्माण न हो सके वगैरह न जतन ही सम्भावना का जब विदेशी विभिन्न ही जतन किया जाता है ताकि आर्थिक दबत की वृद्धि का कारण हो जाता है जो इसके द्वारा पूँजीय प्रसाधन एवं आर्थिक ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से वृद्धि हो सकती है जिससे पूँजी निर्माण की प्रक्रिया का आर्थिक ज्ञान हो सकता है।

(६) आर्थिक दबत में वृद्धि—एक सम्बन्ध में कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है कि पूँजी निर्माण में वृद्धि करने का सर्वश्रेष्ठ साधन आर्थिक दबत होता है। आर्थिक दबत में वृद्धि करने के लिए जो आवश्यकताओं की आवश्यकता है, उनका विवरण दबत के स्तर में दिया जा चुका है। परन्तु आर्थिक दबत का बढ़ने से निम्न विचार कार्य-कारिणी की जा सकती है। आर्थिक दबत का बढ़ने से सम्बन्ध में आर्थिक गति-शीलता बढ़ाने की आवश्यकताओं का विचार ऐसा चाहिए जिससे उत्पादनात्मक प्रक्रिया व्यवसायों को प्रारम्भ करने से दबत द्वारा आवश्यक साधन सम्पन्न करने का व्यवस्था है। दबत करने की इच्छा सम्बन्ध के विभिन्न वर्गों के सुसामान्य आनन्द-रूप का भी निर्माण रहती है। अनुभव के उपरान्त पर प्रदान-प्रदत्त का विचार प्रभाव प्रभाव है जहाँ यह करने ज्ञान-बात के उपरान्त का जो स्तर देखा है उनके अनुभव प्रभाव भी करता जाता है। ऐसी परिस्थिति में दबत की इच्छा करने के लिए जहाँ प्राप्त प्राप्त करने वाले वर्गों के उपरान्त की प्रतिबन्धित करना आवश्यक होता है। ऐसी प्रकार उच्च सम्पत्तियों के स्तर में उपरान्त की इच्छा बढ़ती है। यदि शक्तिओं में विदेशी सम्पत्तियों के प्रति निर्वासन हो तो यह अपनी दबत की उच्च स्तर के लिए कम इच्छा होती है। दबत करने की इच्छा देश की सामर्थ्य-सम्पत्ता एवं सम्पत्ता का भी निर्माण रहती है।

(७) ज्ञान बेरोजगारी एवं पूँजी निर्माण—जहाँ में इन विचार का प्रति-पादित किया कि ज्ञान विकसित राष्ट्रों की उच्च बेरोजगार-प्रभाव सम्पत्ति पूँजी-निर्माण का सम्भावित साधन होती है। उनके अनुसार उच्च बेरोजगार-प्रभाव में निम्नलिखित स्तर होत हैं—

(अ) उच्च स्तर की सामान्य उत्पादकता शुरू होती है जहाँ उच्च स्तर के व्यवसायों से उच्च ज्ञान एवं व्यवसाय के उच्च स्तर में कोई कमी नहीं होती है।

(आ) अदृश्य बेरोजगार थम म प्राय परिवार के सदस्य सम्मिलित होन हैं और मजदूरी पान वाला थमिक बग इमम नहऱा आता है ।

(इ) इस थम को कार्द व्यक्तिमन पहचान नही हऱा सकतो है क्यऱकि इसका उल्लेख बेरोजगार थम म नही किया जाता है ।

(ई) यह थम मौसमी बेरोजगार थम स भिन्न होना है । मौसमी बेरोजगार थम जलवायु के परिवर्तन क कारण बप क किसी विनेप माल म ही उदित हुता है ।

(उ) अदृश्य बेरोजगार उद्योगप्रधान राष्ट्रऱा क औद्योगिक बेरोजगार स भिन्न होना है । विकसित राष्ट्रऱा म औद्योगिक बेरोजगार थम अस्थायी रूप से अपन बेरोजगारी क काल म ज ब उठे भोगे काय करता है और जस हऱा औद्योगिक वस्तुधो की माँग म वृद्धि होती है यह अपन पुरान उद्योगो का खऱा जाता है । दूसरा बऱर अपन विकसित राष्ट्रऱा म अदृश्य बेरोजगार थम गति की बाहुल्यता क कारण स्थायी रूप से अपन पारिवारिक व्यवसाय विनेपकर वृष्टि म लया रहना है ।

अल्प विकसित राष्ट्रऱा म समस्त थम गति का लगभग २५% भाग अदृश्य बेरोजगार होना है । नक्रमे के अनुमानानुसार दक्षिण पूर्वी योरोप म अदृश्य बेरोजगारों का परिमाण १५% से २०% और दक्षिण-पूर्वी एशिया म यह परिमाण लगभग ३०% है । नक्रमे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रऱा का अतिरिक्त थम बचन का अदृश्य सम्भाविण साधन होता है । इम मायता को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । मान लिया कि किसी ग्रामीण समाज म १०० थमिकों को रोजगार प्राण्य है जिनम से २५ थमिक आवश्यकता से अधिक है जसनि १०० थमिकों द्वारा जितनी मात्रा उत्पादित की जाता है उतनी ही ७५ थमिका द्वारा की जा सकती है । स्पष्टीकरण को सरल करने क लिए यऱ भी मान लते हैं कि १०० थमिक जो उत्पादन करते बह समस्त उत्पादन मऱ १०० थमिक उपभोग कर लेते हैं । अतऱ यदि २५ थमिका का हऱाकर कि ऱी पूजा परिव्याजनाओ म लया दिया जाय ऱेर बचे हुए ७५ थमिका का उपभोग स्तर पहन क समान ही रह सऱा हऱा हूँ थमिका द्वारा उपभोग हुान बाल उत्पादन का हस्तांतरण ऱकीय व्यवसायऱा म किया जा सकता है और हऱे हुए थमिक इमका उपभोग नकीय व्यवसायऱा म काय करने हुए कर सकन हैं । इस प्रकार इन हऱे हुए थमिका द्वारा जा पूँजी प्रसाधन उत्पादिण किय जायेंग उनक द्वारा अथ-व्यवस्था की पूजा स वृद्ध वृद्धि हांगी । इम परिस्थिति म ग्रामीण क्षेत्र क कुल उपभोग म कमी हांगी परन्तु प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर बचावन रहेगा और विनियोजन-स्तर म उपभोग-स्तर का कम किय बिना ही वृद्धि हो सकेगी ।

अतिरिक्त थम के पूँजी अनुदान की मात्रा प्राणीण क्षेत्र ने उपभोग-स्तर की स्थिरता पर निर्भर रहगी । यदि ग्रामीण क्षेत्र म रह जा बाले थमिक बग का उपभोग स्तर बढ जाता है और हस्तांतरित हुए थमिको का भी उपभोग-स्तर बढ

जाय ता वचन एव विनियोजन की सम्भावित वृद्धि में कमी हो जायगी। दूसरे तौर, ह्युलान्तरित श्रमियों द्वारा पूर्ण-परिष्कारनाओं में कार्य देने के लिए यदि कुछ मात्रा पूर्णता प्रशासकों के अन्तर्गत करनी पड़े तो इस कारण से भी वचन एव विनियोजन की सम्भावित वृद्धि कम हो जायगी। इस प्रकार अत्यन्त बचतपूर्ण अथवा पूर्ण-परिष्कारना हेतु अधिकतम अनुदान प्राप्त करने के लिए श्रमियों के अन्तर्गत-कार्य का श्रमियों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भार तथा भार-व्यय का अनुदान द्वारा रोचना आवश्यक होगी। ह्युलान्तरित श्रमियों का आकांक्षित औद्योगिक उत्पादन का साधन प्रदान करने हेतु पर्याप्त विचार साधन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

नतीचे के अतिरिक्त श्रम की पूर्णता निर्माण के साधन मध्य में उपलब्ध करने की मायता सिद्धान्तगत से उचित प्रतीत होती है परन्तु इसके सिम्बलिज्ड आर्थिक परिणामों का है—

(क) श्रम के पर्याप्त पर्याप्त निर्यात साधन, अथवा एक आकांक्षित रूप से अतिरिक्त श्रम का कार्य प्रदान करने हेतु विश्व बैंक द्वारा पूर्ण-परिष्कारना के लिए धन चाहिए। यदि अतिरिक्त श्रम को कार्य देने वाली परिस्थितियों का आनीक श्रेणियों के समीप ही स्थानित किया जाय तो पर्याप्तता की मायता कम हो सकती है परन्तु इनकी संचालन-साधन उत्पादन के अनुपात में अधिक हो जायगी। इसके अतिरिक्त श्रमियों को उनके परम्परागत व्यवसायों एवं निवास-स्थानों में रहना ही चाहिए और जब तक कि उन्हें आकर्षक अवसरों-द्वारा एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान न की जायें। इन श्रमियों को व्यवस्था से नवीन विनियोजन की कृत्त मायता में वृद्धि हो जायगी और उत्पादन अनाधिक हो सकता है।

(ख) श्रम विद्युत्-शक्ति में नवीन परिवर्तनों के निर्माण हेतु एवं उत्पादन को बढ़ाने के रोक्ने के लिए कठोरता करना आवश्यक नहीं होता है क्योंकि इन श्रमियों का अन्तर्गत अनुदान होता है और आनीक समान पर अन्तर्गत श्रमों के आर्थिक समस्याएँ दूर होती हैं। साथ ही अतिरिक्त श्रम की आनीक श्रेणियों से हटने के प्रयासों का भी आनीक समान द्वारा आर्थिक एवं आन्तरिक विचारों के आधार पर विरोध किया जाता है।

(ग) अतिरिक्त श्रम करने के अवसरों में अन्तर्गत परिवर्तनों के कारण बंधा रहता है और इसके कुछ भी मात्रा को विचारित एवं अन्तर्गत श्रमियों द्वारा नवीन व्यवसायों में आनीक सम्भव नहीं होता है। यह भी सम्भावना है कि ह्युलान्तरित होने वाले श्रमों के साथ ही सम्मिलित हों जो अन्तर्गत निधन हों और अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत पून हो। इस प्रकार ह्युलान्तरित श्रम के आनीक श्रेणियों में अन्तर्गत की वचन पून मात्रा में होगी और सम्भावित वचन इसके अनुसंधान के कारण अन्तर्गत कम होगी। अतिरिक्त श्रम के अन्तर्गत से अन्तर्गत मन्त्री द्वारा भी सम्भव हो

सकती है क्योंकि जब तक ग्रामीण जनसमूह के उपभाग स्तर में वृद्धि नहीं का जाती है वह उत्पादन के चरमान स्तर को बनाये रखने में अनमथ हो सकता है।

(ई) जब अनिश्चित भ्रम को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में हस्तान्तरित किया जाता है तो नागरिक जीवन का प्रभाव उस पर पठना आवश्यकभावी होता है और यह मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता कि हस्तान्तरित भ्रम अपने पुराने उपभोग-स्तर को ही बनाये रखेगा। इस भ्रम को उपभाग करने की इच्छा अधिकांश क्षत्रीय जो आय वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जायगी और सम्भावित बचन का काम कर दगी।

(उ) ग्रामीण क्षेत्रों से हस्तान्तरित हानि वाले श्रमिक वर्ग में उत्पादकता के गुणा का अभाव होता है। ऊँह नवीन व्यवसायों में लगाने के गहन प्रशिक्षण एवं निराक्षण का आवश्यकता होगी और इनके द्वारा उत्पादन भी कम मात्रा में किया जायगा। हस्तान्तरित हानि वाले श्रम में प्रायः ऐसे लोग सम्मिलित होंगे जिनकी उत्पादन क्षमता शीघ्रतः कम होगी और इनके द्वारा अधिक उत्पादकता की सम्भावना करना उचित नहीं होगा। इन श्रमिकों को जितनी प्रमाणात्क उत्पन्न के लिए उपयोग करना सम्भव नहीं होगा और यदि उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार व्यवसायों में राजगार प्राप्त किया जाय तो अन्य व्यवस्था का जिन पूजागत प्रसाधनों का आवश्यकता होगी उनका उत्पादन सम्भव नहीं है। हा सवेगा और आर्थिक प्रगति का गति को तांत्रना प्रदान करना सम्भव नहीं होगा।

अहम्य वेरोजगारों का उपयोग पूँजी निर्माण हेतु करने में उपयुक्त व्यावहारिक परिस्थानों होते हुए भी इस भ्रम का सर्वथा उपवास करना अत्यन्त आवश्यक होता है। विकास के प्रारम्भिक काल में अन्य व्यवस्था के विद्यमान साधनों का ही पूजनम उपयोग करने का आवश्यकता होती है और अहम्य वेरोजगार भी उत्पादन का एक घटक होता है जिसका पूजनम उपयोग करके विकास के लिए योगदान प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में पूँजी निर्माण—भारत में अत्यन्त विकसित राष्ट्रों के समान विनियोजन का वृद्धि कम रही है। भारत के नियोजनकाल के पूर्व के तीन वर्षों (अर्थात् सन् १९४६-४९, १९४९-५० तथा सन् १९५०-५१) में समस्त विनियोजन राष्ट्रीय आय का लगभग ५.३% था। प्रथम योजना के प्रारम्भ में विनियोजन की दर में वृद्धि हुई और सांख्यिक क्षेत्र के विनियोजन का समस्त विनियोजन में बढ़ता गया है। सन् १९५०-५१ वर्ष (प्रथम योजना के प्रारम्भ के पूर्व का वर्ष) में समस्त विनियोजन से सांख्यिक विनियोजन का भाग ३३% था जो सन् १९५२-५४ में बढ़कर ४२% हो गया। प्रथम योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति औसत विनियोजन १७ रु० प्रति व्यक्ति था जबकि यह औसत सन् १९५०-५१ में १५ रु० था।

द्वितीय योजनाकाल में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में मिलाकर कुल विनियोजन ६७,६० करोड़ रुपये हुआ। प्रथम दो योजनाओं के संचालन के फलस्वरूप इस वर्षों

में विनियोजन १०० करोड़ रुपया प्रति वर्ष से बढ़कर द्वितीय योजना के अन्त तक १६०० करोड़ रुपया प्रति वर्ष हो गया। इसी काल में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल विनियोजन में मात्र २०० करोड़ रुपया से बढ़कर ८०० करोड़ रुपया प्रति वर्ष हो गया। तृतीय योजनाकाल में कुल विनियोजन ११७० करोड़ रुपया द्वारा जिसमें से ७१८० करोड़ रुपया सार्वजनिक क्षेत्र में ४१६० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में हुआ। इस प्रकार सन् १९६६-६७ १९६७-६८ एवं सन् १९६८-६९ वर्षों में कुल विनियोजन क्रमशः २८०१, ३०६७ तथा ३१८६ करोड़ रुपया होने की सम्भावना है। इन वर्षों में यह स्पष्ट होता है कि नियोजित व्यय-व्यवस्था के १८ वर्षों में विनियोजन १०० करोड़ रुपया प्रति वर्ष से बढ़कर सन् १९६८-६९ की वार्षिक योजना के अन्त तक ३१८६ करोड़ रुपया प्रति वर्ष हो गया है जहाँ विनियोजन की वार्षिक राशि में मात्र तुली से भी अधिक वृद्धि हो गयी है।

भारतवर्ष में पूँजी निर्माण का परिमाण एवं दर निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट की गयी है—

तालिका म० ११—भारत में पूँजी निर्माण^१
(१९६०-६१, १९६७-६८ से १९६६-७० तथा १९७१-७४)

(१०० करोड़ रुपया में १९६०-६१ के सूचकांक पर)

वर्ष	१९६०-६१	१९६७-६८	१९६८-६९	१९६९-७०	१९७०-७१
१ राष्ट्रीय आय	१०४५	१७५८	१८३७	१९४७	२४५३
२ सकल आवंटित उत्पादन	१५७२	१९६७	२१११	२२६३	२८१०
३ सकल पूँजी निर्माण	२३४	३७०	३५०	३८५	४४०
४ सकल पूँजी निर्माण का सकल उत्पादन से प्रतिशत	१५.५	१६.१	१६.५	१७.२	१६.३
५ सकल पूँजी निर्माण का राष्ट्रीय आय से प्रतिशत	१७.७	१८.७	१९.१	१९.८	२१.६

इस तालिका में १९६०-६१ एवं १९६७-६८ के वार्षिक आंकड़े एक साथ वर्षों के आयोजनों का विवरण दिया गया है। सन् १९६०-६१ से सन् १९६७-६८ तक के तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय में २०% और सकल पूँजी निर्माण में २७% की वृद्धि हुई है। शीघ्र पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूँजी-निर्माण भी दर का बढ़कर राष्ट्रीय आय का २०% से भी अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक प्रगति

[Foreign Trade and Economic Development]

[विदेशी व्यापार एवं राष्ट्रीय आय में सम्बन्ध विदेशी व्यापार एवं अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रगति अल्प विकसित राष्ट्रों में विदेशी व्यापार सम्बन्धी समस्याएँ—निर्यात सम्बन्धन सम्प्रदाय की समस्याएँ आयात-सम्बन्धी समस्याएँ, व्यापार की शक्तें एवं आर्थिक प्रगति, भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक प्रगति]

अर्थ-व्यवस्था में व्यापार की प्रगति से आर्थिक प्रगति भी प्रभावित होती है। व्यापार द्वारा नवीन वस्तुओं का परिषय जनसमुदाय का होता है और वह उसकी माँग करने लगता है। व्यापार के विस्तार से एक ओर बड़े पैमाने का उत्पादन का प्रोत्साहन मिलता है और दूसरी ओर उत्पादन क्रियाओं में विनिष्ठीकरण का महत्व बढ़ जाता है। प्राचीन अर्थ-व्यवस्था में प्रायः छोटी छोटी इकाइयों की भाँति निभरता पर अधिक ध्यान दिया जाता है और प्रत्येक परिवार याति जयवा प्राप्त अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुएँ स्वयं पूरा किया करते थे। इस आत्म-निभरता के बानाकरण में जनसमुदाय को उही वस्तुओं का उपभोग एवं उत्पादन करके का अवसर मिलता था जिसे वह अपने उपलब्ध माध्यम से उत्पन्न कर सकते थे। कुछ ऐसा अनिवाय वस्तुओं का भी उत्पादन करना होता था जिनमें उस ग्राम या क्षेत्र में उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं जिसके परिणामस्वरूप साधना का अधिक व्यय होता है। व्यापार की प्रगति के साथ साथ इस प्रकार का आत्म-निभरता समाप्त हो जाती है और प्रत्येक क्षेत्र अपनी शक्ति उही वस्तुओं के उत्पादन में विनिष्ठीकरण प्राप्त करता है जिनके लिए उमक पास सर्वोत्तम सुविधाएँ हैं। प्रत्येक क्षेत्र इस प्रकार कुछ चुनी हुई वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में करता है और कुशल उत्पादन के लिए श्रम विभाजन का उपयोग किया जाता है। श्रम विभाजन से विनिष्ठीकरण होता है और विनिष्ठीकरण में अधिक कुशल मशीनों का आविष्कार और इन आविष्कारों से पान एवं पूँजी में वृद्धि होती है और यह दोनों घटक इन रूपों में आर्थिक प्रगति में सहायक हान हैं। बढ पमाने के उत्पादन एवं व्यापार का उन्नति के फलस्वरूप नवीन बाजारों का खोज करने की आवश्यकता होती है और नये बाजार स्थापित किए जाने हैं परन्तु व्यापार की उन्नति में आधुनिक युग में मानव द्वारा बहुत से प्रतिबंध आयात निषेधन-कर प्रयुक्त आदि के

रूप में लगाए गए हैं जिसमें एक देश के दूसरे को म तथा एक क्षेत्र न दूसरे क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार नहीं हो सकता। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्रत्यक्ष विनिर्मित राष्ट्र-मदल मशीनें व सामग्री आदि विदेशों से प्राप्त नहीं करती, बल्कि तांत्रिक सहायता की विदेशों से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार आयात के विस्तार में आर्थिक प्रगति में सहायता होती है।

विदेशी व्यापार एवं राष्ट्रीय आय का सम्बन्ध

विदेशी व्यापार एक राष्ट्र की आय की सम्बन्धता एवं परिमाण का एक अच्छा सूचक होता है। एक देशों एक दूसरे व वास्तव एवं प्रभाव प्राप्त है जहाँ एक में कुछ परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन हो जाते हैं। अब किसी एक राष्ट्र में (जिसमें राष्ट्रीय आय का विदेशी व्यापार में अभाव अनुत्पन्न प्रत्यक्ष अनुत्पन्न है) निर्यात में वृद्धि होती है और आयात घटावत रखा जाता है तो एक देश का वस्तुओं का विदेशों में माँग बढ़ जाती है और इस प्रकार विनियोजन-स्तर में वृद्धि होने लगती है जिससे परिणामस्वरूप आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। विदेशी व्यापार में प्राप्त होने वाली शुद्ध अथवा संचयन का प्रति निर्यात एवं आयात का मूल्य का अंतर का प्रभाव होती है और जब निर्यात आयात में अधिक होता है तो यह आर्थिक की प्रति विनियोजन का प्रभाव होती है। इस प्रकार किसी अर्थ-व्यवस्था का कुल विनियोजन किसी निश्चित काल में प्राप्ति के विनि-योजन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आर्थिक की जाटकर प्राप्त किया जाता है। अर्थ-व्यवस्था की प्राप्ति बचत (Realized Savings) आन्तरिक एवं विदेशी विनियोजन के बराबर होती है। जब अर्थ-व्यवस्था में विदेशी भुगतान नेत्र में प्रतिरक्त होता है तो अतिरिक्त विनियोजन होने का आर्थिक होता है और अर्थ-व्यवस्था का विस्तार होता है। दूसरी ओर भुगतान नेत्र की हीनता होने पर बचत का अधिकार होता है और अर्थ-व्यवस्था में अनुत्पन्न का वातावरण विद्यमान होता है। निर्यात प्राप्ति का प्रभाव जहाँ जहाँ अतिरिक्त विनियोजन होता है तो यह अतिरिक्त विनियोजन का साधारण की आय एवं न्यून देशों में वृद्धि कर देता है। इस प्राप्ति का आय में वृद्धि होने से अधिक निर्यात-आयात की इच्छा मुहूर्त होती है और निर्यात-प्रतिरक्त में अंतर होने वाले आर्थिक विस्तार में आयात वृद्धि की सीमा तक नमी हो जाती है।

दूसरी ओर राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि विदेशी व्यापार की प्रभावित करती है। आर्थिक प्रगति द्वारा अर्थ-व्यवस्था की उत्पादनक्षमता में वृद्धि होती है। अपने साथ, आर्थिक प्रगति का अन्तर्गत या अतिरिक्त विनियोजन किया जाता है जहाँ आय में वृद्धि होती है जो आयात-वृद्धि का प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार अतिरिक्त विनियोजन द्वारा आयात एवं निर्यात में अनुत्पन्न अथवा प्रतिरक्त वृद्धि हो सकती है। ऐसे राष्ट्र जिनमें बचत की दर अधिक हो, पूँजी की उत्पादनता का अनुत्पन्न अधिक तथा विदेशी व्यापार में नेत्र अनुत्पन्न हावर उत्पादनक्षमता में अर्थिक दर में वृद्धि करने

में समर्थ होते हैं। दूसरी ओर अल्प विकसित राष्ट्रों में जहाँ जनत की दर कम और विदेशी व्यापार का प्रतिवृत्त क्षेत्र होता है विदेशी व्यापार द्वारा उत्पादनक्षमता में सीमित वृद्धि होती है। इन राष्ट्रों में यदि नवीन विनियोजन आयात-वृद्धि के बराबर होता है और आंतरिक विनियोजन का प्रसार ऐसा होता है कि इसमें उदय होने होने वाली मौद्रिक आय उत्पादनक्षमता की वृद्धि के अनुरूप होती है तो आर्थिक प्रगति का व्यापार क्षेत्र पर प्रतिवृत्त प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु जब विनियोजन इस सीमा में अभिन्न होता है तो निर्यात में आयात के अनुस्यू वृद्धि होता सम्भव नहीं होता है और व्यापार क्षेत्र पर प्रतिवृत्त प्रभाव पड़ता है।

विदेशी व्यापार का अल्प विकसित राष्ट्रों के विकास से सम्बन्ध

सामान्य ममान्त विकसित राष्ट्रों का आर्थिक प्रगति का इतिहास हमें यान का साक्ष्य है कि विदेशी व्यापार का विस्तार आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। कम की खोकर सभी विकसित राष्ट्रों में विदेशी व्यापार एवं राष्ट्रीय आय में एक साथ वृद्धि होती रही है। कम की सरकारी नानि एवं साधना की बाहुल्यता के कारण विदेशी व्यापार को अपना पूरा सागणन मन का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अल्प विकसित राष्ट्रों में विदेशी व्यापार पूजा निर्माण की दर में वृद्धि करने में सहायक होता है। इन राष्ट्रों में प्रति प्रति आय एवं उपसाय युक्त स्तर पर होने के कारण पूजा निर्माण हेतु उपभोग स्तर को और कम करना सम्भव नहीं जाना है। ऐसा परिस्थिति में निधनता युक्त उत्पादन युक्त धवन एवं विनियोजन एवं आर्थिक पिछड़पन के दूषित चक्र का तोड़न के लिए विदेशी पूजा एवं सहायता की आवश्यकता होती है। यदि यह विदेशी पूजा एवं सहायता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तो निर्यात आय में वृद्धि करना अनिवाय होता है। निर्यात आय में वृद्धि करने ही अल्प विकसित राष्ट्रों में पूजा प्रसाधन एवं आर्थिक ज्ञान विदेशी से आयात कर सकने हैं जिनके उपसाय द्वारा ही आर्थिक प्रगति एवं आंतरिक पूजा निर्माण को सहायता मिल सकता है। विदेशी व्यापार का विस्तार से अल्प विकसित राष्ट्रों के उत्पादन की प्रभावशाली सीमा में वृद्धि होती है और इन राष्ट्रों को समार के बड़े बाजारों में प्रवेश मिलता है।

अल्प विकसित राष्ट्रों को अपने निर्यात मवदन हेतु एक या दो विद्यमान उद्योगों का ही विस्तार करना होता है क्योंकि इन राष्ट्रों में नवीन अभिनता का उपयोग एवं नवीन वस्तुओं का उत्पादन करना विकास की प्रारम्भिक अवस्था में सम्भव नहीं होता है। एक या दो उद्योगों का उत्पादन का नियमित बनी मात्रा में करके जो विदेशी विनियम अर्जित किया जाता है, उसने द्वारा दूसरे उद्योगों का विकास एवं विस्तार के लिए आवश्यक पूजा प्रसाधन आयात किया जा सकते हैं। इस प्रकार निर्यातप्रधान (Export Oriented) उद्योगों का विकास एवं विस्तार से अल्प उद्योगों के विकास एवं विकास के लिए साधन एवं प्रसाधन उपलब्ध होता है और यह निर्यात प्रधान उद्योग विकास प्रेरक केन्द्र बन जाते हैं जिनसे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था गतिमान हो

जाती है। नियोजनप्रधान उद्योगों के विस्तार के लिए उपरिब्यय सुविधाओं (Overhead Facilities) की व्यवस्था की जाती है। उनका नाम नवीन उद्योगों का भी प्राप्त होता है और नवीन व्यवसायों की स्थापना के लिए प्रासाहन प्राप्त होता है। उद्योगों के उत्पादों में क्रिस्टल में नियोजनप्रधान उद्योगों का विस्तार इसलिए ही मका कि इनके उत्पादों की विदेशों में माँग बढ़ गयी थी और विदेशों में बच्चा मान एक ग्राहक-वर्गों का आयात करना सम्भव हो सका। क्रिस्टल का इस विकास प्रक्रिया का ज्ञान नए राष्ट्रों को भी प्राप्त हुआ जिनके साथ क्रिस्टल के व्यापार का विस्तार हुआ। इन देशों में क्रिस्टल की बस्तुओं के प्रयोग में आर्थिक प्रगति का प्रासाहित किया और क्रिस्टल द्वारा इनमें जा बने मानों में बच्चा मान आदि आयात किये गये उद्योगों से क्रिस्टल पूर्वजों इन देशों में प्रभावित हुई और विकास की प्रक्रिया गतिमान हो सकी। इन देशों में नया, अज्ञेयता (सूक्ष्म) सूक्ष्म तथा आस्ट्रेलिया व। इस प्रकार उद्योगों की गतिमान में विदेशों व्यापार में आर्थिक प्रगति का विस्तार विभिन्न राष्ट्रों में किया परन्तु दूसरी ओर भारत, चीन तथा उष्ण कटिबंधीय अफ्रीकी राष्ट्रों एवं मध्य अमेरिकी राष्ट्रों में विकास में विदेशों व्यापार पर्याप्त योगदान न दे सका। इन देशों में एक नए विकसित नियोजन-क्षेत्र या और उच्च स्तर ही, परम्परागत पिछड़ा हुआ आन्तरिक उत्पादन था। विदेशों व्यापार का ज्ञान केवल नियोजन क्षेत्र को ही प्राप्त हुआ क्योंकि यह प्रायः विदेशियों के हाथ में था और आन्तरिक क्षेत्र पर्याप्त अविकसित अवस्था में बना रहा। यदि भारत, चीन, मध्य अमेरिकी एवं उष्ण कटिबंधीय राष्ट्रों में राष्ट्रीय सरकारों हानों और आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण विकास में अनुकूल होता तो वहाँ की सरकारों नियोजन से उपलब्ध ज्ञान वाले माधुमों का उपयोग समस्त लक्ष्य व्यवस्था के विकास के लिए कर सकतों थी और इन देशों में विकास का प्रारम्भ लगभग १०० वर्ष पूर्व हो गया होता।

विदेशों व्यापार द्वारा अल्पविकसित राष्ट्रों के नागरिक विकसित राष्ट्रों के नागरिकों के सम्पर्क में आते हैं जिससे अल्प विकसित राष्ट्रों में जीवन स्तर में सुधार हुआ। सुगठन व्यवस्था तथा नियोजन के स्तर में वृद्धि का प्रसार हुआ है। इन सुधारों से सामाजिक एवं मानवीय पूर्णता का निर्माण होता है जो आर्थिक प्रगति के लिए विनियोजन एवं उत्पादन-वृद्धि के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं परन्तु यह लाभ भी देश के राजनीतिक एवं आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण पर निर्भर रहता है। विदेशों व्यापार से मिलने वाले प्राथमिक लाभों के वितरण के प्रकार पर आर्थिक प्रगति का गतिमान जाना निर्भर होता है। यह ज्ञान यदि विदेशों विनियोजकों को प्राप्त होता तो आर्थिक प्रगति में यह सहायक नहीं हो सकता है। यदि यह ज्ञान नियोजनप्रधान उद्योगों में कार्य करने वाले बड़े मजदूर-वर्ग एवं देश में माहुरियों का प्राप्त होता है तो विदेशों व्यापार का विस्तार आर्थिक प्रगति का आधार बन जाता है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में विदेशों व्यापार-सम्बन्धी समस्याएँ अभी तक के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि विदेशों व्यापार आर्थिक प्रगति

के लिए महत्वपूर्ण मांगलान प्रदान करता है। आधुनिक युग में इसीलिए अल्प विकसित राष्ट्रों में विदेशी व्यापार का विस्तार करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जाते हैं। विदेशी व्यापार का विस्तार करने के सम्बन्ध में इन राष्ट्रों को जिन समस्याओं को बटान करना पड़ता है उनकी विवेचना निम्न प्रकार की जा सकती है।

निर्यात संबद्ध न सम्बन्धी समस्याएँ

निर्यात आय एवं आन्तरिक विनियोजन में घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण प्रत्येक विकासशील राष्ट्र को अपने निर्यात बताना अनिवार्य हो गया है। इन राष्ट्रों में कुल निर्यात आय का बहुत छोटा सा भाग ही पूँजी निर्माण के लिए उपलब्ध होता है क्योंकि बालू निर्यात आय का बड़ा भाग नियमित आयात (निर्वाह आयात) एवं विदेशी ऋणों के मूलधन एवं यात्रा के गोचनार्थ उपयोग हो जाता है। ऐसा परिस्थिति में इन देशों में पूँजी निर्माण में वृद्धि करने के लिए निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक होता है परन्तु निर्यात संबद्ध न सम्बन्धित होने वाली समस्याएँ निम्न प्रकार हैं—

(अ) अल्प विकसित राष्ट्रों में आय की वृद्धि के साथ मशीनों और मशीनों की माँग प्रसाधना विनासिता की वस्तुओं एवं अन्य निम्न वस्तुओं की माँग बढ़ती जाती है और इनका आयात विकसित राष्ट्रों में बड़ी मात्रा में करना पड़ता है परन्तु विकसित राष्ट्रों में आय की वृद्धि के साथ साथ खाद्य-पशु एवं कच्चे माल की माँग में आय वृद्धि के अनुपात में नहीं होती है। खाद्य पशु एवं कच्चे माल अल्प विकसित राष्ट्रों को निर्यात होते हैं। इस प्रकार विकास के व्यापक वातावरण में अल्प विकसित राष्ट्रों के आयात में तीव्र गति में वृद्धि होती है परन्तु निर्यात में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं हो पाती है।

(आ) अल्प विकसित राष्ट्रों के विदेशी व्यापार पर विकसित अर्थ व्यवस्थाओं की आय में होने वाले वृद्धि परिकल्पनाओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्रों के निर्यातों का केंद्रीकरण कुछ ही विकसित राष्ट्रों में होता है और इनके निर्यात में प्रायः प्राथमिक उत्पाद ही सम्मिलित होते हैं। जिस देश में आर्थिक प्रगति का जितना ऊँचा स्तर होता है उतना ही अधिक उसके निर्यात में विभिन्नता पायी जाती है। अल्प विकसित राष्ट्रों में निर्यात का राष्ट्रीय आय से अनुपात भी अधिक होता है। इन परिस्थितियों में इनका निर्यात प्राप्त करने वाले देश में प्राथमिक वस्तुओं की माँग में जब कोई वृद्धि परिवर्तन होने है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव निर्यात करने वाले अल्प विकसित राष्ट्रों पर पड़ता है। इस प्रकार अल्प विकसित राष्ट्रों के निर्यात में उच्चतावधान होना स्वाभाविक होता है जो आर्थिक प्रगति के लिए पातक होने हैं।

(इ) विकसित एवं अल्प विकसित राष्ट्रों में जो औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन हो रहा है उसके द्वारा या अल्प विकसित राष्ट्रों के निर्यात पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ता है। विभिन्न राष्ट्रों में हल्के एवं लघुमाना उद्योगों का स्थान कृषि-निर्माण एवं आसन जलकारी उद्योगों का स्थान जा रहा है जिससे इन राष्ट्रों में प्राथमिक बच्चे मानव जागत की आवश्यकता कम जाती जा रही है। दूसरे प्रा, विभिन्न गीत राष्ट्रों में गीत जीवाजीकरण का अर्थव्यवस्था प्रभाव स्थान मानव है जिससे पदस्थान्य द्वितीय उद्योग (Secondary Industries) का विकास हो रहा है। यह उद्योग मन बच्चे मानवों का उपकार मानव है जो निर्यात व निर्यात उद्योग द्वारा है। इन प्रकार इन राष्ट्रों में उपमान्य-उद्योगों एवं उद्योग जीवाजीकरण उद्योगों के प्रभाव का स्थानो उपकारन व प्रतिस्थापन करने का आवश्यक नवाधिर प्राथमिक उद्योग है। इसका परिणाम यह होता है कि विकासशील राष्ट्रों के पास निर्यात में मानव मानव वाली उद्योगों की उपलब्धता नहीं है और निर्यात-उद्योग द्वारा निर्यात स्थिति विनिमय अर्थव्यवस्था बलिष्ठ हो गया है जिससे पदस्थान्य प्राथमिक उद्योग की भी काम करना पड़ता है जो विकास की गति का नद का रहा है।

(६) विकासशील राष्ट्रों में प्राथमिक उद्योगों एवं बच्चे मानव के निर्यात में बनने का मान पर उद्योग उद्योगों के निर्यात का बचाने के प्रभाव स्थान मानव है। इन उद्योगों में हल्के उद्योग-निर्माण उद्योग, विभिन्न उद्योग-उद्योगों एवं उद्योग उद्योग-निर्माण उद्योग मानव है। इनके निर्यात बचाने के लिए इन राष्ट्रों का विकास उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है और मन उद्योग पर मन उद्योगों का निर्यात बचाने की समता मानव हो भी यह राष्ट्र इनके निर्यात में वृद्धि करने में समर्थ उद्योग हैं। इन परिस्थिति का प्रभाव मानव यह है कि उद्योग के निर्यात उद्योग नद उद्योग मानव मानव में समर्थ न होने के कारण विभिन्न उद्योग एवं मानव द्वारा मानव मानव की उद्योग मानव है। विकास उद्योग बचाने मानव में विभिन्न उद्योग मानव करके उद्योग उद्योग निर्यात मानव में समर्थ मानव है जबकि विकासशील राष्ट्र जीवाजीकरण मानव मानव में समर्थ मानव के कारण उद्योग उद्योगों के निर्यात का बचाने में समर्थ नहीं होते हैं।

(७) उद्योग विकास उद्योगों की उद्योग-उद्योग उद्योग-निर्माण व मानव मानव मानव-वर्ग के प्रभाव न होने के कारण निर्यात द्वारा उद्योग विभिन्न मानव का उद्योग-निर्माण करने में समर्थ नहीं होते हैं। उद्योग विभिन्न विनिमय का पूंजीगत उद्योगों में विनियोजन करने के लिए विदेशों के भारी पूंजीगत प्रभावों एवं उद्योग मानव के मानव की आवश्यकता होती है। इन प्रभावों के कारण में उद्योग की मानव-निर्माण एवं विभिन्न विनिमय निर्यात की समर्थाने बाधाएं उद्योग-निर्माण करती हैं।

जागत-उद्योगी समर्थाने

जादिक प्रगति के लिए पूंजीगत एवं उद्योग-उद्योगों का बचाने मानव में मानव मानव मानव होता है। पूंजीगत उद्योगों की आवश्यकता मानव विनिमय मानव उद्योगों के लिए उद्योग उद्योग-उद्योगों की आवश्यकता मानव-निर्माण मानव में होने वाली वृद्धि के कारण होती है। मानव में उद्योग-निर्माण होने मानव उद्योग-निर्माण के

जाया, आन्तरिक साधना की उपरान्त विकास के स्तर तथा व्यापक वितरण के प्रकार पर निर्भर रहती है। यदि आर्थिक प्रगति के प्रारम्भ के साथ साथ श्रमिकों की मजदूरी को कुल राशि में वृद्धि होना है और जनसंख्या भा नीच गति में बढ़ना है तो साथ साथ ही जाया की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर यदि आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप उच्च आय वाले वर्ग का मौद्रिक आय में वृद्धि होती है तो जल्दी उपयुक्त वस्तुओं का जाया अथवा उत्पादन बढ़ाया जाता है। जब आर्थिक प्रगति के परिणामस्वरूप माँग में वृद्धि होती है तो विनियोजन वस्तुओं के जाया में वृद्धि सेवानुसार होना ही आवश्यकता होती है। अन्य विकल्पित अर्थ-व्यवस्थाओं में विकास के प्रारम्भ होने के साथ साथ जाया में निम्न कारणों से वृद्धि होती है—

(अ) अल्प विकसित राष्ट्रों में विकास के प्रारम्भ के साथ साथ जाया में वृद्धि का प्रकार में होती है। प्रथम विकास के अन्तर्गत स्थापित होने वाली विनियोजन परिधिप्रताओं के लिए पूजायत प्रसाधना के माध्यम से एक मौद्रिक माँग के जाया की आवश्यकता होती है। द्वितीय—विनियोजन के विस्तार के फलस्वरूप समाज का मौद्रिक आय में वृद्धि होता है जिससे फलस्वरूप अधिक उपयुक्त वस्तुओं का माँग उदय होता है जिसकी पूर्ति करने के लिए अधिक जाया की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता वस्तुओं की माँग में वृद्धि करारोपण के परिणाम पर निर्भर रहता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था के नियंत्रित करके उपभोक्ता वस्तुओं का माँग का अधिक तर्क अर्थ-व्यवस्था में होता है और जाया वृद्धि केवल विनियोजन वस्तुओं का ही होती है।

(आ) अल्प विकसित राष्ट्रों में उत्पादन के कुल घटका का वास्तविक (विशेषकर श्रम का) और कुल अर्थ-घटक। जैसे पूजा की कमा होती है। पूजा की मात्रा में वृद्धि करके अर्थ-व्यवस्था के उपयोग में साथ साथ उत्पादन के घटका का उपयोग करके उत्पादन में साथ गति में वृद्धि की जाती है। जब तक उत्पादन के समस्त घटका का पूणतम उपयोग नहीं हो जाता यह विकसित जारी रहता है। इस विधि को जारी रखने के लिए विनियोजन वस्तुओं का जाया आवश्यक होता है। इस कारण उपयोग में आने वाले माध्यमों का जब तक पूण उपयोग नहीं होना जाता जाया में वृद्धि होती रहती है।

(इ) अल्प विकसित राष्ट्रों में सरकार द्वारा आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु अधिक शक्ति होती जाती है और बड़े विकास के साथ गति प्रदान करने के लिए मुद्रा प्रसार से प्रेरित विनियोजन के बड़ी मात्रा में उपयोग करने को प्रोत्साहित करती है। मुद्रा प्रसार से प्रेरित विनियोजन-वृद्धि के फलस्वरूप समाज का मौद्रिक आय में तीव्र गति से वृद्धि होता है जिसका दाय का मुद्रागत रूप का स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब समाज की वास्तविक आय का तुलना में मौद्रिक आय में अधिक वृद्धि होती है तो माँग का दबाव आन्तरिक एवं विदेशी साधना पर बढ़ जाता है।

आन्तरिक मूल्य-स्तर विदेशी बाजारों के मूल्य-स्तर से अधिक ऊँचा होने के कारण आयात करने की इच्छा जमायित्व हो जाती है। यदि मुद्रा-मूल्य के अनुपात में घटोती की आप में वृद्धि होती है तो वह वित्तायिता की वस्तुओं के आयात की मात्रा बढ़ाती है। यदि वित्तायिता की वस्तुओं का आयात का प्रतिबन्धित कर दिया जाता है तो इनकी स्थानान्तर स्थानों वस्तुओं का आयात बढ़ाया जाता है जिससे निर्यात-वस्तुओं के आयात के लिए आवश्यकता की कमी हो जाती है।

अन्तःस्थित उपकरणों में अनुपस्था की वृद्धि की एक अधिक होने के कारण आयातों का आयात करने की कमी प्रति व्यक्ति आय की कमी बचत की दर की कमी आदि वृद्धि परिस्थितियों निर्माण होती है। इसी वृद्धि अनुपस्था का आयात-वस्तु एवं अन्य आवश्यक स्थानों वस्तुओं प्रदान करने के लिए अधिक आयात करने की आवश्यकता होती है।

व्यापार की शर्तों एवं आर्थिक प्रगति

जिस देश की निर्यात-आय बचत निर्यात की मात्रा के आयात की मात्रा के आधिक्य पर ही निर्भर नहीं होती है। इस आय पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विदेशी बाजारों में निर्यात वाला मूल्य तथा आयात के मूल्यों का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार व्यापार की शर्तों पर विदेशी व्यापार से निर्यात वाला आर्थिक प्रगति के लिए बाधादान निम्न होता है। व्यापार-शर्तों के अनुपस्था होने पर निर्यात से अधिक विदेशी विनिमय निर्यात है और आयात के बढ़ने कम विदेशी विनिमय का अनुपस्था पड़ता है जिससे परिणामस्वरूप देश की आय-वृद्धि विदेशी बाजारों में हो जाती है। इसके अतिरिक्त अनुपस्था का अनुपस्था विनिमय-मानकी का अनुपस्था अधिक मात्रा में करने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब व्यापार की शर्तें अनुपस्था हों तो निर्यात की मात्रा में वृद्धि होने का भी और आयात में इस निर्यात-वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि होती है और देश की विदेशी व्यापार से बहुत कम बढ़ावा दिखाने साम आर्थिक प्रगति हो सकती है। निर्यात-वस्तुओं के मूल्य अन्तः-राष्ट्रीय बाजार में कम होने पर देश की आय-वृद्धि कम हो जाती है और निर्यात-आय की अनुपस्था बनाये रखने के लिए अधिक वस्तुओं के निर्यात की आवश्यकता होती है। निर्यात-वस्तुओं में कमी होने के साथ यदि देश में विनिमय के अनुपस्था-व्यवस्था में वृद्धि हो जाती है तो इन प्रतिफल व्यापार-शर्तों का विकास पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। निर्यात-वस्तुओं के मूल्य विदेशी बाजारों में कम हो जाने से इसके निर्यात का परिणाम कम होने लगा है जिससे देश की परिस्थिति में जब देश में मुद्रा-मूल्य का बढ़ाव हो और आन्तरिक मूल्य-स्तर ऊँचा हो। निर्यातों की ऐसी परिस्थिति में अपनी वस्तुओं की आन्तरिक बाजार में बेचने में ही लाभ प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त निर्यात-वस्तुओं के मूल्य कम होने पर इनके अनुपस्था उपकरणों में विनिमय-व्यवस्था एवं आयात कम होने लगा है और आर्थिक प्रगति की देव पड़ती है।

दूसरी ओर, जब प्रतिकूल 'यापारिक' शर्तों के फलस्वरूप आयात व मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो विनियोजन प्रसाधना के आयात की सामग्री अधिक हो जाती है और आयात प्रनिष्ठापन सम्बन्धी उद्योग एवं निर्यात वस्तुओं के विस्तार के कार्यक्रम में क्षति पहुँचती है और आर्थिक प्रगति की गति मंद हो जाती है।

विभिन्न अल्प विकसित देशों के विदेशी व्यापार का अध्ययन विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है और इन अध्ययनों से यह नतीजा निकाला गया है कि सामान्यतः दाघ काल में व्यापार की गति अल्प विकसित राष्ट्रों के प्रतिकूल रहती है। व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने में विभिन्न घटक होते हैं जिनमें सामूहिक प्रभाव से व्यापार की गति में परिवर्तन हो सकता है। इन घटकों में अग्र से ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम एक निर्यात की वस्तुओं की मांग का साथ ही ज्ञान के उत्पादन शक्ति के बढ़ते बड़े भण्डों तथा अब आर्थिक परिस्थितियाँ व्यापार की गति को प्रभावित करता है। जिन देशों में आयात का मांग अधिक लोचदार होती है और उसकी निर्यात की मांग कम लोचदार होती है उस देश के लिए व्यापार का अनुकूल शर्तें उपलब्ध होती हैं क्योंकि यह देश अपने आयात में आवश्यकतानुसार कभी अपना वृद्धि कर सकता है जबकि अन्य देशों में इस तरह के निर्यातों को कम या अधिक करना सम्भव नहीं होता। यह परिस्थिति प्रायः उद्योगप्रधान राष्ट्रों की होती है। निर्यात-वस्तुओं की मांग की लोच कम होने के साथ यदि इनकी पूर्ति कम लोचदार होता है तो इनके मूल्य मांग बढ़ने के साथ घटते जाते हैं। अल्प विकसित राष्ट्रों के निर्यातों का मांग विकसित राष्ट्रों में अधिक लोचदार होती है जबकि विकसित राष्ट्रों के निर्यातों की मांग अल्प विकसित राष्ट्रों में कम लोचदार होती है और यहाँ कारण है कि अल्प विकसित राष्ट्रों का प्रतिकूल व्यापार शर्तों का सामना करना पड़ता है। पूँजीगत प्रसाधना का मांग विकासशील राष्ट्रों में अधिक होती है जबकि इनकी पूर्ति विकसित राष्ट्रों में लगभग लोचदार होती है जिससे परिणामस्वरूप विकासशील राष्ट्रों को पूँजीगत प्रसाधना का अत्यधिक मूल्य देना पड़ता है। व्यापार की शर्तें किन्हीं भी देशों की अपने सामग्री के अल्पविकसित उपयुक्तता में हस्तान्तरण की क्षमता पर भी निर्भर रहती है। सामग्री के हस्तान्तरण का सुविधा साधनों के प्रकार साहसिकता की योग्यता एवं कुशलता श्रम का गतिमानता आदि पर निर्भर रहती है। आयात व्यापार की शर्तों के परिवर्तन के अनुबद्ध अपने उत्पादन में भी परिवर्तन करने में समर्थ होता है वह अनुकूल व्यापार शर्तों का साथ उठा सकता है। सामग्री के हस्तान्तरण की क्षमता स्वभावतः विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं को ही उपलब्ध होती है।

भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक प्रगति

भारत में प्रथम योजना के प्रथम वर्ष में विदेशी व्यापार राष्ट्रीय आय का १६% था जो सन् १९५३-५४ में घटकर ९% हो गया परन्तु इसके पश्चात् इस प्रतिशत में निरंतर वृद्धि होती गयी और सन् १९५८-५९ तक कुछ कमियों का प्रारम्भ

हवा । विदेशी व्यापार के प्रतिष्ठान की गतना दश के आधात एव निर्यात के कृत्र जाइवर इकठा दश की वतनान मूल्यों पर निर्यातों तमो राष्ट्रीय जात में प्रतिष्ठान जात करके की गयी है । निम्नलिखित तालिका में विदेशी व्यापार तथा निर्यात एव आधात का राष्ट्रीय धन में प्रतिष्ठान दशाया गया है ।

तालिका न० १०—भारत के विदेशी व्यापार का राष्ट्रीय धन में प्रतिष्ठान^१

वर्ष	विदेशी व्यापार के वर्तमान मूल्यों पर गणित राष्ट्रीय धन में प्रतिष्ठान	निर्यात का राष्ट्रीय धन में प्रतिष्ठान	आधात में राष्ट्रीय धन का प्रतिष्ठान	भारत का आधारित धन (करार मूल्य)
१९६०-६१	१००	८८	८८	—१३९
१९६१-६२	८७४	८७	८८	—६३१
१९६२-६३	१००	८६	८६	—८८०
१९६३-६४	११७	४६	७१	—४०२६
१९६४-६५	१०८	४१	६८	—१००७
१९६५-६६	१०७	७६	६८	—१००६
१९६६-६७	१००	४६	८८	—६७८
१९६७-६८	११४	४०	७१	—१०७७
१९६८-६९	१०६	४८	६०	—४००४

इस तालिका में जात होता है कि सन् १९६०-६१ में से विदेशी व्यापार का प्रतिष्ठान राष्ट्रीय धन में १००% का और वह प्रतिष्ठान सन् १९६४-६५ तक निरन्तर कम होता रहा क्योंकि इस काल में आधात एव निर्यात का राष्ट्रीय धन में प्रतिष्ठान में निरन्तर कमी होती है । सन् १९६७-६६ में विदेशी व्यापार का प्रतिष्ठान सिर्फ १४ वर्षों में सबसे कम का और इस रूप व्यापार क्षेत्र की प्रतिकूल राशि भी सबसे अधिक थी । फल, सन् १९६६ में इसी कारण राज्य का अवसूचन करना पड़ा । इस काल में भारत का निरन्तर प्रतिकूल व्यापार-क्षेत्र अन्तराष्ट्रीय व्यापार की प्रतिकूल शक्तों के कारण रहा । मूल्यों का आन्तरिक स्तर मुद्रा प्रकाश द्वारा प्रेरित निर्यात निर्यातन के कारण होने के कारण निर्यात में वृद्धि सम्भव नहीं हो सकी जो आधात निर्यात-विनिर्माण के लिए निरन्तर कटौत रहा । अवसूचन के पश्चात् यद्यपि विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई परन्तु आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से व्यापार की शक्ति जो प्रतिकूल प्रतिकूल हो गयी क्योंकि हमारे निर्यात-मूल्यों में कमी हो गयी और आधात में भी अधिक मुद्रादान करना आवश्यक हो गया ।

इस सम्बन्ध में कोई दो विचार नहीं हो सकते हैं कि भारत के आर्थिक विकास

1 Percentages have been calculated on the figures published in Reserve Bank of India Bulletin—June 69 and Aug. 1969. Figures for 1968-69 are *provis onal*.

का गणिमात हान से राकन म स्वाद्यात्र एव विन्गा व्यापार का सञ्चालित माग्गत रहा है । स्वाद्यात्र की समस्या भी विन्गा व्यापार म मन्वद है क्वाकि स्वाद्यात्रा का कन को पूरा करन क लिए विन्गी म इनका जागत बग मात्रा म करना पडा है । मनु १९६० स १९६६ क सात वर्षों क काल म माग्ग न ४०८ लाख टन स्वाद्यात्र का १७-६८ कराट म्पय की रागन पर आयात किया । वाग्गव म आयात प्रतिम्यागत नीति क अन्तगत आधारमूत आगना क प्रतिम्यापन की व्यवस्था का राजा चाटिए था । यदि स्वाद्यात्रा क उत्पादन एक मग्रह का व्यवस्था का जागत प्रतिम्यागत-नाति का आवश्यक जग मान लिया गया होना ता भारतव विन्गा व्यापार-गप रचना प्रतिकूल नहा हा पाता । गीत्र औद्योगिकरण क अमिनताया-वायत्रनों का आवश्यकता से अधिक महत्व दन क कारण एव उद्योगा का म्यापना पर बन्-भा जयसाधन एक विन्गा विनिमय उपयोग किया गया जिसका कुछ समय तक स्थगित रगन स ना अथ व्यवस्था का विगप हानि नहा प्राणी है । यदि नियोजित अथ-व्यवस्था क अन्तर्गत निम्नतर ममन्वित कृषिकिगत ज्ञानि का निर्यातन किया गया हाता और कृषि क उपयोग म आन काल प्रसाधना क आन्तरिक उत्पादन म पयाप्त वृद्धि का गया जाता ता हमाग विन्गा व्यापार आर्थिक प्रगति स पयाप्त योगदान दन म ममथ हा सकता है । हमार आयात इस परिम्यति म आवश्यक उपभोगा-वन्मुत्रा तक बडा मात्रा म सामित रह और हमार आयात नाति का प्रगतिप्रधान (Growth Oriented) नहा कहा जा सकता है । स्वाद्यात्रा कच्च भाग क सग्रह एव उत्पादन क सम्बन्ध म जा आयातन औद्योगिकता म किय गया इनको हमार आयातनामा म बन् पहल स्थान मिलना चाहिए था ।

दूसरा आर, हमार नियान-नाति भा प्रगति म विगप रूप स सहायक नहा हा सका क्वाकि याचनाकाल क १५ वर्षों क बाद भा परम्परागत नियाना पर हा निर्भर हैं । चाय और जूट क निर्यात स हम सबसे अधिक विन्गा विनिमय अर्जित हाता रहा है परन्तु इट म पाकिस्तान और चाय म सातान एव अण शष्पा क प्रतिम्यधीं हात के कारण इन वस्तुओं क निर्यात म कमी हाता रहा है । दूसरा और आन्तरिक बाजार म मुद्रा प्रसार स प्रतिन बहुर स्तर पर किय जान बाव विकास विनिमोजन क फलस्वरूप उपभोक्ता वस्तुआ क शूय-न्तर म ताव गति म वृद्धि होने क कारण भारतव निर्यातक नियान की और अर्कपिन नहा हात है क्वाकि इन वस्तुआ का विन्गा बाजार म वेचन स अधिक लाभ नहीं प्राप्त हाता है । हम नियोजित विकास क अन्तगत दग म निर्यात वन्मुत्रा क उद्योगा का विकास एव विन्तार करन म अधिक सफल नहीं हुए और हमार वाम नियान क लिए वन्मुत्रा का अतिरिक्त भा ददान मात्रा म न होन स नियान काल म बसमथ रह है । निर्यात का मन् म विमिप्रता एव विन्गा बाजारों का विमिप्रता की आर भा हमन कुछ हा वर्षों स ध्यान दना प्रारम्भ किया है । महा गव कारण है कि हमार नियान म प्रगति क अनुम्य वृद्धि नहा हो सकी है और हमार निररता विन्गी सहायता पर निरतर बन्ग गया है ।

भारतीय रूपरेखा के अनुसार वर्ष के १५ घण्टा से हटाने करने निर्माण-खर्च पर विशेष ध्यान दिया और सीसी योजना के अन्तर्गत ७% प्रति वर्ष निर्माण में कृत्रिम रूप से लक्ष्य का रखा गया है। इसके लिए निर्माण मशीनों में इन्जिनियरिंग इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रभावकारी-वस्तुओं मशीनों, पाठ्यक्रम एवं संचार के प्रभावों आदि को सम्मिलित करने के प्रयत्न किए गए तथा विद्युत-संग्रहीत जलको एम्प्लॉयमेंट एवं अन्य प्रयत्नों को प्रोत्साहित कर आकार पर निर्माण दर को भी बढ़ाया जा रहा है। यदि वर्तमान माशिनरी का दृष्टि से संचालन हा-लोअर मात्राओं तक किया गया तो हम अपने विद्युत उत्पादन को ही अपने विकास का स्वचालित करने में उद्यत हो सकते हैं।

जनसंख्या एवं आर्थिक प्रगति

[Population and Economic Development]

[अल्प विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या, प्रतिकूल जनसंख्या वितरण जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति जनसंख्या की संरचना एवं आर्थिक प्रगति बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बेरोजगारी, जनसंख्या का विस्फोट, जनसंख्या संक्रान्ति सिद्धान्त, जनसंख्या-सम्बन्धी आर्थिक प्रगति मण्डल, भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति]

धर्म उत्पादन का एक ऐसा घटक है जिसका उपयोग न करने पर भी उसकी निर्वाह लागत में कोई बिना व्यय नहीं आता है। दूसरे शब्दों में यह भाव है कि धर्म उपयोग एवं उत्पादन दोनों का घटक होने के कारण उत्पादक उपयोग न होने पर भी उपयोग का घटक बना रहता है। धर्म उत्पादक का एक स्थायी घटक होता है जबकि वह उत्पादन में तब ही उपयोग होता है जब उसको उत्पादक रोजगार में लगाया जाय। धर्म को उत्पादक रोजगार में लगाकर उत्पादन को बढ़ाना तब ही सम्भव हो सकता है जब धर्म का उत्पादक उपयोग करने के लिए उत्पादन के अन्य सहायक घटक—पूँजी, तांत्रिक ज्ञान, प्राकृतिक साधन आदि उपलब्ध हों तथा धर्म का व्यवस्थित एवं संगठित रूप में उपयोग किया जाय।

किसी देश की आर्थिक प्रगति पर धर्म शक्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। धर्म शक्ति का परिमाण धर्म की जनसंख्या में ज्ञान प्राप्त परिवर्तन पर निर्भर रहता है। जनसंख्या के परिमाण में होने वाले परिवर्तन में अन्य व्यवस्था पर इस प्रभुत्व प्रभाव पड़ते हैं—एक बार बढ़ी हुई जनसंख्या का उपयोग की आवश्यकताओं की आवश्यकता और दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि द्वारा उपयोग अतिरिक्त धर्म द्वारा उत्पादन में होने वाला वृद्धि। यदि उत्पादन की अतिरिक्त वृद्धि अतिरिक्त उपयोग में अधिक होती है तो अन्य व्यवस्था में विकास पूँजी का निर्माण होता है और इसकी विपरीत स्थिति में समाज को अपनी मरिचक पूँजी का उपयोग बढ़ी हुई जनसंख्या का निर्वाह के लिए करना पड़ता है। इस प्रकार अतिरिक्त जनसंख्या द्वारा अतिरिक्त उपयोग किया जाना तो निश्चित होता है परन्तु धर्म अतिरिक्त जनसंख्या द्वारा अतिरिक्त उत्पादन पर्याप्त मात्रा में करना सम्भव नहीं होता है। जब किसी राष्ट्र में उत्पादन के अन्य घटकों की तुलना में धर्म का व्यय होता है तो ऐसे देश में जन

मर्यादा-वृद्धि द्वारा अनिश्चित उत्पादन तो नहीं हो पाता परन्तु उद्योगों की आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाती है जिससे देश की आन्तरिक वस्तु विनिमयजन्य पूँजी निमागण एवं आर्थिक प्राप्ति सभी का स्तर कम हो जाता है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में जनन-श्रम

अल्प विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि आर्थिक प्राप्ति में बाधाएँ उत्पन्न करती है क्योंकि एक ओर संसाधनों की जनसंख्या का विस्तार अल्प विकसित राष्ट्रों के प्रतिबन्धित है और दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या का उत्पादन उपभोग करने के लिए इन राष्ट्रों में उत्पादन सहायक घटक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

उत्पादन के अर्थ-घटकों में मूल्य एवं प्राकृतिक साधन प्रायः सभी राष्ट्रों में स्थिर होते हैं और इनके उपयोग एक मापदण्ड में ही होना करना सम्भव होता है। इन मापदण्डों की पूर्ति में वृद्धि करना सम्भव नहीं होता है। उत्पादन का एक और जनसंख्या-सहायक घटक पूँजी होता है जिसकी पूर्ति में कमी-वृद्धि करना सम्भव होता है क्योंकि यह मनुष्य-वृत्त साधन होता है। यदि पूँजी का परिमाण में वृद्धि करना सम्भव हो पाता तो बढ़ती हुई श्रम शक्ति का उत्पादन उपयोग किया जा सकता है। और प्राकृतिक साधनों एवं मूल्य-माप जो विकास-सहायक बाधक होती हैं उनका विस्तार किया जा सकता है। इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ पूँजी-निर्माण में वृद्धि की जा सके तो बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास के लिए बाधाएँ सिद्ध हो सकती हैं परन्तु अल्प विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि से पूँजी निर्माण में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

जनसंख्या वितरण अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए प्रतिबन्ध—जनसंख्या का वितरण निम्न प्रकार अल्प विकसित राष्ट्रों के प्रतिबन्धित है—

(क) संसार की जनसंख्या का अधिकतर भाग अल्प-विकसित क्षेत्रों में केन्द्रित है। विश्व बैंक द्वारा सङ्गृहीत आँकड़ों के अनुसार सन् १९६६ वर्ष के मध्य संसार की कुल जनसंख्या ३३६ करोड़ थी जिसमें ६४ करोड़ जनसंख्या विकसित राष्ट्रों में थी और शेष २५२ करोड़ अल्प विकसित राष्ट्रों की निवासी थी। इस प्रकार संसार की कुल जनसंख्या का लगभग ७१% भाग अल्प विकसित राष्ट्रों में केन्द्रित था। अल्प विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। सन् १९५६ वर्ष में संसार की जनसंख्या का औसत घनत्व १९८ प्रति वर्ग किलोमीटर था। अल्प-विकसित राष्ट्रों में यह औसत ३०० से अधिक था। जापान, स्विट्जरलैंड एवं इटली ऐसे विकसित राष्ट्र हैं जिनमें संख्या का घनत्व अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं न्यू जेर्सी विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है। ब्राजील, ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका सभी अल्प विकसित राष्ट्र घनी जनसंख्या वाले हैं। अल्प विकसित राष्ट्रों में मूल्य-श्रम का अनुपात कम एवं पूँजी की न्यूनता के कारण जनसंख्या का दबाव अधिक है।

(आ) अल्प विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या की संरचना इस प्रकार की है कि जनसंख्या का बड़ा अनुपात उत्पादन वृद्धि में सहायक नहीं होता है। इन राष्ट्रों में १५ से ६० वर्ष की आयु वर्ग का कुल जनसंख्या में अनुपात कम होता है। इस आयु वर्ग द्वारा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान लिया जाता है। इसके अनिश्चित जो दो आयु वर्ग हानि हैं अर्थात् १५ वर्ष से कम और ६० वर्ष से अधिक उभयों में सामान्य परिमाण में वरत हैं परन्तु उत्पादन करने में असमर्थ हानि हैं। दूसरा कारण विकसित राष्ट्रों में उत्पादन आयु वर्ग का अनुपात अधिक होता है जिससे एक वर्ग पर आश्रितों का भार कम होता है और परिवारों का व्यय अधिक रहती है।

(इ) संसार का जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है परन्तु इस वृद्धि का बड़ा भाग अल्प विकसित राष्ट्रों में केंद्रित रहता है। यह सम्भावना की जाती है कि निकट भविष्य में प्रवृत्ति जारी रखी और जनसंख्या के घनत्व में विरामित एवं अल्प विकसित राष्ट्रों में अंतर घटता जायगा। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित सूचनाओं के अनुसार विभिन्न महात्तवों में जनसंख्या का वृद्धि का दर विम्बलिविन मारिया में दर्शाया गया है—

तालिका सं० १३—जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर^१

(१९५० में १९६६ तक का औसत)

क्षेत्र	वार्षिक औसत वृद्धि दर
अफ्रीका	२.३
दक्षिणी एशिया	२.२
पूर्वी एशिया	२.६
दक्षिणी योरोप	१.४
सटिन अमेरिका	२.६
मध्य पूर्व	१.०
विकासशील राष्ट्र	२.३
औद्योगिक राष्ट्र	१.२
उत्तरी अमेरिका	१.७
पश्चिमी योरोप	०.८
अन्य औद्योगिक राष्ट्र (आस्ट्रेलिया, जापान, यूजी नैण्ड एवं दक्षिणी अफ्रीका)	१.४

इस तालिका से स्पष्ट है कि अल्प विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या का वृद्धि की दर विकसित राष्ट्रों की तुलना में दुगुनी से भी अधिक है।

जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति

जनसंख्या की वृद्धि आर्थिक प्रगति में उसी समय सहायक हो सकती है जब

इस अनिश्चित जनसंख्या द्वारा जो अनिश्चित उत्पादन किया जाता है, वह इसके द्वारा लिए गये अनिश्चित उपभोग में अधिक हो। इस प्रकार अनिश्चित जनसंख्या व उत्पादक उपयोग द्वारा ही अधिक प्रगति में महत्त्व प्राप्त हो सकती है। अनिश्चित जनसंख्या का उत्पादक उपयोग देश में उपलब्ध प्रति व्यक्ति उत्पादक प्रसाधनों तांत्रिकताओं की सुसज्जता, जनसंख्या की गुणात्मक संरचना तथा श्रमिक बर्ग के परिमाण पर निर्भर रहता है। अल्प विविधित राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति पूंजीगत प्रसाधनों के न्यूनतम घनत्व का कम उत्पादन का कारण एक प्रभावकारी होता है। पुनः उत्पादित माध्यमों की प्रत्याप्तता के कारण श्रम की उत्पादकता एक प्रति व्यक्ति आयोजन पर प्रतिफल प्रभावकारी है। प्रति व्यक्ति बर्ग आयोजन हान पर बहुत एक विनियोजन के लिए कम माध्यम उपलब्ध होते हैं जिससे श्रमिकों का पर्याप्त परिमाण में पूंजीगत प्रसाधन उपलब्ध नहीं होता है। पूंजीगत प्रसाधनों की कमी एवं शिक्षा तथा प्रशिक्षण का निम्न स्तर हान के कारण तांत्रिकताओं का विस्तार एवं विज्ञान धीमी गति में होता है। दूसरी ओर, व्यापक निधनता के परिणामस्वरूप श्रमिकों में स्वास्थ्य का निम्न स्तर, गतिशीलता की कमी तथा तांत्रिक कुशलता की हानि रहती है जिससे श्रमिकों की सुसज्जता एवं उत्पादकता पर प्रतिफल प्रभावकारी है।

श्रम शक्ति का परिमाण जनसंख्या की संरचना एवं रीति रिवाजों पर निर्भर रहता है। १५ से ६० वर्ष की आयु वर्ग का अनुपात जनसंख्या में जितना अधिक होता है उतना ही अधिक परिमाण में श्रम की उपलब्धि होती है क्योंकि इस आयु-वर्ग के लोग ही उत्पादन कार्य में काम करते हैं परन्तु समाज के रीति रिवाजों का प्रभाव भी श्रम शक्ति की पूर्ति पर रहता है। जिन समाजों में स्त्रियों को श्रम-शक्ति में सम्मिलित होने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है तब १५ से ६० वर्ष की आयु वर्ग का कुल भाग उत्पादक क्रियाओं में काम नहीं ले पाता है जबकि १५ से ६५ वर्ष की जनसंख्या कुल जनसंख्या की ८६% थी जबकि कुल उपलब्ध श्रम शक्ति कुल जनसंख्या का केवल ४०% था। इन प्रकार ४६% जनसंख्या केवल रीति रिवाजों के कारण उत्पादक क्रियाओं में अपना योगदान देने में असमर्थ थी।

जिन देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर मृदु एवं कम दर होती रहने कारण स्थिर रहती है उनमें सत्रिय जन शक्ति का कुल जनसंख्या से अनुपात इन राष्ट्रों की तुलना में कम होता है जहां कम एवं मृदु-दर कम हान के कारण जनसंख्या की वृद्धि की दर स्थिर होता है। जन्म विवर्धित राष्ट्रों में प्रायः कम एवं मृदु दर होती रहती है जो कि उच्च स्तर विकास का प्रारम्भ होता है मृदु-दर घटना प्रारम्भ हो जाती है और कम दर में स्थिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या की वृद्धि दर कम होती है परन्तु कम वृद्धि के फलस्वरूप सत्रिय जन शक्ति का अनुपात कम ही रहता है क्योंकि मृदु-दर कम होने का सबसे अधिक प्रभाव निम्न जन्म दर पर रहता है जो बहुत कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में १५ वर्ष के कम आयु

वग ॥ अधिक वृद्धि होती है। जिस देश में सक्रिय जन शक्ति अधिक होती है उसमें उत्पादन का उपभोक्ताओं के अनुकूल अनुपात होता है। अल्प विकसित राष्ट्रों में यह अनुपात प्रतिफल हानि के कारण उत्पादन जन-शक्ति के छोटे समूह पर आश्रितता का भार अधिक होता है और उत्पादक बच को अपनी आय में विनियोजन हेतु बचत करना सम्भव नहीं होता है। इस प्रकार दो राष्ट्रों की कुल जनसंख्या एवं भ्रम उत्पादन का समान होते हुए भी वह राष्ट्र अपनी आय का अधिक प्रतिशत भाग बचत करने में समर्थ होगा जिसको जनसंख्या में सक्रिय जन शक्ति का अनुपात अधिक होगा।

जनसंख्या की संरचना या आर्थिक प्रगति पर प्रभाव

अल्प विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या में कम आयु-वर्ग का अनुपात अधिक होता है क्योंकि इन राष्ट्रों में जावित रहने की सम्भावना (Life Expectancy) कम होती है एवं नवयुवक वर्ग में मृत्यु दर अधिक रहती है और दूसरा भार कम दर ऊँची हानि के कारण कम आयु-वर्ग में वृद्धि होती रहती है। जिस देश में कम आयु वर्ग का अनुपात अधिक होता है उस राष्ट्र में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ साक्षात्ता का उपभोग बढ़ता जाता है क्योंकि इस राष्ट्र को अपनी आय का बड़ा भाग व्यय पदार्थों पर व्यय करना पड़ता है। ऐम राष्ट्रों में विकास का प्रारम्भ होते ही साक्षात्ता की समस्या गम्भीर रूप ग्रहण कर लेती है। भारत भी इसी स्थिति से हाकर गुजर रहा है। दूसरी ओर विकसित राष्ट्रों में जन्म दर कम एवं जीवन सम्भावना अधिक हानि के कारण अधिक आयु वर्ग का अनुपात अधिक होता है जिससे परिणामस्वरूप ऐम देश अपना आय का कम भाग साक्षात्ता पर व्यय करते हैं। कम आयु वर्ग का अधिक अनुपात रखने वाले राष्ट्रों में इसीलिए जनसंख्या का अधिक भाग कृषि-व्यवसाय में लगा रहता है और कृषि व्यवसाय में आय उत्पादनशक्ति कम हानि के कारण इस राष्ट्र का अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या का निर्वाह करना सम्भव नहीं होता है। दूसरी ओर अधिक आयु वर्ग का अधिक अनुपात रखने वाले राष्ट्रों में कृषि एवं साक्षात्ता का उत्पादन में अधिक जनसंख्या के स्तपान की आवश्यकता नहीं होती है और निर्माण उद्योगों का विस्तार सम्भव होता है जिनके द्वारा अधिक आयोपार्जन करके पड़ती हुई जनसंख्या का निर्वाह किया जा सकता है।

अल्प विकसित राष्ट्रों को अपना बढ़ती हुई जनसंख्या का कल्याण एवं जावन निर्वाह के लिए सामाजिक उपरिचय पूजा—शुद्ध निर्माण जन स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण आदि—का आयोजन करना के लिए विनियोजन व्यय साधना पर बड़ा भार व्यय करना पड़ता है। कम आयु वर्ग का संख्या बच प्रति बच बढ़ते रहने पर इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का व्यय भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार इन राष्ट्रों का प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओं के संचालन के लिए पर्याप्त विनियोजन साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है।

बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बेरोजगारी

अल्प विकसित राष्ट्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी एवं अहं य बेरोज

गारी की समस्याओं का जन्म देती है। विकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी की समस्या प्रमाणात्माती माँग की पूर्णता के कारण उदय होती है जबकि अन्य विकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी का कारण श्रम के लिए आवश्यक सहायक एवं पूरक उत्पादन मापन की पूर्ण पूर्ति होती है। अन्य विकसित राष्ट्रों में प्रमाणात्माती माँग अधिक मात्रा में भी श्रम का उत्पादन उपयोग पूर्णता एवं अन्य उत्पादन के घटकों की कमी के कारण नहीं हो पाता है। इन राष्ट्रों में विकास का प्रारम्भ होने से पहले से जाये बेरोजगारी में से कुछ का रोजगार मिल जाता है परन्तु जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त रोजगार के अवसरों की कृपणा में वही अधिक नये बेरोजगार उदय हो जाते हैं। इस प्रकार विनियोजन की दर में वृद्धि होने के साथ बेरोजगारी भी बढ़ती जाती है। ऐसी परिस्थिति में श्रम के अनुपात में पूर्णता की कमी बनी रहती है। जब तक विदेशों से पूर्णता प्राप्त न की जाय, इस समस्या का निवारण सम्भव नहीं होता है।

विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या घटने के कारण जब भूमि श्रम अनुपात कम हो जाता है तो अतिरिक्त श्रम अन्य उत्पादन क्रियाओं का हस्तांतरित हो जाता है। इस प्रकार भूमि की कमी की पूर्णता पूर्णता द्वारा करके बढ़ती हुई जनसंख्या का उत्पादन क्रियाओं में लगाना सम्भव होता है। दूसरी ओर, अन्य विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि के फलस्वरूप वृष्टि शैल में उदय होने वाली अतिरिक्त श्रम-गति का अन्य व्यवसायों में पूर्णता की पूर्णता के कारण रोजगार प्रदान करना सम्भव नहीं होता है। इस प्रकार इन राष्ट्रों में विकास प्रयासों को बेरोजगारी की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है।

जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion)

जनसंख्या सम्बन्धी उपलब्ध आँकड़ों एवं तथ्यों से यह पाया जाता है कि मसारा की जनसंख्या की वृद्धि निरन्तर तीव्र गति में बढ़ती जा रही है। लगभग सन् १५० में मसारा की जनसंख्या ४१ करोड़ थी और इसका स्थान होने में १००० वर्षों की लम्बी अवधि की आवश्यकता पड़ी जबकि सन् १९५० में मसारा की जनसंख्या ८०५ करोड़ हो गयी। इसके पश्चात् जनसंख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई और लगभग २०० वर्षों में यह दुगुनी हो गयी। सन् १९५० में मसारा की जनसंख्या १६५ करोड़ हो गयी। जनसंख्या की वृद्धि की गति और तीव्र हो गयी और १२० वर्षों में यह फिर दुगुनी हो गयी अर्थात् वर्तमान में मसारा की जनसंख्या ३३० करोड़ हो गयी है और यह अनुमान लगाया जाता है कि वृद्धि की गति वही दर जारी रहने पर सन् २००० में मसारा की जनसंख्या ६०० करोड़ के लगभग हो जायगी। जनसंख्या की यह विस्फोटक वृद्धि आर्थिक विकास का ही परिणाम है। अन्य विकसित राष्ट्रों में विकास का प्रारम्भ होने पर जनसंख्या में तीन अवस्थाओं के अन्तर्गत परिवर्तन होते हैं।

जनम तथा सन्नति सिद्धान्त

यह अवस्थाएँ जनसंख्या सन्नति सिद्धान्त (Theory of Demographic Transition) के अलग-अलग निर्धारित की गयी हैं। यह अवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं—

प्रथम अवस्था

जब किसी अल्प विकसित राष्ट्र में विनाश का प्रारम्भ किया जाता है तो उस समय उस राष्ट्र में जन्म एवं मृत्यु दर ऊँची होती है और जनसंख्यावृद्धि दर बहुत ऊँची नहीं होती है। इस अवस्था में अल्प व्यवस्था वृद्धिप्रधान होती है। सामान्य में विकसित एवं स्वास्थ्य को सुविधाएँ कम होती हैं और सामाजिक परम्पराओं द्वारा अल्प बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहित दी जाती है। जनसाधारण अधिक बच्चों को अपनी वृद्धावस्था का योग्य मानता है। बच्चा में मृत्यु दर अधिक होती है।

द्वितीय अवस्था

जब अल्प व्यवस्था में विकास का प्रयोग होता है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि की सुविधाओं में तेजी से वृद्धि होती है। जागू के जीवन स्तर एवं पोषण भोजन में सुधार होता है। इन समस्त सुविधाओं के फलस्वरूप मृत्यु-दर कम होने लगती है परन्तु जन्म दर स्थिर रहती है एक सम्भावित जीवनकाल बढ़ जाता है। इस अवस्था का जनसंख्या विस्फोटकाल (Population Explosion Period) कहते हैं। इस अवस्था में मृत्यु दर कम होने जन्म दर स्थिर रहने और औसत जीवनकाल बढ़ जाने से जनसंख्या में तीव्र गति में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के कारण भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होता है। सभी परिस्थिति में सामाजिक या मतात्मक एक विचारधाराओं में परिवर्तन होता है। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का संचालन होता है परन्तु इन सबका जनसंख्या वृद्धि पर अल्प काल में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

तृतीय अवस्था

विकासी गुण्य अवस्था के सन्नति काल की समाप्ति पर जब राष्ट्र विकसित हो जाता है तो जन्म दर में कमी होने लगती है और घटते घटते मृत्यु दर के बराबर हो जाती है। यह दोनों दरें युनितम स्तर पर स्थिर हो जाती हैं और यह स्थिति कुछ समय तक बनी रहती है। जन्म की दर में कमी होने का कारण सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन, धर्मनिरपेक्ष आर्थिक जीवन का विकास, परिवार नियोजन की सफलता आदि होते हैं।

संसार की जनसंख्या के विस्फोट का प्रमुख कारण इस प्रकार अल्प विकसित राष्ट्रों का सन्नति काल है और यदि ऐसे राष्ट्रों अधिकतर तीव्र अवस्था में प्रविष्ट हो जाते हैं तो जनसंख्या की वृद्धि की गति में कमी आना स्वाभाविक होगा।

जनसंख्या सम्बन्धी परिवर्तनों के आधार पर आर्थिक प्रगति का मॉडल (Economic Demographic Model)

सुधार में प्रत्येक १५ वर्षों में दस करोड़ व्यक्तियों में जनसंख्या बढ़ जाती है।

जनसंख्या की वृद्धि की अनुमान दर प्रथम गणनापत्री एवं सन् १९१० के मध्य के भारत का वृद्धि की दर की सीमा तुनी है। यद्यपि जनसंख्या की वृद्धि की दर इतनी उंची है फिर भी जनसाधारण के अधिकतर भाग का जीवन-स्तर मानव-इतिहास में सबसे उंचा है। इसके अतिरिक्त आर्थिक प्रगति की सम्भावनाएं जनसंख्या-वृद्धि की सम्भावनाओं से कहीं अधिक हैं। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपयाग और बायो-मैट्रिक्स तांत्रिकताओं से उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि सम्भव है। अतः 'समाहित' की हुई जनसंख्या का निर्वाह करना कठिन होगा परन्तु उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु संसार के विभिन्न राष्ट्रों में अनुकूल मानसिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की आवश्यकता है।

आधुनिक युग में जनसंख्या के बेवत जीवन-निर्वाह की समस्या का अधिक महत्व नहीं दिया जाता है बल्कि जनसाधारण के जीवन-स्तर में अधिक से अधिक आर्थिक विकास द्वारा सुधार करने की समस्या का अधिक महत्व दिया गया है। अन्य विकसित राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय के अनुमान स्तर को बनाए रखने के लिए पुनर्निर्माण का ६५% भाग व्यय करना पड़ता है जबकि विकसित राष्ट्रों में यह प्रतिशत केवल २५% है। यदि अन्य विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या वृद्धि की दर का वन दर दिया जाय तो इन प्रतिशतों के अन्तर को कम करना सम्भव हो सक्ता है। जनसाधारण के जीवन-स्तर में तीव्र गति से विकास दिया जा सक्ता है।

जर्मनी में यदि २५ वर्षों में ५०% की कमी कर दी जाय तो यह कमी आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकती है। इस सम्बन्ध में A. J. Coale और E. Hoover द्वारा जो विकास मांडन प्रस्तुत किया गया, उसको सर्व-प्रथम भारत पर लागू किया था और फिर इसने अन्य राष्ट्रों पर भी लागू किया गया। इन सभी अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि जन की कमी द्वारा आर्थिक प्रगति की दर का बढ़ाना सम्भव है। जर्मनी में कमी करने से आर्थिक प्रगति की निम्न तीन प्रकार से लाभ प्राप्त होता है—

(क) २५ वर्षों के बाद में जर्मनी में ५०% की कमी कर देने से जनसंख्या की वृद्धि निम्न प्रकार होना सम्भवित्व होला है—

इस तालिका में आंकड़ों का अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि २५ वर्ष के बाद जर्मनी में ५०% कम हावर स्थिर हो जाते हैं और मृत्यु-दर में निरन्तर सुधार होता है। इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि २५ वर्षों में जर्मनी की जनसंख्या को ५०% कम करने की तुलना में महत्वपूर्ण कमी रहती है। यह कमी ३० वर्षों और उसके पश्चात् अधिक प्रभावशाली होती है। ५० वर्ष पश्चात् जर्मनी में कम करने के फलस्वरूप जर्मनी की स्थिति की तुलना में जनसंख्या घटाना आसानी से होती है। इस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि कम होने पर राष्ट्रीय आय का वितरण कम लोगों में किया जाता है जिससे प्रति व्यक्ति आय

तालिका स० १४—अल्प विकसित राष्ट्रां में जनसंख्या में सम्भावित वृद्धि¹

वय	जन्म दर में २५ वर्षों में ५०% की कमी करने पर जनसंख्या	जन्म दर में कोई कमी न करने पर जनसंख्या
प्रारम्भ में	१०००	१०००
१० वर्ष बाद	१३२८	१३७७
२० वर्ष बाद	१६८७	१६३१
३० वर्ष बाद	२०५३	२७५७
४० वर्ष बाद	२४८८	३६७५
५० वर्ष बाद	२९५०	५७३६
६० वर्ष बाद	३४२०	८७६७

एक जीवन स्तर में सुधार होना है। जनसंख्या की कम वृद्धि होने में अर्थ-व्यवस्था की उत्पादनक्षमता पर कोई प्रतिबन्ध प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादक के घटकी-पूँजा निमाण श्रम शक्ति का मात्रा एवं गुण तात्पर्यता एवं प्राकृतिक साधनों का परिमाण पर कोई प्रतिबन्ध प्रभाव नहीं होता है। श्रम शक्ति का परिमाण में भी अल्प काल अर्थात् लगभग १५ वर्षों तक कोई कमी नहीं आती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में कम गति में घटकी से प्रति व्यक्ति में आय में जो वृद्धि होती है, उसमें जनसाधारण का बचन करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है।

(आ) जन्म दर कम होने से उत्पादक धार्मिक शक्ति की आवश्यकता का सम्पन्न हो जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि जन्म दर २५ वर्षों में अर्थात् करने से १४ वर्ष से कम आयु वर्ग का कुल जनसंख्या से प्रतिगत ५० वर्षों में ४३४ से घटकर ३०५ रह जाता है। इसी प्रकार ६४ वर्षों में अधिक आयु वर्ग का प्रतिगत ५० वर्षों में ३३३ से घटकर ६१% हो जाता है अर्थात् कुल आयु वर्ग का प्रतिगत ४५६ से घटकर २० वर्षों में ३६६ रह जाता है। इसके साथ ही सक्रिय जन शक्ति का प्रतिगत ५० वर्षों में २४४ से बढ़कर ६३४ हो जाता है। जनसंख्या का संरचना में इन परिवर्तनों से प्रभाव होता है—अर्थ-व्यवस्था में उत्पादक उपभोक्ता का अनुकूल अनुपात। उत्पादक जनसंख्या पर आयु वर्गों का भार कम हो जाने में उनकी बचन करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह बचत या तो एच्छिक हो सकती है अथवा सरकार द्वारा कर द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

इस परिस्थिति के विपरीत जन्म-दर में कमी न करने पर आयु वर्ग (१४ वर्ष से कम और ६४ वर्ष से अधिक आयु वर्गों) का कुल जनसंख्या से प्रतिगत ४३६ से बढ़कर ५० वर्षों में ४६४ हो जाता है अर्थात् उत्पादक उपभोक्ता अनुपात पैदा की तुलना में प्रतिबन्ध हो जाता है।

1 George Zardas Population Growth and Economic Development—Finance and Development March 1969

(द) जन्म-दर कम करने में अम-शक्ति के परिमाण में १५ वर्षों तक ता कोई बर्बादी नहीं आयेगी क्योंकि नवजात शिशु १५ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् ही अम-शक्ति में सम्मिलित होत है परन्तु १५ वर्ष पश्चात् अम-शक्ति कम रहेगा। यदि राष्ट्र का अतिरिक्त रहा हो तो अम-शक्ति की कम वृद्धि से अर्थ-व्यवस्था का भार हानि नहीं होगी। इसके साथ ही जन्म-दर कम हो जाना पर अर्थिक वर्ग का अच्छा भावना, शिक्षा, एवं स्वास्थ्य-सुविधाएँ प्राप्त हों सर्वेगी जिम्मेदार उद्योगी-व्यापकता में वृद्धि होगा स्वाभाविक होगा।

यह अनुमान लगाया गया है कि जन्म-दर में २१ वर्षों में १०% की कमी करने पर एक राष्ट्र का जीवन-स्तर में २० वर्षों का अवधि में दूसरे जैसे राष्ट्र की तुलना में जिसमें जन्म-दर कम नहीं की गयी है ६०% अधिक सुधार होगा और ६० वर्ष की अवधि में जन्म-दर कम करने वाले राष्ट्रों में, दूसरे राष्ट्रों की तुलना में, जीवन-स्तर तुलना हो जायेगा। इस विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि जन्म-विविधित राष्ट्रों का आर्थिक प्रगति की गति का तीव्र करने के लिए जन्म-दर में कमी करना अति आवश्यक है।

भारत की जनसंख्या-वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति

भारत की जनसंख्या में सन् १९४१-४१ के दशक में १०६% प्रति वर्ष वृद्धि हुई। यह प्रतिशत सन् १९११-११ के दशक में वार्षिक १९% प्रति वर्ष हो गया। सन् १९६१-६१ वर्षों के काल में जनसंख्या की वृद्धि की दर वार्षिक २४% प्रति वर्ष हो गयी। यह अनुमान लगाया गया है कि जनसंख्या-वृद्धि का वार्षिक प्रतिशत सन् १९६६-७० काल में २५ रहेगा और चौथी योजनाकाल सन् १९६६-७६ में भी वृद्धि की दर २५% के आस-पास ही रहने का अनुमान है। सन् १९७६ के बाद जनसंख्या वृद्धि की दर से कमी होने का अनुमान लगाया गया है और यह सन् १९८०-८१ तक १७% प्रति वर्ष हो जायेगा। जनसंख्या-वृद्धि का प्रतिशत कम होने के अनुमान में यह मान लिया गया है कि सन् १९८०-८१ तक जन्म-दर ३६ प्रति हजार (सन् १९६६) से घटकर २६ प्रति हजार रह जायेगा और मृत्यु १४ प्रति हजार से घटकर ९ प्रति हजार रह जायेगी। जन्म-दर की कमी के लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का निरन्तर विस्तार किया जायेगा। यदि जनसंख्या की वृद्धि की दर को सन् १९८०-८१ के पश्चात् के २० वर्षों में १०% तक कम किया जा सके तो भारत की जनसंख्या सन् २००० तक ८७ करोड़ हो जायेगी। जन्म-दर को कम करने से सन् २००० तक भारत की जनसंख्या १२० करोड़ तक हो सकती है।

यदि प्रगति का माप प्रति व्यक्ति आय-वृद्धि के आधार पर किया जाय तो हमें पता होगा कि भारत अभी तक योजनाओं के अन्तगत अधिक प्रगति नहीं कर सका है। सन् १९५०-५१ से सन् १९६७-६८ वर्ष के काल में प्रति व्यक्ति आय में निम्न प्रकार वृद्धि हुई है—

तामिका त० १५—भारत में प्रति व्यक्ति आय की प्रगति^१

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय १९५०-६१ के मूल्या पर	प्रति व्यक्ति का निर्माण १९६०-६१ = १००
१९५०-५१	२६९०	८७७
१९५५-५६	२९१०	९४९
१९६०-६१	३०६७	१०००
१९६१-६२	३१०७	१०१३
१९६२-६३	३०८८	१००७
१९६३-६४	३१९२	१०४१
१९६४-६५	३३३६	१०५५
१९६५-६६	३०७	१००२
१९६६-६७	३०२४	९८६
१९६७-६८	३२१२	१०४८

सन् १९५०-५१ से १९६७-६८ के काल में प्रति व्यक्ति आय में २१% की वृद्धि हुई है जबकि हमारी राष्ट्रीय आय में इस काल में ७१% की वृद्धि हुई है। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण हमारी राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि होने हुए भी प्रति व्यक्ति आय में कौण्य वृद्धि नहीं हुई है। १७ वर्षों के निर्यात विस्तार के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में १२% की साधारण वार्षिक वृद्धि हुई है। यदि हम इस काल की प्रति व्यक्ति आय की चक्रवृद्धि वृद्धि (Compound Rate of Growth) की गणना करें तो यह लगभग १०.१% ही जामगी।

संसार के लगभग सभी विकसित राष्ट्रों की वृद्धिशीलता में जनसंख्या की वृद्धि की समस्या का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी योरोप समुक्त राज्य अमेरिका जापान आस्ट्रेलिया के आदि विकसित के फलस्वरूप प्रारम्भिक अवस्थाओं में जनसंख्या में वृद्धि हुई परन्तु यह देश प्रति व्यक्ति आय का कम स्तर एवं कम तथा मृदु दर की ऊँची दर की स्थिति से निकलकर ऊँची प्रति व्यक्ति आय तथा कम जन्म एवं मृत्यु दर के सन्तुलन की स्थिति तक पहुँचने में सफल हुए हैं। इन देशों में तबोत तांत्रिकताओं एवं अधिक पूँजी निमाण का उपयोग करने उत्पादन का निरन्तर बढ़ावा और कम जन्म एवं मृदु दर पर अधिक प्रति व्यक्ति आय का सन्तुलन स्थापित किया है। भारत में इसी ओर प्रयत्नशील है और परिवार नियोजन के विस्तार एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाकर जन्म एवं मृत्यु-दर को कम करने का प्रयास जारी है। वर्तमान में भारत उस स्थिति से गुजर रहा है अर्थात् देश में मृदु दर को कम हो गयी और जन्म-दर में अभी विचार करने जग है। अथ अल्प विकसित

राष्ट्रा के समान भारत की जनसंख्या की मरचना विनाश के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि उत्पादन उपमात्ता का अनुपात अनुपुन नहीं है और उत्पादन-वग पर आधियों का भार जत्यधिक है। जस-जैसे जम दर म कमी हानी जायगी, इस स्थिति म सुधार हाना जायगा। यह सुधार सन् १९८० ८१ क पश्चात से स्पष्ट दीखन लगेगा यदि जम एवं मृत्यु-दर म अनुमानों के अनुसार वमी हती है।

आर्थिक प्रगति के सिद्धांत—१

[Theories of Economic Growth—1]

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक प्रगति के सिद्धान्त (Classical Theories of Economic Growth)

[प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक प्रगति के सिद्धांत—
एडम स्मिथ का प्रगति का सिद्धान्त—मुक्तसाहम एवं प्रतिस्पर्धा, श्रम
विभाजन, विकास प्रक्रिया, मजदूरी का निर्धारण लाभ निर्धारण,
लगान का निर्धारण व्याज, विकास का क्रम—रिजार्डों का आर्थिक
प्रगति का सिद्धान्त अर्थ-व्यवस्था का सगठन जनसंख्या में वृद्धि,
पूँजी मचयन की प्रक्रिया स्थिर अवस्था का उदय होना प्रतिष्ठित
अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्तों के दाएँ—मार्क्स का आर्थिक प्रगति का
सिद्धान्त—इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या उत्पादन की विधि एवं
उत्पन्न प्रभाव अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त, पूँजीवाद का पतन चक्रीय
उत्थावचान मार्क्स के विकास सम्बन्धी विचारों का मूल्यांकन]

जल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक परिस्थितियों का ऐसा दूषित चक्र चलाया जाता
रहता है जो राष्ट्रीय उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने में बाधक होता है। इस दूषित
चक्र के अंग होते हैं—उत्पादकता का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर बचत
एवं पूँजी निर्माण की गति धीरे धीरे तांत्रिक आविष्कारों की अनुपस्थिति जनसाधारण
का आर्थिक पिछाईपन आदि। इस दूषित चक्र में सम्मिलित विभिन्न घटक एक दूसरे
के कारण एक प्रभाव होते हैं। इस चक्र का ताजे बिना अर्थ-व्यवस्था का आर्थिक
विकास सम्भव नहीं होता है। इस दूषित चक्र के तोड़ने एवं विकास के प्रयत्न
की सन्निय होना की प्रविधि का आर्थिक सिद्धान्तों में अत्यन्त अध्ययन किया जाता है।
आर्थिक प्रगति के सिद्धान्तों का आधार बजार के विभिन्न राष्ट्रों का आर्थिक इतिहास
है। विभिन्न विकसित राष्ट्रों की प्रगति की प्रविधि का अध्ययन अर्थशास्त्रियों द्वारा
किया गया है और फिर इस अध्ययन को सिद्धान्त का रूप दिया गया है। आपूर्ति
अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक इतिहास में अध्ययन एवं बहस-तर्क हुई आर्थिक परिस्थितियों के
आधार पर कुछ भौतिक विचार सिद्धान्तों का रूप में प्रस्तुत किया है। आर्थिक प्रगति के
सिद्धान्तों द्वारा हम यह स्पष्टीकरण प्राप्त होता है कि बजार के कुछ राष्ट्रों अर्थिक

सम्पन्न और कुछ निधन क्यों बने हुए हैं तथा विभिन्न राष्ट्रों की विनाश की प्रवृत्ति में निम्न घटकों का किस प्रकार एवं विनाश साधन रहा है।

राजनीतिक अर्थशास्त्र प्रारम्भ में समाज जयदा राष्ट्र के धनात्मक एवं धन के विभिन्न क्रियाओं में उपयोगों से सम्बन्ध रखता था। आर्थिक विकास की समस्या एवं पूँजीवाद के विकास की त्तर सर्वप्रथम ध्यान प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का गया। इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, रिकार्डो एवं मान्यस प्रमुख थे। बाद में वास्तु माकन ने अपना पूँजीवाद का पठन का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसका आधार भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा निर्धारित पृष्ठभूमि ही था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा अपने सिद्धान्त उस समय प्रतिपादित किए गये जब इंग्लैंड ने सत्कार में अपना औद्योगिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इन अर्थशास्त्रियों ने जन सिद्धान्त में इन घटकों का स्पष्टीकरण किया जिससे द्वारा इंग्लैंड में श्रुति की प्रगति हुई थी। इसके बाद मुन्सीटर, कोन एवं काम्ब के बाद के अर्थशास्त्रियों ने बदलता हुआ परिस्थितियों के आधार पर प्रगति के सिद्धान्त प्रतिपादित किए।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक प्रानि के सिद्धान्त

एडम स्मिथ का आर्थिक विकास का सिद्धान्त

एडम स्मिथ का प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रिया में प्रमुख अर्थशास्त्री माना जाता है और इनके द्वारा रचित पुस्तक, 'An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations' अर्थशास्त्र की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया का बान अपने इस पुस्तक में किया है परन्तु यह विस्तृत प्रसंगिक है कि के कारण जन्म लेता है प्रवृत्त होता है। इस पुस्तक में निरन्तर उन समस्याओं एवं निम्नी आवश्यकियों का सुझाव दिया है जिन्हें द्वारा मुक्त एवं मूक प्रतिस्पर्धा में बाधाएं स्पष्ट हैं। एडम स्मिथ के प्रगति के सिद्धान्त की प्रमुख विचारधारणें निम्न प्रकार वर्णित की जा सकती हैं—

(१) मुक्त राष्ट्र एक प्रतिस्पर्धा—एडम स्मिथ के विचार में आर्थिक विकास के लिए मुक्त राष्ट्र एक मुक्त प्रतिस्पर्धा अत्यन्त आवश्यक है। उनके विचार में प्रवृत्ति में आर्थिक पदार्थों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि उस के (प्रवृत्ति) द्वारा निर्धारित न्यायपूर्ण वैधानिक पद्धति ही विकास करने का सर्वोत्तम साधन है। प्रवृत्ति द्वारा निर्धारित 'जायपूर्ण वैधानिक पद्धति' का अर्थ एडम स्मिथ द्वारा यह व्यवस्था से किया गया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों का, अन्य सदस्यों के स्वार्थ से मुक्त रहना अनुमति करने के अधिकार को सुरक्षित प्राप्त होता है परन्तु यह अधिकार समाज के अन्य प्रत्येक सदस्य का ऐसा ही अधिकार के सुरक्षित में मौजूद होता है अथवा प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों का सन्ध बनाकर आर्थिक क्रियाएँ करने का अधिकार होता चाहिए और इस अधिकार पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए।

परन्तु इस अधिकार का सीमाएँ स्वतः ही जय प्रत्येक व्यक्ति व इस प्रकार के अधिकार से निर्धारित हूँगा रह्यो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और वह अपने हितों की पूर्ति इस स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के आधार पर ही कर सकता है। एडम स्मिथ ने इस व्यवस्था का प्राकृतिक स्वतंत्रता का नाम दिया और विचार प्रवृत्ति लिया कि यदि इस प्राकृतिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने हैं तो राष्ट्रीय प्रगति में बाधा आ जायगी। अर्थ-व्यवस्था का 'अदृश्य हाथों' द्वारा यदि संचालित होना के लिए मुक्त छोड़ दिया जाय तो समर्थन एवं लाभकारी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना ही सकती है। अदृश्य हाथों ने स्मिथ का शापम मुक्ति प्रतिस्पर्धा से उदय हुई शक्तियाँ न दें या अर्थ-व्यवस्था में आवश्यक समायोजन स्थापित करता रहता है।

(२) धर्म विभाजन—आर्थिक प्रगति का प्रभावित करने वाले घटकों में एडम स्मिथ ने धर्म विभाजन का महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके विचार में धर्म विभाजन द्वारा धर्म का उत्पादनशक्ति में वृद्धि होती है। धर्म विभाजन एवं विनिष्ठाकरण द्वारा धर्मिका की निपुणता में वृद्धि होना है वस्तुओं के उत्पादन में लगन बाल समय में कमी होता है तथा अच्छी मशीनों एवं प्रसाधनों का आविष्कार होता है। इस प्रकार धर्मिका का कार्यकुशलता वर्तमान प्रसाधनों से कार्य करने पर इसलिये बढ़ जाती है कि वह अधिक निपुण हो जाना है और आविष्कार द्वारा नवान यंत्र एवं प्रसाधन भी उनकी कुशलता के बढ़ाने में योगदान देते हैं। यह दोनों ही प्रभाव धर्म विभाजन के फलस्वरूप उदय होना है।

परन्तु धर्म विभाजन द्वारा उत्पादकता बढ़ाने की प्रक्रिया की तान पर सीमाएँ हैं—

(अ) धर्म विभाजन का प्रारम्भ मानव की एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करने की प्राकृतिक इच्छा से होता है। स्मिथ के विचार में विनिष्ठाका प्रभाव एवं परिणाम होता है और विनिष्ठा के फलस्वरूप धर्म विभाजन का विस्तार होता है।

(आ) धर्म विभाजन के प्रारम्भ अथवा विस्तार के लिए पूँजी संचयन होना आवश्यक है। पूँजी संचयन के लिए बचत का होना आवश्यक होता है और बचत अथवा पूँजी मितव्ययता से बढ़ती है तथा निष्कलषर्ण एवं सुरक्षित से बढ़ती है। पूँजी की प्रत्येक वृद्धि अथवा कमी से उद्योगों की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी होता है जिससे उत्पादक धर्म देने के धर्म एवं भूमि के वाणिज्य उत्पादों के विनिष्ठा-भूय तथा नागरिकों के धन एवं आय पर प्रभाव पड़ता है।

(इ) धर्म विभाजन की प्रक्रिया की तीसरी सीमा बाजार का आकार होती है। यदि बाजार संकुचित हो और उत्पादकों को अपने उत्पादन के अनिरेक (Sur

plus) के विनिमय के बदलने से होते हैं ता नार्द भी व्यक्ति एक ही प्रकार के रोज-गार में या "हद" अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं करेगा। इस प्रकार बाजार मरुचित होने पर धन-विभाजन का गान प्राप्त न हो सकेगा। इस सम्बन्ध में विदेशी व्यापार के विस्तार से विशेष ध्यान देना है। एडम स्मिथ ने विदेशी व्यापार के विस्तार को आर्थिक विकास के लिए लाभकारी समझ बताया है।

(३) विकास प्रक्रिया—एडम स्मिथ के अनुसार विज्ञान की प्रक्रिया सबसे होती है। प्रारम्भ में विज्ञान की पर्याप्त सम्भावनाएँ एक पूर्ण-सचयन की सम्भावना होने से धन-विभाजन बदल जाता है जिससे उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है। उत्पादन की वृद्धि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर में वृद्धि एक जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या की वृद्धि से विज्ञान में नौकरी का विस्तार होता है और गरीबों की वृद्धि से बचप में वृद्धि होती है। धन के विनिष्पन्न एक विज्ञान के विस्तार में उत्पादन में वृद्धि करने की योजनाएँ प्रस्तावित की जाती हैं। इन योजनाओं में और अधिक विनिष्पन्न एक उत्पादन में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया थीं धीरे-धीरे जाती है और अर्थ-व्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ही जाती है। एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करता है और अर्थ-व्यवस्था के सम्पूर्ण क्षेत्र विकसित हो जाते हैं।

विकास की इस प्रक्रिया में बाहरी निरूपणकारों के मदद की भी एडम स्मिथ ने प्रस्ताव रखा है। बाहरी निरूपणकारों (जिसमें सरकारें, नया जाति समिति होते हैं) से अर्थ-व्यवस्था के एक क्षेत्र के व्ययकारों की सहायता हो जाती है जिसे वह निरूपणकारें उपलब्ध होती हैं। एक क्षेत्र की सहायता करने से इन क्षेत्रों की भी लाभ प्राप्त होता है जो पहले वाले क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया का एक प्रारम्भ हो जाता है।

(४) मजदूरी निर्धारण—स्मिथ के अनुसार मजदूरी का निर्धारण धर्मियों एवं पूँजीपतियों की सहायता की सम्भावना पर निर्भर करता है। जब पूँजी-सचयन की वृद्धि से हा-हा हो तो पूँजीपतियों का सम्बन्ध एक धर्म प्राप्त करने के लिए मजदूरी निर्धारण करती पड़ती है जिससे मजदूरी की दरें बढ़ जाती हैं परन्तु धन की मात्रा में यदि निरन्तर वृद्धि होती रहे तो जनसंख्या में वृद्धि होती है और धर्मियों की वृद्धि बढ़ने जाती है। यदि जनसंख्या की वृद्धि से धर्मियों की पूर्ण आवश्यकता से अधिक हो जायगी तो मजदूरी की दरें कम हो जायगी जिससे जनसंख्या की वृद्धि कम होने लगेगी और यह दर मात्र के अनुसार समायोजित हो जायगी। इस प्रकार एडम स्मिथ के अनुसार मजदूरी निर्धारण परिस्थितियों में धर्मियों के जीवन-निर्वाह के लिए एक धर्म प्राप्त होता है और पूँजी-सचयन में तीव्र वृद्धि होने पर यह मजदूरी-दर इस जीवन-निर्वाह स्तर से ऊँची पठ जाती है। मजदूरी-दर की वृद्धि पूँजी-सचयन की दर से जनसंख्या की वृद्धि की दर पर निर्भर रहती है।

(५) लाभ निर्धारण—स्मिथ ने अनुसार पूँजी सचयन वृद्धि होने से एक बार मजदूरी व वृद्धि और दूसरी बार लाभ कम होनी है। जब बहुत से घनी यापारी कृषि एक यापार व अपनी पूँजा का विनियोजन कर देने हैं तो उनकी परस्परिक प्रतिस्पर्धा बढ जाती है जिससे लाभ कम हो जाता है। इसी प्रकार जब सभी यापारों व पूँजा में वृद्धि होनी है तो इससे उदय हुई प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप उन सभी व लाभ कम हो जाता है।

स्मिथ व अनुसार लाभ एवं मजदूरी विक्रम की प्रक्रिया व उस समय तक घटत घटत रहते हैं जब तक कि जनसंख्या व आकांक्षानुसार पर्याप्त वृद्धि नहीं है और पूँजी स्टाक बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा स्थिति व अथ व्यवस्था का उत्तकी भूमि एवं बलवायु तथा उसकी स्थिति व अनुसार विभिन्न ढंग से म्यादिन सम्बन्धों का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था व पहुँचकर पूँजी सचयन की दर कम होन लगती है और मजदूरी की दरें भी कम हो जाती हैं। जब अथ व्यवस्था स्थिर अवस्था व पहुँच जाती है जहाँ पूँजी सचयन एवं आर्थिक विकास का प्रक्रिया शून्य हो जाते हैं।

(६) लगान का निर्धारण—स्मिथ व विचार व लगान भूमि पर एकाधिकार का प्रतिफल होता है। आर्थिक प्रगति के साथ लगान व सामान्य वृद्धि हान के सम्बन्ध व स्मिथ ने कोई ठोस दलील प्रस्तुत नहीं की है।

(७) याज—स्मिथ के विचार व पूँजी सचयन की प्रक्रिया व व्याज की दर दर सहायता प्रदान करती है। याज की दर कम होन पर साहूकार ऋण प्रदान करने को क्रिया की प्रवण करन का प्रयत्न करते हैं जिससे वह अधिक ऋण देकर अधिक व्याज कमा सकें और अपने रहन सहन व अनुकूल जीवन-स्तर का निर्वाह कर सकें। व्याज की दर और अधिक कम होन पर साहूकारों का ऋण प्रदान करने से पर्याप्त भाग प्राप्त नहीं होता है और वे स्वयं व्यवसायों को संचालन करने के लिए पूँजी विनियोजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस परिस्थिति व आर्थिक विकास की दृष्टि व वृद्धि होती है।

स्मिथ के विचार व परिश्रमी राष्ट्र कम याज दर एवं अधिक व्यापार व आभार पर उन्नति कर सकता है। जब कृषि राष्ट्र व पूँजी सचयन इतना अधिक हो जाता है कि वह देन अपनी भूमि एवं बलवायु का सम्पूर्ण लाभ उठाना प्रारम्भ कर देता है और प्रत्येक यापार के पास पर्याप्त पूँजी का स्टाक हो जाता है तो व्याज की दर कम होकर घनी हो जाती है कि उत्तम नेचल आर्थिक के पारिश्रमिक का ही पूर्ति होती है। इसी परिस्थिति व अनिच्छित विनियोग लाभप्रद नहीं रहता है और अथ व्यवस्था स्थिर अवस्था व प्रवण कर जाती है जिससे जाने और अधिक विकास सम्भव नहीं होता है।

(द) विकास का भ्रम—स्मिथ के अनुसार विकास की प्रक्रिया में सुव्यवस्था कृषि का विकास होता है। कृषि के बाद निर्माणा क्रियाओं एक क्रम में वाणिज्य का विकास होता है। कृषि विकास आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया का क्रियाशील हान के लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि कृषि उत्पादों द्वारा ही अनिश्चित जनसंख्या का भरण-पोषण हो सकता है और यह अनिश्चित जनसंख्या विभिन्न बस्तियों के आर्थिक क्रियाओं में काम करने के लिए आवश्यक होती है। स्मिथ के विचार में विकास के प्रारम्भिक काल में कृषि क्षेत्र में उत्पादन-शक्तिधियों की वर्तमान स्थिति में जागी गन्तव्य कृषि प्रौद्योगिकी, बीज, खाद एवं सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करनी चाहिए जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इनके साथ छोटे पैमाने के उत्पादों का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे अनिश्चित शक्तियों का सामान्य की व्यवस्था की जा सके। इस प्रकार जब भ्रम में वृद्धि होना लगे तो ही ही विद्यमान एक सम्भावित सुव्यवस्था का अर्थ पूँजी-विनियोजन एक नवीन तांत्रिकताओं के लिए उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

यद्यपि स्मिथ ने अपने विचार आर्थिक विकास के सिद्धान्त के रूप में प्रकट नहीं किए परन्तु उनमें विचारों का प्रभाव बाद के आर्थिक विकास के सिद्धान्तों पर पड़ा रहा है। पूँजी संचयन का महत्त्व स्मिथ अध-व्यवस्था का विचार तथा विकास प्रक्रिया में सरकारों के हस्तक्षेप के सिद्धान्तों को बाद के प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने भी मान्यता प्रदान की।

रिकार्डों का आर्थिक विकास का सिद्धान्त

रिकार्डों ने एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित आर्थिक प्रगति के सिद्धान्त का और परिष्कृत एवं विस्तृत करके अर्थिक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है परन्तु स्मिथ के समान रिकार्डों भी अपने विचारों की स्पष्ट एवं क्रमबद्ध रूप से व्यक्त नहीं कर पाया है। उसके विकास-सम्बन्धी विचार उसकी पुस्तक *The Principles of Political Economy and Taxation (1816)* में जगह-जगह पर अव्यवस्थित रूप से व्यक्त किए गये हैं। उसके द्वारा प्रतिपादित विकास प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके उन पक्षों का अध्ययन करना होता है जो उसने अपने समय के अन्य अर्थशास्त्रियों की लिखे हैं। रिकार्डों द्वारा प्रतिपादित विकास प्रक्रिया की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं—

अर्थ-व्यवस्था का संगठन

रिकार्डों ने विचार में अर्थ व्यवस्था में तीन प्रकार के कार्य करने वारों के बंध समूह होते हैं—पूँजीपति-वर्ग, श्रमिक-वर्ग तथा भूमिपति-वर्ग। इनमें से पूँजीपति बंध लोग होते हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को निर्देशित करते हैं और इनका अर्थ-व्यवस्था में आधारभूत स्थान होता है। उत्पादन करने के लिए यह भूमिपतियों से लगान पर भूमि लेते हैं और श्रमिकों का उत्पादन के औजार-संचालन आदि प्रदान

करते हैं। यह मजदूरी के रूप में श्रमिका को साक्ष्य पदार्थ वस्त्र एवं अन्य वस्तुएँ प्रदान करते हैं जो धार्मिक उत्पादनकाल में बनकर उपभोग करते हैं। पूँजीपति एक बार साधना का विभिन्न उत्पादना पर कुशलतापूर्वक आन्दन करता है और दूसरी बार अपने लाभ का पुनर्विनिर्वाह करके पूँजी संचयन में वृद्धि करता है जिससे आर्थिक विकास का प्रक्रिया सत्रिय होता है। पूँजीपति अपनी पूँजी को अधिकतम लाभोपादन करने वाली उत्पादन क्रियाओं में लगाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है और पूँजी का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र (Sector) में उन्नेयना की लाभोपादन क्षमता के आधार पर हस्तान्तरित एवं आहूत करता है। इस क्रिया से कृषि एवं उद्योग के क्षेत्रों की उत्पादन की समस्त शाखाओं में किसी विशेष समय में लाभ समान हो जाता है—लाभ में अन्तर केवल विभिन्न शाखाओं की आर्थिक एवं अनिश्चितता के कारण ही रह जाता है। इस प्रकार पूँजीपति उत्पादन के साधना के कुशल विवरण का कार्य भी करता है।

दूसरी ओर श्रम, सख्या में बढते अधिक ज्ञान हुए भी पूँजीपति पूँजीपति पर निर्भर रहता है क्योंकि उसके उत्पादन करने के लिए आवश्यक औजार एवं अन्य प्रसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। श्रम का भूमि पूँजीपति द्वारा उनके जीवन निर्वाह के लिए दा जाती है। पूँजीपति द्वारा निर्धारित मजदूरी फण्ड का श्रमिका का सत्या में विभाजित करने पर मजदूरी दर निर्धारित होता है। श्रमिका की सत्या की गणना उनकी उत्पादन योग्यता के आधार पर की जाती है। श्रमिकों की सत्या उनकी मजदूरी से उपरान्त होने वाली अनिवायताओं एवं सुविधाओं पर निर्भर रहती है। रिकार्डों के विचार में परम्पराओं एवं स्वभाव के अनुसार निर्धारित की गयी स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक वास्तविक मजदूरी वह होती है जिससे श्रमिका का वर्तमान सत्या तो बना रहती है परन्तु उसमें कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं होती है। इस वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होने पर श्रमिकों की जनसख्या बढने लगती है और कम ही ज्ञान पर इनका सत्या कम हो जाती है। यह वास्तविक मजदूरी समदानुसार एवं विभिन्न देशों में भिन्न होती है।

जनसख्या में वृद्धि

रिकार्डों के विचार में जब नये नये क्षेत्रों में विवास आरम्भ होता है तो प्राकृतिक भूमि में वृद्धि होने लगती है क्योंकि पूँजी की वृद्धि के अनुरूप श्रमिकों का सख्या में वृद्धि होना सम्भव नहीं होता है। विकास के प्रारम्भ में उपजाऊ भूमि का अधिक उपयोग होने के कारण श्रमिकों की उत्पादनक्षमता अधिक होती है और पूँजी संचयन की गति भी श्रमिका की वृद्धि का तुलना में तीव्र रहता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास आगे बढ़ता है एवं जनसख्या बढ़ती है अधिक भूमि का उपयोग होना प्रारम्भ हो जाता है और कम उपजाऊ भूमि पर भी उत्पादन होने लगता है। उपजाऊ भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा होती है जिसके फलस्वरूप उपजाऊ भूमि का कुछ भाग उपजाऊ भूमि के भूमिपति

को लगान के रूप में दिया जाने लगता है। वृषि-पशुओं की माँग बढ़ने पर कम उपजाऊ भूमि पर अधिक उपज देने के लिए पूँजी एवं श्रम की अधिक वृद्धियों का उपयोग होता है। इस परिस्थिति में उत्पात्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पात्ति ह्रास नियम के लागू होने के कारण वृषि-उत्पादकों में उपजाऊ भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा होती है और लगान उदय होता है। लगान के उदय होने में उत्पादन के एक घटक भूमि की लागत बढ़ जाती है जिससे श्रम की प्राकृतिक वास्तविक मूल्य में भी वृद्धि होने लगती है क्योंकि भूमिपति अपना बच्चा हुआ लगान व्यय में से निचान का रूप धारित करके एवं पूँजीपतियों में भाग में बाँटने को द देता है। इस रूप में से श्रम बढ़ना बनी हुई मूल्य प्राप्त करता है जिससे श्रम कम हो जाता है।

रिवाजों के विचार में श्रम-गति में बढ़ते पूँजी की वृद्धि के अनुपात में वृद्धि होती है। पूँजी के निरन्तर वृद्धि होने पर श्रम की माँग में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि का प्रस्तावना मिलता है। मति की धारा दर श्रम की माँग एवं पूँति के आधार पर निर्धारित होती है। श्रम की माँग में वृद्धि अर्थ-व्यवस्था के पूँजी-व्याप में वृद्धि होने के अनुपात में होती है। नूतने गतियों में, श्रम की माँग पूँजी की वृद्धि के अनुपात में बढ़ती है। जब श्रम की पूँति श्रम की माँग की तुलना में कम होती है तो मूल्य की प्राकृतिक दर भी बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में पूँजी की तुलना में जनसंख्या कम दर से बढ़ती है। प्राकृतिक मति-दर में वृद्धि होने से पूँजी पर ध्यात एवं लागत को दर कम हो जाती है। पूँजी पर ध्यात एवं लागत कम होने से पूँजी-संचयन की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और आर्थिक विकास की गति कम हो जाती है।

पूँजी-संचयन की प्रक्रिया

रिवाजों के विचार में पूँजी राष्ट्रीय धन का वह भाग होता है जो व्यापक क्रियाओं में निवेशित किया जाता है। वह नया बच्चा भाग जी-एन-एच, एनएच, एनएच आदि के रूप में हो सकती है। पूँजी-संचयन की प्रक्रिया में दो घटक मुख्य से कार्य करते हैं। प्रथम, बचत करने की क्षमता और द्वितीय, बचत करने की इच्छा। बचत करने की क्षमता देश के नागरिकों की उस अतिरिक्त आय पर निर्भर रहती है, जो वह अपना जीवन निर्वाह करने के पर्याप्त अतिरिक्त के रूप में बचाता है। अतिरिक्त की रिवाजों में शुद्ध आय (Net Revenue) का नाम दिया है। इस अतिरिक्त का शुद्ध भाग पूँजीपतियों एवं भूमिपतियों के द्वारा अपने आराम गति के लिए उपयुक्त हो जाता है। जब लागत की दर अधिक होती है तो पूँजी एवं भूमि-पतियों में संचय करने की इच्छा होती है और जब लागत की दर कम होती है तो वे अपने उपभोग को नियंत्रित करते हैं। पूँजी संचय करने की इच्छा व्यापक की दर से भी प्रभावित होती है। व्यापक की दर कम होने पर पूँजी-संचयन की इच्छा कम होने लगती है।

रिवाजों व अनुसार, व्याज और लगान में घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिन देशों में लगान की दर अधिक होती है वहीं व्याज की दर कम रहती है जिससे परस्पर पूजा सम्बन्ध भी कम होता है। यह परिस्थिति ऐसे देशों में पायी जाती है जिनमें भूमि कम उपजाऊ हो और खाद्यान्न का आयात नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, उपजाऊ भूमि वाले देशों में लगान की दर कम होती है और पूँजी पर व्याज एवं लाभ की दर सामान्य अथवा अधिक रहती है जिससे पूँजी निर्माण एवं आर्थिक विकास सम्भव होता है।

रिवाजों व विचार में मुक्त व्यापार (Free Trade) द्वारा मंगार में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि का जो संकेत है और उत्पादन व मापना का अधिक उपयोग किया जा सकता है। उसका विचार में कर आय का ऐसे लोगों में वितरण में सहायक करता है जो उपयोग व इच्छुक होते हैं। कर से मोदित गति में वृद्धि होता है और पूँजीपति व लाभ में वृद्धि होती है। कर में वित्तीयोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

रिवाजों की इस विचारधारा में लगान घटने में भूति बढ़ती है और लाभ कम होता है का एक आर्थिक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। माना जाय कि भूमि एक पूँजी की समान कम उत्पादन इकाई प्रति एकक ४ विद्यमान है। उत्पादन करती जिसका मूल्य ८० रु० प्रति विद्यमान की दर से ३२० रु० होता है। विकास की प्रगति होने से एक एक पूँजी का एक युक्तम उत्पादन इकाई में ३० विद्यमान है। उत्पादन होता है (क्योंकि उत्पत्ति प्राप्त नियम लागू होता है और कम उपजाऊ भूमि का उपयोग होता है) जिससे अन्त में मूल्य में वृद्धि हो जाता है। यदि यह मूल्य ६० रु० प्रति विद्यमान हो जाता है तो ६ विद्यमान उत्पादन करने वाले की अब ३६० रु० मिलेगा। इस रक्ति में ३० (४ - ३०) ० ३२ विद्यमान लगान व रूप में भूति का दना प्रवेश जिसका मूल्य १० रु० होगा। इस प्रकार उत्पादन व लाभ ३५२ रु० का जो जिसमें भूति एवं लाभ का भुगतान होता है। यदि जीवा विवाह, मजदूरों का पूँजी की सम्बन्धित इकाई की लगान १ विद्यमान के बराबर हो तो मजदूरों के रूप में (१ - ६०) ६० रु० का पड़ना और उसका लाभ २० विद्यमान है अथवा २५२ रु० होगा। विकास व पूँजी इस रूप का अपनी उपज का मूल्य (४ × ६०) ३२० रु० प्राप्त होगा जिसमें मजदूरों का लगान उसे नहीं देना पड़ता और भूति एक पूँजी के लिए १ विद्यमान है अर्थात् (१ × ६०) ६० रु० दना पड़ता। इस परिस्थिति में उसका लाभ २८० रु० होता है। इस प्रकार विकास व साथ लगान धूँय में बढ़कर १६ रु० हो गया। मजदूरों ६० रु० में बढ़कर ६० रु० हो गयी परन्तु लाभ २८० रु० से घट कर २५२ रु० रह गया। इस उदाहरण में रिवाजों का यह विचार स्पष्ट होता है कि उससे विकास में किस प्रकार विकास के बढ़ने के साथ लगान में वृद्धि भूति में वृद्धि एवं लाभ में वृद्धि होती है। निर्माता क्षेत्र में भी यही परिस्थिति होती है क्योंकि उत्पत्ति समता नियम लागू होने पर निर्माता

वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। पूँजी संचयन के पदचालन निर्माणा उद्योग (Manufacturers) का कुल प्रारंभिक पहलू के अंतर में घटती है परन्तु इस प्रारंभिक मूल्य में मजदूरी अधिक नहीं बढ़ती है जिससे अन्त में लाभ के रूप में कम राशि बचती है।

स्थिर अवस्था का उदय होना

रिक्तों के विचार में पूँजी निर्माण की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती है जब तक कि लाभ की दर 'न्यूनतम दर' से अधिक रहती है और जनसंख्या की वृद्धि उस समय तक जारी रहती है जब तक कि अर्थशास्त्र का सामाजिक भूमि परम्परागत 'न्यूनतम' जीवन निर्वाह मूल्य (Customary Minimum) से अधिक मिलती है। पूँजी निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक एवं मौद्रिक दोनों ही भूमियों में वृद्धि होगी परन्तु सामाजिक भूमि की वृद्धि अन्यायी होगी है क्योंकि इस वृद्धि से प्रारंभिक पात्र जनसंख्या की द्रव्य राशि में वृद्धि होना लगती है जिससे परम्परागत सामाजिक भूमि दीर्घ काल में परम्परागत 'न्यूनतम स्तर' तक आ जाती है परन्तु मौद्रिक भूमि में वृद्धि जारी रहना है क्योंकि कृषि के अभाव में उत्पादन उपलब्ध करने के लिए कम उत्पादन भूमि का उपयोग होता है जिससे परम्परागत सामाजिक नियम लागू होना के कारण कृषि उत्पादों की लागत अधिक जाती है और उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। सामाजिक अर्थशास्त्र के अभाव में प्रमुख अर्थ होने हैं और इनके मूल्य बढ़ने से अर्थशास्त्र की जीवन-निर्वाह की मौद्रिक लागत बढ़ जाती है जिससे अर्थशास्त्र की मौद्रिक भूमि में वृद्धि होना सामाजिक होना है। मौद्रिक भूमि की वृद्धि से कृषि एवं निर्माण-व्यवसायों में लाभ की दर कम हो जाती है जिससे परम्परागत पूँजी संचयन की दर में कमी आ जाती है। पूँजी संचय की दर कम होना से विकास की गति एवं राष्ट्रीय उत्पादन कम होने लगता है। इस प्रकार लाभ की दर में निरन्तर कमी होना से यह स्तर पर आ जाता है जब अनिच्छित पूँजी-संचयन में निहित आर्थिक एवं सामाजिक कृषि पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अनिच्छित पूँजी संचयन बढ़ हा जाता है और अर्थ-संस्था स्थिरता की अवस्था में प्रविष्ट हो जाती है। इस स्थिर अवस्था में—(अ) अनिच्छित पूँजी संचयन नहीं होता, (आ) जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती, (इ) लागत की दर ऊँची होती है, (ई) सामाजिक मजदूरी-दर 'न्यूनतम स्तर' पर होती है (उ) लाभ की दर लगभग शून्य होती है, (ऊ) मौद्रिक भूमि पर अधिक होती है (ए) आर्थिक प्रगति की दर शून्य हो जाती है। रिक्तों ने अर्थ-व्यवस्था की इस स्थिर अवस्था का निराशाजनक नहीं माना है। उसके विचार में यह अवस्था विकास और पतन की व्यवस्था होती है।

रिक्तों द्वारा आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया की प्रणाली के मूल तत्वों की अधिकतर प्रतिष्ठित अवधारणियों ने उचित समझा है। रिक्तों के सिद्धान्त में विकास सम्बन्धी कुछ आधारभूत बातों का स्पष्ट विश्लेषण किया गया है अर्थ-विकास होने पर

विभिन्न वर्गों के आय के भाग का निर्धारण कैसे होना है अथ व्यवस्था गतिशील रहनी है और उसमें निरन्तर परिवर्तन होने हैं जब तक कि वह स्थिर अवस्था में प्रविष्ट नहीं होता है विकास के आधारभूत तत्व—पूँजी संचयन जनसंख्या लाभ मजदूरी एवं लगान के पारस्परिक सम्बन्ध आदि।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्तों के दाप

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विकास के सिद्धान्त अतः तोपजनक समझे जाते हैं और इनके द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया का प्रयोग अब नहीं किया जाता है। इस परिस्थिति के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं—

(१) प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विकास सिद्धान्तों के दो मूलभूत आधार हैं—(अ) उत्पात्ति ह्रास नियम (आ) माध्यम का जनमर्यादा का सिद्धान्त। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों नियमों का आर्थिक विकास के साथ लागू होना अनिवार्य समझा है और इन नियमों के लागू होना ही आर्थिक विकास की सीमाएं बाधक का प्रयत्न किया है। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के इतिहास से यह सिद्ध होता है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की इन नियमों के लागू होने की मायना त्रुटिपूर्ण है।

(२) पश्चिमी राष्ट्रा में जनसंख्या के परिवर्तन ने यह सिद्ध कर दिया है कि माल्यस की जनमर्यादा का सिद्धान्त लागू होना आवश्यक नहीं है। यदि माल्यस के सिद्धान्त का प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास सिद्धान्तों से निकाल दिया जाए तो भूमि के जीवननिर्वाह स्तर के आस पास रहने की प्रवृत्ति चलन सिद्ध हो जाती है और फिर आय के वितरण के विचार भी त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं।

(३) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने तात्त्विक प्रगति के महत्त्व का ठीक अनुमान नहीं लगाया है। तात्त्विक सुधारों द्वारा उत्पात्ति ह्रास नियम के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप बढ़ते हुए लगान एवं घटते हुए लाभ की विचार धारा गलत सिद्ध हो सकती है और विकास के इन सिद्धान्तों के आधारभूत तत्व ही महत्त्वहीन हो जाते हैं।

(४) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विचार कि अर्थ व्यवस्था स्वयं एकी स्थिति में पहुँच जाती है जहाँ आर्थिक विकास रुक जाता है और स्थिर अवस्था का प्रारम्भ हो जाता है या जनसंख्या सम्बन्धी माल्यस के सिद्धान्त और उत्पात्ति ह्रास नियम पर ही आधारित है। जब इन दो नियमों का लागू होना सम्भव नहीं है तो स्थिर अवस्था की विचारधारा भी त्रुटिपूर्ण है।

(५) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विचार कि दीर्घ काल में अर्थ-व्यवस्था का साम्य पूर्ण रोजगार पर स्थापित होता है अथ व्यवहारिक नहीं समझा जाता है। वर्तमान विचारधारा के अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना और उसका निर्वाह एक अत्यन्त जटिल प्रक्रिया है और वह इतना सरल नहीं है जसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने समझा है।

(६) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण प्रतियोगिता के अन्तर्गत किया है परन्तु व्यावहारिक जीवन में प्रतियोगिता किसी भी समाज अथवा देश में विद्यमान नहीं है।

(७) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपनी विकास प्रक्रिया का प्रतिपादित करने समय यह मान लिया है कि विकास-सम्बन्धी आधारभूत तत्व—सम्पदाएँ, इन्फ्रा-एक ढांचे—अर्थ-व्यवस्था में पहले से विद्यमान रहती हैं। व्यावहारिक जीवन में यह तत्व अर्थ-व्यवस्था की पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं और इन्हें उत्पन्न करने के लिए विभिन्न बाधाओं की आवश्यकता होती है। इन तत्वों का उत्पन्न करने के सम्बन्ध में विकास सिद्धान्तों में आवश्यक सुधार करना अनिवार्य है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास सिद्धान्तों में उपरोक्त कठिनाईएँ हटाने के लिए सर्वथा व्यय नहीं समझा जा सकता है। इनके द्वारा गतिशील दौर्गतिक विकास का सिद्धान्त (Dynamic Aggregative Theory of Development) प्रस्तुत किए गए हैं। उनके अनुसार, पूँजी-निर्माण आर्थिक विकास का सूत्रधार है। यद्यपि उनके द्वारा पूँजी-संचयन की प्रक्रिया को अत्यन्त सरल बताया गया है, तथापि सत्य नहीं है फिर भी इन सिद्धान्तों में पूँजी-संचयन प्रक्रिया से सम्बन्धित विभिन्न तत्वों का प्रणवनीय विश्लेषण किया गया है।

माक्स का आर्थिक प्रगति का सिद्धान्त (Marxian Analysis of Economic Growth)

काल माक्स ने प्रभावशाली विचारकों में से एक है जिनके समय की कृत्रिम विचार सबसे बड़ी अधिक उच्च विचारों पर दूसरे विचारकों द्वारा लिया गया है। माक्स की पूँजी के संचयन एवं साम्यवाद का उद्देश्य का स्वभाव रहा जाता है। यह केवल एक अर्थशास्त्री ही नहीं था बल्कि अपने समाजशास्त्र, राजनीति-सिद्धान्त इतिहास एवं दर्शन सभी के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। माक्स ने इन समस्त विचारों के सम्बन्धित अपने विचार सम्मिलित रूप में अपनी पुस्तक *Das Capital* में दिये। यहाँ पर हम माक्स के अर्थशास्त्रियों का विश्लेषण करेंगे जो आर्थिक विकास प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं। इन विचारों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं—

(१) इतिहास की आनिष्टकारी व्याख्या—माक्स ने मानव जीवन के विकास के कारणों का स्वभाव नवीन आधार एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके सामाजिक विकास के आध्यात्मिक (Metaphysics) अथवा मनोवैज्ञानिक (Psychological) कारणों एवं स्पष्टीकरणों का अध्ययन करके यह विचार प्रस्तुत किया कि मानव की चेतना से उसके अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है बल्कि उसके सामाजिक अस्तित्व से उसकी चेतना का निर्धारण होता है— *It is not the consciousness of men that determines their existence but on the contrary, their social existence determines their consciousness.* माक्स के विचार में

मनुष्य को समाज में जा स्थान मिलता है वह उसकी इच्छाया एव योग्यताओं के आधार पर निर्धारित नहीं होता बल्कि उसका जो समाज में स्थान दिया जाता है उसके आधार पर उसकी इच्छाएँ एव योग्यताएँ नियंत्रित हाना है। उसने अनुसार इतिहास की समस्त घटनाओं का प्रत्यक्ष अथवा अत्यन्त रूप से आधार आर्थिक कारण होने है। ससार की समस्त राजनीतिक क्रियाएँ एव घटनाएँ जस युद्ध आन्दोलन उपद्रव आदि आर्थिक कारणों से उत्पन्न हाने हैं। किसी भी देश की नतिक आर्थिक राजनीतिक एव सामाजिक विचारधारा का आर्थिक कारण (विशेषकर उत्पादन विधि) के निर्धारण हाना है। इस प्रकार मानव द्वारा आर्थिक कारणों को समाज का सर्वोपरि तत्त्व माना गया है जो अन्य सभी तत्वों का नियंत्रित करता है।

(२) उत्पादन की विधि एव उसके प्रभाव—मानव क अनुसार उत्पादन विधि मानवीय व्यवहारों का आधार हाना है। प्रत्येक प्रकार की उत्पादन विधि क अन्तर्गत उसी क उपयुक्त उत्पादन सम्बन्धों का स्थापित हाना है। वैधानिक शर्तों में इन उत्पादन सम्बन्धों का जायदाद सम्बन्धों का सम्बन्ध कृत कृत है। उत्पादन-सम्बन्धों द्वारा समाज का वर्ग संरचना (Class Structure) का प्रकार निर्धारित होता है। मानव के अनुसार यह वर्ग संरचना सभी समाजों (केवल राजशाही के अन्तर्गत स्थापित वर्ग हीन समाज को छोड़कर) में पायी जाती है—प्रबल एव निर्बल के वाला वर्ग और मजदूर वर्ग का घोरित वर्ग होता है।

उत्पादन की विधि एव उत्पादन सम्बन्धों द्वारा विचारों एव संस्थाओं की अधिसंरचना (Super Structure) का स्थापना हाना है। उत्पादन-सम्बन्धों क सामूहिक स्वरूप क आधार पर समाज की आर्थिक संरचना बनती है जो वैधानिक एव राजनीतिक अधिसंरचना की आधारभूत हाना है। इन आर्थिक संरचना क अनुरूप सामाजिक चेतना का स्वरूप निर्दिष्ट होता है। जीवन निर्वाह क भौतिक साधनों की उत्पादन विधि द्वारा समाज की सामाजिक राजनीतिक एव बौद्धिक प्रक्रियाओं का निर्धारण हाना है। मानव क विचार में समस्त सामाजिक परिवर्तन एव राजनीतिक क्रान्तियों का अंतिम कारण उत्पादन विधि एव विनिमय में परिवर्तन होना हाना है।

किसी भी समाज का विकास उत्पादन की भौतिक शक्तियों में परिवर्तन हाना से होना है। किंसा सामाजिक व्यवस्था के प्रारम्भिक काल में उत्पादन की भौतिक शक्तियों उत्पादन सम्बन्धों तथा विचारों एव संस्थाओं की अधिसंरचना (Super Structure) क अनुरूप होते हैं परन्तु भौतिक शक्तियों का विकास तीव्र गति से होना है और इनके अनुरूप उत्पादन सम्बन्धों एव सामाजिक-संरचना में परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। इस परिस्थिति क परिणामस्वरूप उत्पादन शक्तियाँ एव उत्पादन सम्बन्धों में संघर्ष होता है। वर्तमान जायदाद सम्बन्ध (Property Relations) उत्पादन-शक्तियों की बेरोशन बन जाने हैं अर्थात् जायदाद-सम्बन्ध अब उत्पादन शक्तियों क विकास में बाधक होते हैं। इन परिस्थिति में सामाजिक क्रान्ति प्रारम्भ हाना है।

जमे जम उत्पादन सम्बन्ध परिपक्व एवं कठोर होने जाते हैं और उत्पादन की शक्तियों का विकास होता जाता है, प्रबल एवं पौष्टिक-वय में मध्य मम्मोर एवं गहन हाता जाता है। इस समय के पलस्वरूप वनमान जायदाद-सम्बन्धा में मुख्य मुषार हाता है और पौष्टिक वय का लाभ हाता है। यह वय राजनीतिक नियन्त्रण प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इसमें उत्पादन शक्तियां से सम्बद्ध होने के कारण इसे सफरना भी प्राप्त हाती है। जायदाद के नवीन सम्बन्धा के फलस्वरूप नवीन उत्पादन शक्तियों का विस्तार हाता है तथा नवीन उत्पादन सम्बन्धा की स्थापना हाती है। उत्पादन सम्बन्धा के परिष्कृतन में विचारा एवं मस्यामा की समस्त अतिमरचना द्रुम गति से बढन जाता है। मानस क अनुसार समस्त इतिहास में इस चरण का अनुसरण हाता रहा है।

(३) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त—मानस का अनिश्चित मूल्य का सिद्धान्त पूँजीवाद क अन्तर्गत होने वाली आर्थिक विकास की प्रक्रिया का आधार है। मानस के अनुसार, पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में जनपरया का वर्गों में विभक्त रहती है—पूँजीपति जा उत्पादन क समस्त साधना (प्रसाधन एवं प्राट्टिक साधन) पर अधिकार रहना है तथा श्रमिक वय जा अपनी श्रम शक्ति का बेषकर खपना जीवन निवाह करता है। श्रम शक्ति का पूँजीपति बाजार में खरोदकर उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग करता है। इस श्रम शक्ति में मध्यमे प्रसाधारण गुण यह हाता है कि वह अपने मूल्य (अर्थात् मजदूरी जो वह प्राप्त करता है) में अधिक उत्पादन करता है। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में श्रम एवं उत्पादन के बीच प्रसाधनों की सहायता में जो उत्पादन हाता है, वह श्रम के जीवन निवाह क मूल्य तथा उत्पादन में उपयोग किए गये अर्थ प्रसाधना एवं कच्चे माल के मूल्य से अधिक हाता है। इस आधिक्य का मासम न अनिश्चित मूल्य का नाम दिया है। यह अनिश्चन में पूँजीपति का गुड लाभ ब्याज एवं लगान के रूप में जाता है। श्रम के मूल्य का निर्धारण किसी विनियम बन्धु के उत्पादन में लगान वाले समय के आधार पर निर्धारित हाता है और यह मूल्य अन्तर्गत श्रमिकों के जीवन निवाह क साधनों के मूल्य के बराबर हाता है। श्रम का मूल्य अर्थात् श्रमि जीवननिवाह स्तर पर रहने का मुख्य कारण अर्थ व्यवस्था में उपलब्ध बरोजगार श्रम की उपस्थिति हाता है जिसे मानस न औद्योगिक रजिन रैना (Industrial Reserve Army) का नाम दिया है। यह बरोजगार श्रम रोजगार प्राप्त श्रम के साथ प्रतिस्पर्धा करता है जिसमें वार्षिक श्रमि जीवननिवाह स्तर तक गिर जाती है।

मानस द्वारा इस बात की जाखदार पुष्टि की गयी है कि अनिश्चित मूल्य (Surplus Value) केवल श्रम द्वारा ही उत्पादित हाता है। अन्ती गनीनें एवं अर्थ उत्पादन के प्रसाधन अतिरिक्त मूल्य इसलिए उत्पन्न नहीं कर सकते कि वे मानवीय सहायता के बिना कोई उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उत्पादन में उपयोग आने वाले कच्चे माल पूँव क श्रम के उत्पाद हाता है तथा पूँजीगत प्रसाधन उत्पाद में अपना ही मूल्य हाता

न्तर्हित करने है। इस प्रकार कच्चे धाम एवं पूज्योपनि प्रमापनों द्वारा कई अनिश्चित मूल्य उत्पादित नहीं किया जाता है।

पूज्योपनि निरन्तर अपने अनिश्चित मूल्य का बचन के लिए प्रयत्नशील रहता है और इसके लिए वह धम के काय व घण्टे बढ़ाने भुक्ति को जीवनिवाह स्तर से भा कम करके तथा तांत्रिकताओं में सुधार करके धम की उत्पादन वृद्धि करके धम का और अधिक मापण करता है। तांत्रिक सुधारों से वर्तमान धम शक्ति का कुल उत्पादन बढ़ जाता है जिससे कुल उत्पादन एवं निर्वाह स्तर का अंतर और घट जाता है। तांत्रिक सुधार द्वारा धम की उत्पादकता बढ़ाकर अनिश्चित मूल्य धमन का पूंजीपति अधिक उपयुक्त समझता है क्योंकि धम के घण्टे बढ़ाने एवं मजदूरों को धम करने की क्रिया का उपयोग कुछ सामा तक ही किया जा सकता है। प्रत्येक पूज्योपनि इस धमन के लिए प्रयत्नशील रहता है कि तांत्रिक सुधार जल्दी करके अपनी लागत व्यय पूज्योपनि का तुलना में घटाने करके जिससे वह वर्तमान मूल्य स्तर का लाभ कुछ समय तक उठा सके क्योंकि धारे धीरे सभी पूज्योपनि उन तांत्रिक सुधारों को अपना कर अपनी अपनी लागत कम कर लेंगे और इनका आपसी प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप मूल्य-स्तर निरन्तर नया संतुलन स्थापित कर लेंगा जिसके परिणामस्वरूप लाभ की दर फिर सामान्य स्तर पर आ जायगा। इसके अनिश्चित प्रत्येक पूज्योपनि अपने कुल लाभ को पाने के लिए वर्तमान उत्पादन-तांत्रिकताओं की सहायता से ही अपने धमन पर उत्पादन करता है जिसके लिए उसे अनिश्चित कच्चे धम यात्र एवं धम प्रमापना की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रत्येक पूज्योपनि अपने अनिश्चित मूल्य का धमन के लिए अधिक से अधिक पूज्योपनि संचयन करता है जिससे वह नवीन तांत्रिकताओं का उपयोग कर सक अथवा वर्तमान तांत्रिकताओं के आधार पर ही उत्पादन का विस्तार कर सक।

(४) पूंजीवाद का पतन—मावम के विचार में पूंजीवादो उत्पादन के नियम द्वारा ही पूंजीपतियों का विनाश होता है। इन विनाश में पूंजी का केन्द्रावकरण सबसे अधिक योगदान देता है। अधिक पूंजी मन्व एवं निरन्तर तांत्रिक सुधार की क्रियाओं के फलस्वरूप पूंजीपतियों में विनाशकारी प्रतिस्पर्धा हो जाती है और बड़े पूंजीपति द्वारा छोटे पूंजीपतियों का विनाश किया जाता है। एक ओर यह छोटे पूंजीपति अपने व्यवसाय से हाथ धो बैठते हैं और दूसरी ओर मशीनों के आधिकाधिक उपयोग से धम शक्ति भी बेरोजगार होन लगती है। इस परिस्थिति के परिणामस्वरूप बड़ी बड़ी एनाधिकारिक पूंजीपति सत्ताओं की स्थापना होती है और इसके माय में जनसमान का दोषण शसत्व निरन्तर दरिद्रता आदि करने जात है। अधिक बग भी संगठित एवं अनुशासित पूंजीवादो उत्पादन विधि के परिणामस्वरूप हो जाता है। पूंजी का एकाधिकार अब उत्पादन की विधि को वेदियाँ (Factors) बन जाता है। अन्ततः उत्पादन के साधनों के केन्द्रीकरण तथा धम के मशीनीकरण का सघन इस

स्थिति में पहुँच जाना है कि पूँजीवादी जामे (Integument) का विस्फोट हुआ जाता है और पूँजीवादी व्यवस्था का पतन हुआ जाता है।

इस प्रकार पूँजीवाद एक अस्थिर व्यवस्था है जिसका विस्फोट अपनी ही प्रविष्टियाँ एक विद्वान्त में परिवर्तित होता है। इसके अन्तर्गत अर्थिकों का अर्थिक शक्ति में अक्षय किया जाता है जबकि उन्हें अनिश्चित राजस्व प्रदान करने की तुलना में अर्थिक शक्ति में अक्षय होने से अधिक लाभ के आश्वासन एवं नए वाद एक बड़ी द्रुत गति में जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप औद्योगिक शक्ति युवा (उत्पन्न शक्ति) में वृद्धि होती जाती है। अर्थशास्त्रकार अर्थ में जननरहा का वृद्धि का परामर्श भी वृद्धि होती है क्योंकि मार्क्स का अनुसार मजदूरों की जीवननिर्वाह को जननरहा-वृद्धि के लिए प्राप्ताह प्रदान करती है।

(५) चक्रीय उल्कावचान (Cyclical Fluctuations)—मार्क्स के विचार में चक्रीय उल्कावचान पूँजीवादी विकास का अनिवार्य लक्षण होता है। उसके विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जल्द ही चक्रीय उल्कावचानों का तीन चरण बतलाए हैं—

(१) गिरती हुई साम-दर—यद्यपि मार्क्स द्वारा दी गई बात में साम के गिरने तथा आर्थिक संकट के सम्बन्ध का स्पष्ट नहीं किया गया है परन्तु उसके विचार में साम की दर में कमी, दीर्घ काल तक उत्पादन के अर्थ घटकों की तुलना में पूँजी में वृद्धि होता जाता है। जब कभी उत्पादन-शक्तिगतताओं का उपयोग निम्नतर बढता रहता है तो उत्पादन में सम्मिलित होने वाले तत्वों में पूँजी का अर्थ बढता जाता है जिससे पूँजी पर साम की दर घटने जाती है।

साम की दर में अर्थ घटने का दूसरा कारण वृद्धि में वृद्धि होता जाता है। अल्प काल में पूँजी अर्थघटन द्वारा अर्थशास्त्रकारों की योजना में से लिया जाता है और पूँजी राजस्व की अवस्था तक पहुँचने के समय वृद्धि की जीवननिर्वाह-दर बढती रहती है परन्तु इस परिस्थिति के बाद भी पूँजी-अर्थघटन जारी रहने पर वृद्धि की दर बढने लगती है और साम की दर कम हो जाती है।

साम की दर गिरने से पूँजी-अर्थघटन की शक्ति में गिरावट आती है जिनसे आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। इसका अर्थिक अर्थ साम की दर गिरने लगती है तो पूँजीपति इस दर को गिरने से रोकने के लिए अर्थशास्त्रिक उपकरणों (Speculative Ventures) की आशंका अधिक ध्यान देता है। यह व्यवसाय ठीक आर्थिक विद्वान्तों पर आधारित न होने के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। पूँजीवादी व्यवस्था में एक बार संकट प्रारम्भ होने पर सौभाग्यवता की ओर आकर्षित होते हैं जिससे मुद्रा द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में किए जाने वाले कार्य विघ्न-निवृत्त होने लगते हैं और साम-व्यवस्था टपक हो जाती है। अर्थिक वैरोजगार होने लगते हैं, मजदूरों की घटाकर इतना कर दिया जाता है कि अर्थिक अपना पेट भी नहीं भर पाते

हैं। छोटे पूँजापतियों की पूँजी का बड़े शक्तिशाली पूँजीपति शोषण कर लेते हैं। इन सब परिस्थितियों के फलस्वरूप लाभ की दर में फिर सुधार होता है और पूँजी विनियोजन फिर से बढ़ने लगता है।

(२) अति उत्पादन—पूँजीवाद व्यवस्था के अन्तर्गत आर्थिक उच्छ्रावधान का दूसरा कारण अति उत्पादन (Over production) होता है। प्रत्येक पूँजीपति अपने उत्पादन सम्बन्धी निष्पत्ति को विपणन की अत्यन्त कम जानकारी के आधार पर करता है। उसे अपने प्रतिस्पर्धियों द्वारा की जाने वाली उत्पादन क्रियाओं की कोई गति नहीं होती है। इस परिस्थिति का परिणाम क्षान्ति है—अथ व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में अति उत्पादन और कुछ में ग़ुन उत्पादन। अति उत्पादन वाले क्षेत्रों में अति उत्पादन को लाभप्रद मूल्य पर बेचने में असमर्थ रहने हैं जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक मजदूरी का प्रारम्भ होता है।

(३) ग़ुन उपभोग (Under consumption)—माक्सव प्रतिक्रियित अर्थशास्त्रियों से मिले हुए सहमत नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। पूँजीपति वह अपने उपभोग को निरन्तर प्रतिबन्धित रखता है कि वह अधिक पूँजी संचयन द्वारा अपना अनिश्चित मूल्य निरन्तर बना सके। पूँजीपतियों के पूँजी संचयन को क्षान्ति के निरन्तर प्रयत्नों के फलस्वरूप विनाशकारी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप बड़े पूँजापति छोटे पूँजीपतियों का समाप्त कर देते हैं और छोटे पूँजापतियों को बेरोजगार कर देते हैं। इसके साथ ही निरन्तर सामर्थ्य सुधार के प्रयत्न जो पूँजीपति द्वारा अपना लाभ बनाए रखने के लिए किये जाते हैं वे फलस्वरूप श्रमिकों की मजदूरी कम की जाती है तथा बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार पूँजीपतियों को बेरोजगार पूँजीपतियों तथा राजगार प्राप्त एवं बेरोजगार श्रमिकों सभी के उपभोग में वर्षाण वृद्धि नहीं होती है जिससे बढ़ते हुए उत्पादन की क्षमता नहीं हो पाता है और अति उत्पादन की अवस्था उत्पन्न हो जाती है जो आर्थिक मजदूरी एवं उच्छ्रावधानों की जन्म देती है।

माक्सव के विकास-सम्बन्धी विचारों का मूल्यांकन

यद्यपि माक्सव विकास के सम्बन्ध में एक नवीन मांग प्रस्तुत किया गया परन्तु बहुत सी बातों में उसने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यताओं को ही आधार बनाया है। उसके विचार में, पूँजीवाद की सरचना हम प्रकार की होती है कि वह सरचना ही उसके पतन का कारण बन जाती है। पूँजीवाद के पतन के साथ मनुष्यत्व का उन्मूलन होना माक्सव के विचार में विलक्षण स्वाभाविक है परन्तु माक्सव के विकास सम्बन्धी विचारों की आलोचना निम्नलिखित आन्तरिक पर की जाती है—

(१) अति—माक्सव पूँजीवाद के अविष्य के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये थे काफी समय से ज्ञान पर भी सत्य सिद्ध नहीं हुए हैं। पूँजीपतियों अथ व्यवस्थाएँ निरन्तर विरासत करती जा रही हैं और वह अवस्थाएँ प्रायः किया देण में उत्पन्न नहीं

हुई हैं जिनमें पूँजीवाद का स्वतंत्र अन्त हो चुके । मानव का यह विचार कि पूँजीवादी व्यवस्थाओं में नृति की दर जीवननिर्वाह के उपायों का दायित्व रने जाती है, सच सिद्ध नहीं हुआ है । आज पूँजीवादी राष्ट्रों में मजदूरों का वास्तविक नृति वापिक विकास व माप बढ़ती जाती है ।

(२) तकनीकी बेरोजगारी (Technological Unemployment)—मानव में तकनीकी बेरोजगारी के विचार का पूँजीवादी विकास के उद्देश्य का अंग बसाया है । वास्तव में, पूँजीवादी राष्ट्रों में तकनीकी विकास के द्वारा व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में कुछ बेरोजगारी बट जाती है परन्तु यह तकनीकी बेरोजगारी जम्मा होती है । तांत्रिक प्रगति का वास्तविक प्रभाव धर्म की मात्र में कमी का स्थान का वृद्धि होता है क्योंकि नियोजन का तांत्रिक विकास के माप लिया जाता है जिन मात्र एक मात्र की वृद्धि में अहासक हुआ है । उच्च परिणामस्वरूप धर्म की मात्र में भी वृद्धि होती है ।

(३) बैटरीयकरण—मानव में तांत्रिक प्रगति द्वारा पूँजीवादी विकास के अन्तर्गत जन्म होने का वापिक बेरोजगारी का सम्बन्ध में जो भविष्यवाणी की गई कुछ सीमा तक सच सिद्ध हुईं बार बार पंजाब के उद्योगों का वास्तविक पूँजीवादी व्यवस्थाओं में देखने में आता है परन्तु उच्चका अवापिकार एक उच्च गुणवत्ता के विचार एक वृद्धि की तीव्र गति का अनुमान सच सिद्ध नहीं हुआ है ।

(४) गिरती हुईं लागत दर—मानव में जो यह विश्वास अन्त विचार कि दीर्घ काल में पूँजीवादी विकास के अन्तर्गत लागत की दर गिर जाती है उसके द्वारा ही प्रतिपादित जीवन निर्वाह मजदूरी क्षमता में वृद्धि हो जाता है । पूँजी-संचय की मात्रा बढ़ने एक तांत्रिक प्रगति का प्रति अन्त पूँजी नियोजन में वृद्धि होती है । उच्च परिणामस्वरूप धर्मों की उत्पादनक्षमता में वृद्धि हो जाती है । दूसरी ओर, मानव के अनुसार औद्योगिक प्रगति के (बेरोजगारी धर्म) की उत्पत्ति के कारण मजदूरों की जीवननिर्वाह-स्तर के वास्तविक दीर्घ काल में रहती है । इस प्रणाली के कारण, धर्मिक की उत्पादनक्षमता बढ़ने के कारण वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है और दूसरी ओर वास्तविक नृति दर के समान ही रहती है । ऐसी परिस्थिति में पूँजीवादी का धर्म काल अतिरिक्त बढ़ता है व निरन्तर होता है ।

(५) व्यापार चक्र—मानव में व्यापार-चक्रों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भोजन दिया है । मानव में व्यापार-चक्र की पूँजीवादी विकास का अनिवार्य अंग बताया है । इससे व्यापार चक्रों के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए हैं उनमें कहीं-कहीं प्रतिक्रिया अर्थशास्त्रियों के विचारों का सापेक्षता ही है और कहीं-कहीं उच्च विचार दिया है । व्यापार चक्र एक प्रभावशाली मात्र का स्पष्ट सम्बन्ध व्यापार चक्रों में मानव व्यवस्था रहा है । मानव के अनुसार पूँजी-संचय की मात्रा में प्रतिक्रिया निर्यात-रिश्ते में कमी आने के कारण आती है व कि विनियोजन के लिए प्रोत्साहन बन रहा है ।

उसके अनुसार पूँजी उच्चयन इसलिए कम नहीं होता कि कुल प्रभावशाली मर्पि म कमी हो जाती है बल्कि कुल उत्पादन के विभाजन म परिवर्तन हो जान ॥ पूँजीपति का कम लाभ मिलता है जिसके परिणामस्वरूप उनके पास विनियोजन योग्य धन की कमी रहती है। मानस का यह विचार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की स्थिर अवस्था का विचारधारा से मिलता-जुलता है परन्तु यापार चक्र का सिद्धान्त कुल उत्पादन की गिरावट का विचार निय बिना सम्पूर्ण नहीं समझा जा सकता है। मानस का उत्पादन श्रुतियों के फलस्वरूप उदय होने वाला अति उत्पादन एवं अल्प उत्पादन का विचार गतिशील विचार समझा जाता है। इनके द्वारा विगिष्ट प्रकार के यापार-चक्र उदय होन हैं।

मानस का अल्प उपभोग (Under consumption) का विचार भी अस्पष्ट है क्योंकि पूँजीपति यदि पूँजा का संचय करता है तो वह उस वस्तु का पूँजागत वस्तुना म विनियोजित कर देता है जिसके फलस्वरूप अल्प-उपभोग की समस्या उदय नहीं होगी चाहिए। मानस यह सिद्ध करने म असमर्थ रहा है कि लाभ का दर एवं विनियोजन किस प्रकार उपभोग पर निर्भर रहन हैं।

मानस के विकास के सिद्धांता म उपयुक्त कमियाँ हात हुए यह मानन से कोई हकार नहीं करता कि मानस द्वारा विकास प्रक्रिया के सम्बन्ध म महत्वपूर्ण विचारा एवं सिद्धांता का योगदान दिया गया है।



गुम्पीटर का आर्थिक प्रगति का सिद्धान्त—अनमन्त्रित उन्वा-
 र्थान एवं प्रगति, माहमी विकास का केन्द्र विकास त्रिनिशोणन एवं
 बंड नाक, विकास प्रक्रिया में उपभोक्ता का प्रभुत्व, नवप्रवर्तन के
 मुन्द आर्थिक प्रक्रिया माहमिक क्रियाएँ एवं विकास में गिरावट,
 गुम्पीटर के विकास सिद्धान्त का मूल्यांकन, विकास-सम्बन्धी
 जासुनिक विचारधाराएँ हैराड का विप्लान-मॉडन, मान्यताएँ,
 हैरोड का विकास नमीकरण, टोमर का मॉडन, मान्यताएँ, टोमर
 का गमीकरण हैरोड टोमर के मॉडनों का सारस, हैरोड टोमर
 मॉडनों के विरुद्ध की नुतना हैरोड टोमर के मॉडनों का अल्प-
 विरमिन राष्टों में उपयोग, हैरोड टोमर मॉडन की आनोचना]

गुम्पीटर का आर्थिक प्रगति का सिद्धान्त

जोसेफ गुम्पीटर का जन्मवत बरने के साथ हम बोगरी गवाभी के अय-
 गाम्प्रियों पर आ जाते हैं। गुम्पीटर का आर्थिक विकास का सिद्धान्त उनकी पुस्तक
 Theory of Economic Development में सन् १९११ में बर्वन नाग में प्रकाशित
 हुआ। गुम्पीटर इसके बाद भी पूँजीवादी विकास का विरुद्ध करता रहा और सन्
 १९२९ में उनकी पुस्तक, Business Cycles प्रकाशित हुई जिसमें अपने विकास के
 मन्वष में पूँजी विचार प्रभुत्व किए।

यद्यपि गुम्पीटर के आर्थिक विकास-सम्बन्धी विचारों पर मार्क्स के विचारों
 का प्रभाव काफी पटा, परन्तु वह साम्यवाद में श्रुता करता था। गुम्पीटर का मार्क्स
 की आर्थिक त्रियाओं से सम्बन्ध त्रिणीन विचारों का साथ सहसुक्ति त्रिश्य थी परन्तु
 वह मार्क्स द्वारा किए गए आर्थिक त्रियाओं के विरुद्ध में सहमत नहीं था।
 वह समूहवाद (Collectivism) को पसन्द नहीं करता था और मार्क्स के त्रिदों के
 विरुद्ध था परन्तु वह पूँजीवाद की सारसता करत हुए भी प्रतिष्ठित अयगाम्प्रियों
 एवं मार्क्स के इन त्रिदों से सहमत था कि पूँजीवाद जन्मत स्थिर ब्रह्मणा की
 प्राप्त होता है और उसका पतन हो जाता है। उनके विचार में पूँजीवाद का पतन
 उसकी अक्षमताओं के कारण नहीं बरत उसकी सतनताओं के अक्षमता होता है।

पूँजीवाद जब अपनी सफलता की चरम सीमा पर पहुँच जाता है तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो पूँजीवाद की सम्पन्नता व अनुभूत नहीं हानी हैं। गुम्पीटर के आर्थिक विकास सम्बन्धी विचारों व मुख्य तत्त्वों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(१) आर्थिक विकास असमन्वित उच्चावधानों व अतथ्य होता है—गुम्पीटर व विचारों में राष्ट्रीय उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि उच्चावधानों के अन्तर्गत किन्तु नवान् धन व धन वान विनियोजन द्वारा होता है। आर्थिक प्रगति व साध सम्पन्नता एवं म दोषों का प्रायः एवं व बाद दूसरे उदय होते हैं। उन्नीसवा गतागै म रेल एवं मटका व अधूनपूर्व विकास एवं वानवी गतादी व विद्युत्प्रगति एवं स्वतन्त्र संचालित हान वान यत्रा व विस्तार से आर्थिक क्रियाओं में विस्फोट हुआ और आर्थिक प्रगति तारा गति से हुई। गुम्पीटर व विचारों में पूँजीवादी राष्ट्रों व इस प्रकार के विकास का अत्यधिक महत्व है।

(२) साहसी विकास का वैद्विन्दु होता है—गुम्पीटर के विकास प्रक्रिया के विश्लेषण में साहसी को वैद्विन्दु माना गया है। साहसी उत्पादनों के विभिन्न घटकों के नवीन सम्मिश्रणों का उपयोग करता और नवप्रवृत्तना (Innovation) का गोपण अथवा व्यापारिक उपयोग करने व लिए नवीन पधों की स्थापना करता है। गुम्पीटर के विचारों में साहसी कोई प्रवचन आविष्कारक अथवा पूँजीपति नहीं होता। प्रवचन वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन का वर्तमान तकनीकियाँ व अन्तर्गत निर्देशन करता है जबकि साहसी बिल्कुल नवीन तकनीकी का उपयोग प्रारम्भ करता है। दूसरी ओर आविष्कारक नवान तकनीकों का आविष्कार करता है परन्तु उनका आर्थिक उपयोग साहसी द्वारा ही किया जाता है। साहसी स्वयं आविष्कारक हो सकता है परन्तु उसका आविष्कारक होना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार पूँजीपति अपना धन लगाकर लाभ हासिल की जासिम उठाता है जबकि साहसी धन व उपयोग को निर्दिष्ट करता है। साहसी पूँजीपति हो सकता है परन्तु साहसी हान व लिए पूँजीपति होगा आवश्यक नहीं होता है। इन प्रकार साहसी वह व्यक्ति होता है जो नवप्रवृत्तना का आर्थिक उपयोग करने हेतु नवान व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना करता और उत्पादन व समस्त घटकों का व्यवस्था करता है। गुम्पीटर द्वारा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अनियमित उच्चावधानों एवं अनिश्चिन्नताओं का अधिक महत्व देने के कारण साहसी का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्चावधानों एवं अनिश्चितताओं व अन्तर्गत विनियोजन सम्बन्धी नियम विवेकपूर्ण गणनाओं द्वारा नहीं हो सकने जितने परस्परव्यतिरेक जोतिष का परिमाण अत्यधिक होता है। इस जोतिष का वर्णन गुम्पीटर द्वारा परिभाषित साहसी वग ही कर सकता है व कि साधारण व्यापारी पूँजीपति अथवा प्रवचन।

गुम्पीटर का साहसी विविष्ट योग्यता प्राप्त एक उत्साही व्यक्ति होता है जो लाभप्रद अवसरों की खोज करने उनका पोषण करता है। गुम्पीटर के अनुसार, यह माहौल जोखिमपूर्ण व्यवसायों को स्थापना अपना काम प्रदाकर अपने जीवन-भर का सुधारन के लिए ही नहीं करता है बल्कि तब अपने प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करने, देश की सम्पत्ति बढ़ाने तथा नवीन निम्नस्तरीय करने की तीव्र इच्छा होती है और इन इच्छाओं को पूर्ण के लिए नवप्रवृत्तियों का आर्थिक उपयोग अधिक उत्साहपूर्वक रूप से करता है। गुम्पीटर के अनुसार यह नवप्रवृत्तियों पाँच प्रकार के हैं—
 (१) किसी नवीन वस्तु का उत्पादन (२) उत्पादन की नवीन तकनीक का उपयोग,
 (३) नए बाजारों की उपलब्धि (४) कच्चे माल के नवीन स्रोतों का उपनधि, (५) उत्पादन के संगठन में मूलभूत परिवर्तन।

(३) विकास विनियोजन एक साधन से प्राप्त होता है—गुम्पीटर के विचार में साहसी अपनी परियोजनाओं के लिए धन, अपने उपभाग का काम करने अपनी काम में नें बचत करने प्राप्त नहीं करना है बल्कि वह विनियोजन हेतु आवश्यक धन बच-साधन द्वारा प्राप्त करता है अर्थात् वह विनियोजन के लिए धन से ऋण प्राप्त करता है। गुम्पीटर का यह विचार प्रतिक्रियात्मिक अर्थशास्त्रियों के इस विचार से बिल्कुल भिन्न है कि विनियोजन के लिए पूँजीपति को अपना उपभाग कम करके बचत करना आवश्यक होता है। साहसी द्वारा जब धन से ऋण लेकर नवप्रवृत्तियों का व्यापारिक उपयोग पूरा राजगार की स्थिति में किया जाता है तो उत्पादन के घटने का मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। यदि यह घटने परन्तु उपयोग सम्पत्तियों के उत्पादन में उपयोग होते हैं और साहसीयों की आर्थिक गतिविधि के कारण उपभोक्ता उद्योगों से उत्पादन घटके विनियोजन-सम्पत्तियों के उद्योग में काम जाते हैं तो उपभोक्ता उद्योगों में उत्पादन कम हो जाता है जिससे परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था को उपभोक्ता के लिए कम वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध होती हैं और विवशतापूर्ण बचत (Forced Savings) की जाती है। इस प्रकार यह विवशतापूर्ण बचत गुम्पीटर के विचार में पूँजी निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। गुम्पीटर के विचार में साधन प्रसार से उत्पन्न होने वाले पूँजी-निर्माण से मूल्य स्तर में जब तक इतनी वृद्धि होती है कि माहौलियों का उत्पादन का साधन प्राप्त करने में कठिनाई हो, साहसी-जग अपनी परियोजनाओं को पूरा कर लेते हैं और बचत के ऋण का पोषण करने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी परियोजनाओं में काम प्राप्त होना प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार सुझाव स्थिति के दोष उन्नीरता नहीं कर पाते हैं परन्तु इस समस्त प्रक्रिया से वास्तविक विनियोजन में अन्वेषण वृद्धि होती है।

(४) विकास प्रक्रिया में उपभोक्ता के प्रभुत्व का काम महत्व होता है—गुम्पीटर के विचार में उपभोक्ताओं की उपभोग शक्ति में परिवर्तन उत्पादन द्वारा उत्पादन में परिवर्तन करने के समस्त रूप में होते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा कर्म-वर्गों अपनी प्राथमिकताओं का व्यक्त किया जाता है और उसके अनुसार उत्पादन में परि-

वनन भा रिण अल है परन्तु इम प्रकार क परिवर्तन परिमाण म बहुत कम हान है और इनका आर्थिक विनास की प्रक्रिया म कोई विणय महत्व नहीं हाना है। गुम्पोटर क अनुसार माहरी का क्रियाया का पूरा चक्र इस वान पर व्यापारित है कि नवान साहसो अथवा उपादन उत्पादन प्रारम्भ करता है और उपभोक्ता उस स्वीकार कर लेता है। यदि उपभोक्ताया की इच्छाया द्वारा उत्पादन का प्रकार निर्धारित होता हा ता कवन वतमान उत्पादन क उत्पादन म वृद्धि सम्भव हागा और नक्षप्रवर्तना का आर्थिक उपयोग नहीं हा सग्या।

(५) नक्षप्रवर्तन घटे सपूह अथवा घटे भुङ क रूप म उदय होते हैं—कुछ साहसिया द्वारा नवीन उत्पादन का उत्पादन बन साग्य द्वारा जत्र प्रारम्भ कर लिया जाना है और जत्र उह अथनी परिव्याजनाओं मे लाभ प्राप्त हान लगता है ता अन्य साहसा भी नक्षप्रवर्तना का आर्थिक उपयोग करन लगन है और इम प्रकार नक्षप्रवर्तनों का भुङ क भुङ क्रियायागन हा जाना है जिसस आर्थिक प्रगति अगाधारण गति से हाना है।

(६) गुम्पोटर द्वारा प्रतिपान्ति आर्थिक प्रक्रिया—गुम्पोटर द्वारा आर्थिक प्रक्रिया का प्रारम्भ एसी अवस्था से किया गया है जिसम अथ अवस्था म पूण प्रति स्पर्धा क अन्तगन स्थिर अवस्था है अर्थात् न तो निनिव्याजन म वृद्धि हा रहा है और न ही जनमाया घट रही है। साथ हा पूण राजवार का अवस्था विद्यमान है परन्तु उत्पादन क घटका क नवीन सम्मिश्रण क अवसर उपलब्ध है जिनका साहसा गायण करना है और आरम्भक अथ साधन बच-साग्य द्वारा प्राप्त करता है। साहसा का इम क्रिया म आर्थिक विकास का गोलाकार प्रवाह (Circular Flow) प्रारम्भ हा जाना है। कुछ साहसिया द्वारा इम प्रकार नवान व्यवसाय प्रारम्भ कर लिया जाय ता साहसिया क भुङ क भुङ साहसिक क्रियाए प्रारम्भ कर देत हैं। आर्थिक क्रियाओं म गतिगाचना भा जान ग शून्य एन मोड्रिन आय ग वृद्धि हानी है। गारगा द्वारा नवीन प्रकाश के व्ययमाया म निनिव्याजन करन मे उत्पादन घटका उपभोक्ता वस्तुया क उद्योगा क निनिव्याजन करतुआ क उद्योगा म हानान्तरित हा जान हैं क्योंकि बच-साग्य म वृद्धि हान म शून्या म वृद्धि हाती है और जनसाधारण अथवा अय गति मे कम उपभोक्ता वस्तुए अय कर पाता है। इम प्रकार निनिव्याजनपूण बचन उदय हाना है।

इम परिस्थिति क पदवान आर्थिक प्रगति म निनाय अहर प्रारम्भ हागा है जिसम पुरानी कमे अणन उत्पादन म वृद्धि करता है क्योंकि अने उपभोग व्यय आय म वृद्धि क साथ बनन लगता है। व्यापारी बच-साग्य म निन्तर वृद्धि का सम्भावना करता है जिसक फलस्वरूप परिचायनिक व्यापार (Speculative Business) म वृद्धि हानी है। अतः बच-साग्य नक्षप्रवर्तन सम्बन्धा आर्थिक क्रियाया क निम अणन प्रगति नों करन क्वि क वतमान स्थिति क अन्तगन उत्पादन बर्तन क दिग्ग भा भाग न लगन है। इम प्रकार निनिव्याजन म और वृद्धि हा जाना है।

जब आधिष्ठातृक आर्थिक परियोजनाएँ पूरा हो जाती हैं तो 'मृजनात्मक विनाश' (Creative Destruction) प्रारम्भ होता है। पुरानी फर्मों तथा पुराने उत्पादों को नवीन वस्तुओं एवं नवीन फर्मों की प्रतिस्थापना बाजार में वेचन में असमर्थ हो जाती है। इस परिस्थिति में पुरानी फर्मों द्वारा किया जा रहा है और उनमें से कुछ नवीन उत्पादों को अपना लेती हैं। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में यह दुःख समायाजन स्थापित होता है।

(७) सांख्यिक प्रियाओं एवं विकास में गिरावट—जब माहूमिया द्वारा मंचालित परियोजनाएँ सम्पूर्ण हो जाती हैं और उनमें लाभ प्राप्त होना लगता है तो बर्बाद का शोधन किया जाता है जिससे मुद्रा सन्कुचन (Deflation) की परिस्थिति का प्रादुर्भाव होता है क्योंकि नवीन उत्पादों एवं नवीन परिस्थितियों में उत्पादन पुरानी वस्तुओं का उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होना का कारण अर्थ-व्यवस्था में असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें साहसिकता का लागत एवं लाभ का सन्तुलन अनुमान लगाना सम्भव नहीं होता है। शोधन के द्वारा जमा राशियाँ कम हो जाती हैं और मुद्रा की पूर्ति घटने लगती है। बाजार में वस्तुओं की पूर्ति अधिक और उनका प्रयोजन के लिए मुद्रा की पूर्ति कम रहती है जिससे दूरियों में असाधारण गिरावट आ जाती है। कुल लाभ कम हो जाता है और व्यापारिक फर्मों में बंद होने लगती हैं। निरारा की भावना का विस्तार होता है और सांख्यिक प्रियाएँ एवं नवप्रवर्तन से ही घटने लगते हैं और मंदीकाल का प्रारम्भ हो जाता है। इस परिस्थिति में फिर नवीन समायोजन होते हैं और कुछ समय पश्चात् ही पुनः प्राप्ति (Recovery) का वातावरण उदय होने लगता है।

गुम्पीटर यह मानता है कि सद्दान्तिक रूप से यह सम्भव माना जा सकता है कि इस मंदी के पश्चात् अर्थ-व्यवस्था में स्वतः पुनः प्राप्ति न हो परन्तु सामान्यतया ऐसा नहीं होता है और कुछ ही समय में मंदीकाल की परिस्थितियों में नवीन सन्तुलन एवं पूरा रोजगार फिर स्थापित हो जाता है। बन्धन व्यवस्थाओं के बाद हो जाने के बाद जब नवीन सन्तुलन स्थापित हो जाता है तो नवप्रवर्तन की नयी लहर प्रारम्भ हो जाती है और व्यापार फिर से दोहराने लगता है।

गुम्पीटर मानता है कि रिकार्डों के इन विचारों से सहमत नहीं है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आय के वितरण का सघन उदय होना आवश्यक नहीं है क्योंकि विकास के साथ सभी वर्गों की आय में वृद्धि होती है जिसमें धन को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है क्योंकि नवप्रवर्तनों के द्वारा पूँजीवादी व्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। गुम्पीटर का यह भी विचार है कि उसके द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया का प्रारम्भ स्थिर अवस्था एवं सन्तुलन के आस पास होना आवश्यक नहीं है। अर्थ-व्यवस्था में भी गुम्पीटर द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया प्रारम्भ होने में प्रक्रिया के अक्षयों में कोई विशेष अन्तर नहीं आता है।

गुम्पीटर के विकास प्रक्रिया-मन्त्र की विचारों का मूल्यांकन

गुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित पूँजीवादी विनाश की प्रक्रिया को प्राचीन अथवा शास्त्रिया एक माध्यम द्वारा प्रतिपादित प्रक्रियाओं पर एक सुधार कहा जा सकता है। गुम्पीटर के विचार पूँजीवादी राष्ट्रों के बँटारहूँकी एवं उन्नीसवीं शताब्दी के आधुनिक विनाश के इतिहास पर आधारित हैं। गुम्पीटर के विचारों की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जानी है—

(अ) गुम्पीटर ने साहसिक नवप्रयत्न का पूँजीवादी विनाश का कर्त्तव्य माना है। यह विचार अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी के पूँजीवादी विनाश पर ठार उभरते हैं क्योंकि इन शताब्दियों में अधिकतर नवप्रयत्न क्रियाएँ या तो आर्थिक धारकों द्वारा की जाती थीं अथवा सामर्थी द्वारा आर्थिकारों का प्रयत्न करने की जाती थी परन्तु वर्तमान काल में आर्थिकार एवं नवप्रयत्न क्रियाएँ प्रायः बन्त शक्ति समामित संस्थाओं (Corporate Bodies) द्वारा अपने सामर्थ्य का प्रयोग करके किये जाने लगे हैं। इन क्रियाओं में साहसी अथवा आर्थिकारों के नाम का कोई महत्त्व नहीं रह गया है। इस प्रकार आधुनिक युग में पूँजीवादी साहसिक क्रियाओं का स्वल्प गुम्पीटर द्वारा ही माना गया साहसिक क्रियाओं के स्वरूप से मरणाभिन्न है। समामित संस्थाओं द्वारा संचालित बड़े व्यापारों में नवप्रयत्न करने से व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप में किया जाता है और इन व्यक्तियों में भी परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान काल में साहसिक क्रियाएँ सामर्थ्य आधारित क्रियाओं का ही एक भाग समझी जाती हैं। हमारे अतिरिक्त पिछला ही शताब्दियों के नवप्रयत्न, जल शक्ति इतिहास विद्युत् शक्ति आदि में प्रयत्न संस्थाओं में उद्योग युद्ध का ही है। यह आधुनिक आर्थिकारों द्वारा नहीं होता है बल्कि प्रयत्न व्यवस्थाएँ इनका जटिल (Complex) अवस्थाओं में पहुँच गया है कि नये आर्थिकारों द्वारा इनके कोई नूतन परिवर्तन सम्भव नहीं होता है। बड़े व्यवसायों का वर्तमान काल में यह सम्भव है कि वे बन्त शक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने आप ही समाप्त हो सकें। इस प्रकार नवप्रयत्न द्वारा गुम्पीटर ने जिस आर्थिक प्रसङ्ग (Shock Treatment) का विचार किया है, वह आज के युग में सम्भव नहीं है। वास्तव में गुम्पीटर ने ही अपने विकास सिद्धान्त में यह बात स्पष्ट की है कि पूँजीवादी विकास में धरम समाज पर पहुँच जाने पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें साहसिक क्रियाएँ अशक्य हो जाती हैं और विकास में गिरावट आ जाती है।

(आ) गुम्पीटर ने अपने विकास सिद्धान्त में नवप्रयत्न के लिए वित्त साधन के नाम द्वारा प्राप्ति करने का माध्यम प्रतिपादित किया है परन्तु विभिन्न पूँजीवादी राष्ट्रों के आर्थिक विकास के इतिहासिक अवलोकन से प्रतीत होता है कि यहाँ द्वारा किये गए अल्पकालीन प्रयत्न प्रयत्न किए जाते हैं और नवप्रयत्न के पूँजीवादी प्रयासों के लिए वित्त संचित सामर्थ्य एक प्रतिभूतियों का निगमन करने प्राप्ति किया जाता है।

केवल जपनी के औद्योगिकरण में चर्को द्वारा पूर्णो वित्त प्रदान किया गया था। शब्द में गुम्पोटर न मुद्रा प्रसार द्वारा विकास वित्त प्राप्ति का आवश्यकता में अधिक मात्रा प्रदान किया गया है जो व्यावहारिक परिस्थितियों में रूप राजस्व प्राप्त उप-व्ययन में सम्भव नहीं होता है।

(४) गुम्पोटर न साहसी या आधिब मानवों में जटिल इच्छाएँ एवं परिस्थितियों के अनुशासन समाधान करने का व्यक्ति सुचना है जो सभी सम्बन्धों का निवारण करने की आवश्यकता है। परन्तु गुम्पोटर न विचार न कभी मानवीय नैतिक एवं सामाजिक श्रेय में कुछ एक अनिष्टा हाता है। वह गहनोक्ति परिस्थितियों के अनुशासन जपनी विचारों में समाधान करने के साथ नहीं होता है। उनके अनुशासन, बुद्धि का प्रभावकारी रूप में मानव नीतियों का सफलता है। पूर्णोवादी विचार के अन्तर्गत विचार का विचार हाता है जोर जनसाधारण के विवेक में सुधार होने में अमलुष्ट बुद्धिबोधी-का अधिका का का अनुभव करता है जिसमें समाजवाद का भाग प्रमाण हाता है। इस प्रकार गुम्पोटर न विचार में पूर्णोवादी विकास की प्रवृत्ति हाता आवश्यकताओं के जोर समाजवाद का प्रादुर्भाव हाता एक प्रतिपाद्य तथ्य है। परन्तु गुम्पोटर जटिल इस विचार की पुष्टि करने में असमर्थ रहा है। अपने स्वयं प्रमाण दिया है कि समाजवाद के उदय होने के पूर्व तरीके के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं जानने विचार इसके कि धार भी बनी हुई नीतिग्राही में लेकर जटिल जांचक प्रालि द्वारा समाजवाद के उदय होने की बहुत अधिका सम्भावनाओं हैं। यद्यपि गुम्पोटर यह स्पष्ट रूप में सिद्ध करने में असमर्थ रहा है कि पूर्णोवाद का जटिल समाजवाद की उचित कर बना निर भी, यह बात साथ है कि पूर्णोवाद में निम्नलिखित विचार होने प्रमाण स्वभाविक है।

(५) गुम्पोटर का यह विचार कि नवप्रवृत्त का झुंड ग झुंड (Swarm like) एक साथ उदय हाता है व्यावहारिक प्रमाण नहीं हाता है। विकास की प्राग्निभ अवस्था में नवप्रवृत्तों का प्रती भाषा में उदय होने आधिच्छाओं एवं तान्त्रिक सुधारों पर निर्भर हाता है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं है कि एक नवप्रवृत्त की सफलता में अन्य नवप्रवृत्तों के विकास पर किस प्रकार प्रभाव पडाता है।

(६) गुम्पोटर के अनुसार अज्ञानियों एवं उद्योगिकी गुणाओं के विकास का श्रेय केवल नवप्रवृत्तों को ही है परन्तु यह विचार ऐतिहासिक तथ्यों की प्रवृत्ति करता है। इन दो गुणाओं के आधिगिक विकास में नवप्रवृत्तों के अतिरिक्त अन्य बहुत से आधिब एवं सामाजिक घटना का योगदान भी हाता है।

(७) गुम्पोटर ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया है कि नवप्रवृत्त की प्रिया व्यापार चक्र के प्रारम्भ में ही क्यों उत्पन्न होती है। व्यापार-चक्र " ३६, अथवा ५० से ६० वर्ष का हाता है। गुम्पोटर के अनुशासन, नवप्रवृत्तों की प्रिया का विस्तार व्यापार चक्र के उन कालों के प्रारम्भ में हाता है। गुम्पोटर न इनके कारणों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है।

विकास-सम्बन्धी आधुनिक विचारधाराएँ

द्वितीय महायुद्ध के बाद से आर्थिक विकास की ओर लगभग समस्त राष्ट्रों के अर्थशास्त्रियों द्वारा अधिक ध्यान दिया जाना लगा है और अब यह सामान्य तथ्य हो गया है कि मानव एक भौतिक साधनों का पूणतम उपयोग करी हेतु आर्थिक प्रगति अनिवार्य है। इस विचार को सुदृढ़ बनाने में कीस का सामाज्य सिद्धांत विशेष रूप से सहायक हुआ है। कीस द्वारा माँग रोजगार एवं आय से सम्बन्धित सामूहिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और कीस की विचारधाराओं के आधार पर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विकास माडल तयार किए हैं। कीस का विश्लेषण का आधार स्थिर संतुलन (Static Equilibrium) है और उठोने प्रथम की पूर्ति पूंजीगत प्रसाधन तांत्रिकताओं का स्तर प्रतिस्पर्धा का परिमाण एवं उपभोग स्तर को स्थिर मानकर उत्पादन रोजगार बचन एवं विनियोजन से सम्बन्धित समस्याओं का विनियोजन किया है। कीस द्वारा अर्थ व्यवस्था की आरक्षणा प्रतिपादित की गयी है वह अल्पकालीन असंतुलनों को दूर करने से सम्बन्धित है।

यद्यपि कीस के विश्लेषण का स्वरूप स्थिर है परंतु इसके द्वारा गतिशील समस्याओं के विश्लेषण के लिए आवश्यक आर्थिक औजार उपलब्ध हुए हैं। कीस की गुणक एवं गतिपट्टक (Multiplier and Accelerator) विचारधाराओं को आधुनिक विकास माडल का गुणाधार समझा जाता है। इन माडलों में कीस के विचार कि अर्थ रोजगार संतुलन के अंतर्गत बचत एवं विनियोजन के बराबर रहने की सम्भावना होती है का उपयोग बचन एवं विनियोजन में आपस पर एक-दूसरे का प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया गया है। कीस द्वारा बचत की माँग घटाने वाला घटक समझा गया है जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री द्वारा बचत की पूंजीगत माधना एवं विनियोजन वृद्धि का साधन भी समझा जाता है।

कीस के बाद के अर्थशास्त्रियों द्वारा दीर्घकालीन उत्पादन एवं रोजगार-वृद्धि के सिद्धान्त उसी आधार पर बनाये गये हैं जो कीस द्वारा अल्पकालीन उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के लिए अपनाये गये थे। आर्थिक विकास के आधुनिक माडल में दो महत्वपूर्ण बातों का विवेचन किया गया है—(१) मुद्रा-स्फूर्ति अथवा विस्फीति के द्वारा पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए बिना कितने तत्त्वों की आवश्यकता होती है (२) क्या जाय की प्रवृत्ति की दर इनकी अधिक हो सकती है कि नाव वाली स्थिरता अथवा दीर्घकालीन मुद्रा स्फूर्ति को प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्तों में स्थिर परिस्थितियों की उपस्थिति को आधार माना गया है और व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं के विश्लेषण द्वारा आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित किया गया है परन्तु आर्थिक परिस्थितियों में सदैव परिवर्तनशील होने हैं और इनका अध्ययन करने के लिए इनकी गतिमानता को ध्यान में रखना अनिवार्य है। इस कारण आधुनिक युग में गतिशील आर्थिक

सिद्धान्तों का अधिक मान्यता दी जाती है। ऐसे आर्थिक सिद्धान्त, जो आर्थिक परिवर्तनों का व्यापक वर्णन करते हुए इन परिवर्तनों के प्रभावों इनके उदय होने के कारणों तथा इन परिवर्तनों की प्रकृति एवं उनके प्रभावित होने वाले अन्य गतिविधियों का वर्णन करते हैं गतिशील अर्थशास्त्र (Dynamic Economics) कहलाते हैं। गतिशील अर्थशास्त्र के अन्तर्गत ऐसे परिवर्तन जो एक दो-हाज़र सेनाएँ हो जाते हैं या प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण नहीं होता है। जब एक परिवर्तन से विभिन्न अन्य परिवर्तन होते हैं या यह गतिविधि प्रभावित होती है तो वह गतिशील अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु होती है। इसी कारण गतिशील अर्थशास्त्र में उत्पादन की दृष्टि से अर्थशास्त्र नहीं होता है बल्कि उत्पादन की दृष्टि से अन्य गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है।

हैरोड का विकास-साधक

हैरोड ने गतिशील अर्थशास्त्र का सन् १९३२ में एक नया नाम दिया जो नया नाम An Essay in Dynamic Theory का प्रकाशन किया में 'Economic Journal' में हुआ। हैरोड ने इसी विषय पर लन्दन विश्वविद्यालय में सन् १९४७ में एक भाषण दिया जो की सन् १९४८ में 'Towards A Dynamic Theory' के शीर्षक से प्रकाशित हुई। इस भाषणों में हैरोड ने 'Fundamental Dynamic Theorems' का। इसी भाषण में हैरोड के विकास-साधक का प्रारंभ दिया गया है। हैरोड का विकास-साधक में हैरोड द्वारा निम्न नामाकरण दी गयी है—

मान्यताएँ

(१) हैरोड ने यह माना है कि आय एवं बचत करने वाले व्यक्तियों का निश्चित अनुपात बचाते हैं और ये निश्चित अनुपात सब का सब हैं। इस प्रकार किसी निश्चित आय की बचत उस आय की आय से निश्चित सम्बन्ध रखती है। हैरोड ने यह भी माना है कि जब कोई व्यक्ति बचाने का निश्चय करता है तो वह अपने निर्णयानुसार उस या निश्चित अनुपात अपने 'हन-महन में हर-वेर' वाले भी बचाया है अर्थात् आय एवं बचत करने वाले की सामाजिक एवं शैक्षणिक (intended) दण्ड का अनुपात होती है।

(२) उत्पादन की क्षमता की दृष्टि से आय का निश्चित अनुपात निश्चित होता है। उत्पादन की सामाजिक निश्चय करने में पहले दृष्टि होती है आय के निश्चित अनुपात की निश्चित करने का इच्छा करना है। इसका विनिर्माण का इच्छा करने वाले बचत की आय की तुलना में बचत करने वाले की आय की दृष्टि पर निर्धारित होता है अर्थात् उत्पादन विनिर्माण का निश्चय करने एवं सामाजिक विनिर्माण करने की जिम्मा आय की दृष्टि के साथ-साथ ही करना करना है और इस कार्य में किसी समय का अन्तर नहीं होता है।

(३) हैरोड को यह भी मान्यता है कि उत्पादन अनुपात की स्थिति में होता है। उत्पादन अर्थात् विनिर्माणक तब ही अनुपात की स्थिति में हो सके है जब

आर्थिक घटनाएँ उनका अनुमानानुसार घटित हानी हैं अर्थात् उनका द्वारा इरादा किए गए विनियोजन जब वास्तविक विनियोजन के विन्तुन बराबर होने हैं तो विनियोजक सन्तुष्टता की स्थिति में होते हैं।

(५) किसी समाज का कुल पूजा का स्तर उस समाज के कुल उत्पादन का निर्दिष्ट अनुपात होता है और जब उत्पादन अथवा आय में वृद्धि होना है तो पूजा स्तर भी वृद्धि हो जाता है। इस प्रकार जितना अधिक उत्पादन होगा उतनी ही अधिक पूजा की आवश्यकता होगी और जितना तीव्र बर्तन में उत्पादन में वृद्धि होगी, उतनी ही अनुसार विनियोजन अथवा पूजा की माँग में भी वृद्धि होगी। यद्यपि विनियोजन दर उत्पादन वृद्धि की दर पर निर्भर रहती है।

(५) हैराड अपने विवादास्पद प्रारम्भ ऐसी अवस्था में करता है जब पूर्ण राजस्व स्तर पर आय प्राप्त की जाती है।

(६) अथ व्यवस्था पर विन्तुन व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(७) अथ व्यवस्था में देश का सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

हैरोड के मॉडल में पूजा संचयन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक समझा गया है क्योंकि विनियोजन जहाँ एक ओर आय में वृद्धि करता है वहीं उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि करता है। यदि पूजा संचयन हान पर वास्तविक आय में परिवर्तन नहीं होता है तो यह परिस्थिति इस बात का सूचक होता है कि नयी पूजा का या तो उत्पादन उपयोग नहीं किया गया या नयी पूजा द्वारा पुरानी पूजा का प्रतिस्थापन कर दिया गया है अथवा नया पूजा का अथवा प्रतिस्थापन करने के लिए उपयोग कर लिया गया है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि पूजा संचयन द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि हान पर ही आय में वृद्धि होती है। यदि पूजा संचयन एक उत्पादन क्षमता में वृद्धि हान पर भी आय में वृद्धि न हो तो पूजा एक श्रम दाता का ही कुछ भाग बचोवगार रहता है।

हैराड के अनुसार वास्तविक बचत वास्तविक विनियोजन के बराबर हानी है और यह दोनों आय का निर्दिष्ट अनुपात होते हैं। जब आय में वृद्धि होना है तब ही बचत एवं विनियोजन में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि उदात्त समय अथवा विनियोजन में सम्बुद्ध रहता है जब उस विनियोजन वृद्धि के अनुरूप आय वृद्धि प्राप्त होना है। यदि आय में वृद्धि की दर अधिक ऊँची होगी है तो साहसा के अपने वर्तमान विनियोजन इच्छित विनियोजन के कम प्रतीत होने हैं और इससे विपरीत जब आय में वृद्धि की दर कम होता है तो विनियोजन अपने वर्तमान वास्तविक विनियोजन की आवश्यकता से अधिक समझना है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच का स्थिति अर्थात् जब आय की वृद्धि की दर इतनी होती है कि साहसी अपने वर्तमान विनियोजन से ही सम्बुद्ध रहता है तो इस आय वृद्धि की दर को इच्छित प्रगति की दर

(Warranted Rate of Growth) कहते हैं। विनियोजन आय का निश्चित अनुपात होने के कारण आय की प्रत्यक्ष वृद्धि में विनियोजन एवं आय दोनों ही जाने काल में अधिक हो जाते हैं। यदि विनियोजन इस अधिक विनियोजन का वांछनीय मान रहे तो आय में और अधिक गति से वृद्धि होगी। इस प्रकार आय की वृद्धि एवं तदनुसार विनियोजन में वृद्धि की क्रिया चलती रहती और विनियोजन एवं आय एक-दूसरे के अनु रूप होने में प्रयत्नशील रहेंगे।

दूसरी ओर यदि आय में गिरावट आ जाय तो विनियोजन भी कम हो जाता है और जब विनियोजन कम हो विनियोजन से सम्पुष्ट हो जाते हैं तो आय में और कमी आ जाती है। यथेष्ट में यह बहू सुझते हैं कि आय विनियोजन तथा व्यय-हात के स्थिर सम्बन्ध होने पर उत्पादन में वृद्धि होने में विनियोजन में वृद्धि होना आवश्यक होगा क्योंकि विनियोजन की मांग में वृद्धि हो जायगी तथा उत्पादन में कमी होने पर विनियोजन की मांग कम हो जाती है जिससे आय में और कमी हो जायगी।

हैरोट का विकास-समीकरण

उपरोक्त व्यवस्था का हैरोट द्वारा निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है—

$$GC = S$$

G → आय अथवा उत्पादन की वृद्धि का वास्तविक दर या किसी निश्चित काल का कुल आय अथवा उत्पादन के उस काल के उत्पादन प्रत्यक्ष आय-वृद्धि के अनुपात में व्यक्त की जाती है अर्थात् $G = \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\text{आय में वृद्धि}}{\text{कुल आय}}$

C = पूँजी में वृद्धि का निश्चित काल में नवीन पूँजीगत सम्पुर्णों एवं धन निर्मित सम्पुर्णों और स्वयं-चलन रूप में मूल्य हट्टे हैं। यह पूँजी की वृद्धि आय की वृद्धि के अनुपात में व्यक्त की जाती है अथवा $C = \frac{I}{\Delta Y}$ अथवा $\frac{\text{विनियोजन वृद्धि}}{\text{आय का वृद्धि}}$

S = आय का वह भाग जो बचाया जाता है। इस आय के अनुपात में व्यक्त किया जाता है $S = \frac{S}{Y} = \frac{\text{बचत}}{\text{आय}}$ विभिन्न विधियों का मूल्यांकन करने के पदवार नवीन समीकरण इस प्रकार भी लिखा जा सकता है—

$$\begin{aligned} \frac{\Delta Y}{Y} \times \frac{I}{\Delta Y} &= \frac{S}{Y} \\ &= \frac{I}{Y} = \frac{S}{Y} \end{aligned}$$

इस समीकरण से इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि बचत एवं विनियोजन का कुल आय में समान अनुपात होना ही बचत एवं विनियोजन बराबर रहने है।

हैरोड के विकास माडल का दूसरा समीकरण निम्न प्रकार है—

$$GwCr = 8$$

Gw का अर्थ इच्छित प्रगति की दर (Warranted Rate of Growth) से लिया जाता है। यह आय की प्रगति की वह दर है जो साहसियों का सन्तुष्ट रखता है तथा वह पूँजी संचय का पूरा उपयोग करती है। इस आय-वृद्धि की दर के लिए जो वास्तविक विनियोजन किया जाता है, उसे जगन काला में भी बनाए रखने के लिए सार्वी इच्छुक रहता है।

Cr से अर्थ आवश्यक पूँजी अथवा पूँजी गुणांक (Capital Coefficient) से लिया जाता है। पूँजी गुणांक उस पूँजी का कहने से जो उस उत्पादन का प्रति इकाई के लिए आवश्यक होती है जो आय वृद्धि का इच्छित दर का निर्वाह कर सकती है। विकास की इच्छित दर को परिस्थिति में यथोचित बेरोजगार हा मकना है परन्तु साहसी अपने विनियोजन सम्बन्धी निणयों से सन्तुष्ट रहने।

जब आय वृद्धि की वास्तविक दर अर्थात् G इच्छित दर (Warranted Rate) अर्थात् Gw से अधिक होगी तो वास्तविक पूँजी की वृद्धि आवश्यक पूँजी अर्थात् Cr से कम होगा अर्थात् प्रसाधन एक संग्रह बनमान उत्पादन क्रियाओं का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस परिस्थिति के परिणामस्वरूप पूँजीगत प्रसाधनों की माँग में वृद्धि होगी जिससे आय का वृद्धि दर G में और अधिक वृद्धि होगी और फिर अधिक पूँजी अर्थात् C की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अर्थ व्यवस्था में निरन्तर विस्तार होता रहता है। दूसरी ओर जब आय वृद्धि की वास्तविक दर इच्छित दर से कम होगा तो वास्तविक पूँजी संचय आवश्यक पूँजी संचय से अधिक होगा और इसके फलस्वरूप पूँजीगत सामग्री का माँग कम हो जायगी जिसके परिणामस्वरूप आय की वास्तविक वृद्धि दर G में गिरावट आ जायगी और यह गिरावट फिर वास्तविक पूँजी संचयन को और कम कर देती। इस प्रकार यह आय एक पूँजी संचयन की गिरावट का चक्र चलता रहेगा।

अर्थ व्यवस्था के विस्तार एवं संकुचन के यह चक्र अनिश्चित सीमाओं तक परिवर्धित नहीं रह सकते हैं। विस्तार की अधिकतम सीमा धर्म प्राकृतिक साधनों पूँजीगत प्रसाधनों तथा तकनीकी ज्ञान की उपलब्धि पर निर्भर रहेगी। यह सामाजिक सम्भावित प्रगति की अधिकतम सीमा होगी जो पूरा राजगार का उपस्थिति में धर्म शक्ति की वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति के अन्तर्गत प्राप्त हो सकेगा। समय में परिवर्तन होने पर उत्पादन के यन्त्रों एवं तकनीकी प्रगति होने के कारण प्रगति का अधिकतम सीमा बदल सकती है। हैरोड ने धर्म तथा प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि एवं तकनीकी सुधारों के आधार पर निर्धारित होने वाली अधिकतम प्रगति-दर को प्रगति की स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक दर ($G_f = \text{Natural Rate of Growth}$) कहा है। प्रगति की स्वाभाविक दर हान पर अनिश्चित बेरोजगार नहीं होता है।

हेराड के विचार में अवसाद के कुछ वर्षों बाद साम्यविक उत्पादन वृद्धि-दर G इच्छित प्रगति-दर से G^* से दीर्घ काल तक अधिक रहे सकती है परन्तु यह स्थिति अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहे सकती है। साम्यविक प्रगति-दर का विचार प्राकृतिक प्रगति दर तक ही हो सकता है। प्राकृतिक प्रगति दर पर पहुँच कर श्रम एवं प्राकृतिक साधना का सीमित उपलब्धि और अधिक प्रगति का रास्ता दगों परन्तु अर्थ-व्यवस्था इस अधिकतम प्रगति की सीमा पर पहुँच कर स्थिर नहीं रहे सकती है। उसका विस्तृत अर्थवा यकृच्छित हाना अनिवाय होता है। जब साम्यविक प्रगति-दर G प्राकृतिक प्रगति दर G^* के बराबर हो जाती है तो इच्छित प्रगति-दर G^* भी साम्यविक प्रगति दर G के बराबर हो जाती है। जब साम्यविक प्रगति दर G के अधिकतम स्तर पर बनाए रखना सम्भव नहीं होता और श्रम एवं प्राकृतिक साधना का सीमित उपलब्धि हाना के कारण इसे बनाना सम्भव भी नहीं होता है तो G में गिरावट प्रारम्भ हो जाती है अर्थात् साम्यविक प्रगति-दर G इच्छित प्रगति दर G^* से कम हो जाती है और फिर अवकृच्छित की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हो जाता है। यह अवकृच्छित का बानाकरण भी अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहे सकता है। अवसाद की इस स्थिति में कायगीर पूँजी (Circulating Capital) में कमी हो जायेगी परन्तु स्थायी पूँजी (Fixed Capital) में कमी नहीं आ सकती क्योंकि इसकी माँग श्रम में नीचे नहीं गिर सकती है। स्थायी पूँजी का स्थिर स्तर बना रहने तथा साहसियों का साम्यविक प्राकृतिक साधनों का पान प्राप्त होना से साहसियों में निष्ठास की भावना उत्पन्न होती जिससे फिर प्रगति हान लगेगी।

इस प्रकार पूँजीवादा अर्थ-व्यवस्था में उच्चावचान हाना स्वाभाविक है क्योंकि उसमें निश्चित लक्षण हान उच्चावचाना का संरक्षण प्रदान करने हैं। पूँजीवाद के अन्तर्गत श्रम में हृद प्रगति (Steady Rise) सम्भव नहीं हो सकती है क्योंकि यदि अर्थ-व्यवस्था इच्छित प्रगति की रखा के आन-वास हो चक्कर लगायेगी तो केवल अन्तःप्रवृत्त ही प्रगति हो सकती परन्तु पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में केन्द्र में दूर ले जान वाली शक्ति (Centrifugal Forces) काम करती हैं जो अर्थ-व्यवस्था का इच्छित विकास की रखा-दर तक ले जाती हैं। इस स्पष्टीकरण से यह सिद्ध होता है पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की प्रगति में अन्तःप्रवृत्त उच्चावचान हाना अन्तःप्रवृत्त स्वाभाविक है। पूँजीवादी विकास का प्रक्रिया इस प्रकार प्रगति की अधिकतम सीमा एवं अवसाद की अधिकतम सीमाओं में चक्कर लगाती रहती है। प्रगति की अधिकतम सीमा श्रम एवं अर्थ-व्यवस्था के साधना की सीमित उपलब्धि से निर्धारित होती है और अवसाद की अधिकतम सीमा उपसाधन काय के Break Even Point (उत्पादन की वह मात्रा जो श्रमोत्पन्न उपभोग के लिए आवश्यक होती है) स्थायी निविधान के श्रम से कम होने की अवस्थावना विनियोजन के प्रतिस्थापन तथा स्वतन्त्र विनियोजन (Autonomous investment) द्वारा निर्धारित होती है।

डोमर का मॉडल

हैरोड और डोमर के विकास माडल लगभग समान हैं। उनके द्वारा जो परिष्कार निकाल गए हैं वे एक समान होते हुए भी उन परिष्कारों तक पहुँचने के लिए, जो मांग अपनाए गए उनसे कुछ भिन्न हैं। यद्यपि यह भिन्नता भी अधिक महत्व नहीं है। डोमर ने भी प्रगति की प्रक्रिया में पूँजी निर्माण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विनियोजन गतिहीन अथवा अवस्था को गतिमान करता है। विनियोजन के द्विपक्षीय कार्य होते हैं। एक ओर विनियोजन आय उत्पादन करना है जिससे उत्पादित वस्तुओं की माँग का निर्माण होता है और दूसरी ओर विनियोजन के द्वारा अथवा अवस्था के पूँजी-स्वच्छ में वृद्धि होती है जिससे उत्पादनशक्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार उत्पादन का प्रक्रिया के दो फल हैं—प्रथम मौलिक फल है जिसका सम्बन्ध वस्तुओं की माँग से होता है। दूसरा फल वस्तुओं से सम्बन्ध है अर्थात् पूँजी फल को प्रभावित करता है। डोमर ने इन दोनों फलों को अपने विकास माडल में स्थान दिया है। डोमर का विकास माडल इस प्रश्न का प्रतिउत्तर प्रदान करता है कि विनियोजन वृद्धि की दर कितनी होनी चाहिए जिससे उसमें बढ़ने वाली आय उत्पादन क्षमता की वृद्धि के बराबर रही जा सके जिससे पूँजी रोजगार का निर्वाह हो सके। विनियोजन अथवा अवस्था को उत्पादनशक्ति एक आय दोनों में वृद्धि करता है और उसकी उपयुक्त वृद्धि दर द्वारा ही अथवा अवस्था का पूँजी रोजगार पर समुचित किया जा सकता है। डोमर के विकास माडल का मान्यता (Assumptions) भी हैरोड के माडल के समान है अर्थात्—

मान्यताएँ

- (१) प्रारम्भ में पूँजी रोजगार आय की उपलब्धि हाँ गयी है।
- (२) सरकारों हस्तक्षेप एक विशेषी व्यापार नहीं हैं।
- (३) समायोजन के लिए समयान्तर की आवश्यकता नहीं होती है।
- (४) औसत एवं सीमान्त अक्षमता बराबर है।
- (५) वृद्धि करने की क्षमता एक पूँजी उत्पादन अनुपात स्थिर है।

उपरोक्त समस्त मान्यताओं के अनुसार आर्थिक परिस्थितियों का विद्यमान रहना अनिवार्य नहीं है। माडल का सरल विवरण करने हेतु इनमें से कुछ मान्यताओं को स्वीकार किया गया है। जब मॉडल का अतिरिक्त विवरण किया जाना हो तो इनमें कुछ मान्यताओं को छोड़ा किया जा सकता है।

डोमर के अनुसार आय वृद्धि की समस्या का निवारण उत्पादनक्षमता एवं वास्तविक उत्पादन में निरन्तर ऊँचे पर सन्तुलन स्थापित करके किया जा सकता है। विनियोजन द्वारा एक ओर उत्पादनशक्ति में वृद्धि होनी है और दूसरी ओर आय में वृद्धि। उत्पादनक्षमता का अधिकतम उपयोग तब ही सम्भव होता है जब उत्पादित वस्तुओं के लिए पर्याप्त माँग हो और यह पर्याप्त माँग समाज के कुल व्यय अर्थात् उपभोग स्तर पर निर्भर रहनी है। यदि समस्त माँग इतनी नहीं होवे कि अधिक

उत्पादनक्षमता द्वारा उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धता बर मुझे ता निर्मित उत्पादनक्षमता का या तो विलुप्त उपयोग नहीं होगा अथवा उनका उपयोग पूर्णतः नहीं होगा। इस प्रकार आय वृद्धि को जागे रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि उत्पादनक्षमता एवं वास्तविक उत्पादन बराबर रहें जो पर्याप्त माँग के परिणामस्वरूप ही सम्भव हो सकते हैं।

विनियोजन बचत पर निर्भर रहना है और बचत उतना अथवा माँग में कटौती करके है। इस प्रकार बचत आय-वृद्धि में सहायक एक बाधक दोनों ही होती है। यदि बचत का उपयुक्त उपयोग होता है तो इनका द्वारा आय में वृद्धि होती है या अल्प-अल्पवस्था गतिमान हो जाती है। जो अल्प-अल्पवस्था बचत का मनुष्य इच्छा कर लेती है और अतिरिक्त विनियोजन द्वारा निर्मित अतिरिक्त उत्पादनक्षमता का पूर्णतः उपयोग हो जाता है तो यह आय-वृद्धि की प्रक्रिया का साधन बन सकता है।

टीकर का समीकरण

टीकर द्वारा बचत एवं विनियोजन के प्रभावों की स्पष्ट करने के लिए समीकरण का उपयोग किया गया है। इस समीकरण में जिन चिह्नों का उपयोग किया गया है उनका अर्थ निम्न प्रकार है—

I = विनियोजन की राशि

S = निश्चित विनियोजन पर निर्मित होने वाला

उत्पादनक्षमता जो पूँजी-उत्पादन (Capital Output Ratio) में व्यक्त की जाती है।

ΔI = विनियोजन में वृद्धि

ΔY = आय में वृद्धि

a = बचत की दर (Propensity to Save) अथवा बचत का आय के अनुपात

उपरोक्त चिह्नों का उपयोग करके विनियोजन में परिवर्तन होने पर आय में होने वाले परिवर्तनों का सम्बन्ध निम्न समीकरण से व्यक्त किया जा सकता है—

$$\Delta Y = \Delta I \times \frac{1}{a} \quad \text{--- (1)}$$

यह समीकरण यह बताता है कि आय-वृद्धि विनियोजन-वृद्धि को गुणा (Multiplier) से गुणा करके प्राप्त हो सकता है।

यदि प्रारम्भिक काल में पूँजी-रोजगार सम्बन्धित हो तब आय-वृद्धि के साथ साथ पूँजी-रोजगार बनाया जाता है। वस्तुओं की माँग प्रति के बराबर रहना आवश्यक होगा। उत्पादनक्षमता की वृद्धि, पूँजी की वृद्धि और आय की वृद्धि माँग की वृद्धि के बराबर होना ही और पूँजी-रोजगार सम्बन्धित बनाने के लिए इन दोनों वृद्धियों का बराबर रहना आवश्यक होता है। इस तथ्य को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है।

$$\Delta I \times \frac{I}{a} = I\sigma \text{ ————— (2)}$$

अभी हमें देना कि (समीकरण 1 में) कि $\Delta I \times \frac{I}{a}$ बराबर होता है

ΔY आय का वृद्धि क।

1 विनियोजन का राशि का चिह्न है और σ पूजा एवं उत्पाद का अनुपात। इन दोनों का गुणा $I\sigma$ बराबर हुआ उत्पादनक्षमता की कुल वृद्धि क जो पूति का वृद्धि व्यक्त करता है। समीकरण 2 स्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है; समीकरण को सरल करने के लिए दोनों पक्षों को a से गुणा और दोनों पक्षों को I से भाग कर दें ता निम्न समीकरण प्राप्त होता है—

$$\frac{\Delta I}{I} = a\sigma \text{ ————— (3)}$$

(समीकरण 2 के दोनों पक्षों को a से गुणा करने पर $\Delta I \times \frac{I}{I} \times a = I\sigma a$

अर्थात् $\Delta I = I\sigma a$ प्राप्त होता है और जब इसे I से भाग करते हैं तो $\frac{\Delta I}{I} = a\sigma$ प्राप्त होता है।)

$\frac{\Delta I}{I}$ का अर्थ विनियोजन वृद्धि का कुल विनियोजन के अनुपात में है अर्थात्

यह विनियोजन की सापेक्ष (Relative) वार्षिक प्रगति दर है। दूसरी ओर $a\sigma$ का अर्थ है—बचत की इच्छा अथवा बचत का आय से अनुपात गुणित पूजा उत्पाद अनुपात।

इस प्रकार समाकरण 3 से यह सिद्ध होता है कि यह प्रगति (Stable Growth) के लिए विनियोजन की प्रगति की वार्षिक सापेक्ष दर (अर्थात् वृद्धि दर) बचत इच्छा (Propensity to Save) के अनुपात एवं विनियोजन की औसत उत्पादनता (पूजा उत्पाद-अनुपात) के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए।

सोमर न अपने मॉडल को आर्थिक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया है। विभिन्न आंकड़े निम्न प्रकार मान लिए गए—

σ अथवा उत्पादनक्षमता = 15% प्रति वर्ष अर्थात् पूजा उत्पाद अनुपात 100 25 या 4 1 है।

a अथवा बचत इच्छा-अनुपात (Propensity to Save) = 12% अर्थात् 23- है। Y अथवा वार्षिक आय = 150 बिलियन है।

पूरा राजस्व व्यवस्था बनाय रखने के लिए आय का 12% भाग विनियोजन करना आवश्यक होगा अर्थात् $150 \times 23 = 12$ बिलियन विनियोजन। विनियोजन में 12 बिलियन का वृद्धि होने पर उत्पादन क्षमता में $12 \times 4 = 48$ बिलियन का वृद्धि होगा। विकास की गति का हाना (Stability) प्रदान करने के लिए

बड़ी हुई उत्पादनक्षमता का पूषणम उपयोग आवश्यक होगा अर्थात् १८ विनिदान व विनियोजन द्वारा ४३ विनियम की आय में वृद्धि हासिल आ कुल आय को $\frac{४३}{१४०}$ विनियम अथवा ३% के बराबर हासिल ।

अपु त आंकड़ा का यदि समाकरण 3 में लगाया जाय ता—

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{१८}{\text{कुल आय } १५०} \times \text{पूजो उत्पाद अनुपात} = ४ \frac{१८}{१००}$$

$$a = ३३ - ४ \times ३३ = ३३ - १३२ = १००$$

$$\text{अर्थात्} = \frac{३३}{१००} = ३३\% \quad ३३ - ३० = ३\%$$

इस आर्थिक स्पष्टीकरण में यह मिथ हो जाता है कि आय की वृद्धि-दर उत्पादनक्षमता की वृद्धि की दर के बराबर हासिल है ।

हामर व हम विनियोजन में यह मान हासिल है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया पूजोवादी अर्थ-व्यवस्थाओं में स्वाभाविक हासिल है । यदि किसी वष में विनियोजन इस प्रकार का हो कि आय में उत्पादनक्षमता की तुलना में अधिक वृद्धि हो जाय ता उत्पादन प्रसाधनों की कमी रहणी और विनियोजन को बढाना पडगा जिससे आय में और वृद्धि हो जायगी । इस प्रकार यह असन्तुलन आय-वृद्धि की ओर गतिमान रहगा । इससे पार यदि आय की वृद्धि-दर उत्पादनक्षमता की वृद्धि-दर से कम हासिल ता उत्पादन प्रसाधन पुनरूपेण उपयोग नहीं होंगे और विनियोजन कम होने लगेगा जिससे आय में और कमी आ जायगी और इस प्रकार आय की कमी का चक्र प्रारम्भ हो जाना ।

हैरोट एव टोमर के मॉडलों का सारांश

हैरोट और टोमर के मॉडलों में बहुत अधिक महानता है । उनके विस्तारण की मुख्य मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं—

(१) कुछ प्रगति का केन्द्रित विनियोजन होना है क्योंकि विनियोजन की द्विपक्षीय प्रिया हासिल है । जब और, विनियोजन द्वारा आय में वृद्धि हासिल है और इससे और, अर्थ-व्यवस्था की उत्पादनक्षमता में वृद्धि ।

(२) अधिक उत्पादनक्षमता के फलस्वरूप, अधिक उत्पादन अथवा अधिक बेरोजगार हो सकता है । यह दोनों बातें आय के परिवर्तनों पर निर्भर रहती है । यदि आय में होने वाली वृद्धि उत्पादनक्षमता की वृद्धि से अधिक होती है तो उत्पादन में वृद्धि हासिल है और उत्पादनक्षमता आय-वृद्धि के अनुरूप होती रहती है । इससे विनियोजन उत्पादनक्षमता की वृद्धि की तुलना में आय-वृद्धि कम हासिल है तो उत्पादनक्षमता का पूषण उपयोग नहीं होता है और बेरोजगार उदय होता है ।

(३) दीर्घ काल में पूषण रोजगार निर्वाह करने के लिए आय में इतनी वृद्धि हासिल रहना चाहिए कि पूषण रोजगार स्थिति में होने वाली वचन एवं पूजो रूप की पूषण खपत हो सके ।

हामर में प्रगति की यह सन्तुलित दर उस विन्दु पर अधिक की है जहाँ

विनियोजन की प्रगति की चक्रवृद्धि दर यद्यत् इच्छा अनुपात एवं पूँजी उत्पादन के अनुपात के गुणनफल के बराबर होती है। डामर के अनुसार पूँज राजगार का निर्वाह करने के लिए आय में चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हानी चाहिए।

(४) अथ यवस्था में जब वास्तविक प्रगति की दर इस मुद्दे प्रगति अथवा इच्छित प्रगति दर (Warranted Rate of Growth) में अधिर होती है तो अथ यवस्था का विस्तार होता है। इसके विपरीत परिस्थिति में अथ यवस्था में मन्दोच्चन होता है।

(५) यान्त्रिक चक्र मुद्दे विज्ञान पर्यन्त विचलन का रूप में समझे गए हैं। यह विचलन स्वयं ही विस्तृत हान है। प्रगति का और विस्तृत होने वाला विचलन (Deviation) का अधिकतम सीमा पूँज राजगार स्थिति (जिसमें अथ यवस्था में उत्पादन साधना का पूँज में उपयोग होता है) होता है। दूसरी ओर अवनति को और विस्तृत होने वाले विचलन का सीमा स्वयं ही विनियोजन एवं उपयोग पर निर्भर रहता है।

हैरोड डामर के निरूपण की तुलना

हैरोड डामर के विश्लेषण में एकरूपता होते हुए कुछ विभिन्नताएँ भी हैं जिनको निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं—

(१) हैरोड और डामर दोनों ने आय की वह सन्तुलित प्रगति दर मानी है जो g के बराबर हो परन्तु यह समानता किम प्रकार उदय हो सकती है इसका कारण दोनों अर्थशास्त्रियों ने भिन्न बनाया है। हैरोड के अनुसार, पूँजे आय में वृद्धि होती है और फिर उसके अनुकूल किसी निश्चित दर से विनियोजन समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर डामर के अनुसार विनियोजन पहले बढ़ता है और इसके फलस्वरूप आय में जो वृद्धि होती है वह विनियोजन की g (पूँज उत्पादन अनुपात) गुनी (g times) होती है। इस प्रकार हैरोड एवं डामर द्वारा विनियोजन एवं आय में जो सम्बन्ध स्थापित किया गया है वह एक दूसरे के विपरीत है।

(२) हैरोड ने अपने विश्लेषण में उत्पादन वृद्धि की प्रक्रिया में उत्पादन के मनोविज्ञान का महत्त्वपूर्ण बताया है और उनकी शान्ति से विनियोजन नियम का नियंत्रित किया है जबकि डामर ने विनियोजन के परिवर्तन को तकनीकी परिस्थितियों से सम्बन्ध दिया है और पूँजी उत्पादन अनुपात का महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। यद्यपि उत्पादन के मनोविज्ञान एवं तकनीकी परिस्थितियों में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध होता है फिर भी दोनों मॉडलों के माँग में यह अन्तर माना जा सकता है।

(३) डामर ने अपने विश्लेषण में सन्तुलित विकास की ही स्थिति दिया है और इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि पूँजीवादी विकसित अर्थ-व्यवस्था में अनिश्चित विनियोजन से जो उत्पादन साधना में वृद्धि होती है उसका पूँज उपयोग करने के लिए आय एवं उत्पादन में जिनकी वृद्धि हानी चाहिए। दूसरी ओर हैरोड ने विकास की दो दरों की व्यवस्था की है—इच्छित दर एवं स्वाभाविक दर। इच्छित दर माँगों

हेरोड डामर की यह या यता कि देग भी सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियां म लिबुन हस्तक्षेप नहीं किया जाता तथा देश विन्गी व्यापार से अलग रहता है, की उपस्थिति भी आवश्यक नहीं है। अल्प विकसित राष्ट्रों में सरकार अपने वायवताप का कदापि शान्ति एवं सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रख सकता है। साहसो वग की कमी की पूर्ति करने के लिए सरकार को मामदान साहसो का वाय करना पड़ता है और बहुत सा आर्थिक क्रियाओं को सरकार स्वयं संचालित करती है और बहुत सी क्रियाएँ उसका द्वारा नियंत्रित रहती हैं। जहाँ तक विन्गी व्यापार का सम्बन्ध है अल्प विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में विन्गी व्यापार का बहुत बड़ा योगदान होता है। विन्गी व्यापार एक विन्गी सहायता इन देगों को आर्थिक प्रगति का मुलाधार है।

हेरोड डामर के मानसों का प्रारम्भ पूर्ण रोजगार आय (Full Employment Income) के होता है या स्थिति अल्प विकसित क्षेत्रों में विकास के प्रारम्भ में किसी भी प्रकार उदय नहीं होगी है। इन देगों में अनिच्छित बेरोजगार का भी प्रश्न नहीं होता है। इनका बेरोजगार का समस्या में अदृश्य बेरोजगार (Disguised Unemployment) का प्रभुत्व होता है। इन देगों में सम्पूर्ण यत्न का विनिर्माण करके और उत्पादन इसका पूर्ण उपयोग करने पर भी पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना सम्भव नहीं होता है क्योंकि भ्रम गति में पूँजी का वृद्धि की तुलना में अत्यधिक तीव्रता से वृद्धि होती है।

हेरोड डामर मॉडल की आलाचना

हेरोड डामर के गतिशील विकास मॉडल की बहुत से अद्यतनियों द्वारा तीव्र आलोचना की गयी है। इन आलोचनाओं को निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं—

(१) इन मानसों में उत्पादन प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले तत्वों का स्थिर मान लिया गया है और उत्पादन के एक घटक को दूसरे घटक से स्थानापन्न करने की कोई स्थान नहीं दिया गया है। बीच-बीच में इस प्रकार का स्थानापन्न निरन्तर किया जाता है। तकनीकी एक समष्टितात्मक सुधारों के फलस्वरूप उत्पादन के तत्वों के परिमाण में उदय परिवर्तन होता रहता है। वास्तविक प्रगति या प्रक्रिया में इन परिवर्तनों का होना अत्यन्त स्वाभाविक है।

(२) व्यवहार में पूँजी उत्पाद अनुपात एक गतिबद्धक (Accelerator) भी स्थिर नहीं होते हैं। वास्तव में यह ज्ञात करना कि पूँजी का उत्पादन में विन्गी मामदान होता है सम्भव नहीं होता है। पूँजीवाली अथ व्यवस्थाओं की प्रगति में तार्किक अनुसंधान प्रणाली एवं विन्गी में विन्गी जान वाले विनियोजन का योगदान पूँजी से वहीं अधिक रहा है।

(३) विकास मॉडल में अस्थिरता की सम्भावनाओं की बगल पर पर बनाया गया है। वास्तव में संतुलन के माग से थोड़ा सा विचलन होने पर अथ व्यवस्था का किसी भी विन्गी में अक्षय हो जाना आवश्यक नहीं है। आर्थिक उपायों का

वास्तविक कारण साहसियों का व्यवहार तथा विनियोजन निणयों एवं पूंजीगत व्यय का समयान्तर (lag) हान है ।

(४) हेराक द्वारा जो अथ-व्यवस्था का अधिकतम विस्तार की सीमा निर्धारित की है वह भी व्यावहारिक नहीं है नय कि थम एवं प्रावृत्ति साधना की पूर्ति स्थिर मानने हुए उनका उपयोग के तरीकों म हट-फेर करने उत्पादन के स्तर का वृद्धता सम्भव हो सकता है । इसके साथ मगठनात्मक एवं तकनीकी परिवर्तनों द्वारा भी थम एवं पूंजी की उत्पादनता का वृद्धता जा सकता है ।

(५) इन मॉडलों में मूल्य-परिवर्तना के धार्मिक प्रगति पर पहले वाले प्रभावों पर कोई विचार नहीं किया गया है । मूल्यों म थोड़ा सा परिवर्तन हान पर साहसा के व्यवहारा, विनियोजन निणया एवं उत्पादन के प्रकार प्रभावित हात हैं ।

हेरोड डामर के मॉडलों में उपयुक्त कमियाँ हान हुए भी यह आप, विनियोजन एवं मन्त के पारस्परिक सम्बन्धों का स्पष्ट करने के लिए उपयोगी है । इनके द्वारा नियत राष्ट्रों म मुद्रा-वृद्धि के उदय एवं विस्तार होने के नय का भी अध्ययन किया जा सकता है । हेरोड-डोमर का विदलेपन किसी भी देश की विकास समस्याओं के अध्ययन करने में सहायक हो सकता है परन्तु इनका विनियम उपयोग ऐसे राष्ट्रों की विकास-समस्याओं के अध्ययन के लिए है जिनमे पर्याप्त विकास हो चुका है और इस विकास का भविष्य म निवाह करने की समस्या है ।

आर्थिक प्रगति की अवस्थाएँ एव भारत

[Stages of Economic Growth With Special Reference to India]

[विकास की अवस्थाएँ—परम्परागत समाज, स्वयं स्फूर्त व पूँव की अवस्था, स्वयं स्फूर्त विकास की अवस्था, स्वयं स्फूर्त की दार्ते विनियोजन दर, महत्वपूर्ण निर्माणी क्षेत्र, राजनीतिक एव सामाजिक संरचना भारत में स्वयं स्फूर्त अवस्था परिपक्वता की ओर अग्रसर, अत्याधिक उपभोग की अवस्था, उपभाग के परे]

आर्थिक प्रगति को मापने की विभिन्न विधियाँ व अवस्था प्रणाली (Stage Approach) को कुछ अन्तर्गत न महत्वपूर्ण बताया है। इस प्रणाली में आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया के अन्तगत होने वाले अनुक्रमात्मक (Sequentual) परिवर्तनों को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के इतिहास का अध्ययन करके विकास के ऐतिहासिक काल को विकास प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक कालों में परिचित किया जाता है। यदि यह विश्लेषण सम्पूर्ण हो तो इसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के विकास-स्तर का तुलनात्मक माप करना सम्भव हो सकता है परन्तु आर्थिक प्रक्रिया का सामान्य विश्लेषण सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया प्रत्येक देश में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर रहती है और यह परिस्थितियाँ विभिन्न राष्ट्रों में समान नहीं होती हैं परन्तु प्रो० रास्टोव ने आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया को छह अवस्थाओं में विभक्त किया है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक राष्ट्र इन सभी अवस्थाओं से समान रूप से गुजरकर प्रगति करे और यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विकासशील राष्ट्र का इन विभिन्न अवस्थाओं में एक समान ही समस्याओं का सामना करना पड़े। विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं में कोई देश कितना समय तक रहता है यह समय भी विभिन्न राष्ट्रों में समान होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार प्रगति की यह विभिन्न अवस्थाएँ आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया का रूपरेखा माप प्रस्तुत करती हैं। इनके द्वारा निर्दिष्ट एक सर्वमान्य परिस्थितियाँ निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। प्रो० रास्टोव द्वारा प्रतिपादित विकास की विभिन्न अवस्थाओं का निवरण निम्न प्रकार है—

विकास की अवस्थाएँ

(१) परम्परागत समाज (Traditional Society)—परम्परागत समाज के प्रमुख आर्थिक सहाय सीमित उत्पादन क्रिया होती है। इन समाजों में निरन्तर आर्थिक

परिचयन होने लगे थे। पालु व्यापार के प्रकार एवं प्रकार कधि व्यापार के रूप एवं व्यापारिका निर्माणी क्रियाओं का परिमाण तथा उनसंख्या एवं मात्रा में परिचयन होने रहने पर इन समाजों में अपने मौखिक वातावरण का आदिम प्रारंभ के लिए आसपास करन पनु आवश्यकता कातिक्रमण एवं विचारधाराएं पचास मात्रा में पनी नहीं हो पाती है। इस समाज में आदिमियों एवं नवप्रदत्तनों की कमी होने लगी है परन्तु अपने मौखिक वातावरण का समनन एवं एक अनुसंधान विचार आदिमों एवं नवप्रदत्तन करने की प्रकृति नहीं पाया जाती है। मध्य में यह समाज अपनी सम्मानांतर उपस्थितियों व मरुत व आदिम निर्यात रूप है।

व्यापार-आन्वयिकताओं में आवश्यक एवं निर्यात सुधार व हान के कारणों की अनुसंधान का ७७% या इससे भी अधिक मात्रा मात्राओं के उत्पादन में पनी गयी है। यह भी कुछ मात्र में उच्च मात्रा अनुसंधान अनुसंधान द्वारा अपने कधि और भी का अधिकतर भाग अनुसंधान अथवा कुछ उत्पादन क्रियाओं धारित कर मात्र मात्रा में उच्चों तथा उनीदाओं के उच्च औद्योगिक व अन्य क्रिया गयी है। निर्यात में कधि के लिए कधि प्रतिष्ठता होने श और इस वर्ष का कधि कधि का अधिकतर भाग विचार एवं मृदु-मृदुओं व अन्य कर देना पड़ा है। अनुसंधान अथवा पम्पगत अनुसंधानों की अधिक महत्व देता है यह उनमें सम्भव-विचारिता कम रहती है अर्थात् यह अपने पम्पगत अनुसंधान का उत्तर कर कधि की नहीं अपना सकते हैं। राजनीतिक कधि अधिकतर बुनियादियों के लक्षों में रहती है।

रामदास की परम्पगत समाज की विचारधारा भारतीय समाज पर पूर्णतया लागू होती थी क्योंकि हमारा यह भी इतिहास देता है किमें परम्पगत कधि-तात्त्विकताओं को ही मायका मिलती रही है। हमारे देश में भी कधि-विचारिता उनीदाओं द्वारा समाजों को अधिकतर में पनी गया है पालु अनुसंधान के पालु निर्यातित विचार व नवप्रदत्त नवीन तात्त्विकताओं का धीरे-धीरे विचार देना है और उनीदाओं एवं विचारिता (Princes States) परम्पगतों का उच्चतर का लिए गया है। इस प्रकार हमारा समाज प्रेमोत्त शाय विचारिता प्रथम अथवा के लक्षों देता गया है।

(२) स्वयं स्फूर्त विचार के पूर्व की अथवा (The Pre-Conditions for Take off)—इस अथवा का प्रारम्भ नवप्रदत्त परिणती रूप में हुआ जब आधुनिक विचार एवं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की धीरे-धीरे प्रारंभ हुई। इन दो स्थितियों में उत्पादन की तात्त्विकताओं में सुधार क्रिया और पूर्णतया देना में उत्पादन उत्पादकों की शोध तथा नवीन लोगों की शोध की गयी। इसके कारण राज्यों के विचार द्वारा उत्पादन एवं अन्य आदिम क्रियाओं में विचारिता का प्राथमिक हुआ, कारणों में उत्पादन बड़े पैमाने में करने की महत्व दिया जनता, यातायात की सुविधाओं में वृद्धि हुई वृद्धि की तात्त्विकताओं में शक्ति हुई तथा

आयात का विस्तार हुआ। इस प्रकार विदेशी व्यापार के विस्तार के फलस्वरूप अल्प विकसित राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के मशीनों एवं औद्योगिक कच्चा माल प्राप्त कर सकते थे। इस गये घटना के प्रोत्साहित होकर आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं का विस्तार होना प्रारम्भ हुआ।

औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तीन तरह की योजनाएँ मूल परिवर्तन होना आवश्यक होती हैं—

(अ) सामाजिक उपरिष्कार योजना विशेषकर बाल्यायुष की सुविधाएँ। विस्तार होना चाहिए जिससे एक ओर राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हो सके और दूसरी ओर उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उत्पादन कोषण किया जा सके तथा दूसरा ओर सरकार प्रभावनाता उन से प्रशासन कर सके। कुशल सरकारी प्रशासन एवं सुरक्षा का वातावरण में ही औद्योगिक विकास का प्राक्काशन प्राप्त होता है।

(आ) श्रमिक श्रेष्ठता का तात्त्विक ज्ञान होना चाहिए क्योंकि स्वयं स्फूर्ति विकास का पूँज की अवस्था में जनसंख्या में सामान्य वृद्धि और नवजात की जनसंख्या में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। इस प्रकार नए श्रमिकों का कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है और श्रमिकों को इनके लिए साक्षात् एवं विद्यालयी मुक्त उद्योगों को अधिन मानना आवश्यक बनता जाता है। यह योजना कार्य श्रमिकों तथा ही कर सकता है जब श्रमिकों की उत्पादन में शीघ्र गति में वृद्धि हो जाय।

(इ) एक नए जमाने में वर्धापित वृद्धि होना चाहिए। आयात को वर्धापित वित्त प्रदाय करने हेतु देश का प्राकृतिक साधनों से अधिकांश उत्पादन प्राप्त करना तथा उसका कुशल विपणन करना आवश्यक होता है। उत्पादन को कुशल बनाने हेतु यथा सम्भव पूँजीगत प्रसाधनों का आयात भी किया जाना चाहिए। अल्प विकसित राष्ट्रों को इस प्रकार अपने विदेशी विनिमय के साधनों को बढ़ाना आवश्यक होता है। अधिकांश विदेशी विनिमय अज्ञान कर देना अथवा ऐसी औद्योगिक कच्चे माल एवं अन्य प्रसाधनों की, जो देश में उत्पादित नहीं होते हैं की पूर्ति आवश्यकतानुसार करना पड़ता है।

आवश्यक तात्त्विक विकास को गन्तव्य बनाने के लिए सरकारों का समर्थन का नए आधुनिक शाखा में भाग कुछ मूलभूत परिवर्तन करने होते हैं। नए आधुनिक शर्तों में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ आवश्यक होती हैं—

(अ) श्रमिक सम्बन्धों में नवीन तात्त्विकताओं का उपयोग करने की इच्छा होनी चाहिए तथा वह विस्तृत विनिमय में बरतना शुरू होना आवश्यक है। अल्प विकसित राष्ट्रों में श्रमिकों के इस प्रकार की गतिशील विचारधारा प्रायः नहीं पायी जाती है और इसका अनुपस्थिति ही आधुनिक प्रगति में रुकावटें उपस्थित करती रहती है।

(आ) नवीन औद्योगिक व्यवस्थाओं-व्यय का विद्यमान होना तथा उसकी व्यवस्थाएँ

के मंचालन की स्वतंत्रता होना विकास के लिए आवश्यक होता है। परम्परागत समाज में नवीन व्यवसायों एवं उद्योगों की स्थापना एवं विकास बर ही स्वयं-सूत्र विकास के पूव की अवस्था उत्पन्न की जा सकती है। इस नवीन साहसो-वग का नवीन व्यवसायों की स्थापना एवं मंचालन की वधानिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता भी होना आवश्यक होती है। यदि यह नवीन साहसो वग दुबल होता है तो परम्परागत साहसो वग द्वारा दबा दिया जाता है और विकास जगल चरणों में नहीं पहुँच पाता है।

(६) एक ऐसी कुशल राष्ट्रीय सरकार का होना भी आवश्यक होता है जो वग में शान्तिपूर्ण शांतावरण उत्पन्न कर निम्न नवीनीकरण की आवश्यकियों का प्रासाहन मिल सके। राष्ट्रीय सरकार का स्वयं ही सामाजिक उपरिष्कृत पूँजी (साहसो मुविधानों) की मुविधानों व विम्वार का उत्तरदायित्व जपन ऊपर लेना चाहिए तथा उपयुक्त व्यापार नीति एवं नवीन औद्योगिक एवं श्रुति सुम्बन्धी शान्तिवन्तों के विम्वार की व्यवस्था करनी चाहिए।

(७) परम्परागत समाज में जन-समुदाय में यह जानकारी अवस्था पान प्रविष्ट होना चाहिए कि उत्पादकता बढ़ाने की नवीन विधियाँ भी हो सकती हैं उन्हें और उनका बन्धों की दीपायु होना सम्भव हो सकता है, उपभाव में नवीनताएँ हो सकती हैं तथा बन्धाएँ और ऊँचा जीवन-स्तर हो सकता है। यह जानकारी परम्परागत समाज में गतिशीलता का जन्म देता है और समाज की भाग एवं प्रति तथा सामाजिक शान्ति-वगद्वारा की सरकार में मूलभूत परिवर्तन हो जाते हैं। यह जानकारी विकसित देशों के नागरिकों से सम्भव स्थापित होना में उत्पन्न होती है और जब परम्परागत समाज के नागरिकों में विकसित देशों के नागरिकों के समान जीवन की सुविधाओं का प्राप्ति करने की चाहना जाग्रत होती है तो विकास के लिए आवश्यक गतिशील विचारधारा उदय होती है।

(८) परम्परागत समाज का परिवर्तन करने में विकसित देशों के नवायामक व्यवहार ने भी सहायता प्रदान की है। जब विकसित राष्ट्रों द्वारा अपनी इच्छाओं की श्रुति विकसित देशों पर सैनिक दबाव द्वारा लादना शुरू किया जाता है तो अन्य विकसित समाजों के नागरिकों में प्रतिनिधियों की भावना जाग्रत होता है जो राष्ट्रियता की भावनाओं का विकसित एवं मुहूर्त कर देती है। अल्प विकसित राष्ट्रों के नेताओं की जब यह भावना होता है कि समाज में औद्योगिक राष्ट्रों के हाथ में ही प्रभावशाली सत्ता होती है तो यह नेता अपने अल्प विकसित समाज का भी विकास की ओर अग्रसर करने हेतु प्रयत्नशील हो जाते हैं। वास्तव में, समाज के परम्परागत समाजों के भागुनिवेशकण का अर्थ इस समाजों पर विकसित देशों के आक्रमण का भी निदा जाना चाहिए।

विभिन्न विकसित राष्ट्रों द्वारा जो परम्परागत समाजों पर अठारहवें एवं उन्नीसवें शताब्दियों में साम्राज्य स्थापित किए गए और साम्राज्यवादो प्रभावित किया

गया, उससे परम्परागत समाज का एक ओर विकसित समाज का नागरिक से सम्पर्क स्थापित हुआ और दूसरी ओर प्रतिनिध्यावादा राष्ट्रीयता उदय हुई। इन दोनों ही परिस्थितियों ने परम्परागत समाज का आधुनिकीकरण में योगदान दिया है परन्तु प्रायः अल्प विकसित राष्ट्रों का राजनीतिक स्वतंत्रता मित्य जान के पश्चात् वहाँ के नेताओं द्वारा अपनी-अपनी सत्ताओं को बचाने के प्रयत्न किए जाने हैं जिसके फल-स्वरूप घरेलू युद्ध (Civil War) अथवा घरेलू तनाव (Internal Tension) उदय होना है और देश का आधुनिकीकरण को समस्या बहुत समय तक यथावत बनी रहती है। जब ऐसे नेता योग्य सत्ताओं का अपने हाथ में लाने में समय हाथ हैं जा राष्ट्रीयता का मुहक बनाने हेतु आधुनिकीकरण को प्रास्तावित करते हैं तब परम्परागत समाज स्वयं स्फूर्त विकास की ओर अग्रसर हो जाता है।

राष्ट्राव द्वारा निर्धारित विकास का दम द्वितीय अवस्था—स्वयं-स्फूर्त विकास के पूर्व की अवस्था—से भारतीय अर्थ व्यवस्था आगे बढ़ गयी है। स्वयं-स्फूर्त विकास के पूर्व की अवस्था में प्रविष्ट होने में भारत का विद्युत् सहायता में विद्युत् योगदान प्राप्त हुआ है। प्रथम योजना में विद्युत् सहायता सरकारी ऋण की १०% थी जो बाद में द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में क्रमशः २४% तथा ३०% हो गया है। विद्युत् सहायता से भारतीय अर्थ व्यवस्था के आधार (Base) मुहक बनाना सम्भव हो सका है और भारत स्वयं-स्फूर्त अवस्था में प्रविष्ट हो गया है।

विद्युत् सहायता के अतिरिक्त देश का आंतरिक बचत का उत्पादन क्रियाओं के लिए अधिक उपयोग करने के लिए व्यवस्था का विकास करना सम्भव होता है। भारत में सन् १९४१-६३ के काल में राष्ट्रीय आय की वृद्धि १५% से बढ़कर ७४% हो गयी है और राष्ट्रीय आय में १४% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार बचत की वृद्धि की तुलना में राष्ट्रीय आय में अत्यधिक तीव्र गति में वृद्धि हुई है।

भारत में नियोजित विकास के फलस्वरूप औद्योगिक आधार (Base) का भी मुहक बनाया गया है। औद्योगिक विकास की प्रत्येक योजना में अधिकाधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी है। प्रथम योजना में औद्योगिक एवं खनिज विकास पर कुल सरकारी ऋण का ६% भाग आयोगित किया गया था जो आय का योजनाओं में बढ़ाकर लगभग २०% कर लिया गया। उद्योगों के बन्द होने से बचने के कारण कृषि क्षेत्र में अर्थ प्रगति औद्योगिक क्षेत्र में भी जान लया है। सन् १९६६-६३ के काल में कृषि क्षेत्र में प्रगति का कुल अर्थ प्रगति में प्रतिशत ६४% से घटकर ६३% रह गया है। दूसरी ओर देश में हरा क्रांति (Green Revolution) का जहाँ भाँ मुहक होती जा रही है। कृषि क्षेत्र की उत्पादनता एवं उत्पादन में मात्र गति से वृद्धि होती जा रही है। यह समस्त परिस्थितियाँ यह बात सिद्ध करती हैं कि भारत राष्ट्राव द्वारा निर्धारित विकास की त्रितीय अवस्था से आगे बढ़ गया है।

(३) स्वयं-स्फूर्त विकास की अवस्था (The Take off Stage)— स्वयं-स्फूर्त

अवस्था उस मध्य काल को कहते हैं जिसमें विनियोजन-दर में इस प्रकार वृद्धि होती है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में वृद्धि हो जाती है और वह प्राथमिक वृद्धि वाले नाप उत्पादन-नाम्निकताओं एवं आय के प्रवाह के प्रवाह में सूत्रबद्ध परिवर्तन होती है जो नवीन विनियोजन का ग्राहक बनाने हैं और जिसमें अन्ततः प्रति व्यक्ति उत्पादन का वृद्धि की प्रवृत्ति भी ग्राहक हो जाती है।¹ इस परिभाषा के अनुसार स्वयं-सृजित अवस्था के लिए उत्पादन-नाम्निकताओं में सूत्रबद्ध परिवर्तन एवं प्राप्ति का ग्राहक होना आवश्यक होना चाहिये है। उत्पादन-नाम्निकताओं के आधुनिकीकरण के लिए यह प्राथमिक होना है कि मनाज में साहसियों का तथा मनुष्य विद्वानों को जिन्हें नवीन तकनीक-कार्यों का विस्तृत अध्ययन करने का इच्छा रखे प्रतिपादित है। दूसरी ओर, प्राप्ति का ग्राहकता प्रदान करने के लिए मनुष्य करने वाले इस साहसी का के परिणामों का विस्तार होना चाहिए और मनाज का स्तर उच्च किए गए प्राथमिक परिवर्तनों की स्वीकार करने उनका विस्तृत उपयोग करने के लिए उत्तम करना चाहिए। प्रायः एक वित्त के प्रवाह में सूत्रबद्ध परिवर्तन होना ही विनियोजन एवं उत्पादन-वृद्धि की निरन्तरता का मापक माना जाता है। जब आय का प्रवाह उन मामलों में होना है जो वहाँ हों आय का उत्पादन विनियोजन में उपयोग करने हैं तो प्राप्ति का ग्राहकता प्राप्त हो सकती है। आय के प्रवाह में यह सूत्रबद्ध परिवर्तन होने के लिए आय के प्रवाह की अवस्था पर नवीन जन-समुहों अथवा मण्डलों का निर्माण होना आवश्यक होता है। इन प्रकार स्वयं-सृजित अवस्था के लिए एक ही मनाज को नवीन उत्पादन-नाम्निकताओं का स्वीकार करने के लिए उत्तम करना चाहिए और दूसरी ओर साम्प्रतिक परिवर्तनों के अनुसार उपरोक्त आधुनिक तकनीक तथा मनुष्य परिवर्तन भी होना चाहिए जिससे विनियोजन की प्राथमिक वृद्धि का ग्राहकता प्रदान की जा सके तथा नवीन जमानों की निरन्तर स्वीकार एवं उत्पादन किया जाता है।

स्वयं-सृजित की शर्तें

स्वयं-सृजित अवस्था के लिए निम्नलिखित परस्पर सम्बन्धित शर्तें होने की वृत्ति होनी चाहिए—

(क) उत्पादन-विनियोजन-दर में राष्ट्रीय आय की १०% प्रदत्त होने की शर्त, या वडाकर १०% या उच्चने अधिक करना।

1. The take off is defined as the interval during which the rate of investment increases in such a way that real output per capita rises and this initial increase carries with it, radical changes in production techniques and the disposition of income flows which perpetuates the new scale of investment and perpetuates thereby the rising trend in per capita output.

(W. W. Rostov, *The Process of Economic Growth* p. 274)

(भा) किसी एक या अधिक महत्वपूर्ण निर्माणी क्षेत्र का द्रुति गति से विकास ।

(इ) एक ऐम गवनीतिक सामाजिक एवं सस्थनीय ढांचे का विद्यमान अथवा विनसित हाना जो आधुनिक क्षेत्र का विस्तार की प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त में उदय होने वाला बाहरी मिन-यपन-ओं का शापल करना हो तथा प्रयत्न को एक निरन्तर चलने वाली अवस्था का लक्षण प्रदान करता हो ।

विनियोजन दर

स्वयं स्फूर्त विकास अवस्था के लिए विनियोजन दर में पर्याप्त वृद्धि होना अनिवार्य है । रोस्टोव ने विनियोजन की दर का राष्ट्रीय आय के १०% तक बढ़ाने की अवस्था कुछ मा यताओं पर आधारित की है । यह अवस्था विनियोजन का मात्रा एवं उत्पादकता मान) पर हा निर्भर रहनी है । रास्टोव ने एक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट किया है कि विनियोजन उत्पादकता एक मात्रा स्वयं स्फूर्त का किस प्रकार प्रभावित करता है । एक ऐसा अवस्था का चित्र र किया गया जिसमें पूंजी उत्पादन अनुपात विकास की प्रारम्भिक अवस्था में ३५ : १ है तथा जिसमें जनसंख्या में १ से १५% की वार्षिक वृद्धि होती है । ऐसा अवस्था में प्रति व्यक्ति आय के वर्तमान स्तर का बनाए रखने के लिए कुछ राष्ट्रीय उत्पादन का ५ से ५२% तक विनियोजन किया जाना आवश्यक होगा । इन परिस्थितियों की उपास्थिति में प्रति व्यक्ति आय में २% प्रति वर्ष की वृद्धि का लक्ष्य वास्तवीय सम्भवा जाय तो कुछ राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग १०-५% से १२-५% तक विनियोजन करने की आवश्यकता होगी । इस प्रकार एक गतिहान अथवा स्थिर अवस्था का निरन्तर प्रति व्यक्ति कुछ राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि की अवस्था में बदलने के लिए जबकि जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है विनियोजन दर को राष्ट्रीय आय को ५% से बढ़ाकर १०% करना आवश्यक होगा ।

महत्वपूर्ण निर्माणी क्षेत्र

स्वयं स्फूर्त विकास अवस्था औद्योगिक विकास की प्रथम अवस्था का समझा जाता है जबकि औद्योगिक प्रगति का अवस्था में मुक्त प्रारम्भ हो जाता है । इस प्रकार औद्योगिक विकास की दूसरी अवस्था का जब औद्योगिकरण विस्तृत हो जाता है और औद्योगिक विश्वास की उपनिधियाँ जीवन्त में भी विद्यमान हो न लगती हैं स्वयं स्फूर्त विकास अवस्था (Take off Stage) में सम्मिलित नहीं किया गया है । वास्तव में Take off उस अवस्था को कहना चाहिए जब औद्योगिक विकास के लिए मुक्त वातावरण एवं परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाय । दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जब विनियोजन आय क्षेत्र से हटकर औद्योगिक क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लग तो Take off का प्रारम्भ माना जाता है । वास्तविक औद्योगिक प्रगति का परिपक्वता की नींव (Foundation) Take off अवस्था में होती है । इस प्रारम्भिक औद्योगिक विकास अवस्था में उत्पादन आर्थिक क्रियाएँ एक ऐम विनिष्पत्त स्तर पर पहुँच जाती हैं

जिसके परिणामस्वरूप, अथ व्यवस्था की संरचना में विस्तृत एवं प्रगामी (Progressive) परिवर्तन होत रहते हैं। यद्यपि ये, Take off उस प्राथमिक अवस्था का कहना चाहिए जब औद्योगिक प्रगति के लिए उपयुक्त केवल परिमाणमान ही नहीं बल्कि गुणान्क परिवर्तन भी हो जाते हैं।

औद्योगिक प्रगति की प्रारम्भिक अवस्था में अथ-व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न दरों में प्रगति होती है। इस प्रगति का प्रमुख कारण जनसंख्या, न्य मानकों की आवश्यकता आदि में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप माँग में परिवर्तन होना होता है। माँग के परिवर्तनों के अतिरिक्त पूँजी के घटकों में होने वाले परिवर्तनों एवं प्रभावगामक कारणों का प्रभाव भी इस प्रगति पर पड़ता है। गैरलाभ न अथ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (Sectors) का तीन वर्गों में विभक्त किया है—

(क) प्राथमिक प्रगति क्षेत्र (Primary Growth Sectors)—इस वर्ग में एक क्षेत्र का सम्मिलित विकास होता है जिसमें अन्वेषण (Innovations) के प्रयास की सम्भावना हो जयवा अन्वेषण अन्वेषित माध्यमों का आविष्कार उपयुक्त दर प्रगति का क्षेत्र गति प्राप्त की जा सकती है और इस प्रक्रिया में अथ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में विस्तारक गति का अतिरिक्त प्राप्त होना है। वास्तव में प्राथमिक प्रगति-क्षेत्र आर्थिक प्रगति का मूलधार होता है क्योंकि इनमें प्रगति का नवीन माँग प्रगति होता है और दूसरा कारण, यह अथ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विस्तार में सहायक होता है।

(ख) सहायक प्रगति क्षेत्र (Supplementary Growth Rates)—इस वर्ग में उन क्षेत्रों का सम्मिलित वर्तन है जिनमें प्राथमिक प्रगति क्षेत्रों में प्रगति होने के कारण अथवा प्राथमिक क्षेत्रों का आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रगति होता है। उदाहरणार्थ—एक सड़क यातायात के विस्तार के लिए लाहा कीपना, एवं इन्जीनियरिंग उद्योगों का विकास होता है।

(ग) व्युत्पन्न प्रगति क्षेत्र (Derived Growth Sectors)—इस वर्ग में वे क्षेत्र आते हैं जिनमें प्रगति केवल वास्तविक आय, जनसंख्या, औद्योगिक उत्पादन अथवा अन्य समा प्रगति-क्षेत्रों की प्रगति के अनुक्रम में होती है। उदाहरणार्थ, छात्राओं के उत्पादन में जनसंख्या के अनुक्रम निवासगृह निर्माण में परिवारों की वृद्धि के अनुक्रम प्रगति होती है।

विभिन्न अथ-व्यवस्थाओं के आर्थिक प्रगति के इतिहास में स्पष्ट होता है कि प्रगति की निरन्तरता प्राथमिक क्षेत्र के कुछ व्यवस्थाओं के विकास पर निर्भर रही है क्योंकि इनके विस्तार में बाह्य अर्थव्यवस्थाओं (External Economies) एवं अन्य विकास के सहायक तथ्यों का अभाव होता है। Take off अवस्था के प्रारम्भ होने के पश्चात् नवीन कालीन आर्थिक प्रगति हेतु समाज में इतना पूँजी निर्माण होना आवश्यक होता है कि उत्पादन सम्पत्तियों का सामान्य अवमूल्यन (Depreciation) एवं निवाह, घट-निर्माण एवं आदर्शक सेवाओं तथा उपरिच्य पूँजी (Overhead Capital) के आविर्जन के

अतिरिक्त अत्याधिक उत्पादनक प्राथमिक क्षेत्रों का विस्तार भी होता रहे। प्राथमिक क्षेत्रों का विस्तार द्वारा उत्पादन क्रिया में सम्मिश्रित होने वाले तत्वों में परिवर्तन किया जा सकता है और अथ व्यवस्था में पूर्ण उत्पादन अनुपात को कम रखा जा सकता है।

यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि प्राथमिक क्षेत्रों में सम्मिलित हानि घाल उद्योग एवं व्यवसाय प्रत्येक राष्ट्र में समान नहीं होते हैं। यह विद्यमान परिस्थितियों एवं समय पर निर्भर रहते हैं। उदाहरणार्थ ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग ने प्राथमिक क्षेत्रों का कार्य किया क्योंकि अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम अर्ध शताब्दी तक ब्रिटेन में एक ओर 'Take off' के पूर्व की अवस्था का पूणरूपण विकास हो चुका था और दूसरी ओर, सूती वस्त्र उद्योग देश की आवश्यकताओं में अधिक बढ़ा हानि का कारण निर्माण-व्यापार का विस्तार में सहायक हुआ। निर्माण-व्यापार का विस्तार से जब व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा तब तब विकास का प्राणाहृत प्राप्त हुआ। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के विस्तार में नगरों का विकास हुआ क्योंकि नगरों और देश की मार्गों को कार्यशील पूँजी तथा उच्च शक्तिशाली के माध्यमों की माँग में वृद्धि हुई। इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार के फलस्वरूप ब्रिटेन का सभी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ।

हमारा मकसद भारत की ओर अर्थिकी के सूती वस्त्र उद्योग का विकास से सूती वस्त्र का आयात का प्रतिस्थापित करना ही सम्भव हो सका और इस उद्योग का विस्तार 'Take off' की पूर्व की अवस्था उत्पन्न करने में ही सहायक हो सका।

इस जर्मनी समुक्त राष्ट्र अमेरिका स्वीडन, जापान एवं अन्य राष्ट्रों में रेल एवं सड़क यातायात के विकास द्वारा 'Take off' अवस्था का प्रारम्भ हुआ। रेल सड़क यातायात का विस्तार से 'Take off' काल की आर्थिक प्रगति पर तब प्रभाव पड़ता है— प्रथम इसका द्वारा आंतरिक गति कम हो जाती है और नवीन धन एवं उत्पादन व्यापारिक बाजारों का लाभ प्राप्त करने लगते हैं। द्वितीय यातायात के द्वारा निर्माण क्षेत्रों का विस्तार एवं विकास होता है और आंतरिक विकास का लिए पूँजी प्राप्त होती है। सन् १८५० में अमेरिकी रेल सड़क यातायात का विकास तथा सन् १९१४ के पूर्व रूस एवं कनाडा के रेल यातायात का विकास से पूँजी निर्माण में सहायता मिली थी। तृतीय, प्रभाव जो 'Take off' में अत्यन्त सहायक होता है यह है कि रेलों का विकास से आधुनिक शक्ति, लोहा एवं इंजीनियरिंग उद्योगों का विस्तार होता है। जब किता समाज में 'Take off' के लिए आवश्यक सस्ते-सस्ते सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का विकास हो जाता है तो रेलों का विकास एवं विस्तार से उपयुक्त तानों प्रभाव सक्रिय हो जाते हैं और अथ-व्यवस्था 'Take off' अवस्था में स्वचालित विकास अवस्था में प्रविष्ट हो जाती है परन्तु जिन अथ-व्यवस्थाओं में 'Take off' का आवश्यक परिस्थितियों विद्यमान नहीं होती हैं वहाँ रेलों का विकास 'Take off' का उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ है, जैसे भारत, चीन, मन् १८६५ के पूर्व का कनाडा सन् १९१४ के पूर्व का अर्जेन्टिना आदि।

राजनीतिक, सामाजिक एवं मध्यनीय मरचना

किसी अर्थ व्यवस्था में स्वयं-स्रुत अवस्था उत्पन्न हान न किए यह आवश्यक है कि उस अर्थ-व्यवस्था की राजनीतिक सामाजिक एवं मध्यनीय मरचना इस प्रकार की हो कि आन्तरिक माघनों से पर्याप्त पूंजी प्राप्त की जा सके। किन्तु एक जमान में स्वयं-स्रुत अवस्था विदेशी पूंजी के बिना लायात व ही उत्पन्न हुई थी जबकि मनुक्त राज्य अनगिना, रूस और कनाडा में विदेशी पूंजी का इस अवस्था का उत्पन्न जमान में विशेष योगदान रहा। विदेशी पूंजी की जा भी स्थिति है। स्वयं-स्रुत विकास के लिए यहाँ हुई आर्थिक वचत की दर जयन्त आवश्यक होती है।

भारत में स्वयं स्रुत अवस्था

प्रा० गण्टाक द्वारा भारत का स्वयं-स्रुत अवस्था में प्रविष्टि का समय वर्ष १९५० बताया गया है परन्तु उस नियम का वचन अवस्था की अनुमान बताया गया है क्योंकि उस समय (सन् १९६० में) भारत का स्वयं-स्रुत अवस्था में प्रविष्टि को सफल नहीं माना जा सकता था। प्रा० गण्टाक ने अर्थ प्रविष्टि का अवस्था - राष्ट्रीय का स्वयं-स्रुत अवस्था में निम्न प्रकार अंकित किया है —

तालिका सं० १८—विभिन्न राष्ट्रों का स्वयं-स्रुत में प्रविष्टि होने का समय

देश	स्वयं-स्रुत अवस्था में प्रविष्टि का समय
ब्रिटेन	१७८०—१८००
फ्रांस	१८००—१८००
बेल्जियम	१८००—१८६०
संयुक्त राज्य अमेरिका	१८६०—१८००
जर्मनी	१८७०—१८७०
स्वीडन	१८६०—१८६०
जापान	१८६०—१८६०
रूस	१८६०—१८९५
कनाडा	१८६०—१८९६
अर्जेन्टाइना	१९०५
टर्की	१९०५
भारत	१९५०
चीन	१९५०

प्रा० रोस्टोव द्वारा अंकित स्वयं स्रुत विकास के लक्ष्यों के लक्षण में यदि हम भारतीय अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि सन् १९५६ से १९६० के काल में विनियोजन दर राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में ६.०% प्रति वर्ष की जबकि जनसंख्या में इस काल में लगभग २.०६% की प्रति वर्ष वृद्धि हुई। इस प्रकार विनियोजन की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि-दर से कहीं अधिक रही है। आर्थिक तालिका से विनियोजन एवं वचत दर की वृद्धि का विवरण स्पष्ट है—

भारत में नियोजित ऋण व्यवस्था का प्रारम्भ सन् १९५१-५२ में हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागू हुए अधिक आर्थिक प्रगति हुई। योजना के प्रथम तीन वर्षों में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वर्ष प्रति वर्ष द्रुत गति में वृद्धि हुई। सन् १९५४-५५ में भी यह वृद्धि जारी रही परन्तु इसकी गति कुछ कम हो गयी। प्रथम पाँचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निम्न प्रकार वृद्धि हुई—

तारिख ३०/१२—राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय (प्रथम पाँचवर्षीय योजना में)

वर्ष	राष्ट्रीय आय १९५०-५१ से हज़ारों करोड़ (करोड़ रुपया)	प्रति व्यक्ति आय प्रतिवर्ष रुपयों में (रुपया)	प्रति व्यक्ति आय १९५०-५१ के सूचकांक (१००)	वर्ष प्रति प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष
१९५०-५१	८८५	—	१००	—
१९५१-५२	९१०	१००	११३	११
१९५२-५३	९४०	१०६	११९	१२
१९५३-५४	१०००	११०	१२३	४१
१९५४-५५	१०००	१०५	११८	०६
१९५५-५६	१०४०	११०	१२३	००

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर यह माना जा सकता है कि राष्ट्रीय आय-व्यवस्था सन् १९५४-५५ वर्ष में स्वयम्भूर्त विकास प्रवस्था में प्रविष्ट हो गयी थी परन्तु इस अवस्था में प्रविष्ट होने के पश्चात् अर्थ-व्यवस्था में मज्जादारक प्रगति नहीं हुई और सन् १९५५-५६ के काल में राष्ट्रीय आय में ०.५% की प्रति वर्ष वृद्धि हुई। इसी काल में प्रति रोजगार प्राप्त आर्थिक सांख्यिक राष्ट्रीय सकल उत्पादन में १२% की कमी हुई। सन् १९५४-५५ के पश्चात् प्रगति की मन्द गति का प्रमुख कारण मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्ति थी। द्वितीय योजना के प्रारम्भ से ही मुद्रा-प्रवृत्ति का ह्रास निरन्तर चलता गया। वर्तमान प्रगति की प्रवृत्ति के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत सातवीं योजना के अन्त तक अर्थात् सन् १९६५ तक स्वयम्भूर्त की अवस्था से निकलकर स्थायित्व अवस्था (Sustained Growth Stage) में प्रविष्ट हो जायगा।

(४) परिपक्वता की ओर अग्रसर (The Drive to Maturity)—जब ज़रूरी निकाल-निष्कर्षों का उपयोग किसी देश में अधिकतर मामलों में गोपनीय के लिए किया जाता है तो उसे परिपक्वता की ओर एक चरण मानना जा सकता है। इस अवस्था में स्वयम्भूर्त अवस्था के अनन्त आधुनिकताओं के उपयोग के क्षेत्र को देखते हुए ही अधिक निष्कर्षों तक सीमित नहीं रखा जाता बल्कि इसका विचार अन्य उपाय-विधियों पर भी किया जाता है। जब कोई मज्जादारक परिपक्वता की ओर बढ़ता है तो वृद्धि में लगी हुई अवस्था तथा सामान्य अवस्था में लगी हो जाती है और सामान्य अवस्था में जड़-द्रव्य एवं कार्यालयों में कार्य करने वाली

(White Collar Workers) की संख्या में वृद्धि होता है। इस प्रकार एक नवान्धमिक वर्ग का प्रादुर्भाव होता है जो औद्योगिक मन्थना के अंतर्गत उपभाग में मुगार करने की तालमारी रखता है और वह धीरे धीरे समकालिक ह्रासक सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विवश करता है। परिपक्वता की ओर चलने पर नेतृत्व में भी परिवर्तन होता है। परिपक्वता की स्थिति में नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों में अधिन दूरदर्शिता तथा अधिक संज्ञा का आवना होती है।

परिपक्वता का अवस्था में नवान्धमिक महत्वपूर्ण क्षेत्र (Leading Sectors) का विकास हो सकता है जो स्वयं-सूक्त के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिस्थापन कर इन हैं क्योंकि इन पुराने महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विस्तार की शक्ति मंद हो जाती है। परिपक्वता की अवस्था में महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निर्धारण तात्कालिकता के स्तर के अनिश्चित मापदंडों की उपस्थिति एवं सरकारी नीतियों के आधार पर होता है।

आधुनिक युग में तात्कालिकता इतनी गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है कि दिन प्रति दिन नए आविष्कारों के फलस्वरूप किसी भी देश का यह कहना कि हमने समस्त क्षेत्रों में नवीनतम तात्कालिकता का उपयोग किया जा रहा है सम्भव नहीं होता। जब हम किसी देश को किसी निश्चित समय में परिपक्वता की अवस्था में कहते हैं तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि उस देश की नवीनतम तात्कालिकताओं का उपयोग उस देश के अधिकतर भागों एवं क्षेत्रों में किया जाता है। परिपक्वता की अवस्था के साथ अधिक उपभाग का अवस्था आता है परन्तु प्रत्येक राष्ट्र परिपक्वता के पदचालन अधिक उपभोग अवस्था में प्रविष्ट नहीं हो पाता है क्योंकि जो राष्ट्र परिपक्वता में प्रविष्ट हो जाते हैं वे पर्याप्त बदलती हुई नवीनतम तात्कालिकताओं का स्तनना के साथ सभी क्षेत्रों में द्रुत गति से उपयोग नहीं करता है वह परिपक्वता की स्थिति से पीछे हट सकता है और अधिक उपभोग की अवस्था उसे बहुत समय तक प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकती है।

कुछ देशों में ऐसी परिस्थिति भी आती है कि अल्प-वयस्का के कुछ क्षेत्रों में नवीनतम तात्कालिकता का स्वीकार कर दिया जाता है परन्तु कुछ अन्य क्षेत्रों में पुराने तात्कालिकता का उपयोग करने रहते हैं। इस परिस्थिति में यह आवश्यक होता है कि इन दोनों तात्कालिकताओं में समन्वय स्थापित किया जाय।

जब जब कोई राष्ट्र तात्कालिकता में अग्रसर होता है तब राष्ट्र की शक्ति के गुण एवं संरचना में भी परिवर्तन होना लगता है। ग्रामीण जीवन एवं कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का अनुपात कम हो जाता है और नगरों की जनसंख्या एवं अर्ध-कुशल (Semi Skilled) तथा व्यावसायिक का बाम करने वाली जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है। इसके साथ ही राजनीतिक विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता है और सरकार का सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए

अधिक मुक्तिपात्रों का आयाजन करना होता है। उद्योगों के नष्ट हो जाने से भी परिवहन का जाना है जबकि स्वयं-सृज्य अवस्था में ऐसे लाभ निरूपण संभावित हैं जो अपन हा क्षेत्र में उत्पादन का विस्तार करने के लिए रखना-मक कार्य करने हैं। दूसरे ओर, तांत्रिक परिपक्वता में बढ-बढ व्यवस्थाओं को स्थापना एवं सञ्चालन का अधिक महत्त्व दिया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रयोग प्रवर्धनों का महत्त्व बढन लगता है और नवीन क्षेत्रों का प्रादुर्भाव होता है।

अभ्यन्तरीक एवं औद्योगिक प्रवर्धन के विचारों के उद्देश्यों में यह मूलभूत परिवर्तन हा जान पर समाज के विचारों एवं भावनाओं में भी परिवर्तन होना लगता है जो विद्वत वर्ग (Intellectuals) एवं राजनीतिज्ञों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। समाज में अब औद्योगिक विस्तार का अर्थ अधिक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य नहीं माना जाता और औद्योगिकीकरण से अन्तर्गत एक बढन सामाजिक दायता की भाँति ध्यान आकृष्ट होता है। समाज अब उक्त वस्तुओं और सेवाओं के विस्तार का उचित नहीं समझता जो उनके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में जटिल यंत्रों एवं प्रयोगों का उपयोग उपयुक्त करने की सम्भावना बढ जाती है। परिवर्तनीय मार्गों और मनुष्य राज्य अमेरिका में इस प्रकार की विचारधारा का प्रादुर्भाव सन् १९१४ के पूर्व का परिवर्तनता की अवस्था में हुआ था। जापान में यह परिस्थिति सन् १९२० में और रूस में सन् १९५० में उदय हुई थी।

परिपक्वता की अवस्था स्वचालित प्रगति (Self Sustained Growth) के दीर्घ काल के बाद उदय होती है। परिपक्वता की अवस्था प्रारम्भ होने पर अल्प-व्यवस्था में आघातकृत उद्योगों द्वारा उपलब्ध यंत्रों एवं प्रमाथनों का उपयोग अल्प उद्योगों में होने लगता है। इस अवस्था में अर्थों सांख्यिक एवं तांत्रिक कृष्णलताएँ उन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने के योग्य हो जाती हैं जिनका उत्पादन करने का बहू-अपन करनी है। रास्टीक के अनुसार, स्वयं-सृज्य अवस्था के प्रारम्भ होने के लगभग ६० वर्षों बाद परिपक्वता की अवस्था का प्रारम्भ होता है। दूसरी ओर स्वयं-सृज्य की स्वचालित प्रगति की अवस्था में परिवर्तित होने में लगभग २० वर्ष लगते हैं। इस प्रकार ४० वर्ष के स्वचालित विकास के पश्चात् परिपक्वता की अवस्था का प्रारम्भ होता है। इन अनुमानों के आधार पर हमारी अल्प-व्यवस्था नेहरूजी पंचवर्षीय योजना अधीन सन् २०१६ में परिपक्वता की स्थिति में पहुँच सकेगी शत्रु यह अनुमान उद्योग समय सही बढगा जब नवीनतम तांत्रिकताओं का उपयोग प्राकृतिक साधनों के विस्तृत उपयोग हेतु किया जा सके तथा स्वयं-सृज्य अवस्था के सम्पूर्ण होने में लगने वाले समय एवं सरकारी नीतियाँ इसके अनुकूल हों।

(५) अत्यधिक उपभोग की अवस्था (Age of High Mass Consumption)—तांत्रिक क्षेत्र में परिपक्व अल्प-व्यवस्था में आधुनिक तांत्रिकताओं का विस्तार उस सीमा तक पहुँच जाता है कि तांत्रिकताओं का विस्तार ही तांत्रिक विचारों का

मौलिक उद्देश्य नहीं सम्भ्रमा जाता। ऐसी परिस्थिति में अथ व्यवस्था को तीन में विभाजित भा एक अवस्था का आरंभ होना होता है—

(अ) अधिक सुरक्षा का कारण अथ शक्ति को अधिक व्यवसाय आदि का आयोजन करना।

(आ) निजी उपभोग में वृद्धि करना जिसके द्वारा पृथक् पृथक् परिवारों को निवासगृहों तथा टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं और सवाशों का बढ पमान पर आयोजन किया जाता है।

(इ) ससार में परिपक्व राष्ट्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त करना।

अत्याधिक उपभोग्य अवस्था में अथ व्यवस्था के महत्वपूर्ण अथ टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन बढ पमान पर करने लगते हैं। प्रति व्यक्ति आय उस सीमा तक बढ़ जाती है कि अधिकतर जनसमुदाय आधारभूत उपभोग्य भाजन निवास-गृह एवं वस्त्र के अनिश्चित आराम एवं विलासिताओं की वस्तुओं का उपभोग करने के लिए समर्थ होता है। इस अवस्था में अथ शक्ति का नरक्षण में भी परिवर्तन हो जाता है और कार्यालयों में कार्य करने वाले लोगों का मनसा में तीव्र गति से वृद्धि हो जाता है।

समुक्त राज्य अमेरिका में सन् १९२० के पश्चात् निजी उपभोग में वृद्धि करने का आयोजन किया गया। सन् १९१४ तक ब्रिटेन एवं पश्चिमी योरोप के राष्ट्रों में अधिक सामाजिक सुरक्षा के लिए अथ व्यवस्था का महानन किया गया। इसके विपरीत जर्मनी ने अपनी आर्थिक परिपक्वता का उपयोग ससार के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व जमान के लिए किया।

(६) उपभोग के परे (Beyond Consumption)—पश्चिमी योरोप तथा कुछ सीमा तक जापान जब अत्याधिक उपभोग्य अवस्था में प्रविष्ट हो रहे थे उस समय कुछ धनी राष्ट्रों में विनाशकर समुक्त राज्य अमेरिका में जन्म दर में वृद्धि होना प्रारम्भ हुई और यह जन्मदर वृद्धि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् निरन्तर बढ़ती गयी अर्थात् अत्याधिक उपभोग्य की अवस्था के पश्चात् जनसाधारण में अधिक सन्तान और बड़े परिवार की प्रवृत्ति जाग्रत होनी प्रतीत होनी है। इस ओर मानव की रुचि बढ़ने का कारण का भला भाँति समझना सम्भव नहीं है। इस प्रवृत्ति का प्रभुत्व अमेरिका की आर्थिक प्रगति का प्रविधि पर तथा पड़ेगा इसका अनुमान लगाया अत्यन्त कठिन है क्योंकि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों में अविष्य के विकास की गति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जनसंख्या की वृद्धि का फलस्वरूप समाज के साधनों की बढ़ान की आवश्यकता होगी तथा समाज की उपरिष्ठय पूँजी (Social Overhead Capital) का विस्तार करना भी आवश्यक होगा। अमेरिकियों में जन्मदर वृद्धि का निश्चय करने कुछ समय के लिए बहुतायत अथवा अधिकता की समस्या को स्पष्ट कर दिया है क्योंकि उपभोग

साधनों का दूषितन उपयोग करना जाती हुई जनसख्या के सम्बन्ध में विदेश सम्बन्ध
 उपस्थित नहीं करेगा परन्तु अमेरिका की यह प्रवृत्ति सभी विचित्र राष्टों का साथ
 हो, यह आवश्यक नहीं है। विचित्र समाजों का ऐसी स्थिति में, जहाँ भोजन निम्न,
 बन्ध विवाह उपमाना-बन्धुओं एवं अन्य सुवाकों की उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में हो
 जाती है। पक्षेय पर कुछ जातिवारी निम्न अवस्था बान पत्र है निम्न निम्न
 की धरम सीमा तक पक्षेयक उन्हें नीचे न गिरना पड।

उत्तु ल विकास की गति की विभिन्न अवस्थाओं के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है
 कि विकास की सामाजिक ज्ञान में सम्बन्ध घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्राति का जन कमी
 जारी रह सकता है जब सामाजिक ज्ञान में भी जागरूकतानुसार समाप्त वृद्धि होती
 रह। प्रायःतर राष्टों के द्वारा निष्पत्ति विकास की अवस्थाएँ प्रदेक उत्पन्न हुआ जन
 के साथ ही, यह जनिवाय नहीं है। विकास की अवस्थाएँ प्रदेक के भी जदि, सामाजिक,
 सामाजिक, सामाजिक, मूलिक सामाजिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर रहती हैं।

भारतीय अर्थ-सम्बन्ध वर्तमान क्षण में स्वयम्भूत अवस्था में पुत्र ही है
 और यह सम्भावना है कि वर्तमान प्राति की दर के द्वारा पर स्वयम्भूत समा
 सातवीं पक्षवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो। जहाँ अवधि भारतीय स्वयम्भूत
 स्वचालित विकास-सम्बन्ध में जाना सन् १९६१ में प्रविष्ट हो सकेंगे।

घाटे का अर्थ प्रवर्धन एवं विकास

[Deficit Financing and Development]

[घाटे के अर्थ प्रवर्धन की तात्त्विकता परिभाषा, उपयोग घाटे का अर्थ प्रवर्धन एवं आर्थिक प्रगति घाटे के अर्थ प्रवर्धन का मूल्य स्तर पर प्रभाव, घाटे के अर्थ प्रवर्धन की सीमाएँ मुद्रा-स्फीति एवं आर्थिक प्रगति भारत में घाटे का अर्थ प्रवर्धन—प्रथम योजना द्वितीय योजना तृतीय योजना वार्षिक योजनाएँ चतुर्थ योजना]

घाटे के अर्थ प्रवर्धन का अर्थ

घाटे के अर्थ प्रवर्धन का समय समय पर अलग अलग अर्थ में समझा जाना रहा है। कुछ समय पूर्व तक वज्र का घाटे का वज्र आगम स्तर के घाटे के आधार पर समझा जाता है अर्थात् जिस वज्र में आगम प्राप्तियाँ आगम यथा कम हानी थी तो उसे घाटे का वज्र समझते थे। जन श्रेण का इस प्रकार वज्र की प्राप्ति में सम्मिलित नही किया जाता था परन्तु जब जन श्रेण द्वारा वज्र के घाटे की पूर्ति करने का आयाजित किया जाता था तो इस अवस्था का घाटे का अर्थ प्रवर्धन कहते थे। आधुनिक काल में इस अवस्था में परिवर्तन हुआ गया है। अब जन श्रेण का सरकार के पूजा स्तर की प्राप्ति में सम्मिलित किया जाता है और फिर आगम एक पूजा दाना स्तर की प्राप्तियाँ वज्र में आयाजित यथा कम हानी हैं तो इस अन्तर को वज्र का घाटा कहते हैं और इसकी पूर्ति के लिए जा साधन प्राप्त करने के लिए कार्यवाहियाँ की जाती हैं उह घाटे का अर्थ प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रकार घाटे का अर्थ प्रवर्धन में अर्थ उन तरीका से है जिनके द्वारा वज्र के अन्तर का पूर्ति के लिए वित्त प्राप्त किए जाते हैं।

घाटे के अर्थ प्रवर्धन की तात्त्विकता

घाटे के अर्थ प्रवर्धन का व्यवस्था का कीस द्वारा प्रसिद्ध किया गया। सन् १९३० का बड़ा मन्दा के साथ कानिडियन अर्थशास्त्र (Keynesian Economics) का प्रादुर्भाव हुआ और कास ने जानबूझ कर वज्र में घाटा रखने का व्यवस्था का मन्दी काल में राजगार एवं उत्पादन बढ़ाने का महत्वपूर्ण एवं उचित साधन बनाया। कीस के विचारों के फलस्वरूप घाटे का अर्थ प्रवर्धन पुनः प्राप्ति (Recovery) का महत्वपूर्ण साधन समझा जाने लगा। कीस का यह विचार निम्नलिखित मायनाओं पर आधारित था—

(१) एक विशिष्ट औद्योगिक उप-व्यवस्था पुनः-गठन की स्थिति में कल्पित नहीं हो सकती है। किसी भी समय समाज में विद्यमान उप के नियोजन तथा व्यवस्था के अन्तर्गत निजी क्षेत्र का विनियोजन सम्बन्धीय उप के अन्तर्गत का निर्वाह करने के लिए व्यवधान हो सकता है।

(२) कभी का कभी कर्म की परम्परागत विधियाँ—मजदूरी एवं व्याज की दरों में कमी आदि प्रभावकारी नहीं होती हैं। मजदूरी कम हो, व्याज का उच्च होना है जो इन्हीं कारण मजदूरी की प्रभावकारिता को निर्धारित करता है क्योंकि मजदूरी द्वारा कर्मचारी उप एवं व्यवस्था के प्रति घटती रुचि होती है। मजदूरी को दरों में कमी का मतलब यह है कि उप कम हो जाती है। तीनों प्रभावकारिता का ही पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकती है क्योंकि मजदूरी को कम करके मजदूरी को उप एवं व्यवस्था का ही कम हो जाती है। यही प्रभाव व्याज की दरों के परिवर्तनों के अन्तर्गत विनियोजन में भी परिचयन नहीं होता है।

(३) अनुसूचित परिस्थितियों में यदि कर्मचारी या उप के उप प्रवर्धन द्वारा कर्म व्यवस्था में निश्चित मात्रा में विनियोजन करती है या उप में वृद्धि होने की प्राक्कित विनियोजन के द्वारा का साथ कर्मचारी उपार्थ विनियोजन की प्राक्कित वृद्धि के परम्परागत व्यवस्था में वृद्धि होगी और विनियोजन एवं व्यवस्था की परम्परागत (Successive) वृद्धि उपर्युक्त माप में विनियोजन-वृद्धि की तुलना में नहीं करके वृद्धि का सुकेगी। सामान्य तर्कों में इस विचार को एक प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि जब कर्मचारी द्वारा विनियोजन निश्चित मात्रा में किया जाता है या इस विनियोजन के परम्परागत, व्यवस्था का उच्च एवं साथ कमी में वृद्धि होती है। फिर कर्मचारी को माप में वृद्धि होती है, वे उप वृद्धि का वृद्ध माप विनियोजन पर जो वृद्ध करके व्यवस्था पर व्यय का देने के विनियोजन उप-व्यवस्था में व्यवस्था में वृद्धि होती है। व्यवस्था में वृद्धि होने के परम्परागत उन कारणों की उप में वृद्धि होती है कि कर्मचारी व्यवस्था की माप होती है और कि उप तथा व्यवस्था का ही कर्मचारी विनियोजन का उप और व्यवस्था का ही विनियोजन का व्यय कम होता है किन्तु उप-व्यवस्था के वृद्ध कर्मचारी व्यवस्था विनियोजन की माप माप वृद्धि के कारण बट जाती है की साथ में वृद्धि होती है। इस प्रकार जब विधि उदाहरण करती होती है की उप वृद्धि कर्मचारी कर्मचारी यह होता है कि प्रारम्भ में विनियोजन कर्मचारी द्वारा वृद्धि के उप-व्यवस्था में किया जाया या कर्मचारी तुलना में नहीं करके उपर्युक्त उप में वृद्धि होती है। इस समस्त प्रक्रिया को गुण प्रभाव (Multiplier Effect) कहा जाता है।

उप उप प्रभाव की यह विचारधारा ही वृद्धि के उप-व्यवस्था का गुण प्रभाव है क्योंकि इनके अभाव के परम्परागत वृद्धि के उप-व्यवस्था द्वारा उप-व्यवस्था का विनियोजन कर्मचारी कर्मचारी है। परन्तु उप प्रभाव की निम्नलिखित सीमाएँ हैं—

(१) सरकार द्वारा किए गये नवान विनियोजन का क्रम चलते रहना चाहिए अथवा एक बार निय विनियोजन का गुणक प्रभाव जब समाप्त हो जायगा तो राष्ट्रीय आय कम होने लगेगी ।

(२) आय की प्राप्ति एवं उसका व्यय करना म कुछ समय का अन्दर रहना है । इसी प्रकार व्यय की गयी राशि आय के रूप में उत्पन्न होने में भी कुछ समय लगता है । इस समय का अन्दर में अर्थ-व्यवस्था का स्थिति यथासंभव बना रहना अथवा और खराब भा हो सकता है ।

(३) प्राप्त अनिश्चित आय का सम्पूर्ण भाग व्यय नहीं किया जा सकता है । लोग कुछ भाग अपने पास बचन के रूप में रख सकते हैं और कुछ पुराने ऋणों को गोपनाय उपयाग हो सकता है । यह उपयाग अनिश्चित आय के गुणक प्रभाव का निश्चित कर सकती है ।

(४) सीमांत उपभोग्यता (Marginal Propensity to Consume) में अन्तर्गत परिवर्तन हो सकते हैं जिससे गुणक प्रभाव में अस्थिरता हो सकती है ।

इन सब परिमीमात्रा के होना हुए भा यह मानना पुष्ट हो गयी है कि घाटे का अर्थ प्रवचन द्वारा वित्त उपन्यास करने का व्यय किए जान हैं उनसे अर्थ-व्यवस्था का अधिक विस्तार होना है अपनाने उन कार्यक्रमों को अन्तर्गत विद्य करारापण करा वित्त एकत्रित किया जाता है । इसी कारण आधुनिक काठ में घाटे का अर्थ प्रवचन का व्यवस्था का अन्त सम्बन्धी मुद्दे नानि समझा जाता है ।

घाटे का अर्थ प्रवचन की परिभाषा

घाटे का अर्थ प्रवचन का अर्थ विभिन्न राष्ट्रों में अलग अलग समझा जाता है, इसलिए इसकी सन्ध्याय परिभाषा देना सम्भव नहीं है । पश्चिमी राष्ट्रों में जब पूर्व विचार द्वारा सरकारी व्यय का सरकार आय से अधिक रखा जाता है और इन प्रकार उदय हुए आय की हीनता की पूर्ति किया इस ऋण द्वारा हो जाता है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय व्यय में वृद्धि होती है तो इस व्यवस्था का घाटे का अर्थ प्रवचन कहते हैं । विभिन्न राष्ट्रों में आय की हीनता का पूर्ति बकों द्वारा अधिक मात्रा निर्माण करा कर कर दी जाती है । बका से सरकार द्वारा इस प्रकार का साल प्राप्त हो जाता है उससे फलस्वरूप या तो बकों में अथवा अन्य किसका बका उपयोग न कर रहा या गनिमान हो जाता है अथवा सरकार प्रतिभूतियों को अर्थ करने वाला बन जनाया में अधिक जमा प्राप्त करता है । इन दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्र में कुल व्यय में वृद्धि हो जाती है ।

अर्थ विभिन्न राष्ट्रों में, जहाँ जनसाधारण में अधिकोपन-मुविधाओं को स्वभावतः विस्तृत रूप में स्वाकारण व्यय किया नहीं किया जाता है और जहाँ अधिकतर व्यवहार भुण्ड द्वारा विद्य जान हैं घाटे का अर्थ प्रवचन के लिए प्रायः सरकार को केन्द्रिय बका में ऋण लेना होता है । सरकार यह ऋण लेने के लिए कर्तीय बका का

अपनी प्रतिभूतियों दे देती है जिनका संचिनि म रखकर केन्द्रीय बैंक नयी कागजा मुद्रा निर्गमित करने सरकार को देती है। सरकार इस मुद्रा का उपयोग करने अपने व्यय का भुगतान करती है और बजट की हीनता की पूर्ति कर लेती है। इस प्रकार अल्प विकसित राष्ट्रों में घाटे के अर्थ प्रवर्धन द्वारा देश की मुद्रा की पूर्ति में विस्तार होता है।

भारतव्यय में घाटे का अर्थ प्रवर्धन का अर्थ मुद्रा प्रसार न किया जाता है। सरकारी व्यय का वह भाग, जो सरकार द्वारा जनता एवं बैंक से ऋण लेकर पूरा किया जाता है घाटे के अर्थ प्रवर्धन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। हमारा इरा में इस प्रकार घाटे का अर्थ प्रवर्धन में तीन वायव्याहिया का सम्मिलित किया जाता है—

- (अ) केन्द्रीय बैंक अपना रिजर्व जन ग सरकार द्वारा ऋण लेना,
- (आ) सरकार द्वारा रिजर्व बैंक में जमा नगद राशि का आह्वान करना तथा
- (इ) सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के अनिश्चित नवीन कागजा मुद्रा का जारी करना।

पहली और दूसरी वायव्याहिया में केन्द्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूति का विरुद्ध गवान मुद्रा जारी करती है और तीसरी श्रिया में सरकार जन विरुद्ध का आधार पर नवीन कागजा मुद्रा जारी करती है जन भारत में एक रूप का नाट सरकार द्वारा जारी किया जाता है।

उपयुक्त विवरण के आधार पर हम घाटे के अर्थ प्रवर्धन में सम्मिलित होने वाले तथ्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार कर सकन हैं—

- (१) सरकारी व्यय का (आगत एवं पूजोगत दाना) सरकारी आय से जानबूझ कर अधिक रसना और घाट का बजट बनाना।
- (२) बजट में आय की व्यय पर का हीनता हो, समवा सरकार द्वारा बैंक से ऋण लेकर, केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर, जमा-नगद का आह्वान करके तथा नवीन मुद्रा जारी करके पूर्ति की जाना।
- (३) केन्द्रीय बैंक को सरकारी प्रतिभूतिया का विरुद्ध नवीन मुद्रा निर्गमित करने का अधिकार देना।

(४) समस्त राष्ट्रीय व्यय में वृद्धि करके अर्थ-व्यवस्था का विस्तार करना।

(५) सहाय एवं/अथवा मुद्रा का प्रसार होना।

इन तथ्यों का आधार मानते हुए हम घाट का अर्थ प्रवर्धन का इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं— 'घाटे का अर्थ प्रवर्धन उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अन्तर्गत पूव विचार द्वारा सरकारी व्यय को सरकारी आय से अधिक रखा जाता है और इस प्रकार उदय हुई आय की हीनता की पूर्ति सरकार व्यापारिक बैंकों से ऋण लेकर, केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर केन्द्रीय बैंक में अपने जमा नगद का आह्वान कर तथा नवीन मुद्रा जारी कर करती है।

घाटे व अर्थ प्रवर्धन का उपयोग

घाटे के अर्थ प्रवर्धन का उपयोग विभिन्न राष्ट्रों में विभिन्न कठिन परिस्थितियों का निवारण करने हेतु किया गया है। सामान्यतः इस व्यवस्था का उपयोग मंदीकाल युद्ध तथा आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं में किया जाता है। मंदीकाल में जब मौद्रिक नीति द्वारा सुधार नहीं हो पाता है अर्थात् जब 'याज' की दर में कमी कर देन पर भी सक्षमता विनियोजकों को 'नियंत्रित क्रियाओं' में अनिश्चित विनियोजन करने के लिए पर्याप्त प्राप्ति प्रदान करने में सफलता नहीं होती तो सरकारी 'यज' कार्यक्रम द्वारा अर्थ व्यवस्था के कुल 'यज' में वृद्धि की जाती है जिससे राष्ट्रीय आय का स्तर बनाये रखने एवं उपभोग तथा विनियोजन का निर्वाह करने में सहायता मिलती है क्योंकि कुल 'यज' में वृद्धि होने से प्रभावशाली माँग में वृद्धि होती है जो समस्त उत्पादन क्रियाओं की सक्रियता का मूलाधार होता है।

युद्धकाल में सरकार का 'यज' में अत्याधिक वृद्धि होती है क्योंकि सरकार को युद्ध के लिए अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्रारम्भिक अवस्था में सरकार बजट के अर्थ साधना—कर 'यज' एवं ऋण से धन प्राप्त करने का प्रयत्न करती है परन्तु जब इन साधनों से पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो घाटे के अर्थ प्रवर्धन द्वारा वित्तीय साधन प्राप्त किये जाते हैं। युद्धकाल में साधनों की उपभोग-वस्तुओं से हटाकर युद्ध वस्तुओं की ओर लाना अनिवार्य होता है जिसके फलस्वरूप विद्यमान वस्तु बचत अथवा मुद्रा स्फीति का उदय होता स्वाभाविक होता है। युद्ध के प्रारम्भिक काल में सरकार को वस्तुओं एवं सेवाओं की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति उपयोग में वित्त साधना का उपयोग करना तथा निजी विनियोजन के लिए उदरार्थ साधना में कटौती करनी पड़ती है परन्तु जब इन साधनों का पूणतम उपयोग होता जाता है और फिर भी घाटे के अर्थ प्रवर्धन द्वारा अतिरिक्त साधन प्राप्त किये जाते हैं तो मुद्रा की पूर्ति एवं तदानुसार लागू की मौद्रिक आय में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप मूल्य-स्तर में निरन्तर वृद्धि होती जाती है और सरकार को युद्ध के अनिश्चित मुद्रा स्फीति का नियंत्रण रखने का कठिन समस्या का भी सामना करना पड़ता है।

घाटे का अर्थ प्रवर्धन एवं आर्थिक विकास

अल्प विकसित राष्ट्रों में जनसाधारण की आय अत्यन्त कम होना है जिसके फलस्वरूप वे अपनी अनिवार्यताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसे समाज में जब लोग की आय में वृद्धि होती है तो इस वृद्धि का अधिकतर भाग और कमी-बन्धी सम्पूर्ण मात्र उपभोग पर व्यय कर लिया जाता है। इस स्थिति को अपणास्त्र में अधिक उपभोगक्षमता (High Propensity to Consume) कहते हैं। इस प्रकार अल्प विकसित राष्ट्रों में राष्ट्रीय आवश्यकताओं की तुलना में एच्छक बचत बहुत कम रहती है। एच्छक बचत कम होने के कारण उत्पादन आय बचत एवं अन्ततः बचत सभी का स्तर कम रहता है। निम्न राष्ट्रों के इस दूषित चक्र को तोड़ने के लिए

भाषा को आदि विमर्श की प्रशिक्षण का प्रारम्भ एतदन्तर्गत भाषा में सुचाली विमर्श-प्रकार करवाना पड़ता है। बड़े पैमाने पर सुचाली विमर्शयुक्त भाषा के माता-पिताओं से नहीं किया जा सकता है। सुचाली प्रारम्भ के उप-प्रवर्धन का व्यवस्था को उपयुक्त करने की आवश्यकता होती है।

अल्प-विकसित राष्ट्रों में घाटे के उप-प्रवर्धन का व्यवस्था को आदि विमर्श दलों को प्रवृत्त करने का नहीं होना क्योंकि यहाँ कहीं बड़े विदेशी भाषा के प्रवर्धन सम्बन्धित कार्य नहीं होते और इन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करके राष्ट्र के माता-पिताओं में सुचाली कर दिया जाता है। यह अल्प विकसित राष्ट्रों में घाटे के उप-प्रवर्धन में सर्वोत्तम भाषा का विमर्श प्रवर्धनाधीन है जो बड़े अल्प-वर्धन के द्वारा सुचाली विमर्शियों के विरुद्ध किया जाय और बाद में राष्ट्र का स्वयं विचार जाय। यह व्यवस्था द्वारा जो भाषा प्रवर्धन प्राप्त है उसे सुचाली द्वारा उप-प्रवर्धन में विमर्शयुक्त किया जाता है और विमर्शयुक्त एवं उप-प्रवर्धन-वस्तुओं के माध्यम से भाषा प्रवर्धन का प्रवर्धन होता है जो अल्प-वर्धन द्वारा उप-प्रवर्धन में विमर्शयुक्त किया जाता है और अल्प-वर्धन पर विमर्शयुक्त भाषा प्रवर्धन वस्तुओं के माध्यम से प्रवर्धन का प्रवर्धन होता है। यह अल्प-वर्धनयुक्त भाषा प्रवर्धन वस्तुओं का प्रवर्धन प्रवर्धन का प्रवर्धन है जो अल्प-वर्धन वस्तुओं के माध्यम से प्रवर्धन का प्रवर्धन होता है। इस प्रशिक्षण में भी कुछ प्रयोगों का समय आता है। इन प्रकार विमर्शयुक्त भाषा के समय एवं इसके द्वारा उप-प्रवर्धन वस्तुओं के माध्यम से भाषा प्रवर्धन का प्रवर्धन होता है। इस समय भाषा प्रवर्धन वस्तुओं की भाषा एवं पूर्ण में उप-प्रवर्धन कर जाता है क्योंकि सर्वोत्तम विमर्शयुक्त द्वारा उप-प्रवर्धन का प्रवर्धन है जिससे उप-प्रवर्धन उप-प्रवर्धन-वस्तुओं की भाषा में वृद्धि हो जाती है। दूसरी ओर उप-प्रवर्धन में उप-प्रवर्धन-वस्तुओं की पूर्ण में वृद्धि नहीं होता है। भाषा एवं पूर्ण का प्रवर्धन को सर्वोत्तम सुचाली विमर्शों एवं प्रवर्धनों द्वारा सुचाली नही किया जाता है जो घाटे के उप-प्रवर्धन द्वारा सुचाली के अल्प-वर्धन का प्रवर्धन हा जाता है।

घाटे का अल्प-प्रवर्धन एवं सुचाली-विमर्श

अल्प-विकसित राष्ट्रों में घाटे के अल्प-प्रवर्धन का प्रवर्धन प्रवर्धन होता है क्योंकि इन राष्ट्रों के विकास पर विमर्शों के उप-प्रवर्धन द्वारा उप-प्रवर्धन प्रवर्धन वस्तु प्रवर्धन होता है। अल्प-विकसित उप-प्रवर्धनयुक्त भाषा प्रवर्धनीयों हानी और उप-प्रवर्धन-विमर्शों को स्वयंकार करने में आदि करवाने है। ईसापूर्व घाटे के उप-प्रवर्धन द्वारा जो अधिक भाषा में वृद्धि होती है उससे अनुभूति उप-प्रवर्धन में वृद्धि नहीं हा जाती है क्योंकि उप-प्रवर्धन में उप-प्रवर्धन वस्तुओं—पूर्वोक्त-भाषा साहचर्य-विमर्श-प्रकार आदिक समस्त विषयों तथा उप-प्रवर्धन आदिक एवं मानविक-सुचाली-विमर्शों की कमी होती है। इस प्रकार उप-प्रवर्धनीय भाषा के उप-प्रवर्धन वस्तुओं वृद्धि उप-प्रवर्धनी

हा पाती है। पूर्णतः लाभ कम रहता है और प्रभावनाता माँग के बल रहने पर जो जब पूर्ति लगानुसार नहीं बढ़ता है तो मूल्य में वृद्धि हाना स्वाभाविक होता है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में पूर्ति की लचक अथवा व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान नहीं होता है। इण्डोनेशिया में जो राष्ट्रीय आय का ५०% से भी अधिक भाग जुगतता है पूर्ति का लचक उद्योगों की तुलना में बहुत कम रहता है। यद्यपि पूर्ति का लचक अथवा व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पृथक्-पृथक् होती है फिर भी, राष्ट्रीय कुल अर्थ में वृद्धि का जान पर बल उद्योग क्षेत्रों के मूल्य पर ही प्रभाव नहीं पड़ता जिनमें पूर्ति की लचक कम रहती है अर्थात् राष्ट्रीय कुल अर्थ में घाटे के अर्थ प्रवचन द्वारा वास्तविक वृद्धि होती है, उसका प्रभाव से अर्थ-व्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं—

घाटे के प्रवचन का मूल्य स्तर पर प्रभाव

(१) घाटे के अर्थ प्रवचन द्वारा जो कुल अर्थ में वृद्धि होती है उस वृद्धि का अधिकतर भाग उच्च क्षेत्रों में वृद्धि हो जाता है जिनमें पूर्ति की लचक कम रहता है जिनके परस्पर पूर्ति की कम लचक रहने वाले क्षेत्रों में आय का स्तर ऊँचा हो जाता है और आय का वितरण का वर्तमान स्वरूप बदल जाता है। ऐसी परिस्थिति में अर्थ-व्यवस्था के अर्थ क्षेत्र जिनमें पूर्ति लचक रहती है भी मूल्य-स्तर का स्थिर नहीं रहने देते हैं क्योंकि उन्हें भी वे लोचदार क्षेत्रों में वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्राप्त करनी होती हैं। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था के सामान्य मूल्य-स्तर में वृद्धि होती है।

(२) अल्प विकसित राष्ट्रों में उपभोगक्षमता अधिक होने के कारण आय की वृद्धि के साथ-साथ लचक-पदावली का माँग में अधिक वृद्धि हो जाता है परन्तु इण्डोनेशिया की पूर्ति अल्पकाल में वे लोचदार होती है। इस परिस्थिति में लचक-पदावली के मूल्य में लचक गति से वृद्धि हो जाती है और वृद्धि इण्डोनेशिया में लचक-पदावली की आय एवं लचक-पदावली के उपभोग में वृद्धि कर देती है। इस प्रकार घर-वृष्टि क्षेत्रों में लचक-पदावली की पूर्ति में कमी हो जाती है। इण्डोनेशिया का आय स्तर के कारण वह घर-वृष्टि उत्पादों का उपभोग भी अधिक मात्रा में करने लगता है। इस स्थिति में एक ओर घर-वृष्टि क्षेत्रों की लचक-पदावली के लिए अधिक मूल्य देना ही पड़ता है और दूसरी ओर घर-वृष्टि उत्पादों की पूर्ति का कम भाग उपभोग होता है। अन्ततः घर-वृष्टि क्षेत्रों का इस परिस्थिति में सामना करने के लिए अपने मूल्य-स्तर में वृद्धि करना अनिवार्य हो जाता है।

(३) अल्प विकसित राष्ट्रों में आय में वृद्धि करने की सीमान्तक्षमता भी अधिक होती है और आय की वृद्धि के साथ आयों में वृद्धि हो जाती है। आयों की वृद्धि की गति इतनी तीव्र रहती है कि निर्यात-वृद्धि तदनुसार ही सम्भव नहीं होता है। इस प्रकार मुद्रा-स्तर-व्यय प्रतिकूल होने लगता है। जब आयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जाने लगे हैं तो बड़ी हुई आय का दबाव आन्तरिक उपभोग वस्तुओं की पूर्ति पर पड़ता है

वृद्ध होए क्षेत्रों में पूर्ति में योग्य की तीव्र वृद्धि नहीं जाना है जिससे उस क्षेत्र में उत्पादों का मूल्य बढ़ जाता है। एक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि दूसरे क्षेत्रों का मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार अल्प विकसित राष्ट्रों में घाटे का अर्थ प्रवचन में मुद्रा स्फीति उदय होना का प्रवृत्ति होती है।

घाटे के अर्थ प्रवचन की सीमाएँ

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में घाटे का अर्थ प्रवचन द्वारा मुद्रा स्फीति अधिक होना की सम्भावना रहती है और पूरा राजगार की स्थिति में पहुँचकर अथवा राजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि होना के पूर्व ही मुद्रा स्फीति का परिमाण भयानक रूप ग्रहण कर सकता है। अल्प विकसित राष्ट्रों में इसलिए नियोजित विकास हेतु घाटे के प्रवचन का सामर्थ्य उपयोग करना चाहिए और यह सामर्थ्य निम्न तत्वा पर आधारित की जा सकता है—

(१) घाटे के अर्थ प्रवचन का प्रभाव इस बात पर निर्भर रहता है कि अतिरिक्त अर्थ-शक्ति प्राप्त करने वाले लोगों में इसकी क्या प्रतिक्रिया होना है। वे लोग अतिरिक्त अर्थ-शक्ति मरल साधना अर्थात् मुद्रा शक्ति के रूप में संचयित कर अपने पास रखने में इच्छुत ही मकत हैं। ऐसी परिस्थिति में मुद्रा स्फीति होना का मूल्य उस सीमा तक नहीं जाना जितनी मुद्रा संचयित कर रखी जाती है। यदि वे लोग अतिरिक्त अर्थ-शक्ति को आधारभूत उपभोग वस्तुओं पर खर्च करेंगे तो घाटे का अर्थ प्रवचन मुद्रा स्फीति का कारण बन जायगा। अतिरिक्त अर्थ-शक्ति प्राप्त करने वालों में यदि विनियोजन करने का प्रवृत्ति होना तो मुद्रा स्फीति का दबाव बन रहेगा। इन लोगों की इन प्रवृत्तियों में सरकार राजकोषाय एवं मौद्रिक नीतियों द्वारा कुछ हद तक अवरोध कर सकती है।

(२) जब अर्थ व्यवस्था में सरकारों क्षेत्रों का महत्व अधिक होता है तो उत्पादन को स्थिर मूल्यों पर रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का जाय अंश वस्तुओं के मूल्यों में पूर्ति करने के कारण बर्ती जा सकता है।

(३) नापिक प्रगति के साथ-साथ जो आय राजगार उत्पादन एवं अर्थ सभी आयिक क्रियाओं में तीव्र गति से वृद्धि होता है और समाज को अपने प्रति दिन व्यवहार में अधिक शक्ति नगद अपने पास रखना पड़ती है। मुद्रा की इस बनी हुई माँग की पूर्ति के घाटे का अर्थ प्रवचन किया जा सकता है।

(४) जब अर्थ व्यवस्था में उपयोग न हुए उत्पादन के माध्यम बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो तो घाटे के अर्थ प्रवचन द्वारा अर्थ-शक्ति में वृद्धि होना उपरोक्त साधना का उपयोग उत्पादक क्रियाओं में होने लगना और बनी हुई मुद्रा का यह बड़ा दृष्टा उत्पादन आश्चर्यजनक रूप से जिसमें मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी परन्तु यह परिस्थिति दो बातों पर निर्भर रहेगी—प्रथम अर्थ व्यवस्था में उत्पादन के समाप्तियों—पूँजी, तांत्रिक ज्ञान पूँजीगत एवं उत्पादक वस्तुओं आदि सभी उपलब्ध होना चाहिए

और द्वितीय, उपयोग हुए साधनों का पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए।

(५) घाट के जब प्रवचन द्वारा मुद्रा-स्फीति उदय नहीं होती है, यदि इसकी राशि व बराबर ही देश का प्रतिकूल भुगतान गेप है क्योंकि बनी हुई क्रय शक्ति का आश्छादिन करने के लिए आयात की गयी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। प्रतिकूल भुगतान गेप की पूर्ति विदेशी सहायता द्वारा जबका देश के पास विदेशी मुद्रा एवं स्वण का मंचय में की जा सकता है।

(६) विकास का प्रकार तथा स्वर, जिसे हेतु इस व्यवस्था का प्रमाण किया जाता है। यदि मुद्रा प्रसार द्वारा प्राप्त साधनों का विनियोजन ऐसा परिणामों में किया जाता है जिनकी पूर्ति में अधिक समय लगना है और निरन्तर द्वारा पूँजीगत एवं उत्पादन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो मूल्य में अतिक्रमण हानि की सम्भावना होती है और नियोजन अधिकारी का कठोर राजकीय (Fiscal) एवं मौद्रिक (Monetary) नीतियाँ का मंचानन करना आवश्यक होगा। विकास का प्रारम्भिक अवस्था में नियोजन अधिकारी का इसलिए योजनात्मक मंचन साथ में पूर्ण हानि वाली परिणामों का पर्याप्त मंचन देना चाहिए।

(७) विकास-ध्वज द्वारा आय में हानि वृद्धि का मात्रा का अनुमान लगाना चाहिए कि वह अतिरिक्त आय किस रूप में प्राप्त होगी तथा वह वास्तविक अतिरिक्त आय का किस प्रकार उपयोग करना। यदि योजना में वृद्धि विकास का प्राथमिकता की गयी हो तो श्रमोत्प्रेरक में अतिरिक्त आय का अधिकतम रूप में वृद्धि प्रतिक्रिया में जायगा। इसके साथ ही यह भी अनुमान लगाना आवश्यक है कि अतिरिक्त आय पाने वाले वर्ग में अतिरिक्त आय का वितरण बाजार सरकार द्वारा कर तथा ऋण के रूप में वापस लिया जा सकेगा तथा उसका किन्ता भाग उपभोक्ता-वस्तुओं पर व्यय किए जाने की सम्भावना है तथा किस प्रकार की उपभोक्ता-वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और इन वस्तुओं की पूर्ति किस सीमा तक वृद्धि तथा सम्भावित उत्पादन तथा वितरण द्वारा सम्भव है। इस प्रकार मांग तथा मूल्य में वृद्धि का आयात नियंत्रण के प्रकार तथा मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी अनुमान लगाना जाना चाहिए। इन सभी अनुमानों के आधार पर वह अनुमान लगाया जा सकेगा कि उपभोक्ता-वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी तथा उच्च वृद्धि से बचाव का अधिक कठिनाई पड़ेगी। राज्य इन कठिनाइयों के निवारण का आयोजन कर सकता है।

(८) विकास के कार्यक्रमों पर नियंत्रण विनियोजन की प्रभावशीलता का सीमा का अध्ययन भी आवश्यक है। प्रजातांत्रिक विनियोजन में अत्यन्त कठोर बाधा-बाधियों को स्थान नहीं होता और इस कारणवश साधनों का महत्वपूर्ण भाग उपभोक्तृ हो जाता है। विनियोजन का प्रकार तथा उसके द्वारा उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की सीमा तथा अधिक द्वारा यह निर्धारित किया जा सकता है कि मूल्यों का

सामान्य स्तर ग्रहण करने में कितना समय लगेगा तथा क्या क्या कार्य करना आवश्यक होगा।

(६) राज्य-द्वारा मूल्य की वृद्धि पर नियंत्रण रखने तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण सम्बन्धी कामवाहिया किम सीमा तक की जा सकती हैं तथा वहाँ तक सफल हो सकेंगी, जमका भी अनुमान लगाना आवश्यक है। इससे आर्थिक तन्त्र के अनिदित सामाजिक तथा राजनीतिक तत्वों को दृष्टिगत करना अनिवार्य होगा। जन-समुदाय के सामान्य चरित्र तथा राज्य के कामचारिया की कार्यशीलता प्रवचन गति तथा ईमानदारी पर राज्य की मूल्य नियंत्रण तथा वितरण की कार्यवाहिया की सफलता निर्भर रहती है। सरकारी पक्ष को जनता का कितना सहयोग प्राप्त है तथा उपभोग में कटौती होने पर जनता में किस सीमा तक विरोध होगा इस पर ध्यान देना भी आवश्यक है। यदि सरकार की गतिशील प्रभावशाली नहीं हुई तो विकास-सम्बन्धी मुद्दा प्रसार द्वारा मुद्दा स्फीति भयानक रूप धारण कर सकती है।

(१०) राजकाय तथा निजा क्षमा में कमचारिया तथा धर्मिका के पारिश्रमिक का मुद्दा में निश्चित करने के दृग् तथा पारिश्रमिक की सीमित रखने की सम्भावना का भी अनुमान लगाना आवश्यक होता है। यदि पारिश्रमिक दर उपमात्ता वस्तुओं के मूल्य पर आधारित होगा है तब यह नियंत्रण रखना कठिन होगा। दूसरा जोर यदि पारिश्रमिक का मूल्य के अनुसार नहीं बनाया जायगा तो धर्मिक की कार्यशीलता तथा उत्पादनक्षमता का क्षति पहुँचेगा। इन दोनों सीमाओं के मध्य में पारिश्रमिक निर्धारित किया जाना चाहिए। पारिश्रमिक दर राष्ट्र का धर्मिक संस्थाओं के संगठन तथा उनकी प्रवृत्तियों और सरकार द्वारा उनका कामवाहिया पर नियंत्रण रखने का क्षमता से भी प्रभावित होगा।

(११) वर्तमान मूल्य-स्तर तथा प्रचलित मुद्दा का मात्रा के आधार पर भी यह निश्चय किया जा सकता है कि घाटे के भय प्रवचन का किस सीमा तक उपयोग सम्भाव्य है। यदि अंतरराष्ट्रीय मूल्य स्तर की तुलना में राष्ट्रीय मूल्य स्तर कम है तब मूल्य में सामान्य वृद्धि से मुद्दा स्फीति का कोई भय नहीं होगा और मुद्दा का भय व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार प्रसार किया जा सकता है। विकास-व्यय द्वारा व्यवस्थापकता में वस्तुओं के उत्पादन तथा पूंजी में वृद्धि के साथ साथ मुद्दा का प्रसार होना भी आवश्यक होगा।

उपयुक्त घटकों की आधारगिना पर ही विकास सम्बन्धी मुद्दा प्रसार का सीमाओं का निर्माण होना चाहिए। उपयुक्त घटकों के प्रतिरूप होने का दृग् में मुद्दा प्रसार मुद्दा स्फीति का रूप धारण कर सकता है इसलिए मुद्दा का प्रसार कवल उसा सीमा तक करना चाहिए जहाँ तक मुद्दा स्फीति का भय उपस्थित न हो। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि सीमा तक वृद्धि का भयमूलक नहीं बल्कि मुद्दा स्फीति की अवस्था उमा समय कदा जानी चाहिए जब मूल्य में वृद्धि और अधिक मूल्य वृद्धिकारक है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर पूंजी निर्माण के स्थान पर पूंजी का उपभोग होना प्रारम्भ

हो जाता है तथा किसी भी प्रकार में आर्थिक विकास सम्भव नहीं होता। "जब घाट का अर्थ प्रवचन मुद्रा स्फीति की अवस्था का रूप ग्रहण कर ले, उस समय इसके द्वारा न तो पूँजी का निर्माण होना है और न आर्थिक विकास ही होता है। घाट का अर्थ प्रवचन अपने आप में न अच्छा है और न कुग और न ही घाट के अर्थ प्रवचन में मुद्रा स्फीति स्वभावतः निहित है।"

साधारण गण्डों में यह कहा जा सकता है कि विधान-अर्थ जो घाट के अर्थ प्रवचन द्वारा किया जाता है एवं जम्मायी रूप में उस अवधि में जो प्रतिरिक्त आय की पुष्टि करने के लिए उपभाक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने में अपना किया जाता है मूल्यों में वृद्धि का कारण होता है। यदि विकास अर्थ के अधिकतर भाग के लिए सरकार उत्प्रेरक है तथा वह विधान-आयप्रमा का अर्थ के नारनों की दृष्टिगत न करने हुए प्रभावशील एवं वायणीय वृद्धियों एवं विधियों में संचालित करती है, यदि वह निजी विनियामन का नियंत्रण करके निजी पूँजी का अविवकपूर्ण उत्पादन से रोक कर राष्ट्रीय विकास-कार्यों में विनियाम करती है, यदि वह मूल्यों की उच्चतम सीमा निर्दिष्ट करती है, यदि वह आवश्यक वस्तुओं आदि के वितरण का प्रवचन करके मूल्य वृद्धि का रोकती है, यदि वह आयान की मात्रा तथा प्रकार पर नियंत्रण कर सकती है, यदि उसके द्वारा विकास-कार्य मुद्रा की आवश्यक परिस्थितियों के समान संचालित किया जाता है, तभी घाट के अर्थ प्रवचन का उपयोग आर्थिक विकास में सहायनीय वाञ्छनीय एवं सहायक सिद्ध होगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि घाटे का अर्थ-प्रवचन अनुसूची एवं निष्पत्ति तथा वायणीयता हाथों में विकास-अर्थ पर अग्रसर राष्ट्र हेतु वादान सिद्ध होगा जजया विकास की चरम सामा पर पहुँचे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था का अतिरिक्त कर करने की शकता वाला अर्थ-व्यवस्था का हा सकता है।

मुद्रा-स्फीति एवं आर्थिक प्राप्ति

अब हमारे सामने प्रश्न जाता है कि घाट के अर्थ प्रवचन की व्यवस्था का उपयोग जन्म विकसित राष्ट्रा में क्या उचित है? यह तो अब तक के विस्तृत विवरण में स्पष्ट हो गया है कि घाटे के अर्थ प्रवचन द्वारा मुद्रा-स्फीति का उदय होता ही है। यदि हम मुद्रा-स्फीति का आर्थिक विकास के लिए उचित मान लें तो घाट के अर्थ प्रवचन का औचित्य स्वयं सिद्ध हो जायगा। मुद्रा-स्फीति का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इस सम्बन्ध में विचार एवं अनुभवों में बहुत मतभेद है। अब

1 When deficit financing degenerates inflationary finance it ceases to promote either capital formation or economic development. By itself deficit financing is neither good nor bad nor is inflation inherent in deficit finance. (Dr V K R V Rao Eastern Economist Pamphlet Deficit Financing Capital Formation and Price Behaviour in An Under developed Economy, P 16)

अथ साधनों से अर्थ साधन विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो सकते हैं तो अल्प विकसित राष्ट्र के सम्मुख दो ही रास्ते रह जाते हैं—विकास की गति को मन्द करना अथवा घाटे के अर्थ प्रयत्न द्वारा अर्थ साधनों में वृद्धि करना और मुद्रा स्फीति का सामना करना। प्रायः दूसरी विधि या ही उपयोग किया जाता है अर्थात् मुद्रा प्रसार द्वारा पूँजी निर्माण एवं विकास की गति को तीव्र किया जाता है। इसानि ए सामान्य विधियाँ में साधन उपलब्ध न होने के कारण अल्प विकसित राष्ट्र के विकास के लिए मुद्रा स्फीति आवश्यक समझी जाती है। मुद्रा स्फीति द्वारा मूल्य में वृद्धि होती है जिससे साधनों की खपत न करने वाला से खपत कर लेना को हस्तांतरित होने में सुविधा होने है और कुल पूँजी संयोजन में वृद्धि होता है। यदि सरकार विनियोजक है तो मुद्रा स्फीति सम्भावित साधनों (Potential Resources) के उपयोग में सहायक होती है और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाता है। यदि पूँजीगत साधनों की किसी प्रकार व्यवस्था करने के उद्योगों को उपभोग वस्तुओं के उद्योगों के राजगार में लगा दिया जाय और उनमें पारिश्रमिक का शोधन करने के लिए मजदूर मुद्रा निर्गमित की जाय तो यह आर्थिक अपनी आय में जो खपत करेंगे उसका उपयोग आर्थिक के उद्योगों को पारिश्रमिक के रूप में उपयोग हो सकता है जो पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए राजगार में लगाया जाय। इस परिस्थिति में घाटे का अर्थ प्रयत्न मुद्रा स्फीति के उदय एवं विनाश दोनों का ही कारण बन सकता है और मुद्रा स्फीति केवल एक अल्पकालीन घटना बनकर रह सकती है। जब मुद्रा स्फीति का उपयोग उत्पादन पूँजी को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इस बढ़ी हुई पूँजी का गुणसत्ता एक विषय के साथ उपयोग होता है तो अन्ततः वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति में मुद्रा की वृद्धि के अनुरूप वृद्धि हो जाती है।

विकासो मुद्रा अर्थ व्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता एक मंद बढ़ जाना है क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ व्यवहारों की मात्रा एवं आधार में वृद्धि और अर्थ व्यवस्था के अमोक्षिक राज में मुद्रा के माध्यम से व्यवहार करना प्रारम्भ कर लेना है। मुद्रा की इस बढ़ी हुई मात्रा की पूर्ति करना विकास को पुष्टि करने के लिए आवश्यक होती है और इस सीमा तक किया गया मुद्रा प्रसार तब तक वांछनीय होता है। इसके अनिश्चित मूल्य वृद्धि द्वारा विपणन में न आने का साधनों को निर्णय में सान से प्राप्ताने मिलता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और विकास की गति तीव्र होती है।

उपरोक्त विवरण से यह बात होना है कि मुद्रा स्फीति स्थिर (Stagnant) अर्थ व्यवस्था के आर्थिक विकास में सहायक होती है परन्तु यह योगदान दो धारों पर निर्भर होता है—

(१) मुद्रा स्फीति द्वारा हस्तांतरित होने वाले साधनों का परिमाण—यह बात यह है कि मुद्रा स्फीति द्वारा वास्तविक खपत में पर्याप्त वृद्धि हो सकती

है। प्रायः अर्थ-व्यवस्था में अधिक बग बचत नहीं करने वाला और लाभ (Profit) प्राप्त करने वाला अर्थात् साहसो-वर्ग बचत करने वाला होता है। जब अधिक बग को साहसो-वर्ग को तुलना में राष्ट्रीय आय का अधिक भाग प्राप्त होता है तो बचत की दर में निश्चित वृद्धि करने हेतु कम मूल्य-वृद्धि की आवश्यकता होती है क्योंकि साधना का हस्तान्तरण अधिकों के बड़े समुदाय में होता है। यामो-मा मूल्य-वृद्धि का प्रभाव समाज के बड़े भाग पर पड़ने के कारण साहसो-वर्ग का उसका लाभ पर्याप्त मात्रा में मिलता है और इस प्रकार बचत एवं विनियोजन में वृद्धि होती है परन्तु अन्य विकसित राष्ट्राँ में मजदूरी का राष्ट्रीय आय में भाग, लाभ की तुलना में, कम होता है जिसके कारण बचत की दर में वृद्धि करने के लिए मुद्रा प्रसार द्वारा अधिक मूल्य-वृद्धि की आवश्यकता होती है। इन प्रकार अल्प विकसित राष्ट्राँ में मुद्रा-स्फीति द्वारा विनियोजन-वृद्धि समाज के लिए अधिक हानिकारक हो सकती है।

मुद्रा स्फीति द्वारा ऐच्छिक बचत करने की प्रवृत्ति का भी आधात पहुँचता है क्योंकि मुद्रा के रूप में बचत करना लाभदायक नहीं होता है। मुद्रा स्फीति के फलस्वरूप, मुद्रा के वास्तविक मूल्य में निम्नत्व बर्बाद होती जाती है और यही कारण है कि जनसाधारण अपनी बचत को मुद्रा के रूप में न रखकर टिकाऊ एवं मूल्यवान् वस्तुओं में रखने लगते हैं। मुद्रा के मूल्य में बर्बादी होने के कारण लोगों ने आपसवारी के साथ व्यय करने की प्रवृत्ति प्रचलित होने लगती है। मुद्रा का मूल्य कम होने से निश्चित आय प्राप्त करने वालों की वास्तविक आय भी कम हो जाती है जिसके फलस्वरूप, उनकी ऐच्छिक बचत करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इस प्रकार एक ओर, मुद्रा-स्फीति द्वारा ऐच्छिक बचत में बर्बादी और दूसरी ओर साहसो-वर्ग की बचत में कुछ वृद्धि होती है जिसका कुछ परिणाम राष्ट्र की कुल बचत में बड़ी विशेष वृद्धि नहीं होती है। मुद्रा स्फीति इस प्रकार केवल विनियोजन की निश्चित या सामान्य जनता से साहसो-वर्ग का हस्तान्तरण कर देती है जिससे धन और आय का केन्द्रीकरण और अधिक हो जाता है।

कुछ अन्य विकसित राष्ट्राँ के अनुभवों से यह भी ज्ञात होता है कि मुद्रा-स्फीति द्वारा जो साहसो-वर्ग की आय में वृद्धि होती है उस अनुपात में उनके विनियोजन में वृद्धि नहीं होती है क्योंकि यह साहसो-वर्ग अतिरिक्त आय का कुछ भाग उपभोग पर व्यय कर लेता है तथा कुछ भाग अपने पास मूल्यवान् वस्तुओं जैसी चीजें जम्मा करने पर व्यय कर लेता है। इस प्रकार बड़ी हुई आय का केवल मामूली भाग ही विनियोजन के लिए उपलब्ध होता है। ऐसी परिस्थिति में मुद्रा-स्फीति सामाजिक उपभोग का कारण बन जाती है क्योंकि निश्चित आय वाला वर्ग अपनी वास्तविक आय एवं उपभोग कम कर साधनों का साहसो-वर्ग को हस्तान्तरित करता है जो पहले से ही सम्पन्न होता है और इस बड़ी हुई सम्पन्नता का उपयोग वित्तमूल्य जीवन के लिए उपभोग हो जाता है परन्तु अर्थ-व्यवस्थाओं में सरकारी क्षेत्र का विकास का

हो यहाँ मुद्रा स्फीति द्वारा साधना का हस्तांतरण सरकारी क्षेत्र को होता है जो इस अतिरिक्त साधना का उपयोग विनियोजन बढ़ाने हेतु कर सकता है।

मुद्रा स्फीति का निरन्तर उपयोग पूंजी को विदेशों में हस्तांतरित करने की प्रोत्साहित करता है क्योंकि मुद्रा का आंतरिक बाजारिक मूल्य सरकारी विनिमय दर (Official Exchange Rates) के आधार पर उससे विन्ती वास्तविक मूल्य से कम होता जाता है। इस प्रकार मुद्रा स्फीति का उपयोग बहुत सावधानी एवं सीमित मात्रा में करने से ही जादिक विवास में सहायता मिल सकती है।

(२) मुद्रा स्फीति का विनियोजन पर प्रभाव—यह बात भी विवादास्पद है कि मुद्रा स्फीति द्वारा उपाय विनियोजन को प्रोत्साहित करता है। मुद्रा स्फीति द्वारा उपलब्ध साधनों का उपयोग सरकार का अपना पूर्ण निर्धारित कार्यक्रमों पर कर सकती है परन्तु निजी क्षेत्र का विनियोजन पर इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। मुद्रा स्फीति का फलस्वरूप साधनों के उपयोग करने की तुलना में साधना को सहेतीत रतन में अधिस्तान प्राप्त होता है क्योंकि मूल्य स्तर में निरन्तर वृद्धि होती जाती है और गृहीत साधना का बिना उपयोग किए ही मूल्य बढ़ जाता है। इस कारण लोग अपने साधनों का उपयोग में निर्माण करने कायदा तरीका मुख्यतः धानुओं की रतन तथा विदेशी सम्पत्तियों को तारीदन में उपयोग करते हैं। जिस राष्ट्रीय व सार्वजनिक वर्ग द्वारा होता है यहाँ राष्ट्र की प्रगति प्रवल हो जाती है और वास्तविक उत्पादन क्रियाओं को आघात पहुँचता है।

दूसरी ओर, मुद्रा स्फीति द्वारा आन्तरिक बाजारों में उपयोग वस्तुओं के मूल्य निरन्तर बढ़ते रहते हैं जिससे साहसिकता को आन्तरिक बाजारों में आगामी में लाभ प्राप्त हो जाता है। इनके दो मुख्य प्रभाव होते हैं—प्रथम निर्यात का लिए उत्पादन नहीं किया जाता है और निर्यात में आघात की वृद्धि का अतुल्य वृद्धि नहीं होती है जिससे फलस्वरूप प्रतिकूल व्यापारिक दोष बढ़ता जाता है। दूसरा मुख्य प्रभाव व्यापारिक ईमानदारी पर पड़ता है। निम्न स्तर की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है मध्यमों की संख्या बढ़ जाती है कार्य कुशलता कम हो जाती है और राष्ट्र की प्रगति प्रवल हो जाती है। सार्वजनिक वर्ग जोरिगपूर्व उत्पादन क्रियाओं को संभालित नहीं करता और निर्यात में हेर कर कर साभापार्जना करना चाहता है। इस प्रकार उत्पादन क्रियाओं को आघात पहुँचता है। इस प्रकार मुद्रा स्फीति का पूंजी निर्माण का लिए उपयोग बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता होती है। सरकार का अर्थ व्यवस्था पर कितना नियंत्रण एवं अधिकार है या हास्यता है मुद्रा स्फीति द्वारा विनाश किस प्रकार करने की भीषण निर्धारित करता है।

भारत में घाटे का अर्थ प्रवर्धन

प्रथम योजना—भारत में घाटे के अर्थ प्रवर्धन का उपयोग विनियोजन अर्थ व्यवस्था का प्रारम्भ से ही किया गया है। इस योजना में २६० करोड़ रुपये का घाटे के

अथ प्रवर्धन की व्यवस्था की गयी परन्तु वास्तविक राशि ३३० करोड़ रु० का यात्रना के उरकारी व्यय की समनम १७% थी। इस यात्रना में व्ययि जायाग्न न अपिष्ट राशि का घाट का अथ प्रवर्धन किया गया फिर भी, इस व्यवस्था द्वारा मुद्रा-मन्त्रालि का इवाक न्यून नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण आगां न अथिक्त मानमून की अनु कूनता या अिसके पत्रम्बन्ध कृषि उत्पादन में अनुमान न अथिक्त वृद्धि हुई। इस यात्रना काल में कृषि उत्पादन में २०% और औद्योगिक उत्पादन में ३८% की वृद्धि हुई। प्रथम यात्रना में घाट के अथ प्रवर्धन उ सम्बन्ध अथन बांन अथ नर अथ प्रका है—

तानिका न० २०—प्रथम यात्रना में घाटे का अर्थ-प्रवर्धन

वर्ष	घाट का अथ प्रवर्धन (करोड़ रुपयों में)	जनता के दाम मुद्रा की पूर्ति (करोड़ रुपयों में)	मुद्रा पूर्ति का घाट के अथ प्रवर्धन का प्रतिशत	इस-सहन का निर्माण १९४६= १००	आवागों का मूल्य निर्माण १९४७=१००	घाट पूर्ति का निर्माण १९४७=१३
१९४१-४२	२०	१,८४८	०.२२	१०४	१११.६	११८.०
१९४२-४३	१४	१,७८१	०.४०	१०४	१००.०	१००.०
१९४३-४४	१०	१,८५०	१.६४	१०६	१००.१	१०१.६
१९४४-४५	६०	१,८८१	४.६६	६६	६४.६	६.४
१९४५-४६	१४७	२,०१७	७.०८	६८	८६.६	६७.४

इस तानिका से पात जाता है कि प्रथम योजना में वर्ष प्रति वर्ष घाट के अथ-प्रवर्धन की राशि अती गयी और योजना के अन्तिम दो वर्षों में इसकी राशि में अत्यधिक वृद्धि हो गयी परन्तु आसाधारण बात यह है कि घाटे का अर्थ-प्रवर्धन बटन हुए भी, मूल्यों में वृद्धि होने के म्यान पर बमी हुई और शोक मूल्य निर्माण १९४० में अकररररररर १९४४-४६ में ६७.४ हुआ गया। अन्त १९४४-४६ में योजनाकार के अुर घाट का अथ प्रवर्धन का वांनग अथे आग का उपयोग किया गया परन्तु इस वर्ष में मूल्यों में पाव बर्षों की कूनता में सबसे अधिक बमी गयी। आवागों के मूल्यों में २०-२०% की और रहन रहन के अर की सागत में ८६% की बमी हुई। अन्त १९४७-४८ व अन्त १९४६-४७ में घाट के अथ प्रवर्धन के अर के साथ मूल्यों में भी वृद्धि हुई परन्तु इसके बाद के वर्षों में मूल्य गिरते रहे। कृषि-क्षेत्र में अत्यधिक अन्तल होने का अर्थ-प्रथम यात्रना में अचित घोषणा-पत्र (Sterling Reserves) का उपयोग करके बन्धुओं एव नैवागों का अयागत अितेन से किया गया। अथे मूल्य-अर में वृद्धि अरुं हो गयी।

द्वितीय योजना—प्रथम योजना की अनुकूल परिस्थितियों का अंत हुए निचो अरुं ने त्रितीय योजना अथिक्त अजितापी अगयी और अकारी क्षेत्र का अथ अरुं का अर किया गया। इस योजना में घाटे अवागों के अित्कार की व्यवस्था की गयी आ घाट के अथ प्रवर्धन की अथ नावन प्राप्त अरुं की एव अनुकूल अथिक्ति अरुं अितर गया। इस यात्रना में १२०० करोड़ रुपयों के घाटे के अर्थ-प्रवर्धन की अथ-पथ की

गया जा सरकारा क्षेत्र क कुल आयोजित व्यय की २५% थी परन्तु घाट क अर्थ प्रवर्धन की वास्तविक राशि ६५४ करोड़ रुपया हुई जो योजना क सरकारी क्षेत्र के व्यय का २०.४% थी। यह प्रतिगत प्रथम योजना म केवल १७% था। द्वितीय योजना म नगरा क क्षेत्र म भारी उद्योगों की स्थापना का आयोजन किया गया जिसके फल स्वरूप अनिश्चित आय बकों के पास जमा क रूप म आयी और बच-साव्ध म तदातुमार वृद्धि हुई। घाटे के अर्थ प्रवर्धन के कारण मुद्रा की पूर्ति माँग स अधिक हो गयी और मूल्य-स्तर निरन्तर बढ़ता गया। प्रथम योजना म मुद्रा प्रसार का आच्छादिन उपयान न किए गये साधनों का उपयोग कर उत्पादन म वृद्धि करना सम्भव हुआ परन्तु द्वितीय योजना म उत्पादन क विकास साधन एकत्रित एवं निर्माण करने की आवश्यकता हुई जिसका प्रभाव मूल्य पर पड़ा। द्वितीय योजनाकाल म मुद्रा-पूर्ति एवं मूल्य का वृद्धि निम्न प्रकार रहा—

तालिका सं० २१—द्वितीय योजना से घाटे का अर्थ प्रवर्धन

वर्ष	घाटे का अर्थ प्रवर्धन (करोड़ रुपया म)	जनता के घाटे क अर्थ प्रवर्धन का पूर्ति	मुद्रा प्रवर्धन का पूर्ति	रहन गहन साधन का लागत का निर्माण	रहन गहन साधन का मूल्य का निर्माण	घाटे का अर्थ प्रवर्धन का निर्माण	मूल्य का निर्माण
				१२४६ = १००	१६४२४२ = १००		
१९५६ ५७	२४३०	२३४२	१००	१०७	१०५५	१०५३	१०५३
१९५७ ५८	४६७०	२४१३	२०६	११५	१०६६	१०५४	१०५४
१९५८ ५९	१४००	२४२६	५४	११८	११५२	११२६	११२६
१९५९ ६०	१२००	२७५०	४१	१५३	११६०	११७१	११७१
१९६० ६१	— ६६०	२८६६	—	१४	१२००	१२४६	१२४६

द्वितीय योजनाकाल क प्रारम्भ म घाटे का अर्थ प्रवर्धन बड़ा मात्रा म किया गया और सन् १९५७ ५८ म घाटे क अर्थ प्रवर्धन की राशि कुल मुद्रा-पूर्ति की २०.६% हा गया। भारतीय नियोजित अर्थ व्यवस्था क इतिहास म सन् १९५७ ५८ वर्ष म घाट का अर्थ प्रवर्धन सबसे अधिक किया गया। इसका नतीजा मूल्यों म वृद्धि क रूप म सामने आत लगा और मूल्य की निरन्तर वृद्धि एवं वृद्धि हुई बराबरता का स्वरूप नियोजक द्वारा योजना क सरकारी क्षेत्र क अर्थ का कम किया गया और घाट के अर्थ प्रवर्धन को भी कम किया गया है। मूल्य स्तर फिर वृद्धि रहन क कारण सन् १९६० ६१ म घाट क अर्थ प्रवर्धन की राशि शून्यात्मक वा गया। द्वितीय योजना काल म रहन गहन को लागत के निर्माण के २६.२% और धातु मूल्य निर्माण के ३५% की वृद्धि हुई। मुद्रा प्रसार क दबाव के वृद्धि का कारण वृद्धि एवं औद्योगिक उत्पादन म सम्भावना से कम वृद्धि होना उचित मूल्य नाश का न हाना पर विकास व्यय म अधिक वृद्धि होना तथा प्रतिकूल जलवायु थे।

तृतीय योजना—द्वितीय योजना की मूल्य वृद्धि का दखने हुए तृतीय योजना का घाट के अर्थ प्रवर्धन व मौलिक उपयोग का प्रभाव किया गया। इस कारण इस योजनाकाल में केवल ११० करोड़ रुपये का घाट का अर्थ प्रवर्धन का आयोजन किया गया परन्तु वास्तविक राशि १११० करोड़ रुपये हुई अर्थात् घाट के अर्थ प्रवर्धन को आयोजित राशि का। नगमय दुगुनी राशि का घाट का अर्थ प्रवर्धन तृतीय योजना में किया गया। इसको अधिक राशि का घाट का अर्थ प्रवर्धन करने के कारण मुद्रा-स्फीति का दबाव अर्थ-व्यवस्था पर और अधिक बढ़ गया जहां निम्न अंकियों से ज्ञान होगा है—

तालिका न० २०—तृतीय योजना में घाट का अर्थ प्रवर्धन

वर्ष (बराह गणना में)	घाट का अर्थ प्रवर्धन (बराह गणना में)	जनता के रहने-महने खाद्य-पदार्थों का मूल्य-निर्देशांक	सर्वोच्च की लागत का निर्देशांक	निर्देशांक	१९१०-१३ अर्थ प्रवर्धन का प्रतिशत
१९६१-६२	१८४०	३०४६	१०३	१००	१२५
१९६२-६३	१८२०	३३१००	१०१	१०६	५५
१९६३-६४	२११०	३७१०	१०७	१०८	५३
१९६४-६५	१८००	४,०८०	११७	११६	४७
१९६५-६६	३८१०	४,५२०	७६२	१६८	८२

तृतीय योजनाकाल में घाट का अर्थ प्रवर्धन बर्नी हुई इकाइयों—सन् १९६० के बीच के एक सन् १९६५ के पाकिस्तान आक्रमण—के दौरान किया गया और इस आघत में प्राप्त वित्तीय साधनों का उपयोग मुद्रा के व्यय की पूर्ति के लिए किया गया जिससे मुद्रा-स्फीति का दबाव निरन्तर बढ़ता गया। रहने-महने की लागत के निर्देशांक में ३६ ३% की वृद्धि हुई और खाद्य-पदार्थों का मूल्य निर्देशांक ४० ७% से बढ़ गया। योजनाकाल के पांच वर्षों में बीच मूल्य निर्देशांक में ३०% की वृद्धि हुई।

वार्षिक योजना में घाटे का अर्थ-प्रवर्धन

सन् १९६६-६७ का वार्षिक योजना के अन्तर्गत घाट का अर्थ प्रवर्धन १८६ करोड़ रुपये का किया गया जिससे फलस्वरूप खाद्य-पदार्थों एवं बीज मूल्यों के निर्देशांक में सन् १९६५-६६ की तुलना में क्रमशः १६% एवं १६% की वृद्धि हुई। सन् १९६७-६८ की वार्षिक योजना के अन्तर्गत २७७ करोड़ रुपये का घाट का अर्थ प्रवर्धन किया गया जिससे मूल्यों में और वृद्धि हुई। इस वर्ष में बीच मूल्यों के निर्देशांक में ११% की वृद्धि हुई और खाद्य-पदार्थों के मूल्य निर्देशांक में १८% की वृद्धि हुई। इस प्रकार मूल्य-स्तर में तृतीय योजना के पांच वर्षों तथा ऋषक घाट का दो वार्षिक योजनाओं में मूल्य-स्तर में निरन्तर वृद्धि होती रही।

सन् १९६८-६९ की वार्षिक योजना में ३०७ करोड़ रुपये का घाट का अर्थ

प्रवर्धन का आयोजन किया गया जो याजना के सरकारी क्षेत्र के आयोजित व्यय २३३७ करोड़ रुपये का १३% है। इन वर्ष में खोन मूल्य के निर्देशों में ११% की कमी हुई है जिसका प्रमुख कारण खाद्य पदार्थों के मूल्य निर्देशों में ४५% की कमी है। सन् १९६७-६८ एवं सन् १९६८-६९ में कृषिक्षेत्र में विशेष प्रगति हान के कारण खाद्य पदार्थों की पूर्ति में वृद्धि हुई है जिसमें फलस्वरूप मूल्य में कमी होना प्रारम्भ हुई।

चतुर्थ योजना—चतुर्थ योजना में ८५० करोड़ रुपये के घाटे के अर्थ प्रवर्धन का आयोजन किया गया जो योजना के सरकारी क्षेत्र में व्यय का ६% से भी कम है। यदि कृषि क्षेत्र के उत्पादन की प्रगति योजनाकाल में बनी रहा तथा मानसून प्रतिकूल नहीं हुआ तो इस राशि के घाटे के अर्थ प्रवर्धन में मूल्या में विशेष वृद्धि न हान का अनुमान है। लाघात्त एव अर्थ बचने वाली का जो अक्षर स्टॉक के नीचे सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है उससे भी मूल्या की वृद्धि को नियंत्रित करना सम्भव होगा।

मौद्रिक नीति एवं आर्थिक प्रगति भारतीय बैंको के राष्ट्रीयकरण महि

[Monetary Policy and Economic Development With
Special Reference to Bank Nationalisation in India]

[मौद्रिक नीति के उद्देश्य—मूल्य स्तर में स्थिरता, मुद्रा के अर्थ की निरन्तरता विनियम स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति—आर्थिक प्रगति हेतु मौद्रिक वायव्यता, मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण, माल नियन्त्रण की विधियाँ—बैंक-दर से हेर फेर, खुले बाजार की क्रियाएँ, अधिक अनिवार्य संचिति, भारत में मौद्रिक नीति—परिवर्तनीय नकद संचिति अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएँ चयनात्मक साख नियन्त्रण, बैंक दर शुद्ध तरलता अनुपात, व्यापारिक बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण, भारतीय बैंको का राष्ट्रीयकरण—राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य—राष्ट्रीय वस्तु में वृद्धि, सावजनिक क्षेत्र को साधन, साख का अधिक उत्पादक उपयोग, यादृच्छित क्षेत्रों के लिए साख, सावजनिक आय में वृद्धि, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति—बैंक राष्ट्रीयकरण में उदय हुई समस्याएँ क्रियात्मक एवं समन्वय साधनों का प्रवाह, प्रतिस्पर्धा, बड़ी उत्पादक इकाइयों को साख, जमा करने वालों का हित, अन्य साम्य संस्थाओं के साथ समन्वय]

मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रा साख एवं मुद्रा के अर्थ प्रतिस्थापना के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है जिससे किसी अर्थ व्यवस्था की इन तरल सन्ततियों की समस्त मांग एवं पूर्ति को प्रभावित किया जा सके। मुद्रा की यात्रिकता पर संचालित अर्थ व्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के नियन्त्रण से साधनों की विभिन्न क्रियाओं पर हानि वाले आवंटन पर अत्यन्त प्रभाव पड़ता है। किसी भी अर्थ व्यवस्था की विनियोजन का गति विधि एवं प्रकार को मुद्रा एवं साख नियन्त्रण द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। अर्थ व्यवस्था के वास्तविक साधनों का उपयोग तीन प्रकार से किया जाता है—निजी उपभोग, सरकारी चालु व्यय एवं निजी तथा सरकारी विनियोजन। मौद्रिक नीति द्वारा देश के साधनों के इन तीनों स्रोतों में होने वाले प्रवाह को नियंत्रित किया जाता

है। विकास-मुख्य राष्ट्रों में मौद्रिक नीति विशेष उपभोग को कम करके साधना को विनियोजन में प्रवाहित करने के लिए उपयोग की जाती है। मौद्रिक नीति का अन्तगम व्याज दर में हर फेर साल का संकुचन अथवा विस्तार कर स्तर में वृद्धि अथवा कमी कर निजी अथवा सरकारा उपभोग का कम या अधिक किया जाता है जिसमें सामानों को विनियोजन एवं पूँजी निर्माण हेतु अधिक अथवा कम परिमाण में उपलब्ध कराया जा सके। पूँजी निर्माण आर्थिक प्रगति का प्रमुख अंग होता है और आर्थिक प्रगति की दर पूँजी निर्माण की दर से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होती है और पूँजी निर्माण की दर विनियोजन के लिए उपलब्ध साधनों पर निर्भर रहती है। विनियोजन हेतु आर्थिक साधन उपलब्ध कराने के लिए उपभोग-योग का नियंत्रित करना आवश्यक होता है जो मौद्रिक नीति द्वारा सम्भव होता है। विनियोजन का परिमाण का अनिश्चित मौद्रिक नीति द्वारा विनियोजन के प्रकार का भी नियंत्रित किया जाता है। आर्थिक प्रगति का तात्पर्य एवं स्थायित्व के लिए वांछित क्षमता में विनियोजन बढ़ाने के लिए मौद्रिक नीति का अंतगम इन क्षमता का साल-आदि की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार मौद्रिक नीति द्वारा यद्यपि अर्थ-व्यवस्था के विद्यमान साधनों में किसी समय में वृद्धि करना तो सम्भव नहीं होता परन्तु उपलब्ध साधनों का वांछित उपयोग करना सम्भव हो सकता है। यही कारण है कि मौद्रिक नीति नियोजन-आर्थिक प्रगति का आधारभूत यंत्र माना जाता है।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उपभोग एवं विनियोजन पर नियंत्रण राजकीय नीति द्वारा प्राप्त किया जाता है क्योंकि राजकोषीय नीति द्वारा जनसाधारण का व्यय शक्ति एवं विस्तार साधना पर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। एक आर कर एवं पुँजी साधारणता समाज के विभिन्न वर्गों की व्यय शक्ति को नियंत्रित करने है और दूसरी ओर विनियोजन के साधन उपलब्ध कराने हैं परन्तु राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता मौद्रिक नीति पर निर्भर रहती है। अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं की वृद्धि के साथ मौद्रिक अधिकारी को साल-परिमाण में पर्याप्त वृद्धि करना पानी है जिसमें बढते हुए व्यवहारों के लिए मुद्रा की कमी में महसूस हो। साल-परिमाण द्वारा मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियों को भी रोकना अथवा नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है—

(१) मूल्य स्तर में स्थिरता—प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचारों के अनुसार केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य मुद्रा-वाजार में नियंत्रित करना था और इस नियंत्रण के लिए व्याज दर का उपयोग किया जाता था। केंद्रीय बैंक उत्पादक एवं वृष्टि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव प्रदान नहीं करता था। वह मुद्रा की सापत्न (प्याज) एवं पूँजी को नियंत्रित करता था जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत एवं मूल्य नियंत्रित होत थे। इस प्रकार मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्यों को स्थिर रखना होता था।

हाता है और उसकी पूर्ति में परिवर्तन करने में भाग्य एवं व्यय के परिवर्तन करना सम्भव नहीं हो सकता है क्योंकि अर्थ-व्यवस्था के वास्तविक साधन का परिमाण मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता और न ही प्रभावगतात्मा माँग में परिवर्तन होता है। वास्तव में अल्पिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर हानि वाता व्यवस्था की पूर्ति को निर्धारित करता है अर्थात् जब कुल प्रभावगतात्मी माग में परिवर्तन होत पर उत्पन्न अजडूरी तथा मून्या में परिवर्तन होता है तो इन परिवर्तना के कारण मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होता है।

उपयुक्त विवरण में पता होता है कि आर्थिक प्रगति के निर्वाह के लिए मुद्रा एवं मात का उपयुक्त प्रसार आवश्यक होता है परन्तु भौतिक आवश्यकता में आर्थिक प्रगति एवं विस्तार का प्रक्रिया को प्रारम्भ एवं गतिमान किया जा सकता है। इन बातों के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। वास्तव में मुद्रा एवं मात की पूर्ति में परिवर्तन करके आर्थिक विस्तार तब ही सम्भव हो सकता है जब अर्थ-व्यवस्था में ऐसी वास्तविक साधन विद्यमान हों जिनका अभी उपयोग न किया जा रहा हो अर्थात् मुद्रा एवं मात का विस्तार इन उपयोग न हुए साधनों को उत्पादक उपयोग में लाने का एक साधन हो सकता है। इतना ही नहीं मुद्रा एवं मात नियंत्रणों द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होने वाले वास्तविक साधनों का अवाञ्छित क्षेत्रों से हटाकर वाञ्छित क्षेत्रों का ओर प्रवाहित किया जा सकता है। अल्प विकसित राष्ट्रों में विकास का प्रारम्भ करने के लिए पहले उत्पादक साधनों का विकास करना होता है और जब उत्पादक साधनों की उपलब्धि में वृद्धि हो जाती है तो सात नियंत्रण द्वारा इन साधनों का विकास के लिए वाञ्छित क्षेत्रों की ओर प्रवाहित किया जा सकता है। इन प्रकार विद्या की प्रक्रिया में वास्तविक भौतिक साधनों का स्थान प्रथम होता है और इन साधनों के उपयुक्त उपभाग के लिए सात योजना की आवश्यकता होती है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में विकास की प्रक्रिया के अन्तर्गत मुद्रा स्फूर्ति का उदित होना अत्यन्त स्वाभाविक होता है। जब मुद्रा एवं मात प्रसार द्वारा विनियोजन का प्रणाली जाता है तो विनियोजन की यह वृद्धि एक ओर निजी भाग एवं उपभाग में वृद्धि कर देती है और दूसरे ओर सामूहिकता के अकुल हानि के रूप में कमा एवं पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन का नवान विनियोजन में अधिक महत्व देने के कारण उपभोक्ता के वस्तुओं की पूर्ति में माँग के अनुरूप वृद्धि नहीं होती है जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा स्फूर्ति का दूषित पत्र प्रारम्भ हो सकता है परन्तु इन दूषित पत्रों को नियन्त्रित किया जा सकता है यदि भौतिक नीति का उपयोग केवल विकास का गति चक्र के लिए ही न किया जाय बल्कि विकास उद्देश्य के साथ भौतिक नीति द्वारा आर्थिक स्थिरता को भी बनाये रखने के प्रयत्न जारी रने जाय। विनियोजन में वृद्धि करने के लिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना आवश्यक होता है परन्तु मुद्रा की वृद्धि का कुछ भाग मात के विस्तार के लिए उपयोग हो जाना है क्योंकि जब इस बड़ा हुई

मुद्रा एक विनियोजन के फलस्वरूप, उदय हुई अनिश्चित आय का कुछ भाग बचाने में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो इस जमा द्वारा एक साथ का विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार मुद्रा की वृद्धि के साथ-साथ मांग का भी विस्तार होता है जो मुद्रा स्फीति के दबाव को दूर करने का पून कारण हो जाता है। यदि बच-साव का नियंत्रित कर दिया जाय तो मुद्रा स्फीति के दबाव का घटन में रोका जा सकता है। बच-साव को नियंत्रित करने का तात्पर्य यह नहीं है कि उका के साथ विस्तार व अधिकार का ही समाप्त कर दिया जाय। विनियोजन की वृद्धि की गति का निर्वाह करने के लिए बच-साव का विस्तार भी आवश्यक होता है। एसी परिस्थिति में बच-साव नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य साथ ही एक विनियोजनों के लिए उपयोग करना होता है जिससे दीर्घ-कालीन विकास सम्भव हो सके। इस कार्य के लिए वैदेशीय ऋण को सेवाओं का उपयोग किया जाता है जो समय-समय पर उका का मातृ विवरण के सम्बन्ध में निर्णय जाय कर यह निर्धारित करता है कि किन किन क्षेत्रों का साथ अनिश्चित सुविधाओं अथवा कठोर शर्तों पर प्रदान की जाय। उपर्युक्त विवेचन में यह स्पष्ट है कि मौद्रिक नीति व विकास सम्बन्धी उद्देश्यों के वा अंग है—प्रथम, आर्थिक प्रगति की गति को बढ़ाना तथा द्वितीय आर्थिक स्थिरता को प्रबलन करना। प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा एक साथ का प्रसार किया जाता है और द्वितीय उद्देश्य के लिए साथ व प्रसार एक उपयोग का नियंत्रित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह भी कह सकते हैं कि आर्थिक प्रगति हेतु मौद्रिक नीति द्वारा साथ एक मुद्रा का नियंत्रित विस्तार किया जाता है। आर्थिक प्रगति का प्रबलन करने हेतु मौद्रिक अधिकारों का निम्नलिखित कार्यवाहियाँ करना चाहिए—

(१) आर्थिक प्रगति हेतु मौद्रिक कार्यवाहियाँ—मौद्रिक अधिकारों को आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया के गति व अनुस्यू मुद्रा की पूर्ति में प्रयोग वृद्धि करनी चाहिए। प्रगति के साथ साथ मुद्रा की मांग में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। अन्य विनियोजन राष्ट्रीय म जब विकास का प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अभी तक मुद्रा का उपयोग नहीं होता था (विद्योपकर प्रामोष इकाइयों में) अब मुद्रा का उपयोग होना लगता है जिससे मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है। प्रगति की प्रक्रिया के गतिमान होना पर राष्ट्रीय एक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है जिससे प्रथम-व्यवस्था में सामान्य व्यवस्था के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे विकास आगे बढ़ता है और मांग की विविधता का विस्तार होता है मुद्रा की और मांग में वृद्धि होती जाती है। आर्थिक प्रगति के अन्तगत अथ व्यवस्था में वित्तीय समस्याओं का भी विस्तार होता है यद्यपि बचन करने भावों से विनियोजन करने वाला एक साधनों को प्रवाहित करने की प्रक्रिया में सीधे गति में वृद्धि हो जाती है। इन समस्याओं का तरल साधनों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मौद्रिक अधिकारों को मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना आवश्यक होता है।

(२) आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया का गतिमान करना व लिए मौद्रिक अधिकारों साधनों व गुणात्मक एवं परिमाणात्मक उपयोग का निर्माण करता है। साथ ही उन समूहों का धार प्रवाहित करना होता है जिनके जायदादक व्यय में देश व वास्तविक उत्पादन में वृद्धि सम्भव हो सकती है तथा विस्तार सम्पत्तियों का उन समूहों का धार प्रवाहित करना होता है जिनका मात्रामक व्यय अथवा वास्तविक मापना का उत्पादकता प्रकृत हनु आवश्यक हानी हैं अथवा मौद्रिक क्रियाओं द्वारा उपयुक्त वग व तरल साधनों की विस्तार सम्पत्तियों (जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग व फिन्ड फ्रॉण्ड किया जाता है और इन तरल साधनों का व्यय व्यवस्था व विनियोजन वग वग करवाया जाता है जिससे उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि सम्भव हो सके।

(३) आन्तरिक बचत बनाने हेतु मौद्रिक अधिकारियों को समीचीन मापदंडों की स्थापना करनी पानी है जो जनसाधारण में आय का अनिरेक प्राप्त करें तथा उन उत्पादन क्रियाओं को प्रोत्साहित करने वाले समूहों का धार प्रवाहित कर सकें। मौद्रिक अधिकारियों का बचत जमा करने की सुविधाओं में भी वृद्धि करना हीनी है।

(४) मौद्रिक अधिकारों द्वारा बाजार की अनुपलब्धता का दूर करना व तथा मुद्रा बाजार का नियन्त्रण करता है। मुद्रा बाजार में कुल मौद्रिक एवं साव्य मन्दाओं की स्थापना एवं विस्तार किया जाता है।

(५) वृषिभूमि की उत्पादनता बनाने हेतु वृषि माय व्यवस्था में मौद्रिक अधिकारों का सुधार करना चाहिए।

(६) मौद्रिक अधिकारों का उद्योग व लिए साधकत्वान साथ का व्यवस्था करना चाहिए। इसके लिए औद्योगिक वित्त मन्दाओं का स्थापना एवं विस्तार हीनी चाहिए। कर्जाय एक औद्योगिक वित्त हेतु एक प्रथम विभाग प्रस्तावित करके औद्योगिक वित्त का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सकते हैं।

मौद्रिक नीति एवं मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण

अल्प विकसित राष्ट्रा में विनियोजन व परिमाण में वृद्धि करने हेतु मौद्रिक नीति में अत्यन्त मुन का प्रसार किया जाता है। विकास के अन्तिम साधकत्वों के अन्तर्गत जे व विनियोजन साधनों का वास्तविक उत्पन्न व अधिक किया जाता है (अर्थात् उद्योग के क्षेत्र में उपयोग में आने वाले साधनों व कुल भाग का विनियोजन के क्षेत्र में ले किया जाता है) तो मूल्य-स्तर में प्रारम्भिक वृद्धि होता है। मूल्य का इस प्रारम्भिक वृद्धि का दूसरा कारण अल्प-व्ययस्था में वृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र का अत्यन्तु विनियोजन भी होता है। यह मुन स्फीति का प्रथम अवस्था होता है जो अपने आप में अधिक प्रोत्साहित नहीं होता परन्तु जे मूल्य वृद्धि की यह प्रवृत्ति जारी रहता है और मुन एवं साथ का वृद्धि जारी हो पुष्ति मिनती स्फीति है। ना उन मुन स्फीति का विस्तार अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में एक मूल्य वृद्धि दूसरा मूल्य वृद्धि का प्रोत्साहित करता है और मूल्य वृद्धि का वृषि चक्र प्रारम्भ हो जाता है। विनियोजन

जयस्था के प्रारम्भ होने पर मॉडर्न नीति का साथ प्रारम्भ होता है और मुद्रा-संवर्धन की निर्धारित करने के लिए दूरत की मॉडर्न वादवाहियों की जाती है। मॉडर्न नीति के द्वारा बंधों के माध्यम से विस्तार की संज्ञा का नियंत्रित किया जाता है जिससे अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता का स्वरूप उत्पन्न होता है। मुद्रा-संवर्धन की इन विधियों के माध्यम से नए प्रकार के माध्यम-विस्तार जाता है जो बंधों के माध्यम से वादवाहियों द्वारा साथ ही निर्धारित करना सम्भव होता है। मॉडर्न नीति का मुद्रा-संवर्धन के नियंत्रण का महत्त्वपूर्ण स्वरूप माना जाता है।

अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में मुद्रा की पूर्ति एक मुख्य मुद्दा में अल्प विकसित सम्प्रदाय होता है क्योंकि इन अर्थ-व्यवस्थाओं में मुद्रा का माध्यम के माध्यम से विस्तार कम होता है और बंधु बनती बचत मुद्रा का स्वरूप में अल्प विकसित नहीं बनते हैं। अल्प विकसित राष्ट्रों में लोगों का जीवन-स्तर निम्न स्तरों का होता है जो उनकी उपभोग क्षमता भी सीमित होती है। ऐसी परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि का अधिकतम मात्रा मात्र के अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होगा जिससे परिणाम-स्वरूप मुद्राओं की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। इन राष्ट्रों में विदेशी मुद्राओं की उपभोग में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है परन्तु बन्धुओं के अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना सम्भव नहीं होगा क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में दूरत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कम आय वाले देशों में मुद्रा एक मात्र के विस्तार की प्रवृत्ति का मुख्य-कारण पर प्रयत्न होती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इन देशों में वृद्धि करने के लिए अल्प विकसित राष्ट्रों में माध्यम-नियंत्रण द्वारा मुद्रा-संवर्धन के द्वारा ही निर्धारित करना सम्भव हो सकता है।

उच्च स्तर पर माध्यम-नियंत्रण से वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय बैंक से अल्प विकसित जाता है तो इसका प्रभाव साथ ही मुख्य-कारण दोनों पर पड़ता है। माध्यम-नियंत्रण की उच्च आय करती है तो माध्यम में नीचे जाने के माध्यम से मुख्य-कारण में वृद्धि हो जाती है। दूसरी ओर माध्यम-नियंत्रण-वृद्धि से निजी क्षेत्र में भी अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और निजी क्षेत्र अपनी निवेश-वृद्धि के लिए व्यापारिक क्षेत्रों में साक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार माध्यम-नियंत्रण एक निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा निवेश-वृद्धि हेतु माध्यम-नियंत्रण का प्रभाव दोनों में प्राप्त करने हेतु प्रवृत्ति होती है जिससे परिणाम-स्वरूप मुख्य-कारण में वृद्धि होती है। माध्यम-नियंत्रण में वृद्धि होने से उच्च हुई अतिरिक्त व्यक्तित्व का स्वरूप माध्यम-नियंत्रण के रूप में प्राप्त होता है जिससे बंधु-व्यवस्था में विस्तार करते हैं। उच्च तक निजी क्षेत्र की बंधुओं से साथ प्राप्त होती रहती है निजी क्षेत्र निवेश-वृद्धि करता जाता है और मुख्य-वृद्धि का बंधु जारी रहता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा माध्यम-नियंत्रण को माध्यम-नियंत्रण प्रदान की जाती है जिसका उच्च आय प्रभाव मुख्य-वृद्धि पर पड़ता है और इस मुख्य-वृद्धि को रोकने के लिए मॉडर्न विचारों की निजी क्षेत्र को देने वाले देशों की साथ ही उच्च आय ही अधिक नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है।

मौद्रिक नीति की दम प्रवार की प्रमुख विधा सात नियंत्रण होती है। सात नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कायवाहियाँ की जाती हैं—

सात नियंत्रण की विधियाँ

(१) बक दर से हेर फेर—केन्द्रीय बक बक दर में हेर फेर कर सात की सात का घटा बना सकता है। सात का संकुचन करने हेतु बक दर का वृद्धि किया जाता है जिससे परिणामस्वरूप बैंक भी अपनी 'बाज दर बना देना' हैं और जब व्यवस्था में सात महंगी हो जाती है परंतु अब विवसित राष्ट्रों में बक दर द्वारा सात नियंत्रण अधिक प्रभावशाली नहीं माना है। इन राष्ट्रों में बक अपने अनिश्चित तरल साधनों का अल्पकालीन सरकारी प्रनिष्पन्ना में विनियोजित कर देते हैं और बक दर बन्धन पर केन्द्रीय बक से तरल साधन प्राप्त करने के स्थान पर इन सरकारी प्रतिभूतियों को बैंक से ही और तरल साधन प्राप्त कर सात का रतन बनाए रखते हैं। इससे अतिरिक्त अब विवसित राष्ट्रों में बका द्वारा उपभोग हेतु सात प्रमाण नहीं की जाती है। बक दर में वृद्धि होने पर सात का उपनिधि बक ही जान में उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपभोग के लिए प्रायः असंगठित मुक्त बाजार से सात ली जाती है जिसकी बाज दरों पर बक दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्प विवसित राष्ट्रों में बका के पास आवकता से अधिक तरल साधन रहते हैं और बक दर के परिवर्तन से इनकी तरलता पर सुरत कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार बक दर अल्पकालीन सात पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। इन्हीं कारणों से बक दर को सात नियंत्रण की प्रभावशाली विधि नहीं माना है।

(२) मुक्त बाजार की विधाएँ—मुक्त बाजार की क्रियाओं के अनन्त सात नियंत्रण हेतु केन्द्रीय बक प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय करता है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सब ही प्रभावशाली हो सकता है जब अथ व्यवस्था में विस्तृत एवं मुक्तगठित प्रतिभूति बाजार हों। इसके अतिरिक्त मुक्त बाजार की क्रियाओं की संकल्पना के लिए व्यापारिक बकों को निश्चित नकद संचय रखना आवश्यक हो तथा बक तरल साधनों के बिलों आदि को केन्द्रिय बक से मुक्त बाजार में प्राप्त न करने हों। अब विवसित राष्ट्रों में प्रायः संगठित प्रतिभूति बाजार नहीं होते हैं। दूसरी ओर, व्यापारिक बक भी स्थिर नकद संचित अनुपात नहीं रखते हैं। व्यापारिक बक प्रायः अपने पाग अधिक तरल साधन नकद सोना एवं विदेशी विनिमय के रूप में रखते हैं जिससे परिणामस्वरूप केन्द्रीय बक मुक्त बाजार का क्रियाओं से इनके तरल साधनों एवं सात-निर्माण की शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ रहना है।

(३) अधिक अनिवाय संचित—व्यापारिक बकों को अपनी जमा राशि के निश्चित अनुपात में अनिवाय रूप से संचित रखने का आवाहन किया जाता है। सात पर नियंत्रण करने हेतु इस संचय का अनुपात बढ़ा दिया जाता है जिससे परिणामस्वरूप व्यापारिक बकों के अतिरिक्त तरल साधनों में कमी हो जाती है और

साधन नियोजन करने की क्षमता भी संतुलित होती है परन्तु अल्प विकसित राष्ट्रों में व्यापारिक बन्धों के पास अनिश्चित तरत साधनों का परिमाण अवाधिक होता है और अनिश्चित तरत मन्त्रिणी जनान के साथ भी उनका पास साधन निर्माण के लिए पदान साधन उपलब्ध रहने हैं। यदि अनिश्चित मन्त्रिणी का अनुपात बहुत ऊँचा कर दिया जाता है तो व्यापारिक बन्ध अल्पकालीन सरकारों प्रतिभूतियाँ का विनाश कर साधन निर्माण हेतु तरत साधन प्राप्त कर लगे हैं विनोपकर एमो परिस्थितियाँ म जब कर्तव्य बन्ध अनिश्चित मन्त्रिणी के उपयोग की प्रतिभूतियाँ के मूल्या का स्थिर रहने के लिए अनुमति प्रदान कर गता है। इन मन्त्र बन्धियाँ के हाथ हुए नी प्रति पाय मन्त्रिणी पद्धति साधन नियोजन के लिए अधिक प्रभावशाली होती है।

(४) अर्थशास्त्रिक साधन नियोजन—साधन निर्माण की उपयुक्त विधियाँ की कठिनाइयों का ध्यान म रहते हुए अर्थशास्त्रिक साधन नियोजन का विकासामुक्त राष्ट्रों म अधिक महत्व दिया जाता है। इन राष्ट्रों म अर्थव्यवस्था का विकास होनी है—त्रय व्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों का विस्तार और इन क्षेत्रों के विस्तार के लिए पदान साधन उपलब्ध होना आवश्यक होता है परन्तु इन राष्ट्रों म उपयुक्त साधन का उपयोग परिदाल्पनिक व्यवहारों (Speculative Transactions), आवश्यक वस्तुओं का अधि-मग्रह (Hoarding), भवननिर्माण क्रियाओं तथा व्यापार हेतु करने की प्रवृत्ति पामी जाती है जिसके परिणामस्वरूप एक जोर, दाल्पनिक उत्पादन-क्रियाओं के लिए पदान साधन उपलब्ध नहीं होती है और दूमरी बार अर्थ-व्यवस्था म मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। एसी परिस्थिति म अर्थशास्त्रिक साधन नियोजन द्वारा उत्पादक क्रियाओं एक परिदाल्पनिक क्रियाओं की साधन प्रदान करने के सम्बन्ध में भेद कर दिया जाता है और साधन उचित ढंगका मुविधाजनक होती पर आर्थिक उत्पादक क्षेत्रों की प्रदान की जाती है। कर्तव्य बन्ध व्यापारिक बन्धों की निर्दोष गता है कि किन उत्पादक क्षेत्रों की मुविधाजनक क्षमता (कम व्याज दर, भुगतान की मूर्च्छित्य मन्त्रिणी) पर साधन प्रदान की जाय तथा किन क्षेत्रों का साधन अधिक व्याज पर अथवा दण्डात्मक व्याज पर और किनका साधन विलकुल प्रदान न की जाय। जब तक प्रतिवर्षित क्षेत्रों का साधन प्रदान करने हैं तो उन्हें कर्तव्य बन्ध का दण्ड के रूप में व्याज का कुछ प्रतिशत तुलान करना पड़ता है। अर्थशास्त्रिक साधन नियोजन के अन्तर्गत बन्धों द्वारा जन-उपयोग की वस्तुओं के समूह के विरुद्ध पनामी देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्रों में इन वस्तुओं के मूल्या द्वारा अर्थ-व्यवस्था का सामान्य मूल्य-स्तर नियन्त्रित होता है।

भारत में मौद्रिक नीति

भारत में मौद्रिक नीति की विभिन्न विधियों का उपयोग विकास एक आर्थिक स्थिरता—पानों ही उद्देश्यों की पूर्ति में साधन देने के लिए किया गया है। साधन नियोजन की विभिन्न विधियों का विवरण निम्न प्रकार है—

(१) परिवर्तनीय नकद संचित अनुपात—सन् १९६०-६१ में इस विधि को अधिन प्रभावदायी माना गया। तत्पश्चात् सन् १९६२ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम एवं बैंकिंग बम्बनी अधिनियम में संशोधन करके प्रतिवार्षिक नकद संचित एवं तरतता संचित के पृथक् पृथक् अनुपात निर्धारित कर लिये गये जिससे बैंक अधिन नकद संचित के प्रभाव को अपने तरल साधन से उलट कर सके। अब बैंकों को अपने समस्त दायित्वों का ३% से १८% तक नकद संचित (मौलिक एवं माध्यमिक दायित्वों का भेद सम्भाव्य कर लिया गया) रखने का आदेश दिया गया। इससे अतिरिक्त बकों का अपने समस्त दायित्वों का २७% के बराबर तरल साधन—नकद साधन सरकारी प्रतिभूतियों आदि—को रखने का आदेश दिया गया। इस प्रकार बकों का अब अपना कुल दायित्वों का कम से कम २७% के बराबर तरल साधन रखना अनिवार्य कर दिया गया जो रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर ४०% तक बढ़ा सकता था।

(२) मुद्रा बाजार की विपणन—मुद्रा बाजार की विपणन द्वारा मांग पर नियंत्रण तब ही सम्भव हो सकता है जब देश में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए निरस्त एवं सक्रिय बाजार हो। ऊपर तरलता अनुपात निर्धारित करने से बकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यवहार सीमित माना जा सके थे। दूसरी ओर, जीपन बीमा निगम द्वारा जीपन बीमा कचरे का उपयोग प्रतिभूतियों के प्रत्येक के लिए किया जाता है जिससे कारण सरकारी प्रतिभूतियों का निरस्त प्रत्येक विपणन सम्भव नहीं होता। इन्हीं कारणों से देश में सक्रिय प्रतिभूति बाजार विद्यमान नहीं है और मुद्रा बाजार की विपणन अधिन प्रभावदायी नहीं हो सकी है।

(३) धनगतलक तात्त नियन्त्रण—भारत में इन दिनों का उपयोग लगभग एक दशक से प्रायः कृषि-उत्पादों के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है तात्त को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। रिजर्व बैंक समय समय पर बैंकों को निर्देश जारी करता है जिसमें वेनगिमा व विरुद्ध जमागत की सीमा को घटाया बढ़ाया जाता है अथवा विभिन्न धनगतलक व विरुद्ध अधिनियम वेनगिमा की सीमा (Margin) निर्धारित की जाती है। जमागत की सीमा बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि जिस संघटक व विरुद्ध एक वेनगी देता है, उसके मूल्य का रिताता प्रतिगत जमागत के रूप में कम कर तब वेनगी दी जा सकती है। दूसरी ओर वेनगी की अधिनियम सीमा उन्हीं पड़ती है जिससे वर्षों बिग्री वस्तु व संघटक के विरुद्ध बैंक द्वारा दी गयी वेनगी की राशि के प्रतिगत व रूप में निर्धारित की जाता है। इस द्वारा नियन्त्रण का उपयोग करता तब तिलहात धनगतलक सेल, साक्षात्, दात, पावस, धात आदि के विरुद्ध दी जाये वाली वेनगिमा व लिए किया गया है।

(४) बैंक दर—भारतवर्ष में सात नियन्त्रण व निरुद्ध बैंक दर का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। मई सन् १९७० में बनी आ रही ४% बैंक दर का परवर्ती,

सन् १९६५ में बढ़ाकर ६% किया गया जो मई सन् १९६८ तक जारी रही। मई, सन् १९६८ में बचत-दर का घटाकर ५% कर दिया गया परन्तु जून, सन् १९६० में सिविल बैंक सन् १९६५ तक रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त सम्पन्न बैंक का बचत-दर को खोलने के लिए बचत-दर में वृद्धि के आधार पर बाधा निर्धारित किया गया। निर्धारित बाधा की राशि व बचत-दर व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से बचत-दर को खोलने के लिए इस बाधा से अधिक राशि व निष्पत्ति बैंकों को बचत-दर के अतिरिक्त दफ्तार-दर द्वारा देना पड़ता था। इस दफ्तार-दर व्यापारिक बैंकों के विभिन्न स्तरों (Slabs) व आधार पर निर्धारित की गयी थी। प्रारम्भ में प्रतिबन्ध नकद भविष्य की राशि का १०%, बचत-दर ५० व १००%, एक बचत-दर अतिरिक्त १% दफ्तार-दर व्यापारिक पर और १००% से अधिक पर बचत-दर व अतिरिक्त २% दफ्तार-दर व्यापारिक-दर पर रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों का ऋण दिया जाता था। दफ्तार-दर व्यापारिक-दरों तथा स्तरों (Slabs) में उम्मेद-समय पर परिवर्तन किए गए।

(५) शुद्ध तरलता अनुपात (Net Liquidity Ratio)—सिविल बैंक, सन् १९६४ में बाधा एवं सर्व-पद्धति का समाप्त कर दिया गया और एक स्तर पर विभागीय व्यापारिक पद्धति का प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत व्यापारिक बैंक में सम्पन्न बैंक की शुद्ध तरलता की स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता था। बैंक की सम्पन्न नकद जमा रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों में चातु माहों में तथा स्वीडिश प्रति-दूतियों में बैंक के कुल विनिर्देशन की राशि में से बैंक द्वारा रिजर्व बैंक स्टेट बैंक एवं औद्योगिक विकास बैंक से लिए गये ऋणों का घटाकर जो राशि बचती थी वह शुद्ध तरलता-अनुपात का नाम दिया गया। मास-निष्पत्ति के लिए स्तुत-दर तरलता-अनुपात मात्र एक सावधि दायित्वों का २०% रखा गया। एक किन्ही बैंक का तरलता-अनुपात उसके दायित्वों के २०% के बराबर जाना था तो वह बैंक को बैंक-दर पर रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता था। शुद्ध तरलता अनुपात में वृद्धि प्रारम्भ में बनी होने पर अनुसूचित ऋण पर व्यापारिक बैंक को बचत-दर दी जाती थी। वृद्धि तरलता-अनुपात में प्रयुक्त प्रतिष्ठित की बनी होने पर अनुसूचित ऋण की राशि पर ३% व्यापारिक-दर देता ही जाती थी। (सन् १९६५ सितम्बर में यह दृष्टि १% की गयी) फरवरी सन् १९६५ में शुद्ध तरलता-अनुपात ३०% निर्धारित किया गया जो बैंकों द्वारा लिये जाने वाले व्यापारिक-दर की अधिकतम सीमा १०% निर्धारित तथा बैंक-दर ३% से बढ़ाकर ६% कर दी गयी।

अक्टूबर सन् १९६६ में शुद्ध तरलता-अनुपात-पद्धति में महत्वपूर्ण सुधार किए गये। शुद्ध तरलता-अनुपात ३०% ही रहने दिया गया परन्तु बैंकों को मनी के मौजबूद के अन्त में शुद्ध तरलता अनुपात के १०% के बराबर अतिरिक्त ऋण बैंक-दर पर देने की व्यवस्था कर दी गयी। इस अतिरिक्त जीना के जो दाद-दर की ऋण बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लेना पड़ता तो उस पर १% व्यापारिक-दर निर्धारित की गयी।

इस प्रकार जब बचत अतिरिक्त ऋण की राशि पर ही १०% की दर से व्याज देना पड़ता था परन्तु यह अनिश्चित ऋण केवल आकस्मिक परिस्थितियों के लिए ही लिया जा सकता था।

मई सन् १९६८ में बच-दर ६% में घटाकर ५% कर दी गयी जिससे उद्योग एवं निर्यात के लिये कम लागत पर पर्याप्त मात्रा में मान्य उपलब्ध हो सकें और औद्योगिक क्षेत्र में पुनर्प्राप्ति (Recovery) सम्भव हो सके। जनवरी सन् १९६९ में रिजर्व बच निर्धारण लघु उद्योग एवं कृषिक्षेत्र को बचों द्वारा दिया गया ऋणों के सावधान्य में ४५% का रियाजवरी दर पर व्याज बकों से खन लगा। मार्च सन् १९६९ में बचों द्वारा बच का जान मात्रा अधिकतम बच दर भा १०% से घटाकर ६.५% कर दी गयी। रिजर्व बच द्वारा यह भी आश्वासना दिया गया कि वह उपयुक्त एवं योग्य मामलों में वित्तियन बचों का विशिष्ट परिस्थितियों में, जब किसी विशेष क्षेत्र में दून बच दर पैगामा का माग का अधिक बचाव हो बच दर पर ऋण दे सकता है।

भारत का मौद्रिक नीति में बच की दर को घाटा उखा रखाकर एवं निर्धारित सामान्य के अधिक ऋण पर कठोर रूप निर्धारित कर साख का नियंत्रित करन के प्रयत्न किए गए हैं। व्याज दर का उपयोग अर्थन्यायक ढंग में किया गया है जिससे वांछित क्षेत्रों को उचित लागत पर ऋण प्राप्त हो सकें तथा व्याज की कठोर दरों से समस्त अर्थ-व्यवस्था प्रभावित न हो। बच दर तथा कंटा एवं स्लैब (Quota Cum Slab) पद्धति का उपयोग रिजर्व बच द्वारा मुद्रा स्थिति का नियंत्रित करन के लिए किया गया है। महंगे मुद्रा (Dear Money) की नाति से मू-व-स्तर को नियंत्रित करन में कुछ सामा तक सफलता भी प्राप्त हुई है परन्तु महंगी मुद्रा की नाति एवं कठोर साख नियंत्रण के फलस्वरूप साम्य की मांग में पर्याप्त वृद्धि सम्भव नहीं हो सकी है। रिजर्व बच द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का हा ऋण प्रदान करन के निर्णयों के फलस्वरूप व्यापारिक बकों के पास साधन उपलब्ध होते हुए भी पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों असे गंवर एवं वस्त्र उद्योग में साख की कमी महसूस की गयी। भारतीय मौद्रिक नीति में अर्थ-व्यवस्था को मुक्त बनान में बचल सीमान्त सहायता ही प्रदान की है। मौद्रिक नीति की सफलता राजनयनय नाति की प्रभाव शक्ति पर निर्भर रहनी है। भारत में राजकोषीय नीति उत्पादनप्रधान (Production Oriented) न होने के कारण मौद्रिक नाति को भी अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई।

व्यापारिक बकों पर आमाजिक नियंत्रण

व्यापारिक बकों का साख-व्यवस्था पर रिजर्व-बच का कठोर नियंत्रण होन हुए भी निरन्तर यह महसूस किया जाता रहा कि बच-साख का अधिक नाम बचल बड़े बड़े व्यवसायों को ही मिलता है जिससे देश में अर्थ-व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न होना जा रही है। जांच द्वारा यह भी पात हुआ कि बच-साख वांछित क्षेत्रों में प्रवाहित

नहीं हो पाती है। इही कारणों से वहाँ पर जो जटिल नियंत्रण बने हुए हैं वे अधिक विनियम, जून १९४६ में लागू किए जाने हुए २० दिवसों में १९६७ को एक दिन जोड़करने में फैल गया। इसके अलावा यह व्यवस्था की गयी कि देशों के संचालक-मण्डल में इन से कम ११% सदस्य ऐसे व्यक्ति रहे जहाँ उन्हें ही प्रायोगिक प्रबंध-व्यवस्था लघु-महोत्सवों में सहायता देकर प्रबंधन दिवस दिवस, सेवा प्रणाली जारि का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। मन्त्रालय मण्डल में बहुत से संचालकों का नहीं होना या जो रहे या अधिकतर देशों के जीविक-परिचयों में विशेष हित का सम्बन्ध न हो। प्रत्येक मन्त्रीय क्षेत्र का प्रत्येक एक मन्त्री केन्द्र होना या जिसकी नियुक्ति एक वास्तविक निर्णय वहाँ की अनुमति से होनी हो। इस विषय द्वारा देशों को अपने संचालकों पर इन व्यक्तियों का निर्णय करने का हक, सुनिश्चित रूपका अधिकार बर्तन कर का प्रयोग का अधिकार का दिनांक। अन्तर्गतों की नियुक्ति की विषय देश की अनुमति से करने का अधिकार का दिनांक। देश-देशों के सम्बन्धित मंत्रियों का नियुक्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मन्त्र परिषद की स्थापना की गयी जिसका अध्यक्ष दिवस मन्त्री को रखा गया।

देशों के नागरिक नियंत्रण की जायोजि के कारण १९ वर्ष के लोगों में ज्ञान हुआ कि नागरिक नियंत्रण द्वारा बाधित व्यक्तियों की पूर्ण सम्पन्न नहीं की गयी। नागरिक-नियंत्रण हुए जो निर्देश विवरण देश द्वारा समस्त-समस्त पर जारी किए गये उनकी वास्तविक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया। इतिहास की संस्था-विषय क्षेत्रों ने निर्धारित रूप प्रदान नहीं किया और इतिहास के लिए निर्धारित प्रयोग की पूर्ण परम्परा बर्तन एक तरह सम्पन्नों को संचालनिक रूप के लिए एक केन्द्र पर ली गयी। इनको और निर्देशों को देकर-करने का नाम प्राप्त नहीं हो सका। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों की निर्धारित साथ की पूर्ण की गयी प्रयोग की गयी और सम्पन्निक नये निर्देशों का उचित मानना में पूर्ण नहीं की गयी। रिक्त-रक्त द्वारा सम्पन्नों को करने का निर्धार की निर्धार निर्धारितों में ही सम्पन्न किया जा सकता था। यद्यपि संचालक मण्डलों में उद्योग-विषय मन्त्र में वे सम्पन्न के सम्पन्न-परिचयकारक उद्योग-परिचयों के प्रकार में न रहे इस बात का कोई संभव सम्पन्न नहीं था। नागरिक नियंत्रण की इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय द्वारा १९ जुलाई, जून १९६६ को २८ वें देशों के राष्ट्रीय-नियंत्रण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया जो ६ अक्टूबर १९६६ को अतिरिक्त रक्त का जो १६ जुलाई १९६६ में लागू कर दिया गया।

भारतीय देशों का राष्ट्रीय-नियंत्रण

भारत में विनाशोद्भव राष्ट्र में नागरिक प्राप्ति हेतु जटिल नागरिक-नियंत्रण उद्योग-विषय क्षेत्रों की सम्पन्नोय संचालना में परिवर्तन होना आवश्यक होता है। देशों का भारत में राष्ट्रीय-नियंत्रण इसी प्रकार एक सम्पन्नोय परिवर्तन है जो देश में केन्द्र

आर्थिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करेगा अपितु इसने द्वांग नवीन सामाजिक एवं राजनीतिक शक्तियों का उदय हान की भी सम्भावना है जो देश के आर्थिक विकास को नवीन मोड़ दे सकेंगे। विकासोन्मुख राष्ट्रा में आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया को स्थिर एवं रुढ़िवादी नहीं रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया की गतिशील बनाय रखने के लिए समाज में केवल आर्थिक परिवर्तन ही आवश्यक नहीं होते अपितु गैर आर्थिक (Non Economic) आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना आवश्यक होता है। विकासोन्मुख राष्ट्रा में आर्थिक विकास हेतु निम्नलिखित गैर आर्थिक सरवा का विद्यमान होना आवश्यक होता है—

(१) विकास कार्यक्रमों का प्रकार ऐसा हो जिनसे जनसाधारण में राष्ट्रीय उत्साह एवं जागरूकता उदय होती हो

(२) देश की अतिरिक्त राजनीतिक शक्तियों में इस कार्यक्रम द्वारा सन्तुलन स्थापित होता हो।

(३) स्वायत्तिहीन व्यक्तियों एवं संस्थाओं के दबाव को रोकने के लिए राजकीय संरचना एवं सामाजिक शक्तियों अति शक्तिशाली हो।

(४) देश की सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना इस प्रकार की हो कि समाज के विभिन्न वर्गों पर विकास कार्यक्रमों का प्रिया व्यय हेतु नतिक एवं राजनीतिक दबाव डाल सकें।

संग्रहित में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास हेतु उपयुक्त सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना की आवश्यकता होती है और इस संरचना की स्थापना हेतु बहुल-मौ आर्थिक एवं गैर आर्थिक प्रियाएं करना आवश्यक होता है। इन क्रियाओं का दीर्घ काल तक गतिशील कर ही उपयुक्त सामाजिक राजनीतिक संरचना का स्थापना सम्भव होती है। भारत में एक राष्ट्रीयकरण की भाँ इस प्रकार की एक आर्थिक प्रिया है जिसके द्वारा देश का विकास के कार्यक्रमों हेतु सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना में आवश्यक परिवर्तन करना सम्भव हो सके। देशों का राष्ट्रीयकरण इस प्रकार को विभिन्न प्रियाओं की शृंखला की एक कड़ी है और ऐसी ही अन्य प्रियाओं की सम्भावना भविष्य में की जा सकती है।

१६ जुलाई सन् १९६६ का भारत सरकार द्वारा एक अध्याय द्वारा १४ वर्षी अनुसूचित व्यापारिक वक्ता के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गयी। इन वर्षों में वही वक्ता सम्मिलित की गयी जिनमें जून, सन् १९६६ का अंतिम पुत्रवार को कुल जमा ५० करोड़ रुपये से कम नहीं थी। २३ जुलाई सन् १९६६ का इस अध्याय का स्थान पर लोकसभा में बर्तन कम्पनी (परिग्रहण एवं उपक्रम-व्यवस्थापन) बिल प्रस्तुत किया गया जो साकमभा द्वारा ४ अगस्त सन् १९६६ और राज्यसभा द्वारा ३ अगस्त, सन् १९६६ का पास किया गया तथा राष्ट्रपति द्वारा इस बिल पर ६ अगस्त सन् १९६६ की अनुमति प्रदान की गयी। राष्ट्रीयकृत वर्षों में निम्नलिखित १४ अनुसूचित व्यापारिक वक्ता सम्मिलित हैं—

(१) मेटल बक ऑफ इण्डिया (२) पञ्जाब नेगल बक, (३) बक ऑफ इण्डिया, (४) बक ऑफ बंगाल (५) यूनाइटेड कॉमर्शियल बक (६) यूनाइटेड बक ऑफ इण्डिया, (७) स्टाह्यसद बैंक (८) एना बक (९) इन्डियन बक, (१०) एना बक, (११) यूनिफन बक ऑफ इण्डिया (१२) विन्डिक्ट बक (१३) बक ऑफ महाराष्ट्र (१४) इन्डियन आरगमीज बक ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य

विकासोन्मुख राष्ट्रों में बैंकों का आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि यह एक जार राष्ट्र की वृद्धि का एकत्रित करने हैं और दूसरी ओर, मात्र का आवरण करने हैं । वृद्धि का एकत्रित करना एक मात्र का आवरण क्षमता ही एकी प्रियाग है जिसका यदि उपयुक्त संवादन न किया जाय तो आर्थिक प्रगति की प्रति मन्द हो सकती है एक व्यवस्था में प्रसन्नचित्त विकास ही उदत्ता है । इतना ही नहीं, बक-भाव का राष्ट्रीय उद्देश्य एक राष्ट्रों के अनुकूल आगमन न किया जाय तो यह में सामाजिक एक आर्थिक विपन्नता का कारण है और एक ही गणनीति पर पूँजीपति-वर्ग का हवाक रहन हो सकता है । किसी भी एक व्यवस्था में एकाधिकारों की स्थापना का प्रमुख कारण बैंक-भाव होता है । किसी परिस्थिति में बक-भाव का निर्मूलन करना आवश्यक होता है । भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार कर सकते हैं—

(१) राष्ट्रीय वृद्धि में वृद्धि—एक ही उद्यम-व्यवस्था का ज्ञान-सूत्र बनाने के लिए एक ही आर्थिक विकास हेतु विदगी महायत्ना की निम्नता समान बनने की आवश्यकता है और यह निम्नता धान्यरिक्त वृद्धि में पर्याप्त वृद्धि कर ही समान करना सम्भव हो सकता है । वृद्धि में वृद्धि करने के लिए एक ओर, जनसाधारण की प्रोत्साहित करने का आवश्यकता होती है और दूसरी ओर, इस वृद्धि की एकत्रित करने के लिए ऐसी वृद्धि संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिन पर जन साधारण विश्वास कर सके । भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि निर्माण एक बन्द एक वित्त करने की अर्थव्यवस्था सम्भावना है और इन सम्भावनाओं का विदोहन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तक वृद्धि संस्थाओं का पहुंचाना आवश्यक है । किसी बैंक द्वारा संचालित बैंक अपनी गणनाएँ ऐसे स्थानों पर ही जीतती हैं जहाँ पर सामाजिक लाभ की अधिक सम्भावना है जबकि प्रारम्भ में इन संस्थाओं का उपयुक्त स्थानों पर हानि पर भी चलाना देश के विकास के लिए आवश्यक होता है । इन उद्देश्यों की पूर्ति राष्ट्रीयकरण बैंकों द्वारा सम्भव हो सकेगी । भारत के सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्थापन द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपकरण का लगभग १२% भाग बैंकों द्वारा प्रति वर्ष बना कर एक ही एकत्रित किया जाता है जबकि स्थितव्यवस्था में यह प्रतिगत ६२ अंश में ८०, यार्दलैण्ड में २० तथा उपर्युक्त अरब गणराज्य में १६ हैं । तीन पंचवर्षीय योजनाकाल में (सन् १९५१ से सन् १९६६) बैंक जमा में औसत से १०.०१% प्रति वर्ष की वृद्धि

हुई है। इन व्यक्तियों का यह स्पष्ट है कि भारत में वक जमा में वृद्धि करने की पर्याप्त सम्भावना है। राष्ट्रीयकृत १४ वक्ता द्वारा अनुसूचित वक्ता का कुल जमा का ७२% भाग प्राप्त होता है और यह वक जनसाधारण की वचन की और अधिक एकत्रित करने में सफल हो सकते हैं। यदि स्टेट बैंक की जमा का राशि को १४ राष्ट्रीयकृत वक्ता की जमा में सम्मिलित करें तो समस्त राष्ट्रीयकृत वक्ता की जमा अनुसूचित वक्ता की जमा का ८४% हो जाती है। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि जनसाधारण में इन वक्ता का प्रति विश्वास है और यह विश्वास इनके राष्ट्रीयकरण के बाद बढ़ने की सम्भावना है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीयकृत वक जनसाधारण की वचन और अधिक एकत्रित करने में सफल हो सकते हैं।

(२) सांख्यिक क्षेत्र की पर्याप्त साधन उपलब्ध होना—१८ जुलाई १९६६ को १४ राष्ट्रीयकृत वक्ता एच स्टेट बैंक तथा उसी महानगर मर्यादा के पास कुल जमा राशि ४ ५६० करोड़ रुपये थी जो समस्त भारतीय अनुसूचित वक्ताओं की कुल जमा ४ ६४५ करोड़ रुपये का लगभग ६८% थी। यदि वक्ता वक्ता की जमा को अनुसूचित वक्ता की जमा में सम्मिलित कर दिया जाय तो राष्ट्रीयकृत वक्ता की जमा का प्रतिशत ८४% आता है। दूसरी ओर समस्त राष्ट्रीयकृत वक्ता (स्टेट बैंक एवं उसी महानगर मर्यादा सहित) के द्वारा प्रदान की गयी कुल सालाना १९६७ के अन्त में २ ९३० करोड़ रुपये थी जो समस्त भारतीय अनुसूचित वक्ता की सालाना २ ८६२ करोड़ रुपये की लगभग ६०% और समस्त अनुसूचित वक्ता (वक्ता वक्ता सहित) की सालाना लगभग ८०% थी। यह जमा एवं साधन के इन तथ्यों से पता होता है कि १४ वक्ता के राष्ट्रीयकरण से उचित उद्योग का लगभग सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण हो गया है। इन वक्ता के राष्ट्रीयकरण से पूर्व वक्ता वक्ता का नेवल २७% भाग स्टेट बैंक द्वारा नियंत्रित होता है परन्तु इन वक्ता के राष्ट्रीयकरण से राष्ट्रीयकृत क्षेत्र द्वारा वक्ता वक्ता का ८२% भाग नियंत्रित होगा। १४ वक्ता वक्ता के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ५१ छाती अनुसूचित वक्ता निजी क्षेत्र में वक्ता हैं जो वक्ता वक्ता का नेवल ७% भाग नियंत्रित करती हैं।

इस प्रकार १४ वक्ता के राष्ट्रीयकरण से मारजिनिक क्षेत्र का लगभग ५ ००० करोड़ रुपये की जमा पर नियंत्रण प्राप्त हो जायगा जिसमें से लगभग ६०% साधन का उपयोग सार निर्माण हेतु किया जा सकेगा। इस प्रकार मारजिनिक क्षेत्र को ३००० करोड़ रुपये की साधन का नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त हो जायगा जिसका उपयुक्त भाग सांख्यिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों एवं व्यवसायों के लिए वित्तीय साधन प्रदान करने हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

प्रस्तावित अनुसूचित योजना में आन्तरिक वचन की दर जो १९६६-६६ में ६% थी को बढ़ाकर योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय की १२.६% करने का लक्ष्य रखा गया है। वचन के बढ़ने से वक्ता की जमा एवं साधन में वृद्धि होना स्वाभाविक

होगा। वह साधनों को इस वृद्धि में से निजी सावजनिक क्षेत्र अधिकांश भाग प्राप्त कर सकेगा।

(३) साधनों का अधिकांश उत्पादक कार्यक्रमों के लिए उपयोग—बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली साधनों का बहुत बड़ा भाग व्यापार का दिया जाता रहा है। व्यापार को प्राप्त होने वाली साख व्यापारिक बैंकों की कुल साख का लगभग २०% भाग होता है। व्यापार का प्राप्त होने वाला साधन का उपयोग परिवहन (Speculation) अधिनियम (Hoarding) एवं मूल्य-स्थिरता को बढ़ाने के लिए किया गया है। यहाँ बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उपलब्ध साधनों का उपयोग अधिकांश उत्पादक क्रियामों के लिए करना सम्भव हो सकेगा। अभी तक बैंकों की साधन नीति में मृत्ता का अधिकांश महत्व दिया जाता रहा है और एम. व्यक्तियों एवं उद्योगों का ही साधन प्रदान की जाती रही है जो साख के विरुद्ध पचास जमानत में समर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में साख बढ़ व्यवसायियों, धनी वर्ग एवं उद्योगपतियों को ही प्राप्त होता है चाहे जनता उद्देश्य अधिकांश उत्पादन हो अपना नहीं। बैंकों का साधनों का वितरण करते समय ग्राहकों का ध्यान करने का अधिकार होता है जिसके परिणामस्वरूप वे सहा की भूमि, यम एवं पूँजी के उपयोग का नियंत्रित करत है। जब निजी क्षेत्र द्वारा संचालित बैंक राजना आयोग द्वारा निर्धारित उत्पादक क्रियामों को सहा प्रदान नहीं करती तो वे के उत्पादक साधनों का उपयोग प्राथमिकताओं के अनुसार सम्भव नहीं हो पाता है। यद्यपि रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों की साधन नीति नियंत्रित करने का प्रयत्न निरन्तर किए जाते रहे हैं परन्तु इन नियंत्रणों का पालन बैंकों द्वारा सम्पूर्ण भावना में नहीं किया गया और साधनों का उपयोग उन उत्पादक क्रियामों के लिए होता रहा है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से साधनों का अधिकतम उत्पादक क्षेत्रों में प्रवाहित करना सम्भव हो सकेगा।

(४) आर्थिक क्षेत्रों के लिए साख का उपयोग—भारत की तीस पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो विकास हुआ है उसमें अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में असन्तुलन उत्पन्न हो गया है। सबसे बड़ा असन्तुलन यह है कि योजनाओं का लागू रहित एवं निधन वर्ग को सबसे कम मिला है। छोटे व्यवसायी, छोटे उद्योगपति एवं छोटे कृषकों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार सम्भव नहीं हो सका है। दूसरी ओर बड़े-बड़े व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों का अधिकतम साधन उपयोग के अवसर प्राप्त हुए हैं। इस असन्तुलन में एक साधन के वृद्धिपूर्ण प्रवाह ने अधिकांश उपयोग दिया है। व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की साख की आवश्यकताओं को और विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। हरी क्रांति (Green Revolution) के अन्तर्गत कृषि का संचालन व्यापारिक स्तर पर होने लगा है जिसके निर्वाह के लिए साख की अधिकांश आवश्यकता है। दूसरी ओर, जलु नियामकों को भी साधनों द्वारा साख पर्याप्त मात्रा में प्रदान नहीं की गयी है। देश की आर्थिक प्रगति में निवेश का महत्व बहुत

जा रहा है और निर्यातमंत्र का पर्याप्त साख उपलब्ध होना आवश्यक है। वकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा कृषिभेत्र लघु उद्योगमंत्र एवं निर्यात के क्षेत्र को पर्याप्त साख प्रदान करना सम्भव हो सकेगा।

अनुसूचित वकों द्वारा प्रणा की गयी कुल साख का २२% भाग सन् १९५१ में कृषिभेत्र को दिया जाता था जो सन् १९६७ (३१ माघ) में घटकर २१% हो गया। दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान की गयी साख कुल साख की ३३.५% से बढ़कर सन् १९६७ (३१ माघ) में ६४.३% हो गया। अर्थात् अनुसूचित वकों द्वारा प्रदान की जाने वाली साख ५८४.५ करोड़ रुपया (सन् १९५१ में) से बढ़कर २७१७ करोड़ रुपया (सन् १९६७ में) हो गयी अर्थात् इस बीच में साख की राशि में चार गुना में भी अधिक वृद्धि हो गयी परन्तु कृषिभेत्र का मिलनवाली भाग में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। कृषिभेत्र का सन् १९५१ में १२.३९ करोड़ की साख वका से प्राप्त हुई था सन् १९६७ में बढ़कर २६.७५ करोड़ रुपया हो गयी परन्तु सन् १९५१ में वका में पीछे जाने व्यवसायों का बाई साख नए प्रदान की थी जबकि सन् १९६७ में ४७.१२ करोड़ रुपया पीछे व्यवसायों को दिया गया है। इस प्रकार वास्तविक कृषिभेत्र को मिलन वाली साख सन् १९५१ में ११.१९ करोड़ रुपया से घटकर सन् १९६७ में केवल ६.२३ करोड़ रुपया रह गया। कृषिभेत्र का विभिन्न साधना से मिलन वाला साख का प्रतिगत निम्न प्रकार था—

तालिका सं० २३—भारत में कृषि-साख में विभिन्न सस्थाओं का अंश

साख प्रदान करने वाली सस्थाएं एवं व्यक्ति	प्रतिशत अंश
कृषि एवं व्यवसायी साहूकार	६.०
सहकारी सस्थाएं एवं सरकार	१७.४
दलाल एवं व्यापारी	७.३
सम्बन्धितों से	६.४
व्यापारिक वक	०.४
अन्य साधन	८.५

इस तालिका में ज्ञान होता है कि व्यापारिक वकों द्वारा समस्त उपलब्ध कृषि-साख का केवल ०.४% प्रदान किया गया जो अत्यन्त साधनाय स्थिति कहो जा सकती है। ३१ माघ सन् १९६७ की अनुसूचित वकों द्वारा प्रणा की गयी साख में से २१% साख कृषिभेत्र (जिसमें पीछे वाली वक्तों सम्मिलित हैं) का प्राप्त हुई जा सन् १९५१ में २२% सन् १९५६ में २% सन् १९६१ में ३.१% सन् १९६४ में २% सन् १९६६ में २.४% की तुलना में किसी प्रकार सन्तुष्टजनक नहीं जा सकती है। कृषिभेत्र में वकों को अधिक जनसंख्या राजपार प्राप्त करती है और वकों द्वारा इस व्यवसाय में प्रति उत्पादनता को दिया प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता है।

साग की उपस्थिति नियंत्रित व्यापार के लिए भी हो सकेगी जिससे नए की विशेष विनिमय की स्थिति में गुणवत्ता सम्भव हो सकेगी। व्यापारिक बंधन नियंत्रित नए साग का भीमा निर्धारित कर देते थे और नियंत्रित करने वास्तव में के लिए वह साग एवं उभवा समता पूँजी (Equity Capital) के अनुपात पर विशेष ध्यान देने थे। व्यापारिक बंधन नियंत्रित के लिए प्रदान की जाने वाली साग के विच्छेद शत प्रतिशत प्रतिभूति प्राप्त थे जिसके कारण हमारे नियंत्रित की लागत में अस्मिन् अर्थ अधिपत उभवा था। यथा के राष्ट्रीयकरण से नियंत्रित के लिए पर्याप्त मात्रा में साग तरल धर्म पर उपलब्ध हो सकेगा और विशेष विनिमय का दुष्प्रभाव प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा।

(५) सांख्यिकि आय से वृद्धि—१४ वटा धरा के राष्ट्रीयकरण में सरकार की वार्षिक आय में भी वृद्धि हो सकेगी है। राष्ट्रीयकरण के अधिपत फण्ड (Owned Funds) सन् १९६८ के अंत में ६५ ६६ करोड़ रुपया थे परंतु इन धरा में के अक्षय एक धन को उत्पन्न कर सके, के अंत में वाजार मूल्य इन धरा के अक्षय मूल्य में अति है। इन धारण राष्ट्रीयकरण के धन का विशेष ध्यान धारण क्षमति इनके अधिपत फण्ड में अधिक हो रहेगा। ६६ करोड़ रुपया के अधिपत फण्ड में के लगभग ६४% फण्ड एक ही धन के लाभ का ७०% भाग धन को धन के अधिपत में था अधिपत वृद्धि ही यह पूँजीपति इन धरों के लाभ का बहुत बड़ा भाग प्राप्त करते थे। राष्ट्रीयकरण के धन इन धरों का लाभ का सन् १९६६ वर्ष में लगभग ८ करोड़ ८० लाख की सम्भावना है सरकार का प्राप्त होगा। यदि धरा के अधिपत उदारणा के साथ भांक्षणिक प्रणाली की आयगी तो पूँजी की राशि लगभग १०० करोड़ रुपया आयगी और यदि यह क्षतिपूर्ति ३० वर्षीय धरों में प्रणाली की गया तो प्रत्येक वर्ष लगभग ५ ५ करोड़ रुपया धरों पर व्यय होना पड़ेगा। इन धारण राष्ट्रीयकरण के लाभ में से ३३ से ३ करोड़ रुपया प्रति वर्ष सरकार का आय हो सकेगा। यह आय उपलब्ध धरा के अधिपत उत्पन्न एवं प्रभावकारी उपयोग करने में अधिक के धरों में और भी बढ़ सकेगा।

(६) सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति—धरा के राष्ट्रीयकरण से आर्थिक विपन्नता के कारणों का समाप्त करने में सहायता मिलेगी। एक तरफ अधिपत के स्थानों का रोका जा सकेगा और दूसरी ओर लोभे व्यवसायिका उद्योगपतियों एवं सामान्य लोगों को पर्याप्त साग प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करना सम्भव हो सकेगा। इसमें अतिरिक्त रिश्तेत धोरणकारों तथा अधिपत एवं जनहित विधाया कार्य माहिरों से कमाये गये धन को धरों के विभिन्न स्थानों एवं सेफ वार्ड (Safe Vaults) के माध्यम से धारण पठित हो जायेगा। कर और विशेषकर आय कर का धारा की राशियाँ भी सम्भव हो सकेगी। तरफ व्यापार के व्यवहारों को भी सकेगा सम्भव हो सकेगा।

यह राष्ट्रीयकरण के उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति स्वाभाविक एवं सरल नहीं

होगी। सरकारी क्षेत्र की सार्वभौमिकताएँ एवं प्रारम्भिकता की हीनता राष्ट्रीय हितों के मुद्दा संचालन में बाधाएँ उपस्थित करेंगी। वह राष्ट्रीयकरण से निम्न-लिखित प्रमुख समस्याएँ उदय होंगी जिनका निवारण देश की आर्थिक प्रगति एवं जन कल्याण के लिए आवश्यक होगा—

(१) सञ्चालनात्मक एवं संगठनात्मक समस्याएँ (Operational and Organisational Problems)—वर्कों व राष्ट्रीयकरण के पश्चात् एक और बड़ा नया इस प्रकार पुनर्गठन करना आवश्यक है कि राष्ट्रीयकरण व उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और दूसरी बात, उनका संचालन इस प्रकार किया जाना आवश्यक है कि उनकी व्यावसायिक कुशलता बनी रहे। राष्ट्रीयकरण वर्कों का संगठन इस प्रकार किया जाना है कि वे दृष्टि-क्षेत्र के लिए सात-मुविधाएँ प्रदान करने में समर्थ हों। इसके लिए बर्कों का प्रामाणिक जनसंख्या में प्रसिद्ध करने की आवश्यकता है जिससे प्रामाणिक जनता में वहाँ की सेवाओं के उपयोग करने का स्वभावतया प्रवृत्ति उदय हो सके। इस कार्य के लिए तीन चीजों की पूर्ति करना आवश्यक है—प्रथम प्रामाणिक जनता में वहाँ के प्रति पूर्ण विश्वास जागृत होना चाहिए। उनमें यह भावना जागृत करने की आवश्यकता है कि वहाँ में बहुत जमा करने से उनकी बहुत सुरक्षित रहेंगी और उन्हें नन्हा काम भी प्राप्त होगी। दूसरी चीज प्रामाणिकों व छात्रों के विवरण का गुप्त रखना है। क्योंकि सामान्य प्रामाणिक नागरिक अपने धन-सम्पत्ति का खोना चुनने का अत्यधिक महत्व देता है। तीसरी बात बैंक-खात का संचालित करने की विधि इतनी सरल होनी चाहिए कि अशिक्षित प्रामाणिक उसमें आसानी से अपना जमा कर सकेंगे एवं बिना देरी के निकाल सकेंगे। बैंक-संयोजन का अभी तक का विकास नागरिक क्षेत्रों में कम है। भारत के ५० बड़े नगरों में व्यापारिक बर्कों की ३१% शाखाएँ स्थित हैं जिनमें कुल जमा का ६६% एवं कुल पर्याप्तियों का ६२% भाग नियोजित हुआ है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि अल्प-नागरिक क्षेत्रों में जो व्यापारिक बैंकों की शाखाएँ खोली गयी हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य जमा प्राप्त करना रहा है जबकि बैंक-खात का अधिकतर भाग बड़े नगरों का ही प्राप्त होता रहा है। बैंकिंग सुविधाओं के समान वितरण का आयोजन कर राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव हो सकेगी है जिसके लिए बैंकों की शाखाएँ छोटे-छोटे नगरों एवं ग्रामों में खोलने की आवश्यकता होगी। शाखाओं का खोलना भी अभी तक की मात्रा नवीन शाखाओं में प्राप्त होने वाला सम्भावित स्तर पर है परन्तु अब इन शाखाओं को जनसाधारण की सहायता खालना होगा जिसके परिणामस्वरूप बहुत-सी शाखाएँ खोली जाने से संचालित करनी होंगी। छोटे नगरों एवं ग्रामों में शाखाओं का उद्देश्य अब केवल जमा एकत्रित करना ही नहीं होना चाहिए बल्कि वहाँ के सशु उत्पादकों को पर्याप्त साधन प्रदान कर उत्पादन क्रियाओं का विस्तार करना होना चाहिए। यह भी मुद्दा संचालन स्थानीय उत्पादक-साधनों एवं योग्यताओं का उत्पादन उपयोग करने में पर्याप्त साधन दे सकता है।

बकों की इस गति विधि से आर्थिक सत्ताया एव सम्पन्नता का विकेन्द्रायकरण भा सम्भव हा संभव ।

बका की अभिवृत्तियो म भी परिवर्तन करने का आवश्यकता हागी क्याकि अब उनकी क्रियाण केवल वाव्यायिक न हाकर विनामप्रधान होना चाहिण । राष्ट्रीय हुन बका का सफलता बढी सामाजनिक प्रवचका का अभिवृत्तिया एवं यत्तिगत सम्बन्धो पर निर्भर रण्गो ।

राष्ट्रीयकृत बका के सञ्चालन क सम्बन्ध म सबसे बडा भय लायनातागता का है । मावजनिक श्रेष्ठ के व्यवसाया का सञ्चालनागती क नरखण सञ्चयनापूरक बका मित करना असम्भव होता है । बकों क कुशल सञ्चालन क तिए उाका पुराना परम्पराभा एव नियमो का कुद्वे समय तक जारी रचना आवश्यक हागा । नाप क वितरण म आमून परिवर्तन करने का आवश्यकता है परन्तु यह परिवर्तन इस प्रकार किए जान चाहिए कि बका का सञ्चालन कुशलता पर जाधान न पहुँच । मावजनिक व्यवसाया म उपरिभ्यय लागत दिन पर दिन बढना जाना है । पहन से राष्ट्रीयकृत स्टेट बक से उपरि यद्य लागत व्यापारिक बका की तुलना म अधिक रही है । सामाज्य श्रेष्ठ म पाला जान वाली गालाभा से ज्ञानि हान के कारण उपरिभ्यय लागत म वृद्धि हाता स्वाभाविक हागा । दूसरी ओर राष्ट्रीयकृत बका क कमबारियो क बहन आनि क स्तर समान नहीं है और हानम समानता सान क तिए उपरिभ्यय लागत म वृद्धि करना आवश्यक हागा । इस प्रकार बढना हुन उपरिभ्यय लागत का रोवन का समस्या राष्ट्रीयकृत बका के सम्मुख गम्भीर रूप ग्रहण कर सकना है ।

इसक अनिश्चित राष्ट्रीयकृत बका क सञ्चालन म राजनीतिक हस्तग्रेव का भय संभव निराधार नहीं है । भारत म सहकारी संस्थाभा का बसवृत्ता का प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तग्रेव रहा है । यदि राष्ट्रीयकृत बका का नाति एव वायप्रभाम पर राजनीतिभो का दबाव रहा ता बका का कुशल सञ्चालन सम्भव न हा संभव । अभा तक की व्यापारिक बकों का व्यवस्था म शाखा प्रवचक का साथ क सम्वन्ध म पूण उत्तरदायित्व बहन करना पडता है । यदि साथ विवरण की व्यवस्था म समानास राज नीतिगत प्रयत्न अवयवा अप्रत्यक्षतए स प्रभाव डालने म समथ हाग ता चक भाग की बहा स्थिति भा संभवनी है जो मन्कार द्वारा प्रदान किए जान वाल औद्योगिक ऋणो की होना है ।

(२) साधनों का निचो बर्हिग संस्थाओं धयवा विदग्धो बकों की ओर प्रवाहित होना—यदि राष्ट्रीयकृत बकी भा समय विविधकृत राष्ट्रीयकरण का प्रारम्भिक अवस्था म जनता का पूण विनाम प्राप्त करने म असमथ होयी ता चक्र का बका भाग विदग्धी बकों एष छाटा बकों विनना राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है की भार प्रवाहित हा संभवनी है । यह परिस्थिति राष्ट्रीयकृत बका क लाचार बय गवा इन के वात भा उन्म हा संभवनी है और इसक परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकरण क उद्देश्यो का

पूर्ति पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में सरकार का बची हुए बेंचों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए तैयार रहना आवश्यक होगा।

(३) राष्ट्रीयकृत बेंचों में प्रतिस्पर्धा—वर्तमान एक जयन्त व्यक्तित्व बना है जो प्रदत्त का जमा करने वालों एवं साथ प्राप्त करने वालों के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करता होता है। वैकिा व्यवसाय में पारस्परिक सहानुभूति एवं सहकारिता की अवधारणा आवश्यक होती है। सावजनिक व्यवसायों में एक प्रकार का शासनात्मक प्राय विद्यमान नहीं होता है क्योंकि इन व्यवसायों के कमलाचियों के बेटन एवं पारिभिनिक कठोर नियमों के अधीन रहना ही ज्ञान इनका कार्य निष्पन्न के आधार पर उन्हें पारिभिनिक नहीं दिया जाता है। इससे अनिच्छित सामाजिक व्यवसायों की प्रतिस्पर्धा का भय न होने के कारण इनमें व्यक्तिगत शासनात्मक नहीं होता है। राष्ट्रीयकृत बेंचों के दुर्गल संचालन के विषय इसी प्रकार का प्रयत्न प्रयत्न करना आवश्यक होगा तथा उन्हें पारस्परिक स्पर्धा करने का पूरा अवसर दिया चाहिए। प्रतिस्पर्धा का अभाव सब हा हा सकता है जो बेंचों का अन्तर्गत चालन के सम्बन्ध में सुग्री कृत हो जायगी। यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी तो राष्ट्रीयकृत बेंचों का संचालन जीवन बीमा निगम के समय ही जाया जाये प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति के कारण जीवन बीमा पॉलिसी रखने वालों का दावों की संभारों की दक्षिण व्यवस्था की छा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(४) बड़ी उत्पादक इकाइयों की सार की बनी—बेंचों की साथ का इति सधु न्योए एक सधु नियामकों का प्रदान करने की नीति के बरों आर्थिक इकाइयों, जो सुव्यवस्थित हैं और देश की उत्पादन शक्तियों में बहुबहुम योगदान दे रही हैं की पर्याप्त बंध-साधक उपलब्ध होना चाहिए जो ज्ञान किसे परिष्कार करने वाले इन के प्रयासों की प्रति प्रोत्साहन स्वरूपिक होगा। दूसरे ओर सधु व्यवसायी उत्पादन एवं वृद्धि अपनी उत्पादन शक्तियों की शक्ति के साथ ही सन्तुष्टि के साथ हैं और इनकी प्रदान की गयी साथ का अधिस्तन उत्पादन न्योए सम्भव हो सकेगा। यह आवश्यक तथ्य नहीं मनना जा सकता है क्योंकि इनकी सन्तुष्टि का अभाव कारण साथ की कम उपस्थिति ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में देश के सन्तुष्टि उत्पादन प्रयासों में अन्ततः क्षति पट्टन सञ्चाली है। सधु उत्पादन प्रति व्यवसायी एवं इकाइयों के साथ का अधिकतम उत्पादन उपया कर सके, इसके लिए उन साथ के साथ उन आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना आवश्यक होगा अर्थात् सरकारी का साथ-व्यवस्था के साथ साथ सुविधाओं की समन्वित करना आवश्यक होगा। यह समन्वय योजना सधु उपलब्धता के संचालित नहीं हो पाता है। प्रस्तावित सधु योजना में निजी क्षेत्र में १०,००० करोड़ रुपया विनिर्देशित करने की योजना की गयी है। बंध-साधक की क्षति उपलब्धि के कारण सञ्चित निजी क्षेत्र इस रूप की शक्ति में पर्याप्त योगदान नहीं दे सकेगा।

(५) जमा करने वाला का हित—बका के राष्ट्रीयकरण से सरकार के ऊपर यह उत्तरदायित्व आ गया है कि राष्ट्रीयकृत बका का गन्तव्य जमा कराने वाले समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर करें। जमा करने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए बका का संचालन व्यापारिक सिद्धांतों के आधार पर करना आवश्यक होगा। व्यापारिक सिद्धांतों के साथ जन हित का सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। यदि जन हित का व्यापारिक सिद्धांतों को छोड़कर महत्व प्रदान किया गया तो साथ ही एक व्यक्तिगत एवं सरकारी के हाथों में पहुँच जायगी जिनकी साथ गोपनीयता सदैव जनक होगी और बका को अशोध्य ग्राहकों के कारण बड़ी हानि उठानी होगी जो जमा करने वालों के हितों के विपरीत होगा और जिससे जनसाधारण का बका में विश्वास घट जायगा। इस प्रकार साथ संचालनक्षमता का बका साथ का आधार बनाय रखा इसलिए आवश्यक होगा कि बका के प्रति जमा करने वालों में पूर्ण विश्वास बना रहे। राष्ट्रीयकृत बका का अपना साथ नीति में जन हित विचारण एवं साथ-संचालनक्षमता ताना का ही सामंजस्य कराना होगा। यदि इन दोनों का सामंजस्य नहीं किया गया तो बका का नाभ्रम संचालन भी सम्भव न हो सकेगा।

(६) बकों एवं साथ साथ के संचालन—राष्ट्रीयकृत बका की संचालनीयता में कृषिक्षेत्र की संचालनीयता का आवश्यकताओं का सर्वाधिक महत्व दिया जाना है। कृषिक्षेत्र को अल्प एवं मध्य समय के लिए ही साथ की आवश्यकता नहीं है। कृषिक्षेत्र की अल्पकालीन साथ की भी आवश्यकता उच्च प्रसाधनों जैसे ट्रैक्टर आदि के लिए पड़ती है। व्यापारिक बका केवल अल्प एवं मध्यकालीन साथ प्रदान कर सकता है और इस साथ का उपयुक्त उपयोग तब ही हो सकता है जब दीर्घकालीन साथ की भी आवश्यकता कृषिक्षेत्र के लिए कर दी जाती है और इन दोनों प्रकार की साथ में समन्वय बनाये रखा जाता है। कृषिक्षेत्र की साथ सहजता से अस्थायी भूमि बचक बका तथा साहकारों द्वारा भी प्रदान की जाती है। कृषि का उपलब्ध होने वाली संचालनीय साथ में समन्वय स्थापित कराने अत्यन्त आवश्यक होगा और इसके लिए किसी एसी के साथ संचालनीय स्थापना आवश्यक होगी जो सहकारी संचालना, भूमि बचक बका एवं व्यापारिक बका द्वारा प्रदान की जा सकती साथ को समन्वित कर सके। इस संचालनीय अन्तुपस्थिति में कृषि से सम्बन्धित विभिन्न बकों का संचालन की जान वाली साथ में परस्पर व्यापकता (Overlapping) होने का भय निराधार नहीं है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि १४ बड़ी बका के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य बका साथ व्यवस्था को नवीन मोड़ देना है जिससे देश की मौलिक नीति विकासप्रधान हो सकेगी और देश में उपलब्ध साथ के बहुत बड़े भाग का आवंटन राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हो सकेगा। बका के राष्ट्रीयकरण से मौलिक नीति की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी जो राजकीय एवं अन्य विकास-नीतियों का पुष्प करने में सहायक होगी। बका के राष्ट्रीयकरण कोई ऐसी प्रिया नहीं है जो हमारे देश में

अल्प विकसित देशों की एक-व्यवस्था के प्रतिष्ठान की है। अधिकतर विकसित राष्ट्रों में वणिज्य व्यवस्था का अधिकतर भाग सावजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित है, जैसा निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है—

तालिका ४० २५—विभिन्न उद्योगप्रधान राष्ट्रों में वणिज्य व्यवस्था का सावजनिक एवं निजी क्षेत्र में वणिकरण

राज्य का नाम	निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित वणिज्य व्यवस्था का प्रतिशत	सावजनिक क्षेत्र द्वारा नियंत्रित वणिज्य व्यवस्था का प्रतिशत
संयुक्त राज्य अमेरिका	६० ६५	१ १०
यूनाइटेड किंगडम	५४ ६०	१० १५
स्वीडन	३५ ८०	२० २५
नार्वे	६५ ७०	८० ८५
जर्मनी	६० ७५	४५ ५०
फ्रान्स	६० ७१	७५ ८०
इटली	१० ००	६० ००

इस तालिका से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक यूनाइटेड किंगडम में निजी विनीय संस्थाएँ वणिज्य व्यवस्था का नियंत्रित करती हैं। स्वीडन, जर्मनी में वणिज्य व्यवस्था मध्य स्थिति में है अर्थात् निजी एवं सावजनिक क्षेत्र दोनों ही वणिज्य व्यवस्था संचालित करने में समान धारणा के देशों में सार्वकारी क्षेत्र द्वारा संचालित वणिज्य संस्थाओं का महत्व अधिक है।

फ्रान्स में सावजनिक क्षेत्र में समस्त वणिज्य व्यवहारों का लगभग ९५% से ८०% भाग संचालित होता है। फ्रान्स में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त बचत-संस्थाएँ एवं बैंक सार्वकारी विनीय संस्थाएँ हैं जो गृह निर्माण, कृषि एवं मध्यमवर्गीय माल्य प्रदान करती हैं। इस देश में बैंकों का वणिकरण—उपभोग, विनियंत्रण बैंक तथा दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन साव-बैंकों से किया गया है। केवल उपा-बैंकों का ही राष्ट्रीयकरण किया गया जिसमें श्री क्षेत्रीय एवं स्थानीय बैंकों को निजी क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। फ्रान्स में सन् १९६१ में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण किया गया और सन् १९५६ में कुछ बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकाधिकों का बॉन्डों में निवेश किया गया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अनाधिक गुणा एवं प्रशासनिक स्वतंत्रता का बनावे बना गया है। वहीं एक बड़ा बचत-संस्थाओं की स्थापना की गया है जो समस्त बचत (निजी क्षेत्र में अतिरिक्त) का परियोजना, नियंत्रण एवं प्रवर्धन करता है।

भारत में भी फ्रान्स की एक-व्यवस्था का कुछ सीमा तक पालन किया गया है। सन् १९५८ में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रणों का लागू करने के बाद फ्रान्स के अनुरूप कुछ बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के वृद्ध

आस्तित्व का बनाए रखा गया है। इन वकों के जशधारियों की क्षति-पूर्ति केंद्रीय सरकार के प्रामोदरी नाट अथवा स्टॉक प्रमाणपत्रों में दी जानी है। जगपारी क्षति पूर्ति या ता १० वर्षीय ४३% अथवा ३० वर्षीय ३३% प्रामोदरी मोट अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र में ल सकने हैं। क्षति-पूर्ति का निर्धारण पारस्परिक समझौते से अथवा समझौता न होने पर एक ट्रि-यूनल द्वारा किया जायगा। इस ट्रि-यूनल का अध्यक्ष हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा और इसमें दो सदस्य हाने जिनमें एक बकिंग प्रबन्ध का अनुभवी व्यक्ति और दूसरा चाट्टर एकाउंटेंट होगा। ज्ञाता यह भी जानी है कि राष्ट्रीयकृत बकिंग व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन भी प्रा-म के बकिंग व्यवसाय के समान ही चलाया जायगा।



भाग ३

विदेश में आर्थिक नियोजन
[Planning Abroad]

विदेशों में आर्थिक नियोजन—१

[Planning Abroad—1]

[१—(अ) रूस की पंचवर्षीय योजनाएँ—(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना, (२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना, (३) तृतीय पंचवर्षीय योजना, (४) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, (५) पाचवी पंचवर्षीय योजना, (६) छठी पंचवर्षीय योजना, (७) सातवी सातवर्षीय योजना, (८) आठवी पंचवर्षीय योजना १९६६ से १९७०, २—(आ) सावियत नियाज़िन अर्थ व्यवस्था का संगठन रूसी अर्थ-व्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ रूसी प्रबंध में सुधार]

१—(अ) रूस की पंचवर्षीय योजनाएँ

रूस में आर्थिक नियोजन सबसे प्रथम प्रारम्भ किया गया और इसलिए रूस का आर्थिक नियोजन का जन्मदाता कहना अनिश्चित न होगी। रूस में आयोजित अर्थ-व्यवस्था रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना (सन् १९२८-३२) के साथ प्रारम्भ हुई। सन् १९१७ की बोलशेविक क्रांति (Bolshevik Revolution) के फलस्वरूप जार (Czar) की सत्ता समाप्त हो गयी और साम्यवादियों के हाथों में राज्य सत्ता आ गयी। सन् १९१७ से १९२० तक अपनी नीति को दृढ़ करने के लिए साम्यवादियों ने केवल दंग के विरोधी पक्ष को ही नहीं दबाया अपितु विदेशी पूँजीवालों को भी दूर करने का भावना बल दिया। सन् १९२१ में साम्यवादी सरकार ने नवीन आर्थिक नीति (New Economic Policy) की घोषणा की।

गोसप्लान-योजना (Gosplan)—रूस में व्यावहारिक योजना का प्रारम्भ लेनिन (Lenin) द्वारा किया गया। उसके विचार में रूस में समाजवाद स्थापित करने हेतु देश का अर्थ-व्यवस्था को विद्युत्करण के आधार पर पुनर्गठित करना आवश्यक था। लेनिन की भावना थी कि साम्यवाद सावियत शक्ति तथा सम्पूर्ण दंग के विद्युत्करण का योग (Soviet Plus Electricity Equals Communism) है। विद्युत्करण के काम का सम्पन्न करने हेतु एक राजकीय विद्युत्करण आयोग (State Commission for Electrification) अथवा गोसप्लान (Gosplan) की स्थापना मार्च सन् १९२० में हुई और इसके द्वारा निम्न योजना को दिसम्बर सन् १९२० में स्वीकृति प्राप्त हुई। परन्तु सन् १९२१ में इसे गोसप्लान (Gosplan) में मिला दिया गया। विद्युत्करण की योजना के अनुसार १० से १५ वर्षों में सारे देश में

विद्युत् शक्ति पहुँचानी थी। इसके अन्तर्गत २० नवीन विजनीघर बना कर विद्युत् उत्पादन की क्षमता का १७५ लाख किलोवाट बढ़ाना था जिसमें देश का उत्पादन सन् १९१३ की तुलना में दुगुना किया जा सके। इस यात्रना ने सन् १९३० तक अपने उद्देश्यों की लगभग पूर्ति कर ली।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (सन् १९२८-१९३२)—गोष्प्लान (Gosplan) की रूस की प्रथम पंचवर्षीय यात्रना जनान का वायभार सन् १९२६ में सौंपा गया। गोष्प्लान ने प्रथम यात्रना का निमाण सन् १९२८ तक कर लिया जिसका सन् १९२८ के जनवरी माह से लागू कर दिया गया।

प्रथम यात्रना का सोमाय उद्देश्य था कि एक साम्राज्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना था जिससे उत्पादन के साधनों का अधिकतम विकास हो और उत्पादित रूप से धर्मियों की दशा में सुधार किया जा सके। नवीन आर्थिक नीति का पुनर्जात और समाज के औद्योगिकरण पर देश की अथ व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने का भाव व्यक्तया गया। साथ ही, पूर्णोपाद देश सुसुल भाग करने के लिए भी ठोस कदम उठाये गये। योजना में राजनीतिक एवं सैनिक उद्देश्य का विशेष स्थान दिया गया। गोष्प्लान ने यात्रना के द्वारा सैनिक शक्ति के विस्तार के लिए प्रयत्न किये गये, यहाँ तक कि प्रथम यात्रना को रूस की दूसरी शक्ति कहा जा सकता है। प्रथम शक्ति में रूसिने राज्य-सत्ता प्राप्त कर नवीन रूस का निर्माण किया और दूसरी शक्ति में स्टालिन ने देश के औद्योगिक तथा सैनिक क्षेत्रों की सून रूप से बढ़त कर नवीन समाजवादी राज्य-सत्ता का स्थायी बनाया।

प्रथम यात्रना में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम उद्योग गये। यह प्रस्ताव मान लिया गया कि देश की अथ-व्यवस्था में कृषि को उद्योगों के बाद स्थान दिया जाय तथा कृषि विज्ञान का उद्देश्य अथ प्रकार के औद्योगिकरण की गति को तीव्र करना होना चाहिए। स्टालिन ने प्रायण की विचार के साथ उद्योगिक, साथ तथा कृषि नहीं हैं साथ यह पूर्णोपादी देश रूप का देश भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में रूस का परेड साधनों में पूर्णोपादी होने हेतु कृषि पर कर उठाया आवश्यक था। प्रथम यात्रना में कृषि सम्प्रदाय का मुख्य कार्यक्रम था—सामुदायिक कृषि का विकास तथा समुदायिक कृषि तथा कृषक का समुल भाग। कृषि के क्षेत्र में पूर्णोपादी कृषि सिधियों का समाप्त करने हेतु यह दोनों कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक थे। क्षेत्रों का बड़ी इकायों में परिचालित करने से किसानों का राजनीतिक शिक्षा संगठित रूप से संगठन करना सुभव था। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े फार्मों के उपादन पर राज्य का पूर्ण स्वयंसेवक तथा नियंत्रण रखना सम्भव था। सामुदायिक कृषि के साथ उत्पादन के प्रवृत्ति करण से राज्य को अनेक लाभ प्राप्त हुए। किसानों का विवाध कम क्षेत्र प्राप्त और सरकार के हाथ में अनाज बेचना सामूहिक कृषि प्रदा से सम्भव न था। राज्य संगठित कृषि, बीज खाद आदि के रूप में जी सुविधाएँ देता था अथके आर्थिक का

भुगतान करने के लिए किसानों को अपना अनाज निश्चित मूल्य पर राज्य के हाथ में बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता था। माघ सन् १९३० तब सामुदायिक क्षेत्रों की वृद्धि किसानों के विरोध के आवहूद भी निरंतर होती रही। अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण जिले को सामुदायिक कृषि का क्षेत्र घोषित कर दिया जाता था और सभी किसान सामुदायिक फाम अथवा कालखोज (Kol Khoz) के सदस्य मान लिए जाते थे। इसका विरोध करने वालों को समाजवाद का शत्रु तथा देशद्रोही समझा जाता था। कुम्हक बग को जा सम्मत किसान बग या तथा शिक्षित एवं कृषि-कुशल उत्पादक होने के साथ ध्यत्किगत उत्पादक प्रणाली का खुला पोषक या सामुदायिक कृषि में सम्मिलित होने के लिए जब किसी प्रकार आकर्षित नहीं किया जा सका तब घोर दमन की दृष्टिक गति का अनुसरण किया गया जिससे इस की शक्ति का आधार लाल सेना में जिसमें अधिकतर अकम्पट कुलक-बग व वे असतोष फन्नन सगा। माघ सन् १९३० में स्थिति अधिक गिराने पर स्थलित न घोषणा की कि जहाँ कालखोज के आवदयक साधन न हों, वहाँ पुरानी पद्धति ही रहने का जाय। इस घोषणा के पश्चात जहाँ माघ सन् १९३० में ५५% कृषक-परिवार सम्मिलित थे वहाँ सन् १९३० में घटकर २४.१% रह गये, परन्तु सन् १९३० की अन्तरी फसल में सामुदायिक कृषि पर याज्ञनाकर्ताओं तथा जनता का विश्वास जमा दिया और सन् १९३५ में ६१.५% कृषिक परिवार कालखोज की सम्म्यता में लाय गये।

पूँजी निर्माण—प्रथम योजनाकाल में पूँजी विनियोग (Capital Investment) का निम्नलिखित रूप रहा—

तालिका सं० २६—रुप में पूँजी विनियोग (प्रथम योजनाकाल)

विनियमन काल में

	सन् १९२३-२४ से १९२७-२८ तक	सन् १९२८-२९ से १९३०-३१ तक
कुल विनियोग	२६६	६४६
उद्योग	४४	१६६
विद्युत्करण (कबल व ट्रांसमिशन सहित)	८	३१
साक्षात् (पूँजीगत परम्पत सहित)	२७	१००
कृषि	१५०	२३२

उपरोक्त आँकड़ा ग जात होता है कि योजनाकाल में विद्युत् पाँच वर्षों की तुलना में योजनाकाल में पाँच वर्षों में पूँजी विनियोग कई गुना हुआ। योजना के आवदयक साधन संचय करने में राष्ट्रीय आय का ३०.५% भाग पूँजी निर्माण के लिए बचाया गया। इनसे अधिक पूँजी की राशि बचना करने का समाजवाद अथ ध्यवस्था में ही सम्भव था।

उद्योग—प्रथम योजना में प्रति वर्ष २०% उत्पादन-वृद्धि का लक्ष्य रखा गया जबकि वास्तविक उत्पादन की वृद्धि २४.४% रही। इनकी अधिक उत्पादन-वृद्धि ने समस्त संसार को चकित कर दिया। इस उत्पादन के पाँच कारण बताये गये—

(१) नवीन विज्ञान ज्ञान से यार्थिक कुशलता का स्तर रूस में बहुत अधिक था। विज्ञान की नवीनतम छात्रों के आधार पर उसमें उत्पादन के लक्ष्य का पूरा करन का निश्चय किया गया था।

(२) सन् १९१३ के पश्चात् उत्पादन इतना अधिक फिर गया था कि चौदी-थी वृद्धि से उत्पादन प्रविष्टत ऊँचा उठ जाता था।

(३) प्रबल केन्द्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत रूस के उद्योगों में उत्पादन की मात्रा योजना द्वारा निर्धारित की जाती है और यह मात्रा उतनी ही होती है जितना अत्य शक्ति उपभोक्ताओं के हाथों में की जाती है। इस प्रकार उद्योगों पर माग क उत्तार-चढ़ाव का भय नहीं पड़ता है।

(४) रूस में वस्तुओं के प्रमापीकरण का विनियमन मूर्तब दिया गया और उत्पादन के साधनों का कम प्रकार की अधिक वस्तुएँ उत्पादित करने के लिए विनियोजित किया गया, जबकि अन्य उन्नतशील राष्ट्रों में वस्तुओं के प्रकार बढ़ाने में साधनों का व्यय होता है।

(५) मुद्रा और साम्र पर पूरा नियंत्रण होने से राज्य इच्छानुसार वस्तुओं के उत्पादन को निश्चित सीमाओं में नियंत्रित रखता है।

इसी योजनाओं के लक्ष्य इतन यतिशील होन हैं कि प्रायः उनका प्रति वर्ष घटाया बताया जाता है। योजनाकाल में वायले के उत्पादन में २१०१% तथा पट्टाल में १८१५% की वृद्धि हुई। विद्युत एवं मर्चान तथा लोहा एवं इस्पात उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। लगभग ३० नट्टियाँ (Blast Furnaces) स्थापित की गयीं जिनमें प्रत्येक की उत्पादनक्षमता २ लाख टन प्रति वर्ष थी। इसी प्रकार इस्पात, रेल के सिन्धे और जहाज-निर्माण तथा घृषि औजार के उद्योगों की अत्यधिक उत्पत्ति हुई।

धन—धर्मक्षेत्र में प्रथम योजना में आधा से अधिक सफलता प्राप्त हुई। शीघ्र औद्योगिक विकास के कारण सन् १९३० तक बेकारी की समस्या समाप्त हो गयी और धन की कमी का भुग प्रारम्भ हो गया। सन् १९२८ में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में लगे हुए अर्थिक एवं धर्मकारियों की मर्यादा १,१५ दद ००० थी जो सन् १९३४ में बढ़कर २,३६,८१,२०० हो गयी^१। सन् १९३० के बाद से अर्थिका की इतनी मात्रा बढ़ी कि शीघ्र काम करने से इन्कार करना एक अपराध बन गया। योजनाकाल में

1 Voznesensky *The Economy of U S S R During World War II* p 7

निरंतर औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के प्रत्येक उपाय विद्यमान है। अनिको की कमी पूर्ति करना हेतु रियासत की बड़ी संख्या में घर के बाहर कारखानों में आनवित्त विद्या गया। कारीगरों की कुशलता तथा परिष्कृत में उन्नति करी। कृषि समाजवादी प्रतिस्पर्धा (Socialist Competition) का गिद्यास्त अंगगारा गया जिनके प्रत्येक कारीगर में अधिकतम उत्पादन करी। की इच्छा जायत हुई। इनके लिए अनेक प्रकार के आर्थिक न्य कूटने प्रमाणा विद्ये गये। वेतन की दर में वृद्धि ही भी अधिक प्रमाणात प्रविष्टा न राजकीय सम्मान गिद्य हुआ जिनके गार्भजितिक न्य के बड़े धून धाम से प्रमाण विद्या जाया था। इन सबके माग मगदूरों पर प्रद धन तथा मगदूर मर्ता का अनुसासन बडा कठोरता से विद्या गया।

ध्यावार—धरतु विनिमय एवं उपभाग की सर्वथा मथान व्यवस्थात अन्वयायी मयी। बाजता को पू जो की आनवयनगर्भ ना पूर्त हेतु उपभाग पर नियन्त्रण न कर विद्या गया। इसके अ गर्भे राज्म म संवाजित रूप से विक्र माय धरतुर्भा का अंत्यमा तथा जाता के उपभोग ना मथास्त अना हया म ए विद्या। नागरिक उपभाग ना शीमात प्रत्येक अर्था न नाथ के मन्व्य तथा माया पर आधारित की जा लगी। आर्थिकतम प्रयात न्मन धाते को उपभोग सामग्री अधिक था जा लगी। उपभाग की सामग्री का मूल्य निर्धारण इस प्रकार हुआ था कि जमना की मीव उर्दी धरतुर्भा क प्रयाग एक सीमित र ए जा देन मुविधापूर्थक बना सवना है। इस प्रकार मू य निर्धारण ना एक लक्ष्य यह भी था कि जाता न हया स अधिक म अधिक भाय राज्म क नाग आ जाय। अथत ना यह तरीका एक की विद्याय पू जा निर्मातु ना एक मुन्व नागण था।

बाजता के मागमाग के माधना न मुधार ना विधेय रवान गही शिया गया। शास्यवशी पार्टी क लक्ष्यें अभियेता सन् १९६२ में आर्थिकमिग मातामाग का प्रथम योजना की समत बड़ी सुर्वतता अन्वया गया। मन्वूरों की नय उत्पादागमना और धरतुर्भा की उर्दी लागत का एक प्रथम बाजता में गही गिया। वेतन प्रणायी की वृद्धिया और अनुभवी इन्जीनियरों तथा कारीगरों की कमी हयना मुन्व नागण था, धरतु प्रथम योजना म क्रम की वृदिप्रधाग अर्थ व्यवस्था को उद्योगप्रभाग अर्थ अन्वयाय म परिगत न कर दिया गया। बाजता क अन्त म राष्ट्रीय आय का १७.१% उद्योगी मातामाग तथा निर्माण स और २२.६% पूवि के प्राय हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (सन् १९५६-१९६०)—सन् १९६१ क परनाग जमनी म हिन्दर का प्रमाय बड़े सना। हिन्दर के मायगों और उसका पुनर, 'मेरा संघर्ष (Mein Kampf)' से स्पष्ट हो गया था कि जमनी वर्गोत्पीड की सन्धि (Treaty of Versailles) का विरोध करेगा और सन्धि पूर्ति (Reparation) का सगों के अनु सार हर्जाग गही देगा। इसके अनिहित हिन्दर यूरोप के उग लर्था हिरगा पर अति बार करेगा जो जर्मनी से वर्गोत्पीड सन्धि के अन्वगत हीन सित गये थे। इन सबके

दूसरे महापुरुष की धारणा का अकेल स्थानित हो जाने लगा। बड़ी मात्रा में किस्म की दूसरी पंचवर्षीय योजना में युद्ध-साधनों का उत्पादन और अनिश्चित आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया। दूसरे महापुरुष के अर्थ की विजय का एक मात्र दूसरा मोक्ष का अनिश्चित उत्पादन था।

उद्योग—द्वितीय योजना में औद्योगिक उत्पादन के कार्यक्रम का कुछ पता दिया गया क्योंकि इस योजना के अंतर्गत विद्युत-शक्ति का अधिक पूर्ण मानने की आवश्यकता थी। परन्तु निश्चित किया गया कि प्रसारण-कार्य अधिकतर मानव तथा धन की सहायता से होगा। इस उद्योग की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के दृष्टिकोण बनाए गए जिनमें मुख्यतः प्रथम क्रमिकता में ८० प्रकार के इंजिनर बनाए जाते थे। इसी प्रकार १९८८ में २००० प्रकार के इंजिन बनाए जाने जाते थे जिन्हें अक्टूबर १९५३ प्रकार का कर दिया गया। इसी योजना में देश की आर्थिक सुगमता में बड़े पैमाने पर विस्तार करने का प्रयत्न किया गया क्योंकि इसके द्वारा ही देश के अर्थोपकरण कार्यों का उत्पादन एवं उपयुक्त सम्भव हो सकता था। इस योजना में ३,९६,६०० विद्युत्-घण्टी का प्रयोग किया गया। इंजीनियरों की संख्या में ७७ गुना वृद्धि तथा कार्यकर्ताओं की ७७ गुना तथा दृष्टि-विशेषज्ञों की ५ गुना वृद्धि हुई।

अर्थिक सुगमता और प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि के लिए दो अर्थोपकरण प्रयत्न—प्रथम, स्थानित के प्रसिद्ध नाम 'सब कुछ प्रत्यक्ष करें' (Personnel Decide Everything) का प्रस्तावित किया गया। इसके दो भाग हुए—प्रथम, कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो गया और द्वितीय, कार्यकर्ताओं में आर्थिक के प्रति प्रयत्न की भावना उत्पन्न हो गई है। दूसरा अर्थोपकरण आन्दोलन (Stakhanov Movement) के प्रारम्भ हुआ। आन्दोलन आन्दोलन की भाव में कार्य करने वाला मजदूर था। अर्थोपकरण द्वारा इसका एक चरण (Shift) में ३ टन करने को देने के स्थान पर १८ टन करने का लक्ष्य दिया। एक मास के अन्तर्गत ही इन दोनों कार्यों के एक चरण में २२७ टन की मात्रा लक्ष्य प्राप्त हुई। यद्यपि इसका अनुपकरण प्रयत्न आन्दोलन में होने लगा और इन आन्दोलन के अन्तर्गत उत्पादन में ३०% का वृद्धि हुई।

इस योजना में प्रथम बार अर्थोपकरण की दृष्टि से अर्थोपकरण की वृद्धि में वृद्धि महत्व दिया गया (परन्तु नतीजा नहीं के महत्व का बंध नहीं किया गया)। अर्थोपकरण की मात्रा के प्रकार (Variety) बहुत कम कर दिए गये, परन्तु उनकी उत्पादन मात्रा बढ़ा दी गयी। राजनीतिक उद्देश्य (Political Purpose) के कारण देश में अर्थोपकरण या अर्थोपकरण अर्थोपकरण हेतु यह प्रयत्न की गयी।

इति—द्वितीय योजना में अर्थोपकरण के अर्थोपकरण अर्थोपकरण की और अर्थोपकरण का प्रयत्न किया गया। आर्थोपकरण अर्थोपकरण की अर्थोपकरण अर्थोपकरण

विगाड दिया था। सहानुभूति, कृषि संगठन व पक्कपता तथा समान नियंत्रण लाने हेतु फरवरी सन् १९३५ में कृषि-आर्टेल के आगमन नियम (Model Rules of Agricultural Artel) बनाय गये। इन्होंने अन्तर्गत कृषि पद्धति भूमि उत्पादन का अंतर्वारा प्रवृत्त सदस्यता कोष तथा धार्मिक अनुशासन आदि सभी अंगों के लिए नियम बनाय गये जिनके आधार पर देश की सामुदायिक कृषि का संगठित किया जा सके। इन नियमों से किसानों में आत्मसम्पत्ति तथा गण-चिन्मैदारी अर्थिक के साथ काम करना आदि नुस्खों को दूर करने में बड़ी सहायता मिली। अनाज वसुली के सिद्धान्तों में भी सुधार किया गया। इनको प्रति एकड़ उत्पादन का पूरा निर्दिष्ट भाग बना लिया गया जिससे किसानों का अधिक उत्पादन करने में कोई रुकावट नहीं रही। कुलक वर्गों के—मूल्य की वापसाहिया चलनी रही।—सतिगत किसानों से सामुदायिक क्षेत्रों के किसानों की तुलना में अधिक कर लिया जाता था। सरकार को देने के पश्चात् किसान के पास जो अनाज बचता था, उसे खुले बाजार में बेचा जा सकता था। इसमें राजस्व और अन्न विनियम की समस्याएँ सन् १९३३ में स्थानित के विद्यमान तार का जन्म हुआ—समस्त सामुदायिक किसानों की समृद्ध बनाओ।” स्थानित का यह विचार था कि पहले किसान दूसरों की मेहनत से बर्झमानों से तथा पड़ोसियों का शोषण कर समृद्ध बनने का प्रयत्न करते थे जिससे वे पूँजीवाद अपना कुतक बन सके। नयी सोवियत प्रणाली में किसान केवल ईशान्यारी और परिधम के साथ अपना काम करना है जो सामुदायिक क्षेत्रों के किसानों को समृद्धगाली बनने का पूरा अधिकार है। इस नवोन प्रणाली के अन्तर्गत किसान को व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में पशु रखने का अधिकार मिला तथा एक छोटा खेत या पशुधन रूप में लिया गया जिस पर किसान अपनी आवश्यकता की वस्तु उत्पन्न कर सके।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (सन् १९३६-१९४२)—बहु योजना उस समय बनाया गयी जब द्वितीय महायुद्ध का सम्भावनाएँ अत्यधिक थी और लाना नियोजनों में इस योजना में देश की रक्षा की आवश्यक सामग्रियों के उत्पादन एवं संचय को विशेष महत्व दिया। इस योजना के निम्न चार महत्वपूर्ण तत्व थे—

(१) यानायात—७००० मीन लम्बी नवाने रेलवे साइड स्टेशन (जिसके द्वितीय योजना में केवल २५०० मीन लम्बी लाइन टाला गया थी) ५००० मीन लम्बी लाइन को बोहरा करना तथा १२०० मीन लम्बी लाइन का विस्तार करने का आयोजन किया गया। उस एवं सडक यानायात के विकास का भी आनामन किया गया।

(२) अलौह (Alloy) धातुओं के शोधन के उत्पादन जैसे एलुमिनियम (Aluminium), जस्ता (Zinc) सीसा (Lead), निकल (Nickel) आदि के विकास को विशेष महत्व दिया गया।

(३) हस्पात तथा गण-निर्माण उद्योगों का और अधिक विकास तथा

(४) रसायन उद्योगों के विवाह को विशेष महत्व दिया गया और यह मातृ बुलंद किया गया कि 'तृतीय योजना को रसायन योजना बनाओ।'

प्रथम दो योजनाओं ने रूस की संयोजित अर्थ-व्यवस्था को मूढ़ बना दिया, अतः मालाताय ने तृतीय योजना के उद्देश्यों का जिज्ञा करते हुए कहा कि यह योजना समाजवाद को साम्यवाद में बदल देगी। सन् १९३९ के मूल्यांकन पर आधारित अनुमानों के अनुसार इस योजना पर १९२ मिलियन (१ बिलियन = हजार मिलियन) रुबल का व्यय पूंजी के क्षेत्र में रखा गया। इसमें १११.६ मिलियन रुबल उद्योगों पर व्यय होने वाला था। औद्योगिक उत्पादन में १०.४% प्रति वर्ष वृद्धि करन का लक्ष्य रखा गया। भारी उद्योगों की प्राथमिकता पुनः बनी रही। समाजवादी प्रतिस्पर्धा उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित हो गयी। इसके अतिरिक्त राज्य की ओर से आर्थिक आर्थिक पारितोषिक देने की नीति अपनायी गयी। विश्वोत्पत्तियों में छाया में अधिक उत्पादन होने पर उस कारखाने से सम्बन्धित राजनीतिक नेताओं, प्रशासकों तथा मंत्रों को सभी का उदार अर्थ लाभ के रूप में आर्थिक पारितोषिक स्वीकाराने से। नेताओं की प्रशंसा, प्रवचकों का कोणस एव मंत्रियों का परिश्रम बर्णानिकों से सहायता पाकर रूस उत्पादन में लगभग ६३% की वृद्धि का कारण बने। औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक १ मिलियन रुबल की वृद्धि हुई।

तृतीय योजना में कारखानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता का बहुत जोर दिया गया। मंदिर मूल्यांकन व्यवस्थित सेवा और सामग्री उत्पादन की महत्व से यह उद्देश्य निर्दिष्ट किया गया कि प्रत्येक कारखाना आर्थिक आवश्यकताओं को बिना राजकीय सहायता के पूरा कर ले। इससे राज्य पर आर्थिक दबाव तथा कारखानों के प्रबंध में लापरवाही—दोनों पर नियंत्रण हो गया। उत्पादन-लागत पर राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य के अन्तर्गत होने वाली हानि का राज्य पूरा करता था।

तृतीय योजना लगभग ३३ वर्षों तक चली, परन्तु इतन ही समय में सोवियत उद्योगों में भारी उन्नति हुई। औद्योगिक उत्पादन में प्रति वर्ष १३% वृद्धि हुई। बड़े उद्योगों का विशेष विकास हुआ। देश के पूर्वी भाग में ३ वर्षों में विशेष औद्योगिकीकरण हुआ। यूराल, वोल्गा क्षेत्र, साइबेरिया, मध्य एशिया और बजलस्तान का औद्योगिक उत्पादन ३ वर्ष में लगभग ५०% बढ़ गया। दक्षिण-पूर्वी प्रदेशों में विज्ञान की सहायता से अपूर्व अन्न उत्पादन किया गया। सामुदायिक वृद्धि अपना लक्ष्य पूरा रूपेण प्रभाव जमा चुकी थी। पूंजीनिर्माण-योजना (Capital Construction Programme) में १३० मिलियन रुबल का काम हुआ। इसका ३ भाग देश के पूर्वी भाग की विकास करने पर व्यय किया गया। इसने अन्ततः लगभग ३००० राजकीय मिल-कारखाने, विजलीघर तथा दूसरे उद्योगों में उत्पादन प्रारम्भ किया। पूर्वी क्षेत्रों के विकास का महत्व संकट के आने के पूर्व ही समझ लिया गया और इसलिए रुबल द्वितीय महायुद्ध में विजयी हो गया। स्टालिन के आक्रमण के बाद केवल १ वर्ष

म लगभग १,३०० बड़े कारखाने बढ़नी हुई जर्मन सनाआ के सामने से उल्लाह कर १,००० भील पूर्व म पुनर्स्थापित किए गये ।

षतुप पंचवर्षीय योजना (सन् १९४६ १९५०)—इन योजना क मुख्य उद्देश्य थे—

(१) युद्धकालीन विध्वंस रा पुनर्निर्माण

(२) सन् १९३६ ८० का उत्पादन स्तर हृपि एव उद्योगों के क्षेत्र म प्राप्त करना

(३) उत्पादन स्तर का सन् १९३६ ४० म भा यथासम्भव अधिक बढ़ाना

(४) भारी उद्योग एव रेल यानायाण क विकास की प्राथमिकता बनाय रचना

(५) जनता क कल्याण हेतु हृपि एव उपजाता वस्तुआ के उद्योगों का विस्तार एव विकास

(६) पू जी का दीर्घ संचय तथा

(७) श्रम की उत्पादनक्षमता म वृद्धि ।

योजना क पाँच वर्षों म पू जी का वित्तियन ङालर निर्धारित किया गया जो राष्ट्रीय आय का लगभग ३०% था ।

इस योजना के विभिन्न तहय निम्न थे—

(१) इस्पात क उत्पादन म सन् १९४० क स्तर से ५०% वृद्धि सन् १९५० तक प्राप्त करना । ४३ इस्पात भट्टियाँ (Blast Furnaces) १६५ खुला भट्टियाँ (Open Heath Furnaces) १५ कनवटर (Converter) और ६० बिजली की भट्टियाँ बनायी जानी थीं । इन सबका उत्पादन १६ मिलियन टन इस्पात से भा अधिक था ।

(२) महायुद्ध क पूर्व क स्तर से कोयल क उत्पादन म योजना के धन तक ५०% वृद्धि करना । दक्षिण पूर्ण म कोयले की नयी खानों का पता लगाया गया । सन् १९४६ ५० तक १८३ मिलियन टन कायसा पदा करने वाली खानें उत्पादन करने लगीं ।

(३) पैट्रोल के उत्पादन की सन् १९४६ तक महायुद्ध के पूर्व के स्तर तक खाना तथा सन् १९५० म इससे अधिक उत्पादन करना ।

(४) विद्युत उत्पादन म सन् १९४० क स्तर से ७०% अधिक उत्पादन का सन्ध रना गया ।

(५) मशीन निर्माण उद्योग की उत्पादनशक्तता सन् १९४० क स्तर म दुगुनी करनी थी ।

(६) रसायन उद्योग क उत्पादन स्तर का सन् १९४० की तुलना म दुगुना करना था ।

(७) राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विप्लव हुए दाज-मान का पूरा निर्माण तथा उसका विस्तार करना ।

(८) कृषि-उत्पादन में सन् १९४० के स्तर से २३% वृद्धि का लक्ष्य था ।

(९) वस्त्र एक अन्य छाट उद्योगों के उत्पादन को सन् १९४० के स्तर पर लाकर उसे आगे बढ़ाने का लक्ष्य था ।

याचना के लक्ष्यों की पूर्ति अनुमान से अधिक हुई और योजना की पूर्ति में १ वर्ष के स्थान में ४ वर्ष एक ३ मास ही लगे । उन्हीं की पूर्ति निम्न प्रकार रही—

तालिका सं० २३—चतुर्थ योजना में लक्ष्यों की पूर्ति^१

	सन् १९४०	सन् १९४०	योजना का लक्ष्य	वास्तविक पूर्ति
(१) सन् १९२६-२७ के दून्नों पर राष्ट्रीय आय	१००	१२८	१२४	१६४
(२) मजदूर एवं बमबारी	१००	—	१०६	१०६
(३) औद्योगिक उत्पादन	१००	१४८	१७०	१७०
(४) रेल-यातायात	१००	१०८	१४६	१४६
(५) विद्युत्-शक्ति	१००	१७०	१८६	१८६

पाचवीं पंचवर्षीय योजना (सन् १९४०-१९४५)—एकी अर्थशास्त्री प्रवक्तृगण से कि देश में विकास की गति इतनी अधिक नहीं जाय कि १० या १५ वर्षों में हुए उन्नति उतनी हो जाय जितनी विश्व-युद्ध न होने पर सम्भव हो सकती थी । पंचम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन में ७२% वृद्धि करने का लक्ष्य था जबकि वास्तविक उत्पादन-वृद्धि ८५% हुई थी । पूँजी के साधनों में ५ वर्षों में ८०% वृद्धि का लक्ष्य था जबकि विविध प्रणालियों द्वारा यह वृद्धि ६१% हुई थी । उद्योगों की सामग्री के उत्पादन में ६५% वृद्धि का लक्ष्य था और वास्तविक वृद्धि ७६% हुई थी । विविध ध्यान देने की बात यह थी कि युद्ध के पश्चात् उत्पादन तथा उपभोगों की सामग्री के उत्पादन की वृद्धि समानता की ओर बढ़ रही थी । उत्पादन की वृद्धि की गति पूँजीवादी देशों के विकास की तुलना में लगभग ५०% अधिक थी । सन् १९४०-४५ के मध्य समुच्च राज्य अमेरिका के विकास की गति की तुलना में कम की प्राप्ति हुई थी ।

पंचम योजना में पूँजी शिफ्टों की मात्रा ६८६८ मिलियन रुबल थी । यह वित्तियोग प्रथम योजना का १० गुने से भी अधिक था । यह योजना मात्र ४ वर्षों और ४ माह में पूरी कर ली गयी थी । योजना की सफलता निम्न प्रकार रही—

1 Strumilin *Planning in the Soviet Union* p 52
2 Strumilin *Planning in the Soviet Union* p 54

तालिका सं० २८—पाँचवी योजना के लक्ष्यो की पूर्ति

सन् १९५० योजना का लक्ष्य वास्तविक पूर्ति

	सन् १९५०	योजना का लक्ष्य	वास्तविक पूर्ति
(१) राष्ट्रीय आय	१००	१६०	१६८
(२) रोजगार	१००	११५	१२०
(३) औद्योगिक उत्पादन	१००	११७	१८५
(४) भारी उद्योग	१००	१८०	१९१
(५) अथ उद्योग	१००	१६५	१७६
(६) विद्युत्	१००	१८०	१९७

इ-जीनियरिंग उद्योग में १२०% वृद्धि हुई। तेल का उत्पादन ८०%, कच्चा लोहा ७४% और कोयले का उत्पादन ५०% बढ़ा। स्टालिन की मृत्यु के पश्चात् रूस का विकास तथा उपभोग के उद्योगों का महत्त्व राज्य-शक्ति के भंगडा का कट्टर बन गये और सन् १९४३ तक कृषि उत्पादन में नाममात्र की वृद्धि हुई परन्तु इनके पश्चात् रूस का पूरा ध्यान दिया गया और इसके उत्पादन में १००% की वृद्धि हुई।

छठी पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९५६-१९६०)—फरवरी सन् १९५६ में कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में रूसी शासन में बहुत से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये तथा आर्थिक ढाँचे को पुनर्संगठित करने का निश्चय किया गया। इसका साथ ही छठी पञ्चवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकार किया गया। इस योजना के लक्ष्य अन्वय-हारिक थे और उनमें कई बार परिवर्तन किये गये। योजना का अंतिम लक्ष्य जन-समुदाय के जीवन-स्तर में पर्याप्त वृद्धि करना था जो अर्थ-व्यवस्था का सर्वतोमुक्त विकास करने प्राप्त करना था। औद्योगिक उत्पादन में ६५% वृद्धि करने का लक्ष्य था। उत्पादन उद्योगों का उत्पादन में ७०% तथा उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन में ६०% वृद्धि का निश्चय किया गया। निजिता रक्षक न रूसी इतिहास में प्रथम बार उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन पर अत्यधिक जोर दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूस के पास बहुत सत्तिकाशी भारी उद्योग स्थापित हो चुके हैं और अब यह सम्भव है कि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया जाय। हम योजना के लक्ष्य निम्न प्रकार थे—

- (१) इस्पात के सन् १९५५ के उत्पादन ४५ मिलियन टन का बड़ाकर ६८ मिलियन टन करने का लक्ष्य था, जो महायुद्ध के पूर्व के स्तर से ३ गुना अधिक था।
- (२) कोयले का उत्पादन में सन् १९५५ के स्तर से ५२% वृद्धि तेल का उत्पादन को दुगुना तथा गैस के उत्पादन को त्रिगुना करने का निश्चय किया गया।
- (३) विद्युत् शक्ति का सन् १९५५ के उत्पादन १७०००० मिलियन K. W. H. को बढ़ाकर सन् १९६० तक ३,२०००० मिलियन K. W. H. करने का लक्ष्य रखा गया।
- (४) इ-जीनियरिंग तथा धातु उद्योगों में अत्यधिक वृद्धि करना था।

(५) उर्जन शक्ति (Atomic Power) का उत्पादन २ से २½ मिलियन K W H करना था तथा 1 उर्जन-शक्ति से चलने वाले इजिन नियम बफ ताइने का मात्र लगा हा, का निर्माण करना था। इसका साथ ही, उर्जन शक्ति का उपयोग हृषि, औरषि तथा अन्य बनाविक एवं गोष काय के लिए हुना था।

(६) उपभोक्ता सामग्री क अनन्त मूनी बस्त्र उत्पादन म २०% ऊनी वस्त्र उत्पादन म ५०% तथा रेसमी वस्त्र उत्पादन म १००% वृद्धि करनी थी। रेशिया तथा दलोविजन सेट के उत्पादन म ११०% से भी अधिक वृद्धि का लक्ष्य था।

(७) लोह सामग्री के उत्पादन म महत्वपूर्ण वृद्धि करने का लक्ष्य था। लोह के उत्पादन म ७५%, मछली क उत्पादन म १७% शक्कर क उत्पादन का डूना, अन्य फसला क उत्पादन म ब्याप्त वृद्धि करने का लक्ष्य था।

(८) पूँजी निर्माण व्यय योजनाकाल म ६,६० ००० मिलियन रुदल रखा गया, जा प्रथम योजना क विनियोजन का १८ गुना था।

छठी योजना का अन्तिम लक्ष्य जीवन स्तर म महत्वपूर्ण वृद्धि करना था। राष्ट्रीय आय में ६०% वृद्धि, औद्योगिक एवं अन्य शक्तियों की वास्तविक मजदूरी में ३०% वृद्धि तथा सामुदायिक सेवा के विभागों की औसत रोषड आय में ४०% वृद्धि करने का लक्ष्य था। छठी योजना के अन्तगत विभिन्न मर्दों म वार्षिक वृद्धि निम्न प्रकार हुई—

तालिका स० २६—सोवियत अर्थ-व्यवस्था की वार्षिक उन्नति-दर

छठी योजना की वृद्धि का वार्षिक प्रतिशत

(१) राष्ट्रीय आय	१००
(२) औद्योगिक उत्पादन	१०५
(३) उत्पादन के साधनों का उत्पादन	११०
(४) उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन	१०७
(५) हृषि उत्पादन	११०
(६) धम उत्पादकता	
(अ) उद्योग	३४
(ब) निर्माण	८७
(स) कोलसोड	१४६
(७) फूटकर व्यापार	८४
(८) रेल यातायात	७३

सातवें पंचवर्षीय योजना (सन् १९५६-१९६१)—रूस की छठी पंचवर्षीय योजना पूर पाव कप नहीं लली और सन् १९५६ म सातवें योजना का धापना कर दी गयी। कम्युनिस्ट पार्टी के २१वें अधिवेशन म इस योजना का स्वीकार किया गया और इस बात पर जार दिया गया कि रूसी उत्पादन उद्योग एवं हृषि दोनों हा क्षेत्रों में इतना बढ़ावा जाय कि हसी नागरिक सुविधापूर्वक जीवन बिना सुर्वे। वास्तव म

यह योजना १५ वर्षों की साम्यवादी निर्माण का एक भाग है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है—अन्य व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विकास जिसमें भारी उद्योगों की प्राथमिकता दी जाती थी तथा देश के सम्भावनी अर्थ साधना में पर्याप्त वृद्धि जिसमें जनता के जीवन में निरन्तर सुधार होना रहे। योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

(१) राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का दृढ़ गति में संतुलित विकास।

(२) राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु खाद एवं अनाह खाद्यों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि।

(३) रसायन उद्योग का तीव्र विकास।

(४) ईंधन व कोयले में सहज ईंधन जग सेल एवं गैस के विकासों पर उद्योगों की प्राथमिकता।

(५) घरेलू उद्योगों के विद्युत् शक्ति के समतल स्तरों का राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की समस्त सामग्रियों में विद्युत् शक्ति का विकास।

(६) रेलों का मार्गिक पुनर्निर्माण जिसमें देश की विद्युत् शक्ति तथा कृषि द्वारा अनाह का संचय।

(७) कृषि के सभी क्षेत्रों में और विकास जिसमें देश की साक्षात् एवं कृषि के अर्थ मूल्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

(८) कृषि निर्माण का तीव्र विकास जिसमें गजबूत वन के सफाई की कमी दूर की जा सके।

(९) गांधी जयंती के प्रचुर प्राकृतिक साधनों की योजना एवं विकास। सामग्री उत्पादन शक्ति का संवर्धन करने का प्रयत्न किया जाएगा जिसमें प्रत्येक क्षेत्र विकसित हो और उद्योग अर्थ मूल्यों का सहज विकास एवं अर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। पूर्वी क्षेत्रों में विकास को विशेष स्थान दिया जाये।

पूँजी निर्माण एवं विनिवेशन—सन् १९५६ के दौरान में राज्य द्वारा लगायी गयी ऋणी पूँजी सन् १९४० से १९७० मिलियन रुबल होगी। यह विनिवेशन लगभग उद्योगों की योजना सन् १९१७ से सन् १९५५ के मध्य विनिवेशन किया गया था। विनिवेशन सम्मत्त यह सिद्धांत निश्चित किए गए कि जहाँ पर योजना प्राकृतिक साधनों का विकास हो सके वहीं उद्योग स्थापना की जाये। इस वक्त में यह समझ, विद्युत् शक्ति प्लांट आदि सम्मिलित किए गये। निर्माण उद्योगों में उद्योग स्थापनाओं पर पूँजी का समतल वितरण का कार्यक्रम के आयुर्निधि करना व पुनर्गठन का अधिक सामग्री समझा गया। सन् १९७६ से सन् १९८५ के मध्य कुल पूँजी विनिवेशन में ५०% की वृद्धि होगी। लगभग १०० मिलियन रुबल का यह इस्पात उद्योगों में विनिवेशन किया जायेगा। सन् १९८५ के विकास में निवेश १७०-१७३ मिलियन रुबल और विद्युत् उत्पादन पर १२५-१२६ मिलियन रुबल व्यय होगा। इनके अर्थ उद्योगों में विद्युत् मूल्यों में सुधारों की जायेगी।

समान-निर्माण के लिए २७५-२८० मिलियन की राशि तय की गयी। वृष्टि के क्षेत्र में राज्य ने १५० मिलियन खेत लगाने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त जल-दायक फसों की वृद्धि तथा पशु उत्पादन में उत्पन्न पूंजी वृद्धि-विकास में लागत आयगी। यह अनुमान था कि इन साधनों से वृष्टि-क्षेत्र पर २५५ मिलियन खेत व्यय किया जायगा। इस प्रकार वृष्टि के विकास के लिए समस्त राशि ५०० मिलियन खेत निष्पत्ति की गयी।

वृष्टि—शासकों का मत है इस बात का प्रयत्न करेंगे कि वृष्टि की उपजि जी-समाजवादी उत्पादन में जो अधिक धमिलता उत्पन्न की जा सके। इसका मतलब यह होगा कि राष्ट्रीय फाय और कालकाय गण की समाजवादी समिति होने के साथ एकलपता की और लक्ष्य होंगी। इन बात का सम्बन्ध वस्तु सामुदायिक पान पद्धति की उपजि, एक स्टाक में वृद्धि प्रविभागीय की का विकास के अतिरिक्त सामाजिक प्रयास सामुदायिक पानों में पारम्परिक सहयोगी और औद्योगिक उत्पादन का तथा विज्ञानों पर नई वृष्टि-उत्पादन का महत्त्व स्तुत एक उत्पन्न लक्ष्यता आदि वायव्याहिक की आयगी। मनीष नौति का आशय यह प्रतीत होता है कि अतिरिक्त में को-काय और साधनों के अतिरिक्त का निष्पत्ति किया गया है। राष्ट्रीय पानों का स्थान समाजवादी वृष्टि में और ऊँचा बन दिया गया है। यह जल का प्रयत्न, कम लागत पर उत्पादन और अम तथा माधनों में बचत का प्रतीक बन कर सामने आयी। इनके प्रयत्न-संग्रह में अम का प्रयत्न सहयोगी भी बढा दिया जायगा। प्रत्येक क्षेत्र में जलवायु तथा वृष्टि की दृष्टि उत्पन्न में विभिन्न-विध किया जायगा जिससे राष्ट्रीय फार्म अधिक लाभप्रद बनाया जा सके। इस योजना के वृष्टि-सम्बन्धी लक्ष्य इस प्रकार हैं—

(१) जल के उत्पादन में १६०-१८० मिलियन टन की वृद्धि।

(२) पामासिक गण का उत्पादन सन् १९५८ के स्तर १०६ मिलियन टन से बढ़कर सन् १९६५ तक २१ मिलियन टन हो जायगा।

(३) औद्योगिक फसलों के उत्पादन में इस प्रकार वृद्धि के लक्ष्य हैं—काष्ठ २७ से ६१ मिलियन टन अथवा सन् १९५७ से ३५ से ४५% तक की वृद्धि सुन्दर ८० से ८८ मिलियन टन, तिरहन का उत्पादन ५५ मिलियन टन हो जायगा अर्थात् ७०% वृद्धि होगी।

(४) आरु का उत्पादन सन् १९५७ के उत्पादन ८८ मिलियन टन से बढ़कर १५७ मिलियन टन हो जायगा।

(५) जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सन् १९५७ के उत्पादन में वृद्धि।

(६) फल आदि का उत्पादन दुगुने करने का लक्ष्य है।

(७) मातृ का उत्पादन दुगुना, दूध का उत्पादन १७ से १८ गुना जन का उत्पादन ५५८ ००० टन अथवा १७ गुना तथा आरु का उत्पादन ३२ ००० मिलियन टन अथवा १७ गुना हो जायगा।

कृषि क कुल उत्पादन म सन् १९५८ क उत्पादन की तुलना म सन् १९६५ म १७ गुना हागा। पशु (Cattle) २०%, गाय ६०% तथा भेड लगभग ५०% क जायेंगे।

कृषि-नायत्रमा का सफल बनान हेतु सात वर्षों म १० लाख ट्रेक्टर और ४ लाख हारवेटर और बहुत बड़ी मात्रा म कृषि क अथ यंत्र बनान का लक्ष्य है। योजनाकाल म सम्यन् सामूहिक फार्मों म विजली पहुँच जायगी जिसमे विजली का प्रयोग ३००% क जायगा। यह भा सम्भावना की जाना है कि सात वर्षों म सामूहिक फार्म म श्रमिका की उत्पादनक्षमता दुगुनी कर दी जायगी और राजकीय फार्मों म ६०% से ६५% तक क जायगी।

उद्योग—शान्दी योजना म औद्योगिक विकास-सम्बन्धा सिद्धांत म कई आधारभूत परिवर्तन नही किया गया। भारी उद्योगों को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। रासायनिक उद्योगों को योजना म विशेष महत्व प्राप्त है क्योंकि इसके द्वारा प्राइमिक साधनों का कमी का पूरा किया जा सकता है। समस्त औद्योगिक उत्पादन म सात वर्षों म ८०% वृद्धि करन का लक्ष्य है जिसम उत्पादन क साधनों का उत्पादन ८५% से ८८% और उपभोग की सामग्रियों क उत्पादन म ६२% से ६५% वृद्धि होगी। औसत वार्षिक उत्पादन का मूल्य लगभग १३५ मिलियन रुबल होगा जबकि पिछले सात वर्षों म यह उत्पादन १० मिलियन रुबल प्रति वर्ष था। योजना क विभिन्न लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

(१) सन् १९६५ म ६५ से ७० मिलियन टन पिण्ड लोह तथा ८६ से ९१ मिलियन टन तक इस्पात उत्पादन करन का लक्ष्य जो सन् १९५८ क उत्पादन से क्रमशः ६५% से ७७% एवं ५६% से ६२% अधिक हागा।

(२) अलौह धातुओं म एल्यूमिनियम का उत्पादन २८ गुना गांधे हुए लोहे का उत्पादन १६ गुना तथा निकल, मैंगनीज आदि के उत्पादन म काफी वृद्धि हागा।

(३) रसायन उद्योग क उत्पादन म तीन गुनी वृद्धि हागा।

(४) सन् १९६५ तक २२० से २४० मिलियन टन तेल निर्यात जायगा जो सन् १९५८ क स्तर का लगभग दुगुना हागा। गैस का उत्पादन पाँच गुना तथा कामन का उत्पादन ५६६ ६०६ मिलियन टन अर्थात् सन् १९५८ से २०% से २३% वृद्धि हागी। इस प्रकार विजली क उत्पादन म २ से २२ गुनी वृद्धि हागी।

(५) मशीन निर्माण एवं धातु सम्बन्धी उद्योगों म लगभग दुगुना उत्पादन करन का लक्ष्य है।

(६) उपमात्ता सामग्रियों क अत्यन्त हल्के उद्योगों का उत्पादन सात वर्षों म ४० गुना हो जायगा। सूता वस्त्र का उत्पादन सन् १९५८ के उत्पादन—५८०० मिलीमीटर से बढ़कर ७७०० ८००० मिलीमीटर हा जायगा अर्थात् बन्दर १३३% से १८८% हो जायगा। उनी वस्त्र का उत्पादन ३०० मिलीमीटर से ५०० मिलीमीटर

हो जाया, अर्थात् बरबर १६७% हो जाया। ऐसी वस्तु का उत्पादन = १४ मिली-मीटर से बरबर १४=३५ मि० मी० हो जाया, अर्थात् १००% की वृद्धि होगी। इसी प्रकार चमड़े के सूते का उत्पादन १४१% बढ़ जाया।

(३) लकड़-सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करने का कार्य है। मात्रा का वृद्धि १९५० का उत्पादन २००० हजार टन से बरबर वस्तु १९६० में ६१०० हजार टन अर्थात् २१७% की वृद्धि करना का उत्पादन ६०७ हजार टन से बरबर १,००६ हजार टन अर्थात् १००% की वृद्धि ग्रेनुलैटेड (Granulated) रबर का का उत्पादन ६०१७ हजार टन से बरबर १३४६ हजार टन अर्थात् २०१% की वृद्धि का कार्य है।

(४) धातु उद्योगों की मशीनें एवं औजारों में उत्पादन का वृद्धि करने का कार्य है।

(५) औद्योगिक अम्लिक उत्पादन में ४०% से ४०% की वृद्धि होने का अनुमान है।

इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने से कच्ची उद्योग व्यवस्था बन्द-बन्द-बन्द, चमड़े के सूते तथा लकड़-सामग्री के उत्पादन में वृद्धि के अर्थिक निश्चित प्रयोजनों-वासी राष्ट्रीय में आगे बढ़ जाया।

व्यापारिक एवं संचार—राजकीय योजना का एक महत्वपूर्ण निम्न-लिखित एक वायु-यातायात भी है। मात्रा होने की संख्या में रेल-यातायात ३३% से ४०% तक वृद्धि करेगा। रेलों में विद्युतीय सुख-सुविधाएँ का अर्थिक व्यवस्था किया जाया। वस्तु १९५० में ७४% मात्रा-यातायात कीवले से करने वाले उद्योग प्रयोग करने की उम्मीद वस्तु १९६० में ८०% से ८५% मात्रा-यातायात विद्युतीय की-सुविधा सुविधा से करेगी। नवविद्युतित पूर्वी औद्योगिक क्षेत्रों—उत्तर-प्रदेश, पूरुब बंगाल तथा मद्रास-क्षेत्रों में वृद्धि-सुविधाएँ रेलवे के अर्थिक-व्यवस्था सुविधाएँ और मध्य-मद्रास-क्षेत्रों का विकास-कार्य का निर्माण होगा। रेल-यातायात के सुविधा-सुविधाएँ से मात्रा होने की मात्रा में २०% की वृद्धि होगी।

साथ-साथ में सुदूर-दूर तक द्वारा टोप-गति-कार्य-कार्य की-कार्य-सुविधा हो जाया। कच्ची-यातायात का विकास-सुविधाएँ के क्षेत्रों में किया जाया। नव-व्यवस्था द्वारा लगे गति-कार्य-कार्य का मात्रा में १६ गुना वृद्धि होगी। तथा नोटर के-कार्य-कार्य करने वाली-कार्य-कार्य की-कार्य-कार्य हो जाया। वायु-यातायात की-कार्य-कार्य की-कार्य-कार्य ५०० प्रतिशत बढ़ जाया। रेल-यातायात के-कार्य-कार्य में पाश्चात्य-कार्य-कार्य का-कार्य-कार्य देश में किया गया जाया-कार्य-कार्य के-कार्य-कार्य के-कार्य-कार्य की-कार्य-कार्य नहीं-होगी। पाश्चात्य-कार्य-कार्य के-कार्य-कार्य में ४७% की वृद्धि का-कार्य-कार्य-कार्य है।

उत्त-व्यवस्था—राजकीय-यातायात में राष्ट्रीय-कार्य-कार्य ६०% से ९१% तक

बढी जिससे राष्ट्र की उपभोगक्षमता में ६०% से ६३% की उन्नति होगी। इस प्रकार यह कहना अनुचित न होगा कि वर्तमान योजना में जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतु उपभाग के विस्तार का विशेष प्रयोजन है। मजदूर एवं कमचारियों की संख्या में १२० लाख व्यक्तियों की वृद्धि होगी। सन् १९६५ तक इनका कुल संख्या ६६५ लाख हो जायगा। मूल्य में कमी तथा बेतन पेंशन व सहायता में वृद्धि होने से मजदूर कमचारियों की वास्तविक आय ४०% बढ़ जायगी। उद्योगों को छोड़कर सामूहिक फार्मों व किसानों की आय भी ४०% बढ़ जायगी। निम्न तथा मध्यम-वर्ग में मजदूर कमचारियों के खतम में वृद्धि कर उच्च वर्ग से विपन्नता को कम कर दिया जायगा। इसके लिए 'बुनतम बेतम' २७० ३५० रुपये प्रति मास से बढ़ाकर ५०० ६०० रुपये प्रति मास तक कर दिया जायगा। औद्योगिक स्वास्थ्य तथा कारखानों में मशीनों से रक्षा में प्रयत्न, मजदूर कमचारियों को विशेष सुविधाएँ तसरी तथा किण्डरगार्टन स्कूल नि. युक्त शिक्षा इलाज सामाजिक बीमा बड़े परिवार की माताओं को अनुदान पेंशन वृद्ध लागू व लिए विधायक भवन इत्यादि पर राजकीय व्यय २१५ मिलियन रुबल (सन् १९५८) से बढ़ाकर ३६० मिलियन रुबल कर दिया जायगा। कम्युनिस्ट पार्टी के २०वें अधिवेशन के अनुसार ५ दिन प्रति सप्ताह ४६ से ७ घण्टे का काम काल माना गया है। कारखाना का काम करने वाले कमचारियों का कार्यकाल ६ घण्टे कर दिया जायगा।

सातवीं योजना के ध्येयगत प्रगति—सातवीं सात वर्षीय योजना के अंतर्गत इस में शक्ति इंजीनियरिंग एवं औजार निर्माण उद्योगों की तात्र शक्ति से प्रगति हुई है। इनके विकास द्वारा जय व्यवस्था के तांत्रिक स्तर एवं धर्म शक्ति की उत्पादन में वृद्धि हुई है। सन् १९५६ ६५ साल में १५० से १६० प्रतिशत की वृद्धि औजार निर्माण १८० से २१० प्रतिशत की वृद्धि टर्बाइन्स व निर्माण तथा १००% की वृद्धि इंजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादन में हुई। इंजीनियरिंग उद्योग के विस्तार के साथ केवल मशीनों के उत्पादन में ही वृद्धि नहीं की गयी बल्कि मशीनों के गुणात्मक तथा एक नावक्षमता को भी सुधारने का प्रयत्न किया गया है। अब किसी इंजीनियरिंग कारखानों की कुशलता का मूल्यांकन उसके द्वारा उत्पादित मशीनों की संख्या से नहीं किया जाता है बल्कि उसके उत्पादन के गुणात्मक तत्वों के आधार पर किया जान गया है। सन् १९५६ ६२ तक में शक्ति उद्योग के विकास के लिए जो पूर्वी विनियोजन आवंटित किया गया था उसका सबसे अधिक उपयोग घटे घटत स्टेनना के निर्माण के लिए किया गया है। घटत स्टेनना घटत कोपले व संचालित हो सकते हैं। इससे अतिरिक्त जलविद्युत शक्ति के स्टेननों का निर्माण भी उपयुक्त स्थानों पर किया गया है। इस साल में शक्ति उद्योग के उत्पादन की वृद्धि औद्योगिक उत्पादन से बड़ी अधिक हुई। सन् १९५६ ६५ साल में औद्योगिक उत्पादन से १५०% की और शक्ति उत्पादन के लगभग २००% की वृद्धि हुई। शक्ति उत्पादन

१७०२ हजार मिलियन किनोवाट/घंटा से बढ़कर ५०७ हजार मिलियन किनोवाट हो गया।

इस योजना में रुस की इंधन-यूनि की स्थिति में सूत्रभूत सुधार हुआ। नए एवं गैस उद्योगों का तीव्रगति से विस्तार किया गया क्योंकि इन्हें बांधने की तुलना में ताप दान का जंगल एवं समुद्रा साधन समझा गया।

सन् १९६५ वर्ष में रुस की राष्ट्रीय आय २०० हजार मिलियन रूबल से भी अधिक थी तथा प्रति व्यक्ति आय ६०० रूबल थी। नियोजित अर्थ-संस्था द्वारा रुस का आर्थिक-जनक विकास इस राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय की तुलना में सन् १९१३ की राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय (५६ हजार मिलियन रूबल एवं ४० रूबल) परक स्पष्ट हो जाता है।

सन् १९५६-६५ मान वर्षीय योजना के अन्ततः ताहा उत्पात एवं जरीह धानु-साधन उद्योगों के विद्यमान व्यवसायों का भी विस्तार किया गया। इनके विस्तार द्वारा पिछे पीछे उत्पात एवं रोलड स्टॉक (Rolled Stock) के उत्पादन में कम लागत पर वृद्धि करना सम्भव हो सका। रसायन उद्योग का भी इस काल में पर्याप्त विकास किया गया। सन् १९५६-६५ काल में मिनरल खाद की उत्पादन-क्षमता में प्रति वर्ष २४ मिलियन टन की वृद्धि हुई तथा रासायनिक रेशों (Synthetic Fibres) की उत्पादन में प्रति वर्ष ३१३ हजार टन की वृद्धि हुई। इस काल में रसायन उत्पादों का सकल उत्पादन १५०% से बढ़ा। मिनरल-खाद का उत्पादन सन् १९३० में १०४ मिलियन टन से सन् १९६५ में ३१३ मिलियन टन हो गया। आधारभूत रसायन उत्पादों का उत्पादन लगभग तिगुना हो गया।

कृषि के क्षेत्र में सन् १९५६-६३ के पंचवर्षीय काल में उत्पादन में कमी रही जिसका कारण मौसिक प्रोत्साहन के सिद्धान्त की अवहलना, मिनरल खादों का पर्याप्त उपयोग न किया जाना, सूत्र-सुधार एवं सिंचाई की ओर अपेक्षित ध्यान न दिया जाना तथा कृषि मशीनों एवं यंत्रों का अपेक्षापुत्र उत्पादन थे। इस काल में मौसम भी प्रति कूल रहने के कारण कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। सन् १९६४ में कृषि-क्षेत्र में सुधार हुआ और सन् १९६४ एवं सन् १९६५ काल में सकल कृषि उत्पादन में १५% की वृद्धि हुई। सकल कृषि उत्पादन सन् १९६५ वर्ष में सन् १९५० की तुलना में ८२% अधिक था।

रुस की सातवीं योजना में उपभोक्ता-वस्तुओं तथा प्रविधिकरण्य (Processing) उद्योगों के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। इनके उत्पादन में सन् १९५१-६४ काल में १८०% की वृद्धि हुई तथा प्रविधिकरण किए गये साधन-सामानों के उत्पादन में २००% की वृद्धि हुई।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (सन् १९६६-१९७०)—रुस की कम्युनिस्ट पार्टी ने फरवरी सन् १९६६ में इस पंचवर्षीय योजना का निर्माण क्रिस्ते द्वारा आर्थिक प्रगति

नवीन शिक्षणों तक पहुँचने में समर्थ हो जायगा। इस योजना में ३ १० ००० मिलियन रुपये का पूँजी विनियोजन किया जायगा। इस विनियोजन का लगभग आधा भाग उद्योगों, संचार एवं वातावरण के विकास के लिए उपयोग होगा। योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय में ३८ से ४१% की ओर प्रति व्यक्ति आय में ३०% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

श्रम उत्पादकता—इस योजना में नवीन तकनीकताओं एवं अभिनवों के उत्पादन में प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत उपयोग करने की व्यवस्था की गयी है। नवीन तकनीकताओं के उपयोग से उद्योगों में अधिकारी उत्पादकता में ६% प्रति वर्ष तथा कृषिक्षेत्र में ७.९% प्रतिवर्ष वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के पाँच वर्षों में समस्त वयस्य व्यवस्था में श्रम उत्पादकता में १% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषि—आठवीं योजना के पाँच वर्षों में कृषि उत्पादन में २५% की वृद्धि करने का लक्ष्य है जबकि यह वृद्धि सन् १९६१-६५ में केवल ११% की। कृषि उत्पादन में प्रति वर्ष ५% वृद्धि की एक विनियोजन यह होगी कि हल्के एवं खाद्य पदार्थों के उद्योगों को अधिक कच्चा माल प्रदान करने हमका विस्तार किया जायगा। खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में इस प्रकार विनियोजन वृद्धि का आयोजन किया गया है। मांस दुग्ध-पदार्थ, साग भाजी तथा फल के उत्पादन में अधिक वृद्धि की आवश्यकता जितने पौष्टिक भोजन की पूर्ति में पर्याप्त सुधार हो सके। पशु पालन का विकास की भी व्यवस्था भी इस योजना से की गया है।

उद्योग—आठवीं योजना के पाँच वर्षों (सन् १९६६-७०) में औद्योगिक उत्पादन में ५०% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में हल्के एवं उपभोग्य उद्योगों तथा भारी उद्योगों के अस्तित्व को टाक करती व्यवस्था की गयी है और हल्के एवं उपभोग्य उद्योगों का पर्याप्त विकास एवं विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वयं के उद्योगों को दो विभागों में विभक्त किया गया—विभाग १ में भारी उद्योग और विभाग २ में हल्के एवं उपभोग्य उद्योग सम्मिलित हैं। सन् १९६६-७० काल में विभाग १ के उद्योगों के उत्पादन में ४६ से ५२% तक की वृद्धि और विभाग २ के उद्योगों में ४३ से ४९% की वृद्धि करने का लक्ष्य है। इस प्रकार उपभोग्य उद्योगों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने का लक्ष्य योजना में रखा गया है जिनके परस्पर इस योजना के अन्तर्गत भारी एवं उपभोग्य उद्योगों का पारस्परिक अनुपात में आगे दी गयी तार्जिकानुसार सुधार होना अनुमान है।

तार्जिक से यह स्पष्ट है कि आठवीं योजना के अन्तर्गत हल्के एवं उपभोग्य उद्योगों का पर्याप्त विकास कर औद्योगिक संरचना में भी परिवर्तन किया जायगा। इस योजना में कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के अस्तित्व में भी सुधार करने की व्यवस्था की गयी है। कृषिक्षेत्र के विकास की ओर हमीनिष्ठा विनियोजन किया

तालिका म० ३०—भागे एव उपभोक्ता-उद्योगों का
सभी अय-अवस्थाओं में अनुपात

	१९५६-५९	१९६१-६४	१९६६-७०
विभाग १ (भारी उद्योग)	११.०%	९.६%	८.७%
विभाग २ (हल्के एव उपभोक्ता उद्योग)	८.७%	६.३%	७.७%
विभाग २ का विभाग १ में प्रतिपात अनुपात	७४%	६६%	८६%

गया है और इस क्षेत्र की प्रगति की दर का औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति की दर के समान करने के लिए प्रयत्न किया जाना है। इसी कारण सन् १९६६-७० साल में वृद्धि-क्षेत्र में ४१००० मिलियन रुबल का विनियोजन की व्यवस्था की गयी है जो सन् १९६१-६४ साल के तुलना के बराबर है। इसके अतिरिक्त लगभग १०,००० मिलियन रुबल सामूहिक फार्मों द्वारा अपने आधनों में विनियोजित किया जायगा।

इंजीनियरिंग उद्योग का औद्योगिक विकास-कार्यक्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसका विकास १० से ११% प्रति वर्ष की दर से होगा। बीमार निर्माण, रेडियो इलक्ट्रॉनिक तथा रसायन-प्रसाधनों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इंजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादन का कुल औद्योगिक उत्पादन में अंश सन् १९६४ में २६% से बढ़कर सन् १९७० में २८% से २९% होने का अनुमान है। इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास के लिए तीव्र इस्पात, अलौह धातु एवं रसायन उद्योगों का भी विस्तार किया जायगा। साथ ही इस्पात के उपयोग में रासायनिक उत्पादों का उपयोग करने में मितव्ययता की जायगी। रसायनिक खाद का उत्पादन लगभग दुगुना हो जायगा तथा रासायनिक पदार्थों से बनने वाली उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में १५०% से २००% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

शक्ति—योजना में विद्युत् उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन से भी अधिक दर से प्रगति करने का लक्ष्य है। अय-अवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत् शक्ति का अधिक उपयोग किया जायगा। इंजीनियरिंग एवं रसायन उद्योगों के विकास के कारण भी विद्युत् शक्ति के उपयोग में वृद्धि होगी। योजना के पांच वर्षों में विद्युत् शक्ति के उत्पादन में ७०% की वृद्धि का लक्ष्य है। इफिमेंट में विजली का विस्तृत उपयोग किया जायगा। इस क्षेत्र में विजली के उपयोग में २००% की वृद्धि होगी। इस क्षेत्र में विजली का उपयोग लगभग ६० से ६२ हजार मिलियन किलोवाट घंटे का जान का अनुमान है।

ईंधन—सन् १९६६-७० साल में ईंधन उद्योग का भी विस्तार किया जायगा। ईंधन के उपयोग में मितव्ययता करने का भी आयोजन किया जायगा। विजली-उत्पादन

में ८ से १०% ईंधन का उपयोग किया जायगा। गम के उत्पादन में ७४% से ८६% तथा तेल के उत्पादन में ४०% से ४२% तक की वृद्धि की जायगी। कायल के उत्पादन में लगभग १५% की वृद्धि होगी। ईंधन के उत्पादन में लम्बित वृद्धि हो जाने पर अथ-यवस्था में ईंधन की 'यूनता समाप्त हो जायगी।

रूस में लगभग २०० हजार से भी अधिक औद्योगिक ध्वस्तताय काम कर रहे हैं। ४० हजार सामूहिक फाम तथा १० हजार गामकीय फाम हैं। इससे अनिश्चित ११ हजार अनुभव 'न' बायीं संस्थाएँ हैं जो पूँजीगत निर्माण काम सम्पन्न करती हैं। सन् १९६४ तक में कृषि में उपयोग आन वासा भूमि ५२३ मिलियन एकर था। सन् १९६५ तक में रूस में २७ मिलियन मजदूरों एक वनन पान वाले लोग में अवधि इनकी संस्था सन् १९१२ में कबल चार मिलियन था।

(आ) रूस में नियोजन का संगठन

साविकत मध्य का स्थापना के पश्चात् अथ व्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण प्राप्त करने हेतु एक उच्चतम आर्थिक समिति केरना (Supreme Economic Vesenka) की स्थापना की गया। इसका कार्य क्षेत्र में साम्यवादी उद्देश्य का लिए आर्थिक मामला का अध्ययन तथा अथ व्यवस्था तयार करना सम्मिलित किए गए। सन् १९२६ में नवीन आर्थिक नीति की घोषणा का गया और योजनावद्ध आर्थिक विकास एक राजकीय योजना मायोग विमना नाम गोसप्लान (Gosplan) का स्थापना की गयी। जनतास्त्री विगपन, रनानिक तथा कुछ राज्य कामधारी दसक सदस्य थे। इनका मुख्य कार्य आर्थिक पुनसंगठन तथा नाति के विषय पर राज्य के लिए प्रसविदा तयार करना विशेष समस्याआपर मलाट देना और विस्तृत योजना के लिए आंकड़े एकत्रित करना था। बीदे धीरे इस संस्था के अधिकार बढ़ा गिय गये। सन् १९४१ के विधान न इसका अधिकार क्षेत्र इस प्रकार निश्चित किया—

(१) दीध भवधि तथा आर्थिक तिगाहा तथा मासिक राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं का तयार करना।

(२) मध्य संस्थाओं द्वारा तयार की गया योजनाओं का साराण राज्य का देना। इन संस्थाओं में राजकीय विभाग तथा प्रजातंत्र (Republics) राज्य प्रमुख थे।

(३) राज्य द्वारा स्वीकृत योजना की सफल पूर्ति हेतु नियंत्रण।

(४) समाजवादी अथ-व्यवस्था की विगण समस्या का अध्ययन।

(५) समाजवादी लखा (Socialist Accounting) का निर्माण।

गोसप्लान के पश्चात् महत्व के अनुसार राज्यों की योजना समितिओं और क्षेत्रीय योजना समितियों होती हैं। इनके अनिश्चित नगरीय न नगर योजना मस्याएँ तथा प्राथीय क्षेत्रों के लिए जिम्मा योजना संस्थाएँ होती हैं। इन तक तात्कालिक सहयोग द्वारा गोसप्लान देना के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं एक योजना का प्रगति

आदि के बारे में सूचना प्राप्त करता रहता है। जनवरी सन् १९०८ में केन्द्रीय योजना-संस्था को पुनर्गठित किया गया। गैरसभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण कार्य (उद्योगों के बीच साधनों का बँटवारा करने का कार्य) एक नवीन मन्त्रालय का जिम्मा प्राप्त किया गया। इसी समय एक तीसरी मन्त्रालय की स्थापना की गयी जिसे गैर-सभ्यता का नाम दिया गया। इसका कार्य आधुनिक आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के कार्यों को प्रोत्साहित करना था। यह आशा थी कि यह मन्त्रालय आधुनिकीकरण में प्रगतिशीलता का रूप देगा, परन्तु गणराज्य सफलतापूर्वक कार्य न कर सका। सन् १९४७ में समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार सामंजस्य का कार्य समाप्त एवं सामाजिक जीवन तथा दूसरे लोगों की याचना संवार करने का सीमित हो गया।

सार्वभूमिक नीति कायदाओं का सामंजस्य करने का आर्थिक कार्य के विभिन्न मन्त्रालयों पर था। इसमें उद्योग तथा विचारों में निरन्तरता प्राप्त नहीं थी। इसलिए केन्द्रीय योजना आयोग—सामंजस्य का याचना करना जो एक महत्वपूर्ण कार्य था, सन् १९५० में समाप्त कर दिया गया। सन् १९५० में आर्थिक, सामाजिक एवं सामिक याचनाओं तथा सन् १९५० का निर्धारित किया जाता है कि परिधि में प्रगति के अनुसार इनमें हेर-फेर करना तथा अनुसंधान करना जारी है और न ही नाम-हानि का भय रहता है।

उद्योगों का माहौल एवं प्रबंध—आधुनिक औद्योगिक समाज एक विभिन्न रूप का समाज है जिसका आधार है—विज्ञान-कार्य। कृषक-का आधार होने के कारण सबसे नीचे का स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसके ऊपर का का मजदूर-का है। श्रमिकों का सर्वोच्च-का, राज्य के उच्चतम पदाधिकारियों का सामंजस्य रूप के अधिकारों और सबसे ऊँचे को बोर्डों पर एक छाया का चुनाव हुआ। कुछ इसके नेता में सन् १९५० राजनस्य विहित है। इस प्रकार समाज बहुत से कार्यों में विनम्र है जिसमें अपनी उच्च-नीचे का निर्धारण नहीं करेगी एवं प्रमुख के अनुसार होता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक अनुसंधान जीवन-समय के योग्य धनोपार्जन करने के लिए बाध्य किया जाता है। राज्य यह अवसर ध्यान रखता है कि इसके लिए उनका अवसर प्राप्त हो सके। राजनीय नियंत्रण का काम इतना करे एवं विस्तृत है कि उनका का अधिकतम तथा आर्थिक अस्थिरता पूरी तरह दबा रहता है। साम्यवादी इन तथा राज्य की आर्थिक सर्वोपस्था है और उनके हाथों की पूर्ण सर्वोपस्था है। समाज निर्णय नहीं करे कि वे होते हैं और उनके उचित पालन के लिए कठोर निरीक्षण-संस्था का उद्योग होता है। कठोर नियंत्रण द्वारा ही चौथे पर बैठे हुए नेता समाज के सर्वोच्च का नियंत्रण एवं संचालन कर सकते हैं।

सन् १९५० एवं कृषक के लिए उसका कार्य मंत्रालयों के माध्यम से मात्र ही नहीं है प्रमुख सम्पूर्ण सामाजिक जीवन है। उत्पादन-क्षेत्र के नीचे और बाहर की सभी आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं का निर्देशन विशेष आयोगों के द्वारा

के अनुसार राज्य करता है। यह उद्देश्य है—मजदूर और कृषक को वीत्ताधिक विचार धारा से अवगत करना तथा बाणैविक मायधम को पूरा करने हेतु प्रेरित करना। इस प्रकार उत्पादन क्षेत्र अत्यन्त प्रभावशाली समाजवाद न म्कून हैं जहाँ समाजवादी विधान का प्रतिशत प्रदान किया जाता है। सोवियत उत्पादन व्यवस्था के मुख्य अंग है—राजकीय एव सहकारी व्यवसाय। समाजवादी दम और राज्य सदर यह प्रयत्न करत रहते हैं कि समस्त अर्थ व्यवस्था को राजकीय उत्पादन क्षेत्र म सम्मिलित कर लिया जाय। उनके विचार म इस प्रकार ही देण म समाजवाद की स्थापना हो सकती है। सरकार को एक अस्थायी व्यवस्था की तरह सहन किया जाना है।

प्रारम्भ म कारखानों की व्यवस्था के दो रूप थे—आंतरिक प्रबंध और बाह्य प्रबंध। कारखानों के आंतरिक प्रबंध सुचारुरूप से संचालित करने हेतु कारखानों को पृथक पृथक विभागों म विभक्त किया जाता था। इन विभागों के अथवा अपन अपने क्षेत्र म नियम करने और आगा देने म मूण स्वतंत्र थे। मन्त्रालय एक प्रकार से इन अध्येक्षा के बीच समन्वय स्थापित करने का साधनमान था परन्तु इन प्रकार की प्रबंध व्यवस्था अधिक सफल नहीं हुई। बाह्य प्रबंध के आतगत प्रत्येक कारखाने की केन्द्रीय एव प्रांतीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों आयोग विभाग आदि से आगा लेनी पड़ता थी। इस प्रबंध म बहुत अधिक दोष थे। कारखाना मन्त्रालय के अधिकार और कृत्या का निष्कारण होना अत्यन्त बलिन था।

सन् १९३४ म स्टालिन न प्रबंध सुधार की ओर ठस कदम उठाया। एक व्यक्ति को प्रबंध लागू करने हेतु पृथक पृथक विभागों के अध्येक्षा के अधिकार म बटौती कर दी गयी। स्वतंत्र नियम और आगा देने का अधिकार उनमें सदा ले लिया गया। अब के केवल अपन विभाग म आवश्यक परिवर्तना और दूसरे कार्यों के लिए सहायकों का पास अपनी सहाह ही भज सकते थे। मन्त्र आगा मन्त्रालय के नाम पर ही निकलती थी। सन् १९३४ म कम्युनिस्ट पार्टी के १७वें अधिवेशन म यह भी निश्चय किया गया कि उत्पादन का केन्द्रीय संचालन किया जाय। इसके द्वारा एक क्षेत्र म एक ही बस्तु के उत्पादन म सगे हुए कितने भी कारखाने हों उनको केन्द्रीय औद्योगिक प्रबंध समिति न पूण संचालन म द दिया गया। इसमें प्रबंधन को अर्थ योजना आयोग और राज्य म पृथक-पृथक विभागों से सम्पर्क न रखकर केवल स्टावक (Glavk) के द्वारा औद्योगिक प्रबंध-समिति से आगा लेनी होनी थी। कारखाना के उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति की देखभाल कारखाना की पूजा को आवश्यकताओं का अनुदान और व्यय की सीमा तयार करना उत्पादन प्रणाली मन्त्र और मजदूरों का चुनाव तथा दूसरी आंतरिक प्रबंध की बात का नियम करना आदि स्टावक के काय थे।

सोवियत कारखाना मण्डल दो विधेय धाराओं ने प्रभावित होकर बना है— अधिक उत्पादन का सन्त प्रयत्न तथा कारखाने द्वारा साम्यवादी सिद्धान्तों का पिना तथा प्रसार का प्रयत्न। उत्पादन और सिद्धान्त पिना न भक्त मिश्रण के लिए यह

प्राप्त्या में ने कृषि-मण्डल के लिए आर्टेल (Artel) के विद्वानों पर आपातित फाम चुन गये हैं। आधुनिक कृषि मण्डल के तीन मुख्य भाग हैं—सामुदायिक फाम-कारखाने या आर्टेल, राजकाय फाम या नावलाज तथा मशीन टेंक्टर स्टेशन।

कोलखोज (Kolkhoz)—कोलखोज व विद्वानों व मन्तव्य समन्वय मूमि सावित्त राय का सम्मम जाती है। आर्टेल का म्म पर म्माया अनिकार ह्ता है। मूमि वची या खरीता नहीं जा सकता। सन्स्था का मूमि का मिलाकर एक विधान फाम में परिवर्तित कर दिया जाता है। सुदस्था का उनके रहन व स्थान व मन्ताय निजी मूमि का जाता है जो ३ एकड़ म २३ एकड़ तक हा सकती है। इसका माना सन्स्था का राज्य-सेवा पर निर्भर रत्ना है। जिन उपादन व मायनों में कानलाज पर काय जाता है व सामुदायिक स्वामित्व में रहन हैं और सन्स्था व परिवार का निवास स्थान पशु पत्नी तथा औजार तिनका वह निजा प्रयाग करना है मन्वित्त स्वामित्व में रहन है।

कालखोज में १६ वष व मुक्क युवतिया का मन्व्य बनाया जा सकता है। प्रत्येक नव सदस्य का सावजनिक सभा में स्वाकृति सभा पत्नी है। किया सन्स्था का निष्कासन भी सावजनिक सभा में हा किया जाता है।

कानलाज व उपादन में स सवप्रथम राग्म व प्राण मुविवाओं का भुगतान किया जाता है। म्मक पन्धान १०% से १५% भाग अगत वष व वाच एक वार क काय व लिए रत्ता जाता है। अधिक म अधि उपादन का २०% भाग वृद्ध व पशु सतिकों व परिवार। तथा बच्चों व पातन-गृहा व लिए मन्व्य किया जाता है। उपादन का एक तिहाई भाग राग्म अथवा वाजार में वचन व लिए रत्ता जाता है जो राग्म काय व आधार पर सदस्यों में वाट दिया जाता है। कानलाज क समन्व वापिक जाय का कन स कन १०% और अधि स अधि २०% एक अधिकारवाय काय व रत्ता किया जाता है। यह कानखोज का पूजा में वृद्धि का साधन है।

फाम का काय सदस्यो द्वारा अपन थम स किया जाता है। अनिरित्त वनामिक थम विनाय परिन्धितिया में हा लगाया जाता है। सन्स्था को उत्पादन ब्रिगा (Production Brigade) में बाँट लिया जाता है। ब्रिगाड का ७ से १५ व्यक्तिया क रत्ता (Zones or Link) में बाँट देन हैं। रत्ता पर नियुक्त ब्रिगाड क्म से क्म एक क्मम सक् काय करते हैं तिमम काय की जिम्मेदारी उन पर डाली जा मक। प्रत्येक ब्रिगा का आवस्यक औजार वशु तथा अय वस्तुए दी जाती है। यदि कोई ब्रिगा मोमन में अधि उपादन कर सता है ता सामा्य सन्स्था का उपाजित काय विवम का १०% विवेग योग्य सन्स्था को १३% परिश्रमी एव क्मठ मन्व्य का तथा २०% ब्रिगाटियर का अनिरित्त भत्ता दिया जाता है। काय का आधार सदस्य के द्वारा उपाजित काय विवम की गत्ता हाना है। काय विवम एक कान्पनिक माप हाना है जा मित्र मित्र कायों व लिए विगडियर निर्दिचन करता है।

कोलखोज का प्रबंध—कोलखोज का प्रबंध प्रजातान्त्रिक होता है। प्रायः प्रत्येक पदाधिकारी का चुनाव होता है। १६ वर्ष के ऊपर के सभी सदस्यों की सार्वजनिक सभा में एक सभापति, प्रबंध-समिति, जम्मा समिति, बाषिक बाध-व्यय का अनुमान बाषिक उत्पादन-समियों का निर्धारण, वृषि-वर्ष के ऋण राज्य तथा मशीन ट्रेक्टर स्टेशन से समझौता आदि सभी कार्यों पर विचार तथा नियंत्रण होता है। प्रबंध-समिति के सभापति पर सम्पूर्ण गानुन-व्यवस्था का उत्तरदायित्व होता है परन्तु सभापति का स्वतंत्रता का माप बाध नहीं करने दिया जाता है। गाँव की सौविध्य, जिला साक्षिद्य, मशीन ट्रेक्टर स्टेशन तथा कान्वाज-समिति कान्वाज के कार्यों में सहाय के नाम पर नियन्त्रण करने हैं। कान्वाज समिति जवन निरामियों द्वारा जिन्हें बिन्दुत अधिकार प्राप्त हैं कान्वाज के कार्यों की देखभाल करती है। इसके अतिरिक्त कोलखोज के साम्यवादी नेता कान्वाज की सार्वजनिक सभा तथा प्रबंध-समिति के कार्यों की आलोचना करते रहते हैं तथा इन्हें सहाय्य के बाधित नहीं रहता है। इस प्रकार कोलखोज के प्रजातान्त्रिक प्रबंध पर राज्य एवं साम्यवादी धन का नियन्त्रण रहता है।

सोवखोज—राजकीय वृषि पाम गुण एवं विविधताओं का राजकीय शास्त्रियों के समान ही है। इनका प्रबंध औद्योगिक कारखानों के समान ही होता है। एक कारखाने के समान इनके प्रबंध पर राज्य द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और उनका उत्तरदायित्व भी राज्य के प्रति रहता है। किसी एक प्रकार के उत्पादन या वृषि-कार्य में सोवखोज ध्यान देता है। एक क्षेत्र में एक ही प्रकार के उत्पादन करने वाले सोवखोज एक ट्रस्ट में बाँधे जाते हैं। अधिकार ट्रस्ट सोवखोज मन्त्रालय के केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Ministry of Sovkhoz) अथवा 'लावर्' के अधीन कार्य करते हैं। विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाले सोवखोज अथवा मन्त्रालयों में भी सम्बन्धित होते हैं। बाषिक प्रबंध, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रतिष्ठित एकात्मक तथा राष्ट्रीय को सोवखोज का मुख्य अधिकारी समझा जाता है। सोवखोज में भी शरणागती के समान कम्प्यूनिस्ट पार्टी तथा अन्य नव धरणा पृथक् अधिकार रहते हैं।

मशीन ट्रेक्टर स्टेशन या मट्रस—मट्रस राजकीय सम्पत्ति है। इनका मुख्य कार्य सामुदायिक धर्मों की सहायता देना है। मशीन ट्रेक्टर के अतिरिक्त यह विद्यार्थी, सड़क निर्माण, छात्रावासों का निर्माण, अस्पताल की अर्थति तथा नयी मूल्य का वित्तियोग्य बनाने आदि का भी प्रबंध करते हैं। मट्रस का प्रबंध सार्वजनिक सहायता से मिलता है। वृषि मन्त्रालय का मट्रस केन्द्रीय बोर्ड (Glasok) सभी मट्रसों में अनुसूचक कोलखोज से सम्बन्ध तथा राजकीय नीति निर्धारण करता है। १ मट्रस १ या ६ कोलखोज से सहायता देता है। मट्रस तथा कोलखोज के प्रतिनिधियों की एक समिति अतिरिक्त पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कार्य करती है। प्रत्येक मट्रस में

एक सचालक, तीन सह सचालक और एक एकाउण्टेण्ट होता है। सह सचालक म राजनातिक मायनर्त्ता, कृषि, वनानिक और इन्जीनियर मकनिक नियुक्त होत हैं।

श्रमिक सघ—श्रमिक सघों का ज म पुरान हसी सासन म हुआ। प्रथम श्रमिक सघ काव (Kccv) म सन् १९०३ म स्थापित हुआ। वास्तव म श्रमिक सघा का प्रारम्भ सन् १९०५ व आंदोलन स माना जाता है। श्रमिक सघों क दा विंगप काय हैं—

(१) मजदूरा का कठार अनुशासन म रचना तथा

(२) उनका मिलन वाली सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध।

सन् १९४६ म श्रमिक सघ विधान का निर्माण कम्युनिस्ट पार्टी न दिया।

सन् १९५७ म इनका सरकारा मा यता प्राप्त हुई। इसक अनुषार श्रमिक सघ क मुख्य काय निम्न हैं—

(१) श्रमिक तथा अय कर्मचारिया म समाजवादा प्रतिस्थापन सिद्धांत का विस्तार,

(२) श्रम उत्पादन का अधिकतम प्राप्साहन देना

(३) माजना क सदया का पूनि तथा सभ्य स अधिक उत्पादन

(४) उत्पादन क गुण म उप्रति

(५) वेतन निर्धारण म सहयाग

(६) कारखान के साथ सामुदायिक समझौता करना

(७) धार्मिक साधनों का अधिकतम उपयोग,

(८) उत्पादन की साधत म नमी

(९) सामाजिक जीमा तथा जन कल्याण के काग प्रबन्ध

(१०) सदस्या की शिक्षा प्रशिक्षण तथा समाजवादा सिद्धान्त की जानकारी

(११) शिक्षा के औद्योगिक और सामाजिक जीवन म आकर्षित करना तथा

(१२) मजदूरी क प्रतिनिधि के रूप म उनकी समस्याओं का अध्ययन करना

और सुझाव देना।

सोवियत श्रमिक सघ का आधार एक उद्योग हाता है। उस उद्योग म काय करन वाले सभी यति (मजदूर व मचारी अधिकारी तथा सचालक) इस सघ क सदस्य होत है। प्रजातार्तात्रक व द्रोयकरण स इनका सचासन होना है। फकरा समिति ने लवर के द्रोय समिति तक प्रत्येक पनाधिकारी का चुनाव होता है। सदस्य अपनी मासिक आम का १% गुल्क के रूप म दते हैं। श्रमिक सघ के सदस्या की काय निसन म प्राथमिकता मिलती है। सामुदायिक समझौता व अनुषार सघ के सदस्या को प्रथम अवसर देने के लिए बाध्य किया जाता है।

श्रमिक सघ क आधार पर तीन सबठन हाते हैं—उद्योगा म फकरा-समिति ऑफिस तथा अय संस्थाभा म स्थानीय समिति तथा कारखानों की दुकाना म कर्म-

चारियों के लिए जनकारी समिति। इनमें से प्रत्येक समिति एक नया एक सामाजिक बीमा एजेंट तथा एक नया निरीक्षक चुनती है। जायिक जायिक धर्मिक नव बीमों से न के लक्षों की सम्बन्ध सम्पा है। इस सम्पा का कार्य बर्तमान हू एक के शीप समिति चुनी जाती है। निम्न कार्य के लिए यह समिति एक प्रकीर्ण एक सेक्रेटरी तथा वेनमेन चुनती है।

स्त्री जय-अवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ

रूस में Khorraschot गण्ड का उदय इतना जल्द के साथ निराश्रितों एक प्रयोगात्मिकों द्वारा किया गया है। इस गण्ड का जर्ष जर्ष-अवस्था की नवना में होने वाले परिवर्तनों के विषय गता है। इनके अन्तर्गत स्त्री अवस्थाओं में कानून के अन्तर्गत के अन्तर्गत पर सामाजिक समता के विषय गता है। Khorraschot समितियों के अन्तर्गत स्त्री जय-अवस्था की प्रवृत्त अवस्था एक विवेक प्रवृत्त में सुसज्ज सुधार लिए जा रहे हैं।

स्त्री प्रवृत्त में सुधार

इनके द्वारा स्त्री जय-अवस्था की समस्त उपायों में सुधार एक उपायों के अन्तर्गत पर सुधार करने का प्रयत्न किया जा रहा है। निपायित जय अवस्था के अन्तर्गत मातृत्व प्रोत्साहन (Maternal Incentives) अधिक परि-धमिक एक जायिक प्रतिष्ठा की प्रोत्साहित कर प्रवृत्त-अवस्था की सुधारों का विधा-नित किया गया है। अवस्थाओं का जब जन्मे उचारण के सुधार में अधिक नव-वस्था एक प्राथमिकता प्राप्त की जाती है जो उपायों के परिभाषा के साथ उपायों के गुणों की भी अवस्था की उपायों के सुधारों के लिए उपायों किया गया है। अवस्थाओं के उचारण एक प्रवृत्त के सुधार में निम्नलिखित परिष्कार लिए जा रहे हैं—

(अ) अन्तर्गतों के साथ का सुधारों अब केवल उनके परिभाषा के अन्तर्गत पर नहीं किया जाता है बल्कि अन्तर्गतों के सुधारों के अन्तर्गत अन्तर्गतों की भी अन्तर्गत में अन्तर्गत है। निम्न अवस्थाओं की उपायों अब अन्तर्गतों की निम्न प्राप्त मान उपाय अन्तर्गतों के सुधारों पर निर्भर रहती है।

(आ) निम्न अवस्थाओं के साथ का उपायों एक अन्तर्गत-अवस्था है, उनका परिष्कार एक अन्तर्गत में नहीं किया जाता है। इन अवस्थाओं की उपायों अन्तर्गत करने का अधिकार दिया गया है।

(इ) जायिक प्रोत्साहनों के सुधार का उपायों दिया गया है। अन्तर्गतों की उपायों अन्तर्गत उनके अन्तर्गत अन्तर्गत के अन्तर्गतों तथा अन्तर्गत अन्तर्गत के उपायों पर निर्भर रहती है।

(ई) अन्तर्गतों अवस्थाओं (Socialist Entrepreses) की जायिक अन्तर्गतों का सुधारण में अन्तर्गत के सुधार का उपायों दिया गया है। इन अवस्थाओं की अन्तर्गत

एव विवास का अब लम्बे इनका मुगलता म वृद्धि, तात्रिक प्रगति एव अभिनवा का उपयोग करना तथा हानी लाभोपाजनक्षमता बनाना है वह व्यवसाय अब अधिक मपन समझा जाता है जो कि अच्छे गुणा की वस्तुआ का उत्पादन कम लागत दर पर सकता है। यह मूलकात्मान परम्पराआ व विपरीत व्यवस्था है क्याकि प्रवच सम्प्रदायी सुधारों क पूर्व व्यवसाया की सफरना उनक भौतिक लम्बा एव उनका पूर्ण पर निर्भर रहती थी और उत्पादों के गुणा को मन्त्र नष्ट किया जाता था।

(३) व्यवसाया क काल्पनिक पदचाल यथे लक्ष्य नामा का तीन भागा म बाँटा जाता है—समाचारिया को शास्त्राहक एव वाचक सामाजिक मुविधाओं एव शिक्षा के विस्तार तथा व्यवसाय का विपरीतरण एव विकास।

प्रत्येक सम्प्रदायी इन सुधारों द्वारा व्यवसाया म बुद्धिमान की प्रवृत्तियों (Bureaucratic Practices) को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। साहसिक एव व्यक्तिगत प्रारम्भिकता को सभी समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत अधिक महत्व दिया जा रहा है।

नियोजन प्रणाली म सुधार

हसी नियोजन प्रणाली निर्देशन द्वारा नियोजन एव केन्द्रित नियोजन का नमूना आना जाता रहा है परन्तु इस प्रवृत्ति म अब कुछ मूलभूत सुधार किए गए हैं। अब समस्त आर्थिक निष्पन्न सर्वोच्च अधिकारिया द्वारा नहीं किए जाते हैं और समाजवादी व्यवसाया का अधिक आर्थिक स्वतन्त्रता एव प्रारम्भिकता प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था के केन्द्रीय नियोजन अधिकारियों को नियोजन म सम्बन्धित समस्त लक्ष्य एवं विवरण तयार करने की आवश्यकता नहीं हानी है जिसके परिणामस्वरूप कर्तीय राज्य नियोजन एक आर्थिक प्रगति क मूलभूत घटक पर अपना ध्यान केन्द्रित रखता है तथा नियोजन तात्रिकताआ व प्रतिपादन का कार्य करता है।

हसी नियोजन की तीव्र प्रवृत्ति क अन्तर्गत कमजोर माधन एव सम्पत्तिया म अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। देश की समस्त उत्पादन शक्तियाँ म तात्रिक एव वनानिक प्रगति नीधना म करने तथा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों क असन्तुलन का दूर करना भा नियोजन क जनमान परिवर्तना का लक्ष्य है।

नियोजन क लक्ष्य म आर्थिक मुहता एव सुखमता का अब अधिक महत्व दिया जाना लगा है। इसी कारण लक्ष्य क समष्टि एव सांख्यिक व लिए इतरद्वानिक कम्प्यूटिंग क उपयोग का विस्तार किया गया है।

साविकन नियोजन क अन्तर्गत उद्योग एवं कृषि हक तथा उपमाग उद्योगों एव भारी उद्योगों तथा क्षेत्रीय असन्तुलनों का समाप्त करने का प्रयत्न भी जारी है।

[(१) चीन में आर्थिक नियोजन (२) जापान में आर्थिक नियोजन (३) ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन (४) समुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक नियोजन (५) इन्डोनेशिया में आर्थिक नियोजन, (६) मीलों में आर्थिक नियोजन (७) पर्मा में आर्थिक नियोजन, (८) फिजीपाईन्स में आर्थिक नियोजन (९) पाकिस्तान में आर्थिक नियोजन, (१०) समुक्त अरब गणराज्य में आर्थिक नियोजन]

चीन में आर्थिक नियोजन

चीन की स्थिति सन् १९४८ में बहुत दूर और साम्यवादी राज्य स्थापित किया गया। इस समय देश की वित्तीय एवं आर्थिक दशा अत्यन्त गंभीर थी। सन् १९३१ से १९४६ के बीच कुल उत्पादन में लगभग २०% उत्पादन कम हो गया था और कुल मुद्रा के कारण इन्फ्लेशन अत्यन्त बढ़ने की क्षमता का ९०% मात्र बच रहा था। मातापिता के साधनों का भी दही सीसा तक बिनाग किया गया था। KMT सरकार ने घाट की क्षमता अत्यन्त कम धारित करने प्रयोग किया और कुल-स्थिति का दबाव अत्यधिक हो गया था। सूखों में लगभग २०% की वृद्धि प्रतिदिन हो रही थी। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने हेतु सन् १९४६ में आर्थिक पुनर्बांध (Economic Rehabilitation) का कार्यक्रम बनाया गया जिसमें आर्थिक बिनाग के बटते हुए प्रयोग हुए गये। सन् १९५० तक आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुए और कुल एवं औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। सन् १९४६ में देश भर के लिए समान मुद्रा का चलन किया गया जिसने और धीरे-धीरे जनता का विश्वास प्राप्त कर लिया। सबसे देश के लिए मात्र सन् १९३० के प्रथम बार राष्ट्रीय बजट बनाया गया। पूरे सन् १९३० में भूमि सुधार विधान बनाया गया और दो वर्षों में भूमि-सुधार पूरे कर लिए गये। तीन वर्षों में ही एक औद्योगिक उत्पादन, रेल एवं मातापिता के साधनों जन-संरक्षण (Water Conservation) में इतना विनियोजन किया गया जो पिछले २२ वर्षों में निराला भी नहीं किया गया था। सन् १९४६-४७ तक चीनी अर्थ-व्यवस्था में निम्न पांच क्षेत्र थे—

(१) राजनाय क्षेत्र, जिसमें भारी उद्योग यातायात, वितरण एवं वित्त सम्मिलित थे।

(२) सहकारा क्षेत्र जिसमें श्रृषि-उत्पादन सहकारी समितियाँ विपणन एवं सप्लाई समितियाँ आदि सम्मिलित थी।

(३) पूँजीपति अधिकार क्षेत्र जिसमें व हल्के उद्योग, जो अभी निजी पूँजीपतियों के अधिकार में थे सम्मिलित थे।

(४) निजा अधिकार क्षेत्र जिसमें वस्त्रकार, वस्त्रगत किसान तथा स्वयं अपना काम करने वालों के व्यवसाय सम्मिलित थे।

(५) राज्य एवं पूँजीवादी क्षेत्र में ये व्यवसाय सम्मिलित थे जो राज्य एवं पूँजीपतियों द्वारा सामूहिक रूप से चलाय जाते थे।

सन् १९४३ में चीन में आर्थिक नियोजन को प्रारम्भ किया गया और चीन का प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। चीन में सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी नेशनल पापुल्ल्स काँग्रेस है और यह काँग्रेस सभी बड़े बड़े निर्णय करती है। इसका नीचे स्टेट काउंसिल होती है जो भारत के केन्द्रिय मंत्रियों के कबिनेट के समान है। इस काउंसिल का उप प्रधान देश के आर्थिक नियोजन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। योजना सम्बंधी समस्त कार्यक्रम स्टेट प्लानिंग कमिशन द्वारा किए जाते हैं और यह कमिशन स्टेट काउंसिल के उप प्रधान के अधीन होता है। इस के समान चीन में भी दायवालीन एवं अल्पकालीन योजनाएँ बनायी जाती हैं। दीपकालीन योजना बनाने का काम स्टेट प्लानिंग कमिशन करता है और अपकारीन योजनाएँ राजकीय आर्थिक कमिशन द्वारा बनायी जाती हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक प्रान्तीय योजना कमिशन होगा जो प्रान्त में योजना सम्बंधी कार्यक्रम की देखभाल करता है। प्रान्तीय कमिशन के नीचे काउंटी स्तर पर योजना तथा साक्ष्य विभाग होते हैं। योजना का विवरण आधारभूत इकाइयों द्वारा तयार किया जाता है। सहकारी तथा राजकीय क्षेत्र के व्यवसाय आधारभूत इकाइयाँ कहलाते हैं और वे अपने लिए योजना बना सकते हैं। पूँजीवादी क्षेत्र के व्यवसायों के सम्बंध में आधारभूत इकाई प्रत्येक व्यवसाय के स्थान पर प्रशासनिक क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार पूँजीवादी व्यवसाय अपनी योजना अपने आप नहीं बना सकते हैं। उनके लिए योजनाएँ प्रशासन द्वारा बनायी जाती हैं।

स्टेट प्लानिंग कमिशन केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से सलाह करके समस्त राष्ट्र के लिए नियंत्रण लक्ष्य (Control Figures) तयार करता है और इन लक्ष्यों के लिए स्टेट काउंसिल में स्वीकृति प्राप्त कर लेता है। इन नियंत्रण लक्ष्यों को नीचे की संस्थाओं को दे दिया जाता है। नीचे की संस्थाएँ अपनी अपनी प्रस्तावित योजनाएँ बनाती हैं जो स्टेट काउंसिल के पास भेजे जाते हैं। इन प्रस्तावित योजनाओं की एवं प्रतिनिधि स्टेट प्लानिंग कमिशन को भी भेजे दी जाती है जो उनका

आधार पर राष्ट्रीय योजना बनाता है। इस योजना को स्टेट वार्टन्सिल की स्वीकृति मिलने के पश्चात्, उसे नेशनल पोपुलर वॉरिंस में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वॉरिंस की स्वीकृति के पश्चात् योजना का अधािनिक मान्यता प्राप्त हो जाती है और फिर उसे नीचे की स्तरों के पास प्रियाचित करने हेतु भेज दिया जाता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (सन् १९५३-१९५८)—उद्योगि यह माना गया है कि चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना सन् १९५३ में प्रारम्भ हो गयी थी परन्तु वास्तव में यह योजना अन्तिम रूप में लुहार सन् १९५५ में स्वीकृत हुई। चीनी सरकारों का दोषकारीत उद्देश्य देश में समाजवादी औद्योगिकरण, कृषि एवं दम्तकारी के क्षेत्रों में समाजवादी सिद्धांतों का अनुसरण तथा निजी व्यवसायों का समाजवादीकरण करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का इन उद्देश्यों के प्रति प्रथम प्रयास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्न प—

- (१) समाजवादी औद्योगिकरण की नींव डालना।
- (२) कृषि एवं दम्तकारी में समाजवादी परिवर्तनों की नींव डालना।
- (३) निजी उद्योगों एवं वाणिज्य में समाजवादीकरण की नींव डालना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न कार्यक्रमों पर योजना में विशेष ध्यान दिया गया—

(१) शक्ति, कोयला लोहा, इस्पात अलौह धातु आधारित रसायन मशीन-निर्माण उद्योगों की स्थापना तथा विन्सार विद्युत धातु कारखाने वाली बड़ी मशीनें एवं औजार, शक्ति उपकरण बनाने, धातु-गोपन तथा लौह कारखाने-सम्बन्धी सामग्री, नाट-गाठिया, ट्रेक्टर तथा हवाई जहाजों का निर्माण किया जा सके।

(२) बरफ उत्पादन, इन्धन-उद्योग तथा अणु-बाँटे तथा मध्यम श्रेणी के व्यवसायों का जो कृषि के लिए सामग्री दें, पर्याप्त विकास जिसमें जनता की भाँतों की आवश्यकतानुसार पूर्ति दी जा सके।

(३) बतमान औद्योगिक व्यवसायों का उपयुक्त एवं पूर्णतः स्वतंत्र तथा उनकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि।

(४) कृषि में धीरे-धीरे सहकारीता का उपयोग। इसके लिए कृषि की उत्पादन सहकारी समितियों की स्थापना तथा जल के संचय (Water Conservancy) का प्रवर्ध तथा विशेष ध्यान उत्पादन की वृद्धि का प्रवर्ध करना।

(५) पाठ्यालय, बाजार व ठान आदि का व्यवस्थापन के विन्सार के अनुसार विनाश। रेल निर्माण को सर्वोच्च महत्व दिया गया।

(६) आर्थिक दम्तकारी को धीरे-धीरे सहकारी समितियों में प्रकृत करना।

(७) पूँजीवादी व्यवस्था की तुलना में समाजवादी व्यवस्था के प्रभुत्व को बढ़ाएँ और विस्तृत करना।

(८) राजकीय आय तथा व्यय में सन्तुलन करके नगरों एवं ग्रामों में वस्तु-विनिमय में वृद्धि करने तथा वस्तुओं के वितरण को बढ़ाकर बाजार में स्थिरता उत्पन्न करना ।

(९) सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण का विकास तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु साधनों का प्रशिक्षण देना ।

(१०) कठोर मितव्ययता अपनाकर व्यय को दूर करना तथा राष्ट्रीय निमाण हेतु पूंजी संचय में वृद्धि ।

(११) उत्पादन तथा श्रमिक की उत्पादकता की वृद्धि के आधार पर श्रमिकों के भौतिक तथा सांस्कृतिक जीवन स्तर में वृद्धि ।

(१२) चीन की विभिन्न राष्ट्रीयताओं (Nationalities) में पारस्परिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग तथा सहयोगिता को सुदृढ़ बनाना ।

विनियोजन—प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य को ७६,६४० मिलियन यौन का विनियोजन करना था । इसमें से ७४ १२० मिलियन यौन राज्य को अपने बजट से देय था तथा २ ५२० मिलियन यौन विभिन्न आर्थिक विभागों केन्द्रीय अधिकारियों तथा प्रांतीय एवं नगरपालिकाओं के प्रशासना द्वारा जुटाया था । यह विनियोजन विभिन्न मंदा पर निम्न प्रकार हुआ था—

तालिका सं० ३१—चीन की प्रथम योजना में विनियोजन

मंदा	मिलियन यौन	भाग से प्रतिशत
(१) औद्योगिक विभाग	२१ ३२०	४० ६
(२) कृषि एवं जल संचय तथा जन विभाग	६ १००	८ ०
(३) यातायात, ऊर्जा व तार विभाग	८ ६६०	११ ७
(४) व्यापार अधिकाएण सर्वत्र विभाग	२ १६०	२ ८
(५) सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा जन स्वास्थ्य विभाग	१४ २७०	१८ ६
(६) नगरों की जन सेवाएँ	२ १२०	२ ८
(७) आर्थिक विभागों की सामू पूंजी	६ ६००	६ ०
(८) आर्थिक विभागों की सामग्री की मरम्मत आदि	२ ६००	४ ७
(९) अन्य आर्थिक मंदा	१,१८०	१ ४
योग—	७२ ६४०	१००%

उपरोक्त समस्त विनियोजन राशि ७६ ६४० मिलियन यौन में से ४२ ७४० मिलियन यौन, अर्थात् ५२ ८% पूंजीगत विनियोजन होगा । पूंजीगत विनियोजन विभिन्न मंदा पर निम्न प्रकार हुआ था—

तालिका सं० ३२—चीन की प्रथम योजना में पूँजीगत विनियोजन

विभाग	मिलियन चीन	वाग स प्रतिशत
(१) औद्योगिक विभाग	२८,५५०	१८.०
(२) कृषि, जन नवय तथा वन विभाग	३,०६०	१.६
(३) यातायात डाक व सार विभाग	२,०१०	१.२
(४) व्यापार अधिनायन, नहर विभाग	१,०००	०.६
(५) सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा जन स्वास्थ्य विभाग	०,०००	०.०
(६) नगरों की जन-सेवाएँ (Public Utilities)	१,६००	१.०
(७) अन्य मदें	६६०	०.४
योग—	४०,०००	१००%

प्रथम योजना में पूँजीगत विनियोजन सबसे अधिक उद्योगों पर हुआ था। २४.८५० मिलियन चीन का राशि के अनिश्चित १.६३० मिलियन चीन का पूँजीगत विनियोजन न्याय मन्त्रालय के अनिश्चित जन मन्त्रालयों को उद्योगों पर विनियोजन करना था। इस प्रकार उद्योगों में पूँजीगत विनियोजन की राशि २६,६०० मिलियन चीन थी। इसमें निजी तथा शासकीय एवं निजी औद्योगिक व्यवसायों का विनियोजन सम्मिलित नहीं था। विनियोजन की इस राशि का ८०.८% भाग ऐसे उद्योगों में विनियोजित हुआ था जिनमें उत्पादन सम्पूर्ण स्वतंत्र होनी थी तथा गैर-व्यवसाय-वस्तुओं का उत्पादन करने उद्योगों में विनियोजन हुआ था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में तीन इलाकों के बड़े बड़े शहरों को अन्शान (Anshan) वूहान (Wuhan) तथा पाओटाव (Paotow) स्थानित करने का लक्ष्य था। देश भर की बापी जान घाटी भूमि २,०३३,००१,००० मी (Mou) करने का लक्ष्य अपनाते हुए १,६४० की भूमि १,४६२,५०० मी (Mou) तक। राजकीय कार्यों की गुण्ठा ३,०३८ तक बढ़ाने का उद्देश्य था तथा उचित भूमि में ३२ मिलियन ची की वृद्धि करनी थी। इसी प्रकार यातायात के क्षेत्र में रेल से टोप जाने वाले आठ का उज्ज्वल २४,५००,००० टन होने का उद्देश्य था तथा नाव टोपे जाने वाली दूरी १०,६०० मिलियन टन किलोमीटर का बनना थी। मालवाहक द्वारा टोप जाने वाला माल ६७,४६०,००० टन हो जाना था तथा आर्थिक अहाजकारियों से ३६,८६४,००० टन माल टोपे जाने का उद्देश्य था। १०८४ कि। मीटर की नदी रेलवे लाइनों को बनाने का भी लक्ष्य था। अन्त-उत्पादन में वन् १९५७ तक ६४% वृद्धि राष्ट्रीय उद्योगों में होनी थी तथा अर्थिक की मजदूरी में २३% वृद्धि करने का लक्ष्य था।

उत्पादन लाग्य—योजना के उत्पादन तदय निम्न प्रकार थे—

तालिका ५० ३३—चीन की प्रथम योजना के प्रथम उत्पादन लाग्य

मद	सन् १९५७ का उत्पादन	सन् १९५७ का लाग्य	वृद्धि का प्रतिशत (१९५७=१००)
(१) साधारण की फसलें (मिनिमम कटौत)	५,२७ ८३०	३ ८५ ६२०	११७ ६
(२) कपास	२ ६१०	५ २७०	१२५ ६
(३) गन्ना	१४ ७५०	२६ ३१०	१८५ १
(४) यना दूध तम्बाकू	४४०	७८०	१७६ ६
(५) विद्युत-शक्ति (मिलियन KWH)	७,२६०	११ ६००	२१६ ०
(६) विद्युत गीह (हजार टन)	६६ ५५८	१ १२ ६८५	१७८ ०
(७) लकड़ मस	४३६	२,०१२	४६२ ०
(८) इस्पात	१ ३५०	४ १७०	०६ ०
(९) इस्पात का रस्सुण (हजार टन)	१ ११०	३ ०४५	२७७ ०
(१०) धातु काटन की मशीन व औजार (मिलियन)	१६ २६८	२६ २६२	१८० ०
(११) रेल इंजन (संख्या)	७०	२००	१ ००० ०
(१२) लोकोमोटिव (हजार टन)	७ ८६०	६ ०००	७१० ०
(१३) सूती यन्त्राणि (हजार घोंट)	१ ११ ६५६	१ ६३ ७२१	१ ८७ ०
(१४) धातु (हजार टन)	७४६	६८६	२७६ ०
(१५) मशीन व यन्त्र सामग्री	३७२	६५५	१७६ ०

अथ साधन—चांग की प्रथम योजना के लिए अथ साधन जपितकर परतू साधनो स ही सुमान थे । ममे मे (सन् १९५६ म) ५२० मिनिमम मदन का फण चीन का प्राप्त हुआ था जिसे पूजायन विनियोजन म व्यय किया गया । विदेगा पुजा पनिया का समाप्ति तथा जमींदारो एव धरतू पूजापनिया स विवाम क लिए घडी राक्षियो प्राप्त हुई । इमने अनिरित राजकीय व्यवसायो का लाभ राजकीय व्यापार नियम का साथ तथा औद्योगिक एव व्यापारिक वरा द्वारा अथ साधन प्राप्त नियम । यह मान विवाहपूर्ण है कि चांग म योजनाओं का कार्यान्वित करन क लिए घाटे की अथ व्यवस्था का उपयोग किया गया अथवा नरा ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति—योजना म पूजायन विनियोजन राशि (अनुमानित) ४२ ७४० मिनिमम योन क स्थान पर ४८ ७७७ मिनिमम योन हुआ । १०० एवम नीम (Above Norm) नबोन तथा पुननिमित औद्योगिक यान नाजों की पूर्ति की गयो । नमत्रय ५ १०० मिनामाटर म्बा नबोन तथा पुननिमित रेलवे लाइन का कार्य पूरा होन का अनुमान था । औद्योगिक उत्पादन लीन मात्रा मे ४१% अथिह हुआ । अत्र का उत्पादन ३७० ००० मिनिमम क्रीत्र तथा कपास का ३२ ८०० ००० टन हुआ । सन् १९५६ का लुकरा म उच्च निम्ना प्राप्त करन मान विधापिया का म्ब्य म सन् १९५७ तक ६७/ की वृद्धि हुई तथा माध्यमिक

गिटा पाने वाले विद्यार्थी १५% बढ़ गये। सन् १९७६ के स्तर की तुलना में अस्पताल के पलंग ११.७% बढ़े। सन् १९६७ के अन्त तक कृषि एवं दम्तकारों के क्षेत्र में दवा भर में सहकारिता का विस्तार हो गया। उगभंग सभी पूँजीवादी औद्योगिक व्यवसाय राज्य एवं निजी क्षेत्र के अधीन आ गये। धमिकों की मजदूरी में औसतन ३३.५% की वृद्धि हुई। राजकीय उद्योगों में धमिकों के उत्पादन में ७०.४% की वृद्धि हुई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—धीन की द्वितीय योजना द्वारा उन्हीं उद्देश्यों के प्रति ध्यान बढ़ना या जो प्रथम योजना में निर्धारित किया गया था। द्वितीय योजना के निम्नलिखित पाँच उद्देश्य निर्धारित किया गया—

(१) औद्योगिक निम्नलिखित जिसमें भारी उद्योगों के महत्व का जारी रखना तथा राष्ट्रीय आय व्यवस्था में सामाजिक पुनर्निर्माण एवं समाजवादी औद्योगीकरण की दृष्टि के लिए कार्यवाही करना।

(२) समाजवादी परिवर्तन के अन्तर्गत सामूहिक अधिकार (Collective Ownership) तथा समस्त जनसमुदाय के अधिकार की वृद्धि का विस्तार करना।

(३) कृषि उद्योग तथा दम्तकारों के उत्पादन में वृद्धि तथा इसके अनुकूल यातायात एवं वाणिज्य का पूँजीगत निधायन के आधार पर उन्नतकारी परिवर्तनों के द्वारा विकास करना।

(४) समाजवादी व्यवस्थाएँ एवं संस्कृति के विकास के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण का सुदृढ़ बनाना तथा सामाजिक निर्माण-कार्य में प्रविष्टि प्रदान करने का अधिकतम प्रयास करना।

(५) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धनिक बढ़ाना तथा जनसमुदाय के नैतिक एवं सामूहिक जीवन में अधिक कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के आधार पर वृद्धि।

उपरोक्त उद्देश्यों का पूर्ति हेतु निम्न कार्यवाहियों की जानी थीं—

(१) सन् १९६७ की तुलना में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के समस्त मूल्य (Total Value) में ७५% वृद्धि।

(२) औद्योगिक उत्पादन की समस्त मूल्य राशि प्रथम योजना के तन्तित मूल्य-राशि की तुलनी है। कृषि उत्पादन की मूल्य राशि का सन् १९६७ की तन्तित मूल्य-राशि में ३५% अधिक करना।

(३) द्वितीय योजना में भी पूँजीगत व्ययों के उत्पादन-वृद्धि की दर उद्योग-व्ययों की उत्पादन-वृद्धि की दर से अधिक होगी।

(४) सन् १९७७ की तुलना में सन् १९६० तक राष्ट्रीय आय में ५०% वृद्धि करना सम्भव होगा। राष्ट्रीय आय के वितरण के सम्बन्ध में उन्नत तथा सचय में उचित अनुपात रखा जायगा। प्रथम योजना की तुलना में सचय की दर कुछ अधिक होगी जिससे जनसमुदाय के जीविकोपार्जन में धीरे धीरे सुधार किया जा सके और समाजवादी निर्माण की गति तीव्र हो सके।

(५) यथासम्भव राष्ट्रीय सुरक्षा तथा प्रशासन सम्बन्धी व्यय को कम किया जाय और आर्थिक निर्माण तथा सांस्कृतिक विकास के व्यय को बढ़ाया जाय जिससे समाजवादी निर्माण द्रुत गति से सम्भव हो सके।

(६) राजकीय एवं पूंजीय निर्माण म विनियोजन की जाने वाला राशि राज्य द्वारा होने वाले समस्त व्यय का ४०% किया जा सकेगा। यह अनुपात प्रथम योजना म ३५% था। कृषि एवं उद्योगों के गीघ विकास के लिए पूंजी निर्माण सम्बन्धी समस्त विनियोजन का ६०% भाग उद्योगों पर विनियोजित किया जा सकेगा जबकि यह प्रतिगत प्रथम योजना म ५८२% था। कृषि आदि पर पूंजी निर्माण-सम्बन्धी विनियोजन समस्त विनियोजन का १०% होगा जबकि प्रथम योजना म यह बवल ७६% था।

उत्पादन लक्ष्य

तालिका सं० ३४—चीन की द्वितीय योजना के उत्पादन लक्ष्य

मद	इकाई	संभव सन् १९५७ का	संभव सन् १९६१ का
(१) अनाज	(दस करोड कटोज)	३,६३१ =	५,०००
(२) कपास	(दम हजार)	३ २७० =	४ ८००
(३) सोयाबान	(दस कराड कटोज)	२२४४	२४०
(४) निजली	(KWH)	१४६०	४०० ४३०
(५) कोयला	(दस हजार टन)	११ २६८ /	१ ६०० २ १००
(६) ऊँ उतेस	()	२०१२	५०० ६००
(७) इस्पात	()	४१२०	१ ०५० १ २००
(८) एंजूमिनिडम क इ गेट	()	२०	३० ३२
(९) रासायनिक खाद	()	५७ ८	१०० ३२०
(१०) धातु गोधन सामग्री	()	० ८	३४
(११) गति उत्पादन सामग्री (दस हजार KWT)	()	१६४	१५० १५०
(१२) धातु काटन क औजार एवं मशीनें	(इकाई)	१३	६६५
(१३) सीमंट	(टन)	६०००	१ २५० १ ५५०
(१४) सूती धागा	(गाँठें)	५०००	८०० ६००
(१५) सूनी वस्त्र	(कोस्ट)	१५,३७२ १	२३ ५०० २६ ०००
(१६) नमक	(टन)	७५५४	१ ००० १ १००
(१७) धावकर (हाथ द्वारा बनी सहित)	(दस हजार टन)	११००	२४० २५०
(१८) मशीन का बना कापज	(दम हजार टन)	६५५	१२० १५०

विकसित देशों का मातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं का पूर्ण हट्टी त्तिाय योजना म ८०० से ६०० किलोमीटर सम्बन्धी नवीन रेलवे लाइनें डालन तथा १५०० से १,८०० किलोमीटर सम्बन्धी ट्रंक (Trunk) सड़कें बनाने का आयोजन किया गया।

यह भी अनुमान लगाया गया कि छुटकर व्यापार की मात्रा में १०% की वृद्धि करनी होगी। यह भी निदिश्य किया गया कि राजकीय बाजारों के जतिगित बुद्ध स्वतंत्र बाजार भी रहे तथा विकसित किए जायें। विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न प्रांतों एवं नगरों में मुलभत्ता ने हा सब। द्वितीय योजना में धन उत्पादन में १०% वृद्धि करने का लक्ष्य था तथा यमिर्कों की मजदूरी में औसतन २१% से २०% तक वृद्धि होने का अनुमान था।

चीन की सन् १९५६ की योजनाएँ—चीन की मानि चीन में भी अल्प-कालीन योजनाओं को विवेक सहक दिया जाता है। चीन की सन् १९५६ वर्ष की योजना का लक्ष्य चीन की जल-व्यवस्था में अत्यधिक सुधार करना था। इस योजना में पूजा-निर्माण-सम्बन्धी विनियोजन १४,५७७ मिलियन चीन विद्यार्थि किया गया (इसमें सहकारी सम्पाओं का विनियोजन सम्मिलित नहीं है)।

सन् १९५६ की योजना का लक्ष्य व प्रथम निम्न प्रकार थी—

तानिद्या न० ३५—चीन की सन् १९५६ वर्ष की योजना के लक्ष्य एवं प्राप्ति

सूचक राशि	सन् १९५६ का उत्पादन	सन् १९५६ का योजना लक्ष्य	सन् १९५६ का वास्तविक उत्पादन	सन् १९५६ में वृद्धि का प्रतिशत
१) धूपि एवं सहायक पदार्थों का उत्पादन (मिलियन चीन)	४३ ०००	६६ ६००	६६ ०००	६५%
२) पूजागत विनिधान (मिलियन चीन)	१० ६००	१६ ५६३	२१ ४००	३०%
३) धनाज का उत्पादन (मिलियन कटौन)		२ ६२,०००	३ ३४ ०००	१००%
४) औद्योगिक उत्पादन तथा सम्पदाओं (मिलियन चीन)	३० ५००	४ ०५०	१ १३ ०००	६६%

धूपि उत्पादन में जादवर्षिक विधान के साथ-साथ वनस्पति पशुपालन तथा मछली पकटने में पर्याप्त विकास हुआ। धूपि में जादवर्षिक विधान अनुभव मौसम निमित्त सूक्ष्म में वृद्धि पायों का जधि उपयोग गहरे दुगर्भे जन्टे की का उपयोग कार्य की प्रवच-व्यवस्था मुष्ट होना जादि जन-जाप्रति के कारण ही सम्भव हुआ। सन् १९५६ में उत्पादन का उत्पादन ११ मिलियन टन हुआ जो सन् १९५७ के उत्पादन ने १००% अधि था। उत्पादन के उत्पादन की वृद्धि का बहुत बड़ा भाग छोटी छोटी घन-मट्टियों ने प्राप्त किया। कार्य का उत्पादन २३० मिलियन टन हा गया जो सन् १९५७ के दुगुने से भी अधि था। विधान का उत्पादन २ मिलियन किलोवाट था जो प्रथम योजना के उत्पादन-लक्ष्य के बराबर था। औद्योगिक उत्पादन सन् १९५६ की प्रथम छमाही में सन् १९५७ के

उसी काल की तुलना म १३ गुना था। पट्टावियम का उत्पादन सन् १९४८ का प्रथम छमाही म सन् १९४७ म उसी काल की तुलना म २२% अधिक था।

चीन को सन् १९४६ वर्ष की योजना—इस योजना म समस्त पूँजीगत निधि योजन जो राजकीय बजट से होना था, २७ ००० मिलियन यौन निश्चित किया गया जो सन् १९४८ की तुलना म २६% अधिक था। कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन म ६०% वृद्धि करने का लक्ष्य था। कृषि उत्पादन १ २२,००० मिलियन यौन तथा औद्योगिक एवं दस्तकारी उत्पादन १,६४ ००० मिलियन यौन इन का अनुमान था। इस्पात का उत्पादन ११ मिलियन टन में प्रकृष्ट १८ मिलियन टन, कोयला का उत्पादन सन् १९४८ का उत्पादन का तुलना म ४०% अधिक होगा। अनाज निर्यात में बावत तथा आरू सम्मिलित हैं का उत्पादन म ६०% वृद्धि करना अपेक्षा १०५ मिलियन टन करना। कपास का उत्पादन को सन् १९४८ का स्तर से ४०% घटाकर ६ मिलियन टन करने का लक्ष्य था। रस्स का इतना तथा रस्से उद्योग के उत्पादन म ५०% से भी अधिक वृद्धि करने का अनुमान था। १ ५०० किन्तामार्गों सम्मिलित रेलवे रेलवे लाइनों टानन का भी आयोजन किया गया। गन्ना का उत्पादन म ४०% वृद्धि पान का मत्त म ४०% वृद्धि गन्ना म ४०% सूट तथा ईस्पात का उत्पादन म ४०% वृद्धि करने का आयोजन था।

सन् १९५६ म औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन का कुल उत्पादन राशि ६०% बढ़ जायगी अर्थात् सन् १९४८ म जो २ ०४ ००० मिलियन यौन था वह १ ८७ ००० मिलियन यौन हो जायगा। इस उत्पादन का पूँजी राशि म जो १ ६५ ००० मिलियन यौन उद्योगी तथा १ २२ ००० मिलियन यौन कृषि का उत्पादन होगा। सन् १९४६ म पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन म ४६% तथा उपभोग वस्तुओं का उत्पादन म ३४% वृद्धि होने का अनुमान था। लौह आयरन के प्रयोग को वस्तुओं म तथा वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन म वृद्धि करने हेतु अधिक निवेश का माध्यम निवेश का माध्यम, कृषिगत अनाज एवं कृषि मशीनों का अर्थ, रबर व टायर, बालू का पत्थर की टलागाड़ी, रासायनिक म्वाद तथा कृषि का घात वीटामिन्स का मारन घात जीवधि प्रदान करने का आयोजन किया गया था।

सन् १९५६ का अर्थ से देश म कृषि उत्पादन म कमी होने परारम्भ हो गयी क्योंकि वर्षा कम होने तथा अर्थ प्राकृतिक घटनाओं व परम्परागत ढंगों में आधी कृषि भूमि पर भनी ठीक प्रकार म नहीं की जा सकी। कुत्त धान म अनाज की अवरुध उत्पन्न हो गयी और चावल निर्यात में बड़ी मात्रा म खोसना का आयोजन किया। चीन म अर्थ कृषि उत्पादन म भी कमी रही और लोगों को पूर्ण नशा का जा सकी। कृषि उत्पादन का वास्तविक आँकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं किए गए।

सन् १९५६ म इस्पात का उत्पादन १३ २७ मिलियन टन (लक्ष्य १८ मिलियन टन) और कोयले का उत्पादन ३४८ मिलियन टन हुआ। औद्योगिक उत्पादन के

₹ ६५,००० मिलियन यौन व विपरीत वार्षिक उत्पादन ₹,६३ ००० मिलियन यौन हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में सन् १९६० में राज्य क अनुपात ही वृद्धि होन का अनुमान है। सन् १९६० में औद्योगिक उत्पादन का उचित मूल्य २,१००० मिलियन यौन के विपरीत वार्षिक उत्पादन ₹ ६५,००० मिलियन यौन हुआ। उत्पाद का उत्पादन १८४ मिलियन टन के साथ क विपरीत १८४५ मिलियन टन जलन का उत्पादन ४२५ मिलियन टन क साथ क विपरीत ४५० मिलियन टन मिट्टी का उत्पादन ५८,००० मिलियन बिनाबाट साथ क विपरीत ५५ ३०० मिलियन मिट्टी का हुआ। चीन के औद्योगिक उत्पादन क सन् १९६१ के आठवें जमी तक नराम्य रही है।

चीनी जन-समूह (Communes)—सन् १९५८ क समय में चीन सरकार ने एक नवीन प्रान्ति को जन्म दिया जिसे क प्रान्त ९५ करोड़ चीनियों को समूह में संगठित करके आन्ध्रप्रदेश आर्थिक सहायताएं प्राप्त करने का आदेश दिया गया। समूह द्वारा १० वर्षों में ही चीनी समाजवाद को साम्यवाद में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया। चीन में लगभग २६ ००० जन-समूह हैं जिनमें चीन के लगभग ६०% वृद्ध सममिलित हैं। सन् १९५६ के समय तक लगभग चीन को समूह पर लागू करने का लक्ष्य था।

एक समूह में ५००० से १० ००० तक परिवार सम्मिलित हुए हैं। समूह का काल-सहायन एक प्रशासनिक आदेशित (Administrative Council) द्वारा किया जाता है। यह आदेशित वृषि उत्पाद लिया जाहि सनी का प्रदान एक सञ्चालक है। प्रत्येक समूह में अपना सामूहिक धर्म कागाने समूह सुचालन करि हुनी है जिनका नियन्त्रण एक प्रशासन आदेशित के शाय में होता है। समूह के उत्पाद रहन वाले प्रत्येक सदस्य को एक विशेष रूप करने का दिया जाता है। मिनो की घर न बाहर कार्य करती है। मिनो को घर क बाहों से बचने के लिए आर्थिक सहायता चलायी जाती है जिनमें समूह के प्रत्येक निवासों को निम्नलिखित राता दिया जाता है। बच्चों की सम्मान करने हेतु सामूहिक नर्सरी तथा गिन्-बागाना (Kinder Garden) चलाये जाते हैं जिनमें मिनो अपने कार्य पर जाने के पूर्व बच्चों को छात्र सहायता है। बच्चों को इन्टी नर्सरी तथा गिन्-बागाना (Kinder Garden) में सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। वृद्ध मम बीमारों को स्टे नाम करने के लिए आद के घर (Homes of Respect for Aged) सामूहिक अधिकारियों द्वारा चलाये जाते हैं।

जन समूह अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक स्थितियों का सहायन एवं नियन्त्रण करते हैं। इनके द्वारा केवल वृषि का ही सहायन नहीं होता है जिनसे वृषि के सहायक उद्योगों का विकास भी इनके द्वारा किया जाता है। नारों के वृद्ध-वृद्ध समूह विभिन्न प्रकार के उद्योगों, जैसे कपड़ा, कागज, खाद उत्पादन आदि

उद्योगों का विकास एवं संचालन भी करते हैं। कम्प्यून् के अन्तर्गत उच्चतम प्रथम विभाजन सम्भव हो सका है एवं उत्पादन की नवीनतम विधियाँ का उपयोग भी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन क्रियाओं को अत्यधिक प्रास्ताह्य प्राप्त हुआ है तथा उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करने हेतु निरन्तर बठोर वापवाहियाँ की जा रहीं हैं।

पश्चिमी देशों में कम्प्यून् का अत्यधिक आलाचना की गयी है। विकास की इस विधि का एक अविश्वरूप विधि बतनाया गया है जिसका सञ्चालन अर्थ मन्त्रिक सगठन द्वारा किया जाता है और जिसमें सगठित दासता (Mass Slavery) का विस्तार हुआ है। कम्प्यून् के अन्तर्गत एक व्यक्ति का "व्यक्ति न मानकर उत्पादन में काम आन वाली भौतिक इकाई मान लिया जाता है जो सरकार के मजदूर के रूप में कार्य करता है। वह समस्त सम्पत्ति तब तक के साथ साथ अपना घर एवं परिवार भी छोड़ बैठता है। इस आलोचना के प्रत्युत्तर में चीनी अधिकारियों ने बताया कि कम्प्यून् के अन्तर्गत चीनी कृषक केवल बेरोजगार एवं भूखे रहने की स्वतन्त्रता को सोता है। इनके द्वारा पूज्यवादा परिवार विधि को समाप्त करने का आयाजन है क्योंकि इसमें पारिवारिक सम्बन्ध धन पर आधारित होत हैं। चीनी अधिकारियों का कथन है कि पश्चिमी राष्ट्रों ने जिस दासता (Slavery) का नाम दे दिया है, कदाचित्त वह अनुशासन (Discipline) के कार्य करने तक ही सीमित है। इन चीनी विचारधारकों से सत्य जान करना सम्भव नहीं है क्योंकि उपर्युक्त सूचनाएँ इनकी पसन्द नहीं होती हैं कि कुछ भी निश्चित रूप से कहा जा सके परन्तु अभी हाल के अकाल एवं ज़ापात्रों की कमा से कम्प्यून् का सञ्चालना के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट होना स्वाभाविक है। यह अनुमान भी लगाया जाना अस्वाभाविक न होना कि कम्प्यून् सगठन ने कृषकों में अधिक उत्पादन करने की प्रवृत्ति का टम पहुँचायी है जिससे ज़ापात्रों की कमा की इतनी गम्भीर समस्या बना लिया है।

चीन और भारत की नियोजित साथ व्यवस्था की तुलना—चीन के नियोजन के इतिहास के इस सक्षिप्त विवरण के साथ इसका भारतीय नियोजित विकास में सक्षिप्ता में तुलना करना उचित ही होगा। तुलना के दृष्टिकोण से ऐसे जान का अध्ययन करना उचित होगा जिसके लिए चीन ही राष्ट्रों के साम्य उपर्युक्त है। सन् १९५३ से सन् १९५६ तक चीनी राष्ट्रीय आय ४३% अर्थात् औसतन ६५% प्रति वर्ष बढ़ी। इसी काल में प्रथम योजना के अन्तर्गत भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर ३.९% प्रति वर्ष थी। यह अन्तर भारत के विकास की गति जान की तुलना में एक तिहाई रही। भारत की द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में भी राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर इतनी अधिक नहीं है जबकि जान की द्वितीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि का दर ६.५% प्रति वर्ष से बढ़ी अधिक होत की सम्भावना है। विभिन्न मार्गों के पृथक पृथक अध्ययन करने से भी यह जान होगा कि भारत का उत्पादन चीन का

तुलना में बहुत कम है। चीन का उत्पात का उत्पादन सन् १९५८ में ११ मिलियन टन था जबकि भारत में तृतीय योजना के अन्त तक (सन् १९६५-६६) उत्पात का उत्पादन ६६ मिलियन टन होने का लक्ष्य है। इसी प्रकार चीन का कोयले का उत्पादन सन् १९५८ में ७० मिलियन टन था जबकि भारत में सन् १९६१ तक ८० मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य था। इस प्रकार की स्थिति अन्य उद्योगों के उत्पादन के सम्बन्ध में भी है। इस प्रकार चीन की विकास की गति भारत की तुलना में निस्सन्देह अधिक तीव्र है।

नाज़ी जर्मनी में आर्थिक नियोजन

जर्मनी में नाज़ी दल जनवरी सन् १९३३ में सत्ताग्रहण हुआ और द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक उन्हा इस दल का हाथ में रही। सन् १९३३ में Herr Hitler द्वारा Chancellor का पद ग्रहण करने के पश्चात् नाज़ी शासन का प्रारम्भ हुआ। नाज़ी शासन के अन्तर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार तथा निजी मालिकानों को ही ख़ास रखा गया, परन्तु इन पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण का प्रायोजन किया गया। सरकार द्वारा भी कुछ उद्योग ख़ाली जाने पर परन्तु 'अधिकार' व्यवस्थापन निजी क्षेत्र के अधिकार में ही थे परन्तु सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी समय आवश्यकता पड़ने पर निजी सम्पत्ति एवं धन को अधिकार में ले सकती थी। नागरिक अपने धन का उपयोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते थे। राज्य उनको धन व्यय करने के तरीके निर्दिष्ट करता था। यद्यपि लिमिटेड रूप से निजी व्यवसायियों को अपने व्यवसाय अपनी इच्छानुसार चलाने का अधिकार था परन्तु दान्तव में व्यापार एवं उद्योगों के सञ्चालन में सरकारी हस्तक्षेप अधिक था। सरकार किसी भी व्यक्ति पर कोई व्यापार करने पर प्रतिषेध लगा सकती थी। इसके अतिरिक्त दण्ड-भी दण्डों के मुख्य एवं विस्तृत भी सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। सरकार को श्रमिकों का पारिश्रमिक तथा व्यवसायियों का सान नियंत्रित करने का भी अधिकार था। इस प्रकार राष्ट्रीय समाजवाद के अन्तर्गत सरकार को प्रत्येक क्षेत्र पर विस्तृत शक्ति प्राप्त थी।

प्रथम चारवर्षीय योजना—सन् १९३३ में जब नाज़ी दल ने सत्ता संभाली थी, उस समय ही जर्मनी में बेरोजगार एवं मन्दो की समस्या अत्यन्त गंभीर थी। नाज़ी सरकार को रोजगार में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक था। इस समस्या का निवारण करने हेतु १ मई सन् १९३३ को प्रथम चारवर्षीय योजना की घोषणा की गयी। यह एक विस्तृत योजना थी जिसमें समस्त अर्थ-व्यवस्था को कार्य-प्रणाली निर्धारित की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों का किसी साधन पर रोजगार प्रदान करना था। नाज़ी सरकार का लक्ष्य रोजगार प्राप्त लोगों को मूल्या दानना था चाहे उनको मजदूरी किन्हीं भी क्यों न दी जाय। जो लोग सहायता-कार्य (Relief Work) अथवा श्रमिक कम्प (Labour Camp) में कार्य करते थे उनको कबल

जीवन निर्वाह के लिए ही पारिश्रमिक दिया जाता था । रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निर्माण कार्यों का अधिक महत्व दिया गया । अनुपयोगी भूमि को उपयोग बनाने हेतु खाद्यान्न तथा मालियों का निर्माण किया गया । नवीन इमारतों का निर्माण राजी सरकार के कार्यालय के लिए किया गया, रूढ़ि के लिए घरों का निर्माण किया गया, कृषि मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाये गये । सड़क यातायात के लिए नवीन सड़क का निर्माण किया गया । एक बहुत बड़ा नगरपालिका पोपुलस कार बनाने के लिए स्थापित किया गया । इसके अनिश्चित रोजगार के अवसर बनाने हेतु भवन निर्माण के लिए आर्थिक सहायता औद्योगिक सामग्री में नवीनीकरण करने की छूट कायम की अधिक श्रमिकों में फैलाना, कृषकों के वैरोजगारों का रोजगार देना पर आर्थिक सहायता उन मालिकों को कर देय में छूट जा अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करें श्रमिकों का पदच्युत करने पर प्रतिबंध पुराने श्रमिकों का रोजगार देना एक ही परिवार में विभिन्न रोजगारों से आयोपाजन करने पर प्रतिबंध नवीन विवाहित दम्पतियों को भोजन यदि पत्नी अपने पुराने रोजगार को न करने के लिए अनुमति दे । अनिवाय सैनिक सेवा तथा दृष्टिकारणों आदि के कार्यक्रम चालू किए जायें ।

इन सब कार्यक्रमों के फलस्वरूप दो वर्षों में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या ११ ५ मिलियन से १६ ५ मिलियन हो गई तथा वैरोजगारों की संख्या ६ मिलियन से घट कर २ मिलियन रह गई । सन् १९३६ के अंत तक वैरोजगारों की संख्या सदा समाप्त हो गयी और राजना सफलतापूर्वक समाप्त हुई ।

द्वितीय चारवर्षीय योजना—वर्सैल्स (Versailles) की संधि के अनुसार जर्मनी जर्मनी का अग्रस्त्रीकरण कर दिया गया था परन्तु संधि में अन्य देशों में अपनी सैनिक शक्ति को कम नहीं किया और अग्रस्त्रीकरण का सम्मेलन भी कोई ठोस काम बाही इस सम्बंध में न कर सका । सन् १९३२ में हिटलर ने जर्मनी को लागू आक नेशन से अलग कर दिया और जर्मनी की सैनिक शक्ति बढ़ाना प्रारम्भ कर लिया । सितम्बर सन् १९३६ में हिटलर ने जर्मनी की द्वितीय चारवर्षीय योजना की घोषणा की । इस योजना का मुख्य लक्ष्य जर्मनी का सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था तथा आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर करना था । पुनरुत्थान तथा आत्मनिर्भरता इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे । जर्मनी की सेना का आधुनिक गस्त्रा सत्स करना था जिससे वह भूमि समुद्र तथा वायु सभी प्रकार के युद्ध के योग्य बन सके । आर्थिक बायबोट की कठिनाइयों से बचने के लिए खाद्यान्न एवं कच्चे माल में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था । जनसमुदाय का देश में आत्मनिर्भर करने हेतु कठोर परिश्रम करने को कहा गया तथा उनसे उपमाय की मात्रा को कम करने को भी कहा गया जिससे युद्ध सम्बंधी उद्योगों में अधिक राशियों का उपयोग किया जा सके । योजना के प्रकाशन का कार्य हेरमन गोयरिंग (Herman Goering) को दिया गया । इसको विस्तृत अधिकार दिए गये तथा अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण स्थान पर

सेना के अधिकारियों को नियुक्त किया गया। उद्योगधर्मियों तथा व्यापारियों का मनो में पद दिये गए जिससे वे योजना के संचालन में सहयोग कर सकें। इन प्रकार समस्त राष्ट्र को आगामी युद्ध के लिए तैयार किया गया।

द्वितीय योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार थे—

(१) अच्छे भात का उत्पादन में वृद्धि

(२) अच्छे भात का योजनाबद्ध विनिर्माण जिससे आधाग्रभूत एवं युद्ध की सामग्री में सम्बन्धित उद्योगों का पर्याप्त मात्रा में अच्छा भात मिल सके

(३) कृषि उत्पादन कोषक गद्याभ्रों का उत्पादन

(४) धम का विनाश युद्ध-सम्बन्धी उद्योगों की आवश्यकतानुसार करना

(५) मजदूरी और मूल्यों का स्थिर रखना,

(६) विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण रखना।

द्वितीय योजना के कार्यक्रमों का संचालन के पन्द्रहवें वर्ष सन् १९६६ तक केन्द्रशासक सचवा उभाए ह। गव और धमिकों की कमी गम्भीर रूप धारण करल गयी। धमिकों की पूर्ति हेतु स्थियों को बाहर कार्य करने के लिए साया गया। प्रककाग-श्राए (परानर) कसचारियों को फिर काम पर सुलाया गया। प्रशिक्षणता (Apprenticeship) के समय में कमी कर दी गयी तथा विश्वविद्यालय के जीवों में कमी कर दी गयी। इसके अतिरिक्त किण्वों से भी ह्गरी धमिक साय गये।

जमनी की दो योजनाओं के पन्ध्रवें वर्ष कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में अर्थात् धिक वृद्धि हुई। सन् १९७० के उत्पादन की १०० के बराबर मानकर सन् १९३७ का निर्माण-सम्बन्धी उद्योगों का उत्पादन ३८ था जो सन् १९३८ में १७६ ही गया। इन प्रकार कृषि उत्पादन सन् १९३७ में १०६ था जो बढकर सन् १९३८ में ११५ हा गया। जमनी में योजना-काल के संचालन हेतु कई पृषक सस्था नहीं किपुछ की गयी और न प्रायक बष की प्रगति का बाका एक प्रकागित ही किया गया। जन सहयोग की योजना व कालों में कीर्ति म्याम नहीं दिया गया। नाजी-योजना का अर्थप विवास कस्थान पर शासकगम्भीररण था जिससेसकार परबिभय प्राय कर लो जन।

ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन

ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन का जन्म आर्थिक अतिवाहियों के कारण हुआ था। इसकी आधागिता कि-हो गम्भीर सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है। आर्थिक नियोजन का उपयोग ब्रिटेन में प्रयोगात्मक है। ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन का प्रारम्भ द्वितीय महायुद्ध में हुआ जबकि मित्री जुगे सरकार (Coalition) ने युद्ध का संचालन करने हेतु अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित अर्थ-व्यवस्था का संचालन किया। युद्धकाल में समस्त संचालन में आधनों की आश्रय कमी की और इन कमी का संचालन करने हेतु सामाजिक साधनों का सकारणी भाति के अनुसार विनियम आदेशक एवं परमिट जारी करने आदि के रूप में सरकार ने अर्थ-व्यवस्था को नियोजित किया

जिसमें उपलब्ध साधना का उपयोग युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु चलाये जाने वाले वायुसेना पर किया जा सके। युद्ध के पश्चात् मन्दी एक बेरोजगारी के भय पर गर्भी रतापूर्वक विचार किया गया और उस समय की मिली जुली सरकार (Coalition) ने अपना रोजगार-नाति के सम्बन्ध में एक दसत पत्र (White Paper) जारी किया जिसमें बताया गया कि मन्दी से अर्थ-व्यवस्था को बचाने हेतु युद्धकालीन नियंत्रण युद्ध के पश्चात् भी लागू रहय और बेरोजगार के दबाव का रोकने के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की जायगी। सन् १९४१ में युद्ध समाप्त होने पर मन्दी एक बेरोजगारी की समस्या का प्रादुर्भाव होने के बजाय मुक्त स्फीति बन्ती हुई मुख्यतया वस्तुओं पर साधनों का कमी जति समस्याएँ सामने आयीं। सन् १९४६ तक सन् १९४७ में मुद्रा स्फीति वस्तुओं एवं साधनों की सामान्य कमी मजहूरी में कमी आदि समस्याएँ जय न हीं बन गयीं। इन अप्रणनामा के निवारण हेतु लेबर सरकार ने आर्थिक नियोजन की तरफ ली। आर्थिक नियोजन द्वारा देश के उपलब्ध साधना का वितरण समस्त राष्ट्र के अधिस्तत हित के लिए किया जाना था। साधना का उपयोजन एक उनकी आवश्यकता के अन्तर को कम आवश्यक वायुसेना में साधना का उपयोग न कर दूर किया जाना था। साधना के उपयोग को निषिद्धता पर नियंत्रण कर दूर किया जाना था। साधना के उपयोग को विषमता प्रवृत्ति (Market Mechanism) के अधीन नहीं छोड़ा जाना था अथवा अनावश्यक वायुसेनाओं का पूर्ण में साधना का उपयोग का अवसर मिल सकता था। इस प्रकार लेबर सरकार ने आर्थिक नियोजन को युद्धोपरा न अप्रणताओं का सामना करने के लिए उपयोग करने का विषय किया। इसका प्रति रिक्त रिटैल के धन साधन पुजीगत सामग्री तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति जिसका युद्ध में क्षति हुई थी, उसकी पूर्ति करने हेतु भी आर्थिक नियोजन का अपनाया गया। मजहूरितर हितकोण से भी लेबर सरकार को देश में समाजवाद स्थापित करने हेतु आर्थिक नियोजन की तरफ लाना स्वाभाविक था। सन् १९४६ तक सन् १९४७ में कुछ उद्योगों पर मेमोरांदा राष्ट्रीयकरण ने आर्थिक नियोजन का गचासन का हुनम बना दिया।

ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय साधना का राष्ट्र की आवश्यकतानुसार उपयोग करना था। इसका प्रतिनिष्ठ पूर्ण रोजगार बह्याणकारी राज्य (Welfare State) का निर्माण तथा राष्ट्रीय आय का और अधिक समान वितरण नियोजन का सहायक उद्देश्य थे। ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन का विस्तृत रूप का नहीं अपनाया गया। वास्तव में यह एक रूप में आर्थिक नियोजन कहा जायगा। इसका अन्तगत ब्रिटेन को अर्थ-व्यवस्था का बुद्ध ही क्षेत्रों के लिए आयोजन किए गये। विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों के लिए विस्तृत लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किए गये। जबकि बुद्ध वृहत् उत्पादन के लिए ही उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गये। नियोजन को इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कोई विशेष कानून नहीं करने थे। इनकी पूर्ति निजी साहसिया को

करनी थी जिन्हें सरकार द्वारा भुविषाएँ एवं प्रत्तामन प्रदान किए गये। सरकार निजी साहसियों को सत्ताह भी देती थी। सरकार को उत्पादकों को कोई आण्य नहीं देना था, फिर भी वही-वही सरकार ने उत्पादकों एवं श्रमिकों का आण्य जारी किए जिससे आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होती थी। ब्रिटेन में याजनाएँ दीप काल के लिए निर्धारित नहीं की गयीं। ये एक वर्ष या उससे भी कम काल के लिए बनायीं गयीं। इन याजनाओं में धल्पकारीय समस्याओं के निवारण का आयाजन किया गया।

उपयुक्त विवरण के आधार पर यह बर्ता अनुचित न होगा कि ब्रिटेन के आर्थिक नियोजन को साम्प्रतिक नियोजन नहीं कहा जा सकता, बहुत ही कम काल का था। ब्रिटेन के आर्थिक नियोजन के तीन मुख्य स्तर थे—

(१) एक ऐसी समझौता का निर्माण जिसके द्वारा विस्तृत साम्प्रतिक एवं मूलभूत आयाजनों के लिए एक निश्चित एवं निश्चित साधनों का अनुमान लगाया जा सके और उपलब्ध साधनों के आधार पर अर्थ-व्यवस्था के बृहत् क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारित किए जाय।

(२) विभिन्न रूपों के माल, वित्त, श्रम आदि के लिए आर्थिक अनुमान पत्र (Economic Budgets) तैयार करना जिससे उपलब्ध साधनों में त्रुटि निवारण के साधनों में सम्यक् स्थापित किया जा सके।

(३) उप-उत्पाद एवं अग्रवस्तु विपियों का निवारण जिससे राज्य अर्थ-व्यवस्था का इच्छित दिशाओं में प्रवर्तित करन हेतु प्रभावित कर सके परन्तु उत्पादकों के प्रति प्रतिदिन के कार्यों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना था।

नियोजन-सम्बन्धी विषयों का सर्वोच्च अधिकार मन्त्रिमण्डल (Cabinet) को था। कॅबिनेट की सहायतायें वा महत्वपूर्ण समितिवा बनायीं गयीं—आर्थिक नीति समिति तथा उत्पादन समिति। आर्थिक नीति समिति के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री थे और यह समिति आर्थिक नीतियां निर्धारित करती थी। उत्पादन समिति के अध्यक्ष चान्सेलर ऑफ एक्जिचिजर (Chancellor of Exchequer) थे और यह समिति विनियोजन के कार्यक्रम निर्धारित करती थी। आर्थिक मामलों पर विभिन्न मन्त्रालयों का सलाह देने हेतु वैदेशीय साख्य न्यायालय तथा आर्थिक सचिवालय (Economic Secretariat) की सरकारी सेवाएँ थीं। इसके अतिरिक्त आर्थिक नियोजन का कार्य कम, जो मुख्य नियोजन अधिकारी के अधीन था, नियोजन-सम्बन्धी मामलों पर कवच सहाह देने का कार्य करता था। यह अधिकारी राष्ट्रीय हित के आर्थिक मामलों पर विचार कर नवीन कार्यक्रमों पर सलाह देता था। इसके अतिरिक्त एक प्रतिनिधि-उत्सवा आर्थिक नियोजन परिषद् थी, जिसमें सरकार श्रम तथा उद्योगों के प्रतिनिधि थे। यह संस्था नियोजन-सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करती थी। सरकारी विभाग तथा अन्तर्विभागीय समितियां भी नियोजन-व्यवस्था का मुख्य भाग थीं। ये उत्पादन तथा विनियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम बनाकर उच्च अधिकारियों एवं मन्त्रियों के पास भेजती थीं।

राष्ट्रीय योजना (सन् १९६४-६५ से सन् १९६६-७०)

ब्रिटेन की वर्तमान सरकार सरकार ने १६ सितम्बर सन् १९६५ को एक श्वेत पत्र (White Paper) प्रकाशित किया जिसमें ब्रिटेन राष्ट्रीय योजना के विभिन्न कार्यक्रमों का एक उद्देश्य का अंकित किया गया। इस योजना में सन् १९६५ से सन् १९७० तक के ब्रिटेन के आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं का विवरण सम्मिलित किया गया है। इस योजना का निर्माण राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद् (National Economic Development Council) द्वारा किया गया। इसमें परिषद् सरकार, राष्ट्रीयकृत उद्योगों तथा नियोक्ताओं (Employers) के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस योजना द्वारा सरकार ने पहली बार अपना नीति का स्पष्ट किया है और अपने उत्तरदायित्वों को भी स्वीकार किया है।

पहली योजना दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में प्रगति का आधार तथा अर्थ व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का विवरण किया गया है। दूसरे भाग में एक औद्योगिक क्षेत्र के मशीनों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र के ५० खंडों (Sections) का विकास की सम्भावनाओं का विवरण दिया गया है।

उद्देश्य

(१) ब्रिटेन को सम्पन्न बनाने हेतु प्रतिकूल भुगतान गैप को दूर करना अत्यंत आवश्यक समझा गया है। योजना द्वारा केवल इस प्रतिकूल गैप को ही दूर करना है अपितु विदेशों के ऋण का भी छोड़ना करना है।

(२) पिछले ऋणों का मोचन करने के साथ अर्थ व्यवस्था का इस प्रकार संचालित किया जाना है कि भविष्य में ब्रिटेन इस ऋणप्रस्तता में फिर से पड़ सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि लायक मकमों तथा विदेशों में अधिक निर्यात करना आवश्यक है।

लक्ष्य एवं कार्यक्रम

(१) राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि—सन् १९७० तक राष्ट्रीय उत्पादन की वर्तमान उत्पादन के एक चौथाई से बढ़ाना है, अर्थात् वर्तमान राष्ट्रीय उत्पादन ३२,०४७ मिलियन पाउंड का बढ़ाकर ४१,०५७ मिलियन पाउंड करना है। योजना के पाँच वर्षों में इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में २५% की वृद्धि करना है। इस काल में उत्पादन की प्रगति की वार्षिक औसत दर ३.५ प्रतिशत रखना था और सन् १९७० के पहले यह दर ४% तक कर देना है।

(२) भुगतान-गैप—सन् १९६४ वर्ष में ब्रिटेन का व्यापारिक प्रतिकूल गैप ५३४ मिलियन पाउंड था और कुल मिलाकर प्रतिकूल भुगतान गैप ७५० मिलियन पाउंड था। योजना के अंतर्गत इस प्रतिकूल गैप को सन् १९६६ तक समाप्त करना है और सन् १९७० तक इसे २५० मिलियन पाउंड के अनुकूल गैप में परिवर्तित करना है।

इन लक्ष्य की पूर्ति हेतु देश के निर्यात में ५.३% की प्रति वर्ष वृद्धि तथा आयात में औसत से प्रति वर्ष ४% तक की वृद्धि करने का प्रायोजन किया गया है। प्रिन्ट के निर्यात में पिछले दस वर्षों में औसत से २% थापित वृद्धि हुई है और विदेश की निम्न वस्तुओं के कुल व्यापार में विदेश का भाग २०% से घटकर १८% रह गया है। निर्यात बढ़ाने हेतु राजस्वगत में निर्यात के शीघ्र बातायात गरीब निर्माता-उद्योगों की स्थापना समूह एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों का निर्यात करने हेतु सहायता, निर्यात के लिए सरल एवं सुस्ती प्राप्त एवं बाधा-रहित, निर्यात उद्योग तथा व्यापारिक निर्यातों पर सरकारी व्यय जालि का प्रायोजन किया गया है।

योजना में विदेशों में हाल वाले सरकारी व्यय का कम करने का प्रायोजन भी किया गया है। इसके लिए सरकार अपने विदेशी मूलिक व्यय को कम करना तथा निधन लोगों का भी गान वाली आर्थिक सहायता की प्रति वर्ष वृद्धि को कम करने का प्रायोजन किया गया है। इसके साथ ही विदेशों में विनिर्माणित होने वाले निर्यात वस्तुओं का भी कम करने हेतु प्रतिवर्ष लागत का प्रायोजन योजना में किया गया है। कच्ची-कर विचारण में भी ऐसे परिवर्तन किए गए हैं कि प्रिन्टिंग उद्योगों में विनिर्माण करने की अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हो।

(३) श्रम—औद्योगिक उत्पादन में पांच वर्षों में २५% वृद्धि करने हेतु न लाख अतिरिक्त श्रमियों की आवश्यकता होगी, जिसमें से चार लाख अतिरिक्त जन-संख्या की सामान्य वृद्धि के फलस्वरूप उपलब्ध हो जायेंगे। शेष दो लाख श्रमियों की पूर्ति अधिक बेरोजगार वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार तथा विवाहित स्त्रियों तथा वृद्धों को रोजगार प्रदान कर की जायगी। नौ दो लाख श्रमियों की पूर्ति उद्योगों में वृद्धि कर की जायगी। कुशल श्रमियों की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण बाट एक क्षेत्रों की स्थापना सरकार द्वारा की जायगी। विवाह-आयुओं के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त एवं आर्थिक बातायात में ४ लाख श्रमियों का जोर हवाई उद्योग निर्माण, वस्त्र एवं जूत उद्योग में २ लाख श्रमियों का कम लगाया होगा। अन्य उद्योगों में १५ लाख अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता होने का अनुमान है। इस प्रकार श्रमियों एवं पुत्रन व्यवस्थाओं का नवीन व्यवस्थाओं में आना होगा। इन जमुधिया का निराकरण करने हेतु सरकार ने बेरोजगार श्रमियों की प्रतिपूर्ति बेरोजगारी बीमा का लागू आनाकरण पर अधिक भरोसा आदि का प्रायोजन किया है।

(४) विनियोजन—याजनावाक में औसत से प्रति वर्ष १५ प्रतिशत आर्थिक विनियोजन की वृद्धि का प्रायोजन किया गया है। निर्यात (Manufacturing) उद्योगों में ८% प्रति वर्ष निर्यात उद्योग (Construction Industries) में योजना काल में दुगुना विनियोजन करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार उद्योग-बातायात में ६.५% प्रति वर्ष तथा जन-उद्योगों में ६.१% प्रति वर्ष विनियोजन में वृद्धि का आनाकरण किया गया है।

राष्ट्रीयकृत उद्योगों के विनियोजन-कार्यक्रम औद्योगिक सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किए गये हैं परन्तु निजी क्षेत्र में समन्वयित म विनियोजन उद्योगपतियों की अधिक विक्रय की सम्भावनाओं पर निर्भर रहेगा। इस सम्बन्ध में आर्थिक विकास-समितियों (Economic Development Committees known as Little Neddies) द्वारा योजना का निर्माण करते हुए जा विवरण तयार किए गये हैं वे निजी उद्योग पतियों को विनियोजन कार्यक्रम निर्धारित करने में सहायक होंगे। राष्ट्रीयकृत उद्योगों के विनियोजन में निम्न प्रकार वृद्धि होने का अनुमान है—

विद्युत बोर्ड (Electricity Board) का विनियोजन १३० मिलियन पौंड (सन् १९६४ म) से बढ़कर सन् १९६६ म ७४० मिलियन पौंड हो जायगा और उसके बाद पाँच दो वर्षों में कुछ कम हो जायगा। जनरल पास्ट आफिस का विनियोजन १६८ मिलियन पौंड (सन् १९६४ में) से बढ़कर सन् १९७० म ३३६ मिलियन पौंड हो जायगा। कोयला उद्योग रेल उद्योग में विनियोजन में कुछ कम होगी और गस उद्योग में प्रथम वर्ष में वृद्धि होगी शेष-काल इसका स्तर स्थिर रहेगा। योजना के अंत तक यंत्रादि में होने वाले विनियोजन का कुल विनियोजन से प्रतिशत ४८ से बढ़कर ५१ हो जायगा। नवान भवन एवं कारखानाओं के विनियोजन के भाग में कोई विषय परिवर्तन नहीं होगा और मान्दगाड़ा दुकानों तथा हवाई जहाज निर्माण के विनियोजन के भाग में कमी हो जायगा।

(५) क्षेत्रीय नियोजन (Regional Planning)—योजनाकाल में सरकार द्वारा क्षेत्रीय भाँति इस प्रकार संचालित की जायगा कि औद्योगिक विकास राज गार निवास गृह एवं जन सेवाओं का ऋक्ष के समस्त भागों में उचित वितरण हो सके। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा स्काटलण्ड वेल्स तथा अन्य इंग्लैंड क्षेत्रों में प्रभावशाली नियोजन-तंत्र (Planning Machinery) की स्थापना की जायगी मध्य स्काटलण्ड तथा उत्तर-पूर्वी इंग्लैंड के क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे तथा विकसित जिलों (Development Districts) में वित्तीय प्रतिबन्धों से छूट का जायगा।

(६) उत्पादकता (Productivity)—सन् १९६०-६४ तक के काल में उत्पादकता का वृद्धि की आर्थिक औसत दर २.३% रही है जिस योजनाकाल में बना कर औसतन २.४% तक प्रति वर्ष वृद्धि का लक्ष्य है।

(७) व्यक्तिगत व्यय (Personal Spending)—योजनाकाल के अन्तिम वर्ष तक राष्ट्रीय उत्पादन ८००० मिलियन की वार्षिक वृद्धि का जान का अनुमान है। इस अनिश्चित उत्पादन में से ५०० मिलियन पौंड भुगतान गये म सुधार करने हेतु उपयोग किया जायगा। कारखानों के समन्वयित के विस्तार पर १५०० मिलियन का खर्च का अनिश्चित उत्पादन उपयोग होगा। इस प्रकार अनिश्चित उत्पादन ८०० मिलियन पौंड में से ६००० मिलियन पौंड व्यक्तिगत सरकारी एवं स्थानीय सस्थाओं

द्वारा वाषिष्ठ व्यय के लिए उपयोग होगा। अर्थात् १९०० निरोधन वीथ व्यक्तित्व अनिश्चित व्यय के लिए उपयोग होने का अनुमान है। व्यक्तित्व पर निम्न प्रकार वृद्धि होने का सम्भव है

तानिका सं० ३६— ब्रिटेन की राष्ट्रीय योजना में व्यक्तित्व व्यय

	सन् १९१४ का व्यय	सन् १९२० में अनुमानित व्यय (निरोधन वीथ)
(१) धान	५,५५३	६,०००
(२) रेशम पत्ता	१,०१३	१,०१३
(३) निवास-गृह	३,०४६	३,६६०
(४) ईंधन एवं प्रकाश	६३३	१,००६
(५) माटर आदि	१,००४	३,६६६
(६) रक्षा एवं अक्षुण्ण लोह-सुर	५१५	६३०
(७) वस्त्र	१,६१६	३,०१६
(८) सुधार	१३६	६३१
(९) मना-जन एवं अन्य सेवाएँ	० ००	३,००६
(१०) विद्यार्थी में व्यय	३३०	४५४

इस प्रकार कुल व्यक्तित्व व्यय में योजनाबद्ध के अन्तर्गत २०% की वृद्धि होने का सम्भव है।

(८) निवास-गृह—योजना का व्यय सन् १९३० तक प्रति वर्ष ४,००,००० निवास-गृह निर्मित करना है। सन् १९६५ तक के ३,६६,००० निवास-गृहों का निर्माण पूरा किया गया था।

(९) स्वास्थ्य एवं ममाज-सेवाएँ—स्वास्थ्य एवं मनाज-सेवाओं का सन् १९६५-६५ में १-३३ मिलियन पाउंड व्यय किया गया जो सन् १९६६-७० में ६६ करोड़ १५०६ मिलियन पाउंड हो जाएगा। बड़ी हुई जनसंख्या के ध्यान में लाने हुए पुराने अस्पतालों का नवीनीकरण तथा नये अस्पतालों की स्थापना की जायेगी जिनमें २० से ६० हजार अतिरिक्त बर्न्सालियों की आवश्यकता होगी। योजनाबद्ध में स्थूल जाने वाले व्ययों की संख्या बढ़ाकर २,५०,००० तक बढ़ा अनुमान है। अतिरिक्त शिक्षा की आवश्यकता करने तथा वर्तमान अस्पतालों में शीघ्र भ्रष्ट व्यय करने के लिए १,६०,००० शिक्षार्थी को भर्ती किया जाएगा। विश्वविद्यालयों एवं अल्पवय विद्यालयों के प्रवेश की आवश्यकता की जायेगी।

(१०) औद्योगिक उत्पादन—विभिन्न उद्योगों के वाषिष्ठ उत्पादन-वृद्धि को दर में आगे की हुई तानिकानुसार वृद्धि करने का सम्भव है।

योजना के विद्यार्थी से स्पष्ट है कि ब्रिटेन की सेवा-सुख-द्वारा देश को वाषिष्ठ सफल से निवारण के लिए उन्नीसवीं शताब्दी की योजनाओं को ही नहीं बल्कि तीसरे शताब्दी के अन्तर्गत अत्यन्त विचारों के अन्तर्गत योजना-व्यय प्रारम्भ करना

तालिका सं० ३७—प्रिटेय की योजना न औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य

	उत्पादन की वृद्धि की मांगित औसत दर	
	१९६० से १९६४	१९६४ से १९७० (लक्ष्य)
(१) निर्माणी (Manufacturing)	३१	४८
(२) राजिज भाणि	०४	—०६
(३) निर्माण (Construction)	५०	८९
(४) मस विद्युत एव नत	५९	७३
(५) सभसत उद्योग	३३	४४
(६) कृषि न तय मसुती नकडत	६०	३२
(७) मातायात तय मसुतर	२६	४०
(८) वितारणा एव मसुतर	२५	२८
(९) मीमा अधितीयम तय विस्त	३६	४२
(१०) अ म सेवात	२०	२६
(११) सभसत राष्ट्रीय उत्पादन	३४	३८

कठिन नहीं होगा। योजना की सफलता हेतु समय-समय पर सलाह देना भी अनिवार्य है।

संयुक्त राज्य अमेरिका न आविक विभाजन

जित प्रकार रूस की अर्थ व्यवस्था का नियोजित अर्थ व्यवस्था का आदर्श रूप समझा जाता है, विद्युत उद्योग प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी आदर्श व्यवस्था कहा जा सकता है। संयुक्त राज्य की अर्थ व्यवस्था का निर्माण अर्थ व्यवस्था कहना किसी प्रकार उचित नहीं है क्योंकि इस अर्थ व्यवस्था न स्वतंत्र राष्ट्रों को विशेष सहायता प्राप्त है परंतु विभाजन के कुछ मसुदा का अर्थ ही संयुक्त राज्य अमेरिका न आतायात मसुदा है। सन् १९३० न ही अमेरिका न आतायात न की त न इस सिद्धांत की समीक्षा कर लिया था कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था न नियंत्रित तथा विस्तार का प्रयत्न करे। इस सिद्धांत का वास्तविक देते हेतु राज्य को स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए आविक नीतियों के विस्तृत सिद्धांत निर्धारित करना आवश्यक था। इसीलिए प्रेसी एन वुड्रोविल्ड न व्यवस्था सन् १९३२ न सलाह मसुदा के तहत मसुदा का निवारण करा हेतु New Deal का नाम न कुछ कार्यक्रम निर्धारित किये। New Deal का अर्थगत तीन प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गये—

- (क) सहायता मसुदा की कार्यक्रम (Relief Programmes),
- (ख) पुनर्निर्माण मसुदा की कार्यक्रम (Recovery Programmes)
- (ग) सुधार मसुदा की कार्यक्रम (Reform Programmes)।

प्रेसीडेण्ट वुड्रोविल्ड ने निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किये—

(१) मसुदा के कारण बेरोजगारी को रोकना हेतु अस्थायी रूप से समस्त सेवा को बन्द करना न आदेश दिए गये।

(२) स्व-निर्माणियों पर कठोर नियंत्रण रखने हेतु प्रतिभूतियों के श्रय एवं विप्रेत्य-सम्बन्धी नियम निर्धारित कर दिए गए।

(३) व्यावहारिक दृष्टिकोण से स्वयंसेवा का अन्वेषण शुरू में रोक दिया गया और वाणिज्य मुद्रास्फीयता को चालू किया। यह वायवही नियंत्रित मुद्रा-संश्लेषण को अर्थ-व्यवस्था में स्थान देने के लिए की गयी जिससे मूल्य-स्तर में वृद्धि हो सके।

(४) मई, सन् १९३३ में 'Federal Emergency Relief Administration' की स्थापना की गयी। यह सभ्य बराबराओं का शाना, वस्त्र तथा रहने के स्थान के रूप में सहायता देती थी। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में बहुत से काम चालू किए गए जिससे अन्वेषणों में रोजगार प्रदान किया जा सके।

(५) कृषि व विद्यालय हेतु सरकार द्वारा पयाज्य रूप तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने का जायजान किया गया और कृषि में उत्पादक शान धान, मूँग, जूँ में हाने वाली बीमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

(६) National Industrial Recovery Act पास किया गया जिससे सरकारी औद्योगिक कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सके तथा निजी उद्योगों को प्रावधान दिया जा सके। उद्योगों का विचार करने १२ मित्तिदान लोगों की राजगार के अवसर प्रदान करना था।

(७) Social Security Act, १९३५ के अन्वयत फंडरल सरकार वृद्ध लोगों की सहायता आर्थिक सहायता देती थी। वृद्ध एवं अवकाश-प्राप्त श्रमिकों में आर्थिक वृद्धि की योजना भी उचाहित की गयी तथा वैराजगारी में बीमा का भी आयोजन किया गया।

इन समस्त आर्थिक कार्यक्रमों के अन्वयत अर्थ-व्यवस्था में पयाज्य सुधार हुए, सन् १९३७ में एक बार फिर मन्दी का आतावरण आने लगा। इस मन्दी का सामना करने हेतु New Deal की अन्वेषणों का फिर आयोजन बनाया गया। इसी समय द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया जिससे अन्वेषणों और सेवाओं की माँग में वृद्धि होने से मूल्य बढ़ने प्रारम्भ हो गये। द्वितीय महायुद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु अन्वेषणों का अन्वेषण आयोजित किया गया, अन्वेषण मुद्रा-संश्लेषण शुरू प्रारम्भ है—

(१) १३ जनवरी सन् १९४० को एक युद्ध उत्पादन बोर्ड (War Production Board) की स्थापना की गयी जिसे अन्वेषण एवं अन्वेषण उपाय-सम्बन्धी समस्त अधिकार दिए गये। बाद में यह अन्वेषण अन्वेषण अन्वेषणों हो गयी और उपादन की आयोजनाओं के साथ उत्पादन के विविध दुर्बल (Scarce) उपकरण एवं घटक के उत्पादन का निदधय करने लगी।

(२) उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण करने हेतु मूल्य प्रशासन के आयाज्य (Office of the Price Administration) की स्थापना की गयी। इसकी उपाय-सम्बन्धी वस्तुओं के श्रय को नियन्त्रित करने का भी अधिकार था।

(३) राष्ट्रीय युद्ध थ्रम बोर्ड की स्थापना की गयी। इस बोर्ड को युद्धकाल में थ्रमिकों एवं प्रबंधकों के भगदा में पंच फमला (Arbitrate) करने का अधिकार था।

(४) विदेशों से युद्ध सामग्री प्राप्त करने तथा लागू देना को युद्ध सामग्री न भोजन के लिए आर्थिक कल्याण परिषद् (Board of Economic Welfare) की स्थापना की गयी।

युद्धकालात्त इस व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि अमरीकी अर्थ व्यवस्था में नियोजित अर्थ व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लिया। युद्धोपरात्त भी अमरीकी प्रशासन में नियोजित व्यवस्था को जारी रखा। युद्धोपरात्त वैरोडगार तथा मुग स्फाति दाना समस्याना की समान सम्भावना था। युद्ध समाप्त हान पर मुग स्फाति का दनाय बढन लगा और मूल्य प्रशासन कार्यालय में उपभोक्ता वस्तुओं के नियमन के लिए कार्य वाहिनी की।

सन् १९४६ का रोजगार एक्ट (Employment Act 1946)—इस एक्ट का आर्थिक नियोजन का एक स्वरूप बताया जाना है। रोजगार एक्ट के अन्तर्गत पडरल सरकार का उत्तरदायित्व था कि अधिकारी राजगार उत्पादन तथा श्रम शक्ति का आयाजन करे। एक्ट में एक विनायक अधिनारा नियुक्त करने का आयाजन था। प्रसीडेण्ट को एक आर्थिक सलाहकारों की काउंसिल (Council of Economic Advisors) जिसमें तीन आर्थिक विद्वान हों का नियुक्त करने का अधिकार था। प्रसाण्ड इस काउंसिल की सहायता से प्रत्येक वर्ष जनवरी में अथवा जिनमें धार प्रसीण्ड चाहें अतमान आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाली एक आर्थिक रिपोर्ट अमराका काँग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत करे और अर्थ व्यवस्था में सुधार करने हेतु आवश्यक सिफारिशें करे। अमरीकी काँग्रेस की दोना सभाएं (Houses) एक Standing Joint Committee नियुक्त करते थे जो प्रसाण्ड द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रिपोर्ट एवं सिफारिशों का अध्ययन कर अपने विचार अमरीकी काँग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत करती थी। तत्पश्चात् अमरीकी काँग्रेस अपने निश्चय घोषित कर सशक्ता थी और उस सम्बन्ध में विधान बना सकती थी। प्रसीण्ड की Council of Economic Advisors को अपनी आर्थिक रिपोर्ट तयार करने हेतु उद्योग, कृषि थ्रम राज्य एवं स्थानीय सरकारों तथा अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों से विचार विनिमय करने का अधिकार था। एक्ट के अनुसार प्रसाण्ड की आर्थिक रिपोर्ट में आर्थिक कार्यक्रमों का विवरण जिसमें राजगार उत्पादन एवं श्रम शक्ति का श्रम तथा एक्ट में निर्धारित नीति का कार्यान्वयन करने हेतु कार्यक्रम दना आवश्यक था। सन् १९४६ का रोजगार एक्ट अब एक क्षतिगामी संस्था बन गया है जिसका द्वारा अमरीकी अर्थ व्यवस्था में स्थिरता लाना सम्भव हो सका है। इसका द्वारा अमरीकी अर्थ व्यवस्था में प्रमुख दोष मन्गी एवं तेजी (Recession and Booms) का दूर करना सम्भव हो सका है।

इण्डोनेशिया में आर्थिक नियोजन

इण्डोनेशिया देश १००० Islands से मिलकर बना है जो ५००० मील के क्षेत्र में फैल हुए हैं। यह एक द्वीप प्रधान देश है। वहाँ चावल खरब गुणक मात्रिक नया पत्रिज तेल का बहुत उत्पादन होता है। चावल व अतिरिक्त प्रय वस्तुओं का अधिकतर निर्यात कर लिया जाता है। निर्माण-सम्बन्धी बड़े-छोटे प्रयत्न बरम हैं जोर दम्पकाने स्थायी का इ-दानिया को अय-अवस्था में प्रथिद म्द्व है।

इण्डोनेशिया को पञ्चवर्षीय योजना—सन् १९५५ तक इण्डोनेशिया में आर्थिक विनाश व विप बाई समन्वित योजना नहीं कायम्वित की गयी। सन् १९५५ से पूर्व इण्डोनेशिया सरकार ने आर्थिक विनाश हेतु कभी कभी परिधाननाए (Projects) एक विधाव-वायवनों का प्रपक प्रपन प्र ये गन्धानित किया। सन् १९५५ वर्ष के अन्त में राज्यकीय नियोजन ब्यूरो (State Planning Bureau) द्वारा एक पञ्चवर्षीय योजना बनायी गयी जिसका वायवय सन् १९५६ में सन् १९६० तक निर्धारित किया गया। इसका पूनम्पण कायम्वित करन व विप सरकार ने इसे विधान के रूप में घोषित किया। योजना के कार्यवर्गों का सरकार द्वारा वायम्वित करना था। सरकार की आर्थिक नीति थी कि उत्पादन व साधनों को यथासम्भव पूंजीरत्तियों के हाथ में नान से राना जान।

राजता के अन्तर्गत सरकार को १२१ विविध र्गिहा (Rupiahs) सरकारों एवं परिधाननाओं के विधान एवं विन्ताए हेतु तथा निजी क्षेत्र में पूर्ण एवं अन् व विनियोजन को प्रो-महित करने हेतु व्यय करना था। इसके अतिरिक्त गाना-बात में निजी साधनों का १० विविध र्गिहा की पूंजीगत प्रम्पुण प्राप्त करने का अधिकार था। साथ ही सामीय सम्पान का पारम्परिक सहायता व वायवनाए में ७५ विविध विप का विनियोजन करने का सम्प था। इन सब विनियोजनों द्वारा राष्ट्रीय प्रति व्यलि आय एवं उत्पादन में वृद्धि करनी थी।

मानना में सिबाई एवं गार्क की परिधाननाओं का अधिक प्रापनिकता को गयी और दूसरा म्यान-छोटा एवं चनिज की विधा गया। इनमें प्र प्रयक नद प्र सरकार द्वारा ३१५५ मिलियन र्गिहा विनियोजन करला था। दूसरे गर्दों में, यह वह सम्प है कि सरकारी विनियोजन की समस्त राशि प्रधात १०५०० मिलियन र्गिहा का ५०% भाग गति एवं सिबाई तथा उद्योग एवं चनिज पर विनियोजित हाना था। इन दो गर्दों को अधिक प्रापनिकता देने का कारण यह था कि इण्डोनेसी अय-अवस्था इन दो क्षेत्रों में अयन्त पिउली हुई थी। सिबाई एवं गार्क के साधनों में वृद्धि करने हेतु बहुत सी वन्दुर्देस्योय परिधाननाओं को इस यायना में सम्मिलित किया गया। सिबाई के साधनों की दटना बटाने का सय था कि साधन का उत्पादन ७,१२६ २०६ टन (सन् १९५५) से बढ़कर सन् १९६० में ८२ लाख टन हो जाय। गति के साधनों का बटाने का सय ८६० KW घण्ट (सन् १९५५ में) से बढ़कर

१ ३००० मिलियन K.W घण्टे हो जाय। औद्योगिक कार्यक्रमों को इस प्रकार निर्धारित किया गया कि यत्नमान उद्योगों का विस्तार करने के लिए विदेशी मुद्रा भी खर्च हो सके तथा रोहा इस्पात स्थायन आदि के उद्योग को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा सके। सरकारी क्षेत्र में सुमात्रा का आधान कम्प्लेक्स (Ashan Complex) समुक्त रोहा इस्पात परियोजना (Joint Iron and Steel Projects), रमाया एव राद परियोजना तथा रेयन (Rayon) उद्योग की स्थापना की जाती थी। सरकारी क्षेत्र के कारखानों में २३ मिलियन रुपिया का बजट निर्धारित किया जाना था। जागतिक कम्प्लेक्स में प्रति उत्पादन करने का एक टना ट गैरमुनिफिसम का कारखाना गुजर फास्फेट टाठ का कारखाना सीमेंट का कारखाना, इन कारखानों में सम्बंधित यातायात तथा हारबर (Harbour) की सुविधाएँ तथा एक सुगी एक वाणज का कारखाना भी सम्मिलित थे। राद एव रसायन परियोजना में कास्टिक सोडा, असेन्सिबल एलिमेंट तथा लोहा अमात्रिया यूरेन (Urea) राद तथा गुजर फास्फेट का कारखाना भी सम्मिलित थे। रेयन उद्योग के विस्तार हेतु पातयांग (दक्षिणी सुमात्रा) में ७०० मिलियन रुपिया को लागत में एक रेयन के कारखाना की स्थापना करनी थी।

राजिज के क्षेत्र में ७५७ मिलियन रुपिया का आयोजन यत्नमान राष्ट्रीय राजिज व्यवसायों में सुधार करने के लिए किया गया। देश के अर्थ क्षेत्रों में उपस्थित राजिज का सम्बन्ध में अधिक सुधना एवं प्रवृत्त करने का आयोजन किया गया। सरकारी तेल कोयला, टिन माइनाइट आदि राजिज उद्योगों के विस्तार का भी प्रथम राजिज कार्यक्रमों में लिया गया।

योजना के विभिन्न कार्यक्रमों में समाप्तन के लिए अर्थ का प्रबंधन के आन्तरिक साधनों के विकास जाना था। सरकार का यह विभाग था कि योजना के लिए आवश्यक वित्त देश में सामग्री से प्राप्त हो सकेगा और विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इण्डोनेशिया के नियोजन मंत्रालय ने वार पर्यर्णिय यात्राओं द्वारा सन् १९७५ तक राष्ट्रीय आय में ६५% तथा प्रति व्यक्ति आय में ४०% वृद्धि करने का अनुमान लगाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत तक राष्ट्रीय आय में १५% तथा प्रति व्यक्ति आय में ८% वृद्धि होने का लक्ष्य रखा गया।

योजना के प्रथम चार वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग ६% की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में लगभग २% की वृद्धि हुई। सरकारी विभागों में वर्धापन तम वय न होने के कारण इण्डोनेशिया की प्रथम योजना के अधिकतर लक्ष्यों की पूर्ति न हो सकी। कुछ व्यवसायों में आवश्यकता से अधिक बजट निर्धारित किया गया जबकि कुछ के लिए आवश्यक धन नहीं प्राप्त हुआ। स्टेट प्लानिंग ब्यूरो (State Planning Bureau) एवं अन्य सरकारी विभागों के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट रूप से निर्धारित न करने के कारण योजना सफल नहीं हुई। इस ब्यूरो के निदेश्य मानने को

अप्य सरकारी मन्त्रालय बाध्य नहीं थे। प्लानिंग बोर्ड, जिनके सम्मुख भूमा का योजना की प्राप्ति का विकराल रखना था, की समझ बुलायी ही नहीं गयी।

इन समस्त परिस्थितियों के फलस्वरूप इंग्लैण्ड की दत्तमान सरकार ने सन् १९५६ के मध्य में निश्चय किया कि 'निर्देशित त्रय-व्यवस्था' (Guided Economy) का मन्त्रालय त्रय और एक राष्ट्रीय योजना-परिषद् (National Planning Council) की स्थापना की गयी। इस परिषद् ने एक नयी आठवर्षीय (१९६१-६८) योजना का निर्माण किया। इस योजना की सफलता विभिन्न परिशोधनों के समन्वय तथा कुशल अर्थ प्रशासन पर निर्भर रहती।

सोवियत में आर्थिक नियोजन

सोवियत चाय खबर एक नारियन के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है परन्तु इस देश की अपनी दृढ़ जनसंख्या व कारणों का साक्षात्कार का प्रायास करना पड़ता है। साक्षात्कार का जायात रण के आर्थिक विकास में बाधक बन गया है क्योंकि विदेशी मुद्रा का अधिकांश भाग विकास-सामग्रियों के स्थान पर साक्षात्कार के आयात पर व्यय हो जाता है। सोवियत ने पिछले १० वर्षों में अपना आ-छह वर्षीय योजनाओं के देश के आर्थिक साधनों में वृद्धि करने का प्रयास किया है।

प्रथम छह वर्षीय योजना (सन् १९४०-४८ से १९५०-५३)—दस योजना में १ २५६ मिलियन रपया व्यय किया गया जो निम्न प्रकार है—

नारियन नं० ३८—सोवियत की प्रथम योजना का व्यय

वर्ग	रुपय (मिलियन रपया)	सोवियत प्रतिशत
(१) नारियात एवं नवारा	७००	२४.०
(२) ईंधन एवं शक्ति	७८०	६.०
(३) सामाजिक पूर्वा	२४१५	२०.०
(४) इति मछली उद्योग तथा वन	४१८८	४१.६
(५) उद्योग	६५८	५.३
(६) अन्य	२५१	२.०
	<u>३,०४६.४</u>	<u>१००%</u>

इस प्रकार सन् १९५० आधारेणुत संधारों उद्योग नारियात एवं नवारा ईंधन एवं शक्ति निम्ना म्वास्थ्य निदान-मुद्रा जादि पर व्यय हुआ। ४१.६% इति एवं मछली-उद्योग तथा वन-सम्पत्ति जादि उद्योगों व विकास पर व्यय हुआ।

दस योजना के अन्तर्गत ४० ००० हेक्टर (Hectors) नूनि या सुधार धान की खेती के लिए किया गया आ योजना के अन्तर्ग से १० ००० हेक्टर वन भी। नारियात के मुद्रा के कारण उद्योग ने अधिकांश निर्माण किया गया और निर्माण करने से सरकार की आय प्राप्त हुई, इन्वैरिन्स योजना का वा विहाई विकास-व्यय सरकार की वारु धान में स किया गया। प्रथम योजना में प्रति व्यक्ति आय सन् १९५० के मून्वी के

आधार पर १३१ रुपये (सन् १९४८ में) में बढ़कर सन् १९५१ में १६४ रुपये हो गया, परन्तु सन् १९५३ में यह व्यय घटकर १४८ रुपये हो गयी।

द्वितीय छहवर्षीय योजना (सन् १९५४-५५ से सन् १९५९-६०)—द्वितीय योजना कालम्बो योजना तथा अन्तर्राष्ट्रीय निमाण एव विवासक के विकास-कार्य क्रमा में समन्वित की हुई थी। इस योजना का व्यय २५२९ मिलियन रुपया निर्धारित किया गया जिसका वितरण निम्न प्रकार किया गया—

तालिका सं० ३६—मीलान की द्वितीय योजना का व्यय

मह	व्यय (मिलियन रुपया)	भाग में प्रतिशत
(१) यातायात एवं संचार	८५००	३३.१
(२) सामाजिक पूंजी	८०२७	३१.६
(३) कृषि मछली उद्योग तथा वन	९००६	३५.५
(४) ग्रामीण विकास	५७६	२.३
(५) उद्योग	१११८	४.४
(६) अन्य	८९५	३.५
(७) रक्षा (Defence)	९५६	३.८
	<u>२५२८८</u>	<u>१००%</u>

योजना के समस्त व्यय का राशि में लगभग आधा भाग नवीन परियोजनाओं पर व्यय होना था तथा शेष तत्कालीन अन्तु योजनाओं को पूरा करने हेतु रखा गया था। योजना का उद्देश्य उत्पादनशक्ति में द्रुत गति से वृद्धि करना था। यह वृद्धि की गति जनसंख्या की वृद्धि का गति से अधिक होनी थी। आधारभूत आर्थिक सेवाओं में पर्याप्त वृद्धि का आयाजन किया गया तथा इससे कुछ नवान योजनाओं को शुरू करना था। कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक प्राथमिकता धान उत्पादन हेतु सिंचाई तथा पुनर्वास को दी गयी। धान विस्तार योजनाओं द्वारा १४०००० परिवारों को नवान सिंचित भूमि पर पुनर्वासित करने का आयाजन था। ४८०००० हेक्टर भूमि को सिंचित करने का भी आयोजन था। रबर एवं नारियल को पुनः रोपण (Replanting) लगाने का भी अधिक प्राथमिकता दी गयी थी।

सरकार की नीति के अनुसार उद्योगों का विकास निर्यात क्षेत्र में हुआ था, इसलिए योजना में औद्योगिक विकास हेतु कम राशि निर्धारित की गयी। योजना में ३५ मिलियन रुपया सरकार के निजी उद्योगों में Participation करने हेतु आयाजित किया गया।

योजना का अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया। विकास व्यय का आयोजन प्रत्येक वर्ष की परिवर्तित आर्थिक स्थिति के अनुसार वज्र में किया जाना था। सोलोन की सरकारी आय का अधिकांश भाग निर्धारित कर से प्राप्त होता है और निर्धारित कर का प्राप्ति मूल्यों में परिवर्तन करने के

भारत सबसे अनिश्चित होती है। यद्यपि योजना न विदेशों से तान्त्रिक एवं वित्तीय सहायता प्राप्त की, परन्तु योजना के संचालन हेतु योजना मन्त्रालय अपने ही स्रोतों पर अधिक विचार था।

धर्मों में आर्थिक नियोजन

धर्मों में आर्थिक सहायता की दृष्टिकोण है। उन एवं खनिज सम्पत्ति तथा उन विद्युत् शक्ति के साधन बड़ी मात्रा में मौजूद हैं जिनका जमा एक हीपत्तु नहीं किया गया है। द्वितीय महायुद्ध में जापान द्वारा भारतवासियों के कारण धर्मों की अर्थ-अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था क्षति पहुँची। द्वितीय महायुद्ध के बाद धर्मों पर फिर ब्रिटेन ने अर्थव्यवस्था का विचार और राजनीतिक सहायता प्रारम्भ की। भारत के साथ धर्मों की ही सहायता प्राप्त हुई और महायुद्ध एवं अन्तरिम अवधि के कारण हुए आर्थिक विध्वंस को पुनर्निर्माण हेतु विकास योजनाओं का आयोजन किया गया।

आठवर्षीय विकास-योजना—परन्तु उत्पन्न का युद्ध के पूर्व के स्तर पर लाने हेतु धर्म सरकार के आर्थिक एवं उद्योग मन्त्रालयों ने आठवर्षीय आर्थिक विकास-योजना बनायी। धर्मों के राजनीतिक नेता धर्म की विकासित अर्थ-अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत हुए आर्थिक विकास से बहुत प्रभावित हुए और धर्म के सन् १९४८ के संविधान में पूर्णतया नियोजित अर्थ-अर्थव्यवस्था का आयोजन किया गया। आठवर्षीय विकास-योजना अक्टूबर, सन् १९५१ में प्रारम्भ होनी थी परन्तु योजना की आयोजित करने हेतु पर्याप्त तयारियाँ न होने के कारण योजना का प्रारम्भ एक वर्ष बाद अक्टूबर, सन् १९५२ में ही हुआ। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सड़क उत्पादन, जो सन् १९५१-५२ में, ३ २०० मिलियन क्वान्ट (Khat) का बने बरकर सन् १९५२-५३ तक ३,००० मिलियन क्वान्ट करने का लक्ष्य था। प्रति व्यक्ति आय सन् १९५१-५२ के स्तर २०१ क्वाट से बढ़कर सन् १९५२-५३ तक २०८ क्वान्ट (सन् १९५१-५२ के मूल्यों पर) होने का अनुमान था, अर्थात् प्रति व्यक्ति आय में योजनाकाल में ६६% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति उपभोग भी १८६ क्वान्ट से बढ़कर २०४ क्वान्ट होने का अनुमान था, अर्थात् २४% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था।

योजना में ७,५०० मिलियन क्वान्ट का वित्तियोजन आठ वर्षों में किया जाना था। इस राशि में ३ ५७० मिलियन क्वान्ट विदेशी साहाय्य तथा ४ ०२० मिलियन क्वान्ट सरकार द्वारा वित्तियोजन किया जाना था। योजना की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान २ ५०० मिलियन क्वान्ट था। ७ ५०० मिलियन क्वान्ट के वित्तियोजन में २ ५०० मिलियन क्वान्ट उत्पादक पूँजी, २,००० मिलियन क्वान्ट गानादि पूँजी (अर्थात् निवास गृह, स्कूल चिकित्सा की सुविधाएँ आदि) के लिए निर्धारित किया गया था। योजना का निर्माण करते समय दो मायदाराओं को ध्यान रखा गया था। प्रथम थी सहायता का मुख्य योजनाकाल में ५२ पीएच प्रति टन से कम नहीं होना और

वर्षा कायदा का निर्धारण कर योजना के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपार्जित कर सकेगा, परन्तु चायदा के मूल्य म गिरावट हो गयी और योजना के कार्यक्रमों के लिए विदेशी मुद्रा की कमी पडी । विदेशी मुद्रा की कमी की पूर्ति करने हेतु वर्षा को भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय बच से श्रृण प्राप्त करने पडे । योजना की दूसरी मायता यह थी कि वर्षा सरकार विद्रोहियों के अधिकार म रहते चाते क्षत्रों पर अधिकार प्राप्त कर सगी और विद्रोहियों को सन्तुष्ट कर सकेगी परन्तु योजनाकाल म विद्रोहियों की गति विधि और तीव्र हो गयी और वर्षा सरकार को अपनी आगम आय का लगभग ४०% रक्षा पर व्यय करना पडा । रक्षा व्यय बढ़ने का कारण विनास व्यय का कम करना आवश्यक हो गया । योजना म सन् १९२६-६० तक धान उगाय जात वाल क्षेत्र म कुछ का पूर्व की तुलना म ४% की वृद्धि करनी थी परन्तु विद्रोहियों के अधिकार म पडा क्षेत्र रहने के कारण इस लक्ष्य की पूर्ति करना सम्भव नहीं हो सका है । इसका अतिरिक्त तात्कालिक विदेशियों की कमी के कारण सिचाई की सुविधाओं म भी पर्याप्त वृद्धि नहीं की जा सका ।

उद्योग म क्षेत्र म योजना म निम्न उद्देश्य निर्धारित किय गये थे—

(१) पक्की हुई तातदा की अधिक से अधिक रोजगार का अवसर उपलब्ध किय जाय ।

(२) औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विदेशी पर निर्भर न रहा जाय ।

(३) वर्षा की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जाय । औद्योगिक कार्यक्रम म आधारभूत उद्योगों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी । इसका पश्चात् उन उद्योगों को स्थान दिया गया जो इन आधारभूत उद्योगों की निमित्त वस्तुओं का उपयोग करते हैं । सन् १९५१ की विदेशी मुद्रा की कटिनाहियों के कारण इन संपत्तों का विकास-कार्यक्रम म बाट छांट दी गयी । दूसरी ओर प्रगतिशत कर्मचारियों की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र म लक्ष्य के अनुसार विकास नहीं किया जा सका और वर्षा की सरकार को औद्योगिक नवीन इकाइयों की निर्माण क्षेत्र म स्थापित करने की अनुमति देनी पडी । सन् १९५५ म वसी नेताओं से औद्योगिक विकास हेतु आर्थिक सहायता का आश्वासन मिलने पर औद्योगिक कार्यक्रमों म कुछ वृद्धि भी की गयी फिर भी औद्योगिक विकास की गति लक्ष्य के अनुसार न रह सकी और आधारभूत उद्योग जैसे कोहा एवं इस्पात आदि की स्थापना भी सुदृढ़ न हो सकी । यातायात एवं संचार के लिए १७५ मिलियन वर्षा का आयोजन किया गया था । इस सक्ति म स आधा भाग सड़क यातायात तथा शेष आन्तरिक गत यातायात के विकास के लिए निर्धारित किया गया था । रेल-यातायात के क्षेत्र म लगभग १०० रेलवे स्टेशनों को फिर चालू करा तथा रोलिंग स्टॉक के समूह का प्रबंध किया गया था परन्तु विद्रोहियों की बाधवाहियों के कारण इस क्षेत्र म लक्ष्य के अनुसार विकास नहीं हो सका ।

षाठवर्षीय योजना की प्रगति—योजना का वास्तविक क्रियान्वयन-काल सन् १९५३-५४ से सन् १९५८-५९ रहा और इस काल में सबसे पूँजी निमाण सकल आन्तरिक उत्पादन (GDP) का १८.२% हुआ जबकि वर्ष २१.०% रहा गया था। युद्ध म्यारीय पूँजी निमाण इस काल में १.१% (GDP का) हुआ जबकि वर्ष १.५१% था। पूँजी निमाण के स्तर में कमी रहने तथा पूँजी-उत्पाद में वृद्धि होने के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पादन सन् १९५९-६० में केवल युद्ध के पूर्व के स्तर तक ही पहुँच पाया। सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति-व्यक्ति उत्पादन में योजना के वर्ष की तुलना में क्रमशः १६% तथा १०% का कमी रह्यो। इसी प्रकार प्रति-व्यक्ति उपनोम भी वर्ष के १८% कम रहा। इन सबका कारण जनसंख्या की वृद्धि एवं विन्गी सहानुता ली पालन उपरान्त न होना था।

वर्षों की पूर्ति में कमी रहने का प्रमुख कारण भारत के उत्पादन में अधिक अभिलाषी अनुमान तथा इसके निपाठ से उत्पन्न हुए काल विदेशी विनिमय का अधिक अनुमान लगाया था। योजना का निमाण करने समय भारत का निपाठ में मूल्य का अधिक अनुमान लगाया गया था जबकि भारत का वास्तविक निपाठ मूल्य सन् १९५०-५३ से सन् १९५८-५९ काल में आधा रह गया। योजना में मूल्य में परिवर्धनीय योजनाकाल में केवल १४% की कमी का अनुमान लगाया गया था। उससे के बाजारों में भारत के मूल्य कम होने के कारण कमी के विन्गी विनिमय के प्रबल पर प्रतिष्ठान प्रभाव पडा और विदेशी विनिमय मूल्य जनवरी सन् १९५२ में १०-९ निविदन वरान से सन् १९५१ फरवरी, में घटकर ६.०८ निविदन वरान रह गया। ऐसी परिस्थिति में कमी की सरकार ने विदेशी विनिमय के व्यवहारों पर कठोर नियंत्रण किया और आयात के लिए जारी किये लाइसेंसों की राशि को ज़ापा कर दिया गया। मार्च, सन् १९५५ में यह निरवय कर लिया गया कि केवल उन्हीं परिव्योजनाओं की क्रियावित्त किया जाय जिन पर काय प्रारम्भ हो गया था और गैर परिव्योजनाओं का स्वयंनि कर लिया गया।

प्रथम षारवर्षीय योजना—आठ वर्षीय योजना में सन् १९५६-५७ से सन् १९ ६०-६१ काल के सम्बन्ध में सूक्ष्म परिवर्तन किया गया है और इन कार्यों के लिए सरकारी विनियोजन का कार्यक्रम बनाया गया जिसका नाम प्रथम बार षार्वीय योजना दिया गया। इस योजना में उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी जिनसे देश की भुगतान शेष की स्थिति में सुधार हो सके पूँजी उत्पाद कम किया जा सके तथा उपरिधम मुविधाओं एवं गितम्बनाओं (External Economics) की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की जा सके।

योजना में १५५६ मिलियन रूपात के व्ययसाधन की उपसधि का अनुमान लगाया गया था जबकि वास्तविक उपनधि २०-२१ मिलियन रूपात हुई जिसमें ६०७ मिलियन रूपात की विदेशी सहायता सम्मिलित थी। योजना में २५११ मिलियन

क्यात की पूंजी व्यय करने की व्यवस्था की गयी थी जबकि वास्तविक पूंजीगत व्यय १९६४ मिलियन क्यात किया गया।

याजना के रूपि उत्पादन के क्षेत्र के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी। तम्बाकू के उत्पादन में लक्ष्य से अधिक वृद्धि हुई। खनिज क्षेत्र के लक्ष्यों में कुद की पूर्ति की जा सकी। विदेशी विनिमय व संचय में याजनावाकाल में केवल २१ मिलियन क्यात की वृद्धि हुई जबकि योजना का लक्ष्य १७२ मिलियन क्यात का पूर्ति करना था।

द्वितीय चारवर्षीय योजना (सन् १९६१-६२ से सन् १९६४-६५)—इस याजना का सञ्चालन का स्वोच्छति वर्ग सरकार द्वारा अगस्त सन् १९६१ में की गयी। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार थे—

- (अ) प्रति प्रति उत्पादन अथवा आय में ३६% की वृद्धि
- (आ) अल्प निश्चित क्षेत्रों का प्रगति की दर में वृद्धि करना
- (इ) प्रमुख रूपि उत्पादों, जैसे तिलहन, गन्ना, कपास एवं गहू में आराम निभरता प्राप्त करना
- (ई) चावल, बांग दाला तथा बज्जीनिया तम्बाकू आदि का अधिक निर्माण करना
- (उ) चुने हुए आयाम किए जाने वाले औद्योगिक उत्पादों में आराम निभरता प्राप्त करना
- (ऊ) अल्प व्यवस्था में निजी क्षेत्र को सुदृढ बनाना
- (ए) अल्प व्यवस्था एवं उपरि-व्यय सुविधाओं (यानायात संचार आदि) को सुदृढ करना।

इस योजना के सरकारी क्षेत्र में विनियोजन गतिता ५० के अनुगार किया गया।

इस तानिका में पात हाता है कि प्रथम एवं द्वितीय दोनों ही याजनाओं में यानायात एवं संचार के विकास में सर्वाधिक राशि आवलित का गयी था। द्वितीय योजना में समाज सेवाओं एवं निर्माण क्रियाओं का विस्तार को अधिक महत्व प्रदान किया गया। प्रथम योजना का पुनरा म द्वितीय योजना की उद्योग एवं रूपि दोनों की विनियोजन राशि में पर्याप्त वृद्धि की गयी। दूसरी ओर गति पर विनियोजन होने वाली राशि में कमी कर दी गयी। इसका प्रमुख कारण बसूनुआग जनविद्यत परि योजना की प्रथम योजना में सम्पूर्ण हो जाना था। यानायात व क्षेत्र में घटे वटे सम्बन्ध मायों के निर्माण रता के आधुनिकीकरण तथा आन्तरिक जल यानायात का आयाजन किया गया। उद्योगों के क्षेत्र में सामरिक महत्व के औद्योगिक उत्पादना में आराम निभरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था।

उत्पादन लक्ष्य—याजना के कायग्रमा के विनियोजनों के फलस्वरूप सन् १९६५-६६ के लिए विभिन्न उद्योगों के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह

तालिका सं० ४०—बर्मा की प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं में
सरकारी क्षेत्र के विनियोजन का आवंटन

भेद	प्रथम चारवर्षीय योजना १९५२-५३ से १९५५-५६		द्वितीय चारवर्षीय योजना १९६१-६२ से १९६४-६५	
	विनियोजन की राशि (मिलियन क्यम्बु)	कुल विनियोजन से प्रतिशत	विनियोजन की राशि (मिलियन क्यम्बु)	कुल विनियोजन से प्रतिशत
कृषि एवं सिंचाई	२११ ०	१० ६	३१६ ७	१० ०
वन	०८ ७	५ ३	१७ ०	० ६
समिन्न	० ६	० ४	३ ० ७	१ ५
उद्योग	१०७ ६	६ ७	२७६ ०	१० ६
शक्ति	३०३ १	१४ ६	२०० ०	७ ०
यातायात एवं संचार	५६६ ५	२५ ७	७७० ५	२६ ५
समाज सेवाएँ	१६१ ६	१० १	५६७ ०	१० ६
कानून एवं प्रशासन	३०० ५	१० ०	२०० ०	७ ५
अन्य	१०० ६	५ ३	१५८ ६	५ ७
	१६०० ३	१०० ०	२६०० ६	१०० ०

लक्ष्य इस बात पर आधारित थे कि योजनाबद्ध में सरकारी क्षेत्र के विनियोजन के अतिरिक्त लगभग ५५० करोड़ रुपये का विनियोजन प्रति वर्ष निजी विनियोजन में भी होगा। खाद्य-पदार्थों का उत्पादन ५०० ६ मिलियन क्यम्बु तक बढ़ाकर १३१ ५ मिलियन क्यम्बु, वस्त्र ७०० ३ मिलियन क्यम्बु, रसायन-पदार्थ ३०३ ० मिलियन क्यम्बु, समिन्न लेख १५६ मिलियन क्यम्बु आभा-मूल धातु १ ३ मिलियन क्यम्बु धातुओं की निर्मित वस्तुएँ १११ ६ मिलियन क्यम्बु यातायात प्रसाधन ५५ ५ मिलियन क्यम्बु, लक्ष्मी और बात की वनी वस्तुएँ १०० ६ मिलियन क्यम्बु मूल्य का उत्पादन-रूप रखा गया था।

अध-साधन—राज्या के अन्तर्गत विभिन्न साधनों से अध-साधन तालिका सं० ४१ के अनुसार प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया।

सरकारी क्षेत्र की कुल विनियोजन की आयोजित राशि में २६०० ६ मिलियन क्यम्बु की तुलना में अध-साधनों की उपलब्धि का अनुमान केवल १०४६ मिलियन क्यम्बु था अर्थात् साधनों की उपलब्धि में ७०० मिलियन क्यम्बु की कमी थी।

बर्मा की द्वितीय योजना का सम्पूर्ण जिम्बान्वयन नहीं किया जा सका। सन १९६१-६२ में ६०० मिलियन क्यम्बु का विनियोजन सरकारी एवं निजी क्षेत्र में हुआ जबकि लक्ष्य १००५ मिलियन क्यम्बु था। सन १९६२ में सूत्र की सरकार का पतन हो जाने एवं नए दिन की सैनिक सरकार सत्ताारुह होने पर योजना के बहुत से कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया।

तालिका म० ४१—धर्मा की द्वितीय योजना के अथ-भाषनों का अनुमान
(मिलियन वनात)

१ मन्नालयो एव विभागो से चालू अतिरेक	—५
२ परिपदा एव निगमो से चालू अतिरेक	६६८
३ परिपदो एव निगमो की पु जीगत प्राप्तियाँ	४०
४ अन्य आंतरिक प्राप्तियाँ	३२८
५ विदेशी ऋण एव अल्प प्रप्तियाँ	
चीन से	१७६
ICA	१८७
IBRD	६६
क्षति-पूर्ति (Reparations)	६८०
६ विदेशी ऋणो का सवा यय	—२४
योग	१८४६

फिलीपाइन्स में आर्थिक नियोजन

फिलीपाइन्स पाचवर्षीय सामाजिक एव आर्थिक कार्यक्रम (सन १९६३ से सन १९६७) का निर्माण दण की परम्परागत समस्याओं के निवारण करने हेतु किया गया। य समस्याएँ—उत्पादन एव आय का निम्न स्तर खरोखबार सरकार द्वारा कर की कम बसूली तथा औद्योगिक प्रगति हेतु आधार उत्पादन मुविधाओं की कमी थी। योजना क प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है—

(१) जनसाधारण का सरकार में विश्वास पुन स्थापित करना। इसके लिए खरिद का पुनरोद्धार करने की आवश्यकता महसूस की गया।

(२) उत्पादन में इतनी वृद्धि करना कि दस आवश्यक वस्तुओं जन चावल अनाज गन्ना तथा मांस में आत्म निर्भर हो जाय।

(३) रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा जनसाधारण का श्रेय गति में सुधार।

(४) आवश्यक जन सेवाओं जैसे स्वास्थ्य शिक्षा आदि में सुधार एव विस्तार।

(५) आधारभूत उद्योगों की स्थापना तथा पतमान उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहन।

विनियोजन

पाँच वर्ष के योजनाकाल में विभिन्न कार्यक्रमों पर १२६ बिलियन पेसा के विनियोजन का आयाजन किया गया है। यह पूँजी बरारोपण, व्यक्तियों एवं ध्या पारियों की आय विभिन्न समस्याओं व धन विकास बक तथा जनसाधारण की वचत से प्राप्त की जानी है। विदेशी पूँजी—अधिक निर्यात जापान से प्राप्त होने वाले क्षति पूति भुगतान विदेशी म ऋण तथा विदेशीयों द्वारा किए गए निजी विनियोजन से प्राप्त होगी।

कृषि-विकसन

इसके अन्तर्गत कृषि उत्पादन, पशुओं, मछली तथा वन उत्पादों में वृद्धि करने के कार्यक्रम सम्मिलित किए गये हैं। उत्पादन की वृद्धि हेतु निम्न योजना में सम्मिलित किए गये हैं—

(१) उत्पाद एवं वास्तव के मूल्य—बाण्ड (Price Support) कार्यक्रम के लिए ५० मिलियन पन्नों का आवंटन किया गया है।

(२) पशुधन कार्यक्रम के पीछे के कुलवास्तव तथा नवीन पौधों के लगाने का आवंटन किया गया है। कार्यक्रम की सीमाओं की शर्त तथा अन्य आर्थिक तथा अन्य व्यवस्था योजना में की गयी है।

(३) अबाका (abaca) उत्पादों की उत्पादन / मिलियन पन्ना का आवंटन है।

(४) कपास उत्पादन का प्रासाहित करने हेतु १० पन्ना प्रति पीर एकर अनुदान का आवंटन है।

(५) अण्ड पत्तों, रेशम रबर, तम्बाकू आदि के विकास का भी आवंटन किया गया है। मछलियों के पकड़ने के उद्योग के विस्तार करने हेतु योजना में काननों में लागू पानी भर कर लच्छी मत्स्य की मछलियों में वृद्धि करने, टिशरी विधान (Fishery Laws) का अधिक प्रभावकारी संचालन, मछली पकड़ने वाली में किया का विस्तार तथा आन्ध्र मछली के विकास का आवंटन किया गया है।

औद्योगिक विकास

योजना में इस्पात धातु उद्योग कायम, ग्लास सीमेन्ट एवं अन्य उद्योग उद्योगों को अपारकृत स्थान दिया गया है। इनके साथ उद्योग निर्माण, धातु उत्पादन वस्तु उत्पादों का निर्माण, लकड़ी के काम तथा रतु एवं गुरु उद्योगों के विकास का भी आवंटन है। निर्माणी उद्योगों के विकास हेतु उद्योग द्वारा निम्न कार्यवाही की जाती है—

(१) आधारभूत उद्योगों के संचालन एवं अर्थ सामग्री के उत्पाद पर कर से सीमित छूट की जागी।

(२) विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जाना।

(३) उद्योगपतियों का विशेषज्ञ रूप से न संचालन प्रदान की जाती।

(४) देश से निर्यात होने वाली वस्तुओं का गरीबी विधियों से सुरक्षा देने हेतु प्राप्त उद्योगपतियों के प्रस्तावों का तुल्य स्वाकृति देने का आवंटन किया गया है। योजना में उद्योगों का समन्वय देश में चलाने का भी आवंटन किया गया है।

समाज-सेवाएँ

योजना में ७७ करोड़ प्रतिरित प्रारम्भिक स्वास्थ्य खाने का आवंटन है। प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त उद्योग एवं सामग्री प्राप्त करने का भी आवंटन किया गया

है। १३५ ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र खोलने की व्यवस्था की गयी है। क्षेत्रीय, प्रान्तीय तथा द्वीप अस्पताल खोलने का आयोजन भी है। मलेरिया उन्मूलन के कार्यक्रम भी संचालित किये जायेंगे और डॉक्टरों शिक्षा म सुधार करने की व्यवस्था है। ३७५० कम लागत वाले निवास गृह एवं अस्पताल भी स्थापित किये जायेंगे।

पाकिस्तान म आर्थिक नियोजन

पाकिस्तान के राजनीतिक नेता स्वतंत्रता के पश्चात् लम्बे समय तक पारस्परिक झगड़ों तथा सत्ता प्राप्त करने के प्रयासों म व्यस्त रहे और अर्थ-व्यवस्था के विकास हेतु कोई ठोस कार्यक्रम नहीं की जा सकी। जनसाधारण में वहाँ की बदलती हुई सरकारों विश्वास उत्पन्न न कर सकी जिससे नियोजन कार्यक्रम के लिए जनसाधारण को त्याग करने के लिए प्रोत्साहन न दिया जा सका। पाकिस्तानी शासक अपना राजनीतिक सत्ता पर हल न होने के कारण कोई बड़े आर्थिक नीति निर्धारित न कर सके। इन सब कारणों के फलस्वरूप पाकिस्तान की प्रथम पंचवर्षीय योजना स्वतंत्रता के ८ वर्षों के पश्चात् १ जुलाई, सन् १९५५ में प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया परंतु राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस योजना का सरकार की स्वीकृति सन् १९५७ तक भी नहीं मिल पायी। इस योजना का समस्त व्यय १० ८०० मिलियन रुपया निर्धारित किया गया। इसे ढेर से कार्यान्वित करने के कारण योजना का व्यय लगभग २४% कम रहा। योजनाकाल म खाद्यान्न के उत्पादन म पर्याप्त वृद्धि न होने के कारण खाद्यान्न की समस्या अत्यंत गंभीर हो गयी और लगभग ७०० करोड़ रुपय के खाद्यान्न आयात किया गया जबकि योजना म केवल ४०० करोड़ रुपय के खाद्यान्न आयात करने का आयोजन था। खाद्यान्न के अधिक आयात के कारण अर्थ-व्यवस्था की अर्थ-क्षेत्र विपन्न उद्योगों के क्षेत्र की विज्ञान विनिमय की कमी पनी और यहन से एने उद्योग जो योजना प्रारम्भ होने से पहले स्थापित किये गये थे अपनी क्षमता के सार काम न कर सके। इन उद्योगों को आयात किया हुआ कच्चा माल एवं पुर्ने आदि पर्याप्त मात्रा म प्राप्त न हो सका। विकास से सम्बन्ध न रखने वाले व्यय म अनुमान से अधिक वृद्धि हुई। विज्ञान म अत्यंत अनुमानानुसार न किया जा सका। मूल्य एवं जनसंख्या में वहाँ अधिक वृद्धि हुई। इन सब कारणों के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय म (स्थिर मूल्यों के आधार पर) वृद्धि होने के स्थान पर कुछ कमी हो गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—पाकिस्तान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संचालन दूर कठोर एवं तनावपूर्ण प्रशासन के अन्तर्गत हुआ। पाकिस्तान के इस नवानुशासन की नियोजन म पर्याप्त रचि थी और इसीलिए द्वितीय योजना के कार्यक्रमों को विस्तृत रूप देने का प्रयास किया गया। योजना आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि पाकिस्तान की योजनाओं म विभिन्न वर्गों के सिद्धांतों को विचार मान्यता नही दी गयी है न तो कृषि म जीविके और न केवल समाजवाद अर्थ-व्यवस्था की

योजनाओं में अपनाया गया है। पाकिस्तान की यात्राओं के सिद्धान्तों को उनके द्वारा प्राप्त होने वाले पत्रों के आधार पर निष्पत्ति दिया गया है। वास्तव में, यात्राओं के सिद्धान्तों का मूल उद्देश्य यह रखा गया कि अर्थ-व्यवस्था की प्रगति जनसंख्या की वृद्धि की गति से तीव्र हो तथा विकास का प्रकार ऐसा हो कि नवीनतम अर्थ-व्यवस्था अर्थ-व्यवस्था का प्राप्तिवाक्य हो सके। यह यात्रा १ जुलाई से १९६० से प्रारम्भ हुई।

पाकिस्तान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीन मुख्य उद्देश्य हैं—

(१) देश का निम्न कृषि उत्पादन तथा जनसंख्या का पर्याप्त आटा प्रदान करने की क्षमता का दूर करने के लिए नगसक प्रदान किए जाने विषय में कृषि के क्षेत्र की महत्त्वपूर्णता को दूर दिया जा सके।

(२) औद्योगिक विकास की गति को निजी साहसियों के सभी व्यावहारिक साधनों द्वारा प्रोत्साहित कर तीव्र किया जाय तथा अर्थ-व्यवस्था की व्यय के प्रति-बर्षों में मुक्त किया जाय।

(३) सभी स्तरों पर शिक्षा का विस्तार किया जाय जिसमें पर्याप्त मात्रा में योग्य शिक्षा के (Personnel) प्राप्त हो सके।

द्वितीय योजना का समग्र व्यय ₹६,००० मिलियन रूप में निर्धारित किया गया। यह व्यय विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार वितरित किया गया—

(मिलियन रुपयों में)

सरकारी क्षेत्र का व्यय	६,५०
जल-सुरक्षा क्षेत्र का व्यय	२,५५०
निजी क्षेत्र का व्यय	६,०००
योग	१६,०००

इस व्यय की राशि का विभिन्न स्तरों पर निम्न प्रकार आवंटित किया गया—

तालिका नं० ८—पाकिस्तान की द्वितीय योजना का व्यय

(मिलियन रुपयों में)

वर्ग	जल-सुरक्षा क्षेत्र			निजी क्षेत्र का व्यय	योग
	सरकारी क्षेत्र	सरकार के अनुदान	अन्य व्यय		
कृषि	६,६६०	—	—	६,६६०	७,५५०
जल एवं शक्ति	२,६४०	—	१६०	६०	२,८६०
उद्योग	१२५	१,०४५	५००	५०	२,७२०
ईंधन एवं संचार	१२५	१५५	—	५५०	८३०
साक्षात्कार एवं संचार	१,६६०	११०	५००	६६०	३,९३०

गृह एव पुनर्वास (Housing and Settlement)	८६५	४२०	३६०	१,१३५	२ ८४०
शिक्षा एव प्रशिक्षण	८६०	—	—	१००	६६०
स्वास्थ्य	३५०	—	—	५०	४००
जन शक्ति एव समाज सेवाएँ	६५	—	—	१५	११०
ग्रामीण सहायता	४८०	—	—	—	४८०
योग	१ ७५०	१ ७५०	१,५००	६ ०००	१६,०००

पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था की उन्नति निम्न दसा में १६ ००० मिलियन रुपये के साधन जुटाना अत्यन्त कठिन था। यह अनुमान लगाया गया कि ११ ००० मिलियन रुपये घरेलू साधना तथा ८ ००० मिलियन रुपये विदेशी साधना से प्राप्त होगा। द्वितीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में २०% तथा प्रति व्यक्ति आय में १०% वृद्धि होने का अनुमान है। योजना के कार्यक्रमों में सबसे अधिक प्राथमिकता कृषि उत्पादन को दी गयी। लाघानों की कमी को दूर करने के लिए कृषि को प्राथमिकता दिया जाना स्वाभाविक है। योजनाकाल में कृषि उत्पादन में लगभग १०% वृद्धि होने का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र में वृहत तथा मध्यम स्तर की उद्योगों का उत्पादन में ६०% तथा एव लघु उद्योगों का उत्पादन में २५% वृद्धि होने का अनुमान है। उद्योगों की वर्तमान उत्पादनक्षमता को पूरकतम उपयोग तथा नवीनीकरण हेतु बड़ी मात्रा में अतिरिक्त विनियोजन का आयोजन किया गया। आर्थिक दृष्टिकोण से जहाँ सम्भव हो आधारभूत उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायगा। छोटे उद्योगों को योजना में विशेष महत्त्व दिया गया है क्योंकि इनके द्वारा कम पूँजी का विनियोजन से अधिक रोजगार का अवसर दिए जा सकते हैं। ऐसे वृहत उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायगा जिसमें कृषि अथवा छोटे उद्योगों के विकास में सहायता मिलती हो।

द्वितीय योजना की उपलब्धियाँ

द्वितीय योजना के अन्तर्गत पाकिस्तान का सकल राष्ट्रीय उत्पादन में स्थिर मूल्यों के आधार पर ५५% प्रति वर्ष की दर तथा प्रति व्यक्ति आय में २०% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में ३४% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। कृषि-उत्पादन के मूल्यों को वास्तविक रखन तथा खाद, कीटाणुनाशक रसायन आदि का अतिरिक्त आयात करने के कारण कृषि का विकास सम्भव हो सका। सिंचाई का सुविधाओं में भी वृद्धि की गयी। वित्तीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों का विकास पृष्ठ १२० पर दी गयी ऊपर की तालिका अनुसार हुआ।

विनियोजन एवं वृद्धि

द्वितीय योजनाकाल में ३२१५० मिलियन पाकिस्तानी रुपये का विनियोजन किया गया। इस योजनाकाल में विनियोजन दर २१% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। विनियोजन के अन्तर्गत 'यव' की अर्थ-साधन

क्षेत्र	प्रगति का प्रतिशत
निर्माण (Construction)	१६५.१
निर्माणों एवं खनिज (Manufacturing and Mining)	६१.४
सातवाण्ड एवं व्यापार	३६.४
अन्य सेवाएँ	२६.४
श्रमि	१८.०
कुल सकल राष्ट्रीय उत्पादन	३०.४

अधिनियम आन्तरिक बचत एवं विदेशी साधनों से उपलब्ध किया गया। आन्तरिक बचत सकल राष्ट्रीय उत्पादन का अनु. १६५.६० में ६.५% थी जो अनु. १६६.४६५ में १०.४% हो गया। योजनाकाल में खिय जाने वाले कुल विनियोजन का ५२% भाग सरकारी क्षेत्र में विनियोजित किया गया। जवनि यह प्रतिशत प्रथम योजना में ६०% था। द्वितीय योजना में सरकारी क्षेत्र के भाग में बनी रहने का प्रमुख कारण परिवर्तनाओं का खिय जान जाने तथा सहयता के राशि अनुमान में कम रही। निम्नलिखित तालिका में द्वितीय योजना के विदेशी व्यवस्था का विवरण दिया गया है—

तालिका स. ४३—पाकिस्तान की द्वितीय योजना में अर्थ-साधनों की प्राप्ति (पाकिस्तानी मिलियन रुपय में)

वर्ष	योजना का अनुमानित व्यय	अनुमानित प्राप्ति	अनुमानित व्यय में प्रतिशत विफलता
(१) आन्तरिक साधन			
भागम अतिरेक	३,९७०	३६६४	+५०
गुड पूँजीगत प्राप्ति	१६००	१६६५	+२४.७
अधिकोपण-संस्थाओं से ऋण	—	११.५	—
योग	५,५७०	५,३४५	+१.१३
(२) विदेशी साधन			
बन्धुओं के रुप में प्राप्त सहायता	३५००	३०६०	+११.७
PL ४८० के अन्तर्गत प्राप्त साधन	६००	११६४	+६६.०
परिवोजना सहायता एवं ऋण	१२१०	२५४०	—४१.६
योग	६३१०	६८०६	—७.७०
महायोग	११,८८०	१२,१५१	—४.९

आन्तरिक साधनों से अनुमान से अधिनियम राशि उपलब्ध हान का प्रमुख कारण वर प्राप्ति-व्यवस्था का कुशल बनाना था। योजनाकाल में विमान विनियोजन के लिए केन्द्रीय बैंक से ११३५ मिलियन रुपय का ऋण नों लिया गया जो हीनाथ प्रवर्धन के समान ही था। योजना के कुल व्यय का १०% में नों कम भाग हीनाथ प्रवर्धन द्वारा प्राप्त किया गया। द्वितीय योजना के कुल सरकारी व्यय का लगभग ५०% भाग विदेशी सहायता से प्राप्त हुआ।

योजना में निजा क्षेत्र द्वारा भी विकास विनियोजन बढ़ी मात्रा में किया गया परन्तु यह विनियोजन अनुमानित विनियोजन का लगभग $\frac{2}{3}$ रहा।

विदेशी भुगतान शेष—याजनाकाल में पाकिस्तान की विदेशी भुगतान की स्थिति में सुधार हुआ। विदेशी विनिमय का अत्यन्त अनुमान से अधिक तथा आयात एवं महसूब मदा के भुगतान को कम करना पड़ा। विदेशी विनिमय की आय में वृद्धि निर्यात वृद्धि के कारण सम्भव हुई। निर्यात में ७% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई जबकि अनुमान केवल ३% की वार्षिक वृद्धि का लगाया गया था। कपास के निर्यात में विशेष वृद्धि हुई। कपास के निर्यात का लक्ष्य ११०० मिलियन रुपये था जबकि वास्तविक निर्यात १ ५३३ मिलियन रुपये का किया गया। मछली कावण एवं महसूब मदा के निर्यात में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। इस निर्यात वृद्धि का मुख्य कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा निर्यात सम्बन्धन कायदाहिया थी। निर्यात की जाने वाली अधिकतर वस्तुओं पर दोनस स्कीम (जिसके अन्तर्गत रुपये का आर्थिक अवमूल्यन हुआ जाता है) के लागू होने से निर्यात वृद्धि सम्भव हो सकी। दूसरी ओर अधिक कर एवं उत्पादन कर लगाकर निर्यात योग्य वस्तुओं के आन्तरिक उपभोग को कम किया गया।

याजनाकाल में विकास वस्तुओं और सेवाओं के आयात में वृद्धि हुई। विकास-सम्बन्ध आयात का अंश सन् १९६०-६१ में कुल आयात का ५७% था जो सन् १९६४-६५ में बढ़कर ६४% हो गया। समस्त याजनाकाल में आयात का अधिक स्वतंत्र किया गया और उद्योगोत्पाद आयात का उत्पादन एवं आयात कर द्वारा राकने का प्रयत्न किया गया।

पाकिस्तान की तृतीय पंचवर्षीय याजना

पाकिस्तान की तृतीय पंचवर्षीय याजना १ जुलाई सन् १९६६ को प्रारम्भ हुई। इस याजना में ५२ ००० मिलियन रुपये की लागत के विकास कार्यक्रम सम्मिलित किये गये। इस याजना में से ३० ००० मिलियन रुपये सरकारी क्षेत्र में और २२ ००० मिलियन निजी क्षेत्र में खर्च किया जाता है। याजना के कुल व्यय में से २७ ००० मिलियन रुपये पूर्वी पाकिस्तान में और २५ ००० मिलियन रुपये पश्चिमी पाकिस्तान में विकास परिभाषनाओं पर खर्च किया जाता है।

तृतीय याजना उस दीर्घकालीन याजना का प्रथम चरण है जिसके अन्तर्गत २० वर्ष में (सन् १९६६-८५) राष्ट्रीय आय को तीन गुना करने का लक्ष्य है। इन बीस वर्षों में औसत वार्षिक प्रगति दर ७.२% रखने का लक्ष्य है। इस दीर्घकालीन याजना के अर्थ लक्ष्य पूर्ण रोजगार व्यवस्था पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान की आर्थिक विषमताओं को पूरित समाप्त करना तथा पाकिस्तान की विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना है। तृतीय याजना के अन्तर्गत इन दीर्घकालीन लक्ष्यों का पूर्ति की ओर अर्थ व्यवस्था को अग्रसर किया जाता है। इस याजना में विभिन्न क्षेत्रों में व्यय वितरण आगे दी हुई तालिकानुसार किया गया है—

तालिका सं० ४४—पाकिस्तान की तृतीय योजना में व्यय वितरण

(नियमित रूपों में)

क्षेत्र	संगठित क्षेत्र	निजी क्षेत्र	बा	समस्त व्यय में प्रतिशत
कृषि	४८३०	६०००	२६३०	१५
वन एवं पशु	६४००	९४०	६०४०	१५
उद्योग	४४३०	२०००	६०३३०	२४
ईंधन एवं खनिज	६६०	३१०	१४४०	७
साक्षात्कार एवं सुधार	६४६०	३६००	१०३६०	१२
नौवृत्त निवारण एवं दूर विनाश	२००४	४०००	३००४	१३
शिक्षा	२३००	२००	३०००	५
स्वास्थ्य	१०३०	४०	१३३०	७
समाज-कल्याण	६०५	१०	१६५	६
उत्पादन	३००	२०	३२०	—
कार्यपालना-आयुक्त	२४००	—	२४००	५
बा	३४४००	२००००	४६४००	
संगठित क्षेत्र	—४४००	—	—४४००	
बा				
संगठित क्षेत्र	२००००	२००००	४००००	

योजनात्मक-वितरण से शक्य है कि पाकिस्तान के औद्योगिक विकास को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। साक्षात्कार एवं सुधार की सुविधाओं में सुधार करने हेतु भी पर्याप्त साधनों का आवंटन किया गया है। कृषि-विकास एवं शिक्षा तथा शक्ति के साधनों का विस्तार करने के लिए योजना का कुल व्यय का प्रत्येक ओ १५% भाग निर्धारित किया गया है। औद्योगिक विकास के आसपास की नौवृत्त पर है कि निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र से बचना पाना भा व्यय करने के उद्देश्य प्रदान किये गये हैं।

सर्व साधन—तृतीय योजना के आवंटन इस मातृका पर प्राकारित है कि योजना के अन्तर्गत नवीन वार्षिक व्यय का २२% भाग स्वयं ही संगठित और वार्षिक साधनों से वितरित करने के लिए २५,६०० नियमित रूपों का प्राण ही होगा। यह साधन १६,५०० नियमित रूपों विदेशी सहायता से प्राप्त होने का अनुमान है। यह प्रका तृतीय योजना में भी पाकिस्तान की विदेशी सहायता पर विनमता बनी होगी। योजना के कुल व्यय का लगभग २०% विदेशी सहायता द्वारा प्राप्त होने का अनुमान है जबकि यह प्रतिशत द्वितीय योजना में १०% था परन्तु तृतीय योजना का कुल व्यय अधिक होने के कारण पाकिस्तान का ४६१ नियमित रूपों के वितरित साधन विदेशी सहायता से प्राप्त करने होंगे तथा २,००२ नियमित रूपों के वितरित साधन वार्षिक व्यय से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विदेशी सहायता का सुधार उल्लेख

उत्पादन से अनुपात सन् १९५९ ६० में ५% था जो सन् १९६४ ६५ में ६३% हो गया है।

विदेशी व्यापार एवं भुगतान गेप—पाकिस्तान के कुल आयात एवं भुगतान तृतीय योजनाकाल में ३५ ५०० मिलियन रुपये अनुमानित है जबकि कुल निर्यात एवं अर्थ प्राप्तियाँ २०,००० मिलियन रुपये अनुमानित हैं। इस प्रकार विदेशी भुगतान गेप में १५ ५०० मिलियन रुपये की होना का अनुमान लगाया गया है। निर्यात में लगभग ६ १% की वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है जबकि यह वृद्धि द्वितीय योजना में केवल ७% प्रति वर्ष थी। महसूल आय अर्जन भी सन् १९६४ ६५ में ५३० मिलियन रुपये से बढ़कर ६८० मिलियन रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी ओर ३५ ५०० मिलियन रुपये का कुल आयात में से ६३% भाग अर्थात् २२ ५०० मिलियन रुपये विकास आयात (पूँजीगत वस्तुएँ एवं पूँजीगत वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्चा माल) दिया जाता है।

तृतीय योजना के अन्तर्गत प्रगति—तृतीय योजना के प्रारम्भ में ही पाकिस्तानी अर्थ व्यवस्था कठिन परिस्थितियों से भोकर गुजर रहा है और योजना में निर्धारित अनुमानों से आर्थिक प्रगति कम रही है। योजना का प्रथम वर्ष सन् १९६६ ६७ में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में ५% की वृद्धि हुई जो सन् १९६७ ६८ में ७ ५% हो गयी परन्तु सन् १९६८ ६९ में सकल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि केवल ५ २% रहा। दूसरा आर्थिक प्रगति आय में सन् १९६६ ६७ में २ २%, सन् १९६७ ६८ में ४ ७% तथा सन् १९६८ ६९ में केवल २ ३% की वृद्धि हुई। इन तथ्यों में यह बात हाता है कि सन् १९६७ ६८ वर्ष में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में प्रगति लगभग अनुमान का अनुसार हुई परन्तु सन् १९६८ ६९ में प्रगति की इस बन्ने हुई दर का निवाह नहीं किया जा सका। पाकिस्तानी अर्थ व्यवस्था की प्रगति के सम्बन्ध में मुख्य अफिडे लात्तिका सं० ४५ में दिये गये हैं।

इस तालिका का अंकन सं यह बात हाता है कि कृषि उत्पादन में सन् १९६८ ६९ वर्ष में केवल ३% वृद्धि हुई है। पश्चिमी पाकिस्तान प्रायश्चित्त में लगभग आराम निभर हो गया है और कुल खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में हो गया था। दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान में खाद्यान्न में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। औद्योगिक उत्पादन में सन् १९६८ ६९ में ७ ४% की वृद्धि हुई जबकि यह वृद्धि सन् १९६७ ६८ में ७ ८% थी। लूट की वस्तुओं सूती धागा कायज सिगरेट मार्केट तथा रमायन के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

निजी क्षेत्र का विनियोजन भी योजना में निर्धारित तथ्यों से कम रहने का अनुमान है। तृतीय योजना में ८३० करोड़ रुपये का विनियोजन निजी क्षेत्र द्वारा उद्योगों में किया जाना था जबकि ३१ मार्च सन् १९६८ तक केवल ५३३ ८ करोड़ रुपये (अर्थात् लक्षित विनियोजन का ६६ ७%) के लिए स्वाहृतियाँ प्रदान की गयीं

तालिवा म० ४५—पाकिस्तानी वर्ग-व्यवस्था की प्रगति के सूचक

	१९५६-६०	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९
प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)	३१८	३८१	३६६	४०८
सकल राष्ट्रीय उत्पादन (सन् १९४६-६० के घटकों की सामग्री पर (कराट रूपों में)	३१४४	४५१३	४८१४	५१०१
कृषि उत्पादन का निर्देशान	१००	१२३	१४७	१६६
निर्माणा एव सनिज उत्पादन निर्देशान	१००	७३५	७६१	७७६
आयात (कराट रूपों में)	७४६	५१६	६६४	७६० (तुलनाई से मार्च)
निर्गत (कराट रूपों में)	१८४	७८७	३०७	७४६ (तुलनाई से मार्च)
घोक सूच्य निर्देशान (१९५६-६०=१००)	१००	१२६	१३६	१३६ (तुलनाई से मार्च)

थी। योजना के अन्त तक उद्योगों में लक्ष्य के अनुसूच्य विनियोजन हान की इस प्रकार सम्भावना कम है।

पाकिस्तान के निर्यात अब भी बृद्ध और कपास पर निर्भर रहते हैं। योजना के लक्ष्यों के अनुसार निर्यात का वार्षिक औसत लगभग ४०० करोड़ रुपया है जबकि वास्तविक निर्यात इस राशि से बहुत कम है। दूसरी ओर, आयात का वार्षिक औसत योजना के लक्ष्यों के अनुसार ७१० करोड़ रुपया है जबकि वास्तविक निर्यात सन् १९६७-६८ में केवल ५१६ करोड़ रुपया है। इस प्रकार रण का आयात एवं निर्यात दोनों ही योजना के लक्ष्यों से कम हैं।

पाकिस्तान के विनियोजन विधियों के अनुसार राष्ट्रीय योजना के पूर्ण विनियोजन, औद्योगिक उत्पादन की प्रगति दर तथा सूच्यों के स्तर-सूच्य की रणों की पूर्ति हाना सम्भव नहीं है। योजनाकाल में औद्योगिक विनियोजन में १०% से १५% की वृद्धि हाने का अनुमान था जबकि पिछले चार वर्षों में औद्योगिक विनियोजन में लगभग ७% की वृद्धि हुई है। योजना के विकास व्यय १२०० करोड़ रुपय में भी १६% से २०% का कमी रहने का अनुमान है। यदि घटते हुए सूच्य स्तर का भी ध्यान में रखा जाय तो योजना के आयातित व्यय में मौद्रिक दृष्टिकोण से २०% की कमी रहती। अथवा अथवा की कमी के कारण सूच्य स्तर की वृद्धि के विकास सम्पन्नों की आघात पटना है। विकास-व्यय में द्रवनी अधिक कमी होने का कारण साधनों एवं मुद्रणा आयात का बरी मात्रा में आवण्टित किया जाना है।

संयुक्त अरब गणराज्य में आर्थिक विनियोजन अरब गणराज्य की स्थापना मिस्र एवं सीरिया को मिलाकर सन् १९५८ में

हुई। इन दोनों देशों के मिलने के पूर्व ही मिस्र ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन किया था। मिस्र एवं सीरिया के एकीकरण से आर्थिक विकास की समस्याएँ और भी गम्भीर हो गयीं क्योंकि मिस्र औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित क्षेत्र था और सीरिया प्रमुख कृषिप्रधान देश था। मिस्र में जनसंख्या रहने योग्य क्षेत्रों में अत्यंत घना है जबकि सीरिया में जनसंख्या का घनत्व एशिया और अफ्रीका में सरासे कम था। इन दोनों क्षेत्रों में आर्थिक विकास हेतु एक समन्वित योजना बनाने का काम सन् १९५८ में अंत में प्रारम्भ हुआ। गणराज्य के अध्यक्ष ने सम्बन्धित अधिकारियों को समस्त राष्ट्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु एक समन्वित योजना बनाने के लिये सन् १९५८ में अंत में दिए। सीरिया प्रदेश में सांख्यिकीय संगठन अत्यंत शिथिल थे जिसके कारण इस समन्वित योजना में अन्त में एक वर्ष में भी अधिक लगा। यह योजना मार्च १९६० में तयार हुई और सीरिया एवं मिस्र दोनों में ही क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विभाजन का समापन करने का उद्देश्य था। तत्पश्चात् यह योजना गणराज्य की लोकसभा में प्रस्तुत की गयी और लोकसभा में स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् १ जुलाई सन् १९६० का चालू की गयी।

भारत के समान ही अरब गणराज्य की योजना का उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था का विकास करना तथा समाजवादी संस्कारों एवं प्रशासनिक सिद्धांतों पर आधारित एक विपणनात्मक (Egalitarian) समाज का स्थापना करना आर्थिक विनियोजन का समापन करना समस्त नागरिकों का समान अवसर प्रदान करना तथा ग्रामीण एवं नागरिक बरोजगारों को राजगार प्रदान करना आदि उद्देश्यों का पूर्ण करना है। पंचवर्षीय योजना द्वारा दस वर्षों में राष्ट्रीय आय का दुगुना करने, राष्ट्रीय उत्पादन का अर्ध-महत्त्व देने, राष्ट्रीय उपभाग बचत एवं विनियोजन का वर्धन तथा राजगारों में अर्ध-वृद्धि करने का लक्ष्य है। इस योजना का समस्त व्यय २००४ मिलियन मिस्री पाउंड है जिसमें १६६७ मिलियन पाउंड मिस्र प्रदेशों में विकास के लिए तथा ३०७ मिलियन पाउंड सीरिया प्रदेशों के विकास के लिए निर्धारित किया गया। योजना क्षेत्रों की विनियोजन रणनीति अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित की गयी जिसमें सिंचाई कृषि उद्योग मानवसंचार सड़कें वृद्धि निमाणात्मक सेवाएँ सम्मिलित थीं। विनियोजन का विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन इन प्रकार किया जाना निश्चित किया गया कि अधिकतम सफलता प्राप्त हो सके। योजना के विनियोजन कार्यक्रम निर्धारित करते समय सीरिया प्रदेशों के कृषि उत्पादन में वृद्धि की समस्या तथा मिस्र की भूमि समस्याओं का भी ध्यान में रखा गया। देश की वृद्धि हुई जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर योजना बनाने समय विचार किया गया था।

दिए गए अर्थ (मिस्र प्रदेशों) का योजना में विभिन्न मदों के विनियोजन उत्पादन आय एवं राजगारों के लक्ष्य अर्थात् पृष्ठ को तालिका में ४६ में दिया है।

इस विनियोजन के विवरण से यह स्पष्ट है कि योजना में अन्त में अधिक

महत्व विद्युत एवं उद्योगों के विकास को दिया गया और इपि सिवार्द एव उच्च बांध (High Dam—Sadd—El—Aab) को दूसरा स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय उत्पादन को २५०५ मिलियन मिन्नी पीएच (सन् १९५६ में) से बढ़ाकर २६०१ मिलियन मिन्नी पीएच करने का लक्ष्य है अर्थात् योजनाकाल में ४०९% के उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान है। राष्ट्रीय आय सन् १९५६ वर्ष में १००० मिलियन मिन्नी पीएच से बढ़कर १०६५ मिलियन मिन्नी पीएच हो जायगी अर्थात् राष्ट्रीय आय में साक्षनायन में १४% की वृद्धि होगी। योजनाकाल में उपभोग-व्यय ८३० मिलियन मिन्नी पीएच से बढ़कर १००० मिन्नी पीएच हो जायगा अर्थात् २४% की वृद्धि होगी। उद्योगों में कार्य

तालिका नं० ४६—सयुक्त अरब गणराज्य की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य

(१ रुबार्द से २००० तक सन् १९६५ तक)

क्षेत्र	वित्तियोग (मिलियन मिन्नी पीएच)	उत्पादन में वृद्धि (मिलियन मिन्नी पीएच)	अथवा वृद्धि (मिलियन मिन्नी पीएच)	राज्यगत वृद्धि (हजार किलोवाट में)
(१) इपि, सिवार्द, पानी का विकास एवं उच्च बांध	२८७	१६०	११०	४४१
(२) विद्युत उद्योग एवं निर्माण	५७०७	७०३	२०६	२०४
(३) यातायात, मच्चाए तथा स्केन सहार	२७१८	२२	२०	३
(४) निवास-गृह एवं अन्य उपयोगिताएँ	२०३४	१५	१६	६
(५) सेवाएँ	१११०	१८५	१०२	२५१
(६) उपर्युक्त में वृद्धि	१००	—	—	—
योग	१९६६६	१०७६	५१५	१०२६

करने के अर्थ में ३०% की इपि क्षेत्र के अर्थ में १६% तथा सरकारी क्षेत्र में १५% की वृद्धि होगी। इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन में २०% का वृद्धि होने का अनुमान है। योजनाकाल में मजदूरी एवं वेतन पर होने वाले व्यय में ३३% वृद्धि का लक्ष्य है। इस प्रकार अर्थ की १०% वृद्धि पर वेतन एवं मजदूरी में ३३% की वृद्धि होगी जिससे यह स्पष्ट है कि मजदूरी एवं वेतन के स्तर में योजनाकाल में वृद्धि होगी।

औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों में सबसे अधिक महत्व विद्युत उत्पादन के विकास को दिया गया है। सन् १९५६ में विद्युत उत्पादनक्षमता २१ बिलियन K.W.H. को जो सन् १९६५ तक बढ़कर ६४ बिलियन K.W.H. होने का अनुमान था। विद्युत शक्ति की वृद्धि का ७५% भाग औद्योगिक क्षेत्र में उपभोग होगा था। विद्युत विकास के कार्यक्रमों की लागत १९६५ मिलियन मिन्नी पीएच की। प्रतिशत

का उत्पादन ३४ मिलियन टन से बढ़कर ८ मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया। योजना में तेल खनिज शोधन घाटा काटना एवं बुनना, आधारभूत धातु उद्योग, इंजीनियरिंग साधन पेशाब एवं तम्बाकू उद्योग रसायन एवं औषधि तथा निर्माण उद्योगों के विकास कार्यक्रम सम्मिलित किए गये। योजना के अन्तगत कपास के उत्पादन में २७ मिलियन कटार (Kantars) वृद्धि में १६ मिलियन अरदेब (Ardeb) सोरघम में २३ मिलियन अरदेब चावल में ०४ मिलियन दरीबा (Danba) तथा गन्ने के उत्पादन में ३१ मिलियन कटार की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए योजना में ३० मिलियन मिस्त्रा पौण्ड का आव्ययन किया गया। योजना के अन्त तक अनिवार्य शिक्षा का प्रतिशत ७७ से बढ़कर ८७ हो जायगा। माध्यमिक तान्त्रिक शिक्षा का योजना में विशेष ध्यान दिया गया है और तान्त्रिक शिक्षा के स्कूलों की संख्या १०४ में बढ़कर ११५ हो जायगा और इन स्कूलों में लगभग ८१००० विद्यार्थियों का शिक्षा प्रदान किये जाने का लक्ष्य था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योजना में ४२ नवों अस्पतालों ४०० गिगु कल्याण केंद्र स्थापित करने का आयोजन किया गया है।

योजना के अन्तगत प्रगति—संयुक्त अरब गणराज्य की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगत विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। देश के सकल आन्तरिक उत्पादन में (GDP) स्थिर मूल्यों के आधार पर ३७% की वृद्धि हुई और प्रगति की वृद्धि दर ६५% प्रति वर्ष रही। योजना के पहले के पांच वर्षों में सन् १९५५-५६ से सन् १९५६-६० के काल में सकल आन्तरिक उत्पादन में २६३% की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में ५२% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। इस काल में जनसंख्या में वृद्धि २८% प्रति वर्ष हुई। जनसंख्या की वृद्धि के सदृश ही प्रति व्यक्ति की वृद्धि महत्वपूर्ण समझी जा सकती है। योजनाकाल में राजस्व की स्थिति में भी सुधार हुआ और सन् १९५६-६० में ६ मिलियन से बढ़कर सन् १९६४-६५ में ७३ मिलियन हो गया।

योजना के अन्तगत आम्बान के ऊँचे बाँध का पहला भाग पूरा हो गया जिसके परिणामस्वरूप सन् १९६४ वर्ष में बाँध से हानि वाले विभाग को रोका जा सके और कृषि उत्पादन की पहुँचन वाला क्षति को रोका जा सके। यह अनुमान लगाया गया कि इस ऊँचे बाँध के फलस्वरूप देश के सकल आन्तरिक उत्पादन (GDP) की वृद्धि का लगभग १५% भाग प्राप्त होगा।

भाग—प्रथम योजना के अन्तगत चारू मूल्यों के आधार पर भाग में ५५% की वृद्धि हुई। भाग के तान अर्थात्—विनियोजन-व्यय सरकारी उपभाग एवं निजी क्षेत्र के उपभोग में क्रमशः ११३%, ८६% तथा २७% की वृद्धि योजनाकाल में हुई। योजनाकाल में स्थायी पूंजी निर्माण १५१.२ मिलियन इजिप्टियन पौण्ड (चारू मूल्यों

पर) हुआ। योजनाकाल (सन् १९६०-६१ से १९६४-६५) में कुल उत्पादन ८०८६ मिलियन इ० पी०ए० हुआ जो योजना के पूर्व के पाँच वर्षों (सन् १९५४-५६ से सन् १९५९-६०) के उत्पादन ५७४३ मिलियन इ० पी०ए० से ४४% अधिक था परन्तु योजनाकाल के पाँच वर्षों में कुल माँग ९०१४ मिलियन इ० पी०ए० थी और इस प्रकार ७०८ मिलियन इ० पी०ए० की जनरल माँग थी। इसमें ४१८ मिलियन इ० पी०ए० की मधुनी मूल्यों में वृद्धि होने से हुए तथा ८१८ मिलियन इ० पी०ए० की प्रति खातु खात में हीनाय प्रयोजन कर की गयी।

मूल्य एव मजदूरी—योजनाकाल के पाँच वर्षों में रहने रहने की गति में १०% की वृद्धि हुई और घाब मूल्य ८% से बढ़े। मूल्यों में अधिक वृद्धि न होने का कारण सरकार द्वारा नुशा स्थिति का रोकने वाली कृषि नियंत्रणों का निर्धारण था। योजना के पाँच वर्षों का अवधि में औद्योगिक मजदूरी में २१% की वृद्धि तथा मजदूरों की उत्पादनता में १२% की वृद्धि हुई। इन्फ्लेशन मजदूर मजदूरी में ४७% की वृद्धि हुई और अधिकांश की उत्पादनता केवल १% बढ़ी। उत्पादन में कम और मजदूरी में अधिक वृद्धि होने के कारण व्यवसायों में लाभ का दर कम हो गयी जिससे व्यवसायियों के प्रासाहल पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

अनुमान-पैठ—योजना के प्रथम चार वर्षों में खातु खाते के उत्पादक शक्तों का अनुमान लगाया गया था और इस ज्ञान के आधार पर पाँचवें वर्ष में कम करने का अनुमान लगाया गया था परन्तु खातु खाते में हीनता निरन्तर बढ़ती गयी जिसका प्रमुख कारण धायात में अनुमान में अधिक वृद्धि होना था। धरमा के बढ़ने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के धायात में भी वृद्धि हुई। सन् १९६६-६० में कुल धायात ६८८७ मिलियन अमेरिकी डॉलर में सन् १९६४-६५ में बढ़कर ९०१८ मिलियन डॉलर हो गया। उपभोक्ता-वस्तुओं का धायात इस बात में १६० मिलियन डॉलर से बढ़कर २८६७ मिलियन डॉलर हो गया। योजनाकाल में कुल धायात में ४२% की वृद्धि हुई जबकि निर्यात १४४३ मिलियन डॉलर (सन् १९५९-६०) से बढ़कर ६१० मिलियन डॉलर हो गया जहाँ निर्यात में केवल १०% की ही वृद्धि हुई। इस प्रकार विदेशी व्यापार का प्रतिफल रूप १०३४ मिलियन डॉलर (सन् १९५९-६०) से बढ़कर ३१२८ मिलियन डॉलर हो गया। प्रतिफल क्षेत्र में दूसरी अधिक वृद्धि होने का प्रमुख कारण यह था कि जय-शक्ति में दिए गए विनिर्देशों द्वारा धायात प्रतिस्पर्धन-योजना के अंत तक अनुमानित परिमाण नहीं दिया जा सका। जनसंख्या में अनुमान में अधिक वृद्धि होने के कारण भी धायातों का बड़ी मात्रा में धायात करने से विदेशी व्यापार पर प्रतिफल प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्षेत्र में कुछ मात्राएँ एव अनुमान भी वृद्धिपूरा रहे। कुछ उद्योगों की स्थापना से निमित्त उपभोक्ता वस्तुओं के धायात का प्रतिस्पर्धन करने का लक्ष्य रखा था परन्तु इन उद्योगों का कच्चा मात्र एव खुले पुर्कों का इतना धायात करना पड़ा कि धायात प्रतिस्पर्धन का लाभ केवल नाममात्र का रहा।

धान खाते की हीनता की पूर्ति के लिए विदेशों से दीर्घकालीन एवं मध्यम कालीन (Medium Term) पूँजी बड़ी मात्रा में प्राप्त की गयी। कुछ पूँजी सयुक्त राज्य अमेरिका से PL ४८० के अन्तर्गत प्राप्त हुई।

सयुक्त अरब गणराज्य की प्रथम योजना से अरब देशों के लिए यह निर्देश प्राप्त होता है कि योजना की सफलता हेतु देश की समस्त माँग को उत्पादनक्षमता की सीमा तक नियंत्रित रखना चाहिए। उचित मूल्य नीति द्वारा मुद्रा स्थिति में दबाव पर नियंत्रण रखना चाहिए जिससे सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन बना रहे मजदूरी व स्तर को अधिक बढ़ने से रोकना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा व्यवसायी वर्ग का लाभ होता है और उत्पादन प्रोत्साहन को आघात पहुँचता है, विनियोजन का प्रकार एवं नीति निर्धारित करते समय इससे भुगतान १५ पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए।



भाग ४

भारत में आर्थिक नियोजन
[Planning in India]

भारत में नियोजन का इतिहास [History of Planning in India]

[राष्ट्रीय योजना समिति—उद्योग, कृषि, बम्बई-याजना—
उद्देश्य मायताएँ उद्योग कृषि यातायात के साधन, शिक्षा, अर्थ-
प्रबन्धन सामाजिक व्यवस्था, योजना के दोष जन-योजना—
उद्देश्य कृषि, औद्योगिक विकास यातायात, अर्थ प्रबन्धन, आला-
चना, विश्वेस्वरया योजना—उद्देश्य एवं कार्यक्रम, गांधीवादी
याजना—मूल सिद्धान्त उद्देश्य, कृषि ग्रामीण उद्योग, आधारभूत
उद्योग, अर्थ प्रबन्धन आलोचना कालम्बी-योजना—उद्देश्य एवं
कार्यक्रम]

राष्ट्रीय योजना समिति

भारत में नियोजन की आवश्यकता की बार सबप्रथम सन् १९३४ में प्रसिद्ध इ.जी.निघर तथा राजनीतिज्ञ, सर विश्वेस्वरया द्वारा सनेत किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक *Planned Economy for India* में यह बताया कि भारत का पुनर्निर्माण योजनामय कार्यक्रम द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस पुस्तक में बताया गया है कि राष्ट्र के सर्वांगीण आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन आवश्यक है। भारतीय आर्थिक सभा (Indian Economic Conference) ने अपनी सन् १९३४-३५ की वार्षिक सभा में इस पुस्तक में दिये गये सुझावों पर विचार किया। इस पुस्तक में एक दसवर्षीय याजना का कार्यक्रम बताया गया था जिसके द्वारा राष्ट्रीय आम तथा समस्त उद्योगों का उत्पादन का अल्प समय में दुगुना करने का आयोजन किया गया था। विस्तृत शिक्षा तथा औद्योगिकरण जिसमें भारी उद्योगों का विशेष महत्व दिया जाय, सार्वजनिक तथा आवश्यक सूचना का एकीकरण व्यवसायों में सन्तुलन स्थापित करना, ग्रामीणकरण की प्रवृत्तियों का रोचना आदि कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किये गये हैं। यद्यपि यह याजना समुचित समय पर प्रस्तुत की गयी परन्तु आर्थिक कठिनाई सार्वजनिक की अपर्याप्तता विदेशी जन असहयोग आदि कारणों से इसे कार्यान्वित नहीं किया गया। इसके लगभग चार वर्ष पचास २ तथा ३ अक्टूबर सन् १९४८ का अगस्त भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस ने दिल्ली में प्रांतीय उद्योग-मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन ने निश्चय किया कि नियोजन, उद्योगकारी

राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए जीवार्थोन्मुख जयन्त आवश्यक है। इस सम्मेलन में ऐसी राष्ट्रीय योजना पर जोर दिया गया जिसमें कृषि, व्यापार-तुल्य उद्योग तथा कुटीर उद्योगों का समवित्त विकास आवश्यक समझा जाय। इस सम्मेलन के मुद्दयों को वास्तविक करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति (National Planning Committee) की स्थापना स्व० श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गयी। यह १९४५ में सर्वप्रथम कार्यवाही की जिसके द्वारा राष्ट्र की महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का अध्ययन तथा उनका हल ढूँढने के लिए समन्वित योजनाओं का निर्माण करने का प्रयत्न किया गया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के विभिन्न आर्थिक पहलुओं का अध्ययन कर एक एकीकृत योजना प्रस्ताव तैयार करना था जिसके द्वारा ऐसे समझौते का निर्माण किया जाय कि उनसमूहों को विचार व्यक्त करने तथा जगहों इच्छाओं की पूर्ति करने के समान जबरन प्राप्त हो सके। उचित समय पर पर्याप्त जयन्त-मूल्य का प्राधान्य दिया जा सके।

इस समिति ने देश के विभिन्न आर्थिक परिसरों का अध्ययन करने तथा विकास-योजनाएँ प्रस्तुत करने के लिए २६ उप-समितियाँ नियुक्त कीं जिसका प्रतिवेदन (Report) समय-समय पर प्रकाशित किया गया। समिति के विचार में नियोजन का संचालन उचित राष्ट्रीय अधिकारों की अनुसंधान से नहीं किया जा सकता था। इस अधिकारों को प्रभावशाली योजना बनाने तथा संचालित करने के लिए राष्ट्र के सम्पूर्ण माध्यमों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय सरकार जिसमें बिना किसी शर्त को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना निर्माण करना आवश्यक समझा गया। मई, सन् १९४० में समिति के अध्यक्ष ने घोषणा की कि समिति एक स्वतन्त्र निकाय स्थापित करना चाहती है जिसमें कृषि तथा समुदाय के मूलभूत अधिकारों—राजनीतिक आर्थिक आन्तरिक तथा सामूहिक—को सुरक्षित रखा जायगा और नागरिकों के उद्वेगकार बल भी निरिन्तित किया जायें।

राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना के कुछ समयोपरान्त ही कांग्रेस मन्त्रिमण्डल में शक्ति प्राप्त हो गयी। इसी समय द्वितीय महासम्मेलन हुआ। परिणामस्वरूप इस समिति का कार्य केवल मुद्दयों तक सीमित रहे गया। नवोत्पन्न राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं में भी परिवर्तन हो गये और नवीन समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसी बीच सरकार उद्योगपरियों तथा राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी योजना का निर्माण कर लक्ष्य प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार राष्ट्रीय योजना समिति के मुद्दयों का वास्तविक करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ।

व्यवस्था-योजना

सन् १९४४ में भारत के आठ प्रमुख उद्योगपरियों ने एक मूलबद्ध योजना प्रकाशित की। यह भारत के आर्थिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पूर्व

योजना के सम्बन्ध में विचार तो बहुत हुए थे परन्तु कोई योजनावद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन आठ ज्योतिषियों में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, श्री जे० भार० डी० टाटा, श्री जी० डी० बिठना और आर्गेनर दत्ताल सर श्रीराम, सेठ बन्तूर भाई लाल भाई श्री ए० डी० थाफ तथा डा० जान मथाई सम्मिलित थे। यह एक १५ वर्षीय योजना थी और नियोजन ने इंग्लैंड नाम 'A Plan of Economic Development for India' दिया परन्तु यह बम्बई योजना का नाम से प्रसिद्ध है। योजना का कार्यक्रम पंचवर्षीय तीन अवस्थाओं में पूर्ण करना था तथा इसका समस्त अनुमानित व्यय १०,००० करोड़ रु० था।

उद्देश्य—योजना का उद्देश्य सरकारी प्रति व्यक्ति आय को १५ वर्षों में दुगुना करना था। यह भी अनुमान लगाया गया कि जनसंख्या की वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के लिए राष्ट्रीय आय को तिगुना करना आवश्यक होगा। योजना में पूनर्जन जीवन स्तर का विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। पूनर्जन जीवन स्तर में निम्नलिखित सुविधाएँ सम्मिलित की गयीं—

सन्तुलित भोजन के साथ ही निम्नलिखित वस्तुएँ सम्भावित होनी चाहिए—
प्रति व्यक्ति प्रति दिन

वस्तु	प्रति
अन्न	१६
दालें	३
दालचूर	२
गाय साजी	६
फल	२
तेल की मात्रा	१५
दूध	८
अथवा अण्डे मछली तथा मांस	२३

भोजन का इन समस्त वस्तुओं द्वारा २६०० करोड़ी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को प्राप्त होगा। इस प्रकार के सन्तुलित भोजन के लिए प्रति व्यक्ति ६५ रु० प्रति वर्ष का अनुमान लगाया गया और २१०० करोड़ रु० समस्त जनसंख्या को सन्तुलित भोजन प्रदान करने का लिए व्यय का भी अनुमान लगाया गया।

(अ) वस्त्र आवश्यकता का विषय में राष्ट्रीय योजना समिति का अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति का ३० गज कपड़े की पूनर्जन आवश्यकता होगी और सन् १९४१ की जनगणना के आधार पर १७६७०० सार्ज गज कपड़े की आवश्यकता होगी जिसकी लागत लगभग २५५ करोड़ रु० होगी।

(आ) गृह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति १०० गज फाट के गृहों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। यह अनुमान लगाया गया कि इस प्रकार के गृह

पाँच व्यक्तियों के निवास हेतु पर्याप्त होंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति भवन की लागत लगभग ४०० रु० होगी।

(इ) योजना में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा-सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं के लिए कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया। अवरक्षण-कार्यक्रमों (Preventive Measures) में सफाई जल की उपलब्धि, टीका लगाना, छूट के रोगों को रोकने के लिए प्रयत्न प्रमूति तथा विद्यु-बलत्याण आदि सम्मिलित किए गये। आरोग्यकर (Curative) कार्यक्रमों में चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करने का आयाजित किया गया। योजना में प्रत्येक ग्राम में एक चिकित्सालय तथा नगरों में अस्पताल तथा प्रमूति-गृहों और क्षय रोग, केन्सर तथा कुष्ठ रोग आदि की चिकित्सा के विशेष सुविधाओं का सुभाव रखा गया।

(ई) बन्दई-योजना में प्राथमिक शिक्षा का विशेष महत्त्व दिया गया। प्राथमिक शिक्षा पर ८८ करोड़ रुपये आवक (Recurring) तथा ८६ करोड़ रुपये अना-वृत्तक व्यय का अनुमान लगाया गया।

इस प्रकार न्यूनतम जीवन-स्तर में उपयुक्त पाच आधारभूत सुविधाओं का सम्मिलित किया गया और इस न्यूनतम स्तर की लागत २६०० करोड़ रुपये अनुमानित की गयी।

योजना में राष्ट्रीय आय का १५ वर्षों में तीन गुना करने का लक्ष्य रखा गया। यह वृद्धि निम्न प्रकार होने का अनुमान लगाया गया—

तालिका सं० ४७—राष्ट्रीय आय में वृद्धि (बन्दई-योजनाकाल में)

	गुड़ आय १९३१-३२ (करोड़ रु० में)	गुड़ आय १५ वर्ष पश्चात अनुमानित (करोड़ रु०)	वृद्धि का प्रतिशत
उद्योग	३७४	२२४०	५००
कृषि	११६६	२६०	१६०
सेवाएँ	४८४	१४५०	२००
अवर्गकृत मर्दे	१७६	२४०	३६
योग	२०८०	६६००	लगभग २१६५

भायताए—योजना के कार्यक्रमों की निम्नलिखित भायताओं के आधार पर निर्धारित किया गया।

वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया तथा (६) इसमें साथ ही वंदानिक कृषि पर बल दिया गया। कृषि-उत्पादन के लक्ष्यों को स्वेच्छा से कम रखा गया था तथा योजना के प्रारम्भिक काल में कृषि उत्पादन के नियंत्रण को कोई स्थान नहीं दिया गया था।

भायताए के साधन—कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप,

राष्ट्र में आन्तरिक व्यापार में वृद्धि होगी, एतदर्थ यातायात एवं सम्वाद-परिवहन के साधनों में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक होगा। इस विचार से योजना में भारत की ४१ ००० मील लम्बी रेलवे लाइनों को बढ़ाकर ६२ ००० मील तक बढ़ाने का और ३ लाख मील लम्बी सड़कों को बढ़ाकर ११ वर्षों में दुगुना करने का आयोजन किया गया था। बन्दरगाहों के सुधार तथा नवीन बन्दरगाहों के निर्माण एवं विकास को भी व्यवस्था योजना में की गयी थी।

शिक्षा—योजना में शिक्षा के विकास हेतु विस्तृत कार्यक्रम सम्मिलित किया गया। योजना में २० करोड़ अल्पशिक्षित प्रौढों को शिक्षित करने का लक्ष्य था। ६ से ११ वर्ष की आयु के लड़कें तथा लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया गया था। योजना में उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयीय शिक्षा तांत्रिक तथा वृत्तान्तिक प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम हेतु २० करोड़ रु० आवश्यक व्यय का अनुमान किया गया था।

अथ प्रबंधन—योजना का सम्पूर्ण व्यय १० ००० करोड़ रु० अनुमानित किया गया था जिसका आवंटन निम्न प्रकार से किया गया था—

तालिका सं० ४८—धर्मार्थ योजना का व्यय

वर्ग	व्यय की जाने वाला राशि (करोड़ रुपये में)
उद्योग	४ ४८०
कृषि	१ २४०
यातायात	६४०
शिक्षा	६६०
स्वास्थ्य	४१०
ग्रह व्यवस्था	२ २००
विविध	२००
	<hr/> १० ०००

वाह्य तथा आन्तरिक साधनों से तालिका सं ४६ के अनुसार राशियाँ एकत्र करने का अनुमान था।

धर्मार्थ योजना के निर्माणकर्ताओं के मत में वस्तुतः तथा सेवाओं का वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण थी और अथ साधना का भवया अथ-व्यवस्था का आवश्यकताओं का अधीन रहना उचित था। अथ-साधनों की उपलब्धि के आधार पर आर्थिक विरासत की योजनाओं का निर्माण नहीं किया गया था अतः राष्ट्र की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम निश्चित कर लेना पूर्णतः हेतु आवश्यक अथ-साधनों की खोज की गयी थी। इसी कारण मुद्रा प्रसार को अथ प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। नियोजकों का विश्वास था कि मुद्रा प्रसार के परिणामस्वरूप राष्ट्र की उत्पा-

तालिका सं० ४९—बम्बई योजना के अर्थ-साधन

बाह्य साधन	दराज रुपये
सूनिगत (Hoarded) धन	200
पीन्ट पादना (Sterling Securities)	7 000
बाजार-शेष (Balance of Trade)	६००
विदेशी ऋण (Foreign Loan)	300
	<hr/>
	योग ८००
मानविक साधन	
बन्धु	४,०००
मुद्रा प्रसार	२४००
	<hr/>
	योग ६४००
	<hr/>
	मन्दाया १० ०००

दल-गति में वृद्धि होगी तथा अन्ततः मुद्रा-प्रसार स्वयमेव अरुण साधन बन जाएगा। निर्यात-अधिकारी का धन-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर पूरा नियन्त्रण होगा और दूसरों पर नियन्त्रण रखने के कारण अर्थ-व्यवस्था के योजनाबद्ध विकास के विनी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी।

सामाजिक व्यवस्था—बम्बई-योजना के निर्माताओं ने अपनी द्वितीय पुस्तिका (Brochure) में इस सम्बन्ध में विचार प्रकट किये। बम्बई-योजना के लेखकों के विचार में आधुनिक युग में पूँजीवाद में राजनीय हस्तक्षेप के कारण उसके स्वल्प में परिवर्तन हो गया है। दूसरी ओर, समाजवाद में भी कुछ पूँजीवाद की विचारधाराओं की भावना मिलन लगी है। इस कारण भारत में पूँजीवादों तथा समाजवादी धर्म व्यवस्था के साथ-साथ साम्यवाद का सुझाव दिया गया था। योजना में इसीलिए व्यक्तिगत साहस को बढ़ा-बहुत ध्यान दिया गया तथा नागरिक हित तथा राज्य का राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था पर नियन्त्रण रखने का आशयन किया गया। इस प्रकार समाजवादी नियामक तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। निपात्रकों के विचार में निपात्रन तथा लोक-श्रेय उपाय—दोनों एक साथ संचालित किये जा सका है।

राज्य द्वारा नियोजित अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की भावना ही थी तथा राज्य पर आर्थिक कार्यवाहियों में समन्वय स्थापित करना, मुद्रा-व्यवस्था, राज्य तथा अधिक दृष्टिकोण से निर्बंधता की सुरक्षा का नार उठाया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य को कुछ उद्योगों तथा व्यवसायों पर अतिरिक्त नियन्त्रण तथा प्रबंधन करना भी आवश्यक बताया गया। राज्य केवल ऐसे ही उद्योगों पर अधिकार प्राप्त करे जिनमें सरकारी धन का विनियोजन होता है। योजना में मुख्यतः तीन दिग्दर्शनों

को चानू रखने की सिफारिश की गयी परन्तु इनका प्रवर्धन व्यवस्थित तथा समवित रूप से करने पर जोर दिया गया ।

योजना का दोष

(१) पूँजीवादी प्रकार—यद्यपि योजना में निजी तथा सरकारी धन के सामंजस्य का आयोजन किया गया था परन्तु निजी क्षेत्र का आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया था । सामंजस्य हित तथा समान वितरण के दृष्टिकोण में भारत जैसे अल्प विकसित राष्ट्र में सरकारी क्षेत्र निरंतर बढाकर ही अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है । योजना द्वारा १५ वर्षों में एक एम.एम.जी की स्थापना करना, जिसमें निजी क्षेत्र का बराबर-व्यवस्था के अधिकांश भाग पर अधिकार प्राप्त हो, उचित नहीं कहा जा सकता है ।

(२) कृषि को कम महत्व—योजना में औद्योगिक उत्पादन का विशेष महत्व दिया गया है । औद्योगिक उत्पादन में ५००% वृद्धि का तुलना में कृषि उत्पादन में १३०% की वृद्धि के लक्ष्य अत्यंत कम प्रतीत होते हैं । नियोजन के विचार में सम्मिलित अर्थ-व्यवस्था का निम्नलिखित आवश्यक था इसलिए उन्नत राष्ट्रीय आय में कृषि तथा उद्योग—दोनों के भाग को समान करने का आयोजन किया । नियोजकों के अनुमानानुसार, कृषि तथा उद्योग से प्राप्त होने वाली कुल आय लगभग ₹ १९६ करोड़ ६० तथा ३७४ करोड़ ३० था परन्तु औद्योगिक उत्पादन में ५००% वृद्धि करने के लिए कृषि का समानांतर विकास करना आवश्यक था क्योंकि कृषि द्वारा उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध होता है । योजना में कृषि उत्पादन के निर्वाह का आयोजन नहीं किया गया । औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूँजीगत वस्तुओं को बनी मात्रा में आवश्यकता होती है जिसको खरीदने के लिए कृषि उत्पादन के निर्वाह द्वारा अर्जित विदेशी विनिमय का उपयोग किया जा सकता था । इसके साथ कृषक उद्योगों को एक और कच्चा माल देता है और दूसरी ओर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग भी करता है । औद्योगिक उत्पादन का उपभोग करने के लिए कृषक की आय में वृद्धि होना आवश्यक होगा है । कृषि के विकास द्वारा ही कृषक की आय की भी वृद्धि सम्भव है । इस प्रकार औद्योगिक तथा कृषि विकास में इनका अन्तर रहना यथाचित प्रतीत नहीं होता ।

(३) श्रम-साधनों का अल्पपुण्य अनुमान—योजना के श्रम-साधना में पीछे पावना से ₹ ००० करोड़ ६० प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया । यद्यपि पीछे पावना इस राशि से भी अधिक अर्जित हो गया था परन्तु इसका योजना को आवश्यकतानुसार ब्रिटेन द्वारा दोषण हेतु कोई आश्वासन नहीं था । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों का आवश्यकताओं के कारण ब्रिटेन पीछे-पावना का साधन काफी समय तक करने में असमर्थ था । योजना में ३४०० करोड़ ६० मुद्रा प्रसार द्वारा प्राप्त करने का आयोजन था । इन प्रकार की व्यवस्था मुद्रा स्थिति

के क्षेत्रों के किसी प्रकार मुक्त नहीं कही जा सकती है। योजना में धूम्रों की स्थिरता के लिए किसी विशेष नीति का निदरय नहीं दिया गया। इसी प्रकार ७०० करोड रु० की जा राशि विदेशी सहायता द्वारा प्राप्त होने का अनुमान था, वह भी नदिय में उपस्थित होने वाली आर्थिक तथा राजनीतिक घटनाओं पर निर्भर थी। द्वितीय महायुद्ध के पदचात् सभी देशों के पुनर्निर्माण काय में व्यस्त होने की सम्भावना थी ओर इन दोनों द्वारा दत्तनी बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता प्रदान किया जाना असम्भव नहीं ता कठिन अवश्य था। दूसरी ओर, विदेशी सहायता की उपलब्धि भारत में नवीन स्थापित राष्ट्रीय सरकार की नीतियों पर भी निर्भर होती। व्यापारिक निय द्वारा ६०० करोड रुपये की राशि प्राप्त होना भी निश्चित प्रतीत नहीं होता क्योंकि आर्थिक विकास की मध्यावधि म अधिक नियोजन-सृष्टि की सम्भावना नहीं होती।

(४) गृह उद्योगों का विकास—गृह उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में योजना म निश्चित कामकाजों का आयाजन नहीं किया गया। योजना में गृह उद्योगों के विकास की विशेष महत्व दिया गया तथा गृह उद्योगों के विकास की केंद्रों को उद्देश्यों के कारण ही सम्मिलित किया गया था—प्रयत्न, पूँजी की आवश्यकताओं को धन रखना तथा द्वितीय रोजगार क अवसर प्रदान करना। इसके यह प्रतीत होता है कि नियोजकों ने लघु तथा गृह उद्योगों का विकास के प्रारम्भिक काल में विगत की कठिनाइयों तथा अनुविधाओं की दूर रखने के लिए अस्थायी स्थान दिया क्योंकि इन उद्योगों का अध-व्यवस्था में स्थायी स्थान मिलना चाहिए था क्योंकि इनका उत्पादन क साधनों के बिनेन्द्रीयकरण तथा आय के समान वितरण का प्रौत्साहन निवता है।

(५) यातायात—योजना में भारतीय जहाजी यातायात तथा जहाजयन्त्री-निर्माण उद्योग के विकास हेतु पर्याप्त आयोजन नहीं किए गये। वायु-यातायात का भी योजना में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया था।

(६) श्रम्य—इन योजना के समस्त अनुमान तथा कल्पनाएँ महायुद्ध के पूर के मूर्खों पर किए गये थे जवनि यह स्पष्ट था कि योजना का राजनितिक किया जाना महायुद्धपरान्त ही सम्भव था। महायुद्ध क आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावों का प्रतिगत करत हुए योजना के अनुमानों में आवश्यक समायोजन किए जान चाहिए थे। योजना में पुनर्वास की आवश्यकताओं के लिए कोई आयोजन नहीं किया गया तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ जो नियोजन का सुताधार हानी चाहिए, का भी योजना में कोई स्थान प्राप्त नहीं था।

जन-योजना (The People's Plan)

जन-योजना भारतीय श्रम संघ (Indian Federation of Labour) की सुधारमन्त्र पुनर्निर्माण समिति (Post war Reconstruction Committee) द्वारा निमित्त की गयी थी। इस समिति के प्रमुख श्री एन० एन० खर थे, अर इस योजना

को रायवादी योजना भी कहते हैं। इस योजना में साम्यवादी सिद्धान्तों के सतर्कों का समायोजन किया गया था और नियोजकों ने योजना के कार्यक्रमों को श्रमिकों के दृष्टि कोण से बनाने का प्रयत्न किया था। इस योजना के तीन प्रमुख सिद्धान्त हैं—

(१) लाभ हेतु (Profit Motive) पर आधारित अथ व्यवस्था समाज के हितों के विरुद्ध होती है

(२) लाभ हेतु व्यवस्था पर राज्य को कठोर नियंत्रण रखना चाहिए तथा

(३) उत्पादन उपभोग के लिए होना चाहिए न कि विनिमय के लिए।

जन योजना सन् १९४४ में विभिन्न तथा प्रवाणित की गयी और इसके कार्यक्रमों को रैडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को सहमति प्राप्त हुई। इस योजना में निर्माण कर्त्तारों के विचार में भारत की मूलभूत समस्या निधनता थी जिसे अधिक उत्पादन तथा समान वितरण द्वारा ही दूर किया जा सकता था। राष्ट्र की समस्त आर्थिक कठिनाइयों का कारण पूँजीवाद बताया गया। पूँजीवाद में उत्पादन जनसमुदाय की श्रम शक्ति पर निर्भर रहता है क्योंकि उसी ही वस्तुएँ उत्पादित की जाती हैं जिनकी लाभ सहित विप्रेय की जा सकता है। विप्रेय योग्य वस्तुओं की मात्रा भारत की जनता की निधनता के कारण सीमित रहती थी। इस प्रकार पूँजीवाद में धन का अधिकतम उत्पादन नहीं किया जा सकता है तथा पूँजीवादी व्यवस्था में धन का समान वितरण भी सम्भव नहीं हो सकता है। पूँजीवाद में जनसमुदाय के जीवन स्तर में वृद्धि उसी सीमा तक ही सकती है जहाँ तक श्रम शक्ति के वितरण का आयोजन किया गया हो। श्रम शक्ति का वितरण पारिधमिक तथा कच्चे माल के श्रम के माध्यम द्वारा किया जाता है। ये दोनों तत्व उत्पादन पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार यह पूँजीवाद का एक दोषपूर्ण चक्र होता है। पूँजीवाद के बोझ को निवारणार्थ इस योजना में धातुसम्बद्ध उत्पादन पर जोर दिया गया था जिसका उद्देश्य जनसमुदाय की श्रम शक्ति में वृद्धि करना था। प्रभावशील माँग उत्पन्न करने का उद्देश्य न होकर मातृकीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर तन्तुगार उत्पादन करने का उद्देश्य था।

उद्देश्य—योजना का मूल उद्देश्य दस वर्ष की अवधि में जनता की तरकारीय आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादित वस्तुओं का समान वितरण किया जाना था। योजना में इसी लिए उत्पादन के सभी क्षेत्रों का विकास करने का आयोजन किया गया था। नियोजकों के विचार में जनसमुदाय की श्रम शक्ति में वृद्धि करने के लिए कृषि का विकास अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत को ७०% जनसंख्या कृषि-व्यवस्था से जीविकापान करती थी। कृषि का सामग्र्य व्यवस्था बनाने की नियोजकों ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इनके विचार में कृषि का विकास द्वारा ही श्रमिकों में अन्न रोजगारी तथा बेरोजगारी को दूर किया जा सकता था। भारतीय जनसंख्या की निर्धनता का निवारण

करने के लिए कृषि विकास का ही योजना का आधार बताया गया, दूसरी तरफ लोकार्थिक विकास हेतु इस प्रकार से आयोजन किये गये कि उसके द्वारा जनसमुदाय की उपभोग-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। निजी क्षेत्र में संचालित उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण को आवश्यक बताया गया। योजना का इस प्रकार मुख्य उद्देश्य इस वर्षों में जनसंख्या की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। "इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्र के वर्तमान धन के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक होगा। नियोजित व्यवसाय का उद्देश्य राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का पर्याप्त शैक्षिक भोजन पर्याप्त कपड़ा, अच्छे निवास-स्थान तथा स्वस्थता प्रदान करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना होना चाहिए।"

कृषि—योजना में कृषि का सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है और कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्राथमिक भूमि प्रणयन (Land Tenure) में आवश्यक परिवर्तन जमींदारी अधिकारों की समाप्ति तथा भूमि के राष्ट्रीयकरण का आवश्यक बताया गया। राज्य तथा कृषक से प्रत्येक सम्बन्ध स्थापित करना तथा मध्यमियों को समाप्त करना कृषि विकास का मुख्य कार्यक्रम था। योजना में भूमिधरों (Landlords), जमींदारी तथा अन्य संपत्ति प्राप्त करने वालों का ₹ ७३५ करोड़ २० मुद्राकर का भार आयाजित किया गया था। यह अतिरिक्त २% स्वतः घोषित होने वाले ६० वर्गों शोषणों का निगमन करके किया जाना था। योजना में ग्रामीण श्रमिकों को अतिवापसी घटाने की सिफारिश की गयी। इन वर्गों का राज्य का ले लेना या और इसके लिए राज्य का लगभग २५० करोड़ २० का अन्तरदायित्व लेना था।

इसके अतिरिक्त योजना में कृषि के उपभोग में जाने वाली भूमि में इस वर्गों में ₹ १० करोड़ एकड़ की वृद्धि करने का आयाजित भी किया गया था। गहरी (Intensification) कृषि के लिए सिंचाई के साधनों में ६००% की वृद्धि करने तथा अच्छे बीज और खाद का भी आयाजित किया गया था। इसमें सामूहिक तथा राजकीय कृषि को स्थान दिया गया। प्रत्येक ५ या १० हजार एकड़ कृषि-योग्य भूमि के मध्य में एक राजकीय फार्म स्थापित करने की सिफारिश की गयी। इस फार्म में प्राथमिक यंत्रों का उपयोग किया जाना था तथा ये फार्म इन वर्गों को आयाजित के कृषकों का विराय पर दें, इसका भी आयाजित था। प्रत्येक फार्म पर विप्लव तथा योग्य व्यक्तियों को रखे जाने तथा शोषणकारण-संस्था की स्थापना करने की भी सिफारिश थी।

- 1 In order to satisfy these needs it will be necessary to expand the present production of wealth of country. To achieve this expansion of production with the object of ensuring to everybody in the country adequate nutritive food sufficient clothing a decent shelter and freedom from disease and ignorance should be the purpose of the planned economy. (People's Plan published by M N Roy p 6)

इन राजकीय फार्मों पर कृषि को प्राथम्य प्रदान करने का भा प्रबन्ध किया जा सकता था। सामूहिक कृषि के लिए जनसमुदाय पर किसी दबाव तथा बंधनकारी वादनीयता को उचित नहीं बताया गया। कृषकों को सामूहिक कृषि के लाभ समझाकर ही सामूहिक फार्मों की स्थापना की जानी थी। कृषि विकास के लिए २६५० करोड़ ६० का व्यय निर्धारित किया गया।

औद्योगिक विकास—योजना में उपभोक्ता उद्योगों को विशेष महत्व प्रदान किया गया। नियात्रको के विचार में जनसमुदाय की आवश्यक वस्तुओं की माँग का पूर्ति करना अत्यन्त आवश्यक था तथा नियोजित व्यवस्था में इसकी पूर्ति सबसे प्रथम होनी चाहिए थी। वस्त्र वस्त्र गन्धक कारखाने रसायन, तम्बाकू फर्निचर आदि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के विकास के लिए ३,००० करोड़ ६० का आवान किया गया। आधारभूत उद्योगों में विद्युत् शक्ति खनिज तथा धातुगोष्ठन लौहा तथा इस्पात भारी रसायन मशीन तथा मशीनों के औजार सीमेंट रेल के इंजिन तथा डिब्बे आदि उद्योग सम्मिलित किए गये। इन उद्योगों के विकास पर २६०० करोड़ रुपया व्यय का अनुमान था। योजनाकारों में स्थापित किए जाने वाले नवीन उद्योगों में राज्य को अथ लगाना था तथा इन पर राज्य का नियंत्रण तथा अधिकार हाना था। निजी क्षेत्र के उद्योगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था परन्तु इनके कार्य क्षेत्र पर राज्य द्वारा नियंत्रण करना आवश्यक बताया गया। राज्य को वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना था तथा लाभ की दर अधिक से अधिक ३% रखनी थी। योजना में मूल्य तथा लघु उद्योगों के विकास का विशेष महत्व नहीं दिया गया। श्रमिकों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने के लिए मशीनों के उपयोग का अधिक महत्व दिया गया था और इसी कारण लघु उद्योगों को अधिक महत्व नहीं दिया गया था और इनके विकास के लिए योजना में आवान भी नहीं किया गया।

घाटायात—योजना में रेलवे सड़क तथा जल यातायात के विकास का विशेष महत्व दिया गया। घाटायात के साधनों में तीव्रता से वृद्धि करने का आवान किया गया जिससे वस्तुओं का घाटायात ग्रामों तथा नगरों के मध्य सुविधापूर्वक किया जा सके। इस वर्षों में रेल यातायात में २४००० मील तथा सड़क यातायात में ४५०००० मील की वृद्धि करने का आवान किया गया। जहाजा यातायात के विकास के लिए १५५ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया।

अन्य प्रबंधन—इस योजना में दस वर्षों में कुल १५००० करोड़ ६० व्यय हान का अनुमान था जिसका वितरण तालिका सं० ३० के अनुसार किया गया था।

उपयुक्त १५००० करोड़ ६० की राशि का प्रबंध तालिका सं० ५१ के अनुसार किया जाना था।

नियोजकों के विचार में अथ प्रबंधन में कोई विशेष कठिनाई उपस्थित होने का कोई कारण नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय नियोजन अधिकारों को जनता के संचित

तालिका न० ५०—जन-योजना का व्यय

वर्ग	व्यय (लाख रुपयों में)
कृषि	२,६२०
उद्योग	३,६००
ग्रह निर्माण	३,९२०
साक्षरता	१,२००
शिक्षा	४६०
स्वास्थ्य	
योग १५,०००	

तालिका न० ५१—जन-योजना का जय प्रवर्धन

कार्य का माध्यम	जाय (लाख रुपयों में)
पीठ-साधना	४२०
कृषि-साय	१०,५१६
औद्योगिक साय	२,५३४
प्राथमिक धर्म-संस्था (हस्त-कर्म, उत्पत्ति-कार-कर नृपु-कर जादि)	=१०
भूमि का राष्ट्रीयकरण	६०
योग १५,०००	

अतिरिक्त धन को विनिर्माण के लिए प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके विनाश में योजना के कार्यक्रमों के फलस्वरूप, भारत का जनसमुदाय वर्तमान जीवन-स्तर की तुलना में चार गुने अच्छे जीवन-स्तर का साधन प्राप्त कर सकेगा।

आलोचना—योजना में कृषि-विकास को विशेष महत्व दिया गया है परन्तु कृषि विकास हेतु औद्योगिककरण की आवश्यकता होती है क्योंकि कृषि में क्रांतिक नयीयों तथा यंत्रों के उपयोग से वृद्ध अतिरिक्त धन को उत्पन्न करना ही आवश्यक है। भारत में कृषि-भूमि पर जनसंख्या का दबाव जघाना है और कृषि-विकास के लिए इस अतिरिक्त धन को अन्य व्यवसायों में उत्पन्न करना आवश्यक है। दूसरी ओर, कृषि के लिए नयीयों तथा यंत्रों की उपलब्धता के लिए उच्च मूल्यवादी उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक होगा है। योजना में जनसंख्या उद्योगों की अपेक्षा उपनिवेश-उद्योगों की प्राथमिकता दी गयी है। उपनिवेश-उद्योगों के विकास के लिए भी उदाहरण नयीयों तथा यंत्रों की आवश्यकता होगी है जिनकी कमी मात्रा में आपूर्ति करना न तो व्यापारिक है और न समर्थ है। नयीयों की उच्च मूल्यवादी विकास का आधार औद्योगिक युग में उदाहरण तथा यंत्रों का उपलब्धता के उद्योग होते हैं और इन्हें ही सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

योजना के कृषि विकास तथा उपमात्ता उद्योगों के विकास के लिए भी पहले आधारभूत तथा पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों की बड़ी मात्रा में स्थापना का आयोजन किया जाना चाहिए।

योजना में एक बार कृषि में यंत्रों के प्रयोग को महत्व दिया गया तथा दूसरी बार, गृह एवं लघु उद्योगों के विकास को कोई स्थान नहीं दिया गया। इस प्रकार शेरशायी के बंद होने की सम्भावना पर कोई विचार नहीं किया गया और न राजगार के अपसरण में पर्याप्त वृद्धि का ही आयोजन किया गया है।

योजना में १० करोड़ रुपये पुनर्निर्माण हेतु कृषि से प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि के पुनर्गठन तथा यंत्रों के उपयोग के कारण पूँजीगत व्यय की राशि अत्यधिक होगी और इसके पश्चात् भी कृषि से इतनी बड़ी राशि प्राप्त करने की आशा करना उचित प्रतीत नहीं होता।

विश्वेश्वरय्या योजना (Vishveswaraya's Plan)

यह योजना सन् १९४६ में अखिल भारतीय निर्माणक संघ (All India Manufacturers Association) द्वारा भारत का सुदोषपूर्ण पुनर्निर्माण करने के लिए प्रस्तावित की गयी। इसके मुख्य उद्देश्य जनसमुदाय के जीवन स्तर में वृद्धि करना तथा देश की आर्थिक दृढ़ता का उच्च सोमा तक विकास करना था कि सामाजिक नागरिक को अपनी जीविकोपार्जन योग्य राजगार प्राप्त हो सके। इस योजना में प्रत्येक नागरिक का राजनीतिक कर्तव्य—जन प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना आर्थिक कर्तव्य—आय तथा उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कार्यक्षमता में वृद्धि करना तथा सामाजिक कर्तव्य—राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में यथोचित जीवन स्तर आराम मनोरंजन आदि का प्रयत्न करना बताया गया है।

उद्देश्य—इस योजना में सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए बहती हुई जनसंख्या पर असाहचरित ढंग से रोजगार लगाना जनसमुदाय के हितार्थ अधिक शिक्षा का आयोजन करना कृषि के क्षेत्र में अनिश्चित जनसंख्या को हटाकर उनके लिए अथवा व्यवसाय में रोजगार का आयोजन करना ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिनिधि सरकार (Village Self government) की स्थापना करना आदि का आयोजन किया गया था।

इस योजना में एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण मण्डल (National Reconstructive Board) की स्थापना की सिफारिश की गयी थी। इस मण्डल में ६ जनता के प्रतिनिधि तथा १ धारमत्री अधिकारी रहने की सिफारिश की गयी थी। इस मण्डल का विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन तथा उनका विश्लेषण करना था।

इस मण्डल को प्रत्येक क्षेत्र के लिए समितिवादी आदि नियुक्त करने तथा उनमें काम करने के लिए कर्मचारियों का चयन करने आदि का अधिकार था। इसका मुख्य

उद्देश्य लोगों का और विशेषकर जन-सेतुओं का इस प्रकार प्रगुणित करना था कि वे उत्तरदायी म्थानों पर कार्य कर सकें।

योजना में एक राष्ट्रीय आर्थिक मन्दा की स्थापना की भी विचारित की गयी। यह मन्दा पंचवर्षीय योजना का मन्चालन करती है। प्रथम पांच वर्षों में १,००० करोड़ रु० से कम राशि का विनियोजन नहीं होना था। इस मन्दा की उद्योगपतियों की पिछड़ हुए उद्योगों के विकास के लिए महापता करना था। कृषि तथा उद्योग के उत्पादन में १००% वृद्धि ७ से १० वर्षों में काम का लक्ष्य रखा गया जिससे राष्ट्रीय आय २,२०० करोड़ रु० से बढ़कर ५,००० करोड़ रु० हो जाय। औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन का ४०० करोड़ रु० से बढ़ाकर २,००० करोड़ रु० काम का लक्ष्य था। योजना में पत्र-निर्माण मशीन उद्योगों की स्थापना प्रतिक-उत्पादन के मन्त्रों का निर्माण तथा सुद-सामग्री के उद्योगों की भी विचारित करने की विचारित की गयी थी। उद्योगों के पश्चात् योजना में कृषि की प्राथमिकता की गयी थी। राजस्व में एक पृथक् कृषि विभाग का एक मन्त्रों के अधीन हो, की स्थापना करने का विचारित था।

इसका समस्त व्यय निम्न प्रकार विभाजित किया गया—

तालिका सं० ४०—विश्वेन्वैज्या-योजना का व्यय
(करोड़ रु० में)

शुद	व्यय
उद्योग	८६०
कृषि	२००
यादायात	११०
शिक्षा	४०
स्वाम्य	४०
घृह निर्माण	१६०
अन्य	३०
	योग १,४००

इस प्रकार योजना में तीन संस्थाओं की स्थापना की विचारित की गयी जिन्होंने पारम्परिक सहयोग तथा सामज्ज्य के साथ योजना की मन्चालित करना था। पुनर्निर्माण आयोग की एक नये प्रयत्नीय नविधान के निर्माण का काम करना था। आर्थिक परिषद (Economic Council) को राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक विकास की देखभाल करना था तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु प्रयत्न करने थे।

गांधीवादी योजना

मूल सिद्धान्त—गांधीवादी योजना गांधीजी की आर्थिक विचारधाराओं पर आधारित थी श्रीमन्नाचयप द्वारा सन् १९४४ में लिखित तथा प्रगुणित की गयी।

गांधीजी ने भारत की आर्थिक समस्याओं तथा उनकी अवस्था के सम्बन्ध में जो भाषण तथा लेख समय-समय पर दिये तथा जिसे उनको समर्पित करके एक योजना का रूप दिया गया और इस योजना को ही गांधीवादी योजना कहा जाता है। वास्तव में, गांधीजी द्वारा स्वयं किसी योजना का निर्माण नहीं किया गया। गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था का सिद्धान्त अथवा सभी भाग्य-व्यवस्थाओं की विचारपरामर्श तथा सिद्धान्तों से भिन्न है। गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था के चार मुख्य अंग हैं—

- (१) सादगी (Simplicity)
- (२) अहिंसा (Non violence)
- (३) धर्म का महत्त्व (Sanctity of Labour)
- (४) मानवीय मूल्य (Human value)।

सादगी द्वारा जीवन की सभी सुख न होने वाला इच्छाया पर आत्म प्रतिरोध (Self Restraint) लगाया जा सकता है और मनुष्य की निरन्तर ध्यान वाली भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना के समस्त साधनों का ध्येय करने की आवश्यकता नहीं होती एक आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था का इस प्रकार संशुद्ध किया जा सकता है कि जनसमुदाय के सामाजिक तथा नैतिक आदर्शों की पूर्ति हो सके। भारत का रहन-सहन भौतिक सम्पन्नता पर ही आधारित नहीं है इससे आत्मा के उत्थान तथा चरित्र निर्माण को भौतिक सम्पन्नता में अधिक महत्त्व दिया जाता है। गांधीवादी योजना में इस प्रकार की व्यवस्था के निर्माण का सत्य या जितना आर्थिक सम्पन्नता के साथ नैतिक उत्थान भी हो सके।

गांधीजी के विचार में पूँजीवाद मानव जीवन का विभिन्न प्रकार से ग्राहण करता है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में मशीन से उत्पादन होता है धार्मिक ऋण का पोषण होता है तथा पूँजीपति धार्मिक ऋण के गोपण द्वारा ही पूँजी का संचय करता है। इस प्रकार पूँजीपतियों द्वारा पूँजी एकत्रित करने के लिए गांधीजी के विचार में हिंसक साधनों का उपयोग होता है। इसके साथ ही, पूँजीपति अपनी संचित पूँजी की सुरक्षा के लिए भी हिंसक साधनों को अपनाता है। अर्थ-व्यवस्था से इन हिंसक क्रियाओं को दूर करने के लिए पूँजीवाद की समाप्ति आवश्यक है। उत्पादन तथा वितरण का विवेकीकरण तथा इसके द्वारा प्रजातान्त्रिक समाज का निर्माण किया जाना चाहिए।

धर्म को अर्थ-व्यवस्था में उचित महत्त्व देने के लिए समस्त मानव-समाज को लाभप्रद ऋण में समाना गांधीवादी योजना का मुख्य उद्देश्य है। समाज के साधनों तथा अवसरों का समान वितरण होना भी आवश्यक बताया गया है। गांधीजी आर्थिक क्रियाओं को सदाचार तथा मानवीय सम्मान से पूँजी नहीं समझते थे। उनका विचार था कि आर्थिक क्रियाओं को हम केवल साधन समझना चाहिए जिनके द्वारा मानव कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति होगी है। समाज की आर्थिक क्रियाओं का इस

प्रकार सगठित किया जाना चाहिए कि मानव में मानवता का अंग बूत बचवा समाप्त न हो जाय।

गांधीजी के विचार में औद्योगिककरण भौतिक सम्पत्ति का प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयत्न मात्र है, जिससे मानवीय सम्मान तथा चरित्र का क्षाय हो जाता है, इसलिए उन्हें सर्व प्रथम इत्यादियों के विकास एवं अध्ययन को अधिक महत्त्व देता था। गांधीवादी अथ व्यवस्था में मात्र का विशेष स्थान नहीं दिया जाता। चरित्र एवं कुटीर उद्योगों के विकास का विशेष महत्त्व दिया गया है।

उद्देश्य—गांधीवादी योजना एक दशकपर्यंत योजना थी जिसका अनुमानित व्यय ₹ ४०० करोड़ था। यह योजना मजदूर एवं श्रमिकों के हितों की पूर्ति के लिए बनायी गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य ११ वर्षों में जनसमुदाय में नैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में उत्थान करना था। योजना में मुख्यतः देश के ० गरीब ग्रामों में नवाना जीवन संचार करना था जो इसके लिए वित्तीय कृषि तथा उद्योगों के विकास का विशेष महत्त्व दिया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य जनसमुदाय के जीवन-स्तर को निर्धारित 'सूक्ष्मतम सीमा तक' बढ़ाना था। 'सूक्ष्मतम जीवन-स्तर' में निम्नलिखित सुविधाएँ सम्मिलित की गयी थी—

(१) नियमित भोजन जिससे २६०० किलो प्रति दिन प्रति व्यक्ति का प्रबंध हो तथा जिसकी लागत ₹ ०.६० प्रति मास (शुद्ध न पूरक द्रव्यों के आधार पर) ग्रामीण क्षेत्रों में हो।

(२) प्रत्येक व्यक्ति को २० गज वस्त्र वार्षिक प्राप्त हो जिसकी लागत ₹ ४०० वार्षिक हो।

(३) प्रत्येक व्यक्ति को एक अथ अधिक घरों पर ₹ २०० प्रति वर्ष व्यय का प्रबंध हो।

इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का 'सूक्ष्मतम वार्षिक व्यय ३०००' बना गया और योजना के अनुष्ठातों के आधार पर उस समय की प्रति व्यक्ति आय का मात्रा ₹ १०० थी, ४ गुना बढ़ाने की आवश्यकता बतायी गयी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना में कृषि तथा उद्योगों का वैधानिक स्तर पर विकास करने का आयोजन किया गया।

कृषि—खाद्यान्नों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता तथा अधिकतर क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर कृषि विकास की योजना निर्धारित की गयी थी। इसके लिए जमींदारों तथा रैयतदारों को हटाकर ग्रामवासी बन्दावस्त (Village Settlement) का आयोजन किया गया। ग्रामवासी भूमि प्रबंधन में समूह ग्राम-समाज सामूहिकरूपेण ग्राम की भूमि का समान राज्य का हक का उद्देश्य था। ग्राम पंचायत समितियों में भूमि का निर्वहण करे तथा उनके हितों को रक्षित करे। लगान उपासित अन्न के रूप में दिया जाय, जिसकी मात्रा न्यूनतम पंचक की है

व्यवस्था है। सरकार धीरे धीरे भूमि का मुआवजा देकर उस पर अधिकार प्राप्त कर ले। यह भी सुझाव लिया गया था कि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई भूमि की ५०% पूंजीगत लागत उत्तराधिकार-कर के रूप में ली जा सकती है। योजना में भूमि के ऐच्छिक ऋणिकरण सहकारी कृषि आदि की भी स्थान दिया गया।

ग्रामीण ऋण की समाप्ति के लिए विधेय 'यायालयों की स्थापना का सुझाव था। ये 'यायालय ग्रामीण ऋणों की छानबीन करें तथा अनुचित ऋणों की रद्दी कर दें और इन ऋण से पुराने ऋणों को रद्द कर दें। ऋणदाताओं को सरकार २० वर्षों का प्रदान करे तथा इन ऋणों का भुगतान कृषक से विशेषों में प्राप्त किया जाय। कृषक का साल सन्तुष्टी अथवा सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। निजी रूप में कृषक उधार देने के व्यवसाय को प्रतिबंधित कर दिया जाय। योजना में सिंचनी की सुविधाओं का दुगुना करण के लिए १०५ करोड़ रुपये आवंटन तथा ५ करोड़ रुपये आवंटन वर्ष का आयोजन किया गया। योजना में ४५० करोड़ रुपये भूमि-मुधार भूमि की कृषि योग्य बनाने भूमि कटाव को रोकने आदि पर व्यय किए जाने का आयोजन किया गया था। कृषि विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर १२१५ करोड़ रुपये का व्यय किए जाने का प्रबंध किया गया था।

ग्रामीण उद्योग—ग्रामीण समाज का आत्मनिर्भरता के स्तर पर लाने के लिए गृह उद्योगों के पुनर्स्थापन तथा विकास का आयोजन किया गया था। वातना तथा बुनाई कृषि के सहायक उद्योग समझे गए एवं प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की आवश्यकता अनुसार वस्त्रोत्पादन करना आवश्यक बताया गया। अन्य गृह उद्योगों जैसे कागज बनाना तेल निकालना घान कूटना साबुन बनाना दियासलाई बनाना गुन बनाना तथा अन्य उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगों के विकास का भी आयोजन किया गया। गृह उद्योगों के विकास हेतु राज्य की गिस्ती की निम्नप्रकारण सहायता करना आवश्यक था—

- (१) सहायक समितियों का काम यात्रा पर साल प्रदान करना
- (२) कूटार उद्योगों की आवधिक सहायता प्रदान करना
- (३) गृह उद्योगों का वृद्ध उद्योगों से संरक्षण प्रदान करना
- (४) कच्चे माल के अथवा निर्मित माल के विक्रयार्थ सहकारी समितियों की स्थापना करना
- (५) तांत्रिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।

आधारभूत उद्योग (Basic Industries)—योजना में अर्थात्पत्ति वृद्ध उद्योगों के विकास का आयोजन किया गया—

- (१) रक्षा सम्बन्धी उद्योग
- (२) जनविद्युत गति उद्योग
- (३) मर्तों सादना धानुगाधन तथा वन उद्योग

- (४) मशीन तथा मशीनों के खोला वनाम के अन्तर्गत,
- (५) वृहत् इ. अनिश्चित उद्योग तथा
- (६) बहुराज्यीय उद्योग ।

वृहत् उद्योगों का इस प्रकार नियमित रूप में संचालित किया जाय कि ये वृहत् उद्योगों में प्रतिस्पर्धा करने के स्थान पर मुद्रा-अभाव के विधान में सहायक हों। इन आधारभूत उद्योगों का राज्य द्वारा संचालित किया जाय। सरकार द्वारा प्रोत्साहित तथा नियंत्रण प्राप्त करने के समय तक ये उद्योग अनाथ सार्वजनिक (Private Entrepreneurs) द्वारा संचालित हों परन्तु राज्य इनके द्वारा निमित्त वस्तुओं के मूल्य माहृतों का नाम तथा श्रम-व्ययस्था पर नियंत्रण रखे। वृहत् उद्योगों का विशेषीकरण अर्थात् सामाजिक तथा सार्वजनिक उद्योगों के प्राधान्य पर किया जाय।

अर्थ-व्यवस्था—इस योजना का सम्बन्ध आबतक अर्थ २०० करोड़ रुपये का अनाबतक व्यय २,५०० करोड़ रुपये निर्दिष्ट किया गया। अन्तर्गत विभिन्न वर्गों पर वितरण इस प्रकार था—

नामिका सं० ५३—गांधीवादी योजना का व्यय

अर्थ (करोड़ रुपयों में)

वर्ग	प्रभावित	आवक
कृषि	१ १३१	५०
ग्रामीण उद्योग	३५०	—
आधारभूत तथा वृहत् उद्योग	१ ०००	—
साक्षात्कार	५००	१५
जन-व्यय	२६०	५५
शिक्षा	२२५	१००
अन्य	२०	—
योग ३,५००		२००

कृषि पर व्यय हमारी निर्धारित राशि द्वारा कृषि का विकास करना है जो सम्भावना थी कि कृषि का इस वर्षों में वृद्धि हो जाय। यह भी अनुमान लगाया गया कि ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए प्रति वर्ष १,००० करोड़ का आवक प्राप्त होगा और यह राशि राज्य द्वारा ग्राम-संचालकों तथा सहायक व्यवस्थाओं का दीर्घ-कालीन ऋण के रूप में प्रदान की जानी थी जो २० वर्षों में देय होनी थी। यह भी अनुमान था कि लगभग १०० करोड़ करोड़ राज्य द्वारा विदेशी माहृतियों तथा निर्यातों द्वारा संचालित आयात-वस्तु उद्योगों को क्रय करने पर व्यय होगा तथा अर्थ ५०० करोड़ २० आधारभूत तथा अनाथ-संचालकों उद्योगों के विकास पर व्यय किया जायगा। देश-साक्षात्कार में २५% वृद्धि तथा साक्ष्य क्षेत्रों में २,००,००० मीन रकमी निर्धारित लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। नाखिल तथा विदेशी उद्योगी संचालकों को भी

करने का आयोजन किया गया। ग्रामीण चिकित्सालयों तथा नगरों में प्रत्येक १०,००० व्यक्तियों पर एक अस्पताल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। शिक्षा के अर्थ का पाँच भागों में विभाजित किया गया—बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विद्वद्विद्यालयीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण।

योजना की निर्धारित अनावतक राशि का तीन साधनों—आंतरिक ऋण तथा बचत मुद्रा प्रसार तथा अखिरिक कर द्वारा प्राप्त करने का लक्ष्य था। आवश्यक व्यय की राशि को राजकीय उद्योगों तथा जनसेवाओं की आय द्वारा प्राप्त किया जाना था। विभिन्न संपत्तियों से विभिन्न प्रकार के बच प्राप्त होने का अनुमान था—

तालिका स० ५४—गांधीवादी योजना के अर्थ-साधन

साधन	अर्थ (करोड़ ₹० में)
आन्तरिक ऋण	२ ०००
मुद्रा प्रसार	१ ०००
कर	५००
	योग ३ ५००

प्रालोचना—इस योजना के दो पक्ष हैं—ग्रामीण तथा नागरिक। इन दोनों ही क्षेत्रों का विकास विभिन्न आधारों पर करने का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में परम्परागत जीवन को बनाये रखने का सुझाव था परन्तु कुछ आधुनिक सुविधाओं में वृद्धि करने का भी आयोजन किया गया। दूरदूरी और नागरिक क्षेत्र में राज्य द्वारा गवर्नालिङ्ग वृद्ध तथा आवाहर्भूत उद्योगों के विकास का आयोजन था। नगर निवासियों के जीवन का तदनुसार आधुनिक विकास होना भी अनिवार्य था। इस प्रकार आधुनिक नागरिक जीवन तथा परम्परागत ग्रामीण जीवन में सामंजस्य स्थापित करना एक कठिन समस्या का रूप ग्रहण कर सकता भी जिसके हल के लिए योजना में प्रकाश नहीं डाला गया।

योजना में व्यक्तिगत आधारभूत स्वतन्त्रताओं को अक्षुण्ण बनाये रखने को विशेष महत्व दिया गया। इसीलिए कठोर आर्थिक प्रबंधों तथा नियंत्रणों का योजना में स्थान नहीं दिया गया। आर्थिक समानता का लक्ष्य का पूर्ण हेतु आर्थिक नियंत्रणों को नहीं प्रस्तुत आरम्भ प्रतिरोध एवं सामाजिक अर्थ निर्माण ही समुचित समझे गये थे।

ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुँचने के लिए ग्रामीण सड़कों मुख्यी उन्नति की आवश्यकता थी और इस कार्य के लिए प्रति मास १ ००० रुपये की राशि पर्याप्त नहीं हो सकती थी। योजना में ग्राम के पारिधमिक की नीति पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामों में निजी व्यवसायों के विकास के साथ साथ द्वारा यूनान सम पारिधमिक निर्दिष्ट करना आवश्यक था जिसमें ग्रामीण शिक्षण तथा यमिकों का छोटे छोटे पूँजीपतियों द्वारा गोपण किये जाने की सम्भावना न रहे।

अथ-साधनों में मुद्रा-प्रसार को विरोध स्थापन दिया गया था। मुद्रा-प्रसार, आर्थिक नियन्त्रणों की अनुपस्थिति में मुद्रा स्फीति का घातक रूप धारण कर सकती थी। दूसरी ओर, योजना के केवल आन्तरिक अथ साधनों पर ही अवलम्बित रहा गया था। विदेशियों द्वारा संचालित उद्योगों को श्रय करन पूँजीगत वस्तुओं का विदेशों से आयात करन आदि के लिए जो विदेशी पूँजी की आवश्यकता होती, उस हेतु कोई विरोध आयोजन नहीं किया गया।

इस योजना की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें भारत द्वारा अपनी योजना के माध्यम से एशिया के तथा अन्य पिछड़ हुए राष्ट्रों का पथ-प्रदर्शन करने का लक्ष्य भी रखा गया था। सिंगाई सम्मेलन तथा इसीसे उद्घाटन, जल विद्युत् तथा कृषि से प्राप्त अनुभवों से अन्य राष्ट्रों का अवगत कराया जाता था। एशिया के अन्य राष्ट्रों के युवकों का छात्रिक सम्पन्नाम प्रशिक्षण-मुद्रिणाएँ प्रदान करने का भी आयाजन था। विभिन्न पिछड़ राष्ट्रों के मध्य न्युत्त रूप से पाश्चात्य राष्ट्रों के छात्रिक विरोधन विमुक्त किया जान की भी विचारित की गयी थी।

कोलम्बो योजना और भारत (Colombo Plan and India)

महायुद्धोपरान्त अन्य राष्ट्रों का राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और इन राष्ट्रों की आर्थिक समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के जनसमुदाय का जीवन स्तर अत्यन्त गौणनीय था और यह अनुभव किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पारम्परिक सहयता से नियंत्रित आर्थिक विकास सम्भव है। इसी मूल्यांकन में जनवरी, सन् १९५० में ब्रिटिश राष्ट्र मन्त्रालय विदेश मंत्रियों की सभा में यह सिफारिश की गयी कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के जनसमुदाय के जीवन-स्तर में सुधार लिये जाएँ तथा उनके हितों प्रयत्न किये जायें जिससे वे क्षेत्र अपने कूट सम्मेलन साधनों द्वारा उत्तार की सम्पन्नता में अपना योगदान दे सकें। इस सभा ने एक सलाहकार-समिति (Consultative Committee) की स्थापना की जिसकी उपयुक्त क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करन तथा उत्तार और विदेश का ध्यान आकर्षित करने का काम सौंपा गया। इस समिति की प्रथम बैठक सिंगाई (साइगैलिया) में हुई और यह निर्दिष्ट किया गया कि राष्ट्र-मन्त्रालय के राष्ट्रों की अपने क्षेत्रों के विकास हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय विचार-योजना का निर्माण करना चाहिए जो जुलाई सन् १९५१ से प्रारम्भ हो। योजना में आर्थिक विकास के कार्यक्रम के साथ-साथ छात्रिक सहयोग की योजनाएँ भी सम्मिलित की गयीं। प्रारम्भ में योजना में आस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, भारत, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, ब्रिटेन, मलाया, सिंगापुर, उत्तरी चीनियों ब्रूनी (Brunei) तथा साउदाक सम्मिलित थे। सन् १९५१ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी योजना में सहयोग देना स्वीकार किया। तत्पश्चात् बर्मा, इण्डोनेशिया, हिन्दचीन, जापान, साबोय, नैसल, फ्रिडलाइन, स्पान तथा त्रिपुतनाम भी सम्मिलित हो गये। इस प्रकार दक्षिण-पूर्वी एशिया के सभी

इसमें सम्मिलित हो गये। ब्रिटेन कनाडा आस्ट्रेलिया यूजीलण्ड संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान सहायक देश (Donors) हैं। इस समय कालम्बो योजना में २४ सदस्य हैं। इनमें से १८ देश दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तथा छह देश इस क्षेत्र के बाहर के हैं। इस क्षेत्र के सदस्य देश अफगानिस्तान भूटान बर्मा कम्बोडिया, साइलान भारत इण्डोनेशिया ईरान दक्षिणी कोरिया लाओस मलेशिया मालदीव द्वीपसमूह नेपाल पाकिस्तान फिलिपाइंस सिंगापुर थाईलण्ड तथा दक्षिणी वियतनाम हैं। छह सहायक देश (Donor Countries) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

उद्देश्य—कालम्बो योजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के आर्थिक विकास द्वारा इन देशों के अधिवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। आर्थिक विकास के कार्यक्रम सहायक भावना के आधार पर बनाए जाते हैं और छायाशास्त्र के उत्पादन को विशेष महत्व दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत दो प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है—पू.जी.की सहायता तथा तांत्रिक सहायता। योजना की सलाहकार समिति इसका कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करती है और पू.जी.के आयोजन पर विचार विमर्श करती है। तांत्रिक सहायता में समन्वय स्थापित करने के लिए तांत्रिक सहायता परिषद की स्थापना की गयी है।

सहायता—कोलम्बो योजना में अंतर्गत सहायता अनुदान एक देश का सरकार द्वारा दूसरे देश की सरकार को ऋण एक साल के रूप में तथा तांत्रिक सहायता के रूप में दी जाती है। अधिकतर सहायता में मह प्रविष्टि होता है। इसका उपयोग सहायता देने वाले देश से प्रसाधन आदि क्रय करने पर व्यय किया जाय। पू.जी.की सहायता के अंतर्गत जो वित्त प्रदान किया जाता है। उसका उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक यंत्र एवं उपकरणों वस्तुओं जैसे गेहूँ आदि का आयात करने के लिए किया जाता है। इन आयात की गयी वस्तुओं का विक्रय करने से सहायता प्राप्त करने वाले देश को जो स्थायी मुद्रा प्राप्त होती है उसका उपयोग विकास कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। तांत्रिक सहायता में अंतर्गत इस क्षेत्र के देशों को विनियमन मिलता है जो प्रशिक्षण शोध कार्य एवं विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इसका अनिश्चित सहायता देने वाले देशों के विश्वविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं औद्योगिक संस्थाओं में इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सन् १९६६ के मध्य तक सहायक देश (Donor Countries) ने कुल मिलाकर १४६२० करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। इसमें से १२६०० करोड़ रुपये संयुक्त राज्य अमेरिका ने तथा ८५५ करोड़ रुपये ब्रिटेन ने प्रदान किया। समस्त सदस्य देशों द्वारा सन् १९६७ के मध्य तक तांत्रिक सहायता पर ६७७ करोड़ रुपये व्यय किया गया। इसमें से १३७ करोड़ रुपये प्रशिक्षण पर ३३० करोड़ रुपये विनियमन के कार्यों पर तथा लगभग २३८ करोड़ रुपये प्रसाधनों पर व्यय किया गया।

यद्यपि सहायता प्रदान करने वाले राष्ट्रों ने आज स्तर में काफी वृद्धि हो गयी

परन्तु सन् १९६१ के बाद से कालम्बा-योजना के अन्तर्गत विदेशी सहायता के परिमाण में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। दान्तर में सहायता के परिमाण में उधार भर में दूसर-द्वारा में वृद्धि होने तथा व्याज एवं पुस्तकें आदि की आवश्यकता के कारण कमी हो गयी है। वर्तमान सहायता का बड़ा भाग विकासोन्मुख चरणों द्वारा व्याज के दूना-गुना एवं पुस्तकें आदि की आवश्यकता के कारण कम हो गया है।

कौशल-योजना और भारत

कालम्बा-योजना के आरम्भ से २१ दिवस-सन् १९६३ तक भारत ने २६०० विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता योजना (Technical Co-operation Schemes) के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की हैं। ज्ञान-ज्ञान-विद्यार्थी, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा डिग्री, अन्य बचत प्रकल्प-आवृत्तियाँ (Sugar Technology) आदि-आदि में उधार आदि के विषयों की सुविधाएँ भी भारत द्वारा प्रदान की गयीं।

दूसरी ओर, भारत ने जनवरी सन् १९६३ के अन्तर्गत ४७७ विदेशी विद्वानों की सेवाएँ की तथा ४६६७ भारतीयों को कौशल-योजना के अन्तर्गत विदेशों में आर्थिक एवं चिकित्सा (Medical) आदि-आदि विभिन्न प्रकार के उधार एवं अन्य प्रकार के उधार एवं अन्य प्रकार के उधार एवं अन्य प्रकार के उधार के क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्राप्त हुईं।

कालम्बा-योजना के अन्तर्गत भारत की आर्थिक विकास हेतु १९६३-६४ तक कमी की सहायता आस्ट्रेलिया से ३१६४९ करोड़ रुपये के तहत से तथा ६०६ करोड़ रुपये अमेरिका से तथा २०४ करोड़ रुपये की सहायता फ्रान्स से ३१ दिवस-सन् १९६३ तक प्राप्त हुई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

[First Five Year Plan]

[प्रथम योजना के प्रारम्भ में अथ व्यवस्था का स्वरूप, भारत में नियोजन का प्रकार, प्रजातान्त्रिक नियोजन की सफलता योजना के उद्देश्य एवं प्राथमिकताएं, योजना का व्यय भ्रय प्रबंधन, हीनार्थ प्रबंधन योजना के लक्ष्य एवं प्रगति—कृषि सामुदायिक विकास योजनाएँ औद्योगिक प्रगति, यातायात एवं संचार, समाज सेवाएँ उपभोग एवं विनियोजन, ग्रामीण विकास की योजना योजना की जराफलताएँ]

प्रथम योजना के प्रारम्भ में अथ व्यवस्था का स्वरूप

यह स्पष्ट है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में नियोजन की आवश्यकता अत्यधिक होती है। उत्पादन के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा उनमें वृद्धि करने के लिए योजनाबद्ध एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी है। विभिन्न दायवार्ष्टियों में पारस्परिक सामञ्जस्य के अभाव में राष्ट्र का चतुर्मुखी आर्थिक विकास सम्भव नहीं होता। केवल नियोजित अथ व्यवस्था द्वारा ही राष्ट्र के समस्त साधनों तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत करके विकास की ओर अग्रसर होना सम्भव है। राष्ट्र की दीर्घ तथा अल्पकालीन समस्याओं के आधार पर प्रयासों का निश्चिन करने पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति ही सकती है। सन् १९४७ में भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के उपरान्त देश की आर्थिक समस्याओं का निवारण करने की दिशा में विचार किया गया। राष्ट्रीय सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को निश्चित करने के पूर्व निम्न निम्नित अथ व्यवस्था के तत्कालीन स्वरूप के तत्वा पर ध्यान विनोदस्वेण कर्तित करना आवश्यक था—

(१) ब्रिटिश राज्य में देश की अथ व्यवस्था—अधोजी सरकार द्वारा भारत की अथ व्यवस्था को इस प्रकार समन्वित किया गया था कि इससे ब्रिटेन के व्यापार को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। भारत का एक कृषिप्रधान, विनोदकर कच्चा माल उत्पादक देश बना लिया गया था तथा कृषि की भी एक अतिविकसित व्यवसाय की स्थिति हो गयी थी। अजर एवं छिन्न भिन्न राष्ट्रों में साक्षात्ता की युगता की पूर्ति हेतु भी

बाईं ओर प्रयत्न नहीं किए गए थे। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय व्यर्थ-व्यवस्था के मुख्य लगण निम्न प्रकार थे—

(१) व्यापक अल्पविक्रय वितरण।

(२) व्यापक अल्पविक्रय वितरण को बन्दूकों तथा बन्दूक धारुओं, जैसे सामान से जोड़ी एकरित करने के लिए उपयोग किया जाता था। इनके साथ जिसकी व्यापक प्रत्यक्ष थी अपनी वस्तु उत्पादन श्रियाओं में विनियोजित करने के स्थान पर विनियोजित की विदेशी सामग्री तथा अल्प मूल्यवस्तुओं का विदेशी व्यापक करता था। इस प्रकार राष्ट्रीय वस्तु राष्ट्रीय आर्थिक विकास हेतु उपयोग में नहीं लायी जा सकी थी।

(३) इंग्लैंड को औद्योगिक शक्ति के पश्चात् भारत को शक्ति द्वारा निर्मित बस्तुओं का विदेशी-मूल्य भाग देना दिया गया और भारत ने अपने भाग तथा खाद्यान्नों का निर्यात किया जाना था। इस प्रकार भारत को शक्ति की वृद्धिप्रधान पृष्ठभूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। भारत के लिये इस प्रकार सर्वथा नष्ट हो गये।

(४) भारतीय वृद्धि का जो विकास भी भारत अस्वीकार नहीं किया गया। भारतीय वृद्धि का पूर्ण जो 'सूखता, मन्दे उपकरणों का अभाव, नमि-सम्बन्धी अभाव विज्ञान, अधिक ज्ञान भूमि पर जनसंख्या का निरन्तर अभाव हुआ भारत वृद्धि की मान्यता पर निम्नता और सिद्धांत के साधनों की अभाव कमी भूमि का छोटे-छोटे अभावपूर्ण दुबलों में विभाजन आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वृद्धि की गति तथा उत्पादन दोनों इतने कम ही गये थे कि उनके द्वारा वृद्धि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का भरण पोषण भी नष्ट हो गया। गरीबी गरीबी के लिए कोई सुविधाएँ भारत में हान के कारण उत्पादन में निरन्तर कमी होनी लगी थी।

(५) ब्रिटिश शासन ने भारतीय सम्पत्ति को यदि पक्षान्ति में कोई कमी नहीं रखी। जनसमुदाय के जोड़न-भ्रष्ट से वृद्धि करने के लिए उचित शिष्टा सुशिक्षितों, क्षति तथा पिछड़ी जातियों का विकास अथवा श्रम शक्तिकारी योजनाओं आदि को अर्थ काई कार्यवाही नहीं की गयी। जनसमुदाय में परिधम और शिष्टपक्ष शारीरिक परिश्रम के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी गयी। शिष्टा द्वारा कार्यवाहियों के लिए बाईं उत्पादन किए गये तथा वैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रशिक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

इस प्रकार भारतीय आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन कर दिए गए कि ब्रिटन के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन को उच्चतम सीमा तक पहुँचाने में पूरक का कार्य करें। इस समस्त व्यवस्था में परिवर्तन तथा सुधार करने के लिए सम्पूर्ण भारत को एक इकाई मानकर योजनावद्ध कार्यक्रम का अनुशासन करना आवश्यक था।

(६) विभाजन का प्रभाव—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ देश का विभाजन भी हो गया जिससे भारत की आर्थिक समस्याएँ और भी गम्भीर हो गयीं। भारत का १९२०-००० बंगाल क्षेत्र तथा ३० करोड़ जनसंख्या और पाकिस्तान को

३,६१ ००० बगमील क्षेत्र तथा ८ करोड़ जनसंख्या प्राप्त हुई। इस प्रकार भारत को २७६ व्यक्ति प्रति बगमील तथा पाकिस्तान को २२२ व्यक्ति प्रति बगमील के हिसाब से प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की कृषि योग्य भूमि अधिक उपजाऊ थी जिसके ४५% भाग में सिंचाई का साधन उपलब्ध थे। इसके विपरीत भारत में कृषि योग्य भूमि को केवल २४.५ भाग में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध थे। उसने पल स्वरूप भारत का व्याघ्रात्मा तथा कच्चे माल की खूनी की कठिनाई का सामना करना पड़ा।

विभाजन के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में भारत को सम्पूर्ण और भी अधिक कठिनाइयाँ आईं। अधिकतर वृहद् उद्योग भारत को मिल परन्तु कच्चे माल के उत्पादन के क्षेत्र पाकिस्तान में चल गये। सन् १९४४ की मूखनाओं के आधार पर अविभाजित भारत की ६०.४% औद्योगिक इकाइयाँ जिनमें समस्त कर्मचारियों का ६३.५% भाग काम करता था भारत को मिले। पूरा उन कागज आदि कच्चे माल की प्राप्ति में बड़ी कठिनाइयाँ हुईं जबकि सेल का सामान चीठ काष्ठ का सामान, रोजिन आदि उद्योगों का कच्चा माल भारत में उत्पादित होता था। इनके उत्पाद पाकिस्तान का मिल। सूती वस्त्र उद्योग की ३६४ मिस्र में से ३८० भारत में आधी परन्तु ४०% कपास उत्पादन करने वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया।

विभागीय आधार का क्षेत्र में विभाजन के पश्चात् भारत के निर्यात में बड़ी और आयात में वृद्धि हो गयी क्योंकि व्याघ्रात्मा तथा मशाना आदि का अधिक आयात किया जान लगा जबकि निर्यात योग्य वस्तुओं जैसे लूट निर्मित वस्तुएँ कपड़ा कच्चा माल आदि का उत्पादन कम हुआ जिनके कारण इनका निर्यात कम हुआ।

विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में विस्थापित भारत आय। इन विस्थापितों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास का आयाज करना भारत सरकार को अत्यावश्यक हो गया था। इस प्रकार विभाजन द्वारा भारत की अर्थ-व्यवस्था को बड़ी क्षति पहुँची और इस क्षति का पूरि करने के लिए योजना बद्ध प्रयास की आवश्यकता स्वाभाविक थी।

(३) स्वतंत्रता के पश्चात् जनता की भावनाएँ—सन् १९४७ तक भारत की समस्त मानवीय शक्तियाँ स्वतंत्रता प्राप्ति में लगी हुई थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जनसमुदाय में नवीन सुखमय जीवन की आशा का तीव्रता ग्रहण कर ली। इस समय नवीन राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई जिसमें प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के पुनर्निर्माण तथा सुखमय जीवन बनाने के कामकाज में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। जनसाधारण को राष्ट्रीय सरकार से आशा थी कि वह देश का पुनर्गठन इस प्रकार करेगी कि उनकी आर्थिक तथा सामाजिक सम्पत्तियों का स्थान पूरा हो जायगा। इन विचारधाराओं की पूर्णभूमि में भारतीय मंत्रिपरिषद् ने 'निर्देश सिद्धान्त' (Directive Principles of State Policy) द्वारा देश का भाव आर्थिक तथा सामाजिक

जीवन की व्यवस्था निर्दिष्ट की गयी। इन आधारभूत सिद्धान्तों द्वारा निम्न मुद्दियों का आयोजन किया गया—

- (१) जीवन स्तर तथा भोजन में वृद्धि,
- (२) जनसाधारण के कर्म करन, शिक्षा प्राप्त करन तथा सामाजिक बीमा (Social Insurance) के अधिकार को मायता
- (३) महत्वपूर्ण भौतिक साधनों के अधिकार तथा नियन्त्रण में परिवर्तन जिससे सामान्य दिन हो,
- (४) समस्त श्रमिकों का परिपूर्ण जीवन (Fuller Life) का सम्पूर्ण अधिकार (Universal Right),
- (५) वृत्ति तथा पशु लघु-व्यवस्था या नवीनीकरण तथा घृष्ट दलों की उत्पत्ति।

राष्ट्रीय सरकार को इन आयोजनों की पूर्ति हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम की व्यवस्था करना आवश्यक था इसीलिए मार्च सन् १९५० में योजना आयोग की स्थापना की गयी जिसने अपने कार्यक्रमों की तीन मुख्य भागों में विभाजित किया—

- (अ) द्वितीय महायुद्ध तथा विभाजनोपरान्त की समस्याओं का निवारण तथा अनिश्चित व्यवस्था का निरन्तीकरण,
- (आ) दीर्घकालीन आर्थिक समुपजन का निवारण,
- (इ) राजकीय नीतियों के आधारभूत सिद्धान्तों द्वारा निर्दिष्ट जायानों की पूर्ति हेतु आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण।

(४) द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् मूल्यों में वृद्धि—द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् देश में मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी। चाक मूल्यों में ४३ गुनी वृद्धि आ गयी थी। इस प्रकार श्रमिकों के रहन-सहन के लागत सूचक अथ (Cost of Living Index) में देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ३ से ४ गुनी वृद्धि हुई। मुद्रा-स्वीयि के बढ़ाव को कम करने के लिए योजनाबद्ध लघु-व्यवस्था अथवा आरक्षण था।

इस प्रकार बढ़ते हुए मूल्यों, कच्चे माल की कमी उपभोक्ता-वस्तुओं वितरण साधनों की कमी वित्यापितों के पुनर्वास की समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम निर्दिष्ट किये गये। उपर्युक्त अल्पकालीन समस्याओं के अतिरिक्त कुछ दीर्घकालीन समस्याओं के हल को भी दृष्टिगत करना आवश्यक था। इन समस्याओं का योजना आयोग ने इस प्रकार विनियोजन किया—

- (१) बढ़ती हुई जनसंख्या जिसकी वृद्धि की गति सन् १९५१-५१ तक ११% थी और सन् १९४१-५१ के मध्य १४.२% हो गयी थी।
- (२) इसी काल में व्यावसायिक टांचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। सन् १९११ में लगभग ७१% जनसंख्या और सन् १९४५ में (राष्ट्रीय जनसंख्या के अनुमानानुसार) ६८.६% जनसंख्या वृत्ति में लगी हुई थी। इसमें से भी

व्यक्तियों की बड़ी मात्रा को नए के अल्प समय में काय मिलता था। कृषि पर ऐ जन-संख्या के भार को कम करने तथा बाय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की आवश्यकता थी।

(३) सन् १९११ में ब्रिटिश भारत में प्रति व्यक्ति घोया जाने वाला क्षेत्र ०.८८ एकड़ था, जो सन् १९४१-४२ में ०.७२ एकड़ रह गया। विभाजन के पश्चात् सन् १९४८ में प्रति व्यक्ति घोया जाने वाला क्षेत्र केवल ०.७१ एकड़ ही था। कृषि उत्पात्ति की 'पूतता का निवारण करने के लिए कृषि के क्षेत्र को बढान की अत्यधिक आवश्यकता थी।

(४) औद्योगिक क्षेत्र में सन् १९२२ में नरक्षण की नीति का अनुसरण करने के फलस्वरूप कुछ उद्योगों का गीघ्न विकास हुआ उदाहरणार्थ सोहा और इत्यान, सीमट तथा शम्बर। द्वितीय महायुद्ध में औद्योगिक क्षेत्र का और भी विकास हुआ। इतना होत हुए भी संगठित औद्योगिक क्षेत्र में केवल २४ लाख श्रमिक ही काय करत थे। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके ही कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम का लाभप्रद रोजगार दिया जा सकता था तथा जनसाधारण के जीवन स्तर में वृद्धि सम्भव था।

(५) राष्ट्रीय आय के तुलनात्मक साध्य उपलब्ध नहीं थे। सन् १९४८-४९ के अनुमानानुसार प्रति व्यक्ति आय २५५ र० थी। मूल्यों की वृद्धि की दृष्टिगत करत हुए इस आय का वास्तविक मूल्य गत वर्षों के अनुमानों से किसी प्रकार अधिक नहीं कहा जा सकता था। उत्पादन तथा उपभोग का पूत स्तर दीयकालीन रहने के कारण वचत का मात्रा अत्यन्त 'पूत थी।^१

उपयुक्त दीयकालीन प्रवृत्तियों से स्पष्ट है कि वेग में निधरता तथा बेरोजगारी भूख और बामारी का साम्राज्य था और इसका निवारण नियोजित व्यवस्था द्वारा ही सम्भव था। विकास की गति प्रदान करने हेतु देग के साधनों का पूणनम तथा कायगील उपयाग किया जाना आवश्यक था।

भारत में नियोजन का प्रकार

भारत में नियोजन को एक नवीन रूप प्रदान किया गया है। नियोजन का कायक्रम तथा उसका क्रियाविध करने की विधि प्रत्येक राष्ट्र की मनोवधानिक, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा प्रबन्ध सम्बन्धी परिस्थितियों के आधार पर ही निर्दिष्ट की जाती है। जिस प्रकार भयानक परिस्थितियों जैसे युद्धादि में राष्ट्र के समस्त साधनों कायवीय तथा औतिक को एकमात्र उद्देश्य की प्राप्ति में ही लगा दिया जाता है, तथा राष्ट्रीय नीति के प्रति समस्त राष्ट्र में एकता का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार शान्ति के वातावरण में एकता की भावना द्वारा नियोजन को

सफन बनाने में सहायता निश्चयी है। साधारण जनता में नियोजन के ग्वनामक न्देश्यों के प्रति तत्परता उत्पन्न करना अत्यन्त आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा ही प्राथमिकी का विकास अधिकतम ढंग से सिध्द किया जा सकता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना समस्त भारत का एक इन्टीग्रेटेड नेशनल, नान्तीय उप-ध्वस्य का योजनाबद्ध विकास करने का प्रथम प्रयास था। योजना आयोग का सरकार की नीतियों के आधारभूत निष्ठाओं तथा उद्योगीय आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर योजना का प्रकार निर्दिष्ट करना था। नान्तीय नियामन द्वारा राष्ट्र के मौलिक साधनों का विकास बनाने का ही प्रयास नहीं किया गया है प्रसूत मानवीय जीवन का दृष्टान्त विकास करना उसका मुख्य न्देश्य है। नियामन द्वारा ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया जिसमें योजना के आधारभूत उद्देश्यों की पूर्ति सफनमापूर्वक हो सके। नियोजन का मन्तव्य समन्वित तथा प्रभावशील प्रयासों की आवश्यकता होती है। नान्तीय अधिधान द्वारा यह का उद्देश्य है कि विश्व-सम्बन्धों में प्राथमिकी का विकास करे और इसलिए इन प्रयासों में राज्य का महत्वपूर्ण भाग लेना आवश्यक था। राज्य को इस प्रकार राष्ट्र के समस्त साधनों को अधिधान द्वारा नियामित प्रजातांत्रिक विधियों से योजना को नियामित करने हेतु प्रयास में जाना था।

प्रजातांत्रिक राष्ट्र में सरकार की योजना निर्माण योजनानुकूल परिधि निर्धारित करने तथा (उनके प्रभावशील मन्तव्य तथा नियामित करने की योजना जनता की सहायता तथा सहयोग पर निर्भर रहती है। साम्बन्धी राष्ट्रों में नियामन एक जनक अधिकार प्राप्त केन्द्रीय अधिकारों के रूप में होता है। ऐसी परिस्थिति में नियोजन के कार्यक्रम का संचालन तथा उन्हीं की प्रति योजना एवं मन्तव्य में हो जाती है परन्तु इस प्रकार की जनक अधिकारपूर्ण व्यवस्था में कतिपय कारणात्मक कारणों का जो मानव-जीवन के महत्वपूर्ण जग होने हैं सति पृथकी है तथा जन-साधारण का कठिनाइयों तथा आवश्यकियों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि जनक अधिकारपूर्ण (Totalitarian) व्यवस्था तथा प्रजातांत्रिक नियामन दोनों में जन-सन्तुष्टि की समानरूपता स्थापित करना पड़ता है परन्तु प्रजातांत्रिक विधि में यह न्याय नियामन के उद्देश्यों को विवेकपूर्ण रीति से स्वीकृत करने अथवा ऐच्छिक होता है। इस प्रकार प्रजातांत्रिक विधिया अधिक कठिन हैं तथा इनमें राज्य और जनता का उन्तर्दायित्व अधिक होता है परन्तु प्रजातांत्रिक विधियों द्वारा विकास-युक्त पर अग्रसर होने की प्रवृत्ति जाग्रत हो जाती है तथा इस हेतु किसी प्रकार के शबाव का उपयोग नहीं किया जाता।

भारतीय अधिधान में व्यक्तियुक्त आधारभूत स्वतन्त्रता तथा उन्तर्दाय के साधनों का अधिकार में रखने तथा उन्हें बेचने आदि की स्वतन्त्रता सामाजिक सुरक्षा तथा उन्तर्दाय के प्राप्ति का राज्य आदि के आयोजन है। इन मूल्यात्मक उन्तर्दाय के

आधार पर भारत में प्रजातान्त्रिक नियोजन को ही स्थान दिया गया है। मानवीय इतिहास में प्रजातान्त्रिक नियोजन इतने बृहद आकार में किसी देश में कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह एक नवीन प्रयोग है जिसकी सफलता अथवा असफलता विश्व के धनक राष्ट्रों का मांगदान करेगी। भारत में नियोजन की सफलता इस पुराने विचार कि नियोजन तथा प्रजातंत्र का सामंजस्य असम्भव है, का निरस्त कर देगी तथा समस्त विश्व का यह मान लना पड़ेगा कि नियोजन का बिना किसी हिंसक क्रान्ति तथा दबाव के एव जनसाधारण की आधारभूत स्वतंत्रता का प्रतिर्भाषण किया बिना ही सफल बनाया जा सकता है।

प्रजातान्त्रिक नियोजन की सफलता

प्रजातान्त्रिक नियोजन की सफलताय उच्चाधिकारियों का योग्य होना ही पर्याप्त नहीं अपितु उचित व्यवस्था का भी आवश्यकता होती है। केंद्रीय नियोजन संस्था असफल रहेगी सफलता हेतु प्रत्येक स्तर पर तथा अथ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के प्रदेश स्तर पर नियोजन अधिकारियों की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थानीय क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन होने चाहिए तथा प्रत्येक उद्योग में पृथक् नियोजन अधिकारी हूना चाहिए।

इस प्रजातान्त्रिक नियोजन के पूर्णरूपेण क्रियान्वित करने में समय लगना अनिवार्य है, इसका कठिन होना अनिवार्य है इनमें अनेक त्रुटियाँ होना तथा सहयोग की असफलता का सम्भव भी होना है।

प्रजातान्त्रिक प्रकार के नियोजन का संचालन तब तक सम्भव नहीं होना जब तक बुद्धिमानों की संख्या अधिक तथा पारस्परिक सहयोग की शक्ति अत्यधिक विकसित न हो। रूसिया को अपनी प्रारम्भिक योजनाओं में तान्त्रिक तथा गणतन्त्र दोनों का धना में योग्य तथा प्रतिष्ठित कमचारियों की वास्तविक युतता की कठिनाई का सामना करना पड़ा।^१

- 1 The achievement of this kind of Planning requires not only the right set of men at the top but also the right machinery. It cannot be achieved merely by establishing a Central Planning Organisation. It necessarily involves the existence of machinery for Planning at every level and in every compartment of the economy at each level. It means that there must be regional and local as well as national organisations for Planning that each industry must have its own Planning Machinery.

Inevitably this Democratic Planning will take time to bring into full operation and is bound to be difficult and to involve many mistakes and failures in co operation

(Contd.)

प्रो० टी० एन० रामास्वामी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट पर आलोचना करते हुए लिखा है ' प्रजातान्त्रिक नियोजन में यह मान लिया जाता है कि बुद्धि मत्तापूय (Enlightened) सोचदार विद्यमान है, बिनाम जनसाधारण को केवल इतना ही ज्ञान नहीं कि प्रतिदिन के जीवन में नियोजन का क्या महत्व है, प्रचुर यह भी ज्ञान होता है कि समस्त जनसमुदाय के जीवन-स्तर में उन्नति करने के लिए नियोजित व्यवस्था को आवश्यकता होती है जो अत्यन्त उचित तथा सन्तुलित हो तथा जो प्रत्यक्ष श्रेय तथा कारखानों पर छापी हुई हो और जिसके द्वारा प्रत्यक्ष नागरिक में सहयोग भावना जाग्रत की जाती हो। जनसाधारण में नियोजित अथ व्यवस्था के प्रति जागरूकता हम पर ही प्रजातान्त्रिक नियोजन सफल हो सकता है।'¹

इस प्रकार प्रजातान्त्रिक नियोजन के सफलताय जनसाधारण में योजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना अत्यन्त आवश्यक होता है। योजना आयोग ने उपरोक्त समस्त कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुए भी प्रजातान्त्रिक नियोजन का ही महत्व दिया क्योंकि भारत में परम्परागत जीवन में यही एकमात्र सफल विधि थी जिसके द्वारा आर्थिक विकास सम्भव था।

उपरोक्त विचारों के आधार पर प्रजातान्त्रिक नियोजन के सफलतापूर्वक आवश्यक शर्तों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(१) कुशल केन्द्रीय नियोजन मण्डल की स्थापना करना प्रजातान्त्रिक नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक है। इस नियोजन-मण्डल को एक आर, राज्य से सत्ता प्राप्त हो और दूसरी ओर, जन-सहयोग प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय राजनीतिक दाना इस प्रकार का हो कि सत्तान्त्रिक दल राष्ट्रीय नियोजन-मण्डल का आवश्यकतानुसार

¹ 'Planning of the democratic type is not possible except where the supply of intelligence is large and capacity for association highly developed. The Russians greatest difficulty in their earliest plans was the shortage of trained and competent people on both the technical and administrative side.

(Prof Cole Economics pp 284 286 287)

- 1 'Democratic Planning assumes the existence of an enlightened democracy where people are not only alive to the importance of Planning for their everyday life but also the creation of a highly complicated and delicately balanced planning machinery which will pervade every farm and factory infusing the spirit of co-operation on the part of each citizen in the difficult and strenuous crusade for higher standards of life for the entire community. It is only the existence of spirit of Planning among the bulk of people that can render a Democratic Planning successful.

T N Ramaswamy, *Economic Analysis of the Draft Plan*, p 10)

अधिकार दे सके और विरोधी दल इन शक्तिशाली न हो कि नियोजन के कार्यक्रमों में बाधाएं खड़ी कर सकें।

(२) कुशल केन्द्रीय नियोजन संयुक्त के साथ-साथ प्रजातांत्रिक नियोजन में कुशल क्षेत्रीय एवं स्थानीय अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है जिनमें प्रारम्भिकता (Initiative) का भाव हो और जो जन सहयोग प्राप्त कर सकें।

(३) प्रजातंत्र में जनसाधारण को राजनीतिक अधिक नतिव एवं साथ सम्बन्धी स्वतंत्रताएं दी जानी हैं। जनसमुदाय में बुद्धिमान लोगों का अभाव नहीं होना चाहिए। वह योजना सम्बन्धी नीतियों को समझ सकें, योजना के कार्यक्रमों के प्रति अपने कृत्यों का निभा सकें योजना की विनाशकारी आलोचना न करें तथा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें। इसने अतिरिक्त प्रजातांत्रिक नियोजन में सत्ताओं के विकेंद्रीयकरण का आयोजन किया जाता है। जनसाधारण में इतनी योग्यता होना आवश्यक है कि वे इन सत्ताओं का दुरुपयोग न कर सकें।

(४) राष्ट्रीय चरित्र के स्तर को ऊंचा होना भी आवश्यकता प्रजातांत्रिक नियोजन का सफलता के लिए होती है। सरकारी कर्मचारियों एवं क्षेत्रीय तथा स्थानीय निकायों के हाथ में नियोजन का संचालन करना होता है। इन लोगों की ईमानदारी, क्षमता, सेवा भावना, उत्तम परंपरायुक्तता आदि पर ही योजना के विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता निर्भर होती है।

भारत में बहुत से अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि भारत का गीर्वाण विकास केवल साम्यवादी नियोजन द्वारा सम्भव हो सकता था परन्तु भारत की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऐसे मौलिक तत्व निहित हैं कि साम्यवादी नियोजन भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता था। विम्वलित तत्वा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साम्यवादी नियोजन भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है—

(१) साम्यवादी नियोजन का संचालन साम्यवादी सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में सत्तारूढ़ दल अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साम्यवादी मिडान्तों से पूर्णतः सहमत नहीं है। इस दल का विश्वास है कि आर्थिक विकास हेतु कठोर साम्यवादी विधियों का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। इस दल का विश्वास है कि प्रजातांत्रिक विधियों द्वारा भी विकास की गति का तीव्र रखा जा सकता है।

(२) भारतीय समाज के ऐतिहासिक अवलोकन से प्रतीत होता है कि भारत में सदय-यत्नित स्वतंत्रताओं की विधि महत्व दिया गया है। जनसाधारण स्वभावतः आर्थिक सम्पन्नता की तुलना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है। एनी परिस्थिति में साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था के कठोर विकेंद्रीयकरण का अपना भारत में सम्भव नहीं होगा।

(३) भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर ब्रिटेन का प्रभाव १०० वर्षों से भी अधिक समय तक रहा है। अग्रज स्वभावतः प्रजातांत्रिक विधियों में

विद्यमान रखते हैं और ब्रिटेन में जनसाधारण को प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत इतनी अधिक सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं कि बठोर साम्यवादी नियमन की व्यवस्था की ओर भारतीय जनमनुदाय कम आकर्षित हुआ। भारतीय नेताओं पर अंग्रेजी सन्ध्या का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और ब्रिटेन की विकास विधियों का बहुत अधिक अनुकरण हमारे देश में किया गया है।

(४) भाग्यवास्तियों के जीवन में धन की विशेष स्थान प्राप्त है। प्रत्येक घर पर धार्मिक विचारधाराओं की छाप लगी रहती है। साम्यवाद के अन्तर्गत धन की जीवन का एक अल्पतम कम महत्त्व रखने वाला एक समझ जाना है। भाग्यवादी इसी कारण साम्यवाद की ओर कम आकर्षित होता है। साम्यवाद में नीतिशुद्धता का बालबाला हाता है और जिस देश में जनसाधारण के मन्त्रिण की नीतिशुद्धता आच्छादित कर लेता है, वहीं राष्ट्रों में साम्यवाद पनपना हुआ है। भारत में आध्यात्मवाद का नीतिशुद्धता के ऊपर प्राथमिकता प्राप्त होने के कारण साम्यवादी नियोजन को स्थान नहीं दिया जा सकता था।

(५) भारत को आर्थिक विकास हेतु विदेशी सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति कोई एक देश नहीं कर सकता था। भारत में साम्यवादी अर्थव्यवस्था के संचालन का अर्थ होता है कि विदेशी सहायता केवल साम्यवादी राष्ट्रों से ही मिल सकती थी। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करने हेतु राष्ट्र में प्रजातन्त्र की स्थापना करना आवश्यक था। प्रजातान्त्रिक नियोजन के लिए भारत का साम्यवादी एवं प्रजातान्त्रिक दोनों ही देशों से सहायता प्राप्त हो रही है।

प्रथम योजना के उद्देश्य

'भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य जनव्यवस्था के जीवन-स्तर में वृद्धि करना तथा अधिक परिवर्तनशील एवं समृद्ध जीवन के अवसर प्रदान करना है। नियोजन का ध्येय राष्ट्र के भौतिक एवं मानवीय साधनों का प्रभावशील उपयोग करना वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना तथा आय वृद्धि एवं अवसर की असमानता को कम करना है। अतः हमारा कार्यक्रम त्रिमुखी होना चाहिए जिससे उत्पादन में तुरन्त वृद्धि हो तथा असमानता में कमी हो। "दक्षिण प्रारम्भिक अवस्था में हमारे प्रयासों का मुनाष अधिक उत्पादन की ओर होना चाहिए क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में कोई उन्नति सम्भव नहीं होती है। फिर भी हमारे नियोजन द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि के अन्तर्गत ही आर्थिक क्रियाओं की प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए समाज के समस्त सदस्यों को पूर्ण रोजगार प्राप्त, योग्य तथा अन्य अवसरों से तुरन्त तथा पर्याप्त लाभ का आयोजन करने के लिए दस प्रारम्भिक पुनर्निर्माण करना होगा।"

उपयुक्त विवरण के आधार पर योजना के उद्देश्यों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

(१) मानवीय तथा भौतिक साधनों का अधिकतम कामगोत उपयोग जिससे वस्तुआ तथा सेवाआ के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि सम्भव हो सके तथा

(२) आय धन तथा अवसर की असमानता को कम करना ।

भारत में प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त कम होने के कारण जनसाधारण के जीवन-स्तर में सन्तोषजनक सुधार करना सम्भव नहीं था । प्रति व्यक्ति वार्षिक आय के दुगुना होने पर ही जीवन स्तर में अपेक्षित उन्नति की जा सकती थी । 'पूत बचत', 'पूत उपभाग' अविकसित साधन तथा वृद्धियां-मुक्त जनसंख्या की उपस्थिति में ५ वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना असम्भव था इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को विकास का प्रारम्भ ही समझना चाहिए । इस प्रकार की कई योजनाओं द्वारा सन् १९७० तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना किए जाने का अनुमान लगाया गया । प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा निम्नांकित विविध समस्याओं के निवारण हान की सम्भावना थी—

(१) तीन अत्यन्त गम्भीर समस्याओं— खाद्यान्न का 'पूतता, औद्योगिक कच्चे माल (कपास पटसन तिलहन तथा गन्ना) का अभाव तथा मुक्त स्त्रीनि की कारण हुई मूल्य वृद्धि का निवारण हाने की सम्भावना थी । द्वितीय महायुद्ध एवं विभाजन द्वारा उद्भूत इन समस्याओं का निवारण अत्यावश्यक था ।

(२) कुछ आधारभूत साधनों का विकास का प्रारम्भ करना जिससे अविद्यम राष्ट्रीय आय तथा जीवन स्तर में गौरी वृद्धि सम्भव हो सके ।

(३) बेरोजगारी को कम करना भी योजना का उद्देश्य कुछ समयावसान बाद लिया गया ।

योजना की प्राथमिकताएँ

योजना में कृषि को सबसे प्रथम प्राथमिकता प्रदान की गयी । तत्कालीन खाद्यान्नों की कमी की पूर्ति कृषि के उत्पादन, विप्रेषण खाद्यान्न तथा कच्चे माल में आराम निभरता प्राप्त करन तथा तत्कालीन जीवन स्तर को युद्ध के पूर्व के स्तर तक न जाने के लिए कृषि का प्राथमिकता दिया जाता स्वभाविक था । योजना के समस्त धन का ३२.२% भाग कृषि विज्ञान हेतु निर्धारित किया गया । कृषि के विकास के लिए सिंचाई तथा शक्ति के साधनों में पर्याप्त वृद्धि करने की कई नई पाटी-परियोजनाएँ योजना में सम्मिलित की गयीं । कृषि के स्वयंसेवक हेतु औद्योगिक विकास भी अत्यन्त आवश्यक था । औद्योगिक विकास द्वारा ही कृषि के नवामनन औद्योगिक उपकरण एवं रासायनिक खाद आदि उपलब्ध हो सकत थे । साथ ही कृषि क्षेत्र के अनिश्चित धन को लाभप्रद राजस्वर दिया जा सकता था । इससे अनिश्चित विकास में सुदृढ़ता लाने के लिए भा औद्योगिकरण आवश्यक हुआ है क्योंकि आय की वृद्धि से कृषि-वस्तुआ की अपेक्षा औद्योगिक वस्तुआ की माँग अधिक होती है ।

भारत में पूँजीगत वस्तुओं के उपयोगों का अत्यन्त अभाव था, अतएव यह निश्चित विश्वास था कि राजकीय क्षेत्र में उद्योगों पर ध्यान हटाने की राशि का ८०% भाग पूँजीगत तथा उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों में विनिर्वाजित किया जाय।

योजना का व्यय

योजना की प्रथमावधिक प्रवृत्ति के अनुसार तथा सरकार के बाहर के अर्थ-शास्त्रियों, व्यापारियों तथा जनसाधारण के विचार एवं आशाओं का प्राप्त करने हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना अथवा प्रथम ऋतु, मई १९५१ में दृष्टि के रूप में प्रकाशित की गयी। यह ऋतु योजना का भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में अनिवार्य कार्य-क्रमों की सम्मिलित किया गया था और इस भाग पर १,४६३ करोड़ २० लक्ष रुपये की अनुमान था। द्वितीय भाग में व कार्यक्रम सम्मिलित किए गये थे जिनका क्रिया-शीलता विदेशी सहायता के मिलने पर किया जाना था। इस भाग पर ३०० करोड़ २० लक्ष रुपये का अनुमान था। अन्त में योजना का अन्तिम रूप देने समय दोनों भागों का निरन्तर करके एकल रूप में समस्त कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इन प्रकार योजना का समस्त व्यय २,०६३ करोड़ ४० लक्ष रुपियाँ निर्धारित किया गया। कालान्तर में योजना के कुछ कार्यक्रमों में वृद्धि की गयी तथा कुछ में समाधारण किए गये। इसके साथ राजस्व के अभाव में वृद्धि हेतु भी आयाजन किए गए। इन समायोजनों के कारण योजना के व्यय की राशि २,५६६ करोड़ ४० लक्ष रुपियाँ की। विभिन्न मदों पर इस राशि का वितरण निम्न प्रकार किया गया था—

तालिका २० ५५—प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुमानित व्यय

मद	अनुमानित व्यय (करोड़ ४० में)	योग के प्रतिशत
कृषि एवं गानुवायिक विकास	२६१	१०.५
मिन्धाई एवं शक्ति	५६१	२१.१
साक्षात्कार एवं मन्थन	४२७	१६.०
उद्योग एवं खनिज	१७३	६.५
समाज-सेवाएँ	३४०	१३.५
पुनर्वास	६४	२.५
अन्य	५०	२.५
	योग २,०६३	१००%

आवश्यक समायोजन के बदलाव २,५६६ करोड़ ४० के व्यय का वितरण निम्न तालिकानुसार किया गया था।

तालिका सं० ५६—प्रथम पंचवर्षीय योजना का सशोधित व्यय

मद	अनुमानित व्यय (करोड़ रु० में)	योग से प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	२५७	१५.१
सिंचाई एवं शक्ति	६६१	२८.१
उद्योग एवं खनिज	१७६	७.६
मानायात एवं संचार	५५७	२३.६
समाज सेवाएँ	३६७	१६.८
पुनर्वास	१३६	३.८
अन्य	६६	५.०
	योग २ ३५६	१००.०

योजना का वास्तविक व्यय विभिन्न शीघ्रता के अन्तर्गत निम्न प्रकार हुआ—
तालिका सं० ५७—योजना का वास्तविक व्यय



मद	अनुमानित व्यय (करोड़ रु० में)	योग से प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	२६१	१४.८
सिंचाई एवं शक्ति	५७०	२६.१
उद्योग एवं खनिज	११७	६.०
मानायात एवं संचार	५२३	२३.७
समाज-सेवाएँ एवं अन्य	४५६	२३.४
	योग १ ९६०	१००.०

अथ प्रवचन

अथ माधना की समस्या के निवारण पर ही योजना का मंचालन तथा उसकी सफलता निर्भर रहती है। योजना में राजकीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों तथा उनके अधिभार की औद्योगिक इकाइयों का विकास-कार्यक्रम सम्मिलित किये गये थे। प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत अथ व्यवस्था का पैप समस्त भ्रम रखा गया था। नगरपालिका निगम स्थानीय संस्थाओं सहकार संस्थाओं तथा लघु व्यवसायों का निजी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। यद्यपि समस्त अर्थ-व्यवस्था का विकास की ओर अग्रसर करने तथा विकास-कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व राज्य का ही था परन्तु निजी प्रयासों एवं साहस को भी विकास-कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान देना था। राज्य का सरकारी क्षेत्र के लिए आवश्यक अथ प्रवचन करना तथा उसे सरकारी क्षेत्र में विनियोजन करना दोनों ही कार्य करने थे। अथ माधना का तीन मुख्य संपूर्ण म आग दा हुई तालिकानुसार विभाजित किया जा सकता है।

सन् १९५०-५१ में राजकीय बचत की राशि १४५ करोड़ रु० थी और इसी को आधार मानकर योजनाकाल में इन साधन के प्राप्त राशि का अनुमान ७३५ करोड़ रु० लगाया जा सकता था परन्तु सन् १९५०-५१ का पूर्णतः आधार नहीं

अर्थ-साधन



उपर्युक्त विभिन्न साधनों से निम्न प्रकार अर्थ प्राप्त होंगे जो अनुमान था—
तालिका सं० १८—प्रथम योजना के अर्थ-साधन

(करार १० में)

	केन्द्र	राज्य	सार
विकास-कार्यक्रमों पर योजना का व्यय	१०४१	८७८	१०१९
१ बजट के साधन			
(क) भारत के बचत	३१०	६०८	९१८
(ख) पूँजीगत प्राप्तियाँ (मुख्य से विदेशी गयी राशि के अतिरिक्त)	३६६	१०४	४७०
(ग) योजना-सम्बन्धी केन्द्रीय सहायता	—१०९	—१०९	—
योग बजट-साधनों से प्राप्ति	४६७	६०३	१०७०
२ विदेशी साधन जो प्राप्त हो चुके थे	१४०	—	१४०
कुल योग	६०७	६०३	१२१०
कमी (Gap)	४०४	२७५	६७९
सहायता	१२४१	८७८	१०१९

माना जा सकता था क्योंकि इस वर्ष कुछ असाधारण प्राप्तिवा हुई थी। इस वर्ष नियोजन-कार तथा आय-कार के अतिरिक्त से प्राप्तिवा असाधारण थी। इसके अतिरिक्त मुरली नन्दजी जय में भी वृद्धि करना आवश्यक था क्योंकि मुरली-सेवाओं में बढ़े पमानों पर प्रतिस्थापन करना आवश्यक था। इन्हीं कारणों से योजनाकारों में असाधारण बचत से प्राप्य साधनों का अनुमान ८३८ करोड़ रखा ही उमाना था। दूसरी धार, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की पूँजीगत प्राप्तिवा में महत्वपूर्ण सुधार होने का अनुमान था। सन् १९५०-५१ में करण सभ्य बचत बना विश्व बैंक से मन्त्र साधनों से ८७ करोड़ १० प्राप्त हुआ जिसमें से १६ करोड़ रकमा राजकीय व्यापार (State Trading) से असाधारण प्राप्ति थी। योजनाकारों में इन साधनों से १०० करोड़

६० प्राप्त होने का अनुमान था। इस प्रकार प्रति वर्ष ४३ करोड़ ₹० अधिक राशि प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया। सन् १९५०-५१ में केन्द्रीय सरकार को कुछ अतिरिक्त लाभ-कर, आय कर तथा अग्रेजता आदि का गोचन करना पड़ा। परिणाम-स्वरूप इस शीपक के अन्तगत सन् १९६०-६१ में शुद्ध प्राप्ति कम रही। साथ ही, जनता से प्राप्त ऋण में महत्वपूर्ण वृद्धि होने का अनुमान था।

योजना आयोग ने अथ साधनों की 'योजना का अनुमान ६५५ करोड़ ₹० लगाया था। इस 'योजना में स १९० करोड़ रुपये पौण्ड-पावना की अनुमानित प्राप्ति का विच्छेद हीनाथ प्रवर्धन द्वारा आयोजित किये जाने का अनुमान लगाया गया। राशि उतना ही रखी गयी जितनी योजनावधि में पौण्ड पावन से प्राप्त होने की आशा थी, जिसमें मुद्रा स्फाति के दाया का विस्तार न हो सके। इस प्रकार ३६५ करोड़ ₹० का कमी का अनुमान लगाया गया था परन्तु वास्तव में योजना का समस्त व्यय राशि में लगभग २८७ करोड़ ₹० की वृद्धि हुई तथा इस राशि के लिए भी प्रवर्धन करना आवश्यक था। इस प्रकार समस्त 'योजना की राशि ६६२ करोड़ ₹० हो गयी थी। इस 'योजना की पूर्ति हेतु आन्तरिक साधनों में वृद्धि हेतु निम्नांकित विधियों को अपनाया जा निश्चय किया गया—

(अ) स्वाध्यायों की पूर्ति में वृद्धि एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों द्वारा मानवीय शक्ति का पूरणम उपयोग किया जाना तथा अनुमान धर्म की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना।

(आ) विकास का मौद्रिक व्यय को कम करने के लिए पारिश्रमिक, वेतन की को अंशतः अल्पतः प्रमाण-युक्त आदि के रूप में दिया जाना।

(इ) वित्तीय व्यवस्था में संगठन सम्बन्धी ऐसे परिवर्तन किये जाना जिससे शासकीय अधिकारियों की अथ साधनों के उचित विनियोग एवं उपयोग का अधिकार हो।

(ई) नए क्षेत्र का विस्तार किया जाना तथा गणना में आवश्यक सुधार करके कर बचाने पर रोक लगायी जाना।

(उ) संप्रु बचत को आकर्षक बनाना।

(उ) अनिवाय नोमा तथा प्राविधिन निधि (Provident Fund) का विस्तार किया जाना।

ऐसा विश्वास था कि उपयुक्त वास्तविकता द्वारा अथ-साधनों में वृद्धि का साथ साथ, अविष्य के विकास के लिए अनिश्चित अथ-मन्त्र की विधि का प्रारम्भ हो सकेगा और अविष्य की योजनाओं में अधिकतम आन्तरिक आत्म-निर्भरता प्राप्त हो सकेगी।

पाँच वर्ष का वास्तविक अनुमानानुसार योजना के विकास-कार्यक्रमों पर १९६० करोड़ ₹० व्यय हुआ। यह राशि विभिन्न साधनों से निम्न प्रकार प्राप्त हुई—

तालिका नं० ५६—प्रथम योजना में अर्थ साधनों में प्राप्ति

आय का साधन	करोड़ रुपयों में
(अ) बजट के साधन	
(१) सरकारों का आय से बचत (रक्षा के अनुदान सहित)	७५०
(२) जनता से ऋण	२०५
(३) उच्च बचत तथा अन्य ऋण	२०६
(४) अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ	६१
	<hr/>
	१२२२
(भा) विदेशी सहायता	१८८
(द) हीनाय प्रबंधन द्वारा प्राप्त साधन	१२०
	<hr/>
	योग १६६०

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि योजना की समस्त अनुमानित निर्धारित राशि २,२५६ करोड़ रु० का ८-२% मात्र ही व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि सरकारों का आय से बचत तथा देशों से अनुदान में प्राप्त राशि में अनुमान से अधिक व्यय प्राप्त हुआ। इन दोनों साधनों से ३०८ करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान था जबकि वास्तविक प्राप्ति ३५२ करोड़ रु० थी। इसी प्रकार ऋण से ऋण तथा अन्य बचत के भी अनुमान से अधिक व्यय प्राप्त हुआ। अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे निधि, जमा आदि का अलग-अलग १३५ करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान था जबकि केवल ६१ करोड़ रु० ही प्राप्त हो सका। हीनाय प्रबंधन की राशि २६० करोड़ रु० निश्चय की गयी थी परन्तु उक्त साधनों की प्राप्ति अधिक नहीं होगी या नहीं। परिणामस्वरूप योजना की पूर्ति के लिए हीनाय प्रबंधन से राशि ५२० करोड़ रु० हुई। इस प्रकार यह कहना अनुचित न होगा कि अर्थ साधन सम्बन्धी योजना-साधनों के अनुमान देने मात्रा में त्रुटि ही थी, परन्तु वास्तविक अतिरिक्त अर्थ साधन योजना के समस्त व्यय की राशि में कमी रही। यदि एक सामुदायिक विनाश योजनाओं तथा देशों और विदेश के अलग-अलग उच्च आयों की पूर्ण नहीं किना जा सका तथा इनमें निर्धारित राशि से कम व्यय हुआ।

हीनाय प्रबंधन (Deficit Financing)

शासक प्रबंधन का शासन व्यवस्था से है जिसमें राष्ट्रीय बजट में आम आय एवं पूंजी स्रोतों में आय कम जोर व्यय अधिक बताया जाता है अर्थात् उक्त राज्य बजट के साधन से प्राप्त पूंजी एवं आम आय से अधिक व्यय करने के लिए बजट बनाया जाता है उक्त व्यवस्था को हीनाय प्रबंधन कहते हैं। सरकार की करों, राजकीय व्यवसायों अथवा से ऋण जमा तथा निधि एवं अन्य प्राप्तियाँ से होने वाली आय से जब सरकार अधिक व्यय करने का बजट बनाती है तो इस प्रयोग को सरकार

अपन संचित जेदा (Accumulated Balances) में से जय निकालकर अथवा देना कन्द्रीय बच में ऋण लेकर पूरा करता है। वधानिक संचित कोषों से दरया निकालने पर अथवा कन्द्रीय बच से रपया उधार लेने के लिए सरकार अपनी प्रतिभूतियाँ (Securities) बच को देती है और इन प्रतिभूतियाँ कबल बच से मुद्रा प्राप्त करती है। इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ के विरुद्ध जा मुद्रा वृद्धि की जाती है उस मुद्रा प्रसार कहते हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में हीनाय प्रवचन एव मुद्रा प्रसार द्वारा अय साधन प्राप्त करन का मायाजन लिया गया था क्वाकि राष्ट्र क बजट क माधन एव किणी साधन याजना क लिए आवश्यक अय साधन प्रदान नहीं कर सकत थे। याजना में हांनय प्रवचन का अधिकतम सामा २६० करोड २० रली गयी थी क्वाकि याजना काल में इनना राशि से पोण पावना प्राप्त (Release) हाने की सम्भावना था। २६० करोड ६० का पोण पावना प्राप्त हान से इननी राशि का आयात करक राष्ट्रीय बाजार। में वस्तुभा की अपूणता को राका जा सकना था। साथ ही बड़ी हूइ मुद्रा के विरुद्ध व वस्तुएँ प्रस्तुत हा मक्ती थी और इस प्रकार मुद्रा प्रसारजनित वस्तुभा की मूल्य वृद्धि का कोई किणैय अय नहीं रहना। इसा माधार पर याजनाकाल में हांनय प्रवचन की अधिकतम सामा २६० करोड रपया रली गयी थी।

घाटे के बजट द्वारा घाटे की राशि के बराबर जनसमुदाय की क्रय शक्ति में वृद्धि हा जाती है परन्तु भारत में क्रय शक्ति का वृद्धि का अधिकांश भाग प्राकीण क्षमा का जाता आता है क्वाकि महा जनसाधारण अपना आय का अधिकांश साधान क्रय पर खय करता है। जनसमुदाय का क्रय शक्ति में वृद्धि हान पर वृद्धि उत्पत्ति की मांग एव तदुसार मूर्यों में वृद्धि हो जाता है और इस प्रकार इन अनि रित्त क्रय शक्ति का बडा भाग प्राकीण क्षेत्र अर्थात् कृषि को जाता आना है। पोण्ड पावना की प्राप्ति का उपयोग अधिकतर पूजायन वस्तुभा के आयात के लिए किया जाना था क्वाकि उन्मोक्ता वस्तुभा की मांग बलन की सम्भावना थी। इस प्रकार २६० करोड ६० की सीमा होत हुए भी मूल्यों में वृद्धि हान की अधिक सम्भावना थी, इसीलिए सरकार द्वारा मुद्रा-स्वीणि के भार को कम करने के लिए मौद्रिक मददर आवश्यक उपयोग की वस्तुभा क मूर्य एव विनरग निवचन आनि कायवाहियों का उपयोग किया जाना भी आवश्यक था परन्तु इस प्रकार के प्रतिबंध जनसाधारण को कभी रचिकर नहीं होत हैं तथा नियोजन के प्रति दुर्भावना उत्पन्न होत की आगना की जा सकती है।

मूर्यों में वृद्धि हाने पर जनसमुदाय के उपनाय को सामिन करना पडता है। उन्मोक्ता-वस्तुभा की पूनि में वृद्धि नहीं होनी तथा जनसमुदाय का क्रय शक्ति में वृद्धि हा जानी है और इस प्रकार जनसाधारण को अपना उपभोग को मीमित करना पडता है। इस प्रकार मुद्रा प्रसार द्वारा विनगतापूण बचत होनी है। यद्यपि जन

समुदाय अपने उपभोग की कम नहीं करना चाहता, परन्तु बढ़ते हुए मूल्य उन्हें उपभोग कम करके लिए विवश कर देते हैं। इस प्रकार उपभोग में कमी होने में राज्य-साधनों का उपभोग विनियोजन में कर सकता है, परन्तु आवश्यक वस्तुओं के उपभोग में कमी होने से जनसाधारण के जीवन-स्तर में धीरे धीरे कमी हो सकता है इसलिए इन आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाद्यान्न, वस्त्र, चक्र, गुड़ आदि में मूल्यों एवं वितरण पर आवश्यक नियंत्रण रखकर ही हीनाथ प्रबंधन का उपभोग किया जा सकता है।

मुद्रा-स्फीति के भय से हीनाथ प्रबंधन की सीमा को कम रखना विकास के क्षेत्र में एक गम्भीर बाधा बन सकती है, परन्तु फिर भी घाट की अप-व्यवस्था (हीनाथ प्रबंधन) का तभी उपयोग होना चाहिए जब मजदूरी के अथवा साधनों से पर्याप्त अर्थ न प्राप्त हो सकता हो। भारत में अनियमित वृद्धि एवं एकत्रित किए हुए अथवा एक बहुमूल्य धातु की मरिचोक्त बना कर देश के आर्थिक साधनों में वृद्धि की जा सकती है, परन्तु इन दोनों के लिए बठार आवश्यकताओं की आवश्यकता होता है या सरकार तथा नियोजन के प्रति दुभावनाओं का कारण बन जाती है।

यात्राकाल में मूल्यों में कमी रही और योजना के अन्त में प्रारम्भ की तुलना में मूल्यों में १२% की कमी का अनुमान था। केरल योजना के अन्तिम वर्ष के भी मशीनों में मूल्यों में वृद्धि हुई। यद्यपि योजनाकाल में ४० करोड़ ₹० का हीनाथ-प्रबंधन हुआ, तथापि मूल्यों में कमी का होना कुछ वादप्रयोजक प्रतीत हो सकता है। हीनाथ प्रबंधन का मूल्यों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि आर्कस्मिक अनुकूल परिस्थितियों एवं जलवायु (Monsoon) के कारण कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। मौसमिक उत्पादन में भी यात्राकाल में मन्तोपजनक वृद्धि हुई। उत्पादन-वृद्धि द्वारा मुद्रा प्रसार का भार निरस्त कर दिया गया तथा उपभोक्ता-वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार योजना के प्रारम्भ में हीनाथ प्रबंधनजनित मुद्रा स्फीति का जो भय था, वह सर्वथा निमूल ही रहा। यद्यपि योजनाकाल में घाट की अप-व्यवस्था निश्चिन्त अधिकतम सीमा २५० करोड़ से भी अधिक हुई तथापि मूल्यों में इसके कारण वृद्धि नहीं हुई।

योजना के लक्ष्य एवं प्रगति

कृषि—प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम स्थान कृषि का प्रदान किया गया था। इस कारण योजना का मुख्यमूल्य एक आर्मीय विकास का वाक्य बन रहा जा सकता है। राजकीय क्षेत्र में व्यय होने वाली राशि का अधिकतम भाग कृषि एवं कृषक की कृति हेतु निवेश महत्व रखता है। सभाज-नवाज के अन्तर्गत विधायित्व राशि भी आर्मीय समाज के हित का विचार स्थान देती थी और इस व्यय का उद्देश्य भी कृषक की वायव्यता में वृद्धि करना तथा जनता उत्थान करना था। राजकीय क्षेत्र में समस्त व्यय का लगभग एक तिहाई भाग (३२.०%) अर्थात् ७२८ करोड़ ₹०

कृषि सामुदायिक विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर व्यय होना था। सिंचाई की बहुमुखी योजनाओं के कार्यक्रम दीर्घकालीन के और इन पर योजनाकाल में २६६ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता देने का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना था। सन् १९५१-५६ तक खाद्यान्नों में १५% वषात में ४२% पटसा में ६३% यन्त्रों में १३% और गिनहन में ८०% वृद्धि करनी लक्ष्य थी। इन प्रकार उत्पादन में निरन्तर तथा स्थायीरूपेण वृद्धि द्वारा ही कृषि विकास सम्भव था और कृषि विकास द्वारा २४६ करोड़ कृषकों के गतिहीन आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को गतिमान कर विकासोन्मुख किया जाना सम्भव था।

योजना के विनियोजन कार्यक्रम का अधिकतर भाग सिंचाई एवं बहुमुखी योजनाओं पर व्यय होगा था। १९० करोड़ रुपया उन विभाग सिंचाई एवं कृषि की योजनाओं पर जिनका निर्माण चल रहा था और ४० करोड़ रुपया नवीन योजनाओं पर व्यय किया जाना था। कृषि एवं सामुदायिक विकास शोधक के अन्तर्गत ७७ करोड़ रु० छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं जिनका निर्माण शीघ्र क्षेत्र द्वारा किया जाना था को आर्थिक सहायता के रूप में देने के लिए निर्धारित किया गया था। उपर्युक्त समस्त योजनाओं में फलस्वरूप २ करोड़ एकड़ सिंचित भूमि में वृद्धि अर्थात् सन् १९५०-५१ की सिंचित भूमि में ४०% वृद्धि होने की सम्भावना थी। इसी प्रकार कृषि के साधनों में ६०% अर्थात् १३ लाख किसानों को वृद्धि करनी का लक्ष्य था।

भूमि सुधार तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ३५ करोड़ रुपया आव्योजन था। इन व्यय द्वारा ७४ लाख एकड़ कसल बाड़े जान बाग क्षेत्र में वृद्धि करना था। इनके लिए पठनी भूमि का उपयोग करना ३४ लाख एकड़ भूमि पर सामूहिक कृषि करना ३० लाख एकड़ भूमि का वन आदि द्वारा सुधारण का भावो जन था।

इनके अनिश्चित कृषि एवं प्राथमिक हित के कार्यक्रम के अन्तर्गत ६० करोड़ रुपया सामुदायिक विकास योजनाओं में हेतु तथा अन्य लघु शक्तियों कृषि के अर्थ क्षेत्रों जैसे साह और बीज वितरण एवं भूमि सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं आदि के लिए निर्धारित की गयी थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार मेधाओं के लिए ६० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था, किन्तु वास्तविक व्यय केवल ५७ करोड़ रुपया हुआ। योजना में १,२०० राष्ट्रीय विस्तार मेधा मण्डलों की स्थापना करने का लक्ष्य था जिसमें से ७०० मण्डलों जिनमें ७०००० ग्राम तथा ४ करोड़ जन सहित होंगे इन पर सामुदायिक विकास मण्डलों का स्थापना के विकास का लक्ष्य रखा गया था। वास्तव में केवल ४०० सामुदायिक विकास मण्डलों की स्थापना हुई तथा राष्ट्रीय विस्तार मेधा मण्डलों की संख्या ८०० थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति निम्न तालिका से दार्शित है—

तालिका न० ६०—प्रथम योजना में कृषि के लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति

वर्ष	उत्पादन १९५०- ५१	लक्ष्य १९५५ ५६	वास्तविक उत्पादन १९५५-५६	उत्पादन की वृद्धि का प्रतिशत
खाद्यान्न (लाख टन)	५०८	६२६	६६६	३०.०
कपास (लाख गज)	२८८	४२३	२६४	३७.०
रूट (लाख गज)	३३१	५३६	४२३	२७.३
गन्ना (लाख टन)	५७१	६३०	६०	६.०
तिलहन (लाख टन)	५१६	५५७	५७	११.६
सम्बाहू (लाख टन)	७६१	—	२००	१६.०
बाज (लाख टन)	७७४	—	७८५	६.०
जानू (हजार टन)	१,६६०	—	१,७५६	१०.०
सिंचित भूमि (लाख एकर)	५१०	७०७	६५०	२७.६
विद्युत् शक्ति उत्पादन (लाख कि०घा०)	२३	२६	२१	६८.०

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। रूट और गन्ना के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का उत्पादन निश्चित लक्ष्य सीमा से कुछ ही कम रहा। तिलहन और खाद्यान्न का उत्पादन योजना के लक्ष्यों से भी अधिक रहा। योजनाकाल के पांच वर्षों की विवेचना यह भी कि इन वर्षों में अनुकूल मानसून रहने के कारण योजना के कार्यक्रमों की सफल बनाने में प्राकृतिक दृष्टि से कम बाधा उपस्थित हुई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सभी प्रकार की सहायी समितियों—कृषि, बहु-होषीय, छात्र, श्रम विभाग, उद्योग आदि के संगठन को स्थान दिया गया जिसके फलस्वरूप, प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी आर्थिक एवं अन्य कठिनाइयों को दूर किया जा सके। पहाड़ियों के उगठन द्वारा ग्रामीण निवासियों को ग्राम समुदाय के सामूहिक हित का उत्तर दायित्व सौंपा गया। योजना में कृषि की अन्य समस्याओं अर्थात् मृत्त-सिंचना खाद्यान्न वितरण पर नियंत्रण खान पान के स्वभाव में परिवर्तन तथा भूमि प्रबंधन में सुधार आदि की भी रचना किया गया। जमींदारी पद्धति को समाप्त करने का निश्चय किया गया जिससे कृषक को भूमि से प्राप्त फसल का पूर्णतम उपयोग करन का अवसर प्राप्त हो सके।

इसी प्रकार कृषि में बीजों एवं अन्य पशुओं की आवश्यकता को मापना भी गयी तथा पशुओं के विकास हेतु योजना में २२ करोड़ २० लाख आयोजन किया गया। इस व्यय द्वारा पशुओं की नस्ल में सुधार करने चारे में वृद्धि करने आदि के आयोजन किये गये। योजनाकाल में खाद्यान्न का निर्देगाव सन् १९५०-५१ में ६०.५ (सन् १९४९-५०=१००) से अगस्त १९५३ सन् १९५५-५६ में हो गया अर्थात्

कृषि उत्पादन में लगभग २७% की वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन का निर्माण ६५६ से बढ़कर ११६८ हो गया अर्थात् १६% की उत्पादन में वृद्धि हुई।

औद्योगिक प्रगति

प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के कार्यक्रम मिश्रित अथवा यवस्था पर आधारित थे। सम्पूर्ण औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों को लोक एवं अलोक क्षेत्र में विभाजित किया गया। लोक क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रमों में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की विनास योजनाएँ सम्मिलित की गयीं तथा अलोक क्षेत्र में 'यत्तिगत औद्योगिक प्रियाएँ' सम्मिलित की गयीं। योजना में ७६२ करोड़ रुपये औद्योगिक विकास हेतु निर्धारित किया गया। इनमें से १७६ करोड़ रुपये शासकीय औद्योगिक योजनाओं तथा शेष ६११ करोड़ २० यत्तिगत मण्डल एवं शासन द्वारा स्वीकृत उद्योगों पर व्यय करने का लक्ष्य था। अनियमित छोटे छोटे कारखानों तथा गृह उद्योगों के अंकुश उभलाने का कारण उनमें विनियोजित होने वाली राशि का ठीक ठीक अनुमान सम्भव नहीं था इसीलिए सधु एक गृह उद्योगों में निजा रूप से विनियोजित होने वाला राशि को निजी क्षेत्र की विनियोजन राशि में सम्मिलित नहीं किया गया था। योजना में केवल उच्च मण्डलित उद्योगों का सम्मिलित किया गया था जिनका विकास करना तथा शासकीय प्रोत्साहन प्राप्त करना वाञ्छनीय था।

लोक क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर व्यय होने वाली राशि १७६ करोड़ २० में से लगभग ८४ करोड़ ६० ऐसे शासकीय औद्योगिक कार्यक्रमों पर व्यय होना था, जिनका नाम प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व ही प्रारम्भ हो गया था अथवा जा निकट भविष्य में पूरा होना था। उदाहरणार्थ सिंदरी का रासायनिक खाद का कारखाना, चित्तूरजन का रेलवे इंजिन बनाने का कारखाना बंगलौर का यंत्र उपकरण बनाने का कारखाना आदि। लगभग १० करोड़ ६० राज्य सरकारों के अधीन उपक्रमों पर व्यय किया जाना था। इस क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे उद्योगों को ही सम्मिलित किया गया जो पूंजीगत एवं आधारभूत पदार्थों का उत्पादन करते हैं। शासकीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास के नवीन कार्यक्रमों की सर्वप्रमुख योजना सोडा तथा इस्पात का कारखाना स्थापित करना था जिनकी उत्पादन शक्ति ८ लाख टन सोडा तथा २३ लाख टन इस्पात होनी थी। यह अनुमान लगाया गया कि इस कारखाने पर ८० करोड़ ६० विनियोजित किया जायगा जिसमें से केवल ३० करोड़ ६० प्रथम योजना काल में व्यय करने का अनुमान था। १ करोड़ २० खनिज विकास तथा ६० करोड़ ६० ग्रामीण एवं सधु उद्योगों पर विनियोजित करने का लक्ष्य था।

योजना-आयोग ने ४२ उद्योगों का विस्तार करने का विस्तृत कार्यक्रम बनाया तथा इन उद्योगों का विकास अलोक क्षेत्रों को सौंपा गया। इन उद्योगों में यांत्रिक इंजिनियरिंग, वैद्युतिक इंजिनियरिंग धातु उद्योग, रासायनिक पदार्थ उद्योग, तरल ईंधन, शास्त्र उद्योग आदि सम्मिलित थे। अलोक क्षेत्र में विनियोजित होने वाली ६१२ करोड़

२० की राशि में से २३० करोड़ २० अर्थात् ३८% औद्योगिक इकाइयों के विस्तार में १४० करोड़ २० प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण पर २८ करोड़ २० स्थायी मन्वित्तों के ह्रास के लिए तथा ११० करोड़ २० चातुर्पूर्वों के लिए आवंटित होना था।

लोक क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में ६० करोड़ २० का विनियोजन हुआ जबकि वास्तविक व्यय ६४ करोड़ २० था। मिन्दुरी का उत्पादन ३ अर्ब ५० करोड़ टन हो गया जिसकी औद्योगिक उत्पादन क्षमता ६,४०,००० टन प्रयोज्यता सम्पन्न है। चित्तोजन के अन्तर्गत निर्माण बालीर का राष्ट्रीय टर्बाइन निर्माण परियोजना का प्राची-माही के टिब्र निर्माण परिमितित तथा ६०० टी०, ६०० टी०, उत्पादन का अनुमान निर्माण आदि ४ प्रकारों का पर्याप्त विकास हुआ। राज्य सरकार की योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण मँगू का उत्पादन इन्धन के उत्पादन के विस्तार का कार्यक्रम था। मध्य प्रदेश में अन्वयारी बागव तथा उत्तर प्रदेश का मिन्डुर ३५५ टैट्स उत्पादन की क्षमता है। नावजनित उद्योगों की प्राप्ति व आवक निम्नलिखित में लिए हुए है।

अलोक क्षेत्र के उद्योगों पर बाधनाकार में विनाश एवं विस्तार-कार्यक्रमों पर २३९ करोड़ २० के व्यय का कार्य था। वास्तविक विनियोजन की इतना ही हुआ। विभिन्न उद्योगों के प्लांट एवं मशीनरी के प्रतिस्थापन एवं आधुनिकीकरण पर २३० करोड़ २० व्यय का कार्य था जबकि वास्तविक व्यय केवल १०४ करोड़ २० हुआ। इस प्रकार निम्नो क्षेत्र के उद्योगों में नवों विनियोजन की सम्पूर्ण राशि २६३ करोड़ २० थी, जबकि तदर्थ ३२७ करोड़ २० का था।

तानिका सं० ६१—प्रथम योजना में नावजनित उद्योगों की प्राप्ति

उद्योग	उत्पादन की मात्रा	उत्पादों की प्रतिशत प्राप्ति
केन्द्रीय सरकार के अधीन		
१ लौह बर इन्धन कारखाने	निर्माणाधीन	—
२ हिन्दुस्तान गिपसार्ड	मात्र १६४०	६५
३ मिन्दुरी फटिलाइबस फक्ट्री	अर्ध० १६११	१००
४ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	अर्ध० १६५४	६
५ हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स	अर्ध० १६५५	१००
६ चित्तोजन सांख्यिक	नव० १६५०	१०६
७ इट्रीजन कोच फक्ट्री	अर्ध० १६५५	४०
८ इन्डियन टैलीफोन इन्फ्रस्ट्रक्चर	१६५६	१००
९ हिन्दुस्तान केमिस्ट्री	अर्ध० १६५४	११०
राज्य-सरकारों के अधीन		
१० मैंगू आयरन एंड स्टील वर्क्स (अ) इन्धन		३५
(ब) पिट कोयला (Pig Iron)		५०
११ नेपालिन्ड यूजप्रिन्ट मध्यप्रदेश	अर्ध० १६५४	१४

प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति निम्न प्रकार हुई—

तालिका सं० ६२—प्रथम योजना में औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य एवं पूर्ति^१

वस्तु	१९५०-५१ में उत्पादन	१९५५-५६ हेतु योजना लक्ष्य	१९५५-५६ में वास्तविक उत्पादन	वृद्धि का प्रतिशत
इस्पात के ब्लेके (लाख टन)	१४७	१६७	१७४	१८०
पिच लाहा (Pig Iron) (लाख टन)	१६०	२८७	१८०	१३७
सीमट (लाख टन)	२७०	४८०	४७०	७०८
अमोनियम सल्फेट (हजार टन)	४७०	४५६०	४०००	७५६५
रेनवे इजिन (इकाई)	३०	१७३०	१७६०	५८६७०
बूट निर्मित वस्तुएँ ^२ (हजार टन)	८३७०	१२१६०	१०७१०	२८०
मिल निर्मित अक्ष (१० लाख गज)	३७२००	४,७०००	५१०२०	३७२
साइक्लिन (हजार)	६६०	५३००	५१३०	४१८०

यातायात एवं संचार

योजना के इस शीर्षक के अन्तर्गत ४६७ करोड़ रु० की राशि व्यय हेतु निर्धारित की गयी थी जो बाद में बढ़कर ५५७ करोड़ रु० कर दी गयी परन्तु वास्तविक व्यय कमसे ५०३ करोड़ रुपये हुआ। लगभग ३४० मील लम्बी टूटी-फूटी रेलवे लाइनों (जो युद्धकाल में बंद कर दी गयी थी) को सुधारा गया, ३८० मील लम्बी नवीन लाइनों का निर्माण हुआ तथा ४६ मान की तपु पथ (Narrow Gauge) की लाइनों को मध्यम-पथ (Meter Gauge) में परिवर्तित किया गया। राष्ट्रीय मार्ग (National Highways) १२३ हजार मीटर (सन् १९५०-५१ से बढ़कर १९६ हजार मील) हो गये। इसी प्रकार ग्राम्याय मार्ग (कच्चे तथा पक्के) २४८५ हजार मीटर से बढ़कर ३१६७ हजार मील हो गये। योजना में जलयान उद्योग के लिए १५ करोड़ रु० तक की आधिक सहायता का आभोजन था। तटीय एवं विदेशी समुद्री यातायात की सुविधाओं का योजनाकाल में ६ लाख ग्राँस रजिस्टर्ड टनेज (Gross Registered Tonnage) तक वृद्धि करने का लक्ष्य था। सन् १९५५-५६ में वास्तविक सुविधाएँ ४८ लाख ग्राँस रजिस्टर्ड टनेज थी। योजना में आकाशवाणी व क्षेत्रों को तीन गुना करने का लक्ष्य था। तार एवं टेलीफोन सुविधाओं को बड़े-बड़े नगरों में

१ इस तालिका में आंकड़े माट्रिक टन में दिये गये हैं।

बढ़ाया गया तथा ग्रामीण क्षेत्र में नव टाक घर खोलने का आयोजन किया गया।

ममान-सेवाएँ

३४० करोड़ रुपये की नियमित राशि का इस मद में बजट १९६०-६१ में २०६७ करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया, परन्तु वास्तविक व्यय केवल ३८५ करोड़ १० हजार १६५० रु० में प्राथमिक पाठशाळाओं की संख्या २०६७ हजार की ओर १९५५-५६ में २८०० हजार हो गयी। इसी प्रकार प्राथमिक शाळाओं में छात्रों की संख्या १८६४ लाख से बढ़कर २४८२ लाख हो गयी जबकि यात्रा तथा अन्य २८८० लाख थे। ६ वर्ष से ११ वर्ष के बच्चों में शाळाओं में जान वाले १९५०-५१ में ४१% थे, जो १९५५-५६ में ५१% हो गए जबकि योजना का लक्ष्य ६०% था। योजनाबद्ध में तार्त्रिक प्रगतिशील की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। इसी नियमित तथा तार्त्रिक प्रगतिशील की संस्थाओं के स्नातकों की संख्या २,२०० से बढ़कर ३,७०० हो गयी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में ११२ हजार चिकित्सालय-गव्याएँ (Hospital Beds) १९५५-५६ में बढ़कर १३६ हजार हो गयीं तथा चिकित्सालयों की संख्या ८,६०० से बढ़कर ६,८०६ हो गयी।

राष्ट्रीय आय—प्रथम योजना का लक्ष्य योजनाकाल के अन्त तक राष्ट्रीय आय में १% वृद्धि करना था, अर्थात् १९५०-५१ की राष्ट्रीय आय ८,८५० करोड़ रुपये (सन् १९४८-४९ के मूल्यांकन के आधार पर) को बढ़ाकर १०,००० करोड़ १० करोड़ का लक्ष्य था। योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में १८% की वृद्धि हुई। दूसरे वर्षों में लक्ष्य-व्यवस्था का विकास नियोजित अनुमानों की तुलना में १३ गुना अधिक हुआ। दरमि योजनाकाल में राष्ट्रीय आय की वृद्धि सन्तुलित रूप की परन्तु वृद्धि की दर स्थिर नहीं थी। सन् १९५०-५३ तथा सन् १९५३-५४ में राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण अनुकूल जलवायु (Monsoon) रहा जा सकता है। अन्त के दो वर्षों, अर्थात् सन् १९५४-५५ तथा सन् १९५५-५६ में राष्ट्रीय आय की वृद्धि अत्यल्प थी। योजनाकाल में प्रति व्यक्ति आय में १०% की वृद्धि हुई।

उपनोद एवं विनियोजन

योजनाकाल में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गति तीव्र नहीं की जा सकी है क्योंकि राष्ट्र के साक्षर समिति से तथा राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग, अर्थात् ८०% उपनोद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खोटा दिया गया था जिससे जनता के जीवन-स्तर में पर्याप्त वृद्धि हो सके। सन् १९५०-५१ में ८,८५० करोड़ १० की राष्ट्रीय आय में से मात्र २०३ करोड़ १० पूँजी-निर्माण में तथा गैर ८३७ करोड़ १० निजी तथा सरकारी उपनोद पर व्यय किया गया। सन् १९५५-५६ में ६१३० करोड़ १० उपनोद के लिए तथा ८८० करोड़ १० की पूँजी-संचय के लिए उपनोद होने का अनुमान था। दूसरे वर्षों में योजनाकाल में

समस्त उपभाग में ८% का वृद्धि हुई, परन्तु निजी उपभोग की वृद्धि की दर इससे कम है। हागी क्योंकि योजनावधि में सरकारी विक्रय-व्यय दुगुना हो गया था।

अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का लगभग २०% भाग पूँजी संचय के लिए उपभोग हान की सम्भावना था तथा लगभग २०% ही निजी उपभोग हेतु प्राप्त न होने का अनुमान था। इस प्रकार निजी उपभोग में वृद्धि की दर ६% से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि योजनाकाल में जनगणना में भी वृद्धि का प्रतिगत भाग यथा मान लिया जाय तो उपभाग तथा सामान्य जीवन-स्तर में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। फिर भी लाघारों का उपयोग प्रति व्यक्ति प्रति दिन सन् १९५०-५१ में १२६ अंस था जो सन् १९५५-५६ में बढ़कर १५४ अंस हो गया। इसी प्रकार कपड़े का उपभोग जो ६७ गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से बढ़कर १६४ गज सन् १९५५-५६ में हो गया। औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन के उपभोग में भी पर्याप्त वृद्धि हुई।

योजना में राष्ट्रीय आय का ५% विनियोजन का बजट ७% का लक्ष्य था। पाँच वर्षों में ३५०० से ५६०० करोड़ रु० तक विनियोजन करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था। सरकारी क्षेत्र में योजनाकाल में लगभग १५६० करोड़ रु० तथा निजी क्षेत्र में १००० करोड़ रु० का विनियोजन हुआ। इस प्रकार योजना के समस्त विनियोजन की राशि ३५६० करोड़ रु० थी। समस्त विनियोजन में प्रासकीय एवं निजी क्षेत्र का अनुपात ८ : ६ था।

योजना के प्रथम दो वर्षों में विकास-यय कम रहा और तीसरे वर्ष से बढ़ना प्रारम्भ हुआ और अन्तिम दो वर्षों में यह यय सर्वाधिक था। यह समस्त योजना-यय का ३/५ भाग था। इसी प्रकार प्रासकीय क्षेत्र में विनियोजन का ५०% से भी अधिक भाग योजना के अन्तिम दो वर्षों में हुआ।

प्रथम योजना ग्रामीण विकास की योजना

प्रायः अर्थशास्त्रियों का विचार है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना एक ग्रामीण विकास की योजना थी और इस योजना में कृषि विकास को विशेष महत्व प्रदान किया गया था। योजना के कुल सरकारी क्षेत्र में यय २३५६ करोड़ रु० में से २४१ करोड़ रु० कृषि कार्यक्रमों पर ६० करोड़ रु० राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक विकास पर १६ करोड़ रु० ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय विकास पर ३५४ करोड़ रु० मिर्चाई पर और १७ करोड़ रु० बाढ़ नियंत्रण आदि पर यय होना था। इस प्रकार योजना के कुल सरकारी व्यय का लगभग ३/५ अंश ६५८ करोड़ रु० ग्रामीण विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित किया गया था।

यदि हम प्रथम योजना के वास्तविक व्यय का ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्र में विभाजन करें तो हम पाते होंगे कि उपयुक्त विचारधारा मापाररहित है। प्रथम योजनाकाल में २६१ करोड़ रु० कृषि एवं सामुदायिक विकास पर ३१० करोड़ रु०

सिंचाई पर तथा ४३ करोड़ ₹० ग्रामीण एवं तट्टु जलों के विकास पर व्यय हुआ। इन दोनों मदों को हम पूर्ण ग्रामीण विकास से सम्बन्धित मान सकते हैं। भारत २६० करोड़ ₹० धनि के विकास पर व्यय हुआ और योजना के अनुमान २५८८ करोड़ ₹० धनि के विकास पर व्यय हुआ। द्वितीय योजना के अनुमानों के अनुसार एक आम का विद्युत्तीकरण करने पर ६० से ३० हुआ ₹० व्यय हुआ है। इस अनुमान को व्यापार मानकर हम यह अनुमान कर सकते हैं कि ग्रामीण विद्युत्तीकरण पर लगभग ११ करोड़ ₹० प्रथम योजना में व्यय किया गया होगा। योजना में मातावास एक सप्ताह पर १०० करोड़ ₹० तथा समाज-सेवानों पर ४४६ करोड़ ₹० व्यय किया गया। इन दोनों मदों को व्यय विनी योजना की अनुमानित ने हम ग्रामीण एवं नागरिक उन्नति के अनुपात (८० : १०) में बाँट सकते हैं और यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में मातावास एक सप्ताह पर ४०६ करोड़ ₹० तथा समाज-सेवानों पर ३३० करोड़ ₹० व्यय अनुमानित किया जा सकता है। बड़े जलों एवं स्तम्भ पर व्यय की गयी जल सम्पूण नहरों के विकास से ही सम्बन्धित नहीं है। इस प्रकार योजना के कुल सरकारी क्षेत्र के व्यय में १४६४ करोड़ ₹० ग्रामीण क्षेत्र पर और ४६६ करोड़ ₹० नागरिक क्षेत्र पर व्यय किया गया। प्रति हम निजी क्षेत्र के व्यय ६,००० करोड़ ₹० का ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के व्यय के अनुपात में बाँटें तो निजी क्षेत्र में व्यय की गयी राशि में से १,४४ करोड़ ₹० ग्रामीण क्षेत्र पर और ४४० करोड़ ₹० नागरिक क्षेत्र पर व्यय होने का अनुमान लगाया जा सकता है। यह प्रकार प्रथम योजना में ० करोड़ ₹० ०१० करोड़ ग्रामीण जनसंख्या के विकास के लिए और ६४२ करोड़ ₹० ३३० करोड़ नागरिक जनसंख्या के विकास पर व्यय किया गया। इन आँकड़ों के व्यापार पर यह बात और है कि प्रथम योजना में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति विकास-व्यय ७२ ३० २० और नहरों में प्रति व्यक्ति विकास-व्यय १०० : ६० हुआ। इन विवरणों से यह स्पष्ट है कि प्रथम योजना में नहरों की जनसंख्या की आर्थिक उन्नति की दिशा में बहुत किया गया और यह होता कि प्रथम योजना ग्रामीण विकास की योजना थी, निरर्थक सिद्ध होता है।

यद्यपि योजना में नागरिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति विकास-व्यय अधिक था, परन्तु औद्योगिक विकास के पर्याप्त आयोजन नहीं किए गये। योजना के आन्वेषिक व्यय १६६० करोड़ ₹० का ३१% भाग ही व्यय हुआ। इस प्रकार योजना में औद्योगिक विकास का पर्याप्त आयोजन नहीं किया गया और औद्योगिक विकास का उत्साहजनक निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया, परन्तु निजी क्षेत्र को औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं एवं राशियों का आयोजन नहीं किया गया। योजना में ऐसी विचारों एवं धर्म की अधिक महत्व दिया गया जिसकी पूर्ति दोष योजना में होती थी और जिस

पर पूंजीगत विनियोजन अत्यधिक था। यह परिवर्तनार्थ योजनाकाल में पूंजी न हानि के कारण विकास की गति का तीव्र रसन में अधिक योगदान न दे सकी।

योजना की असफलताएँ

प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इसके साथ ही राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हुए। जनसाधारण में भी राष्ट्र के विकास के प्रति रुचि उत्पन्न हो गयी तथा योजना के प्रति जागरूकता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। योजना द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का 'यूनता' में भी पर्याप्त सुधार हो गया और अर्थ साधना में गतिशीलता भी उत्पन्न हो गयी। सामान्यतः योजना को एक सफल कार्यक्रम कहने में कोई वृद्धि नहीं होगी परन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों के विचार में योजना का निम्नलिखित दृष्टि बिन्दुओं से असफल कहा जा सकता है—

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना ऐसे वातावरण में बनायी गयी थी जिसमें उपभोग वस्तुओं और विपणन व्यवस्था की अत्यन्त कमी थी तथा अर्थ व्यवस्था पर घुट्टा एवं निर्माजनों के वर्चस्व की कठिनाइयों का दबाव अत्यधिक था। इन कठिनाइयों का समाधान करना राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य था। वही कारणों में प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्यतः पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास (Rehabilitation) का कार्यक्रम था जिसमें तत्कालीन 'यूनता' की पूर्णता पर पर्याप्त विनियोजन एवं संगठन सम्बन्धी प्रयासों द्वारा आयाजन किया गया था। योजना के अन्तर्गत इस कारण से कम रकम व्यय की। राष्ट्रीय आय में योजनाकाल में १३% वृद्धि हानि का अनुमान था जबकि वास्तविक वृद्धि लगभग १८% हुई। साधारण मिलने वाले इन्जिन मिल का बना कपड़ा आदि में उत्पादन अत्यन्त अधिक हुआ। अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई जो अर्थ के समग्र बराबर हो था। उत्पादन तथा आय में सम्भावना से अधिक वृद्धि का एकमात्र कारण योजना के विनियोजन कार्यक्रम एवं संगठन सम्बन्धी परिवर्तन हो गये थे इस वृद्धि का कुछ भाग साध्य के क्षेत्र के अन्तर्गत तथा योजनाकाल में अनुकूल मानसून की उपस्थिति के कारण हुआ था। इन दोनों तथ्यों का दृष्टिकोण करने हुए राष्ट्रीय आय की वृद्धि (योजना के कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप) १०% या १२% ही समझनी चाहिए। दूसरी ओर अर्थ-व्यवस्था में जो विकास योजनाकाल में हुआ वह दीपकालीन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस उपयुक्त का काफी भाग आर्थिक घटनाओं के घटित हानि अथवा घटिने न हानि पर निर्भर है।

(२) योजना बनाने समय अत्यन्त कम में अपूर्णता का वातावरण था और इसी वातावरण का प्रधान लक्षण मानकर योजना के कार्यक्रम एवं सभ्य निर्धारण किए गये। योजना में एम आयाजन नहीं किए गये जिनके द्वारा आर्थिक अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों का पूर्णतम उपयोग किया जा सके। उत्पादन का अनिश्चित वृद्धि को आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाना आवश्यक हानि है अथवा

उत्पादन की वृद्धि का उपयोग उपनाम में जबका उद्देश्य में हो जाता है। इन प्रकार अनुमान में अधिक उत्पादन-वृद्धि का उपयोग नियोजित विनिवेशन (Planned Investment) तथा व्यवस्था द्वारा आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में पूर्ण नहीं हुआ। आर्थिक उद्देश्य पदकों ने का विकास के अवसर प्रदान किये तथा पूर्ण उत्पादन नहीं किया गया। उप-व्यवस्था का नाम इस प्रकार का जाना चाहिए या किन्हीं अनुसूचन परिस्थितियों का स्वतंत्र विकास में उपनाम हो जाता जहाँ जहाँ-जहाँ-जहाँ-जहाँ का अधिकतम नाम पूर्ण विचार की जा आर्थिक हो जाता।

(२) योजना बनाते समय योजना आयोग ने प्रथम बीजगाड़ी की समस्या पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, यद्यपि उद्योग बीजगाड़ी एवं अन्य बीजगाड़ी के हवाब का काम करने के लिए व्यापारिक किया गया था परन्तु बाद में बीजगाड़ी का विकास करने के लिए १०० करोड़ १० का कार्यक्रम किया गया। योजनागत की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि राष्ट्रीय स्तर में वृद्धि के माप-माप बीजगाड़ी में ही वृद्धि हुई। विनिवेशन का वृद्धि के माप-माप बीजगाड़ी के कार्यक्रमों में पूर्ण वृद्धि नहीं हुई। योजना आयोग के अनुमानानुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ५६ लाख अर्ध बीजगाड़ी थे। यह अनुमान है कि योजनागत में ही उम्मीद में ११% प्रति वर्ष वृद्धि हुई और नामा इसकी ही वृद्धि अनु-वृद्धि में ही होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार योजनागत में लगभग ६० लाख अर्धों की वृद्धि हुई होगी जबकि योजना के अन्त में ५० लाख अर्ध बीजगाड़ी हुए का अनुमान है। यदि यह मान लिया जाय कि प्रथम योजना के प्रारम्भ में प्रथम बीजगाड़ी की समस्या नहीं के समनुस्य थी तो योजनाकाल में बीजगाड़ी के अवसरों में १५ लाख की वृद्धि हुई होगी। इन अनुमानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अन्त में वृद्धि की मात्रा के नामा लक्ष्य के समनुस्य ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में बीजगाड़ी के अवसरों में वृद्धि हुई। इस प्रकार बीजगाड़ी की समस्या का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा न ही सका।

(३) उद्योगों के विकास हेतु योजनाओं में अत्यन्त अल्प राशि निर्धारित की गयी थी। उद्योगों की उप-सम्पत्तियों के विकास की ही अधिक राशि दिया गया था। औद्योगिक क्षेत्र की अन्य समस्याओं जैसे अनुसूचित औद्योगिक विकास आन्दोलन का पूर्णतः उपयोग, शक्ति के विपत्ति की समस्याओं आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। योजनाकाल में ही बहुत से उद्योग अपनी उत्पादन-प्रकार के अन्त ६०% भाग का ही उपयोग करते रहे।

(४) आर्थिक क्षेत्र की उप-साधन सुदृढ़ करने के बाद माघ प्रायः उद्योगों की अर्थ करने में ही रुझाई हुई, इसलिए हम देखते हैं कि नाम क्षेत्र की समस्या निर्धारित राशि ०.२३ करोड़ १० में से केवल १.६६ करोड़ १० ही अर्ध-वृद्धि अर्थ हुआ। योजना के संचालन का नाम ऐसे आर्थिक नामों की योजना तथा जो

ब्रिटिश काल में शासन हेतु उपयुक्त था। विकास के कार्यक्रमों का संचालन ऐसे ढंगों द्वारा किये जान में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हो सकती थी। यवस्था में आवश्यक परिवर्तन नहीं हो सके जिससे इस यवस्था द्वारा प्रबंधन एवं साहस-सम्बन्धी कार्यों को भी सफलतापूर्वक संचालित किया जा सक।

उपयुक्त असफलताओं को काइ गम्भीर महत्व नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इन असफलताओं की तुलना में योजना का सफलता अत्यधिक सराहनीय है। योजना की सबसे प्रमुख सफलता यह है कि योजना द्वारा विकास का प्रारम्भ हो गया था तथा भविष्य में आने वाली योजनाओं के लिए एक माग निर्मित हो गया था।



[प्रारम्भिक उद्देश्य, योजना का व्यय एवं प्रायश्चित्त, अर्थ-प्रवण, योजना के नक्षत्र, कार्यक्रम एवं प्राप्ति, वृष्टि एवं सांख्यिक विकास, सिंचाई एवं शक्ति, औद्योगिक एवं खनिज विकास-कार्यक्रम ग्रामीण एवं लघु उद्योग, बाताजन एवं संचार, समाज-सेवाएँ; निवृत्त गृह-अवस्था, उपनांग राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, द्वितीय योजना की प्रसफलताएँ]

प्रारम्भिक

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल का समाप्ति के पूर्व ही द्वितीय योजना की नींवों एवं कार्यक्रमों पर विचार किया जाने लगा था। प्रथम योजना द्वारा देश की अर्थ-व्यवस्था में दूर-दूर समासोजन वाले उत्पादन में वृद्धि एवं विपन्नताओं को कम करने के उद्देश्यों की पूर्ति करने का नद्देश्य निर्धारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ननिष्ठ की योजनाओं को हट पृष्ठभूमि प्राप्त हो सके तथा इनकी व्यवस्था निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर की जा सके। द्वितीय योजना के कार्यक्रम निर्धारित करने के पूर्व यह निश्चय करना आवश्यक था कि देश में किस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण किया जाय। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सम्मोदायक विचार किया गया और राष्ट्र की सामूहिक एवं परम्परागत प्रवृत्तियों को दृष्टिगत करते हुए यह निर्णय किया गया कि समाजवाद का बढोर स्वरूप लागू के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसी पृष्ठभूमि में समाजवाद प्रकार के समाज (Socialistic Pattern of Society) को विचारधारा का प्राप्ति माना जाता है।

उद्देश्य

प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलताओं की पृष्ठभूमि पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनायी गयी। इस योजना का कार्यक्रम १ अप्रैल १९५६ को प्रारम्भ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा जो विकास हुआ उसे हट दना एवं नगरीय क्षेत्रों में तीव्रता लाने के लिए द्वितीय योजना के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। द्वितीय योजना के प्रारम्भ होने पर योजना-आयोग ने बताया कि प्रथम योजना द्वारा जो प्राप्ति की गयी सफलतापूर्वक काली गयी है तथा जिस पर अर्थ-व्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों का विकास तीव्रता के साथ द्वितीय योजना द्वारा किया जाएगा। प्रथम योजना

न जिस विकास की विधि का प्रारम्भ किया है, उस विधि की अगली अवस्थाओं की प्राप्ति द्वितीय योजना द्वारा हाँ सकेगी। द्वितीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न थे—

(१) देश में जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि,

(२) द्रुत गति से औद्योगीकरण करना जिसमें आधारभूत एवं सूत उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया

(३) राजगार का अथवा मजदूरी बढ़ाना तथा

(४) आय एवं सम्पत्ति की असमानता को कम करना तथा आर्थिक क्षमता का अधिक समान वितरण करना।

उपरोक्त समस्त उद्देश्य एक दूसरे में सम्बन्धित हैं क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं जीवन स्तर का उत्थान तब तक नहीं हो सकता जब तक उत्पादन एवं वित्तियोजना में पर्याप्त वृद्धि न हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामाजिक एवं आर्थिक आधार का निर्माण लोगों का शिक्षण एवं विकास इत्यादि कोयला यंत्र निर्माण, भारी रसायन आदि आधारभूत उद्योगों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। इन सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास करना व निम्न उपलब्ध जन शक्ति एवं प्राकृतिक साधनों का अधिकतम एवं लाभप्रद उपयोग होना चाहिए। भारत जगत् राष्ट्र में जहाँ जन शक्ति का अधिकतम है राजगार का अथवा मजदूरी बढ़ाना एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य होना स्वाभाविक है। दूसरी ओर आर्थिक विकास का साथ कुछ आधारभूत सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति भी होनी चाहिए। इस प्रकार आर्थिक विकास का साथ सामाजिक एवं आर्थिक विषयनाओं को लोकतन्त्रीय विधियों द्वारा कम करना आवश्यक है। आर्थिक उद्देश्यों को सामाजिक उद्देश्यों से पृथक् नहीं किया जा सकता है क्योंकि आर्थिक क्रियाएँ सामाजिक उद्देश्यों का पूर्णता का साधन होती हैं।

राष्ट्रीय आय—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में २५% वृद्धि करने का आयोजन किया गया, अर्थात् आय में प्रति वर्ष ५% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। यह वृद्धि की दर प्रथम पंचवर्षीय योजना से लगभग दुगुना है। प्रति व्यक्ति आय भी २७३ ६२० (सन् १९५५/६) से बढ़कर ३३० ६० (सन् १९६०/६१) होना का अनुमान है। इस प्रकार द्वितीय योजनाकाल में प्रति व्यक्ति आय में १८% वृद्धि होना की सम्भावना था जबकि प्रथम योजना में यह वृद्धि १०% थी। समस्त राष्ट्रीय उत्पादन १० ८०० करोड़ रु० (प्रचलित मूल्यो पर) से बढ़कर १३ ४०० करोड़ रु० योजना का अन्त तक होने का अनुमान था। इस राष्ट्रीय उत्पादन का लक्ष्य में ६,१७० करोड़ रु० वृत्ति में २ ६१० करोड़ रु० औद्योगिक क्षेत्र में तथा ४ ४०० करोड़ रु० व्यापार तथा अन्य तृतीय प्रकार (Tertiary) के व्यवसायों में उत्पादन होने की सम्भावना थी।

औद्योगीकरण—साद्य औद्योगीकरण का लिए द्वितीय योजना में वित्तियोजना

के प्रकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का समय था। न्यायों पर व्यय होने वाली राशि ८६१ करोड़ ₹० निर्धारित की गयी थी, जो प्रथम योजना की राशि १७६ करोड़ ₹० से लगभग पांच गुनी थी। प्रथम योजना के समस्त व्यय का ७% भाग उद्योगों पर व्यय होना था जबकि द्वितीय योजना में यह १६% रखा गया। दूसरी बार प्रथम योजना की ३% राशि कृषि एवं सिंचाई के लिए निर्धारित की गयी थी जबकि द्वितीय योजना में इस मद पर योजना का समस्त व्यय की २१% (१२३ करोड़ ₹०) राशि व्यय की जायेगी थी। इस प्रकार द्वितीय योजना में न्यायों के विकास का प्रत्यक्ष महत्व दिया गया था। रहन रहने का निम्नस्तर वसायों एवं अर्द्ध-वसायों तथा अधिवसन एवं औसत व्यतिगत आय में अधिक अन्तर रूढ़ि-विवक्षित प्रत्यक्ष-व्यय का परिचय देते हैं और अर्थ-व्यवस्था की कृषि पर निर्भरता को भी संकेत करते हैं। ऐसी अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के लिए 'ग्रीन रीवोल्यूशन' की आवश्यकता होती है। ग्रीन रीवोल्यूशन के लिए हमें जापान, अमेरिका एवं यूनानियों उद्योगों के विस्तार एवं विकास की आवश्यकता होती है अतः पुँजीगत वस्तुओं एवं मशीन निर्माण उद्योगों के विकास योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया।

रोजगार—योजना में ६० लाख व्यक्तियों का कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों तथा २० लाख का कृषि में रोजगार प्राप्त करने का आयोजन किया गया। योजना के कार्यक्रमों एवं विनियोजन के पंचसम्बन्ध खनिज कारखानों, निर्माण, स्थापना, यातायात एवं सेवाओं में श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होगी तथा नवीन श्रमिकों का कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते थे। इसके साथ ही कृषि तथा ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में अर्द्ध-रोजगार का निर्धारण किया जा सकेगा। इस प्रकार देश की व्यावसायिक शक्ति में कुछ सुधार होने की सम्भावना थी। योजनाकाल में प्राथमिक व्यावसायिक क्षेत्र से माध्यमिक तथा तृतीय व्यावसायिक क्षेत्रों में श्रम को ले जाना आवश्यक होगा। योजना में विद्यार्थी-सुरक्षा पत्रों में सुधार तथा कृषि सुधार हेतु पत्रों का प्रारंभिक प्रयास होगा। योजना में लगभग उनसे ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का प्रयत्न किया गया था जिससे योजनाकाल में नवीन श्रमिक शक्ति में वृद्धि का अनुमान था। इस प्रकार प्रथम योजना का अवशिष्ट बेरोजगारों जिनकी संख्या २६ लाख अनुमानित थी, का रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए जा सकते। योजना में निर्माण-कार्यक्रमों को विस्तृत करने का आयोजन था और निर्माण-सम्बन्धी कार्यक्रमों में रोजगार के अवसरों की आवश्यकतानुसार परिष्कृत किया जा सकते थे। निर्माण-कार्यक्रमों के रोजगार के अवसर अस्थायी होते हैं इसलिए इस बात का प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया जाना था कि निर्माण-कार्य से पृथक हुए श्रमिकों की अन्य निर्माण-कार्य में रोजगार प्रदान किया जा सके।

राजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करने की अधिक प्राथमिकता ही रखी थी किन्तु रोजगार में वृद्धि करने के लिए एक ओर, बीजार एवं उत्पादक सामग्री में ओर दूसरी ओर उपभोक्ता-वस्तुओं में पर्याप्त वृद्धि होना चाहिए। यदि अधिक विकास हेतु उत्पादक एवं पूंजागत वस्तुओं में उत्पादन की आवश्यक समझा जाय तो देश की जन शक्ति का लाभप्रद उपयोग करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे खाद्यान्न वस्त्र आकर निवास गृह आदि में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होना आवश्यक होता है। जब बेरोजगारों का लाभप्रद राजस्व दिया जाता है तो एक ओर उन्हें खाने मनीषों एवं अन्य उत्पादक वस्तुएँ चाहिए जिन पर वह खर्च करें तथा दूसरी ओर उनको जो काम हो उसमें वह जा उपभोक्ता वस्तुओं का खर्च करना चाहें उसकी पूर्ति होनी चाहिए। इस प्रकार उत्पादनक्षमता में वृद्धि करना राजस्व का मुख्य अंग हो जाता है। इसी कारण बेरोजगारों की समस्या उन्हीं देशों में निश्चित रूप धारण कर ली है जिनमें उत्पादनक्षमता कम होती है। यद्यपि भारत जैसे देश में, जहाँ जन शक्ति का बाहुल्य है अधिक श्रम का उपयोग करने वाली उत्पादन विधियों का प्राथमिकता मिलनी चाहिए, फिर भी कुछ क्षेत्रों में श्रम की वचन करने वाले उत्पादन के तरीकों का उपयोग करने में ही रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं।

विपक्षताओं में कमी—योजना में आय तथा धन के असमान वितरण को कम करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम निश्चित किये गये। योजना आयोग द्वारा करों के पट्टानों-यत्तिगत शुद्ध आय को अधिकतम सामान्य का निश्चित करना एक दमक बताया गया। आय कर में अधिक आय के स्तरों पर वृद्धि जायदाद कर में वृद्धि धन पर वार्षिक कर अधिक आय पर आय के आधार पर करारोपण आदि द्वारा अधिक असमानता कम करने की सिफारिश की गयी। भूमि मुधार में अधिकतर भूमि की सीमा जो एक व्यक्ति एवं परिवार रख सकता है निश्चित करने पर जोर दिया गया तथा नए एक शोषण उद्योगों के विकास द्वारा कम आयोपाजन करने वाले कृषकों की आय में वृद्धि करने का आयोजन किया गया।

सम्पत्ति के वितरण में असमानता कम करने के लिए एक विकेंद्रित समाज (Decentralized Society) की स्थापना का आयोजन किया गया। कार्य के प्रति फलस्वरूप प्राप्त पारिश्रमिक की असमानता लोगों की योग्यता शिक्षा प्रशिक्षण तथा कार्यक्षमता के कारण उद्भूत होती है। शिक्षा प्रशिक्षण आदि सम्पूर्ण धनापाजक क्षमताएँ धन द्वारा प्राप्त की जाती हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का योग्यता क्षमता एवं रुचि के अनुसार देने का मुद्दाव दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने की क्षमता को विवेकपूर्वक नहीं धिक्कना चाहिए। इस प्रकार समस्त जनमनुष्य को समान अवसर प्रदान करने का आयोजन करने के प्रयास किये गये।

अधिक विपक्षता को कम करने के लिए सहायकारी उत्पादन का विकास महा जना का विस्थापन, निष्प्रेषण लगान प्राप्त करने वालों का उद्भूत व्यक्तित्व एवं

वित्त पर नियंत्रण एक राजकीय क्षेत्र का विस्तार आदि अग्रगण्य महत्त्वपूर्ण साधन थे। इन सभी बातों के लिए द्वितीय योजना में विशेष प्रबंध किया गया। साथ ही, प्रादेशिक विपत्तियों का अन्त करन के लिए अनुसूचित विकास की धोर अधिक ध्यान दिया गया।

उपरोक्त उद्देश्यों के आधार पर ही योजनाकारों की वार्षिक नीतियां निर्धारित की जानी थीं। वार्षिक नीति द्वारा केवल अर्थ-साधनों की प्राप्ति ही नहीं की जाती, बल्कि उपभोग एवं विनियोजन का इस प्रकार भी निर्दिष्ट किया जाता है, ताकि योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। योजना में केवल विकास-कार्यक्रमों की सूची ही नहीं होती है बल्कि यह भी निर्धारित किया जाता है कि इन कार्यक्रमों का किस प्रकार कायम किया जाएगा। योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु का ऋणों का उपयोग किया जा सकता है। प्रथम रूप की वार्षिक प्रियाओं को वित्त (Fiscal) एवं वार्षिक (Monetary) नीतियों द्वारा पूर्णतः नियंत्रित कर दिया जाता है। द्वितीय विधि में आयात निर्यात नियंत्रण, उद्योग एवं व्यवसायों का अनुसूचित नियंत्रण, मूल्य-नियंत्रण तथा उत्पादन की मात्रा निर्धारित करना आदि द्वारा अर्थ-व्यवस्था के राजकीय क्षेत्रों का नियंत्रित किया जाता है। तदनुसार एवं वार्षिक नियंत्रणों द्वारा एक ऐसी विस्तृत योजना का जिसमें विनियोजन में अधिकतम कृति करन तथा प्रायनिकताओं के अनुसार विकास करन का आयाजन हो सिद्धांतित नहीं किया जा सकता है इसलिए दूसरी विधि का ही योजना-कारों ने अग्रिम महत्त्व दिया है। यद्यपि योजना आयोग ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण एवं राजस्व का असाधनमक उपयोग न करन के सम्बन्ध में प्रयास करने का आवाहन किया है परन्तु पूर्णतः मर्यादित कृति न होकर एक विनियोजन के साधनों का उपयोग के लिए उपयोग होन के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों एवं वितरण पर नियंत्रण लाये जा सकते थे। सरकार का मूल्यों का असाधनमक को रोकने के लिए दर दर मर्याद का आयाजन करना था। इसके साथ ही व्यापारिक वस्तुओं के मूल्यों में समायोजन का प्रयास भी करना था जिससे साहजिकों के उत्पादन का गम्भीर प्रभाव न पड़े। आयाजिक क्षेत्र में औद्योगिक वित्त निगम तथा औद्योगिक सहाय एवं विनियोजन निगम (Industrial Finance Corporation and Industrial Credit and Investment Corporation) अतिगुप्त क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) राजकीय उद्योगों का प्रवर्धन एवं विकास करेगा। राजकीय वित्त निगम (State Finance Corporation) एवं वार्षिक वस्तु उद्योग निगम उद्योग-उद्योग व्यवसायों को सहायता प्रदान करेंगे।

उपरोक्त उद्देश्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय योजना में प्रथम योजना के उद्देश्यों की पूर्ति में कुछ आयाजन अन्तर है। प्रथम योजना के

समय अथ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में युनता थी अनएव उत्पादन में वृद्धि को विशेष महत्व दिया गया था। यद्यपि विपमनाओं को कम करने के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाए गए किन्तु वे अपर्याप्त थे। द्वितीय योजना में उत्पादन में सर्वांगीण वृद्धि के साथ मात्र औद्योगीकरण और विशेषतः आधारभूत उद्योगों के विकास को भी आवश्यक समझा गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हो गया थी और अब औद्योगीकरण की ओर कदम उठाए जा सकते थे। औद्योगीकरण माध्यम एक सशक्त देश है। इस प्रकार रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए औद्योगीकरण एक साधन था। दूसरी ओर, देश की अथ-व्यवस्था का दृढ़ बनाने के लिए आधारभूत उद्योगों का विकास एक विस्तार अति आवश्यक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना राज-गार की समस्या के निवारण को प्राथमिकता देती है जबकि प्रथम योजना में इस ओर ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। प्रथम योजना में व्यावसायिक ऋणों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ परन्तु द्वितीय योजना में औद्योगिक विकास द्वारा व्यावसायिक ऋणों में परिवर्तन होने की अपेक्षा सम्भावना थी। द्वितीय योजना द्वारा एक नये समाज—समाजवादी प्रकार के समाज का निर्माण करना था।

योजना का अर्थ एवं प्राथमिकताएँ

योजना का अर्थ निश्चित करने के लिए सामान्य वित्तीय विचारधाराओं को आधार नहीं माना गया प्रत्युत प्रथम भौतिक लक्ष्य का निश्चित कर दिया गया तथा-चाहूँ इन लक्ष्यों के लिए साधन एकत्रित करने का विधिमा पर विचार किया गया। प्रायः योजना के उपलक्ष्य अथ तथा योजना द्वारा वांछनीय वित्तीय प्रस्तावों के अंकुश तयार कर ही योजना के भौतिक कार्यक्रम निश्चित किए जाते हैं दूसरे गणना में हम इसे वित्तीय नियोजन (Financial Planning) भी कह सकते हैं। जब योजना के कार्यक्रम वित्त को उपलब्ध पर निर्भर है तो उस वित्तीय नियोजन कहा जा सकता है। द्वितीय योजना में इसकी विपरीत रीति को अपनाया गया अर्थात् योजना के भौतिक लक्ष्य निश्चित करने के पश्चात् उनका पूर्ति के लिए अथ साधन की प्राप्ति के मा-दम पर विचार किया गया। इस प्रकार योजना बनाने में देश की आवश्यकताओं तथा जनसाधारण का इच्छाओं के अनुसार भौतिक लक्ष्य निश्चित कर लिए जाते हैं परन्तु अभी अभी ऐसे कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए राजनाकाल के अर्थ में अधिक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है और इन अर्थकाल में योजना के कार्यक्रमों में कोई परिवर्तन करने में समस्त योजना के विभिन्न विभाग हानि का भय रहता है। द्वितीय योजना में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में आर्थिक कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं। हमारे वित्तीय गुणों के साधन अत्यन्त कम हो गये तथा हानाय प्रबंधन अनुधान से अधिक करना पड़ा जिससे मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई परन्तु नियोजक सम्भवतः इन कठिनाइयों का योजना के पूर्व ही अनुमान कर चुके थे इसलिए योजना के कार्यक्रमों को लक्ष्यता

रखा गया था। योजना के तृतीय वर्ष में इसीलिए योजना के वित्तीय वर्षों का ४,८०० करोड़ ₹० से घटाकर ४,१०० करोड़ ₹० कर दिया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कुल लागत ३,२०० करोड़ ₹० थी जिसमें से ४,८०० करोड़ ₹० ग्रामसुकीय क्षेत्र में तथा २,४०० करोड़ ₹० व्यक्तिगत क्षेत्र में व्यय होना था। ४,८०० करोड़ ₹० की राशि मंत्र २,११६ करोड़ ₹० केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा १,६८० करोड़ ₹० राज्य सरकारों द्वारा व्यय किया जाना था। विभिन्न मदों पर व्यय एवं विनियोजन की राशियाँ निम्न प्रकार वितरित की गयीं—

तालिका ४० ६३—द्वितीय योजना में विभिन्न मद्रों पर विनियोजन
एवं चालू व्यय

(करोड़ रुपयों में)

मद	विनियोजन की राशि	चालू व्यय की राशि	योग
(१) कृषि एवं सामुदायिक विकास	३३८	२३०	५६८
(क) कृषि	१८१	१००	२८१
(ख) राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक विकास	१५७	१३०	२८७
(२) सिंचाई एवं शक्ति	८६३	१०	८७३
(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	४१६	०	४१६
(ख) शक्ति	४४७	१०	४५७
(३) वृहद् उद्योग एवं खनिज	७६०	१००	८६०
(क) वृहद् एवं मध्य-वर्ग के उद्योग	६७०	१०	६८०
(ख) ग्रामीण एवं लघु उद्योग	९२०	९०	१०१०
(४) यातायात एवं संचारवाहन	१,३३५	५०	१,३८५
(५) समाज-सेवाएँ	४५५	४६०	९१५
(६) अन्य	१६	८०	९६
	योग ३,८००	१,०००	४,८००

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के विनियोजन की राशि में वृद्धि के साथ-साथ व्यक्तिगत क्षेत्र के विनियोजन की राशि में भी वृद्धि कर दी गयी। योजना के उत्पादन एवं विकास के लक्ष्य निश्चित करते समय निजी क्षेत्र के विनियोजन के प्रभावों का भी दृष्टिगत किया गया। यह पाँच वर्षों की विनियोजन प्रवृत्तियों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में होने वाले ज्ञात विनियोजन के आधार पर निर्णी

क्षेत्र में विनियोग होने वाली राशि का अनुमान २४०० करोड़ रु० था। यह विनि-
याजन विभिन्न मदों पर इस प्रकार विभक्त होने का अनुमान था—

तालिका सं० ६४—द्वितीय योजना में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न
मदों पर विनियोजन

मद	(विनियोजन (करोड़ रु०))
(१) संगठित उद्योग एवं खनिज	५७५
(२) पीछे बाल यंत्रणाय विद्युत् शक्ति एवं रेल के अतिरिक्त अन्य यानायात	१२५
(३) निर्माण	१०००
(४) कृषि तथा सामाजिक एवं सघु उद्योग	३००
(५) संप्रदाह (Stocks)	५००
योग २४००	

प्रथम पंचवर्षीय योजना में "व्यक्तिगत एवं शासकीय क्षेत्र के विनियोजन का
अनुमान ३३६० करोड़ रुपये था जिसमें व्यक्तिगत एवं शासकीय क्षेत्र का अनुपात
८ : ६ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समस्त विनियोजन की राशि ६२०० करोड़
रु० अनुमानित थी जिसमें शासकीय एवं व्यक्तिगत क्षेत्र का अनुपात ९१ : ३६ होने
का अनुमान था। इससे स्पष्ट है कि शासकीय क्षेत्र निरन्तर विस्तार की ओर अग्रसर
था। द्वितीय योजना में प्रथम योजना की तुलना में विनियोजन की राशि शासकीय
क्षेत्र में २३ गुणों तथा निजी क्षेत्र में ३३३% अधिक थी।

अर्थ प्रवर्धन

द्वितीय योजना का अर्थ प्रवर्धन से स्पष्ट है कि योजना-आयोग ने
भौतिक सक्षमों को अधिक महत्त्व दिया था और वित्तीय साधनों का विस्तार करने के
प्रयास पर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में राष्ट्रीय
आय का ७३% भाग आन्तरिक बचत था जिससे द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में बढ़ा
कर १०७% करने का लक्ष्य था। इस हेतु नौ बातों पर विचार किया गया था—
प्रथम बचत को बढ़ाने के लिए उपभोग की विस सीमा तब कम करना उचित होगा
तथा दूसरे बचत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में कौन-कौन से घटक-वृद्धि की
विधियाँ अपनायी जायेंगी अर्थात् प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में कर एवं अन्य आर्थिक
नीतियों को उपयुक्त दोनों बातों को आधार मान कर ही निर्धारित किया जाना
चाहिए। आन्तरिक साधनों के अनिर्दिष्ट औद्योगिकरण के कार्यक्रम को प्रियायित
करने के लिए विदेशी मुद्रा की भी अधिक आवश्यकता थी। विदेशी साधनों की उप-
सर्गा के लिए एक ओर, आयात में भिन्न ययता और दूसरी ओर निर्यात में वृद्धि करने
की आवश्यकता थी। शासकीय क्षेत्र में अर्थ प्रवर्धन की व्यवस्था निम्न प्रकार करने
का लक्ष्य था—

तालिका न० ६५—द्वितीय योजना का अर्थ-प्रवर्धन

धन्य का माध्यम	जोय (करोड़ ₹० में)	
(१) चानु धन्य का माधिय		
(अ) वर्तमान कर की दरों से	२५०	
(ब) अनिरिक्त करों से	६०	३००
(२) जनसा से धुण		
(अ) वाजार से धुण	३००	
(ब) लघु वधन	५००	१,२००
(३) बजट के धन साधन		
(अ) विकास-वाधनयों म रवों का अनुदान	१५०	
(ब) प्राविधिक निधि (Provident Fund) एक लय जमा	२५०	५००
(५) विदेशी सहायता		६००
(५) षाट की लय ध्यवस्था (Deficit Financing)		१,२००
(६) अणूता—जा मान्तरिक साधनों की वृद्धि द्वारा पूरा की जायगी		५००
		जोय ५६००

उपयुक्त आकड़ों से जात होता है कि बजट के साधनों से योजना के मन्तव्य का ५०% भाग प्राप्त होना था। २५% हीनाय प्रवर्धन द्वारा तथा १६.६% भाग विदेशी सहायता द्वारा प्राप्त होना था। इस प्रकार ५५०० करोड़ रुपये के निरंतर साधन उपलब्ध होने से और ५०० करोड़ रुपये की अणूता थी। इस कमी को पूरा करने के लिए मान्तरिक साधनों की वृद्धि करने की आवश्यकता थी। बजट के साधनों में ही ५५० करोड़ रुपये के अनिरिक्त करों का प्रायोजन था और कर्जित पूंजना की वृद्धि हेतु ५०० करोड़ ₹० के अनिरिक्त कर और लगाये जात तो जनता पर अत्यधिक कर नाग हो जाता। विनिमय साधनों से प्राप्त होने वाले साधन का प्रायोजन करना आवश्यक है।

कर—भारत में विकास-सम्बन्धी निवाजन की महत्त्वतायें राष्ट्रीय जोय तथा वधन के अनुपात में वृद्धि करना आवश्यक है जिससे राष्ट्रीय जोय के पर्याप्त भाग के निरन्तर विनिवाजन के लिए उपयुक्त किया जा सके इसीलिए भारत म कर के द्वारा इस प्रकार ध्यवस्थित करना आवश्यक है जिससे लोधागिक एवं वृष्टिनेत्र में वृद्धिक्रम वधन हा सके। द्वितीय योजना में कर-व्यवस्था में सुभायाजन करने की आवश्यकता समझी गयी। विकास-व्यय में वृद्धि होने से सभी वर्गों के लोगों की जोय में वृद्धि हा

जानी है इसीलिए अप्रत्यक्ष करों को विशेष महत्व दिया गया था तथा प्रत्यक्ष करा म कुट्ट समायोजन करना आवश्यक समझा गया था ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २४०० करोड़ रु० बजट के साधनों से प्राप्त होने का अनुमान था । इसमें से ३५० करोड़ रु० वतमान दरों के आधार पर चातु आय से बचत होने की सम्भावना थी । सन् १९५५-५६ की कर की दरों के आधार पर केन्द्रीय राज्य सरकारों की पंचवर्षीय आय ५००० करोड़ रु० अनुमानित की गयी । इसमें से विकास के अनिर्दिष्ट अर्थ यद्यत् जय सुरक्षा एवं शासन-सम्बन्धी अर्थ तथा विकास की मदों का निर्वाह (Maintenance) सम्बन्धी अर्थ की राशि ४६५० करोड़ रु० अनुमानित की गयी । इस प्रकार ३५० करोड़ रु० वतमान आय के साधनों से योजना के विकास कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया परन्तु विकास के अनिर्दिष्ट अर्थ महा पर क्रिय जाने वाले शासकीय धन पर कठोर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता थी क्योंकि उनमें वृद्धि होने पर विकास कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो सकती थी । दूसरी ओर ४५० करोड़ रु० अनिर्दिष्ट करा द्वारा प्राप्त होने का अनुमान था । इस राशि का अनुमान कर पर्यवेक्षण आयोग (Taxation Enquiry Commission) की सिफारिशों के आधार पर किया गया था । इस राशि का अर्ध भाग राज्य सरकारों तथा गैर अर्ध भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित किया जाना था । इसके अनिर्दिष्ट ४०० करोड़ रु० की पूर्णता की पूर्ति करने के लिए भा कर के साधनों का उपयोग किया जाना था । इस प्रकार द्वितीय योजना में कर के साधनों से १,२०० करोड़ रु० प्राप्त करने का लक्ष्य था । प्रथम पंचवर्षीय योजना में कर के साधनों से ७४२ करोड़ रु० (रेखा के अनुदान सहित) प्राप्त हुआ । प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष सन् १९५५-५६ में राष्ट्रीय आय का केवल ७% कर के रूप में प्राप्त किया गया । कर के साधनों से द्वितीय योजना में १,२०० करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय का लगभग २% या ३% अतिरिक्त कर के रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता थी । द्वितीय योजना में हीनाय प्रवर्धन का अर्थ का महत्वपूर्ण साधन माना गया था । मुद्रा प्रसार द्वारा मुद्रा में वृद्धि होना स्वाभाविक था । इस प्रकार मुद्रा की अत्यधिकता में कमी ही जन के कारण जनसाधारण को अपनी अनिर्दिष्ट आय का अधिकांश भाग तत्कालीन जीवन स्तर का निर्वाह करने के लिए खर्च करना पटना और वह कर के रूप में मौद्रिक दृष्टिकोण से सभ्य है इसका अधि-कर वहन पर तथा परन्तु सरकार द्वारा प्राप्त इस मुद्रा की अत्यधिकता उतनी नहीं हानों जितनी अनुमानित थी । इस प्रकार यद्यपि मौद्रिक दृष्टिकोण से १,२०० करोड़ रु० कर द्वारा प्राप्त कर भी लिया जाता तो भी इस राशि की वास्तविक अत्यधिकता कम ही हानों ।

जनता से ऋण—जनता से ऋण के रूप में १,२०० करोड़ रु० प्राप्त होने का लक्ष्य था । उसमें ७०० करोड़ रु० बाजार से ऋण जीवन बीमा कम्पनियों की निधि तथा सामाजिक सुरक्षा के च ३ आदि से तथा ५०० करोड़ रु० सघु बचन से

एकत्रित किए जाने थे। द्वितीय योजनाकाल में ४३० करोड़ ₹० के ऋणों का मुआवजा देना था और इसका मोचन जो ऋण की प्राप्तिमें सफल के लिए १,१३० करोड़ ₹० ऋण के रूप में प्राप्त होने चाहिए था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऋण में ११५ करोड़ ₹० ऋण के रूप में प्राप्त होने की सम्भावना थी जबकि वास्तव में २०५ करोड़ ₹० प्राप्त हुआ। ग्रासनीय ऋण की माँग योजना के अन्तिम दो वर्षों में अधिक हो गयी थी। इन बाद के वर्षों में लगभग ६५ करोड़ ₹० प्रति वर्ष ऋण के रूप में प्राप्त हुआ। द्वितीय योजनाकाल में १,१३० करोड़ ₹० की राशि प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष २२६ करोड़ ₹० के ऋणों की दिशों जाननी चाहिए थी, अर्थात् प्रथम योजना के अन्तिम वर्षों के ऋण के विस्तार की दर में १०% की वृद्धि जाननी चाहिए थी। ग्रासनीय विनियोग हेतु इसकी अतिरिक्त राशि ऋण के रूप में प्राप्त करना मुश्किल था। योजना में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार का प्रावधान किया गया क्योंकि इसके माध्यम से एक लाख जनजातियों का मुआवजा प्रदान की जा सकती थी तथा दूसरे ओर, यह बचत का मूल्यपूर्ण साधन थी। द्वितीय योजना के विकास-क्षेत्र के अन्तर्गत जनसङ्ख्या की मौद्रिक एवं वास्तविक आय में वृद्धि होने की सम्भावना थी। अन्तिम वर्षों पर नियन्त्रण सामग्री ऋण की राशि को पूरा किया जा सकता था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग ४७ करोड़ ₹० प्रति वर्ष अनु बचत से प्राप्त हुआ। द्वितीय योजना में इस राशि को मुना करने का सम्भव था। साधारण आय की वृद्धि का अधिन्तर भाग अपनी पर ही व्यय हो जाता था क्योंकि हीनार्थ-प्रवचन के परिणामस्वरूप मूल्य-वृद्धि अवसन्नाही थी। मुद्रा की अल्प-गति कम होने पर व्याज के रूप में निरिच्छत दर से प्राप्त होने वाली राशि का भी वास्तविक मूल्य कम हो जाता है तथा इस प्रकार यह बचत करने वालों को अपनी बचत पर वास्तविक आय कम होती है तो यह अधिन्तर बचत की ओर आकर्षित नहीं होती।

बजट के अन्य साधन—योजना-आयोग के अनुमानानुसार रेखा में १५० करोड़ ₹० विकास के कार्यक्रमों के लिए प्राप्त हो सकता था। यह राशि प्रथम योजना में ११५ करोड़ ₹० थी। रेखा की खपत अनुमान बढ़ाने के लिए अपनी वार्षिक आय में ७ करोड़ ₹० की वृद्धि करनी थी। अन्य दृष्टि के साधनों में २५० करोड़ ₹० प्राप्त करने का लक्ष्य था जिसमें से लगभग १५० करोड़ ₹० प्राचीन युवा केन्द्रीय सरकारों की प्राविधिक निधि (Provident Fund) की राशि से तथा १०० करोड़ ₹० केन्द्रीय एवं प्राचीन सरकारों द्वारा दिये गये ऋणों के मुआवजा में तथा अन्य पूँजीगत प्राप्तिमें के रूप में प्राप्त होने का अनुमान था।

विदेशी सहायता—योजना में ६०० करोड़ ₹० की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान था। प्रथम योजना में २६६ करोड़ ₹० की विदेशी सहायता प्राप्त करना था जिसमें से केवल १६६ करोड़ ₹० ही उपलब्ध किया गया। इस प्रकार १०० करोड़ रुपये की राशि प्रथम योजना में विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुई।

द्वितीय योजना में दोष ६२२ करोड़ रु० की विदेशी सहायता का आयाजित करना था । प्रथम योजना की तुलना में यह अनुमान कमिस्तापी प्रतात हात थे ।

हीनाथ प्रवर्धन—प्रथम पंचवर्षीय योजना में हीनाथ प्रवर्धन द्वारा योजना के समयत यय की राशि का लमभन द्वे भाग अर्थात् ४२० कराड रु० प्राप्त किया गया । द्वितीय योजना में इस साधन का विशेष महत्व प्रदान किया गया तथा इसके द्वारा १२०० कराड रु० प्राप्त करने का अनुमान था । इनके अतिरिक्त योजना के अथ साधन की ४०० कराड रु० की अपूर्णता की जितनी पूर्ति कर आदि छापाया से न हा सकती थी, उतनी मात्रा में हीनाथ प्रवर्धन में वृद्धि करनी था । अथ साधनो की पूर्णता का भार भी इस अवस्था पर पना था । इस प्रकार द्वितीय योजना में हीनाथ प्रवर्धन १२०० करोड रु० से भी अधिक हान की सम्भावना था । द्वितीय योजना में इस अथ साधन को नर्वाधिक महत्व दिया गया था जबकि कर पयवेक्षण आयाग (Taxation Enquiry Commission) ने कर यवस्था को विकास कायक्रमा का प्रथम अथ साधन समझने का अनुमोदन किया था ।

योजना आयाग के अनुमानानुसार १२०० करोड रु० के हीनार्थ प्रवर्धन में २०० करोड रु० का पीण्ड पावना मुक्त होने की सम्भावना था तथा १००० करोड रु० से मुद्रा प्रसार की सम्भावना थी । मुद्रा प्रसार के पंचस्वरूप, अधिकोपा द्वारा साल में भी वृद्धि की सम्भावना की जा सकती थी किन्तु साल की वृद्धि अधिक नहीं हानी थी क्योंकि भारतीय जनता अधिकोप पत्रा की तुलना में मुद्रा सचयन पत्र द करती है । यदि चालू मुद्रा (Currency in Circulation) तथा जमा मुद्रा (Deposit Currency) के अनुपात में कोई अन्तर न हो तो यह अनुमान लगाया जा सकता था कि मुद्रा की पूर्ति में योजनाकाल में ६६% की वृद्धि होगी जबकि राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन में २५% वृद्धि का लक्ष्य था । इस प्रकार केवल ४१% मुद्रा-वृद्धि के लिए आधार नहीं होने की सम्भावना थी परन्तु इसमें से भी कुछ राशि कम की जा सकती थी क्योंकि आय की वृद्धि के साथ जनसंख्या की मुद्राधारण गति अधिक बढ़ जाती है । इस प्रकार हीनाथ प्रवर्धन द्वारा १२०० करोड रु० प्राप्त करने का मुद्रा-स्फीति का भय इतना गम्भीर नहीं था परन्तु मुद्रा-स्फीति में भय को सचया निराधार नहीं कहा जा सकता था । विकास कायक्रमो की सफलताय कम या अधिक जोगिम लना अनुचित नहीं था फिर भी मुद्रा स्फीति से बचाव के लिए आवश्यक वस्तुओं जने राद्यान्न एव वस्त्र के मूल्यों एव वितरण पर अकुण रहना आवश्यक था । मुद्रा-स्फीति का समय महत्वपूर्ण बचाव साद्याधो के सचय पर सासनीय नियन्त्रण था । भारतीय अर्थ व्यवस्था में राद्यान्न एव वस्त्र महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जब तक इन वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि पर यथोचित सीमा रखी जाती है तब तक जनसाधारण के रहन रहन की भागत में अधिक वृद्धि नहीं होती है ।

द्वितीय योजना के प्रारम्भ में ही विदेशी विनिमय की बटिनाई प्रतात हान

कृषि उत्पादन से प्रत्यक्षरूपण सम्बद्ध कार्यक्रम, केंद्रित कार्यक्रम (Core Projects) तथा ऐम कार्यक्रम, जा पूरा हान के समीप हों को सम्मिलित किया गया। नैप सभी कार्यक्रम भाग ब म सम्मिलित किये गये जिनका कार्यान्वित करना साधना की उपलब्धि पर निर्भर रहगा। भाग अ व कार्यक्रमों का क्रियाचिन्तन करने के लिए भी कर एवं ऋण द्वारा अनिश्चित व्यय माधना का उपलब्ध होना आवश्यक था। विभिन्न मन्त्रालयों पर दाहरायों गयी व्यय राशिवाँ निम्न प्रकार हैं—

तालिका सं० ६६—द्वितीय योजना का दाहरायों गयी व्यय-अनुमान^१

मद	दाहरायों गयी व्यय रूप (करोड ₹०)		समस्त व्यय के प्रतिगान		
	(योजना के सम स्त व्यय ₹८०० करोड ६० म कुछ योजनाओं का लागत की वृद्धि के अनुसार समा योजन करने के लिए)	मौलिक बाहरायों गयी	बाहरायों गयी	योजना का भाग अ (करोड ६०)	भाग ब के समस्त व्यय के प्रतिगान
कृषि एवं सामु दायिक विकास	५६८	११८	११८	५१०	११३
सिंचाई एवं शक्ति	८६०	१७६	१७६	८२०	१८२
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	२००	४२	४२	१६०	३६
उद्योग एवं खनिज	८८०	१४४	१८४	७६०	१७५
यातायात एवं संचार	१,४५५	२८६	२८०	१,४५०	२६८
समाज-सेवाएं	८६२	१६७	१८०	८१०	१८०
अन्य	२४	२०	१७	७०	१६
योग	४८००	१०००	१०००	४५००	१०००

योजना के अ भाग के समस्त व्यय ₹४५०० करोड ₹० म २५१२ करोड ६० केन्द्र एवं १६८८ करोड ₹० राज्य सरकारों द्वारा व्यय किया जाना था।

योजना का वास्तविक व्यय ₹६०० करोड ₹० लोकसेवा मंत्रालय द्वारा निम्न से ३६५० करोड ₹० विनियोजन एवं ६५० करोड ६० था। अलावा अन्य म योजना

बाल में ३,१०० करोड़ ६० का विनियोजन किया गया। सोक एवं अतीवशेष का वास्तविक व्यय एवं विनियोजन विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार हुआ—

तालिका सं० ६७—द्वितीय योजना का वास्तविक व्यय एवं विनियोजन
(करोड़ ६० में)

विभाग मद	ताम्रशेत्र का व्यय	व्यय का योग प्रतिशत	सोच क्षेत्र का विनियोजन	अभाव-क्षेत्र का विनियोजन	सम्पन्न विनियोजन	सम्पन्न प्रतिशत
(१) कृषि एवं सामुदायिक विकास	५३०	११	२१०	६०५	६२५	१०
(२) वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई-योजनाएँ	४००	६	४००	मद न० (१) में उल्लिखित	४००	६
(३) शक्ति	४४५	१०	४४५	४०	४८५	७
(४) प्राथमिक एवं तृतीय उद्योग	१७५	५	६०	१७५	२६५	४
(५) उद्योग एवं खनिज	६००	१०	६००	६७५	१,२७५	२६
(६) यातायात एवं संचार	१,३००	२६	१,०७५	१०५	१,४१०	२१
(७) समाज-सेवाएँ	६६०	१६	१४०	६५०	१,०६०	१६
(८) कच्चे एवं अर्द्ध-निर्मित मात्र का संग्रह (Inventories)—	—	—	—	५००	५००	८
	भाग ५,६००	१००	२,८५०	३,१००	६,७५०	१००

वास्तविक व्यय एवं विनियोजन के आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाका में उद्योग एवं खनिज विकास पर सबसे अधिक विनियोजन किया गया। अतीवशेष के तमय में अधिक योजनाकाल में विनियोजन किया परन्तु अतीवशेष में ३,००० करोड़ ४० के विनियोजन के तमय के स्थान पर ३,८१० करोड़ ४० का ही विनियोजन किया गया। वास्तविक व्यय की राशि की तुलना समित तमय से करने पर ज्ञात होता है कि समाज-सेवाओं पर होने वाला वास्तविक व्यय समित राशि का लगभग ८८% था। इसी प्रकार अन्य सभी मदों पर भी वास्तविक व्यय समित तमय से कम रहा। परन्तु खनिज एवं वृहद्-पयोगों का वास्तविक व्यय समित तमय से अधिक रहा। इस तुलना से यह स्पष्ट है कि योजना में औद्योगिक विकास

को अधिक महत्व दिया गया और इसी कारण अन्य क्षेत्रों को थोड़े थोड़े व्यय को त्यागना पड़ा।

द्वितीय योजना के आवंटन के व्यय का अर्थ प्रबंधन निम्न प्रकार किया गया—

तालिका सं० ६८—द्वितीय योजना के व्यय-संरचना की उपलब्धि
(करोड़ रुपये में)

माध्यम	प्राप्ति
(१) वर्तमान कर व आधार पर प्राप्त आय	(—) ५०
(२) वर्तमान आधारों पर देता का अनुदान	१५०
(३) अथ वित्ततीय व्यवस्थाओं से वर्तमान आधारों पर अधिक	—
(४) जनता से ऋण	७५०
(५) सप्ट बचत	५००
(६) प्राथमिक निधि सम्पत्ता कर इत्यादि समानाधिकरण (Equalisation) निधि एवं अन्य पूनीयन प्राप्ति	२३०
(७) अनिश्चित कर तथा वित्ततीय व्यवस्थाओं से अनिश्चित आय प्राप्त करने की वास्तविकताएँ	१०५२
(८) विदेशी सहायता	१०६०
(९) हीनाथ प्रबंधन	६४५
	योग
	५६००

योजना के अर्थ साधनों के वास्तविक अंतरों से यह स्पष्ट है कि योजनाकाल में सरकार का धन व्यय अनुमान से अधिक बढ़ गया जिनके कक्षास्वरूप इस मंद से ३५० करोड़ रु० का अधिकतम प्राप्त हानि व स्थान पर ५० करोड़ रु० की पूंजिता रही, परन्तु अनिश्चित करों और सरकारी क्षेत्र के व्यवस्थाओं से प्राप्त होने वाली आय अनुमान से कहीं अधिक रही। जनता से प्राप्त होने वाला ऋण भी अनुमान से अधिक रहा, परन्तु सप्ट बचत की राशि ५०० करोड़ रु० की अनुमानित राशि से स्थान पर ५०० करोड़ रु० ही रही। हीनाथ प्रबंधन की राशि अनुमान से कम रहा। इस प्रकार योजना के अर्थ प्रबंधन में ११५२ करोड़ रु० अर्थात् कुल व्यय का २५% घटत की धन आय में १५१० करोड़ रु० अर्थात् ३१% सरकार की पूंजीगत प्राप्ति से १०६० करोड़ रु० अर्थात् २४% विदेशी सहायता और ६४५ रु०, अर्थात् २०% अर्थ साधन हीनाथ प्रबंधन में प्राप्त किये गए।

योजना के लक्ष्य कार्यक्रम एवं प्रगति

इति एक सामुदायिक विकास—प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बुनियादी विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी। प्रथम योजना के प्रारम्भ में इति क्षेत्र में अधुनाता का वातावरण था तथा राजधानी की पूंजिता की

समस्या अत्यन्त गम्भीर थी, इसीलिए प्रथम याजना के कृषि कार्यक्रमों का लक्ष्य बन्ती हुई जनसमस्या को पर्याप्त आवाहन उपलब्ध कराना था। द्वितीय याजना में कृषि-कार्यक्रमों के लक्ष्य बहुमुखी थे। प्रथम, बन्ती हुई जनसमस्या का आवाहन उपलब्ध करना, द्वितीय विकास की ओर अग्रसर औद्योगिक व्यवस्था की बच्चे मान की आवश्यकताओं को पूरि करना तथा तृतीय कृषि उत्पात्ति के नियोजन में वृद्धि करना। इस प्रकार द्वितीय योजना में औद्योगिक एवं कृषि विकास में घनिष्ठ पारस्परिक निर्भरता हाना स्वाभाविक था। ग्राम निवासियों के सम्मुख द्वितीय याजना द्वारा कृषि उत्पादन का १० वष में दुगुना करने का उद्देश्य रखा गया था।

सत्त्वात्मीय उपभाग के स्तर के आधार पर मनु १९६०-६१ में ७०५ लाख टन खाद्यान्नों की आवश्यकता का अनुमान था। द्वितीय पंचवर्षीय याजना के अन्त तक प्रति दिन प्रति वयस्क उपभाग बढ़कर १८ से औंस हान की सम्भावना थी और इस प्रकार योजना के अन्त तक खाद्यान्नों की आवश्यकता बढ़कर ७५० लाख टन हाने का अनुमान था।

द्वितीय याजनावधि में खाद्यान्नों के उत्पादन में १०० लाख टन की वृद्धि का लक्ष्य था। प्रति दिन प्रति वयस्क २,२०० कैलोरीज का उपभोग मनु १९६०-६१ तक बढ़कर २,४५० कैलोरीज होने का अनुमान था जबकि याजना के विनियमों ने 'पूतम सीमा ३,००० कैलोरीज रखा है।

योजना आयोग ने कृषि नियोजन के ४ आवश्यक तत्त्व निश्चरित किए हैं जिनके आधार पर कृषि कार्यक्रमों को निश्चित किया गया था। यह निम्न प्रकार हैं—

- (१) भूमि के उपयोग की योजना,
- (२) दीपकालीन एवं अल्पकालीन लक्ष्यों को निश्चरित करना,
- (३) विकास कार्यक्रमों एवं सरकारी सहायता का उत्पादन के लक्ष्यों से तथा भूमि के उपयोग से सम्बन्ध स्थापित करना तथा
- (४) उचित मूल्य-नीति।

द्वितीय पंचवर्षीय याजना में खाद्य समस्या के निवारणार्थ ठोस कार्यवाहियाँ की गयी थीं। योजना में भूमि-सुधार के कार्यक्रमों का अन्तिम उद्देश्य सहकारी ग्रामीण व्यवस्था (Co operative Village Management) की स्थापना करना था। सहकारी ग्रामीण व्यवस्था के तीन मुख्य तत्त्व हैं—

- (१) कृषक या भूमि पर अधिकार होना।
- (२) कृषि बापों की इकाई एवं प्रबंध की इकाई में नद रहना। इन दो तत्त्वों के अनुसार यह सम्भव हो सकेगा कि सम्पूर्ण ग्राम की प्रबंध की दृष्टि से एक इकाई मान लिया जाय तथा कृषक के अधिकांश में रहने वाली भूमि को कृषि-कार्यों की इकाई माना जायगा। इस प्रकार कृषि के विभिन्न कार्यों में जब अछूटे घोज का उपयोग, सामान्य क्रय विक्रय, जल का उपयोग स्थानीय निमाण बाय आदि में सहकारिता का उपयोग हो सकेगा।

(३) सहकारी ग्रामीण व्यवस्था की स्थापना व पश्चात् भूमि को अधिकार व रखन वाला एव भूमिदान कृपका का अनुरोध है जायगा तथा ग्रामीण समुदाय के समस्त साधनों का जो कृषि व्यापार एव श्रमाले उद्योग व उपलब्ध होंगे, उपभाग, अधिकतम उत्पादन एव राजगार व बचकर सहकारी क्रियाओं द्वारा बचान व लिए किया जा सकेगा। इस प्रकार एक समन्वित आर्थिक एव सामाजिक ग्रामीण व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा। इसमें कृषि उत्पादन ग्रामीण व्यापार विपणन-व्यवस्था ग्रामीण व्यापार आदि का समन्वित सहकारिता व आधार पर न सकेगा है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी ग्रामीण व्यवस्था का स्थापना तक व मध्य काल में भूमि का तीन प्रकार से प्रबंध करने का व्यवस्था की गयी थी। प्रथम, 'यत्किणत कृषक' का अपना भूमि पर खेती करेंगे। द्वितीय कृषक व समूह अपना भूमि का एकत्रित कर अपने हित एव इच्छा से सहकारिता व आधार पर कृषि-व्याप करेंगे। तृतीय कुछ भूमि सम्पूण ग्रामीण समुदाय व सामाजिक अधिकार में होगा। इस प्रकार ग्रामीण की भूमि व्यवस्था व तीन क्षेत्र यत्किणत सहकारी एव सामुदायिक हो जायेंगे परन्तु इस समस्त व्यवस्था का अन्तिम उद्देश्य सहकारी क्षेत्र का विलुप्त कर ग्राम की समस्त भूमि का प्रबंध ग्रामीण समुदाय व सहकारी उत्तरदायित्व में करना होता।

द्वितीय योजना में कृषि उत्पादन व लक्ष्य व अनुसार लक्ष्य प्राप्ति में १०० लाख टन कपास में १३ लाख गिट्टी तिन्हन में १५ लाख टन, जूट में १० लाख गिट्टी एक मन्ने के उत्पादन में १३ लाख टन गुट की वृद्धि का अनुमान था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग १५ लाख टन लक्ष्य प्राप्ति उत्पादन व वृद्धि हुई परन्तु द्वितीय योजना में कृषि पर प्रयत्न होने वाला राशि प्रथम योजना की अपेक्षा १८% अधिक थी किन्तु भी लक्ष्यों के उत्पादन का वृद्धि का लक्ष्य केवल १०० लाख टन ही रह गया। द्वितीय योजनाकाल में विकास-मय की राशि भी अधिक रखी गयी थी और इनके परिणामस्वरूप, जनसमुदाय की आब एक लक्ष्य प्राप्ति व उपभोग में वृद्धि होना सामाजिक ही था। दूसरी ओर औद्योगिकरण व विलुप्त कार्यक्रमों की सफलताप के मान की उत्पत्ति में पर्याप्त वृद्धि होना भी आवश्यक था। इसमें साथ ही कृषि उत्पादन का विकास-मय निर्माण कर विदेशी मुद्रा का अर्जन करने की आवश्यकता भी द्वितीय योजना में अनुभव ना गयी थी। इन सभी विधियों व आधार पर द्वितीय योजना के प्रारम्भ होने के साथ कृषि उत्पादन व लक्ष्यों की आवश्यकतानुसार बढ़ा दिया गया। योजना के प्रारम्भिक एवं माहुराय गये लक्ष्य तथा वास्तविक प्रगति तालिका ६१ व अनुसार हुई।

इन अर्थों से यह पता होता है कि द्वितीय योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा सकी। मन्ने व उत्पादन का छोड़कर अन्य मन्ने कृषि-उत्पादनों का उत्पादन-लक्ष्य व अनुसार नहीं किया जा सका। मन्ने का उत्पादन

तालिका नं० ६६—द्वितीय योजना में कृषि-उत्पादन के वृद्धि एवं प्रगति

मद	द्वितीय योजना के मौलिक रूप	द्वितीय योजना के दाहाने युक्त रूप	१९६०-६१ में वास्तविक उत्पादन	द्वितीय योजना में वृद्धि का प्रतिशत (१९५५-५६ के उत्पादन पर)	भारत के वृद्धि एवं वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत
बाघान (लाख टन)	७६०	८१८	८०६.५	०*	६८.५
कपास (लाख गीठ)	५५	६५	५९.०	३५	८०.०
जूट (लाख गीठ)	५०	५५	६०.१	—५	६०.०
गन्ना (लाख टन)	३१०	५००	१०५.१	३*	१०५.६
सिन्धु (लाख टन)	३०	३५	६०.०	१६	६५.५
समस्त कृषि-उत्पादन	—	—	१३६.०	१६.६	—
निर्देशक (१९५५-५६ में निर्देशक १९६०/१)	—	—	—	—	—

रूप में लगभग ३५% जविक है। यदि हम वर्षों की वृद्धि की तुलना प्रथम योजना के वर्षों की तुलना में करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रथम योजना में कृषि क्षेत्र में २६% वृद्धि के रूप में कृषि उत्पादन निर्देशक में १६% की वृद्धि हुई जबकि द्वितीय योजना में ५२% वृद्धि के रूप में (जो प्रथम योजना का लगभग दुगुना है) के निर्देशक पर यह वृद्धि केवल १६.६% हुई। इस तुलना से यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में कृषि क्षेत्र पर किए गए व्यय से उत्पादन में क्या वृद्धि नहीं हुई। उत्पादन की कम वृद्धि का प्रमुख कारण मौसम का प्रतिकूल रहना था। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत में समय-समय पर उलट फेर की गयी और उनके कार्यान्वित करने में गिरावट रही। योजनाकारों ने साधनों की कमी को ध्यान में रखा है और वर्षों में साधनों का आयात निर्देशकों में किया गया। साधनों का आयात वर्ष १९५६ में १५.५ लाख टन से बढ़कर वर्ष १९६० में ४०.५६ लाख टन हो गया। वर्ष १९६१ में साधनों के उत्पादन में वृद्धि हुई और इसका आयात घटकर ३५.१५ लाख टन हो गया। द्वितीय योजनाकारों में सामुदायिक विकास के क्षेत्र में स्थिति प्रगति हुई। २ अक्टूबर वर्ष १९६० को ३११० विकास-खण्ड स्तर पर १५० में से उनके द्वारा ३६८ लाख लोगों में २०.४ करोड़ जनसंख्या की सेवाएं प्रदान की गयीं। समस्त देश को ५००४ विकास-खण्डों में बांटा गया है और जिन २,११४ विकास-खण्डों में द्वितीय योजना में व्यय-वित्त किया जाने दे। द्वितीय योजनाकारों में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम पर १०० करोड़ रुपये व्यय किया गया।

१. आकड़ नैतिक रूप में दिये गये हैं।

सिंचाई एव शक्ति—प्रथम पंचवर्षीय योजना म हीपवालीय योजना क अन्तगत १५ से २० बघ म भारत म शासकीय योजनाओ से सिंचित क्षेत्र को दुगुना करन का लक्ष्य था । सन् १९५१ म सिंचाई क सभी प्रकार के साधनो से ५१५ लाख एकड पर सिंचाई की जाती थी । प्रथम योजना मे १९७ लाख एकड भूमि म और सिंचाई के साधन उपलब्ध करन का लक्ष्य था जबकि वास्तव म सिंचित भूमि म ४७ लाख एकड की वृद्धि हुई तथा ३३ लाख एकड के उपलब्ध सिंचाई के साधनों का उपयोग नहीं किया गया । द्वितीय योजनाकाल म २१० लाख एकड भूमि म अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करन का लक्ष्य रखा गया परन्तु सिंचित भूमि म योजनाकाल म केवल १३० लाख एकड भूमि की वृद्धि हुई तथा योजना के अन्त म ३५ लाख एकड भूमि के लिए सिंचाई-सुविधाओं का उपयोग नहीं किया गया । इस प्रकार योजनाकाल म केवल १७ लाख एकड भूमि क लिए अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाओं का निर्माण किया जा सका जबकि लक्ष्य २१० लाख एकड भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं का रखा गया । सिंचाई सुविधा क लक्ष्य के अनुसार वृद्धि न होन के प्रमुख कारण य है कि राज्य सिंचाई योजनाएँ बनात समय अत्यन्त अभिनाया दृष्टिकोण से लक्ष्य निर्धारित करता है जबकि निर्माण काम म बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं जो सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित समय के अन्दर पूरी करन म बाधाएँ उपस्थित करती हैं । योजनाकाल म सामग्री के मुख्य एव भूति की दरों म वृद्धि हुई और कीमट इस्पात भीजार और मशीनें पर्याप्त मात्रा म उपलब्ध न हो सकीं जिसके फलस्वरूप सिंचाई सुविधाओं के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी । विभिन्न राज्य सरकारों का उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करान के लिए निरन्तर प्रयास करना चाहिए ।

द्वितीय योजना क शक्ति के विकास बायजनों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हानी थी—

- (अ) वर्तमान शक्ति की इकाइयों की सामान्य भाँच का पूर्ति,
- (आ) शक्ति की उपनधि के क्षेत्र म यथाचित विस्तार तथा
- (इ) द्वितीय योजना म स्थापित औद्योगिक इकाइयों की शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति ।

यह अनुमान लगाया गया था कि अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता मायम तथा लघु उद्योगों के विकास एव व्यापारिक तथा परेतू उपभाग म वृद्धि के कारण १४ लाख किलोवाट होगा । द्वितीय योजना म औद्योगिक विकास क कारण १३ लाख किलोवाट अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता हान का अनुमान था । जल विशुद्ध शक्ति की पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण तथा अन्य विचारधाराओं क आधार पर ३३ लाख किलोवाट उत्पादनक्षमता के अतिरिक्त शक्ति क साधनों का निर्माण करना आवश्यक था । इस प्रकार शक्ति की उत्पादनक्षमता को ३४ लाख किलोवाट से बढ़ाकर ६९ लाख किलोवाट सन् १९६०-६१ तक करन का लक्ष्य था । ३३ लाख किलोवाट अतिरिक्त

शक्ति व साधन २६ लाख किलोवाट राजकीय क्षेत्र में, २ लाख किलोवाट प्रमण्डलों द्वारा तथा ३ लाख किलोवाट स्वतंत्र शक्ति उत्पादन करने वाले औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्माण किए जाने थे। द्वितीय यात्रना में १६० करोड़ ६० लक्ष यात्रनाओं पर विनियम प्रारम्भ प्रथम यात्रना में हुआ था २६५ करोड़ २० ऐसी नवीन यात्रनाओं पर, जो द्वितीय योजना में पूरा हो जानी थीं तथा २२ करोड़ ६० लक्ष यात्रनाओं पर, त्रितम यात्रना में नवीन यात्रनावधि में प्राप्त हुआ व्यय किया जाना था। द्वितीय यात्रनावधि में १०,००० तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में विद्युत् उपलब्ध करने का लक्ष्य था।

द्वितीय योजना में शक्ति के साधनों की वृद्धि व लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा सकी थी। योजना के अन्त में १५ लाख किलोवाट के लक्ष्य के विपरीत केवल १० लाख किलोवाट की ही शक्ति के साधनों में वृद्धि की जा सकी। २० लाख किलोवाट की वृद्धि में से १८ लाख किलोवाट की वृद्धि सरकारी उद्योगों के व्यवसायों (Public Utility Undertaking) द्वारा १ लाख किलोवाट की सम्पत्तियों द्वारा मन्वित उपकरणों द्वारा और ३ लाख किलोवाट की वृद्धि स्वयं अपने शक्ति उत्पादन करने वाले औद्योगिक व्यवसायों की गयी। यात्रना के अन्त में १०,००० से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों का विद्युत्करण नहीं किया जा सका। सन् १९६०-६१ में १०,००० से अधिक जनसंख्या वाले कुल १ ४४१ नगरों में से केवल १ २५७ नगरों का विद्युत्करण किया जा सका।

औद्योगिक एवं खनिज विकास-कार्यक्रम—द्वितीय यात्रना में तीन इन्धन के कारखानों गिनमे प्रत्येक की उत्पादनक्षमता १० लाख टन इन्धन इंच (Ingols) की के निर्माण का आयोजन किया गया। हरदोला में स्थापित होने वाले कारखानों पर द्वितीय यात्रनाकाल में १०८ करोड़ २० लक्षाई (मध्य प्रदेश) के कारखाने पर ११५ करोड़ २० तथा दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) के कारखाने पर ११५ करोड़ २० निविद्योजन का लक्ष्य था।

हरदोला तथा जिलाई के कारखाने के लिए कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए धल्ली (Dhalb) तथा राजहटा (Rajhata) की खानों का विकास करना आवश्यक था। दुर्गापुर के कारखाने के लिए गुआ (Gua) की खानों का निजी साहस १ लाख साधन किया जाना था। दुर्गापुर कारखाने के लिए एक कोयला घोंगे की फँटरो (Coal Washery) के निर्माण करने का आयोजन था तथा जिलाई एवं हरदोला के बुकारो (Bukaro) में एक कोयला घोंगे की फँटरो स्थापित हो जानी थी। प्रत्येक कारखाने की धमन भट्टी की प्रतिदिन की उत्पादनक्षमता १ ००० टन साह पिंड (Pig Iron) होगी। मसूर के साह तथा इन्धन के कारखाने के उत्पादन को बढ़ाकर सन् १९६०-६१ तक १ लाख टन करने का लक्ष्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५० करोड़ २० लक्षों से तीन कारखानों एवं ६ करोड़ २० मसूर के साह

तथा इस्पान के कारखाने के लिए निर्धारित किया गया था। चितरजन लोकामोटिव कारखाने की उत्पादनक्षमता १०० से बढ़ाकर ३०० इजिन करने का लक्ष्य था। इस कारखाने में भारी इस्पान की फाउण्ट्री बनाने का लक्ष्य था जिससे रेलों के बड़े बड़े औजारों को यहाँ बनाया जा सके। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने भी १५ करोड़ ६० का आवंटन भारी फाउण्ट्री के निर्माणार्थ किया था जिसमें आवश्यक भारी मशीनें तथा विद्युत का सामान आदि बनाए की सुविधा प्राप्त हो सके। बिजली की भारी मशीनें एवं सामग्री बनाने के लिए भोपाल में एक कारखाना एसापिन्डेड इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम की सहायता से २५ करोड़ ०० की लागत पर निर्मित किया जाना था। द्वितीय योजना में इस पर २० करोड़ ०० विनियोजित हाना था। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विस्तार करने के लिए २ करोड़ के उत्पादन पर १० करोड़ ६० विनियोजित करना था।

दक्षिण में कोयले की कमी का दूर करने के लिए नवेला (Navels) में बहुत बड़ी दमिणी अक्वेट की लिग्नाइट (Lignite) का खाना का विकास करने के लिए ५२ करोड़ ६० का आवंटन किया गया था। इस योजना की कुल लागत ६८ ५ करोड़ ६० होगी और ३५ लाख टन प्रति वर्ष लिग्नाइट निकाला जाएगा।

द्वितीय योजना में सिन्धी के खादक कारखाने के अतिरिक्त दो नवीन कारखाने — एक नगन (पञ्जाब) तथा दूसरा कुरुवेला में खालन का आवंटन था जो क्रमशः ७० ००० एवं ८० ००० स्थायी नाइटरजन के बराबर खाद उत्पादन करेंगे। योजना काल में हिन्दुस्तान निपवाड तथा डी० डी० टी० के वर्तमान कारखानों का विस्तार किया जाना था तथा टावनशोर कोचान में एक नया डी० डी० टी० का कारखाना खोला जाना था। इटीमल बोध पटना, पटनामूर का कारखाना द्वितीय योजनाकाल में पूरा हो जाना था।

व्यक्तिगत क्षेत्र के औद्योगिक कार्यक्रम में लोहा तथा इस्पान उद्योग पर ११५ करोड़ ६० विनियोजित करने का लक्ष्य था। सीमेट तथा गृह एवं मध्यम औद्योगिक उद्योगों के विकास-कार्यक्रम भी निजी क्षेत्र में सम्मिलित किए गये थे। औद्योगिक मशीनें जैसे सूती वस्त्र उद्योग शक्ति कागज एवं सीमेट उद्योग की मशीनों के निर्माण हेतु १० करोड़ ६० के विनियोजन का अनुमान था। उपमात्ता वस्तुओं के उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि करने के लिए निजी क्षेत्र में कार्यक्रम निर्दिष्ट किए गये थे।

आधारभूत उद्योगों की प्रगति औद्योगिक विकास का मुख्य सूचक होनी है। द्वितीय योजना में इस बार ठोस कदम उठाये गये तथा लोहा एवं इस्पान मशीन निर्माण तथा अन्य आधारभूत उद्योगों के विकास सफल की अर्थ-व्यवस्था में सुदृढ़ता की भी प्राप्ति होगी। योजनाकाल में पूजीगत एवं उत्पादक वस्तुओं के उद्योग में विनियोजित हाने वाली राशि अभी तक के इस क्षेत्र में विनियोजन से

यहाँ प्रतिशत है। सन् १९१६ से १९६१ तक बड़े उद्योगों के विकास के लिए १,०६१ करोड़ रु० के विनियोजन का आवेदन किया गया था जिसमें से ६१५ करोड़ रुपयों का अर्ध-सहायक एवं पूर्णतः सहायक नाम के बड़े उद्योगों के लिए निर्धारित किया गया परन्तु वास्तविक विनियोजन नाम से वहाँ अधिक औद्योगिक क्षेत्र में किया गया। योजनाकाल में बड़े उद्योगों और अन्य विकास में १,५४४ करोड़ रु० विनियोजित किया गया। मुख्य विनियोजन इन चीजों का सामान्य २०% भाग पूर्णतः सहायक वस्तुओं के उद्योगों पर विनियोजित किया गया। यद्यपि विनियोजन-राशि लगभग वही परन्तु द्वितीय योजना के औद्योगिक उद्देश्य के कार्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी। द्वितीय योजना के औद्योगिक उद्देश्य के लिये एक निम्न प्रकार है—

तालिका सं० ७०—द्वितीय योजना के औद्योगिक उद्देश्य के लिये
एवं उनकी पूर्ति

वस्तु	१९४४-४६ के लिए सहाय्य	१९६०-६१ के लिए सहाय्य	१९६०-६१ के लिए सहाय्य	१९४४-४६ के लिए सहाय्य	वस्तु के लिए सहाय्य एवं द्वितीय योजना के कार्यों के लिए
हजार इस्पात (ग्राह्य टन)	१३	४४	७४	२५	१६
ऐल्यूमीनियम (हजार टन)	७४	७४	१२३	१००	७०
नाइट्रोजन साइ (नाइट्रोजन के हजार टन)	२०	२६४	६६	२४	२४
फॉस्फोरिक साइ (हजार टन)	१७	१२०	४४	४०	४४
सीमेंट (ग्राह्य टन)	४७	१२०	७६	३०	६१
मिल के सूती बाल (लाख टन)	६०	७५०	७२	६६०	०
घनत्व (लाख टन)	१५६	७४	२०	२	५६
कागज भादि (हजार टन)	१६०	३५	३५	०	१००
अरबापी कागज (टन)	४०	६६०	७२,७५०	४४	३०
दार्शनिक (हजार)	४१	१,०००	१,०३१	१००	१००
मोटरगाडिया (सख्या)	२१	२७,०००	२५,०००	१००	६६
औद्योगिक उत्पादन का विनियोजन	१२६	१६४	१६५	४०	१००
(१६४० ४१ = १००)					(वस्तु निर्देशक टन में दिया गया है)

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में औद्योगिक उद्देश्य के कार्यों की पूर्ति प्रमुख उद्योगों में नहीं हो सकी यद्यपि औद्योगिक उद्देश्य के लिये

निर्देशांक में सन्ध के अनुसार ही वृद्धि हुई। सन्ध के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि न होने के तीन प्रमुख कारण थे—(१) योजनाकाल में विदेशी विनिमय की कठिनाई के फलस्वरूप, कुछ औद्योगिक परियोजनाओं की अग्रणी याजना के लिए स्थगित कर दिया गया और कुछ में पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी। (२) याजनाकाल में मूल्य में वृद्धि हान के कारण औद्योगिक परियोजनाओं की लागत बढ़ गया जिसके फलस्वरूप उनमें विनियोजित रकम वाली राशि अनुमान से कम रहने परन्तु उत्पादन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए समुचित प्रगति नहीं हो सकी। (३) द्वितीय योजना में पूंजीगत एवं उत्पादन वस्तुओं के उद्योगों के विस्तार को अधिक महत्व दिया गया था और इन उद्योगों के निर्माण में समय और पूंजी अधिक लगनी है जबकि उत्पादन पूरा क्षमता पर नहीं प्रारम्भ किया जा सकता है। इसी कारण द्वितीय योजना में १५४५ करोड़ ४० के विनियोजन पर औद्योगिक उत्पादन में ४०% की सामान्य वृद्धि हुई जबकि प्रथम याजना में ३०७ करोड़ २० के विनियोजन पर सामान्य औद्योगिक निर्माण में ३६% का वृद्धि हुई। इन अंतरों से यह पता चलता है कि द्वितीय योजना में औद्योगिक विनियोजन द्वारा उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। प्रथम याजनाकाल में २२७ करोड़ २० के विनियोजन पर संगठित औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र से प्राप्त होने वाली राष्ट्रीय आय में २६० करोड़ ४० (६२० करोड़ ४० सन् १९५०-५१ में और ८८० करोड़ ४० सन् १९५५-५६ में) की वृद्धि हुई जबकि द्वितीय याजना में १५४५ करोड़ ४० के विनियोजन पर ६०० करोड़ २० की औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र से प्राप्त होने वाली राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। इस प्रकार प्रथम याजना में इस क्षेत्र का अतिरिक्त विनियोजन तथा औद्योगिक उत्पादन का अनुपात १ : ८ था जो द्वितीय याजना में घटकर १ : ४ हो गया। इस प्रकार द्वितीय याजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं सकी।

खनिज विकास

द्वितीय योजनाकाल में खनिज विकास को भी महत्व दिया गया और खनिज तेल की खोज के लिए पर्याप्त आयोजन किए गये। द्वितीय याजना के प्रारम्भ में देश की खनिज तेल की ७० लाख टन की आवश्यकता में से ६६ लाख टन विदेशों से आयात किया जाता था। केवल असम में डिगवाड़ी के चारों तरफ तेल की एक खान थी। फरवरी सन् १९३६ में आइल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गयी जो सन्ध के खनिज तेल और कच्चे तेल की खोज एवं उत्पादन करने के लिए स्थापित की गयी थी। नाहरकटिया और मोरान में तेल के कुएँ पाये गये हैं। इनमें लगभग २५ लाख टन कच्चा तेल प्राप्त होने की सम्भावना है। पञ्जाब में जवालामुखी और होशियारपुर क्षेत्रों में असम में सिंगसागर के पास गुजरात में, बड़ोटा कम्पे एवं अरु सन्धर क्षेत्रों में तथा उत्तर प्रदेश में उमर्यानी में तेल पाया गया है। कुछ क्षण में तेल निखालना प्रारम्भ भी हो गया है। अक्टूबर सन् १९५६ में एक तेल एवं प्राकृतिक

यस रचनागत की स्थापना की गयी है जो विभिन्न निर्माताओं के साथ निरंतर लेन की योजना करता है। द्वितीय योजनाकाल में भारत के उत्पादन में भी वृद्धि की गयी और समस्त वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य २४८० करोड़ ₹० (सन् १९५१ में) से बढ़कर सन् १९६१ में १७६८० करोड़ ₹० हो गया।

सन्तु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास-कार्यक्रम

द्वितीय योजना में ग्रामीण एवं सन्तु उद्योगों के विकास के लिए आरंभिक पूंजी के अतिरिक्त २०० करोड़ ₹० का प्रावजन किया गया जो बाद में इन कर १६० करोड़ ₹० कर दिया गया। इन उद्योगों में सकारित क्षेत्र में दसवें में १७१ करोड़ ₹० व्यय हुआ। इस व्यय में से ६० करोड़ ₹० की राशि का विनिवेशन किया गया। दूसरे और निजी क्षेत्र में ग्रामीण एवं सन्तु उद्योगों के विकास के लिए १७५ करोड़ ₹० का विनिवेशन किया गया। इस प्रकार द्वितीय योजनाकाल में सन्तु एवं ग्रामीण उद्योगों पर २६४ करोड़ ₹० का विनिवेशन हुआ। द्वितीय योजनाकाल में सन्तु एवं ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित राशियाँ व्यय की गयीं।

मानिका सं० ७१—द्वितीय योजनाकाल में सन्तु एवं ग्रामीण उद्योगों पर सकारित क्षेत्र में व्यय होने वाली अनुमानित राशि

(करोड़ ₹० में)

उद्योग का नाम	राशि
(१) हाथ-करघा उद्योग	२६७
(२) हाथ-करघा उद्योग क्षेत्र में शक्ति से चलने वाले कारखाने	२०
(३) जाली एवं हार्मोणियम उद्योग	२२४
(४) जूत उद्योग	२१
(५) आरिफल का रेशम उद्योग (Coir Industries)	२०
(६) दस्तकारों उद्योग	४८
(७) सन्तु उद्योग	८४४
(८) औद्योगिक संस्थान	११९
	<u>१२०००</u>

सन्तु के आर्थिक में व्यय अनुमानित व्यय १२० करोड़ ₹० बनाया गया है, परन्तु वास्तविक व्यय की राशि १७५ करोड़ ₹० ही है। द्वितीय योजनाकाल में सन्तु उद्योगों के उत्पादन में १२० करोड़ ₹० की वृद्धि हुई, क्योंकि इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाली राष्ट्रीय आय सन् १९५५-५६ में ६७० करोड़ ₹० से बढ़कर सन् १९६०-६१ में ११२० करोड़ ₹० हो गयी।

मात्रागत एवं सूची

शोध औद्योगिकरण के लिए आरंभिक मात्रागत एवं सूची की व्यवस्था

अति आवश्यक होती है। द्वितीय योजना में इसलिए इस मद के लिए प्रारम्भ में ₹ ३८५ करोड़ रु० का आयोजन किया गया था जो बाद में सन् १९५० के अन्त में बढ़ाकर ₹ ३४० करोड़ रु० कर दिया गया। यह राशि योजना के समस्त व्यय की लगभग ३०% थी। योजना में इस मद पर सरकारी क्षेत्र में ₹ ३०० करोड़ रु० व्यय किया गया जिसमें से ₹ १,२७५ करोड़ रु० विनियोजन की राशि थी। निजी क्षेत्र में इस मद पर ₹ ३३५ करोड़ रु० का विनियोजन किया गया। योजनाकाल में रेलों के विकास को विशेष महत्व दिया गया। उनके विकासार्थ ₹ १२१५ करोड़ रु० का आयोजन किया गया। योजनाकाल में यात्रियों की संख्या १५% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया जबकि वास्तविक वृद्धि २४% हुई। वस्तुओं के आयात को ₹ ११५३ करोड़ टन से बढ़ाकर ₹ १६०० करोड़ टन करने का लक्ष्य था जबकि सन् १९६०-६१ में केवल ₹ ५७६ करोड़ टन वस्तुएं रेलों द्वारा भेजी गयीं। इससे अतिरिक्त योजनाकाल में ₹ २,००० मील लम्बी नवान रेलवे लाइन डालने का लक्ष्य था जबकि ४०० मील लम्बा बड़ी और ३८२ मील लम्बी छोटी नवीन रेलवे लाइनें यातायात के लिए खोली गयीं। योजना के अन्त में १६०० मील बड़ी तथा २५१ मील लम्बी छोटी लाइनों का निर्माण जारी था। द्वितीय योजनाकाल में २१६२ इजिन ७५१५ खारीगाहों के कोच तथा ६७६६४ खगन रेलों द्वारा खरीदे गये।

द्वितीय योजनाकाल में २४६ करोड़ रु० का आयोजन सड़कों के विकास के लिए किया गया था। इससे अतिरिक्त केंद्रीय सड़क निधि से २५ करोड़ रु० का आयोजन सड़क विकास के लिए किया गया। योजनाकाल में ६०० मील टूटा-पूटा सड़कों को जोड़ने ६० बड़े पुल बनाने और १००० मील लम्बी विद्यमान सड़कों के सुधार करने का आयोजन था। योजनाकाल में २२,००० मील लम्बी सड़कें (Surfaced Roads) की वृद्धि हुई और लगभग ५२,००० मील लम्बी असड़कें (Unsurfaced Roads) की वृद्धि हुई। ६४० मील लम्बी टूटा-पूटी गडवा को खोला गया। ४० बड़े पुलों का निर्माण किया गया तथा ३५०० मील लम्बी बनमान सड़कों की परम्पन की गयी।

समुद्री यातायात के क्षेत्र में ३ लाख टन रजिस्टर्ड टनेज की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया जिससे तृतीय योजना के अन्त तक ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज ६ लाख हो जाय। योजना में जलयान यातायात के विकास के लिए ४५ करोड़ रु० का आयोजन किया गया। द्वितीय योजना के अन्त में ६०५ लाख टन रजिस्टर्ड टनेज भारत में था जिसमें १७५ जहाज सम्मिलित थे। योजनाकाल में कलकत्ता घण्टी, मद्रास कोचीन, काँदला पत्तणगाहा का विकास किया गया।

योजनाकाल में हवाई यातायात में पर्याप्त वृद्धि हुई और हवाई जहाज द्वारा सफर करने वाले यात्रियों की संख्या ६७३ लाख से बढ़कर १०८३ लाख हो गयी

तथा हजारों जहाजों द्वारा किया जाना था। सरकार १७० १६ लाख किलोमीटर से बढकर ४२६ ४७ लाख किलोमीटर का गया।

सञ्चा

द्वितीय योजनाकाल में ६३ कराह २० लाख बन्दर विभाग के लिए निर्धारित किया गया। योजनाकाल में १ लाख ८० हजार नव टर्कीजान जहाज १,४०० नव टार व दस्तर खालन और २०,०० नव टारखान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। योजनाकाल में २१,८०० नव टारखान १ २०० लाख के दस्तर तथा २ लाख २० हजार नव टर्कीजान लगाय गया। इस प्रकार योजनाकाल में एक क्षेत्र में लोगों के कर्मिक प्राप्ति हुई।

द्वितीय योजना में आकाशवाणी प्रसारण के क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु देश के ऐसे भागों में रेडियो स्थापन करने गये जिनमें अभी तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सन् १९६१ के अन्त तक देश में २६ रेडियो-स्टेशन थे।

समान-वैधार्ण

द्वितीय योजना में शिक्षा के विभाग एवं विभाग के लिए ३०० कराह २०० का आयोजन किया गया था जबकि वास्तविक व्यय २०४ कराह २०० था। योजना में ६ से ११ वर्ष के बच्चों की स्कूल जाने वाली प्रतिशत का ४२ ६ से बढकर ६० ७ करने का लक्ष्य था जबकि सन् १९६० ६१ में इस बात में ६१ ३% बच्चे स्कूल जाते हैं। इस प्रकार ११ से १४ तथा १४ से १७ वर्ष के बच्चों के वर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत क्रमशः १६ ४ से बढकर २० ४ तथा ७ ८ से बढकर ११ ७ करने का लक्ष्य रखा गया। सन् १९६०-६१ के अन्त में ११ से १४ वर्ष के बच्चों के वर्ग में २० ८ तथा १४ से १७ वर्ष के वर्ग में ११ ४ प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते थे। देश में विश्वविद्यालयों की संख्या ३० से बढकर ३८ करने का लक्ष्य था जबकि सन् १९६० ६१ में देश में ४६ विश्वविद्यालय थे। योजनाकाल में डिग्री देने वाली इंजीनियरिंग एवं तार्किक शिक्षा की संस्थाओं की संख्या ७१ से बढकर १११ हो गयी थीर डिप्लोमा देने वाली इंजीनियरिंग एवं तार्किक शिक्षा की संस्थाओं की संख्या १०६ से बढकर २०६ हो गयी।

द्वितीय योजना के स्वास्थ्य के कार्यक्रमों का अद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, इन सेवाओं को समस्त जनसमुदाय तक पहुंचाना तथा राष्ट्रीय-स्वास्थ्य के स्तर में उत्तमि करना था। योजनाकाल में ३ ००० प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य था जबकि वास्तव में २,६१४ केन्द्र खोले गये। योजनाकाल में मेडिकल कॉलेजों की विद्यार्थियों की प्रवेश देने की संख्या ६६० से ७ ६०० हो गयी। नर्सेरिया निरीक्षक कार्यक्रम की योजना में विशेष स्थान दिया गया और राष्ट्रीय मेडिकल इन्स्टीट्यूट बमबेयरियों के प्रतिष्ठा तथा शीघ्र कार्य के लिए उत्तमगयी है। देश को समस्त जन-संख्या नर्सेरिया निरीक्षक कार्यवाहियों से व्यापकित करने के लिए २६१ मेडिकल-

केन्द्र खाल गये हैं। याजना में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और इस कार्यक्रम में क्रमबद्ध विकास हेतु एक केन्द्रीय परिवार नियोजन केंद्र का स्थापना सितम्बर सन् १९५६ में की गयी। द्वितीय योजनाकाल में १५०० परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना की गयी जिनमें से १०७६ ग्रामीण क्षेत्र में और ४२१ नगरीय क्षेत्रों में खाले गये।

गृह व्यवस्था

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२० करोड़ रुपये निवास-गृहों के निर्माण हेतु निर्धारित किया गया था। प्रथम यात्रनाकाल की दो निवास गृहों की योजनाओं—सहायता प्राप्त औद्योगिक निवास-गृह योजना तथा कम आय वर्ग की निवास गृह योजना—के अनिश्चित छह नवीन योजनाएँ द्वितीय योजना में प्रारम्भ की गयीं। इन योजनाओं का नाम इस प्रकार हैं—(१) पीपल वाले उद्योगों के श्रमिकों की निवास-गृहों की योजना (२) गाँवों में बस्तियों का हटाने की योजना (३) ग्रामीण निवास गृह-योजना (४) गरीब वर्ग की आय बालों के लिए निवास गृहों की योजना (५) राज्य सरकार के कर्मचारियों को किराये पर निवास गृहों की योजना तथा (६) भूमि क्रय एवं विकास योजना। इन सभी निवास-गृहों की योजनाओं की सरकार ने ८४ करोड़ रुपये और जीवन बीमा निगम से १७२ करोड़ रुपये प्रदान किया। इनके अनिश्चित केन्द्रों एवं राज्य सरकारों ने अपनी अपनी निवास गृहों की योजनाओं का भी मसाला किया। इस प्रकार द्वितीय योजना में २५० करोड़ ६० सरकारी क्षेत्र में निवास-गृहों के निर्माण पर व्यय किया गया और ५ लाख निवास-गृहों निर्माण किए गये। इसके अनिश्चित निजी क्षेत्र में लगभग १००० करोड़ ६० निवास गृहों एवं अन्य प्रकार के निर्माण पर व्यय किया गया।

उपभोग

द्वितीय योजनाकाल में जनसमुदाय के उपभोग के प्रकार एवं व्यय में मूलभूत परिवर्तन हुए। राष्ट्रीय सम्पत्तियों के दसवें चक्र (Tenth Round—December 1955 to May 1956) तथा पंद्रहवें चक्र (Fifteenth Round—July, 1959 to June 1960) के अनुसार उपभोग के प्रकार के सम्बन्ध में तालिका सं० ७२ के अनुसार तथ्य प्राप्त होते हैं।

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि द्वितीय योजनाकाल में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति औसत उपभोग-व्यय में ग्रामीण क्षेत्रों में ११% एवं नगरिक क्षेत्रों में ६% की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के जीवन-स्तर में अधिक सुधार होने का आभास होता है परन्तु खाद्य-सामग्रियों पर होने वाले व्यय का कुल उपभोग व्यय से प्रतिशत वृद्धि होने से पता चलता है कि द्वितीय योजनाकाल में खाद्य-सामग्रियों की अपेक्षा अन्य वस्तुओं का अधिक व्यय हुआ है। दूसरी ओर पत्रों पर होने वाला व्यय भी अधिक हो गया है। यह भी

तालिका न० ७७—ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्रों में उपभोग

	दिसम्बर सन् १९५५ में		जुलाई सन् १९५६ में	
	ग्रामीणों में	नगरों में	ग्रामीणों में	नगरों में
(१) औसत प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (रुपय)	२१४	२०७	२४७	२५६
(२) खाद्य-सामग्री पर होने वाले व्यय का कुल उपभोग-व्यय में प्रतिशत	६७.७	५८.७	६६.७	६१.५
(३) वस्त्रों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत	१०.०	७.३	८.०	६.७
(४) ईंधन एक प्रभाग पर होने वाले व्यय का प्रतिशत	६.८	६.७	७.६	६.३
(५) किराया पर होने वाले व्यय का प्रतिशत	०.२	४.०	०.४	०.६
(६) अन्य व्यय का प्रतिशत	१५.८	२४.०	१०.६	१४.९

खाद्य सामग्री पर व्यय बट जाने के कारण भी कुछ सीमा तक थी। प्रतिवर्षीयताओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले व्यय के प्रतिशत में दिसम्बर सन् १९५५ से मई सन् १९५६ के बीच में ग्रामीण एवं नगरों के क्षेत्र में अधिक अन्तर था जो जुलाई सन् १९५६ से फ़रवरी सन् १९६० में बहुत कम हो गया। इस अन्तर के कम होने से यह बात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जीवन-स्तर में सुधार हुआ है।

उपरोक्त दसवें एक पंद्रहवें राष्ट्रीय सम्मेलन वर्षों के अनुसार ही ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्र में विभिन्न उपभोग-व्यय के वर्गों के अनुसार परिवारों का प्रतिशत था जो हुई गतिविधि के अनुसार था।

तालिका न० ७९ का अध्ययन करने से बात होगी है कि द्वितीय योजनाकाल में ग्रामीण क्षेत्र में १३.७० तक प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग वाले परिवारों का प्रतिशत ४१.५ से घटकर २६.४ रह गया। नागरिक क्षेत्र में १३.७० प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग वाले परिवारों का प्रतिशत २०.१ से घटकर १४.१ हो गया। इन प्रतिशतों में कमी होने से बात शायद है कि कम उपभोग व्यय वाले परिवारों की संख्या में कमी हुई और १३.७० से अधिक प्रति व्यक्ति प्रति मास उपभोग-व्यय करने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में दिसम्बर सन् १९५५ से मई सन् १९५६ के बीच में ७१.७% परिवारों में प्रति व्यक्ति व्यय २१.२० प्रति मास से कम था जबकि नागरिक क्षेत्र में यह प्रतिशत केवल ४६.७ था। जुलाई सन् १९५६ से फ़रवरी सन् १९६० तक के बीच में यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में ६७.६ और नागरिक क्षेत्र में ४७.६ हो गया। इन प्रतिशतों से बात होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में द्वितीय योजनाकाल के जीवन-स्तर

तालिका सं० ७३—प्रति व्यक्ति उपभोग-व्यय के अनुसार परिवारो का प्रतिशत वितरण

प्रति व्यक्ति प्रति मास उपभोग-व्यय (रुपया में)	दिसम्बर, सन् १९५५ से मई १९५६ तक का सर्वे		जुलाई १९५६ से जून १९६० तक का सर्वे	
	ग्रामा म	नगरो म	ग्रामा म	नगरो म
०—८	१४२	३८	६५	२२
९—११	१६७	१०२	१२५	७१
११—१३	१०५	७१	१०५	५८
१३—१५	६५	६०	१०२	६७
१५—१८	११७	१०५	१४५	११२
१८—२१	८७	६२	१०८	१०६
२१—२४	७६	६३	७६	७५
२४—२८	५५	६१	७३	८१
२८—३४	५७	८५	८६	१०५
३४—४३	५१	६५	५६	१००
४३—५५	२६	८३	२७	८०
५५ और उससे अधिक	२६	११७	३७	१२५

म सुधार ता अवश्य हुआ परन्तु लगभग दो तिहाई परिवारो म प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपभोग व्यय ७० पैसे से कम था अर्थात् ग्रामाण क्षेत्र के तिहाई परिवार अपनी अनिवार्यताओं को पूर्ति करने म असमर्थ थे ।

राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय

द्वितीय योजनाकाल म राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय म निम्न प्रकार वृद्धि हुई—

तालिका सं० ७४—द्वितीय योजना मे राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय म वृद्धि

वर्ष	राष्ट्रीय आय प्रचलित मूल्या पर (कराड रुपया म)	राष्ट्रीय आय १९४८-४९ के मूल्या पर (कराड रुपयों म)	प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्या पर (रुपया म)	प्रति व्यक्ति आय १९४८-४९ के मू्यों पर (रुपया म)
१९५५-५६	६६८०	१०४८०	२५५०	२६७०
१९५६-५७	११३१०	१११००	२८३३	२७५६
१९५७-५८	११३६०	१०८६०	२७६६	२६७२
१९५८-५९	१२६००	११६५०	०३०	२८०१
१९५९-६०	१२,६५०	११,८६०	३०५८	२७६२
१९६०-६१	१४,१४०	१२,७३०	३२५७	२६३२

उपरोक्त आँकडा से पाता है कि द्वितीय योजनाकाल म राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय म वृद्धि नहीं हुई और यह वृद्धि २५% की वृद्धि के साथ ही विपरीत

केवल २१% की ही वृद्धि हुई। योजना के प्रथम वर्ष मन् १९५६ ५३ में (सन् १९६०-४६ के मूल्याँ के अनुसार) सन् १९५५ ५६ के स्तर पर राष्ट्रीय आय में ६% की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष के लम्बे (५% की वृद्धि) में अधिक थी। सन् १९५५ ५६ में सन् १९५५ ५६ की तुलना में राष्ट्रीय आय में ४% की वृद्धि हुई। अर्थात् एक वर्ष के अन्त तक योजना के दा वष पूरा हो गया था और लम्बे लम्बे अनुसार राष्ट्रीय आय में १०% वृद्धि हो जानी चाहिए जबकि वास्तव में केवल ४% की ही वृद्धि हुई। वास्तव में, सन् १९५३ ५४ में सन् १९५६ ५७ के स्तर पर राष्ट्रीय आय कम हो गयी। इस लक्ष्य का मुख्य कारण मानसून का प्रतिफल रहना था जिसके कारण वृद्धि उत्पादन में एक वर्ष कमो रहो। सन् १९५४ ५६ में सन् १९५५ ५६ के राष्ट्रीय आय-स्त में ११% की वृद्धि हुई जबकि लम्बे के अनुसार यह वृद्धि १५% हो जानी चाहिए थी। सन् १९५६ ६० में राष्ट्रीय आय में सन् १९५५ ५६ के स्तर में २०% की वृद्धि के लम्बे के विपरीत वृद्धि केवल १% की हुई परन्तु सन् १९६० ६१ में वृद्धि का यह प्रतिशत बढ़कर २१% हो गया। इस प्रकार सन् १९५६ ५७ सन् १९५७-५८ तथा सन् १९६०-६१ में राष्ट्रीय आय में वृद्धि लम्बे से अधिक हुई जबकि लम्बे के विपरीत सन् १९५७ ५८ में लम्बे के अनुसार वृद्धि नहीं हो सकी।

योजनाकाल में प्रति व्यक्ति आय में (सन् १९६० ६६ के मूल्याँ के आधार पर) लगभग ११% की वृद्धि हुई।

द्वितीय योजना की अमफनताएँ

द्वितीय योजनाकाल में विकास की दृष्टि से अधिक अनुभव नहीं था तथा प्रवृद्धि में जय व्यवस्था के पर्याप्त विकास में अन्त-ली कठिनाइयाँ सम्भविता थी। योजना के क्षेत्रों की उपफलताओं का निम्न प्रकार से अंकित किया जा सकता है—

(१) विदेशी विनिमय की कठिनाई—योजना के प्रारम्भ में ही विदेशी विनिमय की कठिनाई प्रतीत होने लगी थी। द्वितीय योजना के लम्बे निर्धारित करते हुए यह अनुमान लगाया गया था कि ५ वर्षों में कुल उत्पाद ५ २४० करोड़ १० हजार और निर्यात २ ६५ करोड़ १० हजार परन्तु वास्तव में निर्यात ३ ०१२ करोड़ १० हजार आयात ५ ३२० करोड़ १० हजार निर्यात के फलस्वरूप २ ३३१ करोड़ १० हजार प्रतिकूल व्यापारिक शेष रहा एवं जिसकी परिधि ८६५ १ करोड़ १० हजारों मरकानी अर्थों में ५५ करोड़ १० अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष में, ५६६ करोड़ ६० अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष में विदेशी विनिमय निदान कर २१२ करोड़ २० अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्राप्ति द्वारा पूरा किया गया। योजनाकाल में पूंजीगत वस्तुओं मशीनों आदि का आयात बढ़ी मात्रा में किया गया जिसके कारण आयात अनुमान से अधिक रहा। विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण ही केन्द्रीय योजनाओं (Core Projects) की परिधि का प्राप्य निम्नता हो गयी और योजना के कार्यक्रमों की दो भागों— 'अ' तथा 'ब' में बाँटा गया।

व भाग की अधिकतर योजनाओं को तृतीय योजना के लिए ल जाया गया। इस प्रकार द्वितीय योजना में निर्धारित सभी कार्यक्रमों का पूर्ति नहीं का जा सकी।

(२) उद्योगों का अधिक महत्व—द्वितीय योजना में औद्योगीकरण को अधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी थी परन्तु योजना के द्वितीय व तृतीय वर्षों में देश में खाद्यान्नों की अत्यन्त कमी रही। इन वर्षों में मानसून प्रतिकूल रहने व कारण वृष्टि उत्पादन अनुमानों के अनुसार नहीं हुआ जिससे जनस्वस्थ खाद्यान्नों के मूल्य एवं आयात में वृद्धि हुई।

(३) मूल्यों में वृद्धि—द्वितीय योजनाकाल में लगभग सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई और यह वृद्धि ३०% से २५% के बीच में रही। मूल्यों की इतनी वृद्धि ने विकास की गति को मंद कर दिया और जनसाधारण का विपणन क्षमताओं का सामना करना पड़ा। रहने सहने की लागत वृद्धि के साथ साथ योजना के कार्यक्रमों की लागत भी बढ़ गयी और योजना का व्यय अधिक दृष्टिकोण से लगभग लक्ष्य के अनुसार ही नहीं हुआ और कार्यक्रमों की पूर्ति नग्य व अनुकूल नहीं रही।

(४) राष्ट्रीय आय—द्वितीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय के लक्ष्य व अनुसार वृद्धि नहीं हुई और २५% की वृद्धि व लक्ष्य के विपरीत केवल २१% की ही वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में विभिन्न साधनों का अभाव भी कोई विपणन परिवर्तन नहीं हुआ। यद्यपि योजना में औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त विनियोजन किया गया परन्तु औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सन् १९५५-५६ में १८.५% घुटाना पा जो सन् १९६०-६१ में घटकर १८.४% हो गया। दूसरी ओर वृष्टि क्षेत्र से प्राप्त होने वाला अग सन् १९५५-५६ में ४५.३% से घटकर सन् १९६०-६१ में ४०.७% हो गया। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजना में अर्थ व्यवस्था व औद्योगिक आधार में अनेकों क्षेत्रों की तुलना में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ।

(५) निजी क्षेत्र का महत्व—द्वितीय योजनाकाल में सरकारी क्षेत्र में विनियोजन लक्ष्य (३०० करोड़ रु०) तक गया रहा जबकि निजी क्षेत्र का विनियोजन २४०० करोड़ रु० व लक्ष्य के विपरीत ३१०० करोड़ रु० का हुआ अर्थात् निजी क्षेत्र का महत्व अर्थ-व्यवस्था में कुछ सामान्य बढ़ गया। द्वितीय योजना में ६७५० करोड़ रु० का विनियोजन पर ४१६० करोड़ रु० की (चात्र मूल्य पर) राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई अर्थात् निजी विनियोजन का पूँजी एवं उत्पादन का अनुपात १ : ६ रहा जबकि प्रथम योजना में यह अनुपात १ : १ था। इस प्रकार द्वितीय योजना में उत्पादन में विनियोजन व अनुकूल वृद्धि नहीं हुई।

(६) रोजगार—द्वितीय योजना में रोजगार की स्थिति और भी अधिक गम्भीर हो गया और एक ओर अर्थ-व्यवस्था में अनुमान में अधिक वृद्धि हुई और दूसरी ओर रोजगार के अवसर लक्ष्य के अनुसार उत्पन्न नहीं किए जा सके। इससे जनस्वस्थ यह अनुमान लगाया गया कि योजना व अन्त में लगभग १० लाख स्थिति बेरोजगार थे।

(७) नागरिक क्षेत्र के विकास को अधिक महत्व—अधिव निपमताओं से सम्बन्धित अघ्पाय में दी गयी तात्तिका ने आनदों से यह स्पष्ट है कि द्वितीय याजना में नागरिक क्षेत्र के विकास का और भी अधिव महत्व दिया गया और ग्रामीण क्षेत्र में प्रति ध्यक्ति विकास-ध्वय नागरिक क्षेत्र की तुलना में लगभग एक तिहाई था। ग्रामीण क्षेत्रों में निधनता की व्यापकता नियोजित अय-व्यवस्था के प्रारम्भ से ही अधिव थी और योजना के ध्वय के प्रकार में ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्रों के जीवन स्तर के अन्तर का अदाने में सहायता प्रदान की है।

द्वितीय योजना की प्रगति के विभिन्न तत्वों से स्पष्ट है कि रेल की अय व्यवस्था में विकास की प्रवृत्ति को सुदृढता प्राप्त हुई क्योंकि बहुत सी एसी परिवार नाएँ विगेपत औद्योगिक एवं सनिज क्षेत्र में प्रारम्भ की गयीं, जिनके द्वारा अय की अय व्यवस्था के टाँचे में दोष काल में पूरकपूरण परिवर्तन करना असम्भव होगा, परन्तु याजना में लक्ष्यों का अनुसार मानसून की प्रतिबुलसहा विदगी विनिमय को कल्लिाई तथा प्रशासनिक विधिनीता के कारण उत्पादन में वृद्धि न हो सकी। जनसाधारण की उपभोक्ता वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धि नहीं हुई और निधनता की व्यापकता में भी कमी नहीं हुई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना
[Third Five Year Plan]

[उद्देश्य - प्रथम विनियोजन एवं प्राथमिकताएँ, अर्थ-साधना, विद्युत् विनिमय की आवश्यकता एवं माधन योजना के प्राथमिक, उद्यम एवं प्रगति—वृत्ति एवं समुदायिक विनास, सिंचाई एवं शक्ति, उद्योग एवं परिवहन आगोष्ठा एवं लघु उद्योग, वृद्ध उद्योग परिवर्तन विनास यातायात एवं सार, शिक्षा स्वास्थ्य, सन्तुलित क्षेत्रीय विभाग, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय तृतीय योजना की असाफल्यताएँ]

देश की द्वितीय महायुद्ध एवं विभाजन से जो क्षति पहुँची थी प्रथम योजना में उसकी पूर्ति करना तथा आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकताएँ गुरुत्व देना व प्रयास करने लगे एक विभाग में प्रवेश नीति निर्देशक-सूची व अनुसार सामाजिक और आर्थिक नीतियों का भी निर्धारण हुआ। सामुदायिक विकास योजना तथा भूमि सुधार प्रथम योजना के विशेष कार्यक्रम के।

द्वितीय योजना में प्रथम योजना की ही नीतियों का अनुसरण करना हुआ तथा वृद्धि विभाग कार्यो में अधिक विनियोजन तथा जनसमुदाय को अधिक रोजगार अवसर प्रदान करना व प्रयत्न करने लगे। इस योजना में आर्थिक उन्नति की गति का तीव्र करने पर आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर रोजगार अवसरों की वृद्धि करने पर अधिक ध्यान की विनियोजन। जो काम करने पर तथा आर्थिक शक्ति का निर्माण हुआ में वृद्धि होने से रोकने पर जोर दिया गया। प्रथम योजना में राष्ट्रीय आय में ३३% प्रति वषर तथा द्वितीय योजना में ४% प्रति वषर वृद्धि हुई। द्वितीय योजना द्वारा भारतीय अर्थ व्यवस्था को औद्योगिक आधार प्रदान किया गया है। इस प्रकार द्वितीय योजना में विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा स्वयं संपूर्ण विकास व्यवस्था व पूर्व की परिस्थितियों का निर्माण हुआ।

स्वयं संपूर्ण विकास व्यवस्था तक पहुँचने के लिए भारत को राष्ट्र में एक आर, वृत्ति उत्पादन में द्वितीय वृद्धि होनी चाहिए तथा द्वितीय वृद्धि में द्वितीय-मुक्त जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो तथा दूसरी आर विदेशी विनिमय का द्वितीय वृद्धि होना चाहिए कि विकास की गति को बढ़ावा देता जा सके। विदेशी विनिमय का प्रथम निर्माण की वृद्धि द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ ही सामाजिक पूंजी का भी

पदाण मात्रा में निमाण होना चाहिए। विद्यी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए जिस प्रकार पूँजी का निमाण आवश्यक होना है उससे कहीं अधिक सामाजिक पूँजी में वृद्धि होना आवश्यक है। जनसमुदाय का स्वयं की शक्तियों, राष्ट्र द्वारा निश्चित किए गये सामाजिक उद्देश्यों, शासकीय मत्ता ग्रहण करने वाले व्यापार एवं व्यवसाय क्षेत्रों में तब आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का अधिकारिकों का देश की भावी समस्याओं का निवारण करने की क्षमता पर जो विश्वास एवं सद्भावना होनी है उसे सामाजिक पूँजी कहा जाता है। देश के भौतिक विकास के साथ साथ जनसमुदाय में परिवर्तित परिस्थितियों का अनुकूल जागरूकता होनी चाहिए। जब तक सामाजिक उत्थान की ओर पदाण प्रगति नहीं होनी, तब तक आर्थिक विकास की किमी भी देश की स्वयं-स्रुत विकास व्यवस्था बढ़ना अनुचित होगा। राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रीय भावना एवं नियंत्रण के प्रति जागरूकता का व्युत्पत्ति में आर्थिक विकास का मुख्य धनाया जा सकता है।

द्वितीय योजना द्वारा "पञ्चम परिस्थितियों को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है, जिससे स्वयं-स्रुत अवस्था को प्राप्ति हेतु आवश्यक बनावट एवं परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकें। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को स्वयं स्रुत अवस्था तक पहुँचाना था। मन्त्रों यह है कि स्वयं स्रुत अवस्था की प्राप्ति हेतु अर्थ एवं विनियोजन में इतनी वृद्धि करना आवश्यक होना है कि राष्ट्रिय आय में निरन्तर तीव्र गति से वृद्धि होती रहे। इस अवस्था की प्राप्ति हेतु राष्ट्र में विनियोजन विज्ञान स्तर पर होना चाहिए तथा विज्ञान स्तर का विनियोजन-कार्यक्रम का मत्ता लनाय पूँजीगत वस्तुओं एवं सामग्री की उत्पादन-क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। तृतीय योजना में विनियोजन के कार्यक्रम एवं प्रकाश निश्चित करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया था।

स्वयं स्रुत अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब उत्पादन एवं वृद्धि का अनुचित विकास किया जाय। जाय एवं राजस्व की वृद्धि हेतु औद्योगिकरण का कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान की जाय। दूसरी ओर, औद्योगिक विकास तभी सम्भव हो सकता है जब वृद्धि का विकास करने वृद्धि उत्पादन-क्षमता में प्रगतिमान वृद्धि का जाय। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसलिए देश की पूँजीगत शक्तियों एवं साथ साथ अन्य मानव व उत्पादन में वृद्धि करने पर जोर दिया गया था। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ जन शक्ति का पूर्ण उपयोग न होना हो गेजगार अवसरों की पदाण वृद्धि द्वारा ही विकास का सफल बनाया जा सकता है। तृतीय योजना में इनोविट रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने पर विशेष जोर दिया गया था।

तृतीय योजना के उद्देश्य

तृतीय योजना के कार्यक्रम निम्नांकित मुख्य उद्देश्यों पर आधारित थे—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में ५% से अधिक आर्थिक

वृद्धि करना तथा इस प्रकार विनियोजन करना कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर का अंश आगामी योजना में भी चानू रहे ।

(२) अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा कृषि उत्पादन में इतना वृद्धि करना कि देश के उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ इनका आवश्यकतानुसार निर्यात भी किया जा सके ।

(३) उष्णत रसायन उद्योग गति ईंधन जल आपारभूत उद्योगों का विस्तार एवं मशीन निर्माण करने वाले कारखानों की स्थापना करना जिसमें हम देश के अन्दर देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक यंत्र-जाल की आवश्यकताओं के ही साधनों से की जा सके ।

(४) देश की अर्थ-शक्ति का यथामुम्भव पूषतम उपयोग करना तथा रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना ।

(५) जनशक्ति की अधिक समानता का स्थापना करना तथा घन एवं आय का विपमताओं में कमी करना तथा राधिक शक्ति का अधिक उपयोग विनियोजन करना ।

(१) राष्ट्रीय आय में २% प्रतिशत की वृद्धि—तृतीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय १३ ००० करोड़ रु० (सन् १९६०-६१ में सन् १९५८-५९ के मूल्यांकन आधार पर) में बढ़कर १७ ००० करोड़ रु० सन् १९६५-६६ तक होने का अनुमान था । सन् १९६०-६१ के मूल्यांकन आधार पर सन् १९६०-६१ की अनुमानित राष्ट्रीय आय १४ ५०० करोड़ रु० में बढ़कर सन् १९६५-६६ तक १६ ००० करोड़ रु० होने का अनुमान लगाया गया था । यह भी अनुमान लगाया गया कि चौथा योजनाकाल अन्त तक राष्ट्रीय आय २१ ००० करोड़ रु० और पाँचवी योजनाकाल अन्त तक ३३ ००० से ३४ ००० करोड़ रु० हो जायेगी । जनशक्ति की वृद्धि की दरें टंगत रहते हुए प्रति व्यक्ति आय सन् १९६०-६१ में ३३० रु० (सन् १९६०-६१ के मूल्यांकन पर) अनुमानित थी जो तृतीय योजनाकाल अन्त तक बढ़कर ३८५ रु० होने का अनुमान था । इस प्रकार तृतीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में लगभग १०% की प्रति व्यक्ति आय में अनुमानित वृद्धि करने हेतु तृतीय योजनाकाल में १० ४०० करोड़ रु० का विनियोजन करने का लक्ष्य रखा गया । विनियोजन का राशि को राष्ट्रीय आय के ११% स्तर में बढ़कर १४% से १५% तथा घरेलू बचन की राष्ट्रीय आय के ८५% से बढ़कर ११ ५% करने का लक्ष्य रखा गया । यदि तृतीय योजनाकाल में इन लक्ष्यों का अनुना हम प्रथम एक द्वितीय योजनाकाल वर्षों के विकास में करें तो हम मानेंगे कि इन दस वर्षों में सन् १९६०-६१ के मूल्यांकन स्तर पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि ४२% तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि २१% हुई है ।

इन दस वर्षों की विनियोजन राशि १० ११० करोड़ रु० थी और इस काल में राष्ट्रीय आय (सन् १९५०-५१) में ६ ५३० करोड़ रु० (सन् १९६०-६१

के मूल्यां पर) से बढ़कर सन् १९६०-६१ में १४,१४० करोड़ ₹० होने का अनुमान था, अर्थात् इस काल में १०,११० करोड़ ₹० के विनियोजन पर ४,६१० करोड़ ₹० की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी। तृतीय योजना में १०,४०० करोड़ ₹० के विनियोजन पर ४५०० करोड़ ₹० की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का लक्ष्य था। ऊपर गण्टों में, इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सन् १९५०-५१ से सन् १९६०-६१ तक अथ व्यवस्था की जा प्रानि दस वर्षों में हुई थी, सामग्य उतनी ही प्रानि तृतीय योजना के पांच वर्षों में प्राप्त करने का लक्ष्य था। उपरुक्त आंकड़ों से यह भी पाठ होना है कि तृतीय योजना में विनियोजन की उत्पादकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होना था।

(२) कृषि-उत्पादन में आत्म निर्भरता—द्वितीय योजना के अनुभवों से यह पाठ हुआ कि कृषि-उत्पादन की कमी से आर्थिक नियोजन की समस्त कार्यवाहियों में बाधा उत्पन्न होती है। द्वितीय योजना की साधारण की कमी से यह आवश्यक कर दिया कि तृतीय योजना में कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाय और इसीलिए इस उद्देश्य का उद्देश्यों की सूची में द्वितीय स्थान दिया गया। कृषि एवं सामुदायिक विकास के लिए तृतीय योजना में १०६८ करोड़ ₹० का आयोजन किया गया, जो द्वितीय योजना के इस मद के व्यय ५३० करोड़ ₹० से दुगुना था। द्वितीय योजना के समस्त व्यय का ११% कृषि एवं सामुदायिक विकास पर व्यय किया गया जबकि तृतीय योजना के व्यय का १४% इस मद पर व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त ६५० करोड़ ₹० की एक मध्यम स्तरों सिंचाई-परियोजनाओं पर व्यय का लक्ष्य था। इस प्रकार तृतीय योजना में कृषि विकास पर १७१८ करोड़ ₹० जो समस्त व्यय का २३% था व्यय होना था। द्वितीय योजना में समस्त व्यय का १ भाग कृषि विकास पर व्यय हुआ जबकि तृतीय योजना में समस्त व्यय का १ भाग इस मद पर व्यय किए जान का लक्ष्य रखा गया।

भारत में कृषि-व्यवस्था का राष्ट्रीय आय का लगभग आधा भाग निर्भर करता है। इस क्षेत्र का पर्याप्त विकास न होने पर प्रति व्यक्ति की आय में भी पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकती है। तृतीय योजना में किसानों के उत्पादन में ३१% का वृद्धि करने का लक्ष्य था। समस्त कृषि उत्पादन में तृतीय योजनाकाल में ३०% की वृद्धि होने का अनुमान था जबकि पिछली दो योजनाओं के इस वर्षों में कृषि उत्पादन में केवल ४१% की वृद्धि हुई। तृतीय योजना के कृषि उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने समय कच्चे मात की आवश्यकताओं को भी ध्यान दिया गया।

(३) आयात-रहित उद्योगों का विस्तार—तृतीय योजना में द्वितीय योजना के समान योजना के समस्त उत्पादन व्यय का २०% भाग उद्योगों एवं उच्च विकास पर व्यय करने का आयोजन था। इन आधार पर कहा जा सकता है कि तृतीय योजना में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक विकास को प्राथमिकता की आवश्यकता से

अधिक महत्त्व नहीं दिया गया। तृतीय योजना में औद्योगिक एवं रसायन विभाग पर ₹ १२० करोड़ रुपया व्यय होता था जो द्वितीय योजना के व्यय ६०० करोड़ ४० लाख १३ गुना था। इसके अनिश्चित ₹ ०२० करोड़ रुपया विज्ञान क्षेत्र में उद्योग पर विनियोजित किया जाना था। इस प्रकार उद्योग एवं रसायन पर विनियोजित होने वाली राशि २५७० करोड़ ४० थी जो योजना के समस्त विनियोजन की २५% थी।

दूसरी ओर कृषि एवं सिंचाई पर सरकार एवं निजी क्षेत्र में विनियोजित होने वाली राशि लगभग ₹ २१० तथा ८०० करोड़ ४० थी जो समस्त विनियोजन की २०% थी। तृतीय योजना में ४२५ करोड़ ४० का समस्त विनियोजन का ४% या पर्याप्त एवं सघु उद्योगों के विकास पर विनियोजित हुआ था। इस प्रकार तृतीय योजना में औद्योगिक एवं रसायन विभाग पर योजना के समस्त विनियोजन का २६% भाग विनियोजित हुआ था जबकि कृषि एवं सिंचाई के विकास के लिए बसल २०% राशि ही विनियोजित हुआ थी। इस दृष्टिकोण में यह स्पष्ट है कि तुल्य योजना द्वितीय योजना के समान उद्योग प्रधान थी। तुल्य योजना में औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों द्वारा लगभग १५ वर्षों में साक्षर औद्योगिकरण की नींव डाली जाना थी जिसमें राष्ट्रीय भाव एवं रोजगार में अनुमानित वृद्धि का यह ही नींव थी। तृतीय योजना में पूंजीगत उत्पादन वस्तुओं एवं मशीन निर्माण उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार का महत्त्व दिया गया। इनके अनिश्चित औद्योगिक विकास पर उचित निर्दिष्ट बजट माल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी तुल्य योजना में औद्योगिक कार्य प्रामाण्यपूर्ण रूप से विचारित किए गये।

(५) रोजगार के अभाव का समाधान—तुल्य योजना के समान ही तुल्य योजना में भी योजनाबद्ध रूप से बढ़ी हुई श्रम शक्ति का रोजगार प्रदान करने का भावजन किया गया। भारत में श्रम शक्ति का मात्र वृद्धि के कारण अत्यन्त बढ़ती के विकास के साथ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही थी। अभी तक भारतीय अर्थ व्यवस्था का विकास श्रम शक्ति की वृद्धि के अनुकूल नहीं हो सका था। यह अनुमान लगाया गया कि द्वितीय योजना के अंत में ६० लाख व्यक्ति बेरोजगार एवं और १५० ग १८० लाख व्यक्ति आर्थिक रोजगार प्राप्त रहेंगे। तृतीय योजनाबद्ध में सन् १९६१ की जनगणना के प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार १७० लाख व्यक्तियों की वृद्धि श्रम शक्ति में हुई। तृतीय योजना में बसल १५० लाख व्यक्तियों की रोजगार के अभाव प्रदान करने का आवाहन किया जा रहा और १५० लाख व्यक्तियों की रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयत्न किए जाने थे। यदि तृतीय योजना में अनुमानित मात्रा में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो भी जाती तब भी योजना के अंत में सन् १९६० लाख व्यक्ति बेरोजगार रहते और हमारी योजनाओं के अन्तिम समय पूर्ण रोजगार की प्राप्ति ही प्राप्त तब तक न हो सकती थी।

(६) अभाव की समाधान एवं धन तथा धान्य के निरक्षण की विषयमार्थ

में कमी—अक्सर की समानता उत्पन्न करने के लिए काय करना व साथ एक इच्छुक प्रयत्न व्यक्ति का रोजगार के अवसर प्रदान करना आवश्यक था। इसी कारण भारत की तृतीय योजना में रोजगार के अवसरों की वृद्धि का मद्देनमा प्रधान किया गया। अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति रोजगार के अवसरों का जनसंख्या के अनुकूल करने के लिए देश में एक औद्योगिक आधार स्थापित करना तथा शिक्षा पर समान सेवाओं का विकास करना जयन्त आवश्यक था। तृतीय योजना में स्त्री शक्ति का अधिकार उद्योगों के विकास एवं शिक्षा तथा समाज-सेवाओं के विकास का आधार बना दिया गया। ६०२१ वर्ष के अर्थ-व्यवस्था के लिए निष्पत्ति एवं अर्थ-व्यवस्था शिक्षा का आधार बना दिया गया। शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास एवं शैक्षणिक प्रगति की सुधारों के विकास का प्रयत्न किया गया। तृतीय योजना में स्त्री शक्ति का अधिकार उद्योगों के विकास एवं शिक्षा तथा समाज-सेवाओं के विकास का आधार बना दिया गया। तृतीय योजना में स्त्री शक्ति का अधिकार उद्योगों के विकास एवं शिक्षा तथा समाज-सेवाओं के विकास का आधार बना दिया गया। तृतीय योजना में स्त्री शक्ति का अधिकार उद्योगों के विकास एवं शिक्षा तथा समाज-सेवाओं के विकास का आधार बना दिया गया।

भारत की योजनाओं में धन और शक्ति का अभाव की वृद्धि के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आर्थिक गतिशीलता का केन्द्रियकरण न हो सके। तृतीय योजना में सरकारी क्षेत्र में संगठित एवं भागी योजनाओं में विकास करना, मध्यम एवं सघन धरोहरों के उद्योगों सहकारिता के आधार पर संगठित उद्योगों एवं तबौत व्यवस्थाओं द्वारा संचालित उद्योगों के विकास के अधिक अवसर प्रदान करना तथा उच्च शैली वित्तीय नीति का प्रभावकारी संचालन कर आर्थिक सुधारों के केन्द्रियकरण का रोके जाने का आयोजन किया गया।

तृतीय योजना का व्यय विनियोजन एवं प्राथमिकताएँ

भारत की जनसंख्या की वृद्धि, जनसाधारण की सुविधाओं की उपलब्धि के सम्बन्ध में होने वाली सम्भावनाओं तथा जयन्ती दो या तीन योजनाओं में देश की स्वयं-सूचक विकास-व्यवस्था तक पहुँचाने की आवश्यकता के कारण पर तृतीय योजना के नीतिगत कार्यक्रम निर्धारित किये गये। योजना में सम्मिलित सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों की कुल लागत ८,००० करोड़ ₹० से भी अधिक अनुमानित की। निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों का समस्त व्यय ८,१०० करोड़ ₹० अनुमानित था। उच्चतम अनुमानों के अनुसार, तृतीय योजनाकाल में ७,१०० करोड़ ₹० के माध्यम उपलब्ध हुए थे। योजनाकाल में उपलब्ध अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए योजना के कार्यक्रम संचालकों के वर्तमान अनुमानों पर पूरक आधारित नहीं रखे गये। यह अनुमान लगाया

गया कि जल-ऊर्जा योजना की उत्पादक परियोजनाएँ संचालित होने लगेगी अथ साधना की उपलब्धि की सम्भावनाएँ भी बढ़ जायगी। इसी कारण ७५०० करोड़ ६० क अथ साधना के लिए ८,००० करोड़ २० क कार्यक्रम निर्धारित किया गया। यह ५०० करोड़ २० योजना के संचालनकाल में परिस्थिति के अनुसार विभिन्न क्षत्रों में प्रयत्न करने का अनुमान था। तृतीय योजना का प्रस्तावित व्यय एवं वास्तविक व्यय तासिका न० ७५ में दिया गया है।

इस तासिका के अवलोकन में गलत होता है कि तृतीय योजना में सरकार क्षेत्र के 'यस का सबसे अधिक' भाग संगठित उद्योग एवं खनिज क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया। वास्तव में योजना का २५.८% 'यस छोटे बड़े उद्योग एवं खनिज' के लिए निर्धारित किया गया। इसमें अनिश्चित गति की निर्धारित राशि से भी जीवाणिक विकास का ही अधिक सहायता मिलती थी। इस प्रकार लगभग ३% 'यस औद्योगिक विकास' के लिए निर्धारित किया गया। दूसरी ओर तृतीय योजना में कृषि विकास एवं सिंचाई पर योजना के व्यय का २३% भाग 'यस शिक्षा' जाना था। यदि हम यह मान लें कि गति के साधना के अन्त में प्रायोगिक क्षत्रों में प्रियती के अभाव और ऐम उद्योगों का विकास होगा जिनमें कृषि विकास में सहायता मिलती तो भी यह बात सचता प्रायश्चित्त होगी कि अनिश्चित गति के साधना का गति के साथ औद्योगिक क्षेत्र का प्राप्त होगा। इन कारणों पर यह कहना अनिश्चित नहीं होगी कि तृतीय योजना भी उद्योगप्रधान थी।

तृतीय योजना का सरकारी क्षेत्र का वास्तविक व्यय प्रायश्चित्त व्यय में १५% अधिक रहा। यदि तृतीय योजनाकाल के मूल्य स्तर की वृद्धि को ध्यान में रखा जाय

तासिका न० ७५—तृतीय योजना का सरकारी क्षेत्र का अयोजित एवं वास्तविक व्यय वितरण

(करान रूप में)

मह	प्रस्तावित व्यय	समस्त व्यय में प्रतिशत	वास्तविक व्यय	समस्त वास्तविक व्यय में प्रतिशत	वास्तविक व्यय का प्रस्तावित व्यय से प्रतिशत
कृषि एवं अन्य सहायक क्षत्र	१०६८	१६.२	१०८६०	१२.६	१०२
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	६५०	८.७	६६३७	७.७	१०७
शक्ति	१०१२	१५.५	१०५२३	१५.६	१२५
उद्योग एवं खनिज	१५२०	२०.३	१७२६३	२०.१	११५
प्रायोगिक एवं लघु उद्योग	२६५	३.५	५५०८	६.८	१२५
यातायात एवं संचार	१५८६	२६.८	२१११७	२५.६	१५७
समाज सेवाएँ एवं विविध	१५००	२०.०	१५६३५	१७.६	६६.५
योग	७५००	१००.०	८५७३२	१००.०	११५

ता आयोजित व्यय में वास्तविक व्यय अधिक हान हुए भी योजना की भौतिक उपलब्धियाँ लक्ष्यों में कम ही रहने का अनुमान लगाया जा सकता है। यावत् मूल्य निर्देशक के मन्दम में यदि योजना के वास्तविक व्यय का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भौतिक आधार पर योजना का वास्तविक व्यय आयोजित व्यय में काफी कम रहा है। निम्नलिखित तालिका में दिये गये नम्बों से यह बात स्पष्ट होगी है।

तालिका न० ७६—तृतीय योजना का वास्तविक व्यय
मूल्य निर्देशक के मन्दम में

वर्ष	योजना का वास्तविक व्यय (करोड़ रुपया)	यावत् मूल्य निर्देशक (१९४७-४८ = १००)	१९६०-६१ में मूल्य निर्देशक का आधार पर योजना का वास्तविक व्यय (१९६०-६१ का निर्देशक = १००) (करोड़ रुपया)
१९६१-६२	११०८	१०५.१	११०६
१९६२-६३	१३८६	१०७.६	१०६८
१९६३-६४	१७०६	१२५.३	१४७८
१९६४-६५	१६८०	१५०.७	१६०५
१९६५-६६	२३७२	१६४.१	१७८८
योग	८४७७	—	७३८१

जैसा पहले बताया जा चुका है कि तृतीय योजना में ८,००० करोड़ रुपया का साधन का कार्यक्रम सम्मिलित किए थे जबकि वास्तविक व्यय आयोजित करने ७,४०० करोड़ रुपया का किया गया था। उपर्युक्त तालिका में बात होता है कि ८,००० करोड़ रुपया के साधन के कार्यक्रमों पर भौतिक दृष्टिकोण से वास्तविक व्यय करके ७,३८१ करोड़ रुपया अर्थात् आयोजित साधन की ८९% साधन ही पायी गयी थीर १४% वास्तविक साधन कम व्यय करने के कारण बहुत से कार्यक्रमों के लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव नहीं हो सकी। इन आँकड़ों की गणना में यह मान लिया गया है कि योजना के कार्यक्रमों की साधन मूल्य १९६०-६१ के मूल्यों पर आधारित थी। यह भी मान लिया जाय कि नियोजकों ने इन कार्यक्रमों की साधन निर्धारित मूल्यों की सम्भावित वृद्धि को ध्यान में रखा होगा तो भी योजना का वास्तविक भौतिक व्यय आयोजित एवं वास्तविक भौतिक व्यय से कम ही रहेगा क्योंकि मूल्यों में अनुमान से कहीं अधिक वृद्धि तृतीय योजनाकाल में हुई।

योजना के आयोजित व्यय की तुलना में वास्तविक भौतिक व्यय १,०३३ करोड़ रुपया अधिक हुआ। इस अधिक्य का अधिकतर भाग खानेपान एवं संचार की प्राप्ति द्वारा सक्ति उद्योग में आयोजित व्यय में कहीं अधिक राशि व्यय की गयी। दूसरे ओर वास्तविक व्यय के बढ़ने का कोई विशेष सामर्थ्य, एवं खर्च का उपलब्ध नहीं

दृष्टा अर्थात् कृषिक्षेत्र के विकास-कार्यक्रमों का पूर्णरूपेण संचालन नहीं हो सका और इन पर होने वाला वास्तविक भौतिक व्यय आयोजित व्यय से भी कम रहा। ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर आयोजित व्यय से कम राशि व्यय की गयी। इस प्रकार यह कहना अनिर्णयप्रति न होगी कि ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने वाले कार्यक्रमों का संचालन पूर्णरूपेण तृतीय योजना में नहीं किया गया। समाज-सेवाओं पर होने वाला व्यय से विभिन्न मदों पर व्यय निम्न प्रकार किया गया—

तालिका न० ७७—तृतीय योजना में समाज-सेवा में सम्मिलित विभिन्न मदों का आयोजित एवं वास्तविक व्यय

(कराड़ १० में)

मद	आयोजित राशि	वास्तविक राशि
शिक्षा	४१८	५८८ ७
कृषिगत गांध	१२०	७१ ५
स्वास्थ्य	२१०	२२५ ६
परिवार नियोजन	२७	२५ ६
जल पूर्ति एवं सफाई	१०५	१०५ ७
गृह निर्माण आदि	२०२	१२७ ५
पिछड़ी जातियों का कल्याण	११५	६६ १
समाज कल्याण	२८	१६ ५
अन्य कार्यक्रम	२६६	२३० ५
योग	१५००	१४६३ ५

शिक्षा को छोड़कर समाज सेवाओं में सम्मिलित अन्य सभी मदों में आयोजित व्यय से कम राशि खर्च की गयी है।

तृतीय योजना के व्यय की प्रगति का यदि अध्ययन करें तो पता होता है कि योजना के प्रथम से पाँचवें वर्ष तक का वास्तविक व्यय कुल व्यय का लगभग १३२ १५० १६६, २२० तथा २८६ प्रतिशत था अर्थात् अन्य योजनाओं के समान इस योजना में भी विकास व्यय बढ़ के वर्षों में अधिक रहा। प्रथम वर्ष अर्थात् सन् १९६०-६१ के विकास व्यय की तुलना में अन्तिम वर्ष अर्थात् सन् १९६२-६३ में व्यय दुगुण से भी अधिक रहा। व्यय के इस अममान वितरण का एक कारण मूल्य-स्तर में निरन्तर वृद्धि होना भी रहा है। इसके अनिर्दिष्ट बहुत-सी परियोजनाओं का कार्य योजना के प्रारम्भिक काल में नहीं किया जा सका था।

विनियोजन—तृतीय योजना के सरकार क्षेत्र के समस्त व्यय ७२०० करोड़ ६० मं ६३०० कराड़ ८० विनियोजन तथा दोष १२०० कराड़ ६० धातु व्यय हान का अनुमान था। निम्नो क्षेत्र में ४१०० कराड़ ६० का विनियोजन हान का

अनुमान था। इन विनियोजन राशियों का विभिन्न मदों पर वितरण इस प्रकार था—
तालिका नं० ७८—द्वितीय एवं तृतीय योजना में विनियोजन
(करोड़ रुपयों में)

मद	सरकारी क्षेत्र	द्वितीय निजी क्षेत्र	योजना याग	याग में प्रतिशत	सरकारी क्षेत्र	तृतीय निजी क्षेत्र	योजना याग	योजना याग में प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	२१०	६२५	८३१	१७	६६०	८००	१,४६०	१४
बहुी एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई-योजनाएँ	४२०	—	४२०	६	६५०	—	६५०	६
शक्ति	४४५	४०	४८५	७	१,०००	५०	१,०६०	१०
प्रामाण्य एवं लघु उद्योग	६०	१७५	२३५	४	११०	२७५	४०५	४
संगठित उद्योग एवं खनिज	८७०	६७५	१,५४५	२३	१,४००	१,०५०	२,४५०	२४
मानापात एवं मचार	१,२७५	१३५	१,४१०	२१	१,४८६	२५०	१,७३६	१७
समाज-सेवाएँ एवं विविध उत्पादन में बाधा न आने हेतु संचित कच्चा एवं अर्द्ध-निर्मित माल	—	१००	१००	८	७००	६००	१,३००	८
याग	३,६५०	३,१००	६,७५०	१००	६,३००	४,१००	१०,४००	१००

१०,४०० करोड़ रु० के विनियोजन में २,०३० करोड़ रुपये की विनि-मुद्रा की आवश्यकता होने का अनुमान था। द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष का विनि-योजन स्तर, १,६०० करोड़ रु० तृतीय योजना के अन्त तक बढ़कर २,६०० करोड़ रु० हो जाने का अनुमान था। तृतीय योजना में द्वितीय योजना की तुलना में विनि-योजन-स्तर में लगभग ५४% की वृद्धि होनी थी। सरकारी क्षेत्र के विनियोजन में ७०% की तथा निजी क्षेत्र के विनियोजन में ३२% की वृद्धि होने का अनुमान था। द्वितीय योजनाकाल में हुए विनियोजन की तुलना तृतीय योजना के विनियोजन के अनुमानों के साथ करने से पात होना है कि इन दोनों योजनाओं में विनियोजन का प्रचार लगभग समान था। तृतीय योजना में कृषि एवं सामुदायिक बिनाश पर समस्त विनियोजन का १४% निषाणित किया गया है जबकि यह प्रतिशत द्वितीय योजना में १२% था। शक्ति का विनियोजन, जो द्वितीय योजना में समस्त विनियोजन का ७% था वो बढ़ाकर तृतीय योजना में १०% कर दिया गया। इसी प्रकार

उद्योग एवं खनिज के विनियोजन प्रतिशत २३% को बढ़ाकर २५% कर दिया गया। सिंचाई तथा एव शायीण उद्योग तथा बच्च एवं अढ निषित माल के विनियोजन-प्रतिशत द्वितीय योजना के समान ही थे। द्वितीय योजना में यानायात एवं संचार तथा समाज सेवाओं पर विनियोजन का क्रम २१% एवं १६% विनियोजित किया गया जबकि यह प्रतिशत तृतीय योजना में घटाकर १७% एवं १६% कर दिया गया। विनियोजन के प्रकार से हम पाते हैं कि तृतीय योजना में औद्योगिक विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गयी। समस्त विनियोजन का २६% भाग प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित किया गया जबकि कृषि विकास के लिए (सिंचाई सहित) केवल २०% भाग ही निर्धारित किया गया परन्तु इस तथ्य के साथ-साथ यह भी स्पष्ट है कि तृतीय योजना में द्वितीय योजना का तुलना में कृषि-विकास को अधिक महत्व दिया गया। कृषि क्षेत्र के विनियोजन (सिंचाई सहित) को १८% से बढ़ाकर २०% कर दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र के विनियोजन में भी वृद्धि ०% ही की वृद्धि की गयी।

सरकारी क्षेत्र के विनियोजन की राशि ६ ०० करोड़ ६० म २०० करोड़ ६० निजा क्षेत्र में कृषि उद्योग गृह निर्माण आदि के कुछ हुए विनियोजन का सहायता उपलब्ध होगा। इस प्रकार तृतीय योजना में सरकारी क्षेत्र का वास्तविक विनियोजन (६ ३०० - २००) ६ १०० करोड़ ६० और निजी क्षेत्र का विनियोजन (४ १०० + २००) ४ ३०० करोड़ ६० होगा। सरकारी एवं निजा क्षेत्र के विनियोजन के अनुपात का यदि हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि प्रथम योजना में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के विनियोजन का अनुपात लगभग ४६ ५४ (१ १६० करोड़ ६० सरकारी क्षेत्र में और १ ८०० करोड़ ६० निजी क्षेत्र में) तृतीय योजना में यह अनुपात ५१ ४६ (३ ६५० करोड़ ६० सरकारी क्षेत्र में और ३ १०० करोड़ ६० निजा क्षेत्र में) तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह अनुपात ६१ ३९ है (६ ३०० करोड़ ६० सरकारी क्षेत्र में और ४ १०० करोड़ ६० निजा क्षेत्र में)। यदि सरकारी क्षेत्र से सहायताय निजी क्षेत्र में हस्तान्तरित होने वाली राशि २०० करोड़ ६० को निजी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाय तो यह अनुपात ५६ ४१ आता है। इस आंकड़ा से यह स्पष्ट है कि योजनाकाल के नवीन विनियोजन में सरकारी क्षेत्र का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है और निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र की तुलना में कुछ कम विस्तार के अवसर उपलब्ध हैं। यह परिस्थिति हमारा योजनाओं के अन्तिम तथ्य समाजवादी समाज की स्थापना के अनुकूल ही है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र का विनियोजन २०० करोड़ ६० प्रति वर्ष था जो प्रथम योजना के अन्त तक ४५० करोड़ ६० प्रति वर्ष हो गया। सन् १९५६ ५७ में सरकारी क्षेत्र का विनियोजन लगभग ५०० करोड़ ६० था जो तृतीय योजना के अन्त तक ८०० करोड़ ६० प्रति वर्ष हो गया। तृतीय योजना के

अन्त तक सरकारी विनिमयन की राशि १,५०० करोड़ २० प्रति वर्ष होने की सम्भावना थी। इस प्रकार योजनागत के १५ वर्षों में सरकारी क्षेत्र की विनिमयन-राशि मात्र तुनी से भी अधिक हो जायेगी। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के उद्योगों और एक मध्यम क्षेत्रों के उद्योगों एवं निजी पर आधारित विनिमयन प्रथम योजना में ५५ करोड़ २० था, जो द्वितीय योजना के अन्त तक बढ़ना १५० करोड़ २० हो गया। तृतीय योजना के अन्त में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग एवं मध्यम क्षेत्रों के उद्योगों में विनिमयित होने वाली राशि का आधारित औसत २०० करोड़ २० से भी अधिक होने का अनुमान था।

तृतीय योजनाकाल में साम्प्रतिक विनिमयन ११०० करोड़ २० प्रति वर्ष का अनुमान है जो आधुनिक विनिमयन प्रति से ३२% अधिक है। सरकारी क्षेत्र का साम्प्रतिक विनिमयन ३१०० करोड़ २० और निजी क्षेत्र में ५१०० करोड़ २० हुआ। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के विनिमयन की राशि आधुनिक विनिमयन-राशि से १३% अधिक रही परन्तु तृतीय योजना में विनिमयन-राशि-वर्धन-दिव्यांक ११% (१९६०=१००) था। अर्थात् वर्ष १९६० के विनिमयन-राशि-वर्धन के अन्त में साम्प्रतिक विनिमयन केवल ६६६० करोड़ २० मात्र है जो आधुनिक विनिमयन १०,५०० करोड़ २० का केवल ६३% है।

तृतीय योजना के अर्थ-साधन

जैसा हमें शक है कि तृतीय योजना में उन्निहित सरकारी क्षेत्र के अर्थ-साधनों की अनुमानित मात्रा ८००० करोड़ २० है परन्तु अनेक प्रश्न करने वाली कुछ परिस्थितियों पर अनुमानित राशि से कम व्यय हो पायेगा और इन परिस्थितियों के शेष आर्थ-साधनों को सौधी योजना में पूरा किया जायेगा। इन परिस्थितियों में सम्पूर्ण अनुमानित राशि योजनाकाल में न व्यय होने की सम्भावना निम्नी आर्थ-साधनों के अनुभवों पर आधारित है। परिस्थितियों का सम्भावित व्यय न होने के बड़े कारण हो सकते हैं जिनमें से दो अधिक महत्वपूर्ण हैं—प्रथम प्रयासित एवं सन्तान-सम्बन्धी बढिआया तथा द्वितीय पर्याप्त दिव्यांक मुद्रा एवं आर्थ-साधन पुर्णतः सम्पूर्णों का समय पर उपलब्ध न होना। इन्हीं कारणों से योजना में सरकारी क्षेत्र का व्यय ७,५०० करोड़ २० निर्धारित किया गया जिनमें से ६०० करोड़ २० विनिमयित किया जायेगा और शेष १,००० करोड़ २० सन्तान-सेवाओं एवं अन्य विविध-कार्य-क्रमों पर खर्च व्यय होना था।

तृतीय योजना में समस्त साधनों से प्राप्त होने वाली कुल राशि को अर्थ-साधन मन्त्र दिया गया और पृथक्-पृथक् साधनों से अनुमानित राशियाँ प्राप्त करने पर अधिक जोर नहीं दिया गया। खर्च प्राप्त की राशि अर्थ-साधनों की विविध-कार्य-विधि पर निर्भर रहती है। योजना-कार्य-क्रमों के उचित होने पर उचित उचित साधन प्राप्त लोगों के हाथों में गजो है खर्च प्राप्त में जो इच्छा हो सकती है। खर्च प्राप्त के

सम्बन्ध में इसी प्रकार टीक टीक अनुमान लगाता सम्भव नहीं होता है। इसी प्रकार विकास सम्बन्धी सर्वेक्षण अथवा खास व्ययों में भी अर्थ व्यवस्था के साथ साथ परिवर्तन होते रहने हैं और इनका भी टीक टीक अनुमान लगाता सम्भव नहीं होता है। राजकीय व्यवसायों एवं नवीन प्रारम्भ हुई परियोजनाओं में होने वाली बचत के अनुमान भी टीक टीक लगाता नहीं होता है। वास्तव में, अर्थ साधनों की विभिन्न गणनाएँ एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में और टीक समय पर विदेशी सहायता प्राप्त हो जाय तो घरेलू साधनों से भी अधिक अर्थ प्राप्त होता है।

तृतीय योजनाकातः आयोगित व्यय ७ १०० करोड़ ६० कि १,०७७ करोड़ अथवा व्यय करना केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों द्वारा सम्भव हो सके। विभिन्न मदों से अर्थ साधन प्राप्त करने के अनुसार प्राप्त हुए—

तालिका सं० ७६—तृतीय योजना के अधःसाधन

(करोड़ ६० में)

क्रम	विवरण	मौलिक आयोगित	कुल आयोगित राशि में प्रतिशत	उपलब्ध वास्तविक राशि	कुल वास्तविक राशि में प्रतिशत	वास्तविक आयोगित राशि में प्रतिशत
(अ)	आंतरिक बजट में साधन	४७१०	६३.३	५,०२१	५८.५	६५
(१)	खास व्यय का अतिरिक्त	५५०	७.३	—४१६	—४.६	—
(२)	सरकारी व्यवसायों का अतिरिक्त	५४०	७.३	४३५	५.०	७६
(ब)	रेलवे का अनुदान	१००	—	६२	—	—
(ग)	अथवा सरकारी व्यवसायों का अनुदान	४१०	—	३७२	—	—
(३)	अतिरिक्त कर एवं सरकारी व्यवसायों की अतिरिक्त आय	१७१०	२२.८	२,८६२	३३.६	११६
(४)	जगत से गण (पुस्तक)	८००	१०.७	८२३	९.६	१०३
(५)	संपूर्ण बचत	६००	८.०	४६१	५.६	६४
(६)	आंतरिक ऋण, अतिरिक्त बचत इत्यादी बाण्ड एवं बाण्ड	—	—	११७	१.४	—
(७)	स्टेट प्राविधिक निधि	२६४	३.५	३३६	३.९	१२७
(८)	इत्यादि सामाजिक कल्याण	१०५	१.५	३४	०.४	३४
(९)	विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियाँ (पुस्तक)	१७०	२.३	२३८	२.३	१४०

(ब) विदेशी सहायता	२ ०००	२६४	२,६२३	२२३	११०
(क) PL ४८० के अतिरिक्त	—	—	१,०२६	—	—
(ग) PL ४८० के अन्तर्गत	२ ०००	—	१ ०८७	—	—
(घ) होनाथ प्रवचन	५१०	७०	१,१३३	१२०	२०६
(ङ) अ + ब + ग (योग)	३ ५००	१००	८ ५३३	१००	११५

(१) चालू आय में वचन—तृतीय योजनाकाल में चार एक राज्यों की चालू आयों का अनुमान ६ २५० करोड़ ₹० लगाया गया। यह अनुमान सन् १९६०-६१ के उपाधिक वजत अनुमान की राशि १ ८०० करोड़ ₹० तथा सन् १९६१-६२ के वजत-अनुमान १,९५० करोड़ ₹० पर आधारित थी। इसी प्रकार योजनाकाल के चालू व्यय का अनुमान ८ ५०० करोड़ ₹० था। इन्हीं अनुमानों के आधार पर चालू आय की वजत ५१० करोड़ ₹० सम्भावित थी। द्वितीय योजना में इस नए न कड़े वचन नहीं हुई और १० करोड़ ₹० जड़ साधनों से चालू व्यय के लिए जुटाना पड़ा। द्वितीय योजना के इन साधनों की तुलना में तृतीय योजना की अनुमानित चालू आय की वजत अपेक्षित प्रतीत होती है।

चालू आय की वजत तृतीय योजनाकाल में इसकी अपेक्षा अनुमानित करने का आधार द्वितीय योजनाकाल के प्रथम दो वर्षों में कर से उचित आय का प्राप्त होना था। कर से अपेक्षा प्राप्त के दो मुख्य कारण थे—अतिरिक्त कर एवं अपेक्षित रिमाईनों का विस्तार। यह जाणा की गयी कि द्वितीय योजनाकाल में लागू नये अतिरिक्त करों की आय सामान्यतः तृतीय योजनाकाल में बनी रहती और अपेक्षित रिमाईनों का निरन्तर विस्तार होता रहा। चालू आय की वजत के अनुमानों में अतिरिक्त करों से होने वाला आय को सम्मिलित नहीं किया गया। तृतीय योजनाकाल में १ ५१० करोड़ ₹० अतिरिक्त करों से प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया। अतिरिक्त करों के वजन पर परते से सजा हुए करों की प्राप्तिवा पहले समान ही रहती ऐसी अनुमान लगाना कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता था परन्तु यदि तृतीय योजनाकाल में अपेक्षित रिमाईनों का विस्तार अनुमानानुसार होता तो करों से प्राप्तिवा भी अनुमान के उद्देश्य प्राप्त हो सकती थी। द्वितीय योजना में चालू एक अतिरिक्त करों से प्राप्त होने वाली वजत १ ००० करोड़ ₹० थी जबकि तृतीय योजना में इन साधनों से २ ०६० करोड़ ₹० प्राप्त होने का अनुमान था जो द्वितीय योजना की तुलना में दुगुने से भी अधिक थी। करों से प्राप्त होने वाली वजत इसकी अपेक्षा अनुमानित करना यह लिए भी समभवतः प्रतीत नहीं होती थी कि तृतीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अनुमान केवल २०% था और विनियोजन की राशि द्वितीय योजना की विनियोजन राशि की तुलना में ५०% ही अधिक थी। चालू आय की वृद्धि के साथ साथ जब विकास से सम्बंध न रखने वाले सरकारी व्यय में अनुमान से अपेक्षा वृद्धि हो जाती है तो चालू आय की वजत अनुमानानुसार नहीं हो सकती है।

तृतीय योजना के अथ साधनों की वास्तविक उपलब्धि के आँकड़ों से पता होना है कि योजना के समस्त उपलब्ध साधना का ५८% भाग आंतरिक साधना से प्राप्त हुआ जबकि मौलिक योजना में इन साधना से योजना के मौलिक व्यय का ५०० करोड़ २० का ६३% भाग प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था। मौलिक अनुमानों के अनुसार बजट के साधनों से ४,७५० करोड़ २० प्राप्त करने का अनुमान था जबकि इन साधना की प्राप्ति ५,०२१ करोड़ २० है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि योजनाकाल में घर योजना व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई और खास राजस्व का आधिक्य जो ५५० करोड़ २० अनुमानित था वह निपटीत इस मापन में ४१६ करोड़ २० की होना रही जिसका तात्पर्य यह हुआ कि घर-योजनाव्यय में सम्भावना में ६६६ करोड़ २० की अधिक वृद्धि हुई।

(२) अनिर्दिष्ट कर—योजनाकाल में अनिर्दिष्ट कर द्वारा प्रारम्भिक अनुमानों से भी अधिक राशि प्राप्त होने का अनुमान है। इस साधन से १,७१० करोड़ २० प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था जबकि वर्तमान अनुमानानुसार वास्तविक प्राप्ति २,८६२ करोड़ २० है। योजना के प्रथम वर्ष में अनिर्दिष्ट करों द्वारा १०७ करोड़ २० प्राप्त हुआ जो योजना के अन्तिम वर्ष में सरकार क्रमशः १,०५४ करोड़ २० हो गया।

(३) रेलों से अनुदान—द्वितीय योजनाकाल में रेल व्यवसाय में विकास के लिए प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि १५० करोड़ २० है। इस राशि में द्वितीय योजनाकाल की किराय भाट में वृद्धि करने से प्राप्त होने वाली अनिर्दिष्ट राशियाँ सम्मिलित हैं। तृतीय योजनाकाल में किराय भाट में हानि बाल समायोजन का अनिर्दिष्ट राशि अनुदान में सम्मिलित नहीं की गयी इसीलिए रेलों से प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि केवल १०० करोड़ २० ही अनुमानित थी। यद्यपि सन् १९५५-५६ से रेल व्यवसाय की कुछ थोड़ी निरन्तर बर्तनी जा रही है। सन् १९५६-५७ में रेलों की कुछ आय ५८ करोड़ २० सन् १९६०-६१ में ९८ करोड़ २० हो गया, परन्तु रेलों का अनुदान वर्ष प्रति वर्ष घटता जा रहा है। सन् १९५६-५७ में रेलों का अनुदान की राशि लगभग २० करोड़ २० थी जो सन् १९६१-६२ में केवल ८६४ करोड़ २० रह गयी। इस प्रकार रेलों के अनुदान की घटती हुई प्रवृत्ति के आधार पर रेलों के अनुदान की राशि १०० करोड़ २० अधिक प्रतीत होनी थी।

योजना के प्रथम तीन वर्षों में विकास-कार्यक्रमों के लिए रेलों का अनुदान अनुमान से अधिक रहा, परन्तु अन्तिम दो वर्षों में यह अनुदान शून्याकार हो गया जिसका प्रमुख कारण मकानों की अवस्था में रेल यानायात के मुद्दाम पर अधिक व्यय किया जाना था।

(४) अथ सरकारी व्यवसायों में आधिक्य—तृतीय योजना में अथ सरकारी व्यवसायों में आधिक्य एवं राज्य सरकारों से रेलों के ही व्यवसाय सम्मिलित हैं।

४४० करोड़ २० लाख होने का अनुमान था। यह राशि इन व्यवसायों की आय से इनके समस्त व्यय, आवश्यकताओं का आर एव सामान्य या सामान्य करने के परवार् अनुमानित की गयी परन्तु इस राशि में वाणिज्य आय (Depreciation) की आयोजित राशियाँ एव अन्य उचित निधियों में उभा हुन वाली वादिक राशियाँ सम्मिलित थीं। इन मदों की इस राशि में इसलिए सम्मिलित कर लिया गया कि इनके द्वारा सरकारी व्यवसायों के विस्तार-कार्यकों का सम्मानित किया जायगा। ४४० करोड़ २० की इस राशि में से ३०० करोड़ ०० केन्द्र सरकार द्वारा संचालित व्यवसायों से शी गैर राज्य-सरकारों के व्यवसायों से प्राप्त होने का अनुमान था। वास्तव में, राज्य की राशि का इस आधिक्य में सम्मिलित करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। हाथ का यह हानि वाली सम्पत्ति से प्रतिस्पर्धा के लिए आयोजित किया गया है और इसे विस्तार के लिए उपलब्ध राशियों में सम्मिलित करना दृष्टिकोण केन्द्रों के अनुकूल नहीं है। वास्तव में सरकारी व्यवसायों के विस्तार-कार्यकों के लिए विस्तार-निधि (Development Fund) का निर्माण किया जाना चाहिए था, अथवा इन व्यवसायों का आधिक्य अनुमानित करते समय केवल मुद्रा नाम की ही विचार में रखा चाहिए था। यदि आधिक्य में मुद्रा नाम का ही सम्मिलित किया जाता तो सरकारी व्यवसायों से प्राप्त होने वाले आधिक्य की राशि ४४० करोड़ २० से वहीं कम रहती। सरकारी क्षेत्र के जतिष्ठतर व्यवसाय बनाये गये-प्रवस्था में हैं और इनमें बहुत से व्यवसाय दीर्घ नाम तक नहीं साम्य प्राप्त नहीं कर सके। रेलों का छोड़कर अन्य सरकारी व्यवसायों में वर्तमान मुद्रा नाम की दर से प्रभाव से अधिक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस साधन से इतनी बड़ी राशि प्राप्त होना बर्जा प्रतीत होती थी।

इस साधन से प्राप्त होने वाली राशि लगभग अनुमान से कम ही रही है परन्तु केन्द्रीय सरकार के व्यवसायों का आधिक्य अनुमानित राशि से अधिक रहा है जबकि राज्य-सरकारों के व्यवसायों का आधिक्य अनुमान से कम रहा है। यह बात कल्पनात्मक है कि विभिन्न परिषदों की उपायनसमिति का पक्ष उभरता होने के साथ सरकारी व्यवसायों के आधिक्य में कृत्रिमता रही। यह आधिक्य वर्ष १९११-१२ में २९ करोड़ २० से बढ़कर वर्ष १९६६-६७ में १०७ करोड़ २० हो गया।

(४) जनता के ऋण—द्वितीय योजनाकाल में ७२० करोड़ २० करोड़ के ऋण के रूप में प्राप्त हुआ। तृतीय योजना में इस मद में २०० करोड़ २० लाख होने की सम्भवता की गयी। इस राशि में उभायी ऋण से प्राप्त होने वाली मुद्रा राशियाँ सम्मिलित थीं। द्वितीय योजना में इस मद से प्राप्त होने वाली राशि में PL 480 के अन्तर्गत उभा हुई राशि में से स्टेट बैंक द्वारा उभरी गयी ऋणों की राशि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक द्वारा उभरी गयी सरकारी प्रतिष्ठानों की बड़ी राशि जनता के ऋण में सम्मिलित की हुई है। द्वितीय

योजना में इस प्रकार जनता द्वारा जुटाये गये ऋण की 'गुद' राशि ३०० करोड़ ६० से भी कम है। तृतीय योजना में PL 480 के फण्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकाशियों के नाम में रिजर्व बैंक में जमा रहेंगे और इनके द्वारा विशेष प्रकार की प्रतिभूतियाँ जो इसी उद्देश्य से जारी की जायेंगी ब्रय हागी। इन प्रतिभूतियाँ की राशि का तृतीय योजना में विदेशों सहायता की मद में सम्मिलित किया गया। दूसरी ओर रिजर्व बैंक द्वारा ऋण कार्यक्रमों में दी गयी सहायता को हीनाप प्रयत्न में सम्मिलित कर लिया गया। तृतीय योजना में इस मद के अनुमानों में आवन बीमा निगम द्वारा बड़ा मात्रा में खरीदी हुई सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा अन्य विनिर्भोजकता द्वारा ब्रय की जान वाली प्रतिभूतियों की राशियाँ सम्मिलित थीं। यह भी अनुमान लगाया गया था कि 'व्यापारिक बैंकों द्वारा भी कुछ ऋण जुटाया जायगा। राज्यों की ऋण राशि में बिजली बोर्डों तथा अन्य सरकारी 'यवसायों द्वारा प्राप्त किये गये ऋणों की राशियाँ का भी सम्मिलित कर लिया गया परन्तु इन अनुमानों में सहकारी क्षेत्र की ऋण का आवश्यकताओं का सम्मिलित नहीं किया गया यद्यपि योजनाकाल में सहकारी क्षेत्र के विस्तार का समुचित आयाजन किया गया। सहकारी क्षेत्र को बाजार से पर्याप्त ऋण मिलने के पक्षधन जनता से इतना अधिक ऋण प्राप्त होना कठिन होगा। दूसरी ओर निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों को संचालित करने से लिए बाजार से ऋण प्राप्त होना आवश्यक था। इस प्रकार ऋण की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र एवं सरकार में होने वाली प्रतिस्पर्धा को रोकने हेतु निजी क्षेत्र को बैंकों द्वारा दी जाने वाली सहायता का नियंत्रित करना आवश्यक था।

योजनाकाल में जन-ऋण से अनुमान से भी अधिक राशि प्राप्त हुई है। जन-ऋण से प्राप्त होना वाला राशि में वष प्रति वष वृद्धि होती रही है। योजना के प्रथम वर्ष (सन् १९६१-६२) में १३३ करोड़ रुपया जन ऋण से प्राप्त हुआ जो सन् १९६४-६५ में बढ़कर २४३ करोड़ ६० हुआ गया है। अधिक जन ऋण प्राप्त होने का प्रमुख कारण मौद्रिक ब्रय में वृद्धि तथा सफटकालीन अवस्था की मनावनात्मक भावनाएँ हैं।

(६) लघु बचत—द्वितीय योजनाकाल में लघु बचत से ३०० करोड़ ६० प्राप्त होने का अनुमान था जबकि इससे केवल ४०० करोड़ ६० प्राप्त हुए। तृतीय योजना में इस मद से प्राप्त होने वाली राशि का अनुमान ६०० करोड़ ६० निर्धारित किया गया। यह में लघु बचत के साधन विस्तृत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु बचत प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए। तृतीय योजनाकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का अत्यधिक विस्तार होना था और ग्रामीण क्षेत्र की बचत का बहुत बड़ा भाग सहकारी क्षेत्र का ब्रय उपलब्ध कराने में उपयोग हो जाना था। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक लघु बचत प्राप्त करना सुलभ नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में धन गाँवकर रखने अथवा बचत का जबर आदि में परिवर्तित करने का प्रवृत्तियाँ में परिवर्तन कर लघु बचत की राशि को पर्याप्त

मात्र में बढ़ाया जा सकता है। इन बातों का पूरा करने की सम्मति का अतिरिक्त प्रमाण वर मुगडित प्रयास करने की आवश्यकता थी।

उपरोक्त वचन से प्राप्त होने वाली राशि भी अनुमानित राशि की ६५% है। उपरोक्त वचन की राशि में इनामी बाण स्वयं बाण प्राधिक वृत्ति बना (Annual Deposit) तथा अनिवाय वचन से प्राप्त राशियों भी सम्मिलित करे तो उपरोक्त वचन से प्राप्त होने वाली राशि अनुमान से अधिक हो जाती है।

(३) प्राधिक निधि इस्पात समानोष्ण फण्ड तथा अन्य पूंजीगत प्राणियों का पैसा—द्वितीय योजना में प्राधिक निधि में १३० करोड़ २० की मुद्रा वृद्धि हुई। द्वितीय योजनाकाल में इसमें २६१ करोड़ २० की वृद्धि होने की सम्भावना थी। प्राधिक निधि की वृद्धि की राशि का अतिरिक्त अनुमान अतिरिक्त किया गया तथा कि केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के जनधारियों के कृत्यों से इनमें-का में वृद्धि हो गयी और केंद्रीय विभागों में प्राधिक निधि का अनिवाय रूप से गारु कृत किया गया। इस्पात समानोष्ण फण्ड में १०५ करोड़ २० प्राप्त होने का अनुमान है। अन्य पूंजीगत प्राणियों में सम्प्रदा-कर फण्ड एवं जना धादि भी सम्मिलित थे जो इस मद में १७० करोड़ २० प्राप्त होने की सम्भावना थी जबकि द्वितीय योजना में इस मद से केवल २० करोड़ २० ही प्राप्त हुआ। पूंजीगत प्राणियों की मुख्य मदें सम्प्रदा-कर (Betterment Levies) स्थानीय निकायों द्वारा एवं अन्य को देने गये प्राणों की वापसी कायू आय से फण्ड में हस्तांतरण, विभिन्न जना फण्ड एवं प्राणिया आदि थीं। दूसरी ओर पूंजीगत आय की मुख्य मदें जमींदारों एवं सरकारी प्राणियों को दिया जान वाला मुनाबजा, कृषकों को दिये जाने वाले क्रा, स्टेट टैक्स में हुई वृद्धि आदि थीं। इन मदों से १३० करोड़ २० प्राप्त होने का अनुमान तब बाजों पर आधारित था—प्रथम विच्छेद वर्षों की प्रवृत्तियों के अन्वय, द्वितीय, योजना में सम्प्रदा न करने वाले पूंजीगत निकायों की अत्यन्त कम जा मुनाबजा तथा द्वितीय क्षेत्र काल से अतिरिक्त प्राणों आदि की वापसी के विषय में प्रथम विच्छेद वर्षों में।

द्वितीय योजनाकाल में अन्य तदानीय (इस्पात समानोष्ण फण्ड की छोड़कर) प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि योजना के आरम्भिक अनुमानों से अधिक है।

(४) विदेशी सहायता—द्वितीय योजनाकाल में ३००० करोड़ २० की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान था जिसमें से द्वितीय योजना के अर्थ-साधनों में केवल २००० करोड़ २० ही सम्मिलित किया गया था। ३००० करोड़ २० की विदेशी सहायता में से ४५० से १०० करोड़ २० तक की विदेशी सहायता द्वितीय योजना में वास्तविक होने वाले विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए उपलब्ध हो जानी थी। उनके अतिरिक्त लगभग ३०० करोड़ २० की विदेशी सहायता निजी क्षेत्र को विदेशियों द्वारा उठायी गयी पूंजी अथवा विदेश बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम तथा मुद्रा राश

अमेरिका के नियमित आयात वक से प्राप्त होने वाले ऋणों के रूप में चली जाना था। इसमें माय हो २०० करोड़ ₹ की राशि में से कुछ राशि अमेरिका के अधिकारियों द्वारा PL 480 के अंतर्गत रोक की राशि (Retention Money) के रूप में रखा जानी थी और शेष PL 480 के अंतर्गत बकर रटाव में वृद्धि करने के लिए उपयोग की जाती थी। इस प्रकार लगभग १ ००० करोड़ ₹ की विदेशी सहायता विकास कार्य क्रमा के लिए उपलब्ध हो सकने का अनुमान था। इसी कारण अनुमानित विदेशी सहायता की राशि ३ ००० करोड़ ₹ में से बचन २ ००० करोड़ ₹ की योजना का अर्थ साधना में सम्मिलित किया गया।

विदेशी सहायता से विकास-कार्यक्रमा का उपलब्ध होने वाली राशि योजना के प्रथम वर्ष में २६० करोड़ ₹ था जो योजना के अंतिम वर्ष में बढ़कर ६८६ करोड़ ₹ हो गयी परन्तु पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप योजना के अंतिम वर्ष के लिए उपलब्ध होने वाली राशि में कटौतें पड़ गयी थी और Aid India Club के सदस्यों ने अस्थायी रूप में सहायता का राबन का निश्चय किया था। यह सहायता समय पर न मिलने के कारण योजना के अंतिम वर्ष में इसका पूर्ण उपयोग होना सम्भव न हो सका। विदेशी सहायता के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एक पृथक अध्याय में दिया गया है।

हीनाय प्रबंधन

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हीनाय प्रबंधन की राशि का अत्यन्त सामान्य रखा गया। द्वितीय योजनाकाल में मूल्यो में लगभग २१% से ४०% की वृद्धि हुई। इसका अधिक मूल्यों में वृद्धि होने पर हीनाय प्रबंधन की राशि हीनाय योजना में अधिक रचना अर्थ व्यवस्था को अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो सकता था। दूसरा और द्वितीय योजनाकाल में हीनाय प्रबंधन का राशि १ २०० करोड़ ₹ निर्धारित की गयी जत्रकि वास्तविक राशि ६४८ करोड़ ₹ रनी। इसका अधिक हानार्थ प्रबंधन राशि राबन का कारण द्वितीय योजना में उपलब्ध विदेशी मुद्रा का संचय था। इस संचय का उपयोग कर देना की आयात करने की सुविधाएँ उपलब्ध थी जिनमें हीनाय प्रबंधन के कुप्रभावा का दूर किया जा सकता था और क्रूरों को अधिक बन्धन से रोक जा सकता था। द्वितीय योजना में यह विदेशी विनिमय के संचय अर्थ न कम रह गये क्योंकि इस संचय में से लगभग ५६८ करोड़ ₹ का उपयोग निम्न योजनाकाल में ही चुका था। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए द्वितीय योजना में हीनाय प्रबंधन की राशि केवल ५५० करोड़ ₹ निर्धारित की गयी। हीनाय प्रबंधन के सम्बन्ध में ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सम्मुख थे जिनका सन्तुष्ट उत्तर प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक था। प्रथम प्रश्न यह था कि कितनी कम राशि के हीनाय प्रबंधन से योजना के अर्थ-साधना का आवश्यकतानुसार पूर्ति हो सकता थी अथवा नहीं। हीनाय प्रबंधन मुद्रा एवं साधनाना के ही प्रसार से होता है। यदि

योजनाकाल में मुद्रा एवं साख के प्रसार पर नियंत्रण रखा जाता है ताकि जनसाधारण की मौद्रिक दाय पर प्रभाव पड़ता है और जनसाधारण अधिक बर भार वहन करने में असमर्थ रहता है। ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त कर की इतनी वृद्धि राशि १,९१० करोड़ ₹० की उपलब्धि अत्यन्त कठिन हो सकती थी। योजना के उप-नामों की प्राप्ति में कमी होने पर हीनाय प्रबन्धन की राशि का बढाना अत्यन्त आवश्यक हो सकता था।

हीनार्थ प्रबन्धन के सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न यह है कि इसकी निश्चित राशि के योजनाकाल में मूल्यांकन की दृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द्वितीय योजना में ६५८ करोड़ ₹० का हीनाय प्रबन्धन किया गया जिसमें से लगभग १६८ करोड़ ₹० का अतिरिक्त विदेशी विनिमय का उपयोग किया गया और इस प्रकार द्वितीय योजनाकाल में केवल ४९० करोड़ ₹० की ही मुद्रा एवं साख प्रसार का सम्पूर्ण ही उपलब्धि का भाग प्राप्त करने की आवश्यकता थी परन्तु ५२८ करोड़ रुपय की मौद्रिक राशि का उपयोग अधिकतर पूर्वाग्रह सम्पत्तियों के आयात के लिए किया गया और उपभोक्ता-वस्तुओं का उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गयी। इसी कारणों से द्वितीय योजनाकाल के मूल्यांकन में २४% से ३०% की वृद्धि हुई। तृतीय योजनाकाल में ५५० करोड़ ₹० के हीनाय प्रबन्धन का आयातन किया गया। योजनाकाल में अतिरिक्त विदेशी विनिमय का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह अत्यन्त आवश्यक स्थिति पर निर्भर करता था। इस प्रकार ५५० करोड़ ₹० के हीनाय प्रबन्धन का सम्पूर्ण भार अर्थ-व्यवस्था पर पड़ना था। तृतीय योजना के विनिर्माण के प्रभाव में यह स्पष्ट है कि योजना में पूर्वाग्रह एवं उत्पादन सम्पत्तियों के उत्पादन को अधिक महत्व दिया गया परन्तु योजना के उद्देश्यों में खाद्यान्नों एवं इति उपभोग की वृद्धि को विशेष महत्व प्राप्त था। यदि इन उद्देश्यों की पूर्ति उपभोक्ता-वस्तुओं द्वारा की जाये तो अर्थ-व्यवस्था हीनाय-प्रबन्धन के इस भार को वहन करने में सफल हो सकती थी। जनसाधारण की आय का बढावा भारत में खाद्यान्नों पर व्यय होता है और खाद्यान्नों में पर्याप्त वृद्धि होने पर उपभोक्ताओं की कमी हुई मात्रा की पूर्ति सम्भव हो सकती थी। यद्यपि तृतीय योजना में राष्ट्रीय उत्पादन की अतिरिक्त वृद्धि तथा विनिर्माण की मात्रा की दृष्टिगत करते हुए ५५० करोड़ ₹० की हीनार्थ प्रबन्धन की राशि अधिक एवं आधिकारिक प्रतीत नहीं होती थी परन्तु उपभोक्ता-वस्तुओं की पर्याप्त वृद्धि एवं अर्थ-व्यवस्था की अनुपस्थिति में हीनाय-प्रबन्धन मूल्यांकन की दृष्टिगत वृद्धि का भार अत्यन्त बढ़ता था। हीनाय-प्रबन्धन की राशि में भी अनुमानित राशि की तुलना में भी अतिरिक्त रहा है। योजना के प्रथम वर्ष में हीनाय प्रबन्धन की राशि १८४ करोड़ ₹० थी जो अब १६६५ करोड़ से बढ़कर २६९ करोड़ ₹० हो गयी। यहाँ के अर्थ-व्यवस्था की राशि अनुमानित राशि से इतना अधिक रहने के प्रमुख कारण विदेशी उत्पादन का समय पर प्राप्त न होना आर्थिक स्थिति का अत्यन्त बुरा होना है।

याजना का समस्त व्यय आयोजित व्यय से अधिक होना, सन् १९६५-६६ वष म मानसून का प्रतिबुल हाना आदि थे। हीनाथ प्रवचन की रानि अनुमान से अधिक रहने क कारण योजनाकाल म मूल्य वृद्धि लगभग ३२% हुई जो अनुपानित वृद्धि क कही अधिक थी।

तृतीय योजना मे विदेशी विनिमय की आवश्यकता एव साधन

तृतीय योजना के १०४०० करोड र० के विनियोजन म जो विभिन्न काय काम सम्मिलित थे उनम समयम २०१० करोड र० की विदेशी आयात की आवश्यकता होने का अनुमान था। सरकारी एव निजी क्षेत्र के विभिन्न विनिपात्रन का सदा म विदेशी विनिमय की आवश्यकता निम्न प्रकार अनुमानित थी—

तालिका म० ६०—तृतीय योजना के कायकमौ की विदेशी विनिमय की आवश्यकताएँ^१

मद	समस्त विनियोजन	(करोड रुपया म) विदेशी विनिमय की आवश्यकता
सरकारी क्षेत्र		
कृषि एव सामुदायिक विकास	६१०	३०
बड़ी एव मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएँ	६५०	५०
शक्ति	१०१२	३२०
ग्रामीण एव लघु उद्योग	१००	२०
वृहद् एव मध्यम श्रेणी के उद्योग एव खनिज (खनिज तेल सहित)	१४७०	१६०
यातायात एव संचार	१४८६	३२०
समाज सेवाएँ एव अन्य	५७२	६०
उत्पादन काम म रबाबट न आने के लिए कच्चा एव अड्ड निमित्त मात्र	२००	—
सरकारी क्षेत्र का योग	<u>६१००</u>	<u>१५२०</u>
निजी क्षेत्र		
वृहद् एव मध्यम श्रेणी के उद्योग, खनिज एव यातायात	१,३२०	४६५
ग्रामीण एव लघु उद्योग	३२५	१५
अन्य	२६२५	—
निजी क्षेत्र का योग	<u>४,३००</u>	<u>४८०</u>
महायोग	<u>१०४००</u>	<u>२०३०</u>

योजना की परियोजनाओं की २,०३० करोड़ ₹० की विदेशी विनिमय की आवश्यकता के अनिश्चित धन-व्यवस्था की उचित मात्रा, प्रतिस्थापना-भागीनें तथा बचत पूरक योजनाओं की सामान्य आवश्यकता का पूर्ति के लिए १,६१० करोड़ ₹० का आवश्यकता का अनुमान था। विदेशी विनिमय की इस आवश्यकता की पूर्ति निम्न प्रकार करन या आयाजन था—

तालिका न० ८१—तृतीय योजना की विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं का प्रवन्धन^१

(करोड़ रुपयों में)

वर्ग	द्वितीय योजनाकाल	तृतीय योजनाकाल
(अ) प्राप्तिया		
निर्यात	३,०४०	३,०००
अन्वय व्यवहार (गुड)	४००	—
पूँजीगत व्यवहार (सरकारी कर्ण एवं निजी विदेशी विनियान का छोटा कर)	—१७०	—४५०
विदेशी महायन्त्रा	६२७	२,६०० ^२
विदेशी विनिमय के संचय का उपयोग	१६५	—
प्राप्तियों का योग	<u>४,८२६</u>	<u>४,१५०</u>
(आ) भुगतान		
योजना की परियोजनाओं के लिए मशीनों आदि का आयात	—	१,६००
पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अढ-निमित्त माल आदि	४८०६	२००
निर्वाह-सम्बन्धी आयात (Maintenance Imports)	—	२६५०
भुगतान का योग	<u>४,८०६</u>	<u>४,४५०</u>

उपरोक्त तालिका से पता होता है कि योजनाकाल को विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्यात की वृद्धि का भरपूर प्रयत्न करना आवश्यक आवश्यक था। सन् १९६०-६१ में निर्यात की मात्रा ६४० करोड़ ₹० को उपरि

१ Third Five Year Plan p 112

२ इस राशि में PL 480 के अन्तर्गत ६०० करोड़ ₹० की विदेशी महायन्त्रा सम्मिलित नहीं है।

तृतीय योजना में निर्यात का वार्षिक औसत ७४० करोड़ रु० बनाये राखना आवश्यक था परन्तु योजनाकाल में देश का निर्यात में अनुमानानुसार वृद्धि नहीं हो सका और दूसरी ओर आयात अनुमान से अधिक रहा जिसका फलस्वरूप योजना का पूरा काम में विन्नेगी विनिमय की कठिनाई महसूस की गयी। चीन एवं पाकिस्तानों आक्रमण का फलस्वरूप देश की विन्नेगी विनिमय का आवश्यकता में अत्यधिक वृद्धि हुई और विनाश-कायक्रमों की पर्याप्त विदेशी विनिमय उपलब्ध न हो सका।

तृतीय योजना के पांच वर्षों में कुल निर्यात ३७६१ करोड़ रु० का तुलना अर्थात् वार्षिक औसत ७५२ करोड़ रु० रहा जो अनुमानित राशि से अधिक था। सन् १९६५-६६ में निर्यात ८०६ करोड़ रु० का हुआ जो सन् १९६०-६१ के निर्यात की तुलना में २६% अधिक था। दूसरी ओर तृतीय योजनाकाल में कुल आयात ६,२०४ करोड़ रु० का हुआ जो अनुमानित आयात की राशि से ६% अधिक था। सन् १९६०-६१ में देश का आयात ११२० करोड़ रु० था जो सन् १९६५-६६ में बढ़कर १४०६ करोड़ रु० हो गया अर्थात् योजनाकाल में आयात में लगभग २६% की वृद्धि हुई।

तृतीय योजना के कार्यक्रम, लक्ष्य एवं प्रगति—कृषि एवं सामुदायिक विकास

तृतीय योजना में सम्मिलित कृषि सिंचाई एवं सामुदायिक विकास का कार्यक्रम के लिए १७१८ करोड़ रु० का व्यय निर्धारित किया गया। इन कार्यक्रमों द्वारा कृषि उत्पादन की वृद्धि की दर को अगले पांच वर्षों में दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया। योजनाकाल में आद्याओं में ३०% और अन्य फसलों में ३१% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इन मद की निर्धारित समस्त राशि में से १२८१०० करोड़ रु० कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों पर व्यय होना था। इस राशि का अनिश्चित यह भी सम्भावना की जाती थी कि कृषि-कार्यक्रमों के लिए सहकारिता संस्थाओं से उपलब्ध हान वाली साल में भी पर्याप्त वृद्धि हो जायगी। अल्पकालीन ऋण द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष में २०० करोड़ रु० से बढ़कर तृतीय योजना के अन्त तक ५३० करोड़ रु० होना अनुमान था। इसी प्रकार दीर्घकालीन ऋण १४ करोड़ रु० से बढ़कर तृतीय योजना के अन्त में १५० करोड़ रु० होने का अनुमान था। कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए योजना में निम्नलिखित तात्त्विक कार्यक्रम सम्मिलित किये गये—

(१) सिंचाई—तृतीय योजनाकाल में बड़ी मध्यम एवं लघु स्तरों की सिंचाई योजनाओं द्वारा २५६ लाख एकड़ भूमि (सकन) में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध होने का अनुमान था। इस प्रकार तृतीय योजना के अन्त तक सिंचित भूमि ६०० लाख एकड़ हो जानी थी।

(२) भूमि-सुरक्षा शुल्क लेती सपा भूमि को कृषि योग्य बनाना—योजनाकाल में ११० लाख एकड़ भूमि में भूमि सुरक्षा के कार्यक्रम संचालित होना था २२० लाख

एक भूमि पर पुष्प खेती की कार्यप्रणालियों का आयाजन का तथा २८ लाख एकड़ भूमि का वृषि योग्य बनाया जाना था।

(३) साठ एव सामायनिक साद की उपतन्त्रि—नाइट्रोजन (N) साद के २२ योग में पाँच गुना वृद्धि हा जानी थी और इसका उपयोग १० लाख टन हा जाना था। फास्फेटिक साद (P₂O₅) का उपयोग ६ गुना अर्थात् ३०,००० टन से बढ़कर ४ लाख टन हा जाना था। इसी प्रकार पाटविक (K₂O) साद का उपयोग अर्थात् २ लाख टन हो जान का अनुमान था। इसी साद का उपयोग १२८ लाख एकड़ भूमि पर से बढ़कर ८१० लाख एकड़ भूमि में हाज का लक्ष्य था।

(८) अन्धे बीज की धपिक उपज एव वितरण—तृतीय योजनाकाल में १४८० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में अन्धे बीज का उपयोग हाज का अनुमान था। द्वितीय योजना में प्रथम विभागकाल में एक बीज का परम खर्चने का आयाजन किया गया था। द्वितीय योजना के अन्त तक लगभग ४,००० बीज के परम की म्या पदा होने का अनुमान था। तृतीय योजना क प्रारम्भ के वर्षों में ८०० बीज क अतिरिक्त काम स्थापित करने का आयाजन किया गया।

(५) बीजे की सुरक्षा (Plant Protection)—द्वितीय योजनाकाल में पीधों की सुरक्षा के कार्यक्रम लगभग १६० लाख एकड़ भूमि पर मुष्पतिव किया गये। तृतीय योजना में इन कार्यक्रमों को लगभग ४०० लाख एकड़ भूमि पर लागू किया जान का लक्ष्य था।

(६) अन्धे हल, वृषि योजार एव वैज्ञानिक वृषि विधियों का उपयोग—उपज एव द्वितीय योजना में अन्धे बीजार्गे एव वैज्ञानिक विधियों के उपयोग के लिए का कार्यक्रमों की गयीं, उनकी प्रति धपयिक अन्द रही। तृतीय योजना में इस धार विशेष ध्यान दिया गया। वृषि योजारों के निर्माण के लिए आन्धक साद एव इन्धन राशियों के वृषि विभागी द्वारा उपलब्ध कराना जाना था।

विशेषतः द्वारा खुले हुए अन्धे वृषि योजारों की राशय सुरक्षाओं का विभागी एक पदुधाने दिया उनके उत्पादन एव मरम्मत का प्रबंध करना था। तृतीय योजनाकाल में आर अन्धे वृषि-योजारों की जीव एव प्रगतिगत के क्षेत्र खाने गये थे। तृतीय योजना में प्रथम राज्य में इस प्रकार के क्षेत्र खाने का आयाजन किया गया जिससे विभागी की अन्धे बीजार्गे के उपयोग का प्रगतिगत एव सुलाह हो जा सक। यह क्षेत्र अन्धे वृषि योजारों का निर्माण कर सकें। वृषि-अवधारण २५ विन्धार प्रगतिगत केन्द्रों (Extension Training Centres) पर सोल हो गयी थी। तृतीय योजना में अन्धे विस्तार प्रगतिगत-केन्द्रों पर वृषि-व्यवस्था सोला जानने थी, जिनमें प्राचीन मार क मायक-साधनों, मकनिक तथा विज्ञानों की प्रगतिगत दिया जाना था।

(७) जिला स्तर पर गहरी वृषि के कार्यक्रम—कोई फाउन्डेशन की वृषि-उत्पादन टीम की विभागीयों के अनुवार, विशेष खुले हुए खिलों में गहरी खेती की

समस्त मुविषाएँ प्रदान कर कृषि उत्पादन को अनुमानित स्तर तक बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना था। इन जिलों के अनुभवों का उपयोग धीरे धीरे अन्य जिलों में भी किया जाता था।

कृषिक्षेत्र के उत्पादन लक्ष्य—तृतीय योजना में कृषिक्षेत्र के उत्पादन लक्ष्य एक प्रगति निम्न प्रकार रहीं।

भारत का तात्पर्य से जान होगा है कि तृतीय योजना में कृषि उत्पादन में लक्ष्य के अनुसार वृद्धि नहीं हुई। योजना के प्रथम चार वर्षों में कृषि कायप्रमा की तात्पर्य एक प्रगतिनिष्ठ बढिनाइया व निवारण का समुचित प्रबन्ध किया गया परन्तु जलवायु के अनुकूल न रहने के कारण उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सका। सन् १९६१-६२ वर्ष में सितम्बर अक्टूबर में अधिक वर्षा हान व कारण खरीफ की फसलों तथा फसल के उत्पादन की क्षति पहुँची। दिसम्बर सन् १९६१ तथा जनवरी में कठोर गीत लहर व पतलस्वरूप चना और बाजरा के उत्पादन को क्षति पहुँची। सन् १९६२-६३ में शान्त की क्षति को गुटक मौसम के कारण और बड़ के उत्पादन को जाड़ों में वर्षा न हान के कारण हानि पहुँची। सन् १९६३-६४ में वर्षा कम होने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि अनुमानानुसार नहीं हो सकी। सन् १९६४-६५ में भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सबसे अधिक कृषि उत्पादन किया गया परन्तु सन् १९६५-६६ में मानसून की प्रतिभूलता के कारण कृषि उत्पादन में कमी हो गयी। कृषि उत्पादन के निर्देशांक में योजनाकाल में सन् १९६१-६२ में लगभग २% का वृद्धि हुई परन्तु सन् १९६२-६३ एवं सन् १९६३-६४ में यह निर्देशांक मानसून की प्रतिभूलता के कारण कम हो गया। इन वर्षों को कृषि उत्पादन निर्देशांक में सन् १९६०-६१ की तुलना में लगभग २% एवं १% की कमी हुई। सन् १९६४-६५ वर्ष में कृषि उत्पादन में आवश्यकतानुसार वृद्धि वर्षों के अनुकूल रहने के कारण हुई परन्तु यह वृद्धि सन् १९६५-६६ में बना नहीं रह सकी और इन वर्ष में कृषि उत्पादन निर्देशांक में सन् १९६०-६१ का तुलना में लगभग ७% की कमी हुई। इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप तृतीय योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति सन् १९६५-६६ को आधार मानने पर केवल ७५% तक हो सकी। परन्तु सन् १९६५-६६ वर्ष की अन्तर्माध्य वर्ष माना गया और इसी योजना का उपसर्गियों का मूल्यांकन सन् १९६४-६५ के उत्पादन के आधार पर किया जाता है।

सामुदायिक विकास—द्वितीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में १०० विकास क्षेत्रों में जिनमें लगभग ३०००० ग्राम सम्मिलित हैं संचालित किया गया। इनमें से लगभग २०० विकास क्षेत्र ५ वर्ष समाप्त कर सामुदायिक विकास की दूसरी अवस्था में प्रविष्ट कर गये थे। अक्टूबर सन् १९६३ तक सामुदायिक विकास-कार्यक्रम देग के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यापक हो जाने का लक्ष्य था।

तासिना सं० ८२-चुतीय योजना के उत्पादन लक्ष्यो की उपलब्धि

वर्ष	सं०	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६५-६६	१९६६-६७	का	सं०	१९६७-६८	के लक्ष्य
मध्य	का	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६५-६६	१९६६-६७	सं०	१९६७-६८	१९६८-६९	एव उपलब्धि का प्रतिशत
सावधान	साव टा)	८१०५	७८५५	८०२५	८८६६	७२०३	१०१६	७०६	११५७	७०६	
मत्त	गुठ साव टा)	१०२५	९७१	१०६०	१२३२	११८०	१०२०	११५७	१०२०	११५७	
मत्त	साव मठि)	५५६	५३१	५४६	५७०	५८०	५८०	५८३	५८३	५८३	
सूट	साव मठि)	६५०	५४५	६१८	६०२	५५०	६२०	५७६	६२०	६७६	
सावधानी का उत्पादन निर्देशांक	१०० = १६५६ (३०)	१५०३	१३३५	१३६५	१५०२	१२०६	१७१	१५५	१७१	१७१	
दुध उत्पादन का निर्देशांक	१०० = १९५६ (५०)	१५५८	१३६१	१५३१	१५५५	१३२७	१७६	१५५	१७६	१७६	
माइक्रोजियस टाव	(N के अनुसार टा)	१५५०	१७८०	२१६०	२३७०	२३२०	२१२०	२२८	२१२०	२६२	
गिन्नाई सुविधाओं का उपयोग	(साव एन्ड कम्पै)	६०	१०१	११०	१२१	१३५	१३५	१३५	१३५	१३५	
बक्ति	(शिमला साव A.W)	६२१	६६३	७६५	८५६	१०२	१२६६	१२६६	१२६६	१२६६	
औद्योगिक उत्पादन का	(कल-डर मर्च										
निर्देशांक	१६५६ = १००)	१३८३	१५०५	१६२७	१८०८	१८७७	१८७७	१८७७	१८७७	१८७७	
विजय के लिए निम्न लक्ष्य	(साव टा)	१०२	११०	११६	१००	१२०	१२०	१२०	१२०	१२०	
उत्पादन के उद्देश्य	(साव टा)	५३	५५	५६	६१	६५	६५	६५	६५	६५	
मशीनों के औजार	(करोड कम्पै)	६३	६६	७०	७५	७६	७६	७६	७६	७६	
मोटर गाड़ियाँ	(विजार मं)	५४५	५३६	५६५	६७१	७५६	७५६	७५६	७५६	७५६	

[गुप्त भाग के पृष्ठ पर देखें।]

१९६१-६२ १९६२-६३ १९६३-६४ १९६४-६५ १९६५-६६ १९६६-६७

मूल

का
सदस्य

एवं उपसदस्य

का%

शक्ति से चलाने वाले वाहन	१२६	१३१	१४४	१६१	१७४	१८०	१९२	६
सीमेन्ट	८०	४३	६४	६६	१०५	१३२	१६२	८०
विद्युत्-चलित क्षेत्र से बरतन उत्पादन	२४२६०	२४०२०	२६२६०	३०६६०	३१२४०	३१८४०	३२८४०	६८
मिनर का खनन बचपन	४६६०	४४०००	४४०२०	४६७४०	४४०१०	४३०००	४३०००	८३
गन्धक	२७१	२१४	२४७	३२६	३४१	३४६	३५६	६८
रेनों द्वारा मात्र की खनन	१६०४	१७८०	१६११	१६४०	२०३०	२४८०	२४८०	८१
सड़कों पर व्यापारिक गाड़ियाँ	२४४	२६६	२८०	३१२	३३२	३६४	३६४	८१
जहाजन	६१	१०६	१२६	१४०	१४४	१०४	१०४	१७
स्कूलों में अतिरिक्त छात्र	४००	४३६	४८६	६३०	६७७	६३६	६७७	१०६
सांख्यिक शिक्षा								
शिवी कौशल में प्रवेग की क्षमता	१४६	१७१	२१०	२३८	२४७	२४७	२४७	१२६
शिवी कौशल में प्रवेग की क्षमता	२७७	३०८	३६७	४६२	४८०	४८०	४८०	१२८
उत्पत्तियों में सम्मिलित	१६३	२०२	२२२	२२६	२४०	२४०	२४०	१००
शौचालय	४४२	६३८	६६३	६४४	६७७	६००	६००	७४
बच्चा पोषण	१३०	१३४	१४८	१४२	२४४	३०४	३०४	८३

दृतीय योजना में २६४ करोड़ ६० सामुदायिक विकास एवं २० करोड़ १० पंचायतों के लिए निर्धारित किया गया।

सामुदायिक विकास-योजनाओं में कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने का आश्वासन दिया गया। राज्यों की यात्राएँ जितनी एवं शहरों की यात्राओं के अभाव पर बनायीं गयीं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय साधनों एवं कृषकों के प्रयासों के प्रभावशाली उपयोग के लिए ग्रामीण उत्पादन यात्राएँ निम्न शर्तों के अन्तर्गत निर्धारित की गयीं—

(१) सिंचाई की आवश्यक सुविधाओं का पूर्णतः उपयोग, सामुदायिक सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आदि नाम प्राप्त पान वाले कृषकों द्वारा किया जाना एवं उपज के अभाव का निवृत्तता के साथ उपयोग।

(२) एक षष्ठिक पत्रक अग्रिम क्षेत्र में वृद्धि।

(३) अन्न धान का राज्यों में उत्पादन एवं वितरण।

(४) खाद की उपलब्धि।

(५) हरी एवं गूदे के खाद के कार्यक्रम।

(६) अच्छी कृषि उत्पादन विधियों का उपयोग।

(७) नवीन छोटी श्रेणी की सिंचाई-योजनाओं का सामुदायिक एवं उच्चतर स्तर पर उत्पादन एवं सुधारण।

(८) अच्छे कृषि-श्रीकारों के उपयोग के कार्यक्रम।

(९) सामाजिक एवं पत्तों के उत्पादन में वृद्धि।

(१०) सुर्ती-पालन, मछली एवं गरी के उत्पादन के विकास-कार्यक्रम।

(११) पशु-पालन—अच्छे शर्तों का राज्यों में रखना।

(१२) राज्यों में ईंधन के पत्तों एवं बरतारहों के विकास-कार्यक्रम।

सामुदायिक विकास के साथ समस्त देश में पंचायत राज्य का सुचारु रूप से प्रवृत्त किया जाना था। पंचायतों के प्रभावशाली सुधारण शुरु करने के प्रयासन में विवेकपूर्ण परिवर्तन भी किए जाने थे।

प्रथम एवं द्वितीय योजना के अनुभवों से शुरु हुए कि कृषि एवं पशु-पालन-सम्बन्धी सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों का प्राथमिकता ऐसे विभागों का दिया जाना चाहिये जहाँ अधिक भूमि थी। छोटे कृषकों एवं कृषि-मजदूरों को सामुदायिक विकास-योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ दृष्ट हो सोचिए भाषा में दिए पाया। तृतीय योजना में खास उद्देश्यों का उद्देश्य रखा गया कि विभिन्न भूमि-नुसार-सम्बन्धी विभागों के कार्यान्वित करने में सहयोग दे। ग्रामीण क्षेत्रों में महादूर योजना के अन्तर्गत बनाएँ, ग्रामीण उद्योगों एवं व्यवसायों की उत्पन्नता बनाएँ अथवा महादूरियाँ अथवा करने तथा अपने क्षेत्र की उपलब्ध संसाधनों का पूर्णतः उपयोग करें। ग्रामीण वर्गों द्वारा तानना २५ लाख व्यक्तियों को योजना के

अवसर प्रदान करने का आयोजन किया गया। इन वर्गों का पहला अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जाना था। तृतीय योजना में ६२ करोड़ ६० लाखों अक्षर खादों एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए निर्धारित किया गया। लघु उद्योग एवं इण्डस्ट्रियल एस्टेट (Industrial Estates) को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाना था। ५००० से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों एवं नगरों में से तथा २००० से ५००० तक की जनसंख्या वाले ५०% ग्रामों में मिजबी पट्टीकरण का आयोजन किया गया। इन सब सुविधाओं का उपयुक्त उपयोग कृषि मजदूरों की अधिक दशा में सुधार होने की सम्भावना थी।

मिर्चाई एवं शक्ति

तृतीय योजना की सिर्चाई परियोजनाओं का उद्देश्य उपलब्ध सुविधाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना तथा इन सुविधाओं द्वारा उत्पादित हानियाँ, जैसे अतिरिक्त पानी के एकत्रित होना (Water Logging) से भूमि बेकार होना आदि को रोकना था। योजना में इसलिए तीन प्रकार की परियोजनाओं को अधिक महत्व दिया गया—

(१) द्वितीय योजना की विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करना तथा धनात्मक सिर्चाई की नालियाँ बनाना।

(२) अतिरिक्त जल के एकत्रित होने को रोकना तथा पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाने की परियोजनाएँ।

(३) मध्यम श्रेणी की सिर्चाई परियोजनाएँ—तृतीय योजना के सिर्चाई के आयोजन १९६१ बराबर ६० म.से. ४३६ बराबर ६० द्वितीय योजना में प्रारम्भ की हुई योजनाओं को पूरा करने पर १९४ बराबर ६० नवीन सिर्चाई परियोजनाओं तथा ९१ करोड़ ६० लाख निवेश पर व्यय किया जाना था। योजनाकाल में बड़ी एवं मध्यम सिर्चाई परियोजनाओं द्वारा १२० लाख एकड़ भूमि का सिर्चाई के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध होने का अनुमान था जिसमें से ११५ लाख एकड़ भूमि का सिर्चाई की जाती थी। इसी प्रकार लघु सिर्चाई परियोजनाओं में १०० लाख एकड़ भूमि के लिए सिर्चाई सुविधाएँ उपलब्ध हानी थी जिसमें से ८५ लाख एकड़ भूमि पर सिर्चाई की जाती थी। इस प्रकार तृतीय योजनाकाल में २०० लाख एकड़ भूमि का अतिरिक्त सिर्चाई की जाती थी और मिचिनी भूमि ७०० लाख एकड़ से बढ़कर ९०० लाख एकड़ होने की सम्भावना थी। तृतीय योजना में ६५ नवीन मध्यम श्रेणी का सिर्चाई परियोजनाएँ प्रारम्भ की जाती थीं। पञ्जाब में व्याप्त जल पर दृष्टिगत धारा संचि सन् १९६० के अन्तगत स्टोरेज परियोजना तथा बहुउद्देश्य परियोजनाओं के सिर्चाई कार्यक्रम सम्मिलित किये गये। तृतीय योजना की सिर्चाई एवं शक्ति की परियोजनाओं के लिए १०,१०० तांत्रिक व्यक्तियों (Technical Personnel) की आवश्यकता का अनुमान था।

द्वितीय योजना के अन्त में १११० लाख एकड़ (सन् १९५५) अतिरिक्त भूमि के

लिए सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हुईं जबकि इन सुविधाओं का उपयोग करके ८३० लाख एकड़ भूमि पर ही किया गया, अर्थात् केवल ७५% सुविधाओं का प्रयोग किया गया। सन् १९६१-६२ में १२२० लाख एकड़ (सकल) भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हुईं जिसमें से ६०० लाख एकड़ भूमि पर इनका उपयोग किया गया। सन् १९६२-६३ और सन् १९६३-६४ में क्रमशः १३३० और १४३० लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई-सुविधाएँ उपलब्ध हुईं हैं और सन् १९६३-६४ में १०१ लाख एकड़ और सन् १९६३-६४ में ११० लाख एकड़ भूमि पर सुविधाएँ का उपयोग होना का अनुमान है। योजना के अन्त तक १८० लाख एकड़ भूमि के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी और १३५ लाख एकड़ भूमि में इनका उपयोग होगा। जनवरी, सन् १९६३ में नवदत्तबालीय अवस्था के कारण यह निश्चित किया गया कि मध्यम श्रेणी की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय, जिसमें सिंचाई-सुविधाएँ प्राथमिकता प्राप्त होंगी। योजना में सम्मिलित २६ अटी सिंचाई-परियोजनाओं में से १६ पर कार्य की गति को ध्यान में रखा गया।

तृतीय योजना में शक्ति के अथकों का निमाण, उनकी प्रति किन्नावाट पूँजीगत लागत, विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं, उत्पादित शक्ति की प्रति किन्नावाट घण्टा की लागत, निर्माण में लगने वाला समय आदि के आधार पर निर्धारित किया गया। योजना में एक 'यूकिलियर शक्ति के स्टेसन का निर्माण तरापुर (बम्बई) में करने का आयोजन किया गया। इनमें दो रिएक्टर (Reactors) होंगे जिनमें से प्रत्येक १५० MW शक्ति उत्पादित करेगा। तृतीय योजना में १०२६ करोड़ २० का आयोजन शक्ति के विकास के लिए सरकारी क्षेत्र में किया गया और ५० करोड़ २० के निजी क्षेत्र का निजी क्षेत्र में आयोजन किया गया। इस राशि में ६६१ करोड़ २० जल बिजली तथा घनत्व (Thermal) शक्ति उत्पादन की परियोजनाओं पर ५१ करोड़ २० परमाणु शक्ति (Atomic Power) तथा ३०७ करोड़ २० बिजली पट्टीयाने एवं विवरण की योजनाओं पर व्यय होना था। योजना में एक और 'यूकिलियर शक्ति का स्टेसन (सम्भवतः मद्रास में) स्थापित करने का आयोजन था। शक्ति की परि योजनाओं के लिए ३०० करोड़ २० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान था।

तृतीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। १०५ करोड़ २० का आयोजन ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए किया गया। देश के ५,००० से अधिक जनसंख्या वाले समस्त ग्रामों एवं नगरों में विद्युती पट्टीयाने का लक्ष्य था। योजनाकाल में २,००० से १,००० तक की जनसंख्या वाले ५०% ग्रामों में बिजली पट्टीयाने का अनुमान था। तृतीय योजना के अन्त तक लगभग ६३,००० नगरों एवं ग्रामों में बिजली पट्टीयाने का अनुमान था और लगभग ५,१८,१०७ ग्रामों में जिनकी जनसंख्या २,००० से ५,००० है बिजली पट्टीयाना हो रहा था।

तृतीय योजनाकाल में शक्ति उत्पादन करने की क्षमता का ६६ लाख किन्नावाट

से घटाकर १२७ लाख किलोवाट करने का लक्ष्य था परन्तु सन् १९६१ में वास्तविक गति उत्पादनक्षमता ५५ ॥ लाख किलोवाट हुई जिसके फलस्वरूप तृतीय योजना का लक्ष्य भी घटा कर १२५ लाख किलोवाट कर लिया गया है। सन् १९६१-६२ में उत्पादन क्षमता ६२ १ लाख किलोवाट हो गयी और सन् १९६२-६३ तथा सन् १९६३-६४ में क्रमशः उत्पादनक्षमता ६६ ३ लाख और ७६ ४ लाख किलोवाट हो गयी। सन् १९६५-६६ में उत्पादनक्षमता बढ़कर १०२ लाख किलोवाट हो गयी। तृतीय योजना काव म ३०५६१ कच्चा और ग्रामों का विद्युत्तीकरण किया गया और सन् १९६५-६६ में ऐसे कच्चा एवं ग्रामों की संख्या बढ़कर ५४८०० हुआ गया। सन् १९६१-६२ में ३,४२३ सन् १९६२-६३ में ४ ३४७ और सन् १९६३-६४ में ५ २६७ नगरों व ग्रामों का विद्युत्तीकरण किया गया। योजनाकाव म ग्रामों का विद्युत्तीकरण म विधेय जारी दिया गया और योजना क प्रथम तीन वर्षों में १२ ६०६ ग्रामों का विद्युत्तीकरण किया गया। गति पर सन् १९६१-६२ सन् १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में क्रमशः १३६ करोड़ रु० १८३ करोड़ रु० और २२६ करोड़ रु० व्यय किया गया। सन् १९६४-६५ में ३१४ करोड़ रु० व्यय का आयोजन किया गया।

उद्योग एवं खनिज

ग्रामीण एवं लघु उद्योग—तृतीय योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए २६४ करोड़ रु० का आयोजन किया गया जबकि द्वितीय योजना में इस मद पर १८० करोड़ रु० व्यय हुआ। इस राशि में से १८१ करोड़ रु० राज्यों की परि योजनाओं पर और १२३ करोड़ रु० केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं एवं कामक्रमों पर व्यय किया जाना था। विभिन्न उद्योगों के लिए निर्धारित राशियाँ सालिके स० ८३ के अनुसार हैं।

सांख्यिकीयानुसार राशियों के अतिरिक्त इन उद्योगों का विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में २० करोड़ रु० का आयोजन किया गया। पुनर्वास (Rehabilitation) समाज कल्याण एवं पिछड़ी जातियों से कल्याण के वापस आने में भी इन उद्योगों का विकास के लिए आयोजन किया गया। निजी क्षेत्र में इन उद्योगों पर २७५ करोड़ रु० निनिर्माजित हानि का अनुमान था। इस प्रकार समग्र ६०० करोड़ रु० इन उद्योगों के विकास के लिए आयोजित किया गया था।

तृतीय योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास कार्यक्रमों द्वारा ५० लाख व्यक्तियों को आर्थिक अथवा अधिक समय तक रोजगार प्राप्त होना था और ६० लाख व्यक्तियों को पूरे समय के लिए रोजगार मिलना था। खादी व उत्पादन-वाय क्रमों द्वारा प्रायः आर्थिक रोजगार हाथ करपा गति से चलन वाल करण ग्रामीण उद्योग रोग उद्योग तथा नारियल की छान के उद्योगों द्वारा आर्थिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का अधिक समय तक रोजगार तथा लघु उद्योगों औद्योगिक एंस्टेट एवं हस्त कला उद्योगों के वापस आने द्वारा प्रायः पूरे समय के लिए रोजगार उपलब्ध होना था।

तालिका सं० ८३—ग्रामीण एवं सशु उद्योगों का निर्धारित व्यय

(करोड़ ₹ में)

उद्योग	द्वितीय योजना का अनुमानित व्यय	तृतीय योजना का निर्धारित व्यय	तृतीय योजना का वास्तविक व्यय
हाथ-करपा उद्योग	२६७	३४०	२४२७
हाथ-करपा क्षेत्र के ग्रामों में चलने वाले उद्योग	७०	४०	१३७
घासी एवं आमोदोरा निगम के सीढ़े पालन का उद्योग (Sericulture)	२७४	३७१	२६००
नास्मिन् की छाल का उद्योग (Coir Industry)	३१	३०	४२६
हस्तकला (Handicrafts)	७०	७७	१७६
सशु उद्योग	४४४	२४६	७६१७
सौदीगीर एस्टेट	११६	२०७	२०११
ग्रामीण उद्योग परिषद्वाए	—	—	४०६
	१२००	१६६०	२४०७६

तृतीय योजनागत में यद्यपि ग्रामीण एवं सशु उद्योगों के विकास पर हरी धारा वास्तविक व्यय प्रायोगिक व्यय की तुलना में १६% कम रहा परन्तु सशु उद्योगों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। हाथ-करपा एवं गन्नि-करपा उद्योगों में कपड़े का उत्पादन सन् १९६०-६१ में २०८६ करोड़ मीटर से बढ़कर सन् १९६४-६५ में २१०६ करोड़ मीटर हो गया। खादी का उत्पादन सन् १९६०-६१ में ४३७६ करोड़ का मीटर था जो सन् १९६३-६६ में बढ़कर २४८३ करोड़ मीटर हो गया। उद्योग क्षेत्रों के क्षेत्र में ३० लाख वर्गफुट का क्षेत्रों का समय रखा गया था परन्तु योजना के अन्तर्गत वर्षों में १३१३४ अरब फुट का क्षेत्र परन्तु बाद के वर्षों में इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। निगम का उत्पादन १४६ करोड़ मिनोग्राम सन् १९६०-६१ में से बढ़कर २११ करोड़ मिनोग्राम सन् १९६५-६६ में हो गया। इस प्रकार मारिटर के क्षेत्रों का उत्पादन ११७ हजार टन से १६७ हजार टन से बढ़े के साथ ही उत्पादन २४००० टन से बढ़कर २४,५०० टन और जंगल क्षेत्रों की रम्पों का उत्पादन १४,०१० टन से बढ़कर १४,००० टन हो गया। दस्तकारी के उत्पादों के उत्पादन में भी सन् १९६१ में २५३ करोड़ ₹ से बढ़कर ३१७ करोड़ ₹ हो गया। सन् १९६२-६३ वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित ग्रामीण उद्योग परिषद्वाए का परिचालन का प्रारम्भ किया गया। इसके ४४ क्षेत्रों में सशु उद्योगों के गहन विकास के कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। इनमें से १७ क्षेत्रों में कार्य सफलपूर्वक चल रहा है।

बृहद् उद्योग—द्वितीय योजना में औद्योगिक कार्यक्रमों पर विनियोजित होने वाली समस्त राशि २,६६३ करोड़ ₹० थी (इस राशि में पीछे उद्योगों को दी जाने वाली सहायता) हि दुस्मान विपदाओं को दिया जाने वाला निर्माण अनुदान आदि सम्मिलित नहीं थे) जिसमें से १,८०८ करोड़ ₹० सरकारी क्षेत्र में तथा १,१८५ करोड़ ₹० निजी क्षेत्र में विनियोजित किया जाना था। सरकारी क्षेत्र में कार्यक्रमों के लिए ८६० करोड़ ₹० तथा निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए ४७८ करोड़ ₹० की वित्तीय मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान था।

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में ११० करोड़ ₹० प्रतिस्थापन (Replacement) पर व्यय होना था जिसमें ५० करोड़ ₹० की वित्तीय मुद्रा की आवश्यकता हुआ थी। सरकारी क्षेत्र में ४७८ करोड़ ₹० सैनिक विकास तथा १,३२० करोड़ ₹० औद्योगिक विकास पर विनियोजित हुआ था। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में ६० करोड़ ₹० सैनिक विकास पर और १,१२५ करोड़ ₹० औद्योगिक विकास पर विनियोजित हुआ था। विनियोजन की समस्त राशि औद्योगिक एवं सैनिक विकास के लिए २,८७० करोड़ ₹० निर्धारित की गयी थी क्योंकि उस समय साधनों की अधिक उपलब्धि सम्भावित नहीं था परन्तु यह अनुमान लगाया गया कि विभिन्न औद्योगिक कार्यक्रमों को लक्ष्य के अनुसार पूरा करना सम्भव न हो सकेगा और उन्हें सीमा-योजना में ले जाया जाएगा। ऐसा परिदृश्यतियों में विभिन्न परियोजनाओं की राशि ठीक ठीक निर्धारित करना सम्भव नहीं था।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ

द्वितीय योजनाकाल में द्वितीय योजना में प्रारम्भ हुई सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं का पूरा किया जाना था। रुरेवेला भिलाई तथा दुर्गापुर के इस्पात के कारखानों को पूरा किया जाना था और इनकी उत्पादन क्षमता पृथक् पृथक् योजना के अंतर्गत ४० लाख टन इस्पात के ढेर तथा ७ लाख टन पिग्-सीड (झिरी के लिए) का अनुमान था। रुरेवेला के साइड के कारखानों का पूरा कर उसकी उत्पादन क्षमता १,२०,००० टन नार्डरोलन हो जानी थी रॉडी के भारी मशीनों के कारखाने तथा टालन आदि (Foundry Forge Shop) के कारखाने पूरे हो जाने से और इनकी उत्पादन क्षमता क्रमशः ४५,००० टन तथा १,५०,००० टन बना हुआ सामान रखी गयी। इनके अतिरिक्त जो कारखाने पूरे किए जाने थे वे इस प्रकार थे—

- (१) भोपाल के भारी बिजली के सामान के कारखाने।
- (२) दुर्गापुर के सैनिक विकास के मशीन निर्माण के कारखाने।
- (३) सन्तलनगर (आ ई प्रान्त) ज्यूसीकेण (उत्तर प्रान्त) मुनार (करन) तथा गिठा (मद्रास) के औद्योगिक के कारखाने।
- (४) कार्बन (Organic) मध्यम विधियाँ में उपयोग होने वाले सामान के कारखाने।

(९) गुजरात में तेल शोधन का कारखाना ३० करोड़ ८० की लागत पर खोला जाना था।

(१०) भारी निर्माण (Structural) व सामान तथा प्लेट आदि के कारखान की स्थापना तथा (महाराष्ट्र) में १५ करोड़ ८० की लागत पर होनी थी।

(११) गोरखपुर में छ्दाद के कारखाने की स्थापना १८ करोड़ ८० की लागत पर की जानी थी जिसकी उत्पादनक्षमता ८० ००० टन नाइट्रोजन के बराबर होगी।

(१२) हांगगाबाद (मध्य प्रदेश) में मिश्रित (Security) कागज व कारखान का स्थापना २३ करोड़ ८० की लागत पर होनी थी और इसकी उत्पादनक्षमता १ ५०० टन मिश्रित कागज होगी।

(१३) बुकारो में २०० करोड़ ८० का लागत पर इस्पात का कारखाना खोलने की योजना थी। इसकी उत्पादनक्षमता १० लाख टन इस्पात के लोहे तथा ३ ५० ००० टन लौह पिण्ड के लिए होगा।

(१४) दुर्गापुर में धातु मिश्रण तथा औजारों के इस्पात का कारखाना २० करोड़ ८० की लागत पर स्थापित होना था जिसकी उत्पादनक्षमता ४८ ००० टन तयार मात्र होगी।

(१५) काशी में दूसरा समुद्री जहाज खान का कारखाना २० करोड़ ८० की लागत पर स्थापित किया जाना था।

(१६) भारी दवाब के बायलर खान का कारखाना भुविरापल्ली (मद्रास) में १५ से २० करोड़ ८० की लागत पर स्थापित किया जाना था।

इन नवीन कारखानों की स्थापना के अतिरिक्त राँची के भारी मशीनों तथा लार्ड के कारखाने दुर्गापुर के खनिज मगान व कारखाने दुर्गापुर मिर्जापुर तथा कलकत्ता के इस्पात व कारखाने हिन्दुस्तान मशीन टूल के कारखाने तपनारायणपुर (पश्चिमी बंगाल) के हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिक के कारखाने भापान व भारी बिजली के सामान के कारखाने मणार (मध्य प्रदेश) के अलगाव कागज के कारखाने विजिण पट्टम के हिन्दुस्तान गिपसाइड आदि का विस्तार तुल्य योजना में किया जाना था।

उपरोक्त समस्त नवीन एवं विस्तार की औद्योगिक परियोजनाएँ व ट्राय सरकार द्वारा संचालित हानी थी। इनके अतिरिक्त राँची द्वारा भी बहुत से छान-छाटे कारखाने स्थापित किए जाने से अथवा नए कारखानों का विस्तार किया जाना था। तृतीय योजना में औद्योगिक उत्पादन में लगभग ७०% का वृद्धि हान का अनुमान था।

तृतीय योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन में स्थिरता व साथ वृद्धि हुई परन्तु योजना के अंतिम वर्ष सन् १९६५-६६ में आघात प्रतिबन्धन व फरस्वरूपकच्चा माल आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हान व कारणे उत्पादन वृद्धि की दर कम हो गया। सन् १९६० वर्ष का आधार मानकर औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि सन् १९६१-६२ में = २% सन् १९६२-६३ में २.६% सन् १९६३-६४ में २.०% तथा सन् १९६४-६५

में २३% की वृद्धि हुई परन्तु सन् १९६१-६६ में औद्योगिक उत्पादन में १३% की ही वृद्धि हो सकी। इस वर्ष में वस्त्र उद्योग, खाद्य-वस्तुओं के उद्योगों तथा एवं भूगोल निर्माण उद्योगों के उत्पादन में कम वृद्धि हुई। सन् १९६४ वर्ष में पाकिस्तानी व्यापार के परस्पररूप औद्योगिक विकास में विघ्न पद्य क्योंकि एक बार, वस्तुओं का मुद्रा की कार्यवाहियों पर लगाया पड़ा और दूसरे बार बिना सहायता की उपलब्धि भी कम हुई। मानसून के प्रतिफल रहने के कारण उद्योगों के लिए कृषि क्षेत्र में पर्याप्त कच्चा भात भी उपलब्ध न हो सका। तृतीय योजनाकाल में औद्योगिक उत्पादन में ४०.६% की वृद्धि हुई। सन् १९६० में औद्योगिक उत्पादन का निर्यात १०० था जो सन् १९६४ में बढ़कर १२०.६ हो गया।

खनिज विज्ञान

तृतीय योजना के औद्योगिक विस्तार के कार्यक्रमों की सफलता में संचालित करने के लिए खनिज खाद्य एवं खनिज विकास के विस्तृत कार्यक्रम प्रचलित जाकरके थे। देश के खनिज संपत्तियों की खोज के मुख्य उद्देश्य निम्न थे—

- (१) इन खनिज एवं धातुओं के उद्योगों संचालन की लागत को स्थान निर्देशक करना जिनके लिए वर्तमान में देश पूरा अथवा अंशतः विदेशों पर निर्भर रहता है।
- (२) जल-सम्बन्ध की कमी हुई आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु कच्चा तैल, बॉक्साइट, जिप्सम, सोडिया चूने का पत्थर आदि के अतिरिक्त संचालन का पड़ा लगाना।
- (३) निर्यात के लिए कच्चे तैल के संचालन का पड़ा लगाना तथा नयी खानें स्थापित करना।

तृतीय योजना के खनिज-विकास के लिए ४७० करोड़ २० करोड़ों रुpees में तथा ६० करोड़ २० मिली क्षेत्र में व्यय हुआ था।

तृतीय योजना में तैल के उत्पादन का लक्ष्य २० हजार टन बढ़ाने का ६७० लाख टन, कच्चे तैल का ३०० लाख टन और खनिज तैल का ६०६ लाख टन रखा गया। सन् १९६४-६६ वर्ष का औद्योगिक उत्पादन २०० लाख टन हुआ। कच्चे तैल का उत्पादन सन् १९६४-६६ वर्ष में २४४ लाख टन हुआ। योजना में तैल शोधक कार्यक्रमों द्वारा शोधन की शक्ति का विस्तार किया गया है और दम्बई के तटीय शोधक कार्यक्रमों की सहायता ४१ लाख टन से बढ़ा दी गयी है। खनिज-विकास के कार्यक्रमों की सफल योजना के प्रारम्भ के अनुष्णों ने अविश्व होने के कारण खनिज विकास पर ४७० करोड़ २० के खनिज व्यय के स्थान पर ४०६ करोड़ २० व्यय होने का अनुमान है। अशोधित खनिज तैल (Crude Oil) का उत्पादन सन् १९६४-६६ में २५ लाख टन हो गया जबकि सन् १९६०-६१ में इसका उत्पादन केवल ४४६ लाख टन ही था। खनिज उत्पादन का निर्यात (सन् १९६०=१००) सन् १९६४ में १३१.७ था जबकि तृतीय योजनाकाल में खनिज उत्पादन में २१.७% की वृद्धि हुई।

यातायात एवं संचार

जुलाई सन् १९५६ में यातायात नीति एवं समन्वय-समिति (नियामो-समिति) की स्थापना की गयी। इस समिति को यातायात की दायदासाल नीति व समन्वय में सलाह देनी थी और उस नीति व अनगत ही सहायता के विभिन्न साधनों का अलग ५ स १० वर्ष में महत्व निर्दिष्ट किया जाना था। इस समिति ने फरवरी सन् १९६१ में अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट योजना-आयोग को पेश की जिसमें रेल एवं सड़क यातायात व समन्वय के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एवं आँकड़े दिए गए। समिति की अन्तिम रिपोर्ट मान पर तृतीय योजना व निर्धारित यातायात व कायक्रम पर पुन विचार किया जाना था।

तुनाय योजनाकाल में यातायात एवं संचार नीतिक में सम्मिलित विभिन्न मर्कों पर यय निम्न प्रकार हुआ—

तालिका स० ८७—तृतीय योजना में यातायात एवं संचार की विभिन्न मर्कों पर हान वाला वास्तविक व्यय

क्रम	मस्या	मद	यय (करोड रुपयों में)
(१)	रलें		१ ३२५
(२)	सड़कें		४४०
(३)	सड़क यातायात		२७
(४)	यंरगाह		६१
(५)	जहाजराश (Shipping)		४०
(६)	आन्तरिक जल यातायात		४
(७)	विद्युत घुन (Light House)		४
(८)	फरवका बरन		२
(९)	नागरिक हवाई यातायात		४६
(१०)	भ्रमण (Tourism)		५
(११)	संचार		११७
(१२)	आकाशवाणी प्रसारण		८
योग			२ ११९

रेल यातायात—यातायात एवं संचार के विकास व्यय की राशि में III लगभग ६०% भाग रेल-यातायात के विकास एवं विस्तार पर व्यय किया गया। रेल मार्गों की सम्बद्ध सन् १९६०-६१ में ५६ २५७ किलोमीटर था जो सन् १९६५-६६ में बढ़कर ५८३६६ किलोमीटर होगी अर्थात् तृतीय योजनाकाल में २ १५२ किलोमीटर नए रेलवे मार्गों का निर्माण योजना में किया गया। योजना में रेलवाहन यातायात में लगभग ५६% की वृद्धि की सम्भावना था परन्तु यह वृद्धि केवल ३१% ही हो सकी। सन् १९६०-६१ में रेलवाहन-यातायात १ ५६० लाख टन था जो सन् १९६५-६६ में बढ़कर २०३० लाख टन हो गया। यात्री-यातायात में योजनाकाल में १५% का

वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तविक वृद्धि १२% हुई। सन् १९६०-६१ में रेलयात्री यातायात १३,६४० लाख यात्री था जो सन् १९५५-५६ में बस-२० ८२० लाख यात्री हो गया।

सड़क-यातायात—तृतीय यात्रा में सड़क यातायात के कार्यक्रमों में सड़क-यातायात की २० वर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य का दृष्टिगत रखा गया, अर्थात् अविकसित एवं वृष्टिभय का कोई ग्राम पक्की सड़क से ८ मील से दूर नहीं रहे तथा किसी भी अन्य प्रकार की सड़क से १ 1/२ मील से अधिक दूर न रहे। तृतीय यात्रा में सड़क-विकास-कार्यक्रमों की लागत २०४ करोड़ २० लक्षी त्रिमसे से २४८ करोड़ २० लाखों के कार्यक्रमों तथा ८० करोड़ २० के तृतीय प्रकार के कार्यक्रमों की लागत अनुमानित थी। राज्य-सदकारों के नवीन सड़कों के विकास-कार्यक्रम तीन विचारधाराओं पर विचारित किए जाने थे—

(१) पहुँच के बाहर (Inaccessible) क्षेत्रों में सड़कों का आगमन करना,

(२) विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं जैसे सिंचाई, शक्ति तथा उद्योग की परियोजनाओं की पूर्ति करने के लिए सड़कों निर्माण करना

(३) राज्यों के पुनर्गठन के कारण नवीन सड़कों का आगमन करना।

तृतीय योजनाकाल में राज्यों द्वारा बनायी जाने वाली सड़कों का डीक-डैक अनुमान नहीं लगाया गया, फिर भी, यह सम्भावना थीं यों कि इस काल में ४०,२०० किलोमीटर लम्बी पक्की सड़कें (Surfaced Roads) बन सकेंगी। केन्द्रीय सड़क-विकास के कार्यक्रमों में वर्तमान राष्ट्रीय मार्गों के सुधारन के लिए विशेष आवेग दिया गया। सीमित साधनों के कारण केवल एक नवीन सड़क उत्तरे सप्तमारा के ब्रह्मपुत्र ब्रिज (Brahmaputra Bridge) तक १०० मील लम्बी बनायी जाती थी। सन् १९६५-६६ तक व्यापारिक गाड़ियों की संख्या २०५ ००० (सन् १९६०-६१) से बढ़कर ३,६५,००० हो जाती थी अर्थात् ६२% की वृद्धि होती थी परन्तु सन् १९६१-६६ में व्यापारिक गाड़ियों की वास्तविक संख्या २,३३ ००० रही। पक्की सड़कों की संख्या २ ६६,००० किलोमीटर सन् १९६०-६१ में से बढ़कर २ ६३,००० किलोमीटर सन् १९६५-६६ में हो गयी अर्थात् योजनाकाल में ५१ ००० किलोमीटर लम्बी नवीन पक्की सड़कों का निर्माण किया गया जो लक्ष्य से वहीं अधिक थी। सड़कों द्वारा छोप जाने वाले साल की मात्रा सन् १९६०-६१ में १३० हजार लाख टन किलोमीटर से बढ़कर सन् १९६५-६६ में ३४० हजार लाख टन किलोमीटर हो गयी अर्थात् साल यातायात की सुविधाएँ योजनाकाल में दुगुनी हो गयी। इसी प्रकार यात्री यातायात सन् १९६०-६१ में ५७० हजार लाख यात्री किलोमीटर से बढ़कर सन् १९६५-६६ में ८२० हजार लाख यात्री किलोमीटर हो गया।

जहाजी यातायात—द्वितीय योजना के अन्त में ८१ लाख G. R. T. क भारत की जहाजी यातायात की समता थी। इन समय तक भारतीय जहाज २५ क

समुद्री व्यापार का ८% से ११% भाग लाने एवं ले जाते थे। तृतीय योजना में ५५ करोड़ रु० का आयोजन जहाजों के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त ४ करोड़ रु० जहाज विकास षण्ड (Shipping Development Fund) से प्राप्त होने का अनुमान था। जहाजी कम्पनियों द्वारा अपने साधनों से ७ करोड़ रु० जुटाया था। योजना काल में ५७ जहाज जिनकी क्षमता ३७५००० G R T हानी थी खरीदे जाते थे। इसमें से १,६४००० G R T द्वारा पुराने जहाजों का प्रतिस्थापन किया जाता था तथा शेष से १००००० G R T से देश की वर्तमान टनेज (Tonnage) में वृद्धि हानी थी। इससे वर्तमान टनेज बल्कर ११ लाख G R T हो जाना का अनुमान था। राष्ट्रीय जहाजी बोर्ड ने सन् १९६५-६६ तक देश के जहाजी यातायात का लक्ष्य १४२ लाख G R T करने को सिफारिश की थी परन्तु वास्तविक उपलब्धि १५४ लाख G R T रही।

हवाई यातायात—तृतीय योजना में २५१ करोड़ रु० का आयोजन हवाई यातायात के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त १४५ करोड़ रु० एयर इण्डिया इन्टरनेशनल द्वारा नवीन जहाजों की खरीद आदि तथा १५ कराड रु० का आयोजन इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा जहाजों की खरीद प्रतिस्थापन तथा कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए किया गया।

संचार—डाक व तार विभाग के कार्यक्रमों की समस्त तृतीय पंचवर्षीय योजना में ७७६ करोड़ रु० थी। इस राशि में से ३५ करोड़ रु० टेलीफोन-सेवाओं की परि योजनाओं पर, ६ करोड़ रु० स्थानीय टेलीफोन तथा ८६ करोड़ रु० ट्रंक टेलीफोन पर व्यय किया जाता था। इसके अतिरिक्त ८६ करोड़ रु० ट्रंक केबिल पर और २ करोड़ रु० तार-सेवाओं पर व्यय किया जाता था। तृतीय योजना में सन् १९६०-६१ की टेलीफोन की संख्या ४६३०००० में २०००००० टेलीफोन की वृद्धि करने तथा ५०,००० लाइनों को स्वतः संचालित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त १० स्वतः संचालित नवीन ट्रंक एक्सचेंज (Exchanges) बहुत से मनुष्य द्वारा चलाय जा सकने वाले एक्सचेंज तथा २००० जनता द्वारा टेलीफोन करने के दफ्तर खोलने का आयोजन था।

योजनाकाल में ४१६००० नवीन टेलीफोन लगाये गये।

तृतीय योजना में सन् १९६०-६१ के ६६०० तार के दफ्तरों में २००० तार के दफ्तरों की वृद्धि करने का आयोजन किया गया। इसी प्रकार सन् १९६०-६१ की डाकखानों की संख्या ७७००० की बजाकर ६४००० करने का लक्ष्य था। तृतीय योजना में १४ करोड़ रु० का आयोजन टेलीप्रिन्टर बनाने का कार्यक्रम स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया। इटली के सहयोग से हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड की स्थापना दिसम्बर सन् १९६० में की गयी जिसकी अधिष्ठान पूजा ३ करोड़ रु० है।

तृतीय योजनाकाल में टेलीफोन तार के दन्तरो, तथा डाकघानों की मरम्मत में प्रमाण ३,६५,०००, १६००, २०, ००० की वृद्धि हुई।

तृतीय योजना में ११ करोड़ ₹० का आयोजन आकाशवाणी प्रसारण के लिए किया गया है। आकाशवाणी प्रसारण के विस्तार की परियोजना द्वितीय योजना में बनायी गयी थी, जो तृतीय योजनाकाल में पूरी हुनी थी। इस परियोजना के अन्तर्गत ५४ मीडियम वेव (Medium Wave) तथा २ ग्राट वेव (Short Wave) के ट्रान्जिस्ट्रॉन स्टेशन स्थापित किए जायेंगे। इस योजना की पूर्ति के अन्तर्गत, मीडियम वेव की आन्तरिक भेदाओं द्वारा दण के समस्त क्षेत्र का ६१% तथा जनसंख्या का ७४% आच्छादित हो जाने का अनुमान था।

तृतीय योजनाकाल में आकाशवाणी-प्रसारण स्टेशनों की संख्या सन् १९६०-६१ में ६० से बढ़कर ५७ हो गयी। ताइमिंग प्राप्त रेडियो की संख्या २१,४३,००० से बढ़कर ५३,६१,००० हो गयी।

शिक्षा

तृतीय योजनाकाल में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या ४४६० लाख (सन् १९६०-६१) से बढ़कर ६३६५ लाख अर्थात् ६ से १७ वर्ष के बच्चों की समस्त संख्या का ५०% स्कूल जाने लगने का लक्ष्य था। ६ से ११ वर्ष के बच्चों में ७६% से ११ से १४ वर्ष के बच्चों में २८% से १४ वर्ष के बच्चों में १५% स्कूल जाने लगने का लक्ष्य था। योजना में प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में ७३,०००, मिडिल स्कूलों में १८,१०० तथा हाई स्कूलों में ५,२०० की वृद्धि होने का लक्ष्य था।

विश्वविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ६००,००० (सन् १९६०-६१ में) से बढ़कर तृतीय योजना में १३,००,००० हो जाने का लक्ष्य था। सन् १९६०-६१ की विश्वविद्यालयीय की संख्या ४५ से तृतीय योजना में ५८ हो जाने का अनुमान था। इसी प्रकार कनिष्ठों की संख्या १,०५० से बढ़कर १,४०० हो जानी थी। तृतीय योजना में सामान्य शिक्षा के लिए ४२८ करोड़ ₹० का आयोजन था जिसमें से १० करोड़ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए समर्पित था। इस राशि में से २०६ करोड़ ₹० प्राथमिक शिक्षा, ८८ करोड़ ₹० माध्यमिक शिक्षा, ८२ करोड़ ₹० विश्वविद्यालयीय शिक्षा, ६ करोड़ ₹० सामाजिक शिक्षा १० करोड़ ₹० शारीरिक शिक्षा (Physical Education) तथा युवक-संख्याओं तथा ११ करोड़ ₹० अन्य कार्यक्रमों के लिए आव्यजित था।

तृतीय योजना में १४० करोड़ ₹० तांत्रिक शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया। योजनाकाल में टिचरी तथा डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः १३,८६० (सन् १९६०-६१) से बढ़कर १६,१४० तथा २५,२७० (सन् १९६०-६१) से बढ़कर ३७,३६० हो जायगी। तृतीय योजना में १७ नवीन इंजीनियरिंग कॉलेज, जिनमें ७ क्षेत्रीय कॉलेज सम्मिलित थे, स्थापित करने का आयाज

किया गया। इसने अनिरीक्त ६७ पोलिटेक्नीक स्थापित किए जाने का आयाजन किया गया जिनमें से प्रत्येक में १०० विद्यार्थियां व प्रशिक्षण का प्रबंध होना था।

तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष में ६१७ वर्ष के रकूल जाते वान विद्यार्थियों की संख्या ६७५ लाख हो गयी। ६ से ११ वर्ष के आयु वर्ग के कुल बच्चों के ७३.५% (सन् १९६०-६१ में ६२.४%) ११ से १४ वर्ष के आयु वर्ग में ३२.२% (सन् १९६०-६१ में २२.५%) तथा १४ से १७ वर्ष के आयु वर्ग में १७.८% (सन् १९६०-६१ में १०.६%) सन् १९६५-६६ में स्कूल जान लगे। विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर ६२ और महाविद्यालयों की संख्या ११२२ हो गयी। तांत्रिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा स्तर पर काम होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ५७०३ से बढ़कर १०२८२ और डिप्लोमा स्तर पर पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ७९६९ से बढ़कर १७९९९ हो गयी।

स्वास्थ्य—तृतीय योजना में स्वास्थ्य मन्त्रालयों का कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाओं को बढ़ाना था। इसके अनिरीक्त अधिकतर ग्रामों में अच्छे पौने के पानी का प्रबंध करने का आयोजन किया गया था। मलेरिया को दूर करने का कार्यक्रम तृतीय योजना में पूर्ण हो जाने का अनुमान था और चेचक, हैजा, डायरिया, कुष्ठ आदि रोगों का दूर करने के लिए प्रयास किए जाने थे। नगरों में गन्दे पानी को बहा कर ले जाने के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर संचालित किए जाने थे। तृतीय योजना में ३४२ करोड़ रु० का आयोजन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए किया गया। इसमें से १०५१ करोड़ रु० ग्रामों एवं नगरों में जल की व्यवस्था एवं निचोड़ के लिए, ६१७ करोड़ रु० प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों तथा दवाखानों के लिए, ७०५ करोड़ रु० छूट के रोगों के नियंत्रण हेतु, ५६३ करोड़ रु० मेडिकल शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए, ९८ करोड़ रु० जीपों की दवा होम्योपैथिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, ११२ करोड़ रु० अन्य परियोजनाओं के लिए तथा २७० करोड़ रु० परिवार नियोजन के लिए आवंटित किया गया।

तृतीय योजना में अस्पतालों एवं दवाखानों की संख्या १२६०० (सन् १९६०-६१) से बढ़कर १२६०० अस्पतालों के चलना का संख्या १८५६०० (सन् १९६०-६१) से बढ़कर २,४०१०० प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या २८०० से बढ़कर ५०००, महाकल कलिया की संख्या ५७ से बढ़कर ७१ तथा मेडिकल कनिष्ठों में प्रवेश पान वाले विद्यार्थियों की संख्या ५८०० में ८००० हो जाने का लक्ष्य था। इसी प्रकार प्रभूति एवं गिन्यु स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या ४५०० से बढ़कर १०००० तक हान का लक्ष्य था।

तृतीय योजनाकाल के अन्तिम वर्ष सन् १९६५-६६ में अस्पतालों एवं चिकित्सालयों की संख्या १४६ हजार, अस्पतालों में नर्सों की संख्या २४०००० प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या ४६२१, परिवार नियोजन केंद्रों की संख्या ११४७४

हो गयी। सन् १९६५-६६ में महीकत मॉनिटिंग में प्रथम पान बाल विद्यार्थियों का सत्या १०५२० हो गयी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस प्रकार अधिकतर सभ्यों की प्रति हा सची ओर सम्भावना से अधिक प्रगति हुई।

सन्तुलित क्षेत्रीय विकास

देश का विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलित विकास करना अनु आर्थिक विकास का काम कम विकसित क्षेत्रों का पहुँचाना तथा उद्योगों का विस्तृत पन्नाज करना भारत की नियोजित अर्थ-व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अर्थ-व्यवस्था का विस्तार एवं गीन विकास द्वारा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास में उचित सन्तुलन उत्पन्न करना सम्भव होता है परन्तु विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में राधनों का सीमित होन के कारण आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को ऐसे कर्तों पर स्थापित किया जाता है जहाँ विनियोजन का अनुकूल फल प्राप्त हात है। उम्र ५५ विकास की गति बढ़ती जाती है अर्थ-व्यवस्था का विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन हात लागू है और विकास का काम विस्तृत क्षेत्रों को प्राप्त हात लगत है। तुनीय योजना में विकास की तीव्र गति का साथ साथ देश का विभिन्न भागों का विस्तृत विकास का अवसर भी उपलब्ध कराने का आयाजना था। राधनों के कार्यक्रमों का विस्तृत उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, शारीक क्षेत्रों में आय एवं राजसात में वृद्धि करना प्रारम्भिक शिक्षा जल की प्रति एवं सफाई का प्रयत्न करना, स्वास्थ्य-सेवाओं में वृद्धि करना आदि थे। इन कार्यक्रमों से कम विकसित क्षेत्रों में जीवन-स्तर में वृद्धि हाती थी। इस प्रकार राधनों की योजनाओं में उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि तथा निवस-वर्गों के कल्याण का आयोजन किया गया। राध्यों की योजनाओं के अर्थ का प्रकार एवं कार्यक्रम हात आधार पर निम्नलिखित किए गये कि विभिन्न राध्यों के विकास की विपन्नता में कमी की जा सके। कृषि के विकास का विस्तार, सिंचाई का विस्तार, शर्माण एवं अनु उद्योग का विकास, शक्ति का विस्तार, सड़क एवं सड़क-यातायात का विकास ६ से १६ वर्ष के बच्चों का सुव्यवस्था शिक्षा, माध्यमिक, हात्रिक एवं प्वाधसात्रिक शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, रहन-सहन की शर्माओं में सुधार एवं जल-सम्पदाई पिडली एवं अनुकूलित जातियों के कल्याण कार्यक्रम आदि के द्वारा देश भर में गीन विकास होने के साथ कम-विकसित क्षेत्रों का विकास भी होगा। तुनीय योजना में सम्पन्नित आधारभूत उद्योगों का हात्रिक एवं आर्थिक विचारधाराओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया जाना था। निर्वात योग्य सामान ज्ञान वाले उद्योगों की नवीन इकाइया ऐस स्थानों पर स्थापित की जानी थीं जहाँ से विदेशों कागारा में प्रतिस्पर्धा करना सम्भव हा सके। इनके अतिरिक्त अन्य समस्त औद्योगिक इकाइयों के स्थान विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को हृष्टिगत करते निर्धारित किए गये। साथ इस बात का प्रयत्न किया जाना था कि एउ क्षेत्रों में, जहाँ उद्योगों का कर्तव्यकरण है नवीन उद्योगों का केन्द्रीयकरण किया जाय यद्यपि इन क्षेत्रों के वर्तमान उद्योगों का

विस्तार को न रोकना का आयोजन था। निजी क्षेत्र के उत्पादों का स्थापना के सम्बन्ध में लाइसेंस कम विकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं का दृष्टिगत करने जारी किए जाने थे। ऐसे क्षेत्र में निम्न गति जल सप्लाई यातायात आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। तृतीय योजना में इन सुविधाओं का प्रबंध किया जाना था। पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक विकास क्षेत्र स्थापित करने का सुझाव तृतीय योजना में सम्मिलित किया गया। पिछड़े हुए क्षेत्रों में चुन हुए भागों में गति जल यातायात एवं मत्तार का प्रबंध किया जाना था और बारखाने खानों के स्थापना का विकास कर उपसाधियों का बंधन अथवा पट्टे पर न्यून जान थे।

बड़ी बड़ी परियोजनाओं में नवाने सिंचाई योजनाओं में स्थापना के कारणों तथा बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से सम्बन्धित क्षेत्रों में चतुर्मुखी विकास में सहायता मिलती है। इसी कारण सरकारों द्वारा बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के स्थान के नियंत्रण विभिन्न क्षेत्रों की विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत कर किए जाने थे। गति के साधनों एवं सामान्य क्षेत्रों के विद्युत्तापन तथा भी क्षेत्रीय विकास में सहायता मिलती थी। इस प्रकार यातायात एवं मत्तार के साधनों में वृद्धि होने से पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम में सक्रिय भाग ले सकते थे। निम्न एवं प्रगति के विस्तृत प्रबंध हो जाने से देश के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों का गहन विकास सम्भव हो सकता था। प्रगति के अधिक गतिशीलता होने के कारण इन्हें अधिक धन आवंटन क्षेत्रों से हटा कर दूसरे क्षेत्रों में रोजगार दिलाने से भी क्षेत्रीय सन्तुलित विकास सम्भव हो सकता था।

विभिन्न क्षेत्रों के विकास की गति का ठीक अनुमान लगाना कठिन होता है। विभिन्न राज्यों की आय एवं विभिन्न क्षेत्रों की आय का अनुमान लगा कर इनके विकास का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव होता है। इनके अनिश्चित विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन कर जांच करना भी आवश्यक होता है। कर्नाट सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की अनाधिक एवं तांत्रिक जांच का प्रबंध किया गया।

भाग की तालिका तालिका से पता चलता है कि तृतीय योजनाकाल में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का गति में वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तन हो रहा है। सन् १९६४-६५ वर्ष में योजना की सबसे अधिक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय (सन् १९६०-६१ के मूल्य पर) रहने के पश्चात् योजना के अन्तिम वर्ष में यह वृद्धि जारी नहीं रखी जा सकी। सन् १९६४-६६ में आकस्मिक अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार अधिक उत्पादन हुआ और १९६५-६६ की आकस्मिक प्रतिकूल परिस्थितियों (पाकिस्तानी आक्रमण एवं प्रतिभूत मानसून) के कारण राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट हुई। सन् १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर सन् १९६१-६२ में राष्ट्रीय आय में १% की वृद्धि हुई, सन् १९६२-६३ वर्ष में सन् १९६१-६२ की तुलना में राष्ट्रीय आय में लगभग ५% की वृद्धि हुई।

राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय

राज्य योजनाकाल में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में निम्न प्रकार वृद्धि हुई—
 तालिका नं० २४—तृतीय योजना में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	राष्ट्रीय आय		प्रति व्यक्ति आय	
रुपय	रुपय	रुपय	रुपय	रुपय
१९६०-६१	१२६०००	१२६०००	१२६०००	१२६०००
१९६१-६२	१३६०००	१३६०००	१३६०००	१३६०००
१९६२-६३	१४६०००	१४६०००	१४६०००	१४६०००
१९६३-६४	१५६०००	१५६०००	१५६०००	१५६०००
१९६४-६५	१६६०००	१६६०००	१६६०००	१६६०००
१९६५-६६	१७६०००	१७६०००	१७६०००	१७६०००

सन् १९६०-६१ में यह वृद्धि ५.६%, सन् १९६१-६२ में ७.९% रही परन्तु सन् १९६२-६३ में सन् १९६४-६५ की तुलना में राष्ट्रीय आय में ५.९% की कमी हो गयी। योजनाकाल में इस प्रकार सन् १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर केवल १२.१% वृद्धि हुई। यदि सन् १९६०-६५ की आय-वृद्धि के लिए आधार माना जाय तो भी राष्ट्रीय आय की वृद्धि केवल १६.२% रही। इस प्रकार राष्ट्रीय आय-वृद्धि के साथ ही प्रति तृतीय योजना में सम्भव नहीं हो सकी।

दूसरी बात, प्रति व्यक्ति आय में योजनाकाल में केवल २०% की ही वृद्धि हुई जो साथ-साथ ही कम रहा। यदि चार मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि का अध्ययन करने लें तो वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः ५.६%, ७.९% तथा २०.१% पाया है परन्तु यह परिणाम मूल्य-स्तर के प्रभावित होने के कारण विरहसनीय नहीं हो सकता है।

तृतीय योजना के रोजगार-व्यवस्थापन एवं शक्ति तथा मूल्य नियमन-नीति का अध्ययन सम्बन्धित अंगणों में जग-जग किया गया है।

तृतीय योजना की प्रसङ्गताएँ

(१) विकास की गति—सहज योजना का सरकारी क्षेत्र का अर्थ-व्यय से १४% अधिक रहा परन्तु अधिकतर क्षेत्रों में सध्यों का प्रति नहीं हो सकी। योजनाकाल में निजी क्षेत्र के विकास का व्यय का छोटा-छोटा अनुमान अभी तक

उपलब्ध नहीं है। योजनाकाल में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय अनुमान से बहुत कम वृद्धि हो सकी है। योजना में कुल विनियोजन ११,३७० करोड़ रु० होने का अनुमान है। यदि सन १९६४-६५ वर्ष का भी आधार मान लें क्योंकि इस वर्ष में असाधारण परिस्थितियाँ नहीं थीं तो योजनाकाल में अनिश्चित राष्ट्रीय उत्पादन ७ २७८ करोड़ रु० (सन १९६१-६२ में ७१५ करोड़ रु०, सन् १९६२-६३ में ८२८ करोड़ रु०, सन १९६३-६४ में २२८ करोड़ रु०, सन १९६४-६५ में २९६१ रु० तथा सन १९६५-६६ में ५०६ करोड़ रु०—वर्तमान मूल्या के आधार पर) उत्पादित हुई। इस प्रकार योजनाकाल में पूँजी उत्पाद अनुपात १ ६३ रहा जबकि प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं में यह अनुपात १ १३ तथा १ ६ था। इन आँकड़ों से यह पता चलता है कि विकास विनियोजन की उत्पादकता में तृतीय योजना में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(२) कृषि-उत्पादन में अनुमानानुसार वृद्धि न होना—योजनाकाल में कृषि उत्पादन में सन् १९६४-६५ में सन् १९६०-६१ की तुलना में ११.५% अधिक वृद्धि थी परन्तु सन् १९६५-६६ का कृषि उत्पादन सन् १९६०-६१ के उत्पादन से ७% कम था। योजना में कृषि उत्पादन में २४% की वृद्धि का लक्ष्य था जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं हो सका। खाद्यान्नों के उत्पादन की स्थिति भी इस प्रकार रहा और सन् १९६५-६६ का खाद्यान्नों का उत्पादन सन् १९६०-६१ की तुलना में १४% कम रहा। सन् १९६०-६१ में कृषिक्षेत्र द्वारा ६ ५७१ करोड़ रु० की आय उपार्जन की गयी थी जो राष्ट्रीय उत्पादन का ४६.४% था। सन् १९६४-६५ एवं सन १९६५-६६ में कृषिक्षेत्र की आम आमना ७ २२६ करोड़ रु० एवं ६ १०८ करोड़ रु० थी जो राष्ट्रीय आम की आमना ६५.४% तथा ५०.७% थी। इस प्रकार कृषिक्षेत्र का राष्ट्रीय आम में जग कम होता जा रहा है जिससे यह परिणाम निकल सकता है कि कृषिक्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्रों के समान नहीं हो पाया है।

विकास की गति का तीव्र करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कृषि में समस्त दोषों का दूर करने के लिए ठोस प्रभावशाली कार्यवाहियों की जाय। कृषि उत्पादन में अनुमानानुसार वृद्धि न होना एक बड़ा कारण है जिससे मानसून की प्रतिफलता अल्प थीज एवं खाद का उपयोग न होना तथा कबाड जल के कारण भूमि कटाव होना तथा हरी खाद की कमी कृषकों द्वारा अनाधिक इरादों पर उत्पादन करना नाति एवं कार्यक्रम निर्धारण करने वाला का कृषि समस्याओं की पूर्ण जानकारी न होना नाति निर्धारण करने तथा उसके कार्यान्वयन करने में अधिक समय का अन्वयन नीतियों को सहज ही व साथ कार्यान्वयन नहीं करना उचित मूल्य प्राप्त होना के प्रावधानों की कमी, अनुमान एवं अप्रत्यक्ष उत्पादन विधियों का उपयोग आदि। कृषिक्षेत्र के इन सभी दोषों का उन्मूलन करने हेतु एवं और कृषि के पान विस्तार करने का प्रवृत्ति एवं प्रामोक्ष जीवन स्तर में सुधार करने की आवश्यकता है ता दूररी और सामान्य क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार किया जाया जा सके। शिक्षा के गुणा एवं तत्वा का अधिक

लगभग ३६ ३% की वृद्धि हुई है। दिसम्बर सन १९६२ के बाद से मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई और केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की मूल्यों में वृद्धि के कारण कमकारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि करने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार योजनाकाल में मूल्यों की वृद्धि पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना सम्भव नहीं हो सका है।

(६) निधनता की व्यापकता—राष्ट्रीय सभ्यता सर्वे परवरी, सन १९६३ और जनवरी सन १९६४ के अनुसार ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय निम्न प्रकार था—

तालिका सं० ८६—प्रति व्यक्ति आमतौर पर उपभोग व्यय (राष्ट्रीय सभ्यता सर्वे के १८ वें चक्र के अनुसार फरवरी सन् १९६३ से जनवरी सन् १९६४)

क्रम संख्या	मह	प्रति व्यक्ति उपभोग-व्यय		
		१० निम्न म		(स्वयं म)
		ग्रामीण क्षेत्र	नागरिक क्षेत्र	बड़े नगर (बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली एवं मद्रास) म
(१)	साख पदार्थ	१५ ६७	१९ ६५	२८ ५२
(२)	वस्त्र	१ ८२	२ ०८	२ ५८
(३)	ईंधन एवं प्रकाश	१ ४८	२ ०८	३ १०
(४)	किराया	० ०५	१ ३६	४ ०४
(५)	कर	० ०४	० १९	० ३०
(६)	अन्य गृह साख पदार्थ म	३ २५	७ ६०	१३ ६९
कुल उपभोग व्यय		२२ ३१	३२ ६९	५२ ०३

इन तालिका से पता होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को देण की जनसंख्या की ७०% है केवल ७२ पैसे प्रति दिन प्रति व्यक्ति उपभोग करती है। नागरिक क्षेत्रों में भी प्रति दिन प्रति व्यक्ति उपभोग एक रुप से कुछ अधिक है। यद्यपि प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में तुल्य योजना में मोक्षिक मान के आधार पर कुछ सुधार हुआ है परन्तु अब भी उपभोग व्यय उचित निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय सभ्यता सर्वे के १७वें चक्र के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति निम्न उपभोग व्यय ५० पैसे था जो अब बढ़कर ७२ पैसे हो गया है परन्तु इस काल में (सन् १९६१-६२ से सन १९६३-६४ के मध्य) चार मूल्यों में लगभग ८% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार वास्तविक उपभोग-व्यय केवल ६८ पैसे प्रति दिन ही आता है। इन सभ्यता से स्पष्ट है कि निर्धनता की व्यापकता में तुल्य योजना में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

(७) रोजगार के अवसरों में कम वृद्धि—तृतीय योजना में १७० लाख लोगों की श्रमिक शक्ति में वृद्धि हुई जबकि द्वितीय योजना में ७० लाख बेरोजगार व्यक्ति

तृतीय योजना का आय वे। तृतीय योजना में १४५ लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होने का अनुमान है। इस प्रकार तृतीय योजना के अन्त में लगभग एक करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे। इस प्रकार तृतीय योजना के इतने बड़े विकास-विनियोजन-वाय-क्रम के होने हुए बेरोजगारी का समस्या और भी गम्भीर हो गई।

तृतीय योजना की उपयुक्त अमपनताओं का हमें पथ प्रदर्शक के रूप में उप-साग करना चाहिए और चौथी योजना में कृषि एवं शारीण विकास को अधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। हमें साथ ही कृषि विनियोजन की उत्पादकता एवं उसके रोजगार के अवसरों में वृद्धि का दृष्टिकोण बनत हुए लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों का निर्धारित करना चाहिए।



चतुर्थ योजना का स्थगन

[Postponement of Fourth Plan]

[चतुर्थ योजना के स्थगन का निश्चय स्थगन के कारण— प्रतिहूल मानसून तथा कृषिपत्र म अनिश्चितता जीवागिन क्षेत्र में सकुचन, अवमूल्यन अवमूल्यन के विद्युत अवमूल्यन की माय तापे अवमूल्यन और निर्वात अवमूल्यन एवं विदेशी सहायता अव मूल्यन एवं विदेशी व्यापार—विदेशी व्यापार, योजना-आयाग का पुनगठन, सन् १९६६ का चुनाव, एकाधिकारा पर एक आन्तरिक वचन ।]

चतुर्थ योजना के स्थगन का निश्चय

चतुर्थ योजना के निर्माण के प्रारम्भ में ही कुछ अपशास्त्रिया एवं राज-नीतिज्ञों ने योजना के स्थगन का सुझाव प्रस्तुत किया। इनका विचार था कि दो तीन वर्ष का योजना अवकाश कर दिया जाय जिससे तीन योजनाओं में जो विकास एवं विस्तार हुआ है उसको गूढ़ एवं स्थायी बनाया जा सके तथा चतुर्थ योजना का अनिश्चित एवं अतिपर पृष्ठभूमि से बचाया जा सके। राष्ट्रीय सरकार एवं योजना आयोग द्वारा योजना अवकाश के सुझाव पर विचार प्दान तथा किया गया और विस्तृत चतुर्थ योजना के निर्माण का कुछ स्थगित कर सन् १९६६-६७ वर्ष की योजना का प्रकाशन एवं संचालन किया गया। विस्तृत चतुर्थ योजना के निर्माण के लिए राष्ट्रपति की गम्भीर कठिनाई महसूस की गया और ६ जून सन् १९६६ का सपना का अवमूल्यन कर दिया गया जिसमें चतुर्थ योजना को अधिक निदान एवं विदेशी सहायता द्वारा विदेशी विनिमय प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। सन् १९६६-६७ वर्ष की योजना का चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष के कार्यक्रम के रूप में संचालित किया गया।

चतुर्थ योजना के विस्तृत कार्यक्रम एवं लक्ष्य प्रस्तावित प्रारूप के रूप में प्रकाशित किए गए परन्तु इन प्रस्तावित कार्यक्रमों का अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि अर्थ-व्यवस्था में अनिश्चित स्थिति एवं अतिपर कठिनाइयों के कारण बन गईं। इन अनिश्चित परिस्थितियों के अन्तर्गत सन् १९६७-६८ वर्ष का योजना का अन्तिम रूप दिया गया और इसका निर्माण एवं संचालन भी प्रस्तावित चतुर्थ योजना के सदृश ही किया गया।

दंग व आम चुनाव समाप्त होने के पश्चात् दंग की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गयी और अधिकतर प्रदेशों में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हो गया। इसी बीच योजना के आयाम का पुनर्गठन किया गया तथा नवीन संवत्स्र नियुक्त किया गया। प्रा० डी० आर० गांधीजी याजना आयाम के तहत उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पुनर्गठित याजना आयाम ने विद्यमान आर्थिक परिस्थितियाँ का अध्ययन कर यह सुझाव दिया कि चतुर्थ याजना का प्रारम्भ १ अप्रैल सन् १९६६ में किया जाय और सन् १९६६-६७, सन् १९६७-६८ तथा सन् १९६८-६९ को याजनाओं को केवल आर्थिक याजनाओं की समझा जाय तो तृतीय याजना और चतुर्थ याजना का पट्टी का जाड़ मी।

१० नवम्बर सन् १९६७ का प्रा० डी० आर० गांधीजी ने चतुर्थ याजना के रूपरेखा की घोषणा करत हुए कहा 'पंचवर्षीय योजना की निर्माण सम्बन्धी कठिनाइयाँ म म एक कठिनाई हमारी आर्थिक स्थिति का कुछ अनिश्चितता है। यह अनिश्चित आर्थिक स्थिति का प्रभाव सन् १९६७ वर्ष में भी कुछ समय तक जारी रह सकता है। सन् १९६८ वर्ष में हम जात हो सकेगा कि हम किस सीमा तक आर्थिक स्थिति का मुहूर्त (Stabilise) करने में तथा अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हम किस सीमा तक विकास कर सके हैं। हमने विचार किया कि सन् १९६८-६९ में हमें चतुर्थ याजना के लिए मुहूर्त आधार मिल सकेगा जिसमें हम अर्थव्यवस्था के पाँच वर्षों के लिए अर्थ-व्यवस्था की प्रगति एवं सामाजिक विकास-सम्बन्धी प्रयासों का ठीक पूर्व अनुमान लगा सकेंगे।'

पंचवर्षीय योजना में वृद्ध उद्देश्यों पर प्रयत्न निरर्थक एवं नीतियों का समावेश रहेगा जबकि विस्तृत कार्यक्रम आर्थिक योजनाओं में सम्मिलित किया जावेगा। आर्थिक योजनाएँ वास्तव में विकास-कार्यक्रमों के गहनतम सम्बन्धी प्रयोग हों और इनके अग्रलिखित उद्देश्य होंगे—

(१) पंचवर्षीय योजना में निर्दिष्ट नीतियों एवं उपायों के अनुस्यू विकास प्रयासों को बनाये रखना।

(२) पिछले वर्ष के भीतिक मापनों, वित्तीय मापना तथा अन्य उपकरणों में आधार पर चतुर्थ वर्ष के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।

(३) विकास प्रयासों की मात्रा तथा प्राथमिकताओं में सुरत की सम्भार आर्थिक सम्भावनाओं का दृष्टिगत कर समायाज्य करना।

इस प्रकार आर्थिक योजनाओं का अब स्थायी स्थान दे दिया गया है और विस्तृत विकास-कार्यक्रमों का समावेश इस आर्थिक याजनाओं में ही किया जायेगा।

चतुर्थ याजना के स्थान पर काफी बाद विवाद हुआ है और कुछ विरोधों ने

इस निगम को कटी आनाचना भी की है। स्थगन क पन्थ एव विपक्ष म जो विचार व्यक्त किये गये हैं उनका समावेग नीचे किया जा रहा है।

चतुर्थ योजना के स्थगन के कारण

(१) प्रतिकूल मानसून तथा कृषि क्षत्र म अनिश्चितता—चतुर्थ योजना के स्थगन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण लगातार दो वर्ष (सन् १९६५-६६ तथा सन् १९६६-६७) तक दश भर म वर्षा की 'यूनता' क फलस्वरूप कृषि उत्पादन म कमी होना बताया जाता है। कृषि उत्पादन का निर्माण सन् १९६४-६५ म योजनाकाल की उन्नतन सीरा पर पहुँच गया था अर्थात् १.५०५ सन् (सन् १९४९-५०=१००) हो गया था परन्तु अगले दो वर्षों म प्रतिकूल जलवायु क फलस्वरूप यह निर्माण सन् १९६५-६६ म १.३२७ और सन् १९६६-६७ म १.३२४ तक घिर गया। इस कठिन परिस्थिति क फलस्वरूप देश के आर्थिक साधनों का उपयोग खाद्यान्न के आयात पर करना पडा। दूसरी ओर औद्योगिक क्षत्र म आवश्यक कच्चा माल भी कृषि इन मे पर्याप्त मात्रा म उपलब्ध न हो सका और इस प्रकार देश को अर्थ व्यवस्था म गतिविधता उत्पन्न हो गयी थी। इन अनिश्चित परिस्थितियों क अलगत अगले पाँच वर्षों के विकास प्रयामो एवं कार्यक्रमो को ठाक से निर्धारित करना असम्भव अथवा अनुचित होन क कारण चतुर्थ योजना को तीन वर्षों तक स्थगित कर लिया गया। यहाँ पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि प्राकृतिक दगाव्रा के दार म क्या निश्चितता सम्भव हो सकती है? सन् १९६९-७० म योजना प्रारम्भ करने के पदचान भी किसी भा वप म इसी प्रकार की कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और उस समय क्या योजना को फिर स्थगित किया जायगा? जब वार्षिक योजनाओं का स्थायी रूप क लिया गया है तो पूरी चतुर्थ योजना के स्थगन क स्थान पर विद्यमान परिस्थितियों क अनुरूप वार्षिक योजनाओं म समायोजन करना हो अधिक उचित कहा जा सकता है। जो आर्थिक सम्पन्नता अथवा मुहूर्त्ता हम सन् १९६०-६९ म प्राप्त कर सेंगे क्या वह भविष्य के पाँच वर्षों म बनायी रती जा सकेगी? इन प्रश्न का उत्तर अनिश्चित ही हो सकता है।

परन्तु योजना आयोग के उपाध्यक्ष न इन अनिश्चितता का दूर करना योजनाओं की सफलता क लिए आवश्यक बताया है। नियोजित व्यवस्था का जारी रखने तथा नियोजित प्रगति को मुहूर्त्ता प्रदान करने क लिए सरकार म यह धमना होनी चाहिए कि वह कठिन परिस्थितियों म भी अर्थ व्यवस्था म मुहूर्त्ता बनाय रख तथा अर्थ व्यवस्था का निर्माण एव नियमन योजना के उद्देश्यों क अनुकूल कर सके। इस धमना को प्राप्त करने क लिए खाद्यान्नो एवं अन्य कृषि उत्पादों का अधिमग्रह (Buffer Stock) सरकार को इतनी मात्रा म रखना चाहिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी अधिक मुहूर्त्ता बनायी रती जा सके। खाद्यान्न का अधिमग्रह सन् १९६०-६९ वर्ष के अन्त तक बढ़ना होने की सम्भावना है कि प्रतिकूल वर्षों म कोई दिगम कति

नार्द उपभोग नहीं हान दी जायगी। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना एक मुष्ट त्राणकारक प्रारम्भ का जो सबूत।

(२) औद्योगिक क्षेत्र में मधुचन (Recession in the Industrial Sector)—विद्यमान लगभग २० वर्षों में भारतीय उद्योगों की प्रगति मुद्रा प्रसारक वातावरण में हुई है जिसके अन्तर्गत विदेशी राज्यों का वाजार में अधिक दबाव रहा है और बटवों हुई मात्र के अर्थ में अन्तर्गतों में सम्बन्ध की मात्र एक रूप का अर्थ विंगेष ध्यान नहीं दिया। सन् १९६५-६६ वर्ष के मध्य में भारत के उद्योगिकियों का वाजार में उछालों का दबाव का प्रभाव हुआ तथा जो उद्योगिकियों का लिए एक सम्पूर्ण सम्बन्ध के रूप में प्रभाव हुआ। सम्बन्ध की अन्तर्गत अर्थ में अर्थ अधिक सम्बन्ध हुई कि इसका प्रभाव विभिन्न उद्योगों पर विभिन्न प्रकार में पड़ा तथा अर्थ-सम्बन्ध का अर्थ क्षेत्रों में मुद्रा प्रसार का दबाव बन जाने के कारण माँग में कमी नहीं हुई। इस प्रकार मध्य मधुचन आगिण हो या और हमने सम्पूर्ण अर्थ-सम्बन्ध पर समान प्रभाव नहीं पड़ा।

औद्योगिक मधुचन का इंगितिकरित उद्योग पर सबसे अधिक प्रभाव रहा जिनमें प्रमुख इस्पात-टर्बाईन वा-वालों के निर्माण के लिए सामान बनाने वाले उद्योग, टर्बो इस्पात के पाइप (Cast Iron Spun Pipes), खनिज एवं वायु की बर्तनों बनाने वाले उद्योग, मशीनों के अंगों बनाने वाले उद्योग, वाटर-वाहिनी तथा टैल्के के वाहन (Wagon) बनाने वाले उद्योग हैं। इनके उद्योगिक परम्परागत उद्योगों अभाव वस्तु बूट तथा वायुता उद्योगों में भी मधुचन का प्रभाव पड़ा।

सन् १९६० के बाद के प्रथम तीन वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में ८% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई परन्तु हमने बाद में यह वृद्धि का दर निम्नतर गिनी पसी जा रही है। सन् १९६५ वर्ष में यह वृद्धि ५.६% सन् १९६६ में २.६% तथा सन् १९६७ का प्रथम तीन महीना में १.६% रही है। साथ पदायें बनाने वाले उद्योगों वस्तु उद्योगों तथा इंगितिकरित उद्योगों का उत्पादन में सबसे अधिक कमी हुई। साथ उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि की गति धीमा हो गयी परन्तु पेट्रोलियम-उद्योग तथा विद्युत्-उद्योग निर्माण उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि की दर और बढ़ गयी। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के उत्पादन में सन् १९६६ में १% की वृद्धि हुई और सन् १९६७ में उत्पादन में ६.५% की कमी हुई। इसी प्रकार पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों में पहले उत्पादन की वृद्धि की गति मन्द हुई, और फिर उत्पादन में कमी होने लगी। दूसरी ओर मध्यम-स्तरीय वस्तुएँ (Intermediate goods) उत्पादन करने वाले उद्योगों में सन् १९६६-६७ में १२% की उपभोग में वृद्धि हुई।

भारतीय बीस्वर ऑफ नानस के नम (FICCI) द्वारा जिनके उद्योगों के अनुसार, ५०० उद्योगों में से १०० उद्योगों में सन् १९६५ तथा सन् १९६६ वर्ष में उनकी उत्पादनक्षमता के उपयोग की मात्रा घट गयी। सन् १९६६ वर्ष में

चापल (Boilers) उद्योग में ६६%, इंधन निर्यात उद्योग में ७६% चापल निर्माण उद्योग में ४६% मशीन औजार उद्योग में २८%, इस्पात टर्नाई उद्योग में ५३% बिजली व पथ निर्माण उद्योग में १४%, रेलवे बगल उद्योग में ४६% तथा भारी निर्माण मशीन सामान बनाने व उद्योग में ३५% उत्पादनक्षमता का उपयोग नहीं किया गया।

सूती वस्त्र जूट तथा खाद्य पदार्थ उद्योगों में उत्पादन की कमी का कारण सन् १९६६ तथा सन् १९६७ वर्ष में कृषिक्षेत्र में उत्पन्न हानि वाला कच्चे माल का कम उपलब्धि तथा इनके अधिक मूल्य थे। औद्योगिक कच्चे मालों के अतिरिक्त मूल्य सन् १९६५-६६ में १६% तथा सन् १९६६-६७ में २१% बढ़ गये।

दूधरी और इन्जिनियरिंग एवं रसायन उद्योगों में विदेशी विनिमय का कठिनाई के फलस्वरूप जायाग किया हुआ कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सका। सन् १९६६ वर्ष में कच्चे माल तथा पुर्जों आदि के जायाग में घूट दे दी गयी परन्तु इसका लाभ कुछ समय पर्याप्त ही सम्बन्धित उद्योगों को प्राप्त हो सका।

प्रतिकृत मानसून एवं सराब फसल व फलस्वरूप, ग्रामीण जनता में सामान्य रूप में और नगरीय जनता के कुछ वर्गों को श्रम गति कम हो गयी जिससे निर्मित वस्तुओं की मांग में कमी हुई। खाद्यान्न एवं अन्य अविषय वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के कारण जनसाधारण को अपनी श्रम गति का बड़ा भाग अनिश्चयताओं पर व्यय करना पडा और निर्मित वस्तुओं को श्रम करने व लिए बहुत कम श्रम गति जनसाधारण के पास बच सकी। खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादों व मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि होना व फलस्वरूप श्रम गति का हानि नरणा नगरों की जनसंख्या में ग्रामीण जनता को हो गया। ग्रामीण जनता अपनी श्रम गति का बहुत कम भाग रखभावन निर्मित वस्तुओं पर व्यय करती है। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादों की मांग में कमी हुई।

सन् १९६५ वर्ष की आर्थिक कठिनाइयों व कारण सरकार द्वारा बन्द में आर्थिक नियंत्रण—मास मनुष्य तथा विदेशी विनिमय प्रतिबंध से सम्बन्धित कार्य कारियों की गयीं। इसी समय पाकिस्तान द्वारा बाजारमण करने व कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण भी उत्पन्न हुआ। इन सभी कारणों व फलस्वरूप सरकारी श्रम में कठिनाई की गयी जिसका प्रभाव उद्योगों पर पडा।

वस्तुओं के उत्पादन में कमी होने से यातायात की सेवाओं की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पडा तथा यातायात से सम्बन्धित उद्योगों के उत्पादों की मांग में कमी हुई।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि औद्योगिक मनुष्य के फलस्वरूप सन् १९६५-६६ तथा सन् १९६६-६७ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में अस्थिर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी थीं। इन परिस्थितियों व प्रभावों से अर्थ व्यवस्था को मुक्ति दिताने के

लिए जा विभिन्न कायवाहियां मरणाद भाग की गयीं उनका दान एक-या वष में प्राण्ट हो सकता है। नयी वारण चतुष योजना का प्रारम्भ १ अप्रैल, सन् १९६८ में बंगल का निदधय किया गया है। उस समय औद्योगिक क्षेत्र में सन्नाय स्थिति अत्यन्त हाल की सम्भावना है।

(२) अवमूल्यन—जसा हम विदित है कि भारतीय रुपय का अवमूल्यन ॥ इन्, सन १९६९ को २६ ॥% तक किया गया। अवमूल्यन के पदवान् भारतीय रुपय के मान हुए स्वयं-उत्प १८६९०१ राम का घणवत् ११८११६ राम तक किया गया। इन् गणों में वारण एक वष विन्नी मुद्राओं के रुपया मूल्य में ५७५% की वृद्धि हो गयी। अवमूल्यन के पदवान् एक वारण का मूल्य ८७६ -० न वारण - १००० हो गया। अवमूल्यन के पहल एक भारतीय -० ०१ वारण - ० वारण गता का वल्लु अवमूल्यन के पदवान् १३ - वष के वारण - १ गया।

अवमूल्यन का निदान—दसक पढ़ते कि इन भारतीय रुपय के अवमूल्यन के कारणों एक प्रभावों का प्रभाव गते पर जान लेना अवल्लु अत्युक्त शान कि इन मूल्यन का निदान क्या है? इस निदान का समझन के लिए हम न देगों की अय व्यवस्था का लक्ष है अर्थात् अल्प तथा व लेगों अल्प मूल्य स्थिर है अिनकी विविध-दर स्थिर है तथा अिनके विन्नी व्यापार समुचित है अर्थात् अ लेग का प्रापात व देग के निर्यात के बराबर है। इन परिस्थितियों के अन्तगत इन वारों लेगों में आन्तरिक मूल्य-तर में समान अनुपात में वृद्धि हाती है। मूल्य-वृद्धि का इन वारों देगों के व्यापार एक विविध दर पर वार प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह यथावत् बना रहगा।

परन्तु समस्त देगों में आन्तरिक मूल्यों में समानुपात में वृद्धि नहीं हाती है और उपा की वारण स्थिति बनाय रचना समझ नहीं हाता है। मान कीदिए अ देगों में मूल्यों में तीव्र वृद्धि हाती है जबकि अ देगों में मूल्य स्थिर रहत है अथवा उनम मूल्य में कम वृद्धि हाता है। विविधय पूर्ववत् रहते के कारण इन परिस्थिति में अ देगों की वल्लुएँ अ देग में पहले से सस्ती पढ़ेंगी और अ लेग की वल्लुएँ अ देगों में पहले से महंगी हो जायेंगी अर्थात् अ देग की मुद्रा के बदले में अ देग की मुद्रा मिलेगी, वह पूर्ववत् ही रहगी जबकि अ देग की मुद्रा की अय शक्ति अ लेग के आन्तरिक वारण में कम हो जायगी। इन परिस्थिति का फल यह हाता कि अ देग के प्रापात में वृद्धि और निर्यात में वमी होने लगेगी और अ देग का व्यापारिक प्रतिष्ठान गिर हा जायगा।

अधिक प्रापात का प्रादन करने के लिए अ देग का अल्पे स्वयं-उत्प अथवा विन्नी विविधय-उत्प का उपयोग करना हाता। जब यह उचित हाता है तब तो व्यापार को समुचित करने के लिए अ देग को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ेगा।

१. अ देग में वार के समान वषे हुए देग समुचित है।

अ देश की मुद्रा का मूल्य ब देशों की मुद्रा के तुल्य म अवमूल्यन म परचात कम हा जायगा और म दश म आयात की गयी वस्तुओं का मूल्य अ देश का मुद्रा म अधिक हो जायगा तथा अ दश के निर्यात क मूल्य ब देशों की मुद्रा म कम हो जायेंगे । इन परिस्थिति क परिणामस्वरूप अ देश का आयात घट जायगा तथा निर्यात बढन लगेगा जिससे विदेशी यापार सन्तुलित हा सकता है ।

जबमूल्यन की मायताएं

मुद्रा अवमूल्यन द्वारा विश्व यापार को सन्तुलित करन की उद्देश्य पूर्ति निम्नलिखित मायताओं पर निर्भर रहती है

(अ) अ देश तथा ब देशों म आयात व निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होन चाहिए परन्तु यह परिस्थिति सममान वातावरण म यावहारिक दृष्टिकोण म असम्भव है ।

(ब) आयात व निर्यात की मात्रा म मूल्य क परिवर्तना क अनुपात म क्या या वृद्धि हानी चाहिए अर्थात् आयात व निर्यात मूल्य क समान म लाचदार होन चाहिए परन्तु एक विकासशील दश म आयात लाचदार नहीं हा सकत क्योंकि विकास-कायक्रमो क लिए पूज्यत एव अय सामग्रिया का पर्याप्त आयात आवश्यक हाता है । निर्यात भी पूणरूप से लाचदार नहीं हात है क्योंकि दश क आन्तरिक बाजार म मूल्यों का स्तर उचा होता है और निर्यात करन म कोई बाधा लाभ की सम्भावना नहीं रहती है ।

(स) मुद्रा अवमूल्यन करन बावत धन म निर्यात याप्य वस्तुओं का आधिपत्य होना चाहिए अथवा निर्यात म वृद्धि करना सम्भव नहीं हा सकता ।

भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख कारण देश के मूल्य-स्तर म पिछल १५ वर्षों म ८०% की वृद्धि था । द्वितीय योजनाकाल म थोक मूल्य निर्णायक म २८% की वृद्धि हुई थी और सन् १९६०-६१ वष म यह निर्णायक १२४.६ (१९५२-५३=१००) था । सन् १९६१-६२ तथा सन् १९६२-६३ वर्षों म मूल्यो म कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई परन्तु सन् १९६३-६४ वष म मूल्यो म निरन्तर तीव्र गति म वृद्धि होती रही । सन् १९६५-६६ वष म बाक मूल्य निर्णायक १६५.१ हा गया और ४ जून सन् १९६६ को यह निर्णायक १८४.२ था । इस प्रकार निरन्तर बढ़त हुए मूल्यो क फलस्वरूप भारत का निर्यात कम होने लगा । अय देशो म इस काल म मूल्यो म वृद्धि इतनी तीव्र गति से नहीं हुई । इस काल म जापान म ५% अमेरिका म ९% जर्मनी म १०% तथा ब्रिटेन म २०% मूल्यो म वृद्धि हुई । हमारा निर्यात ६०१ करोड २० सन् १९५०-५१ म था जो वत्कर ८१० करोड ८० सन् १९६५-६६ म हा गया अर्थात् ३५% की वृद्धि हुई जबकि हमारा आयात ६५० करोड २० स वत्कर इस काल म १३६२ करोड २० हा गया अर्थात् ११४% की वृद्धि हुई । इस प्रकार हमारा विदेशी व्यापार का णप निरन्तर प्रतिबल बना रहा और सन् १९५०-५१ म

४० कराट २० से बढ़कर ५८२ कराट २० मन् १९६५-६६ में हो गया। इस प्रतिफल व्यापार-क्षेत्र के परस्वरूप हमारा विदेशी विनिमय का मन्वय जो मन् १९५०-५१ में १००६ कराट २० या घटकर मन् १९६५-६६ में २६६३ कराट २० रह गया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-बाप डाटा प्रकाशित बावटों के अनुसार मन् १९५० में मन् १९६५ तक व कास म मन्वय व ताना मन्वो प्रमुव निवातकर्ता दगों के निवात-मूय में वृद्धि हुई है। यह लघ्य निम्नलिखित तासिका म स्पष्ट है

तासिका न० ८७—प्रमुव निवातकर्ता-देशों के निवात मूय में वृद्धि
(१९५०-६५)

दग	निवात मूय व निर्देशाव में मन् १९५० की तुलना म मन् १९६५ की वृद्धि वा प्रश्राव
ब्रिगन	५१ ६
ममुन राज्य अमरिका	२७ ७
बनाडा	२७ ८
फ्रान्स	२१ ५
भारतवष	१५ ३
जानान	—२ ०
मन्वगिया	—१३ ८
जान्दू लिया	—२६ ८
पाकिस्तान	—१३ ३
सीतान	—८ ७

जहा तक हमारे निवात-व्यापार (विदेशी परम्परागत निवात) का सम्बन्ध है, हमारे प्रमुव प्रनिदन्त्री पाकिस्तान सीतान और जानान हैं। इन तीनों दगों में १५ वष के काम में निवात-मूयों में कमी हुई है। अपनी वस्तुओं को इन दगों की तुलना में मूला बेचन के लिए हमें मूयों का अवमूयन करना बावश्यक या पम्मु निवात मूय के निर्देशाव को ही अवमूयन का बाधा नहीं मन्का जा सकता है। विभिन्न निवात वस्तुओं के मूयों में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं और प्रमक निवात वस्तु के सम्बन्ध में मूय व विभिन्न-दर लिधारित नहीं की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में लायात-मूय एक निवात अनुदान द्वारा मुद्रा व मूय का विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में समय-समय पर समायोजन करना अविकर अथम्बर समझा जाता है।

अवमूयन और निवात—उत्तर के समस्त निवात में हमारा अण्ड मन् १९५१-५२ म लगभग २% था जो मन् १९६५-६६ में घटकर ०.६% रह गया। मन् १९५१-५२ में हमारे निवात हमारे लायात के ७५.६% भाग का मुगतान करने लु पर्याप्त थे जो मन् १९६५-६६ में घटकर केव ५६.६% लायात का ही मुगतान करने के लिए पर्याप्त रह गय। मन् १९५१-५२ में हमारे निवात हमारे राष्ट्रीय आय के ४% थे जो मन् १९६५-६६ में घटकर केव ३% रह गय। अब

निर्यात सबद्ध न सम्बन्धी समस्त सरकारी कायवाहियों द्वारा सम्भावित नतीज नही प्राप्त हुए ता अवमूल्यन की अन्तिम एवं जोखिमपूर्ण कायवाहियों का सहारा लिया गया। इस प्रकार अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य निर्यात मजदूर न करना था जिससे प्रतिकूल व्यापारिक गैप को दूर किया जा सके परन्तु हमारे निर्यात मूल्य के सन्दर्भ में लचील (Price Elastic) नहीं हैं। हमारे ६०% निर्यात परम्परागत वस्तुओं जैसे चाय, गुनी वस्त्र, जूट, काफी, तम्बाकू आदि से बनते हैं। इन परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाना कठिन होता है क्योंकि एक ओर इनका माग देश के अन्दर ही अधिक है और निर्यात आधिनय बढ़ाना सम्भव नहीं होता। दूसरी ओर इनमें अधिकतर वस्तुओं में क्वोटा-प्रणालि (Quota System) का अन्तगत निर्यात होता है। इसके साथ हमारी वस्तुओं की क्वालिटी भी बजार के बाजार में अधिक अच्छी नहीं मानी जाना है जिससे मूल्य कम होने पर भी हमारी वस्तुएं विदेशी बाजार में अधिक मात्रा में नहीं बेची जा सकती हैं। परम्परागत वस्तुओं में हमारे प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी चीन, पाकिस्तान, जापान तथा हांगकॉंग हैं। इन प्रतिद्वन्द्वियों द्वारा भी अपने निर्यात बढ़ाने हेतु आवश्यक कायवाहियाँ की गयी हैं जिससे हम अवमूल्यन का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सका है।

जहाँ तक गर परम्परागत वस्तुओं जैसे टिकाऊ उपभोग्य वस्तुएं, मशीन औजार आदि के निर्यात का सम्बन्ध है, इनके निर्यात प्रोत्साहन निर्माण करने के लिए हम विदेशी पूँजीगत वस्तुओं एवं कच्चे माल की आवश्यकता होती है और यह आयात अवमूल्यन के पश्चात् ५७.६% महंगा हो गया है जिससे इन वस्तुओं की उत्पादन लागत भी बढ़ गयी है।

अवमूल्यन के फलस्वरूप हम, जहाँ अपने निर्यातों के बदले में ३६.४% कम विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, उसके साथ ही, हम अपना आयात के लिए ५७.६% अधिक ऋण का बोधा करना होगा। हम अपने आयात को कम करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि विकास कार्यक्रम के निर्वाह के लिए आयात उन्ही मात्रा में करना अनिवार्य है। अवमूल्यन के फलस्वरूप आयात की एक इकाई के बदले में हम एक निर्यात की इकाई के स्थान पर १.३६५ निर्यात इकाई भुगतान करना पड़ रहा है। यदि हमारा आयात हमारी राष्ट्रीय आय का ६% मान लिया जाय तो हम अपना राष्ट्रीय आय का लगभग २.४% भाग अधिक भुगतान के रूप में देना पड़ रहा है।

अवमूल्यन एवं विदेशी सहायता

अवमूल्यन के फलस्वरूप हमारे विदेशी ऋण २७.३४ करोड़ रु० से बढ़कर ४१.०३ करोड़ रु० हो गये। इस प्रकार हम अपने विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए १३.६९ करोड़ रु० अधिक भुगतान करना पड़ेगा। इनका ही नहीं हम अपने ऋणों के ब्याज आदि के भुगतान के लिए भी १.३ गुनी अधिक राशि प्रति वर्ष भुगतान करनी

पट रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों एवं राजनीतियों का यह भी विचार है कि 'नये के अवदूषण का एक उद्देश्य पर्याप्त मात्रा में 'चतुर्थ योजनाकाल के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करना था। विकास-कार्यक्रमों में सम्बन्धित प्रतिबाध जनात प्राप्त करने हेतु विदेशी सहायता को प्राप्ति आवश्यक थी। विदेश बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में सुझा के अवदूषण, कुछ आयात-सीमा, विदेशी विनिर्माण का बहिष्कार मुद्रिणा' निर्धारण में वृद्धि आदि भी शर्तें रखा गयी थी परन्तु अवदूषण के परवाह की शर्तों की वृद्धि पूर्ण न होने के कारण विदेशी सहायता के लिए पर्याप्त आवश्यकता प्राप्त नहीं हुई।

अवदूषण होना परवाह की हाना निर्धारण में वृद्धि नहीं हुई है। भारत सरकार द्वारा जो निर्धारण-सूचक लागू किये गये तथा निर्धारण-परिवर्तन की परिशोधनाओं की रक या स्यासित कर दिया गया इसका निर्धारण-वृद्धि का जवाब देना। इसके साथ ही देश में सुझा-प्रसार का दबाव निरन्तर बढ़ता चला आ रहा है। सन् १९६२-६३ तथा सन् १९६६-६७ वर्षों में प्रतिहून हृदय-ज्यादातन तथा औद्योगिक उत्पादन हुआ है। सन् १९६६-६७ वर्षों में कुल २०३ करोड़ २० का हीनार्थ-प्रवचन हुआ है। सन् १९६७-६८ वर्षों में कुल २६० करोड़ २० का घाटा बरपाया गया है। इस प्रकार हीनार्थ-प्रवचन के परन्त-रूप हानारी अर्थ-सम्बन्धी निम्नलिखित सूचक-वृद्धि के भारत में बड़ी हुई है। अवदूषण के परवाह के काल में हाना निर्धारण निम्न प्रकार रहा

तालिका सं० ८८—अवदूषण के परवाह निर्धारण (लाख डॉलर में)

वर्ष	१९६२-६६	१९६६-६७	१९६९-७० में निर्धारण की कमी का प्रतिशत
प्रथम त्रैमासिक (जून से अगस्त)	४४४०	३४५५	—१० =
द्वितीय त्रैमासिक (सितम्बर से नवम्बर)	४४२५	३६२०	—१० =
तृतीय त्रैमासिक (दिसम्बर से फरवरी)	४३६०	३६९६	—५ =
चतुर्थ त्रैमासिक (मार्च से मई)	४०६४	३०४२	—२० =
योग	१७९८८	१४०५४	—११ =

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अवदूषण द्वारा हाना निर्धारण में वृद्धि के स्थान पर कमी ही हुई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन वर्षों में निरन्तर-रूप निर्धारण की दराने में अल्पमत्र रहे हैं। अवदूषण के पूर्व यह निर्धारण किया जाता था कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में कमी होने का कारण का अल्प अल्प मात्र एवं

बल पुर्जों आदि का पर्याप्त आयात न होना था परन्तु अवमूल्यन के पश्चात् आयात में घट्ट होने के पश्चात् भी उद्योग कुछ सीमा तक ही इसका नाम उठा सके हैं और इस प्रकार उद्योगों द्वारा निर्यात योग्य उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गयी है। अवमूल्यन के पश्चात् प्राप्त हुई विदेशी सहायता का बहुत से भाग का उपयोग इसीलिए नहीं किया जा सका।

तृतीय योजना की समाप्ति पर अर्थ-व्यवस्था की दयनीय अवस्था को देखते हुए चतुर्थ योजना के पाँच वर्षों के कार्यक्रम निर्धारित करना सम्भव न हो सका और केवल सन् १९६६-६७ वर्ष के लिए योजना कार्यक्रम निर्धारित किए गये। इस वार्षिक योजना की चतुर्थ योजना का ही अर्थ बताया गया। अवमूल्यन द्वारा अर्थ-व्यवस्था में और अधिक अनिश्चितता कर देने के कारण अप्रमत्त सन् १९६७ में फिर केवल वार्षिक योजना का निर्धारण किया गया।

अगस्त, सन् १९६७ में योजना मायाग में प्रस्तावित चतुर्थ योजना का प्रस्तावित किया जिसमें सन् १९६६-६७ से सन् १९७०-७१ तक के विकास कार्यक्रम सम्मिलित थे परन्तु इन की अर्थ-व्यवस्था में असामान्य अनिश्चितता बना रही और अवमूल्यन से प्राप्त होने वाले लाभ केवल अनुमान मात्र ही बन रहे।

अवमूल्यन एवं विदेशी व्यापार

तृतीय योजनाकाल में हमारे निर्यात में लगभग २३% की वृद्धि हुई और योजना के पाँच वर्षों में कुल मिलाकर ३०९२ करोड़ रु० का निर्यात किया गया। प्रस्तावित चतुर्थ योजना में निर्यात में ५१.२% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया अर्थात् योजना के पाँच वर्षों में कुल निर्यात ५१०० करोड़ रु० (अवमूल्यन के पूर्व के रूप में) करने का अनुमान लगाया गया जो अवमूल्यन के बाद के रूप में ८०३० करोड़ रु० के बराबर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चतुर्थ योजनाकाल में निर्यात में ११% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया जबकि सन् १९६६-६७ में निर्यात की वास्तविक उपलब्धियाँ को देखते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति असम्भव ही प्रतीत हुई। विदेशी व्यापार की इस गम्भीर परिस्थिति तथा औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न होने के कारण ही यह निष्पत्ति लिया गया कि चतुर्थ योजना को स्थगित कर लिया जाय।

प्रस्तावित योजना में योजनाकाल में १२०४६ करोड़ रु० का आयात अनुमानित किया गया जिसमें से ८१६० करोड़ रु० का आयात निर्बाह-सम्बन्धी आयात अनुमानित था। इस प्रकार चतुर्थ योजना के पाँच वर्षों में ४०१६ (१२०८६ आयात—८०३० निर्यात) का प्रतिकूल गणित उत्पन्न होने का अनुमान लगाया गया जिसके लिए विदेशी सहायता की व्यवस्था करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त २२८४ करोड़ रु० पिछले विदेशी ऋणा एव वृद्धि के साधनाय आवश्यकता पाने का अनुमान लगाया गया। इस प्रकार ६०० करोड़ रु० की विदेशी सहायता का आयोजन किया जाना था अर्थात् योजना के प्रथम वर्ष में औसतन लगभग १३०० करोड़ रु० का

विदेशी सहायता प्राप्त होने की व्यवस्था की जाती थी परन्तु सन् १९६६ ६७ वष में ८९९ करोड़ रु० की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है और सन् १९६७ ६८ के बजट में १००० करोड़ रु० की व्यवस्था का अनुमान लगाया गया। इस प्रकार विदेशी सहायता को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण भी अनेक योजना के कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया।

(४) विदेशी व्यापार—सिद्धि के दो वर्षों के बाद सन् १९६६ ६७ तथा सन् १९६७ ६८ में हमारे विदेशी व्यापार में सम्भावित प्रगति नहीं हुई है। हमारा निर्यात सन् १९६५-६६ वष में १०६० करोड़ डॉलर था जो सन् १९६६ ६७ वष में घटकर १६५२ करोड़ डॉलर रह गया। सन् १९६७ ६८ वष में भी निर्यात में कमी विद्यमान हुई नहीं हुई। अतः हमें प्रसन्न तब तक बाजार में सन् १९६५-६६ में ६६८ करोड़ डॉलर का निर्यात किया गया था सन् १९६६ ६७ में ६१३ करोड़ डॉलर तथा सन् १९६७ ६८ में ६१७ करोड़ डॉलर रह गया। दूसरी ओर, हमारे आयात जो सन् १९६५-६६ वष में २६५३ करोड़ डॉलर थे, सन् १९६६ ६७ वष में २६६० करोड़ डॉलर रह गया। सन् १९६७ ६८ वष के प्रथम पाँच महीनों में हमारे आयात में कुछ वृद्धि हुई। आयात में कमी का प्रमुख कारण अवमूल्यन के परम्परागत आयात की गयी वस्तुओं के मूल्यों में ५७.५% की वृद्धि होना था।

हमारे निर्यात में चाय और जूट का महत्वपूर्ण स्थान है और इनका प्रमुख बाजार ब्रिटेन है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउण्ड स्टीलिंग का १५५ से अवमूल्यन कर दिया गया है जिसके परम्परागत स्टीलिंग क्षेत्र को किए गये निर्यात से हमारे निर्यातकर्ताओं को दरपों में कम मूल्य प्राप्त होगा जिससे भारतीय निर्यातकर्ताओं में निर्यात के प्रति उदासी कम हो जाना स्वाभाविक है। दूसरी ओर हमारे पड़ोसी राष्ट्र सोवियत ने अपनी मुद्रा का २०% अवमूल्यन कर दिया है जिसके परम्परागत हमारे चाय के निर्यात को आघात पहुँचेगा। भारत में अवमूल्यन के परिणाम चाय पर का निर्यात शुल्क लगाया गया है, उससे चाय उद्योग का अवमूल्यन का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और अब सोवियत के चाय प्रतिस्पर्धा करना और भी कठिन हो जाएगा।

(५) योजना-आयोग का पुनर्गठन—सितम्बर सन् १९६७ में योजना-आयोग का पुनर्गठन किया गया और प्रो० डी० जार० गार्डमिन ने उपाध्यक्ष का पद संभाला। योजना आयोग का पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission) की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इस आयोग ने अपने अन्तिम प्रतिवेदन में सिफारिश की कि योजना आयोग अपने विषय करने के लिए सरकारी दबाव से अधिक स्वतंत्र होना चाहिए परन्तु इसकी सिफारिशों पर मंत्रियों को एक उपसमिति द्वारा विषय किए जा सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशों की

(१) योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्य केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से नहीं

लिए जाने चाहिए परन्तु मध्यम पद पर प्रधानमंत्री का रहना उचित है। वह अपनी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री (Minister of State) को रख सकता है।

(२) योजना आयोग के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए। वे केवल किसी विधेय विषय का ही समीक्षा न कर सकें। इस प्रकार योजना आयोग केवल विधेयों की ही मस्यौदा नहीं होनी चाहिए।

(३) राष्ट्रीय योजना परिषद् नियोजन सम्प्रदाय सर्वोच्च स्तर के रूप में योजनाओं के निर्माण में मूलभूत निर्देश देती रहे। उसकी तथा उसके द्वारा नियुक्त विभिन्न उपसमितियों की ओर अधिक नियमित बैठकें होनी चाहिए।

(४) योजना आयोग द्वारा नियुक्त बहुत सी सलाहकार समितियाँ एवं समूह द्वारा कोई विधेय उपयोगी कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए सलाहकार समितियों की स्थापना तोच विचार करनी चाहिए और उनका कार्य एवं कार्य मन्त्रालय विधि उचित रूप से पूर्व निर्धारित कर दी जानी चाहिए। जिन केन्द्रीय मन्त्रालयों में सलाहकार समितियाँ कार्य कर रही हों उनका यथासम्भव उपयोग योजना प्रायाग को करना चाहिए।

(५) एक लोकसभा सदस्यीय समिति की स्थापना राश्ट्रीय 'यवसाय समिति' (Committee for Public Undertakings) के समान की जानी चाहिए जो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं योजनाओं की सफलताओं के मूल्यांकन में सम्बन्धित प्रतिवेदनों का मध्यम करे।

(६) योजना आयोग के कार्य मन्त्रालय के लिए तान स्तराध्य अधिकारी होना चाहिए—सलाहकार विषय विधेय तथा विस्तृतपत्रता। जांचकों के बहुत से जांच अधिकारियों (Investigators) का आवश्यकता नहीं है।

(७) दिल्ली में एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें विकास सम्बन्धी विभिन्न पक्षों में दक्षता देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता चाहिए।

(८) विभिन्न विकास-परिषदाँ (जो प्रत्येक महत्त्वपूर्ण उद्योग के लिए स्थापित की गयी हैं) के साथ एक योजना समूह (Planning Group) लगा रहना चाहिए। यह समूह निजी क्षेत्र के उद्योगों से योजनाओं के निर्माण में सक्रिय सलाह एवं सहयोग प्राप्त कर सकता है।

(९) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न आर्थिक सलाहकार-समूहों में अधिक समय एवं संचार (Communication) के लिए एक स्टाफिंग समिति की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें विभिन्न मन्त्रालयों एवं योजना प्रायाग के आर्थिक एवं सांख्यिकीय कर्मियों के अध्यक्ष सदस्य होने चाहिए।

(१०) राज्यों में त्रि-स्तराध्य यंत्रणात्मक (Planning Machinery) की स्थापना की जानी चाहिए—राज्य योजना परिषद् (State Planning Board) विभागीय नियोजन संस्थाएँ तथा क्षेत्रीय एवं जिला स्तराध्य नियोजन संस्थाएँ। योजना-परिषद्

गर राजनीतिक विरोधों की सम्भवा होनेी चाण्डि त्रिमका अध्याय मुख्यमन्त्री होनेा चाहिए। यह परिपक्व राज्य की योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग के समान कार्य कर। विनाशोप योजना-सम्पादन "यु विभाग की विभिन्न विभाग-परिचायनाओं में समन्वय स्थापित करें तथा नवक नवित त्रियान्वयन की देवमात करें। प्रत्येक त्रिने में एक पृथक् पूर्ण समय के लिए (Whole time) योजना एवं त्रिकान त्रिविधा की शला चाहिए तथा एक त्रि-योजना समिति होने चाहिए त्रिसमें पञ्चायतों नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि तथा कुछ व्यावसायिक विरोधक हान चाहिए।

केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक स्थान आयोग की विकासियों में सु सुत को वाचान्वित कर दिया गया और योजना आयोग का पुनर्गठन कर ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की गयी जो केंद्रीय मन्त्री नहीं हैं। प्रा० गांधीजी का दशम्वदन नियुक्त करने के साथ श्री बंकरादामन श्री बी० बंजाराधियाह श्री पीताम्बर पला श्री पी० बी० पी० नाथ चौधरी की योजना आयोग का सम्बन्ध नियुक्त किया। विधमन्त्री का Ex-officio सदस्य नियुक्त किया गया है। इस प्रकार योजना आयोग के पञ्चायकारियों में परिचयन होने से आयोग का अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक स्थिति स्वीकार करने में कोई त्रिचिचिवाहट नहीं हुई। योजना आयोग की विचारधारा में अर्थ-व्यवस्था की सामान्य स्थिति होने पर ही नवीन योजना के वास्तविक निधारित करना उचित था। यह कहना भी अनुचित न होगा कि यदि योजना आयोग का पुनर्गठन न किया जाता है तो अनुपयोज्यता व स्थान की योजनाओं की अर्थ-व्यवस्था मान कर इस स्थान की स्वीकार नहीं किया जाता।

(६) मन् १६६६ का चुनाव—अनुप योजना का प्रारम्भ उनी विधीय रूप में होना था त्रिसमें आन चुनाव होना था। योजना का निर्माण चुनाव के प्रारम्भ से पहले ही होना था। इस उद्यम का ध्यान में रखते हुए नवदाताओं के सम्मुख एक बड़ी योजना प्रस्तुत करना आवश्यक था और त्रिचिचिवाहट जयन्मादनों को बनाकर प्रदायित किया गया। दूसरी तरफ, चुनाव के अन्दर में अधिक त्रिचिचिवाहट करना भी सम्भव नहीं था। चुनाव के प्रभावों से अनुप योजना की कुछ करने का एक नया यह था कि अनुप योजना की तीन रूप के लिए स्थिति कर दिया गया।

(७) एकाधिकारों पर गेह—एकाधिकारों पर नियन्त्रण करने तथा आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण का गेहने के लिए अखिलियम बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी प्रकार औद्योगिक लाइसेंसिंग का नीति में मूलभूत परिवर्तन किया जा रहा है त्रिससे इसके द्वारा केवल बड़े उद्योगशक्तियों को ही नवीन उद्योगों की स्थापना एवं उद्योगों के विस्तार के लिए प्रोत्साहन न मिले। इस नीति में अनाउ तथा त्रिचिचिवाहट महयोग से त्रिचिचिवाहट होने वाले उद्योगों दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार अखिलियम पर सामाजिक नियंत्रण का अखिलियम भी लागू किया जाना है त्रिससे नाल द्वारा आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को प्रोत्साहन न प्राप्त हो सके और अनुप त्रिचिचिवाहट एवं

व्यवसायी पयाप्त मात्रा में मात्र उपलब्ध कर सकें। केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय रिजर्व बैंक तथा योजना आयोग समन्वित रूप में विनियोग एवं साक्ष के क्षेत्र में एकरूप नीति का पालन करेंगे जिसमें औद्योगिक विनियोजन एवं उत्पादन विना कठोर नियमन अथवा भौतिक नियंत्रण के ही उद्देश्यों ने अनुकूल किया जा सके। अद्य-व्यवस्था पर इन सभी कायवाहियों के अनुकूल प्रभाव मन् १९६८ के मध्य से पढ़ने की सम्भावना है और इन प्रभावों के सम्मम चतुर्थ योजना के कार्यक्रम निर्धारित करना अधिक आवश्यक होगा।

(८) आंतरिक बचत—तीन योजनाओं में अनुभवों ने यह स्पष्ट हो गया है कि हमारी भविष्य की योजनाओं को विदेशी सहायता पर कम से कम निर्भर रहना आवश्यक है। विदेशी सहायता की निर्भरता से मुक्त होने के लिए हम अपनी आन्तरिक बचत एवं निधान में वृद्धि करना अनिवार्य है। आंतरिक बचत को दर पिछले दो वर्षों में गिरने का अनुमान लगाया गया है। इस बचत दर को बचत के लिए जनोपयोगी सेवा सम्बन्धी व्यवसायों एवं राजकीय व्यवसायों के लोगों को बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक यह दोन प्रकार के व्यवसाय विकास के लिए बहुत कम आधिक्य उपलब्ध करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् का ध्यान इसीलिए सिंचाई एवं विद्युत की दरों को बढ़ाने की ओर आकर्षित किया गया है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निर्जलितगण्य समिति की सिंचाई-परियोजनाओं के माध्यम पर गयी सिफारिशों को तथा राज्य विद्युतमण्डलों की कार्य प्रणाली पर बकटारमन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार बड़े बड़े सरकारी व्यवसायों की विस्तृत जाँच कर उनके लोगों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम संचालित करने हेतु भी कायवाहियों की जानी है। इस प्रकार इन कायवाहियों से उदय होने वाले लाभ स्वयं चतुर्थ योजना के प्रारम्भ से ही प्राप्त हो सकत है।

लघु उद्योगों की बचत का बढ़ाने के लिए उन्हें अपने अधिकारों को अपने ही व्यवसायों में ही विनियोजित करने हेतु प्रोत्साहन देना आवश्यक है। करा द्वारा भी आन्तरिक बचत को बढ़ाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कृषि आयकर पर विनाय ध्यान दिया जाना है। सभी राज्यों को कृषि आयकर समान रूप से लगाने का लिये इन सामान्य आयकर के अन्तर्गत ही सम्मिलित किया जाना चाहिए।

उपयुक्त समस्त कायवाहियों या तो विचारधीन हैं अथवा उनका क्रियान्वयन प्रारम्भ कर लिया गया है। इनके क्रियान्वयन की गति एवं प्रभावों की योजना का आधार मानकर चतुर्थ योजना का कार्यक्रम निर्धारित करना अधिक उचित समझा गया है। इन कायवाहियों के प्रभाव मन् १९६८ वर्ष के अन्त तक समुचित रूप में पढ़ने लगे।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना के स्वयं के लिए कुछ ठास कारण इस समय विद्यमान थे और उनको अस्थायी समझकर उनका प्रभाव ने अद्य-व्यवस्था को मुक्त कर ही चतुर्थ योजना के प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया

हे। प्रो० गाडगिन ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना के स्थान को योजना अवकाश (Plan Holiday) हरगिज नहीं समझना चाहिए क्योंकि अर्थ-व्यवस्था में विकास-विनियोजन यथावत चलना रहा परन्तु जो परिस्थितियाँ इस समय अर्थ-व्यवस्था पर आघातित हैं वह फिर उ उदय नहीं होंगी। इस बात का निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार की कठिन परिस्थितियाँ चतुष योजना अथवा उसमें आगे की योजनाओं में उदय हो सकती हैं। यह अभी दखना बानी है कि नवीन योजना में इन अनिश्चित एक कठिन परिस्थितियों का उदय होने से रोकने के लिए क्या-क्या ठोस कार्यक्रम सम्मिलित किए जाय हैं और वे कहां तक चलें रहेंगे। यह साम्यवादी तथ्य है कि अर्थ-व्यवस्था की गतिविधि का ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं। वास्तव में योजना-कार्यक्रम में इतना सञ्चोनापन होना चाहिए कि उन्हें परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित किया जा सके। हमारी योजनाओं की यह सबसे बड़ी कमी है और इसी कारण अनुमान से भिन्न परिस्थितियाँ उदय होने पर हमारी योजनाओं का उच्चातन कठिन हो जाता है।

यद्यपि हम इन मध्य के तीन वर्षों को योजना-अवकाशकाल नहीं मानते परन्तु इन तीन वर्षों के विनियोजन-कार्यक्रमों का दीर्घकालीन उद्देश्यों का पथ प्रदर्शन उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के कुछ मूलबुद्धि सम्पन्न होते हैं जिनकी प्राप्ति की द्वाारा वर्ष प्रति वर्ष आगे बढ़ा जाता है। जब हम इन तीन वर्षों को चतुष योजना से पृथक् कर लेते हैं तो यह दीर्घकालीन सम्पन्न हुआ मार्ग दर्शन नहीं करते हैं और हमारे कार्यक्रमों का उद्देश्य वर्तमान अस्थायी कठिनाइयों को दूर करना माना रह जाता है। इस प्रकार नियोजित विभाग की कड़ी दृष्टि का नय उत्पन्न हो जाता है। हम भते ही इन तीन वर्षों के नाम की योजना-अवकाश का नाम देकर न पुकारें परन्तु यह तीन वर्ष नियोजित विकास की कड़ी को जोड़ने बाधा एक पृथक् अंग (Patch) माना अवश्य है।

तीन एक वर्षीय योजनाएँ—१९६६ ६७ में १९६८-६९
[Three Annual Plans—1966 67 to 1968 69]

[सन् १९६६ ६७ की योजना—जय अथ मानव लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ—वृष्टि मिर्चाई शक्ति उद्योग एवं खनिज, यातायात एवं संचार राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय एवं मूल्य-स्तर, सन् १९६७ ६८ की वार्षिक योजना—‘जय एवं प्राथमिकताएँ’, अथ साधन लक्ष्य एवं कार्यक्रम—वृष्टि उद्योग राष्ट्रीय आय मूल्य स्तर एवं पूँजी निमाण—सन् १९६८ ६९ की वार्षिक योजना, व्यय अथ साधन उत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ]

मौलिक कार्यक्रम के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ तृतीय योजना के मुरत बाद अर्थात् १ अप्रैल सन् १९६६ से होगा था और तृतीय योजना के अनुभवों के आधार पर मितम्बर सन् १९६७ में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का एक रूप रखा गया की गयी तथा एक स्मृतिपत्र के रूप में के द्वीप सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी। इस स्मृतिपत्र में सम्मिलित कार्यक्रमों एवं रूपरेखा पर अन्तिम निर्णय करने के पूर्व देश की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में आकस्मिक परिवर्तन हुए जिनके अन कार्यक्रमों की दोहराना आवश्यक समझा गया। पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप, अथ व्यवस्था का पहुँचने वाली क्षति विशेषी सहायता की ‘दल’ का समापनक हुना तथा चीन और पाकिस्तान से आक्रमण की निरन्तर सम्भावनाओं के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू साहबी का योजना का रूपरेखा में परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया।

इस प्रकार चौथी योजना की रूपरेखा पर पुनर्विचार किया गया और यह निश्चय किया गया कि योजना के कार्यक्रम निर्धारण समय पर प्रारम्भ करने हेतु केवल सन् १९६६ ६७ वर्ष की योजना को अन्तिम रूप दिया गया और साथ ही वर्षों के कार्यक्रम सामग्री की उपस्थिति एवं उपस्थित परिस्थितियों के आधार पर बाद में अन्तिम रूप से निर्धारित किए जाय। बाद में चौथी योजना का प्रस्तावित प्रतिक्रिया प्रकाशित किया गया परंतु इन प्रस्तावित कार्यक्रमों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि अथ व्यवस्था में अनिश्चित स्थिति एवं अस्थिर वृद्धिवादी बराबर बना रहा। इन अनिश्चित परिस्थितियों में सन् १९६७ ६८ वर्ष की योजना का अन्तिम रूप दिया गया और इसका निर्माण एवं संचालन भी प्रस्तावित चतुर्थ योजना के सदृश

पर निर्धारित की गयी है। योजना-आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया कि सन् १९६६-६७ वर्ष में अथ साधन लगभग २०८० करोड़ ₹० का उपलब्ध होंगे और इस राशि को आधार मानकर याजना के कार्यक्रमों में आवश्यक कर्तव्यी कर दी गयी। तुलना याजना के अन्तिम वर्ष सन् १९६५-६६ में याजना व्यय २३७२ करोड़ ₹० हुआ जबकि सन् १९६६-६७ वर्ष के लिए केवल २०८० करोड़ ₹० का व्यय निर्धारित किया गया। इसका प्रमुख कारण साधनों की 'यून उपलब्धि' था। याजना का विभिन्न मंदा पर आपाजित एक वास्तविक अर्थ निम्न प्रकार था—

तालिका म० ८६—सन् १९६६-६७ वर्ष की याजना का व्यय

(करोड़ रुपये में)

मंदा	निर्धारित व्यय	कुल व्यय में प्रतिगत	सम्मानित वास्तविक व्यय	कुल सम्मानित व्यय में प्रतिगत
(१) कृषि कार्यक्रम	२६७७६	१२.९	२६८८६	१२.९
(२) सामुदायिक विकास एवं सहकारिता	६४७६	१	७७६६	३.५
(३) सिंचाई एवं बांध नियंत्रण	१२४३२	६.०	१४३७६	६.९
(४) शक्ति	३४०३८	१६.४	३६६२७	१८.०
(५) संगठित उद्योग एवं सहज विकास	४७७७३	२३.०	५४२८४	२४.५
(६) लघु एवं ग्रामीण उद्योग	४७०४	२.३	४५३३	२.०
(७) यातायात एवं मत्तार	४२८६३	२०.६	४३९८७	२१.५
(८) समाज सेवाएँ	३००८८	१४.६	२७७४६	१२.५
(९) विविध	३०२१	१.२	३३३१	१.०
योग	२०८१५४	१००.००	२१२०५१	१००.०

उपरोक्त तालिका से गत हुआ है कि सन् १९६६-६७ की याजना में कृषि कार्यक्रमों की प्राथमिकता का बढ़ाने का उद्देश्य स इस मंदा पर होने वाले व्यय के प्रतिगत में सन् १९६५-६६ की तुलना में २८ का वृद्धि कर दी गयी। दूसरा अर्थ संगठित उद्योगों एवं सहज विकास के व्यय का कुल व्यय से प्रतिगत १६.८% में बढ़ कर २३% हो गया अर्थात् इस प्रतिगत में ३२% की वृद्धि हुई है। इस तुलना से यह स्पष्ट है कि व्यय के आधार पर औद्योगिक विकास को कृषि की तुलना में अब भी अधिक प्राथमिकता दी गयी।

सन् १९६६-६७ वर्ष की याजना में समाज-सेवाओं के कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय में अत्यधिक कमी कर दी गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि साधनों की 'यूनता' का भार यानायात एवं मत्तार तथा समाज सेवा की मंदा की वृद्धि करना पडा।

विभिन्न मंडों पर आयाजित व्यय का अधिकतर नाम संचालित परिव्याजनाओं की पूर्ति के लिए आयाजित किया गया। नवीन परिव्याजनाओं में केवल ऐसी योजनाएँ सम्मिलित की गई हैं जिनका प्रारम्भिक नाम सम्पन्न हो चुका है और जिनके लिए आवश्यक विन्श्री विनिमय का आयाजन किया जा चुका था। योजना में विन्श्री-कायमनों की तुलना में चानू परिव्याजनाओं के कुल संचालन एवं गुणात्मक मुधारों को अधिक महत्त्व दिया गया था। रहन सहन के जीवन-स्तर में सुधार करने हेतु जीवन का आधारभूत सामग्रियों की पूर्ति को बढ़ाने का आयाजन किया गया था परन्तु सुविधाओं एवं विलासिताओं की वस्तुओं एवं सामग्रियों की व्यवस्था का योजना के क्षेत्र नहीं है। निम्न स्वयंसेवित किया गया था। जनसंख्या की वृद्धि का कम करने हेतु परिवार नियोजन को योजना में विशेष स्थान दिया गया था।

पावना का सम्भावित वास्तविक व्यय आयाजित व्यय में ६% अधिक रहा। शक्ति एवं संगठित श्रमों तथा सन्निक विकास का आयाजित व्यय में अधिक राशि उपलब्ध हुई और इनका भाग व्यय की हुई राशि में भी अधिक रहा।

अथ-साधन

सन् १९६६-६७ वर्ष की योजना के वायज्य सम्भावित अथ-साधनों की उपलब्धि पर आधारित है। केन्द्रीय सरकार के अथ-साधनों का अनुमान सन् १९६६-६७ के बजट अनुमानों और राज्य सरकार के अथ-साधनों का अनुमान राज्य सरकारों के विचार विमर्श कर किया गया। तालिका न० ६० के अनुसार विभिन्न साधनों से अर्थ प्राप्त होने का अनुमान है।

तालिका न० ६०—सन् १९६६-६७ वर्ष की योजना के अथ-साधन

(करोड़ रुपय में)

मद	प्राप्त होग वाली अनुमानित राशि	योग के प्रतिगत	सम्भावित वास्तविक राशि	कुल अथ-साधनों के प्रतिगत
(१) चानू आय का गेप (अतिरिक्त कर छोड़ कर)	२०३	६७	४२	१६
(२) रैरा का अनुदान	३४	१७	—	—
(३) सन् १९६५-६६ के बजट मुख्य के आधार पर सरकारी व्यवसायों से अधिकतम	२१८	१०४	१४४	९४
(४) अतिरिक्त कर (सरकारी व्यवसायों की अतिरिक्त आय के साथ)	४२२	२०३	१५६	७९
(५) जनता से ऋण	२०६	१००	२०४	६७
(६) सघु वचन	१३५	६०	१०५	५६
(७) स्वयं बॉण्ड, इनामों बॉण्ड वायविक जमा आदि	३६	१७	२४	११

(८) निधिमुक्त ऋण (Unfunded debt)	८८	४२	८५	३८
(९) विविध पुर्जागत प्राप्तियाँ	१०९	५२	१९८	९०
(१०) अनिश्चित साधन जो राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किये जायेंगे	३४	१७	—	—
वर्ष के साधनों से कुल प्राप्ति				
(१ से १० तक का योग)	१४८८	७१०	९८१	४४३
(११) विदेशी सहायता	५८१	२८०	९००	४०५
(१२) हीनाय प्रवर्धन (Deficit financing)	१२	१०	१४०	१५२
योग	२०८१	१०००	२२२१	१००००

इन तानिका में पान हाता है कि सन १९६६-६७ वष की याजना क आयी जित वष का ७१% भाग आन्तरिक साधना में प्राप्त हात का अनुमान था जबकि आन्तरिक साधना में ७म साधना का प्राप्ति कुल वास्तविक व्यय की कवन ४४.३% हा रहा। आन्तरिक साधना में चात्र आय का अनिश्चित सरकारों प्रवर्धनों का आधिक्य तथा अनिश्चित कर में सम्भावित राशि का तुलना में बहुत कम राशि प्राप्त हुई। चात्र आय का अनिश्चित आय अनुमान स कम ही रहता है क्योंकि भर योजना-वर्षों में अनुमान से अधिक वृद्धि हा जानी है। इस वष में सरकारी कर्मचारियों क महंगाई मस्ते में वृद्धि करने क कारण गर याजना व्यय अधिक रहा। सरकारी भवनाया से कम आधिक्य प्राप्त हात का मुख्य कारण कम उत्पादन कम विप्रेषण एवं अधिक उत्पादन लागत थे।

आन्तरिक साधना की कमी का एक महत्वपूर्ण कारण मानसून का प्रतिकूलता भी था जिसके परिणामस्वरूप इस वष में कृषि उत्पादन कम रहा। देश का इसालिए अपन विकास-वायक्रमों के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पडा। इन याजना में हीनाय प्रवर्धन की राशि नाममात्र का रना गयी थी परन्तु आन्तरिक साधनों के अनुमानानुसार उपलब्ध न हात क कारण हीनाय प्रवर्धन की बडे परिमाण में उप योग करना पडा।

सन १९६६-६७ वष के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ कृषि

याजना के कृषि-वायक्रम में ऐसी परियोजनाओं की सर्वाधिक महत्व दिया गया है जिनके द्वारा गाझानिजोष उत्पादन में वृद्धि करना सम्भव हा सके। कृषि एवं सामुदायिक विकास वायक्रमों के लिए याजना में ३३३ करोड रु० का आयाजन है। इससे अनिश्चित सन् १९६५-६६ वष में मंचालित वायक्रमों क निर्वाह पर व्यय की जान वाला ६७ करोड रु० का राशि (याजना में सम्बध न रखने वाला समझ कर) विनास क लिए चात्र व्यय के रूप में उपलब्ध होने का अनुमान था। कुल निश्चित राशि में से २६८ करोड रु० कृषि वायक्रमों वीर दोष सामुदायिक विकास आदि के

लिए आयोजित था। कृषि कार्यक्रमों में कृषि उत्पादन पर ८१ करोड़ ८०, तंतु सिंचाई पर ८८ करोड़ ८०, मृत्ति-सुरक्षा पर २६ करोड़ ६०, १६ करोड़ ६० पशु-पालन पर व्यय किया जाना था।

याजना में सम्मिलित कृषि-कार्यक्रमों की विशेषता यह थी कि केन्द्रीय सरकार को इन कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय भाग लेना था और कन्द्र सरकार द्वारा क्रिये जाने वाले आयोजित व्यय की रकम १९६५-६६ की तुलना में सत्र १९६९-७० में अधिक रहा गया।

तालिका न० ६१—सन् १९६६-६७ वर्ष की याजना के कृषि-उत्पादन के लक्ष्य एवं उपनिर्णय

वस्तु	उत्पादन-लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	वास्तविक उत्पादन में प्रतिशत का अन्वेष
खाद्यान्न (लाख टन)	६७०	७६०	७१.५
जिलहन (लाख टन)	६८६	८००	८१.०
गन्ना (शुद्ध में लाख टन)	१०६६	६४०	७१.६
कपास (लाख गीठ)	६३०	४६७	७६.६
जूट (लाख गीठ)	१६२	५०६	७०.४
नाइट्रोजेनस खाद का उपभोग (हजार टन)	७०००	८४००	१२०.०
कृषि उत्पादन का निर्वहण (१९४६-५०=१००)	—	१३२०	—
खाद्यान्नों का निर्वहण	—	१०६८	—

इस तालिका से पाठ होता है कि सन् १९६६-६७ वर्ष की योजना के कृषि-उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी जिसका प्रमुख कारण इस वर्ष में वर्षा की कमी थी। इस योजनाकाल में कृषि उत्पादन में लगभग ५% की कमी सन् १९६५-६६ की तुलना में हुई। खाद्यान्नों के उत्पादन में सन् १९६५-६६ की तुलना में ०.४% की वृद्धि हुई।

सिंचाई

योजना के सिंचाई-कार्यक्रमों में सर्वाधिक प्राथमिकता उन परियोजनाओं का दी गयी है जिन पर कार्य चल रहा था तथा जिनका निमाग-कार्य अन्तिम अवस्था में था। पूरा हुई परियोजनाओं से उपलब्ध सिंचाई-सुविधाओं के प्रभावशाली उपयोग का भी महत्व प्रदान किया गया था। ऐसी परियोजनाओं, जिन पर अभी तक कार्य हुआ था, पर पुन विचार किया गया जिससे अल्प अवधि में परियोजनाओं की अन्तिम स्थापना उपलब्ध हो सके। योजना में निर्धारित १२४.२४ करोड़ २० का अधिकतर भाग चारू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ही निर्धारित किया गया। १०४ करोड़

६० की राशि में टेनुघाट बांध (Tenughat Dam) और फरक्का बरजेज (Farakka Barrage) पर होने वाले निर्माण-कार्य की राशि सम्मिलित नहीं है। टेनुघाट बांध पर ३ करोड़ ६० केन्द्र सरकार के उद्योग एवं खनिज विकास मन्त्रालय द्वारा धीरे-धीरे खर्च किया जाना था। योजना की बाकी एवं मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं द्वारा २५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधाएँ सन् १९६६-६७ वर्ष में उपलब्ध होनी थी जिनमें से २० लाख एकड़ भूमि पर इन सुविधाओं का उपयोग किया जाने का अनुमान था। सन् १९६६-६७ वर्ष में ३६ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की गयी जो लक्ष्य से लगभग दुगुनी थी।

शक्ति

शक्ति के लिए सन् १९६६-६७ वर्ष के लिए ३४० करोड़ ६० का आयाजन किया गया है जबकि सन् १९६५-६६ वर्ष में इस मद पर ३०३ करोड़ ६० व्यय होने का अनुमान था। ३४० करोड़ ६० की राशि में से २१६ करोड़ ६० शक्ति के उत्पादन ८० करोड़ ६० शक्ति के संचारण एवं वितरण तथा ४४ करोड़ ६० ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आव्योजित था। सन् १९६५-६६ वर्ष के अन्त में देश भर में १०२० लाख किलोवाट शक्ति की उत्पादनक्षमता थी। सन् १९६६-६७ वर्ष में २० लाख किलोवाट अतिरिक्त शक्ति उत्पादन की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। चारू परियोजनाओं की पूर्ति की सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी थी। अन्तरराज्य (Inter State) पाइपलाइन्स का भी आयाजन योजना में किया गया है। सन् १९६६-६७ वर्ष में लगभग ६४ ००० पम्प (Pumps) एवं ट्यूबवेल का विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य था। सन् १९६६-६७ वर्ष में १२ लाख किलोवाट शक्ति उत्पादनक्षमता में वृद्धि हुई।

उद्योग एवं खनिज

सन् १९६६-६७ वर्ष की योजना में उद्योग एवं खनिज विकास के लिए ४७० करोड़ ६० का आयाजन किया गया था जबकि सन् १९६५-६६ में इस मद पर ४५५ करोड़ ६० व्यय होने का अनुमान था। ४७० करोड़ ६० की राशि में से ४४६ करोड़ ६० केन्द्र सरकार द्वारा, २० करोड़ ६० राज्य सरकारों तथा शेष राशि यूनियन-क्षेत्रों द्वारा विनियोजित किया जाना था। केन्द्रीय सरकार की आव्योजित राशि में से ३५० करोड़ ६० इसपात उद्योग भारी इञ्जिनियरिंग तथा मशीन निर्माण उद्योगों, खनिज विकास एवं बलौह पातुओं, खनिज तेल की खोज एवं घोषण तथा सामासिक खाद्य उद्योग में विनियोजित किया जाना था। औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं की महासभाय ५२ करोड़ ६० का आव्योजन किया गया। राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक विकास निगमों की आयवाहियों को विस्तृत किया जाना था तथा विकास बरन का आयाजन भी राज्य सरकारों द्वारा किया गया।

याजना में इस्पात, अल्युमिनियम, रासायनिक खाद, सीमेन्ट, कास्टिक सोडा, कागज तथा मशीनों के बीजार उद्योगों की उत्पादनमत्ता बढ़ाने और रोजगार उद्योगों में सन् १९६५-६६ की तुलना में अधिक उत्पादन करने का उद्यम रखा गया है।

लाहा एव इस्पात उद्योगों के विकास के लिए ११० करोड़ रु० के आयोजन में से ८२ करोड़ रु० मिलाने रखना तथा दुर्गापुर के नए एव इस्पात के कारखानों का विस्तार करने के लिए आयोजित था। गैप राशि में से २७५ करोड़ रु० बुराने इस्पात कारखाने की स्थापनाएँ आवंटित किया गया। भारी इंजीनियरिंग तथा मशीन निर्माण उद्योगों के आयोजित व्यय १८ करोड़ रु० तथा २१ करोड़ रु० इन परिवर्तनाओं की पूर्ति के लिए है या पूरा हान के निकट था। इन परिवर्तनाओं में भोपाल हरिद्वार, तिब्बि हृदयवाहक भारी बिजली के सामान के कारखाना, भारी इंजीनियरिंग निगम रांची तथा सजिज एव सहायक यंत्र परिवर्तना, दुर्गापुर सम्मिलित थी। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बमबौर, पिंजौर (Pinjore) बैरल तथा हृदयवाहक के कारखाना का विस्तार भी किया जाना था। रासायनिक खाद के कारखाना की स्थापना के महत्व का ध्यान में रखते हुए इन कारखानों की मशीनों एव अन्य सामान का निमास्य करने हेतु दो परिवर्तनाओं की प्रारम्भिक आवंटनाएँ का आयोजन किया गया।

पत्रिक तेल की खोज एव गोधन-वायव्यता के अन्तर्गत कायली (Koyali) योजना तथा बरोनी (Barauni) के तेल गोधन के कारखानों की पूर्ति तथा मद्रास में नया तेलगोधन कारखाना तथा सरकारी एवो सुबरा० तेल परिवर्तना (Govt. Esso Lub Oil Project) के निमास्य का आयोजन किया गया। कच्चे तेल का उत्पादन ३५ लाख टन (सन् १९६५-६६ में) से बढ़कर सन् १९६६-६७ में ६० लाख टन होने का अनुमान है। इसी प्रकार तेल गोधनमत्ता १०१ लाख टन से बढ़कर १६० लाख टन हो जानी थी। याजना में ४१ करोड़ रु० का आयोजन कायला कच्चा लाहा क्षेत्री लाहा परिवर्तना तथा नवेली लिग्नाइट निगम (Neyveli Lignite Corporation) के विकास-कार्य के लिए किया गया था।

याजना में रासायनिक खाद के नामरूप (Nomrup) गारखपुर तथा दुर्गापुर के कारखानों की पूर्ति तथा काचीव एव मद्रास के नए कारखानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का आयोजन था। Trombay Fertiliser Project तथा FACT Always के विस्तार करने का भी आयोजन था। औद्योगिक समता एवं उत्पादन के उच्च स्तर में से २२ के अनुसार निर्धारित किये गये हैं।

इस तालिका से पता होता है कि औद्योगिक क्षेत्र के अधिकतर कार्यों की पूर्ति इस योजनाकाल में नहीं की जा सकी।

यानायात एव संचार

इस मद के अन्तर्गत भी बालू परिवर्तनाओं की पूर्ति तथा नए नयी परि

तानिमा म० ६२—१९६६ ६७ वष की योजना के औद्योगिक लक्ष्य

मद	१९६६ ६७	१९६६ ६७		वास्तविक	
	न लक्ष्य	वष म उत्पादन	वष म उत्पादन	उत्पादन	का लक्ष्य से
	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन	प्रतिशत
(१) इस्पात क डेरे (लाख टन)	८६	७०	७६	६६	६५
(२) तयार इस्पात (लाख टन)	६७	६२	६५	५५	८५
(३) बिजली क लिए पिउ तौह (लाख टन)	१५	१३	१२	१०	७८
(४) जल्युमानियम (हजार टन)	५०	३२	६३	७४	२१२
(५) मंगीनों के औजार (लाख टन)	५००	३५००	४५००	२६६५	८६
(६) काईसिकिल (लाख म)	२००	१८०	१६७	१७१	६५
(७) सिलाई की मंगीनों (हजार)	६१०	६००			
(८) नाट्राजिनस लाव (N) (हजार टन)	६६६	५००	५८५	२६३	७३
(९) फास्फेटिक लाव P_2O_5 (हजार टन)	५००	२००	२३७	१५५	७२
(१०) कामज आदि (हजार टन)	७००	५८०	७११	५८०	१००
(११) बलबारी कामज (लाख टन)	२०	३०	३०	२६	१००
(१२) सीमेन्ट (लाख टन)	१५८	१२५	१२२	११०	८६
(१३) सूती बस्त्र (मिल के बने) (लाख मीटर)		५२५००	—	५२०२०	८०
(१४) कूट (हजार टन)	१२१६	१३२०	१२००	११००	८२
(१५) गकर (लाख टन)	३०	३५	३३	२१	६३

याजनाओ, जो सुरक्षा अथवा अन्य दृष्टिकान से आवश्यक हा की प्राथमिकता वा गयी है। इस म म कुन आयोजना ५२० करोड ६० म से २२५ करोड ६० एला १०५ ७१ करोड ६० सन्वा क निर्माण १६ ०२ करोड ६० सख यानायान १५ ६५ करोड ६० बन्दरगाहो १२ ५० करोड ६० फरक्वा बधि ३० लाख म० जहाजी याता यात २ २५ कराड २० आन्तरिक जल यातायात ४४ लाख ६० प्रकाश-गृहा, १ ६५ कराड २० टयटन (Tourism) १६ ५६ करोड २० हवाई यानायान २६ ३० कराड ६० डाक एव तार २ ५३ कराड ६० अन्य सवार साधनों तथा १ ६० कराड २० आनागवाणी प्रसारण के लिए आयोजित किया गया।

हृताय योजना म जिन रेलव लाइनों का काय प्रारम्भ हुआ था उनकी पूर्ति क लिए सन १९६६ ६७ वष की योजना म आयोजन किया गया। मुण्ड (Jhurd) से कान्ता तक की बड़ी लाइन का काय तजी से किया जाना था। बलाहिला को

विकास लाइन का निर्माण-कार्य में सत्रों में विद्यमान किया जाता था। पाकलन में जैमलमेर की नयी लाइन वातने का कार्य प्रारम्भ किया जाता था। लगभग 300 विलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण सन् १९६६-६७ में किया जाता था। लखनऊ-दुर्गापुर तथा वानपुर, टूँडला मार्गों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया। केंद्रीय मटक यातायात निगम का और अधिकांश मटक गादियाँ उन्नत करने की त्रि-राज्य सरकारों द्वारा सड़क यातायात का कार्यक्रम मंचालित करने में। प्रदेश बन्दरगाह पर आवश्यक यन्त्रादि में सुधार करने का कार्यक्रम था जिससे अधिक छायाओं, कृत्रिम तेल उत्पादन एवं अन्य निर्मित एवं मूल्य की वस्तुओं का आना-रखना सम्भव हो सके। साल उपसर्ग होने पर जहाजी यातायात की लक्ष्य योजना की योजना के अन्त में लगभग १५४ लाख GRT की में वृद्धि की जाती थी। सन् १९६६-६७ वर्ष में वर्तमान आवागुदानी-योजनाओं का मजबूत बनाया जाता था और योजनाओं के लिए नवीन स्थापना की जाती थी। विदेशी प्रसारण की रेट बनाने हेतु दिल्ली के २५० KWSW के एक अतिरिक्त प्रसारण-केंद्र स्थापित किए गए थे।

राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय एवं मूल्य सूचकांक

सन् १९६६-६७ की योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय सन् १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर १४१७३ करोड़ ₹० थी जो सन् १९६४-६६ की तुलना में लगभग १% अधिक थी। दूसरी ओर, प्रति व्यक्ति आय सन् १९६४-६६ में २०३३ (१९६०-६१ के मूल्यों पर) से घटकर सन् १९६६-६७ में ३०२४ हो गयी। सन् १९६६-६७ वर्ष में थोक मूल्य-निर्देशांक १६४.१ से घटकर १६१.३ हो गया अर्थात् इसमें वार्षिक १.९% की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन का निर्देशांक सन् १९६४ में ११३ = था जो सन् १९६६ में घटकर १४० = हो गया अर्थात् लगभग २% की कमी हो गयी। दूसरे प्रकार वृद्धि-उत्पादन के निर्देशांक में भी कमी हुई।

सन् १९६६-६७ वर्ष की योजना के दल सत्रों में प्राप्त हुआ कि योजना का कठिन परिस्थितियों में होकर सुबकरना पड़ा जा रहा गयी सत्रों में उत्पादन में सत्रों के अनुक्रम वृद्धि नहीं हो सकी।

सन् १९६७-६८ की वायुमय योजना का अर्थ एवं प्राथमिकताएँ

इस योजना में सरकारी क्षेत्र का कुल व्यय २२४६ करोड़ ₹० अनुमानित किया गया है जिसमें से १,१७२ करोड़ ₹० केंद्र सरकार द्वारा १,०१० करोड़ ₹० राज्य सरकारों द्वारा तथा ६४ करोड़ ₹० क्षेत्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों द्वारा विकास-परियोजनाओं पर व्यय किया जाता था। यह राशि विभिन्न मदों पर निम्न ढंग की गयी तात्कालानुसार आव्योजित थी।

व्यय-वितरण की इस तालिका से पता होता है कि सन् १९६७-६८ की योजना में सहायक महत्व वृद्धि उत्पादन एवं वृद्धि के महात्मक अर्थ कार्यक्रमों को दिया गया। सहायक कार्यक्रमों में ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा सिंचनी की व्यवस्था उन्नत

तालिका सं० ६३—सन् १९६७-६८ की योजना का व्यय वितरण
(करोड़ रुपया में)

विकास की मद	१९६७-६८ के आयोजित व्यय	१९६७-६८ योजना का वास्तविक व्यय	कुल वास्तविक व्यय में प्रतिशत
१	२	३	४
कृषि कार्यक्रम	२६६ ६१	२४८	११ ८७
सामुदायिक विकास			
एन सहकारिता	७६ ८१	७०	३ ३४
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	१४६ ७७	१४४	६ ६२
शक्ति	३८४ ७८	३६१	१८ ७४
उद्योग एवं लनिज	५२० १६	४७२	२५ ६०
ग्रामीण एवं शहरी उद्योग	४३ ५१	४४	२ १०
मानायात एवं संचार	४१८ ७६	३६३	१८ ८३
समाज सेवाएँ	३३० ०३	२६४	१४ १०
अन्य कार्यक्रम	२५ ४६	३१	१ ५०
	२,२४६ ०७	२ ०६०	१०० ०

सादा वा उत्पादन कीटाणुनाशक रसायनों का उत्पादन तथा कृषि यंत्रों का उत्पादन आदि सम्मिलित था। कृषि विकास के लिए हम वष में कुल ५२३ २७ करोड़ २० का आयोजन था जिसमें सामुदायिक विकास सहकारिता, सिंचाई आदि पर दिया जाना वाला व्यय भी सम्मिलित था।

योजना का वास्तविक व्यय आयोजित व्यय से ७% कम रहा। कृषि कार्यक्रमों और उद्योग एवं लनिज पर आयोजित व्यय से कम राशि व्यय की गयी। सन् १९६७-६८ वष में विकास व्यय का केवल ११ ८७% कृषि विकास पर उपयोग हुआ जबकि उद्योगों पर कुल व्यय का २२ ६०% व्यय किया गया। उद्योगों पर इस प्रकार कृषि की तुलना में लगभग दुगुनी राशि व्यय की गयी। शक्ति एवं यातायात तथा संचार पर योजना के अन्तर्गत पर्याप्त राशि व्यय की गयी।

अध-साधन

सन् १९६७-६८ वष की योजना के आयोजित व्यय २ २४६ करोड़ २० में से १ २३६ करोड़ ६० केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं और १ ०१० करोड़ २० राज्य सरकार की परियोजनाओं पर व्यय किया जाना था। इस योजना के कुल व्यय का लगभग ५२% भाग बजट के साधनों से प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया जबकि सन् १९६६-६७ की योजना के वास्तविक अंतिम अनुमानों के अनुसार इसका कुल व्यय का केवल ४४% भाग बजट के साधनों से प्राप्त होने का अनुमान था। सन् १९६५-६६ वष में बजट के साधनों में ६८१ करोड़ २० प्राप्त होने का अनुमान लगाया

गया था जबकि सन् १९६७-६८ में इन साधनों से १,१७७ करोड़ ₹० प्राप्त करने का आयाजन किया गया। नीचे दी गयी तालिका में पाता होता है कि वजट के साधनों में से कितना आय के आधिक्य, सरकारी व्यवसायों से आधिक्य तथा अनिश्चित कर में प्राप्त होने वाली राशियों में अत्यधिक वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया। सन् १९६७-६८ वर्ष की योजना के लिए १००१ करोड़ ₹० की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान था जबकि सन् १९६६-६७ में ६०० करोड़ ₹० की विदेशी सहायता प्राप्त हुई थी। सन् १९६६-६७ वर्ष की योजना के समान ही सन् १९६६-६८ वर्ष में भी होनाय प्रवर्धन की राशि अत्यन्त कम (१४ करोड़ ₹०) रनी गयी है परन्तु सन् १९६६-६७ के जम्मेदार वास्तविक अनुमानों के अनुसार इस वर्ष १० करोड़ ₹० के आयोजित होनाय प्रवर्धन के विरुद्ध ३/० करोड़ ₹० का हीनाय प्रवर्धन किया गया।

तालिका में ६४—सन् १९६७-६८ वर्ष की योजना के व्यय-साधन

(करोड़ रुपयों में)

वर्ग	१९६७-६८ वर्ष में प्रस्तावित साधन	१९६७-६८ में साधनों से सम्भावित उपलब्धि (अल्प अनुमान)
(अ) वजट के साधन		
१—कानून राजस्व का आधिक्य (वर्तमान वर्षों के आधार पर)	२४६	—११
२—रेलों का अनुदान	—२६	—६०
३—अथ सरकारी उद्योगों से आधिक्य	२३६	१०८
४—अनिश्चित कर एवं सरकारी उद्योगों में अनिश्चित आधिक्य	३३०	०६६
५—गावर्नरिज ऑफ गूड	२०६	०००
६—सधु बचत	१३६	११०
७—स्वयं बॉण्ड, इनामी बॉण्ड अनिश्चित बचत तथा आदि की जमा	१६	२७
८—अनिश्चित अथ गूड	८६	१००
९—विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (गूड)	—५१	३२
(अ) कुल योग	१,१८२	८५४
(ब) विदेशी सहायता (पी० एम० ४८० के साधनों सहित)		
(स) हीनाय प्रवर्धन	१४	२५६
(द) साधनों की कमी	५४	—
योग	२,०४६	२,२०५

अथ साधना का तालिका से पता होता है कि सन १९६७-६८ की योजना में साधना का सम्बन्ध में वही परिस्थिति जारी रही जो सन् १९६६-६७ में थी। चालू राजस्व का अनिश्चित मूल्यक योजना के समान अनुमानानुसार राशि प्राप्त नहीं हो सकी अर्थात् सरकार का चालू व्यय अनुमान से नहीं अधिक रहने के कारण इस साधन के अन्तर्गत २४६ करोड़ ₹० का अनिश्चित प्राप्त होने से ११ करोड़ ₹० की कमी रहती है। रेखा का अनुमान की ऋणात्मक राशि भी अनुमान से अधिक रही क्योंकि इस वर्ष में आय का मूल्य में वृद्धि होने के कारण रेखा का महाजन-व्यय बढ़ गया। अन्य सरकारी व्यवसायों से भी अनुमान से लगभग १०० करोड़ ₹० कम प्राप्त हुआ। बजट के अन्य साधनों में साधना की उपलब्धि अनुमान के लगभग बराबर रही। योजना के कुल आयोजित व्यय का ५३% भाग आन्तरिक साधनों से प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था परन्तु वास्तविक साधनों की उपलब्धि कुल व्यय की तुलना में ३९% रही। इस कारण साधना की कमी का समस्त भार हीनायक प्रबंधन पर पड़ा। और हीनायक प्रबंधन का राशि १४ करोड़ ₹० का स्थान पर ३५९ करोड़ ₹० होने का अनुमान है। ३९ करोड़ ₹० का साधना की यूनियन बनायी गया उसके बाद अन्ततः हीनायक प्रबंधन में ही सम्मिलित होने की सम्भावना है। विन्मो सहायता की प्राप्ति अनुमानों के अनुसार हुई।

सन १९६७-६८ की योजना में साधना की उपलब्धि उस समय से सम्बद्ध है जब योजना का व्यय २२४९ करोड़ ₹० अनुमानित था। वित्तीय साधनों में सम्मिलित वास्तविक उपलब्धि के अनुसार योजना के व्यय का ४२.९% भाग अर्थात् ९६४ करोड़ ₹० आन्तरिक साधनों से प्राप्त हुआ ९७० करोड़ ₹० की विन्मो सहायता प्राप्त हुई तथा २२४ करोड़ ₹० में हीनायक प्रबंधन किया गया।

सन् १९६७-६८ वर्ष की योजना में लक्ष्य एवं कार्यक्रम

सन् १९६७-६८ वर्ष की योजना में प्रत्येक क्षेत्र के व्यय का अधिकतर भाग (विशेषकर शिक्षा, शक्ति और उद्योग) उन परियोजनाओं के लिए आयाजित किया गया है जो पहले से चल रही थीं। नवीन परियोजनाओं में उनका सम्मिलित किया गया है जिनका सम्पूर्ण विवरण तयार कर लिया गया था अथवा जिनका प्रारम्भिक कार्य पूरा हो गया था अथवा पूरा होने के समाप्त या तथा जिनके लिए आवश्यक विन्मो विनियम की व्यवस्था की जा चुकी थी अथवा व्यवस्था करने के लिए साधन उपलब्ध थे। इस प्रकार इस वर्ष का परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने में होने का सम्भावना नहीं था। इस वर्ष की योजना के लक्ष्य निर्धारित करने में सन् १९६६-६७ का सम्भावित उपलब्धियों (Achievements) सन् १९६६-६७ वर्ष में अथवा व्यवस्था की सामान्य परिस्थितियाँ विभिन्न परियोजनाओं का वर्गीकरण करने की सम्पत्ति योजना में इस परियोजना के आयाजित व्यय स्थिति अनुसार योजना के प्राप्ति में सम्मिलित परियोजनाओं, वर्तमान में उपलब्ध उत्पादन-सामानों के गन्त उद्योग

योग तथा उत्पादन के आवश्यक घटकों की उपलब्धि का दृष्टिगत किया गया।

कृषि

सन् १९६७-६८ वर्ष में पिछले दो वर्षों के प्रतिकूल मानसून के पश्चात्, अन्तः-मानसून एवं वर्षा की सम्भावना व्यक्त की गयी जो अब तक की वर्षा की स्थिति में भेद खाती थी। सन् १९६४-६५ वर्ष में ८६० लाख टन का खाद्यान्न उपज किया गया, परन्तु सन् १९६५-६६ एवं सन् १९६६-६७ वर्ष में प्रतिकूल मानसून के फलस्वरूप उत्पादन सन् १९६४-६५ के समान नहीं हो सका। सन् १९६७-६८ वर्ष में पिछले दो वर्षों में कृषिक्षेत्र की नवीन रणनीति (New Strategy) का अंगगत कृषि उत्पादनक्षमता बढ़ाने का लिए जा व्यवस्थापन का गयी थी, उनका पूरण में उपयोग सम्भव हान की सम्भावना थी। नवीन रणनीति के अन्तर्गत अधिक उत्पादन में जारी फसल एवं बीजों की व्यवस्था से कृषिक्षेत्र में जातिकारी प्रगति सम्भव हो सकती है। इसके अनिश्चित रामायणिक स्वरूप के आयात की व्यवस्था में स्वरूप की पर्याप्त पूर्ति सम्भव हान की सम्भावना थी।

मानसून अनुकूल रहने पर दस वर्ष में १,००० लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हान की सम्भावना की गयी जो सन् १९६४-६५ के उत्पादन से ९७% अधिक थी। उत्पादन का यह स्तर अब ही पूरा हो सकता था जो खरीफ एवं रबी दोनों ही फसल में सीसम अनुकूल रहा। इसी प्रकार गैर खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भी सन् १९६४-६५ की तुलना में कम से कम उतनी ही वृद्धि हान का अनुमान है जितना अनुमान खाद्यान्न के लिए था। यह सम्भावना की जाती है कि कृषि उत्पादन का निर्देशक सन् १९६७-६८ में १६६१ (सन् १९६६-६७=१००) होगा जबकि सन् १९६६-६७ के लिए यह १२३८ था। इस प्रकार सन् १९६७-६८ में सन् १९६६-६७ वर्ष की तुलना में कृषि उत्पादन में ३६६% की वृद्धि करन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

स्वयं अनुसंधान योजना के प्राप्ति में कृषि उत्पादन की वृद्धि का सर्वाधिक प्रयत्न प्रदान किया गया है। इसके लिए योजना में नवीन नीति जिसका नवीन रणनीति (New Strategy) का नाम दिया गया था, की घोषणा की गयी थी। इस नवीन नीति के चार मुख्य अंग हैं—

(१) जिन क्षेत्रों में निर्यात-सुविधाएँ उपलब्ध हैं उनमें सघन भूनी (Intensification) एवं अधिक उपज देने वाले सुकर हुए बीज तथा रामायणिक स्वरूप का उपयोग किया जायगा। सघन कृषि जितना कार्यक्रम एवं सघन कृषिक्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी समस्त सुविधाओं को केन्द्रित कर कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाय।

(२) कृषि में उपयोग आने वाले उत्पादन घटकों (Inputs)—जैसे खाद, विद्युत्-शक्ति, मिचार्ड, कीटाणुनाशक रसायन, साधन एवं रासायनिक चाल का पूर्ति में वृद्धि की जाय जिनमें सुधार का यह घटक पर्याप्त मात्रा में उचित समय पर प्राप्त हो सके।

(३) भूमि-सुधार एव अधिक गव्हारिक एव उपयोगी कृषि नोन द्वारा कृषक को अधिक उत्पादन करन हेतु प्रासाहित किया जाय ।

(४) अल्प काल में उपजन वाला फसला का उगाया जाय जिसमें उपलब्ध भूमि से अधिक उपज प्राप्त की जा सक ।

नवान नीति में भूमि की उत्पादनना वृद्धि के लिए सघन कृषि को अधिक महत्व दिया गया है परन्तु इस नीति का सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्रामीण रहने वाला अशिक्षित कृषक इस विज्ञानी स्वाभाविकता से स्वाकार करना है । सन् १९६७-६८ वर्ष का योजना में नवान नीति के कुछ लाभ प्राप्त होने की सम्भावना था ।

कृषिक्षेत्र में लक्ष्य एवं उपसिधियाँ निम्न प्रकार थी—

तालिका न० १५—कृषिक्षेत्र की उपलब्धियाँ एव लक्ष्य सन् १९६७-६८

वस्तु	इकाई	लक्ष्य १९६७-६८	उपलब्धि	उपलब्धि वा लक्ष्य से प्रतिशत
खाद्यान्न	तास टन	१०००	६२५.६	६५.६
तिलहन	तास टन	६०	८२.०	६१
गन्ना (गुह)	तास टन	१२०	६६.६	८५
कपास	तास गीठ	७०	५५.६	७९
जूट	तास गीठ	७५	६३.७	८५
नाइट्रोजिनस खाद का उपयोग	(N) टन	१३५०	११५०	८५
कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा	तास एकड़	५९	३५	६०
अधिन उपज वाले धान का उपयोग—भूमि का परिमाण	तास एकड़	१५०	१५०	१००
कृषि उत्पादन निर्माण	(१९६६-६७ = १००)	१६६.१	१६१.८	९६
खाद्यान्ना के उत्पादन निर्माण	(१९५६-६० = १००)	१६०.५	१५६.६	९६

इस तालिका से जान होता है कि सन् १९६७-६८ का योजना में कृषिक्षेत्र के लक्ष्य की लगभग पूर्ति करना सम्भव हो सका । खाद्यान्ना के उत्पादन में विगत प्रगति हुई । सन् १९६६-६७ की तुलना में इस वर्ष में खाद्यान्ना का उत्पादन लगभग ५०% की वृद्धि और कृषि उत्पादन में लगभग २२% की वृद्धि हुई । योजनाकाल के १७ वर्षों में किसी भी एक वर्ष में कृषि उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई ।

उद्योग

सन् १९६६-६७ वर्ष में उद्योग का गिरती हुई स्थिति का ध्यान में रखकर सन् १९६७-६८ की योजना के औद्योगिक कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे । औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में वृद्धि का प्रयत्न होगा है कि विकास एवं पूंजी निर्माण की गति

मात्र हो गयी थी, परन्तु कृषिसेवा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों की वस्तुओं की माँग में इस वर्ष अत्यधिक वृद्धि हुई। रासायनिक खाद, पम्पों—टैंकृत तथा न्युत से चलने वाले कीटाणुनाशक रसायन आदि व उद्योगों के उत्पादन में सन् १९६६-६७ वर्ष में पर्याप्त वृद्धि हुई। इति उम्ब-यो उद्योगों एवं टिकाऊ वस्तुओं के उद्योगों में उत्पादन और भी अधिक हुआ। सवत्ता का यदि ज्वर लाया-नीति के फल सुपरपेण इन उद्योगों का प्राप्त हो गया है। सन् १९६७-६८ वर्ष में अच्छे मौस, कृषि उत्पादों की पूर्ति तथा उत्पादित वस्तुओं की माँग में वृद्धि होने से औद्योगिक उत्पादन का स्तर ऊँचा रहने की सम्भावना की गयी थी।

सन् १९६७-६८ की योजना में १९६६-६७ की उपसम्पत्तियों, स्थगित अनुसंधान तथा व प्रारम्भ व आवश्यकता तथा प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के उत्पादन, एवं उत्पादनक्षमता की प्रगति बनाय रखने के उद्देश्य का दृष्टिकोण करके औद्योगिक कार्य-क्रम निर्धारित किए गए। वर्तमान में उपर्युक्त उत्पादनक्षमता का पूरतम एवं विभिन्नता के साथ उपजा करने पर विशेष ध्यान दिया गया। मध्य-व्यवस्था के वर्तमान मापदंडों की कठिनाइयों का दृष्टिकोण करत हुए सन् १९६७-६८ वर्ष के लिए सरकार क्षेत्र के औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों के लिए १०० करोड़ ₹० का आवयोजन किया गया है। जा पिछले वर्ष के सम्भावित व्यय से लगभग २२ करोड़ ₹० कम है। इस राशि में से ४८३ करोड़ ₹० केन्द्रिय सरकार द्वारा, ३६५३ करोड़ ₹० राज्य सरकारों द्वारा एवं ४० लाख ₹० केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों द्वारा औद्योगिक विकास पर व्यय किया जाना था। ४८३ करोड़ ₹० में से केंद्र सरकार द्वारा ४८० करोड़ रुपया जारी परि-योजनाओं पर व्यय किया जाना था। इस वर्ष में करोड़ों के खाद के कार्यक्रमों का निर्माण एवं नामरूप एवं ट्रांशेक् सावने कारखानों के विस्तार का कार्य प्रारम्भ किया जाना था। टूटपाट की आरमोतिक (Asmotic) परिवारना का निर्माण ट्रांसमफोर डिडनियम (Tismom) उत्पाद व कारखाने का विस्तार दूसरा कठिन कारखाने का निर्माण एवं इन्दिया तेलशोधन के कारखाने का निर्माण प्रारम्भ किया जाना था।

सन् १९६७-६८ की योजना में उद्योगों की प्राथमिकता स्थगित अनुसंधान तथा योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर की गयी थी। यह प्राथमिकताएँ निम्न प्रकार थीं—

(अ) कृषिसेवा के औद्योगिक उत्पादन घटक—इनमें रासायनिक खाद, कीटाणुनाशक रसायन, कृषि यंत्रों व औजार एवं यंत्र तथा अन्य उत्पादन-सम्बन्धी सामग्री के उद्योग सम्मिलित थे।

(आ) धातु एवं मशीन निर्माण उद्योग—इनमें इन्धन, अन्वेषितनियम, अष्टा, यंत्र निर्माण सम्बन्धी सभी उद्योग सम्मिलित थे।

(इ) मध्य श्रेणी वस्तुएँ—इनमें औद्योगिक रसायन खनिज तेल कायला, लोहा एवं इस्पात का टोलना तथा फोर्ट्रिज, रिफ़िनरीज एवं सीमेन्ट उद्योग सम्मिलित हैं।

(ई) ऐसे उद्योग जो आवश्यक उपभासा वस्तुएँ उत्पादित करते हैं जैसे शक्कर, बपटा एवं मिट्टी का तेल ।

तालिका सं० ६६—सन् १९६७-६८ याजना के औद्योगिक क्षेत्र के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

वस्तु	इकाई	१९६७-६८ के लिए लक्ष्य	१९६७-६८ की उपलब्धि	उपलब्धि का लक्ष्य का प्रतिशत
(१)	(२)	(३)		
सैयार द्रव्य	लाख टन	५७	४१.५	७५
विद्युत के पिण्ड साह	लाख टन	१२	११.२	९३
द्रव्य का डेल	लाख टन	७५	६५.५	८७
धातु गोमन एवं अथ भारी				
यांत्रिक सामान	हजार टन	२०.०	१५.०	७५
मशीनों के औजार	करोड़ रु०	२६.०	२४.०	९३
औद्योगिक एवं वना निक प्रसंजन औजार	करोड़ रु०	१०.०	७.५५	७६
व्यावसायिक				
माटर गाडियाँ	हजार रु०	४०.०	२७.५	६९
सीमेंट	लाख टन	१३२	११५.६	८७
मिल का बना				
कपड़ा	लाख मी०	४२.०००	४२.०००	१००
शक्कर	लाख टन	२५	२२.२	१००
नाइट्रोजियस	N का			
लाव	हजार टन	५२०	३५०	६७
फास्फटिक लाव	P ₂ O ₅ के			
	हजार टन	२६६.०	२००	७५
कायना	लाख टन	७२५	७१०	९७
कच्चा साह	लाख टन	२६५	२७०	१०२
अपशिष्ट सनित्र तेल		१४२	१.६	६६

औद्योगिक उपलब्धियाँ की तालिका से पता होता है कि सन् १९६७-६८ की योजना के अधिकतर महत्वपूर्ण उद्योगों में लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी। नाइट्रोजियस एवं व्यावसायिक तयार द्रव्य एवं औद्योगिक औजारों का उत्पादन लक्ष्य से अधिक कम रहा। सन् १९६७ वर्ष में औद्योगिक उत्पादन का निम्नोक्त १५१.४ का जो सन् १९६६ के निम्नोक्त में एक बिन्दु कम था।

सन् १९६७-६८ याजनाकाल में १५ लाख एकड़ भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई प्रदान करने का आयोजन किया था जबकि हम वष में २० लाख एकड़ भूमि के लिए अतिरिक्त सुविधाओं का आयोजन किया गया और २३ लाख एकड़ भूमि में

अनिरिक्त सिंचाई-सुविधाओं का उपयोग किया गया। सन् १९६७-६८ वर्ष में ७०८८ हेक्तायर एकड़ भूमि के लिए सिंचाई-सुविधाएँ उपलब्ध थीं जिनमें से १७४८ हेक्तायर एकड़ भूमि में सिंचाई-सुविधाओं का उपयोग किया गया। इस वर्ष में १८० हेक्तायर K W की गति-उत्पादन में वृद्धि की गयी जबकि नटव २० १९ लाख किरोवाट रखा गया था।

सन् १९६७-६८ की योजना के अन्तर्गत रेलों द्वारा राब जान बाँचे सामान १९६६ लाख टन हो गया और रेलों के यात्री यातायात में वृद्धि ६% की हुई है। इस वर्ष में ६००० किसानों के सम्बन्धी पक्की सड़कें और ३१००० किसानों के सम्बन्धी कच्ची सड़कें का निर्माण किया गया। व्यापारिक माट्टर गाड़ियों की संख्या ३३६१ हजार से बढ़कर ३८२७ हजार हो गयी और जनजी यातायात की संख्या १८०० हजार GRT से बढ़कर १६१० हजार GRT हो गयी। इस वर्ष में ४०० कारों के कार्यालय तथा ८० हजार मय टेलीफोन स्थापित किए गए। ३ योजनागत प्रसारण केंद्रों की स्थापना की गयी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी इस वर्ष में सुधार हुआ। ६-११ वर्ष के आयु-वर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत ७६.६ से बढ़कर ८०.२ हो गया, ११ से १४ वर्ष के आयु वर्ग में यह प्रतिशत २२.६ से बढ़कर २४.३ हो गया और १४ से १७ वर्ष के आयु-वर्ग में १८.५% से बढ़कर १९.९% हो गया। अस्पतालों की संख्या में ३०० का और अस्पतालों की ग्य्याओं की संख्या में ३००० की वृद्धि हुई तथा सम्भावित जीवनकाल में ५१.२ वर्ष में बढ़कर ५०.१ वर्ष हो गया।

राष्ट्रीय आय, मूल्य स्तर एवं पूँजी निर्माण

सन् १९६७-६८ वर्ष में सकल मूल्य निर्देशांक १९१.३ (सन् १९६७-६८ में) से बढ़कर २१०.४ हो गया अर्थात् मूल्य-स्तर में ११% का वृद्धि हुई। इस वर्ष में आयातों का सकल मूल्य निर्देशांक १०८.५ से बढ़कर २००.८ हो गया अर्थात् मूल्य में २५% की वृद्धि हुई। दूसरी ओर निर्यात वस्तुओं के मूल्य निर्देशांक में १% से भी कम की वृद्धि हुई। इस प्रकार मूल्य-स्तर की वृद्धि का मुख्य कारण आयातों के मूल्यों की वृद्धि थी।

सन् १९६७-६८ वर्ष में राष्ट्रीय आय सन् १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर १६,४०५ करोड़ २० अनुमानित है जो पिछले वर्ष की राष्ट्रीय आय से लगभग ६% अधिक थी। इस वर्ष में प्रति व्यक्ति आय ३००.४ (सन् १९६६-६७) से बढ़कर ३०१.२०० होने का अनुमान है जयावत प्रति व्यक्ति आय में ६% की वृद्धि हुई। यात्रा में सारू मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय आय में ४००१ करोड़ २० की वृद्धि हुई जो सन् १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर १३१२ करोड़ ६० की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। इस वर्ष में सकल पूँजी-निर्माण ३२०० करोड़ २० होने का अनुमान है।

सन् १९६८-६९ की वार्षिक योजना

सन् १९६८-६९ वष की योजना की योजना जायोग द्वारा विद्यते वष की अनुकूल परिस्थितियाँ के फलस्वरूप अथ यवस्था म उदय हुए सुधारो तथा सन् १९६८-६९ वष म अथ यवस्था को चतुर्थ योजना क प्रगति पथ की प्रारम्भिक तयारी करने क सद्बन्ध म तयार किया गया था । यह योजना जुलाई सन् १९६८ म मसद म प्रस्तुत की गयी । इस योजना क दिशा निर्देश क प्रमुख तत्व निम्न प्रकार के

(१) अथ यवस्था की बतमान वार्षिक कठिनाइयो के सद्बन्ध म विकास की गति का हलना ही रखा जायगा जो मुद्रा प्रसार के दबाव क बन्धये बिना ही प्राप्न की जा सकती हो । अथ यवस्था म साधनो की स्थिति अथय कठिन होने क कारण बतमान म निर्मित यवस्थाओं एव सगठनो (Infra structure) का पूणत उपयोग करन को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया था । नय यवस्था म जो विभिन्न यंत्रो म विकास म रकाबटें पड रहा थी उन रकाबटो को दूर करने वा प्रयत्न भा किया जाना था ।

(२) कृषिक्षेत्र क विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान का गया थी । उन समस्त विकास कार्यक्रमों को जिनमे कृषि विकास को प्रथमरूप से महायत्ना मिलनी है, अत्यधिक महत्व दिया गया । कृषि विकास की नवीन नीति जो सन् १९६६-६७ से संचालित की गयी थी को जारी रखा गया और इसके अन्तगत महन कृषि अधिक उपज वाले बीजों का जायोजन तथा बह फलन कार्यक्रमो का विस्तार किया जाना था ।

(३) बडी सिंचाई परियोजनाओ म उन परियोजनाओ के पर्याप्त अथ साधन की यवस्था की गयी थी जिनमे सिंचाई का लाभ गीघ्र प्राप्न होने की सम्भावना थी । सघु सिंचाई कार्यक्रमो का जो विद्युत्करण क साथ संचालित हानी था वर विशेष ध्यान दिया जाना था ।

(४) औद्योगिक क्षेत्र म सन् १९६८-६९ वष म बेकार पडी अथवा अगत उपयोग की जाने वाली क्षमता का पूणत उपयोग कर औद्योगिक प्रगति को तीव्र गति देने क प्रयत्न किया जाने वे । सरकारा धन के औद्योगिक व्यवसायो की काय कुशलता एव काय-संचालन म सुधार किये जान के तथा ऐसे उद्योगो जिनक द्वारा कृषिक्षेत्र को आवश्यक कृषि सामग्री जने सत्साधनिक साध कीटालुनागक रगायन ट्रक्टर डिजिल इंजिन पम्प वाणि उपलब्ध हाते हैं म अधिक विनिवाजन को प्रोत्साहित किया जाना था ।

(५) यानागत एव संचार के क्षेत्र म उन परियोजनाओं का पूर्ण पर ध्यान दिया जाना था जिनकी पूर्ति गीघ्र ही होन वाली थी ।

(६) समाज-सेवाओ के कार्यक्रमों म परिवार नियोजन को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया था ।

योजना-आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया कि सन् १९६०-६१ वर्ष में जन-वायु अनुकूल रहने पर राष्ट्रीय आय में ५% आयातों के उत्पादन में ७.५% तथा रक्षाओं में ५% से ६% की प्रगति होगी।

योजना-व्यय

सन् १९६०-६१ की योजना का कुल व्यय २०५६८ करोड़ ₹० निर्धारित किया गया। यह राशि निम्नो दो-एक वर्षों वास्तविकों के व्यय से अधिक थी। सन् १९६०-६१ की योजना का अधिक व्यय होने का एक कारण यह था कि इस योजना में १५० करोड़ ₹० का आयातन कृषि उत्पादों का बचिवसह (Buffer Stock) अनुमानित किया जाना था। इस योजना में १९६१-६२ का ५० करोड़ ₹० केन्द्रीय सरकार, १३११० करोड़ ₹० राज्य सरकारों द्वारा तथा ६१७७ करोड़ ₹० केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए आयातित था। विभिन्न स्रोतों पर आयातित एवं सम्भावित व्यय निम्न प्रकार था—

नामिका सं० १७— सन् १९६०-६१ वर्ष की योजना का आयातित एवं अनुमानित व्यय विवरण

(करोड़ ₹० में)

वर्ग	१९६०-६१ का आयातित व्यय	१९६०-६१ का अनुमानित व्यय
कृषि वापसना एवं सहायक वापसना	४०००	४५५०५
विद्युत (घाट नियंत्रण सहित)	१५५१	१६३०
गृह	३४१७	३०६०
संगठित रक्षा	३१६७	४६५१
ग्रामीण एवं तटु न्यो	४०८	४८५
आयामात एवं संचार	४०००	४०००
शिक्षा	१२५३	१२६१
बलाधिक होन	००	००
स्वास्थ्य एवं परिवार-नियंत्रण	६००	२०५
जलपूर्ति	३५१	२००
निवास-गृह तथा नागरिक एवं शैक्षिक विकास	२३५	०००
रिजर्व बैंक का बन्धाण	००	०५१
समाज-कल्याण	८०	४०
दम्तकारों का प्रतिष्ठान एवं धन-कल्याण	१६०	१३३
जन-सहयोग		
पुनर्वास	}	४००
ग्रामीण कामशाखाएँ		
धन वापसना		
अधिनग्रह		
योग	२२५६४	२०६०५

उपयुक्त व्यय वितरण से पता होता है कि यद्यपि सन् १९६८-६९ वष में वृषि उत्पादन का सर्वाधिक महत्व दिया गया, फिर भी वृषि विकास के लिए आयोजित व्यय सन् १९६७-६८ की तुलना में कम था। इसने अनिच्छित सामुदायिक विकास तथा सहकारिता गति प्रमाणएँ एवं लघु उद्योगों तथा ग्रामीण कायशालाओं के लिए पिछले वष की तुलना में कम व्यय आयोजित किया गया। दूसरी ओर संगठित उद्योगों तथा वैज्ञानिक शोध स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए इस वष अधिक व्यय आवंटित किया गया। वृषि विकास के लिए कम व्यय का आयोजन इसलिए किया गया कि इन क्षेत्रों को वित्तीय 'साधन सहकारी संस्थाओं तथा भूमिबन्धक अधिकारियों आदि को सुदृढ़ कर प्रदान करने की आवश्यकता की गयी थी। इस प्रकार सरकार द्वारा जो ऋण कृषि क्षेत्र को प्रदान किये जाते थे उनमें कमी करने की आवश्यकता की गयी थी।

याजना का अनुमानित वास्तविक व्यय योजना के आयोजित व्यय के लगभग बराबर है। योजना में सिंचाई एवं शक्ति को छोड़कर अल्प सभी मदों पर अनुमानित व्यय आयोजित व्यय के लगभग बराबर है। केंद्र द्वारा याजना कार्यक्रमों पर १,१११ करोड़ रु० व्यय किया गया जो आयोजित व्यय से २६ करोड़ रु० कम है। दूसरी ओर राज्य द्वारा १०५६६ करोड़ रु० व्यय किया गया जो उनके आयोजित व्यय से ७७६ करोड़ रु० अधिक है।

अथ साधन

सन् १९६८-६९ की याजना के अर्थ साधनों के अनुमान के द्वितीय सरकार के बजट अनुमान। तथा राज्य सरकारों के साथ हुए विचार विमर्श पर आधारित थे। आंतरिक प्रजट के साधनों से इस वष में ११५४ करोड़ रु० तथा विदेशी सहायता से ८७६ करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार योजना के कुल व्यय की शेष राशि ३०७ करोड़ रु० की व्यवस्था हीनाय प्रवर्धन द्वारा की जाने की सम्भावना की जा सकती है। विभिन्न मदों से अथ साधन निम्न प्रकार प्राप्त हाने का सम्भावना है—

तालिका स० ६८—सन् १९६८-६९ याजना के अथ-साधन

(करोड़ रुपया में)

	केंद्र	राज्यों के अन्तर्गत	योग
(अ) आन्तरिक प्रजट के साधन			
(१) सन् १९६५-६६ की दरों के आधार पर चानू आय का आधिक्य।	१३४	५२	१८६
(२) सन् १९६५-६६ का विराये भाडे की दरों के आधार पर रेला का अनुमान।	(—)६६	—	(—)६६

(२) सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों का वायव्य (याचना के अन्तगत की गयीं अनिश्चित साधन प्राप्ति-सम्बन्धी आवश्यकियों का आढल)	१८	८१	१०६
(४) अनिश्चित कर (सरकारी व्यवसाय की आय बढ़ाने की कार्यवाहियों सहित)	२६५	११८	१४६
(५) जन ऋण (गुप्त)	६१	६३	१२४
(६) लघु बचत	४०	४०	८०
(७) स्वयं वाण्ट, इनामी वाण्ट तथा अनिश्चित जमा	(—)	—	(—)
(८) वायव्य जमा	(—)	—	(—)
(९) निषिद्ध नृण	४६	१०	५६
(१०) अय पूर्योक्त प्राप्तिवा (गुप्त)	७८८	(—)	७८८
योग (अ)	८२५	१६६	११५४
(ब) बचत के साधन के अनुरूप विदेशी सहायता			
(१) पी० एल० ४८० के अनिश्चित	६०४	—	६०४
(२) पी० एल० ४८० के अन्तगत	२००	—	२००
योग (ब)	८०४	—	८०४
राज्यों का सहायता	(—)	६१५	—
समस्त बचत के साधन	१,०६९	६१५	१,०००
हीनाय प्रवचन	२८६	१८	३०४
कुल माधन	१,३५५	६३३	१,३५५

बालू भाग का वायव्य—सन् १९६८-६९ की योजना के लिए सन् १९६५-६६ की कर की दरों के आधार पर १८६ करोड़ ६० का वायव्य पात्र भाग से प्राप्त होने का अनुमान है। यह वायव्य सन् १९६७-६८ वर्ष के दोहराये गये अनुमानों की तुलना में १६७ करोड़ ६० अधिक है। इस वायव्य राशि में १५१ करोड़ २० के त्रुटि-संशोधन की ४६ करोड़ ६० राज्य सरकारों को प्राप्त होने का अनुमान है। केन्द्र सरकार की वायव्य राशि प्राप्त होने के प्रमुख कारण औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन-कर में ७८ करोड़ ६० की अनुमानित वृद्धि वायव्य जमा याचना की समाप्ति के कारण भाग-कर की प्राप्ति में वृद्धि तथा अन्य करों की प्राप्ति में वृद्धि है। वायव्य जमा-भोजना की समाप्ति के फलस्वरूप होने वाली हानि का आरोजन योजना के अर्थ-साधनों में कर दिया गया है। सरकारी भानु व्यय के सन् १९६८-६९ के स्तर पर ही रहने का अनुमान है क्योंकि ऋण के सम्बन्ध में बड़े हुए व्यय तथा जय-भोजना व्ययों की वृद्धि की पूर्ति खाद्यान्न अनुदान की समाप्ति से होने वाली बचत से हो जायगी।

१ योजना का मौलिक वायव्य २,०३० करोड़ २० या जे बाद में बनाकर २,०५६ करोड़ २० कर दिया गया था।

इसी प्रकार राज्य सरकारों की सन् १९६६-६९ की दर की दरा क आधार पर चालू आय म ६५ करोड ६० की वृद्धि होन का अनुमान है। यह वृद्धि भाषिक प्रगति क फलस्वरूप समस्त करा की प्राप्ति म वृद्धि विनोपकर विधी कर मोटरगाडा कर भूमि लगान की अच्छी वसूली आदि तथा राज्यों का अण केन्द्रीय उत्पादन कर तथा आय कर की प्राप्ति म बढ जान के कारण हान का अनुमान है। दूसरी आर राज्य सरकारों क कमचारियों को अधिक महंगाई भत्ता देने श्रेणो पर पात्र म वृद्धि कर वसूली पर अधिक यय तथा प्रशासनिक यय म वृद्धि होन का अनुमान है। इस प्रकार केवल ४६ कराड ६० ही चालू आय स विकास के लिए उपलब्ध हान का अनुमान है।

रेला का अनुदान

सन् १९६५-६६ का विराया भाडा की दरा क आधार पर सन् १९६७-६८ वष म (—) ६२ करोड २० रेणों म उदय होने वाली हीनना का अनुमान है। सन् १९६८-६९ वष म यह होनता (—) ६९ कराड २० अनुमानित है। हीनना म ७ करोड ६० की वृद्धि रेला क सागाय काम त्वाजन यया (Ordinary Working Expenses) म महंगाई भत्ता अण क कारण वृद्धि ईधन अजिल तेल तथा बिजला के मूयों म वृद्धि सागाय बजट क लिए न्यि जान वाले अनुदान म वृद्धि आदि क कारण उदय होने का अनुमान है।

सरकारी व्यवसायो का अनुदान

सन् १९६७-६८ वष म सरकारी व्यवसाया म अपन विकास कायक्रमों क लिए १३८ कराड २० प्रदान करन का अनुमान है। सन् १९६८-६९ वष म इस साधन स ४१ कराड ६० अधिक प्राप्त होन का अनुमान लगाया गया है। इस वृद्धि का प्रमुन कारण ददा की आषिक स्थिति म सुधार होन क कारण सरकारी व्यवसायो की निम्न क्षमता के अधिक उपयोग तथा पिछल वषों म एकत्रित सामग्री सपहा (Inventories) का उपयोग किया जागा है।

अतिरिक्त कर

केन्द्र सरकार द्वारा लगाय गये अतिरिक्त कर की विभिन्न मदों से सन् १९६८-६९ वष म आगे की गयी तालिकानुसार राजिया प्राप्त होन का अनुमान है।

दूसरी ओर राज्य सरकारों द्वारा अपन बजटों म जो विभिन्न कायवाहियाँ सम्मिलित की गयी हैं उनसे १३८ कराड ६० क अतिरिक्त साधन प्राप्त हान का अनुमान है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा अन्य कायवाहियों द्वारा अपन अथ साधना की बढान के श्रयन लिए जान हैं जिनके बार म अभी तक कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अय साधन

पू जी विपणि का वर्तमान स्थिति का ध्यान म रखन हुए जन कण म सन्

सांख्यिक म० ६८—केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त व. तथा सरकारी
व्यवसायों की आयवृद्धि-मन्त्रालयी वायवाहियों से प्राप्त साधन

(करोड़ ₹० में)

सन् १९६८-६९ में

अनुमानित प्राप्ति

(अ) केंद्रीय बजट में सम्मिलित वायवाहियाँ	
(१) केंद्रीय उत्पादन-कर	३६४
(२) आयात-कर	१६३
(३) निगम कर (Corporation Tax)	(—) ४०
(४) आय-कर	(—) ४० (वार्षिक जमा से हटाए जाने वाले आय-कर)
(५) गैर व. करों की परिवर्तित दरें	२०४
योग	७००
(ब) रैलवे-बजट में सम्मिलित वायवाहियाँ	
(१) यात्री वित्त में वृद्धि	१३४
(२) भाडों में वृद्धि	१४०
योग	२७४
महायोग	९७४

१९६८-६९ वर्ष में १२० करोड़ ₹० प्राप्त होने का अनुमान है। लघु बजट से विद्यमान व. की तुलना में १० करोड़ ₹० अधिक प्राप्त होने की सम्भावना है। निविद्यमान ऋण में १० करोड़ महीने प्राथमिक निधि योजना (जिसमें सभी नागरिक उत्पादन कर गृहण करने हैं) से प्राप्त होगा। इस मद में प्राप्त होने वाली राशि २३ करोड़ ₹० निवृत्त व. की प्राप्त राशि से इसलिये कम है कि प्राथमिक निधि में अतिरिक्त मेट्रो-नर्सों की व. राशि जमा की जायगी और कुछ जमा-राशि को निवृत्त करने की अनुमति भी कमचारियों को दे दी गयी है।

विदेशी सहायता

सन् १९६७-६८ वर्ष में अन्तरी पत्रले होने के कारण सन् १९६८-६९ में ५०० करोड़ ₹० के अन्तरी पत्रले करके की आवश्यकता होगी। विद्यमान व. की तुलना में सन् १९६८-६९ में विदेशी सहायता से १२ करोड़ ₹० कम प्राप्त होने का अनुमान है।

यद्यपि सन् १९६८-६९ वर्ष की योजना का मूलाधार विद्या भूरा प्रकार के विकास करना है परन्तु अर्थ-साधनों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन योजना के साधनों में वर्तमान अनुमानानुसार ३०७ करोड़ ₹० की हीनता है। इस हीनता में

वास्तव में कुछ वृद्धि हान की ही सम्भावना का जा सकती है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अनिश्चित कर सम्बन्धी वायव्यहियाँ न सम्बन्ध में कोई निश्चित कदम नहीं उठाया गया है। इस प्रकार भाषणा का होना या पूर्ण होनाथ प्रवचन द्वारा किया जाना स्वाभाविक होगा। सिद्धांत रूप में मात्र भी यह स्वीकार कर लिया गया हो कि मन् १९६८-६९ के विकास कार्यक्रमों के लिए मुद्रा प्रसार नहीं किया जायगा परन्तु वस्तुतः स्थिति इसके विपरीत रहने का ही अधिक सम्भावना है।

उत्पादन के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

सन् १९६८-६९ योजना के उत्पादन एवं अन्य विनाश सम्बन्धी लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हुई—

तालिका सं० १००—सन् १९६८-६९ की योजना के विनाश-सम्बन्धी लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

सं	इकाई	१९६८-६९ का लक्ष्य	१९६८-६९ की उपलब्धियाँ
कृषिक्षेत्र			
याद्याप्त	लाख टन	१०२००	९६०
गन्ना (गुंड)	लाख टन	१२५०	१२०
निलहन	लाख टन	१०००	६९
कपास	लाख गॉठ		
	(१०० किलो प्रति गॉठ)	६७०	५५
जूट	लाख गॉठ		
	(१०० किलो प्रति गॉठ)	६९०	११
रासायनिक खादों का उपयोग			
(अ) नाइट्रोजियम (N)	हजार टन	१०००	१०१०
(ब) फास्फेटिक P ₂ O	हजार टन	६२०	३० नई
(स) पोटासिक K ₂ O	हजार टन	४७०	१७०
सिंचाई			
सिंचाई के साधन (सकल)	लाख एक्ड	२२१	२२५
सिंचाई का उद्योग (सकल)	लाख एक्ड	१९३	१८५
शक्ति			
निर्मित बिजुत क्षमता	लाख K.W	१५२२	१४२
बिजुत क्षमता प्राप्त	हजार म	६५७	३० नई
शक्ति रत पम्पों के अट	हजार म	९५४	१०६९

ग्रामीण एवं लघु उद्योग

हाथकरिया गतिकरिया एवं खादी

का कपडा	लाय मोटर	२०,०००	२४,०००
कच्चा रेशम	हजार किमी	२०४०	२०४०
उद्योग एवं खनिज			
इन्धना के टेल	लाय टन	७१	६४
एल्यूमीनियम	हजार टन	११०	११६
तांबा	हजार टन	६४	६०
जस्ता	हजार टन	२१०	२४४
मशीनों के अंजार	कगड रु०	२४०	२१०
व्यापारिक वाहन	हजार	३१	२६
सीमेन्ट	लाय टन	१०५	११०
कपास (मिल का घना)	लाय मोटर	४१,०००	४१,१००
क्षेत्र	लाय टन	२६०	२६०
नाइट्राजियम खाद	हजार टन (N)	६००	४६०४
फास्फेटिक खाद	हजार टन (P, OS)	२००	२१०२
यातायात एवं संचार			
रेलों द्वारा टाया गया सामान	लाय टन	२०४०	२०४०
बड वाहरगाह (माल का बजन)	लाय टन	४६४	४४०
विद्यार्थियों का अतिरिक्त परीक्षण			
बस्ता १ से ४	लाय	२१४६	२०६
बस्ता ६ से ८	लाय	६७४	१०१
बस्ता ९ से ११	लाय	४८०	१०
स्वास्थ्य			
अस्पताल बीमाएँ	हजार में	२४४७	२४४७

सन् १९६५-६६ के लक्ष्यों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस वर्ष में सन् १९६७-६८ का असामान्य उपलब्धियों का आकार मानकर यह लक्ष्य निर्धारित किए गए। वास्तव में, इन असामान्य अनुकूल परिस्थितियों का जारि रचना निश्चित नहीं था। कुपिलेन का खनिज विकास मानसून की अनुकूलता पर निर्भर था परन्तु अधिग्रहण का आमाजन कर इस बात का प्रथम अचर्य किया जाता था कि मानसून के प्रतिफल होने पर भी अचर्य-व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों पर पठने वाले कुप्रभाव की तीव्रता को कम किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र के लक्ष्यों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि सन् १९६५-६६ में इजीनियरिंग एवं मध्यम निर्माण उद्योगों में गुरुवन (Recession) की समाप्ति के साथ-साथ पुन प्राप्ति (Recovery) द्रुत गति से हासिल होगी क्योंकि यह लक्ष्य अत्यन्त अभिलाषी रखे गए हैं। औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्यों

का अभिलाषी रखन का प्रमुख कारण निर्यात सबद्ध न के लिए की गयी कायवाहियों का प्रभाव तथा सन् १९६७-६८ की उपलब्धियाँ का कारण माँग में वृद्धि होना का सम्भावनाएँ थी।

योजना का कृषि विकास कार्यक्रमों में सर्वाधिक महत्व अधि उपज वाले बीजों का प्रचार को दिया गया। प्रत्येक राज्य अपने कृषि उत्पादन के लक्ष्य के आधार पर आवश्यकतानुसार अधि उपज वाले बीजा का उत्पादन करे जिन्म छूटे बड़े सभी कृषक इन बीजों को प्राप्त कर सकें। इस कार्यक्रम में सन् १९६७-६८ में सराहनीय सफलतात्मक प्रयत्न हुई थी जिसके प्रोत्साहन में इसका नट्य १५० लाख एकड़ (सन् १९६७-६८) में घटाकर सन् १९६८-६९ में २१० लाख एकड़ कर दिया गया।

रासायनिक खाद का सफल कार्यक्रम का अन्तगत मध्य कृषक को इनका उपयोगिता बताने के स्थान पर उसे इनके विवेकपूर्ण उपयोग करने का शिक्षा प्रदान की जाती थी जिससे वह सामायनिक खाद के उपयोग का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाँच एकड़ का प्लॉट पर बहुमफल प्रणाली (Multi Crop Demonstration) परियोजना १०० एकड़ का खण्ड पर वायव्य प्रदेश परियोजना (Pilot Demonstration Project) तथा १०० एकड़ का खण्ड पर Soil Conditioners का प्रदान की परियोजना सम्मिलित की गयी थी। कृषक का बिना मूल्य Soil Conditioner प्रदान करने की योजना भी रखी गयी। यह सभी कार्यक्रम प्रारम्भ में ही क्षमता में सम्मिलित किए जाते थे जहाँ शिक्षा के निरहित साधन उपलब्ध थे।

कृषि विकास कार्यक्रमों का यद्यपि अधिकतर लाभ खेताग्राहक उत्पादन को ही मिलता फिर भी २५३ करोड़ ८० का आयोजन कपास वूट मूकनी काहू लागू नारियल तथा सम्झाजू जसी व्यापारिक फसलों के सुधार के लिए किया गया।

सन् १९६८-६९ वर्ष की योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास को सन् १९६७-६८ की तुलना में कम राशि आव्योजित की गयी। दूसरी ओर मगठिन उद्योगों में जो पिछले वर्ष की राशि ५२० करोड़ के बजाय १९ करोड़ अधिक इस वर्ष आव्योजित किया गया। इस प्रकार इस योजना में औद्योगिक क्षेत्र में निर्वाह मन्त्रालयों का कार्यक्रम (Maintenance Programmes) ही संचालित करना था। बजट अत्यधिक प्राथमिकता वाले उद्योगों जैसे रासायनिक खाद में नवीन विनियोजन का आव्योजन था। वारतव में औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य की उपलब्धि औद्योगिक क्षेत्र की निर्मित क्षमता (Installed Capacity) के पूरतम उपयोग तथा सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों के कुशल संचालन पर निर्भर थी परन्तु यह दोनों हा घटक अनुसूचन स्थिति में नहीं प्रतीत हो रहे थे। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक बलह (Labour Unrest) घ्यापक हो गया था। औद्योगिक वस्तुओं की माँग और मूल्य में कमी हो गया था जबकि अधिक मजदूरी का माँग बढ़ता जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में उद्योगों द्वारा संचालित उत्पादन का आगा करना उचित नहीं था।

जीवाणिक क्षेत्र के इस प्रविष्ट वस्तुवादात्मक में मानसून की अनुकूलता के गुण समाचार भी थे जिनके फलस्वरूप कृषिक्षेत्र के खेतों की पूर्ति होने सम्भव था। कृषिक्षेत्र में यद्यपि खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई परन्तु वृष्ट और जल का उत्पादन वर्ष में बहुत कम रहा। सन् १९६८-६९ वर्ष में जीवाणिक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने का अनुमान है और अक्षिन्त उत्पादन का भाग की कमी के कारण अक्षिन्त में पीछे था, पुनः प्राप्ति की मात्रा प्रत्यक्ष है।



चौथी योजना का दिशा निर्देश

[Approach to Fourth Plan]

[चतुर्थ योजना के आधारभूत उद्देश्य—स्थिरता के साथ आर्थिक प्रगति आम निभरता की धार अग्रसर, श्रमतीय सन्तुलन, नीतिया एव निर्देश कृपि उद्योग बहद उद्योगो का विकास गर कृपि राजगार-व्यवस्था सिंचाई शक्ति, परिवहन शिमा स्वास्थ्य शहरी क्षमा का विकास अनुमूचित जानिया और बगों की स्थिति मे सुधार आर्थिक सत्ताभा का विके द्रीयकरण एव एकाधिकार उचित मूल्य की दुकाँ सरकारी एजेन्सी द्वारा शायत—नियान और मरनारी एजेन्सी नियन्त्रणो का पूननम करना एकाधिकार पर नियन्त्रण विकास एव वितरण राजगार आय एव उपभाग की वियमताभा मे कमी उपसहार ।]

याजना प्रायोग न चतुर्थ याजना का तानिया एव कायजमा का शिमा निर्देश पत्र (Approach to the Fourth Five Year Plan) राष्ट्रीय विराम परिषद् की १७ व १८ मई सन् १९६८ की सभा मे प्रस्तुत किया । इन प्रसल मे याजना प्रायोग न चतुर्थ याजना के रूप मे मध्य मे म जपन विचार प्रकल किए । इन प्रसल मे शिमे गय तथ्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद् का अन्तिम नियय सन थ और बहू नियय योजना प्रायोग की चतुर्थ याजना का तयारा मे पथ प्रस्तुत करेये । प्रसल मे का प्रस्ताव मन्मिन्त्रित शिमे गय है वन वनमान आर्थिक स्थिति के विन्तपग तथा नावप्य मे विकास का सम्भावना पर आधारित है । राष्ट्रीय विराम परिषद् मे सुचयमन्त्रिया द्वारा साधना का सम्भावना न अनुमार उपतथि मन्हात्मक मयभा थया परन्तु याजना प्रायोग के प्रस्तावो एव विचारो का सम्भाव रूप मे अनुमानन कर शिमा गया ।

चतुर्थ याजना के आधारभूत उद्देश्य

चतुर्थ याजना के सम्पन्न कायजम शिमा तीन मुख्य तन् या का पूर्ति का आधार भूत मानन हुए निश्चय शिमे जायेगे

(१) स्थिरता के साथ आर्थिक प्रगति (Growth With Stability)— स्थिरता के साथ आर्थिक प्रगति का तात्पर्य यह है कि प्रगति के साथ (Feasible) दर प्राप्त करने के लिए ऐसे कायजम सञ्चालित किए जाय जिनमे जय प्रवस्था मे मुद्रा प्रसार और अधिक् ः हा और मूल्य-स्तर मे अमानाय वृद्धि न हो । योजना

आयोग के अनुमानानुसार, वृष्टि की मन् १९६७-६८ की प्रगति को देखते हुए वृष्टि क्षेत्र के उत्पादन में ५% वार्षिक वृद्धि होना गायब हुआ। दूसरी ओर, औद्योगिक क्षेत्र में ८% से १०% वार्षिक प्रगति होना अनुमान लगाया गया है। इन अनुमानों के आधार पर यह सम्भावना की गयी है कि चतुष्टय योजनाकार में अर्थ व्यवस्था में ५% से ९% वार्षिक (चक्रवृद्धि) आर्थिक प्रगति करना सम्भव होगा।

अर्थ व्यवस्था में अस्थिरता वृष्टि उत्पादों के मूल्यों में अचानक उतार-चढ़ाव होने के कारण उत्पन्न होती है क्योंकि वृष्टि उत्पादों का मुख्य स्तर अर्थ क्षेत्रों के उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्य स्तर का नियंत्रित करना है। इस अस्थिर परिस्थिति के निवारण के लिए अचिन्तक (Buffer Stock) की स्थापना उद्योग मंत्री महोदय वृष्टि उत्पादों के लिए आवश्यक समझी गयी है। इस तरह का उपयोग वृष्टि उत्पादों के मूल्यों का स्थिर रखने में सहायक होगा परन्तु यह तरह वृष्टि उत्पादन में सीमा गति में वृद्धि करके ही निर्मित किये जा सकते हैं। अचिन्तक के निर्माण के लिए विनाश विनियोजन के अनिश्चित अर्थ-साधनों की आवश्यकता होगी और यह साधन केवल एक राज्य सरकारों की एकाधिकारिता के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकते हैं।

अचिन्तक प्रगति के लक्ष्य तथा विभिन्न सहायता की कम करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अपनी आन्तरिक बचत को राष्ट्रीय आय के ८% से बढ़ाकर १०% करना आवश्यक होगा। इस बचत को प्राप्त करने के लिए सामग्रीय क्षेत्र में २०० से ३०० करोड़ ₹० वार्षिक के अनिश्चित अर्थ-साधन प्राप्त करने होंगे। इन अनिश्चित साधनों की प्राप्ति सामाजिक तथा सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों के अधिक कुशल कार्य संचालन तथा मुख्य समायोजन से प्राप्त होना पाले जाय। संपूर्ण बचत का प्रभावशाली बनाकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अनिश्चित कृषि-उत्पादन क्षेत्रों को लायनी।

(२) आत्मनिर्भरता की ओर यथासम्भव तीव्र गति में अग्रसर होना (Move Towards Self Reliance As Speedily As Possible)—आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु हमें वर्तमान गुट विरोधी महासत्ता (अर्थात् ऋणों पर गुट वृद्धि तथा पूरने ऋणों के भुगतान की राशि घटाने के लिए) चतुष्टय योजना के अन्तर्गत एक वर्ष वर्तमान स्तर का आयात करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु आयात की कम करने तथा निर्यात का बचन के लिए अर्थ प्रयत्न करना आवश्यक होगा।

निर्यात—यहाँ तक निर्यात का सम्बन्ध है हमारे वर्तमान निर्यात का अर्थ शीघ्र ही भाग परम्परागत वस्तुओं में बनना है जो अन्तरराष्ट्रीय विभागीय परिस्थितियों के अनिश्चित प्रतिवृत्त जलवायु के वर्षों में अच्छे माल के कम उत्पादन से प्रभावित होते हैं। चतुष्टय योजना के इन प्रतिवृत्त वर्षों में भी अचिन्तक (Buffer Stock) का सहायता इन निर्यातों को सामान्य स्तर पर बनाये रखना हो सकेगा। इस प्रकार अनिश्चित ऐसी नवीन वृष्टि उत्पादों की योजना का अर्थ जिनका अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों में माँग हो और जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। निर्यात योग्य वृष्टि उत्पादों का

आन्तरिक उपभोग कम रखने के लिए उत्पादन-कर लगाये जायें तथा राज्य द्वारा निर्यात के लिए इन उत्पादों को सीधे क्रय किया जायगा।

निर्यात की वृद्धि में गर-परम्परागत वस्तुओं का भाग अधिक रहेगा। उन चुनी हुई गर परम्परागत वस्तुओं की निर्यात वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किये जायेंगे जिनका अधिक निर्यात दीर्घ काल तक बनाय रखा जा सकता है। शेषकालीन माँग वाला वस्तुओं में कच्चा लोहा लोहा व इस्पात इ-जानियरिंग उत्पाद तथा रसायन आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं।

विक्रमपाल राष्ट्रीय इ-जीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात कर्तन का विपणन प्रयत्न किया जायगा। इन राष्ट्रीय प्रतिफल भुगतान बंध होने के कारण हम अपना निर्यात स्थगित भुगतान पर ही बढाना सम्भव होगा क्योंकि इन राष्ट्रीय को अर्थ सेवा से स्थगित भुगतान पर इ-जीनियरिंग वस्तुओं को प्राप्त करना सम्भव है। रामा यनिक पदार्थों के क्षेत्र में औपघियाँ प्लास्टिक तथा प्लास्टिक की वस्तुओं तथा रामा यनिक रेशा के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के निर्यात कर्तन का प्रयत्न किया जायगा। दूसरी ओर यात्री भ्रमण (Tourism) के विकास द्वारा विदेशी विनिमय का अधिक अर्जन किया जायगा। इसके लिए भ्रमण सुविधाओं एवं सेवाओं में वृद्धि की जायगा। सामुद्रिक जहाजी यातायात के विकास द्वारा भी विदेशी मुद्रा का अधिक उपाजन किया जायगा।

आयात—अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ अलौह धातुओं खनिज तनों तथा रासायनिक खाद सामग्रियों के आयात में वृद्धि होने की सम्भावना है क्योंकि इन पदार्थों का उत्पादन प्राकृतिक साधनों की कमी के कारण देश में कर्तना नहीं जा सकता। इसलिए अर्थ वस्तुओं के आयात को न्यूनतम मात्रा तक कम करना आवश्यक होगा। कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण पी० एल० ४८० के अन्तर्गत कृषि उत्पादों के आयात का तीन वर्षों में बिल्कुल बन्द कराने का प्रयत्न किया जायगा। रेशमदार कृषि उत्पादों कुछ प्रकार के इस्पात तथा यन्त्रों आदि के आयात में धीरे धीरे कमी की जायगी। योजना आयोग के मोटे अनुमानानुसार हम अपनी वर्तमान शुद्ध विदेशी सहायता (अर्थात् प्रत्येक वर्ष में प्राप्त विदेशी सहायता में से देय व्याज तथा पुराने ऋणों की गोप्य किश्तें घटाने का बालू की राशि) को अनुप योजना के अन्त तक आयात करने के लिए निर्यात में लगभग ७% प्रति वर्ष की वृद्धि करना तथा आयात का न्यूनतम करना आवश्यक होगा।

विदेशी सहायता तथा विदेशी तांत्रिक पाठ के आयात का भी अनुप यात्रता में कम करने का प्रयत्न किया जायगा। जबतक उर्ही लोहा में विदेशी सहायता एवं तांत्रिक पाठ का आयात स्वीकृत किया जायगा जिनमें आन्तरिक साधन उपलब्ध न हों। विदेशी सहायता में उपभोक्ता वस्तु उपयोग की स्थापना नहीं की जायगी। केवल निर्यात के लिए उपलब्ध की जान वाला उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग को विदेशी

सहयोग से स्थापित करने की अनुमति दी जायगी। विदेशी सहायता की प्रत्येक परि-
याजना की स्वीकृति के पूरे बठोर जांच की जायगी जिससे ऐसी परिचायनाओं का
नवाचन न किया जाय जिनमें अधिक महंगी पूंजीगत वस्तुओं तथा अधिक तांत्रिक
का आयात करना पड़े।

तांत्रिक ज्ञान के आयात में बठोर प्रतिबंध नहीं लगाय जायेंगे यदि यह
शायद एक ही बार में हो जाता है तथा इसके द्वारा अविद्य म और आयात
आवश्यक न होता है तो इसके साथ ही यह भी देखा जायगा कि विदेशी तांत्रिक ज्ञान
के आयात से हमारे छात्रों को हतासहनता नहीं होना है।

(३) क्षेत्रीय सन्तुलन (Regional Balance)—जनमान क्षेत्रीय असन्तुलन
का प्रमुख कारण विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं एवं सुवाओं का विषम वितरण
है। इस कारण के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में असन्तुलित विकास नहीं हुआ है
प्रत्येक एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास में विषमता विद्यमान है। इस
असन्तुलन को दूर करने के लिए नगर क्षेत्रों में विकास-सम्बन्धी सुवाओं एवं सुविधाओं
का आयाजन किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों तथा
उपलब्ध प्राकृतिक संपत्तियों का ध्यान में रखकर पृथक-पृथक विकास-वायजनों का निर्धारण
किया जायेंगे। विकास-सम्बन्धी सुविधाओं का आयाजन के लिए तथा विकास-वायजनों
का नवाचनाय प्रारम्भ में अर्थ-साधना को बचाव महसूस होगा। इस बचों की पूर्ति के
लिए विदेशी वायजनों का आयाजन किया जायगा तथा राज्य द्वारा धन जुटाया
जायगा।

नीतियाँ एवं निर्देश

प्रत्येक क्षेत्र में भूतलभूत संसाधनों की पूर्ति हेतु अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में
जो मामूली एवं निर्देश अपनाते का ध्यान दिया गया है वह निम्न प्रकार हैं

कृषि—कृषि वायजनों के चतुर्थ वायजनों में का मुख्य संसाधन होगा—प्रथम,
कृषि उत्पादन में ५% प्रति वर्ष की वृद्धि तथा द्वितीय राज्यों जनता के प्रत्येक
नागरिक को विकास-वायजनों में सक्रिय भाग लेने और लाभ प्राप्त करने का अव-
सर प्रदान करना। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए महान कृषि विधियों का
विस्तार किया जायगा। मिर्चाई-सुविधा प्राप्त अथवा निर्दिष्ट वर्षों वाले क्षेत्रों में
अधिक उपज वाले बीजों के उपयोग का विस्तार होगा। इन क्षेत्रों की अर्थ-समस्याओं,
उन माल-सुविधाओं की सुरक्षा आदि पर विशेष ध्यान दिया जायगा। महान कृषि-
विधियों का उपयोग दाखला अर्थ-साधन तथा व्यापारिक फसलों आदि के उत्पादन
के लिए भी किया जायगा। शोध-कार्य शिक्षा एवं अर्थ-सुविधाओं का भी विस्तार
किया जायगा।

सधु कृषकों एवं गैर-सिंचित क्षेत्रों का समस्याओं पर भी ध्यान दिया जायगा।
पृथक क्षेत्रों में कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए साथ-साथ ही सहायता दी जायगी। सधु

श्रमिकों को अति उपज वाले बीजा व उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जायगा। शुष्क क्षेत्रों के लघु श्रमिकों की समस्याओं के निवारण के लिए आय के सहायक साधना जैसे पशु पालन आदि को प्रोत्साहित किया जायगा।

वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं व प्रबंध एवं जल विनियमन में आवश्यक परिवर्तन किए जायेंगे जिससे इनके द्वारा एक से अधिक फसला के लिए सिंचाई-सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें। जल-पूर्ति के अन्य साधना का भी विचार किया जायगा।

यह एक मध्यम काल के कृषकों को अधिक उपज वाले बीजों के उपकरण से अधिक लाभ प्राप्त होना लया है। इसके अतिरिक्त लाभ को कृषि के विकास पर विनिर्माण कर के लिए इन कृषकों को प्रोत्साहित किया जायगा।

सहकारी भूमि विकास-अधिष्ठाप तथा सहकारी कृषि अधिष्ठाप से कृषि-क्षेत्र का स्वतंत्र वित्त प्रदान करने वाला व्यवसाय प्रदान में सहायता प्राप्त होगा। दूसरी ओर लघु कृषकों का वित्तीय समस्याओं एवं राज्य द्वारा वित्त प्रदान किया जायगा। जल-कुए (Tubewells) एवं अन्य लघु सिंचाई सुविधाओं का आयोजन सरकार द्वारा किया जायगा।

कृषि विकास हेतु जिला स्तर पर विभिन्न कृषि योजनाओं जैसे रासायनिक खाद का वितरण तथा साल सुविधा आदि का आयोजन विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जायगा। इन संस्थाओं के लिए सहकारी संस्थाओं का प्रमुख रूप में उपयोग किया जायगा। जिला सहकारी भूमि विकास अधिष्ठाप तथा सहकारी व-द्वीय बैंकों की सहायता में पर्याप्त वृद्धि करके इन संस्थाओं का व्यवस्थापन जायगी। यदि सहकारी संस्थाएं इन संस्थाओं की उचित व्यवस्था करने में असमर्थ रहना ता अन्य संस्थाओं में व्यापारिक अधिष्ठाप आदि का उपयोग किया जायगा। प्रत्येक जिले का कृषि स्थिति तथा विद्यमान संस्थाओं का ध्यान में रखकर इन संस्थाओं का व्यवस्थापन जायगी।

भूमिहीन श्रमिकों का आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह अधिक राजगार के अवसर प्रदान किए जायेंगे। समन्वित जिला विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत जा विभिन्न संस्थाओं जैसे लघु सिंचाई प्राकृतिक साधना का विकास एवं संरक्षण माना जायगा एवं संचार में सुधार आदि का आयोजन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं में राजगार के अवसरों में वृद्धि होगी जिससे लाभ भूमिहीन श्रमिकों को प्राप्त होगा। कृषि भूमि पर जनसंख्या के प्रत्यक्ष दबाव को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक प्रियोजनाओं की तीव्र गति से वृद्धि का आयोजन जिसमें बन्ने हुई श्रम शक्ति तथा कृषि क्षेत्र में लगाई हुई वर्तमान श्रम शक्ति का कुछ भाग उद्योगों में राजगार प्राप्त कर सकें। ग्रामीण उद्योगों के अन्तर्गत उद्योगों कृषि-उद्योगों का विनियमन (Processing) करने वाले उद्योगों का विकास किया जायगा।

उद्योग

चतुर्थ योजना के औद्योगिक विकास के कार्यक्रम निम्नलिखित सूचक निर्देशों के अन्दर में निर्धारित किए जायेंगे।

(क) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिससे उद्योग बनवाने का आदरभंग का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

(ख) नवीन विनियोजन योजना की प्राथमिकताओं के प्राप्ति पर किया गया और शीघ्र काम में पूर्ण हानि वाला उन औद्योगिक परिस्थितियों में विनियोजन की शक्ति को बाध करने द्वारा निर्धारित में वृद्धि हानि अपना आदान पर निर्भरता कम करना सम्भव हो।

(ग) एक विस्तृत राष्ट्रीय-स्तरीय परियोजना का प्राथमिक विभाग बनाने का उद्योगों के नियंत्रण एवं अधिकार का अधिक विस्तरीकरण किया जाय।

(घ) उपरोक्त समस्त उद्योगों की पूर्ति सूचक उद्योगिक विभाग के अन्तर्गत की जाय।

चतुर्थ योजना के औद्योगिक विकास-कार्यक्रमों के द्वारा निम्नलिखित प्राथमिक सूचक उद्योगों की पूर्ति की जायगी।

(१) आत्मनिर्भर (Self-reliant) औद्योगिक प्राप्ति की प्राप्ति के लिए औद्योगिक एक तार्किक क्षमता का आकार आयाजित किया जाना।

(२) उन औद्योगिक क्षेत्रों की अन्तर्गत में विकास करना जिससे द्वारा निर्धारित में आयाजितानुसार वृद्धि तथा आयाजित का सीमित किया जा सके जिससे आयाजित-क्षेत्र की स्थिति में सुधार किया जा सके।

(३) पूर्ण एक वर्तमान की आयाजित का इस प्रकार साक्षित करना कि देश में अन्तर्गत अन्तर्गत औद्योगिकरण किया जा सके।

उपरोक्त दो उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्देश एवं सरकारी क्षेत्रों की क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों के लिए कार्यक्रम एवं अन्य निर्धारित किए जायेंगे। ऐसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए योजना आयोग विकास की सम्भावनाओं विचारित करेगा। इस काम में उद्योगों का भी सहयोग प्राप्त किया जायगा।

वृहत् उद्योगों का विकास

चतुर्थ योजना में के शीघ्र सरकार के औद्योगिक विनियोजन के अन्तर्गत निर्देशों कायता में धारण कार्यक्रमों की पूर्ति करने का व्यवस्था स्वीकृत परिस्थितियों का अन्तर्गत-समाप्तित्व साक्ष एवं अन्तर्गत-समाप्तित्व निर्धारित एवं अन्तर्गत-समाप्तित्व उद्योगों का व्यवस्था तथा पौन्यो-समाप्तित्व की अधिक आयाजितियों का अन्तर्गत-समाप्तित्व किया जायगा। वर्तमान सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत-समाप्तित्व की आयाजित-समाप्तित्व का पूर्ण उपयोजन करने तथा इन व्यवस्थाओं का अधिक आयाजित बनाने के लिए अन्तर्गत-समाप्तित्वों के लिए विदेशी बाजारों की आयाजित की जायेंगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए

विपणि सबद्ध न एव विपणि स्थापना आवश्यक होगा और स्थानित भुगतान पर नियन्त्रित की व्यवस्था के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों का आयोजन करना आवश्यक होगा।

निजी एवं सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों की उत्पादनता एवं लाभोत्पन्नता को समता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सरकारी व्यवसायों में हम उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रारम्भिकता (Initiative) तथा कार्य संचालन में प्रबंधकत्व एवं स्वतंत्रता (Autonomy) का आयोजन आवश्यक है। दूसरी ओर सरकारी व्यवसायों के कामचारियों की नियुक्ति पदावधि आदि में सम्बन्धित नीति पर भी विचार किया जा रहा है। इन व्यवसायों के उच्चाधिकारियों की नियुक्ति सरकार अधिकांशतः को ड्यूटी (Deputation) पर लेकर की जाती है और यह अधिकारी कुछ ही वर्षों बाद स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह पद्धति इन व्यवसायों के कुशल संचालन में मनाया नहीं होती है। इस पद्धति में आवश्यक नुसार करण पर भी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

कमल उन उद्योगों को छोड़कर जिनमें नात्रिक हितों से बड़े आकार की इकाइयाँ स्थापित करना मित-व्ययपूर्ण होता है अथवा समस्त उद्योगों में अधिकार एवं क्षेत्र सम्बन्धी विकेंद्रिकरण किया जायगा। विभिन्न उपभोक्ता एवं कृषि सम्बन्धी उद्योगों का स्थापना विकेंद्रिकरण के आधार पर की जायगा। राजस्वार्थी एवं साक्ष्य सुविधाएँ प्रदान कर इन उद्योगों के विकास में नवीन साहसियों एवं सहकारी संस्थाओं का प्रोत्साहित किया जाना है। इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की अनुमति बड़े उद्योगपतियों को नहीं दी जायगी।

गर-कृषि राजगार व्यवस्था

गर कृषि राजगार के अवतरण में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु समस्त रण में उद्योग एवं विकेंद्रित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना आवश्यक है। छोटे छोटे नगरों में इन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना हेतु तात्रिक प्रगति प्राप्त 'यत्तियों' का प्रबंध विस्तार एवं सत्ता जोषा से सम्बन्धित अपकालीन प्रगति प्राप्त की व्यवस्था की जायगी। इन 'यत्तियों' का सहकारी संस्थाएँ संगठित करने योग्य क्षत्रा में कृषि यंत्रों की मरम्मत आदि की सेवाओं की इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रात्माहित किया जायगा। लघु उद्योगों के विकास के लिए मध्यम श्रेणी की तात्रिकताओं की स्थापना भी की जायगी जिनका सरलता से लघु उद्योगों में उपयोग किया जा सकेगा और 'यत्तियों' अधिक कुशलता से किया जा सकेगा।

सिंघाई—निर्माणाधीन सिंघाई-परियोजनाओं की पूर्ति को विचार्य महत्व दिया जायगा तथा पूर्ण हुई परियोजनाओं को समता का पूर्ण उपयोग किया जायगा। सिंघाई की नवीन परियोजनाओं पर विचार प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक नदी-घाटी के दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर किया जायगा। प्रत्येक नवीन परियोजनाओं का विस्तृत ध्यौरा तयार किया जायगा तथा उनका 'यत्तियों' एवं

सामों का ठाक ठाक अनुमान लगाया जायगा। जिन क्षेत्रों में विविध धर्मों का औसत कम है उनको आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायगा। पाँचवीं योजना में सम्मिलित विषय जाने वाले दीर्घकालीन सिचार्ज कार्यक्रमों पर प्रारम्भिक वायु चतुष्टय योजना में ही कर लिया जायगा।

गति—विद्युत् परिष्कारों में नई निम्नाग्राहक परिष्कारों की शीघ्र पूर्ति एवं पूर्ण दृष्टि योजनाओं की समाप्ति व पूर्ण व्यवस्था का विशेष महत्त्व दिया जायगा। विद्युत् वायुमय दण्ड व सभी पाँच क्षेत्रों में विद्युत्-व्यवस्था के पूर्ण-परिष्कार पर आधारित होंगे। चतुष्टय योजनाका नए नए क्षेत्रों में विद्युत् लाइनों का एक जाल सा बिछा देने का लक्ष्य है। इसका विशेष अन्त-प्रारम्भिक तथा अन्त-क्षेत्रीय लाइनों का निर्माण-कार्य बन्द होना आवश्यक है।

परिवहन

विद्युत् सौकर्यों में कुल विनियोग का दो भाग परिवहन के विकास पर व्यय किया गया जिसमें आधिव प्रगति में परिवहन का भागों की पूर्ण वायुमय बन चुका। परिवहन की परिष्कारों की शीघ्रता में पूर्ण हस्ता है और इन पर विनियोग भी बढ़ी मात्रा में करना हस्ता है। इसदिग इस क्षेत्र के विनियोजन-कार्य में निर्धारित करके समय-समय पर व्यवस्था की आवश्यकताओं का ध्यान में रखा जायगा। अथ व्यवस्था की परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्णता में आगे बढ़ने का विशेष महत्त्व, सड़क परिवहन उद्योग उद्योगों में परिवहन तथा हार्ड उद्योग सभी प्रकार के परिवहन के उद्योगों में अनुसंधान-परिष्कार का आवश्यक है।

बन्दगाहों के विकास एक ठेक पर आवश्यक सुविधाओं की वा-विशेष ध्यान दिया जायगा। भारतीय उद्योगों एवं उद्योग-संस्थाओं की वा-संस्थाओं को अधिक प्राथमिकता दी जाना आवश्यक है। उद्योग-संस्थाओं का विशेष रूप में विनियोजन क्षेत्रों में निर्माण का विशेष महत्त्व-परिवहन में सुधार करना होगा। उद्योग-व्यवस्थाओं के आधिव व्यवस्था का रूप देने के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार-परिष्कार की पर्याप्त व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक होगा। उद्योग-संस्थाओं के मात्रा-पान की क्षमता में वृद्धि तथा हार्ड उद्योगों में सुधार करने पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा।

गिन्या—गिन्या सम्बन्धी कार्यक्रमों में विनियोजित महत्त्वपूर्ण आधिवों का सम्मिलित किया जायगा।

(क) विद्युत् क्षेत्रों एवं क्षेत्रों तथा आधिवों के लिए प्राथमिक गिन्या की व्यवस्था करनी होगी और प्राथमिक गिन्या के क्षेत्र में होने वाले उद्योगों का काम करने का प्रयत्न किया जायगा।

(ख) माध्यमिक एवं उच्च गिन्या में और अधिक उद्योग सभी क्षेत्रों का प्रदान करना आवश्यक होगा। आधिवों की क्षमता के कारण-संस्थाओं के विस्तार में विनियोजित करना आवश्यक होगा। चतुष्टय गिन्या के स्तर का दस्तावे-रूप के लिए अधिक प्रयास करना होगा।

(इ) तांत्रिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील धन शक्ति की भविष्य की माँग के अनुमान के आधार पर शिक्षा प्रणाली की जाति सामूहिक क्रम में आविष्कार के अधिक लागू का तांत्रिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली करने में राष्ट्रीय साधना का अपेक्षित न हो।

(ई) साधना का विस्तार करना आवश्यक होगा। इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं के कार्य में सम वय स्थापित किया जाएगा।

(उ) ऐसे व्यक्तियों का सुविधा के लिए जो शिक्षा संस्थाओं का प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण पीछे छोड़ दिये हैं जातिक समय (Part time) शिक्षा तथा डाक पाठ्यक्रमों की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

(ऊ) शिक्षा के गुणों में सुधार करने के लिए शिक्षकों का सम्मानना एवं स्तर में सुधार, भारतीय शैक्षणिक प्रणाली का प्रयोग तथा शिक्षार्थी संस्थाओं का स्तर में सुधार करने होगा।

स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना एवं उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक प्राथमिकता देना आवश्यक होगा। ईला और पाइनेरिया के प्रभाव से पीड़ित क्षेत्रों में जल प्रवाह (Drainage) तथा जल पूर्ति (Water Supply) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार स्थानांतरण संस्थाओं द्वारा ही करना होगा जिसमें स्थानीय साधनों में ही यह सुधार किया जा सके। स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा करने वाले से कुछ मासुली राशि भी वसूल की जाएगी। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के अतिरिक्त उद्योगों एवं मण्डलों में स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जाएगी।

परिवार नियोजन—परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी और इस १० वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम समझा जाएगा। इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। इसमें गांधी कार्य की भी आवश्यकता है।

शहरी क्षेत्रों का विकास

शहरी व नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना के कारण नागरिक सुविधाओं का स्तर गिर गया है तथा मंदी बस्तियों की संख्या में वृद्धि हो गया है। इसीलिए शहरी क्षेत्रों के विकास-कार्यक्रमों में नूतन आय के धन के लिए निवास घृणों का निर्माण मंदी बस्तियों की सफाई व सुधार, यातायात, जल पूर्ति तथा जल प्रवाह के कार्यक्रमों में संचालित करना आवश्यक होगा।

अनुसूचित जातियों और वर्गों की स्थिति में सुधार

अनुसूचित वर्गों एवं जातियों की स्थिति में सुधार करने हेतु विद्यमान योजनाओं में जो विशेष कार्यक्रम संचालित किए गए, वह इस माध्यम पर आधारित थे कि इस

समुदाय का अर्थ-व्यवस्था के सामाज्य विकास का भी लाभ प्राप्त होगा परन्तु पिछले अनुभवों से यह स्पष्ट है कि इस समुदाय को सामाज्य जांचिक प्रवृत्ति से कम ही लाभ प्राप्त हुआ। अनुभव योजना में ऐसी कार्यवाहियाँ मन्वीरित करने के विशेष प्रयत्न किए जायेंगे जिनके द्वारा इस समुदाय को आर्थिक प्रवृत्ति एवं सामाजिक मृदाओं का उचित लाभ प्राप्त हो सके।

आर्थिक सत्ताका विवेकीयकरण तथा एकाधिकता

भारतीय अर्थ-व्यवस्था एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत जांचिक क्रियाका की विभिन्न विधियों में सह अस्तित्व हुआ है। यद्यपि इनमें से प्रत्येक विधि के अपने उद्देश्य प्राप्ताह तथा कार्य मचासन के तरीके हुए हैं परन्तु इन सभी का अन्तिम लक्ष्य जन समाज का अधिकतम हित होता है। इस उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित नगटन-मक मृदाएं किए जायेंगे।

(अ) उचित मूल्य की दुकानें—उचित मूल्य की दुकानों को मूल्य-स्तर का नियंत्रण तथा उपमात्ता वस्तुओं के उपयुक्त वितरण का प्रमृव माध्यम समझा जायगा परन्तु इन दुकानों की अन्तर्गत सहायके उपमात्ता मृदाओं एवं बहु-उद्देशीय सहायके सहायके के अधिकार एवं नियंत्रण में कर दिया जायगा अर्थात् जहाँ तक यह दुकानें सरकार द्वारा किए कीटे (Quota) का नियंत्रित मूल्य पर वितरण करती हैं परन्तु बहुप योजना में यह प्रयत्न किया जायगा कि सहायके मस्याएं खुले बाजार एवं सरकार से उपमात्ता-वस्तुएं उपलब्ध कर उचित मूल्य पर बचे और मृदाकायोगों को रोकने में सहायक हों। प्राथमिक क्षेत्रों में इस प्रकार की सहायके मस्याओं का विस्तार किया जायगा।

(आ) सहायके एजेन्सी द्वारा प्रायात—उभावश्यक आयात का रोकने तथा प्रायात की गयी सामग्री का उचित वितरण करने हेतु आयात का कार्य सहायके एजेन्सियों द्वारा किया जायगा। इन एजेन्सियों में राजकीय स्वापार नियम, वणिज एवं धानु स्वापार नियम, साधान नियम आदि सम्मिलित होंगे।

(इ) निर्यात और सहायके एजेन्सी—जिन वस्तुओं के आन्तरिक एवं विदेशी मूल्यों में अर्थिक अन्तर ही उनका निर्यात राजकीय स्तर पर करना उपमात्ता होगा। जब आन्तरिक मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक हों तब आन्तरिक मृदाओं को आयात मूल्य का भुगतान किया जा सकता है यदि एक विदेशी विनिमय मृदा की मृदाका इस उद्देश्य से कर ली जाय। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, आन्तरिक मूल्य में अर्थिक होने पर इस प्रकार की संचित की स्थापना की जानी चाहिए। बड़े पैमाने पर आयात निर्यात करने वाली सहायके एजेन्सी को नवीन वस्तुओं के निर्यात-प्रवर्तन का कार्य भी करना चाहिए।

(ई) निर्यातों की पुनर्तम करना—निर्यात एवं आयात का उद्देश्य अर्थ क्षेत्रों में मूल्य एवं वितरण नियंत्रण को पुनर्तम करना उचित होगा। जहाँ भी इन

नियंत्रणों का उपयोग किया जायगा, उनका उद्देश्य एवं क्रिया-व्ययन विधि को स्पष्ट-रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए।

(ब) विनियोजन, प्रवर्ण एवं प्रावटन की वर्तमान नियंत्रण विधि—लाइसन्स-निगमन पूंजी निगमन नियंत्रण तथा आयात की मात्रा पर प्रतिबंध मन्नाप्यप्रद नहीं रहा है। नियंत्रण की इस समस्त विधि का निःतपणात्मक अध्ययन करना आवश्यक होगा। इस विधि के स्थान पर उद्योगों में प्रवर्ण एवं संचालन का स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए और प्रतिस्पर्धा द्वारा कार्यकुशलता एवं सामान के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जायगी। परन्तु कुछ सामानों का कमी हानि के कारण उच्च उपयोग का निर्दिष्ट दिनांशों में लगाने के लिए समस्त औद्योगिक क्षेत्र के विनियोजन का स्वतंत्र नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जा नीति अपनायी जा सकती है उसके मुख्य तत्त्व निम्न प्रकार हैं

(१) समस्त आधारभूत एवं सामरिक महत्त्व के उद्योगों जिनमें विनियोजन एवं विदेशी विनिमय की अधिक आवश्यकता होती है के सम्बन्ध में आवश्यकता से योजनाएँ तैयार की जाय और उनका लाइसेंसिंग किया जाय। लाइसेंस प्राप्त निजी एवं सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए सात विन्गी विनिमय दुर्लभ सामानों आदि का उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

(२) जिन उद्योगों में पूंजीगत उपकरणों के लिए ही विदेशी विनिमय का आवश्यकता होती है उनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। इन उद्योगों की कुल पूंजीगत उपकरणों की आवश्यकता का कुछ प्रतिशत जैसे १०% विदेशी विनिमय दिया जा सकता है। विदेशी विनिमय का विवरण नियमित होना चाहिए और पूंजीगत उपकरणों में सम्बद्ध विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं की जाँच पूंजीगत उपकरण समिति द्वारा की जानी चाहिए। जिन उद्योगों में निर्वाह सम्बन्धी उपकरणों की निरन्तर आवश्यकता होती है उनका लाइसेंसिंग जारी रखना आवश्यक होगा।

(३) जिन उद्योगों में पूंजीगत उपकरण अथवा कच्चे माल के लिए विन्गी विनिमय की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें लाइसेंसिंग से मुक्त कर देना चाहिए। इन उद्योगों को निजा क्षेत्र में विपणन की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए परन्तु सधु एवं परम्परागत उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने हेतु वर्तमान सुविधाएँ जारी रखी जा सकती हैं।

(४) इस बात का भी ध्यान रखा जाना होगा कि निर्वाह-सम्बन्धी उपकरणों का आयात विनियोजन से मुक्त, बीजारा तथा अन्य कच्चे माल को किस सामान्य आधार पर नियंत्रण से मुक्त किया जा सकता है और उन पर उचित तटीय शुल्क लगाया जा सकता है। विदेशी विनिमय से संरक्षण की पद्धति का फिर से अपनाया जा सकता है और तटीय कर के अतिरिक्त निर्दिष्ट काल के लिए संरक्षण कर भी लगाया जा सकता है।

(१) वार्षिक त्रियाश्रों व कुछ विशेष क्षेत्रों में केंद्रित होने से इन क्षेत्रों में सामाजिक एवं वार्षिक सेवाएँ प्रदान करने का लागत बर्तों का नहीं है। मन्त्रिम्य में पत्राचार क्षेत्रों का विकेंद्रित करने की योजना पर सश्रिय विचार करना होगा।

एजाग्रिनाए पर नियन्त्रण

निर्जी क्षेत्र में नवीन औद्योगिक उद्योगों का स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करने में प्रतिस्पर्धा बढ जायगा जिससे फलस्वरूप वार्षिक मन्त्रिम्य व केंद्रोत्पन्न एवं एजाग्रिकरण स्थापित करने की सम्भावनाएँ कम हो जायेंगी। इस उद्योग में मसुदा द्वारा अधिनियम बनाया जा रहा है जिसके द्वारा अनुचित केंद्रोत्पन्न तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक नीतियों का निर्धारण किया जायगा। एजाग्रिकरण एवं केंद्रोत्पन्न करने पर नियन्त्रण करने व लिए निम्नलिखित जय बाधवारिणा करने का ना सुझाव है

(अ) सिद्धान्तरूप से नवान लागूयेत किसी औद्योगिक मन्त्रिम्य का जब ही दिए जाय जब उसका द्वारा पूरा म प्राप्त लाइसेन्सों की स्पर्धाओं की जय करनी जाय।

(आ) वित्तीय संस्थाओं की सार्वभौमिती की पुनरावृत्ति की जायगी जिससे सार्व का अनुचित अनुपात बढ औद्योगिक कृष्ट प्राप्त न कर सकें। इसमें स्थापित राष्ट्रीय सार्व परिषद् (National Credit Council) उर्ध्व व्यवस्था में प्राप्त की पूर्ति का नियंत्रित करेगी। बाजता द्वारा निष्कारित विशेष प्रकार की औद्योगिक उद्योगों तथा विशेषज्ञ क्षेत्र में सार्व का प्रवाह निर्दिष्ट किया जायगा। इसके साथ ही एक जोर, धनी एवं साधनयुक्त उद्योगपरिषदों तथा विनियमित क्षेत्रों और दूसरी बाज, विपुल रूप से भी क्षेत्रों एवं गरीब उद्योगों तथा उपन्यासों का प्राप्त होने वाली सार्व एवं उसकी गतों का भेद का कम किया जायगा।

(इ) सरकार जब किसी औद्योगिक मन्त्रिम्य का प्रबंध करने काय में सरम्भ के रूप में न हो उसे उस मन्त्रिम्य का पूरा अथवा वार्षिक अधिकार उपन हाय में देना चाहिए। इसी प्रकार शासकीय वित्तीय मन्त्रिम्य (जीवन बीमा निगम सहित) का उन् कम्युनियों में जितमें इस मन्त्रिम्यों में विनियोजन किया है, वार्षिकारियों के पूरा अधिकारों का उन्कारण करना चाहिए। इस प्रकार बढ उन्कारणें कम्युनियों में निर्दिष्ट है प्रभावित कर सकेंगी और विविध व्यवस्थाओं का अधिक प्रभावशाली टा में काम कर सकनी है।

(ई) प्रबंध अधिकारों प्रशासी की समन्धि पर विचार किया जा रहा है। यह समन्धि प्रभावशाली होना चाहिए।

विकास एवं वितरण

चतुर्थ योजना में विकास व प्रवासी का तीव्र करने के साथ-साथ विकास के सामा का निवृत्त एवं विधन का तक पहुँचाना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। प्रती

राष्ट्रों में राजकोषीय (Fiscal) मुख्य एवं अन्य नीतियों द्वारा आय का हस्तान्तरण नियम बग का किया जाना है परन्तु नियम राष्ट्र में इन नीतियों को महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त नहीं होनी हैं। इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकास को लेने के सभी स्तरों में से जाना आवश्यक है और इसके लिए विकास की आवश्यक सुविधाएँ एवं सेवाओं का विस्तार सभी स्तरों पर किया जाना चाहिये।

रोजगार

रोजगार के अवसरों में और अधिक वृद्धि करना चतुर्थ योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। रोजगार का प्रकार ऐसा होना चाहिए कि और अधिक विकास में सहायक हो। कृषि के क्षेत्र में गर निश्चित कृषि, लघु कृषकों तथा ग्राम शक्ति का उत्पादन के साधन के रूप में पूणत उपयोग पर विशेष ध्यान देने से लाभप्रद रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के बिके-डीयकरण तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने से भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए जनोपयोगी सेवाओं का विस्तार करना आवश्यक होता है। सभी शिक्षा एवं स्वास्थ्य-सेवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त पीछड़े क्षेत्रों में भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्रों द्वारा भी पिछड़े एवं निधन बग को सुविधा पहुँचायी जायगी।

आय एवं उपभोग की विषमताओं में कमी

विकसित नगरों के क्षेत्रों में भूमि के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण अनुपाजित आय कुछ घनी वर्गों को प्राप्त होती है। इस अधिक आय को विकास के लिए उपलब्ध बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

कम्पनियों और फर्मों के अधिकारियों को प्राप्त होने वाले पारिश्रमिकों एवं लाभों को भी सीमित करना आवश्यक होगा। इस प्रकार जन अधिकारियों एवं सावजनिक उत्तरदाओं पर होने वाले व्ययों की जाँच करना आवश्यक है।

विषमताओं को कम करने का दूसरा तरीका यह भी है कि सामान्य नागरिकों की जनोपयोगी सेवाओं और सार्वजनिक प्रशासन के सम्बन्ध में स्थिति सुधारी जाय। सामान्य नागरिकों को जनोपयोगी सेवाओं का पूणत लाभ प्रदान कर उनके उत्थान को दूर किया जा सकता है।

उपसंहार

चतुर्थ योजना के दिगानिर्देश पत्र में आर्थिक प्रगति की दर ५% (घन-वृद्धि) प्रति वर्ष प्राप्त करना सम्भव लक्ष्य माना गया है। सन् १९६०-६१ में (सन् १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर) राष्ट्रीय आय लगभग ३० ००० करोड़ ६० अनुमानित है। इस राष्ट्रीय आय का प्रति से यदि चतुर्थ योजना प्रारम्भ होगी तो चतुर्थ योजना

वाल में ५% प्रति वर्ष (चलवृद्धि) प्रगति की दर से राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धियाँ कुल मिलाकर पाँच वर्षों में २४००० करोड़ २० (सन् १९६०-६९ के मूल्याँ पर) होना चाहिए। दूसरी बार, राज्य एवं केंद्रीय सरकार को २०० करोड़ २० प्रति वर्ष अतिरिक्त अर्थ-साधन प्राप्त करना आवश्यक बताया गया है अर्थात् पाँच वर्षों में कुल मिलाकर २००० करोड़ २० के अतिरिक्त अर्थ-साधन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा जुटाने हैं। यह राशि राष्ट्रीय आय की कुल वृद्धियों (अर्थात् २४,००० करोड़ २०) की १०.४% है। इस प्रकार इन अर्थ-साधनों की प्राप्ति कोई कठिन कार्य नहीं होना चाहिए यदि राज्य सरकारों द्वारा राजस्व के विभिन्न साधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करें।

दूसरी ओर, योजना-आयोग के अनुमान वतमान आन्तरिक बचत की दर २०% है जो प्रगति के लक्ष्य की पूर्ति हेतु १०% तक बढ़ाना आवश्यक होगा। आन्तरिक बचत की दर में इनकी वृद्धि होने पर राजस्व के पाँच वर्षों में ३,००० करोड़ २० की अनिश्चित बचत होगी जो कुल राष्ट्रीय आय की वृद्धि की २९% होगी। इस प्रकार अतिरिक्त आय से विभाग के लिए पर्याप्त अर्थ-साधनों का प्राप्त करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक होगा कि बचत करने के लिए प्रभावशाली प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ बट्टे पैमाने पर प्रदान की जायें और इस सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में बचत करने के लिये विशेष प्रयास किए जायें।

इस में सरकारी औद्योगिक व्यवसायों का संचालन कुछ सफलतापूर्वक नहीं किया जा सका है और विभिन्न समितियों (विगेपन्डर ह्यूरी-समिति) द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकारी मूल्य नियंत्रण औद्योगिक सामग्रियों के वितरण पर नियन्त्रण तथा औद्योगिक इकाइयों के सार्वजनिक करने की दृष्टि से देश में आर्थिक समानता लाने के बजाय आर्थिक असाक्षरों के केन्द्रीयकरण की प्राप्ति का विनाश किया है। इन तथ्यों की ध्यान में रखकर चतुर्थ योजना में सरकारी नियंत्रणों को छोड़ा करने तथा निजी क्षेत्र के उपयोग एवं व्यवसायों का प्रतिस्पर्धा के आधार पर संचालित करने का लक्ष्य रखा जाना है। सम्भवतः यह मायता है कि अनासक्तता लाने के लिए सरकारी क्षेत्र का तीव्र गति से विस्तार आवश्यक है। कुछ सीमा तक त्याग ही यही है। सरकारी नियंत्रणों का अब न्यूनतम उपयोग किया जाना है और उनके स्थान पर विपणि-वाणिज्यताओं की फिर से आवश्यकता प्रदान की जा रही है। अर्थात् व्यवस्था में इस प्रकार के मूलभूत परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता है परन्तु इतना अवश्य ध्यान देने योग्य है कि सरकारी-नियंत्रणों की छूटों की निजी क्षेत्र निधन वगैरे कोषों के लिए किस सीमा तक उपयोग कर सकेगा? इस नियंत्रणों का प्रमुख उद्देश्य निर्दिष्ट दिशा में विकास के आर्थिक विषमताओं को कम करना रहा है। क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति नियंत्रणों को छोड़ा कर की जा सकेगी, यह सन्देहास्पद है।

चतुर्थ योजना के दिग्गो निर्देश पत्र में मूल्य को बढ़ने से रोकने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और इन दुकानों को अन्ततः सहकारी उपभोक्ता भण्डारों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। महकारी संस्थाओं का संचालन अभी तक अपने देश में सफल नहीं रहा है। चतुर्थ योजनाकाल के अन्त तक क्या यह सहकारी भण्डार इतने सुदृढ़ एवं कुशल हो जायेंगे कि उचित मूल्य की दुकानों के उद्देश्यों का पूर्ति कर सकें यह सन्देहास्पद प्रतीत होता है।

चतुर्थ योजना में सामाजिक विषयों को कम करने के लिए उद्योगों के विवेकीकरण, क्षेत्रीय अमनुष्यता को कम करने विकास-कार्यक्रमों का फलदायी रूपान्ता में करने रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने आदि का आयोजन करने का सुभाष योजना आयोग ने दिया है। यह सभी कार्यक्रम पिछला तीन योजनाओं में भी सम्मिलित किए गए थे परन्तु इनका सफलता कुछ सराहनीय नहीं रही। चतुर्थ योजना में विकास कार्यक्रमों का अंग के सभी क्षेत्रों में फलदायी का जो प्रस्ताव है यदि यह प्रभावशाली अंग से क्रियाचरण किया जा सके तो निश्चय ही एक क्षेत्र का विकास तीव्र ही सम्भव हो सकेगा। विकास कार्यक्रमों का फलदायी स्थानीय नागरिकों की सामाजिक स्वीकृति के आधार पर होना चाहिए क्योंकि जनसाधारण इसमें पर्याप्त रुचि नहीं रख सकते हैं। सामाजिक स्वीकृति कार्यक्रमों के स्थानीय महत्व एवं सहायता विधि पर निर्भर रहता है। इन दो बातों की ओर अभी कुछ भी निर्देश स्पष्ट नहीं किए गये हैं।

चतुर्थ योजना के दिग्गो निर्देश पत्र से यह भी आभास होता है कि अभी तक जो नीतियाँ हमारी योजनाओं का आधारबिन्दु बनीं रही उनमें अब योजना आयोग का विश्वास नहीं के बराबर रह गया है और चतुर्थ योजना में नीतियों का इतना अधिक हर फेर प्रस्तावित है कि चतुर्थ योजना का स्वरूप क्रियाचरण एवं विधियाँ पहले की तीन योजनाओं से बड़ी सीमा तक भिन्न रहेंगी। इसका यह नतीजा भी हो सकता है कि चतुर्थ योजना हमारा नियोजित अब 'योजना की स्वाभाविक' नहीं होकर अपने आप में एक पृथक कार्यक्रम का स्वरूप बन सकती है। यह नवीनता विकास के लिए दरदान अथवा अभिगान दोनों ही बन सकती है।

योजना आयोग ने इस पत्र द्वारा अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। इस पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि योजना आयोग ने अब एक संलाहकार संस्था का रूप ग्रहण कर लिया है। अन्तिम निष्पत्ति सरकार को ही करने हैं। योजना आयोग ने तो इस पत्र में केवल उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के लिए अपनायी जान वाली आवश्यक नीतियाँ प्रस्तावित की हैं।

प्रस्तावित चौथी पंचवर्षीय योजना, सन् १९६९-७४
 [Draft Fourth Five Year Plan 1969-74]

[उद्देश्य, व्यय एवं विनियोजन जर्ज-साधन—चातू जाय के प्रतिष्ठित, सार्वजनिक व्यवसायों का जादिकर निवेश देव के गेके गये नाम सार्वजनिक गुरु, ननु बचत, वापिकी क्रमा गज प्रावि प्रिष्ठ निनि विविध पूँजीगत प्राप्तिर्षा चोवन शोना निगम द्वारा नरुण, विदेशी महानता हीनार्थ प्रवन्धन, प्रसिक्त साधनों को व्यवस्था निजी क्षेत्र का विनियोजन, विदेशी साधन, दत्त एव कार्यक्रम इपिज्ञेव निचाई, शक्ति, प्रमीगु एव ननु उद्योग उद्योग एव स्वनिज मातायात एव सुचार, मनाज-सेवा, योजना की आलोचना, सन् १९६९-७० वर्ष को योजना आयोजित व्यय, जर्ज-साधन, योजना के लक्ष्य]

नवम्बर सन् १९६७ में पुनर्गठित योजना-आयोग ने विद्यमान परिस्थितियों का अध्ययन कर यह मुन्दाव प्रस्तुत किया कि चौथी योजना का प्रारम्भ १ अप्रैल, सन् १९६९ का न होकर १ अगस्त सन् १९६९ को किया जाय। योजना-आयोग ने इस मुन्दाव को स्वीकार कर दिया गया और दूसरी योजना एव चौथी योजना के नाम के तीन वर्षों का तीन वार्षिक मातृकाओं द्वारा पूरित किया गया। अनुषंग योजना का इस प्रकार तीन वर्षों में स्थान दिया गया जिससे इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय जर्ज-साधन्या प्रादुर्भूत, प्रादिक सौत्रिक सज्जिहर्षों ने गणतों में मुक्त होकर मानाय स्थिति में था जय बलू ने विवास-सन्धकी निन्द गेना मुक्त ही सके। योजना के स्थान के सचातु म ही सहाय चौथी योजना के निर्माण का जर्ज प्रारम्भ कर दिया गया। नवीन अनुषंग योजना के प्रस्तावित प्रारम्भ को राष्ट्रीय विधान परिषद की १९ व २० अगस्त सन् १९६९ की बैठकों में प्रतिभ रूप दिया गया और २१ अगस्त, सन् १९६९ को यह प्रारम्भ लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

अनुषंग योजना के वर्तमान प्रारम्भ को प्रस्तावित करने के पूर्व योजना-आयोग ने इस योजना की नीतियों एवं कार्यक्रमों का विगानिर्देशन कर सन् १९६८ में प्रस्तावित किया था। इस विगानिर्देशन में यह उचित किया गया था कि अनुषंग योजना की नीतियों एवं कार्यक्रमों को तीन मुख्य उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित किया जायगा। और यह उद्देश्य थे—(१) स्थिरता के साथ प्रादिक प्राप्ति (२) मान-

निभरता (Self Reliance) की ओर यथासम्भव तीव्र गति से अग्रसर होना तथा (३) क्षेत्रीय सन्तुलन ।

उद्देश्य

चौथी योजना में देश की आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं को इस प्रकार गतिमान करने का प्रस्ताव है कि यह स्थिरता के निर्वाह एवं आत्म निभरता की ओर अग्रसर होने के लिए उपयुक्त एवं अनुकूल हो । योजना के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध हो सकने वाले समस्त साधनों तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले साधनों का अधिकतम उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है । योजना का बुनियादी उद्देश्य समानता एवं सामाजिक न्याय का प्रोत्साहित करने वाले उपायों द्वारा जनता के जीवन-स्तर को द्रुत गति से उंचा उठाना है और जनसामान्य निम्न वर्गों तथा कम अधिकार प्राप्त लोगों पर विशेष बल देना है । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना में यथासंभव प्रयास किया गया है—

(क) नियोजन के द्वारा आय एवं सम्पत्ति का वितरण में अधिकाधिक समानता लायी जाय ।

(ख) आय सम्पत्ति एवं आर्थिक शक्ति के क्षेत्रीयकरण में प्रयत्न किया जाय ।

(ग) विकास का लाभ समाज के उन लोगों को अधिकाधिक प्राप्त हो जाय जिनको अपेक्षाकृत कम अधिकार प्राप्त है विशेषकर अनुसूचित जाति आदि जातियों को विशेष आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों का आश्रय देने पर विशेष ध्यान दिया जाना है ।

चौथी योजना में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि आर्थिक एवं सामाजिक संस्थाओं का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाय कि इनके द्वारा एक ओर द्रुत गति से आर्थिक प्रगति हो सके और दूसरी ओर यह प्रगति देश में सामाजिक न्याय स्थापित कर सके । विकास के सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति विकास के प्रकार एवं माग पर निर्भर रहती है और यह विकास माग आर्थिक एवं सामाजिक संस्थाओं के संगठन एवं संचालन पर निर्भर होता है । योजना में इसी कारण सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने का आवश्यकता को महत्वपूर्ण समझा गया है और प्रजातंत्रिक मूल तत्वों को अंगीकार देने के लिए सामान्य नागरिक में योजना के भागीदार की भावना उत्पन्न करने को महत्व दिया गया है । निम्न वर्गों में उद्यम की भावना को बढ़ावा देना तथा समाज के समस्त वर्गों को समाज के निर्माण में सम्मिलित करने की आवश्यकता को मायता प्रदान की गयी है ।

यदि हम वर्तमान प्रस्तावित चौथी योजना के उद्देश्यों एवं स्वर्गित चौथी योजना तथा पिछली तीन योजना के उद्देश्यों से तुलना करें तो हम जान सकते हैं कि योजना भाषा में उद्देश्यों को अधिक विस्तृत रखने की परम्परा को छाड़ दिया है और उद्देश्यों का सविस्तर विवरण देकर केवल तीन आधारभूत लक्ष्यों में सम्बद्ध कर दिया है और यह लक्ष्य हैं— आत्म निभरता सामाजिक एवं आर्थिक समानता एवं द्रुत गति

में विकास। इन लोगों की पूर्ति हेतु किस क्षेत्र की विन्यास महत्व दिया गया है इसका विवरण उद्देश्यों की सूची में नहीं सम्मिलित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि योजना के उद्देश्य जब केवल एक आदर्श की आर इंगारा करते हैं और इस आदर्श की किम निर्दिष्ट सीमा तक पूर्ति की जा सकती है, इस सम्बन्ध में उद्देश्यों में कोई विवरण सम्मिलित नहीं किया गया है। ग्राह्यरण के लिए, स्थिति चौथी योजना के उद्देश्यों का जयवाहन करने से पता होता है कि आरम नियंत्रण एक मुख्य स्तर का स्थिर रखने के उद्देश्यों के अनिच्छित रूप से एक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का प्रयोग के लक्ष्य की स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार जनसंख्या की वृद्धि का राशन एक समाज सेवाओं की उपयुक्त व्यवस्था करने के उद्देश्यों का भी आधारभूत उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया था। वर्तमान चौथी योजना में उद्देश्यों का सुनिश्चित करने के लक्ष्य केवल उन्हीं आदर्शभूत क्षेत्रवाली उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है जो चौथे काल तक योजना के आधारभूत लक्ष्य रहने वाले हैं और जिनकी सम्पूर्ण उपरति कई योजना द्वारा भी सम्भव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार इस उद्देश्य-सूची में एक मात्र चौथी योजना के उद्देश्यों का ठीक पता नहीं प्राप्त होता है और न ही विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों (Economic Sections) के सम्बन्धित योजना की प्राथमिकताओं का स्पष्टीकरण होता है।

व्यय एवं विनियोजन

प्रस्तावित चौथी योजना का कुल व्यय २४,२६८ करोड़ ६० निर्यात किया गया है जिनमें से १४,३६८ करोड़ ६० सरकारी क्षेत्र का व्यय होगा और १०,००० करोड़ ६० का विनियोजन निजी क्षेत्र में होने का अनुमान है। सरकारी क्षेत्र के व्यय में से १२,२५२ करोड़ ६० का विनियोजन और ११,१४६ करोड़ ६० खास व्यय के लिए आयाजित है। इस प्रकार योजनाकाल में कुल विनियोजन २२,२५२ करोड़ ६० होने का अनुमान लगाया गया है। सरकारी क्षेत्र की कुल आयाजित राशि में से ७,२०७ करोड़ ६० केन्द्रीय परिवर्तनात्मक के लिए, ६,०६६ करोड़ ६० राज्यों की योजनाओं के लिए ३,६८ करोड़ ६० केन्द्र-गामित प्रणालियों की योजनाओं के लिए तथा ७,२७ करोड़ ६० केन्द्र द्वारा संचालित कारखानों के लिए आवेगित किया गया है। योजना के व्यय में इन अनुमानों की के राशियाँ प्रायः सम्मिलित नहीं की गयी हैं जो स्थानीय मन्त्रालों द्वारा अपने माधनों से विकास-कार्यक्रमों पर व्यय की जायेंगी। इसी प्रकार विकास-मेवालों एवं मन्त्रालों जिनकी स्थापना पहले की योजनाओं में की गयी है, के निर्वाह-व्यय का भी योजना के व्यय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

चौथी योजना में राशियों का प्रदान की जाने वाली केन्द्रीय सहायता के वितरण की विधि एवं प्रकार में भी परिवर्तन कर दिया गया है। आन्ध्र, नागालैण्ड तथा जम्मू एवं कश्मीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात्, जो केन्द्रीय सहायता के लिए राशि उपलब्ध होगी, उसका ६०% आरम विभिन्न राज्यों में उनकी जनसंख्या के

अनुपात में वितरित किया जायगा १०% भाग उन राज्यों को दिया जायगा जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय से कम है तथा १०% भाग प्रति व्यक्ति आय के सन्दर्भ में करारोपण के प्रयासों के आधार पर वितरित होगा। १०% भाग उन राज्यों को दिया जायगा जिनमें बड़ी निचोई एवं शक्ति परियोजनाओं (जो जारी हैं) के सम्बन्ध में अधिक व्यय होना है। शेष १०% राशि राज्यों में विशिष्ट समस्याओं के निवारणार्थ वितरित की जायगी, जैसे बाढ़ सूखा आदिवासी क्षेत्र आदि।

अभी तक राज्यों को केन्द्रीय सहायता विशिष्ट परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राशि दी जाती थी परन्तु चौथी योजना में यह सहायता एकमुश्त राशि के रूप में दी जायगी जिसका उपयोग राज्य अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न परियोजनाओं पर कर सकते हैं। केन्द्र द्वारा संचालित परियोजनाओं की मागत केन्द्रीय सरकार ही वहन करेगी और इन परियोजनाओं में के ही सम्मिलित की जायेंगी जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करेंगी—

- (१) जो प्रदत्त लघु परियोजनाओं (Pilot Projects) सर्वेक्षण एवं गणना कार्य में सम्बद्ध हों,
- (२) जिनका क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व हो
- (३) जिनके प्रारम्भिक संचालन के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता हो और इसके बाद ही इसको विभिन्न क्षेत्रों में बाँटना सम्भव हो
- (४) जिनका अखिल भारतीय महत्त्व हो।

चौथी योजना के व्यय का वितरण विभिन्न मद्दों पर तालिका सं० १०१ व अनुसार किया गया है।

चौथी योजना के प्रस्तावित व्यय एवं विनियोजन का अध्ययन करने से हम शाल होता है

(१) वर्तमान प्रस्तावित चौथी योजना का सरकारी क्षेत्र का व्यय सन् १९६६ की प्रस्तावित चौथी योजना के व्यय से लगभग २००० करोड़ रु० कम है जिसके फलस्वरूप चौथी योजनाकाल के प्रत्येक वर्ष में सरकारी क्षेत्र का व्यय पिछली तीन वार्षिक योजनाओं के लगभग बराबर ही होगा। इन तीन वार्षिक योजनाओं में निही मूलभूत नीतियाँ एवं कार्यक्रमों को सहायोजित एवं प्रारम्भ नहीं किया गया जिसे दूसरे शब्दों में इन प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि इन तीन वर्षों में योजना का अवकाश रहा और अथ यवस्था में केवल सामान्य विनियोजन ही किया गया। यदि चौथी योजना के प्रारम्भिक वर्षों में भी व्यय एवं विनियोजन की गति योजना अवकाश काल के समान रहती है तो विकास की तीव्र गति की सम्भावना करना उचित नहीं कहा जा सकता है।

(२) चौथी योजना के विनियोजन के प्रकार का अध्ययन करने से हम पान

होता है कि निजी क्षेत्र को कुल विनियोजन का ४५% भाग आयाजित किया गया है जबकि तृतीय योजना में यह प्रतिगत केवल ३६% ही था। निजी क्षेत्र में १० ००० करोड़ रु० के विनियोजन का अनुमान लगाया गया है जो तृतीय योजना के ४१०० करोड़ रु० के विनियोजन पर १४४% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि चौथा योजना में निजी क्षेत्र के महत्व को बढ़ा दिया गया है।

(३) सावजनिक क्षेत्र में होने वाले विनियोजन में प्रथम योजना का तुलना में द्वितीय योजना में १३३% की और द्वितीय योजना की तुलना में तृतीय योजना में ६०% की वृद्धि हुई परन्तु तृतीय योजना की तुलना में चतुर्थ योजना में सावजनिक क्षेत्र का विनियोजन केवल ६७% ही अधिक है। अभी तक की योजनाओं में सावजनिक एवं निजी क्षेत्र के विनियोजन का अनुपात निम्न प्रकार रहा है—

	सावजनिक क्षेत्र के विनियोजन का कुल विनियोजन से प्रतिगत	निजी क्षेत्र के विनियोजन का कुल विनियोजन से प्रतिगत
प्रथम योजना	६३	३७
द्वितीय योजना	११	४६
तृतीय योजना	६३	३७
चतुर्थ योजना	५५	४५

इन आँकड़ों से यह प्रतीत होता है कि तृतीय योजना तक भारतीय योजना की प्रवृत्ति जारी रही कि सावजनिक क्षेत्र को विकास विनियोजन का अधिक भाग आयाजित किया जाता रहे और इसीलिए सावजनिक क्षेत्र का प्रतिगत भाग बढ़ना रहा परन्तु चौथी योजना में इस प्रवृत्ति को मोड़ दे दिया गया है और निजी क्षेत्र के प्रतिगत अंश का बड़ा दिया गया है। निजी क्षेत्र का १० ००० करोड़ रु० की जो विनियोजन राशि आयाजित की गयी है इसका निर्धारण में निजी क्षेत्र से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है।

(४) यद्यपि चतुर्थ योजना का मौद्रिक ऋण एवं विनियोजन पिछली तीन योजनाओं से अधिक प्रतीत होता है परन्तु मन्त्रिमूल्य स्तर की वृद्धि के कारण में हम इसका अध्ययन करें तो हम जानेंगे कि सन् १९६०-६१ के मूल्यों के आधार पर चतुर्थ योजना का कुल वास्तविक ऋण १३३१५ करोड़ रु० (मन्त्र १९६०-६१ का शीर्ष मूल्य निर्देशिका १२४ ए तथा सन् १९६७-६८ का २१७ ए) और सरकारी क्षेत्र का वास्तविक व्यय २३७० करोड़ रु० के लगभग आता है। तृतीय योजना में सरकारी क्षेत्र का वास्तविक व्यय २५७७ करोड़ रु० था अर्थात् चतुर्थ योजना का सरकारी क्षेत्र का व्यय तृतीय योजना से सन् १९६०-६१ मूल्यों के आधार पर कम है तथा चतुर्थ

१ विनियोजन अनुपात Notes on Approach to the Fourth Plan—6 में दो विनियोजन राशियाँ के आधार पर बताये गये हैं :

याचना का कुल व्यय भी तृतीय योजना के व्यय (८४७७ ४१६०) से केवल १८८ करोड़ २० ही अधिक है। इन विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋण्य योजना का आकार लगभग तृतीय योजना के समान ही है।

(५) ऋण्य योजना के सम्मिलित पांच वर्षों में आयाजित राशि का इन प्रकार विवरित किया जायगा कि विनियोजन की दर राष्ट्रीय आय से १३.८% और बचत १२.६% अर्थात् १९७३-७४ तक हो जाय। अर्थात् १९६७-६८ वर्ष में विनियोजन एक बचत की दर से ११.५% एक ८.०% अनुमानित थीं।

(६) जहाँ तक योजना के व्यय वितरण का सम्बन्ध है, कृषि क्षेत्र का जो राशि आयाजित की गयी है वह तृतीय योजना की सामूहिक राशि की तुलना में १५ गुना है परन्तु उद्योगों में की गयी आयाजित राशि में तृतीय योजना का तुलना में ८०% अधिक है जहाँ तक न्यायों के महत्व का चौथी योजना में उदाहरण रखा गया है। यानायात एवं संचार पर तृतीय योजना में कुल व्यय का २०.१% व्यय किया गया है जबकि चौथी योजना में इस मद के लिए २०% राशि निर्धारित की गयी। चौथी योजना में उपरिस्थित-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष आयाजित किये गए हैं। शक्ति के विकास के लिए आयाजित राशि का कुल व्यय से प्रतिगत तृतीय योजना के समान ही है।

अर्थ साधन

ऋण्य योजना के अर्थ साधनों के अनुमान तृतीय योजना एवं तीन आर्थिक योजनाओं में विभिन्न स्तरों से उपाध्य साधनों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि योजनाकाल में २०० अथवा ३०० करोड़ २० के अतिरिक्त साधन प्रति वर्ष प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा। विभिन्न स्तरों से अर्थ-साधन निम्न प्रकार प्राप्त हान का अनुमान लगाया गया है—

राशिका म० १०२—सम्भावित ऋण्य योजना के अर्थ-साधन

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	मद	कन्द द्वारा	राशियों द्वारा	योग
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
(१)	बजट के अंतर्गत (जीवन बीमा निगम एवं राज्य सरकारों के व्यवसायों द्वारा धातारों के लिए गये ऋणों का संचालन)	६,८६८	२,१४४	७,०१२
(२)	अर्थात् १९६८-६९ की दर दरों के आधार पर चारू आय का अतिरिक्त	२,२४१	१००	२,३४१
(३)	सावजनिक व्यवसायों का अर्थात् १९६८-६९ की दरों-सूचियों के आधार पर अतिरिक्त (अ) देशों का अतिरिक्त	१,१७४	४४४	१,६१८
		२६४	—	२६४

(व) अय व्यवसायों का अनिरेक	६१०	५५५	१ ४६५
(४) रिजर्व चक्र का रोका हुआ लाभ	१३३	३२	१६५
(५) सावजनिक ऋण	७५०	४१६	१ ११६
(६) लघु बचत	२७४	५२६	८००
(७) बाणिकी जमा अनिवाय जमा इनामी बाण तथा स्वयं दाण्ड	—१०४	—	—१०४
(८) सरकारी प्राविधिक निधि	३४३	२६७	६४०
(९) विविध पूंजीगत प्राप्ति (गुड)	१ ६४२	—११२	१ १३०
(१०) जीवन बीमा निगम से ऋण तथा राज्य व्यवसायों का बाजार से ऋण	—	१४३	३४३
(अ) राज्य सरकारों को गृह निर्माण एवं जलपूर्ति हेतु जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	—	६६	६६
(ब) राज्य व्यवसायों के बाजार से ऋण	—	११६	११६
(म) जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य व्यवसायों का ऋण	—	१३१	१३१
(११) विदेशी सहायता	२ ५१४	—	२ ५१४
(अ) PI ४८० के अतिरिक्त	२ १३४	—	२ १३४
(ब) PL ४८० के अंतर्गत	४८०	—	४८०
(१२) बजट में समस्त साधन (१ + १० + १६)	६ ४८९	१ ४५७	१०,८३६
(१३) अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था	१ ६००	१ १०६	२ ७०६
(१४) हीनाय प्रबंधन	८५०	—	८५०
समस्त अय साधन (१२ + १३ + १४)	११ ८३२	२ ५६६	१४ ४९८
(१५) राज्यों की योजनाओं की सहायता	—३ ५००	३ ५००	—
(१६) समस्त साधन (गुड)	८ ३३२	६ ०६६	१४ ४९८

चालू आय से अतिरेक

सन् १९६८-६९ के मूल्यों के आधार पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का अनुमानित चालू आय २ ४५५ करोड़ रु० है। इस राशि के निर्धारण में यह मान लिया गया है कि योजनाकाल में खाद्य अनुदान (Food Subsidy) महा दा जायगा कम चारिया के मंहगाई भत्ते एवं वेतन स्तर में वृद्धि नहीं होगी तथा घर-प्याजना-व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगी। राज्य सरकारों द्वारा केवल १०० करोड़ रु० हा चालू आय से अनिरेक का अनुमान लगाया गया है। पिछली योजनाओं के अनुभवों से यह बात है कि घर योजना-व्यय में निरन्तर तीव्र गति से वृद्धि होती रही है और किया भी योजना में चालू आय का अनिरेक अनुमान के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है। प्रायः चालू आय से अनिरेक के रचान पर हीना ही होती रही है।

सावजनिक व्यवसायों का आधिस्य

सन् १९६९-७० वर्ष के बजट में रेलों के विकास कार्यक्रमों के लिए अनुमान

२१ करोड़ ₹० अनुमानित है परन्तु चतुर्थ यात्रना में गन्-यात्रा एवं भारा में आर्थिक गतिविधि बढ़ने से वृद्धि होने का अनुमान है जिससे जनस्वच्छ रेलों में २६५ करोड़ ₹० खर्चान ५३ करोड़ ₹० प्रति वर्ष औसत में विकास के लिए उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया है। तृतीय यात्रना में रेलों द्वारा खर्च ६० करोड़ ₹० ही विकास कार्यक्रमों के हेतु अनुदान दिया गया। तीन वार्षिक यात्रनाओं के अन्तर्गत र्णों में अनुमान के स्थान पर होनता अनुमानित है। इस हीनता की गति उभरकर १० करोड़ ₹० हो चुकी है। विद्युती यात्रनाओं के अनुभवों के आधार पर -नों में ५० करोड़ ₹० प्रति वर्ष प्राप्त करना अत्यन्त अनिर्वाणी अनुमान प्रतीत होता है। हाइ एन वार विभाग द्वारा २०५ करोड़ ₹० विकास के लिए उपलब्ध होने का अनुमान लगाया है जबकि चार्ज बप (सन् १९६६-७०) के खर्च में इस खर्च से १० करोड़ ₹० प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया। यह अनुमान भी कुछ अनिर्वाणी प्रतीत होता है। केन्द्र सरकार के अन्य व्यवसायों से चतुर्थ यात्रना में ६०५ करोड़ ₹० प्राप्त होने का अनुमान है जबकि चार्ज बप में इस खर्च में १०० करोड़ ₹० प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया। राज्य सरकारों के व्यवसायों में राज्यों के विद्युत् मन्त्रालयों द्वारा ५१० करोड़ ₹० प्राप्त होने का अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि यात्रना-वास में गति का अधिक उत्पादन एवं विकास होगा। ४० करोड़ ₹० राज्यों के अन्य व्यवसायों से प्राप्त होने का अनुमान है। सन् १९६०-६६ में राज्य सरकारों के व्यवसायों से केवल ७६ करोड़ ₹० प्राप्त होने के अनुमान हैं।

रिज़र्व बैंक के रोके गये ऋण

अभी तक की यात्रनाओं में रिज़र्व बैंक द्वारा अपने राक गये ऋणों में न का ऋणादि द्वारि एवं औद्योगिक विनिमोजन के लिए दिए जाव न न्दें योजना के प्रा-जनिक क्षेत्र का अर्थ नहीं माना जाता था परन्तु चौथी यात्रना में न्न परिमोजनार्णों के, का विकास की प्रवृत्ति की हों, का वह समस्त अर्थ का रिज़र्व बैंक द्वारा जर्ण दीर्घकालीन उधारण फण्डों (Operations Funds) के लिया जाता हो, योजना के सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इस मद में रिज़र्व बैंक द्वारा २० करोड़ ₹० राज्य सरकारों की सहायरी संस्थाओं के ऋण-पूजो में भाग लेने के लिए दिना आया तथा १३३ करोड़ ₹० अन्य कार्यक्रमों हेतु दिए जाने का अनुमान है।

सार्वजनिक ऋण

तृतीय योजनाकाल में ७१५ करोड़ ₹० के द्वितीय एवं राज्य सरकार की दीर्घ-कालीन प्रतिभूतियों के अन्तर्गत प्राप्त हुआ। सन् १९६६-६७ एवं सन् १९६७-६८ वर्षों में इस मद में क्रमशः २२२ करोड़ एवं २१६ करोड़ ₹० प्राप्त हुआ। इन मांडलों को आधार मानते हुए चौथी यात्रना में १९६ करोड़ ₹० सार्वजनिक ऋण (गुड) के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है।

सघु बचत

सन् १९६८-६९ वष में सघु बचत के अन्तगत प्राप्त होने वाली गुठ राशि १२० करोड़ रु० थी। परिवारा एव कमचारी प्रावीडेंट फण्ड से इस मद में वस्तुय योजना में अधिक धनराशि प्राप्त होने की सम्भावनाओं के आधार पर ८०० करोड़ रु० की उपलब्धि का अनुमान लगाया गया है।

वार्षिकी जमा

वार्षिकी जमा योजना एक अनिश्चित जमा व समाप्त हो जाने के कारण १०४ करोड़ रु० था। इनकी जमा राशि के छोड़न का अनुमान लगाया गया।

राज्य प्राविधिक निधि

अथवा कमचारी प्रावीडेंट फण्ड के अन्तगत सन् १९६८-६९ में केंद्र एव राज्य सरकारों के कमचारियों के प्रावीडेंट फण्ड में १० करोड़ रु० जमा होने का अनुमान है। चौथी योजना में इस मद के अन्तगत ६४० करोड़ रु० प्राप्त हान का अनुमान है।

विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ

इस मद में अन्तगत केन्द्रीय सरकार की १९४२ करोड़ रु० चौथा योजना में प्राप्त हान का अनुमान है। इस राशि में अधिकतर भाग राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार का ऋणों के शोधनस्वरूप दिया जायगा। दूसरी ओर, राज्य सरकारों द्वारा इस नीयत के अन्तगत ८१२ करोड़ रु० का शोधन करना होगा। राज्य सरकारों को अपने ऋणों के शोधनार्थ ८५० करोड़ रु० अपनी सारू आव से भी देना होगा। इस प्रकार पूंजीगत प्राप्तियों के अन्तगत गुठ राशि ११३० करोड़ रु० अनुमानित है।

जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

अभी तक की योजनाओं में जीवन बीमा नियम द्वारा जा ऋण राज्य सरकारों को गृह निर्माण एवं जलपूर्ति के लिए दिये जाने से सरकारी क्षेत्र के योजना-भ्यय में सम्मिलित नहीं किए जाते थे। अब इन ऋणों की राशि को योजना में एक अथ साधना में सम्मिलित कर लिया गया है। इनके अनिश्चित राज्य सरकारों के व्यवसायों द्वारा १३१ करोड़ रु० जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त होने का अनुमान है। यह व्यवसाय जनता से ११६ करोड़ रु० ऋण प्राप्त कर सकेंगे यह अनुमान लगाया गया है।

विदेशी सहायता

चौथी योजनाकाल में ३,७३० करोड़ रु० की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें से १,२१६ करोड़ रु० विदेशी ऋणों के शोधन पर व्यय हो जायगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा १,०३६ करोड़ रु० तथा १८० करोड़ रु० सार्वजनिक व्यवसायों द्वारा विदेशी ऋणों का शोधन किया जायगा। इस प्रकार योजना के विकास-कार्यक्रमों के लिए २५१४ करोड़ रु० विदेशी सहायता से उपलब्ध होने का अनुमान है।

हीनार्थ प्रयत्न

पनुप योजना के अन्तगत मास्तविक आय में वृद्धि होने के कारण अधिक मुद्रा

पूँजी की आवश्यकता हाना स्वभाविक है। योजना के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधि में अधिक सक्रियता आने के कारण अधिक मुद्रा का आयोजन आवश्यक समझा गया है। इन्हीं कारणों से योजना में ८५० करोड़ रु० के हीनाथ प्रवर्धन का आयोजन किया गया है।

अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था

प्रस्तावित ऋण्य योजना में २७०६ करोड़ रु० के अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करना योजना के त्रिपान्चकन के लिए आवश्यक समझा गया है। इस राशि में से १,१०० करोड़ रु० राज्य सरकारों द्वारा और १६०६ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित किया जाएगा। अतिरिक्त साधन प्राप्त करने के लिए सांख्यिक मन्त्रालयों का सामनप्रद संचालन अधिक लघु सचत प्राप्त करना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अतिरिक्त कर—विशेषकर कृषि-आयों एवं नगरों की सम्पत्ति पर आदि का उपना किया जाना है। निम्नलिखित कार्यवाहियों द्वारा अतिरिक्त साधन प्राप्त करने का प्रयत्न किए जान हैं—

(१) विद्युत व्यवस्थापन में उपयुक्त की जानी जाती पूँजी का १५% तक साम प्राप्त करने की कार्यवाहियों का आयण, जैसा राज्य विद्युत मन्त्रालयों के संचालन में सम्मिलित समिति (विद्युतदारमन समिति) ने सुझाव दिया है और त्रिपे सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

(२) राज्य सरकारों का अपनी व्यापारिक सिंचाई परियोजनाओं त्रिमें बन्धु-उद्देश्यीय परियोजनाएँ भी सम्मिलित हैं, में लगभग ८१ करोड़ रु० की आर्थिक हानि बहन करनी पड़ती है। निजसिंचाया समिति के सिफारिशों को त्रिपान्चन करके इस हानि का साम में बदला जा सकता है। इस समिति ने सिफारिश की है कि सिंचाई का मुक्त सिंचाई से प्राप्त हान वाले साम का २५ से ४०% हाना चाहिए। उन परियोजनाओं के संचालन एवं निर्वाह व्यय की पूँजी हनु अधिगुण्य की लगाया जा सकता है।

(३) जगोपयोगी सेवा सम्बन्धी व्यवसायों की छारकर अथ सांख्यिक क्षेत्र के औद्योगिक एवं व्यापारिक व्यवसायों में उपयोग होने वाली पूँजी के १५% तक साम की बहाया जाय और इस प्रकार प्राप्त होने वाले अतिरिक्त साधनों का उपयोग इन्हीं व्यवसायों के विकास एवं विस्तार के लिए किया जाय।

(४) ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरिक्त साधन प्राप्त करने हनु ग्रामीण ऋणपत्रों का निर्गमन किया जाय और इस प्रकार प्राप्त साधनों का उपयोग ग्रामीण जनता का साम प्रदान करने वाली परियोजनाओं पर किया जाय।

(५) कृषि आयकर का विस्तार एवं मुधार किया जाय जिससे समस्त राज्यों में इस कर की समान दरें हो जाय तथा इसकी दरें केन्द्रीय नैर-कृषिकरों के बराबर हों।

(६) वस्तुओं पर सख्त बाले वरा म बढ़ाकर केवल साधना को ही नहीं बढ़ाया जा सकता है बल्कि अन्य आर्थिक उद्देश्या की पूर्ति भी ना जा सकता है। बिजली वर की दरा म दश भर म समानता लायी जाय और जहाँ इसकी दरें कम हैं उह बढ़ाया जाय।

(७) आय एव सम्पत्ति वर को अधिक प्रभावशाली बनाया जाय। समस्त कर दय आय को करो के जाल म माने के लिए बाध्य किया जाय, आय एव सम्पत्ति का उपहार आदि के रूप म विभक्त करने पर राक लगाया जाय जीवनकाल म जा घन राखय किया जाय उस पर आयकर वर लगाया जाय तथा पूर्जागत क्षामा पर अधिक कठारता से वर लगाया जाय म यम आय वर के लोगा पर अधिक आयकर लगाया जाय।

(८) विकासामुल्ल नागरिक क्षेत्रो म भूमि क मूल्य म अनुपाजित वृद्धि हा रहा है। भूमि पर होने वाला हम अनुपाजित मूल्य वृद्धि पर वर लगाकर प्राप्त साधना का उपयोग नगरा के विकास कामजमा पर व्यय किया जाय।

(९) कर प्रातसाहना का उमवे उद्देश्य पूर्ति क पयचात समाप्त कर अनिरिक्त प्राप्त किये जा सकत हैं।

चतुथ योजना म अतिरिक्त अय साधन प्राप्त करना सम्भव हा सकगा या नहा इस प्रषम पर विचार पिछली योजनाओ क अनुभवा क आधार पर किया जा सकता है। भारताय अय यवस्था के नियाजनकाल भी सबसे बडी विनेपता यह है कि अतिरिक्त वरारोपण द्वारा निर तर साधनो म वृद्धि होती रही और अभी तक की पाजनाओ म अतिरिक्त करों से प्राप्त होत वाली राशि अनुमान स अधिक रही है। चतुथ पाजना के कामजमा द्वारा जब स्वचालित विकास की ओर एव पदन और आग वगन का सद्य रस्ता गया है यह अत्यन्त आनयक है कि हम विदेगी सहायता पर स अपना निभरता को कम करना चाहिए और इसके लिए हम अपन आन्तरिक साधना का बढ़ाना आवश्यक है। आन्तरिक साधनो की बढाल क अतिरिक्त वरारोपण एक महत्वपूर्ण साधन है। तृतीय योजना मे योजना क वास्तविक व्यय का २०% भाग और ताउ वार्षिक योजनाओ म लगभग ४०% भाग विदेगी सहायता द्वारा प्राप्त हान का अनुमान है पर तु चतुथ योजना के कुल सरकारी धोक के व्यय का केवल १७.५% भाग ही विदेगी सहायता द्वारा प्राप्त करने का अनुमान है। इस प्रकार चतुथ योजना म विदेगी सहायता पर निभरता कम और आन्तरिक साधनो की वृद्धि को अधिक महत्व प्रदान किया गया है।

पिछली तीन योजनाओ के अतिरिक्त साधना क प्राप्त करने क प्रयासा का सफरता से यह प्रतीत होता है कि चतुथ योजना म भी अतिरिक्त साधनों की उर लयि सम्भव हो सकगी। अतिरिक्त वरारोपण क सम्बध म पिछला तीन पाजनाओ म परिस्थिति निम्न प्रकार था —

तालिका न० १०३—अतिरिक्त व उपरोक्त विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत

वर्ष	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	चतुर्थ योजना के अनुमान
अतिरिक्त करारोपण का योजना में लक्ष्य (बराबर रुपये में)	—	४१०	१३१०	२३०६
अतिरिक्त करारोपण द्वारा वार्षिक रूप में प्राप्ति (करोड़ रुपये में)	२७०	१०५०	२५००	—
अतिरिक्त करारोपण का योजना के लक्ष्य में प्रतिशत	१०५	२६	२०	१६
अतिरिक्त करारोपण का वार्षिक औसत	१४	२१०	१४०	१४०
अतिरिक्त करारोपण का औसत राष्ट्रीय आय में प्रतिशत	०.११	१.२०	३.०	१.५
कुल कर-आय (बराबर रुपये में)	७६३	१,२५०	२,६०५	—
कुल कर का राष्ट्रीय आय में प्रतिशत (योजना के अन्तिम वर्ष में)	७.७	६.६	१.४	—
अतिरिक्त कर (रुपये)	१,४०	२०	१,०६२	४६

करारोपण-सम्बन्धी इस तालिका से स्पष्ट है कि चौथी योजना में जो अतिरिक्त उप-सापत्नप्राप्ति का आवेगन किया गया है उसके द्वारा उतना पर अधिक भार नहीं पड़ेगा और योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आय में इतनी अतिरिक्त वृद्धि हो सकेगी कि अतिरिक्त कर राष्ट्रीय आय का केवल १.५% ही होगा। तृतीय योजना में जो अतिरिक्त करारोपण का भार रहा है चौथी योजना के अतिरिक्त करारोपण से उस भार में कुछ कमी हो होने की सम्भावना की जा सकती है।

यदि इतिहास पर वाटनीय करारोपण किया जा सके, सरकारी व्ययों में इनमें लगभग ३००० करोड़ २० विनियोजित है, जो कम से कम ६% तान पर संचालित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय दत्त का विस्तार किया जा सके, ग्रामीण क्षेत्रों में बेह-बसा को बढ़ाया जा सके जो अतिरिक्त व्ययों की प्राप्ति में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी।

निजी क्षेत्र का विनियोजन

निजी क्षेत्र व सम्बन्ध म अस्पष्ट अनुमानों के अनुसार निजी क्षेत्र में योजना काल में १३६०० करोड़ रु० की बचत उद्घोष होगी। परिवाराएव सहकारी क्षेत्र का बचत १२०४० करोड़ रु० तथा १८६० करोड़ रु० समाहित क्षेत्र (Corporate Sector) में बचत होना अनुमान है। निजी क्षेत्र की इस बचत की राशि में से ३६३० करोड़ रु० व द्रोप एव राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक क्षेत्र को ऋण के रूप में ले लिया जायगा और इस प्रकार ६६७० करोड़ रु० आंतरिक बचत और कुछ राशि विदेशी सहायता से निजी क्षेत्र को प्राप्त होने का अनुमान है। इही अनुमानों के आधार पर योजना में निजी क्षेत्र का विनियोजन १०००० करोड़ रु० आयाजित किया गया है।

विदेशी भाषण

चतुर्थ योजनाकाल में ६६३० करोड़ रु० के आयात की आवश्यकता का अनुमान है। इसमें से ७८३० करोड़ रु० निर्यात सम्बन्धी आयात, अर्थात् कच्चा माल एवं अन्य प्रसाधन जो कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक होंगे, होगा। निर्यात सम्बन्धी आयात में रसायनिक खाद, कीटाणुनाशक खाद एवं अनाज तन् रसायन असीह धातु विविध प्रकार का इस्पात तथा मशीनों के पुर्जों एवं औजार सम्मिलित हैं। निर्यात सम्बन्धी आयात के अतिरिक्त १३०० करोड़ रु० परि योजना आयात अर्थात् विभिन्न परियोजनाओं के लिए मयत्र एवं मशीनों के आयात पर व्यय किया जायगा। नेप ५०० करोड़ रु० की राशि आयातों के आयात पर योजना के प्रथम दो वर्षों में व्यय होगी। अहम मदों में अन्तर्गत १४० करोड़ रु० का अधिशेष व्यय होगा क्योंकि सामान्य कमीशन सीमा अर्थात् के सम्बन्ध में विदेशों को अधिक भुगतान करने की आवश्यकता होगी। विदेशी ऋणों व दीर्घ एवं पात्र अर्थात् के सम्बन्ध में २२८० करोड़ रु० की विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी २८० करोड़ रु० का योगदान चतुर्थ योजनाकाल में किया जायगा। इस प्रकार विदेशी ऋणों के दीर्घ एवं व्याज की छाड़कर १००५० करोड़ रु० व विदेशी विनिमय की आवश्यकता चतुर्थ योजना में होगी। वर्तमान गति एवं कार्यक्रमों के अनुसार चतुर्थ योजनाकाल में १७५० करोड़ रु० की कुछ विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। इस राशि की उपलब्धि तब ही हो सकेगी जब योजनाकाल में ४०३० करोड़ रु० की विदेशी सहायता का उपयोग किया जाय क्योंकि इसमें से २२८० करोड़ रु० विदेशी ऋणों एवं उनके व्याज के साधन के लिए उपयोग हो जायगा। योजना काल में ३८० करोड़ रु० की खाद्यान्नों की सहायता PL 480 के अन्तर्गत प्राप्त होने का अनुमान है और नेप २६५० करोड़ रु० अन्य विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है।

१००५० करोड़ रु० की विदेशी विनिमय की आवश्यकता में से १७५० करोड़

२० की विदेशी सहायता द्वारा पूंति की आवश्यकता और न्यून ८२०० करोड़ ₹ का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। मन् १९६८-६९ में १०४० करोड़ ₹ का निर्माण होने का अनुमान है। इसे मन् १९७३-७४ तक १९०० करोड़ ₹ तक बढ़ाना आवश्यक होगा अर्थात् योजनाकाल में ७% प्रति वर्ष वृद्धि दर से पूंति में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।

**वनुय योजना के तन्त्र एवं कार्यक्रम
कृषि क्षेत्र**

वनुय योजना के कृषि क्षेत्र व विज्ञान-आयुक्तों के दा मुख्य लक्ष्य है— प्रथम कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत वर्षों के काल में विज्ञान की १% वार्षिक वृद्धि करना ही कृषि करना तथा विज्ञान-जनसंख्या के प्रथम-समय अर्थिक में अर्थिक का का जिनमें लघु कृषक तथा गुण-श्रेणी व कृषक को सम्मिलित हों को विज्ञान-आयुक्तों में भाग लेने तथा विज्ञान का लाभ पाने के योग्य बनाना। इन लक्ष्यों को पूंति के लिए कृषि क्षेत्र के कार्यक्रमों के दा प्रकार हैं—कृषक को अधिकतम करने के कार्यक्रम तथा कृषि क्षेत्र के जनसंख्या को समायोजन करने वाले कार्यक्रम।

कृषि एवं उससे सम्बन्धित महायुक्त कार्यक्रमों के लिए योजना में २२१७४४ करोड़ ₹ का व्यय आवेक्षित है। इस व्यय का विवरण विभिन्न ञों पर निम्न प्रकार किया गया है—

तालिका नं० १०४—कृषि एवं महायुक्त क्षेत्रों में वनुय योजना में व्यय विवरण

(करोड़ ₹)

क्रम संख्या	विवरण	लाभोन्मुख व्यय
(१)	कृषि उत्पादन	२१० ०३
(२)	छोटी सिंचाई-परियोजनाएं	४.५ ६७
(३)	कृषि-सुरक्षा	१११ ०८
(४)	क्षेत्र विज्ञान	२६ ४१
(५)	पशु पालन	६० ६१
(६)	कुन्याता एवं कुम्ह-वृद्धि	४२ ११
(७)	सड़की उद्योग	८१ ४७
(८)	वन	६० ३०
(९)	गोदान, सस्यारक्ष एवं विपणन	६५ २४
(१०)	राज्य-अविधिकरण	१२ ६०
(११)	कृषि-संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता	२५३ ००
(१२)	बफर स्टॉक (Buffer Stock)	१०२ ००
(१३)	सानुदायिक विज्ञान सहायता एवं सहायता	०६७ ००

योग २०१७४४

कृषिक्षेत्र के ऋण वितरण से भात होता है कि लघु सिंचाई-परियोजनाओं एवं कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत भूमि पर एक भूमि के अन्दर के जल के साधनों की परि योजनाओं को, जिनमें प्रत्येक की लागत १५ लाख रु० से कम है सम्मिलित किया गया है। चतुर्थ योजना के कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किये गये हैं—

तालिका स० १०५—चौथी योजना में कृषिक्षेत्र के लक्ष्य

क्रम संख्या	गद	इकाई	चतुर्थ योजना का लक्ष्य (१९७३-७४)
(१)	लाघास	लाख टन	१२६०
(२)	फूट	लाख गठ	७४
(३)	कपास	लाख गठ	८०
(४)	तिलहन	लाख टन	१०५
(५)	गन्ना (गुड़)	लाख टन	१५०
(६)	बहुफल क्षेत्र	अतिरिक्त साक्ष	६०
(७)	भूमि सुरक्षा	हेक्टेयर	५५
(८)	भूमि को कृषि योग्य बनाना	हेक्टेयर	१०
(९)	बड़ा एवं मध्यम परियोजनाओं से उत्पन्न ऋण सिंचाई का उपयोग	हेक्टेयर	४२
(१०)	अधिक उपज के बीजा का उपयोग	हेक्टेयर	१५५
(११)	माइक्रोजिडस खाद का उपयोग	लाख टन (N)	३७०
(१२)	फास्फेटिक खाद का उपयोग	लाख टन P_2O_5	१८०
(१३)	पोटासिक खाद का उपयोग	लाख टन K O	११०

चतुर्थ योजना में लाघास के उत्पादन में ३१.६%, कपास के उत्पादन में ३३%, गन्ना के उत्पादन में २५% फूट के उत्पादन में १६% तथा तिलहन के उत्पादन में २४% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्पादन में वृद्धि करने हेतु गहन खेती को ही अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि भूमि के परिमाण में विशेष वृद्धि करना सम्भव नहीं है। गहन कृषि के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सम्मिलित हैं—

(१) सिंचाई का सुविधाओं का विस्तृत उपयोग तथा भूमि पर एक भूमि के अन्दर की जनपूति या अधिकतम उपयोग। सिंचाई की अन्तर्गत सुविधाओं का विशेष ध्यान के अन्तर्गत गहन फसल प्राप्त करने हेतु उपयोग।

(२) रासायनिक खादों की सुरक्षा सम्बन्धी सामग्री कृषि यंत्रों एवं साधनों की उपलब्धि में विस्तार।

(३) बनावटों के अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाओं का पूषतम शोध।

(४) चुन हुए उपयुक्त दौड़ों में व्यापारिक फसलों के उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए गहन प्रयास।

(५) कृषि विपणन-मदति में सुधार करके उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करना तथा मुख्य कृषि-फसल का यूनकम मूल्य का धारवाचन।

चतुर्थ योजना में छाट कृषकों की स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। इनके लिए इन दिनों का सिंचाई सुविधाओं, कृषि-साधन एवं पशु-पालन-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जायगी। पशु सिंचाई की परिधात्रनाओं की स्थापना राज्य सरकार, पंचायतों तथा अन्य उपयुक्त सम्थाओं द्वारा की जायगी। इसके अनिर्दिष्ट २० चुन हुए पिलों में पाइलट प्रयास किए जायेंगे। प्रत्येक जिले में एक लघु कृषक विकास मस्था की स्थापना की जायगी। इन परिधात्रना का केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है। यह यस्था लघु कृषकों की सम्थाओं का अध्ययन कर उन्हें कृषि के आवश्यक प्रसाधनों, सेवाओं एवं साधन की व्यवस्था करेगी। इस सुविधाओं का आयोजन वर्तमान सरकारी, सहकारी एवं निजी मथाओं द्वारा किया जायगा। आवश्यकता पडने पर यह मस्था स्वयं सिंचाई एवं अन्य सेवाओं की व्यवस्था भी कर सकती है। यह सम्था लघु कृषकों के लाभ के लिए आद्य विधान-परिधात्रनाएँ भी बनायेगी। इस प्रयोग की सफलता के आधार पर इसका अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जायगा।

सिंचाई

इस में भूमि के ऊपर के जल-साधनों की आर्थिक पूर्ति का अनुमान १ ६८० लाख हेक्टर मीटर लगाया है। इसमें से केवल ५६० लाख हेक्टर मीटर का मौलिक कारखानों से उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। सन् १९५१ के जल सन् केवल ९५ लाख हेक्टर मीटर अर्थात् कुल साधनों का १ भाग सिंचाई के लिए उपयोग होता था। तृतीय योजना के अन्त तक १८५ लाख हेक्टर मीटर अर्थात् सम्स्त पूर्ति का ३ भाग का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाने लगा था। चतुर्थ योजना ५० लाख हेक्टर मीटर पूर्ति का और उपयोग सिंचाई के लिए हान लगाएँ और इस प्रकार इस जलपूर्ति में से २५५ लाख हेक्टर मीटर अर्थात् ४६% भाग का उपयोग होने लगेगा। सन् १९६८-६९ के अन्त तक भूमि के ऊपर का जल उपयोग कर लगभग २६७ लाख हेक्टर मीटर भूमि की सिंचाई-समता उत्पन्न होने का अनुमान है और अब लगभग ३३७ लाख हेक्टर मीटर भूमि के लिए सिंचाई-सुविधाओं का विस्तार हो सकता है।

भूमि के अन्तर्गत के जल में से २२० लाख हेक्टर मीटर जल का सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है जिससे २२० लाख हेक्टर मीटर पर सिंचाई-सुविधाओं

का विस्तार किया जा सकता है। सन् १९६८-६९ के अन्त तक १०९ लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएँ बढ़ायी जाने का अनुमान है और अब केवल १११ लाख एकड़ और भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएँ उत्पन्न की जा सकती हैं।

दश म दृष्टि योग्य भूमि १ ९४० लाख हेक्टेयर है जिसमें १ ५८० लाख हेक्टेयर पर कृषि की जाती है और १ ३८० लाख हेक्टेयर भूमि का वाया जाना है। भूमि के ऊपर अब ऊपर के जल के साधनों से ८२० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकने का अनुमान है। अगले १५ से २० वर्षों में जलपूर्ति के बच भाग का उपयोग सिंचाई के लिए करने का सब्य रखा गया है। सन् १९६८-६९ के अन्त तक ५७५ लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाईक्षमता उत्पन्न की गयी जिसमें से ३६० लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई किये जान का अनुमान है।

सिंचाई की आयोजित राशि ९६४ करोड़ रु० में से ८७७ करोड़ रु० बड़ा एक मध्यम श्रेणी की परिवारजाओं तथा १०६८ करोड़ रु० बाढ़ निवारण के लिए आयाजित है। इसके अतिरिक्त दृष्टि योग्यता में ४७५७ करोड़ रु० सद्य सिंचाई तथा शक्ति में ३६३ करोड़ रु० शारील विद्युतीकरण के लिए आयोजित है। सिंचाई के लिए आयोजित व्यय में से ७१७ करोड़ रु० ऐसी परियोजनाओं के लिए आयाजित किया गया है जिन पर काम प्रारम्भ हो चुका है अथवा जो पूर्ण हान के समीप है।

चतुष्प योजनाकाल में बड़ा एक मध्यम श्रेणी की परिवारजाओं में ५७ १ हेक्टेयर एकड़ भूमि के अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएँ उत्पन्न हान का अनुमान है जिसमें से ४२ ५८ लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर इन सुविधाओं का उपयोग किया जायगा। योजना के अंत तक २४३ ८२ लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करने की क्षमता हो जान का अनुमान है।

शक्ति

शक्ति योजना में २०८५ करोड़ रु० का आयोजन शक्ति के विकास के लिए किया गया है इसमें से ९०९ करोड़ रुपया चातु शक्ति उत्पादन परियोजनाओं तथा १५२ करोड़ रु० नवीन शक्ति उत्पादन परियोजनाओं के लिए आयोजित है। ६४५ करोड़ रु० का आयोजन शक्ति के वितरण के लिए ५६३ करोड़ रु० का आयोजन शारील विद्युतीकरण के लिए तथा १६ करोड़ रु० का आयोजन जीव पन्नाल शक्ति के लिए किया गया है। शक्ति उत्पादन सम्बन्धी चातु परिवारजाओं द्वारा ६० लाख बिजलीघर शक्ति उत्पादन योजनाकाल में शरम्भ हो जायगा। सन्तान्तीह कोटाकुम्भ शक्ति योजनाकाल में श्यास, यमुना रामगंगा उनाई गंगाली इन्डोना चातानता द्वारा शक्ति का उत्पादन योजनाकाल में शरम्भ हो जायगा। सन्तान्तीह कोटाकुम्भ शक्ति योजनाकाल में श्यास, यमुना रामगंगा उनाई गंगाली इन्डोना चातानता द्वारा शक्ति का उत्पादन योजनाकाल में शरम्भ हो जायगा। योजनाकाल में शारील शक्ति परियोजनाओं को इस प्रकार आउन का प्रस्ताव

है कि समस्त भारत का एक ग्रिड (Grid) में सम्मिलित किया जा सके। ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत ७,४०,००० मिचार्ई पम्पों का विद्युतीकरण किया जायगा। एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना का भी आयाजित किया गया है जिसके लिए योजना में ४१ करोड़ ₹० का आयाजित किया गया है। यह निगम राज्यों के ग्रामीण विद्युतीकरण के चुने हुए कार्यक्रमों को त्रितीय सहायता प्रदान करेगा। निगम १०४ करोड़ ₹० के अनिश्चित साधन एकत्रित करेगा। निगम द्वारा जो वित्त प्रदान किया जायगा, उसके द्वारा ५,००,००० अनिश्चित पम्पों का विद्युतीकरण किया जा सकेगा। योजनाबद्ध में ७४६ लाख KW की अनिश्चित गति का क्षमता उत्पादन हान का अनुमान है और योजना के अन्त तक २१०७ लाख KW गति-उत्पादन करने का क्षमता हो जान का अनुमान लगाया गया है।

ग्रामीण एवं लघु उद्योग

चतुर्थ योजना के लघु एवं ग्रामीण उद्योगों से सम्बन्धित विकास-कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य यह है कि लघु उद्योगों में उत्पादन-तांत्रिकताओं में निरन्तर सुधार किया जा सके जिससे इनके द्वारा अच्छी ब्याक्ति की कम्पुओं का उत्पादन किया जा सके और यह उद्योग अपने परों पर खड़े होने के योग्य हो जाय। इसके अनिश्चित लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक कार्यक्रमों का विदेशीकरण एवं उद्योगों के छिनराव (Dispersal) की व्यवस्था की जानी है। औद्योगिक साहसिक व्यवस्था द्वारा लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों के साथ होने वाली प्रतिस्पर्धा से मुक्त प्रदान नहीं की जा सकी है और न ही बड़े नगरों में उद्योगों का ही शक्ति जा सका है। इसी कारण चौथी योजना में बहुत से उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त (Delicensing) किया जायगा। ऐसी परिस्थितियों में उद्योगों के छिनराव के लिए ऋण प्रदान (Positive) रायकार्तियाँ, जैसे साख-सुविधाओं की टीवी शर्तें, नून प्रति वार्षिक कर्च मानों की पर्याप्त उपलब्धि, तांत्रिक सहायता का आयोगन, अल्पे औजारों की व्यवस्था, करों में छूट मेदात्मक उत्पादन कर आदि, की जायगी। इसके अनिश्चित लघु एवं परम्परागत उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से मुक्त प्रदान करने के लिए वर्तमान उत्पादन सम्बंधी प्रतिवर्धों (Reservations) का जारी रखा जायगा तथा उनमें आप्रत्यक्षानुसार परिवर्तन एवं सुधार किया जायगा। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों का मगठन गृहकारी घरघाना के अन्तर्गत जहाँ तक उपयुक्त है किया जायगा। चौथी योजना के सायाजित व्यय २६१ करोड़ ₹० का विवरण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में तालिका न० १०६ के अनुसार दिया गया है।

आज की तालिकानुसार, मरवारो क्षेत्र के आयाजित व्यय २६४७१ करोड़ ₹० के अनिश्चित ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में १०० करोड़ ₹० निजी क्षेत्र में, जिसमें वित्तीय एवं अधिकांश सम्बन्ध सम्मिलित हैं विनियोजित किया जायगा। इसके अनिश्चित योजना के विविष्ट एवं विष्टे क्षेत्रों के विकास-कार्यक्रमों पुनर्वासि के कार्य-

तालिका सं० १०६—चौथी योजना में आजीवन एवं उद्योगों का सरकारी क्षेत्र में व्यय का वितरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	उद्योग	१९६६-६६ का अनुमानित व्यय	चतुर्थ योजना में आयोजित व्यय
(१)	सद्य उद्योग	५२ ४६	१०१ ७४
(२)	औद्योगिक संस्थान	७ ३५	१५ १५
(३)	हाथकरवा उद्योग एवं शक्ति करवा	१३ ८३	४२ ६८
(४)	खादी एवं ग्राम उद्योग	५४ ०३	६९ ४३
(५)	रेशम उद्योग	३ ७२	११ ३७
(६)	कारियन का रेशम उद्योग	१ २१	४ ४२
(७)	दस्तकारी	४ ८०	१४ ५२
(८)	ग्रामीण उद्योग परियोजनाएँ	६ ७०	४ ५०
(९)	सार्वजनिक का संग्रहण	—	० ६०
	योग	१४४ १३	२६४ ७९

धना, सहकारी प्रविधिकरण उद्योगों तथा औद्योगिक क्षेत्रों के कार्यक्रमों में भी ग्रामीण एवं सद्य उद्योगों के लिए राशिमाँ आयोजित की गया है।

उद्योग एवं रनिज

चतुर्थ योजना में सम्मिलित औद्योगिक विकास विनियोजन के निम्नलिखित तीन मुख्य उद्देश्य हैं—

(१) उन परियोजनाओं के विनियोजन का पूष करना जिनके लिए स्त्रीकृति की जा चुकी है।

(२) वर्तमान उत्पादनक्षमताओं को इस स्तर तक उन उद्योगों में बढ़ाना जिनके द्वारा अनिवापनाओं की वस्तुओं का बढी हुई माँग की पूर्ति होती है। आयान प्रतिस्थापन सम्बन्धी वस्तुओं का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हाँ सके तथा निर्वाण सम्बद्ध न के लिए पर्याप्त वस्तुएँ उपर प हो सके।

(३) आन्तरिक विकास एवं सुविधाओं का लाभ उठाकर नवीन उद्योगों अथवा उद्योगों के विस्तार के लिए नवीन आधार की स्थापना करना।

औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों द्वारा औद्योगिक संरचना के असन्तुलन को दूर करने तथा वर्तमान उत्पादनक्षमता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयत्न किया जायगा।

चतुर्थ योजना में ५ २०० करोड़ २० का विनियोजन समकित उद्योगों एवं रनिज क्षेत्र में किया जायगा। इस राशि में २ ८०० करोड़ ६० सरकारी क्षेत्र में और

₹ ४०० करोड़ ₹० निजी क्षेत्र में विनियोजित किया जायगा। सरकारी क्षेत्र में ना-
टिन उद्योगों एवं खनिज पर ₹,०६० करोड़ ₹० का व्यय का आयोजन है। इन राशि
में ₹५० करोड़ ₹० निजी एवं सहकारी क्षेत्र का विनीय नम्बराओं द्वारा वित्तियोजित
हा जायगा और ₹० करोड़ ₹० पीछे वाले उद्योगों व विकास-आयोजनाओं के लिए
रखा गया है और इन दोनों राशियों का कुल आयोजित व्यय में कम करत पर उद्योगों
क्षेत्र का विनियोजन ₹ ८०० करोड़ ₹० बचता है। ₹ ०६० करोड़ ₹० की आयोजित
व्यय की राशि में से ₹,६१० करोड़ ₹० केंद्रीय क्षेत्र में और ₹८० करोड़ ₹० राज्यों
एवं केंद्र प्रणमित क्षेत्रों द्वारा व्यय किया जायगा। केंद्रीय क्षेत्र की राशि का विन-
यन विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर निम्न प्रकार किया गया है—

तालिका सं० १०८—चतुर्थ योजना में केंद्रीय क्षेत्र के आद्योगिक एवं
खनिज में होने वाले आयोजित व्यय का वितरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	उद्योग का प्रकार	आयु परियोजनाओं पर व्यय	नवीन परियोजनाओं पर व्यय	योग
(अ)	उद्योगों पर आयोजित व्यय	१,१०८.३७	८६१.००	१,९६९.३७
(१)	आयु-सम्बन्धी उद्योग	६८०.४७	१,०४०.००	१,७२०.४७
(२)	घर निर्माण एवं इंजीनियरिंग उद्योग	१००.००	५०.५५	१५०.५५
(३)	रासायनिक खाद एवं कीटाणु- नाशक औषधियां	२१७.४६	२६५.६७	४८३.१३
(४)	मानविक बस्तुओं का निर्माण	५६.२५	१,०५.५७	१,६१.८२
(५)	उपनासा-बस्तुएं	५.३४	३१.६५	३७.९९
(६)	अन्य परियोजनाएं	२७१.३५	१०.८६	२८२.२१
(ब)	खनिज विकास	१००.६०	१,४६.५०	१,५६.१०
(स)	बस्तु शक्ति	४१.६६	१६.०१	५७.६७
योग (अ+ब+स)		१,६२६.६८	१,९६३.५३	३,५९०.२१

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाने वाले व्यय
का ६७% भाग आयु परियोजनाओं पर व्यय होता है। कृषि-क्षेत्र के विकास के लिए
रासायनिक खाद एवं कीटाणुनाशक औषधियों के उद्योगों के विस्तार हेतु कुल व्यय
का लगभग १०% भाग आयोजित किया गया। चतुर्थ योजना में नी मारी एवं
पूँजीगत उद्योगों का अधिक महत्व रखा गया जिसके परिणामस्वरूप ही उद्योग-
उद्योगों के लिए केंद्रीय क्षेत्र में केवल १.१% भाग व्यय ही आयोजित किया गया
है। केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों में ५०० करोड़ ₹० कुलगत रूप से भारत में विनि-
योजित किया जायगा तथा उद्योगों के सभी वर्तमान कारखानों के विस्तार का
आयोजन भी योजना में किया गया है। वायना एवं भारत की कस्तुसूत्रियन पर-
योजनाओं पर १०० करोड़ ₹० विनियोजित किया जाना है।

प्रस्तावित चौथी पंचवर्षीय योजना

चतुर्थ योजना में औद्योगिक उत्पादन एवं क्षमता सम्बन्धी लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गये हैं—

तालिका सं० १०८—चतुर्थ योजना में औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य

उद्योग	इकाई	१९६८-६९ की अनुमानित उत्पादनक्षमता		१९७३-७४ का लक्ष्य		उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत १९६८-६९ के स्तर पर
		क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन	
इस्पात क' डेले	लाख टन	६०	६५	१२०	१०८	६६
तयार इस्पात	लाख टन	६९	४६	९०	८१	७६
विजय क' लिए						
पिण्डलौह	लाख टन	१२	१२	४२	३८	२१२
अल्पस्यूनियम	हजार टन	११७	१२०	२५०	२२०	८३
साबा	हजार टन	९६	९५	४७५	३५५	२७३
धातुशोधन एवं						
अय भारी						
मशीनें	हजार टन	४८	२०	११५	७५	२७५
दृष्टि के लिए						
ट्रक्टर	हजार टन	२०	१५	६८	५०	२५७
नाइट्राजियस	हजार टन					
साद	(N)	१०२४	३५०	३७००	३०००	४४६
फास्फेटिक	हजार टन					
साद	P ₂ O ₅	४२१	२२०	१८००	१५००	५८७
अखदारी कागज	हजार टन	३०	३०	१६५	५०	६७
शोषधियां एवं						
फार्मसी पदार्थ	लाख टन	—	२३५००	—	२५०००	६०
कायना	लाख टन	६००	६६५	—	६३५	३५
कच्चा शोहा	लाख टन	—	२६०	—	५३४	१०६
अज्ञात खनिज						
सेल	लाख टन	६१५	५८५	—	६७	६६
औद्योगिक मशीनें						
(वस्त्र सीमेन्ट						
दाकर एवं कागज						
सम्बन्ध)	करोड़ टन	८७	४०७	—	६८५	१४२
मशीना क' औजार	करोड़ टन	५०	२५	—	६५	१६०
कार्यालय						
सापारिक						
माटर गाडियां	हजार टन	१२०	७२	—	२१०	१६२
कागज आदि	हजार टन	७५०	६५०	—	६६०	५०
सामेन्ट	लाख टन	१४५	१२५	—	१८०	४४

मिन का बना

मूली कपड़ा	वाय मोटर	—	४४०००	—	४१,०००	१६
गऊर	वाय टन	०५ =	०६	—	८३	६०

अनुसूच न्यायन-संघों में जो यह बात धृष्ट नहीं है कि वस्तु योजना में प्राथमिक एवं पूर्वोक्त नदों के न्यायन एवं सन्तता में नैमी में वृद्धि करने का प्रयत्न रखा गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि वस्तुयें वास्तवगत में औद्योगिक न्यायन में औसत वार्षिक वृद्धि ०% से १०% रही।

यातायात एवं संचार

यातायात एवं संचार के लिए प्रस्तावित वस्तुयें योजना में ०,१५३ करोड़ रु० का आवंटन है जिसमें से ०,६५० करोड़ रु० केंद्रों पर और ५०३ करोड़ रु० राज्यों एवं केंद्र प्रशासित क्षेत्रों द्वारा व्यय किया जाएगा। प्राथमिक व्यय का निम्न निम्न प्रकार किया गया है—

तालिका सं० १०६—वस्तु योजना में यातायात एवं संचार के आवंटित व्यय का वितरण

क्रम संख्या	कामक्रम	१९६६-६६ का अनुमानित व्यय	वस्तु योजना का आवंटित रकम (करोड़ रु०)
(१)	(२)	(३)	(४)
(१)	सड़कों पर	५०६	१,०५०
(२)	सड़कों पर	३०८	८०६
(३)	सड़क-यातायात	११	२५
(४)	बन्दरगाह	५५	१६५
(५)	उद्धारपत्तियाँ	०५	१३१
(६)	आन्तरिक जल यातायात	६	६
(७)	प्रवासायुक्त	३	३
(८)	कुर्रकिया क्षेत्र	६१	३०
(९)	इवाँ यातायात	६०	२००
(१०)	यात्री प्रमाण (Tourism)	६	३१
(११)	संचार	१२३	१००
(१२)	प्राथमिकी प्रसारण	१०	६०
योग		१,०३६	३,१५३

यातायात एवं संचार के अन्तर्गत में तालिका सं० ११० के अनुसार वस्तुयें योजना के अन्तर्गत व्यय निर्धारित किए गये हैं।

वस्तु योजना में प्राथमिक क्षेत्रों में सड़क-यातायात का विकास करने पर विशेष महत्त्व दिया गया और सड़क-सुधारों को अपने अन्तर्गत-विकास-अन्तर्गत का २१%

तालिका म० ११०—चतुर्थ योजना में यातायात एवं संचार-सम्बन्धी लक्ष्य

क्रम संख्या	वर्णन	इकाई	१९६८-६९ अनुमानित उपलब्धि	१९६१-६४ के लिए लक्ष्य
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
(१)	रेल द्वारा ढाया गया माल	लाख टन	२०३०	२८०० म २६००
(२)	रेल व इंजिन	संख्या	११५१६	१२१७१
(३)	बगन (चार पहियों के आधार पर)	संख्या	४८४१८६	५६०१७८
(४)	साइना पर डीजल-माडियाँ	कि० मी०	१६२००	२२००
(५)	साइना का विद्युतीकरण	कि० मी०	२६००	४६००
(६)	इकहरी लाइनों का दाहरा करना	कि० मा०	—	१८००
(७)	मोटर गज को चौड़ी लाइन में बदलना	कि० मी०	—	१८००
(८)	पक्की सड़कें	कि० मी०	३१७०००	३६७०००
(९)	सड़क द्वारा लोया जाने वाला माल	हजार लाख टन कि० मी०	४००	८४०
(१०)	सड़क द्वारा यात्रियां की से जाना	हजार लाख यात्री	६२०	१४००
(११)	ट्रकों की संख्या	कि० मी०	३०००००	४७००००
(१२)	बसों की संख्या	संख्या	८००००	११५०००
(१३)	बड़े बंदरगाहों पर माल	लाख टन	५५०	६००
(१४)	जहाजी यातायात क्षमता	GRT लाख	२१४	३५
(१५)	हवाई मार्गों की क्षमता	लाख कि० मी०	६६१०	१८८२०

भाग प्राथमिक सड़क के विकास पर ध्यान देना है। योजना में हल्दिया डक मगलीर एवं ट्यूटीकोरिन (Tuticorin) बंदरगाह योजनाएं पूरी हो जाने का अनुमान है तथा मोर्मोगाओ (Mormugao) एवं मद्रास बंदरगाहों पर बच्चा राहा टन भागि के लिए आधुनिक सुविधाओं का आयोजन किया जायगा तथा विगाशापत्तनय के बाहरा हारबर (Harbour) का निर्माण किया जायगा। योजना के अंत तक जहाजरानों की सुविधाएँ इतनी ही जायेंगी कि भारतीय विदेशी जहाजी यातायात का ४०% भाग भारतीय जहाज मंचालित कर सकेंगे। बम्बई बन्दरगाह निम्नी और मद्रास के हवाई प्रदंडा पर सुविधाओं में वृद्धि की जायगी।

योजनाकाल में ७६०००० नये टेलीफोन लगाय जायेंगे ११००० नये डाकस्थान खोल जायेंगे बंगलोर के टेलीफोन के कारखाने का विस्तार किया जायगा दूरसंचार के लिए प्रसाधन निर्माण करने के लिए एक कारखाना स्थापित किया जायगा

द्वारे हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टिंग की उत्पादनशक्ति ६,८०० टेलीप्रिन्टिंग से बढ़ाकर ८,१०० टेलीप्रिन्टिंग कर दी जायगी।

समाज-सेवाएँ

उत्तम सेवाओं में सम्मिलित विभिन्न मदों के लिये निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं—

तानिका सं० १११—वनुथ योजना में नमाजसेवा सम्बन्धी लक्ष्य

क्रम संख्या	मद	इकाई	१९६८-६९ में सम्भावित उत्पत्ति	१९७०-७१ के लिए लक्ष्य
शिक्षा				
(१)	६ से ११ वर्ष आयु तक में स्कूल जाने वालों का प्रतिशत	प्रतिशत	७३.९	८५.०
(२)	११ से १४ वर्ष आयु तक में स्कूल जाने वालों का प्रतिशत	प्रतिशत	८०.४	८०.१
(३)	१४ से १७ वर्ष आयु तक में स्कूल जाने वालों का प्रतिशत	प्रतिशत	१९.४	२६.०
(४)	१७ से २० वर्ष आयु तक में विश्वविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत	प्रतिशत	०.९	०.८
(५)	दिल्ली स्तर तानिक शिक्षा	विद्यार्थी संख्या	१७,०००	२१,०००
(६)	दिल्लीमा-स्तर तानिक शिक्षा	विद्यार्थी संख्या	३१,५००	६५,५००
(७)	मैट्रीकुल कालिनों की संख्या	संख्या	९३	१०३
(८)	मैट्रीकुल कालिनों में पाम हाने वालों की संख्या	संख्या	९,०८०	१०,०००
स्वास्थ्य				
(९)	अस्पतालों में भूमिकाएँ	संख्या	२,१५,७००	२,८१,०००
(१०)	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	संख्या	४,८४०	५,००१
(११)	टाक्टरों की संख्या	संख्या	१,००,५००	१,१०,९३०
(१२)	ग्रामीण परिवार नियोजन केंद्र	संख्या	४,८४०	५,८४०
(१३)	नगरों में परिवार नियोजन केंद्र	संख्या	१,८५६	१,८५६
(१४)	परिवार नियोजन प्राथमिक केंद्र	संख्या	४८	५१

वनुथ योजना से प्राथमिक शिक्षा (Elementary Education) के विस्तार, पिटरी जातियों एवं क्षेत्रों के शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार तथा लक्ष्यों की शिक्षा

की ओर विशेष महत्व दिया गया है। विधान की शिक्षा शिक्षिका के प्रशिक्षण, स्नातक स्तर शिक्षा एवं शोध कार्य में सुधार, भारतीय भाषाओं का स्तर विकास, पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन तांत्रिक शिक्षा एकीकरण तथा उमे स्वयं रोजगार करने योग्य बनाना को अधिक महत्व दिया गया है।

चतुर्थ योजना में अन्नगत मलेरिया कोट, चेचक एवं रोग के उन्मूलन कार्य प्रमां वा विस्तार किया जायगा। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जन्म दर को सन् १९७३-७४ तक ३.६ तक से घटाकर ३.१ प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनाकाल में लगभग १८० लाख जन्मों को परिवार नियोजन द्वारा रोका जा सकेगा। चौथी योजना में बड़े बड़े नगरों में जलपूर्ति के साथ पानी के बहाव (Sewerage एवं Drainage of Water) की व्यवस्था की जाती है। लगभग १०० करोड़ २० ग्रामीण क्षेत्रों में जल-पूर्ति पर पर्य किया जायगा।

योजना की आलोचना

योजना के विनियोजन एवं विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करने के पश्चात् योजना का आलोचनात्मक अध्ययन करना भी आवश्यक है। प्रस्तावित चतुर्थ योजना की आलोचना निम्नलिखित तथ्यों के सम्बन्ध में की जाती है—

(१) निम्न वर्ग के जीवन स्तर में सुधार करने हेतु पर्याप्त आमाजन नहीं है—
 स्थापित चतुर्थ योजना के निर्माण के समय जनसाधारण के उपभोग स्तर को यूनान स्तर तक लाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाने की बात विचार की गयी थी। सन् १९६०-६१ के मूल्यांकन पर यह निर्धारित किया गया था कि यूनान स्तर के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह ३५) २० की लागत होनी चाहिए और यह अनुमान लगाया गया था कि सन् १९६०-६१ में लगभग २०% जनसंख्या का ही यह यूनान स्तर (अथवा इससे अधिक) उपलब्ध था। योजना बनाते समय यह विचार किया गया कि यदि समस्त जनसंख्या को यह यूनान स्तर प्रदान करना हो तो सन् १९६९-७५ के बीच १२% प्रति वर्ष की दर से आर्थिक प्रगति होना आवश्यक होगा। वर्तमान प्रस्तावित योजना में अनुमान लगाया गया कि निम्न वर्ग का उपभोग स्तर चतुर्थ योजना के अंत तक सन् १९६७-६८ के मूल्यांकन पर ३२.० रु० प्रति वर्ष अर्थात् २७ रु० प्रति माह प्रति व्यक्ति होगा। सन् १९६०-६१ के मूल्यांकन के आधार पर यह उपभोग स्तर १५ रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह होगा जो वांछित यूनान स्तर से बहुत कम होगा। इस प्रकार सन् १९८०-८१ तक भी निम्न वर्ग यूनान स्तर का लगभग आधा हिा भाग प्राप्त कर सकेगा।

(२) रोजगार—चतुर्थ योजना के कार्यक्रमों द्वारा उदय होने वाले रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने में योजना आयोग असमर्थ रहा है। योजना आयोग के विचार में विभिन्न परिवोजनाओं की रोजगारक्षमता उनके क्रिया-व्ययन के प्रकार में परिमाण पर निर्भर रहता है और परिवोजनाओं का क्रिया-व्ययन ऐसे विभिन्न घटकों

पर विचार रखा है जो अनिश्चित होते हैं। योजना-आयोग ने बताया, सन् १९६८ में एक सन्निधि की स्थापना की है जो बेरोजगारी के परिणाम एक प्रकार के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी संग्रह कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी। वर्तमान अनुमानों के अनुसार चतुर्थ योजना का समय १९० लाख बेरोजगारों से प्रारम्भ होगा और योजनाकाल में २३० लाख नवीन श्रम-शक्ति गठन के लिए तैयार होगी। योजना में विज्ञान-बाद्यकों का बेरोजगारी के सम्बन्ध में क्या नहीं किया गया है क्योंकि बेरोजगारी के सम्बन्ध में आयोग के पास विश्वसनीय जानकारी नहीं थी। बेरोजगारी एक सामाजिक एवं आर्थिक दोष है और इसे इतना महत्वहीन स्थान दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(३) मूल्य स्तर—प्रस्तावित चतुर्थ योजना में मूल्य स्तर को स्थिर रखने पर विचार महत्व प्रदान किया गया है। वृत्ति पहाड़ी के मूल्यों में सन् १९१७-१८ एवं सन् १९६८-६९ में कुछ गिरावट हुई है। औद्योगिक उत्पादन के मूल्य-स्तर में कोई विशेष वृद्धि इन वर्षों में नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में यदि मूल्य-स्तर का स्थिर रखने के प्रयत्न किये जायें तो अर्थ-व्यवस्था की गतिशीलता को गति पकड़ सकती है और विनिर्माण एवं विकास की गति मन्द हो सकती है। मूल्यों की विनिर्माण एवं विकास के अनुस्यू बढ़ने देना आवश्यक होगा।

(४) निर्यात—योजना में देश के निर्यात में ३% प्रति वर्ष की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है परन्तु निर्यात-वृद्धि के लिए निर्यात के उत्पादन में वृद्धि, उनके गुणों में सुधार एवं उनकी लागत में कमी करना आवश्यक होगा। योजना में इन आवश्यकताओं की ओर कोई उचित एवं विनिश्चित आयोग नहीं दिये गये हैं।

(५) विदेशी सहायता—योजना में विद्वान् रूप से यह स्वीकार किया गया है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था की विदेशी सहायता पर निर्भरता को योजनाकाल में कम किया जाएगा परन्तु वास्तव में योजना में विदेशी सहायता के द्वितीय योजना की तुलना में और अधिक साधन प्राप्त करने का आयोग किया गया है। चतुर्थ योजना में सकल विदेशी सहायता की राशि ३७३० करोड़ ₹ के अनुमानित है जबकि द्वितीय योजना में सकल विदेशी सहायता की राशि २६०० करोड़ ₹ कावलक्ष्य समझी गयी थी। इस प्रकार वर्ष-व्यवस्था की विदेशी सहायता पर निर्भरता चतुर्थ योजना में बढ़ गयी है।

(६) धर्म-साधन—चतुर्थ योजना के निर्माण में वित्तीय साधनों की आवश्यकता को अधिक महत्व दिया गया है। चतुर्थ योजना में अतिरिक्त धन-साधनों की प्राप्ति के सम्बन्ध में जो लक्ष्य रखे गये हैं वे द्वितीय योजना में अतिरिक्त साधनों की वास्तविक प्राप्ति के अभाव में हैं। द्वितीय योजनाकाल की प्राप्ति एवं तीन वार्षिक योजनाओं में जो अर्थ-व्यवस्था में सुधार हुए हैं उनके ध्यान में रखते हुए आयोगित अनिश्चित साधनों से नहीं अधिक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता था।

(७) सरकारी व्यवसायों का लाभ—प्रस्तावित चतुर्थ योजना में सरकारी व्यवसायों में उपयोग होने वाली पूंजी पर १५% तक लाभ प्राप्त करने की सम्भावना व्यक्त की गयी है जबकि पिछले कुछ वर्षों में इन व्यवसायों का लाभ अत्यंत कम बचता नकारात्मक रहा है। यह तथ्य निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है—

तालिका स० ११२—केन्द्रीय सरकार के व्यवसायों से प्राप्त लाभ के बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्ति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक उपलब्धि
१९६४-६५	६२५४	२७४०
१९६५-६६	४४४२	२२६६
१९६६-६७	३१३७	—११६३
१९६७-६८	६२६	—४२५८
१९६८-६९	१८४२	१२७

इस तालिका के आधार पर यह अनुमान लगाना अनुचित न होगा कि चतुर्थ योजना में सरकारी व्यवसायों से उपलब्ध होने वाले अनिरेक का राशि प्राप्त होना कठिन होगा।

(८) विनियोजन—प्रस्तावित चतुर्थ योजना में अक्षत एवं विनियोजन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कोई विशेष प्रयास करने का आयोजन नहीं किया गया है। वास्तव में साधनों का उदय होना नियोजित विनाश के प्रकार एवं परिमाण पर निर्भर रहता है। तृतीय योजना के अंत में आंतरिक बचत राष्ट्रीय आय की लगभग ११% थी जो तीन वर्षों के योजना-अवकाश में घटकर ८% रह गयी। चतुर्थ योजना में आन्तरिक बचत को राष्ट्रीय का १२.६% करने का लक्ष्य सन् १९७३-७४ के लिए रखा गया है। सन् १९५०-५१ से सन् १९६०-६१ के काल में बचत का यह प्रतिशत लगभग दुगुना हो गया जबकि सन् १९६०-६१ से सन् १९७३-७४ काल में इस प्रतिशत में केवल १०.६% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है जो सराहनीय नहीं समझा जा सकता है। इसी प्रकार चतुर्थ योजना के अन्तिम वर्ष में राष्ट्रीय आय का १३.८% विनियोजन करने का लक्ष्य है जबकि तृतीय योजना के अंत में विनियोजन का प्रतिशत १४% था। इस प्रकार चतुर्थ योजना विनियोजन के लक्ष्य में कोई सुधार नहीं किया गया है।

उपरोक्त आलोचनाओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि चतुर्थ योजना के निर्माण में अथ व्यवस्था की बदलती हुई परिस्थितियों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है और वर्तमान में जो सम्भावनाएँ अथ व्यवस्था में उदय हुई हैं उनका उपरोक्त क्षोषण करने की व्यवस्था नहीं की गयी है। आशा है कि चतुर्थ योजना के अन्तिम

प्रतिवेदन यात्रा की नीतियों और कार्यक्रमों का अधिक लचीला रखा जायता जिससे बदती परिस्थितियों का शान विकास व वि० उपलब्ध हो सके ।

सन् १९६६-७० वर्ष की योजना

सन् १९६६-७० वर्ष की यात्रा अनुसंधानवर्षीय योजना का ही एक भाग है और प्रस्तावित योजना का जनिम रूप इन में कुछ दर होने के कारण इस वार्षिक यात्रा का प्रकाशन करना न हो दिया गया है । इस वार्षिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक उच्च निम्न प्रकार है—

(१) विनिवेशन की दर या सन् १९६०-६६ वर्ष में राष्ट्रीय आय का ११% अनुमानित है को बढ़ाकर १०% करना ।

(२) सन् १९६०-६६ में होने वाला मुद्रा स्थिर विनियोजन (Net Fixed Investment) में १०% की वृद्धि करना ।

(३) इंधन में १% एवं खाद्यान्नों में ३% प्राप्ति दर राष्ट्रीय आय में ४% की प्राप्ति करना ।

(४) खाद्यान्नों एवं अन्य महत्वपूर्ण इंधन वस्तुओं की पूर्ति का सुनिश्चन प्रयत्न कर सुन्नों का सन् १९६०-६६ के स्तर पर स्थिर करना ।

(५) निर्माण में ७% वृद्धि कर सया देश में उपलब्ध साधनसम्पत्तियों का अधिक उपयोग कर सुनिश्चन रूप की सन् १९६०-६६ में उपलब्ध विदेशी सहायता की राशि तक सीमित रखना ।

योजना का आयोजित व्यय

सन् १९६६-७० की यात्रा का सरकारी खर्च का व्यय २०७१ करोड़ ०० निपातित किया गया है जो सन् १९६०-६६ वर्ष की यात्रा के अनुमानित व्यय २२६१ करोड़ ६० से लगभग ४% कम है । सन् १९६०-६६ वर्ष में स्थिर विनिवेशन १,७०५ करोड़ ०० अनुमानित है । सन् १९६६-७० वर्ष में स्थिर विनिवेशन में १०% वृद्धि करने का लक्ष्य है जसका इस वर्ष में १,९७० करोड़ ०० का स्थिर विनिवेशन करने का लक्ष्य रखा गया है । विभिन्न सर्वोपरि आयोजित व्यय निम्न प्रकार है—

तालिका सं० ११३—सन् १९६६-७० वर्ष की योजना का आयोजित व्यय
(करोड़ रुपये)

वर्ग	१९६०-६६ में अनुमानित व्यय	१९६६-७० के लिए आयोजित व्यय
इंधन एवं सहायक कार्यक्रम	४११ =	३५२ =
विचारों एवं बात निपटारा	१६३ =	१३७ =
शक्ति	३०६ =	३६६ =
उद्योग एवं खनिज	४२४ =	४७६ =
सामान्य एवं अनुसंधान	४४४ =	३०५ =

यातायात एवं संचार	४२८ ५	४४७ ७
शिक्षा	१२९ १	९६ ८
वनानिक ग्राह	२० १	२१ ६
स्वास्थ्य	५५ ०	५५ ३
परिवार नियोजन	३३ ४	४१ ९
जन पूंजि एवं सफाई	५८ २	४५ ७
ग्राम निर्माण एवं नगरों का विकास	२२ ०	२४ १
पिछड़े वर्गों का कल्याण	२५ ९	१९ ३
समाज कल्याण	१ ७	४ ४
श्रम कल्याण एवं दसनकारों का प्रशिक्षण	१८ ३	६ ३
अन्य कार्यक्रम	४२ ८	३४ ४

योग २ ३६० ५ २ २७० ५

सन् १९६८-६९ के अनुमानित व्यय से तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि सन् १९६९-७० की योजना में कृषि एवं शिक्षा के लिए आयोजित ऋण बहुत कम कर दिया गया जबकि उद्योग एवं खनिज विकास के आयोजित ऋण में पिछले वर्ष से लगभग १०० करोड़ २० अधिक आयोजित किया गया। सन् १९६९-७० की योजना का आयोजित प्रस्तावित व्यय चौथी योजना के सरकारी क्षेत्र के व्यय का १५.८% है। व्यय की यह राशि वित्तीय साधना की उपलब्धि के अनुकूल रही गयी।

अर्थ साधन

सन् १९६९-७० की योजना के अर्थ साधना की व्यवस्था राज्य सरकारों के माध्यम से सितम्बर सन् १९६८ एवं जनवरी सन् १९६९ में किए गये विचार विमर्श के आधार पर की गयी है। योजना के व्यय का ५७.४% भाग (अर्थात् १ ३०४ करोड़ २०) घाट के साधना से प्राप्त करने का व्यवस्था की गयी है। ७१३ करोड़ ८० अर्थात् योजना के व्यय का ५१.४% भाग विभिन्न महायानों से प्राप्त हान का अनुमान लगाया गया है। योजना में ५५४ करोड़ २० का हानाव प्रबंधन की व्यवस्था है। विभिन्न योजना में निम्न प्रकार अर्थ साधन प्राप्त हान का अनुमान है—

तालिका सं० ११४—सन् १९६९-७० योजना के अर्थ-साधन

(करोड़ रुपया में)

वर्ग	कट	राज्य	योग
घाट के साधन (जीवन बीमा निगम से अनुवर्षित ऋणों एवं राज्य व्यवसायों के बाजार से लिए गये ऋणों की छान्दर)	८६१	१३०	९९१
जीवन बीमा निगम में ऋण एवं राज्य व्यवसायों के बाजार से लिए गये ऋण (सकल)	—	६५	६५

आन्तरिक बजट के साधनों का योग	८६१	१६१	१,०२६
विदेशी सहायता	७१३	—	७१३
अतिरिक्त अय-साधन की प्राप्ति	१०६	१००	२४८
हीनाय-प्रबंधन	२५८	—	२५४
राज्य-यात्रानाओं का सहायता	—६१२	६११	—
यात्रना के शुद्ध साधन	१००६	६३०	१,६३६

राज्य सरकारों से सन् १९६६-७० की यात्रना के लिए बजट में १००८ करोड़ ₹० का आयाजन किया गया है जो यात्रना आयाज द्वारा स्वीकृत व्यय से ७६ करोड़ ₹० अधिक है। राज्य सरकारों के बजट में बजट की सहायता का राशि ६६८ करोड़ ₹० रखी गयी है जो यात्रना में आयाजित राशि से २६ करोड़ ₹० कम है। दूसरा जोर राज्यों के बजट के साधन से २६० करोड़ ₹० अनुमानित किये गये हैं जो यात्रना में अनुमानित राशि से १० करोड़ ₹० कम है। इस प्रकार राज्यों के बजट में योजना के अर्थ-साधनों में ११७ करोड़ ₹० (७६ + २६ + १०) की शीलता बराबरी गयी है। राज्यों के गैर योजना-व्यय में भी २१३ करोड़ ₹० की शीलता है इस प्रकार राज्यों के बजट में ३३० करोड़ ₹० की शीलता का अनुमान है। राज्यों के अय साधनों का पुनर्स्थापन पत्रिकों वित्त-आयाज के प्रतिवेदन के साधन में किया जाना है।

सन् १९६६-७० के केन्द्रीय बजट में आ अतिरिक्त साधनों के प्राप्ति करने की आवश्यकता निर्धारित की गयी है, १५२ करोड़ ₹० प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें से २६ करोड़ ₹० राज्य सरकारों का अय है। दूसरी ओर राज्य सरकारों द्वारा आ आवश्यकता अतिरिक्त साधन प्राप्त करने के लिए घोषित की गयी है जिनमें से ३७ करोड़ ₹० प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार अतिरिक्त साधनों में वाक्या ६० करोड़ ₹० की शीलता ही संभव है।

योजना में ७१३ करोड़ ₹० की शुद्ध विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। २१३ करोड़ ₹० की विदेशी सहायता का उपयोग विदेशी ऋण-पत्रों के भुगतान पर ही जायगा। ७१३ करोड़ ₹० की सहायता में से २२२ करोड़ ₹० PL 480 के अन्तर्गत प्राप्त होने का अनुमान है। सन् १९६८-६९ वष में निर्यात १२६० करोड़ ₹० हुआ जो सन् १९६६-६८ की तुलना में १३.५% अधिक और सन् १९६४-६५ के सम्पन्न वष से ५.८% अधिक है। गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात में ६०% अय था। इन्वीनिवर्गि वस्तुओं, सोडा एवं प्रसाव, दन्तकारी की वस्तुओं रसायन एवं अन्य सहायक उत्पाद, कागज मोती एवं मूल्यवान पथर आदि के निर्यात में विशेष वृद्धि हुई। सन् १९६६-७० वष में इन्वीनिवर्गि वस्तुओं, सहायक एवं सहायक वस्तुओं—धान निमित्त पूट मादक के निर्यात में वृद्धि होने की सम्भावना है। वन्दरगाहों पर सुविधाएँ बढ़ने के कारण कच्चा गेहूँ मटलौ और चन्नी के उत्पादों का निर्यात भी बढ़ सकेगा। सन् १९६६-७० में इस प्रकार निर्यात में ७० की वृद्धि का अनुमान है अर्थात् इस वष में निर्यात १४७ करोड़ ₹० हो सकेगा।

दूसरा ओर सन् १९६८-६९ में आयात १८६२ करोड़ रु० का हुआ है। सन् १९६९-७० में आयात में कमी तथा औद्योगिक निर्यात आयात में ५% का वृद्धि होने का अनुमान है। इस वर्ष में १९०० करोड़ रु० का आयात होने का अनुमान है। इस प्रकार इस वर्ष व्यापार शेष में ४५० करोड़ रु० की हीनता का अनुमान है। अद्वय मदों अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गोपन तथा विदेशी श्रमों के सेवा-व्ययों के कारण यह हीनता लगभग ९९० करोड़ रु० का प्रतिकूल भुगतान गेरा हो जायगा। यह अनुमान लगाया गया है कि सन् १९६९-७० वर्ष में ९९० करोड़ रु० के बराबर सक्ल सहायता (साथ पदार्थों सरकारी एवं निजी क्षेत्र की परिभाजना एवं निर्यात सहायता सहित) प्राप्त हो सकेगी।

सन् १९६९-७० वर्ष की योजना के लक्ष्य योजना के भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किये गए हैं—

तालिका सं० ११५—सन् १९६९-७० योजना के भौतिक लक्ष्य

मद	इकाई	१९६८-६९ में सम्पना विन	१९६९-७० का लक्ष्य	१९६८-६९ पर १९६९-७० के लक्ष्य की प्रतिगत वृद्धि
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
खाद्यान्न	लाख टन	९६०	१०१०	५
तिलहन	लाख टन	६९	८५	२३
गन्ना (गुन्ना)	लाख टन	१२०	१२५	४
कपास	लाख गठि	५३	६०	१३
जूट	लाख गठि	३१	६४	१०६
अधिक उपज वाले बीजा का क्षण	लाख हेक्टेयर	८५	१०९	३०
अतिरिक्त लघु सिंचाईक्षेत्र	लाख हेक्टेयर	१५	१४	—१
रासायनिक खाद का उपयोग नाइट्राजियम खाद	लाख हेक्टेयर (N)	१२१	१७०	४०
फास्फटिक खाद	लाख हेक्टेयर P_2O_5	—	६०	—
पेटेसिक खाद	लाख हेक्टेयर K_2O	१७	२०	७६
सिंचाई की क्षमता	लाख हेक्टेयर	९०	९८	९
सिंचाई का उपयोग	लाख हेक्टेयर	७४	९०	८
शक्ति का क्षमता	लाख कि.वाट	१४२	१५९	१२
पम्पा का प्रतिवर्षण	हजार	१०६९	११५१	१०
इस्पात में वृद्धि	लाख टन	६४	७५	१७

अन्धूमीनियम	हजार टन	११६०	१४१०	२०
तांबा	हजार टन	६२	६५	३
कृषि इंजिन	हजार	१५३	२००	२०
नाइट्रोजियम गाद का उत्पादन	हजार टन (N)	४८०५	६००	६६
फास्फेटिक गाद का उत्पादन	हजार टन (N) (P ₂ O ₅)	२१००	३५०	६०
अद्यापित तनिक तैल	लाख टन	५६	७८	२४
मगोना के औजार	लाख टन	२१००	३२५०	५५
भ्यापारिक माटरपारिषों	हजार	३६०	४००	११
सीमेंट	लाख टन	१००	१०५	११
मिल का घना मूनी बरतल	लाख मीटर	१३१३७	४१०००	५
गव्वर	हजार टन	२२००	३७००	१०
रेलों द्वारा टाया गया सामान	लाख टन	००/०	२१५०	४
बड़े बंदरगाहों पर मानांक	लाख टन	५५०	५६०	७
बस्ता १ से ५ तक अतिरिक्त विद्यार्थियों की संख्या	हजार	२२६०	२१७०	—५
बस्ता ६ से ८ तक अतिरिक्त विद्यार्थियों की संख्या	हजार	१०१०	६५०	—७
बस्ता ९ से ११ तक अतिरिक्त विद्यार्थियों की संख्या	हजार	५००	५३०	६
अस्पतालों में गयाएँ	संख्या	१०२५२०	१०६७००	७

सन् १९६६-७० की योजना में कृषिक्षेत्र के उत्पादन में ५.५% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए कृषि की नवीन रणनीति (New Strategy) के अन्तर्गत बहुत कृषि का विस्तार किया जायगा। औद्योगिक उत्पादन में पुनः प्राप्ति (Recovery) सन् १९६७-६८ की अन्तिम विम्बहारी में प्रारम्भ हुई और इस क्षेत्र में सन् १९६८-६९ में पर्याप्त प्रगति हुई। सन् १९६८-६९ में औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति की दर ६.२% लक्ष्य के बराबर ही रही। सन् १९६६-७० में इन्फ्लेक्शन को नियंत्रित करके वृद्धि एवं अर्थव्यवस्था की अधिक उपलब्धि प्राप्त करने के कारण उपभोक्ता-वस्तुओं की मांग में वृद्धि, निर्यात-वृद्धि के लिए प्रोत्साहन, तथा निजी एवं सरकारी क्षेत्र में अधिक निवेश के कारण सन् १९६६-७० वर्ष में औद्योगिक प्रगति का लक्ष्य ८% निर्धारित किया गया है।

सन् १९६८-६९ की योजना का एक उद्देश्य मूल्य-न्तर को स्थिर रखना भी था। सन् १९६८-६९ का घरेलू मूल्य निर्देशांक समग्र २१.०२ रहा था। सन् १९६७-६८ के घरेलू मूल्य निर्देशांक २१.०४ से १.१% कम था। सन् १९६६-७० की योजना के प्रारम्भ में सरकार के पास ४५ लाख टन जनावन का भण्डार होने के कारण यह सम्भावना की जाती है कि खाद्यान्नों का मूल्य-न्तर स्थिर रहेगा। अविशेष की

वायव्यता द्वारा झूट के लक्ष्य के उच्चावचाना का रोक्ना सम्भव हो सकेगा। सरकार द्वारा मूल्य के स्तर में स्थिरता रखने के लिए विभिन्न वस्तुओं के पुष्टि-मूल्य (Support Prices) निर्धारित कर दिये गये हैं और राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation) को पुष्टि मूल्य सम्बन्धी क्रय-विक्रय करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया है। इस प्रकार सन् १९६६-७० वर्ष में मूल्य के स्थिर रहने का पर्याप्त सम्भावना है।

भारतीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था एवं औद्योगिक नीति
 [Industrial Policy in the Planned Economy of India]

[औद्योगिक नीति प्रस्ताव, सन् १९४८ के उद्देश्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूँजी तथा श्रम के सम्बन्ध में उद्योग, विदेशी पूँजी, नटकर नीति के अर्थव्यवस्था धर्मियों के लिए उद्योग-व्यवस्था—औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम, सन् १९४९, दत्त-समिति चतुर्थ योजना में औद्योगिक साहसिक नीति प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन् १९५६—केन्द्रीय सरकार का अनन्त एकाधिकार क्षेत्र, राज्य एवं व्यक्तिगत निर्यात क्षेत्र, व्यक्तिगत उद्योग के क्षेत्र, सन् १९४८ एवं सन् १९४९ की औद्योगिक नीतियों की तुलना—द्वितीय योजना में औद्योगिक नीति, द्वितीय योजना में ग्रामीण एवं नगरीय उद्योग-सम्बन्धी नीति तृतीय समिति की सिफारिशों तृतीय योजना में औद्योगिक नीति, ग्रामीण एवं नगरीय उद्योग विनाम नीति, चतुर्थ योजना में औद्योगिक नीति]

स्वतंत्रता के पश्चात् ही भारत सरकार ने आयाजित अर्थ-व्यवस्था तथा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर विचार किया और प्राचीन पूँजीवादी-व्यवस्था का अन्त करके नियन्त्रण रखना आवश्यक समझा। राष्ट्र के अनुचित विकास तथा जन-कल्याण के लिए यह आवश्यक था कि सरकार औद्योगिक क्षेत्र में हस्त-क्षेप कर तथा औद्योगिक विकास हेतु अधिकतम प्रयत्न करे। दिसम्बर सन् १९४७ में औद्योगिक सम्मेलन (Industrial Conference) के उद्देश्य से बुद्धि करने के लिए अनेक निदेशों की ओर साप ही एक केन्द्रीय सत्राहकार परिषद् बनायी जबकि के लिए प्राथमिकता धोरण तथा एक राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना का मुन्नाव दिया। नवीं वर्ष भर में ही आयोग अधिवेशन ने राष्ट्रीय सरकार की नयी औद्योगिक नीति का निर्धारण किया। इस पृष्ठभूमि में स्वर्गीय डॉ० आभाषनाथ मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया ६ वृत्त, सन् १९४८ का संसद में भारत सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसके अन्तर्गत श्रम पूँजी तथा साधारण जनता द्वारा देश में औद्योगिकीकरण की भाग्य जायत हुई।

सरकार द्वारा औद्योगिक नीति का घोषणा करना भारत के औद्योगिक निया जन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। १५ अगस्त सन् १९४७ का स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात् देश भर में एक नूतन जाग्रति का प्रादुर्भाव और जनता को सरकार से बना बढी आगाएँ हान लगी। जनसमुदाय में नवीन भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान करने का भावना उत्पन्न हो गयी थी। उद्योगपति भी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि देश में औद्योगिक विकास में उनको क्या स्थान दिया जायगा।

यह औद्योगिक नीति प्रस्ताव प्रिनसिपलाबदी, फ्रान्सिबारी समाजवादी तथा पूँजीवादी पारस्परिक विरोधा का परिहार करने हुए एक मिश्रित अथ मकरा का प्रतिपादन करता था। इसके द्वारा लाक तथा अलाक साहस की सीमाओं को निर्धारित किया गया था। इसमें पूँजी तथा धन शान के पारस्परिक सम्बन्धों की व्यवस्था थी। बिन्नेनी पूँजी के विषय में राजकीय नीति का स्पष्टीकरण किया गया तथा उन उपायों की ओर मनेत किया गया जिन्हें नीतिया की पूर्ति के लिए सरकार काम में ला सकती थी।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन् १९४८ में उद्देश्य

(१) एसा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें याव एव अवसरा की समान उपगति समस्त जनसमुदाय को प्राप्त हो सके।

(२) देश के सम्भावी साधनों का मापण करके जनसमुदाय के जावन स्तर में तीव्र गति में वृद्धि करना।

(३) शिक्षा का सुविधाओं एवं स्वास्थ्य सम्बन्धा सेवकों की अधिक विस्तृत करना।

(४) हृदि तथा औद्योगिक शान ही क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करना।

(५) समाज का विभिन्न सेवकों में राजकार के अवसर प्रदान करना।

(६) धार्मिक नियाजन तथा समन्वित प्रयाम की आवश्यकता पर विचार करना।

(७) राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना का आवश्यकता पर विचार करना।

(८) औद्योगिकरण के क्षेत्र में राज्य के उत्तरदायित्वा का सीमाओं को निर्धारित करना।

(९) क्षेत्र के नियमन की सीमाओं को निर्धारित करना।

प्रस्ताव में कहा गया कि तत्कालीन परिस्थितिया में उत्पादन का वृद्धि को महत्व दिया जाना उचित होगा क्योंकि विद्यमान सम्पत्ति का पुनर्वितरण करने में बंधन नूतना का ही वितरण (Distribution of Scarcity) होगा। प्रस्ताव में पूँजीगत वस्तुओं तथा बाजारभूत उपभोग्य वस्तुओं एवं सेवा वस्तुओं के उत्पादन में संस्वर वृद्धि करने के प्रयत्न किए गए जिनके निया में बिन्नेनी मुक्त अर्थन का आसक्त।

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण—औद्योगिक नीति प्रणाल में दत्तान का कि तत्कालीन परिस्थितियों में जबकि अधिकांश उद्योगों का जीवन-चक्र पूरक के भी कम है वह आवश्यक है कि यदि नया औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि का विचार नहीं किया जाय। उत्पादन में वृद्धि का प्रयत्न का हवा करने से पूर्व यह निर्दिष्ट करना आवश्यक समझा गया कि राज्य किस सीमा तक औद्योगिक क्षेत्र में भाग लेता था निर्देशों के बिना निम्नलिखितों की दृष्टि में बाध करना होगा। तत्कालीन परिस्थितियों में राज्य के पास इन उत्पादकों में से कि वह औद्योगिक क्षेत्र में संयोजित तथा वास्तविक सीमा तक भाग ले सके, इसलिए यह निर्णय किया गया कि राज्य राष्ट्रीय भाव की पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कुछ समय तक अपनी शक्तियों को एक क्षेत्र में ही लगाए जिसमें वह सभी उद्योगों को चला सके। इसके बाद ही अन्य उद्योगों की स्थापना का भी प्रयत्न वादस्व में ले सके। इस प्रकार दत्तान प्रस्ताव सार्वजनिक उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया परन्तु इस अवधि में राज्य को निर्देशों के बिना पर अनुचित नियंत्रण द्वारा न्यूनता निर्दिष्ट सुधारण करना था।

इन निश्चयों के आधार पर एक तथा प्रस्तावों के आभाव के कारण के लिए उद्योगों को पाँच क्षेत्रों में विभक्त किया गया—

(१) केंद्रीय सरकार का प्रत्यक्ष एकाधिकार क्षेत्र—कुछ मामलों का निर्माण, वास्तु नीति का उत्पादन तथा नियंत्रण रेल-वातावरण का स्वामित्व एवं प्रबंध—यह उद्योग केवल सरकार द्वारा ही स्थापित तथा संचालित किए जायेंगे।

(२) राज्य जिसमें केंद्रीय प्रांतीय तथा विभागीय सरकारों तथा अन्य प्रांतीय समितियों, जैसे कर्माचारियों निगम आदि का क्षेत्र शामिल है—जोयला खान तथा इस्पात वास्तुनिर्माण, जलविद्युत निर्माण, टेलीफोन टेलीग्राम तथा केबल के तार के तारों का उपकरणों का निर्माण (विद्युत तथा टेलीविजन मंड को छोड़ कर) तथा एलियन तेल के उद्योग केवल राज्य द्वारा ही चले जाने थे परन्तु इन उद्योगों की जो इकाइयाँ पहले से ही कार्य कर रही हैं उनको दस वर्ष तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती थी। दस वर्ष बादवाँ सरकार इस बात का निर्णय लेगी कि इनका राष्ट्रीयकरण किया जाय अथवा नहीं।

(३) निजी साहस का स्वामित्व परन्तु सरकार का नियंत्रण तथा निरीक्षण का क्षेत्र—दस तक माटर ट्रेक्टर प्राइममूवम विद्युत, इंजनियरिंग मशीन, लकड़ी, भारी रसायन, खाद, फार्मेसी की औषधियाँ विद्युत् रसायन उद्योग, जलौह वास्तु उपकरण निर्माण सक्ति तथा औद्योगिक बल्बोहल सूती तथा ऊनी बस्त्र सोमेट चीनी कागज, सुमानार-पत्र का कागज, वायु तथा जल-वाष्पानागत तथा के खनिज क्षेत्र उद्योग जो सुरक्षा से सम्बन्धित हैं। इस क्षेत्र में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तो नहीं किया जायगा, परन्तु उन पर पर्याप्त सरकारी नियंत्रण रहेगा।

(८) निजा साहस व अधीन परन्तु जिसमें औद्योगिक सहकारा समितियाँ क संचालन को प्राथमिकता दी जाती थी—शुद्ध तथा सधु उद्योगों और कृषि व गृहयुक्त प्राप्ति उद्योग—इन पर निजा साहस का स्वाभित्व रहना था, परन्तु इनकी सहकारा सस्थाओं द्वारा संचालित करने का अधिक महत्त्व दिया जाता था।

(९) स्वयं प्र निजी साहस का क्षेत्र—जय मन्ना उद्योग निजा साहस द्वारा चलाया जा सके।

पूजा तथा श्रम क सम्बन्ध—सरकार ने पूजा तथा श्रम में सहयोग सम्बन्ध का स्थापित करने के लिए सन् १९४७ के औद्योगिक सम्मेलन द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि पूजा और श्रम के पारिस्थितिक का प्रबंध इस प्रकार किया जाना चाहिए कि अधिक लाभ पर नर तथा अल्प विधिमा द्वारा एक सगाया जा सके। पूजा और श्रम के सामूहिक परिश्रम में उत्पादित आय में श्रम को उचित पारिस्थितिक उद्योग में सगायी गयी पूजा का उचित प्रतिफल तथा उद्योगों के विकास के लिए बचावित्त मन्त्र (Reserve) का प्रबंध करने के पश्चात् शेष भाग को पूजा तथा श्रम में बाँटा जाय। श्रम का लाभ में से मिलने वाला भाग श्रम को उत्पादन शक्ति के आधार पर हाना चाहिए। इनके साथ, सरकार के उद्देश्य तथा प्राप्ति में अधिकांश नियोक्त कर्मा जो श्रम तथा पूजा के पारिस्थितिक तथा श्रम के कार्य करने की दृष्टि से विषय में सहाय देवे।

शुद्ध उद्योग—भारत के इतिहास में प्रथम बार शुद्ध उद्योगों का औद्योगिक नीति में सम्मिलित किया गया। यह मान लिया गया कि देश की अल्प व्यवस्था में शुद्ध उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये उद्योग व्यक्तिगत शोभीत तथा सहकारी साहस का प्रास्तावित करने हैं तथा स्थानात्मक साधना—मानवीय एवं भौतिक का उपयोग करने में सहायक होते हैं। इनके द्वारा स्थानीय नौ मन्त्रिमन्त्र प्राप्ति का जा सकता है। इनसे उपमाता का आयदयक वस्तुओं का उत्पादन वस्तु कृषि जोड़ा जाय क उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। इन उद्योगों के विकास के लिए कृषि मान सत्ता शक्ति, शक्ति व सहाय विधिनि सगठन तथा बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में सुरक्षा का आयोजन किया जाय। ये सभी कार्य प्राप्ति सरकारी द्वारा किए जाते थे। कर्माय सरकार कर्मा यह जानकारी प्राप्ति कर कि इन उद्योगों का बड़े उद्योगों के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जा सकता था। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि वर्तमान में तराट्टीय परिस्थिति में विदेशों में बड़े उद्योगों के लिए पूजागत मामान प्राप्ति करना कठिन है इसलिए सधु औद्योगिक सहकारी समितियों का बचाव दिया जाय।

विदेशी पूजा—औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन् १९४८ का प्राप्ति क सुरक्षा याद विदेशी विनियामकों ने भारत सरकार का विदेशी पूजा की व्यापक लाभों के भुगतान तथा विदेशी व्यवसायों को भारतीय व्यवसायों की तुलना में प्राप्ति हान का

घर धार निर्माता जय जिससे सम्पूर्ण लक्ष्य पटक लक्ष्य का प्रतिस्थापन हो भव । यह वायु बहुत धार धार नहीं हाना चाहिए परन्तु इमक लिए कोई ऐसी वायुवायु भी नष्ट हाना चाहिए जिससे कोई वर्षादा हो ।¹

इन विचारों से पूजन सहमत न हान हुए प्रोफेसर व० टी० गान्धर्व प्रस्ताव पर अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये । यह कोई ऐसी नीति नहीं था जो एक एमरे राज्य को अपनाया चाहिए जो विकासशील हो तथा राज्य के हित के लिए अधिकतम मात्रा में वायुवाही करने के लिए इच्छुक हो । मैं उस प्रस्ताव में कटवट इनामिन् हो असम्पूर्ण नहीं कि उसमें कुछ वायुवाहियों का काम रखा गया । प्रस्तुत नीति लिए भी कि इसमें जनक आयवाहियों पर प्रयोग न चलने का भाग भी है । अधिकतम रूपित उदाहरणों का राज्य के लिए छाड़ा गया तथा सर्वोत्तम उदाहरण यूनाइटेडिया के लिए छाड़े गये हैं जो केवल नाम के लिए हा वायु करने हैं । इस वयन में वया लाभ है कि हम वय तक यूनाइटेडिया का भाषण करने का अधिकार लिया जायगा जिसमें वह समस्त धन का मग्नह कर ल और अधिकारी की पालिया के लिए कटवट नियमना हो छाड़ ले ।²

औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन् १९४५ के त्रिवाचित करने समय यह अनुभव किया गया कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कटवट एवं राज्य सरकारों में सम वय का अभाव रहा और राज्य सरकारों ने कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण सम्भावित समय के पूर्व ही कर लिया । राज्य सरकारों में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए विनाय उत्याह या जिनके कतरकटप, पर्वान्त साधनी एवं समबद्ध प्रायधिकनाभा पर विचार

1 One had to be careful that in taking any step the existing structure was not injured much. In the state of affair in the world and India today any attempt to have a clean slate, i.e. a sweeping away of all that they had got would certainly not bring progress nearer but rather delay it tremendously. The alternative to that clean slate was to try to rub out here and there to write on it gradually to replace the writing on the whole slate not too slowly but nevertheless without a great measure of destruction in its trail. —Late Pt Jawahar Lal Nehru

2 This was not a policy that a state desiring to be progressive desiring to advance the well being of the country to the utmost possible degree should adopt. I am disappointed with the resolution not only because of its sins of commission but also because of its sins of omission. The worst possible examples were left to the state and the best possible examples were left to the capitalists seeking profits and profits only. What was the use of saying that for ten years the capitalist would be given a chapter of exploitation under which he could take out all the kernal and leave the husk to posterity.

लिए बिना ही उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तब से ही औद्योगिक इकाइयों का प्रबंध एवं प्रशासन सरकारी प्रशासन अधिकारियों के हाथ में सौंपा गया जो व्यापार व प्रशासन-क्षेत्र से अनभिज्ञ थे। इन अधिकारियों का आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान करने का पर्याप्त आयोजन नहीं किया गया। औद्योगिक प्रस्ताव एवं औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम, सन् १९४१ द्वारा अन्ततः से ही काय-बाहियों पर इससे प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि अन्ततः से ही काय-बाहियों पर कोई प्राप्ति न रहे।

औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम, सन् १९५१

[Industries (Development and Regulation) Act, 1951]

औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन् १९४८ का तब से ही काय-बाहियों पर व्यापक रूप से भारत सरकार को जो अनुभव प्राप्त हुए तथा भारतीय मजदूरों के अनुसार मजदूरों के राष्ट्रीयकरण का खर्च होने पर यह आवश्यक समझा गया कि औद्योगिक विकास अधिनियम का निर्माण करना आवश्यक समझा गया। दूसरी ओर सन् १९४९ में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने पर अर्थ-व्यवस्था को योजना के अन्तर्गत मजदूरों को देने के लिए योजना के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों के नियमन करने का आवश्यकता महसूस की गयी। इन्हीं कारणों से अक्टूबर सन् १९४९ में औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, सन् १९५१ पास किया गया जो सन् १९५० से लागू हुआ।

प्रारम्भ में यह अधिनियम केवल ३६ उद्योगों पर लागू हुआ था, परन्तु धीरे-धीरे इसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत किया गया और अब यह १६० उद्योगों पर लागू हुआ है। प्रारम्भ में यह अधिनियम केवल ऐसी औद्योगिक इकाइयों पर लागू हुआ था जिनमें एक लाख रुपये या इससे अधिक पूँजी निवेशित थी। सन् १९५३ में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और यह सभी औद्योगिक इकाइयों पर लागू होने लगा। अब उनका आकार कुछ भी क्यों न हो। सन् १९५६ के संशोधन द्वारा यह अधिनियम उन इकाइयों पर लागू किया गया जिनमें १० व्यक्ति शक्ति की सहायता से श्रम १०० व्यक्ति शक्ति की सहायता में कार्य करते थे। फरवरी सन् १९६० के संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ, जिनमें १०० से कम श्रमिक कार्य करते हैं और जिनको म्याची सम्पत्तियाँ १० लाख रु० से कम हैं उनका इस अधिनियम के अन्तर्गत आदेश लेना आवश्यक नहीं है। जनवरी सन् १९६४ से यह १० लाख रु० की सीमा बनाकर २५ लाख रु० कर दी गयी है (कम से कम होने हुए उद्योगों को छोड़ कर)।

इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य उद्योगों का विकास एवं नियमन, मजदूरों को अधिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारधारकों के अनुसंधान करना है। इसके द्वारा सरकार को देश में उपलब्ध साधनों के उचित उपयोग करने, तथा एक वृद्ध उद्योग

का समचित्त विकास करने तथा उद्योगों का दमन उचित क्षेत्रों में वितरण करने के लिए कायदाद्वारा करने का अधिकार मिल गया है।

अधिनियम में लिए गये आयाजनों का हम तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं—

(अ) निरोधकक आयाजनों—इस वर्ग के अन्तर्गत ऐसे आयाजनों सम्मिलित किए जा सकते हैं जिनके द्वारा सरकार औद्योगिक इकाइयों की राष्ट्रीय आर्थिक नीति में विरोध में की जाने वाली कायदाद्वारा का प्रतिबन्धन कर सकती है। इन आयाजनों में तीन मुख्य कायदाद्वारा सम्मिलित हैं—

(१) औद्योगिक इकाइयों का रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंस—अधिनियम के अन्तर्गत ही हुई अनुमति में सम्मिलित समस्त उद्योगों की वर्तमान लोक एवं अलाइनमेंटों का इकाइयों का अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट अवधि के अन्दर रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। इन उद्योगों में स्थापित होने वाली नवीन इकाइयों की स्थापना के द्वारा सरकार से लाइसेंस प्राप्त कर हा की जा सकती है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को नवीन औद्योगिक इकाइयों स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं होती परन्तु राज्य सरकारों का नवीन इकाइयों की स्थापना करने के पूर्व के द्वारा सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। लाइसेंस जारी करते समय के द्वारा सरकार कक्षा औद्योगिक इकाइयों का निर्धारण करने की पूर्ति करने के लिए निर्णय दे सकती है। रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक इकाइयों का निर्माण नवीन वस्तु का निर्माण करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। औद्योगिक इकाइयों के विस्तार करने तथा स्थान-परिवर्तन करने के लिए भी लाइसेंस अथवा स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

(२) अनुसूचित उद्योगों की जीव पट्टाल—जब किन्हीं लाइसेंस प्राप्त अथवा रजिस्ट्रेशन उद्योगों के उत्पादन में अधिक कमी हो जाये अथवा उसका वस्तुमान के गुणों में गिरावट हो जाये अथवा उसका उत्पादन के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हो जाये अथवा उस उद्योग का प्रत्यक्ष ठीक न हो तो केन्द्रीय सरकार उसे औद्योगिक इकाई की जीव पट्टाल कर सकती है और जीव पट्टाल के आधार पर उद्योगों को आवश्यक निर्णय दे सकती है।

(३) रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस का निरस्त करना—अधिनियम के अन्तर्गत के द्वारा सरकार को अधिकार प्राप्त है कि जब रजिस्ट्रेशन मिथ्या प्रतिनिधित्व द्वारा प्राप्त किया गया हो अथवा रजिस्ट्रेशन किसी भी कारण से अभाववाली न रहा हो तो ऐसे रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर सकता है। इसी प्रकार लाइसेंस जारी होने के पश्चात् किसी उद्योग की स्थापना निर्धारित अवधि के अन्दर न की जाये तो के द्वारा सरकार ऐसे लाइसेंस का निरस्त कर सकती है। के द्वारा सरकार को जारी किए हुए लाइसेंस में सुधार करने का अधिकार भी है।

(घ) सुधारकक आयाजनों—जब कोई औद्योगिक इकाई के द्वारा सरकार

हाथ जागे बिचे निर्देशों का पालन न करे अथवा इसे इस प्रकार मर्यादित किया गया कि इसकी कार्यवाहियाँ सम्बन्धित न्याय अथवा अन्याय के क्षेत्र में हों तो केन्द्रीय सरकार इन इकाई का प्रबंध अथवा नियंत्रण करने हाथ में ले सकती है। मन्त्रालय द्वारा प्रबंध प्रदान हाथ में ले जन पर कम्पनी व जेजुपारियों के अधिकारों का कम कर लिया जाता है अथवा यह अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के अधिन में लाता है।

(ग) **एकमात्रक आयाजन**—इस अधिनियम में प्रोत्साहित गानि एवं सहयोगी की भावना उत्पन्न करने के लिए सरकार, उद्योग अथवा अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों पर प्रायः कुछ सम्पत्तियों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इनमें से कुछ प्रमुख सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है—

(१) **केन्द्रीय सलाहकार परिषद् (Central Advisory Council)**—इस परिषद् में ३० सम्पत्तियाँ हैं जिनमें केंद्रिय उद्योग एवं वाणिज्यमन्त्रालय की सम्पत्तियाँ हैं। इसका अध्यक्ष केंद्रिय सरकार द्वारा नामित किया जाता है। न्याय एवं वाणिज्यमन्त्री इस परिषद् का सभापति होता है। इस परिषद् केन्द्रीय सरकार का अनुमूलित उद्योग, विकास एवं नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान तथा अधिनियम के लिए नियम (Rules) बनाने के सम्बन्ध में सलाह देती है।

(२) **केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की स्टांडिंग समिति (Standing Committee)**—स्टैंडिंग समितियों की स्थापना समय-समय पर विभिन्न उद्योगों की वृद्धि वृद्धि वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए की जाती है।

(३) **विधान-परिषदें**—अधिनियम में विभिन्न अनुमूलित उद्योगों की वृद्धि अथवा उनके समूहों की विकास-परिषदें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इन परिषदों में सम्बन्धित उद्योगों के अथवा, पूर्वी उद्योगों, शक्ति-निर्देशकों आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक परिषद् एक सम्मिलित सम्पत्ती होती है जो सम्पत्ति अधिकार में रख सकती है तथा अन्य अर्थों पर अपने नाम से मुद्रणा कर सकती है एवं उस पर मुद्रणा किया जा सकता है। इन परिषदों के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं—

(अ) उत्पादन के अर्थों की विपणन करना न्यायन-कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना तथा समय-समय पर उद्योग की प्रगति की जांच करना।

(ब) अल्पकाल की दूर करने अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने समूहों के उद्योगों में सुधार करने तथा लाभ के वसूली के लिए कृपाया के प्रकारों के सम्बन्ध में सुझाव देना।

(३) स्थापित उत्पादनमन्त्रालय का सूचक उद्योग प्राप्त करना।

(४) उद्योग विपणन की व्यवस्था करना।

(५) नियंत्रित करने वाले की विवरण-सहायता प्रदान करना।

(क) कर्मचारियों के तांत्रिक प्रशिक्षण वा यवस्था करना ।

(ए) वनानिक एव औद्योगिक अनुसंधान करना ।

(ऐ) साक्ष्य का संग्रहण करना आदि ।

इस समय १४ परिषदें काम कर रही हैं । य निम्नलिखित उद्योगों में सम्बद्ध हैं—

(१) अनाजविक्रय रसायन (२) गन्ध (३) भारी विजात वा सामान (४) औषधियाँ (५) मंगान निर्माण (६) ऊनी वस्त्र, (७) कलात्मक रंगी वस्त्र (८) मंगाना के औजार (९) असीह धातु (१०) तन, यार्निंग जालि (११) लोहा सामग्री (१२) काननिक रसायन (१३) वायुज लुगदी एव अन्य सहायक उद्योग (१४) मोटरगाडियों व सहायक उद्योग यानवाहन वाहन उद्योग, ट्रक्टर तथा भूमि पर चलन वाले अन्य औजार ।

(४) औद्योगिक पैनल (Industries Panels)—जा उद्योग अभा पूर्ण विकसित नहीं है अथवा जिनमें विकास परिषदों का स्थापना करना सम्भव नहीं है, उन अनुसूचित उद्योगों में औद्योगिक पैनल की स्थापना की गयी है । यह पैनल सम्बन्धित उद्योगों का विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करती हैं तथा उनका कष्टनाश एव तांत्रिक ज्ञान की आवश्यकताओं का जानकारी प्राप्त कर सरकार का सिफारिशें करती हैं ।

केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित उद्योगों पर एक कर लगाने का अधिकार है । यह कर उत्पादित वस्तुओं का मूल्य घटाने के लिये प्रयोगित हो सकता है । इस कर से प्राप्त धन को विकास परिषदें वनानिक एव औद्योगिक अनुसंधान विज्ञान एव गुण म सुधार तांत्रिकों को प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक सेवाएँ लिये व्यय करेंगी ।

दत्त समिति

अधिनियम ४ उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि औद्योगिक क्षेत्र को विशेष अर्थव्यवस्था की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम था । इसके द्वारा सरकार का यह अधिकार ही गया कि विभिन्न उद्योगों का प्राथमिकताओं के अनुसार संचालन तथा क्षेत्र एव अलाका क्षेत्रों में समन्वय स्थापित किया जा सके । प्रशासनिक नियंत्रण का सफलतापूर्वक यह कायदा है । अत्यन्त आवश्यक था, परन्तु इस अधिनियम को पारित करने के लिये नवीन उद्योगों में पूंजी विनियोग करने के प्रोत्साहन को टट पड़ना पड़ा कि औद्योगिक लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण का लाभ बड़े बड़े उद्योगपतियों एवं औद्योगिक वर्गों को ही उपलब्ध हुआ । केन्द्रीय सरकार द्वारा एक औद्योगिक लाइसेंसिंग आयोग (दत्त समिति) की स्थापना की गयी जिसका सन् १९५६ में सन् १९६६ में अधिनियम औद्योगिक लाइसेंसिंग पद्धति के दोषों का उन्निवेश कर यह बताया गया कि इस पद्धति के अंतर्गत कुछ आवश्यकताओं का अर्थ आवश्यकता की तुलना में क्या अधिक लाभ प्रदान किया गया है । समिति को यह भी जांच करना थी कि लाइसेंसिंग प्रशासनिक

की स्थिति एवं उनका द्वारा कर्तव्यकारी उत्पादनक्षमता का क्या परिमाण रहा। समिति ने ७३ बड़े औद्योगिक शृंखलों का विस्तृत अध्ययन किया। समिति के अनुसार ५१ उत्पादों से सम्बन्धित बड़े औद्योगिक शृंखलों का १०% या इससे भी अधिक साइज में पर नियंत्रण प्राप्त था। साइज से प्राप्त उत्पादनक्षमता में बड़े औद्योगिक शृंखलों का अधिक अनुपातिक क्षमता प्राप्त हुई। ३७ उत्पादों के सम्बन्ध में विवना उत्पादन क्षमता के लिए साइज से जारी किये गये उनका २५% में अधिक भाग बड़े औद्योगिक शृंखलों का प्राप्त हुआ। समिति के अनुसार, सन् १९५०-६० के दशक में जारी किये गये साइज से से ३१% का त्रिआंकित नहीं किया गया। औद्योगिक शृंखलों का त्रिआंकित प्रायः बड़े औद्योगिक शृंखलों द्वारा नहीं किया गया। विटला ग्रुप द्वारा १०६ और टाटा ग्रुप द्वारा ४७ साइज का त्रिआंकित नहीं किया गया। प्रायः बड़े व्यापार शृंखलों में एक ही उत्पाद के लिए एक से अधिक साइज से प्राप्त किये और फिर उनमें एक या कुछ का ही त्रिआंकित किया। सन् १९६६ में २०% (सावजनिक एक निजी) समामित कम्पनियों में २१.६७ बड़े औद्योगिक शृंखलों के नियंत्रण में थीं। समामित निजी क्षेत्र का जारी किये साइज से २०% से २१.६७ कम्पनियों का जारी किये गये। दूसरी ओर २७,६६८ कम्पनियों का ६०% साइज से प्राप्त हुए।

सन् १९५६ से १९६६ के दशक में १०,०१६ साइज से जारी किये गये। इनमें से ६१.८१ को त्रिआंकित किया गया, ६७२ का आंशिक त्रिआंकित किया गया १७७६ समायोजन कर दिये गये और ३६६ स्वच्छित कर दिये गये तथा १७७६ का त्रिआंकित नहीं किया गया। १६८ साइज से सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। त्रिआंकित न किये गये साइज से से ८०१ तक से भी अधिक पुराने थे। त्रिआंकित न किये गये साइज से से परिणामस्वरूप नवीन आविष्कारों को उत्पादनक्षमता का निमाण प्रथम विस्तार करने की स्वीकृति नहीं दी गयी क्योंकि आयोजित समन्वय उत्पादनक्षमता के लिए साइज से जारी किये जा चुके। इस प्रकार बड़े उद्योगों के विकास से मिलकर प्रतिस्पर्धा में अपने आप को मूल करने में समर्थ हो सके।

दस समिति ने औद्योगिक शृंखलों को प्रदान करने वाली संस्थाओं के सार्वजनिकों का भी अध्ययन किया। सन् १९५६-६६ के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र की विनीय संस्थाओं द्वारा निजी क्षेत्र को ८०८ करोड़ ₹० की दीयकालीन सहायता स्वीकृत की गयी। ८०८ करोड़ ₹० को इस राशि में से ३६१ करोड़ ₹० की सहायता ७३ बड़े औद्योगिक शृंखलों का प्रदान की गयी। १८३ करोड़ ₹० की राशि में अर्थात् कुल वित्तीय सहायता का २३% भाग २० बड़े औद्योगिक शृंखलों को प्रदान किया गया। इस प्रकार वित्तीय सहायता की सहायता का अधिकतर लाभ बड़े औद्योगिक शृंखलों को उपलब्ध हुआ जिसका प्रमुख कारण इन संस्थाओं में पारंपरिक समन्वय की बनी तथा इनका द्वारा सहायता के सम्बन्ध में स्पष्ट प्राथमिकताओं का निर्धारण न किया जाना था।

चतुर्थ योजना में औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति—औद्योगिक लाइसेन्सिंग का उपयुक्त दोष। एक विभिन्न औद्योगिक उत्पादों एवं कच्चे माल की पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि हानि का कारण अब उत्पादन एवं माँग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है। पूँजीगत प्रासाधनों की पूर्ति में वृद्धि हानि, औद्योगिक आधार का सुदृढ़ हानि तथा कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धि का जानने के कारण देश में ऐसे उद्योगों के विस्तार का आवश्यकता महसूस की गयी है जो देश के साधनों पर हानि निर्भर रहते हैं। प्रस्तावित चतुर्थ योजना में औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति के मुख्य तत्त्व निम्न प्रकार हैं—

(१) सम्पूर्ण आधारभूत एवं सामरिक मन्त्र के उद्योगों जिनमें विनियोजन अधिनियम लागू किया जाना है तथा जिन्हें विदेशी विनिमय की अधिक आवश्यकता होती है का विनियोजन सख्तता में किया जायगा और इनका लाइसेन्सिंग किया जायगा। इन उद्योगों का सम्प्रदाय में लाइसेन्स जारी करने का परवाना सात दिवसीय विनिमय तथा अल्प पूर्ति (Scarce) वाले कच्चे माल इनको उचित समय पर प्रदान किया जाना चाहिए।

(२) ऐसे उद्योगों जिन्हें विदेशी विनिमय द्वारा पूँजीगत प्रासाधनों की प्राप्ति के लिए सीमांत महत्त्वता की आवश्यकता है उन्हें लाइसेन्सिंग से मुक्त रखा जाय। इन उद्योगों में विदेशी विनिमय की आवश्यकता उनके कुल पूँजीगत प्रासाधनों के दू-बे १०% के बराबर निर्धारित की जा सकती है परन्तु ऐसे उद्योगों जिनमें पूँजीगत प्रासाधनों के लिए सात दिवसीय विनिमय की कम आवश्यकता हो परन्तु इनके निर्वाह आयात बड़ी मात्रा में आवश्यक हो सा इन उद्योगों को लाइसेन्सिंग से सख्त आवश्यक हानि चाहिए।

(३) ऐसे उद्योगों जिनमें पूँजीगत प्रासाधनों अथवा कच्चे माल के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता नहीं है, उन्हें औद्योगिक लाइसेन्सिंग से मुक्त रखा जाय। इन उद्योगों में निजी क्षेत्र को विपणन की परिधि तथा क अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक संचालित करने का अधिकार होना चाहिए।

उपरोक्त प्रस्तावित औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति को कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ उदय हो सकती हैं जैसे बड़े नगरो में उद्योगों का अधिक कांक्षितकरण परम्परागत एवं लघु उद्योगों की अबाधनीय प्रतिस्पर्धा का सामना तथा आर्थिक वस्तुओं का कटौतकरण। इन दोषों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु पीछे पला का सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति

प्रथम योजना में मनु १९५० की औद्योगिक नीति का सिद्धान्त का आधार माना गया जोर औद्योगिक विकास के कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किए गए जिसमें सरकारी एवं निजी—दोनों क्षेत्रों का विस्तार एवं विकास हो सके। योजना ॥ ४२

उद्योगों का विस्तार करन का विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया तथा इस उद्योगों के विकास का वाय निर्णय क्षेत्र को दिया गया। इन उद्योगों में यांत्रिक इंजीनियरिंग विद्युत् इंजीनियरिंग, धातु उद्योग रासायनिक उद्योग, तख्त उद्योग, काष्ठ उद्योग आदि सम्मिलित थे। दूसरी बार सरकारों ने न ऐसे उद्योग सम्मिलित किए गये जिनसे पूंजीगत एवं आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन बनाया जा सके। प्रथम चारना की औद्योगिक प्राथमिकताएं निम्न प्रकार थी—

(अ) उत्पादकों के लिए आवश्यक वस्तुओं के उद्योग, जिन परचम एंड प्लाट वुड (PI) Wood) तथा टयन कारों की इंजिन के आवश्यक अंशों, तैल पंप, इन्जन, सायुज्य एक बनस्पति उद्योगों की बनमान उत्पादन गति का पूंजीगत उद्योग।

(आ) पूंजीगत एवं उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों की उत्पादन-गति में वृद्धि, जिन लोहा एवं इस्पात एम्प्लोमिन्टम आर्मेन्स एंड भाग समाप्त नगरीयों के पुर्न आदि।

(इ) जिन औद्योगिक इकाइयों पर करा माप्रा म पूंजी विनियमित हो चुकी है उनकी पुर्न।

(ई) औद्योगिक विकास हेतु पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में सम्मिलित उद्योगों की स्थापना जिन विषयम स सरकार का निर्माण, जिन की पुर्न आदि।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव सन् १९५६—सन् १९५६ में सन् १९६० की औद्योगिक नीति का आठ वष अंतीत हो गये थे। इस नीति के ० वर्षों के अनुभवों तथा सध्य अवधि के परिघटनों के आधार पर नीति की योजना करना आवश्यक समझा गया। इन ० वर्षों में भारतीय अधिधान का काम हुआ जिसके द्वारा भारतीय नीति निर्देशक एवं नियंत्रण किए गये हैं। सावधानता द्वारा सन् १९५६ में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करना राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों का उद्देश्य मान लिया गया। इसके साथ प्रथम पंचवर्षीय योजना की पूरा हो चुकी थी तथा इसके अनुभवों के आधार पर अविष्यन्त नियोजन ऋण संबंधी औद्योगिक नीति की आवश्यकता थी। समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना के लिए लोक साहस की स्थापना एवं असमानताओं में कमी करने का मुद्दा रखा गया। जनसमुदाय के कल्याण के लिए गौण औद्योगिक-एण की आवश्यकता समझी गयी थी। इन्हीं समझ वारणों में औद्योगिक नीति में आवश्यक परिवर्तन किए गये।

३० अप्रैल सन् १९५६ की औद्योगिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव सध्य प्रदान करने से श्री जवाहरलाल नेहरू ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव में उत्पादन में निरन्तर वृद्धि एवं समान वितरण को अधिक महत्व दिया गया था तथा राज्य की औद्योगिक विकास में क्रियाशील भाग लेने की विचारिण की गयी थी। प्रस्ताव के अनुसार राज्य की पुर्न, परमाणु-शक्ति तथा रोज-व्यवस्था पर एकाधिकार प्राप्त करने के साथ-साथ ६ आधारभूत उद्योगों का संबंधी इकाइयों की स्थापना का एव-

मात्र अधिकार भी हाना चाहिए था। ये सब उद्योग म व्यक्तिगत साहम का काय करन का अवसर दिया जाय, परन्तु राज्य को इस क्षेत्र म भा भा साहम सन को सिफारिश की गयी।

नवीन औद्योगिक नाति द्वारा समस्त उद्योगों को तार बर्धों म विभाजित किया गया जा निम्न प्रकार है—

(अ) केन्द्रीय सरकार का अन्वय एकाधिकार क्षेत्र—इस बग म १७ उद्योग सम्मिलित किए गये जिन्हें प्रथम अनुसूचा (Schedule 'A') म रखा गया। इन उद्योगों का नवीन इकाइयों की स्थापना करन का उत्तरदायित्व राज्य का ही होगा, परन्तु निजी उद्योगपतियों के स्वाधित्व म इन उद्योगों का जा बतमान इकाइयों हैं उनमें विस्तार एवं उन्नति क लिए राज्य द्वारा समस्त सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी और आवश्यकता पडन पर राज्य भी राष्ट्र क हिताय निजी क्षेत्र म सहयोग की योजना कर सकता है। रेलव तथा वायु यातायात अल्प एवं परमाणु शक्ति का विभाग केंद्रीय सरकार द्वारा ही किया जायगा। निजी क्षेत्र का जब सहयोग प्राप्त किया जायगा ता राज्य पूजी का अधिक भाग देकर अथवा अन्य विधियाँ द्वारा एका इकाइया का नीतियों क निर्धारण एवं नियंत्रण का शक्ति अपन अधिकार म रखेगा। इस बग म निम्नांकित उद्योग सम्मिलित किए गये—

(१) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग—अस्त्र, शस्त्र तथा अन्य युद्ध सामग्री क निर्माण क उद्योग तथा अनु शक्ति उत्पादन।

(२) बृहद् उद्योग—साहा एवं इस्पात सीहा एवं इस्पात की भारी ढली हुई बस्तुएँ सीहा एवं इस्पात क उत्पादन खनिज तथा मणियों क भारी बीजार निर्माण करन क लिए भारी मणियों क उद्योग भारी विजली का सामान बनाने वान उद्योग आदि।

(३) खनिज सम्बन्धी उद्योग—कोयला लिगनाइट खनिज तेल साहा खनिज जिप्सम, मैंगनीज सल्फर साना, चीनी ताँबा हीरा इत्यादि।

(४) यातायात एवं सवादाहन सम्बन्धी उद्योग—वायुयानों का निर्माण वायु यातायात जलयानों का निर्माण टेलीफोन, टेलीग्राफ वायरलेस रन यातायात इत्यादि।

(५) विद्युत उत्पादन एवं वितरण।

(आ) राज्य तथा व्यक्तिगत मितित क्षेत्र—इस बग म व्यक्तिगत पूजीपतियों एवं सरकार दोनों को नवीन औद्योगिक इकाइयों स्थापित करन का अवसर प्राप्त होगा अर्थात् इस बग क उद्योगों का नवीन इकाइयों की स्थापना का उत्तरदायित्व सामूहिक होगा परन्तु इस बग के उद्योगों को लगभग राष्ट्रीय स्तर म न किया जायगा। इस बग म कुल १२ उद्योग हैं जिन्हें अनुसूची ब (Schedule B) म रखा गया है। ये उद्योग इस प्रकार हैं—

(१) मिनरल्स बन्वेगन एन्ड सन् १९६० की धारा ३ में परिभाषित न्यून सनिजों के अतिरिक्त अन्य सभी सनिज ।

(२) बन्धुसैनियम तथा अथोह धातुएँ जो अनुसूची 'ब' में सम्मिलित न हों

(३) मंगीन जीवार

(४) लोह मिश्रण तथा जीवार इस्पात

(५) रासायनिक उद्योगों में उपयोक्तृ लाभकारी ज्ञान-युक्त तथा मध्यम या बड़ी धनुएँ

(६) इंट्रोड्यूसिबल एन्ड जय आर्थोडॉक्स इकाया ,

(७) माइ

(८) इन्विजिबल

(९) हाथेल का बाजार में परिवर्तन

(१०) रासायनिक युग्म ,

(११) सडक-यातायात ,

(१२) समुद्र यातायात ।

(क) व्यक्तियुक्त उद्योग के क्षेत्र—जैव समस्त उद्योग इस शीर्षक का में सम्मिलित किये गये । इसमें सभी उद्योगों के साथ साथ कुनाई उद्योग, ज्वान, सीमेंट, बरत, गन्कर आदि सभी उद्योग सम्मिलित हैं । इन उद्योगों का भारी विकास साधारण निजी क्षेत्र द्वारा ही किया जायगा परन्तु सरकार को इन क्षेत्र में भी अपनी औद्योगिक दृष्टाव्या व्यापित करने का अधिकार होगा । सरकार इन उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए सहायता पूर्ण शक्ति तथा जय आर्थोडॉक्स साधनों का आदान करने का प्रयास करेगी तथा सरकार एक अतिरिक्त कर-नीति द्वारा इनके विकास का प्रोत्साहित किया जायगा ।

औद्योगिक नीति की अन्य विशेषता

(१) समाजवादी प्रकार के समाज का निर्माण करने तथा समृद्धि का समान वितरण करने के लिए प्रमुख साधनरूप उद्योगों, सुरक्षा एवं उनीरयोगी उद्योगों का शासकीय क्षेत्र में रखा जायगा । जय अनेक उद्योगों जिनमें अधिष्णु पूंजी की आवश्यकता है तथा जिनमें अधिक प्रोत्साहन के कारण निजी माह्य निरियोजन करने की सम्भरता न हो, का विकास करने का उत्तरदायित्व सरकार का ही होगा । यह प्रकार सरकारी क्षेत्र का औद्योगिक विकास के अतिरिक्त अधिष्णु भाग पर आधुनिक होना पड़ेगा । सरकार उचित समस्त बड़े-बड़े उद्योगों का स्वायत्त तथा प्रयत्न करने रूप में लेती जायगी ।

(२) सरकार देश की समस्त अधिष्णु क्रियाओं में दृष्टा हुआ भाग लेगी तथा यह शक्ति एवं धन के केन्द्रीयकरण का रखने का चेष्टा करेगी ।

(३) उद्योगों के तीन वर्गों में विभाजन का अर्थ यह नहीं होगा कि इन वर्गों का स्थिर मान नियम आवश्यक। विशेष परिस्थितियों में इन वर्गों में हेर फेर हा सकेगा तथा विनियोजित व्यवस्था के संचालन अनुभवों के आधार पर सरकार तथा निजी साहस के वायजों में परिवर्तन हा सकेगा। इस प्रकार औद्योगिक नीति में परिवर्तन-शीलता को विशेष स्थान दिया गया जा नियोजित जय व्यवस्था के विकास हेतु आवश्यक हानो है।

(४) सन् १९५९ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में राष्ट्रीय अर्थ-पध तथा म धृह तथा लघु उद्योगों के विकास को महत्वपूर्ण बनाया गया है। इनसे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हाती है राष्ट्रीय आय का उमान वितरण हा रकना है तथा निम्न-पू जो एव निपुणता के साधना में गतिशीलता उत्पन्न होता है। इस प्रस्ताव द्वारा लघु उत्पादन की प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी क्षमता में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जायगा। इससे साथ लघु एव वृहद् उद्योगों में सम-वय स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यक वायवाही करेगी। सगठित उद्योगों का उत्पादन सीमा निश्चित कर भेदात्मक नीति (Discriminating Policy) द्वारा तथा प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान कर ग्राम एव कुटीर उद्योगों का सरकार सगठित करेगी।

(५) सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों के असन्तुलित औद्योगिक विकास का रकने का प्रयत्न करेगी तथा इस उद्देश्य को पूर्ण हेतु औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए क्षेत्रों में गति जल तथा यातायात सम्बन्धी सुविधाओं का आयोजन करेगा। जिन क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक मात्रा में हागी उनको अधिक औद्योगिक सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

(६) देश का सगुलित औद्योगिक विकास करने के लिए तांत्रिक एव प्रबन्धकों की आवश्यकता हागी इसीलिए सरकार आवश्यक शिक्षा एव प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रयत्न करेगी।

(७) देश के औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान हागा। निजी क्षेत्र को निश्चित सीमाओं में तथा निश्चित मायनों में अनुसार विकास करने का अवसर प्रदान किया जायगा।

(८) सरकार इस बात का प्रयत्न करेगा कि उद्योगों का संचालन निर्धारित औद्योगिक नीति के अनुसार हा परन्तु एक ही उद्योग में ग्रासकाय तथा व्यक्तिगत इकाइयों के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं किया जायगा।

सन् १९४८ एव सन् १९५६ की औद्योगिक नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन—
दानों ही नीतियों के आधारभूत सिद्धान्त समान हैं तथा दोनों ही नीतियों द्वारा मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है। दोनों में ही व्यक्तिगत एव सरकारी क्षेत्र के सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का मायना दी गयी है। दोनों में ही ग्रासकीय क्षेत्र के विस्तार का आवश्यक बनाया गया है। औद्योगिक प्रबन्ध के समायाकरण योजनात्मक

अथ प्रथम चरण तथा १९५५ व आर्थिक मापना व नियंत्रण का नीति में ही मन्त्र दिया गया है, परन्तु यह समझना उचित न होगा कि नवीन औद्योगिक नीति पुनर्नी औद्योगिक नीति की मजबूत पुनरावृत्ति है। बतियव तमए दानों नीतियों के प्रवर्धन-करण तथा निम्न अन्तिव का उत्तरक रूप म प्रस्तुत करते हैं। व निम्न प्रकार—

(१) ग्राहकीय क्षेत्र का विस्तार—नवीन औद्योगिक नीति म ग्राहकीय क्षेत्र के निरन्तर विस्तार का आयापन किया गया है जबकि मन् १९४८ म गिने-नुन ग्राहकों का ही ग्राहकीय एकाधिकार म रखा गया था। इम यह स्पष्ट है कि ग्राहक गत दान उद्योग का विकास अपन हाथ म न सज्जा है।

(२) समाजवादी व्यवस्था की स्थापना—नवान औद्योगिक नीति म समाज वादी प्रकार क समाज के निर्माण का उद्ये रखा गया है। धन, आय एव गुन्नि के विके जीवकरण का नियम महत्त्व दिया गया है। प्रसमानताओं का कम करन के लिए शासकीय श्रेम यापारिक क्षेत्र म भी अधिकारिक भाग समा। मन् १९५८ की नीति म अधिक उत्पादन का विशेष महत्त्व दिया गया क्योंकि तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास करना अत्यन्त आवश्यक था।

(३) उद्योगों का क्षेत्रीय विकास—नवीन औद्योगिक नीति में देश क अन्तु निरत विकास को अधिक महत्त्व दिया गया है। इमी उद्देश्य ने औद्योगिक हस्ति के पिठक हृष्ट श्रेम का विकास क नियम ठास बहन करने का आयाजन किया गया है। मन् १९४८ का औद्योगिक नीति में इम आर विशेष ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है।

(४) उद्योगों के वर्गीकरण में शिथिलता—नवीन नीति म उद्योगों क वर्गीकरण में शिथिलता रखी गयी है। परिणामस्वरूप, योजना की आवश्यकतानुसार कार्य भी उद्योग किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है चाहे वह विदेशी भाष्य का हो।

(५) औद्योगिक यंत्रिकों की नाय करन की दगाओं में आवश्यक सुधार करने तथा उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने, औद्योगिक गुन्नि स्थापित करन, नाटूरिक विचार-विमग करन यंत्रिकों एवं तांत्रिकों की अन्तु भी सम्भव हो, प्रवर्ध में नाय लेन क अवसर प्रदान करने आदि का उत्तरदायित्व सरकारी श्रेम का नवीन नीति में निर्दिष्ट किया गया।

नवीन औद्योगिक नीति की आस्थापना विभिन्न षणों ने की है। प्रतिनिगशापी तथा दक्षिणपणीय नेताओं न इन्हे अदूरदर्शितापूर्ण तथा अनिष्टय त्रास्त्रिकारी बताया है। दूसरी ओर समाजवादी एवं सामपणीय नेताओं न इन्हे मण्यवादी व्यवस्था हनु रूपरूपण अनूपपुक्त बताया है। व्यावहारिक हस्तिनायु में औद्योगिक नीति की आना चना करने हृष्ट सागों न बताया है कि इसमें ग्राहकीय क्षेत्र को अधिक महत्त्व एवं अधिकार दिया गया है। फलस्वरूप व्यक्तिगत क्षेत्र में अनिश्चितता की भाषना उत्तर

हा सकती है। साथ ही, गणतन्त्र के कर्षण पर अधिक भार पड़ सकता है। दूसरी ओर, औद्योगिक नीति में राष्ट्रीयकरण जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्पष्टरूपसे कुछ नहीं कहा गया है। फलतः यतिगत उद्योगपति नये उद्योगों में पूँजी विनियमित करने के लिए प्रात्याह्वित न होंगे। आवश्यकतानुसार सरकार नीति के निर्धारित सिद्धान्तों में परिवर्तन कर सकती है। यह सम्भावना भी यतिगत साहसिकता में अनिश्चितता की भावना उत्पन्न कर सकता है।

उपरोक्त अस्पष्टताओं के हल हुए भी नवीम औद्योगिक नीति द्वारा कई भ्रम पैदा करने का निवारण हो गया है। समाजवादी प्रचार के समान की व्याख्या हेतु सरकार को विस्तृत साधन एवं अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इन नीतियों द्वारा देश के शीघ्र औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी है।

द्वितीय योजना में औद्योगिक नीति—प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तव में प्रारम्भिक तयारी का कार्यक्रम कहना चाहिए जो औद्योगीकरण के लिए आवश्यक होता है। वृहत् उद्योगों का स्थापना के पूर्व की विपणित कच्चे माल के रक्षण विनियमों का चयन, उत्पादनक्षमता तांत्रिक एवं श्रमिकों की व्यवस्थासम्बन्धी जनक समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है। बहुत से औद्योगिक योजनाओं के लिए विदेशी तांत्रिक सहायता प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास का जो अर्थ चाहिए उसका विभिन्न प्रकार प्रत्यक्ष किया जाय इस पर भी विचार करना आवश्यक होगा है। द्वितीय योजना के औद्योगिक कार्यक्रम निश्चित करने के पूर्व उपरोक्त समस्त समस्याओं का पूर्णरूपसे अध्ययन कर लिया गया था। योजना के कार्यक्रम औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा निर्धारित रतियोग के आधार पर ही बनाये गये तथा उन नीतियों की सामान्यता में भी ही औद्योगिक प्राथमिकताएँ निम्न प्रकार निश्चित की गयी—

(१) लोहा तथा स्पात भारी रसायन एवं वाइडोजन गार के उत्पादन में वृद्धि तथा भारी इन्जिनियरिंग एवं मशीन निर्माण उद्योगों का विकास।

(२) अम्ल विकास सम्बन्धी एवं उत्पादक वस्तुओं में अत्युत्पत्ति सामट, रासायनिक चुम्बकीय रंग वास्कु की खाद आवश्यक औपधिया की उत्पादनक्षमता में वृद्धि।

(३) वर्तमान राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का नवनीकरण तथा पुनः भगाने आदि लगाना जैसे बूट सूती वस्त्र एवं शक्कर उद्योग।

(४) जिन उद्योगों की उत्पादनक्षमता एवं वास्तविक उत्पादन में बहुत अन्तर है उनकी उत्पादनक्षमता का पूर्णतम उपयोग।

(५) उद्योगों के विवेचित क्षेत्र के उत्पादन क्षमता एवं सामूहिक उत्पादन क्षमता का आवश्यकतानुसार उपयोग वस्तुओं की उत्पादनक्षमता में वृद्धि।

द्वितीय योजना में लघु एवं ग्रामीण उद्योग सम्बन्धी नीति

कर्वे-समिति की सिफारिशों—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए जो ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास से सम्बद्ध राज्य सरकारों एवं विभिन्न परिषदों द्वारा याचनाएँ निमित्त की गयी थीं उन पर ग्रामीण लघु उद्योग समिति (Village Small Scale Industries Committee) ने विचार किया तथा अनुमोदन किया कि २६० करोड़ ७० का आयोजन इन उद्योगों के विकास हेतु किया जाय। इस राशि में ६५ करोड़ ६० की कायसीस पूँजी की आवश्यकताओं का भी सम्मिलित किया गया था। द्वितीय योजना में लघु एवं गृह उद्योग-सम्बन्धी कार्यक्रम प्रथम योजना की तुलना में अपेक्षित विस्तृत है। योजना आयोग ने जून मनु १९५५ में इन उद्योगों के कार्यक्रमों तथा समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ग्रामीण एवं लघु उद्योग (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) समिति की जा कर्वे-समिति के नाम से प्रतिष्ठित है, नियुक्ति की। इस समिति ने अपना सिफारिशों करते समय निम्न उद्देश्यों का आधान माना—

(१) जहाँ तक सम्भव हो द्वितीय योजनाकाल में परम्परागत ग्रामीण उद्योगों में तांत्रिक बेरोजगारी का और अपेक्षित विस्तार न हो।

(२) विभिन्न ग्रामीण एवं लघु उद्योग द्वारा द्वितीय योजनाकाल में अधिकतम रोजगार के अवसर प्रदान किए जायें,

(३) विकसित समाज की स्थापना तथा आर्थिक विकास की तीव्र गति के लिए आधारभूत प्रकार के आयाजन किये जायें।

वास्तव में तांत्रिक बेरोजगारी की समस्या जो आधुनिक उत्पादन की विधियों के उपयोग के कारण उत्पन्न होती है के विस्तार का रोकने के लिए लघु एवं ग्रामीण उद्योगों में रोजगार के अवसरों का बनाना विकसित समाज की स्थापना करना तथा उत्पादन की गति में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक होगी। समिति ने रोजगार की समस्या को सर्वाधिक महत्व दिया है और इसलिए उत्पादन की वृद्धि के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोई ऐसी कार्यवाही करने का सुभाव नहीं है जिससे रोजगार की स्थिति पर दुरा प्रभाव पड़े। यद्यपि उत्पादन की गति में वृद्धि के लिए उत्पादन की तांत्रिक विधियों में सुधार करना आवश्यक होगा परन्तु समिति ने इन मुद्दों की सीमा उच्च अवस्था पर निर्दिष्ट की है अर्थात् रोजगार के अवसरों में कमी न होनी हो। समिति की इस सिफारिश का यह अर्थ बदापि नहीं है कि आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त तांत्रिक विधियों द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने का आयोगन किया जाय। समिति की सिफारिशों में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि नयी पूँजी का धिनि धारण तथा सम्भव आधुनिक उत्पादन सामग्री में किया जाय अथवा एसी सामग्री में किया जाय जिसमें सुधार किये जा सकते हों। समिति के विचार में एक बेरोजगारों एवं अर्द्ध-रोजगार-ग्रस्त व्यक्तियों को जो ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में सम्बद्ध है उन्हें व्यवसायों में लाभप्रद रोजगार दिये जाने का प्रवचन करना चाहिए जिनमें उन्हें

परम्परागत प्रशिक्षण अनुभव एवं सामग्री प्राप्त है। इस प्रकार की व्यवस्था से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नयी पूँजी एवं प्रगतिश्रम श्रम की समस्या का निवारण हो सकता है। इस प्रकार मारों एवं आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति परम्परागत उद्योगों की विद्यमान पूँजी एवं श्रम से साधनीय हो जा सकती है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिनाय योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास को विशेष स्थान दिया गया था।

समिति की अर्थ सिफारिशों का समावेश इस प्रकार है—

(१) आर्थिक जागरूकता का सामूहिक संगठन जो विदेशीकरण तथा सहकारिता पर आधारित हो।

(२) उत्पादकों द्वारा बच्चे माल, जीभार तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का योजनाबद्ध पूर्ति के लिए अथवा विपणन सहकारी समितियों की स्थापना करना। सहकारी समितियों द्वारा वस्तुओं को संगठित विपणन की सुविधा का मा आधारित किया जाय। प्रारम्भिक अवस्था में सहकारिता को गारन्टीय प्रतिभूति (Guarantee) प्राप्त होना चाहिए।

(३) सहकारी विकास एवं गोदाम-व्यवस्था निगम (Co-operative Development Warehousing Corporation) की स्थापना के पश्चात् इस संस्था के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(४) दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य के वित्तीय निगमों में एक लघु उद्योग विकास की स्थापना की जानी चाहिए।

(५) रिजर्व बैंक को ग्रामीण एवं सहकारी उद्योगों को वित्त प्रदान करने के कार्यक्षेत्रों के लिए पूंजीगत उत्तरदायी कर दिशा ज्ञान जिस प्रकार कृषि-संशोधन हेतु रिजर्व बैंक उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त स्टैंड बैंक आफ इण्डिया का लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

(६) केंद्र में एक पृथक विभाग जो केबिनेट श्रेणी के मंत्रों के अधीन हो की स्थापना ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए की जानी चाहिए। इसके साथ, केबिनेट की एक समिति का स्थापना ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए की जानी चाहिए।

(७) उपयुक्त सिफारिशों के अतिरिक्त समिति ने कुछ प्रतिबंध मन्त्रों की सिफारिशों की। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के प्रारम्भिक विकासकाल में उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के उत्पादन की अधिकतम सीमा निश्चित हो जानी चाहिए। इस कार्यवाही से लघु एवं ग्रामीण उद्योगों में उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं का माँग में वृद्धि हो सकेगी। समिति ने कपड़ा बुनने तथा हाथ से चालते कूटने के उद्योगों का संरक्षण देने के लिए चालते के कारखानों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश का जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ये उद्योग उन्नत हो सकें। इस प्रकार समिति के विचार में मिले

द्वारा कपड़ा बुनने की मीमा ५० ००० ग्राम गन्ध तथा गन्ध में खनने वाले कार्बों का उत्पादन को हजार लीटर गन्ध सीमित किया जाना चाहिए। गन्ध कपड़े की मरम्मत मीमा की पूर्ति हाथ करपा उद्योग द्वारा की जानी चाहिए। वनस्पति तेल एवं खनन उद्योगों को उत्पादनक्षमता में विस्तार पर भी प्रतिबंध उद्योगों की विद्युत् की गयी है। गन्ध मन्त्रालयों की स्थापना पर एक लक्षाना बाध्यकारी बनाया गया है। केवल उन क्षेत्रों में तेल की मिलें स्थापित की गयीं जहाँ तेल परत व अन्य साधन उपलब्ध न हों। गन्धु ल कार्बों वृद्ध उद्योग पर अन्वेष (Differential) उत्पादन-कर (Excise Duty) उद्योग का भी सम्भाव किया गया। इन क्षेत्रों में एक ही उद्योगों से प्रतिनिष्ठ रूप प्राप्त करक लघु उद्योगों का पुनर्वास (Rehabilitation) किया जा सकता तथा तथा दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं के मूल्य उच्च उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की तुलना से प्रतिस्पर्धीय हो सकें।

द्वितीय योजना में उद्योग नियंत्रण विभागों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जाता था। योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास का प्रतिबन्ध नहीं किया जाने व निम्नलिखित मुख्य कारण थे—

(१) अर्थ व्यवस्था में आर्थिक परिवर्तन (Technological Changes) होने के कारण देशी-देशीय बनी मात्रा में विद्यमान थी एवं दूसरा ही अर्थिक विभाग राजस्व उत्पन्न करसक था।

(२) देशी-देशीय का विभिन्न कारणों से वृद्धि की ओर अग्रसर थी जो दूसरे क्षेत्रों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की आवश्यकता थी।

(३) ग्रामीण एवं लघु उद्योगों में पूँजीगत उत्पादन सामग्री (Capital Equipment) का अभाव था। इन उद्योगों की उन्नति याद समय पूर्व ही कार्यान्वयन में प्रतिस्पर्धा होने के कारण हुई। इन उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उद्योगों के अवनत बनने के लिए पूँजीगत सामग्री पर प्रतिबन्ध विविधताओं की आवश्यकता नहीं जानी थी। इस प्रकार राष्ट्र के अर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में पूँजीगत सामग्री एवं लघु उद्योगों में किया जा सकता था।

(४) ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के क्षेत्र में देशी-देशीय के अवनत बनने के लिए राज्य पर निर्भर नार कम पड़ता।

(५) आर्थिक उत्पादन में विवेकहीनता को स्थापना करना सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से आवश्यक था और इसके लिए ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास होना आवश्यक था।

(६) वृद्ध उद्योगों की स्थापना से ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के उत्पन्न-कर का अवनत और भी उच्च होने का सम्भावना रहती है। इन अवनत को रोकने के लिए ग्रामीण उद्योगों का विकास होना चाहिए।

इन प्रकार द्वितीय योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास का उद्योग

गार के अवमरु की वृद्धि, बेरोजगारी के विस्तार को रोकना उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ाना पूँजीगत एवं आधारभूत उद्योगों के लिए अधिक अथ माघन उपलब्ध कराना विकसित मजाल की स्थापना करना आदि उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रखा गया था। सन् १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भी ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की सुदृढ बनाने की आवश्यकता उल्लेखित की गई थी। इनके साथ इन उद्योगों एवं वृद्ध उद्योगों के क्षेत्रों में सामञ्जस्य स्थापित करने का भी महत्व दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में रिजर्वी के विस्तार तथा गति के सतत प्रक्रम पर प्राप्त होना। ग्रामीण उद्योगों की सुदृढ बनाने में सहायता प्राप्त हो सकती थी और जब तक ये उद्योग पर्याप्त सुदृढता प्राप्त नहों कर लें तब तक इनके संरक्षण करने के लिए वृद्ध उद्योगों के क्षेत्रों के उत्पादन को सीमित करना आवश्यक था।

उपयुक्त विवरण के अध्ययन में बहुत से परस्पर विरोधी प्रश्न सम्मुख आते हैं। उनका विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(१) तांत्रिक परिवर्तनों के कारण हानि वाली बेरोजगारी का रोकना के लिए क्या लघु एवं ग्रामीण उद्योगों में परम्परागत एवं अकुशल उत्पादन विधियों का ही उपयोग किया जाता रहेगा? एक ओर ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने का आवश्यकता है और दूसरी ओर बेरोजगारी के भय से तांत्रिक सुधार भी नहीं किए जा सकते हैं। तांत्रिक सुधारों की अनुपस्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की लागत भी अधिक रहती है तथा पर्याप्त मात्रा एवं गुण (Quality) का उत्पादन भी नहीं हो सकता था। जब राष्ट्र में पूँजीगत एवं आधारभूत उद्योगों का विकास आधुनिक तांत्रिक विधियों द्वारा किया जाता था तब तक लघु एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत उत्पादन विधियाँ किस प्रकार उपयुक्त हो सकती थीं और यदि प्रारम्भिक काल में इन व्यवस्था का वास्तविक सहयोग द्वारा चलाया भी जाता तो बीच काल तक ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को इस अवस्था में रोकना के लिए कि वे वृद्ध उद्योगों से स्पर्धा में सामञ्जस्य स्थापित कर सकें उनमें तांत्रिक परिवर्तन करना अनिवार्य था।

(२) द्वितीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सम्मुख आता है वह यह है कि क्या तांत्रिक परिवर्तनों द्वारा ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है अथवा तांत्रिक परिवर्तन बेरोजगारी पर किस सीमा तक प्रभाव डालते हैं? तांत्रिक परिवर्तनों द्वारा एक ओर श्रम को हटा कर मशीन का उपयोग किया जाता है तथा दूसरी ओर उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि भी होती है। उत्पादन में वृद्धि होने से लघु साहसियों की आय में वृद्धि होना भी स्वाभाविक है। आय की वृद्धि के साथ-साथ वचन तथा वित्तियोग्यता में भी वृद्धि हो सकती है तथा पूँजी निर्माण में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि सम्भव होती है परन्तु प्रारम्भिक काल में तांत्रिक सुधार करने के लिए पूँजी की

उपनिषद् का प्रवचन करना आवश्यक होता है तथा जब यह विधि प्रारम्भ हो जाय तब गृह एवं उच्च उद्योगों के क्षेत्र का स्थायीकरण निवारण सम्भव हो सकता है। दूसरे ओर सामाजिक परिवर्तनों की प्राप्ति के लिये निवारण पर बगल-गल के विस्तार की सम्भारता का केवल कल्प समय का विचार होना ही सम्भव है। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होती है जबतक विद्यमान श्रम का ही उपयोग देने की सम्भारता नहीं है, प्रचुर श्रम में जो वृद्धि होती है उसके लिए भी उपयोग के अवसर प्राप्त करना आवश्यक होता है। नवीन उपयोग के अवसर अधिक विनिवेशन द्वारा ही सम्भव हो सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक सुधार के उपयोग की सम्भारता के विचारण में बाधक का स्थान पर सहायक हो सकता है।

(२) द्वितीय योजना में उच्च एवं प्रारम्भिक उद्योगों के विकास का मुख्य उद्देश्य था कि विचार-आवृत्तियों एवं पूँजीगत तथा प्राधान्यपूर्ण उद्योगों में विनिवेशन एवं सामाजिक आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान के द्वारा जनसमुदाय को आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी थी इसके लिए उद्योग-वस्तुओं की पूर्ति करना आवश्यक था। इसके स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन उद्योगों की व्यवस्था में उद्योग-वस्तुओं की पूर्ति उच्च स्थायी स्थान दिया जायगा अथवा अल्पकाल में उद्योग-वस्तुओं का उपयोग ही शुरू उद्योगों द्वारा किया जायगा। यद्यपि विनिवेशन सेना की स्थापना हेतु इन उद्योगों का स्थायी स्थान प्राप्त हो सकता था परन्तु विनिवेशन सेना का स्थान सामाजिक क्षेत्र के विस्तार द्वारा भी किया जा सकता था। पूँजीगत उद्योगों के विकास में इन भावी उद्योगों का विकास होना स्वाभाविक ही होता है तथा इस प्रकार विनिवेशन ही में सामाजिक एवं उद्योगों का प्रतिस्पर्धा का स्थान का उद्योग के अर्थ-साक्षरता का उद्योग द्वारा वादी की क्षेत्र दीर्घ काल तक इति नहीं हो सकता है।

तृतीय योजना में औद्योगिक नीति

गृह उद्योग—तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विस्तार करने हेतु उच्च उद्योग १९५९ के औद्योगिक प्रस्ताव का ही उद्देश्य था जो कि उद्योग एवं उद्योग क्षेत्र का एक-दूसरे के सहायक एवं पूरक के रूप में कार्य करने का आदेश दिया गया, इसीलिए आधुनिक तथा विनिवेशन के कारणों से निजी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का उद्योग प्रदान करने का आदेश दिया गया। योजना में औद्योगिक कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करते समय उद्योग-वस्तुओं एवं सामाजिक उद्योग के उद्योग को ही उद्योग के उद्योग का उद्योगों के विस्तार का नवीन उद्योगों की स्थापना का प्राथमिकता देने तथा ऐसे उद्योगों का उद्योग देना जिससे निजी क्षेत्र में वृद्धि अथवा उद्योग में नवीन सम्भव हो उद्योग उद्योगों की उद्योग दिया गया। औद्योगिक प्राथमिकता उद्योग उद्योगों के उद्योग पर तृतीय योजना में उद्योग निर्धारित की गयी—

(१) इन परिवर्तनों की पूर्ति का द्वितीय योजना में उद्योग उद्योगों की गयी

अपना जो मूल १९५७-५८ में विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण स्थगित कर दी गयी थी।

(२) भारी इन्जीनियरिंग मशीन निर्माण गलन आदि व उद्योग, औद्योगिकी धातु तथा विद्युत इस्पात सहित एव इस्पात तथा जलोद्दीघ धातुओं के विस्तार एव उनकी क्षमता में परिवर्तन तथा ताँ एवं एलुमिनियम की वस्तुओं का उत्पादन में वृद्धि।

(३) अल्पमिनीयम एलुमिनियम तल घुलन वाली लुग्दी (Dissolving Pulp), रसायन आदि जैसे आधारभूत व न माल तथा उत्पादन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि।

(४) दवाइयाँ कागज कागड गन्धक वनस्पति तेल तथा घरा का सामान आदि जसी वस्तुओं का उत्पादन को घरेलू उद्योगों द्वारा करना जिसमें इनकी पूर्ति की जा सके।

ग्रामीण एव लघु उद्योग विकास सम्बन्धी नीति—तृतीय योजना में प्रथम एव द्वितीय योजना के समान ही ग्रामीण एव लघु उद्योगों के विकास द्वारा राजगार के विस्तार अधिक उत्पादन तथा अधिक समान वितरण के उद्देश्य की पूर्ति का जानो थी परन्तु इन उद्देश्यों की पूर्ति तृतीय योजना में बड़े पैमाने पर करने का आवश्यकता थी। तृतीय योजना का कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को हृदित्यत करके निर्धारित किए गये हैं—

(१) कुशलता में सुधार लायक सलाह की उपरान्त मध्य मीनार एव सामग्री, साधन आदि प्रत्यक्ष सुविधाओं की अधिक महत्व देकर अधिक की उत्पादनना में सुधार एव उत्पादन लागत को कम किया जाना।

(२) धीरे धीरे अनुमाना (Subsidies) विपणन अथवा (Sales Rebate) तथा सुरक्षित बाजारों को कम करना।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों एव नगरों में उद्योगों का विस्तार एव विकास।

(४) वृद्ध उद्योगों के सहस्यक उद्योगों का रूप में लघु उद्योगों का विकास।

(५) दलकारों का सहकारी संस्थाओं में संगठित करना।

तृतीय योजना में ग्रामीण एव लघु उद्योगों के लिए लायक एव प्रवर्धन सम्बन्धी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय प्रकार (Cluster Type) की संस्थाओं की स्थापना की जानी थी, जिनके द्वारा कुछ घाटा के समूहों को विभिन्न दस्तकारियों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

घाटी, ग्रामीण उद्योगों एव हस्तकला व धातु में प्रशिक्षण के कार्यक्रम इनके विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित किये गये। तृतीय योजना में समस्त ग्रामीण लघु उद्योगों में अन्तर्-औद्योगिकी के उपयोग को महत्व दिया गया। लघु उद्योगों व धातु में प्रशिक्षण का प्रवर्धन करने के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थाओं (Small Scale Service Institutes) द्वारा औद्योगिक विस्तार-सेवा के कर्तव्यों को उच्च-स्तर पर

स्थापित किया जाना था। तृतीय योजना में साख सुविधाओं के विस्तार का आयाजन किया गया है, परन्तु सामान्य साख की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकापण-सम्प्राप्ति का कार्यवाही करनी थी। योजना में तांत्रिक सुधार, उत्पादन लागत का एकीकरण (Pooling of Production Costs) तथा यातायात एवं अर्थ वितरण के व्ययों को कम कर प्राथमिक एवं लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य कम किये जाना का आयोजन था, जिससे वे अपने परों पर सुदृढ़ता से खड़े हो सकें। मूल्यों के कम होने पर अनुदान तथा अवहार का समाप्त कर दिया जाना था।

यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र में द्वितीय योजना में पर्याप्त वृद्धि हुई परन्तु प्रमुख उद्योगों जैसे इस्पात, अल्युमिनियम, रासायनिक साख सीमेंट आदि के उत्पादन में कमी के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। इस भाँति तृतीय योजना में भी औद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि की प्रवृत्ति है, उससे अनुमान लक्ष्य की पूर्ति होना सम्भव प्रतीत नहीं होता। औद्योगिक क्षेत्र में द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में जो विनियोजन किया गया है, वह अधिकतर कुछ गिन-गुन के ढंग पर ही हुए हैं। विनियोजन का विस्तार देना आवश्यक नहीं रहा है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विपन्नताओं एवं क्षेत्रीय विपन्नताओं में कमी नहीं हुई है। अतः तक जो वायव्य औद्योगिक क्षेत्र में उच्चालित किया गया है, उनसे भारतवर्ष उत्पादन प्राप्त करने का समय अधिक होने के कारण अर्थ-व्यवस्था को बतमान में वित्तीय भार उठाना पड़ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित करने हेतु केंद्रीय सरकार पर राजनीतिक दबाव डाला गया जिसके फलस्वरूप सीमित साधनों को अधिक विकास-कार्यक्रमों के लिए आयोजित किया गया। इस प्रकार विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हुए।

चतुर्थ योजना में औद्योगिक नीति

चतुर्थ योजना में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सन् १९५६ की औद्योगिक नीति का ही आधार माना गया और औद्योगिक विकास के कार्यक्रम अर्थ-व्यवस्था के अर्थ-क्षेत्रों के विकास के स्तर तांत्रिक क्षमता की उपलब्धि तथा भौतिक एवं वित्तीय साधनों के सन्दर्भ में निर्धारित किये गये हैं। औद्योगिक कार्यक्रमों में निम्नलिखित सिद्धांतों को आधार माना गया है—

(१) द्रुत गति से अर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भर (Self Reliant) बनाने के लिए अर्थ-व्यवस्था में पूँजीगत प्रासाधनों के उद्योगों का विस्तार होना आवश्यक है। विनियोजन की वृद्धि-दर समस्त आय की वृद्धि दर से अधिक होना के कारण अर्थ-व्यवस्था में पूँजीगत प्रासाधनों तथा हृषिके उपयोग आने वाली विभिन्न वस्तुओं की मांग में तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। पूँजीगत प्रासाधनों में घातु, खनिज तेल उत्पाद तथा रासायनिक पदार्थों की माँग में अधिक तेजी से वृद्धि होगी। इन्हें वस्तुओं के लिए बतमान में देश को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य

की ओर ध्यान पर यह आवश्यक है कि इन उद्योगों का तजी से विकास कर जान्त्रिक उत्पादन में वृद्धि की जाय। इन उद्योगों के विकास में पूँजी की बड़ा भाग में आवश्यकता होती है जिसकी दृष्टि में कमी है। औद्योगिक कार्यक्रम के निर्धारित चयन में बड़ा भाग इन उद्योगों के विकास के लिए उपयोग करना अनिवार्य है परन्तु इन उद्योगों से सम्बंधित विकास-कार्यक्रमों की शुरुआत छानबान करन का आवश्यकता होगी जिससे इनकी पूँजी प्रधानता में बिना लागत उत्पादन एक कुशलता को धनि पंजाए कमी की जा सक।

(२) गर हृषि रोजगार में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इन क मरी क्षेत्रों में बेरोजगार तेजा स बढ़ रहा है। इसा कारण बहुत योजना में उद्योगों के छितराव (Dispersal) को अधिक महत्व दिया गया है। वर्तमान बड़ नगरों और उद्योगों की स्थापना के लिए जिन उपरिभ्यय मुविधाओं का आवश्यकता होगा, उनकी लागत नए क्षेत्रों में इन उपरिभ्यय मुविधाओं की लागत से कहां अधिक जाना है। ऐसी परिस्थिति में उद्योगों का छितराव छोटे नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में करन से औद्योगिक विकास का कुन फायदा को कम रखा जा सकता है।

(३) मध्यकालीन अवस्था (Transitional State) में परम्परागत उद्योगों में पूँजी प्रधानता का अति यंत्रित विस्तार की उभय होने वाला तांत्रिक बरतन गारा को रोकना आवश्यक परन्तु यह व्यवस्था बसल बस्थाया होगी क्योंकि अतन्त परम्परागत उद्योगों की स्थिति में सुधार करन के लिए सुधरी हुई तांत्रिकताओं के उपयोग द्वारा इनकी उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है। परम्परागत उद्योगों का सुधर आधार प्रदान करन हेतु तांत्रिक सुधार अनिवार्य हैं और इनकी प्रगति एवं विस्तार को तांत्रिक बरतनकारी के अथ के कारण रोक दना बरतनकारी की समस्याएं एक समय के लिए स्थगित करनी होंगी जबकि इसकी निवारण असम्भव हो जायगा। इन प्रकार परम्परागत उद्योगों को प्रदान की जान वाली सहायता अनुदान (Subsidy) आदि केवल निश्चित काल के लिए ही स्वीकृत की जानी चाहिए। जैसे ही यह उद्योग सुधर होने लगे अनुदान आदि का बंद कर दिया जायगा।

बहुत योजना में समस्त उद्योगों के लिए नश्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। केवल प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन उद्योगों के सम्बंध में आवश्यकताओं के अनुमान तथा सम्भावित उत्पादन औद्योगिक परिपदा आदि से विचार विमर्श कर निर्धारित किए गये हैं। विनियोजनों को इच्छित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवाहित करन के लिए राजकापीय एवं स्वस्थनीय नीतियों का उपयोग किया जायगा। मूल्य एवं वितरण नियंत्रण का अनुभूत परिस्थितियों को उभय हान पर समाप्त कर दिया जायगा। औद्योगिक एकाधिकार एवं केन्द्रीकरण से बचन के लिए नए औद्योगिक सादस जारी करन समय आवेक औद्योगिक-शुद्धा की पिछन लाइ से-सों के सम्बंध में प्राप्त की गयी उपनिधियाँ की जाँचनी जायगी। प्राय उपमात्ता

बन्तुओं के उत्पादन के सम्बन्ध में नया औद्योगिक उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति जैसे औद्योगिक गृहों का नहीं हो पाया। विदेशी कंपनियों द्वारा भी जिन उपकरणों का अनुचित अनुपात बड़े आर्थिक गृहों का प्रदान करने पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया जाया।

अनुप योजना में उद्योगों का विकास विरुद्ध हुए क्षेत्र में करने का भी प्रस्ताव है। वर्तमान में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्धित आर्थिक षटक विकसित क्षेत्रों में ही पाया जात है जिनके परिणामस्वरूप विरुद्ध हुए क्षेत्रों में फिर से उद्योगों का प्रतिपाद सम्भव नहीं होता है। विरुद्ध हुए क्षेत्रों में उद्योगों का आकर्षित करने के लिए आर्थिक विनोद एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान की जायें। अनुप योजना में इस सम्बन्ध अत्यन्त प्रारम्भिक कार्य शुरू का सम्भावना है।

विदेशी सहयोग (Foreign Collaboration) केवल उद्योगों को स्वीकृत किया जाता जिनमें आर्थिक स्थापनात्मकता कम है या जो उसक करने की सम्भावना न हो। अद्योता उद्योगों में विदेशी सहयोग प्राप्त स्वीकृत नहीं किया जाता जब तक कि इस सहयोग के सम्बन्धित विचारों में कृति नहीं हो सकती हो। नए क्षेत्रों की नियमित करने के लिए जिनमें विदेशी सहयोग आवश्यक है तथा विदेशी सहयोग स्वीकार करने की विधि निर्धारित करने के लिए एक विदेशी निवेश बोर्ड (Foreign Investment Board) की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

भारतीय नियोजित अथ व्यवस्था में खाद्य नीति

[Food Policy in the Planned Economy of India]

[रचनात्मक कार्यक्रम क्रियात्मक कार्यक्रम, प्रथम योजना में खाद्य-नीति द्वितीय योजना में खाद्य नीति अग्रेक मेहना खाद्यान्न जाच समिति, सहकारी कृषि तृतीय योजना में खाद्य नीति वितरण समन्वय क्रियाएँ—उत्तम मूल्य की दुकान खाद्यान्न का समग्र राशनिंग खाद्यान्न के स्थानांतरण पर प्रतिबंध बफर स्टॉक, रिजर्व बैंक द्वारा साख्त नियन्त्रण निजी एकत्रीकरण पर नियन्त्रण, खाद्यान्न में सरकारी व्यापार उत्पादन सम्बन्धी क्रियाएँ—पकेज कार्यक्रम जिला स्तरीय गहरी कृषि, कृषि उत्पाद मूल्य नीति, सहकारी कृषि चतुर्थ योजना में खाद्य नीति]

भारत में खाद्यान्न के अभाव में स्थायी एवं गम्भीर स्थिति का रूप ग्रहण कर लिया है। देश के स्वतंत्र होने के पूर्व कृषि विकास एवं खाद्यान्नो के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कई विधेय कार्यक्रमों को गयी क्योंकि विदेशी सरकार ने समस्त जन समुदाय को पर्याप्त खाद्य-पदार्थ प्रदान करने का उत्तरदायित्व कभी भी स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्रता के पश्चात् खाद्य समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा और अधिक अन्न उपनाश अभियान (जो सन् १९४२ में प्रारम्भ किया गया था) का और अधिक प्रोत्साहन एवं सुरक्षा प्रदान की गयी परन्तु सरकार की पुनर्निश्चिन्ता नाति न होने के कारण इन कार्यक्रमों को सफलता नहीं प्राप्त हुई। सन् १९४१ में पंचदशवर्ष योजना के आरम्भ होने के पश्चात् खाद्य समस्या के निवारण हेतु ठोस कार्यक्रमों का प्रारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम दो वर्गों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं—

प्रथम योजना में खाद्य नीति

(१) रचनात्मक कार्यक्रम—इनके अन्तर्गत भूमि के स्वामित्व का निश्चय करना भूमि प्रचयन भूमि के अधिकतम नी अधिकतम सीमा निर्धारण करना भूमि का एकत्रीकरण (Consolidation of Holdings) आदि सम्मिलित थे।

(२) क्रियात्मक कार्यक्रम—इनके अन्तर्गत अच्छे बीज कृषि विधियों में सुधार प्राकृतिक एवं रासायनिक खाद की सुविधा सिंचाई की सुविधा आर्थिक सहायता,

कृषि-उत्पादन के विपणन की व्यवस्था, पट्टी भूमि का उपज-भोग्य बनाना, पोषों की सुरक्षा, भूमि की सुरक्षा, आदि सम्मिलित थे।

प्रथम योजना के प्रथम तीन वर्षों में मौसम अनुकूल रहने के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई और विन्नों का आयात होने वाला अनाज की मात्रा में कमी हुई। योजना में खाद्य सिंचाई की योजनाओं अच्छे ढंग से आगमन तथा अप सुधार किये गये। इसने अतिरिक्त खाद्य निर्यात के शान्ति तथा मूल्यों का स्थिर रहने के प्रयत्न भी किये गये। सन् १९५२ में जो विन्नों के खाद्य मन्त्री होने पर खाद्यान्न के मूल्य एवं वितरण पर में आगिब रूप से नियन्त्रण हटा दिया गया। कुछ समय तक मूल्यों में वृद्धि हुई, परन्तु धीरे धीरे मूल्य-स्तर स्थिर होना लगा। प्रति वर्ष आयात घटता चला गया और सन् १९५४ में खाद्यान्नों पर निर्यात हटा लिया गया। सन् १९५४-५५ में मानसून अनुकूल न रहने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी हुई। इस वर्ष में भीषण वाद के फलस्वरूप बहुत सी भूमि पर गहरी फसल की हानि हुई। सन् १९५५-५६ में पुनः अमम, वमाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ आयी और फसलों का हानि पहुँची। सन् १९५५ के पश्चात् से खाद्यान्नों के आयात में निरन्तर वृद्धि होती रही।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाद्य-नीति

द्वितीय योजना में प्रथम योजना की कृषि उत्पादन की सफलताओं का दृष्टि-गन कर, कृषि विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी महत्व दिया गया। इस योजना में कृषि विकास के कार्यक्रमों का इसी प्रकार जारी रखा गया, जसा प्रथम योजना में अचालित था। केवल उन कार्यक्रमों पर ध्यान हाने वाली शक्तियों में वृद्धि हा गयी। प्रथम एवं द्वितीय दोनों ही योजना में बरी-बरी सिंचाई योजनाओं पर अधिक शक्ति निनियोजित की गयी निनका लाभ कालान्तर में प्राप्त होना सम्भव था। लघु सिंचाई-कार्यक्रमों के सम्बन्ध में यह मान लिया गया कि इनकी व्यवस्था निजी क्षेत्र द्वारा कर ली जायगी, परन्तु यह अनुमान सत्य सिद्ध नहीं हुए और लघु सिंचाई-सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। द्वितीय योजना के प्रारम्भ से ही जलवायु अनुकूल न रहने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के स्थान पर कमी होन लगी। योजना के प्रथम तीन वर्षों में खाद्य स्थिति में गम्भीरता प्रकट कर ली।

अन्त में मेहता खाद्यान्न जाँच-समिति

भारत सरकार ने जुलाई, सन् १९५७ में श्री अन्त में मेहता को अध्यक्षता में खाद्यान्न जाँच समिति की स्थापना की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, सन् १९५७ में प्रकाशित की। समिति के विचार में अनाज का मूल्यों में उत्तर चढ़ाव अत्यधिक होने के कारण शासक को अपनी आय के सम्बन्ध में विद्विगता नहीं रखनी है जिससे उसे अधिक अनाज उपजाने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होना है।

इसमें साथ ही, विकास तथा एक विनिर्भोजन में वृद्धि होने के कारण जन साधारण में अधिक उपभाग एक अच्छे अनाज उपभोग करने की प्रवृत्ति पायी जाता है। समिति ने खाद्यान्ना के मूल्यों के स्थिरता लाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड (Price Stabilisation Board) की स्थापना की सिफारिश की। खाद्यान्नों के मूल्य नियंत्रण द्वारा मूल्यों में स्थिरता लाने हेतु खाद्यान्न स्थिरीकरण समन्वय की स्थापना का सुझाव दिया गया जा बफर स्टॉक का निर्माण करे और समय समय पर मूल्यों की स्थिर रखने हेतु इसका उपयोग करे। बफर स्टॉक बनाने हेतु सरकार को अनाज का अनिवार्य संप्रहण (Procurement) करना चाहिए। समिति ने अनाज के बड़े व्यापारियों और उत्पादकों के लिए तादृश से देना आवश्यक बताया जिनसे उनके संप्रहण पर नियंत्रण रखा जा सके। समिति ने उचित मूल्यों की श्रुतियों को लाने का भी सुझाव दिया। समिति की राय में खाद्य समस्या के निवारण हेतु सरकारी व्यापार आवश्यक था।

समिति की बहुत सा सिफारिशों का सरकार ने स्वीकार कर लिया और इनके अनुरूप कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयीं। अनाज के सरकारी व्यापार के प्रस्ताव पर अत्यधिक वाद विवाद हुआ और श्री एस० के० पाटिल के खाद्य मंत्री बनने पर खाद्यान्ना के सरकारी व्यापार के प्रस्ताव का सन्तोषित किया गया और अन्त में इसे त्याग लिया गया। तत्पश्चात् खाद्यान्ना की पूर्ति हेतु आयात पर विशेष ध्यान दिया जाना लगा। दूसरी ओर बफर स्टॉक के निर्माण का अधिक महत्त्व दिया गया।

सहकारी कृषि

द्वितीय योजना के प्रारम्भ के अल्प समयपरांत ही यह मान लिया गया कि भारत जैसे अल्प विकसित राष्ट्र का क्षीय ओद्योगीकरण करने के लिए एक समविकसित भूमि नीति की आवश्यकता है जिससे कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सके। इसी उद्देश्य की ध्यानस्थ कर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (A. I. C. C.) ने अपने वार्षिक अधिवेशन सन् १९५६ में नवीन भूमि सम्बन्धी नीति का प्रस्ताव पारित किया जिसमें सहकारिता को ग्रामीण व्यवस्था का आधार मान लिया गया। भूमि-सम्बन्धी इस नवीन नीति में पंचायती पर आधारित सामूहिक सहकारी कृषि का उद्देश्य रखा गया। सामूहिक सहकारी कृषि के पूरक सेवा सहकारी (Service Co-operative) समितियों की स्थापना का आयोजन किया गया, जिनके द्वारा अच्छा बीज खाद सती के उपकरण, नगानिक परामर्श आदि का प्रबंध किया जाता है। इस प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकारों को भूमि की अधिकतम सीमा (Ceilings of Land) निर्दिष्ट करने के लिए सन् १९५६ के अन्त तक विधान निर्मित करने थे। अधिकतम भूमि की सीमा निर्दिष्ट करने से जो भूमि का अधिकतम हो वह ऐसी सहकारी समितियों को दिया जाना था जिनके भूमिहीन एवं अधिकतम सीमा से कम भूमि वाले कृषक ही सदस्य हों। इस सम्पूर्ण व्यवस्था द्वारा सम्पूर्ण देश में एक प्रायः

एक सामूहिक सहकारी फार्म (Joint Co-operative Farm) की स्थापना का उद्देश्य था।

नागपुर प्रस्ताव द्वारा ग्रामीण व्यवस्था का नया आयोजन किया गया है, उसके मुख्य सगण निम्न प्रकार हैं—

(१) ग्रामों की व्यवस्था पंचायतों एवं सहायक समितियों के आधार पर होनी चाहिए। ग्रामों के समस्त सदासी निवासियों का (जिसके पास भूमि हो उसका भी) ग्रामीण सहकारी समितियों का उद्देश्य बनाया जा सकता था। ये समितियाँ समितियों को सहायक रूप में स्थापित करिषियों का प्रबंधन करनी, मास की सुविधाओं का प्रबंध करनी, कृषकों के कृषि-उत्पादन का उत्पन्न कर उत्पन्न किया जा सकता था।

(२) भविष्य में सामूहिक सहकारी खेती की व्यवस्था की जाना जिसमें भूमि का कृषि के लिए एकत्रित कर लिया जायगा, इसमें कृषकों का भूमि पर अधिकार सम्पूर्ण (संस्था का उपाय) होगा तथा उन्हें भूमि के मूल उत्पादन में से भूमि के अधिकार के आधार पर भाग दिया जायगा। जो भूमि पर कार्य करनी, उन्हें सामूहिक पारिधनिक दिया जायगा।

(३) सामूहिक सहकारी फार्मों की स्थापना के पूर्व देश भर में तीन वर्गों में सेवा सहकारी (Service Co-operative) की स्थापना की जायगी।

(४) अधिकतम अधिकार में रहने वाली भूमि की सीमा निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों में विधान पास किए जायेंगे। समस्त भूमि का अधिकतम (Surplus) पंचायतों के अधिकार में होगा जिसका प्रबंध सहकारी समितियों द्वारा किया जाना।

(५) पन्धर के बोले से पूर्व ही फसल से उत्पादित वस्तुओं का अनुभव कृषि निर्दिष्ट कर दिया जायगा तथा आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित दृश्य पर फसल की कृषि करने का प्रबंध किया जायगा।

(६) राज्य सरकारों का व्यापार अपने हाथ में लेना।

(७) बेकार बलों एवं कृषि-उत्पन्न में न जाने वाली भूमि का कृषि अनुसंधान करने के लिए प्रयत्न किए जायेंगे।

इस प्रकार कृषि उत्पादन में वर्धापित कृषि करने के लिए भूमि-सुधार-समस्या को समाधान करने की द्वितीय योजना में कार्यन्वित किया जाना था। द्वितीय योजना-काल में लगभग समस्त राज्यों में बतमान एक भविष्य में अधिकतम अधिकार में रहने वाली भूमि की सीमा निर्दिष्ट करने हेतु विधान बना दिए गये हैं। यह अधिकतम भूमि की सीमा निर्दिष्ट करने की भूमि के प्रकार के अनुसार निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त भूमि के एकात्मकता (Consolidation of Holdings) का कार्य २६३ लाख एकड़ भूमि पर ३१ मार्च, सन् १९६१ तक पूरा हो चुका था तथा १०० लाख एकड़ कायम अभी बचा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी कृषि का ध्यान एवं रुढ़ आधार

प्रदान करने के लिए कार्यवाहियाँ की गयीं। ११ जून सन् १९५६ को एक Work ing Group) का स्थापना की गयी। इसे ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करने थे जिससे ऐच्छिक रूप से सहकारी कृषि समितियाँ की स्थापना हान पर उच्च वित्तीय तांत्रिक एवं अन्य सहायता प्रदान की जा सके। इस ग्रुप की रिपोर्ट १५ फरवरी सन् १९६० को प्रकाशित की गयी जिसमें सहकारी कृषि समितियाँ की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाहियाँ जम्मा की गयी। इस ग्रुप की अधिनतः सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद ने सितम्बर सन् १९६० में स्वीकार कर लिया और इन्हें समस्त राज्यों के पास माग करने के लिए भेज दिया। इन्हीं के आधार पर सहकारी कृषि सम्बन्धी नीतियाँ इनका संगठन प्रवर्धन एवं वित्तीय सहायता आदि निर्धारित की जानी थी। जून सन् १९६१ में देश में ६,३२५ सहकारी कृषि समितियाँ थी जिनमें सदस्य संख्या ३०५ लाख व्यक्ति थी।

द्वितीय योजनाकाल में सरकार के विभिन्न प्रयत्नों की पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त हुई और खाद्यान्न का उत्पादन संकट का अनुरूप नहीं हुआ। खाद्यान्न के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होती रही जिसके फलस्वरूप जनसमुदाय यापारी एवं उत्पादकों में खाद्यान्न का संग्रह करने का प्रवृत्ति तीव्र होती रही। खाद्यान्न की कमी की पूर्ति आयात द्वारा की गयी।

तृतीय योजना में खाद्य नीति

तृतीय योजना में कृषि विकास की विशेष महत्व प्रदान किया गया और योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना में पिछला योजनाकाल में कृषि विकास कार्यक्रमों का जारी रखा गया और लघु सिंचाई योजनाओं का अधिक महत्व प्रदान किया गया। योजना में अपनायी गयी खाद्य नीति में खाद्यान्नों के उत्पादन के साथ साथ इनके उचित वितरण पर विशेष ध्यान दिया गया। पिछली दो योजनाओं में अनुभवों से सरकार को पता हुआ कि विपणन-तांत्रिकता द्वारा निधन बग के जनसमूह को उचित मात्रा में उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और इसी कारण इन बग का खाद्यान्न की उचित मात्रा उचित मूल्य पर प्रदान करने हेतु सरकार ने उचित मूल्य की दुकानें तथा राशनगि द्वारा खाद्यान्न का वितरण अपने हाथ में ले लिया है। सरकारों वितरण को सफल बनाने हेतु अनाज का संग्रह देना एवं विन्गी से सरकार द्वारा किया गया है। इसके साथ ही, एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न के स्थानान्तरण को सरकार ने अपने हाथ में लिया है। सरकार की वर्तमान खाद्य-नीति के विभिन्न भगों को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—वितरण सम्बन्धी क्रियाएँ एवं उत्पादन सम्बन्धी क्रियाएँ।

वितरण-सम्बन्धी क्रियाएँ

(१) उचित मूल्य की दुकानें—सन् १९६४ वर्ष के अन्त में देश भर में

₹ ०५,००० उचित मूल्य की दुकानें थीं। इन दुकानों द्वारा जनता का नियंत्रित मूल्यों पर सरकार द्वारा खाद्यान्न विक्रय किया जाता है। इन दुकानों का प्रमुख उद्देश्य खुले बाजार के मूल्यों का नियंत्रित करना है। जब खुले बाजार में खाद्यान्न के मूल्य नियंत्रित मूल्य से अधिक हो जाते हैं तो उपरोक्त इन दुकानों से खाद्यान्न तय करने लगते हैं परन्तु जब खाद्यान्न के मूल्य नियंत्रित मूल्य से बहुत अधिक हो जाते हैं और यह परिस्थिति जारी रहती है तो यह दुकानें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्रदान करने में असमर्थ होती हैं। इन दुकानों द्वारा सन् १९६० में ४३ लाख टन, सन् १९६३ में ५१ लाख टन और सन् १९६४ में ८६ लाख टन अनाज वितरित किया गया। सन् १९६४ में इन दुकानों द्वारा लगभग ९६ लाख टन अनाज वितरित हान का अनुमान है। इस प्रकार इन दुकानों द्वारा वितरित होने वाले खाद्यान्न की मात्रा वष प्रति वष बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण खाद्यान्न के बढ़ते हुए मूल्य हैं। सरकार द्वारा जो अनिवाय मसहस्र किया है उसका फलस्वरूप खुले बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धि कम हो गयी है जिससे फलस्वरूप उपभोक्तियों का उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न तय करना अनिवाय हो गया है।

(२) खाद्यान्न का सप्लाय—खाद्यान्न के उचित मूल्यों पर वितरित करने तथा राशनिक न अल्पतम पर्याप्त वितरण करने हेतु सरकार द्वारा चावल एवं गेहूँ का सप्लाय किया जाता है। कुछ राज्यों में यह सप्लाय अनिवाय रूप से उपभोक्तियों एवं व्यापारियों से किया जाता है। सन् १९६०-६१ में लगभग १५ लाख टन अनाज सप्लय किया गया जो सन् १९६४-६५ (अंतिम तक) में ३० लाख टन हो गया। इसी प्रकार आयात की मात्रा का भी अंश दिया गया है। सन् १९६२ वष में ३६४ लाख टन, सन् १९६३ में ४४६ लाख टन सन् १९६४ में ६०६ लाख टन तथा सन् १९६५ में लगभग ६०० ही अनाज आयात किया गया। सरकारने अनिवाय सप्लय के खुले बाजार में अनाज की उपलब्धि में कमी हो गयी है जिसके फलस्वरूप जनसमुदाय का न तो सरकारी दुकानों और न खुले बाजार से ही पर्याप्त अनाज उपलब्ध हो पाता है।

(३) राशनिक (Rationing)—आयात एवं आन्तरिक सप्लय में प्राप्ति होने वाले अनाज का अधिक फलस्वरूप उपभोक्तियों को देने के लिए एक दक्षिण अर्थिक है, वैधानिक राशनिक का आयोजन किया गया है जिससे देश के अल्प क्षेत्रों में अनाज की कमी न हो सके। इसी कारण १ जनवरी, सन् १९६० से १ लाख एवं तमने अधिक जनसंख्या वाले ममलत क्षेत्रों में अनाज के राशनिक की व्यवस्था की गयी है। १००० में १ लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी आन्तरिक राशनिक की व्यवस्था की गयी है। राशनिक की उचित व्यवस्था होने के फलस्वरूप खाद्यान्न के स्थानान्तरण पर लग हुए प्रतिबंधों को हटाना सम्भव हो सकना क्योंकि वैसे हुए अल्प भाग में खाद्यान्न की उपलब्धि एवं मूल्य स्तर की स्थिरता में सुधार हो पाया है।

(४) खाद्यान्ना के स्थानांतरण पर प्रतिबंध—खाद्यान्नों की कमी के वाना वरण म मूल्य वृद्धि के पलाय का रोकने हेतु खाद्यान्ना के स्थानांतरण पर प्रति बंध लगाना आवश्यक समझा गया अ तथा निजी साहस के अ तर्जन खाद्यान्ना का स्थानांतरण प्राधिक्य वाल क्षेत्रों में कमी वाले क्षत्रों म इतना अधिक होने लगना है कि आधिक्य वाल क्षेत्रों म भी मूल्यों म इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि नियत वग को कठिनाई का सामना करना पता है । इसके अनिश्चित बह क्षेत्र जिनम व्रय शक्ति अधिक होती है इतना अधिक अनाज आकर्षित कर लेने है कि अथ क्षत्रों म अनाज की कमी एव मूल्यों का अत्यधिक वृद्धि होने लगता है । इन प्रकार अनाज के क्षेत्रों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न राज्यों म अनाज का समान वितरण उचित मूल्य पर करना है । खाद्यान्ना के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र म तथा एक जिले से दूसरे जिले म स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध लगाकर विभिन्न क्षेत्रों म प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धि म समानता लायी गया है तथा वेग के विभिन्न क्षेत्रों म अनाज के मूल्यों में समानता रखने का प्रयत्न किया गया है ।

(५) बफर स्टॉक (Buffer Stock)—द्वितीय योजना के मध्य म ही सरकार द्वारा यह प्रयत्न किया गया कि सरकार अपने मध्य म पर्याप्त अनाज रख जो कम पूर्ति के समय बाजार म नियमित मूल्यों पर अनाज को उपलब्ध कराया जा सके । यह एक प्रकार से खाद्यान्नों का रिजर्व स्टॉक है जो खाद्यान्नों की कमी के समय अथवा मूल्य म वृद्धि के समय उपयोग किया जाता है । "सर्व अनिश्चित बफर स्टॉक की क्रियाओं द्वारा गिरते हुए मूल्यों को रोकने की क्रिया भी सम्पन्न की जाती है । खाद्यान्ना के अधिकतम एव "न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिये जाते हैं । मूल्यों के अधिकतम मूल्यों से वृद्धि पर बफर स्टॉक म से अनाज का वितरण किया जाता है और मूल्यों के "न्यूनतम स्तर से कम होने पर बफर स्टॉक के लिए निश्चित मूल्य पर खाद्यान्ना का व्रय किया जाता है । बफर स्टॉक की तार्त्रिकता कब तक अप कासीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त होती है । जब खाद्यान्ना का कमी दीर्घ काल तक जारी रहे तो यह तार्त्रिकता सफल नहीं होती है । बफर-स्टॉक की तार्त्रिकता का उपयोग करने हेतु गेहूँ, चावल तथा ज्वार के मूल्य निर्धारित किये गये हैं ।

(६) रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण—रिजर्व बैंक द्वारा पुने हुए वृद्धि पन्थों की अमानत पर ही साख प्रदान करने की नीति का अनुकरण समय समय पर किया गया है । खाद्यान्ना का अमानत पर साख प्रदान करने पर समय समय पर रिजर्व बैंक न प्रतिबंध लगाये जिसके फलस्वरूप व्यापारियों द्वारा अनाज के अधिक सग्रह तथा अनावश्यक सट्टेबाजी को रोकना सम्भव हो सके । इन क्रियाओं से बन्ते हुए मूल्यों को रोकने म सहायता प्राप्त हुई ।

(७) निजी एकत्रीकरण पर नियंत्रण—अनाज के अनावश्यक एकत्रीकरण

(Hoarding) का प्रतिबंधित करण हेतु सुरक्षा नियमों (Defence of India Rules) तथा (Essential Commodities Act, 1964) द्वारा सघट्ट करन वाले व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं का दण्ड देने का अध्याजना का मुख्य उद्देश्य जनता की वृत्तिम वसा के प्राप्तिवाद की राक्षना है।

परन्तु सरकारी अधिवाय सघट्टन (Compulsory Procurement) तथा एकत्रीकरण पर प्रतिबंध का फलस्वरूप कृषकों में नियंत्रण वाले अनाज के उत्पादन करन का प्रति प्रारम्भान कम जाना जा रहा है। जनमान मुख्य-बसवर (Market Structure) कुछ ऐसा है कि जण्ट अनाज जैसे गन्, चावल आदि का नियंत्रित मूल्य अथ माटे अनाजों का मुक्त बाजार का मूल्यों का कम अथवा बराबर है जबकि मीठ अनाजों की उत्पादन योग्य अण्ट अनाजों से कम हाठी है। ऐसी परिस्थिति में किमान सरकारी अधिवायों की सारणाभा में वचन के लिए माट अनाज, तिनहन आदि के उत्पादन करन का लिए अधिक् प्रारम्भान हाता है और यदि अण्टे अनाजों का मूल्यों एवं वितरण पर दक्षी प्रकार नियंत्रण जारी रहन है तो कुठ वर्षों में अण्टे अनाजों का उत्पादन म कमो हाता स्वाभाविक हाता।

(क) साक्षात्तों में सरकारी व्यापार—साक्षात्तों का राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में बहुत बाद विवाद होने का परवान् द्वितीय योजना में दस काय की स्वयित कर दिया गया था, परन्तु तृतीय योजना में उपस्थित साक्ष प्रमस्या की गम्भीरता के फलस्वरूप इस बात पर फिर विचार किया गया और १ जनवरी सन् १९६५ का खाद्य निगम (Food Corporation of India) की स्थापना की गयी। यह निगम साक्षात्तों एवं अथ साक्ष-पदायों का अथ स्टार करन, स्थापान्तरण, यातायात, वितरण एवं विपणन की व्यवस्था करेगा। यह साक्षात्तों एवं साक्ष-पदायों का उत्पादन की क्रिया की कर सकता है। चावल तथा आटा की मिलें तथा साक्षात्तों एवं साक्ष-पदायों के विनिर्माण (Processing) के व्यवसायों का भी स्थापित कर सकता है। निगम एक स्वतन्त्र सगठन (Autonomous Organisation) है, जो व्यापारिक सिद्धान्तों के आधार पर सञ्चालित हाता। निगम ने अपना केन्द्रीय कार्यालय मद्रास में तथा क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद बनरीर, त्रिवेन्द्रम, थानावर (Thanjavur) में स्थापित करण है। इस प्रकार निगम ने अपना काय शक्तिशी राज्यों में प्रारम्भ किया है।

उत्पादन सम्बन्धी क्रियाएँ

तृतीय योजना में सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि, सधु सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार अण्टे बीज की उपलब्धि प्राकृतिक एवं रासायनिक खाद का अधिक् उप-योग, पौधों की सुरक्षा, भूमि-सुरक्षा आदि सामाय प्रक्रियाओं द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करन का आयोजन किया गया। इनके अतिरिक्त योजना में निम्नलिखित विशेष कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि करन हेतु सञ्चालित किया गया।

(१) पकेज कार्यक्रम (Package Programme)—यह कार्यक्रम सन् १९६०-६१ में प्रारम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत कृषकों का निम्नलिखित कृषि विधियाँ रासायनिक खाद एवं सामग्रियों का उपयोग करने के लिए सलाह एवं सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। कृषकों को इन पकेज कार्यक्रमों का अपना-पना लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसके साथ ही रासायनिक खाद का पकेज कार्यक्रम का मुख्य अंग है की उपलब्धि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पकेज कार्यक्रम उन सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाने चाहिए जहाँ सिंचाई या सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पकेज कार्यक्रमों द्वारा गेहूँ एवं चावल के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।

(२) जिला स्तर पर गहरी खेती का कार्यक्रम—फोड फाउण्डेशन की सिफारिश पर यह कार्यक्रम सन् १९६१-६२ में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने की प्रभावशाली विधियों का प्रदर्शन करना है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम चुन चुने जिलों में कार्यान्वित किया गया है। उनके सफल होने पर इसे अन्य क्षेत्रों में प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का बाल लगभग ५ वर्ष हुआ है और जिलों में उत्पन्न होने वाले सभी खाद्यान्नों की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाना है। यह कार्यक्रम दस वर्षों में लगभग १० जिलों में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप इन जिलों में खाद्यान्नों की उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(३) कृषिउत्पाद मूल्य नीति—कृषि उत्पादकों की उचित मूल्य प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक फसल के लिए धान चावल गेहूँ चना ज्वार बाजरा तथा मक्का के मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। अन्य छोटे अनाजों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। केंद्रीय एवं राज्य सरकारें इस प्रकार निर्धारित किये गए मूल्यों पर अनाज आदि क्रय करने को तयार रहना हैं। वे इन मूल्यों पर कृषकों को खाद्यान्न बेचने का आदेश दे सकती हैं।

केंद्रीय सरकार द्वारा एक कृषि मूल्य आयोग (Agricultural Prices Commission) की स्थापना की गयी है। यह आयोग सरकार का कृषि मूल्यों का सम्बन्ध में आवश्यक सलाह देगा। आयोग द्वारा विनियोजित धान चावल गेहूँ ज्वार मक्का चना दालें गन्ना तिलहन कपास तथा जूट के मूल्य-व्यवहार एवं मूल्य के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना है। आयोग अपनी सिफारिशों इस प्रकार देता है कि मूल्य नीति द्वारा उत्पादकों में अच्छी कृषि विधियाँ व उपयोग एवं अधिक उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन बना रहे और अथ-व्यवस्था के अर्थ धारा पर बुरा प्रभाव न पड़े।

(४) सहकारी कृषि—राष्ट्रीय योजना में सहकारी कृषि विभिन्न रूपों की सिफारिशों के आधार पर सहकारी कृषि के विकास का विस्तृत कार्यक्रम तयार किया गया।

इसके अंतर्गत २१८ पायलट परियोजनाएँ (Pilot Projects) का आयोजन किया गया। प्रथम जिले के चुन हुए सामुदायिक विद्यालयों में जहाँ पंचायतराज मन्दा एव सहकारी समितियाँ सफल रही हैं, एक पायलट परियोजना मंचलित की जानी थी। प्रत्येक परियोजना में कम से कम १० सहकारी कृषि समितियाँ सम्मिलित हैं, जो सहकारी कृषि के लाभ का अर्थ लाभ में प्रदान करती हैं जिससे सहकारी कृषि की ओर जनसमुदाय आकर्षित हो। सन् १९६३ वर्ष में अलग-अलग १०० पायलट-परियोजनाएँ संचालित की जा चुकी थी। सन् १९६४ वर्ष के अंत तक इन पायलट-परियोजनाओं के अंतर्गत स्थापित १६०६ समितियाँ थीं, जिनकी मदद से मन्दा ३१,५१८ बी.डी. इनके द्वारा कृषि लिए जाने वाली क्षेत्र १.६२ लाख एकड़ था। इसके अतिरिक्त १७८३ कृषि सहकारी समितियाँ पायलट-परियोजनाओं के माध्यम से जिनकी मदद से ३६४०४ बी.डी. भूमि २.०७ लाख एकड़ थी।

चतुर्थ योजना में खाद्य नीति

खाद्य नीति समिति सन् १९६६ द्वारा देश की खाद्य-नीति में तान आधारभूत उद्देश्य नियमित किए—उत्पादन में आत्मनिर्भरता (Self Reliance) प्राप्त करना, खाद्यान्न का समान वितरण उत्पादन एवं वितरण में सम्बन्ध में खाद्यपत्रों के मूल्यों में स्थिरता प्राप्त करना। समिति ने सुझाव दिया कि वितरण एवं मूल्य स्थिरता में सम्बन्धित उद्देश्यों की पूर्ति खाद्य पत्रों की पूर्ति का नियोजित प्रबंध कर की जा सकती है। नियोजित प्रबंध में अंतर्गत खाद्यान्नों का अधग्रहण (Procurement), खाद्यान्नों के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर नियंत्रण, सामाजिक वितरण-प्रणाली तथा अधिक मजहू स्थापित करना आदि रायवाहिका सम्मिलित हैं। चौथी योजना की खाद्य नीति में तब इन विचारों के आधार पर नियमित किए गये हैं और इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

(१) खाद्यान्नों के उपभोक्ता मूल्यों की स्थिरता का आश्वासन, विशेषकर अल्प आय वाले उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा का आश्वासन।

(२) उत्पादकों को निरंतर उचित मूल्य प्राप्त होना रहने की व्यवस्था पिनसे उनमें अधिक उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहन बना रहे।

(३) खाद्यान्नों का पचास प्रतिशत (Buffer Stock) बनाना जिससे उपभोक्ता के उद्देश्यों की पूर्ति (खाद्यान्नों की कमी एवं अधिक मूल्य होने पर अधिग्रहण में खाद्यान्न वचकर अथवा गिराने हुए मूल्यों का बचाव देना हेतु अधिग्रहण के लिए खाद्यान्न अर्थ कर) की जा सके।

अल्प आय वाले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए खाद्यान्नों का वितरण उचित मूल्य की दुकानों एवं सहकारी मन्दाओं द्वारा किया जायगा तथा खाद्यान्नों के निजी व्यापार का नियंत्रण किया जायगा। कृषकों को उचित मूल्य प्रदान करने हेतु सरकारों के खाद्य नियम, सहकारिताओं तथा अर्थ मन्दाओं द्वारा किया जायगा।

योजना में अधिमग्रह की व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि इसके द्वारा प्रतिवृत्त फसल वाले वर्षों में खाद्यान्नों की पूर्ति का जा सकता है तथा खाद्यान्नों की मूल्य का वर्ष भर मरगा क्रतुजा में स्थिर रखा जा सकता है। अधिमग्रह की स्थापना का प्रारम्भ सन् १९६८-६९ की योजना से कर दिया गया है और इस वर्ष में २० लाख टन अनाज का अधिमग्रह बनाने की व्यवस्था की गयी है। चतुर्थ योजना में १० लाख टन अनाज का अधिमग्रह स्थापित करने का आयाजन किया गया है।

खाद्यान्नों की पूर्ति के प्रयत्न में सततता का साथ निषय करने की आवश्यकता है और इन निषयों का समय समय पर खाद्यान्नों की उपलब्धि मूल्य प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य विभिन्नता तथा अधिमग्रह की उपलब्धि अथवा उसे बनाय रखने का वास्तविकता के आधार पर परिवर्तन करने रहना आवश्यक होगा। साख नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित वास्तविकताओं का जायेंगे—

(अ) खाद्यान्नों की सावजनिक वितरण पद्धति को जारी रखना—चतुर्थ योजना में उचित मूल्य की दुकानों का उद्वेग का समाप्त करने के प्रयास किए जायेंगे और खाद्यान्नों का उचित मूल्य पर वितरण सहकारी उपभोक्ता मण्डलों तथा यह उद्देश्य गृहकारी समितियों द्वारा किया जायगा।

(ब) खाद्यान्नों का विपणि अतिरेक (Marketable Surplus) का वृद्धि प्रति घन गारकारी क्षेत्र द्वारा क्रय किया जाना जिससे गावजनिक वितरण पद्धति का मजबूत किया जा सके तथा अधिमग्रह वाञ्छित मात्रा में बनाया जा सके।

(६) खाद्यान्नों की स्थायित्व पर लेभे प्रतिबंध रहना जो खाद्यान्नों संग्रह की लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है अथवा जो खाद्यान्नों का मजबूत हान पर देश भर में मूल्य की अस्थिरता में कारण हेतु आवश्यक है।

(६) खाद्यान्नों का निजी पावार का नियमन जिसमें सट्टा एवं मग्रह (Hoard ing) को रोक जा सके।

(७) खाद्यान्नों की जमागत पर करों द्वारा नियंत्रित करने का नियमन।

(८) वायदा व्यापार (Forward Trading) पर प्रतिबंध जारी रखना।

चतुर्थ योजना में सन् १९६९-७० के अन्त तक साख विभाग द्वारा खाद्यान्नों का संग्रह स्थानांतरण, वादरवाही पर खाद्यान्नों का स्थापित करना आदि कार्य वाद्य निगम की सौंप लिये जायेंगे। चतुर्थ योजना में इन प्रकार साख निगम का वायदेतक चतुर्थ विस्तृत हो जायगा।

चतुर्थ योजना में अधिमग्रह की स्थापना साख-नीति का आधारभूत है। अधिमग्रह की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए गाद्योगों एवं स्थापना का पर्याप्त प्रयास आवश्यक होगा। इसी कारण योजना में ६१ करोड़ ८० की व्यवस्था स्टार की सुविधाओं की स्थापना के लिए की गयी है। योजना का प्रारम्भ का राष्ट्रीय सरकार साख निगम, राज्य सरकारों के राष्ट्रीय गोणम निगम (Central Warehousing Cor-

poration) तथा राज्य शासन विभागों के पास ७१ लाख टन की अपनी और ३८३ लाख टन की विरासत के धानों की व्यवस्था थी। ७१ लाख टन की स्टार व्यवस्था में ३० लाख टन का खनन किया गया। ७१ लाख टन स्टार की मुद्रिता उपलब्ध थी। शासनों की स्थापना में २० लाख टन का खनन खाद्य-व्यवहारों के खनन हेतु तथा २० लाख टन की व्यवस्था प्रविष्टि के लिए उपलब्ध थी। वन्य राज्य में अधिष्ठित की व्यवस्था में १० लाख टन की वृद्धि करने का विधान किया गया है जो इसके लिए ४१ करोड़ ०० की व्यवस्था का जो है। इस धन-आवृत्त शासक शासन की लाख टन शासकित बाद ०० की अधिष्ठित व्यवस्था की है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत मूल्य-नीति

[Price Policy Under Planned Economy]

[विकासोन्मुख राष्ट्रा में मूल्य नियमन की आवश्यकता, मूल्य नियमन नीति के उद्देश्य मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य नीति अतिरिक्त आय के व्यय करने पर प्रतिबंध, अतिरिक्त आय के अनुस्यू उत्पादन में वृद्धि, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य नीति के मिश्रित साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति भारतीय योजनाओं में मूल्य नीति एवं स्तर—प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मूल्य नीति तृतीय योजना में मूल्य-नीति, तृतीय योजना में सूच्य स्तर, प्रत्युद्य योजना में मूल्य]

विकासोन्मुख राष्ट्रों में विकास की गति के साथ-साथ पूर्णतः में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। जब तक यह वृद्धि जनसाधारण की मौद्रिक आय की वृद्धि के अनुपात से बहुत अधिक नहीं होती है मूल्य नियमन सम्बन्धी कोई विशेष समस्या उपस्थित नहीं होती है परन्तु जब मूल्य का वृद्धि विनियोजन एवं राष्ट्रीय आय-वृद्धि की तुलना में अधिक होन लगती है तो मुद्रा स्फीति के दोष में बचने हेतु मूल्य नियमन का आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में मूल्य का मुख्य दोष मौद्रिक और पूँजी में अनुस्यू उत्पादन करना होता है। मूल्य परिवर्तनना के स्वयं स्रोत्य (Self Liquidating) हान पर इनके द्वारा मौद्रिक पूँजी में अनुस्यू उत्पादन स्थापित किया जा सकता है। स्वयं स्रोत्य का अर्थ यह है कि मूल्यो में वृद्धि हान पर पूँजी की मात्रा बढ़ जायेगी चाहिए जो मौद्रिक अनुस्यू हो जाय और फिर पूँजी बढ़ने ही मूल्यो का अपने सामान्य स्तर पर आ जाना चाहिए। दूसरी ओर मूल्य घटने पर (मौद्रिक कम हान के कारण) पूँजी की मात्रा घट जानी चाहिए और मौद्रिक अनुस्यू हान जानी चाहिए। पूँजी कम हान पर मूल्य फिर अपने सामान्य स्तर पर आ जाते हैं। यह मूल्यो की एक सामान्य गति है और इस गति पर बहुत से घटका का प्रभाव पड़ता रहता है। अल्प विकसित राष्ट्रों में मौद्रिक गति पर मूल्य तो बढ़ जाते हैं परन्तु पूँजी क्षीयता के साथ नहीं बढ़ पाती है जिसके कारण मूल्यो की एक वृद्धि दूसरी वृद्धि का कारण बनती रहती है और इस प्रकार मूल्य वृद्धि का एक द्रवित चक्र बन जाता है। योजना अधिकारी का ऐसे प्रयत्न करने होना है कि इस द्रवित चक्र का प्रादुर्भाव न हो और मूल्य सामान्य स्तर से अधिक ऊँचे न जाय।

विकासामुक्त राष्ट्रो में मूल्य-नियमन की आवश्यकता

विकासामुक्त अर्थ-व्यवस्था में जहाँ विकास-व्यय एवं विनियोजन वही राशि में किया जाता है जन समूह की मौद्रिक आय में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। इसके अतिरिक्त आय के अधिकार भाग का उपयोग उपभोक्ता-वस्तुओं के लिए होता है तथा इस प्रकार विकास-व्यय एवं विनियोजन की राशि उपभोक्ता वस्तुओं की उपस्थिति पर निर्भर होती है। मौद्रिक आय की वृद्धि के फलस्वरूप भाग में होने वाली वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए जन समूह की छय राशि का बचत किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर ऋण एवं सप्लू बचत को राशि का संग्रह किया जाना चाहिए। इसके साथ अधिक पारिश्रमिक की मांग को दबाना प्रत्यक्ष आवश्यक हीना है क्योंकि मजदूरी की वृद्धि से मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। साम प्रसार की केवल उत्पादन वायुधियों की आवश्यकता अनुया होना चाहिए और सट्टे-बाजी (Speculation) एवं उचय (Hoarding) हेतु साम प्रसार पर भी अवरुध लगाना बाध्यनीय होता है।

साम्प्रत में, मूल्यों की वृद्धि अपने आय में पार्से दूषित स्थिति नहीं होती है। जब मूल्यों की वृद्धि के साथ उत्पादन में इसके अनुकूल वृद्धि नहीं होती है, तब प्राचनीय स्थिति उत्पन्न होती है। आर्थिक विकास के साथ मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है। आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय आय के कुछ अधिक भाग का विनियोजन उत्पादन उपयोग में करना आवश्यक होता है। इस विनियोजन के फलस्वरूप उत्पादन-वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि के साथ साथ राजगार एवं आय में भी वृद्धि होती है। आय की वृद्धि के अधिकतम भाग को अल्प विवर्धित राष्ट्रीय में उपभोक्ता-वस्तुओं के लय के लिए व्यय किया जाता है जिससे उपभोक्ता-वस्तुओं की मांग एवं मूल्यों में वृद्धि होनी प्रारम्भ ही जाती है। मूल्यों की वृद्धि को रोकने हेतु एक बार बर्से हुई आय को बचत, कर तथा ऋण के रूप में जनता के हाथों से वापस ले लेना चाहिए और दूसरी ओर, आय-व्यय उपभोक्ता-वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आर्थिक विकास के अंतर्गत अधिक विनियोजन के फलस्वरूप राष्ट्र के उत्पादन के कुछ साधनों का प्राचीन उपभोक्ता-वस्तुओं के क्षेत्र से हटकर उत्पादन वस्तुओं के क्षेत्र में होना जाता है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन के साधनों की मांग एवं मूल्य बढ़ जाते हैं जिससे उपभोक्ता-वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है और उनके मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इस परिस्थिति के प्रभाव को दूर करने के लिए मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता होती है। योजना अतिकारी की अपनी वित्तीय मौद्रिक नीतियों द्वारा जिसमें मुख्यतः ब्याज की नीति एवं खुले हुए व्यवसायों की मांग की अधिक सूचिपाना द्वारा किसे जाने वाले व्यय पर नियंत्रण रखना चाहिए जिससे आय की वृद्धि अवांछनीय क्षेत्रों में न हो सके। दूसरी ओर, कर-नीति द्वारा आय को बच कर लेना चाहिए तथा विशेष वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करने की प्रवृत्ति का नियंत्रण कर देना

चाहिए। इसके साथ ही राजकीय मौद्रिक तथा कर-सम्बन्धी नीतियों द्वारा सपात्र म वचन का प्रति प्रोत्साहन उत्पन्न करना चाहिए।

इन समस्त वायवाहियों में एक आर, मांग उन्ही क्षेत्रों में बढ़ सकया जिसमें याजना अधिकारी चाहता है और दूसरी आर जनसमुदाय अपनी आय की वृद्धि का समस्त भाग उपयोग पर व्यय न कर सकेया तथा विनियाम के लिए अधिक धन एवं साधन उपलब्ध हो सकेंगे। उपयुक्त वायवाहिया द्वारा मांग के क्षेत्र पर नियंत्रण किया जा सकता है। मांग पर नियंत्रण रखने के साथ साथ, पूँति के क्षेत्र में उत्पादक-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के साथ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ाना भी आवश्यक है जिससे उत्पादन क्षेत्र के विकास द्वारा बड़ी आय के फलस्वरूप जो उप-भाग-व्यय बन गया है, उसने लिए उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करायी जा सकें। मूल्य-नियमन नीति द्वारा याजना-अधिकारी को एक आर साधना के अनावश्यक उत्पादक एवं उपभोक्ता वस्तुओं के लिए उत्पादन में साधनों के उपयोग को हतोत्साह करना चाहिए और दूसरी ओर अधिक विकास के लिए आवश्यक उत्पादक वस्तुओं एवं आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में साधनों के उपयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए।

मांग पर नियंत्रण करना अत्यधिक कठिन होता है तथा मांग का सामान्य करने के लिए जो प्रयास किये जाते हैं, उनका प्रभावकारी होना नतिक चरित्र के 'दून स्तर' के कारण सन्देहजनक होता है। ऐसी परिस्थिति में पूँति की ओर ठोस वायवाहिया करना उचित है। पूँति में वृद्धि आयात एवं उत्पादन वृद्धि द्वारा करने के लिए प्रभावशाली एवं गतिशील वायवाहिया कर तथा आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं के विनियमन लाक्षण, रत्न आदि जिन पर जनसमुदाय की आय का अधिक भाग 'यस' होता है। उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि कर ही की जा सकती है। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ जनसमुदाय का 'दून जीवन-स्तर' है तथा अधिकतर जनसंख्या अपनी व्यक्तिगत आय का अधिकांश खाद्यान्न पर 'यस' करता है नियोजन की सफलता एवं मूल्य नियमन-नास्ति दोनों खाद्यान्नों की पूँति पर निर्भर है। खाद्यान्न एवं कृषि उत्पादन में कमी होने पर भारत की अर्थ-व्यवस्था हिलन भिलन हो जाती है तथा देश के आन्तरिक एवं विदेशी-दानों ही साधनों में अनुमान की तुलना में अत्यन्त कमी हो जाती है। कृषि उत्पादन में कमी होने पर एक ओर, खाद्यान्न एवं कच्चे माल के आयात हेतु अधिक विदेशी विनि-मय की आवश्यकता होती है तथा दूसरी ओर कृषि उत्पादन के निर्माण में कमी होने से विदेशी विनिमय का उत्पादन कम होता है। इस प्रकार उपर्युक्त विदेशी साधना द्वारा योजना के वायव्यता के लिए आवश्यक पूँजीगत वस्तुएं आयात करना असम्भव हो जाता है। इसके साथ ही, खाद्यान्न एवं कच्चे माल का उत्पादन कम होने में जनसंख्या के एक बड़े भाग की आय कम हो जाती है और औद्योगिक संस्थाओं के लाभ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे विकास के लिए कर खर्चन एवं क्रय के रूप

में अनुमानित राशियाँ प्राप्त नहीं हो सकती हैं। माघाश्रों एवं बच्चे भाल के उत्पादन में कमी होने में इनके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, जिनके फलस्वरूप कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य नियमन नीति का आधा-आधा अर्थ बचने मान की पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि करना होना चाहिए।

मूल्य नियमन-नीति के उद्देश्य

विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में मूल्य नियमन नीति द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करना आवश्यक होता है—

- (१) मूल्य नियमन नीति द्वारा योजना का प्राथमिकताओं एवं तथ्यों में अनु-हून हो मूल्यों में परिवर्तन होना का आवश्यक प्राप्ति करना
- (२) हमारे द्वारा कम आय वाले लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं में मूल्यों की अधिक वृद्धि को रोकना।
- (३) मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों पर रोक लगाकर जिससे मुद्रा स्फीति के दोषों का प्रभाव नै राखा जा सके।

उपर्युक्त तीनों ही उद्देश्य एक दूसरे में घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित हैं और मूल्य नियमन नीति द्वारा तीनों ही उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ नहीं रहती है।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति

अल्प विधायित राष्ट्रों का नियोजित अर्थ व्यवस्था में सम्बन्धित मूल्य नियमन नीति एक आवश्यक तत्त्व है। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत इसकी और भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। मिश्रित अर्थ व्यवस्था में निजी क्षेत्र तथा स्वतन्त्र बाजार का मर्यादा नष्ट नहीं किया जाता है जिसका कारण बाजार के क्षेत्र में बिक्री मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। निजी व्यवसायी मूल्य बढ़ाने शुरू मूल्यों का अधिक लाभ उठाना चाहता है। वह वस्तुओं की अवांछित कमी का बाजार पर प्रभाव डालने में सदैव तत्पर रहता है। ऐसी परिस्थितियों में योजना अधिकारी का बड़ी तत्परता से मूल्यों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। मूल्यों की अधिक वृद्धि में केवल जनसाधारण को ही कठिनाई नहीं बरन् योजना के समस्त क्षेत्रों में अर्थ व्यवस्था का अर्थ सम्बन्धी अनुमान गड़बड़ हो जाते हैं और योजना पूर्णरूपेण दाहिलो पड़ती है।

इसी कारण मिश्रित अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत योजना अधिकारी को मूल्यों में अति अल्पिक मतबना रखनी पड़ती है। मूल्य स्तर को नियंत्रित करते हुए बहुत सी भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकतियों का उपयोग किया जाता है जिनके द्वारा जनसमुदाय का अर्थ की वृद्धि को या तो उपभोग पर व्यय करने से रोक दिया जाता है या फिर उपभोग वस्तुओं की पूर्ति में अर्थ की वृद्धि के अन्तर्गत वृद्धि की जाती है। प्रथम क्रिया

को हम वृहद् अर्थशास्त्रीय (Macro Economics) क्रिया तथा दूसरी क्रिया को संकुचित अर्थशास्त्रीय (Micro Economics) क्रिया कह सकते हैं।

अतिरिक्त आय के व्यय करने पर प्रतिबन्ध

वृहद् अर्थशास्त्रीय क्रियाओं के अंतर्गत मौद्रिक नीति को इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि अवाञ्छनीय क्षेत्रों में किए जाने वाले व्यय तथा उससे उपाजित होने वाली आय का प्रतिबंधित किया जा सके। इस उद्देश्य का पूर्ति के लिए व्याज की दरों में समायोजन तथा साख को चुनी हुई आर्थिक क्रियाओं एवं क्षेत्रों का हो प्रदान करने का आयोजन किया जाता है। दूसरी ओर वित्तीय नीति (Fiscal Policy) द्वारा विकास कार्यक्रमों में अधिक विनियोजन से उदय हुई अधिक आय को अन्तर्देशीय क्रियाओं पर व्यय करने से रोका जाता है। इसके लिए उचित करारोपण किया जाता है। करारोपण द्वारा दुर्लभ उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय को प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियों का संघालन इस प्रकार किया जाता है कि जन समुदाय में अधिक से अधिक आय वृद्धि की जाय। विनियोजित बचत एवं मुद्रा का सग्रह दोनों ही मुख्य स्तर को बढ़ाने से रोक्ते हैं। यदि बचत किया गया धन उत्पादन क्रियाओं में विनियोजित कर दिया जाता है तो एक ओर यह दीर्घ काल में राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि में सहायक होता है और दूसरी ओर आय का वह भाग जो विनियोजित कर दिया जाता है, उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता है और इस प्रकार आय की वृद्धि में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग एवं मूल्यों में वृद्धि नहीं आती है। जब अतिरिक्त आय में प्राप्त धन को विनियोजित न करके उसे सग्रह कर लिया जाता है तो भा उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि नहीं होती है और मूल्य स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है परन्तु अतिरिक्त आय का धन अधिक विनियोजन एवं उत्पादन वृद्धि के लिए उपलब्ध नहीं होता है।

अतिरिक्त आय के अनुरूप उत्पादन वृद्धि

संकुचित अर्थशास्त्रीय (Micro Economics) क्रियाओं के अंतर्गत अथ व्यवस्था में आधारभूत विनियोजन वस्तुओं की उत्पादन-वृद्धि के साथ, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन में इनकी वृद्धि करने के प्रयत्न किए जाते हैं कि वह अतिरिक्त विनियोजन के फलस्वरूप बड़ी हुई आय एवं उपभोगव्यय-वृद्धि के अनुरूप हो। इन कार्यों के लिए एक ओर साधनों की आर्थिक प्रवृत्ति हेतु आवश्यक विनियोजन वस्तुओं एवं आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन के लिए उपयोग करने को प्रोत्साहित किया जाता है और इन वस्तुओं के अतिरिक्त अथ वस्तुओं में साधनों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाता है। यह प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन मूल्य-नीति द्वारा किया जा सकता है परन्तु अनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने से अनावश्यक उपभोग

में बचे हुए सामान उत्पादक विनियोजन के लिए उपलब्ध करना बर्जित होता है और इस दूसरी क्रिया के लिए मौद्रिक एवं वित्तीय नीति का उपयोग किया जाता है। दूसरी प्रकार बचते हुए मूल्यो द्वारा यदि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन का प्रोत्साहन दिया जाय तो बाजारिय विनियोजन-वस्तुओं की माँग में उबालनीय कमी हो सकती है और उपनिष्ठा वस्तुओं की उत्पादन लागत में अनुचित वृद्धि होना सम्भावित हो सकता है। इस प्रकार मूल्य-वृद्धि द्वारा प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन के फलस्वरूप, बाजारिय नीतियों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए मूल्य-नियंत्रण का काम का सीमित करने का प्रयत्न किया जाता है।

आवश्यक वस्तुओं एवं सुधारों के उत्पादन का मूल्य-नियंत्रण के क्षेत्र से घृणित करने के लिए इनका उत्पादन सहायके क्षेत्र में किया जाता है। सहायके क्षेत्र में उत्पादन बत्त्या के लिए किया जाता है और उसका अतिरिक्त लक्ष्य सामानोत्पादन नहीं होता है। अिन क्षेत्रों में सरकार इनका उत्पादन करने चाहती है नहीं ले सकती है। वहाँ कर-सम्बन्धी छूटों से आवश्यक वस्तुओं एवं सुधारों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। जब क-सम्बन्धी छूटों द्वारा भी इन वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित न किया जा सकता हो और उत्पादकों का अतिरिक्त मूल्य प्रदान किया जाना आवश्यक हो तो मूल्य-सहायक का बटने से भोजने के लिए ऐसे क्षेत्रों का विपणन-उत्पादन (Sales Subsidies) से जाती है जिसके द्वारा विपणन का मूल्य का कुछ भाग सहायक प्रदान करती है। आभारवृत्त उपनोत्पादन-वस्तुओं के उत्पादन का प्रोत्साहित करने हेतु मूल्य-वृद्धि के स्थान पर उत्पादन-लागत के घटकों के मूल्यों को सीमित रखना चाहिए। जब इस क्रिया द्वारा भी आभारवृत्त उपनोत्पादन-वस्तुओं के मूल्य का वृद्धि को नियंत्रित न किया जा सकता हो तो फिर इन वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण (Price Control) एवं विपणन राज्य का कर्तव्य होना चाहिए।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति के सिद्धान्त

(१) विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में विनियोजन एवं निवेश नीति नीति प्रति धन बचते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण की आय में वृद्धि होती है। इस अतिरिक्त आय के कुछ सम्भावित भाग, जो आय की वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त मुद्रासंचय में उपयोग हो जाता है। अद्यतन शेष के अनुस्यू उपनोत्पादन-वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। यदि इस शेष आय का कुछ भाग संचय एवं कर में प्राप्त कर लिये जाय तो अतिरिक्त शेष के अनुस्यू उपनोत्पादन-वस्तुओं में वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात् उत्पादन में वृद्धि करत समय भी यह विचार करना होगा कि कुछ उत्पादन को वृद्धि में से (अ) रॉपर वस्तुओं का भाग, जो विपणन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, (ब) लक्ष्य-निर्मित वस्तुएँ तथा (ग) विनियोजन-वस्तुएँ धरा बनी चाहिए क्योंकि वेदल उप वस्तुएँ ही आय के शेष को आच्छादित करने के लिए उपलब्ध होंगे हैं। इस विचार को हम आगे दिखे हुए नूतन से समझ सकते हैं—

माय वी वृद्धि—(घन का सग्रह + बचत + बर) = उत्पादन की वृद्धि
 —(वस्तुआ का सग्रह + गठ निर्मित वस्तुएं + विनियोजन-वस्तुएं)

इस प्रकार माय की वृद्धि का शेष जब उत्पादन की वृद्धि के शेष के बराबर हो तो मूल्य में वृद्धि नहीं हागी। राज्य द्वारा इसलिए यह प्रयत्न करने चाहिए कि माय की वृद्धि का शेष कम रहे और उत्पादन का शेष यथासम्भव बढ़ता रहे।

(२) प्रत्येक क्षेत्र (Sector) अथवा समूह की माय की वृद्धि के अनुभव उस क्षेत्र अथवा समूह के उत्पादन में वृद्धि हागी चाहिए अथवा उस माय की वृद्धि का दूसरे क्षेत्र, एवं समूहों में हस्तांतरित कर इसकी माय की वृद्धि उत्पादन की वृद्धि के अनुरूप कर देनी चाहिए।

(३) यथासम्भव बचत को विनियोजन की वृद्धि के समान करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(४) आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों की नियंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि इन वस्तुओं के मूल्य ही अन्य अनावश्यक वस्तुओं को नियंत्रित करता है। मूल्यों के सामान्य स्तर को नियंत्रित करने में कोई विफलता लाभ नहीं हागी है क्योंकि जब तक आधारभूत उपभोक्ता वस्तुओं में पूर्ण नियंत्रित नहीं हागे हैं मूल्य नीति प्रभावशाली नहीं हो सकती है। यदि आधारभूत वस्तुओं के उत्पादन वृद्धि हेतु बनते हुए मूल्यों का प्रोत्साहन देना आवश्यक हो तो मूल्यों को कुछ सीमा तक बढ़ने देना चाहिए। मूल्य नियंत्रण वितरण पर नियंत्रण एवं मूल्य प्रोत्साहन इन तीनों विधियों का समन्वित उपयोग मूल्य नियंत्रण के लिए किया जाना चाहिए।

(५) जब मूल्यों एवं वितरण पर नियंत्रण किया जाय तो जनसाधारण में नियंत्रित सप्लाई द्वारा यह आवश्यकता उत्पन्न करना चाहिए कि उन्हें अपनी माय क्षमतानुसार वस्तुएं भविष्य में मिलनी रहती है। उनमें 'यूनता' की मनोबानात्मिक भावना को जाग्रत नहीं होना देना चाहिए क्योंकि इस भावना के उत्पन्न होने पर वस्तुओं की पूर्ति द्वारा वस्तुओं की उचित माँग का भी पूर्ति नहीं करना हाती है अतः मनोबानात्मिक माँग को भी पूर्ति करना हाती है। 'यूनता' के बाधावरण में उपभोक्ता 'मायारी' एवं उत्पादक सभी में वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक सग्रह करने की भावना हाती है जिसके फलस्वरूप वृद्धिम 'यूनता' का बोधवासा हो जाता है और मूल्य निरन्तर बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार राज्य को अरुण प्रयत्न करना चाहिए कि जन समुदाय में 'यूनता' की भावना सुदृढ़ न होने पाये और यह सम्भव सब ही हो सकता है जब नियंत्रित वितरण की कुशल व्यवस्था हो और आधारभूत वस्तुएं नियंत्रित मूल्य पर आवश्यकतानुसार सभी वर्गों को उपलब्ध करायी जाती रहें।

(६) अन्तर्देशीय एवं आर्थिक मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु बफर स्टॉक (Buffer Stock) का आयोजन किया जाना चाहिए। बफर-स्टॉक द्वारा राज्य-पूर्ति में माँगानुसार अल्प मात्रा में वृद्धि कर सकता है और अल्पनाशन एवं अस्थायी मूल्य-

वृद्धि को रोक सकता है। अल्पकालीन एवं अस्थायी मूल्य वृद्धियों प्रभावशाली नियंत्रण के फलस्वरूप, स्थायित्व प्रदत्त करने लगती हैं। बपर-स्टॉक द्वारा दीर्घकालीन एवं स्थायी मूल्य वृद्धि तथा उत्पादन की कमी का निवारण नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न अर्थ-व्यवस्था मूल्य प्रोत्साहन (Price Incentive) को चुनी छूट नहीं गी जाती है, परन्तु मूल्य प्रोत्साहन को चुने हुए क्षेत्रों विशेषकर आधारभूत उपमाना-वस्तुओं के क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों में, जो निजी क्षेत्र में संचालित हों और जिन पर राज्य मूल्य नियंत्रण न कर सकता है के लिए मूल्य प्रोत्साहन अनिवार्य होता है।

साम्यवादी अर्थ-व्यवस्था में मूल्य-नीति

साम्यवाद में अर्थ के नियम (Law of Value) का प्रभाव नहीं होता, जिसका पूर्वाधार में। साम्यवाद में उत्पादन का साधनों और श्रम-शक्ति का संयोग अर्थ के सिद्धान्त के आधार पर नहीं होता प्रत्युत योजनावत्ताओं द्वारा होता है। वस्तु के अर्थ एवं मूल्य में निश्चित सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है क्योंकि मूल्य-निर्धारण करते समय समाज की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए उत्पादन एवं उपभोक्ता की वस्तुओं के मूल्यों में बारी अन्तर पाया जाता है। मूल्य पर मात्र एवं पूर्णतः प्रभाव अत्यन्त सीमित रहता है। वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति का अनुत्पन्न जनता की माँग पर नहीं छोड़ा जाता है इसलिए माँग का प्रभाव नहीं होता कि वह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की मात्रा निर्धारित है। पारस्परिक अनुत्पन्न हेतु छुटकर मूल्य के स्थान पर राज्य अधिकारियों द्वारा संचालित उत्पादन से मुक्ति लिया जाता है। उत्पादन की मात्रा माँग से सदैव कम रखी जाती है जिससे माँग और पूर्ति का अनुत्पन्न कमी निगलने न पावे। उपभोक्ता-वस्तुओं की मात्रा और मात्रा में अधिक से अधिक उत्पन्न रखा जाता है। राष्ट्रीय साधनों को उपभोग के क्षेत्र से हटाने भारी ऋणों में सगति की यह प्रवृत्ति विधि है। मूल्य के स्तर में स्थिरता रखी जाती है। जनता की अर्थ शक्ति एवं वस्तुओं की पूर्ति में अनुत्पन्न बनाए रखा जाता है। इस अनुत्पन्न की गहवली को अधिकतम करारोपण तथा संचालित द्वारा ठीक कर दिया जाता है।

साम्यवादी राष्ट्रीय में मूल्य नियमन की समस्या इसकी उम्मीद नहीं होती। मूल्यों को अपने आर्थिक कार्य—माँग एवं पूर्ति—में अनुत्पन्न स्थायित्व करने का अवसर नहीं दिया जाता है। समस्त उत्पादन के घटक एवं उत्पादन तथा उपभोक्ता-वस्तुओं की पूर्ति एवं उत्पादन उच्च के हाथ में होता है। राज्य को मूल्य नियमन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि राजा के किसी भी घटक का मूल्य पर प्रभाव नहीं डालने दिया जाता है। साम्यवादी राष्ट्रीय में राज्य को स्वयं मूल्य-निर्धारण करना होता है अतः मूल्य नियमन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

भारतीय योजनाओं में मूल्य नीति एवं स्तर प्रथम एवं द्वितीय योजना में मूल्य नीति

भारत में नियोजित अथ व्यवस्था क प्रारम्भ से ही मूय नियमन का विषय महत्व दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में प्रारम्भ की तुलना में धोखे मूयों का निर्देशांक १६% कम रह गया। कोरिया का युद्ध समाप्त होने एवं मुद्रा स्थिति का कम का जाने वाली कायवाहियों के फलस्वरूप सन् १९५२ में मूयों का निर्देशांक में कमी हुई और अगले दो वर्ष तक मूयों में कुछ स्थिरता रही। सन् १९५३-५४ की बहुत बड़ी फसल के कारण मूयों में अत्यधिक कमी हुई। दुर्गाई सन् १९५५ से मूयों में वृद्धि होना प्रारम्भ हो गया।

प्रथम योजना के मूयों के इन उच्चावचानों के वातावरण में राज्य ने निश्चय किया कि उपस्थित वातावरण के अनुकूल व्यवस्थित मूल्य निर्धारित किए जाय और मूल्यनियंत्रण करना ही द्वारा एक अथ कायवाहियों द्वारा मूयों को इस निर्धारित सीमा से नीचे न गिरने दिया जाय और खाद्यान्नों के उत्पादन मूल्यों के परिवर्तनों से कोई हानि न होने दे जाय। अमिका के रहने रहने की लागत का निर्देशांक (सन् १९४९=१००) मात्र सन् १९५१ में १०३ या जो मात्र सन् १९५६ में पटक १०० रह गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवं अथ सामग्री के उचित सन्तुलन बनाये रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। योजनाकारों मूयों को विभिन्न प्रकार की फसलों का उगाने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन प्रदान करता था। खाद्यान्नों के उत्पादन का पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने हेतु इनके मूल्यों का उचित स्तर पर बनाये रखना आवश्यक था जिससे अथ फसलों की तुलना में उत्पादन का खाद्यान्नों की फसल में अधिक लाभ प्राप्त हो सके और वह अथ फसलों का आर अथिक आकर्षित न हो। मूयों में अत्यधिक उच्चावचान का रोकने हेतु खाद्यान्नों के अन्तर्गत मूयों का निर्माण आयात एवं निर्यात की (Quota) की मात्रा की समझ के पूर्व बोपला अग्रिम सीमा (Forward Market Operations) पर नियंत्रण एवं अथ द्वितीय तथा साधननिष्पन्न-कायवाहियों का आयोजन द्वितीय योजना में किया था। द्वितीय योजनाकाल में मूयों में निरन्तर वृद्धि होती रही। सामान्य धोखे मूयों निर्देशांक में योजनाकारों में २३% होने की सामग्री के मूल्य निर्देशांक में ४८% औद्योगिक वस्तुओं में ८३% निर्मित वस्तुओं में २३% में भी अधिक वृद्धि हुई। मूयों की निरन्तर वृद्धि के दो मुख्य कारण थे— प्रथम जनसंख्या की वृद्धि एवं द्वितीय भौतिक आय का वृद्धि। इन दोनों से उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग में वृद्धि हुई परन्तु पूर्ण में अधिक वृद्धि न हो सकी। सन् १९५७-५८ में खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ६० लाख टन कम और सन् १९५९-६० में पिछले वर्ष की तुलना में ४० लाख टन कम था। इसी वर्ष में कपास के उत्पादन में १८% और के उत्पादन में १२% तथा तिलहन के

उत्पादन में १२% की कमी हुई। कृषि उत्पादन की इस कमी की प्रतिनिध्या के कारण मूल्यो में सामान्य वृद्धि होना स्वाभाविक था। द्वितीय योजनाकाल में अधिक्तों के रहन सहन की लागत का निर्देशांक (१९८६=१००) यात्रना ने प्रारम्भ में ६६ या ११ यात्रना के अन्त में १२४ हो गया।

द्वितीय योजना के अनुभवों में यह स्पष्ट हो गया कि उद्योग, खनिज एवं यातायात में अधिक्त नियोजन होने पर मूल्यो की वृद्धि का रोकने के लिए कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक होगा परन्तु कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर रहता है जो एक अनिश्चित घटक है और जिस पर कोई नियंत्रण सम्भव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मूल्य का तीव्र औद्योगिकरण यथाचित मूल्य स्तर के साथ बनने के लिए कृषि उत्पादन का पर्याप्त अथवा राज्य का खर्चों के लिए निम्न मूल्यो के नीमनी परिवर्तना पर राज्य नियंत्रण रखे सके। प्रथम एवं द्वितीय योजनाकाल में धातु मूल्य निर्देशांक में परिवर्तन निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं—

तालिका सं० १६—प्रथम एवं द्वितीय योजनाकाल में मूल्यो में परिवर्तन (आधार १९४२=१००) धातु मूल्य निर्देशांक

वस्तु	प्रथम योजना			द्वितीय योजना		
	१९४७-४८	१९४८/४९	परिवर्तन वा प्रतिशत	१९४७/४८	१९४९/५०	परिवर्तन वा प्रतिशत
आय पन्ना	१११०	८६६	-२०	८६६	१२००	+४८
धाराय एवं तम्बाकू	१०१६	८१०	-१९	८१०	१०६६	+३१
ई धन, धातु, प्रकाश धातु	६६१	६४२	-३	६४२	१०००	+५६
औद्योगिक कच्चा माल	१०१४	६६०	-३०	६६०	१४१४	+६०
निर्मित वस्तुएँ	११६०	६६६	-४०	६६६	१२००	+७९
संपन्न वस्तुएँ	११००	६२४	-४६	६२४	१२८७	+६३

उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है कि द्वितीय योजनाकाल में समस्त वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि हुई है और राज्य द्वारा मंचालित मूल्य नियमन-नीति की विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। द्वितीय योजनाकाल में मूल्य नियमन नीति के असफल होने का मुख्य कारण इस प्रकार है—

(१) मूल्य नियमन नीति के मंचालन में प्रभावशालिता की कमी थी।

(२) मूल्य नियमन नीति से सम्बन्धित बाह्यवाहियों में पारस्परिक समन्वय की कमी थी। अथ ध्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों पर बाह्यवाहियाँ नहीं की गयीं कारण मंचालित नीति का मंचालन नहीं किया गया। मूल्य नियमन नीति का मंचालन-अथवा कवल खाद्यान्नों, ध्यापारिक वस्तुओं, कुछ क्षेत्रों एवं कुछ व्यवहारों तक ही सीमित था।

नियोजित अथ व्यवस्था के अन्तगत मूल्य नीति

(३) मूल्य नियमन नीति की दीघकालीन आवश्यकताओं के आधार पर निधारित नहीं किया गया और इसे योजना के अथ नीतिया के साथ प्रारम्भ से ही समन्वित नहीं किया गया था।

तृतीय याजना मे मूल्य-नीति

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में मूल्य नियमन नीति का आर विनियमन ध्यान दिया गया है। साधारणतः तृतीय याजना के अन्तगत किए गये विनियोजन में मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक होगा। मूल्य नियमन नीति द्वारा इस वृद्धि को सीमित रखकर आवश्यक उपमात्ता वस्तुओं के मूल्यों को विनियमन से स्थिर रखने का प्रयत्न किया जायगा। मूल्यों की गति विभिन्न घटकों पर निर्भर होता है जिनमें से कुछ समस्त माग पर प्रभाव डालते हैं तथा कुछ पृथक् पृथक् वस्तुओं की माग एवं पूर्ति द्वारा गन्तव्य होते हैं। इसलिए मूल्य नियमन नीति का तटकर कायवाहिया मौद्रिक एवं व्यापारिक नीतिया तथा आवश्यकता पडने पर प्रत्यन्त विनियमन के द्वारा बहुत सा अवस्थाओं की प्रभावित करना होता है। इन समस्त क्षेत्रों में सामूहिक प्रयासों द्वारा ही साम्यिक स्थिर मूल्यों पर आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है। मूल्यों की स्थिरता वास्तव में एक उद्देश्य एवं योजना का सफलता का एक आवश्यक गत दोना ही है। द्वितीय याजना के अनुमानों से यह स्पष्ट हो गया है कि मूल्यों का वृद्धि द्वारा योजनाओं के कार्यक्रम की सफलता पर किन्ता दुष्प्रभाव होता है। मूल्यों की वृद्धि से एक आर याजना की निर्धारित राशि द्वारा किए गये कार्यक्रमों को पूर्णतः सफल नहीं बनाया जा सकता तथा दूमरी ओर जावन निर्वाह की लागत एवं जान से कारखानों में उत्पादन भादि के कारण उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि नहीं होता। द्वितीय पञ्चवर्षीय याजना में बहुत मूल्य नियमन नीति का विचार महत्व नहीं दिया गया था। यह ध्यान अवश्य मान ली गया था कि द्वितीय याजनाकाल में मुद्रा स्फीति का दबाव के निवारण करने की समस्या उपस्थित होगी तथा विकास कार्यक्रमों के हेतु विनियोजन की तथीन माँगों की तुलना में पूर्ति कम होना स्वाभाविक ही होगा। फिर भी याजना आयोग ने यह विचार प्रकट किया कि वडिनाइया के अर्थ से विकास कार्यक्रमों को छोड़ा अवस्था कम नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार द्वितीय योजना के प्रारम्भ में विश्वास को विनियमन प्रदान किया गया तथा मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण करने एवं मूल्यों की स्थिरता को आधारभूत घटक का स्थान नहीं दिया गया।

द्वितीय याजना एवं तृतीय योजना के प्रारम्भ के आन्तारण में बहुत अन्तर था। द्वितीय याजनाकाल में मूल्यों में ३५% वृद्धि हो गया थी। तृतीय योजनाकाल में मुद्रा स्फीति के आघात को रोकने के लिए अधिक आयात भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि विदेशी विनिमय का मन्त्र नहीं था। रुपये के वास्तविक मूल्य में इतना कम हो गया थी कि जनता रुपये के स्थान पर वस्तुएँ रखना पसन्द करने लगी थी। मूल्यों में वृद्धि होने के कारण धर्मिक वर्ग के जावन स्तर की लागत में वृद्धि हो गया था

तथा ग्राहकीय एवं निर्जो शोनों ही प्रकार के कार्यों में हस्तगत की समस्तियों का जो-बाता था। इन सब परिवर्तित परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ न्यून-निपटन-शक्ति अल्पतः आवश्यक थी। निम्न-दृश्य-शक्ति का यह तात्पर्य बताते नहीं होता है कि भारतशासन में न्यूनियों में काट परिचयन न होना दिया जाय। विगत की धार उद्भवतः अथ अदम्या में जिसमें १० करोड़ रुपया १० का निविदाशन करने का समय था, जो राष्ट्रीय आय का लगभग १६% का तथा महा-काय-वस्तु राष्ट्रीय आय का केवल ८% थी—दूनों की वृद्धि अनिवार्य थी परन्तु यह अर्द्ध-व्योक्ति होती चाली, जहाँ ५ वर्ष में ३ या ४% न्यूनियों की वृद्धि का व्योक्ति महा का सङ्गता था। आवश्यक उपभोग-वस्तुओं के न्यूनियों में अति-वृद्धि रहने के लिए न्यून-निवेश की आवश्यकता थी।

उपरोक्त विचारधारा से यह स्पष्ट है कि न्यून-वृद्धि का सामना निवारित उप-ध्यतया के विस्तृत विनियोजन-कार्यक्रम होना है। अब राष्ट्रीय आय के बढ़ना का सामना न्यूनियों एवं उत्पादन वस्तुओं के उत्पादन में विनियोजन किया जाता है तो उपभोग-वस्तुओं के उत्पादन में एक ओर पर्याप्त वृद्धि नहीं होती तो दूसरी ओर अधिक विनियोजन द्वारा जनसाधारण की शक्तिगत आय में वृद्धि के कारण उपभोग-वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। यदि विनियोजन एवं उपभोग-वस्तुओं के उत्पादन में अल्प अनुपात बना रहे तो न्यूनियों की वृद्धि समीर रूप ग्रहण नहीं कर सकती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३१६० करोड़ रुपया का विनियोजन किया गया और उत्पादन की वृद्धि का प्रतिशत ३०.२ रहा। इस प्रकार विनियोजन की वृद्धि राशि की तुलना में उत्पादन अधिक हुआ जिसके फलस्वरूप न्यूनियों में ३८% की वृद्धि हुई। द्वितीय योजना में विनियोजन की राशि ६३४० करोड़ रुपया प्रथम पाठना की तुलना में ११गुनी थी जबकि उत्पादन की वृद्धि केवल २७.९% हुई। साम्प्रद में, उत्पादन की वृद्धि प्रथम योजना के आँकों के आधार पर लगभग ९०% हीनी चाली थी, द्वितीय योजना में उत्पादन की वृद्धि कम होने के कारण न्यूनियों में ३०% की वृद्धि हुई। तृतीय योजना में प्रथम एवं द्वितीय योजना के सांख्यिक आँकों की प्रमाणात्ता जा सकता है। तृतीय योजना का विनियोजन प्रथम एवं द्वितीय योजना के सम्मिलित विनियोजन के समान बराबर रखा गया। प्रथम एवं द्वितीय योजना के सम्मिलित विनियोजन १०,११० करोड़ रुपया का उत्पादन में वस वर्षों में वृद्धि ३३.१% हुई। तृतीय योजना में १०,४०० करोड़ रुपया के विनियोजन पर उत्पादन में केवल २०% की वृद्धि होने का अनुमान है। प्रथम एवं द्वितीय योजना के सम्मिलित विनियोजन १०,११० करोड़ रुपया एवं उत्पादन की वृद्धि का ३३.१% होने पर वस वर्षों में न्यूनियों की वृद्धि १४% है। तृतीय योजना में जब १०,४०० करोड़ रुपया के विनियोजन पर उत्पादन में जब केवल २०% की वृद्धि का अनुमान था तो न्यूनियों में उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि की सम्भावना की जा सकती थी।

परन्तु मूल्यों की वृद्धि का विनियोजन की राशि पर ही आधारित नहीं किया जा सकता है। विनियोजन का प्रकार एवं विनियोजन का अथ प्रबंधन भा मूल्यों पर प्रभाव डालता रहता है। भारत में मूल्यों का स्तर कृषि उत्पादन की पूर्ति पर लड़ी सीमा तक निर्भर रहता है। कृषि उत्पादन क मूल्यों के उन्चावचानों की प्रतिक्रिया अथ वस्तुओं क मूल्यों पर पड़ती रहती है। तृतीय योजना में इसी कारण कृषि उत्पादन में आत्म निर्भरता का लक्ष्य रखा गया। कृषि उत्पादन की वृद्धि के कार्यक्रमों को तृतीय योजना में अधिक महत्व दिया गया। इसके अतिरिक्त तृतीय योजना के अथ प्रबंधन में मूलभूत परिवर्तन किये गये। द्वितीय योजना क समस्त व्यय ४,६०० करोड़ रु० में से ६४८ करोड़ रु० अर्थात् २०.६% होनाथ प्रबंधन से प्राप्त हुआ। तृतीय योजना में सहकारी क्षेत्र के व्यय ७,२०० करोड़ रु० में से केवल १५० करोड़ रु० अर्थात् ७.३% होनाथ प्रबंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इस कारण मूल्यों पर मुद्रा प्रसार का इनाम अधिक दबाव तृतीय योजना में न रहने का अनुमान था जितना द्वितीय योजना में रहा था। दूसरी ओर द्वितीय योजना में विदेशी विनिमय के लक्ष्यों का उपयोग करके मुद्रा प्रसार के दबाव को कम किया जा सकता था परन्तु तृतीय योजना में यह लक्ष्य न्यूनतम सीमा पर आ गये हैं और अब मुद्रा प्रसार के दबाव को रोकने का यह साधन भी उपलब्ध नहीं हो सकता था। इसी प्रकार द्वितीय योजना के ६७५० करोड़ रु० क विनियोजन में २१०० करोड़ रु० क विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ा थी जबकि द्वितीय योजना के प्रारम्भ में इससे आधी राशि क विदेशी विनिमय का आवश्यकता का अनुमान था। तृतीय योजना के १०४०० करोड़ रु० क विनियोजन में २६०० करोड़ रु० के विदेशी विनिमय का आवश्यकता का अनुमान लगाया गया। विदेशी विनिमय का आवश्यकता अनुमान से अधिक हो सकती थी। अथिच विदेशी विनिमय की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु आयात को कम और निर्यात को बढ़ाना आवश्यक होता है। आयात को कमो एवं निर्यात की वृद्धि से अथ-व्यवस्था में वस्तुओं का कमो होना स्वाभाविक होता है और इस प्रकार यह पटक भी मूल्यों की वृद्धि का प्ररक होता है। विदेशी सहायता की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर अथ-व्यवस्था में वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि हो सकती है और मूल्यों की वृद्धि को भी रोकना जा सकता है। इस प्रकार विदेशी सहायता की उपलब्धि मूल्य नियमन नीति का सफलता पर प्रभाव डालती रहेगी। इन सब विचारों के आधार पर यह कहना उचित होगा कि तृतीय योजना में मूल्य नियमन नीति का प्रभावशाली एवं समन्वित संचालन अत्यन्त आवश्यक था और इसकी सफलता पर योजना की सफलता निर्भर थी। तृतीय योजना की मूल्य नियमन नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयात जम किया गया—

(१) कर-नीति—राज्य की कर नीति द्वारा अथ व्यवस्था में अथ-वृद्धि क

ऐसे आधिक्य का हटाना हाता है, या उपलब्ध पूँजी के स्तर से अधिक है। इस प्रकार कर का भार इतना होना चाहिए कि योजना के अनुसूक्त व्यक्तियों का निर्धारण रखा जा सके। सरकारी क्षेत्र के विनियोजन के लिए आवश्यक साधन जनता में प्राप्त होना चाहिए न कि नवीन संचयन से प्राप्त करके। वास्तव में यह नीति द्वारा उपभोग का प्रतिबंधित करना तथा वस्तु में प्रस्तावनाओं की गतिशीलता उत्पन्न करना हाता चाहिए। सरकारी व्यवस्था का भी अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि इन पर हुए विनियोजन पर पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सके तथा सार्वजनिक (Public Saving) में पर्याप्त वृद्धि हो सके।

(२) शैक्षिक नीति—शैक्षिक नीति द्वारा सार्वजनिक पर नियंत्रण एवं नियंत्रण करना चाहिए। जब द्वारा उत्पादित साधन द्वारा निर्धारित क्षेत्र के विनियोजन को मायसाधन उपलब्ध होत है। भारत पर पर्याप्त नियंत्रण कर एक श्रेष्ठ, निर्धारित क्षेत्र के विनियोजन योजना के अनुसूक्त रखा जा सकेगा और दूसरी ओर, विनियोजन के लिए उपलब्ध सीमित साधनों पर निर्धारित क्षेत्र का अधिक बंधन नहीं हो सकेगा। शैक्षिक नीति के लिए वस्तुओं का समुचित धारण करने एवं निर्धारित मात्रा के मूल्य को हतोत्साहित किया जाय। विनियोजन के द्वारा निर्धारित मात्रा नियंत्रण-नीति के माध्यम से वस्तुओं द्वारा प्राप्त भिन्न भिन्न क्रमों के निर्धारित नीतियों से अधिक होना पर दण्डनीय प्राय (Penal Interest) का भी प्राधान्य दिया गया।

(३) व्यापारिक नीति—व्यापारिक नीति द्वारा देश की वस्तुओं की बिक्री को पूरा किया जा सकता है परन्तु भारत में शीघ्रता से व्यापार का काम भी निर्धारित की बिक्री की आवश्यकता हाती है। व्यापार के कार्यों को संचालित करने के लिए पर्याप्त उत्पादन के कुशल माया को निर्धारित करना आवश्यक था जिसके कारण देश में वस्तुओं की कमी होने से उपभोक्ता का अधिक मूल्य देना पटना।

(४) प्रत्यक्ष वितरण एवं प्रत्यक्ष नियंत्रण—शैक्षिक एवं कर नीति का निष्कर्ष देने से व्यवस्था में मूल्यों में स्थिरता बनाया सम्भव नहीं था। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ वितरण एवं मूल्य नियंत्रण बड़ी आवश्यकता करना आवश्यक था। मूल्य नियंत्रण द्वारा कम पूँजी वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को संचालित सीमाओं के अन्दर रखा जा सकता था, विनियमित अधिकतम मूल्य देने वाला ही इन वस्तुओं की प्राप्ति करने में समय न हो वहिषे कम धारण करने योग्य भी इस वस्तु का उपभोग कर सके। दूसरी ओर कम पूँजी वाली वस्तुओं का विभिन्न उपभोगों के लिए प्राथमिकताओं के अनुसार वितरण किया जा सकता था। वास्तव में आधारभूत प्राथमिकताओं के मूल्यों में यथाचित स्थिरता बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक था। भारत में विनियोजनों की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने पर जनसाधारण पर विशेष प्रभाव नहीं पटना है, इसलिए इनके मूल्यों का नियंत्रित करना करना आवश्यक नहीं होता है।

इसवाल सीमट, कपाम शक्कर कोयला आदि के मूल्यों पर राज्या का नियंत्रण रखने का अधिकार था। खाद के मूल्यों का घोट्टन फरमी साइजर गूल द्वारा नियंत्रित किया जाता था। आवश्यक वस्तुओं सम्बन्धी विधान एन औद्योगिक विनाम एन नियमन विधान के अन्तर्गत राज्य को अन्तर्गत वस्तुओं के मूल्यों एवं वितरण पर नियंत्रण करने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त राज्य मूल्यों में समायोजन अनु उत्पादन कर (Excise Duty) में भी परिवर्तन कर सकता था। उत्पादन कर में परिवर्तन अभी कब तक खर्च पग करते समय ही दिष्ट जाते हैं परन्तु अत्र यह बात विचारणीय है कि उत्पादन कर में परिवर्तन जाय यवस्थागत रूप में किया जा समय करने का अधिकार राज्य को होना चाहिए।

(५) उपभोक्ता द्वारा दिए गये मूल्यों एवं उत्पादन द्वारा प्राप्त किए गये मूल्यों में भारत में बड़ा अंतर रहता है। यह अंतर वस्तुओं की बड़ी मात्रा पर और भी बढ़ जाता है। तुल्य योजना में मध्यस्था के लाभ को कम करने हेतु सरकारों एन सरकारों मध्यस्था द्वारा व्यापार करने को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मध्यस्था के लाभ को कम करने हेतु मूल्यों के अप्राकृतिक (Artificial) उच्चा मूल्यों का नियंत्रित करना सम्भव हो सकता था।

(६) भारत की अर्थ यवस्था में, जहाँ कम आय वाले परिवारों का आय का अधिकतर भाग खाद्यान्नों पर खर्च होता है, खाद्यान्नों के मूल्यों में यथावित स्थिरता लाना अत्यन्त आवश्यक है। खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर रखने हेतु न तो पूर्ण मूल्य नियंत्रण और न पूर्ण अनियंत्रण (Decontrol) सफल हो सकते हैं। राज्य का अपने पास खाद्यान्नों के सशुद्ध इतने रखने चाहिए कि वह बाजार में अपनी पर्याप्त मात्रा द्वारा मूल्यों का निश्चित सामान्य अन्तर रखा सके। तृतीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पास २८ लाख टन खाद्यान्नों का सशुद्ध खे और अन्तर्गत कुल वर्षों में ५६० के अन्तर्गत १८४ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्नों आयात होने का सम्भावना था। इस प्रकार तृतीय योजना में मान्यून के प्रतिफल होने पर राज्य खाद्यान्नों के मूल्यों को यथावित सामान्य के अन्तर्गत रखने में समर्थ हो सकता था।

उपरोक्त समस्त विवरणों में स्पष्ट है कि सामान्य मूल्य-अन्तर में स्थिरता वृद्धि उत्पादन के मूल्यों पर निर्भर रहता है। भारत में वृद्धि उत्पादन बड़ा सामान्य तक प्राकृतिक परिस्थितियों विरोधकर अनुत्पन्न मान्यून पर निर्भर होता है। यदि तृतीय योजना के अन्तर्गत मान्यून अनुत्पन्न रहता तो मूल्यों पर किए गये नियंत्रणों के सफल होने में कोई विरोध बढिनाई न होती। भारत में शीघ्र औद्योगीकरण अधिक आय एवं प्रामाण्य मातापिता पक्ति एवं पानों की सुविधाओं में वृद्धि के कारण जनसमुदाय में नागरिक जीवन की ओर पर्याप्त आकर्षण उत्पन्न हो गया है। अनेक ग्रामीण ग्रामों में रह कर भी आधुनिक सुविधाओं का उपभोग करने लगते हैं। नागरिक जीवन में उच्चांग द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं का विरोध स्थान प्राप्त होता है। यदि खाद्यान्नों के मूल्यों

स्तर की वृद्धि का रास्ता जाय ता जनसाधारण न पास अपनी भाव में से अधिक शक्ति उपायों द्वारा उत्पादित उपभोग्य वस्तुओं हेतु उपलब्ध होगी तब इस प्रकार प्रायोगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित उपभोग्य-वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि शान्त जनसम्भारों द्वारा होगी। यदि वृद्धि व अनुसार इनके उत्पादन एवं प्रति में पर्याप्त वृद्धि होगी तब, कदापि इन वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि वृत्ति स्थिति व मूल्यों पर प्रभाव डालने लागी। इस प्रकार वृत्ति एवं स्थिति दोनों ही क्षेत्रों व उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी वादास्पद था।

उपभोग्य-वस्तुओं के मूल्य-स्तर का प्रभाव विविध-जन-सामग्री के मूल्यों का भी होता है। पूर्वोक्त वस्तुएं उत्पादन करने वाले उद्योगों का मूल्यों में वृद्धि व भाव कक्षा नाप अधिक मूल्य पर उपलब्ध होने से अर्थिक जीवन का उचित परिश्रमिक स्तर तथा सामग्री का उत्पादित वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए अपनी वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त करना आवश्यक होगा है। जब विविध-जन-सामग्री के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो इस सामग्री द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य उचित होगा तथा नाशिक होता है।

इस प्रकार मूल्यों की वृद्धि का एक शक्ति चक्र बन जाता है, जिसमें एक क्षेत्र के मूल्य दूसरे क्षेत्र के मूल्यों पर निरन्तर प्रभाव डालने रहते हैं। यदि किसी भी एक क्षेत्र की वस्तुओं का मूल्य बढ़ती जाय तथा अन्य क्षेत्रों के मूल्यों पर निरन्तर प्रभाव डालने का प्रयत्न किया जाय तो जनसंख्या की प्राप्ति व वस्तु उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थिति में मूल्य-निम्न-स्तरों इस प्रकार विद्यमान की जाती थी कि इससे उपभोग्य एवं उत्पादन के समस्त क्षेत्रों पर समन्वित प्रभाव पड़ता। योजना की सफलताएँ इस प्रकार के वस्तु-निम्न-स्तरों की नीति लगीं, अथवा समन्वित मूल्य नियमन नीति की आवश्यकता थी।

तृतीय योजना में मूल्य-स्तर—मूल्यों के स्तर में सरकार की योजना के बावजूद भी तृतीय योजनाकाल में मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही है। मूल्यों में वृद्धि के तीन प्रमुख कारण हैं—प्रथम, तृतीय योजनाकाल में वृत्ति-उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है, द्वितीय जनसंख्या में निरन्तर अनुमान से अधिक वृद्धि होती रही है तृतीय, सन् १९६० में चीनी आक्रमण की सन् १९६६ में वाणिज्यिक आक्रमण के कारण मुद्रा-मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई किन्तु फलस्वरूप जनसाधारण की तब प्राप्ति में भी वृद्धि हो गयी परन्तु उपभोग्य-वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो सकी। सन् १९६०-६१ व १९६६-६६ के योजनाकाल में मूल्य-स्तर प्रायः ११० के अनुमान रहा है।

मूल्य निर्देशन-नीति का प्रभाव—यद्यपि तृतीय योजनाकाल में साठ-सत्तरों एवं त्रिंशत्तियों वाले मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई है। साठ-सत्तरों के मूल्य में योजनाकाल में २०% की वृद्धि हुई। निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में ४१% की वृद्धि हुई। मानाच मूल्य निर्देशक में जो इस काल में निरन्तर वृद्धि होती रही जो मूल्य वृद्धि का प्रतिफल (सन् १९६०-६१ के स्तर पर) नाममात्र ३०० हा गया। मूल्यों की निरन्तर वृद्धि का कारण वृत्ति-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न होना तथा मुद्रा-मूल्य

में अत्यधिक वृद्धि के अतिरिक्त सरकार की नीतियों का अनुपलभ्यमान भी था। मूल्यों की वृद्धि को मुद्रा की पूंजी की वृद्धि न भी प्रोत्साहित किया है। सन् १९६०-६१ में जनता के पास मुद्रा की पूंजी २,८६६ करोड़ ₹० थी जबकि सन् १९६५-६६ में ४,१६६ करोड़ ₹० हो गयी, अर्थात् मुद्रा की पूंजी में ५८% की वृद्धि हुई जबकि राष्ट्रीय आय में इस काल में लगभग १२% की वृद्धि होने का अनुमान है।

द्वितीय योजना में खाद्यान्नों के मूल्यों का नियंत्रण कर्म हनु विशेष वाध-बाहिया की गयीं। उचित मूल्य दुकानों (Fair Price Shops) की संख्या बढ़ाकर १२ लाख के लगभग कर दी गयी। इन दुकानों द्वारा सन् १९६० में ४६ लाख टन, सन् १९६३ में ५१ लाख टन सन् १९६४ में ८६ लाख टन तथा सन् १९६५ में ६६ लाख टन अनाज पितरित किया गया। दूसरी ओर सरकार ने काबल एवं अन्य खाद्यान्नों का उपग्रह (Procurement) को अधिक महत्व दिया है। खाद्यान्नों की मूल्य-वृद्धि का नियंत्रित करने के लिए आयात भी बड़ी मात्रा में किये गये। सन् १९६४ में ६३ लाख टन सन् १९६६ में ४६ लाख टन और सन् १९६७ में ७६ लाख टन उपग्रह आयात किये गये। सन् १९६५ वर्ष में आयात की मात्रा ७५ लाख टन थी। इन सब वाधवाहियों के होते हुए भी खाद्यान्नों के मूल्यों की वृद्धि जारी रही।

मूल्य नियंत्रण एवं वितरण-नियंत्रण के अतिरिक्त सरकार द्वारा समय-समय पर रिजर्व बैंक की साख्त-नीति में परिवर्तन किये गये जिससे आवश्यक उपभोग-वस्तुओं के अभावपूर्ण उपग्रह को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न अधिनियमों द्वारा खाद्यान्नों के उपग्रह तथा आवश्यक वस्तुओं पर अधिक मुनाफाकारी को प्रतिबन्धित करने की व्यवस्था की गयी। मुरासा नियमों का उपयोग भी बढ़ते मूल्यों को रोकने हेतु किया गया और महत्वपूर्ण काले व्यापारियों एवं उत्पादकों का दण्डित करने का आदेश दिया गया।

द्वितीय आर्थिक योजनाओं के अन्तर्गत पहले दो वर्षों में मूल्य वृद्धि जारी रही परन्तु सन् १९६८-६९ वर्ष में मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति में रूढ़ावृत्ति आ गयी। सन् १९६८-६९ वर्ष सन् १९६७-६८ की तुलना में सामान्य चीजें मूल्य निर्देशांक में ११% की वृद्धि परन्तु मूल्य निर्देशांक में १२% की ओर खाद्य-पदार्थों के मूल्य निर्देशांक में ४५% की वृद्धि हुई। पिछले आठ वर्षों में प्रथम बार इन मूल्य निर्देशांकों में वृद्धि आयी है। दूसरी ओर, उपग्रह एवं तम्बाकू के मूल्य-निर्देशांक में सन् १९६८-६९ वर्ष में ५५% की वृद्धि हुई जो मूल्य रूप से उत्पादन कर वादि की वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। निर्मित वस्तुओं के मूल्य निर्देशांक में १६% की वृद्धि हुई जो सन् १९६८-६९ की वृद्धि के प्रतिपात से अधिक है।

सन् १९६५-६६ की तुलना में यदि विभिन्न मूल्यों के निर्देशांकों का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि द्वितीय योजना की समाप्ति के बाद के तीन वर्षों में सामान्य चीजें मूल्य निर्देशांक में २७% की वृद्धि हुई। वृद्धि पदार्थों के मूल्यों में २८% की

और खाद्यान्ना के मूल्यो में ३७% की वृद्धि हुई। सन् १९६२-६६ एव सन् १९६६-६७ वर्षों में लगातार मानसून प्रतिबल रहने के कारण कृषि उत्पादन की क्षति पहुँचाने और सन् १९६७-६८ के वर्ष में कृषि पदार्थों एवं खाद्यान्ना का मूल्य निर्देशक भारतीय इतिहास में सबसे अधिक था। दूसरी ओर औद्योगिक बच्चे मात्र एव निर्मित वस्तुओं का मूल्य निर्देशक सन् १९६२-६६ की तुलना में सन् १९६८-६९ में क्रमशः १७.८% तथा १३% की वृद्धि हुई। इस प्रकार सन् १९६६-६९ काल में कृषि पदार्थों के मूल्यो में निर्मित वस्तुओं के मूल्यो की तुलना में दुगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई।

सन् १९६०-६१ के मूल्यो की तुलना यदि सन् १९६८-६९ के मूल्यो से की जाय तो ज्ञात होता है कि इस काल में कृषि पदार्थों के बावजूद मूल्यो में ७५% की तथा खाद्य-पदार्थों के मूल्यो में ६२.३% की वृद्धि हुई जबकि औद्योगिक बच्चे मात्र एव निर्मित वस्तुओं के बावजूद मूल्य निर्देशक में क्रमशः ५३.२% एव ३६.१% की वृद्धि हुई। इस प्रकार कृषि पदार्थों के बावजूद मूल्यो में निर्मित वस्तुओं की तुलना में लगभग दुगुनी वृद्धि हुई। सन् १९६०-६१ की तुलना में सन् १९६८-६९ में बावजूद मूल्यो में निर्देशक ६८.३% अधिक था। नियोजित अथ व्यवस्था के प्रारम्भ से सन् १९६८-६९ तक सामान्य बावजूद मूल्य निर्देशक में ६१% की खाद्यान्ना में १०.८% तथा निर्मित वस्तुओं में ४१.७% की वृद्धि हुई।

भारतीय नियोजित अथ व्यवस्था में मूल्यो में निरन्तर वृद्धि का मूल कारण मुद्रा की पूर्ति में निरन्तर वृद्धि होना है। नियोजित अथ व्यवस्था के १७ वर्षों में मुद्रा का पूर्ति १८०४ करोड़ रु० सन् (१९५१-५२) से बढ़कर सन् १९६७-६८ में १३५० करोड़ रु० हो गयी अर्थात् लगभग १६६०% की वृद्धि हुई। दूसरी ओर राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यो के आधार पर ६१०० करोड़ रु० (सन् १९५१-५२) से बढ़कर सन् १९६७-६८ में १५७०० करोड़ रु० हो गयी अर्थात् ७३% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में

तालिका सं० ११८—मुद्रा पूर्ति, राष्ट्रीय आय एवं मूल्यो के निर्देशक

(१९५१-५२=१००)

वर्ष	मुद्रा पूर्ति का निर्देशक	१९५२-५३ के स्तर पर वृद्धि का %	बावजूद मूल्यो का निर्देशक	१९५२-५३ के स्तर पर वृद्धि का %	राष्ट्रीय आय का स्थिर मूल्यो पर निर्देशक	१९५२-५३ के स्तर पर वृद्धि का %
१९५५-५६	१२३८	+ २४	६२५	- ७५	११०८	+ ११
१९६०-६१	१६२६	+ ६३	१२४६	+ २५	१३४५	+ ३५
१९६५-६६	२५६६	+ १५७	१६५१	+ ६५	१५१४	+ ५१
१९६६-६७	२८०४	+ १८०	१६१३	+ ६१	१५२६	+ ५३
१९६७-६८	३०३२	+ २०३	२१२४	+ ११२	१६६८	+ ६७
औसत वार्षिक वृद्धि		+ ७.०६		+ ३.६६		+ १.८८
१९५१-५२ से १९६७-६८ तक						

मुद्रा पूर्ति की तुलना में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण मूल्य स्तर में इस बात में ७०% की वृद्धि हुई। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मुद्रा पूर्ति, राष्ट्रीय आय एवं खाक मूल्य निर्देशक की स्थिति ताजिना म० १९८८ अनुसार थी। (पृष्ठ ८१५)

उपरोक्त ताजिना में तुलना के आधार पर मन् १९५०-५२ का प्रसिद्धिमाना गया है कि यह एक सामान्य रूप में मन् १९५१-५२ में कारिमा के मुद्रा के कारण मूल्य स्तर सामान्य से अधिक था। इन ताजिका से यह भी जान होता है कि मुद्रा का पूर्ति की वृद्धि की औसत वार्षिक दर राष्ट्रीय आय (स्विर मूल्या पर) की औसत वार्षिक दर से ढुगुनी रही जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों का ३६६% प्रति वर्ष की औसत वृद्धि हुई।

चतुर्थ योजना में मूल्य

सम्भावित चतुर्थ योजना के प्रतिबदन में मूल्य-नीति पिछरी योजनाओं में मूल्य स्तर, तथा चतुर्थ योजना में मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। मन् १९६८-६९ वर्ष में मूल्यों में कुछ कमी का जान के कारण मूल्यों में सम्बन्धित समस्या का चतुर्थ योजना में कोई स्थान न देना उचित नहीं होता है। यद्यपि चतुर्थ योजना के प्रतिबदन मूल्य नाति एवं स्तर के सम्बन्ध में विनिश्चित रूप में कोई उल्लेख नहीं किया गया परन्तु योजना के कार्यक्रमों का निवारण इस प्रकार किया गया है कि इस योजनाकाल में स्विर मूल्य-स्तर पर आविक प्रगति सम्भव हो सके। विभिन्न रूपि उत्पादों के अर्थिमन्त्र की व्यवस्था वास्तव में मूल्य-स्तर का स्विर रखने के लिए ही की गयी है।

चतुर्थ योजनाकाल में मूल्य की सम्भावित प्रवृत्ति का अनुमान पिछरी योजनाओं की घटनाओं एवं वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर लगाया जा सकता है। सन् १९६६-७० वर्ष में २५४ कराट ६० का हीनार्थ प्रवचन करने का आयोजन किया गया है और यह मान लिया गया है कि सन् १९६८-६९ में जिस प्रकार लगभग ७६० कराट ६० का हीनार्थ प्रवचन करने से मूल्यों के स्तर में वृद्धि हुई उसी प्रकार सन् १९६६-७० में भी उत्पादन-वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहेगी और मूल्य-स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि मुद्रा पूर्ति की प्रवृत्ति चतुर्थ योजना में वही रहती है जो पिछले चार वर्षों में रही है (अर्थात् ८% प्रति वर्ष की औसत वृद्धि) और रूपि उत्पादन में ५% प्रति वर्ष तथा औद्योगिक उत्पादन में ७% प्रति वर्ष की वृद्धि जारी रहती है तो मूल्यों में यथोचित स्थिरता बनाए रखना सम्भव होगा और मुद्रा-स्फीति से प्ररित मूल्य-वृद्धि होने की सम्भावना की जा सकती है। सक्रिय मुद्रा पूर्ति (Activated Money Supply) का निर्देशक (सन् १९५१-५२-१००) सन् १९६६ ७० का वर्ष में लगभग ४६० है और इसमें लगभग ६% प्रति वर्ष की औसत वृद्धि जारी रहती है। यदि योजनाकाल में इस सक्रिय मुद्रा पूर्ति के निर्देशक में २०% की वृद्धि होगी तो मूल्य स्थिरता का बनाय रखना सम्भव होगा और अर्थ-व्यवस्था के प्रतिपाद हान के कारण योजनाकाल में मूल्यों में लगभग २% प्रति वर्ष की वृद्धि की सम्भावना

की जा सकती है। भारतीय नियोजित अथ-व्यवस्था में उन वर्षों में मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है जबकि कृषि उत्पादन में गिरावट हुई है। वास्तव में कृषि उत्पादन एवं धोक मूल्य में समान अनुपात में परिवर्तन हुआ है। इन अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृषि उत्पादन की वृद्धि का जारी रहना मूल्य स्थिरता के लिए आवश्यक है परन्तु मुद्रा पूर्ति के प्रभाव की भी ध्यान में रखना आवश्यक है। कृषि उत्पादन में ५% प्रति वर्ष का वृद्धि होने पर मुद्रा-पूर्ति में ४-५% से अधिक वृद्धि प्रति वर्ष नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मूल्य की स्थिरता कृषि उत्पादन की प्रगति एवं हीनाथ प्रयत्न पर निर्भर रहेगी।



भारतीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था में रोजगार-नीति
 [Employment Policy in the Planned Economy of India]

[अल्प विकसित राष्ट्रों में बेरोजगार प्रथम योजना में रोजगार, द्वितीय योजना में रोजगार, तृतीय योजना में रोजगार, चतुर्थ योजना में रोजगार]

बेरोजगार ऐसी अवस्था का कहा जा सकता है जिसमें लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध बेकार रहते हैं। पूरा रोजगार उन व्यवस्था को कहे जाने चाहिए जिसमें बेरोजगार न हों, अर्थात् जिसमें समस्त कार्य करने योग्य (पारोक्षिक व मानसिक दृष्टिकोण से) एवं कार्य करने के लिए इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को कार्य मिलता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बेरोजगार विवशतापूर्ण बेकारी (Involuntary Idleness) का दूसरा नाम है। यह विवशतापूर्ण बेकारी अन्य विकसित राष्ट्रों में एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या का रूप ग्रहण कर लेती है। बेरोजगार लोगों के पास समय-वृत्ति की कमी होती है जिससे वह श्रम एवं औद्योगिक उत्पादन के लिए प्रभावशाली भाग बढ़ान नहीं करते हैं। दूसरी तरफ़ श्रम-उत्पादन एवं महत्त्वपूर्ण घटक होता है और जब श्रम का कोई भी भाग उपयोग नहीं होता उत्पादन अधिकतम नहीं हो सकता और आर्थिक टांचे की मुन्बकस्वित, सन्तुलित एवं गुरुट नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से बेरोजगार भाग समाज के विकास में एक रुकावट होते हैं। यह राष्ट्रीय उत्पादन में अपना अनुदान नहीं दे सकते और बेरोजगार प्राप्त लोगों पर एक भार डालते हैं। इस प्रकार समस्त समाज का जीवन स्तर सन्तोषजनक नहीं होता। लम्बे समय तक बेरोजगार रहने पर इसका नैतिक पतन हो जाता है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में बेरोजगार—अल्प विकसित राष्ट्रों में बेरोजगार की समस्या अत्यन्त गम्भीर होती है और नियोजन का मुख्य उद्देश्य पूरा रोजगार की व्यवस्था करना होता है। इन राष्ट्रों में बेरोजगार का बड़ा स्वरूप हो जाता है, जिसमें से मुख्य अक्षय बेरोजगार, आर्थिक बेरोजगार, विभिन्न-कार्य की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र के बेरोजगार कृषिक्षेत्र की बेरोजगारी आदि। जसा हमें पता है कि अल्प विकसित राष्ट्र प्रायः कृषिप्रधान होते हैं और जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से ही आदिकार्यजन करता है। इन देशों में अर्थ-व्यवस्था के अल्प क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अत्यन्त सीमित होते हैं और बाकी हुई श्रम उचित कृषि पर ही भार डालती जाती है। शीर-धीरे भूमि पर श्रम का भार इतना अधिक हो जाता है कि यदि उस श्रम का कुछ भाग

कृषि व अतिरिक्त अथ व्यवसाया में लगाना दिया जाय और श्रम के प्रतिस्थापन हेतु संगठन सम्बन्धी एक तान्त्रिक सुधार भी कृषि में न किए जायें ता भा उत्पादन का स्तर पहले के समान ही रहता है। इन प्रकार वह श्रम जिसको कृषिक्षेत्र से हटान पर उत्पादन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात् बेरोजगार कहलाता है। अदृश्य बेरोजगार व अतिरिक्त कृषिक्षेत्र में आर्थिक बेरोजगार एक कृषि वगैरे बेरोजगार की समस्या भा हाना है। कृषि उद्यम ऐसा उद्यम है जिसमें वष भर श्रम की आवश्यकता समान नहीं रहता है। फसल काटने एवं घोंघे समय ग्रामाण क्षेत्रों में श्रम का कमी हो जाना है जबकि शेष समय वष में श्रम का रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी लाना की जो केवल घाट समय तक ही रोजगार प्राप्त हैं आर्थिक बेरोजगार कहते हैं। इनके अनिरीक्त ग्रामीण क्षमा में ऐसी भी लोग होते हैं जो लघु उद्योगों का संचालन करते हैं परन्तु पर्वोत्पत्त सुविधाएँ उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अपने व्यवसाय बंद कर बेरोजगार रहना पड़ता है। इससे अतिरिक्त अल्प विनियमित राष्ट्रीय शिक्षित वर्गों में बेरोजगार की समस्या बड़ा सम्भोर होता है। निम्न बचत में बेरोजगार के मुख्य तीन कारण हैं—प्रथम जनसमुदाय में इस विचारधारा का प्रचलन कि किसी व्यक्ति द्वारा शिक्षा में किए गये विनियोजन का प्रतिकूल पारिधमिकयुक्त नौकरी के रूप में मिलना चाहिए। द्वितीय, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति उमर के द्वारा प्राप्त विशेष शिक्षा के लिए उपयुक्त नौकरी चाहता है जिसके फलस्वरूप कुछ व्यवसाया में सेवाभा की अत्यन्त घुनता हो जाती है तथा कुछ में योग्य कर्मचारी उपलब्ध भी नही हान। तृतीय शिक्षित बेरोजगारों में सामाजिक कार्यालय में सेवा करने की प्रवृत्ति पायी जाती है जिससे कार्यालयों की नौकरियाँ की अत्यन्त कमी प्रतीत होती है।

अल्प विनियमित राष्ट्रीय श्रम शक्ति में प्रति वष तीव्रता से वृद्धि होती है इसलिए नियोजन द्वारा इस प्रकार का आयोजन करने का आवश्यकता हाना है जिससे वर्तमान बेरोजगार श्रम एवं याजनाकाल में होने वाली श्रम की वृद्धि घटाने की ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। इस प्रकार योजना बनाने समय केवल वर्तमान बेरोजगार का ही अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं होता अपितु याजनाकाल में होने वाला श्रम की वृद्धि का अनुमान भी आवश्यक हाना है। इन अनुमानों के लिए याजना अधिकारी को विस्तृत सूचनाएँ एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। इन अनुमानों के आधार पर राजगार के अवसरों में वृद्धि करने का आयोजन किया जाना चाहिए। राजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए अथ व्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के विस्तार एवं विस्तार की आवश्यकता हाना है। बड़े पैमाने का विनियोजन कर ही रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। अधिक विनियोजन करने हेतु अधिक परेपू बचत एवं विशेष सहायता प्राप्त होनी चाहिए। आन्तरिक बचत की मात्रा बढ़ाने के लिए सामाजिक उपभाग को कम करना आवश्यक होता है जिससे जनसाधारण के वर्तमान उच्च स्तर पर सुरा प्रभाव पड़ने का भय होता है। दूसरा जोर विनियोजन के प्रकार

भी निश्चय करना होता है। राजगार के अवसर बढ़ाने हेतु औद्योगिक अथवा कृषि-क्षेत्र के विकास में अधिक विनियोजन किया जाना चाहिए। देश में आद्यार्यों की कमी के कारण कृषि विकास का अधिक महत्त्व देना आवश्यक होता है और इसके लिए कृषिक्षेत्र में अधिक विनियोजन आवश्यक होना है परन्तु कृषिक्षेत्र में बेरोजगार एवं आर्थिक बेरोजगारों की बहुतायत होती है जिन्हें वहाँ से हटाकर ही कृषि-व्यवस्था में सुधार सम्भव होता है। इस प्रकार कृषिक्षेत्र में बड़े पैमाने के विनियोजन द्वारा राजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की जा सकती है। परिणामस्वरूप, राजगार में वृद्धि हेतु औद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार आवश्यक होना है। यहाँ भी योजना अधिकारी का कुछ महत्वपूर्ण निश्चय करने हाने हैं। औद्योगिक विनियोजन किस प्रकार के उद्योगों (सूक्ष्म अथवा लघु) में किया जाय ? बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पूँजीप्रधान हान है। इस प्रकार बृहत् उद्योगों के विकास में पर्याप्त राजगार के अवसर नहीं बढ़ाये जा सकते हैं। लघु उद्योगों के विकास द्वारा कम पूँजी के विनियोजन से ही अल्प राजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं परन्तु केवल लघु उद्योगों के विकास से देश की शक्तिशाली एवं अर्थ-व्यवस्था का मुहल नहीं बनाया जा सकता है।

आधुनिक युग में बड़ी अर्थ-व्यवस्था मुन्द है जिसमें लोहा, इस्पात, इलेक्ट्रिक रिग, रसायन मशीन निर्माण आदि उद्योग उन्नतवीत हैं। लघु उद्योगों एवं कृषि विकास के लिए बड़े उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार आवश्यक होता है। इस प्रकार योजना अधिकारियों को औद्योगिक विनियोजन राशि के सम्बन्ध में बड़े जटिल एवं गम्भीर निश्चय करने होते हैं।

प्रथम योजना में राजगार

योजना के कार्यक्रमों के फलस्वरूप, जनसंख्या के व्यावसायिक लक्षि में कोई विशेष परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं थी। योजना आयोग ने बेरोजगारी को बढ़ती हुई समस्या को सीमित करने के लिए योजना में व्यय की राशि का लगभग ५०० करोड़ २० से बढ़ाया था। योजना-आयोग के अनुमानानुसार राजगार के अवसरों में ५७ ५ लाख की वृद्धि होने का अनुमान था।

शिक्षित बेरोजगारों की समस्या के बारे में योजना में बताया गया कि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में राजगार के अवसरों में वृद्धि संभव ही हो सकती है जब औद्योगिक विकास की गति अतिरिक्त योजनाओं में तीव्र कर दी जाय परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्मित बेरोजगारों को अपने स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करने का आयोजन किया गया था। इसके साथ, इस बात पर भी ज़ार दिया गया कि निर्मित गमुदाय की सार्वजनिक अथवा राजगारों को अनादर की दृष्टि से नहीं देखा चाहिए। योजनाकाल में राजगार दरों के साथ रजिस्टर्ड हुए बेरोजगारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही। मार्च १९५१

म रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या ३ ३७ ००० से बढ़कर मात्र, सन् १९५६ मे ७ ०५,००० हो गया। रोजगार व रपनरो में बेरोजगारों की पजीयत संख्या केवल नगरों के बेरोजगार व एक भाग का ही प्रतिनिधित्व करता है। योजना आयोग के अनुमानानुसार सन् १९५६ क प्रारम्भ म लगभग ५३ लाख बेरोजगार थे जिनमे से २५ लाख नगरों म तथा २८ लाख ग्रामों म बेरोजगार होने का अनुमान था।

द्वितीय योजना मे रोजगार

द्वितीय पंचवर्षीय योजना म बेरोजगारी की समस्या की सम्भारना एवं विस्तार का रोकना क लिए कार्यक्रम निश्चित किए गये थे। योजना निर्माण के साथ यह अनुमान लगाया गया कि योजना क प्रारम्भ म २५ लाख नागरिक तथा २८ लाख व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों म बेरोजगार थे। इसके साथ यह भी अनुमान था कि योजनाकाल म २० लाख व्यक्तियों से प्रति वर्ष धन की पूर्ति म वृद्धि होगी। योजनाकाल म नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्र म लगभग ३८ लाख एवं ६२ लाख व्यक्तियों से धन पूर्ति की वृद्धि का अनुमान था। इस प्रकार पूरा रोजगार की व्यवस्था करने के लिए १५३ लाख रोजगार क अवसरों म वृद्धि करने का आवश्यकता थी। इसके अनिश्चित अर्थ रोजगार एवं अटल बेरोजगारों का कृषि म घड़ी भाग म भी को कम करना भी आवश्यक समझा गया था। शिक्षा प्रसार भूमि सुधार तथा पतिवत स्वतंत्र जाविकापान की स्वाभाविक इच्छा के कारण जनसमुदाय म मजदूरी पर धन खर्च की प्रवृत्ति म वृद्धि होती जा रही था जिससे बेरोजगारों की समस्या न एक स्पष्ट रूप ग्रहण कर लिया।

अल्प विकसित राष्ट्रों म बेरोजगारी की समस्या का निवारण दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमों द्वारा ही हो सकता है। गरीब लोगों क अल्प काल म इस समस्या क विस्तार एवं मात्रा को कम किया जा सकता है परन्तु पूरा रोजगार व्यवस्था करना आवश्यक ही नहीं प्रयुक्त असम्भव है। इसी कारण द्वितीय योजना म इस समस्या क निवारणार्थ जो आयोजन किए गये थे उनके द्वारा समस्या की तीव्रता (Intensity) म अल्पकाल म कम हो जानी थी परन्तु समस्या का समूल उन्मूलन असम्भव था।

भारत जैसे राष्ट्र म जहाँ धन की पूर्ति अत्यधिक है और जिनमे प्रति वर्ष २० लाख व्यक्तियों की वृद्धि होती है पूरा रोजगार की व्यवस्था करना स्वाभाविक एवं वास्तवीय है परन्तु अर्थ व्यवस्था क विभिन्न क्षेत्रों म पूजाप्रधान एवं धनप्रधान तांत्रिकताओं के निश्चयाथ केवल रोजगार के अवसरों की आवश्यकताओं को ही आधार नहीं माना जा सकता है क्योंकि अर्थ घटक भी तांत्रिकताओं क चलन पर प्रभाव डालते हैं। कुछ क्षेत्रों म उपयोग हानि वाली तांत्रिकताओं क बोर्डे बुनाव का स्थान ही नहीं होता क्योंकि उनके उत्पादन का प्रकार ऐसा होता है जिनमे पूजा प्रधान तांत्रिकताओं का ही उपयोग किया जा सकता है। एक बार भारी उद्योगों से उद्योग यंत्रालय एवं संचार आदि का विकास आवश्यक है तथा दूसरी ओर इनमे समयाय तथा दीर्घ काल म उपयोग में आने वाली मशीनों आदि सामग्री का

उपयोग होना स्वाभाविक है। राजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु नवीन श्रमप्रदान करना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। वृत्ति के क्षेत्र में भी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का पूर्णोपयोग है जो उपयोग वाठनीय है। वृत्ति के यन्त्रीकरण (Mechanisation) द्वारा सम्भवतः हमारे द्वारा उत्पादित वेराजगारों की हानियों की सुनाह में आर्थिक स्थिति हो सकता है। यदि सिवाई एक गति की योजनाओं का आधिकारिकता का सुनाह विदेशी मुद्रा के साधनों की वचन करने की आवश्यकता तथा श्रम की पूर्ण पर उपस्थित होता है। यदि विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके तो सिवाई एक गति के साधनों को मौल्य सेवायोग्य (Serviceable) बनाने के लिए पूर्णोपयोग साधनताओं का उपयोग वाठनीय है क्योंकि इनके द्वारा वृत्ति एवं औद्योगिक विकास निर्धारित होता है।

विकसित राष्ट्रा में वेराजगारों की सम्ख्या में निरन्तर वृद्धि विस्तृत विभाग (Construction) साधनों की विचारितता का विधा होता है परन्तु निर्माण-साधनों में जिनके विनियोजन की आवश्यकता होती है तथा निर्माण-साधन पूरा होने के पश्चात् बड़ी मात्रा में श्रम वेराजगार हो जाता है। निर्माण-साधनों द्वारा केवल अल्प काल के लिए वेराजगारों के विकास का काम किया जा सकता है। निर्माण-साधन के पूर्ण हो जाने पर हमें धृष्टतः श्रम की अन्य व्यवस्थाओं में राजगार प्रदान करने के लिए प्रतिवृत्ति आदि की समस्याएँ भी प्रस्तुत होती हैं।

इस प्रकार केवल उपरोक्त वस्तुओं के उत्पादन का क्षेत्र ही होता है जिनमें साधनताओं के सुनाह में बड़ी वृद्धि होती है। देश की आर्थिक स्थिति एवं अधिष्ठा के साधनताओं द्वारा इन साधनों का विकास पूर्णोपयोग एवं श्रमप्रदान—साधनों ही साधनताओं के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। साधनताओं एवं साधनताओं के विकास का प्राथमिकता देने के कारण श्रम-साधनों के अधिकतम भाग को इन साधनों के विकास में विनियोजित किया जाता है। उपरोक्त-वस्तुओं के विकास के लिए इन प्रकार के साधन और विदेशी बर्ष साधन उपलब्ध होने के कारण इन साधनों का उत्पादन श्रमप्रदान साधनताओं द्वारा बनाना स्वाभाविक ही है। दूसरी ओर, वेराजगारों की सम्ख्या के विस्तार का रखने के लिए उपरोक्त-वस्तुओं के उत्पादन में पूर्णोपयोग साधनताओं के उपयोग का प्राथमिकता न देकर श्रमप्रदान साधनताओं को ही प्राथमिकता प्रदान की जाती है। योजना-साधनों के अनुसार श्रम-साधन साधनताओं के उपयोग में प्रति व्यक्ति वचन अधिक नहीं होती है, परन्तु समस्त क्षेत्र की वचन पूर्णोपयोग साधनताओं के उपयोग द्वारा उत्पादित वचन से नहीं अधिक होती है। इस प्रकार पूर्ण-निर्माण के लिए पर्याप्त वचन प्राप्त हो सकती है। दूसरी ओर यदि पूर्णोपयोग साधनताओं का उपयोग किया जाय तो प्रति व्यक्ति उत्पादन काय अवश्य ही अधिक होगी, परन्तु जनसंख्या का बड़ा भाग वेराजगार द्वारा विनियोजित जीवन निर्वाह का भार भी उत्पादक नागरिकों पर ही रहता है। इस प्रकार उत्पादक

नागरिकों की आय का कुछ भाग बेरोजगार नागरिकों के जीवन निर्वाह पर व्यय हो पायगा और पूँजी निर्माण हेतु वचन की मात्रा पर्याप्त होना अत्यन्त कठिन होगी। इस प्रकार धन-तांत्रिकताओं का उपयोग किया जाना वांछनीय है परन्तु छोटे छोटे उत्पादकों की वचन की एकत्रित करने के लिए सम्बन्ध सम्बन्धी सुधार आवश्यक शत हैं। द्वितीय योजना म इसी कारण उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रामोण्य एवं लघु उद्योगों का विकास को विशेष महत्व दिया गया। साथ ही परम्परागत उद्योगों की विधियों को कायम रखने के प्रयास किए गए जिससे एक ओर तांत्रिक परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी का भय न रहे तथा दूसरी ओर, इन उद्योगों का उपयोग म न जान वाली उत्पादनक्षमता का अधिक भाग पूँजी विनिर्माण किए बिना ही उपयोग किया जा सक। इस प्रकार द्वितीय योजना म बेरोजगारी का समस्या के विस्तार को रोकने एवं उसकी सम्भारना को कम करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों म धनप्रधान तांत्रिकताओं के उपयोग को प्रधानता दी गयी थी। बेरोजगारी की समस्या का निवारणाय प्रामोण्य एवं लघु उद्योगों का विकास का द्वितीय योजना म विशेष स्थान दिया गया था। इस सम्बन्ध का सभी शायरम इसी आधारभूत तानि पर आधारित थे।

योजना भाषण के अनुमानानुसार योजनाकाल म कृषि का अनिर्दिष्ट व्यय क्षेत्रा म ८० लाख रोजगार का लक्ष्य अवसर उत्पन्न किए जान का अनुमान था। य अवसर निम्न क्षेत्रा म निम्न प्रकार उत्पन्न होने का अनुमान था—

तालिका न० ११६—द्वितीय योजना म अनिर्दिष्ट रोजगार श्रवणर

क्षेत्र	रोजगार श्रवणर (लाख म)
(१) निर्माण	२१००
(२) सिंचाई एवं शक्ति	५१
(३) रेलें	२५३
(४) अन्य शानायात एवं संचार	१८०
(५) उद्योग एवं गृहनिर्माण	७५०
(६) लघु एवं गृह उद्योग	४५०
(७) वन, मत्स्योद्योग राष्ट्रीय विस्तार एवं अन्य सहायक योजनाएँ	११३
(८) शिक्षा	३१०
(९) स्वास्थ्य	११६
(१०) अन्य समाज सेवाएँ	१४२
(११) शासकीय सेवाएँ	४३४

	५१.६६
(१२) अथ—जिनमें व्यापार एवं वाणिज्य भी सम्मिलित है (३ से ११ तक के याग का १००%)	= ३०.४
	—
	याग ७६.०३
	अथवा
	संग्रह ८० लाख

गिनित बेरोजगारों अथ-व्यवस्था का सामाज्य बेरोजगारों का ही भाग है। गिनित बेरोजगारों की सम्भारणा क तीन मुख्य कारण हैं। प्रथम उल्लेखनुसार में इस विचारधारा का प्रचलन है कि किसी व्यक्ति द्वारा गिन्या में किए गये विनिर्माणन का प्रतिफल पारिश्रमिकयुक्त नौकरी के रूप में मिलना चाहिए। द्वितीय प्रचलित सिद्धि व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त बिगोप गिन्या के लिए उपयुक्त नौकरी चाहता है, जिसका फलस्वरूप कुछ व्यवसायों में सेवाओं की जरूरत पुनः उत्पन्न हो जाती है तथा उद्योग में योग्य कर्मचारी उपलब्ध भी नहीं होते। तृतीय गिनित बेरोजगारों में सामान्यतः हायातियों में सेवा करने की प्रवृत्ति पायी जाती है, जिससे वाणिज्यों की नौकरियों की क्षमता कमी प्रतीत होती है। सन् १९४२ में नियुक्त किए गए अध्ययन मण्डल (Study Group) के अनुसार द्वितीय याजनाधि में गिनित का के २० लाख बेरोजगार-अवसर उत्पन्न करने पर गिनित बेरोजगारों की समस्या का निवारण हो सकता था। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की विभिन्न याजनाधियों द्वारा सम्मल १० लाख नवीन राजगार अवसर इस वर्ष के लिए उत्पन्न किये जा सकने का अनुमान था। २४ लाख व्यक्तियों की ५ वर्षों में सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों के स्थान पर राजगार प्राप्त होने का अनुमान था। इसके अतिरिक्त २ लाख व्यक्तियों का निजी क्षेत्र में भी राजगार प्राप्त होने का अनुमान था। गिनित बेरोजगारों के लिए राजगार बिलान के लिए केवल राजगार के अवसरों की सूच्या जानना ही पर्याप्त नहीं होता, प्रयुक्त बेरोजगारों की शिक्षा के प्रकार एवं क्षेत्रों तथा व्यावसायिक गतिशीलता की भी दृष्टिगत करना आवश्यक होता है। अध्ययन मण्डल ने बेरोजगारों की राजगार की व्यवस्था करने के लिए दो प्रकार की योजनाओं का महत्त्व दिया था—प्रथम, वे योजनाएँ जिनका क्रियान्वित करना उत्पादन के मण्डलों में मध्यमोय परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है। दूय प्रकार की योजनाओं में उत्पादन एवं वितरण के क्षेत्र में सहकारिता की सुन्दर बनाने के कार्यक्रम थे। दूसरे प्रकार की वे योजनाएँ थीं जिनका देश के सामाज्य आर्थिक विकास के लिए प्राथमिकता देना आवश्यक था। सधु उद्योगों में उत्पादन एवं उनकी उत्पत्ति (Products) का विपणन सहकारी मण्डलों द्वारा किया जाना था तथा इस प्रकार इन उद्योगों के माध्यम से गिनित बेरोजगारों को राजगार प्राप्त हो सकता था। प्राचीण उद्योगों के सामाज्य उत्पादन-क्षेत्र में गिनित-वय का राजगार दिशाने का आयोजन इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि इनमें सधु हुए हस्तकार ही बेरोजगार

अथवा अर्द्ध रोजगार प्राप्त थे तथा इन उद्योगों के विकास द्वारा इन दलकारों की लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करना आवश्यक था। दूसरी ओर भारत उद्योगों में तांत्रिक प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को ही रोजगार प्राप्त हो सकता था। अध्ययन मण्डल ने इसलिए निम्न व्यवसायों में निम्नित वेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने का आयाजन करने का अनुमोदन किया था—

(१) निर्माण उद्योग—हाथ के औजार खेल का सामान, पर्नोंपर आदि

(२) सहायक उद्योग—पाउण्ड्रीज उपकरण निर्माण के लघु कारखाने माटर-गाडी की दूकानें मशीनों के मरम्मत आदि

(३) मशीनों, मोटरगाडियों एवं साइकिलों आदि की मरम्मत की दूकानें।

इनके अनतिरिक्त अध्ययन मण्डल ने एक सरकारी माल यातायात की योजना का भी निर्माण किया जिसमें १,२०० गाड़ों के अतिरिक्त चत्तारीय यातायात गाड़ियों की इकाइयाँ तथा २४० एक नगर से दूसरे नगर को चलाने वाली गाड़ियों की इकाइयों की स्थापना का आयोजन था। उपर्युक्त समस्त योजनाओं में २३५ लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने का अनुमान था। इन योजनाओं पर १३० करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना थी। इन योजनाओं का प्रयोगात्मक योजनाओं के रूप में चलाया जाना था तथा इनकी उन्नति के साथ इनके वायव्य में वृद्धि का जाना था।

उपर्युक्त रोजगार की नीति एक वाद्यग्राम से यह स्पष्ट है कि ८० लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर कृषि के अनतिरिक्त अर्थ क्षेत्रों में प्रदान किए जा सकें। कृषिक्षेत्र में जायदम की पूर्ति में वृद्धि होनी थी वह कृषि शिक्षा तथा सामुदायिक विकास के वाद्यग्रामों के फलस्वरूप कृषकों की आय में वृद्धि होने के कारण कृषि में लग जायदी थी तथा अर्द्ध रोजगार की समस्या का भी कुछ सामांय निवारण हो जाता था।

८० लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होने पर इसके अनुसार उपभोग की वस्तुओं की पूर्ति में विस्तार करना आवश्यक था। यदि प्रति व्यक्ति आय का औसत प्रति मास १०० रुपये अनुमानित किया जाय तब व्यक्ति के हाथ में प्रति वर्ष ६६० रुपये की आय होगी थी जिसके वे उपभोग वस्तुओं के क्रय तथा बचत पर व्यय कर सकते थे। यदि यह मान लिया जाय कि इस आय का १०% भाग बचत कर लिया जाय (जो अनुमान भी अत्यन्त अतिरिक्त है) तो शेष ६६४ रुपये उपभोग पर व्यय किए जाने का अनुमान लगाया जा सकता था। अर्थ-व्यवस्था में धन की पूर्ति एवं रोजगार के अवसर धीरे धीरे बढ़ेंगे। उद्योग ५०० करोड़ रुपये के अनतिरिक्त उपभोग वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि होने पर रोजगार के वाद्यग्राम सफल हो सकते थे। उपभोग-वस्तुओं के उत्पादन का लगभग ५०% भाग बाजार में विपणन हेतु प्रस्तुत होना है तथा इस प्रकार यदि उपभोग वस्तुओं का आवश्यकता से अनुना उत्पादन होना तथा

रोजगार प्राप्त अनिश्चित व्यक्तियों को उपभोक्ता वस्तुएँ उपलब्ध हो सकनी थीं। द्वितीय योजना में, जो पहले से ही रोजगार प्राप्त कर था, उसकी आय में वृद्धि हानी थी तथा उसकी उपभोक्ता वस्तुओं की माँग में भी वृद्धि हानी थी। दूसरी ओर, कृषि उत्पादन की वृद्धि का बड़ा भाग अहम्य बेरोजगार एवं अर्द्ध-बेरोजगार, उनके लिए राजना में कोई विशेष आयोजन नहीं किया गया था के जीवनयापन हेतु उपभोग हो जाना था। औद्योगिक क्षेत्र में विनियोजन कार्यक्रम का अधिकांश पूँजीगत एवं आधारभूत उद्योगों के लिए निश्चित किया गया तथा उपभोक्ता वस्तुओं की अनिश्चित पूर्ति का उत्तरदायित्व प्रायोगिक एवं लघु उद्योगों पर रखा गया था। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि होना कठिन था। उपभुक्त परिस्थितियों में उपभोक्ता वस्तुओं की कमी एवं उनके आवश्यक मूल्यों का भय उपस्थित हो सकता था। सरकार को उपभोग पर नियंत्रण रखना आवश्यक था तथा रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की आय में अधिकाधिक भाग को विनियोजन की ओर आवंटित करना उचित था।

द्वितीय योजना १३ लाख बेरोजगार व्यक्तियों से प्रारम्भ हुई जो राजना-काल में ११७ लाख नवीन श्रम शक्ति तैयार हुई। योजना के कार्यक्रमों द्वारा ६५ लाख रोजगार के अवसर कृषि के अनिश्चित क्षेत्र में और १। लाख रोजगार के अवसर कृषिसेवक में सृजित हुए। इस प्रकार राजना के समाप्ति होने तक लगभग ६० लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। इनके अनिश्चित मजदूरी मन् १६५५ और अग्रमन्, मन् १६५७ के मध्य किय गये राष्ट्रीय सम्मेलन से द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि लोगों में रोजगार में लगी हुई जनसंख्या का ८ में ६ प्रतिशत और ग्रामों में १० से १२ प्रतिशत व्यक्तियों की प्रत्येक मण्डल ४२ या उससे कम घण्टा कार्य उपलब्ध था। इन अनुमानों के आधार पर रोजगार में १५ में १८ बराबर व्यक्ति अलग रोजगार प्राप्त थे। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना के अंत में बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता और भी बढ़ गयी और अर्थ-व्यवस्था का विकास इनकी तीव्र गति में नहीं हुआ कि रोजगार अवसर सम्पूर्ण उपलब्ध श्रम शक्ति का प्रदान किये जा सकें। इन आंकड़ों से यह भी निश्चित होता है कि अर्थ-व्यवस्था का समतल इस प्रकार नहीं किया जा सका जिससे देश में उपलब्ध सम्पूर्ण श्रम-शक्ति का देश के आर्थिक विकास में अन्तर्-योगदान करने के अवसर प्रदान किये जा सकें।

तृतीय योजना में रोजगार

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निरन्तर मानसून की प्रतिबन्धिता से कृषि-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न होने हुए भी राष्ट्रीय आय में २०% हुई जो दरय से बसत १% कम थी। विनियोजन के क्षेत्र में लघु की लगभग पूरा प्राप्ति हुई यद्यपि निजी क्षेत्र के विनियोजन की राशि लक्ष्य से अधिक हुई। वास्तव में द्वितीय योजना की अन्त-राशियों से योजना आयोग की तृतीय योजना की अधिक बड़ी योजना का विभाण करने

के लिए प्रारम्भिक मिलावा चाँहिए था। तृतीय योजना में ₹८५०० करोड़ ६० (सन् १९५८-५९ के मूल्या पर) समस्त विनियोजन करने का लक्ष्य रखा गया। इस राशि में से ६२०० करोड़ २० दशसवाय एव ४१०० करोड़ ६० व्यक्तिगत क्षेत्र में विनियोजन किया जाना था। यदि इस विनियोजन का राशि तथा द्वितीय योजना की विनियोजन राशि की तुलना करना चाहें तो इस राशि का सन् १९५२-५३ के मूल्या के आधार पर निर्धारित करना आवश्यक होगा। जहाँ विदित ही है द्वितीय योजनाकाल में निरन्तर मूल्या में वृद्धि हुई १०६०० करोड़ ६० को विनियोजन राशि सन् १९५०-५३ के मूल्या के आधार पर लगभग ६३८० करोड़ २० के समतुल्य होगा। इस प्रकार तृतीय योजना में वास्तव में द्वितीय योजना में लगभग १०% अधिक विनियोजन करने का लक्ष्य रखा गया जबकि द्वितीय योजना में प्रथम योजना की अपेक्षा दुगुना विनियोजन करने का लक्ष्य था। विनियोजन का इस राशि के आधार पर तृतीय योजना को परिषद का विरोधी (Conservative) कहना सुविधाजनक होगा। योजना आयोग ने प्रथम दो योजनाओं की सफलताओं से कोई विनाश प्राप्त नहीं किया ऐसा प्रतीत हुआ था।

दूसरा और रोजगारों की समस्या का निवारण करने के लिए भी पर्याप्त आयोजन नहीं किए गए। यद्यपि द्वितीय योजना के प्रारम्भ में लगभग ५३ लाख व्यक्ति रोजगार से तथापि इस योजना के अंत तक रोजगारों का मूल्या में ३ लाख की वृद्धि होने का अनुमान था। इस प्रकार तृतीय योजना लगभग ६० लाख रोजगारों के साथ प्रारम्भ हुई। यद्यपि द्वितीय योजना के लक्ष्य योजनाकाल में जनसंख्या की वृद्धि के बावजूद व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का रोजगार के अभाव से प्रभावित करना था तथापि यह अनुमान लगाया गया कि इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई। सही तथा द्वितीय योजना में ६० लाख व्यक्ति बरतना पड़े। इस प्रकार दुगुना योजनाकाल में द्वितीय योजना के अवशिष्ट रोजगार (६० लाख) एव तृतीय योजना के लक्ष्य रोजगार योग्य व्यक्ति जिनका अनुमानित संख्या १७० लाख था, के लिए रोजगार का आयोजन करने की आवश्यकता थी। तृतीय योजना में केवल १५० लाख रोजगारों के अभाव से रोजगारों का आयोजन किया गया जिनमें से १०५ लाख वृद्धि के अनिश्चित अर्थ क्षेत्रों में तथा ३५ लाख वृद्धि के क्षेत्रों में था।^१ वृद्धि के अनिश्चित अर्थ क्षेत्रों में रोजगारों के अवसरों की वृद्धि आगे ला गया ताकि रोजगारों के अनुमान था।

तृतीय योजना में उत्पन्न होने वाले अनिश्चित रोजगारों के अनुमान निम्नलिखित तीन मापदण्डों पर आधारित थे—

१ Gyan Chand *Social Purpose in Planning Yojna* 24th August 1960 p 19

२ सन् १९६१ की जनगणना के अनुमानानुसार।

तालिका सं० १२०—तृतीय योजना में कृषि के अनिश्चित अन्य क्षेत्रों
में गैजट के अनिश्चित अवसर

(लाख में)

(१) निर्माण

(क) कृषि एवं सामुदायिक विकास	६१०
(ख) मिचार्ड एवं गक्ति	४६०
(ग) उद्योग एवं उनिज—कृषि एवं नष्ट उद्योग सहित	४६०
(घ) आवासीय एवं संचार—रनों सहित	२४०
(ङ) समाज-सेवाएँ	३१०
(च) अन्य	०४०

योग २१००

(२) मिचार्ड एवं गक्ति	१००
(३) रेलें	१६०
(४) अन्य आवासीय एवं संचार	६६०
(५) उद्योग एवं उनिज	३४०
(६) नष्ट उद्योग	६००
(७) बन, मठों, पशु-पक्षी तथा अन्य महानगर सेवाएँ	३००
(८) शिक्षा	४६०
(९) स्वास्थ्य	१४०
(१०) अन्य समाज-सेवाएँ	०६०
(११) संचारी नौकरी	१४०
(१२) अन्य वार्डिंग एवं व्यापार सहित	२३६०

महायोग १०४००

(१) अनुमान उत्पादन एवं रोजगार-सम्पत्ता को गिरने नहीं दिया जाता। नियोजनों को उन शक्ति-स्रोतों को दूर किया जाता जो वर्तमान सम्पत्ता का बर्बाद करने में आयेगी और वर्तमान दृष्टिकोण में रोजगार का स्तर बनाये रखा जाएगा।

(२) योजना के विभिन्न विकास-कार्यक्रमों का कुलसह एक नियन्त्रित के साथ संचालित किया जाएगा और उत्पादन को बचाव जारी रखने का धारणा रखेगा।

(३) निर्माण-कार्यक्रमों के विभिन्न विकास-कार्यों को संयोजित कर अनु-प्रधान विधियों का उपयोग किया जाएगा।

अनु-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अनिश्चित राजस्व के अवसरों के अनुमान विभिन्न प्रकार अनुमानित किये जायेंगे—

(१) निर्माण—योजना मे विभिन्न मदा के प्रत्येक निर्माण-काय क अन्त गत प्रत्येक १ करोड ६० के विकास व्यय पर वष म लगभग २०० दिवस तक रोज गार पाने वालों की संख्या अनुमानित का गयी । इस प्रकार कार्यो म अतिरिक्त रोज गार के अनुमान सन् १९६५ ६६ म सन् १९६० ६१ की तुलना म विकास व्यय की वृद्धि के आधार पर निर्धारित किये गये । सिंचाई-कायक्रमो म सन् १९६५ ६६ का विकास व्यय सन् १९६० ६१ की तुलना म ३७ ५ करोड ६० अधिक होने का अनुमान था । द्वितीय योजना क अनुमदा के आधार पर सिंचाई के क्षेत्र मे रोजगार एव विनि याजन का अनुपात ३००० प्रति-वष प्रति करोड है । इस आधार पर तृतीय योजना क सिंचाई के निर्माण-कायक्रमों म लगभग २६३ लाख व्यक्ति-वष का अनिर्दिक्त रोजगार सम्भव होगा । इसी प्रकार गति के कायक्रमो पर होने वाला व्यय द्वितीय योजना के अन्तिम वष की तुलना म तृतीय योजना से अन्तिम वष म १४० करोड ६० अधिक हागा । द्वितीय योजना क अनुमदा क आधार पर प्रत्येक १ करोड ६० के गति के क्षेत्र म हुए व्यय पर १ ६०० व्यक्ति वष रोजगार बढ़ता था । इस आधार पर गति के क्षेत्र क निर्माण कायक्रमो म तृतीय योजना म १ २४ लाख व्यक्ति वष रोजगार बढ़ सकेगा । इस प्रकार सिंचाई एव गति दोगो की मिलाकर निर्माण-कायक्रमों म ४ ८७ (अथवा ४ ९० लाख व्यक्ति वष अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न हो सकेगा) ।

यातायात के अन्तगत जो निर्माण काम होगा उसे रेल मडक मरगाह एक हाब म तथा अन्य यातायात एव संचार म विभक्त किया गया । इन क्षेत्रो म द्वितीय योजना क अन्तिम वष एक तृतीय योजना क अन्तिम वष के विकास व्यय क अन्त के आधार पर रोजगार का वृद्धि का अनुमान रैना म १ लाख व्यक्ति वष लगाया गया है ।

सड़क म २ १४ लाख व्यक्ति वष तथा अन्य समस्त यातायात एव संचार म ३१ ००० व्यक्ति वष के अनिर्दिक्त रोजगार का अनुमान लगाया गया । इस प्रकार यातायात एव संचार क निर्माण कायक्रमों म ३ ४४० अतिरिक्त रोजगार क अवसर उत्पन्न होंगे । अन्य क्षेत्रों के निर्माण-कायक्रमो म भी इस प्रकार अनिर्दिक्त रोजगार के अनुमान लगाय गये ।

निर्माण के अतिरिक्त अन्य कायक्रमो (इंधन के अतिरिक्त) म अनिर्दिक्त रोजगार के अवसरों का अनुमान या तो निश्चित मूल्यों पर प्रत्येक व्यक्ति को जाये रहने वाला रोजगार प्रदान करने हेतु आवश्यक पूजा की राशि क आधार पर लगाय गये अथवा प्रति व्यक्ति उत्पादन (जिसम उत्पादकता की वृद्धि के लिए आवश्यक समायोजन कर दिया गया) पर आधारित किये गये । लघु उद्योग बॉट द्वारा स्थापित किये गये अथवा ग्रूप के अनुमानानुसार, लघु उद्योगो म एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए लगभग ५ ००० २० के विनियोजन की आवश्यकता होती है । दस्तकारी म १ ५०० ६० तथा नारियल के देने क उद्योग (Coir Industry) एव रणय (Sericulture) म लगभग

१,००० करोड़ की आवश्यकता होती है। तृतीय योजना में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर सरकारी क्षेत्र में ध्यान देने वाली राशि पर ३५७ लाख राजगार के अवसरों में वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया। दूसरी ओर, इस मद पर निजी क्षेत्र में विनियोजित होने वाली राशि पर ५ लाख राजगार के अवसर बढ़ने की सम्भावना की गयी। इस प्रकार ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के तृतीय योजना में ८५७ अथवा ८ लाख राजगार के अवसर बढ़ने का अनुमान लगाया गया। हाथकरघा, शक्ति के चयन वाले कपड़े, खादी एवं ग्रामीण उद्योगों पर सरकारी क्षेत्र में १२० करोड़ २० धन्य होने का जिसके द्वारा आर्थिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का पूरा रोजगार की सुविधाएँ प्राप्त करने का आयाज्य किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में ५६ लाख रोजगार के अवसर चयन का अनुमान लगाया गया। इसमें ३०८ लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता निम्ना प्राप्त करने वाले ६ से ११ वर्ष के बच्चों की वृद्धि के कारण होगी १२३ लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता ११ से १४ वर्ष के बच्चों के लिए ०७७३ लाख शिक्षकों की आवश्यकता १४ से १७ वर्ष के बच्चों के लिए तथा ०४० लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लिए होगा। इस प्रकार तृतीय योजना में लगभग ६१८ लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी, परन्तु उपयुक्त शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धि न होने के कारण शिक्षकों की संख्या में ३०,००० की कमी कर तृतीय योजना में ५८८ अथवा ५८० लाख अतिरिक्त शिक्षकों को राजगार प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया।

खनिज के क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का अनुमान उत्पादन की वृद्धि के आधार पर लगाया गया। खनिज एवं उद्योगों के क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का अनुमान ७४ लाख लगाया गया और इसमें से २५ लाख खनिज के क्षेत्र में उत्पन्न होने की सम्भावना की गयी। कोयले का उत्पादन ४४६ लाख टन से बढ़ कर ६७० लाख टन हो जाने का अनुमान लगाया गया और इस प्रकार ४२४ लाख टन की कोयले के उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान था जबकि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पादकता तृतीय पंचवर्षीय योजना में १४० टन से बढ़ कर १८० टन अनुमानित थी और इस प्रकार कोयले के उत्पादन में रोजगार के अवसर की वृद्धि १/१ लाख होगी। इसी प्रकार कच्चे लोह का उत्पादन १०७ लाख टन से बढ़ कर ३०० लाख टन होने का अनुमान था जबकि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पादकता १७० टन से बढ़ कर २०५ टन हो जायगी और इस प्रकार इस क्षेत्र में ०७ लाख राजगार के अवसरों की वृद्धि होगी। इस प्रकार कोयले एवं लोह के उत्पादन की वृद्धि से २२ लाख राजगार के अवसर बढ़ने का अनुमान था। अन्य खनिजों के सम्बन्ध में मई १९५१ से १९५८ तक के अनुमानों के आधार पर अनुमान लगाया गया है। इनमें प्रति वर्ष ३००० राजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसी आधार पर तृतीय योजनाकाल में अन्य खनिजों के

क्षेत्र में ३५ ००० रोजगार के अवसर बढ़ाने की सम्भावना की गयी। इस प्रकार खनिज क्षेत्र में तृतीय योजना में २५५ लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने का अनुमान लगाया गया।

बड़े एवं मध्यम श्रेणी में उद्योगों में रोजगार के अवसरों की वृद्धि का अनुमान इन उद्योगों में विनियोजित होने वाली पूँजी के आधार पर लगाया गया। निम्न-लिखित तालिका में विभिन्न उद्योगों में प्रति व्यक्ति पूँजी विनियोजन की आवश्यकता अंकित की गयी है—

प्रति व्यक्ति पूँजी विनियोजन की विभिन्न उद्योगों में आवश्यकता^१

उद्योग का नाम	प्रति व्यक्ति का पूँजी का आवश्यकता (रुपय)
इस्पात	१,६० ०००
खान	४०,०००
मशीन जोड़ार (Graded)	२१ ०००
भारी मशीनों के बनाने की मशीनें	१ ०० ०००
पाउण्ड्री फौज मशीनें	१ ०० ०००
कापना निकालने की मशीनें	६० ०००
भारी विद्युत का सामान	५० ०००

उपरोक्त आँकड़ों का अनुमान लगाने के लिए अभी तक भारत में बहुत कम सूचनाएँ एकत्रित उपलब्ध हैं, जहाँ इन आँकड़ों द्वारा लगाया गया रोजगार का अनुमान भी केवल एक प्रकार की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करत हैं। यह अनुमान ठीक ठाक प्राप्त करने हेतु दीर्घ काल तक इन उद्योगों का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

खनिज उद्योग, रेल यातायात निर्माण, स्वास्थ्य शिक्षा जन गारान संचार आदि क्षेत्रों में विकास एवं विस्तार के साथ साथ व्यापार अधिकोषण बोझ बढ़ाने वाला (सड़क एवं रेल यातायात को छोड़ कर) स्टारज मादाम व्यवसाय एवं विविध व्यक्तिगत सेवाओं के क्षेत्रों का विस्तार एवं विकास हाथों स्वाभाविक होगा। इनमें उत्पन्न होने वाले रोजगारों का प्रकार ऐसा होगा जिसका ठीक ठाक अनुमान लगाना असम्भव कठिन होगा है। इनमें से कुछ लोगों में शक्ति स्वयं अपने काम में लगा रहना है और नियोजित एवं कामचारी का प्रश्न नहीं उठता है। भारत में श्रमिका में बहुत बड़ा समस्या स्वयं अपना काम कर जीविकोपार्जन करती है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों में से कुछ आंगिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का बत जान है और कुछ बेरोजगार व्यक्तियों का उपलब्ध होत हैं। तत्कालीन सूचनाएँ एवं आँकड़ों का

आधार पर यह अनुमान लगाया कि इन क्षेत्रों के अनिश्चित रोजगार-अवसरों में कितने आर्थिक बेरोजगारों को और कितने बेरोजगारों को प्राप्त होने कठिन ही नहीं प्रयुक्त असम्भव था, फिर भी जो कुछ भी अध्ययन किए गए, उनके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि तात्कालिक १०० १०० में दिए गए १ म ११ तक की मदों से पिछले राजगार के अवसर बढ़ेंगे, उसने लगभग ५६% उपयुक्त दिए गये क्षेत्रों में जो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस आधार पर इन क्षेत्रों में ३७ ८० लाख राजगार के अवसर बढ़ने की सम्भावना की थी।

इसके क्षेत्र में यह अनुमान लगाया गया कि रोजगार के अवसरों का कितना भाग बेरोजगारों का प्राप्त होगा और कितना आर्थिक बेरोजगारों का पूरा रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। जा भी सीमित जाच अभी तक इस सम्बन्ध में की गयी, उसने पता हुआ कि मिथाई भूमि भुरला तथा बाढ़ नियंत्रण से लाभ उठाने वाली भूमि के कुछ क्षेत्र में लगभग ३०% के बराबर इति में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यदि प्रति व्यक्ति ४ एकड़ का सामान्य माप मान लिया जाय तो मिथाई की अनिश्चित भूमिधर्मों से १५ लाख भूमि-गुरगा एक इति-योग भूमि का बताने से १२ लाख, बाढ़ नियंत्रण आदि से २ लाख तथा भूमिहीन इति धर्मिकों को भूमि दत्त उनका पुनर्वास करके ५ लाख राजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। इस प्रकार इति के क्षेत्र में १५ लाख रोजगार के अवसर बढ़ने का अनुमान लगाया गया।

द्वितीय योजना के विभिन्न कार्यक्रम के मन्तव्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कुछ विशेष विचारधाराओं का दृष्टिगत किया जाना था। उनमें से मुख्य मुख्य निम्न प्रकार की—

(१) मुख्य योजनाकाल में अनिश्चित रोजगार के अवसरों का समस्त दाय में अभिनयमानता व साथ विस्तार करने का प्रयत्न किया जायगा।

(२) ग्रामीण क्षेत्र में जीवाणीकरण में विस्तृत कार्यक्रमों का संचालन किया जायगा जिनमें ग्रामीण विद्युत्ताकरण, ग्रामीण औद्योगिक एस्टेट का विकास, ग्रामीण उद्योगों का विस्तार आदि का विचार महत्व दिया जायगा।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि ग्रामीण एवं नव उद्योगों व विकास के साथ साथ ग्रामीण कार्यशाखाओं का सफल किया जायगा जिनके द्वारा औद्योगिक से ३५ लाख व्यक्तियों को वष में १०० दिन रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामीण कार्यशाखाएँ (Rural Works) कार्यक्रमों द्वारा रोजगार के अवसर की वृद्धि के साथ ग्रामीण जन शक्ति का आर्थिक विकास में उपयोग जो सम्भव हो सकेगा। ग्रामीण कार्यशाखाओं में पांच प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित थे—

(अ) राज्य एवं स्थानीय मस्थाओं की योजनाओं में सम्मिलित किए गए कार्यक्रम जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों का कुशल (Skilled) एवं बड़े कुशल श्रमिकों का उपयोग होना।

(आ) समाज द्वारा अथवा लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों द्वारा संचालित वह कार्यक्रम जो पिधान (Law) के अन्तर्गत उनके लिए अनिवार्य हैं।

(इ) ऐसे विकास-कार्यक्रम जिनमें स्थायी जनता श्रम का अनुदान व और राज्य द्वारा कुछ सहायता प्रदान की जाय।

(ई) पसी परियोजनाएँ जिनसे ग्रामीण जनसमुदाय आय उपाजन करने वाली सम्पत्तियाँ का निर्माण कर सके।

(उ) बेरोजगारों के अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में संगठित किए जाने वाले सहायक कार्यक्रमों का कार्यक्रम।

प्रयोगात्मक रूप में ३४ परियोजनाएँ (Pilot Projects) का प्रारम्भ किया गया जिनका द्वारा ग्रामीण जन शक्ति का उपयोग किया गया। प्रत्येक परियोजना पर लगभग २ लाख २० व्यय किया जाना था। इन परियोजनाओं में मिर्चाई का लगाना, भूमि सुरक्षा, नालियाँ बनाना, भूमि का कृषि योग्य बनाना तथा तटार, के साधनों में सुधार करना आदि सम्मिलित थे। इन परियोजनाओं में प्राप्त अनुभवों के आधार पर इन योजनाओं का रखावना बड़े पैमाने पर अर्थ क्षेत्रों में भी की जानी थी। तत्कालीन अनुमानों के अनुसार इन परियोजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में १ लाख व्यक्तियों द्वितीय वर्ष में ४ लाख से ५ लाख व्यक्तियों का तृतीय वर्ष में १० लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जा सकेंगे और योजना के अंत तक इन ग्रामीण कार्यक्रमों द्वारा लगभग २५ लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

(४) अभी तक बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन समस्त देश अथवा राज्यों का इकाई स्तर पर किया गया। तृतीय योजना में इस समस्या का अध्ययन एवं निवारण जिला एवं ब्लॉक स्तर पर करने का प्रयास किया जाना था। प्रत्येक राज्य की बेरोजगारी की समस्या को जिला स्तर पर विभक्त कर लिया जाना था और इस समस्या का निवारण ग्राम, ब्लॉक अथवा जिला स्तर पर करने का प्रयत्न किया जायगा।

(५) विभिन्न परियोजनाओं का निष्पादन कार्यक्रमों में धमप्रधान विधियों का अधिक महत्त्व दिया जाना था यदि माना जाय कि चलन वाला विधियाँ सन्निपात कार्यक्रम काई विनाय संचन नहीं होनी हो।

(६) ऐसे क्षेत्रों में जिनमें जनसंख्या का दबाव अधिक था और विकास के घटे कार्यक्रम भी वहाँ की समस्त श्रम शक्ति का रोजगार प्रदान न कर सकते हैं, वहाँ को लोगो की बड़ी मात्रा का उचित प्रशिक्षण देकर अर्थ क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार के प्रशिक्षित श्रम की कमी हो जाय करने का अवसर प्रदान किए जाने थे।

(७) सधु दबावों का अपनी क्षमता का पूरा उत्पादन करने हेतु आवश्यक सुविधाएँ दी जानी थी। साहाय्य इत्यादि अंतर्गत घातुएँ यागा (Yard) रमायन एवं रंग तथा अन्य बच्चों माल आदि का उचित प्रबंध किया जाना था।

(८) ग्रामीण औद्योगिकरण एवं विद्युतीकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास व क्षेत्रों की स्थापना की जानी थी। इन औद्योगिक क्षेत्रों को माता-पिता एवं अन्य सुविधाओं से जोड़ दिया जाना था। यह क्षेत्र छाट-छाट भाग अथवा केन्द्रित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हान से बिनकी धार कुशल श्रमिक एवं व्यवसायी बनना बाल सफल बनाने हेतु आकर्षित हो सके।

(९) पिछले दस वर्षों में देश के औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। कुछ नवीन उद्योगों जैसे ताँबा एवं स्थापन, रसायन, यंत्रित तंतु का धोवन, आमाय एवं सिंथेटी इन्जिनियरिंग वर के टायर, एन्थ्रैसिटाईट आदि की स्थापना देश में हुई और पुराने उद्योगों जैसे सूती वस्त्र, तूट एवं चाय में स्थापन की नवीन विधियों के उपयोग को महत्व दिया जाना गया। इस प्रकार देश के उद्योगों में नवीन उद्योगों में उत्पादन की नवीन विधियों का उपयोग किया जाने लगा। स्थापन की नवीन विधियों में प्रिण्टिंग एवं प्रिण्टिंग मशीनों की आवश्यकता होती है और इन उद्योगों के विस्तार के साथ-साथ प्रिण्टिंग व्यक्तियों का सांख्यिक व अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। प्रिण्टिंग उद्योगों की मूल्य का ठीक ठीक अनुमान लगाना और अत्यन्त कठिन था परन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय योजना के अन्त में प्रिण्टिंग उद्योगों की मूल्य लगभग १० लाख थी और तृतीय योजनाकाल में हार्ड स्कूल अथवा उसके ऊँची शिक्षा प्राप्त नये सांख्यिक प्राप्त करने वालों की मूल्य ४० लाख होगी। इसी, उद्योग एवं माता-पिता व विकास के साथ-साथ आर्थिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की माँग में वृद्धि होगी। तृतीय योजना में शिक्षा के पुनर्गठन पर जोर दिया गया था जिससे इस काल में अत्युत्कृष्ट प्रिण्टिंग व्यक्तियों उपलब्ध हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी शाल, विपणन एवं वृद्धि मन्त्रालयों में उद्योग करने वाले उद्योगों (Processing Industries) बनाने वृद्धि व विकास तथा शिक्षा, खण्ड तथा प्रान्त-स्तर पर आर्थिक मन्त्रालयों की स्थापना में प्रिण्टिंग व्यक्तियों का अधिक रोजगार के अन्तर्गत उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्रिण्टिंग व्यक्तियों की लक्ष्य उद्योगों की स्थापना के अन्तर्गत भी उपलब्ध होने की सम्भावना थी।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत के कार्यक्रमों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् हम पर आलोचनात्मक दृष्टि डालना भी आवश्यक है। अन्तर्गत-कार्यक्रमों के अन्तर्गत में हम अपनी आलोचना निम्न प्रकार सूत्रबद्ध कर सकते हैं—

(१) द्वितीय योजनाकाल के प्रारम्भ में देश में ५२ लाख व्यक्तियों के उद्योगों का अनुमान था। द्वितीय योजनाकाल में १ करोड़ नवीन श्रमिकों की वृद्धि का अनुमान था जबकि वास्तविक वृद्धि १ १७ करोड़ श्रमिक हुई। इस प्रकार द्वितीय योजनाकाल में पूरा अन्तर्गत प्रदान करने हेतु ॥ ७० करोड़ रोजगार के अन्तर्गत बनाने की आवश्यकता थी, जबकि वास्तव में केवल ८० लाख रोजगार के अन्तर्गत ही द्वितीय

याजना में जग्य जा सके और इस प्रकार तृतीय योजना ६० लाख बेरोजगार व्यक्तियों से प्रारम्भ हुई है। तृतीय योजनाकाल में सन् १९६१ की जनगणना के प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार १७० करोड़ नवान् श्रमिका की वृद्धि होना का अनुमान था और इस प्रकार तृतीय योजना में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था हेतु २६० करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की आवश्यकता थी जबकि तृतीय योजना में १४० करोड़ रोजगार के अवसर बचाने का आयोजन किया गया और इस प्रकार कुल योजना १२० करोड़ बेरोजगारों से अन्त होना था। राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विस्तार एवं विकास के साथ साथ बेरोजगारी का बढ़ना कुछ अमंगल प्रतीत होना है। वास्तव में देश में श्रम शक्ति का वृद्धि अनुमान से अधिक होने के कारण बेरोजगारी की समस्या का निवारण एक जटिल समस्या बन गया है। जब तक विनियोजन के प्रकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा जनसंख्या की वृद्धि पर नियन्त्रण नहीं रखा जायेगा देश का बेरोजगारी की समस्या का निवारण नहीं हो सकेगा।

(२) तृतीय योजना में अनिश्चित रोजगार के अनुमानों में १०५ लाख राजगार के अवसर हृषिके अतिरिक्त अर्थ क्षेत्र में बचाने का अनुमान था। इसमें से लगभग २३ लाख व्यक्तियों के साथ २२% निर्माण कार्यों में बचाने का अनुमान था। निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसरों के अनुमान सन् १९६०-६१ के अनुभवों के आधार पर विकास-यय की वृद्धि का आधार मान कर निर्धारित किया गया। सन् १९६५-६६ तक योजना में वृद्धि होना स्वाभाविक होगा और इसके साथ साथ श्रमिका के पारिश्रमिक में भी थोड़ा बहुत वृद्धि अवश्य हो जानी थी। इस प्रकार विकास-यय द्वारा होने वाले कार्य की मात्रा एवं रोजगार प्रदान करने की क्षमता कम हो जाना स्वाभाविक थी। ऐसी परिस्थिति में निर्माण में प्राप्त होने वाले रोजगार के अवसरों का अनुमान सवधा ठीक नहीं कहा जा सकता। इसके अनिश्चित विभिन्न निर्माण-कार्यों में लग हुए श्रमिकों में निर्माण कार्य पूरा होने पर हटा दिया जाना है और दूसरे निर्माण कार्यों पर रोजगार देने में बहुत सी कठिनाइयाँ उपस्थित होनी हैं। किसी निर्माण कार्य से पृथक् हुए श्रमिकों का दूसरे निर्माण कार्य में रोजगार देने के लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देना तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर वापस करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है। ये दोनों ही कार्य क्षोघ्रता से नहीं किये जा सकते हैं। इस प्रकार नवान् निर्माण कार्यों में जहाँ रोजगार में वृद्धि होनी थी सन्पूर्ण हुए निर्माण-कार्यों से वे बेरोजगारी भी बढ़ती। वास्तव में निर्माण कार्य से अनिश्चित रोजगार के अनुमान लगाते समय पूर्ण हुए निर्माण-कार्यों से पृथक् हुए श्रमिकों को भी दृष्टिगत करना चाहिए था।

(३) निर्माण-कार्यों में प्राप्त हुए रोजगार को स्थायी स्वरूप नहीं दिया जा सकता। किसी निर्माण-कार्य के पूर्ण होने पर उस पर लगे हुए श्रमिकों को बेरोजगार हो जाना स्वाभाविक है। यदि भविष्य में क्रियाचिन्तन होना वाली योजनाओं में निरन्तर

निर्माण-कार्य में वृद्धि हाठी रहे तो पूरा हुए निर्माण-कार्य में कमी हुए बेरोजगारों को कुछ सीमा तक एक नवीन शक्तियों को मौजिद भाषा में रोजगार उपलब्ध ही सकता है किन्तु नवित्त की योजनाओं में नवीन निर्माण-कार्य बढ़ते ही हों वरु सम्भावना करना उचित न होगा। ज्यों ज्यों अल्प-व्यय-ध्या में सुदृढ़ता आती जाती, निर्माण कार्य भी कम होते जायेंगे। इसके अतिरिक्त ज्ये-ज्ये निर्माण-कार्यों में काम करने वाले शक्तियों को मर्यादा धरती जाती, नवीन निर्माण-कार्यों की अर्जित रोजगार प्रदान करने की क्षमता भी घटती जाती क्योंकि इनमें पूरा हुए कार्यों में पृथक् हुए शक्तियों को रोजगार देना आवश्यक है जाया।

(४) सप्टेम्बरी में एक बड़े तथा नवमय योजी के उद्योगों में अर्जित रोजगार के अवसर इन उद्योगों की नवीन विनियोजन की राशि पर आधारित है। उन्वालीन मूल्या के आधार पर विभिन्न उद्योगों में एक व्यक्ति की रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विनियोजन की राशि अनुमानित कर की गयी थी और इसी आधार पर विभिन्न उद्योगों में होने वाले नवीन विनियोजन-राशि के आधार पर रोजगार-क्षमता प्राप्त की गयी। इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अनुमान तनी ठीक ही रहते थे, जब मूल्या में अल्पविक्र वृद्धि नहीं होगी। मूल्या में अल्पविक्र वृद्धि होने पर विभिन्न उद्योगों की विनियोजन राशि अनुमान के अनुसार रहते हुए भी इनकी रोजगारक्षमता कम हो जायगी।

(५) वृष्टि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों की विभिन्न मशीं से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त रोजगार ६७५० लाख है और इसका मान ५९%, अर्थात् ३७८० लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर आधार अतिरिक्त, बीना, मर्यादा (मिनी एवं पक्षियों की छावकर), स्टारज गोशम तथा व्यवसायों एवं व्यक्तिगत सेवाओं आदि से प्राप्त होने का अनुमान जाया गया। द्वितीय पक्षधरिय योजना में इस प्रकार के अर्जित रोजगार के अवसरों का प्रतिशत केवल ५२ था। तृतीय योजना में इस प्रतिशत को ५९ अनुमानित करने का कोई आधार स्पष्ट नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त यह प्रतिशत सन् १९५१ की योजना पर आधारित है और इसमें सन् १९६१ की जनसंख्या के आँकड़ों के अनुसार यह प्रतिशत ५०% से कम ही था।

(६) वृष्टि के क्षेत्र के अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का अनुमान नमूने क्षेत्र पर आधारित है जिस वृष्टि एवं विचार-सम्बन्धी विभिन्न परिस्थितियों में काम पहुँचेगा। वास्तव में वृष्टिपत्र में जो भी सुधार एवं काम उपलब्ध कराये जाते हैं, उनसे आर्थिक बेरोजगारों एवं अव्यय बेरोजगारों को अवसर कम होती परन्तु अर्जित रोजगार के अवसरों की वृद्धि अत्यन्त सीमित होती। वृष्टि-क्षेत्र वृष्टि की वृद्धि एवं वृष्टि वृष्टि के पुनर्वितरण से अवसर ही रोजगार के अवसरों में कुछ वृद्धि हाठी परन्तु इस वृद्धि का अनुमान ठीक ठीक लगाना सम्भव नहीं था। दूसरी धार, वृष्टि-क्षेत्र की योजनाओं की सफलता बड़ी सीमा तक अवलम्बित एवं कार्यों की अनुपलब्धता पर अवलम्बित होती है और इन दोनों के सम्बन्ध में निश्चय करना नतीजा सम्भव है।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त रोजगार के अनुमान का ठीक ठीक सिद्ध होना बहुत से घटकों पर निर्भर था जिनमें मूल्यों की स्थिरता एवं जलवायु की अनुकूलता प्रमुख थे।

रोजगार के सम्बन्ध में जो भी आँकड़े उपलब्ध होते हैं वे केवल अनुमान मात्र होते हैं और विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों द्वारा जो आँकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें एकरूपता का अभाव पाया जाता है। यही कारण है कि प्रस्तावित चतुर्थ योजना (सन् १९६६-७४) में नियोजन में यह स्वीकार किया है कि रोजगार-सम्बन्धी जो भी आँकड़े अभी तक उपलब्ध हैं वे केवल अटकल (Guess) मात्र हैं और इन पर विश्वास किया जाना सम्भव नहीं है। फिर भी अभी तक के उपलब्ध आँकड़ों से बेरोजगार की समस्या का अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। निम्नलिखित तालिका में अभी तक के उपलब्ध आँकड़ों को स्पष्ट किया गया है।

तालिका सं० १२१—भारत में योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार समस्या

(लाख में)

योजना	बेरोजगारों का विद्यमान आधिक्य	योजनाकाल नयी श्रम शक्ति	२ व ३ का योग	योजनाकाल रोजगार की व्यवस्था	योजना के अंत में बेरोजगार
प्रथम योजना	३३	६०	१२३	७०	५३
द्वितीय योजना	५३	११८	१७१	१००	७१
तृतीय योजना	७१	१७०	२४१	१४५	९६
तीन वार्षिक योजनाएँ ^१	६६	७८	१७४	११०	६४
चतुर्थ योजना	६४	२३० ^२	२९४	?	?

चतुर्थ योजना में राजगार

इस तालिका के आँकड़ों से प्रतीत होता है कि चतुर्थ योजना में लगभग तीन करोड़ लोग राजगार की माँग करने के लिए प्रस्तुत होंगे। प्रस्तावित चतुर्थ योजना (सन् १९६६-७४) में बेरोजगारी की समस्या के परिमाण का ठीक ठीक पान न हान के कारण इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने न तो यह अनुमान लगाया है कि योजनाकाल में कितने लोगों को राजगार की आवश्यकता होगी और न ही यह बताया है कि योजना के विकास विनियोजन द्वारा कितने नये रोजगार के अवसर उदय हो सकेंगे।

१ तीन वार्षिक योजनाओं में नयी श्रम शक्ति का अनुमान प्रथम प्रस्तावित चतुर्थ योजना (सन् १९६६-७१) में अनुमानित नवान् श्रम शक्ति २३० लाख के आधार पर ३ वर्षीय औसत द्वारा अनुमानित की गयी है तथा वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत रोजगार के अवसरों का अनुमान भी प्रथम प्रस्तावित योजना में अनुमानित राजगार अवसरों का वृद्धि के आधार पर किया गया है।

२ प्रथम प्रस्तावित चतुर्थ योजना में अनुमानित।

विद्यमानों की अनुपलब्धि के कारण यह पता न लगता कुछ सीमा नबित माना जा सकता है कि चतुष योजना में जितने लोग राजगार मांगेंगे परन्तु त्रिनि-याजन कार्यक्रमों के प्रकार एवं परिमाण के आधार पर ज्यम उपयोग हान की अतिरिक्त श्रम का अनुमान लगाया जाना सम्भव होना चाहिए था। भारत सरकार द्वारा दत्तवाला ममिनि की स्थापना की गयी है जो वेगोजगार की समस्या विन्मृत अध्ययन के आवश्यक अंकित एक सिफारसों प्रन्मृत करणी।

चतुष योजना के विभिन्न कार्यक्रमों में राजगार के अवसरों की वृद्धि का लक्ष्य निहित है और यह जाना की जाती है कि योजना के विभाग-कार्यक्रमों के फलस्वरूप, राजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकती है परन्तु विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा विन्मृत राजगार के अवसरों में वृद्धि होगी इसका अनुमान नहीं लगाया गया है। चतुष योजना के निम्नलिखित कार्यक्रमों राजगार के अवसरों का वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होंगे—

(१) चतुष योजना में श्रम-प्रधान कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है जैसे सड़कों का निर्माण, लघु सिंचाई-परियोजनाएँ, भूमि-सुरक्षा, श्रेष्ठ विकास-कार्यक्रम, सहकारिता, सिंचाई बाध निराकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु एवं ग्रामीण उद्योग तथा नगरों का विकास-योजनाएँ। योजना में श्रम-प्रधान कार्यक्रमों पर जय योजनाओं में अधिक ध्यान आधोजित किया गया है। सांख्यिक विज्ञानी सम्पादकों द्वारा योजना के लक्ष्य में प्रति वर्ष २६० करोड़ रु० की लागत पर सहायता श्रम-प्रधान कार्यक्रमों का दी जायगी।

(२) कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से विकास करने की व्यवस्था के फलस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन राजगार के अवसर उदय होना की सम्भावना है। कृषि के विकास के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में आशिक राजगार प्राप्त लोगों का पूरा राजगार उपलब्ध होना की भी सम्भावना है।

(३) मरिष्ठ उद्योगों एवं शक्ति के दत्त हुए विकास, लघु एवं सहायक उद्योगों के प्रान्ताहन तथा श्रामीण एवं घरतू उद्योगों का निरन्तर सहायता प्रदान करने, ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तृत आयोजन, गरम्मत एवं निर्वह-उद्योगों की तुलनाओं का विकास निमाण प्रिया का अधिक आयोजन, माताघात सुधार गति एवं प्रविम्भन मुविधाओं के विस्तार के परिणामस्वरूप राजगार के अवसर स्वतः राजगार उद्योगों (Self Employed Opportunities) में वृद्धि होने का अनुमान है।

(४) ग्रामीण औद्योगिकरण का महत्व दन, उद्योगों के ग्रामीण क्षेत्रों के दृष्टि में विस्तृत तथा कृषि से सम्बन्धित उद्योगों के विकास के फलस्वरूप, निम्नित लोगों की आवश्यकता दन का अनुमान है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में शिम्भत नवयुवकों का राजगार उपलब्ध हो सकेगा।

(५) सेवा क्षेत्र—शिक्षा स्वास्थ्य परिवार नियोजन आदि के विस्तार के कारण शिक्षकों डाक्टरों तथा अन्य प्रशिम्भित लोगों का अधिक राजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेगा।

(६) योजना में द्रव्य गति में प्रगति कर तथा उत्पादन श्रियाओं में ममस्तने में परिवर्तन के फलस्वरूप राजगार के अवसरों में वृद्धि स्वाभाविक होगी।

(७) निम्निले बराजगारों का यद्यपि विकास कार्यक्रमों में श्रिदा-व्ययन में अधिक राजगार के अवसर उपलब्ध होने लगे परन्तु शिक्षा का प्रगति आर्थिक प्रगति का तुलना में अधिक तजा में हानि के कारण इस समस्या का स्थायी निवारण शिक्षा के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने की प्रस्ताव किया गया जिससे यात्रमायिक प्रशिक्षण प्राप्त श्रम शक्ति में वृद्धि हो सके और स्वयं राजगार करने वाले लोगों का अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। राजगार एक प्रशिक्षण में सम्पन्न श्रम श्रामों के एक अध्ययन ग्रुप ने यह अनुमान लगाया है कि निम्निले बराजगारों (जो मट्टिक या अधिक शिक्षा प्राप्त हैं) का मरवा मनु १९५४ दिसम्बर में ८०५ लाख था जो मनु १९६७ दिसम्बर में १०८७ लाख हो गयी अर्थात् ३५% की वृद्धि हुई। निम्निले बराजगारों में लगभग ७७% ऐसे थे जिन्हें किमा काय का अनुभव अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। इस ग्रुप ने अनुमान लगाया कि मनु १९७५-७६ तक निम्निले बराजगारों की मरवा लगभग १६ लाख हो जायगा। इस प्रकार निम्निले बराजगारों की समस्या के निवारण का उचित व्यवस्था करना आवश्यक है।

भारतीय नियोजन एवं सामाजिक व्यवस्था [Indian Planning and the Pattern of Society]

[आर्थिक विकास के उद्देश्य, सामाजिक पूँजी, समाजवादी प्रकार का समाज, समाजवादी समाज के सिद्धान्त, नृतीय योजना में समाजवादी समाज की व्यवस्था, अनुप योजना के सामाजिक उद्देश्य]

अल्प विकसित राष्ट्रों में सामाजिक नियोजन इस प्रकार का होता है कि साम्य परम्परागत व्यवस्थाओं में ही कार्य करना अधिक उचित समझते हैं। कुछ व्यवस्थाओं और विधियों पर आधार-सम्बन्धी व्यवस्थाओं का अन्त नहीं समझा जाता। जाति-भेद अल्पविकृत होता है और प्रत्येक जाति एक विशेष व्यवसाय में ही सम्बन्धित होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति द्वारा अपनाय गये व्यवसाय से अन्य व्यवसाय करना चाहता है तो समाज इसकी आज्ञा नहीं देता और उसकी जाति वाले जैसे बुद्धि से देखते हैं। क्षेत्रीय तथा सामिक भेद भाव भी इतना अधिक होता है कि इनके द्वारा आर्थिक विकास में गम्भीर बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इन प्रकार श्रमिकों में क्षेत्रीय तथा व्यवसाय-सम्बन्धी गतिशीलता का अभाव बनाव होता है। अन्त को अपने परम्परागत विचार-स्थान तथा अपनी जाति एवं समूह से इतना आकर्षण होता है कि वह समय-समय पर अपने व्यवसाय में प्रवेश करना चाहता है जिसमें वह अपने सम्बन्धियों के साथ रह सके। इससे लोगों में अनुपस्थिति की समस्या अल्पविकृत गम्भीर होती है। नारी शाहसी या नवीन औद्योगिक इकायों को स्थापित करना चाहते हैं, शान्ति तथा प्रवृत्त-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करते हैं परन्तु उनके जातिभेद से अनादर की दृष्टि से देखते हैं। शारीरिक श्रम तथा हस्तकला का कार्य करना समाज में ही समझा जाता है। पुस्तकीय ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। जनसमुदाय में बाहुगिरी के कामों (White collar Jobs) का अधिक आदर प्राप्त होता है। श्रम किसी कार्यलय में लिखित बनना पसन्द करते हैं किन्तु अधिक पारिवारिक वाले शारीरिक श्रम उनको अधिक नहीं होत। इस प्रकार की प्रवृत्ति से राष्ट्रीयता की भावना में कुछ कम हो जाती है। शिक्षा का प्रसार हान्य के शिक्षित बेरोजगारों की समस्या इसी प्रवृत्ति के कारण दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जनसमुदाय में कोई भी विवेकपूर्ण नवीन परिवर्तन स्वीकार करने की चाह नहीं होती। नियोजन-प्रवृत्तियों के अनुमानानुसार कोई भी योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं हो पाती और विकास की प्रगति मन्द हो जाती है।

अल्प विकसित राष्ट्रों में उपयोग की जान वाली आर्थिक विकास की विभिन्न विधियों ने कुछ विशेष एवं महत्वपूर्ण सामाजिक बाधाओं की जानकारी प्रदान की है। लगभग सभी जल्प विकसित राष्ट्रों में समाजवाद के अन्तिम लक्ष्य आर्थिक एवं सामाजिक समानता की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाने पड़े हैं। इस सन्ध्य को प्राप्त करने हेतु इन देशों में विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग परिस्थिति के अनुसार होने लगा है। सामान्यतः यह विश्वास अब दृढ़ हो गया है कि देश की सामाजिक एवं आर्थिक सम्पन्नता के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया अनिवार्य है। अल्प विकसित राष्ट्रों का योजनाओं में आर्थिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिए आयोजन किए जाते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश आर्थिक कार्यक्रमों को इन योजनाओं में अधिक महत्त्व दिया जाता है और सामाजिक उन्नति के कार्यक्रमों को आर्थिक कार्यक्रमों का सह उत्पादक समझा जाता है। इन योजनाओं में सामाजिक कार्यक्रमों में भी समाज की भौतिक सम्पत्तियाँ जैसे स्कूल, चिकित्साशाला, मरीजगृह आदि के बन्ने पर विशेष जोर दिया जाता है। (गार्लिक) की 'वित्तीय एवं सामुदायिक सुराहियों को दूर कर सामाजिक क्रांति लाने के प्रति विशेष प्रयास नहीं किये जाते हैं। वास्तव में अल्प विकसित राष्ट्रों की सफलतम उन्नति के लिए ऐसी सामाजिक संस्थाओं की अत्यधिक आवश्यकता होती है जो जनसाधारण में कर्तव्यव्यवस्था एवं कर्तव्य के प्रति सत्परता उत्पन्न कर सकें तथा उनमें अपने सामाजिक कर्तव्यों के पूर्ण क लिए जागरूकता उत्पन्न करें। आर्थिक विकास के साथ साथ इन सामाजिक बाधाओं में और भी वृद्धि होती जाती है। योजना अधिकारों का इन सामाजिक बाधाओं का दूर करने के लिए भौतिक सम्पन्नता के बन्ने ही आयोजन करने चाहिए। योजनाओं में सामाजिक उद्देश्यों को आर्थिक उद्देश्यों के समान ही महत्त्व दिया जाना चाहिए। आर्थिक सम्पन्नता सामाजिक सम्पन्नता का केवल एक साधन अथवा अंग है। केवल इस एक अंग का दुष्ट करने से सामाजिक सम्पन्नता सम्भव नहीं हो सकती है। योजनाओं में केवल भौतिक विनियोजन एवं उससे प्राप्त भौतिक उत्पादन को ही दृष्टिगत नहीं करना चाहिए अथवा मानव में किये जाने वाले विनियोजन को भी विशेष महत्त्व दिया जाना चाहिए। भौतिक विनियोजन की अथवास्त्री उत्पादक मानते हैं क्योंकि हमारे पास ही उपलब्ध हो जाने परन्तु मानव में होने वाले विनियोजन का फल दायाँ बाँच में प्राप्त होता है और इसलिए इसे कुछ अथवास्त्री अनुपादक मानते हैं।

प्रत्येक योजना का सफलतापूर्वक निर्माण अत्यन्त आवश्यक होता है। योजना के कार्यक्रम निधारित करते समय वित्तीय एवं आर्थिक साधनों को दृष्टिगत कर योजना के सन्ध्य निधारित किए जाते हैं परन्तु प्रायः राष्ट्रों का सामाजिक पूँजी को दृष्टिगत नहीं किया जाता है। वास्तव में, आर्थिक पूँजी निर्माण के समान ही सामाजिक पूँजी निर्माण की भी आवश्यकता योजना की सफलता के लिए होती है। जनसमुदाय के सामाजिक सदस्यों को दृष्टिगत किये बिना जिन योजनाओं का

निर्माण एवं मर्यादन किया जाता है वे कभी पूरा सम्पन्न नहीं हो सकते हैं। उनमें राष्ट्र की भौतिक सम्पत्तियां म वृद्धि हो सकती है परन्तु इस वृद्धि व लिए भी अधिक उपन्यय एवं त्याग करना होता है। इनक द्वारा जनसाधारण व खरिद सम्बन्धी गुणों में कोई सुधार सम्भव नहीं हो सकता है।

द्विती भी राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता व लिए, उसके विधान की आर्थिक विधियों के अनुसार, जन-साधारण में नविक गति एवं आध्यात्मिक गुणों की आवश्यकता होती है। जितन धन जननी तथा समुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान प्राणि पूँजीवादी अथ व्यवस्था व अन्तगत हुई है। पूँजीवाद की साम्यवादिता व्यक्तियों एवं वर्गों व अपन हित व लिए काय करने की आर्थिक स्वतन्त्रता है। इसके अन्तगत प्रारम्भिकता का प्रादुर्भाव उपजन्तियों व समाज द्वारा हुआ। यह उपजन्तों मर्यादता एवं परिवर्तन का भावना स भरपूर है। धन का अपना कार्य कुशल की पूरा स्वतन्त्रता थी। इसके लिए उस गति तथा भाषा सम्बन्धी एव वधानिक कोई बाधाएँ नहीं थीं। जब समुक्त पूँजी वालों कम्पनियों का जन्म हुआ तो ऐसे विनियमों व कानूनों की आवश्यकता हुई जो व्यवसायियों को अपनी पूँजी वत और वा व्यवसायियों का विवास करते वि व्यवसायों उनके साथ बिदेसासपात नहीं करेंगे। यद्यपि इन देशों में भी बहुत-सी सुरक्षात्मक उपजन्तों का प्रादुर्भाव औद्योगिक विवास-काल म हुआ, परन्तु कुछ ही पीढ़ियों के पश्चात् य नैतिक सुरक्षा का जन्म हुआ तथा और विकास की गति र्णित हो गयी। वास्तव में इन देशों की आर्थिक प्रगति का मुख्य कारण वहा का सामान्य नैतिक-स्तर है।

आर्थिक विवास के लक्ष्य

अल्प विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विवास में निम्नलिखित सामान्य मरण उपस्थित रहते हैं—

(१) नकन की अथ-व्यवस्था (Imitation Economy)—अल्प विकसित राष्ट्रों का आर्थिक विवास पूरन नकन पर आधारित है। इन देशों में जिनमें विदेशी विदेशी विधियों का बहुत कम आविष्कार हुआ है और प्रायः मात्र तकनीकों, जो विकसित राष्ट्रों द्वारा विवास के प्रारम्भिक काल म उपयोग की गयी हैं जो जिनमें कार्य में अनुभव के आधार पर परिवर्तन किये गये हैं, का उपयोग किया जाता है। विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विवास की विधियों का अपना विवेक वहा के सामाजिक संघर्षों के स्तर का अपना साधनता के लिए अन्तः आवश्यक है।

(२) अल्प विकसित राष्ट्रों में निजी व्यवसायियों द्वारा आर्थिक प्रगति के बहुत घोट कार्यक्रमों का मर्यादन किया जाता है जो अधिकतर कार्यक्रम साम्यवादिता द्वारा मर्यादित करने होते हैं। साम्यवादिता क्षेत्र की कार्यकुशलता मर्यादों अधिनायकों की मर्यादों, ईमानदारी एवं कार्यकुशलता राजनीतिक नेताओं की मूल्य वृद्धि तथा जनसमुदाय की सामाजिक जागरूकता एवं सहयोग की भावना पर निर्भर

होती है। सामाजिक जागृकता का अर्थ जिम्मेदारी की भावना तथा सामाजिक जीवन के प्रति रुचि में है। दूसरी ओर निजी साहसियों को भी राजकीय प्रतिबन्धनाएँ एवं नियमों के अधीन स्थानदारी से काय करना चाहिए। सरकारी नियमों एवं प्रतिबन्धनाओं की प्रभावशीलता सरकारी अधिकारियों एवं निजी साहसियों के नतिक स्तर पर निर्भर रहती है।

(३) अल्प विकसित राष्ट्रों में जनसाधारण अपनी अनिवायनामा का पूर्ण भोग नहीं कर पाते हैं। इन राष्ट्रों में विविध वर्गों एवं व्यवस्थाओं के समांगीकरण का अर्थ में अत्यधिक विषमता होती है। आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में विकास का अधिकतर लाभ समाज के उच्च वर्गों को प्राप्त होता है। ता प्राय सामाजिक दोषों में भरपूर रहते हैं और निम्न वर्गों की आर्थिक सम्पत्तियों में बाधाएँ खड़ी करते हैं। इनके अतिरिक्त आर्थिक सम्पत्तियों के फलस्वरूप जनसाधारण का दृष्टिकोण भी निम्न सम्पत्तियों की ओर अधिक आकर्षित होना लगता है। जनसाधारण उच्च वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर की नकल करना चाहता है और बहुसंख्यकों की जीवन की सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मानने लगता है। जनसाधारण अपनी पात्रों के लिए निरन्तर प्रयास करता रहता है और इस बात पर कभी ध्यान नहीं देता कि इनके प्रयासों द्वारा क्या सामाजिक परिणाम होने हैं और उनका प्रयासों में कौन कौन से सामाजिक दोष निहित हैं। ऐसी परिस्थिति में नियोजित अर्थ व्यवस्था के सफलतापूर्वक जनसाधारण के सामाजिक सचय बनाना अत्यन्त आवश्यक होता है।

(४) अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विविधता राजनीतिक विविधता पर आधारित होती है। अधिकतर राष्ट्रों में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का संचालन विदेशी साम्राज्यवाद के मुक्त हस्तों के पक्ष में ही संचालित किया गया है। राष्ट्रीय नेताओं को राजनीतिक सत्ता बँटारें तथा एव बर्निगार्डों के पक्ष में प्राप्त होता है जिसके फलस्वरूप अस्तिगत हित राजनीतिक हितों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक सचयों में सम्भारना में कमी होती है जिससे समाज की सामाजिक सम्पत्तियों में बाधाएँ खड़ी हो जाती हैं।

उपरोक्त लक्षणों से यह स्पष्ट है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में सामाजिक पूँजी का निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना आर्थिक पूँजी का निर्माण। सामाजिक एवं आर्थिक पूँजी का पर्याप्त सचय इन पर नियोजित अर्थ व्यवस्था का पूरा सफलता प्राप्त हो सकती है।

सामाजिक पूँजी

सामाजिक पूँजी की परिभाषा देना अत्यन्त कठिन है। यह बताना कि इसका अन्तर्गत कौन से गुणों का सम्मिलित करना चाहिए यह भी एक कठिन समस्या है। प्रत्येक देश की सामाजिक व्यवस्था एवं वातावरण दूसरे राष्ट्रों की तुलना में भिन्न होता है और इसी प्रकार सामाजिक पूँजी के सामाजिक अर्थों में अल्प हो सकते हैं।

है, फिर भी विषय का स्पष्ट परिचय इन हेतु निम्नलिखित पदों की सामाजिक पूर्णता में प्राप्त सम्मिलित किया जाता है—

(१) आत्मविश्वास आत्मसम्मान तथा नवसर्जों के अनुकूल उन्नति करने की उत्तरदाता ।

(२) इन सामाजिक तन्त्रों एवं उद्देश्यों में विश्वास जा इस प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है ।

(३) शासन-व्यवस्था राजनीतिक नृत्व नियंत्रण अधिकारी, व्यापारी एवं वे सब जिनका नियोजन के सुचालन में सम्बन्ध है उनमें जनता का विश्वास ।

(४) कार्य के प्रति जनसाधारण में ईमानदारी सुचारूँ तथा राष्ट्रीयता की भावना ।

(५) हस्तकीर्तन एवं पारंपरिक कार्य के प्रति जनसाधारण में दायींमता न होना ।

(६) सहकारिता, एतत्ता सामाजिक समानता एवं सह्याय की भावना ।

(७) किसी व्यवसाय की प्रारम्भिकता का वैशुक व्यवसाय पर आभाषित न जाना ।

(८) जिम्मा का निश्चित स्तर जिससे समाज एवं देश के प्रति आत्मनिष्ठा उत्पन्न हो तथा करिब का निमाण हो, जादि ।

अल्प-विकसित राष्ट्रों की नियोजित तथ व्यवस्था की प्रारम्भिक व्यवस्था में उपरोक्त सामाजिक पदकों का लोभ होता है और जब तक सक्रिय प्रयत्न नहीं किए जायें सामाजिक इतिहास्य हमारे आर्थिक कार्यक्रमों पर विरहीत प्रभाव डालती रहती हैं। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक है कि सामाजिक सुचर्यों की इतना के नरक्षण प्रयत्न किए जायें। यह वास्तव में अल्प विकसित राष्ट्रों की इतिहास समस्या है जिसका हल जमी तक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता नहीं निश्चाल पाये हैं। सामाजिक पूर्णता के सुवसाय औद्योगिकीय एवं अल्पवासीय दोनों ही प्रकार के कामजनों की अपनाना का सुचना है। औद्योगिकीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिम्मा में आवश्यक नृक्षण करना मुख्य रूप से सम्बन्ध है। शारीरिक योग्यता एवं सदान्तिक पात्र पर अधिकार और नहीं दिया जाना चाहिए। विद्यापियों में शारीरिक कार्य के प्रति नक्षेत्रीयता नहीं उत्पन्न जानी चाहिए। धन एवं दान-शास्त्र के प्रारम्भिक विद्वान्ता का हर प्रकार के अध्ययन की विषय-सामग्री में स्थान दना चाहिए, जिससे विद्यापियों के शक्त एवं आस्था में वृद्धि हो। विद्यापियों का अध्ययनशास्त्र समाप्त होते ही राज्य का योग्यतानुसार उनके योग्यता का आयोजन करना चाहिए। अध्ययनशास्त्र की गतिविधियों को योग्यता प्रदान करते समय दृष्टिकोण रचना चाहिए। इन तर्कों से विद्यापियों अपने अध्ययनशास्त्र में भी उत्तरदाता से काम करे। व्यावहारिक ज्ञान की विशेष महत्व दिया जाना चाहिए और उच्च सदान्तिक शिक्षा

केवल विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के लिए ही दी जानी चाहिए। शिक्षा का प्रभाव निम्न स्तर से मुफारना आवश्यक जाना है। शिक्षा के गुणो (Standard) पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, न कि स्कूलों की संख्या पर। शिक्षाक्षेत्र के उन सब मुफारों का फल दोष काल में प्राप्त हो सकता है। जब नयी विधियों के अन्तर्गत पढ़ हुए विद्यार्थी देश की वागडोर समालोने तब इस शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस मध्यवर्ती काल में कुछ अपकान्धन कायवाहियाँ सामाजिक मयया की वृद्धि ह्नु की जा सकती हैं। ऐसे प्रयास करने चाहिए कि समाजवादी लोग सामाजिक प्रतिष्ठा न जाना सकें। यदि वे समाज पर कुत्रभाव डालते हो और अपने सामाजिक दायो की अपनी आधिक सम्पनता से छिपाने ह्य तो ऐसे लोगो को सामाजिक दण्ड देने का पद्धतिया का न म दण्ड चाहिए।

समाजवादी प्रकार का मयाज

समाजवादी प्रकार के समाज का विचार सत्रप्रथम स्व० प० जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् में भाषण देने हुए नवम्बर सन् १९५४ में प्रकट किया गया। तत्पश्चात् सन् १९५४ के शीतकालीन अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया कि देश की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों का उद्देश्य राष्ट्र में समाजवादी प्रकार के समाज का निर्माण करना होगा। जनसमुदाय के भौतिक कल्याण द्वारा ही देश को उन्नतशील नहीं बनाया जा सकता है। भौतिक सम्पन्नता तो केवल साधन मात्र है जो प्रगतिशील विद्वत्तापूर्ण एवं वास्तुनिक जीवन के निर्माण में सहायक होती है। आर्थिक विकास द्वारा राष्ट्र की उत्पादनमयता में विस्तार के साथ साथ देश में ऐसे वातावरण का भी निर्माण होना चाहिए जिससे मानवीय शक्तियों एवं इच्छाओं का अनावरण करने तथा प्रयोग करने में अवसर उपलब्ध हों। इस प्रकार समाज के विकास कार्यक्रमों एवं आर्थिक क्रियाओं को प्रारम्भ से ही समाज के अन्तिम उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। अल्प विकसित राष्ट्रों में वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में भौतिक सम्पन्नता प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। अल्प समाज की व्यवस्था में सम्प्रदाय (Institutional) परिवर्तन करना भी वांछनीय होगा है। यह सरचनाय परिवर्तन एक नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं।

भारत में उपयुक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत करने हुए राज्य के उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया गया है। राजकीय नीति निर्धारक तत्वों (Directive Principles of State Policy) द्वारा राज्य के कर्तव्यों का विस्तारण भी किया गया है। इन तत्वों के अनुसार राज्य को ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक 'याम राष्ट्र' समस्त नागरिकों को उपलब्ध हो। इन्हीं आधारतुल्य नीति निर्धारक-तत्वों का अधिक सूर्य करके लोकसभा में दिसम्बर सन् १९५४ में समाजवादी प्रकार के समाज का स्थापना राजकीय नीतियों के अन्तिम उद्देश्य के रूप में स्वीकार का गया।

अखिल भारतीय काँग्रेस के अवासी अधिवेशन में २२ जनवरी, सन् १९५१/५२ के अर्थ ५० आर्थिक दृष्टिकोण पत्र में आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव द्वारा निम्नांकित सिफारिशों की गयीं—

(१) भारत का आर्थिक एवं सामाजिक सभ्य एक समाजवादी प्रकार के समाज का निर्माण होना चाहिए।

(२) जनसाधारण के जीवन-स्तर एवं उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए।

(३) इस वर्षों में पूर्ण राजस्व की व्यवस्था होनी चाहिए।

(४) राष्ट्रीय धन का समान वितरण होना चाहिए।

(५) आर्थिक नियोजन द्वारा जनसाधारण की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए।

समाजवादी प्रकार के समाज का अर्थ स्पष्ट करने हेतु यह बताया गया कि यह एक ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था होगी जिसमें व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ को आर्थिक मूल्य दिया जाएगा। इस व्यवस्था में विकास का प्रकार एक आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाओं को इस प्रकार योजनाबद्ध किया जाएगा कि राष्ट्रीय आय एवं रोजगार की वृद्धि के साथ-साथ धन एवं आय की वितरणों को भी ध्यान देने का आवश्यकता है। उत्पादन, वितरण उपयुक्त विनियोजन तथा अर्थ सम्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं के हेतु नीति निर्धारण सामाजिक हित में सम्बन्धित समस्याओं द्वारा ही किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास का लाभ अधिक से अधिक समान के विद्यमान वर्गों का प्राप्त होना चाहिए तथा धन, आय एवं आर्थिक शक्तियों के वितरण में निरन्तर कमी होनी चाहिए। सामाजिक एवं आर्थिक प्रारम्भ में इस प्रकार परिवर्तन किया जाना चाहिए जिसमें निम्न वर्ग के व्यक्तियों को, जो अभी तक अवसरहीन हैं तथा जिन्हें सशक्त प्रयासों द्वारा आर्थिक सम्पन्नता में सहयोग देने के अवसर प्राप्त नहीं किये गये हैं अपना जीवन सुधारने एवं राष्ट्र की सम्पन्न बनाने के लिए अधिक ध्यान देने के अवसर प्राप्त हो सकें। इस विधि द्वारा निम्न वर्ग के जनसमुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में उन्नति हो सकती है। वे परिस्थितियाँ जिनमें कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जवना अपना जीवन पूरा व्यवसाय से प्रारम्भ करता है उसकी उन्नति एवं सम्पन्नता में बाधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए राज्य द्वारा उपयुक्त साधन एवं परिस्थितियाँ उत्पन्न की जानी चाहिए। इन परिस्थितियों के निवारण आवश्यक क्षेत्र का विस्तार एवं विकास अत्यावश्यक होगा। शासकीय क्षेत्र का केवल उन्हीं अवस्थाओं का विकास नहीं करना चाहिए, जिनके विकास के लिए व्यक्तिगत क्षेत्र उत्पन्न नहीं प्रत्युत "ले समस्त शासकीय एवं व्यक्तिगत विनियोजन का प्रकार निर्धारित करना चाहिए। दूसरी ओर व्यक्तिगत क्षेत्र को समाज द्वारा स्वीकृत नीतियों एवं योजनाओं के प्रारम्भ की सीमाओं में कार्य करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए।

समाजवादा प्रकार व समाज की एक स्थिर एव कठोर व्यवस्था नहीं समझना चाहिए । इस व्यवस्था में राष्ट्र का आर्थिक एव सामाजिक नीतियाँ का समय समय पर ऐतिहासिक परिस्थितियों व अनुसार निश्चित किया जायगा । इसमें प्रयोगात्मक कार्य पाटियाँ का भी उचित स्थान प्राप्त होगा । नासकीय क्षेत्र के विस्तार द्वारा नानि-निर्धारण करने की शक्तियाँ व केंद्रीकरण का प्रासाहन नहीं दिया जायगा । साम्बिक म शासनाय व्यवस्था की स्वतंत्रता के साथ निस्तून नियमों व अनगत कार्य करने व अवसर प्रदान किए जायेंगे । इनका मगठन एव प्रयत्न इस प्रकार का होगा जिसमें प्रयोगात्मक कार्यवाहियाँ का आवश्यकता होगा । ये ही नियम समाज व समस्त क्षेत्रों पर लागू होंगे ।

समाजवादा प्रकार की व्यवस्था द्वारा निम्नलिखित प्रयोगों का पूर्ण को जायगी—

(१) समाजवादा प्रकार व समाज का जाधानपूर्ण उद्देश्य दण में अवसर का समानता तथा सामाजिक, आर्थिक एव राजनीतिक कार्य व आपार पर एक आर्थिक एव सामाजिक व्यवस्था का स्थापना करना है ।

(२) इस समाज का प्रति समुदाय स्थित अथवा सामाजिक एव आर्थिक स्थिति पर आधारित भेद भाव दूर कर लिया जायगा और प्रत्येक कार्य करने योग्य पक्ष का जीविकोपार्जन करने व अवसर प्रदान किए जायेंगे । दूसरे शब्दों में, समाजवादा प्रकार व समाज का उद्देश्य पूरा शक्तिशाली व्यवस्था करना है ।

(३) राज्य समाज के मुख्य उत्पादन व साधना एवं कर्त्तव्य मान व साधना का अपने अधिकार अथवा प्रमाणाती नियंत्रण में इसलिए रखना कि इनका उपयोग अधिकतम राष्ट्रीय हित व लिए किया जा सके ।

(४) समाज अर्थ-व्यवस्था का संवर्धन इस प्रकार करना कि इनका द्वारा मण एवं उत्पादन व साधना का वे दायवर्ण सामाजिक अहित व लिए न न सके ।

(५) दण व समस्त राष्ट्रीय धन व उत्पादन में वृद्धि एवं द्रुत गति व लिए विधिबद्ध प्रयत्न किए जायेंगे ।

(६) राष्ट्रीय धन का समान वितरण करना आवश्यक होगा जिससे धनमान आर्थिक विषमताओं में अधिवर्तन वमा की जा सके ।

(७) वर्तमान सामाजिक ढाँच में आवश्यक परिवर्तन साधित करने एक प्रजा शासनिक विधियों द्वारा किए जायेंगे ।

(८) समाजवादा प्रकार व समाज की स्थापना व लिए आर्थिक एव राजनीतिक शक्ति का विनाशकारण करना आवश्यक होगा जिससे लिए सामान्य पचायना एवं लघु एवं गृह उद्योगों का बढ पमान पर विस्तार किया जायगा ।

अखिल भारतीय परिषद ने समाजवाद एव समाजवादा प्रकार व समाज में कुछ महत्वपूर्ण अंतर बताया है । समाजवादा प्रकार का समाज उस व्यवस्था का वर्तमान है जिसमें उत्पादन व मुख्य साधन समाज व अधिकार एवं नियंत्रण में हों और

उत्पादन में निरन्तर वृद्धि की जाय तथा वहाँ राष्ट्रीय धन का समान वितरण हो। दूसरी बात, समाजवाद में अन्तर्गत की समानता, उत्पादन के लयनग समस्त माध्यमों पर सामाजिक अधिकार एवं निरन्तर व्यक्तिगत साहस की समाप्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति की समाप्ति आदि का समान वितरण आदि निम्न हैं। समाजवादी प्रकार के समाज की व्यवस्था यद्यपि पूँजीवाद एवं समाजवाद का सम्मिश्रण होती है परन्तु इसके लक्ष्य समाजवाद के समान ही होते हैं। समाजवादी प्रकार के समाज का मुख्य लक्ष्य अन्तर्गत, धन एवं आय का समान वितरण होता है परन्तु इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु जो विधियाँ अपनायी जायेंगी वे समाजवाद की विधियों से कुछ भिन्न होंगी। समाजवाद में व्यक्तिगत साहस व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं व्यक्तिगत लाभ का अर्थ समाप्त कर दिया जाता है और सब व्यवस्था पर राज्य का मजबूत अधिकार एवं नियंत्रण होता है। इस प्रकार समाजवाद द्वारा आर्थिक एवं आर्थिक-सामाजिक सुखा का केन्द्रीय कार्य राज्य के हाथों में हो जाता है। समाजवादी प्रकार के समाज में व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों साहस अन्त-व्यवस्था में स्थान प्राप्त करने हैं तथा इस प्रकार एक मिश्रित अन्त-व्यवस्था का निर्माण करने का लक्ष्य होता है जिसमें सामाजिक समानता के माध्यमों एवं क्षेत्रों पर अन्तर्गत एवं निरन्तर सामूहिक क्षेत्र का हीगता तथा अन्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत साहसियों की सामूहिक नियन्त्रण एवं राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार कार्य करने का व्यवस्था दिया जायगा।

समाजवादी समाज के सिद्धान्त

श्री श्रीमन्महात्माजी ने ११ जून १९४९ को समाजवादी प्रकार के समाज पर जावागवाणी से आरम्भ करते हुए इतिहास समाज-व्यवस्था के विभिन्न विचार सिद्धान्त कहे हैं—

(१) पूँजी रोक्कार—समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करने के लिए पूँजी रोक्कार का प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। देश के प्रत्येक कार्य करने वाले व्यक्ति का अपनी जीविकोपार्जन हेतु सामान्य राजस्व मिलना चाहिए। ऐसे समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना की जानी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त परियोजना द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करें।

(२) राष्ट्रीय धन का अधिकतम उत्पादन—देश के आर्थिक जीवन का अर्थ इस प्रकार किया जाय कि स्वयंसेवा-संयुक्तों के समस्त उत्पादन में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप जीवन-स्तर में वृद्धि हो सके। यह विचार करना उचित नहीं है कि मजदूर एवं श्रमिक वर्गों के विकास का पूँजी रोक्कार हेतु आवश्यक है के कारण देश के जीवन स्तर में कमी रहेगी। विविध उपायों की जो औद्योगिक महत्वाय समितियों द्वारा किया जायगा उत्पादन क्षमता बढ़ाने का उपाय ही उत्पादन-सामान्य में अधिक होना आवश्यक नहीं है। समाजवादी प्रकार के समाज में पूर्ण उत्पादन पूँजी रोक्कार द्वारा ही हो सकता है।

(३) अधिकतम राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता—एक राष्ट्र पूर्ण राजगार एवं उपादन में वृद्धि निर्वाह अथवा व्यवस्था द्वारा पत्नी अल्पविकसित राष्ट्रों या शोषण कर प्राप्त कर सकता है परन्तु ऐसे समाज का जो आन्तरिक समाजवाद का स्थापना विरोधा का आधिपत्य शोषण कर करता हो वास्तविक रूप में समाजवादी समाज नहीं बना जा सकता है।

(४) आर्थिक एवं सामाजिक ऋण—भारतीय समाज में सामाजिक विषमताओं का एक प्रकार के अन्वयों का निवारण का साथ साथ अधिक प्राथमिक समानता का भी आवश्यकता है। समाजवादी प्रकार के समाज की मुख्य आधारभूतों का लिए पत्नी एक निधन के अन्तर्गत दूर करना आवश्यक है।

(५) समाजवादी प्रकार के समाज में गतिपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा शोषण-प्रति विधियों का उपयोग किया जाता चाहिए। समाजवादी एक समाजवादी राष्ट्रों में समाजवाद की स्थापना में वर्ग युद्ध (Class Conflict) हिंसा एवं मयाकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। भारत में इस प्रकार का विधो विधि का उपयोग का विचार नहीं है।

(६) प्राथमिक पञ्चायतों एवं प्रौद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना द्वारा आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण समाजवादी समाज का एक मूल सिद्धान्त है। अहिंसा एवं प्रजातान्त्रिक समाज में निश्चित व्यवस्था की स्थापना केन्द्रित एवं मयाकरण उत्पादन द्वारा सम्भव नहीं हो सकती। अधिक केन्द्रीकरण द्वारा आधिपत्य एवं राजनीतिक शक्तियों का कुछ ही शक्तियों का हाथ में केन्द्रित होना अनिवाद्य हो जाता है।

(७) जनसंख्या के अत्यन्त निधन एवं गुरुतम वर्गों की शीघ्रतम आवश्यकताओं का अधिकतम प्राथमिकता प्रदान की जाना चाहिए जो सर्वाधिक दलित व्यक्ति हैं उन्हें सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए और जो समाज में उच्च स्थान रखते हैं उन्हें हमारी समाजवादी प्रकार के समाज का यादनाश्रा में अन्तिम स्थान मिलना चाहिए।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना का वापस आना का उद्देश्य में समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना का और प्रयास करना निश्चित किया गया। समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना द्वारा जीवन स्तर में वृद्धि करना समस्त जनगणना के अन्तर्गत की समान उपार्थिक में वृद्धि करना विद्युत् वर्गों में उत्साह एवं साहस उत्पन्न करना तथा समाज का समस्त वर्गों में सहकारी भावना जाग्रत करना आदि उद्देश्यों की पूर्ति की जानी थी।

तृतीय योजना में समाजवादी समाज

तृतीय योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य धन और आय का विषमता का कम करना भी है जिसमें समाज का स्वरूप समाजवादी हो सके और समस्त जनगणना

को उन्नत करने का अधिकतम अवसर प्राप्त हो सके। समाजवादी समाज का अर्थ यह है कि ऐसी नीतियों का निर्धारण हो, जिसमें समस्त समाज का हित हो न कि गिने-चुने कुछ ही लोगों का। आर्थिक विपमता के निवारणार्थ योजना न अस्तुगत अनेक प्रकार के आर्थिक उपाय करने का आयोजन किया गया। तृतीय योजना में विनियोजन का प्रचार, राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं मंचालन वित्तीय नीति के परिवर्तन से साधनों की गतिशीलता समाज-नवाजों का विस्तार भूमि व अधिवार एवं प्रबंध में मस्थनीय (Institutional) परिवर्तन महत्वांग मस्यात्रा का विस्तार आदि सम्मिलित किए गए। इन ममम्म प्रयामा द्वारा सर्वोत्तम आय का निर्माण होगा तथा आय की विपमता में भी कमी हो सकेगी।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उपयुक्त समस्त साधकों में मध्यम स्थापित कर एक ओर निम्न श्रेणी के वर्गों को आय एवं अवसर की उपलब्धि में वृद्धि शक्ती चाहिए तथा दूसरी ओर, उच्च श्रेणी के वर्गों का धन और अधिकार कम होना चाहिए।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि तृतीय योजना भारत में समाजवादी समाज की स्थापना की ओर एक दृढ़ कदम था, किन्तु समाजवादी समाज का अर्थ स्पष्ट होना आवश्यक है। डॉ. (Oakmond) ने हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में भी समाजवादी समाज के सिद्धान्तों का स्पष्ट करने की आवश्यकता बतायी गयी थी तथा जनसमुदाय में यह विचारधारा स्वाभाविक ही थी कि तृतीय योजना में समाजवादी समाज का पूर्णरूपेण स्पष्टीकरण कर दिया जायगा। परन्तु यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित तृतीय पञ्चवर्षीय योजना की स्वरूप में देश में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रथम एवं द्वितीय योजना के अंतगत की गयी साधकों में कोई कमी नहीं है। साथ ही तृतीय योजना के प्रस्तावों और कार्यक्रमों में भारतीय समाज की समाजवादी आधारों पर निर्माण करने के उद्देश्य से परिष्कृत करने के सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। तृतीय योजना की विस्तृत रिपोर्ट में योजना के मौलिक कार्यक्रमों का विस्तृत वर्णन किया गया है, परन्तु समाजवादी समाज की स्थापना के लिए की गयी साधकों का विशेष वर्णन नहीं किया गया। वास्तव में, आय की विपमता को दूर करने वाले कार्यक्रमों का ध्येय एवं पृथक् अध्ययन में किया जाना चाहिए था। यद्यपि तृतीय योजना में पूँजीवादी समाज एवं अनेक क्षेत्र पर आधारित व्यवस्था का सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया

- 1 What is clear, however is that the Draft Third Plan does not contain an assessment of what the first two plans have done for taking the country in the direction of a Socialist Society. Nor does it link up integrately the proposals and programmes of the Third Plan with the transformation of Indian Socialist lines.²

—Dr V K R V Rao, 'Ideology of Third Plan'—Yojna 24th,

तथापि बंदल इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा ही समाजवादी समाज की स्थापना सम्भव नहीं हो सकती थी। तृतीय योजना में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को सद्धान्तिक दृष्टिकोण से मायता प्राप्त हुई परन्तु मिश्रित अर्थ-व्यवस्था ऐसे मध्यमोच्च परिवर्तनों जिनके द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों को संतुलित किया जाता है की अनुपस्थिति में समाजवादी समाज का स्थापना में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। मध्यमोच्च परिवर्तनों की अनुपस्थिति के कारण ही हम देखते हैं कि जनसमुदाय संयोजना के कार्यक्रमों में अवांछनायक सहयोग प्राप्त नहीं होता है।

योजना के उद्देश्य से यह स्पष्ट है कि विपन्नताओं को कम करने के उद्देश्य से समाजवादी समाज की स्थापना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मान लिए जाने की आवश्यकता थी। इसका अतिरिक्त योजना के पांच उद्देश्यों में अन्तिम उद्देश्य विपन्नताओं का कमी था। इसका अतिरिक्त योजना में प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए गए कार्यक्रमों को पृथक् पृथक् अध्ययन में स्पष्ट किया गया परन्तु विपन्नताओं में कमी करने के लिए की जाने वाली कार्यावाहियों का चयन पृथक् अध्ययन में नहीं किया गया। समाजवादी समाज की स्थापना के सामाजिक पूँजी (Social Capital) में वृद्धि होना आवश्यक है परन्तु योजना में सामाजिक पूँजी में वृद्धि करने के लिए किसी ठोस प्रयास का उल्लेख नहीं किया गया। आय एवं धन का समान वितरण आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण पर एक श्रेष्ठ व्यवस्था में कृषि क्षेत्र के श्रमिक एवं निम्न वर्गों की रक्षा सुधारने के लिए परिवर्तन आवश्यक हैं जो समानता तथा गरीबों सहित समाज की स्थापना के लिए सामाजिक पूँजी में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होते हैं, परन्तु इन सभी क्षेत्रों में आवश्यक दृष्टिकोण से अत्यन्त कम कार्य हुआ है। यद्यपि गत चौदह वर्षों में राष्ट्रीय आय में ५०% की वृद्धि हुई तथापि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यही अनुमान लगाया जाना है कि अधिकांश जनसमुदाय की आय स्थिर ही है अथवा कम हुई है। प्रथम तथा द्वितीय योजना में राष्ट्रीय आय के नियंत्रण पुनर्वितरण का आयोजन नहीं किया गया तथा यह सूचना भी उपलब्ध नहीं है कि अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का समाज के विभिन्न वर्गों में किस प्रकार वितरण हुआ है। डॉ० नानकतरन इन सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि साधारणतः यह माना जाता है कि मुद्रा स्थिति के दबाव में निरन्तर वृद्धि होने के कारण गत दो (प्रथम एवं द्वितीय) योजनाओं की अवधि में बड़े व्यापारियों उद्योगपतियों एवं विनोदधिकार प्राप्त वर्गों को ही लाभ हुआ है। इस कथन की पुष्टि कुछ सीमा तक एकाधिकार आयोग एवं महसूलाधिकार मण्डल के प्रतिवेदन से भी होती है। इस प्रकार यद्यपि हमारी योजनाओं के सामाजिक कार्यों के कार्यक्रमों के विस्तार द्वारा दलित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है परन्तु धनी-वर्ग की योजनाओं का अधिक लाभ प्राप्त हुआ है जिसके फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक समानता के लक्ष्य के समीप हम अभी तक नहीं पहुँच सके हैं।

चतुर्थ योजना के समाजवादी उद्देश्य

चतुर्थ योजना के गृह्य विकास-कार्यक्रमों के मसौदा में अर्थ व्यवस्था में कुछ सामाजिक दाय नदय हा सत्र है यदि सरकार द्वारा इनका सीमावद्ध करन के लिए विशेष प्रयास नहीं किये जायें। यह दोष आय एवं धन का अर्थिक केंद्रीकरण बढ़ बढ़ नगरों एवं क्षेत्रों को अति विस्तार, विषम क्षेत्रीय विकास आर्थिक वगैरहारी तथा सामाजिक आर्थिक बराबरकारी हा मकने है। इन तथों का सीमावद्ध करन के लिए ही एकाधिकारों पर नियंत्रण करन का अर्थिक नियम बनाया जा रहा है सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंसिंग के अर्थिक का उपयोग आर्थिक के 'दायपूर्ण' आयटन के लिए किया जाता है, सावधानिक वित्तीय समझौतों द्वारा अर्थों सीमितियों को सुधेन तग में अर्थकाया जाता है कि धन एवं आय के केंद्रीकरण का अर्थिक न मिले १४ बकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य भी धन एवं आय के केंद्रीकरण एवं सामाजिक दोषों का सीमावद्ध करना है।

आय की विषमता—धनी राष्ट्रों में आय की विषमता का कम करने के लिए राजकीय न्यायवाहियों (Fiscal Measures) का उपयोग किया जाता है परन्तु एक निधन राष्ट्र में राजकीय न्यायवाहियों द्वारा जो धन सम्पन्न-वर्ग में कराचि के रूप में प्राप्त होता है उसका अर्थ-व्यवस्था से विनियोजन कर दिया जाता है जिससे अर्थिक के उपयोग में वृद्धि करना सम्भव हो सके। इन प्रकार अतिरिक्त वित्तियोजन का भी अधिक धन धनी वर्ग को ही प्राप्त होता है और निधन वर्ग की स्थिति में अन्य जाल में सुधार सम्भव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में अर्थ-व्यवस्था की द्रुत गति से विकास कर व्यवसायों के विभिन्न क्षेत्रों में एक एककी विनियोजन (Ownership) में अधिक वितरण (Diffusion) कर, निवत इकाइयों की उत्पादन-प्रमत्ता बढ़ा कर तथा उत्पादक आय एवं राजस्व के अवसरों का वितरण कर ही सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इन विभिन्न न्यायवाहियों पर धारना के विभिन्न पद्धतियों के सम्बन्ध में विचार करना होता है तथा विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों का सामाजिक उद्देश्यों के साथ प्रभावशाली सम्बन्ध स्थापित करना होता है।

कमजोर वर्गों की मुदियाएँ

कमजोर उत्पादक—इन वर्ग में विभिन्न प्रकार के उत्पादक सम्मिलित हैं जिनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं में अत्यधिक विभिन्नता है। इनमें से प्रत्येक वर्ग की समस्याओं का अध्ययन कर ही यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि यह वर्ग सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने तथा अपने लाभ प्राप्त करने में क्यों असमर्थ रहता है। इन कारणों का अध्ययन कर इनके सम्बन्ध में सुधारमक न्यायवाहियाँ करने की आवश्यकता होगी। इन उत्पादकों का एक ओर अपने परों पर खट लेने के योग्य तथा फिर विकास करन योग्य बनाने के लिए न्यायवाहियाँ की जानी हैं। इन वर्गों की सहायकार्य आर्थिक एवं वित्तीय सहायता की परिव्यवस्थाओं सहकारी अर्थका

अप्य मगठना के अनर्गत उत्पादन साध एवं विपणन की व्यवस्था करने का विनोद आयाजन किये जाने हैं । प्रत्येक परम्परागत ग्रामीण उद्योग के सम्बन्ध में विकास-कायक्रमा का एक प्राप्प निर्धारित किया जाना है ।

अनुसूचित-वर्ग एवं जातियाँ—यह वर्ग विन्ही विस्तृत क्षेत्रा म रहते हैं और इनकी आर्थिक प्रगति क लिए इनके क्षत्रा का आर्थिक विस्तार करने तथा उन्हें देश के अन्य भागा के साथ समन्वित करना आवश्यक है । इन क्षेत्रा के विकास-कायक्रमा का निर्माण इनम उपलब्ध सम्भावित आर्थिक साधना के आन्तर पर किया जाना है । अनुसूचित जातिया का सामाजिक समन्वय ग्रामीण समाज म किया जाना आवश्यक है । इस वर्ग म सम्बन्धित क्षत्रा म आधारभूत उपरिचय सुविधाओं (Infra Structure) का विकास द्रुत गति से किया जाना है ।

भूमिहीन श्रम—भूमिहीन श्रम का बहुत बड़ा वर्ग अपनी जीविकोपार्जन हेतु मजदूरी पर निर्भर रहता है यद्यपि उसके पास उत्पादन सम्बन्धी प्रसाधन नहीं होते हैं । इस वर्ग म से कुछ लागू को पशुपालन-व्यवसाया का सुविधाएं प्रदान कर अपना उन्हें भूमि वितरित कर उत्पादन म बढ़ना जा सकता है परन्तु इस वर्ग के अधिकतर भाग का राजगार क अधिक एवं वर्ष भर अवसर प्रदान कर इनका स्थिति म सुधार किया जा सकता है । क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा उद्योग के दिनराज एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं द्वारा इस वर्ग को अधिक राजगार के अवसर उपलब्ध हो सकय । इसी प्रकार उपरिचय सुविधाओं का विस्तार के कार्यक्रम तथा प्राकृतिक साधना के विकास एवं संरक्षण म सम्बन्धित कार्यक्रमो म अधिक श्रम का रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे । क्षत्राय विकास-कायक्रमो का स्थानीय विकास-कायक्रमो से समन्वित कर इस वर्ग का आवश्यक राजगार सुविधाएं प्रदान करना सम्भव हो सकया ।

प्रस्तावित चतुर्थ योजना म समाजवादी समाज की स्थापना के सम्बन्ध म कोई विनिष्ट मायकाहिमी निर्धारित नहा की गया है । योजना का प्रतिवेदन हम सम्बन्ध म नगमग मीन है और हम सम्बन्ध म कोई विवरण नहीं दिया गया है यद्यपि योजना म सम्मिलित कार्यक्रमों का मुकाबल मय व्यवस्था की समाजवादी मायाण की धार ल जाना अवश्य है ।

भारतीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था एवं आर्थिक विषमता
 [Economic Inequalities Under Planned Economy of India]

[ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्र में उपभोग-व्यय ग्रामीण जन-समान की स्थिति—उच्च श्रेणी का वा, निम्न श्रेणी का वा, नागरिक समाज—उच्च-वा, मध्यम-वा, निम्न-वा राष्ट्रीय उत्पादन का नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्र में वितरण, महानोविस-समिति एकाधिकार आयोग, आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के कारण—द्वितीय महासुद्ध में अति घनोपानन, रिटिग संस्थाओं का विकसित तान्त्रिक विकास, प्रबन्ध अभिज्ञता प्रणाली अन्त-कम्पनी विनियोजन, सरकारी नियोजित विकास-कार्यक्रम, आर्थिक केन्द्रीय-करण का प्रभाव आयोग की सिफारिशें—विधि-सम्वन्धी सुन्दर, अन्य सुझाव आलोचना एकाधिकार एवं प्रतिस्पर्धा मंत्र आयाजिक व्यवहार विन सन् १९६७]

राष्ट्रीय नियोजित अर्थ व्यवस्था के ज्ञान में इतना विचार हुआ है कि इनका नून काय में भी कमी भी इतन कम समय में नदी हुआ, पन्तु नियोजित अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक सफलता समस्त अर्थ-व्यवस्था के सांस्कृतिक ढांचों में स्पष्ट नहीं हो सकती है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था का सफलता के विभिन्न वर्गों के जीवन में क्या सुधार हुआ यह देखना भी आवश्यक है। नियोजन के ज्ञान के १० वर्षों के पचास वर्ष भी उत्तमाद्ययन में अमूर्तताप ज्ञान, निर्दिष्टता विषमता आदि उपस्थित हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था का वास्तविक सफलता का अध्ययन करने हेतु भारत क उन्-नीक्षण को दो मुख्य वर्गों—ग्रामीण एवं नागरिक जन-समाज में विभक्त किया जा सकता है। नियोजनज्ञान में नागरिक जन-समाज के सुधार के लिए अधिक महत्व दिया गया जबकि नियोजन की व्यापकता ग्रामीण समाज में अविश्व जन्मोप र्थी।

नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग-व्यय

समीक्षित उपग्रह आँकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को जनसंख्या के १६% भाग को प्रति दिन प्रति व्यक्ति ७० पैसे से अधिक उपभोग-व्यय उपलब्ध नहीं हुआ है जबकि नगरों एवं दह गहरों में यह प्रतिगत जनसं ३० तथा १२० है। दह गहरों का जीवन-स्तर अर्थ-क्षेत्रों की तुलना में ऊँचा है। दह नगरों की ३४% जनसंख्या अतिरिक्त उपभोग-व्यय के वा अर्थात् १०३ पैसे प्रति दिन प्रति व्यक्ति में आती है जबकि यह

प्रतिशत अथ नागरिक (Urban) श्रम १३% और ग्रामीण श्रमों में केवल ३% है।

उपमांग व्यय का सम्बन्ध में सर्वप्रथम सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मेलन सर्वे द्वारा अपना १९वें चक्र का सर्वेक्षण (अगस्त सन् १९५६ से अगस्त, सन् १९५७) में किया गया था। मत्पदचान यह अध्ययन चौदहवें (सन् १९५८-५९) पाठ्यवर्ष (सन् १९५९-६०) सालहर्वे (सन् १९६०-६१) तथा अठारहवें (सन् १९६३-६४) चक्र के सर्वेक्षण में दाखला दिया गया है। इन अध्ययनों के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि नियोजित विकास के द्वारा हमारे समाज का आर्थिक बलेबर में क्या परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रीय एक प्रति व्यक्ति आय का अंकड़ा में हम कब तक सम्पूर्ण रूप का जीवन प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि का मान जाना है। यह आंकड़ा यह स्पष्ट करने में असमर्थ है कि राष्ट्रीय एक प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि का वितरण समाज के विभिन्न वर्गों में किस प्रकार हुआ है। बड़ी हुई राष्ट्रीय आय का वितरण का सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण हम राष्ट्रीय सम्मेलन सर्वे द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता-व्यय का अंकड़ा के आधार पर ही यह मान लिया जा सकता है कि समाज के विभिन्न वर्गों का आर्थिक प्रगति का किस सीमा तक लाभ प्राप्त हुआ है।

तालिका न० १२२—प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपभोक्ता-व्यय के आधार पर जनसंख्या का वितरण

प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपभोक्ता व्यय (पैसे) के आधार पर वर्ग	ग्रामीण क्षेत्र (जनसंख्या का प्रतिशत वितरण)			नागरिक क्षेत्र (जनसंख्या का प्रतिशत वितरण)			कुल जनसंख्या (जनसंख्या का प्रतिशत वितरण)		
	१९५६	१९५८	१९६३	१९५६	१९५८	१९६३	१९५६	१९५८	१९६३
५० पैसे तक	५७	५९	६४	१७	१९	२४	१७	१९	२४
५० पैसे से ७० पैसे तक	५५	५५	५०	२६	२२	१६	२१	२१	१८
७० पैसे से ८३ पैसे तक	२२	२२	२३	२४	२४	१०	२६	२५	२३
८३ पैसे से १४३ पैसे तक	११	१५	१५	१५	२०	२१	१६	२०	१५
१४३ पैसे से १८३ पैसे तक	७	११	१४	१६	१९	२१	१५	१९	२१
१८३ पैसे और उन्मते अधिक	१	२	५	५	१८	३३	१०	१९	३९
समस्त वर्ग	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००

७० पैसे से कम उपभोग व्यय करने वाले वर्ग को सबसे निम्न-वर्ग माना जा सकता है। ग्रामीण जनसंख्या में इस निम्न वर्ग का प्रतिशत सन् १९५६ में ५७% था

या जा सन् १९५८-५९ में घटकर ६८% तथा सन् १९६०-६१ म ५९% हो गया। इस वय में प्रायः मूमिहीन व्यक्ति, अल्प-उच्च मूमि वाले कृषक आदिवासी, अनुसूचित जातियों तथा छोटे दम्पकार सम्मिलित हैं। प्राचीन जनसंख्या में सबसे अधिक प्रति दिन प्रति व्यक्ति उपनाम न्यून वाले वय वर्गों में १८३ वर्षों तथा इस अधिक प्रति दिन प्रति व्यक्ति व्यय करने वाले वय वर्गों का प्रतिशत सन् १९५६-५७ में १४% था जो सन् १९६०-६१ म वृद्ध २९% हो गया। इस वर्ग में बड़े बड़े मूमिवासी, साधारण तथा कुशलधार सम्मिलित हैं। विभिन्न वर्गों के प्रतिशतों में जो यह सुधार हुआ है उसका कारण मूल्यों की वृद्धि एवं व्यक्तिगत आय में सुधार-कारि के पारम्परिक हार्दिक वृद्धि की है। सन् १९५६-५७ म सन् १९६०-६१ के वय में दाक मूल्य निर्माण में (सन् १९५०-५१=१००) २९% की वृद्धि हुई है।

नागरिक क्षेत्र में सन् १९५६-५७ में जनसंख्या का सबसे अधिक भाग १० वर्ष से कम उपभोग-व्यय करने वाले वय वर्गों का था (जनसंख्या का ५८%)। सन् १९६०-६१ म नागरिक क्षेत्र में जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत ७० वर्ष से १४३ वर्ष के उपभोग-व्यय वाले वर्ग में (४०%) केन्द्रित था। इस क्षेत्र में सबसे अधिक उपभोग-व्यय करने वाले वय वर्गों (उपान्त १८३ वर्ष तथा उससे अधिक प्रति दिन प्रति व्यक्ति न्यून) का प्रतिशत सन् १९५६-५७ में १०% था जो सन् १९६०-६१ म घटकर ९% हो गया।

बड़े बड़े नगरों (बम्बई, कोलकाता दिल्ली तथा मद्रास) में १९६०-६१ में जनसंख्या का ४०% भाग ७० वर्ष से १८३ वर्ष प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपभोग-व्यय करता था। इन नगरों में सबसे अधिक उपभोग-व्यय करने वाले वय वर्गों (उपान्त १८३ तथा उससे अधिक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग-व्यय) जनसंख्या के ३४% व्यक्ति सम्मिलित थे। बड़े नगरों पिछले ३ वर्षों में मध्यम-वय वर्गों (उपान्त ३० वर्ष से १८३ वर्ष तक करने वाला) का प्रतिशत एक समान (४०%) रहा है। इन नगरों में सन् १९५६-५७ से १९६०-६१ के काल में अधिक उपभोग-व्यय करने वाले वय वर्गों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है मध्यम-वय वर्गों के व्यय करने वालों के वय वर्गों का प्रतिशत स्थिर रहा है तथा निम्न-वय वर्गों (उपान्त ३० वर्ष से कम व्यय करने वाले वर्गों) का प्रतिशत २८% से घटकर १३% हो गया है।

यदि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यय वर्गों के प्रतिशतों की तुलना करें तो यह स्पष्ट होता है कि सन् १९६०-६१ में निम्न वय वर्गों (७० वर्ष से कम) का प्रतिशत ५९% प्राचीन क्षेत्रों में, २७% नागरिक क्षेत्रों में तथा १०% बड़े नगरों में था। उक्त हमें विदित है कि भारत की जनसंख्या का अधिकतर भाग प्राचीन क्षेत्रों में रहता है और बड़े नगरों का ५९% भाग निम्न वर्गों में सम्मिलित था। वर्षों में ही जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग निम्न वर्गों में ही सम्मिलित था। दूसरी ओर मध्यम वय वर्गों (७० वर्ष से १४३ वर्ष) में प्राचीन क्षेत्रों की ३४% नागरिक क्षेत्रों की ८०% तथा बड़े नगरों की ४३% जनसंख्या सम्मिलित थी। नागरिक क्षेत्रों एवं बड़े नगरों की जनसंख्या

का लगभग समान प्रतिशत इन मध्यम वक्त्र म सम्मिलित था। अधिक उपभोग व्यय करने वाले वक्त्र (१८३ पैसे तथा अधिक) का ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का २६%, नागरिक क्षेत्रों की जनसंख्या का १७% तथा बड़े नगरों का जनसंख्या का ३३% भाग सम्मिलित था। इस विवरणण म यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या म निधनता अब भी 'यापक' है और नियोजित विकास का सर्वाधिक लाभ बड़े नगरों की जनसंख्या का उपलब्ध हुआ है।

यदि हम वास्तविक उपभोग औसत व्यय का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों म प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय बड़े नगरों की तुलना म आधे से भी कम है। निम्नलिखित तालिका से इस सम्बन्ध म आवश्यक तथ्य प्राप्त होते हैं।

तालिका सं० १२३—भारत म समस्त वर्गों का प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय

(रुपया म)

वर्ग	ग्रामीण क्षेत्र			नागरिक क्षेत्र			बड़े नगर		
	१९५६	१९५८	१९६३	१९५६	१९५८	१९६२	१९५६	१९५८	१९६३
महिला	५७	५८	६४	५७	५६	६४	५७	५६	६४
पुरुष	१२	१३	१३	१५	१६	१६	१६	१६	१६
कुल उपभोग व्यय	५०	५१	५७	६४	६५	६५	६५	६५	६५
खाद्य पदार्थ (Non food items)	५०	५१	५७	६४	६५	६५	६५	६५	६५
कुल उपभोग व्यय	१७	१८	२०	२३	२२	२७	२५	२६	३२

इस तालिका से प्राप्त होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों म उपभोग व्यय का ७१% भाग सन् १९५६ ५७ में खाद्य पदार्थों पर व्यय किया जाता था। यह प्रतिशत सन् १९६३ ६६ म घटकर ६६ ३% तथा सन् १९६३ ६४ म ७० १% हो गया। समस्त उपभोग व्यय का इतना अधिक भाग खाद्य-पदार्थों पर व्यय होने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण नागरिकों म निधनता 'यापक' है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने उपभोग-व्यय म अनिवायताओं का ही अधिक महत्व देना पड़ता है। नागरिक क्षेत्र एवं बड़े नगरों म उपभोग व्यय का लगभग ६०% एवं ५५% भाग खाद्य पदार्थों पर व्यय किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों म उपभोग-व्यय सन् १९५६ ५७ म १७ १४ रुपये जो बन्दर सन् १९६३ ६४ म २२ ३७ रु० हो गया अर्थात् ३० ५% की वृद्धि हुई। दूसरी ओर नागरिक क्षेत्रों म उपभोग व्यय म इस काल म २८% की ओर बड़े नगरों म ५०% का वृद्धि हुई। यद्यपि ताना क्षेत्रों म उपभोग व्यय की वृद्धि लगभग समान है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों का औसत मासिक उपभोग-व्यय नागरिक क्षेत्रों एवं बड़े नगरों के सन् १९६३ ६४

के उपभाग-व्यय का प्रमाण ६८% तथा ४३% था। इन आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन स्तर तुलना में बहुत कम है।

इस के विभिन्न राज्यों में उपभाग व्यय के आधार पर जनसंख्या का वितरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

तालिका न० १७४—राज्यों की जनसंख्या का प्रति दिन प्रति व्यक्ति उपभाग व्यय के आधार पर वितरण (प्रतिशत)

राज्य का नाम	ग्रामीण क्षेत्र			नगरीय क्षेत्र		
	निघन-व्यय ७० पैसे तक	मध्य-व्यय ७० से १८३ पैसे तक	उच्च-व्यय १८३ पैसे से अधिक	निघन-व्यय ७० पैसे तक	मध्य वर्ग ७० से १८३ पैसे तक	उच्च-वर्ग १८३ पैसे से अधिक
१ आंध्र प्रदेश	६६	३०	०	४४	४८	८
२ असम	२७	११	०	५	७४	२१
३ बिहार	६४	२४	०	४०	५४	१०
४ गुजरात	२६	१७	४	०८	६४	११
५ जम्मू एवं कश्मीर	२६	६०	४	१०	६०	८
६ केरल	६५	१२	०	११	३८	११
७ मध्य प्रदेश	६०	२१	१	४८	४०	१०
८ महाराष्ट्र	५८	२६	१	१८	४०	१०
९ मणिपुर	६०	४	४	३०	६८	१६
१० मसूर	६७	३०	३	४८	४४	८
११ उड़ीसा	६०	१२	०	३०	५५	१३
१२ पंजाब	१७	१६	०	२६	४०	१४
१३ उत्तरप्रदेश	५६	६१	३	२६	५१	१०
१४ उत्तरप्रदेश	६१	३५	०	२१	४०	६
१५ पश्चिमी बंगाल	५१	६६	३	१७	६०	२१
१६ केंद्र प्रशासित क्षेत्र	४६	४०	१	१८	२६	२३

इस तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न राज्यों में उपभाग-व्यय जायिक विभिन्नता है और आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मसूर, उड़ीसा और उत्तरप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की ६०% से अधिक जनसंख्या निघन-व्यय में सम्मिलित है। लगाना इन्हीं राज्यों के नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या का ४०% से अधिक भाग निघन-व्यय में सम्मिलित है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन राज्यों की जनसंख्या का बड़ा भाग धनी से निर्धनता में पीड़ित है। असम, पंजाब एवं जम्मू तथा कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन-व्यय का प्रतिशत ४०% से कम है और मध्यम-वर्ग जनसंख्या का लगाना ६०% भाग है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च-वर्ग जनसंख्या बहुत कम मात्रा में है। दूसरी ओर नगरीय

क्षेत्र में केरल, मध्यप्रदेश, मसूर और उत्तरप्रदेश में जनसंख्या का लगभग आधा भाग निधन है। उपभाग यय व आधार पर नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों में असम की स्थिति अ य राज्या की तुलना में सबसे अच्छी है। नागरिक क्षेत्र में जम्मू एवं कश्मीर गुजरात तथा पश्चिमी बंगाल में यय वग में जनसंख्या का ६०% से अधिक भाग है। नागरिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में असम पश्चिमी बंगाल तथा कश्मीर प्रशासित प्रदेशों में २०% से अधिक जनसंख्या उच्च वय में सम्मिलित है। इस सम्बन्ध विवरण से यह स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों के जीवन स्तर अर्थव्यवस्था वियमता के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्रों के जीवन स्तर में भी अत्यधिक अन्तर है।

उपभाग यय व आधार पर किय सय इस वि.लेपण से यह जाना होता है कि वय में निधनता व्यापक रूप से विद्यमान है विभिन्न क्षेत्रों के जीवन स्तर में विपन्नता तथा ग्रामीण क्षेत्रों का जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार दून मात्र में हुआ। नियोजित अर्थ व्यवस्था व अन्तिम समय समाजवादी समाज की स्थापना का भार कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है और अभी भी समाज में निधन एक घना का अन्तर उतना ही सम्भार है जितना नियोजित अर्थ-व्यवस्था के प्रारम्भ के पूर्व था। नियोजित अर्थ-व्यवस्था की सफलता का अध्ययन करके हनु विभिन्न वर्गों का अध्ययन निम्न प्रकार किया जा सकता है—

(अ) ग्रामीण जन समाज

(१) उच्च क्षेत्रों का वय—समय बड़े बड़े कृषक जिनके अधिकार में अधिक भूमि एवं पूँजी है बड़े बड़े जमींदार एवं जमींदार जिनको राज्य से अधिक मुद्राधन मिलता है और जो अधिक भूमि में अधिकार में रखते हैं तथा साधारण या कृषकों को अधिक धाज पर कण देता है छान छाने उद्यान बनाता एवं यात्रा करना है सम्मिलित हैं। ग्रामीण समाज का अध्ययन करने हेतु भी जयप्रकाशनागण की अध्यक्षता में नियुक्त हुए अध्ययन ग्रुप की रिपोर्ट अनुसार इस वय के ग्रामीण परिवारों के लगभग २०% परिवार आन है और इनकी आय १००० रु० प्रति वय में अधिक है। योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामीण विकास-कार्यक्रमों में सामुदायिक विकास, सहकारिता पंचायत आदि का अधिकतर नाम इस वय को ही प्राप्त हुआ है। इस वय में कुछ निम्नलिखित व्यक्ति हैं जो ग्रामीण समाज पर प्रभुत्व रखने में सफल रहने हैं। दूर राज्य द्वारा दी गयी सुविधाओं का जान है और यह उनका पूरा पूरा नाम उठाने का प्रयत्न भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय-नाथों के ठके आदि भी इसी वय के लोगों का प्राप्त हाते है और यह उनका नाम उठा लेते हैं। इस वय की सम्पन्नता में अवश्य ही सुधार हुआ है। बड़े बड़े कृषक व्यापारियों एवं कृषि उत्पादन के मूल्यों की वृद्धि के कारण अधिक लाभोपार्जन करने में सफल रहें हैं परन्तु अपना व कारख अतिरिक्त आय का उपयोग जीवन-स्तर में वृद्धि करने अथवा

धन का उत्पादन उपयुक्त ऋण हनु नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चनाये गये विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों में लग हुए सरकारी अधिकारियों के साथ भी इन्हीं का सम्पर्क घटित है।

(२) निम्न श्रेणी का वर्ग—इस वर्ग में कृषि मजदूर, कम भूमि वाले कृषक तथा छाट-छोट दस्तकार सम्मिलित हैं। इस वर्ग में ग्रामीण परिवारों के लगभग ८०% परिवार सम्मिलित हैं और इनकी वार्षिक आय १००० रु० से कम है। ग्रामीण परिवार का लगभग ५०% परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय ५०० रु० से भी कम है। २५० रु० से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की संख्या भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इस वर्ग का नियोजन अत्यन्त आवश्यकता द्वारा प्राप्त लाभों का नाम उचित रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। यह वर्ग अर्थ में विकास-कार्यक्रमों से अनभिज्ञ है। इसकी आय एवं जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इन्हें बच भर के लिए राजगार उपलब्ध नहीं होता है और राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हान पर भी इनकी आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। जनान एवं स्त्रियाँ दोनों के कारण यह वर्ग न तो राज्य द्वारा उपलब्ध करायी गयी शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं का लाभ ही उठाता है जो न इसमें नियोजन के प्रति जागरूकता ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शैले गये स्त्रियों की संख्या तो बहुत अधिक है परन्तु इन स्त्रियों की सेवा अत्यन्त उनीच है। बच्चों से स्त्रियों में दीर्घकाल तक शिक्षा ही उपलब्ध नहीं हुई है। इनके पास ग्रामीण समाज में शिक्षा के प्रति रचित उत्साह करने के साधन नहीं हैं। निम्न वर्ग के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं क्योंकि इनकी अपनी अनिश्चयताओं को पूरा करने हेतु सपरिवार कार्य करना आवश्यक होता है। ग्रामीण समाज ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजना-कार्यक्रमों को एक राजकीय कार्यवाही मानता है जिसे संचालित करने का कर्तव्य सरकारी अधिकारियों का है। सरकारी संस्थाएँ उपलब्धतापूर्वक नहीं चलाई जाती हैं। इनके लिए ईमानदारी एवं तत्पर अधिकारियों की आवश्यकता होती है, जिनकी समाज में अल्पता है। सरकारी काम का लाभ भी उच्च श्रेणी के वर्ग का ही मिलता है।

(ब) नागरिक समाज

(१) उच्च वर्ग—इस वर्ग में बड़े बड़े उद्योगपति व्यवसायी, व्यापारी एवं ठेकेदार सम्मिलित किये जा सकते हैं। इस वर्ग को योजनाकाल में सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ बताया जाता है। योजनाकाल के बड़े पमानों के विनियोजन के कारण नागरिक क्षेत्र में प्रायः सभी वर्गों की आय में कुछ न कुछ वृद्धि हुई है। आय की वृद्धि के कारण उपभोक्ता-वस्तुओं की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है जबकि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में नवीन विनियोजन में उत्पादन एवं पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन को विशेष महत्व प्रदान किया गया। इसके साथ ही उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं अथवा आयात कर का इतना अधिक बटा दिया गया है कि

आयात की हुई वस्तुएं देश के बाजारों में विक्रय नहीं करें। इस प्रकार देश के उपभोक्ता-उद्योगों को एक बार संरक्षण दिया गया है और दूसरी ओर, विदेशी विनिर्मायक का बचत कर उत्पादक एवं पूजायत वस्तुओं का अधिक आयात करना सम्भव हो सका है परन्तु इस स्थिति का देश के उद्योगपतियों को अनुचित लाभ उठाना है। उन्हें प्रतिस्पर्धा का भय नहीं रह गया है और अधिक मँग की उपस्थिति में वे अधिक मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचकर लाभ उपार्जित करते हैं। इसमें अनिश्चित उद्योगपतियों में अपना उत्पादन लागत को कम करने के प्रति कोई प्रोत्साहन भी नहीं है क्योंकि वे तो उच्च प्रतिस्पर्धा का भय ही नहीं करते वस्तुओं के बांधकान तक न मिलने का डर है। राज्य ने इस कानून में नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के सम्बन्ध में हर प्रकार से प्रोत्साहित किया है और दस में दस से अधिक मध्यम एवं कुछ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गयी है। इन उद्योगों को मँगों का पूरक बनाने के लिये एक मास का अत्यधिक आरक्षण भी और बड़े पैमाने के विनियोजन को आगे बढ़ाने के लिए विनियोजित वस्तुओं का अत्यधिक मँग थी। विनियोजित वस्तुओं के निर्माताओं को, जिनमें बड़े बड़े पूजायत सम्मिलित हैं इस परिस्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाना है। जिनमें से इन पूजायत वस्तुओं के आयात करने में राज्य ने कठोर नियंत्रणों का उपयोग किया है जिनके फलस्वरूप नवीन औद्योगिक इकाइयों का देश में बनी हुई पूजायत वस्तुओं का अधिकतर उपयाग करना पड़ा है। इस प्रकार पूजायत वस्तुओं के निर्माताओं ने इन एकाधिकार के फलस्वरूप का लाभ उठाया और उनके लाभ का दर सामान्य से अधिक रहो है। पिछले १५ वर्षों में निर्माण कार्य की दरना अधिक हुआ है जिनमें सम्भवतः पिछले ५० वर्षों में भी नहीं हुआ होगा। इसमें से ७०% से ८०% निर्माण सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी क्षेत्र में किया गया है। सरकारी क्षेत्र एवं अर्द्ध सरकारी क्षेत्र के निर्माण कार्य एक द्वारा पराप्त जाते हैं। नियोजित अथ व्यवस्था के १५ वर्षों में ठेकेदारों का भी सहायक अधिक वृद्धि हो गयी है। ठेकेदारों को राजस्वों में अत्यधिक लाभ प्राप्त किया है। इस लाभ का कुछ भाग दोषपूर्ण निर्माण कार्य तथा निर्मित मूल्य वाले सामान का दुरुपयोग पर प्राप्त किया गया है। सरकारी अधिकारियों एवं प्रशासन में कर्मियों के प्रति सत्कारिता की कमी के कारण ठेकेदारों को अधिक लाभोपार्जन में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त इस कर्म के लोगों को अन्य प्रकार से अवैधानिक लाभ उपार्जन करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। ठेकेदारों का सरकारी क्षेत्रों की परिधानाओं, पायागों का मूल्य नियंत्रण लाइसेंस नियमन वस्तुओं के विनिर्माण परिमित नियमन आदि का दुरुपयोग तथा लाइसेंस प्राप्त आयातकर्ताओं द्वारा आयात के प्रतिस्पर्धा का दुरुपयोग कर अवैधानिक लाभोपार्जन के अवसर प्राप्त हुए हैं। श्री २००० आर० गिनाय के अनुसार इस प्रकार के अवैधानिक लाभ की मात्रा ५०० करोड़ ₹० से ७५० करोड़ ₹० प्रति वर्ष रहो है जो उच्च-वर्ग के लोगों का ही प्राप्त हुई है।

(२) मध्यम-वर्ग

(क) उच्च मध्यम वर्ग (Upper Middle Class)—इस वर्ग में मध्य श्रेणी के उद्योगपति एवं व्यापारी सरकारी एवं निजी क्षेत्र के उच्च पदाधिकारी आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। पिछले १/२ वर्षों में इस वर्ग का प्रतिक कठिनाई का साक्ष्य नहीं करना पड़ा है। इनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ इनका जातिवादी दृष्टि आदि की मुक्तिपूर्ण नियोजनों द्वारा भी जाती है उनके कारण इनकी सामाजिक आय एतनी कम नहीं रही है कि यह जीवन-स्तर का निर्वाह न कर सकें परन्तु इनमें कुछ न मात्रा के विकास-आयप्रयोग में अवधानित आयोगात्मक करने का प्रयत्न भी किए हैं जिसके कारण इनकी सम्पत्तिका अर्थ वर्गों की तुलना में अधिक रही है। सामान्यतः इस वर्ग की स्थिति सन्तुष्टिपूर्ण रही है।

(ख) निम्न मध्यम वर्ग (Lower Middle Class)—इस वर्ग में 'उप-उप' उद्योगपति व्यवसायी, व्यापारी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र के कम आय वाले कर्मचारी सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस वर्ग में अधिकतर लोग सरकारी, अर्ध-सरकारी सम्पत्तियों तथा निजी क्षेत्र के व्यवसायों का कर्मचारी हैं। इस वर्ग के लोग प्रायः शिक्षित एवं समसाधारण हैं। वे समाचार-पत्र पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं और देश की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श करते हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों में इस वर्ग के लोग ही अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इन लोगों में उत्पत्ति करने की अनिच्छा भी अत्यधिक है, परन्तु यह वर्ग अर्थ वर्गों की तुलना में सबसे अधिक अनुपस्थित है और अपनी कठिनाइयों की राय के सामान प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है। इस वर्ग के सामाजिक जीवन में अभी तक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी नहीं हुए हैं और अधिकतर लोग या तो सामूहिक परिवार (Joint Family) में रहते हैं या फिर सामूहिक परिवार का निर्वाह करते हैं। इनके परिवारों में आयोगात्मक करने वालों की संख्या कम और आधितों की संख्या अधिक है। कुछ कुछ परिवारों में स्त्रियाँ भी नौकरी करि कर आय उत्पादित करती हैं। यह वर्ग सदैव जीवन-स्तर को यथोचित स्तर पर रखने का प्रयत्न करता है जो उच्च मध्यम-वर्ग के कारण इनके मापनों के बाहर रहना है। इस वर्ग के अनिच्छापी होने के कारण इनमें अपने जीवन-स्तर का बनाने की प्रवृत्ति भी उपस्थित है। इस वर्ग में बच्चों का अच्छी शिक्षा देना भी अधिक जोर दिया जाता है जिससे बच्चों का भविष्य सज्जबल हो सके, परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ती एवं शिक्षा की लागत में वृद्धि होने के कारण इनकी कठिनाई और भी गम्भीर हो गयी है। इस वर्ग के जीवन-निवाह की लागत का अनुमान मूल्य निर्धारण के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। इनके जीवन-निवाह की लागत में शिक्षा एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों की लागत भी सम्मिलित रहती है।

बढ़ते हुए मूल्यों का सबसे अधिक प्रभाव इस वर्ग पर पड़ा है। देश में निर्मित वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में इन्हें खरीदना असम्भव है क्योंकि इनके पास मापनों

की इतनी बुरी रहती है कि नवीन वस्तु खरीदने के लिए इन्हें दूसरी वस्तु के प्रयोग का विचार छोड़ना पड़ता है। देश के उद्योगों को मरदाने मिलने के कारण इन उद्योगों के उत्पादन का मूल्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है। उद्योगपतिमा को विन्सी प्रतिस्पर्धा का भय न होने के कारण वे अधिक मूल्य पर अपना सामान बेचने का प्रयत्न करते हैं। मूल्यों की वृद्धि का दूसरा कारण औद्योगिक श्रमिका को अधिक लाभ उपलब्ध कराना भी है। औद्योगिक श्रमिक संगठित हैं और राज्या एव केंद्र दोनों में शक्तिशाली नेता मजदूरों के पक्ष में लड़ते हुए हैं जिसके कारण श्रमिका की मांगों की पूर्ति करना उद्योगपतियों को आवश्यक हो गया है। उद्योगपति श्रमिका को दिये जाने वाले भाग को अपनी वस्तुओं के मूल्य में जोड़ देता है और इन प्रकार श्रमिका के लाभ का बहुत बड़ा भाग मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को बहुत करना पड़ता है। सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों में भी श्रमिकों का दिये गये भाग की लागत अन्तिम रूप में उपभोक्ता को ही देनी पड़ती है। इस प्रकार उपभोक्ता का उद्योग एव व्यवसायों के समस्त व्यय सरकारों के कर आदि का भार बहुत करना पड़ता है परन्तु निम्न मध्यम वर्ग का यह भार असहनीय हो जाता है क्योंकि इसकी आय स्थिर रहती है और इस अपने अधिकारों का निर्वाह करना आवश्यक होता है। जब इस वर्ग के लोग अपनी तुलना औद्योगिक श्रमिका (परिवारों जिनमें आय-प्राप्ति करने वाले अधिक और अधिकतर कम हैं) से करते हैं तो तब असंतोष की भावना जाग्रत होना स्वाभाविक है और इन्हें ऐसा लगता है कि योग्यता का लाभ इन्हें तनिक भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

इस वर्ग में शरीरकारी का भार भी अत्यधिक है। यह वर्ग रोजगार प्राप्त करने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान का जान के लिए तत्पर रहता है परन्तु वे काम एक भाषा भाषी भाषाओं जानि भेद साम्प्रदायिकता आदि के कारण इन्हें भाषा उपायान के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते हैं। अक्सर उपलब्ध होते हुए भी जब इन्हें नहीं दिये जाते तो इनमें असंतोष की भावनाएँ जाग्रत होती हैं परन्तु इन्हें अपने शरीरों की प्रस्तुत करने के अवसर भी उपलब्ध नहीं हैं।

इस प्रकार इस वर्ग के सदस्यों को नियोजित की कार्यवाहियों में अधिक रुचि नहीं है। इनकी एक ओर नियोजितों के घोषणें बहुत तथा घृणा को महत्त्व देना पड़ता है और दूसरी ओर अन्तर्गत हुए मूल्यों के दबाव में दबे रहना पड़ता है। यदि यह वर्ग सामीप्य क्षेत्रों से नगरीय में आता है तो निवास शुल्कों की समस्या उपस्थित होती है। नगरीय में मकानों के किराये इतने अधिक हो गये हैं कि इनको अपनी आय का लगभग २०% किराये के रूप में देना पड़ता है। यदि इस वर्ग के लोग ग्रामीण रहते हैं तो बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध सम्भव नहीं है। समाज में इनका स्थान ऐसा है कि यह अपने व्ययों को कम करने में अक्षम हैं और जिस क्षेत्र में भी यह प्रवेश करते हैं मूल्यों की निरन्तर वृद्धि उस क्षेत्र के सामने इन्हें प्रेषित कर देती है।

प्रो० सी० एन० वकील ने शब्दों में, "जाति, धर्म भाषा तथा क्षेत्र पर आधारित न होने वाले वास्तविक पिछड़े वर्ग (निम्न मध्यम-वर्ग) पर कोई विचार नहीं किया जाता है। योजना न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिकारियों की परिस्थितियों के इस पहलू पर विचार करना चाहिए। आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे के द्रुत गति से होने वाले परिवर्तनों के मध्य में इन समस्या का निरंतर अध्ययन करना आवश्यक है। दश के विभिन्न भागों के इस वर्ग के समस्याएँ जीवन का गहन अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। देश का भविष्य के आर्थिक राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों के लिए इस वर्ग की समस्याओं का अध्ययन एवं निवारण आवश्यक है। नियोजन का सबसे अधिक सहायक इन की समस्याएँ करने वाले का माननाओं की महत्ता में उचित ध्यान देना एवं उनके प्राप्ति हेतु आवश्यक जतिमान वास्तविक सुविधाओं की उपलब्धि आवश्यक है।"¹

(ग) निम्न वर्ग—इस वर्ग में शहरों के औद्योगिक श्रमिकों छोटे उद्योग पारियों आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाओं में विशेष ध्यान देना चाहिए। ये श्रमिक संवर्ग हैं जो अपनी कठिनाइयों एवं भाषा का सामूहिक रूप से प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। योजनाओं की नीति में इस वर्ग के जीवन में पर्याप्त सुधार हुआ है। श्रमिकों के प्रतिष्ठान, विविध श्रमिकों का भी प्रवर्धन किया गया है। इनके पारिभ्रमिक में भी वृद्धि हुई है यद्यपि यह वृद्धि मूल्य वृद्धि के अनुकूल नहीं है। औद्योगिक श्रमिकों के निवास-गृहों का निर्माण बड़े-बड़े शहरों में राज्य द्वारा किया गया है परन्तु इनकी वर्तमान समस्याएँ अथवा उन्नत शहरी राज्यों के औद्योगिक श्रमिकों की तुलना में अत्यन्त दयनीय हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियोजित धन-व्ययमें इन वर्गों में पर्याप्त वृद्धि होने पर भी समाज के समस्त वर्गों को समान लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तव में, उत्पादन की वृद्धि का जितना महत्त्व दिया गया, उतना ही महत्त्व वितरण का भी

1 But the real backward class—the lower middle class—irrespective of cast religion language of region remains unnoticed for the sake of many objectives of the Plan those in charge must come to grip with this aspect of the situation. The rapidly changing economic and social pattern requires constant examination. An intensive study of the life of the members of this class in different parts of the country is urgently called for. A careful examination of their problems and timely solution is necessary in the interest of the future economic political and social stability of the country. The largest potential supporters of the plan require something more tangible than vague words to spur them into working actively for its success.

—Prof C N Vakil Plan Impact on Large Sections of People is Not Strong *The Economic Times* 15th June 1961

पना चाहिए था। सम्पन्नता के वितरण की विपमता का बड़ा कारण रहे हैं। इन के आर्थिक टीचे में जो समस्याएँ परिवर्तन किये गये थे या तो पर्याप्त नहीं हैं या फिर उनमें प्रभावशालिता की कमी है। सरकारों द्वारा का विस्तार एवं निजी क्षेत्र पर नियंत्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त नहीं रहा है। इसमें अनिश्चित प्रशासन के विभिन्न भागों का कारण भी वितरण की विपमता जन्मा भा बना हुई है। राष्ट्रीय चरित्र की हानि का संशयपरायणता की कमी का अकुशल गणना आदि कारणों ने भी निरालता का ज्ञान में मुक्त होने में रोक रखा है। जनमानस परित्वविषया में यह आवश्यक है तथा है कि भविष्य की योजनाओं के कार्यक्रमों का प्रकार एवं मंचालन विधि इस प्रकार निर्धारित की जाना चाहिए कि उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ वितरण में समानता लानी जा सके और योजना का काम का बड़ा भाग निराल लोगों को प्राप्त हो सके।

महलनामिस समिति

केंद्रीय सरकार ने अनिश्चित आय का वितरण का सम्बन्ध में जांच करने हेतु महलनामिस समिति तथा एकाधिकार आयोग (Monopolies Commission) का स्थापना की थी। महलनामिस समिति ने अपनी रिपोर्ट का पहला भाग अप्रैल मई १९६४ के अंत में सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि प्रथम एवं द्वितीय योजना के दम परों में लगभग १६००० करोड़ रु० का अनिश्चित राष्ट्रीय आय उपार्जित हुई जिसमें से २५५० करोड़ रु० सरकारी व्यय की वृद्धि में तथा २५२० करोड़ रु० अनिश्चित धरोखे बचत में उपयोग हुआ अर्थात् ५००० करोड़ रु० एसा राशि मानी जा सकता है जो भविष्य के आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध हुई। वर्ष १३ ६३० करोड़ रु० निजी उपभाग में वृद्धि के लिए उपलब्ध था। इन दस वर्षों में जनसंख्या में प्रतिशत २% अर्थात् ७०० लाख व्यक्तियों का वृद्धि हुई और अनिश्चित राष्ट्रीय आय में से लगभग ८५६० करोड़ रु० इस अनिश्चित जनसंख्या में उपभाग पर उपयोग किया। इस प्रकार अनिश्चित राष्ट्रीय आय में से ५३७० करोड़ रु० का वितरण का सम्बन्ध में जांच करना लगाना रहा कि राशि किस हद तक मर रही। इसका सम्बन्ध में समिति ने अपनी योजना का स्पष्ट नहीं किया है परन्तु समिति ने कुछ क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि के केंद्रीयकरण की जति किया है। समिति के विचार में नियोजित अर्थ व्यवस्था का मंचालन के फलस्वरूप बड़े व्यापारों का विस्तार में सहायता मिली है। समिति ने विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, जैसे औद्योगिक वित्त नियम तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की श्रृंखला देन की नीति के फलस्वरूप निजी क्षेत्र में बड़े व्यापारों के विकास हानि का धार संकेत किया है। सरकार को मुक्त प्रसार का नानि अपरिच्यय (Overhead Facilities) तथा पर सम्बन्धी उद्योगों को दा तथा रियायतों द्वारा निजी क्षेत्र में बड़े व्यय द्वारा का स्थापना का प्राप्ति मिला है। समिति के अनुसार मई १९५९ में दस

समूहों (Group) को २०६ सीमित दायित्व वाली कम्पनियों में किन्हीं न किन्हीं प्रकार का हित था। इन कम्पनियों की संख्या २०१० का २० थी। सन् १९५८ में इन दस समूहों के हित ६०६ कम्पनियों में हासिल जिनकी संख्या २६३ का २० थी। समिति ने बताया कि विभिन्न कम्पनियों पर नियन्त्रण करने के लिए एक कम्पनी अपने धन का दूसरी कम्पनियों में विनिवेशित करती है। बट-बट बंधों में तथा बड़े औद्योगिक इकायों में मानास्य नवासेकों द्वारा सम्बन्ध स्थापित किया गया है। विदेशी विनिवेशन द्वारा भी बड़े व्यापारिक समूह के हाथों में प्राधिकार का केंद्रियकरण का सहायता मिली है। समिति ने बताया है कि प्रथम दो योजनाकारों में दस में बड़े व्यापार एवं बड़े बंधों की प्रगति में प्रतिष्ठित सम्बन्ध रखा है। २०१३ ब्रिटीश कम्पनियों में से ११ बट बट बंध दको की कुल जना राशि के २०% प्रतिशत भाग पर नियन्त्रण रखते हैं।

समिति ने विचारण की है कि समानेतिर उद्योगों के पारम्परिक सम्बन्धों, मन्वारी क्षेत्र के व्यवसायों एवं निजी क्षेत्र के व्यवसायों के मानास्य नवासेकों द्वारा मनाधार-यत्न उद्योग एवं अन्य उद्योगों के सम्बन्धों का जंघ की शक्ति आदि। समिति ने यह जंघ करने की सिफारिश की है कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों के संचालकों की सरकारी क्षेत्र के व्यवसायों में मन्वारी नवान मन्वारी व्यवसायों का किस सीमा तक उनके विशेष ज्ञान का लाभ प्राप्त हुआ तथा इस प्रकार की व्यवस्था के आधिकारिक सत्ता के केंद्रियकरण का हट्ट है। बड़े व्यापारों के सम्बन्धित उद्योगों के हाथ में रहने के जिस सीमा तक सहायता मिली है। समिति ने बताया कि देश की विभिन्न भाषाओं में जारी किया जान वाले ऐतिहासिक मन्वारी-यत्नों में से ६३% पर जयिष्ठ विभिन्न समूहों में मन्वारी आदि की प्राप्त है।

समिति के विचार में अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का विवरण प्रान्तीय क्षेत्रों की तुलना में भारीव क्षेत्रों में समान रहा है। इति-यत्नों का जेठकर आय कर्म-कागी-का की आय में मानास्य उद्योग उद्योग में वृद्धि हुई है जिनकी देश में प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि हुई है। एतों एवं कारखानों में शक्ति की ज्ञान में बंध शक्ति की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। इति शक्ति मन्वारी की अतिरिक्त राष्ट्रीय आय में कोई बंध नहीं प्राप्त हुआ है। समिति का विचार है कि नगर के रहने वाले औसत व्यक्ति को खाना एवं नपला प्रान्तीय क्षेत्र के औसत व्यक्ति से अधिक नहीं प्राप्त होता है। आय के विवरण में एतों विपत्ता नहीं है जिनकी धन एवं सम्पत्ति के विवरण में है।

मन्वारी-समिति के विचारों से यह तो स्पष्ट है कि निष्पत्ति जयिष्ठ-व्यवस्था द्वारा विपत्ताओं में कोई बंध नहीं हुई है और विभिन्न निजी उद्योगों की संचालन विधि (Implementation) के जयिष्ठ-यत्न मानास्य नवासेकों के केंद्रियकरण को सहायता मिली है और बड़े व्यापारों का विस्तार हुआ है। इति समिति

न यह स्पष्ट नहीं किया कि अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का वितरण विभिन्न वर्गों में किस प्रकार हुआ, परन्तु यह अवश्य स्पष्ट किया है कि वृष्टि अर्थिक समूह को अतिरिक्त राष्ट्रीय आय में से कोई-क्या प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार देश की लगभग १०% से १५% जनगणना को नियोजित अर्थ-यवस्था का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः आय में कम वृद्धि हुई क्योंकि बड़े-बड़े शहरों का विकास एवं विस्तार नगरों में हुआ है। समिति की सिफारिशों एवं सुझावों पर उस समय तक कोई कार्यवाही नहीं की जायगी जब तक एकाधिकार जायाग या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता है।

भारत का योजनाशास्त्र के प्रमुख उद्देश्य हैं—(अ) वृष्टि एवं उद्योगों का विस्तार कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना तथा (आ) श्रम शक्ति का उपयोग रोजगार में वृद्धि अवसरों की सम्पत्ति का आयोजन आय एवं धन की विपन्नताओं को कम करना तथा आर्थिक सत्ताओं का अर्थिक समान वितरण। इस प्रकार प्रथम उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक है और द्वितीय उद्देश्य सामाजिक सुधारों से सम्बन्ध रखता है। भारत में योजनाओं का संचालन इस प्रकार किया गया है कि इन दोनों उद्देश्यों में एक दूसरे से दूरी बढ़ती जा रही है अर्थात् आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों में पर्याप्त सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सका है। आर्थिक विकास-कार्यक्रमों का निर्धारण सामाजिक उद्देश्यों पर पूर्णतः विचार किए बिना ही किया गया है। इसी कारण सरकारों ने निया एवं कार्यक्रमों द्वारा भी आर्थिक सत्ताओं से क्षेत्रीयकरण का सहायता मिली है। इससे अतिरिक्त निर्धारित योजनाएं और उसके संचालन में भी अंतर पाया जाता है क्योंकि आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों का अत्यन्त सखीय मान लिया जाता है। हमारी योजनाओं के उद्देश्य स्वयं-सुलभ (Self-Reliant) अर्थ-यवस्था की स्थापना एवं आधुनिकीकरण के फलस्वरूप औद्योगिकीकरण के कुछ वर्गों को अधिक महत्व प्रदान किया गया है और साधनों के विकास क्षेत्रीय विकास श्रम शक्ति का उपयोग तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक एवं न्यायिक सम्बन्धों के विकास का आवश्यकता से कम महत्व प्रदान किया गया है। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक प्रगति द्वारा आर्थिक विपन्नताओं में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अत्यन्त आर्थिक कार्यक्रमों के सामाजिक सत्ताओं को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना आर्थिक कार्यक्रम को दिया जाता है। इस प्रकार नियोजन के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की विधि से सामाजिक उद्देश्य प्रभावित होते हैं।

भारत की नियोजित अर्थ-यवस्था में विदेशी सहायता ने भी आर्थिक विपन्नताओं को बढ़ावा दिया है। निजा क्षेत्र में जिन विदेशी औद्योगिक संस्थाओं में विदेशी सहायता प्राप्त कर विभिन्न कारणों की स्थापना की जाती है, उनमें बड़े-बड़े व्यापार गृहों का ही लाभ होता है क्योंकि वे ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तृतीय योजना में इसीलिए विदेशी सहायता का सुविधाओं को सघु एवं मध्यम श्रेणी तथा

सरकारी इकाइयों तक पहुँचाने का महत्व दिया गया, परन्तु इन सम्बन्ध में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि विदेशी मन्थान प्रायः जापान तथा ताइवानों का उपयोग करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग बड़े व्यापार ही कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त बड़े उद्योगों की स्थापना करने के लिये प्रायः प्रायः चाली तक रिजर्वों का भारत के लिए अनुत्पन्न है, जिनसे वह प्रतिस्पर्धामुक्त तथा उद्योगों के स्थापना के लिये सम्बन्ध में प्रबल उद्योग स्पष्ट मोति निर्धारित नहीं की गयी है।

एकाधिकार-प्रणाली का प्रतिवेदन

एकाधिकार प्रणाली की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष १९४४ में की गयी थी और इस वर्ष १९६४ तक जन्म तक अपना प्रतिवेदन देने की अनुमति मिली थी। इस प्रणाली की स्थापना आर० सी० दान गुप्ता (निर्वाहक निदेशक) की अध्यक्षता में की गयी थी। एकाधिकार प्रणाली का निम्नलिखित बातों की जांच कर अपनी सिफारिशें देना थी—

(१) निजी व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक शक्तों के केंद्रिकरण के प्रभाव एवं इसके प्रभाव की जांच करना। इसके साथ ही आर्थिक नियामन के मुख्य-सूचक संकेतों (इन्डिकेटर को छोड़कर) में प्रचलित एकाधिकारिक (Monopolistic) तथा प्रतिबंधाधीन (Restrictive) प्रणालियों की जांच निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में करना—

(अ) व उच्च, जिनके द्वारा इन एकाधिकारिक एवं प्रतिबंधाधीन प्रणालियों का जन्म हुआ एवं उनकी वृद्धि प्राप्त हुई।

(ब) विधि सम्बन्धी (Legislative) तथा अन्य ऐंसे सुझाव देना जिनके द्वारा जन हित को सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रणाली को नये विधान एवं सम्झौता की स्थापना करने के सुझाव इन का अधिकार भी दिया गया जिनके द्वारा एकाधिकार के केंद्रिकरण को नियंत्रित किया जा सके।

(३) प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों पर जिनके क्षेत्र की बाधविधि पर तथा निजी सम्झौतों की नये विधि पर भी अपना प्रतिवेदन दे सकना या यदि यह उपयुक्त सम्बन्धित एकाधिकारिक केंद्रिकरण को प्रभावित करते हों।

एकाधिकार-प्रणाली ने अपना प्रतिवेदन निम्नलिखित अवधि अर्थात् ३१ अक्टूबर १९६४ को केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिया। प्रणाली के एक मुख्य श्री आर० सी० दान ने कुछ बातों पर अपना विद्येय नत प्रतिवेदन में अंकित किया है। प्रणाली के केंद्रिकरण को प्रणाली ने दो भागों में विभक्त किया—

(१) उत्पाद-सम्बन्धी केंद्रिकरण—जब किसी वस्तु प्रत्येक सेवा के उत्पादन अथवा वितरण पर पूँजी के स्वामित्व अथवा अन्य किसी कारण से एक ही सम्झौता अथवा कुछ ही सम्झौतों या (या किसी एक परिवार अथवा कुछ परिवारों द्वारा नियंत्रित हों) नियंत्रण हो तो उसे उत्पादन-सम्बन्धी केंद्रिकरण कहा गया।

(२) स्थिति के केंद्रिकरण (Country-wise Concentration)—जब

बहुन सा मस्याए जा विभिन्न वस्तुआ का उत्पादन अथवा वितरण करती हों किमी एक व्यक्ति या परिवार अथवा वित्तीय एव "यापारिक" हिता से सम्बद्ध सस्थाओं द्वारा नियंत्रित की जाना हा ना उभे अखिल देगीय के द्रीयकरण कहा गया ।

आर्थिक सत्ता के द्रीयकरण के कारण

(१) द्वितीय महायुद्ध ने अति धनीपात्रन—द्वितीय महायुद्ध म कुञ्ज उद्योग पनिया द्वारा बहुत अधिक धनीपात्रन किया गया और अब स्वतन्त्रता के परचात मर कार द्वारा भौद्योगिक विकास के कायनमा का संचालन किया गया तो इन उद्योग पनिया न नये उद्योगा का स्थापना म विस्वार म इन धन का उपयाग किया जिनके द्वारा नयी उद्योगपनिया का अपन धन म वृद्धि करने का मुअवमर प्राप्त हुआ ।

(२) ब्रिटिश सस्थाओं का विषय—स्वतन्त्रता के परचात बहुत सा ब्रिटिश "यापारिक" मस्थाए अपन उद्योगा एव यापारा का विप्रय कर अपन दग का उठ गयी । मागा-मन् यन् म्मा उद्योग मयन कुनरता के शास मन्चालिन किय जान वे । भारतीय उद्योगपनिया का इन प्रकार अपना धन मुयवसिधत तब मुहद "यापारी" के त्रय करन के लिए उपयाग करन का अवमर प्राप्त हुआ । इन यवमाया का साक्ष का नाम इन उद्योगपनिया का प्राप्त शना रहा है जिनमे इनका आर्थिक सत्ताआ का विस्तार हुआ ।

(३) तांत्रिक विकास—स्वतन्त्रता के परचात तांत्रिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया जिसका जगत लाभ उद्योगपनिया को प्राप्त हुआ है । वह बडे कार खाना का स्थापना तथा उनका निर कुनन सर्वत्रालि एव कर्मचारिया का प्राप्ति तांत्रिक विकास का हा परिणाम था ।

(४) प्रबंध अधिबर्ता प्रणाला (Managing Agency System)—इसके द्वारा आर्थिक सत्ताआ के क-द्रायकरण का विाप प्रास्ताहन प्राप्त म्मा था । इसके द्वारा यह सम्भव हो सका कि कुञ्ज ही परिवार बहुत सा समाधानित कम्पनिया पर नियंत्रण रख सकें । यह नियंत्रण आर्थिक लाभ प्राप्त करन हेतु उपयाग किया गया जिनके फलस्वरूप आर्थिक क-द्रायकरण म वृद्धि हुई ।

(५) अन्तर कम्पनी विनियोजन (Inter Corporate Investment)—एक कम्पनी का पू जी अथ कम्पनिया म विनियोजन करन का सुविधा से मन्गयक कम्पनिया (Subsidiary Companies) स्थापित करना सम्भव हो सका जिसके फलस्वरूप एव प्रमुख कम्पनी (Holding Company) पर नियंत्रण रखन जाता परिवार कई कम्पनिया पर नियंत्रण प्राप्त कर सका ।

(६) सरकारी नियोजित विकास-कायनय—नियोजित आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा उद्योगा का स्थापना एव विस्तार के निरा साइमस प्राप्त करन पूजा नियमन प्राप्त करन कायनय पर नियंत्रण तथा विन्गा विनियम पर नियंत्रण आदि से सम्बन्धित की गयी कायवाहिया न आर्थिक सत्ताओं के क-द्रायकरण को प्राग्नाहित

दिया। बड़े बड़े व्यापारिक समूहों का यह सम्मेलन था नवा है कि वह इस सरकारो नियंत्रणों में अधिक में अधिक नाम न्ठाये और कम माघनों वाले छोटे उद्योगपति के लिए नए उद्योगों की स्थापना में यह नियंत्रण बाधक रहे। इनके साथ ही बड़े बड़े व्यापारियों का बका से अधिक साख प्राप्त होने की सुविधा ना मिलती रही। पण्ट सम्बंधों में आर्थिक मत्ताओं के केंद्रीयकरण में सहायक हुआ।

एकाधिकार जायाग में उत्पाद-सम्बंधों के केंद्रीयकरण का अध्ययन करने हेतु लगभग १०० कुन हुए उत्पादों पर वित्तीय विचार किया। इन उत्पादों में बच्चों का दूध, गरम काज विभिन्न प्रकार के दूध घणू बन्नुएँ जीरघियाँ, यानावात की बन्नुएँ भवननिर्माण सामग्री आदि सम्मिलित थे। इन उत्पादों में ६५ उत्पाद ऐसे थे जिसके उत्पादन में बहुत बड़े मात्रा पर कुन है। बड़े उत्पादकों का नियंत्रण था।

अधिकारहीन आर्थिक केंद्रीयकरण का अध्ययन करने हेतु आयोग ने २३ बड़े-बड़े व्यापारिक समूहों में सम्मेलन २०१६ कम्पनियों का वित्तीय अध्ययन किया। इनमें ७५ व्यापारिक समूह ऐसे थे जिनके नियंत्रण में २२२ वाली कम्पनियों की कुल सम्पत्ति ५ करोड़ में कम नहीं थी। इस अध्ययन से जायाग का यह पात हुआ कि टाटा ग्रुप में आज वाली ५३ कम्पनियों की कुल सम्पत्ति ४१७ करोड़ २० की थी। इस टाटा ग्रुप के पश्चात् दूसरा क्रम बिटला ग्रुप का है जिनके नियंत्रण में आज वाली १५१ कम्पनियाँ का कुल सम्पत्ति २६० करोड़ २० थी। इन दो ग्रुपों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों की दत्त पूँजी कुल समामेयन कम्पनियों की दत्त पूँजी (Paid up Capital) (घरकारी कम्पनियाँ एत्र बकिंग कम्पनियाँ छोड़ कर) की ४४% की गया इनकी सम्पत्तियाँ कुल कम्पनियों की सम्पत्तियों की ४७% में कुल कम थीं।

आर्थिक केंद्रीयकरण का प्रभाव

जायोग ने जवन प्रतिवेदन में बताया कि एकाधिकारियों द्वारा बहुत सी ऐसी कार्यवाहियाँ की जाती हैं कि नवीन प्रतिस्पर्धा उत्पन्न ही न हो सके और यह एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा का अनुपस्थिति में सामान्य उद्योगों की बन्नुओं का अर्थिक मूल्य गणना है। बन्नुओं के महत्त्व द्वारा कृत्रिम 'यूनता' उत्पन्न की जाती है। एकाधिकार का लाभ टकान के लिए बहुत सी विधियों का उपयोग किया जाता है जिनमें मूल्य निर्धारण पुन विनय मूल्य निर्धारण वस्तु वितरण एकाधिकारिक अनुबंध आदि सम्मिलित हैं। जायोग द्वारा अंकित किये गये आर्थिक केंद्रीयकरण के प्रभावों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है—

(१) बड़े-बड़े व्यापार गृह सामान्य नृणाव के समय गवनीतिक दनों (विशेषकर सत्तामंडल दल) को चर्चा लेकर जन अधिकारियों में अनंतिकता पत्रावे है और रिस्वतत्वोरी का बर्णना दत्त है।

(२) नवीन पीढ़ी में सामाजिक एवं विद्वत्तामय (Academic) महत्त्वों के प्रति जाग्रुति कम होती जा रही है। वे अधिक धनवान लोगों के विरासतपूण जीवन एवं उपभोग का अनुकरण करने का अधिक महत्त्व दन लगी है।

(३) आयोग के विचार म आधिक मत्ता के केन्द्रायकरण न के आधिक विकास को अत्यधिक योगदान दिया है। हमारे औद्योगिक विकास के मूल म कुठ ही व्यक्तियों का माहम एउ कुशलता का योगदान है। इनके द्वारा पूजी निर्माण को दयाका एव विदेशी से सहयोग प्राप्त हुआ है। इनके अतिरिक्त बड़ी बनी औद्योगिक संस्थाओं द्वारा समाज को कुशल प्रयत्न भी प्रदान किए गये हैं।

(४) आधिक मत्ताका के केन्द्रायकरण द्वारा एकाधिकार के सभी दावा का जन्म विधा है। बड़े बड़े व्यापारिक समूह समाचार-पत्रों पर भी नियन्त्रण रखते हैं और विभाजन के माध्यम से भी वे छोटे साहसियों को परास्त करने म सफल होन हैं। इन प्रकार घन एव आय के विषय अंतरण म वृद्धि होना स्वाभाविक है।

आयोग की सिफारिशें

आधिक मत्ताका से उत्पन्न होन वाले दोषों को दूर करने के लिए आयोग ने दो प्रकार के मुझाव लिये—विधि सम्बन्धी (Legislative Measures) तथा अन्य सुझाव।

विधि सम्बन्धी मुझाव

एकाधिकारिक प्रथाओं पर नियन्त्रण करने हेतु आयोग ने एक स्थायी संस्था की स्थापना की सिफारिश की। आयोग के विचार म हम आधिक मत्ताका के केन्द्रायकरण को सत्रा मन्द करने के लिए कोई बाधवाहा नहीं करना चाहिए प्रयुक्त उस पर उचित नियन्त्रण एव प्रतिबन्धन ही लगाये जान चाहिए जब यह उक्त उपायन एव वितरण म बाधक होता है। यह स्थायी संस्था अंतरर इन बात की जांच करती रहे कि उठे उपाय अपनी संस्थाओं का दुगमयोग न करें। एकाधिकार की स्थापना एव एकाधिकार प्रथाएं एव प्रतिबन्धन पर तब ही निर्मात्रत अधवा प्रतिबन्धन की जाय जब अनजानहिन को हानि पहुचनी हो।

इस स्थायी संस्था को किसी संस्था की निवायत प्राप्त होन पर उसकी जाय सम्यधी जांच (Judicial Enquiry) करान का अधिकार होना चाहिए और जांच के फलस्वरूप आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित पक्ष का प्रबलित प्रयास न उपयोग न करने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। यह संस्था एकाधिकारण एव सम्मिश्रण के बड़े व्यापारों के आवेन्नों को स्वाहृत करन अधवा न करने का बाध भी करे तथा बड़े बड़े व्यापारों के विस्तार करन और आवेन्नों पर अपना नियन्त्रण का अधिकार भी इसे होना चाहिए। यह संस्था उठा उठी सम्मिश्रण से मगठन एव प्रबन्ध सम्बन्धी सूचनाओं को प्राप्त कर उनको एक एकाधिकारिक प्रवृत्तिया से अवगत रहनी चाहिए।

अन्य सुझाव

(१) प्रशासन के अघ्टाचार को दूर करने के लिए राजनीतिक दत्ता का अपन पुनाव बाधकमो के लिए बड़े बड़े व्यापार कुहा से अनुमान नहीं स्वीकार करना चाहिए।

(२) उद्योगों की स्थापना एवं विनाश व नाशग्रस्त क्षेत्रों की विधि का इन प्रकार करने बनाया जाय कि लोगों या देशों के बिना अधिक धन व्यय किए तथा अधिक प्रतीक्षा किए बिना ही आवश्यक नाशग्रस्त प्रांत बन सकें ।

() आयोजन व साइलेंस जारी करने समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसके द्वारा वार्षिकवारी व्यापार-गृह जन-साधारण का शासन न कर सकें ।

(४) निजी हाथों हानि घान जायित केंद्रीकरण का शासन अनु सरकारी क्षेत्र में व्यवस्था का स्थापना का जाना चाहिए और अन्य सुचारु सुचारुता न किया जाना चाहिए ।

(५) लघु उद्योगों व विभाग एवं निष्पन्न का प्राप्ति निया जाना चाहिए तथा म-कारी श्रम म लघु उद्योगों द्वारा वार्षिक सामग्री का प्रभ- निया जाना चाहिए ।

(६) उपरोक्त सूचकांक सुनिश्चित की स्थापना का प्राप्ति निया जाना चाहिए जिससे यह नगदित रूप में उपनामाना व निया का निया कर सकें ।

सरकार क्षेत्र की वार्षिकवारी समस्याओं के सम्बन्ध में प्राप्ति का विचार का कि यह नो स्थायी समस्या व काय क्षेत्र व न्याय में रहन चाहिए और न पर निज क्षेत्र व समान ही नियोजन रहना चाहिए । बड़े-बड़े उद्योगों द्वारा समाचार-पत्रों पर जो नियोजन है उनका सम्बन्ध म आयोजन का विचार का कि यह सुनिश्चित में विचार व्यक्त करने व आयोजनों व अनुष्ठान है ।

श्री आर० सी० दत्त व जॉर्ज द्वारा दिए गए तथ्यों म अनुष्ठान के विचार म अपना मत प्रतिपदन में व्यक्त किया । उनके विचार में प्रत्येक उन्निष्ठा प्रणाली वार्षिक सूचकांकों के वार्षिकवारी व प्रमुख वार्षिक वी और इन प्रणाली का अनुष्ठान व पुन विचार किया जाना आवश्यक था । श्री दत्त के विचार म निर्धारित उप-व्यवस्था के अन्तर्गत जो विचारण लगाने म, व तत्सम रह और उनके द्वारा के वार्षिक-वारी को बौद्ध सहायता नहीं मिली । बड़े बड़े उद्योग गृह केवल अपने अनुष्ठानों द्वारा ही सरकारी नीतियों को प्रभावित नहीं करन अपितु व व्यवस्था का वह क्षेत्र का निर्धारण करने का कारण वषट एक विनयोजन का प्रभावित करने ह जिसके फल-स्वरूप सरकारी नीतियां प्रभावित होती है । श्री दत्त के विचार में आयोजन का यह विचार ठीक नहीं है कि वार्षिक सूचकांकों के वार्षिकवारी से देश के वार्षिकवारी एवं वार्षिक विकास को सहायता मिली । वे इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि वार्षिक वार्षिकवारी द्वारा पूर्ण निर्माण का प्राप्ति प्राप्त हुआ तथा समाज का शासन प्रबन्धक प्राप्ति हुए । उनका कहना था कि इस नियोजन द्वारा स्वतन्त्र (Unattached) व्यक्तियों का शासन प्रबन्धक बनने का अवसर नहीं दिया गया । श्री दत्त के विचार म इस के वार्षिकवारी का तुरन्त रद्द कर एवं प्रतिबन्धित करने के लिए वार्षिकवारी को रद्द कर चाहिए वगैरि इसके द्वारा विषमता बढ़ती ॥ और सीधे वार्षिक न यह श्रेष्ठ विकसित

(Self generating) होन वाला अथ-व्यवस्था का जग नहीं दे सकता है। उनका विचार में एकाधिकारिक परिणामा का ज्ञान-पद्धतान करन हेतु एक स्थायी सस्या की स्थापना की जानी चाहिए परन्तु यह सस्या बबन एक सलाहकार-सस्या हानी चाहिए।

एकाधिकार आयाग क प्रतिबदन क अभ्ययन से यह स्पष्ट है कि दान म आर्थिक सत्ताया क क-द्रायकरण की समस्या सम्भार हय ग्रहण कर सकती है और सरकार का इत और ऐम बबन उठान चाहिए कि आर्थिक प्रगति का गति भा बनी रू और आर्थिक विपमताया म बनी हा सक। उन सम्बन्ध म आयाग का सिफारिषे उपयुक्त प्रतीत होती ह।

आयाचना

आयाग द्वारा सत्ताया क क-द्रायकरण का पुष्टि करन हेतु आ वाक प्रस्तुत किय गए हैं क अधिक ठास प्रमाण गहा हान ह। आयाग द्वारा १५ वस्तुया क सम्बन्ध म यह बताया गया कि इनक क-पादन क ७५% भाग पर तीन बडे उत्पादका का नियन्त्रण है। इसम से अधिकतर वस्तुएँ ऐसा हैं जिनम बसकर क-लगभग सभा राष्ट्राम कुछ सीमा तक क-द्रायकरण विद्यमान है। दूसरा थार कुछ वस्तुएँ ऐसा ह जिनका दान भर म सीधे उत्पादन सामित है जैसे (Refrigerators) रेफ्रीजरेटर। इन वस्तुओं क उत्पादन की बवान साहस्री लना पसन्द नहा करत है। इतक माप हा कुछ वस्तुया जैसे बच्चा का दूध, इसम क-द्रायकरण इसलिए हा गया है कि इतमान उत्पादका की साख इतना अधिक है कि नवीन उत्पादन प्रतिस्पर्धा करन का आबिध लना उचित नहीं समझत हैं। इसक अनिश्चित कुछ आधारभूत वस्तुया जम सामान कापला आदि क-उत्पादन म आयाग का क-द्रायकरण के सम्बन्ध काई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं।

आयाग द्वारा अखिल द्वायम एकाधिकार की आ परिभाषा हा है वह भा उपयुक्त प्रतीत नहीं हाता है कयाकि काई भी बडा-यापारिक सस्या बहून सा बन्धनिदा या विभिन्न प्रकार क-उत्पादन करती है पर नियन्त्रण करन से किसे भा प्रकार क-उत्पादन एकाधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है। उक्त प्रत्यक प्रकार क-उत्पादन म विभिन्न अथ-उत्पादका क-साथ प्रतिस्पर्धा बन-य करनी पडता है। ऐमा परिस्थिति म इसे अखिल द्वायम (Countrywise) एकाधिकार कहना उचित नहा है मद्यपि यह नियन्त्रण आर्थिक सत्ताया क-क-द्रीयकरण म सहायक अवश्य होना है।

आयाग द्वारा औद्योगिक साइन्स निगमन तथा पूजा निगमन नियन्त्रण क-एकाधिकार की बडावा दन म सहायक बनाया है। इस सम्बन्ध म आयाग न बताया हैकि सन् १९५९ से १९६२ क-काल म ६६१० आबन्धन पत्र औद्योगिक लायसंस क-लिप प्राप्त हुए। इनम से ८,१७७ ऐसे आयागपनिया द्वारा से जा बड-आयाग गृहा म सम्बन्ध नहा है और १५१४३३ बडे आयाग गृहा द्वारा प्रस्तुत किय गय। छोटे उद्योग

पनिया द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्रों में से ६१.१% अर्थात् १०३० स्वतंत्र किए गए और बड़े उद्योगपनिया के आवेदन पत्रों में से ०.०२६ अर्थात् ३१.६% स्वतंत्र किए गए। इस प्रकार छोट उद्योगपनिया के स्वतंत्र किए गए उद्योगों की संख्या बड़े उद्योगपनिया के पाँच गुनी है। इस प्रकार यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता है कि "परवारी नियंत्रणों द्वारा छोट उद्योगपनियों का प्रोत्साहन नहीं मिला है और एकाधिकार का प्रभाव प्राप्त हुआ है।"

आयोग द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि "आवेदन सम्बंधी एकाधिकार धारे धार अपन आप ही मर्याप्त हो जायगा क्योंकि नवान उद्योगों के सम्बंध में यह एकाधिकार अल्प मात्रा तक विद्यमान हो सकता है और धीरे धीरे नतीज स्थापना प्रतिस्पर्धा के लिए नया हो जाएगा परन्तु अतिरिक्त उद्योग एकाधिकार को सम्बन्ध अधिक सम्बन्धित समझा गया है।"

एकाधिकार एवं प्रतिस्पर्धा-मंत्र व्यापारिक व्यवहार विन, सन् १९६७ (Monopolies and Restrictive Trade Practices Bill, 1967)

एकाधिकार आयोग की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार एवं प्रतिस्पर्धा-मंत्र व्यापारिक व्यवहार विन, सन् १९६७ में प्रस्तुत किया गया जो एक समुक्त प्रकर समिति के आवेदन-पत्रों को सुधार कर दिया गया। प्रकर समिति की सिफारिशों प्राप्त होने के पश्चात् यह विन लागू हुआ द्वारा दिसम्बर, सन् १९६६ में पास कर दिया गया है। इस विन में एक स्थायी एकाधिकार एवं प्रतिस्पर्धा-मंत्र व्यापारिक व्यवहार आयोग एक मुचासक अधिकारी (Director of Investigation) तथा एक रजिस्ट्रार अग्रीमेंट (Registrar of Agreements) की नियुक्ति का व्यवस्था की गयी है। यह आयोग प्रायः आध-वर्षाव का कार्य करेगा और सरकार के आवेदन परामर्श प्रदान करेगा। इस आयोग का एक परामर्शदाता समिति का स्थापन प्रदान किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं दो से जाड़ तक सदस्य होंगे। अध्यक्ष हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान अध्यक्ष भूतपूर्व "प्रायोगी" होगा। इस विन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

(१) देश के अच्छे माल के सामानों एवं औद्योगिक क्षमता का अधिकतम उपयोग एवं वितरण।

(२) नवीन व्यवसायों की स्थापना का प्रोत्साहन जो अनिहित विरोधी आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण के विरुद्ध "अति-शक्तिशाली बल का कार्य कर सकें।

(३) देश के अच्छे माल के सामानों का अनहित के लिए नियंत्रण एवं नियमन।

(४) विकास के विषेद (Disparity) को कम करना।

विन के अनुसार, एकाधिकारिक व्यापारिक व्यवहार उन्हें बड़ा पाया जाये लागत, मूल्य अथवा मात्रा में अनुचित वृद्धि होती है, प्रतिस्पर्धा एवं पूर्ति में कमी

जाती है अथवा सीमित होती है तथा वस्तुओं के गुणों में गिरावट आती है। बिल में आर्थिक सत्ताओं के केंद्रीयकरण का राक्षन के लिए बड़े बड़े व्यवसायी एवं औद्योगिक इकाइयों के विस्तार को प्रतिबंधित करने की व्यवस्था भी की है। यदि किसी बड़े व्यवसाय के आकार का अनहित विरोधी समझा जाय तो सरकार उससे विभाजन का आदेश दे सकता है। यह आशा की जाती है कि इन बिलों के द्वारा सरकार एक अधिकारी एवं आर्थिक सत्ताओं के केंद्रीयकरण का नियंत्रित एवं प्रतिबंधित करने में सफल होगी।



भांगतीय नियोजित अर्थ व्यवस्था एव विदेशी सहायता
[Foreign Aid Under Planned Economy of India]

[विदेशी पूँजी के स्रोत—निजी विदेशी पूँजी ध्यापारिगि वैंकों द्वारा पूँजी हस्तांतरण नकार द्वारा जिसे ये ऋण एव अनुदान, अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्तियों द्वारा ऋण, भारतीय योजनाओं में विदेशी सहायता विदेशी सहायता की आवश्यकता के कारण विदेशी ऋण एव व्याज का साधन परिचालना ऋण का अधिक अनुपात, राभाण, श्रम आदि का योगन, रुपये का अन्वयन ऋण-योगन में अति-नाई PL ४०० के अन्तर्गत प्राप्त विदेशी सहायता, PL ४०० का जनान की उपलब्धि पर प्रभाव—उत्पादन एव मूल्य, उद्योग-न्तर PL ४०० का माँद्रिग प्रभाव, PL ४०० की सहायता के अन्तर्गत योजना के अवसर—विदेशी सहयोग चतुष योजना में विदेशी सहायता]

अधिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत विनियोजन एव उद्योग धारा ही प्रकार क साधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। अधिक विनियोजन करने के लिए पूँजीगत साधनों एवं अन्वय मान की उपलब्धि की बढ़ाने की आवश्यकता होती है और अधिक विनियोजन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और जनसाधारण की प्रयोजिता बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप अन्वय-वस्तुओं की माग में वृद्धि हो जाती है। विनियोजन एव अन्वय की वस्तुओं की बढ़ती हुई इन माग की पूर्ति प्राप्त आन्तरिक साधनों से की जाती है परन्तु विकास के प्राथमिक काल में निम्न राष्ट्रीय में अधिक साधन आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त करना सम्भव नहीं होता है और इसीलिए विकास का प्रारम्भ करने के लिए विदेशी पूँजी की आवश्यकता होती है।

विदेशी पूँजी द्वारा एक क्षेत्र आन्तरिक वचन एवं साधनों की कमी या पूर्ति की जाती है अर्थात् जब अर्थ व्यवस्था में वचन से अधिक विनियोजन करने का नियोजन किया जाता है तो इस विनियोजन एवं वचन के अन्तर की पूर्ति विदेशी पूँजी द्वारा की जाती है। दूसरे क्षेत्र विदेशी पूँजी द्वारा आयात एवं निर्यात के अन्तर की पूर्ति की जाती है। जब अर्थ-व्यवस्था में विनियोजन आन्तरिक वचन से अधिक होता है तो पूँजीगत प्रसाधनों एवं सेवाओं का बही मात्रा में आयात विदेशों से करने की

आत्मसम्पत्ता होनी है। विकास विनियोजन काल के साथ आयात में निरन्तर वृद्धि होती है परन्तु निर्यात में मात्र यति स प्रवृत्ति होती है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक विकासोन्मुख राष्ट्र को विकास के प्रारम्भिक काल में प्रतिवृत्त व्यापार एवं भुगतान षेप का सामना करना पड़ता है जिसकी पूर्ति विदेशी पूँजी द्वारा ही सम्भव हो सकती है।

विदेशी पूँजी के स्रोत

विदेशी पूँजी की उपर्युक्त निम्नलिखित श्रेणियों में होनी है—

- (१) निजी विदेशी पूँजी
- (२) सरकार द्वारा विदेशों का प्रदान किए गए ऋण एवं अनुदान
- (३) अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऋण एवं अनुदान।

(१) निजी विदेशी पूँजी

निजी विदेशी पूँजी पाठकालिया विनियोजन (Portfolio Investment) प्रथम विनियोजन (Direct Investment) अथवा व्यापारिक शक्तों द्वारा एक देश में दूसरे देश में पूँजी हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होता है। पाठकालिया विनियोजन के अन्तर्गत विनियोजन करने वाली विदेशी संस्था अथवा पूँजीदाता ऋण लेने वाले देश का किसी कम अवधि की कम्पनी के लंबी अवधि की प्रविष्टि का स्वरूप देने हैं। दूसरे शब्दों में प्रथम विनियोजन के अन्तर्गत विदेशी साहाय्यता द्वारा दूसरे देश में स्थापित सहायक कम्पनी के समक्ष देश में विनियोजन किया जाता है। विदेशी निजी पूँजी के प्रथम विनियोजन का राजस्व अधिक महत्व दिया जाता है। विभिन्न देशों में व्यापार सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा एवं युक्त लगन के कारण प्रत्यक्ष विनियोजन की आवश्यकता महसूस की जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बड़ी बड़ी विदेशी कम्पनियों अपनी सहायक कम्पनियों का स्थापना उधार लेने वाले देश में कर देती है। सहायक कम्पनियों में पूँजी के प्रथम हस्तांतरण के अतिरिक्त शक्ति एवं प्रशासनात्मक सहायक कम्पनियों का साथ पर प्रदान करता की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त सहायक कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ का शक्ति कम्पनी के विस्तार पर विनियोजन कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रथम विनियोजन का राष्ट्र में निरन्तर वृद्धि हो सकती है।

पाठकालियों विनियोजन के अन्तर्गत व्यापार की प्रतिस्पर्धी शक्ति पर मापन प्राप्त करना सम्भव होता है और इस प्रकार ऋण लेने वाले देश प्राप्त साधना का अधिक स्वतंत्रता के साथ उपयोग कर सकता है इस प्रकार के विनियोजन पर ऋण लेने वाले देश का अधिक नियंत्रण रहता है और विदेशी विनियोजक द्वारा मापन करने के अन्तर्गत प्राप्त नहीं होते हैं।

दूसरी श्रेणी प्रथम विनियोजन के अन्तर्गत विनियोजन पर विदेशी विनियोजकों का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। इन पर सामान्य सामाजिक के आधार पर किया जाता है जबकि पाठकालिया विनियोजन में निश्चित दर के व्यापार बना रहता है। इस प्रकार प्रथम विनियोजन के अन्तर्गत सामान्य का भार भुगतान षेप पर कम पड़ता

है। प्रथम विदेशी विनियोजन से आन्तरिक विनियोजन को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। विदेशियों के साथ, देश के सहजो सहाय्य कर विनियोजन करने हैं और इस सहाय्य द्वारा स्थानित उद्योगों के सहाय्य उद्योगों की स्थापना देश के सहजियों द्वारा की जाती है।

व्यापारिक बंधों द्वारा पूँजी हस्तान्तरण

निजी पूँजी विदेशों में व्यापारिक बंधों तथा अन्य विदेशी सम्पत्तियों द्वारा भी प्रवाहित होती है। यह पूँजी हस्तान्तरण निम्न प्रकार से होता है—

(१) व्यापारिक बंधों का अन्तर्राष्ट्रीय बंध एक समुदाय राज्य अर्थोत्पत्ति के निर्यात आयात बंध के अर्थों में नाशपूर्ण होता

(२) सरकारी प्रतिवृत्तियाँ क अन्तःराष्ट्रीय विदेशी उद्योगों की निर्यात-आयात व्यापारिक बंधों द्वारा प्रदान किया जाता

(३) विदेशी व्यवसायों में व्यापारिक बंधों द्वारा प्रथम विनियोजन किया जाता।

विदेश बंध एक समुदाय राज्य अर्थोत्पत्ति के निर्यात आयात बंध विदेशों में व्यापारिक बंधों के सहाय्य से प्रदान करते हैं। इस सम्पत्तियों द्वारा या विदेशों की अर्थ प्रदान किए जाते हैं, उनका कुछ प्रतिशत भाग व्यापारिक बंधों द्वारा प्रदान जाता है। निर्यात-आयात विदेशी निर्यात-आयातों द्वारा कम आय वाले देशों को अपनी सम्पत्ति आयात करने पर व्यापारिक बंधों का माध्यम से प्रदान की जाती है। इस प्रकार का निर्यात-आयात विदेश, प्रथम अर्थोत्पत्ति एक इतरों द्वारा विदेशी-उद्योगों को प्रदान की गयी है। निर्यात-आयातों का अर्थोत्पत्ति निर्यात बंधों में यह सम्पत्ति सहाय्य होती है या आयात करने वाले निर्यात-उद्योगों या अपनी विदेश-निर्माणात्मकों के लिए पूँजीगत प्रसादन प्राप्त करना सम्भव होता है परन्तु यह मात्र अर्थोत्पत्ति होती है और इसकी अवधि अधिक से अधिक ५ वर्ष होती है। व्यापारिक बंध विदेशी व्यवसायों में स्वयं अपना राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्तियों के साथ निर्यात प्रथम विनियोजन करते हैं। प्रथम क व्यापारिक बंधों ने सैद्धांतिक अर्थोत्पत्ति विदेश के देशों में अर्थोत्पत्ति, भारत और देशों तथा समुदाय राज्य अर्थोत्पत्ति केसम्पदन उनकी निर्यात-आयात तथा अर्थोत्पत्ति के व्यापारिक बंधों के साथ देशों में इस प्रकार प्रथम विनियोजन किया है।

(२) सरकार द्वारा विदेशों को दिये गये ऋण्य एवं अनुदान

सरकार द्वारा विदेशों को आर्थिक सहाय्यता रूप में अनुदान आर्थिक सहाय्यता एवं आयातों के निर्यात द्वारा प्रदान की जाती है। और एक अनुदान प्रथम विनियोजन आर्थों द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं क्योंकि उनकी अर्थ-व्यवस्थाओं की अर्थ विनियोजन उ अधिक होती है। विनियोजन आर्थों द्वारा अनुदान प्रथम सरकार-व्यवस्था के सुधार एवं स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार करने हेतु प्रथम दिये जाते

आपिक

हे कि



तीर्थ नियोजित अथ व्यवस्था एवं विदेशी सहायता

रामय रहा है जिसके फलस्वरूप विदेशी विनिमय का संकट बना रहा है और आर्थिक गति की दर भी अनुमान से कम रही है। पीछे दी गयी तालिका से पता होता है कि भारत को प्राप्त विभिन्न देशों की सहायता का उपयोग किस सीमा तक किया गया है।

चतुर्थ योजना में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को दृष्टिगत करने हुए अथ व्यवस्था की विदेशी सहायता पर निर्भरता का लक्ष्य रखा गया है। इसी कारण प्रस्तावित विनियोजन का स्वरूप ११.२% भाग विदेशी सहायता में प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है।

द्वितीय योजना में कुछ राष्ट्रों से स्वाकृत सहायता उपयोगित सहायता में कम रही। इसका कारण यह है कि पिछली योजना की स्वीकृति राशि में अगली योजना में उपयोग की गयी। प्रथम योजना में समस्त स्वीकृत राशि का ५०% द्वितीय योजना में ६४% और तृतीय योजना में ६०% उपयोग किया जाना अनुमान है। सहायता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों में सबसे अधिक सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान की गयी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल उपयोगित सहायता का ५८% भाग प्रदान किया है जबकि अन्य किसी एक राष्ट्र द्वारा इस सहायता का १०% से कम भाग ही प्रदान किया गया है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में अग्रतः सन् १९५१ से लेकर मार्च सन् १९६५ तक २१.४६० करोड़ रु० का विनियोजन किया गया है, जिसमें से १७.८% भाग विदेशी सहायता से प्राप्त हुआ है।

विभिन्न राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रचुर मात्रा में सहायता अर्जित होने के कारण हमारी नियोजित अर्थ-व्यवस्था विदेशी सहायता पर निर्भर हानि लगी थी और यह सम्भावना ही गयी थी कि विदेशों से यह सहायता पर निर्भर हानि लगी पंचवर्षीय योजना तक इस प्रकार जारी रहेगी और तब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था ऐसी परिस्थिति में पहुँच जायेगी कि हम अपने विदेशी भुगतान को दायित्व की पूर्ति अपने अतिरिक्त निर्माण द्वारा कर सकेंगे परन्तु पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण करने के बाद भारत की सहायता देने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्रों विदेशी सहायता को पाकिस्तान को बरामदार सम्बन्धी राजनीतिक रियायतें दिखाने का साधन बनाने का प्रयास करने लगे हैं और भारत की विदेशी सहायता का स्तर भी घटने की घमटी दिशा में किया जा रहा है कि भारत या तो अपना बरामदार सम्बन्धित खर्च घटाने या फिर अपने आर्थिक विकास की गति को गिराने में मदद। विदेशी सहायता के माध्यम से प्रसार राजनीतिक बंधन (Political Strings) कम करने के कारण भारत की अर्थ-व्यवस्था को दो बातों में से एक को अपनाया गया, परन्तु कुछ अधिक त्याग कर हम उपयुक्त दोनों बठिनाइयों में बच सकेंगे और विदेशी सहायता की अनुपस्थिति में भी अधिक विकास की गति बनाये रख सकेंगे हैं। पिछले वर्षों में अनुभव के आधार पर हम यह पता कर सकते हैं कि विदेशी सहायता की अधिक आवश्यकता हमें कम पड़ती है। इन सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें सम्मुख आती हैं।

विदेशी महायाना की आवश्यकता के कारण

प्रतिकूल व्यापारिक नैप (Unfavourable Balance of Trade)—भारत में नियोजित अथ व्यवस्था के प्रारम्भ होने के पूर्व से ही व्यापारिक नैप प्रतिकूल रहा है। यह बात निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट है—

तालिका सं० १२८—भारत का आयात एवं निर्यात

(करोड़ ₹० में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापारिक नैप प्रतिकूल
१९५०-५१	६७० ९१	६०१ ७१	६९ २०
१९५१-५२	६९० ७४	४९९ ४०	१९१ ३४
१९६०-६१	११०१ ६०	६४० ०७	४६१ ५३
१९६१-६२	१०९१ ६३	६६० ५८	४३१ ०५
१९६२-६३	११११ ४८	६८४ ३०	४२७ १८
१९६३-६४	१००० ८५	६९३ ०६	३०७ ७९
१९६४-६५	१०६६ ०३	८१६ ३०	१९० ७३
१९६५-६६	१४०८ १०	८०४ ६६	६०३ ४४
१९६६-६७	१०७८ २६	११५६ १६	७७ ८०
१९६७-६८	१९८६ ६८	११९८ ९९	८८७ ६९
१९६८-६९	१७८४ ८४	१३४१ ४८	४४३ ३६

यह स्पष्ट है कि पिछले १८ वर्षों में हमारा आयात तीन गुना हो गया है और निर्यात केवल दुगुना ही गया है। निर्यात में पर्याप्त वृद्धि केवल तब तक १९६९ में अवमुख्यतः के पदचात हुई है। यदि विदेशी विनिर्गत के अर्थ के अष्टिकांग में देखें तो निर्यात में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई क्योंकि १९६०-६६ के निर्यात १३५३ करोड़ ₹० से अवमुख्यतः के पूर्व के ८५६ करोड़ ₹० के निर्यात के बराबर मुद्रा इन्वैल्यूशन हुई होगी।

आयात में अधिक वृद्धि मुख्य रूप से तीन कारणों से हुई है—प्रथम विकास-सम्बन्धी आयात में वृद्धि की गयी क्योंकि योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यक्रमों का विज्ञानी मन्त्र, सामग्री एवं तांत्रिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रथम योजना में २८६ करोड़ ₹० द्वितीय योजना में २४४ करोड़ ₹० तथा सामग्री का आयात विकास-कार्यक्रमों के लिए किया गया। आयात में वृद्धि होने का दूसरा कारण भारतीय बुध्दि-व्यवसाय की अल्पवृत्तता है। भारत में प्रति वर्ष लगभग ६० से ७० लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया जाता है जिसकी लागत लगभग १८० से २०० करोड़ ₹० होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में १३८ करोड़ ₹० द्वितीय योजनाकाल में ७११ करोड़ ₹० और तृतीय योजनाकाल में १०१४ करोड़ ₹० के खाद्यान्नों का आयात किया गया।

आयात में वृद्धि होने का तीसरा प्रमुख कारण चीनी आक्रमण के बाद से सुरक्षा सम्बन्धी सामग्री का अधिक आयात है। पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप, सुरक्षा सम्बन्धी आयात में और भी वृद्धि होने की सम्भावना है।

दूसरी ओर हमारे निर्माण में निर्यातित अध-व्यवस्थाकाल में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। इसका प्रमुख कारण हमारे उत्पादित एवं निर्यातित माल की कीमतें विदेश भर में सबसे अधिक हाता हैं। नियाम सम्बन्धन योजनाओं द्वारा सरकार द्वारा निर्मातका की सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपना माल विदेशी बाजारों में उचित मूल्य पर बेच सकें। इस प्रकार हम १९० का विदेशी विनिमय प्राप्त करने के लिए २ या ३ ६० के धान्तरिक मूल्य का सामान देना पड़ता था।

विदेशी ऋण एवं उस पर उपायित व्याज का शाधन

विदेशी से प्राप्त ऋणों का शाधन प्रत्येक वर्ष विधता में किया जाता है। इन ऋणों का याज का शाधन भी प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यह धाना गोपन विदेशी विनिमय में किए जाने है और इनका भुगतान करने हेतु हम या तो सात्रा देना चाहिए या फिर अथ विदेशी सहायता से भुगतान करना चाहिए। भारत सरकार का प्राप् ५०% से अधिक ऋणों पर ५% या इससे भी अधिक दर से याज देना होता है। विकास ऋणों की यह दर काफी ऊँचा है और इनके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष शाधन की जान वाली व्याज का राशि भी काफी हो जाती है। निम्नलिखित तालिका से ऋण एवं याज का शाधन की राशियाँ जान वाली हैं—

तालिका स० १२८—भारत का उपलब्ध विदेशी सहायता—सकल एवं शुद्ध

(कराण रुपय में)

वर्ष	१९६१	१९६२	१९६३	१९६४	१९६५	१९६६	१९६७
	६२	६५	६४	६५	६६	६७	६८
सकल सहायता जिसका भुगतान प्राप्त हुआ	३३८४	४४४	५८६५	७२३५	७७२१	११२६५	१,१८६५
गोपान सहायता (अ) PL ४८०/६६५ के अन्तर्गत	८७६	१२२८	१८५२	२१८	२३६	३६००	३१०५
(ब) गृह अनुदान एवं विनियम साध सहायता	३३	—	५	३८	७६	६६८	४५८
ऋणों का शाधन	६६०	५००	५६०	७००	५६०	१३८०	२१२३
ऋणों के याज का शाधन	३२८	३८६	४७६	५०६	६६२	१०१५	१२०८

(५) ऋण सेवा-व्यय का योग	१०१८	८८६	१०६६	१००६	१२५०	०३६३	३३३१
(६) मुद्र सहायता	०१६६	३५५४	४८०६	६००६	६४६६	८६००	८५६४
(७) मुद्र सहायता ग्राह-सहायता का छाटकर	१४३६	०३०६	२६३०	०८०८	४००-	४३०४	१००१
(८) ऋण सेवा-व्यय का सकल मह्यता							
(१) म प्रतिगत	३०	००	१६	१३	१६	२१	०८
(२) साध सहायता का मुद्र सहायता							
(६) से प्रतिगत	३६	३५	३६	०७	३८	४८	४०

गट—मद्र १६६५ ६६ की राशियाँ डालर का ०४३६ के दरार कीर मद्र १६६६ ६७ से डॉलर की ०७५० के वगारर मानकर ० में बदनी गयी हैं।

विदेशी सहायता की उपलब्धि की तातिवा से गार हाता है कि ऋणों के गोपन एवं व्याज की राशि उनल सहायता की राशि की लगभग ००% हा जानी है। म्रय के अकमून्यन से ऋण-सेवा-व्यय के प्रतिगत में वृद्धि हा गयी है। इसके अतिरिक्त सेवा-व्यय निवालने के बाद जो सहायता बचती है उसका लगभग ६०% भाग साध-सहायता होती है। इस प्रकार उनल प्राप्त सहायता का लगभग ४०% भाग ही विकास-नामजनों के लिए उपलब्ध हाता है। यात्रना के लिए आकर्षक पूंजीगत एवं उत्पादक वस्तुओं की जितनी आवश्यकता हाती है, उसके मून्य से इस प्रकार दुगनी सहायता मिउने पर ही विकास कार्यक्रमों का संचालन सम्भव हा सकता है।

परियोजना-ऋण का अधिकाधिक अनुपात

भारत का जो विदेशी सहायता प्राप्त हाती ह उनका अधिकाधिक अनुपात या ता किसी विशिष्ट परियोजना के लिए हाता है या फिर किसी विशिष्ट देश में ही उत्पाग दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह हाता है कि उपलब्ध सहायता का उपयोग किसी विशिष्ट परियोजना जो सहायता देने समय निर्धारित कर दी जाती है, पर व्यय किया जा सकता है अथवा सहायता की राशि का उपयोग किसी विशिष्ट देश या देशों से सामग्री अथवा प्रसाधन लेने के लिए उत्पाग किया जा सकता है। जब सहायता किसी परियोजना में सम्बद्ध रहती है तो उसे प्राप्त करने के लिए सहायता देने वाले देश की इच्छानुसार परियोजनाओं का चयन करना पडता है जिससे अर्थ व्यवस्था का समन्वित विकास प्राथमिकताओं के अनुकूल नहीं हो पाता है। किसी देश से सम्बद्ध सहायता होने पर विकास प्रयाशनों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से अनुकूल मून्यों पर म्रय नहीं दिया जा सकता है और सम्बद्ध राष्ट्र का बहु प्रयाधन सहायता देने वाले राष्ट्र

द्वारा निर्धारित साधन पर खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार गतयुक्त सहायता के परिणामस्वरूप रण को विकास प्रमायनों के लिए ३०% या इसमें भी अधिक मूल्य देना पड़ता है। प्रायः यह दमा जाना है कि कोर्कम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बच्चे माल एवं पूजागत प्रसाधन का मूल्य स्थिर है उससे बड़ी अधिक मूल्य वह तब निर्धारित करता है जब वहाँ प्रसाधन आदि सामान पर सहायता के विच्छेद लिए जाते हैं। हमारे रण के लिए उपलब्ध सहायता का ६०% से ७०% भाग गतयुक्त रहा है जिसके कारण हम इस सहायता का पूणतम लाभ उठाने में समर्थ नहीं हो सके हैं। गतयुक्त उपलब्ध परियोजना-सहायता का हम केवल ७०% लाभ ही मिलता है क्योंकि इसका ३०% भाग अधिक मूल्य के लिए उपयोग हो जाना है। अनुभव यानत्रा में इसलिये गर परियोजना सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न प्रयत्न किए जाते हैं।

निर्देशी विनियोजन का सामाग धानन आदि

उपयुक्त भुगतानों के अनिश्चित विन्गी विनियोजन द्वारा भारत में लगायी गयी पूँजी पर लाभान, बालस आदि का गायन भी विन्गी विनियम में किया जाता है। इस प्रकार विकास-कार्यक्रमों हेतु अधिक आयान याद्यात्रा के आयान रणा के समान का आयान क्रमों एवं उसका यात्र का गायन तथा विन्गी विनियोजन के लाभान आदि के गायन के फलस्वरूप भारत की प्रतिकूल विन्गी गीयन गय का सामना करना पड़ता है जिसका पूर्ण अभी तक विन्गी मन्त्रालय द्वारा की जाना रहा है परन्तु वन मान परिस्थितियाँ में विन्गी सहायता की अनिश्चितता के कारण अत्र इस प्रतिकूल धाधन गेय की पूर्ण विन्गी सहायता द्वारा किया जाय सम्भव न हो सकना और ऐसी परिस्थिति में हम आम निम्नर धनन का प्रयत्न करना चाहिए। भारत के निम्नर प्रतिरूल गायन गय के कारण रिजर्व बैंक के सुरगित कोष में निम्नर क्रमों हाना जा रहा है और ६ जुलाई सन् १९६५ का हमारा सुरगित कोष पूणतम वधानिक सामा (२०० करोड़ ६०) के बिल्कुल निम्न (२०६ ५७ करोड़ ८०) तक पहुँच गया था। यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हम २०० करोड़ ८० की सामयिक सहायता न देता तो हमारा स्थिति अत्यन्त गायनीय हो जाती। इन्हीं कारणों से भारतीय रुपय का अर्थ मूल्यन करना पडा।

रुपय का अवमूल्यन

भारतीय रुपय के अवमूल्यन के कारण (जून मन् १९६६) हमारी विन्गी सहायता का आवश्यकता में अत्यधिक वृद्धि हो गया। अवमूल्यन के फलस्वरूप हमारे विन्गी क्रम २७३५ करोड़ ६० में उन्नतर ५१०३ करोड़ ८० हो गया। इस प्रकार हम अपने विन्गी क्रमों के भुगतान के लिए १२६६ करोड़ ६० अधिक भुगतान करने का आवश्यकता हाना। इससे अनिश्चित विन्गी क्रमों के यात्र आदि के भुगतान के लिए १२ गुना अधिक रानि प्रति वय की आवश्यकता हाने लगी। इससे लाभ हा हमारे आयान के मूल्य में भी ५७ ५% का वृद्धि हो गया अर्थात् हम अपने आयान का

तालिका सं० १२६—भारत का विदेशी सहायत्व
(प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में)

(बरोट रुपया)

वर्ष	कृषि की राशि	विदेशी कृषि का राष्ट्रीय आय में प्रतिशत
१९५०-५१	३२	०.३
१९५५-५६	११४	१.१
१९६०-६१	७६१	५.७
१९६५-६६	७५६०	१२.६
१९६६-६७	४,६२३	१६.५
१९६७-६८ (बाहरीय वषे अनुमान)	५,४०१	१६.५
१९६८-६९ (बाहरीय वषे अनुमान)	५,६२७	—
१९६९-७० (समष्ट अनुमान)	६,५७०	—

PL ४८० के अंतर्गत प्राप्त विदेशी सहायता

सन् १९५४ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कृषि साधना को बढ़ावा देने एवं संसार के विभिन्न राष्ट्रों की कृषि उत्पादन की आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए एक अधिनियम जिसका नाम *Agricultural Trade Development and Assistance Act* अथवा *Public Law 480* रखा गया। इस अधिनियम का उद्देश्य एक ओर अमेरिका विमाणाक अनिश्चित उत्पादन की निर्यात की व्यवस्था करना था जिससे इसका महत्त्व करने का साधन का काम किया जा सके और दूसरी ओर अन्य विकसित राष्ट्रों के जनसमुदाय को उचित साधन प्रदान करना था।

कारण में PL ४८० के कार्यक्रम में सबसे तान प्रकार के समझौते परन्तु सन् १९५६ में इसमें एक और प्रकार के समझौते जोड़ दिए गए। यह चार प्रकार के समझौते निम्न प्रकार हैं—

Title No 1 इसका अन्तर्गत विदेशी सरकारों अमेरिका के अनिश्चित कृषि उत्पादन का अपन देश की मुद्रा में क्रय कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार प्राप्त विदेशी मुद्रा का लगभग ८०% भाग क्रय करने वाले देशों को कृषि के रूप में दे दिया जाता है जिसका उपयोग आर्थिक विकास पारस्परिक सुरक्षा तथा अन्य इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। बची हुई २०% विदेशी मुद्रा का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका अपने कृषि उत्पादन के व्यापारिक साधनों के विकास अमेरिका के व्यापारियों को कृषि देने तथा इनके विदेशी सहयोगियों को कृषि देने, *Full bright Fellowship*) जैसे कार्यक्रमों का सहायता देने विदेशी पत्रिकाओं (*Journals*) का अनुवाद करने संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना सेवा (*USIS*) तथा अमेरिका के दूतावासों आदि के व्यय के लिए उपयोग की जाती है।

Title No II—इसके अन्तर्गत आवस्थिक परिस्थितियाँ एवं कठिनाइयों में विन्ना का साक्षात् अनुदान का रूप में दिया जाना है।

Title No III—इसके अन्तर्गत साक्षात् मजदूरों के आर्थिक भुगतान तथा स्कुलों में शैक्षणिक का माता-पिता के लिए प्रदान किया जाता है। इस Title के अन्तर्गत निजी एवं एजेंटिक संस्थाएँ (Private and Voluntary Agencies) विन्नों में साक्षात् वितरित कर सकता है।

Title IV—इसके अन्तर्गत साधनाधीन काम ध्यान दरवाना कर्म पर साक्षात् विन्ना का दिये जाना है।

PL ४०० के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लोगों में भारत का सबसे अधिक सहायता प्राप्त हुई है। इसका अन्तर्गत का सहायिक महत्व का अनाज परन्तु गन्ना के अनिश्चित भावना तथा मिठाई के नाम आयातों का उतार तथा गुणवत्ता रूप आर्थिक की सहायता प्रदान की जाती है। प्रारम्भ में भारत द्वारा PL ४०० के अन्तर्गत अनाज की सहायता अधिसूत्र (Buffer Stock) का निर्माण करने के द्वारा म दिया गया परन्तु धान्य में सहायता प्राप्त समस्त अनाज सुरक्षा के उपयोग के लिए उपयोग किया गया। PL ४०० के अन्तर्गत जाट का सहायता मिलती आ रही है उनके हमारी अर्थ व्यवस्था का ही प्रभाव से प्रभावित किया है—अनाज की उपलब्धि पर प्रभाव तथा भारतीय मीटिंग व्यवस्था पर प्रभाव।

PL ४०० की सहायता का अनाज की उपलब्धि पर प्रभाव

उत्पादन एवं मूल्य—अनाज की उपलब्धि से सम्बन्धित प्रभाव के अन्तर्गत अनाज के उत्पादन मूल्य एवं उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। PL ४०० के अन्तर्गत प्राप्त अनाज का वितरण उचित मूल्य की दुकानों द्वारा निश्चित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को दिया गया है। यह वितरण मूल्य खुले बाजार के मूल्य से कम रहता है और उपभोक्ता को अनाज खरीदने में मदद के विनियम दिया गया कि वे अनाज उचित मूल्य की दुकानों अथवा खुले बाजार जहाँ से चाहें ले सकते हैं। जब खुले बाजार में अनाज का मूल्य अधिक रहता है तो उपभोक्ता की मांग उचित मूल्य की दुकानों पर अधिक होती है। अनाज के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि और उचित मूल्य की दुकानों में १ जनवरी, १९६४ से दोहराव मूल्य निश्चित रहने के कारण इन दोनों मूल्यों का अन्तर बढ़ता रहा जिसके परिणामस्वरूप उचित मूल्य की दुकानों पर मांग अधिक रही। यह प्रवृत्ति उन वर्षों में भी जारी रही जब देश में फसल अच्छी रही क्योंकि क्षेत्रीय प्रतिबंधों के कारण अनाज का स्थानांतरण आवश्यकतानुसार नहीं किया जा सका। PL ४०० के अन्तर्गत प्राप्त अनाज का इस प्रकार उचित मूल्य की दुकानों से बाजार मूल्य से कम पर बेचकर बाजार-मूल्यों की वृद्धि को रोकना अथवा कम करना सम्भव हो सका परन्तु अन्य उपभोक्ता-वस्तुओं के सम्बन्ध में यह व्यवस्था सम्भव न हो सकी क्योंकि इनका आयात नहीं किया जा सकता था। ऐसी

परिस्थिति में गेहूँ के मूल्य को नियंत्रित भीमाजा में रहने परन्तु अन्य उपभोग्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो सके। क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धों के कारण गेहूँ अधिक उपभोग्य बाल क्षेत्रों जैसे पंजाब आदि में बहूँ के मूल्य गिर गये। यह के मूल्य में अत्यधिक उतारों का तुलना में कम वृद्धि होने के कारण यह के लिए उपयोग्य क्रिये जान बाल कृषि क्षेत्र में अत्यधिक फसला के तुलना में कम वृद्धि हुई। कृषि माधना के उपयोग में अत्यधिक फसला में अधिक उत्पादन करने का प्रवृत्ति का मा प्रामाण्य मिला। यदि उचित मूल्य का तुलना के मूल्य में खुले बाजार के मूल्य के अंतर का कम रखने के लिए उचित मूल्य की दुकानों के अनाज के मूल्य का समय समय पर उठाया जाना ता कृषि उत्पादन के मूल्य स्तर में समानता रह सकती थी और यह के उत्पादन के लिए और अधिक भूमि एवं कृषि माधना का उपयोग किया गया होता जिससे गेहूँ के उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सकती थी।

उपयोग स्तर

भारत में PL ४८० के अन्तर्गत जो अनाज का सहायता प्राप्त हुई है, इनमें जनसाधारण में अनाज एवं कसरी उपभोग (Calorie Consumption) स्तर में वृद्धि हुई। उचित मूल्य का तुलना में जो आयत किया गया अनाज के मूल्य पर विनियमित किया गया। उसका लाभ अथ व्यवस्था के स्तर में एवं निधन वगैरे का प्राप्त हुआ है जो अत्यधिक खुले बाजार मूल्य पर जो समय भरपट अनाज नहीं कर सकता था परन्तु उपयोग स्तर का यह वृद्धि आनन्दितता पर आधारित न होकर कारण सराफनाम नहीं है। उचित मूल्य की दुकानों का निरन्तर अपना कार्य प्रभावशाली रूप में करने के लिए हमें अनाज का पचास मण करना आवश्यक है तभी हमारा अनाज के अभाव पर निरन्तरता कम हो सकती है।

PL ४८० का मौद्रिक प्रभाव

PL ४८० के अन्तर्गत समुक्त राज्य अमेरिका द्वारा साक्षात् एवं अत्यधिक कृषि पदार्थों की सहायता भारतीय रुपये के भुगतान पर प्रभाव का जाना है। इन सहायता की शर्तों के अनुसार PL ४८० के अन्तर्गत आयत किया गया कृषि पदार्थों के मूल्य का राशि भारत सरकार पर ऋण के रूप में समझा जाना है परन्तु इस ऋण का विनाश यह है कि वस्तु आयत किया गया अनाजों के मूल्य रूप में समुक्त राज्य अमेरिका का बना दिया जाता है और फिर समुक्त राज्य अमेरिका इन राशि में कुछ भाग भारत सरकार का सहायताय ऋण एवं अनुदान के रूप में देना है और बाकी राशि समुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास द्वारा उपयोग का जाना है अथवा भारत एवं समुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से भारत में स्थापित भारत के व्यवसाय पर कोली (Cooley) ऋण के अन्तर्गत उपयोग होता है।

आयात किया गया अनाजों के मूल्य भारत सरकार द्वारा १२४ सरकारी व्यापार की परियोजना व्यवस्था के शीप के अन्तर्गत जमा कर लिया जाता है और फिर

इस राशि का निवेश वक में U S Government Title Account में जमा कर दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का Disbursing Officer (रिजर्व बैंक) इन राशियों का संचालन करता है और इस बात में ये भारत सरकार का बैंक द्वारा सहायता प्राप्त राशियाँ प्रदान करता है। रिजर्व बैंक इस बात में जमा राशि का विनियोजन भारत सरकार की विभिन्न विभिन्न मध्य प्रतिष्ठानों पर १/१० के भाग का दर पर विनियोजित करता है। जब भारत सरकार का दिवस ग्य वषों का भुगतान निवेश बैंक से मांगा जाता है तो रिजर्व बैंक इन सरकारों प्रतिष्ठानों का भुगतान भारत सरकार से प्राप्त करने के बजाय इन प्रतिष्ठानों का निर्णय कर देता है।

जिससे कि ये धन अनाओं का देश में उचित मूल्य की दुकानों में बेचा जाता है और इस प्रकार का राशि प्राप्त होता है उस केंद्रीय सरकार के बजट में पुनर्भरण के अन्तर्गत प्राप्त करता जाता है जोर दूसरे तरह, इस प्रकार के अन्य मूल्य का भुगतान बजट में भुगतान की योजना कर दिया जाता है। इस प्रकार यह धनी व्यवहार एक दूसरे का रद्द करता है जोर केवल केवल प्रविष्ट मात्र है जहाँ है।

भारत सरकार द्वारा जो भुगतान PL ६०० के अन्तर्गत किया जाता है वह निवेश बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका के Disbursing Officer के नाम में जमा कर दिया जाता है और इस जमा राशि में निवेश बैंक के केंद्रीय सरकार का प्रतिष्ठान प्रदान किया है। बैंक बैंक यह Disbursing Officer इस जमा राशि में जमा भारत सरकार की सहायता प्रदान करता है। अर्थात् के लिए विहायता है। भारत सरकार की प्रतिष्ठान निर्णय होती जाती है। इस प्रकार भारत सरकार की प्रतिष्ठानों में विनियोजित राशि बहुत कम जाती है।

यदि जमा राशि के अन्तर्गत जो विनियोजित राशि एक अन्य मूल्य के भुगतान की राशि के समय में कुछ अन्तर होता है तो इस समय में भुगतान को करता है परन्तु विनियोजित के अन्तर्गत प्राप्त विनियोजित बात में उचित राशि के भुगतान के बजाय जमा राशि द्वारा अन्तर्गत में भुगतान का प्रभाव का भय नहीं होता है। विनियोजित के अन्तर्गत राशि द्वारा अन्तर्गत में भुगतान का अन्तर्गत होता है और इस राशि का संयुक्त राज्य अमेरिका के Disbursing Officer को भुगतान कर दिया जाता है जोर यह विनियोजित जब इस राशि को भारतीय अन्तर्गत में संचालित करता है तो भुगतान प्रदान होता है। ऐसी परिस्थिति में जब किसी वक में विनियोजित के अन्तर्गत भुगतान को जान शरीर राशि में अन्तर्गत प्रदान कर रहे तो भुगतान प्रदान नहीं होगा। मन्त्र १९५६/१० से मन्त्र १९६५/६६ तक के काल में PL ६०० के अन्तर्गत प्राप्त सहायता का भुगतान की पूर्णता का प्रभाव उत्पन्न (Neutral) रहा है।

यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि रिजर्व बैंक द्वारा U.S. Disbursing Officer के नाम में जमा राशि का भारतीय प्रतिष्ठानों में जो विनियोजित किया जाता है वह भी भुगतान का एक स्वतंत्र होता है क्योंकि इसने रिजर्व बैंक की केंद्रीय सरकार

पर उधार की राशि वढ जानी है परन्तु सरकारने प्रतिभूतियों मे इस फण्ड स बहुत कम राशि विनियोजित रहती है क्याकि अधिकतर जमा राशि का अन्तर्गत सरकार का ऋण एव अनुदान से तथा दूतावास के यथा एव यूना-यट्टा के लिए निशान लिया जाता है । सन् १९६७-६८ मे सरकारने प्रतिभूतियों मे कुछ विनियोजित राशि बचल ७१ करोड ८० बी जत्रकि PL ४८० के अंतगत कुछ जमा की गयी राशि वाज आलि सम्मिलित कर ३३७ करोड ८० बी । सन् १९६८-६९ के बजट अनुमाना मे यह कुछ विनियोजन की राशि केवल २५ करोड ८० ही निर्धारित की गयी । इस प्रकार यह कुछ विनियोजन की राशि कुछ PL ४८० की जमा राशि की तुलना मे बहुत कम होनी है और हममे होने वाला मुन्य प्रसार साक्षात्ता का आयान न हान हुए या करना पड सकता था ।

पर तु जब PL ४८० के आयान बढ हो जायेंगे और इतने अंतगत एरक्तिन धन का समुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों द्वारा उपयोग किया जायगा ता उस समय मुद्रा प्रसार हागा क्योंकि उस प्रसार के बराबर मुन्य का समुक्त धन के लिए अथ यवस्था मे आयान किया हुआ अनाज बेचकर मुद्रा की पूर्ति को कम करना सम्भव नहीं होगा । PL ४८० के अंतगत ग्यारहव फण्ड मसफौले की अंतिम विधि का भुगतान १९९७ के लगभग दानव्य हागा । उस समय तक भारत को PL ४८० के अंतगत प्राप्य होने वाले साधनो को बजट के साधनो के ४८% हीन है के बराबर तथा समुक्त राज्य अमेरिका द्वारा PL ४८० सहित प्रथ साधनो का जो अयान हागा उसके बराबर आंतरिक स्रोतो मे अथ साधनो को स्वयंसेवा कर लेना चाहिए तब न हीनाथ प्रव धन का रोना जा सकता ।

PL ४८० की सहायता के अंतगत राजगार के अन्तर

PL ४८० के आयान के कारण प्रथम एव अग्रथम मोना ही रूप मे राजगार के अवसरों मे वृद्धि हुई है । बन्दरगाहा पर अनाज आरन तथा विभिन्न प्रकार के वृहो तन अनाज का आनायान करने मे सन् १९५६-५७ मे १९ ७८० यक्ति कार्य कर रहे जो सन् १९६५-६६ मे बन्दर १ ७४ ७८० हा गये । सन् १९५६-५७ मे प्रति दिन औसत आयत १,९७८ मीट्रिक टन था जो सन् १९६५-६६ मे बन्दर १७ ८७४ मीट्रिक टन हा गया । इस प्रथम रोजगार वृद्धि के अनिमित्त उचित मूल्य का दुकानों के द्वारा जो अनाज का वितरण किया जाता है इनमे कार्य करने वाले लोगो का मर्या सन् १९५६-५७ मे ५ ४०० थी जो सन् १९६५-६६ मे बन्दर ३ २०,३९५ हा गया । PL ४८० के अथ साधनो से केन्द्र सरकार का जो अथ मर्याकाम प्राप्त हुआ अथ विनियोजन द्वारा लगभग १४७ लाख राजगार के अन्तर उत्पन्न हान का अनुमान है जो द्वितीय एव तृतीय योजना मे उत्पन्न नवीन रोजगार के अवसरों के ६ ५३% थ ।

PL ४८० के अन्तगत अनाजादि का आयान करने से देश का विन्ना विन्मय का भी लाभ हुआ क्याकि साक्षात्तादि का अनिवाय आयान करने के लिए PL ४८०

की सहायता की अनुपस्थिति में देश के विदेशी विनिमय के साधनों का उद्वेग करना पड़ता। भात में जो विभिन्न दरारें PL ४०० के अन्तर्गत सन् १९४९-५० में सन् १९६५-६६ में कायाय किट्ट हैं उनका व्यापारिक मूल्य १२३०१ काट ४० था। उन राशि में से ९४ ५३ काट ९० अनुसूचि उग्र द्वारा उन्नत दूतावास जादि व निम्न-योग गया है। इस प्रकार भात का द्वितीय एवं तृतीय धारणागत व नव दलों में १२५५३ काट ०० व विदेशी विनिमय का सान हुआ है जो PL ६०० के अन्तर्गत उन्नत उन्नत स हान व व्यापारिक शक्तों व विदेशी व उन्नत बना पाना। यदि हम उन्नत विदेशी विनिमय के साधनों का इन्ने जमिठ साधनों जादि व भात पर व्यय का व हाताय विचार एव निर्वाह उन्नत व उन्नत निम्ने दे व उन्नत एव प्राप्ति पर अतिक्रम प्रभाव पडा। इस प्रकार PL ४०० के अन्तर्गत प्राप्त साधनों की सहायता न स की प्राप्ति में पर्याप्त सांभान दिना ह पाने इस सहायता का प्रभाव हवे व उन्नत बना जानावक है कि इन्ने व्यापारिक वृत्ति उन्नत एव व्यापारिक साधनों की वृद्धि का हनीचादन न हो उपा दे व के मूल्य-स्त में आवश्यकता से अधिक वृद्धि न हो सके।

विदेशी सहयोग

भात के उद्योगों के वर्तमान विनिर्मित विधान में विदेशी सहयोग का उन्नत-पिन महत्व है। विदेशी सहयोग के अन्तर्गत विदेशी सैकेट लिए हुए उपा सैकेट किट्ट हुए उन्नत सान की प्राप्ति करते निगिष्ट लम्बित केगनों का सान प्राप्त करने उपा विदेशी से अतिरिक्त पुँदी प्राप्त सान की व्यवस्था की गयी है। विदेशी सहयोग द्वारा आधुनिक साधनों का विकास करना सम्भव हो सका है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सम्पत्तियाँ औद्योगिक शिपानों में सम्बन्धित स्वतन्त्र व्यवहारों का संचालन करने में सक्षम हो गयी है। विदेशी उन्नतियों एवं सेवाओं का सहयोग मिलने से औद्योगिक साधनों में प्रभावशाली उन्नत आधुनिक साधकशक्तों एवं विचारधाराओं के प्राप्ति आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है जो देश के सानों औद्योगिक विकास का सूत्र है।

सन् १९४३ से सन् १९६० तक भात में २०३९ विदेशी सहयोगों का वा सी संचालन हो रहा था जो इनके लिए भात सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान का दी गयी थी। इनमें से सबसे अधिक सम्पत्ती विदेश के साध किट्ट वि। सबसे अधिक सम्पत्ती सन् १९६१ व सन् १९६४ वर्ष में किट्ट गये। सन् १९६३ के बाद से विदेशी सहयोग-सम्पत्ती सम्पत्ती की संख्या घटती जा रही है। विदेशी सहयोग के सम्पत्ती में से सबसे अधिक सान विदेशी (यान्त्रिक एवं विद्युत यन्त्रों की सौकर) उद्योगों में किट्ट गये हैं। उन बार विद्युत यन्त्र एवं प्रदाननों के निर्माण-उद्योगों में विदेशी सहयोग के साने अधिक सम्पत्ती विग गये हैं।

सन् १९६४ तक केन्द्र सरकार द्वारा २१३० सम्पत्ती की स्वीकृति

प्रदान की गयी थी जिसमें से १०५१ समझौता का क्रियावित्त किया गया था। क्रियावित्त समझौता में से ११ पौष, सन्निव एव सन्निव नल भ सम्बन्धित से १००६ विभाग उद्योग (Manufacturing Industries) से सम्बन्धित थे और ३४ सेवाभाक् सम्बन्ध म किए गये थे। १४४ समझौता के अन्तगत विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ भारत में स्थापित की गयीं ४४५ व अन्तगत विदेशी द्वारा कम्पनियों का पूँजा के अर्थात् विनियोजन किया गया तथा ४६२ समझौते के अन्तगत उपादन बंदव विनियम के अन्तर्गत विदेशी सहयोगियों की अधिकार तुल्य भुगतान करने का व्यवस्था की गयी।

विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौते में विभिन्न प्रतिबन्धनात्मक धारण रण गये। १०५१ समझौता में से ४५५ में निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्ध (अर्थात् कुल निर्यात रणा एव उत्पादों पर प्रतिबन्ध तथा निर्यात के कुल मूल्य सम्बन्धी प्रतिबन्ध) — २६ समझौतों के अन्तगत निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया १५४ समझौतों में बन्दे माल एव यन्त्रों की पूर्ति के साधनों सम्बन्धी प्रतिबन्ध ६५ समझौतों में उत्पादन के प्रकार पर प्रतिबन्ध ५४ समझौतों में पूँजित अधिकार तुल्य सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये गये तथा १८ समझौता में उत्पादन का विनियम विधि के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाये गये।

क्रियावित्त विदेशी समझौता व अन्तगत अधिकार-तुल्य एवं लाभों का विदेशी को प्राप्त निम्न प्रकार किया गया है—

तालिका सं० १३०—विदेशी सहयोग व अन्तगत अधिकार-तुल्य एवं लाभों का विदेशी को प्राप्त

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अधिकार तुल्य	लाभ
१९६०-६१	१५१	११३८
१९६१-६२	१९२	१४१४
१९६२-६३	२३२	१८५५
१९६३-६४	४३५	१९११
१९६४-६५	४६५	२०५८
१९६५-६६	६४०	१९६५
१९६६-६७	७६७	२१५०

लाभ एवं अधिकार तुल्य का रॉशि जा विदेशी को भुगतान का जारी है निरन्तर बढ़ती जा रही है। अधिकार तुल्य का लगभग ८०% भाग विदेशी अमेरिका तथा पश्चिमी जर्मनी का भुगतान किया जाता है।

भारत व औद्योगिकरण में विदेशी व्यापारिक विनियोजन का योगदान सराहनीय एवं महत्वपूर्ण रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में दायकालान विदेशी विनियोजन की स्थिति निम्न प्रकार है—

तालिका सं० १३१—भारत में दीर्घकालीन विदेशी व्यापारिक विनियोजन
(२१ मार्च का अंश १० में)

उद्योग का प्रकार	१९४८ में विनियोजन	१९६५ में विनियोजन	१९६० में विनियोजन	१९६७ में विनियोजन
घोष सम्बन्धी उद्योग	५००	११६१	११००	१०००
खनिज	११५	११०	६०	११५
खनिज तेल	००	१००	१००	००६६
निर्माण सम्बन्धी उद्योग	३००	४७६६	५०६०	५०००
सुदार्ण	१०३६	००६०	०३६१	६६३०
योग	१६६६	६६६०	१०६६६	१६६००

विदेशी विनियोजन से सम्बन्धित इस तालिका से ज्ञात होता है कि सन् १९६० से सन् १९६७ तक के ०० वर्ष के काल में विदेशी व्यापारिक विनियोजन में लगभग १००० करोड़ १० की वृद्धि हुई है अर्थात् विदेशी विनियोजन एक लाख में १ लाख के से भी अधिक हो गया है। विदेशी व्यापारिक विनियोजन निर्माण सम्बन्धी उद्योगों में इस काल में लगभग दस गुना हुआ है। खनिज तेल के क्षेत्र में भी इस प्रकार विदेशी व्यापारिक विनियोजन दस गुना हो गया है। सन् १९६७ में १ लाख करोड़ ६० के विदेशी विनियोजन में ५४६० करोड़ मुद्रा की सुदार्ण क्षेत्र की सुदार्णियों की प्रतिवृत्तियों आदि में विनियोजित था, ४७६६ करोड़ १० निजी उद्योगों की प्रतिवृत्तियों आदि में और ३००५ करोड़ १० निजी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विनियोजन (सम्बन्धी उद्योगों में) था।

विदेशी सहयोग के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों की विभिन्न प्रकार के नाम प्राप्त होने के साथ-साथ यह व्यवस्था में कुछ बाधाएँ भी प्राग्भाव होता है। प्रायः विदेशी सहयोग के अन्तर्गत आधुनिक तकनीकियों की उपलब्ध नहीं किया जाता है और जो दक्ष एवं प्रसाधन दिने गति है वे भी आधुनिकता नहीं होते हैं। भारत जैसे देशों में, जहाँ विभिन्न देशों से सहयोग प्राप्त किया गया है, एक ही प्रकार के उद्योगों में विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग होता है जिसके परिणामस्वरूप, प्रतिस्पर्धा हेतु यंत्रों के भागों का आवश्यक अभाव उत्पन्न होता है तथा इन उद्योगों के लिए सहायक उद्योग (Ancillary) की स्थापना करने में अड़िचारे होते हैं क्योंकि एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयों की अलग-अलग प्रकार के प्रसाधनों एवं यंत्रों के भागों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त विदेशी सहयोगियों की कार्यवाही के निर्माण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर रख समय तक नहीं लेते जब तक कि कारखाना निर्माण सम्बन्धी समस्त जिम्मेदारियाँ उन देशों के विदेशियों द्वारा ही नहीं की जाती हैं। इसी प्रकार देश के स्वतन्त्रता-वादी दूर कारखानों को सुचारु एवं निर्माण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में विदेशी सहयोग से